

दआइमुल इस्लाम

(पहला हिस्सा)

लेखक : अल काज़ी अल अजल अबू हनीफ़ा अल
नौमान बिन मुहम्मद अल मगरबी अल तमीमी
अल फातिमी

उर्दु तर्जुमा : मुल्ला युनुस शकीब मुबारकपुरी (सन् 1964ई.)

हिंदी तर्जुमा : जनाब सज्जाद हुसैन खाड़ा घोड़ा वाला

कम्प्युटर कंपोजिंग : आकिब पलाना वाला

- 003 — इस्लाम के सात सुतून (खम्बे)
- 004 **वलायत**
- 005 **किताबुल वलायत**
- 005 — ईमान ।
- 007 — उसूले ईमान ।
- 026 — इस्लाम और ईमान ।
- 030 — वलायत अमीरुल मुअमिनीन अली इब्ने अबी तालिब^{अ.स.} ।
- 041 — वलायते अइम्मा अहले बैत^{अ.स.} ।
- 059 — मुहम्मद^{स.अ.व.} व आले मुहम्मद^{अ.स.} पर सलवात का बयान ।
- 079 — अइम्मा आले मोहम्मद^{अ.स.} पर नस व तौफीक का बयान ।
- 080 — मसअले इमामत ।
- 093 — अइम्मा ताहिरीन^{अ.स.} के दरजात और मनाज़िल का बयान ।
- 107 — अइम्मतुल हुदा की वसीयतों का बयान ।
- 123 — हुब्बे अहले बैत^{अ.स.} का बयान ।
- 142 — इल्म की तरगीब और तालिबाने इल्म के फज़ा़इल का बयान ।
- 148 — किससे इल्म हासिल करना और किससे न करना और किसके क़ौल पर अमल न करना चाहिये उसका बयान ।

171 **तहारत**

- 172 — किताबुत—तहारत ।
- 175 — उन अहदास का बयान जिनसे वुजू करना वाजिब होता है ।
- 178 — वुजू के आदाब का बयान ।
- 181 — वुजू के औसाफ का बयान ।
- 190 — पानी का बयान ।
- 194 — गुस्ल का बयान ।
- 195 — फर्ज और सुन्नत गुस्ल का बयान ।
- 198 — जिस्म, लिबास, ज़मीन और बिछोने की तहारत का बयान ।
- 200 — मिस्वाक (दातुन) का बयान ।
- 201 — तयम्मूम का बयान ।
- 204 — खाने पीने की चीज़ों की तहारतों का बयान ।
- 206 — सफाई और फितरी (प्राकृतिक) तहारतों का बयान ।
- 209 — खाल हड्डी बाल और ऊन की पाकीज़गी व तहारत का बयान ।
- 211 — हैज़ का बयान ।
- 213 — इस्तबरा का बयान ।

216 **सलात**

- 217 — नमाज़ें फर्ज होने का बयान ।
- 220 — नमाज़ की तरगीब और इसके तमाम करने का हुक्म और सवाब का बयान ।
- 224 — नमाज़ के औकात (वक्त) का बयान ।
- 230 — अज़ान व इकामत का बयान ।
- 238 — मसाजिद का बयान ।
- 242 — इमामत का बयान ।

- 245 — जमाअत और सफ का बयान ।
- 249 — नमाज़ की कैफियत का बयान ।
- 262 — नमाज़ पढ़ने के बाद दुआ माँगने का बयान ।
- 277 — नमाज़ की हालत में कलाम और अमल करने का बयान ।
- 281 — नमाज़ में लिबास का बयान ।
- 285 — नमाज़े जुमआ का बयान ।
- 290 — नमाज़े इदैन (ईदुल फितर और ईदुल अदहा) का बयान ।
- 295 — नमाज़ में सहु (भूल) का बयान ।
- 298 — नमाज़ कतअ करने का बयान ।
- 399 — मसबूक (बाद में आने वाले) की नमाज़ का बयान ।
- 302 — किस उम्र में बच्चों को नमाज़ पढ़ने की ताकीद करनी चाहिए ।
- 303 — मुसाफिर की नमाज़ का बयान ।
- 307 — बीमार की नमाज़ का बयान ।
- 308 — सलातुल खौफ का बयान ।
- 309 — सलातुल कुसूफ (ग्रहण की नमाज़) का बयान ।
- 312 — सलातुल इस्तिस्काअ ।
- 313 — वित्र और फज्र की दो रकआत नमाज़ और कुनूत का बयान ।
- 321 — सुन्नत और नफ़ल नमाज़ का बयान ।
- 332 — कुरआन में सजदों का बयान ।
- 334 **जनाइज़**
- 335 — बीमारी, इयादत, और आलमे — सकरात (मौत की घड़ी) ।
- 339 — मौत को याद करने का बयान ।

- 341 — तअजीयत सब्र और रोने की रुखसत का बयान ।
 349 — मैयत को गुसल देने का बयान ।
 352 — हुनुत (मय्यत के खुशबू का सामान) और कफन का बयान ।
 354 — जनाज़ा उठाने का बयान ।
 357 — नमाज़े जनाज़ा का बयान ।
 360 — दफन और कब्र का बयान ।

364 **ज़कात**

- 365 — ज़कात व सदका देने की तरगीबात का बयान ।
 371 — मुस्तहक़े ज़कात को ज़कात न देने की बाबत तग़लीज़ व तशददुद (भूल और सख्ती)
 377 — चाँदी सोना और जवाहिर की ज़कात का बयान ।
 381 — चौपायों की ज़कात का बयान ।
 387 — ज़कात देने का बयान ।
 398 — अनाज, फल नबातात (वनस्पति) की ज़कात का बयान ।
 400 — ज़कातुल फित्र (फितरा) का बयान ।

402 **किताबुस सोम वल एअतिकाफ**

- 403 — माहे रमज़ान का रोज़ा फर्ज़ होने का और उस सिलसिले में जो तरगीबात आई है उनका बयान ।
 407 — रोज़ा रखने की क़ैफियत का बयान ।
 410 — जिन बातों से रोज़ा टूट जाता है उनका बयान और जिसने रोज़ा तोड़ दिया उस पर क्या वाजिब है उसका बयान ।
 414 — सफ़र में रोज़े रखने का बयान ।
 416 — बीमारी की हालत में रोज़ा न रखने का बयान ।

- 419 — रोज़ा इफतार करने का बयान ।
- 421 — लैलतुल कद्र (शबे कद्र) का बयान ।
- 423 — सुन्नत और नफ़ल रोज़े का बयान ।
- 427 — एअतिकाफ का बयान ।
- 429 **हज**
- 430 — हज के फर्ज़ होने और हज न करने पर तशहूद का बयान ।
- 436 — हज की तरगीबात का बयान ।
- 442 — मदीनतुन-नबी^{स.अ.व.} में दाखिला और हाजी का वहां जाकर क्या अमल करना चाहिये उसका बयान ।
- 443 — एहराम के मीकातों का बयान ।
- 445 — एहराम का बयान ।
- 448 — तकलीद (क़िलादा पहनाना) अशआर (निशानी लगाना) तजलील (झूल पहनाना) और तलबीया (यानि लब्बैक कहने) का बयान ।
- 450 — मुहर्रिम पर ऐहराम की हालत में जो कुछ हराम है उसका बयान ।
- 454 — मुहर्रिम अगर शिकार का मुर्तकब हो तो उस पर क्या वाजिब है ।
- 459 — हरम में दाखिला और दीगर आमाल वगैरह का बयान ।
- 461 — तवाफ का बयान ।
- 465 — हज तमत्तोअ का बयान ।
- 468 — मिना की तरफ निकलने और अरफा में ठहरने का बयान ।
- 470 — अरफा से मुज़दलिफा जाने का बयान ।
- 472 — जमरों को कंकड़िया मारने का बयान ।

- 473 — कुर्बानी करने का बयान ।
 479 — बाल मुंडवाने और कटवाने का बयान ।
 480 — मिना में इक़ामत के दरमियान हाजियों पर क्या क्या
 अमल करना वाजिब है इसका बयान ।
 482 — मिना से कूच करने का बयान ।
 484 — उमरा मुफरदः का बयान ।
 485 — सद्दः (रूकावट) और इहसार (बीमारी) का बयान ।
 488 — दाईमुल मरज़ और अमवात की जानिब से हज
 करने का बयान ।
 490 — हज के फौत हो जाने का बयान ।

492 जिहाद

- 493 — जिहाद के फर्ज़ होने का बयान ।
 500 — जिहाद में तरगीबात (प्रोत्साहन) का बयान ।
 502 — राहे खुदा में घोड़ों को आरास्ता करने की तरगीबात
 का बयान ।
 504 — आदाबे सफर का बयान ।
 509 — साहिबाने अम्र के हुक्क और उनके फराइज़ का
 बयान ।
 510 — अमीरे कौम को खुद अपने नपस का जायज़ा लेना
 चाहिए ।
 512 — अमीरे लश्कर को हिदायत और इबरत दिलाना उन
 लोगों के ज़िक्र से जो उनसे पहले गुज़र चुके हैं ।
 516 — साहिबाने अम्र को अपनी रिआया और अपनी जानों
 के साथ अदलो इंसाफ से पेश आने का हुक्म और
 इसका बयान ।
 520 — लोगों के तबकात (वर्गों) की माअरिफत ।

- 521 – अफवाज के किन-किन मामलात में वाली को ध्यान देना चाहिए उसका बयान।
- 523 – वली-अम्र को लायक है कि वह लोगों के दरमियान जिन उमूर के फैसले किए जाते हैं उन पर भी गोरो फिक्र करे।
- 525 – वाली को अपने आमिलो के जिन उमूर की देख-रेख रखना ज़रूरी है उनका बयान।
- 527 – वाली को अहले खिराज (लगान देने वाले) के जिन उमूर का मुआइना करना चाहिये उसका बयान।
- 530 – वाली को मुहररिरो (कारकूनों) के जिन उमूर की निगहादश्त (निगरानी) करनी चाहिए उसका बयान।
- 532 – ताजिरों और कारीगरों के जिन उमूर की निगहादश्त (देख-रेख) वाली व हाकिम को रखनी चाहिए उसका बयान।
- 533 – वाली व हाकिम को मिसकीनो और मोहताजो के जिन उमूर की निगहादश्त करनी चाहिए उसका बयान।
- 534 – वाली व हाकिम को जिन आदाब और हुस्नोसीरत से आरास्ता होना चाहिए उनका बयान।
- 536 – जंग से पहले जिन कामों को अंजाम देना चाहिए उनका बयान।
- 540 – तरीका-ए जंग का बयान।
- 543 – मुशरिकीन से जंग करने का बयान।
- 546 – कैदियों के अहकाम का बयान।
- 548 – पनाह और अमान देने का बयान।
- 549 – सुलह मुआहिदा और जज़िया का बयान।
- 552 – तकसीम से कब्ल माले गनीमत का हुक्म।

- 555 — माले गनीमत की तकसीम का बयान ।
561 — अहले बगावत से जंग करने का बयान ।
572 — अहले बगावत के अमवाले गनीमत का हुक्म ।
574 — दो गिरोह के बीच जो कुछ हो चुका उसके हुक्म
का बयान ।
576 — अहले क़िबला में से किसको क़त्ल करना जायज़ है
उसका बयान ।

इब्तिदाई कलिमात

अलहम्दो लिल्लाहि रब्बिल आलमीन तमाम हम्दो सना अल्लाह तबारकल्लाहो व तआला के लिये और सलवातो सलाम मुहम्मदुल मुस्तफा^{सअव.} व आले मुहम्मद^{अस.} अइम्मा ताहिरीन^{अ.स.} पर। दआइमुल इस्लाम जो फातिमी खिलाफत के बुलंद मर्तबा काज़िल कज़ात सय्यदना अबू हनीफा नौमान बिन मुहम्मद अल मगरबी अल तमीमी अल फातिमी ने इमाम मोइज़ बिल्लाह^{अ.स.} की रहनुमाई व इल्मी बरकात से फायदा उठाते हुए अरबी में लिखी थी। इस अज़ीमुश्शान किताब का उर्दु तर्जुमा जनाब मुल्ला युनुस शकीब मुबारकपुरी ने सन् 1964ई. में किया था। और इस किताब को दो जिल्दों में शायेअ किया था। फिर बाद में आप ही ने गुजराती तर्जुमा किया था। अब यह किताब नायाब हो गई। बाद में उदयपुर में साबिक उस्ताद जामिया सैफिया अल अलीमुल जय्यद मरहूम शेख अहमद अली राज साहब इब्ने मुल्ला कुरबान अली ने इसी किताब को बोहरा गुजराती जुबान रिस्मुल खत उर्दु में लिखी थी।

शेख साहब की हौसला अफज़ाई, रहनुमाई और तरबीयत से और मौजूदा नौजवानों को अरबी उर्दु का इल्म न होने की वजह से इस किताब को हमने हिन्दी देवनागरी में तर्जुमा किया है। और मुश्किल अलफाज़ों के आसान मतलब लिखने की कोशिश की है ताकि बवक्ते ज़रूरत मुअमिनीन हज़रात आसानी से समझ सकें। और अपने दीनी मसाइल को तफसील से मालूम करे व फायदा हासिल कर सकें।

इस किताब में हमने कुरआन हकीम की आयतों को अरबी में लिखा है। और उनके उपर एअराब भी लगाये हैं। क्योंकि मुल्ला युनुस मुबारकपुरी ने उर्दु तर्जुमा में आयतें तो लिखी हैं मगर उन पर एअराब नहीं लगाये हैं जिस वजह से आम मुअमिन आसानी से नहीं पढ़ सकते थे। अब एअराब लगाने से मुअमिनीन को पढ़ने में व मतलब समझने में आसानी होगी। एअराब लगाने में हमें अल्लामा फाज़िल शेख अहमद अली साहब राजनगरवाला ने बहुत मदद की।

हिंदी में आयतों का सही उच्चारण (तलफ़ुज़) बिना उस्ताद के बहुत मुश्किल है। इसलिये अरबी में ज़बर, ज़ेर, अलिफ, पेश वगैरह का हमने हिंदी भाषी इलाकों में इस्तिमाल होने वाले लहज़ों के मुताबिक

इस्तिमाल किया है। और ज़बर को दिखाने के लिये अः का इस्तिमाल किया है। मिसाल के तौर पर व वैलुल लिल मुशरिकीनल **लज़ीनः** ला यूतुनज़ **ज़कातः** 24-41/6-7

وَوَيْلٌ لِّلْمُشْرِكِينَ • الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ

लज़ीनः और **ज़कातः** इसमें ज़बर को इस तरह से लिखा है।

नौजवानों मुअमिनीनों से गुज़ारिश है कि इस अजीम किताब को पढ़कर फायदा व सवाब हासिल करे। और जो मुश्किल अलफाज़ उनकी समझ में न आयें तो अपने बुर्जुगों व उस्तादों से मालूम करे तो उनको ज़रूर ज़्यादा मालूमात हासिल होगी और उनके इल्म में यकीनन ज़्यादा होगी।

अल्लामा शेखुल फाज़िल अहमद अली राज साहब के शार्गिदों को इस किताब को हिन्दी में तर्जुमा करने का विचार आया। जिस पर पहले अबूज़र अली मुईवाला इब्ने फज़ल अली ने पहल की और कुछ पेज हिंदी में लिखे और बाज़ार में टाइप करवाये। फिर मसरत राज इब्ने मंसूर अली और आकिब हुसैन पलाना इब्ने आशिक अली ने उसका साथ देकर और पेज हिंदी में लिखे। और शेख साहब की हिदायत के मुताबिक हिंदी के लिखे हुए पेजों को मैंने चेक किया तो मालूम हुआ कि अलफाज़ों में बहुत सी गलतियाँ हैं। जिस पर बोहरा हिंदी टाइपिस्ट आरिफ कांकड़ोली वाला इब्ने असगर अली(150 पेज), अनीस हीतावाला इब्ने अब्बास अली(5 पेज), और अबू तूराब औड़ा वाला इब्ने मुहम्मद हुसैन (100 पेज) से कुछ हिस्सों की टाइपिंग करवायी। फिर आकिब पलाना ने हिंदी और अरबी टाइपिंग करते रहे और मैं चेक करता रहा। और मैंने उर्दु-अरबी लुगात की मदद से इसमें आई खामियों को दुरुस्त किया। इस तरह मुदत बाद यह तहरीर तैयार हुई।

यह हिन्दी तर्जुमा हम शार्गिदों की तरफ से हमारे फाज़िल उस्ताद अल्लामा अल जय्यद मरहूम **शेख अहमद अली साहब राजनगरवाला इब्ने मुल्ला कुरबान अली** को खिराजे अकीदत का तौहफा है।

लिखावट में पूरी सावधानी बरती गई है फिर भी गलतियों का इमकान है क्योंकि इन्सान है ही भुलक्कड़। इसलिये जिन हज़रात को गलती मालूम हो तो वह सुधार कर पढ़ें और हमें भी इत्तिला करने की ज़हमत करें।

इस किताब को शुरू से आखिर तक प्रिंटिंग कराने तक हाज़िर व ग़ैर हाज़िर तौर पर जिन जिन हज़रात ने जिस किसी भी तरह से मदद की है उन तमाम हज़रात के लिये बारगाहे खुदा वन्दे आलम में जज़ाए खैर के

लिये दुआ की इल्तिमास है कि अल्लाह तआला उनकी हर मुराद पूरी करे और जन्नत नसीब करे।

खाकसार :

सज्जाद हुसैन खाड़ा घोड़ा वाला

51 गली न. F खारोल कॉलोनी

उदयपुर राजस्थान (हिन्दुस्तान)

मोबाइल : 91 9214695674

फोन : 91 294 2454044

मिलने का पता :

आकिब हुसैन पलाना

53 अजन्ता होटल स्ट्रीट

बुरहानी हॉल के पास

चेतक मार्ग उदयपुर

मोबाइल:91 9772042377

पेश लफ्ज

परवरदिगार आलम का लाख लाख शुक्र है कि उसने इस बन्दा—ए—हकीर को फातिमी दाअवत की अमूल्य किताब दआइमुल इस्लाम के पहले हिस्से के तर्जुमें की तौफीक अता फरमाई फिर उनकी इशाअत के अस्बाब मुहय्या किये और उनकी इशाअत के बाद कबूलियते आम का जो शरफ बख्शा है उस पर बे साखता सर इजहार तशक्कुर के लिये सजदाए मअबूद में झुक जाता है।

तशनगाने उलूम आले मुहम्मद^{अ.स.} के मुसलसल तकाजों से मजबूर होकर दआइमुल इस्लाम हिस्सा अब्बल का पहला एडिशन किताब की पुरानी गलतियों से पाक व साफ नाज़रीन की खिदमत में पेश किया जाता है।

अलहम्दो लिल्लाह कि फिकह मज़हबे फातिमी की जामेअ और मुस्तनद किताब दआइमुल इस्लाम जिल्द अब्बल जिसका उर्दू तर्जुमा पहली बार कारिज़न किराम की खिदमत में पेश किया जा रहा है। प्रोफेसर आसिफ बिन अली असगर फ़ैज़ी ज़ेद शुरफा ने इस किताब के बहुत सारे व कलम किये हुए नुसखों को जमा करके तकरीबन पंद्रह साल के मुसलसल जद्दो जहद और तहकीक व तालीक के बाद सर ज़मी मिस्र के उसी पाया तख्त काहिरा से शाइअ किया था जहां फातिमी खिलाफत के नामूर काज़ी क़ज़ात सय्यदना अबू हनीफा नौमान बिन मुहम्मद मगरिबी तमीमी फातिमी ने बानी काहिरा हज़रत इमाम मोइज़ बिल्लाह^{अ.स.} की रहनुमाई और बरकात इल्मीया से मुस्तफीद होकर फातिमी फिकह की इस अजीमुश्शान किताब को मुरत्तिब किया था। हम यहां पर मुअल्लिफ की मुख्तसिर सवानिह हयात कलमबंद करते हैं।

मुअल्लिफ : आपका इस्मे गिरामी नौमान और कुन्नियत अबू हनीफा है अहले सुन्नत के इमाम अअज़म अबू हनीफा नौमान बिन साबित के नाम और कुन्नियत में मुशाबहत के बाइस आपके नाम के साथ सय्यदनल अजल काज़िल मगरिबी लिखा जाता है। आप खानदाने तमीम के चश्म व चिराग थे। केरवान जो इस्लामी उलूम व मआरिफ और तहज़ीब व तमद्दुन का गहवारा था वही आप तीसरी सदी हिजरी के आखिर में पैदा हुए। आपके वालिदे माजिद का नाम अबू अब्दुल्लाह मुहम्मद था। मशहूर मुअर्रिख

अल्लामा इब्ने खलकान की रिवायत के मुताबिक वह एक सन रसीदा बुर्जुग थे। उस ज़माने के निहायत दिलचस्प और हैरत अंगेज़ अखबार व हवादिस बयान करते थे। एक सौ चार साल की उम्र में सन् 351 हिजरी में वफात पाई। आपके होनिहार फरज़न्द सय्यदना काज़िल नौमान बिन मुहम्मद ने नमाज़े जनाज़ा पढ़ाई। और केरवान के बाबुस सलम में मदफून हुए।

सन 296 हिजरी में दौलते फातिमिया के कयाम और पहले फातिमी खलीफा इमाम मेहदी बिल्लाह^{अ.स.} के साथ तअल्लुकात पैदा होने से पहले आपके हालते जिन्दगी मफकूद (मालूम नहीं) है। अलबत्ता इतना ज़रूर मालूम हो सका है कि आप पहले मालिकी मज़हब के पैरु (मानने वाले) थे। बाद में फातिमी इस्माईली मज़हब में दाखिल हो गये। बानी दौलते फातिमिया इमाम अब्दुल्लाह मेहदी बिल्लाह^{अ.स.} ने जब सन 313 हिजरी में मगरिब में यानि शिमाली (उत्तर दिशा) अफ्रीका में अपनी शख्सियत को ज़ाहिर कर दिया। और अगालिबा (वहां के हाकिम) ने जब राह फरार इख्तियार की तो आपने उनके दयार में नुजूले अजलाल फरमाया (ज़ाहिर हुए)। उस वक्त फातिमी खिलाफत के दरबार में सय्यदना काज़िल नौमान हज़रत इमाम मेहदी बिल्लाह^{अ.स.} की खिदमत में हाज़िर हुए थे।

ओहदा ए कज़ा : आप इमाम काइम बिअमरिल्लाह^{अ.स.} के अहदे मुबारक में तराबुलस के काज़ी थे और इमाम मन्सूर बिल्लाह^{अ.स.} के अहद में शहर मन्सूरिया के पहले काज़ी मुकर्रर किये गये बाद में अफ्रीका के तमाम शहरों के काज़िल कज़ात बना दिये गये थे।

फज़ल व कमाल : अल्लामा इब्ने हजर लिखते हैं कि (सय्यदना) काज़िल नौमान^{क.स.} फुस्तात मिस्र में रहते थे और वहां से रोज़ाना काहिरा तशरीफ लाते थे और मशहूर मुवर्रिख अल्लामा इब्ने खलकान ने मुवर्रिख मसीही और इब्ने जुलाक की रिवायत नकल करते हुए लिखा है कि नौमान बिन मुहम्मद कुरआन के उलूम व मुआरिफ और ज़ाहिर व बातिन से अच्छी तरह वाकिफ थे। खुसूसन इल्म फिकह और इख्तिलाफात फुकहाअ ए लुगत, शअरो अदब में यगानअ (जानकार) रोज़गार थे। गरज़ मुअरिखीन में से हर एक ने आपके फज़ल व कमाल व वुसअत इल्म और सकाफत ही का तज़क़िरा किया है।

तालीफात : सय्यदना काज़िल नौमान^{क.स.} ने फातिमी उलूम व मआरिफ पर तकरीबन 44 किताबें लिखी हैं जो फातिमी मज़हब की असास (बुनियाद) तसव्वुर की जाती हैं। आपने अपनी उन तमाम किताबों की तसनीफ व

तालीफ के वक्त इस बात का खास इन्तिज़ाम रखा था कि हर किताब की एक एक फस्ल और एक एक बाब को इमाम मोइज़ बिल्लाह^{अ.स.} की खिदमत में इसतिनाद के लिये पेशा किया था। आपकी इल्मी जलालत शान पर इमाम मोइज़ दीनल्लाह का यह इर्शाद गिरामी मोहर तसदीक है कि जो शख्स (सय्यदना) काज़िल नौमान की इल्मी खिदमतों का अशर अशीर (1 परसेन्ट) भी अदा करेगा मैं उसके लिये जन्नत का ज़ामिन हूँ। अल्लामा इब्ने खलकान अपनी मशहूर किताब वफीयातुल एअयान में लिखते हैं कि (सय्यदना) काज़ी अल नौमान ने अहले बैते रसूल^{अ.स.} के हुकूक की ताइद की हिमायत में हज़ारों औराक (पेज) लिखे हैं और मुखालिफीन आले मुहम्मद^{अ.स.} की तरदीद (विरोध) में भी बेशूमार किताबें लिखी हैं। आपकी मशहूर इल्मी किताबों की मुखतसिर फहरिस्त दरजे ज़ील है।

(1) किताब शरहुल अखबार (सोलह भाग) (2) किताब दआईमुल इस्लाम (मतबूआ मिस्स्) (3) असासुल तावील (फन तावील की अहम तरीन किताब जो बैरुत में छपकर शायेअ हो चुकी है) (4) किताब मजालिस वल मुसाइरात (सय्यदना काज़िल नौमान की डायरी है) (5) किताबुल हम्मा फी आदाब अतबाइल अइम्मत (मतबूआ मिस्स्) (6) इफतिताहुद—दाअवत (दौलत फातिमी के उरुज की मुख्तसिर मगर जामेअ तारीख) (7) किताबुल इज़ाह (8) तावीलुद दआईमुल इस्लाम (9) किताबुल अखबार (10) किताबुल यम्बूअ (11) मुख्तसरुल आसार (12) किताबुत तहारत (13) अल कसीदतुल मुखतारह (14) मिनहाजुल फराइज़ (विरासत का बयान) (15) रिसालतुज़ ज़ातिल बयान (इब्ने कुतेबा के खिलाफ) (16) इख्तिलाफ़े उसूलिल मज़ाहिब (17) किताबुत तौहिद वल इमामत (18) मनाकिब बनी हाशिम (19) तावीलुर रुर्या (20) मफातिहन्नेअमत (21) मुख्तसरुल इज़ाह (22) किताब मुकतसर (23) किताबुल इख्तिसार (24) किताबुल इत्तिफाक वल इफतिराक (25) किताबुल यौमुन वलीलतुन (26) किताबे कैफियतुस सलात (27) रिसालतुल मिस्रिया फिल रद्दे अल शाफई (28) किताब फिल रद्दे अलल अहमद बिन सरीह अल बगदादी (29) दामेगुल मोजिज़ फिल रद्दे अलल इत्तकी (30) नेहजुस सबील इला मअरिफते इल्मुत तावील (31) किताब हुदुदुल माअरिफत (32) किताब इस्बातुल हकाइक़ फी माअरिफति तौहिदुल खालिक (33) किताबुन फिल इमामत (34) किताबुल तआकुब वल इन्तिकाद (35) किताबुल दुआत (36) किताबुल हिल्य वशिशयाब (37) किताबुश्शुरुत (38) उरजुजतो ज़ातिल मिनन (39) उरजुजतो ज़ातिल महन (अबू यज़ीद मुखत्लिद बिन कैदाद की

बगावत की तारीख) (40) मआसिमुल हुदा (41) मकामातुल अइम्मतह (42) किताबुत तकदीम वल तअनीफ।

सय्यदना काज़िल नौमान बिन मुहम्मद की बीमारी के मुताल्लिक तारीख में कोई तफसील मौजूद नहीं है। फातिमी उलूम और मुआरिफ की जलती हुई ये शमअ (रोशनी) 29 जुमादिस सानी सन् 363 हिजरी में हमेशा के लिए खामोश हो गई। तख्त औहदा—ए—फिकह रंजो अलम में डूब गई। खलीफा वक्त इमाम मोइज़ बिल्लाह ने नमाज़े जनाज़ा पढ़ाई और काहिरा में दफन हुए। *रहमतुल्लाहे तआला।*

औलाद : आपके फरज़न्दे अकबर अबुल हुसैन अली बिन नौमान केरवान रजब सन 325 हिजरी में पैदा हुए और अपने वालिदे गिरामी सय्यदना काज़ी अल नौमान के साथ मिस्स तशरीफ लाए थे। जब सय्यदना काज़िल नौमान का इंतिकाल हो गया तो आपको अबू ताहिर ज़हली के साथ मिस्स के औहदा कज़ाअ (चीफ जस्टिस) में बतौर मुआविन (मददगार) के शारीक कर दिया था। और जब मर्ज़ फालिज़ में अबू ताहिर का इंतिकाल हो गया तो आप चीफ जस्टिस बन गये। फातिमी खलीफा अज़ीज़ बिल्लाह के नज़दीक आपकी बड़ी क़द्र मंज़िलत थी। एक रोज़ जबकि आप जामा मस्जिद में लोगो के बीच मुकद्दमों के फ़ैसलें सुना रहे थे कि अचानक आप पर बुखार का हमला हुआ। फिर वह ठीक नहीं हो सके और चौदह दिन की लगातार बीमारी के बाद रजब सन 374 हिजरी में इंतिकाल कर गये। *रहमतुल्लाहो तआला।* सय्यदना काज़ी अल नौमान के छोटे फरज़ंद अबू अब्दुल्लाह मुहम्मद बिन नौमान भी अपने बड़े भाई अबूल हुसैन की वफात के बाद औहदा चीफ जस्टिस के मर्तबा जलीला पर फाइज़ हुए। काज़ी अली बिन नौमान के इन्तिकाल के बाद इमाम मोइज़ बिल्लाह^{अ.स.} ने खानदाने नौमान की क़द्रदानी करते हुए अबू अब्दुल्लाह बिन मुहम्मद बिन नौमान को अपने खत मुबारक में लिखा कि तुम्हारे भाई अली के बाद औहदा—ए—कज़ाअ (चीफ जस्टिस) पर तुम्हारा ही हक़ है। हम इस औहदे को खानदाने नौमान से कभी जुदा न करेंगे। काज़ी मुहम्मद बिन नौमान रिवायत व दरायत, शअर व अदब और तारीख के जबरदस्त आलिम थे। इमाम अज़ीज़ बिल्लाह^{अ.स.} के दरबार में मुहम्मद बिन नौमान का मर्तबा इतना बुलंद हुआ कि वह दरबारे खिलाफत में इमाम अज़ीज़ बिल्लाह^{अ.स.} के साथ मिम्बर पर रोनक अफरोज़ होते थे (इब्ने खलकान)। मुहम्मद बिन नौमान निहायत बा वकार और काबिले एहतिराम शख्सियत के मालिक थे। आपको

“सय्यदना” के लकब से खिताब किया जाता था। मुवर्रिख इब्ने खलकान और मिस्री मुवर्रिख अल्लामा इब्ने जुलाक का बयान है कि हमने मिस्र में किसी काज़ी की ऐसी शान व शौक़त नहीं देखी थी जैसी कि मुहम्मद बिन नौमान को हासिल थी। और ना इराक़ में ऐसा कोई बुलंद मर्तबा काज़ी गुज़रा है। काज़ी मुहम्मद बिन नौमान अपने ज़ाती फज़ल व कमाल और इक़ामते हक़ और हैबत व जलाल की वजह से इस बे मिसाल शान व अज़मत के मुस्तहिक् हुए थे। इल्म फिकह की मीरास खानदाने बनी नौमान में अरसे तक बाक़ी रही। और बनी नौमान सन् 450 हिजरी तक कज़ाअ (जज) के औहदा जलीला पर मअमूर होते रहे।

दआइमुल इस्लाम लिखने की वजह : फातिमी मुअर्रिख दाई सय्यदना इदरीस इमादुद्दीन अपनी शहर—ए—आफाक किताब एवानुल अखबार में किताब दआइमुल इस्लाम लिखने की वजह बयान करते हुए लिखते हैं कि एक मर्तबा का ज़िक्र है काज़ी अल अज़ल सय्यदना अबु हनीफा नौमान बिन मुहम्मद बहुत से फातिमी दाईयों के साथ इमाम मोइज़ बिल्लाह^{अ.स.} के दरबार में अहादीस मौजूअ और इख़तिलाफ़े रिवायात की बाबत बहस कर रहे थे। उस वक्त इमाम मोइज़ बिल्लाह ने उन्हें रसूलुल्लाह^{स.अ.व.} का यह इर्शाद गिरामी याद दिलाया कि :

إِذَا ظَهَرَتِ الْبِدْعُ فِي أُمَّتِي فَلْيُظْهِرِ الْعَالَمُ عِلْمَهُ، فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ

इज़ा ज़हरतिल बिदओ फी उम्मतु फलयुज़हिरिल आलिमो इल्महू फइन लम यफअल फअलैहि लअनतुल्लाहि। तर्जुमा : रसूले खुदा^{स.अ.व.} फरमाते हैं कि जब कभी मेरी उम्मत में बिदअते ज़ाहिर हो तो उस वक्त आलिम पर फर्ज़ है कि वह अपने इल्म को ज़ाहिर करे। अगर उसने ऐसा नहीं किया तो उस पर खुदा की लाअनत है। फिर आपने सय्यदना अल अज़ल की तरफ देखकर फरमाया कि ए नौमान! इस हदीस शरीफ में तुम जैसे ही आलिमों से मुराद लिया गया है। उसके बाद आपने उनको दआइमुल इस्लाम की तअलीफ का हुक्म दिया और उसके उसूल व फुरुअ मुरत्तिब कर दिये और अइम्मा अहले बैत^{अ.स.} ने रसूले खुदा^{स.अ.व.} से मरफुअन जो रिवायात सही नक्ल की थी उनसे वाकिफ कर दिया था।

किताब की एहमियत : फिकह मज़हबे फातिमी की यह अजीम किताब फिकह के तमाम मसाइल पर हावी है। फातिमी अकीदा के मुताबिक

इस्लाम के सात दआइम है। वलायत, तहारत, नमाज़, ज़कात, रोज़ा, हज और जिहाद। चुनाचां फाज़िल मुअल्लिफ ने इन सातों दआइम के मुताल्लिक कुरआने हकीम की आयतें और अहादीसे रसूले^{अ.व.} और अइम्मा अहले बैत^{अ.} के इर्शादात नक्ल किये है। आपने रिवायात पेश करते वक्त इतनाब (फिरकेबाज़ी) से बचने के लिये दरमियानी रावीयों के असमाअ (नामों) को हज़फ कर (हटा) दिया है और रूवीना अन फलां — मजहूल लिखकर असल रिवायत को नक्ल कर दिया है। इस किताब की अकसर रिवायतें इमाम बाकिर^{अ.स.} और इमाम जअफरुस्सादिक^{अ.स.} से मनकूल है।

इस किताब की जामियत का सही अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि फातिमी खलीफा इमाम अलीयिनि—ज़्जाहिर^{अ.स.} के ज़माने में आपने लोगो को दआइमुल इस्लाम को मुंह ज़बानी याद करने का हुक्म दिया था और उन्होंने इसके लिये बहुत बड़ा इनाम मुकरर कर रखा था। और इमाम हाकिम बिअमरिल्लाह^{अ.स.} ने यमन में अपने दाईं हारून बिन मुहम्मद को एक खत लिखा कि हराम व हलाल की बाबत फतवा तलब करने वालो के लिये तुम जो भी फतवा जारी करो वह दआइमुल इस्लाम ही की रोशनी में होना चाहिये।

इसके अलावा फातिमी मज़हब के बुलंद पाया आलिम सय्यदना अहमद हमीदुद्दीनकिरमानी^{र.ज.} वफात सन 412 हिजरी अपनी किताब राहतुल अक्ल (मिस्र में छपी हुई) में पेश लफज़ (मुकद्दमा) में लिखते है कि मेरी किताब राहतुल अक्ल के पढ़ने से पहले जिन किताबों का पढ़ना ज़रूरी है उनमें से एक किताब दआइमुल इस्लाम भी है। इसी तरह फातिमी मज़हब के दूसरे बुलंद पाया आलिम सय्यदना मोय्यद शीराज़ी मतौफी सन 470 हिजरी में अपनी खुद की हयाते सीरते मोय्यदिया में लिखते है कि वह हर जुमेरात के दिन सुल्तान अबू कालीजार बवेही को दआइमुल इस्लाम की मुखतलिफ फसले (पाठ) पढ़ कर सुनाया करते थे। चुनांचे आज भी हिन्द व यमन के इस्माईली व फातिमी दाऊदी बोहरा इसी किताब दआइमुल इस्लाम के फतवो पर अमल करते हैं। यह किताब कमी बेशी से इस क़द्र पाक है कि एक मामूली दिल व दिमाग का आदमी भी फातिमी फिकह के मसाइल से बखुबी वाकिफ हो सकता है। गर्ज यह किताब एक “बा अमल मुअमिन” बनने के लिये बेहतरीन ज़रीया है। दआइमुल इस्लाम के जिल्द सानी (दुसरे हिस्से) में मुआमलात से बहस की गई है।

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

बिस्मिल्लाहि र्हमानि र्हहीम

وَبِهِ نَسْتَعِينُ فِي جَمِيعِ الْأُمُورِ

व बिही नस्तईनो फी जमीइल उमूर

الْحَمْدُ لِلَّهِ اسْتَفْتَا حَاجِبِ حَمْدِهِ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ رَسُولِهِ وَعَبْدِهِ وَعَلَى الْأَئِمَّةِ الطَّاهِرِينَ

مِنْ أَهْلِ بَيْتِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ!

अलहम्दो लिल्लाहि इस्तिफताहन बि हम्दिही व सल्लल्लाहो अला
मोहम्मदिन रसूलिही व अब्दिही व अलल अइम्मतिता ताहिरीन मिन अहले
बैतिही अजमईन अम्मा बअद

जब दीन में क़यास आराइयाँ ज़्यादा हो गई, ख्वाहिशात नफ्स और मज़ाहिब मुख्तलिफ हो गये। अक्वाल घड़े गये। उम्मत फिरको और जमाअतों में बट गई रसूले खुदा^{स.अ.व} की अक्सर सुन्नतें मिट गई। बिदअत का पेड़ नमूदार हो कर बुलंद हो गया। गुमराह फिरकों में से हर फिरके ने किसी जाहिल को अपना पेशवा बना लिया और उसकी तक्लीद और हुक्म की पैरवी में सिर्फ उसके कहने पर हराम को हलाल और हलाल को हराम समझ लिया। किताबुल्लाह और सुन्नते रसूल^{स.अ.व.} में से किसी बुरहान व दलील के बग़ैर और उम्मत व अइम्मा के किसी इजमाअ के बग़ैर तो उस वक्त हमको रसूले अकरम^{स.अ.व.} का ये इर्शादे गिरामी याद आया जिसमें आपने अपनी उम्मत से खिताब करके फरमाया कि तुम लोग ज़रूर उन उम्मतों की राहों पर क़दम-ब-क़दम चलोगे जो तुमसे पेशतर गुज़र चुकी है, तुम उनके नक्शे क़दम की उस हद तक पैरवी करोगे कि अगर वो किसी गुफा के सुराख में दाखिल हुई है तो तुम भी उसमें दाखिल होंगे और दूसरी हदीस शरीफ में है कि तुम लोग ज़रूर पिछले लोगों के तरीकों पर चलोंगे। यहां तक के अगर वो किसी भिड़ (मधुमख्खी) के छत्ते में दाखिल हुए हैं। तो तुम भी उसमें दाखिल होगे।

चुनाचे उम्मत का हाल उन्हीं गुज़िश्ता उम्मतों जैसा हुआ जिनके मुताल्लिक़ खुदावन्दे तआला ने इस आयते करीमा में बयान फरमाया है :

اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهَبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ

इत्तखजू अहबारहुम व रुहबानहुम अरबाबम मिन दूनिल्लाह 10-9/31
तर्जुमा : तो उन्होंने खुदा को छोड़कर अपने उलमा और मशाइख को रब बना रखा है। हां उन लोगों के सिवा जिन को खुदा ने बचा लिया है अपनी और अपने रसूल और उन औलिया-ए-किराम की इताअत करने के सबब जिन की इताअत खुदा ने फर्ज की है।

इमाम जअफरुस्सदिक^{अस} से रिवायत है कि आपने मजकूरा बाला आयतें करीमा तिलावत फरमाई और कहा कि कसम बखुदा उन्होंने (यानि यहूद व नसारा) अपने उलमा और मशाइख के लिये न तो रोज़ा रखा था न उनकी तरफ मुंह करके वो नमाज़ पढ़ते थे बल्कि असल बात यह है कि उन उलमा ने जिस हराम चीज़ को उनके लिये हलाल बना दिया तो उसको वो हलाल समझ बैठे और जिस हलाल चीज़ को उन पर हराम कर दिया उसको उन्होंने भी हराम करार दे लिया।

रसूल^{स.अ.व} से रिवायत है आपने फरमाया के जब कभी मेरी उम्मत मे बिदअतें ज़ाहिर हो तो उस वक़्त आलिम पर फर्ज है कि वो अपना इल्म ज़ाहिर करे। अगर उसने ऐसा नहीं किया तो उस पर खुदा की लाअनत है। चुनाचे जब वो तमाम बातें ज़ाहिर हो गईं जिनका हमने ऊपर ज़िक्र किया है तो हमने बतौफीके अल्लाह ये मुनासिब ख्याल किया कि एक मुख्तसिर मगर जामेअ किताब जो इस्लाम के दआइम और हराम व हलाल कज़ाया (फ़ैसलें) व एहकाम के बयान पर मुश्तमिल हो तस्नीफ करें जिसका हिफ़ज़ (याद) करना आसान और उसूल समझने में आसान हो और उसमें इतने मुख्तसिर अक़वाल दर्ज हों जो तूल-तवील (लम्बी चौड़ी) बातों से बेनियाज़ कर दे लिहाज़ा इस किताब में हम इस्लाम के दआइम व हलाल व हराम उन जुमला रिवायात में से जिनके बारे में रावियों का इख़िलाफ़ है सिर्फ़ सही और साबित रिवायात ही पर इक्तिफ़ाअ करेंगे जो अइम्मा अहलुल बैत रसूल^{अ.स} से मरवी हैं।

इस्लाम के सात सुतून (खम्बे)

इमाम जअफरुस्सादिक^{अ.स.} से रिवायत है आप फरमाते हैं कि इस्लाम की बुनियाद सात सुतूनों पर है अव्वल (1) वलायत जो सब से अफज़ल है। और उसी वलायत और वाली से दूसरे तमाम दआइम (सुतुन) की माअरिफत तक पहुंचा जा सकता है। दोयम (2) तहारत, सोयम (3) नमाज़, चहारम (4) ज़कात, पंजम (5) रोज़ा, शशम (6) हज, हफतम (7) जिहाद। ये इस्लाम के सात दआइम यानि सूतून हैं। इन्शा अल्लाह हम इन सब का तज़क़िरा ईमान के बयान के बाद करेंगे क्योंकि खुदा ईमान के बग़ैर किसी अमल को क़बूल नहीं करता। उसके नज़दीक तो वही शख्स पाकीज़ा है जो अहले ईमान में से है फिर हम उसके बाद हलाल व हराम, क़ज़ाया व एहकाम जैसे अहम मसाइल पर तफसील से गुफ्तगू करेंगे क्योंकि उन मसाइल में भी इबादात के पहलू और मफरूज़ात हैं और खरीदो फरोख्त, खाने पीने की चीज़ें, तलाक व निकाह, मीरास व शहादत गर्ज़ फ़िक़्ह के तमाम वाजिब व सबित मसाइल पर गुफ्तगू करेंगे।

हम इस अहम ख़िदमत को अन्जाम देने के लिये खुदावन्दे करीम से नेक तौफीक़ और मदद के तालिब हैं। इसी शेष के वसीले से जो उसके नज़दीक पाकीज़ा और मुक़ददस है और जिससे खुदा की क़ुरबत नसीब होती है।

वलायत

किताबुल वलायत

ईमान

इमाम जअफरुस्सादिक^{अ.स} से रिवायत है आप ईमान की तशरीह करते हुए फरमाते हैं कि ज़बान से इक़रार करना, दिल से तस्दीक करना और अरकाने इस्लाम पर अमल करना ईमान है। उसके अलावा कोई और ईमान दुरुस्त नहीं है। फिरका मरजिया की ये राय के अमल के बग़ैर सिर्फ़ कौल यानि ज़बान से इक़रार कर लेने का नाम ईमान है। ये सही नहीं है इसी तरह जमाते आम्मा का ये भी अक़ीदा दुरुस्त नहीं है कि ईमान महज़ कौल व अमल है।

फिरका मरजिया का ये ख़्याल कैसे दुरुस्त हो सकता है कि ईमान कौल है अमल नहीं जब कि तमाम उम्मत और खुद फिरका मरजिया का इस बात पर पूरा पूरा इत्तिफ़ाक़ है कि अगर कोई शख्स खुदावन्दे तआला के उन फ़राइज़ में से जिनको उसने अपने बन्दों पर फर्ज़ किया है किसी एक फर्ज़ को इन्कार करते हुए तर्क कर दे यानि उस पर अमल न करे तो फिर बिला शुबहा (शक) वो काफिर हैं। जब तक के वो इस बात पर इसरार करता रहे, उसका खून हलाल है अगर वो खुदा का इक़रार करता है। और उसकी वहदानियत का काइल है और अपनी ज़बान से पैग़म्बरे खुदा मुहम्मद मुस्तफ़ा^{स.अ.व} की नबुव्वत व रिसालत की तस्दीक़ करता है मगर वो इस इक़रार व तस्दीक़ के साथ-साथ ये भी कहता है कि फ़लां फ़रीज़ा (जैसे ज़कात) इन फ़राइज़ में से नहीं है जो रसूले अकरम^{स.अ.व} खुदावन्दे तआला की तरफ से लेकर आये हैं हालांकि ज़कात के बारे में खुदावन्दे तआला का ये इश्राद है कि :

وَوَيْلٌ لِّلْمُشْرِكِينَ • الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الذَّكَاةَ

व वेलुल लिल मुशरिकीनल लज़ीन: ला यूतुनज़ ज़कात 24-41/6-7 (तर्जुमा) : और ऐसे मुशरिकों के लिये बड़ी ख़राबी है जो ज़कात नहीं देते। देखा आपने कि खुदावन्दे तआला ने इस आयते करीमा में “मुशरिकीन” को ज़कात बन्द कर देने की वजह से दायरा ईमान से खारिज कर दिया है और उसी बिना पर रसूले अकरम^{स.अ.व} के बाद मुसलमानों ने बनी हनीफा का क़त्ल

और उन की औलाद को गुलाम बना लेना जाइज ठहरा लिया था और उनको अहलुल रिदह यानि मुर्तदीन के नाम से मोसूम किया था। क्योंकि उन्होंने ज़कात देना बन्द कर दिया था।

इमाम जअफरुस्सादिक^{अ.स.} से रिवायत है आप फरमाते हैं कि मेरे पिदर बुर्जुगवार इमाम मोहम्मदुल बाकिर^{अ.स.} ने एक दिन हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह अंसारी^{र.ज.} से फरमाया कि ए जाबिर^{र.ज.} क्या अल्लाह तआला ने मुशरिक पर भी ज़कात फर्ज की है? हज़रत जाबिर^{र.ज.} ने कहा कि नहीं! अल्लाह तआला ने तो ज़कात सिर्फ़ मुसलमानों पर फर्ज की है। इमाम जअफरुस्सादिक^{अ.स.} ने फरमाया कि मैं तुमको बतलाता हूँ क्या तुमको खुदा का यह कौल मालूम नहीं हैं कि :

وَوَيْلٌ لِّلْمُشْرِكِينَ • الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الذَّكْوَةَ

व वैलुल लिल मुशरिकीनल लज़ीन: ला यूतुनज़ ज़कात 24-41/6-7 (तर्जुमा) : और ऐसे मुशरिकों के लिये बड़ी खराबी हैं जो ज़कात नहीं देते।

हज़रत जाबिर^{र.ज.} फरमाते हैं कि जब मैंने इमाम बाकिर^{अ.स.} की ज़बाने मुबारक से मजकूरा बाला आयत सूनी तो मुझे ऐसा मालूम हुआ कि गोया मैंने इस आयते करीमा को कभी पढ़ा ही नहीं था हालांकि वो खुदा की किताब कुराने मजीद में मौजूद है। इमाम जअफरुस्सादिक^{अ.स.} फरमाते हैं कि ये आयते करीमा उन लोगों के बारे में उतरी है जिन्होंने अमीरुल मुअमिनीन अली इब्नि अबी तालिब^{अ.स.} की वलायत में शिर्क किया था और अपनी ज़कात ऐसे शख्स को दी थी जिसने अपने आप को मौलाना अली^{अ.स.} के मुकाबले में खड़ा किया था उस बारे में कलाम बहुत तवील है।

और जमाते आम्मा का ये कहना कि ईमान निय्यत के बगैर कौल व अमल है तो ये भी मुहाल बात है क्योंकि उन लोगों का इस बात पर पूरा इत्तिफाक है कि अगर एक शख्स दिन भर खाने पीने से बाज़ रहे और रोज़े की निय्यत न रखे तो वो रोज़ादार नहीं है और उसी तरह खड़ा होकर रूकू व सुजूद करे और नमाज़ की निय्यत न रखे तो वो नमाज़ी नहीं है और अरफात के पहाड़ पर जाकर खड़ा हो जाये और हज की निय्यत न करे तो वो हाजी नहीं और अपनी तमाम दौलत खैरात कर दे और ज़कात की निय्यत न हो तो उसको ज़कात का सवाब न मिलेगा गर्ज़ जमाते आम्मा का ये तसब्बुर कि निय्यत तमाम फराइज़ में ज़रूरी है उससे इमाम जअफरुस्सादिक^{अ.स.} का ये इर्शादे गिरामी साबित हो गया कि ईमान कौल व

अमल और निय्यत इन तीनों के मजमूअए का नाम ईमान है। लिहाज़ा यही ईमान साबित व सही है। उसके अलावा कोई और ईमान जाइज़ व दुरुस्त नहीं हैं।

रसूले अकरम^{स.अ.व} से रिवायत है आप निय्यत के मुताल्लिक़ फरमाते हैं कि आमाल निय्यतों से दुरुस्त होते हैं जो शख्स जिस चीज़ की निय्यत करता है उसको वही चीज़ मिलती है पस अगर किसी ने अल्लाह व रसूल^{स.अ.व} की तरफ हिजरत की है तो वो अल्लाह व रसूल^{स.अ.व} से जा मिलेगा। और जिसकी हिजरत और निय्यत किसी औरत से शादी या दुनिया तलबी है तो वो अपनी उस मुराद को पहुंचेगा।

उसूले ईमान

ईमान इस बात कि शहादत देना है कि अल्लाह के सिवा कोई मअबूद नहीं है। वो वाहिद है उसका कोई शरीक नहीं। रसूले अकरम^{स.अ.व} खुदा के बन्दे और पैग़म्बर है। जन्नत हक़ है जहन्नम हक़ है क़ब्र से उठना और क़यामत का आना बर—हक़ है। अम्बिया व मुरसलीन और अइम्मा ताहिरीन^{अ.स.} की तस्दीक़ करना इमामुज्जमान^{अ.स.} की मअरिफ़त और तस्दीक़ करना उन के हुक्म को मानना और खुदा ने अपने बन्दों पर जो एहक़ाम फ़र्ज़ किये हैं उन तमाम पर अमल करना और जिन कामों से रोका है उनसे दूर रहना इमाम की इताअत करना वो जो फरमाये उसको क़बूल करना ईमान है।

इमाम जअफररुस्सादिक़^{अ.स.} से रिवायत है कि एक मर्तबा आपसे किसी साइल ने पूछा कि खुदावन्दे तआला के नज़दीक़ अफज़ल तरीन अमल क्या है? आपने फरमाया कि ऐ साइल अफज़ल तरीन अमल वो है कि जिसके बग़ैर अल्लाह तआला कोई अमल क़बूल नहीं करता साइल ने अर्ज़ किया कि वो कौन सा अमल है? सादिक़ आले मोहम्मद^{अ.स.} ने फरमाया कि खुदा पर ईमान लाना तमाम आमाल में आला दर्जा का अमल है। ये रूतबे में सबसे ज़्यादा अशरफ़ है और उसका सवाब भी सबसे ज़्यादा मिलता है। साइल ने अर्ज़ किया आप मुझे ईमान के मुताल्लिक़ बतायें कि आया वो कौल व अमल है या कौल बिला अमल है। इमाम जअफररुस्सादिक़^{अ.स.} ने फरमाया कि ईमान सर से पैर तक अमल ही अमल है और कौल उस अमल का एक हिस्सा है जो खुदा की तरफ़ से बन्दों पर फ़र्ज़ किया गया है। कुरआने

मजीद में जिसका वाज़ेह बयान है और जो दलील व हुज्जत से साबित है और किताबे इलाही में जिस अमल या हुक्म की शहादत मौजूद है कुरआन शरीफ जिसकी तरफ दावत करता है वो अमल या हुक्म ईमान का एक जूज़ और हिस्सा है।

साइल कहता है कि मैंने सादिक आले मोहम्मद^{अ.स.} की खिदमत में फिर अर्ज किया कि गुलाम जान व माल से आप पर फिदा मुझसे आप साफ—साफ बयान फरमायें कि ईमान की हकीकत क्या है ताकि मैं ईमान को अच्छी तरह समझ जाऊँ, इमाम जअफररुस्सादिक^{अ.स.} ने फरमाया कि ईमान की मुखतलिफ सूरतें और दरजात है। उसके मुखतलिफ हालात, तबकात और मनाज़िल हैं चुनांचे ईमान की उन सूरतों में से ईमान कामिल है, ईमान नाकिस है, ईमान राजिह (बुलन्द तरीन) है। साइल कहता है कि मैंने अर्ज किया कि क्या ईमान कामिल (सम्पूर्ण) भी होता है, नाकिस (अधूरा) भी होता है, राजिह भी होता है? आपने फरमाया कि हाँ! साइल ने पूछा कि उसकी क्या कैफियत और क्या सूरतें हैं? सादिक आले मोहम्मद^{अ.स.} ने फरमाया कि सूनो! अल्लाह तआला ने ईमान को अमली शकल में इब्ने आदम के एक—एक अजू पर फर्ज व वाजिब करार देकर उनमें तकसीम कर दिया है। चुनांचे इब्ने आदम के आज्ञा में से ऐसा कोई अजू नहीं है कि जिस पर ईमान अमलन फर्ज न हो उस अमल के सिवा जो दूसरे अजू पर फर्ज है जैसे इन्सान के आज्ञा में से इन्सान का दिल जिससे वो फेहम व बसीरत हासिल करता है ये इन्सान के पूरे जिस्म का अमीर व मालिक है उसकी राय और हुक्म के बगैर किसी अजू की मजाल नहीं कि वो किसी चीज़ को जिस्म के अन्दर दाखिल करे या खारिज करे। इन्सान के आज्ञा में उसकी दो आँखें भी हैं जिनसे वो देखता है, दो कान हैं जिनसे वो सुनता है, दो हाथ हैं जिनसे पकड़ने का काम लेता है। दो पैर हैं जिनसे चलता है और फरज (शर्मगाह) है जिसकी राह से बाह का खुरुज है। एक ज़बान है जिससे बातचीत करता है, एक सर है जिसमें उसका चेहरा है पस इन आज्ञा में से कोई ऐसा अजू नहीं है जिस पर अमलन ईमान फर्ज न हो उस अमल के सिवा जो दूसरे अजू पर फर्ज है और ये वो अमल हैं जो खुदा की तरफ से फर्ज किया गया है। उसकी शहादत किताबुल्लाह में मौजूद है। खुदावन्दे तआला ने इन्सान के दिल पर जो ईमान फर्ज किया है वो उस अमल के अलावा है जो उसने दोनों कानों पे फर्ज किया है और कानों पर जो अमल फर्ज किया है वह इसके सिवा है और जो खुदा ने ज़बान पर फर्ज किया है

वो उस अमल के अलावा है जो दोनो आंखों पर अमल फर्ज है और जो दोनों आंखों पर फर्ज है वो उसके सिवा है जो दोनों हाथों पर फर्ज है। और दोनों हाथों पर जो अमल फर्ज है वो उसके अलावा है जो दोनों पैरों पर फर्ज है और जो अमल दोनों पैरों पर फर्ज है वो उसके सिवा है जो खुदा ने फरज (शर्मगाह) पर फर्ज किया है और फरज पर जो अमल फर्ज है वो उसके सिवा है जो खुदा ने मुंह पर फर्ज किया है।

इस अजमाल की तफसील यह है कि खुदावन्दे तआला ने दिल पर जो ईमान फर्ज किया है वो इकरार व माअरिफत और एअतिकाद, तस्लीम व रज़ा है। यानि बन्दा मुअमिन उस बात का दिल से इकरार करे कि अल्लाह तबारकल्लाहो व तआला एक है उसके सिवा कोई दूसरा नहीं वो वाहदहु ला शरीक है। यकता व बेनियाज़ है न उसके बीवी है न औलाद है मोहम्मद मुस्तफा^{स अ व} खुदा के बन्दे और उसके सच्चे रसूल है खुदा की सलवात आप पर और आपकी आले अतहार पर इस इकरार के बाद उन तमाम चीज़ों का भी इकरार ज़रूरी है जो खुदा की तरफ से भेजी गई है जैसे किताब और पैग़म्बर पस ये वो अमली ईमान है जो खुदा ने दिल पर फर्ज किया है यानि इकरार व माअरिफत उसकी तरफ निम्नलिखित आयतों में इशारा किया गया है। खुदावन्दे तआला का इर्शाद है कि :

الْأَمَنُ أَكْرَهُ وَقَلْبُهُ، مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكَفْرِ صَدْرًا

इल्ला मन उकरिहः व कल्बुहू मुतमइन्नुम बिल ईमानि वला किन मन शरहः बिल कुफिर सदरा 14-16/106 तर्जुमा : (जो शख्स ईमान लाये पीछे अल्लाह के साथ कुफ्र करे) मगर जिस शख्स पर ज़बरदस्ती की जाये बशर्त यह कि उसका दिल ईमान पर मुतमइन हो लेकिन हाँ जो जी खोलकर कुफ्र करें (तो ऐसे लोगों पर अल्लाह का ग़ज़ब होगा और बड़ी सज़ा होगी) और खुदावन्दे तआला ने दूसरी जगह फरमाया कि :

• لَا يَذْكُرُ اللَّهُ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ •

अला बि जिकरिल्लाहि ततमइन्नुल कुलूब 13-13/28 (तर्जुमा) : खूब समझ लो कि अल्लाह के ज़िक्र से दिलों को इतमिनान होता है। और दूसरी आयत में है कि :

الَّذِينَ قَالُوا آمَنَّا بِأَفْوَاهِهِمْ وَلَمْ تُؤْمِنْ قُلُوبُهُمْ

अल लज़ीनः कालू आमन्ना बिअफवाहिहिम वलम तुअमिन कुलूबुहुम 6-5/41 (तर्जुमा) :- जो अपने मुंह से तो कहते हैं कि हम ईमान लाये हालांकि उनके दिल ईमान नहीं लाये हैं। और दूसरी जगह इर्शादे बारी है कि :

وَإِنْ تُبْذَوْ أَمَّا فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفَوْهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ

व इन तुबदू मा फी अनफुसिकुम अव तुखफूहो युहासिबकुम बिहिल्लाहो 3-2/284 (तर्जुमा) : और जो बातें तुम्हारे नफसों में हैं उनको अगर ज़ाहिर करोगे या पोशीदा रखोगे तो हक तआला तुमसे हिसाब लेंगे और अल्लाह तआला का इर्शाद है कि :

إِنْ تُبْذَوْ خَيْرًا أَوْ تُخْفَوْهُ

इन तुबदू खैरन अव तुखफूहो 6-4/149 (तर्जुमा) : अगर नेक काम एलानिया करो या उसको खुफिया (छिपाकर) करो।

पस इक़्रार व मअरिफत जो दिल का अमल है खुदावन्दे तआला ने दिल पर फर्ज़ किया है यही अमल ईमान की असास (बुनियाद) है और ज़बान पर खुदावन्दे तआला ने कौल व तअबीर यानि दिल ने जो इक़्रार व एअतिकाद किया है उसको अलफाज़ में बयान करना फर्ज़ किया है। जैसा कि खुदावन्दे तआला ने इस आयते करीमा में बयान फरमाया है कि :

قُلْ أَمَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ عَلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَاسْمُعِيلَ وَاسْحَقَ وَيَعْقُوبَ
وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَالنَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ وَ
نَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ •

कुल आमन्ना बिल्लाहि व मा उन्जिलः अलेना व मा उन्जिलः अला इब्राहीमः
व इस्माईलः व इस्हाकः व यअकूबः वल असबाति व मा उवतियः मूसा व ईसा
वन नबीय्यूनः मिर्न्बिहिम ला नुफर्रिको बैनः अहदिम मिनहुम व नहनो लहू
मुस्लिमून 3-3/84 (तर्जुमा) : आप फरमा दीजिये कि हम ईमान रखते हैं।
अल्लाह पर और उस पर जो हमारे पास भेजा गया और उस पर जो इब्राहीम
व इस्माईल व इस्हाक व याकूब और औलादे याकूब की तरफ भेजा गया
और उस पर भी जो मूसा व ईसा और दूसरे नबियों को दिया गया उनके
परवदिगार की तरफ से इस कैफियत से कि हम उनमें से किसी एक में भी

तफरीक नहीं करते और हम तो अल्लाह ही के मुतीअ (फरमांबरदार) है। और खुदा ने फरमाया कि :

وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا

व कूलू लिन्नासि हुस्नन 1-2/83 (तर्जुमा) : और आम लोगों से अच्छी तरह बात करो। और ये भी इर्शाद फरमाया कि :

وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ♦

व कूलू कौलन सदीदन 22-33/70 (तर्जुमा) : और रास्ती (सीधी तरह) की बात कहो। और खुदा ने दूसरे मकाम पर फरमाया कि :

وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ

व कुलिल हक्को मिर्न्बिकुम 15-18/29 (तर्जुमा) : और आप कह दीजिये कि हम तुम्हारे रब की तरफ से हैं।

इसी तरह खुदावन्दे तआला ने बेशुमार आयतों में ज़बान से कहना फर्ज व वाजिब करार दिया है। पस ये कौल व तअबीर ज़बान का अमल है।

कान पर ये फर्ज है कि वो खुदा के फरमान को बराबर सुने और उसकी तरफ पूरा ध्यान दे हराम और ऐसी बातों को न सुने जो खुदा को न पसंद हो इस बारे में इर्शाद बारी तआला है कि :

وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَةَ اللَّهِ يَكْفُرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذَا مِثْلُهُمْ ؕ

व कद नज़्ज़ल: अलैकुम फिल किताबि अन इज़ा समिअतुम आयातिल लाहि युकफरो बिहा व युसतहज़ओ बिहा फला तकउदू मअहुम हत्ता यखूजू फी हदीसिन गैरिही इन्कुम इज़म मिस्तुहुम 5-4/140 (तर्जुमा) : और अल्लाह तआला तुम्हारे पास ये फरमान भेज चुका है कि जब अहकामे इलाहिया के साथ मसखरी और कुफ्र होता हुआ सुनो तो उन लोगों के पास मत बैठो जब तक कि वो कोई और बात शुरू न कर दे कि इस हालत में तुम भी उन्ही जैसे हो जाओगे और दूसरी आयते करीमा में इर्शाद है कि :

♦ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرِى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ♦

व इम्मा युनसियनक: शैतानो फला तकउद बअदज़ ज़िकरा मअल कौमिज़

ज़ालिमीन 7-6/68 (तर्जुमा) : और अगर तुझको शैतान भुला दे तो याद आने के बाद फिर ऐसे ज़ालिम लोगों के पास मत बैठो और खुदावन्दे तआला का ये इर्शाद है कि :

فَبَشِّرْ عِبَادِ الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ، أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ وَأُولَئِكَ هُمْ أُولُوا الْأَلْبَابِ •

फ बश्शिर इबादिल लज़ीन: यसतमिऊनल कौल: फयततबिऊन: अहसनहू उलाइकल लज़ीन: हदाहुमुल्लाहो व उलाइका हुम उलुल अलबाब 23-39/17-18 (तर्जुमा) : सो आप^{स.अ.व} मेरे उन बन्दों को खुशखबरी सुना दीजिये जो उस कलाम को कान लगा कर सुनते हैं फिर उसकी अच्छी अच्छी बातों पर चलते हैं यही है जिनको अल्लाह ने हिदायत की और यही है जो अहले अक्ल हैं।

और उसके अलावा इर्शाद इलाही है कि :

قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ • الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ • وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ الْغَوْرِ مَعْرُضُونَ • وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ •

कद अफलहुल मुअमिनूनल लज़ीन: हुम फी सलातिहिम खाशिऊन वल लज़ीन: हुम अनिल लगवि मुअरिजून वल लज़ीन: हुम लिज़्ज़काति फाइलून 18-23/1-4 (तर्जुमा) : यकीनन उन मुसलमानों ने फलाह पाई जो अपनी नमाज़ में खुशूअ करने वाले हैं और जो बेहूदा बातों से मुंह मोड़ने वाले हैं और जो ज़कात अदा करते हैं। और खुदावन्दे तआला का इरशाद है कि :

وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ

व इज़ा समिउल लगव: अअरजू अनहो 20-28/55 (तर्जुमा) : और जब कोई बेहूदा बात सुनते हैं तो टाल जाते हैं और इर्शाद बारी है कि :

وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا •

व इज़ा मरू बिल लगवि मरू किरामा 19-25/72 (तर्जुमा) : और अगर बेहूदा मशगलों के पास से हो के गुज़रे तो वो संजीदगी के साथ गुज़र जाते हैं। मज़कूरा बाला आयतो में खुदावन्दे तआला ने कान पर फर्ज किया है कि वो हरामकारी की बातों के सूनने से गुरेज़ करे यही कान का अमल है।

आंखों पर खुदावन्दे तआला ने ये फर्ज किया है कि वो हराम चीज़ों की तरफ न देखें और जिन चीज़ों की तरफ नज़र उठाना भी खुदा ने ममनूअ (मना) करार दिया है उन से आंखों को नीची रखना चाहिये। ये ईमान में दाखिल है और आंखों का अमल है। इसकी तशरीह मनदर्जा जील आयतों में की गई है। खुदावन्दे तआला का इर्शाद है कि :

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ

कुल लिल मुअमिनीन: यगुज़्जू मिन अबसारिहिम व यहफजू फुरुजहुम 18-24/30 (तर्जुमा) : आप^{स.अ.व.} मुसलमान मर्दों से कह दीजिये कि अपनी निगाहें नीची रखें और अपनी शर्मगाहों की हिफाज़त करें। इस आयत करीमा का मफहूम ये है कि कोई मुअमिन मर्द अपने भाई की शर्मगाह की तरफ नज़र ना उठाये और उसके शर्मगाह की हिफाज़त करे ताकि कोई शख्स उसकी जानिब नज़र उठाकर न देखे। इमाम जअफरुस्सादिक^{अ.स.} फरमाते हैं कि कुरान पाक में शर्मगाह की हिफाज़त से मुताल्लिक जो भी आयत है उससे शर्मगाहों को जिना से मेहफूज़ रखने से मुराद है लेकिन मजकूर बाला आयत में गज़्जेबसर से मुराद ये है कि किसी भी शर्मगाह पर नज़र न डालना चाहिये और खुदावन्दे तआला ने एक दूसरी आयत में एक ही साथ दिल, ज़बान, आँख, कान उन तमाम के फराइज़ बयान किये हैं। इर्शादे बारी है :

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا •

वला तक्फो मा लेस: लक: बिही इल्मुन इन्नस समअ: वल बसर: वल फुआद: कुल्लो उलाइक: कान: अनहो मस्क़ला 15-17/36 (तर्जुमा) : और जिस बात की तुझको तेहकीक न हो उस पर अमल दरआमद मत किया कर कान और आँख और दिल हर शख्स से उन सबकी पूछ होगी और दूसरी आयत में इर्शादे बारी है कि :

وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَتِرُونَ أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا أَبْصَارُكُمْ وَلَا جُلُودُكُمْ

वमा कुनतुम तस्ततिरुन: अन्य यशहद: अलैकुम समउकुम वला अबसारुकुम वला जुलूदुकुम 24-41/22 (तर्जुमा) : और तुम इस बात से तो अपने को

छुपा ही न सकते थे कि तुम्हारे कान और आंखें और खालें तुम्हारे खिलाफ में गवाही दे। यहां खालों से राने (टांगें) और शर्मगाहें मुराद हैं।

मज़कूरा बाला आयतों में हराम कामों की तरफ निगाह उठाना ममनूअ करार दिया गया है हराम कामों से गज़्जेबसर यानि आंखें नीची रखना दोनों आंखों का अमल है और ये ईमान में दाखिल है।

दोनों हाथों पर खुदावन्दे तआला ने यह फर्ज किया है कि उनसे कोई हराम काम न किया जाये बल्कि इन हाथों से सदका व खैरात, सिला रहमी, पासे कराबतदारी राहे खुदा में जिहाद और नमाज़ के लिये वुजू का काम लिया जाये जैसा कि इस आयते करीमा में खुदावन्दे तआला ने इर्शाद किया है कि :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ
وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَرُوا

या अय्योहल लज़ीन: आमनू इज़ा कुमतुम इलस सलाति फगसिलू वुजूहकुम व एदिय:कुम इलल मराफिकि वम्सहू बिरुऊसिकुम व अरजुलिकुम इलल कअबेनि व इन कुनुतुम जुनुबन फत्तहहरु 6-5/6 (तर्जुमा) : ए ईमान वालों तुम जब नमाज़ को उठने लगो तो अपने चेहरे को धोओ और अपने हाथों को भी कोहनियों समेत और सरों पर हाथ फेरो और अपने पेरों को भी टखनों समेत और अगर तुम जनाबत की हालत में हो तो सारा बदन पाक करो और दूसरी आयते करीमा में इर्शादे बारी है कि :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا زَحَفًا فَلَا تُولُوهُمْ الْآدْبَارَ

या अय्योहल लज़ीन: आमनू इज़ा लकीतुमुल लज़ीन: कफरु ज़हफन फला तुवल्लू हुमुल अदबार 9-8/15 (तर्जुमा) : ऐ ईमानवालों जब तुम काफिरों से रुबरु मुकाबिल हो जाओ तो उनसे पुश्तें (पीठ) मत फेरना और ये भी इर्शाद बारी है कि :

فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّىٰ إِذَا أَثْخَتْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا لَوثًا ۖ فَمَا مَنَامٌ

بَعْدُ وَإِنَّمَا فِدَاءٌ

फ इज़ा लकीतुमुल लज़ीन: कफरु फ ज़रबर—रिकाबि हत्ता इज़ा अस्खनतुमूहुम फशुदुल वसाक: फइम्मा मन नम बअदो व इम्मा फिदाअन 26—47/4 (तर्जुमा) : और जब तुम्हारा कुपफार से मुकाबला हो जाये तो गर्दने मारो यहां तक कि जब तुम उनकी खूब खूरेज़ी कर चुको तो खूब मज़बूत बांध लो फिर उसके बाद या तो बिला मुआवज़ा छोड़ देना या मुआवज़ा लेकर छोड़ देना पस मैदान—ए—जिहाद मे खुदावन्दे तआला ने गर्दने मारना फर्ज़ किया है। क्योंकि गर्दने मारना दोनो हाथों का काम है और ये ईमान में दाखिल है।

दोनों पैरो पर खुदा की राहे इताअत में चलना फर्ज़ किया गया है यानि उन पैरों से ऐसे बुरे कामों की तरफ चल कर न जाया जाये जिसमें खुदा की ना फरमानी होती हो बल्कि हुक्मे खुदावन्दी और रज़ा—ए—इलाहा की तरफ उन पैरों से चलकर जाना चाहिये। इस बारे में खुदावन्दे तआला का इर्शाद है कि :

• وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا

वला तमशि फिल अरदि मरहन इन्नक: लन तखरिकल अरद: व लन तबलुगल जिबाल: तूला 15—17/37 (तर्जुमा) : ज़मीन पर इतराता हुआ मत चल तू न ज़मीन को फाड़ सकता है और न पहाड़ों की लम्बाई को पहुँच सकता है। और दूसरी जगह इर्शादे बारी है कि :

• وَأَقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاعْظُضْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ

वकसिद फी मशयिक: वगजुज़ मिन सौतिक: इन्न: अन करल असवाति ल: सोतुल हमीर 21—31/19 (तर्जुमा) : और अपनी रफतार में एतिदाल (बराबरी) इख्तियार कर और अपनी आवाज़ को पस्त कर बेशक आवाज़ों में सबसे बुरी आवाज़ गधों की आवाज़ है और खुदावन्दे तआला का इर्शाद है :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ

या अय्योहल लज़ीन: आमनू इज़ा नूदिय: लिस सलाति मिन्यौमिल जुम्अति फसओ इला ज़िकरिल्लाहि 28—62/9 (तर्जुमा) : ऐ ईमान वालों जब जुम्आ के रोज़ नमाज़ के लिये अज़ान कही जाया करे तो तुम अल्लाह की याद की तरफ चल पड़ा करो। और ये भी इर्शादे खुदावन्दी है कि :

• وَيَطُوفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ

वल यततववफु बिलबैतिल अतीक 17-22/29 (तर्जुमा) : और उस कदीम (खाना-ए-काअबा) का तवाफ करे और खुदावन्दे तआला ने मनदर्जा ज़ील आयते करीमा में उस बात की खबर दी है कि कयामत के दिन हाथ और पैर अपने खिलाफ और अपने मालिकों के खिलाफ ब-ज़रिया कलाम गवाही देंगे। इर्शाद बारी है कि :

• **الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَىٰ أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ**

अल यौमः नखतिमो अला अफवाहिहिम व तुकल्लिमुना एदीहिम व तशहदो अरजुलुहुम बिमा कानू यकसिबून 23-36/65 (तर्जुमा) : आज हम उनके मुँहों पर मोहर लगा देंगे और उनके हाथ हमसे कलाम करेंगे और उनके पांव शहादत देंगे जो कुछ यह लोग किया करते थे।

मज़कूरा आयतो में जिन कामों का ज़िक्र किया गया है वो हाथों और पैरों पर फर्ज़ है ये उनका वो अमल है जो ईमान में दाखिल है।

चेहरे पर खुदावन्दे तआला ने दिन और रात नमाज़ के औकात में सुजूद फर्ज़ करार दिया है जैसा कि इस आयाते करीमा में इर्शादे बारी है कि :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ

تُفْلِحُونَ • (آيَةُ سَجْدًا)

या अय्योहल लज़ीनः आमनूरकऊ वस्जुदू वअबुदू रब्बःकुम वफअलुल खैरः लअललकुम तुफलिहून 17-22/77 (सजदे की आयत है सजदा करे) तर्जुमा : ऐ ईमानवालों तुम रुकूअ किया करो और सजदा किया करो और अपने रब की इबादत किया करो और नेक काम किया करो। उम्मीद है कि तुम फलाह पाओगे पस नमाज़ एक ऐसा जामेअ फरीज़ा है जिसकी अदाइगी में मुँह, दोनो हाथ और दोनो पैरों को शामिल होना पड़ता है। एक दूसरी आयत मे इर्शादे बारी है कि :

• **وَ أَنَّ الْمَسْجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا**

व अन्नल मसाजिदः लिल्लाहि फला तदऊ मअल्लहि अहःदा 29-72/17 (तर्जुमा) : और ये मस्जिदें अल्लाह ही की है। पस सिवा अल्लाह के किसी की इबादत मत करो पस खुदावन्दे तआला ने तहारत व नमाज़ आज़ा पर

फर्ज करार दिया है और नमाज़ को अपनी किताबे मुबीन में ईमान से तअबीर किया है ये वाकिआ इस तरह से मनकूल है कि जब परवरदिगार—ए—आलम ने अपने पैगम्बर मोहम्मद मुस्तफा^{सअव.} का किबला बैयतुल मुकद्दस से फेर दिया और आपको ये हुक्म हुआ कि अब बजाये बैयतुल मुकद्दस की तरफ मुंह करके नमाज़ पढ़ने के बैतुल्लाहिल हराम यानि काअबा की तरफ मुंह करके नमाज़ पढ़ें। उस वक्त मुसलमानों ने रसूले अकरम^{सअव.} की खिदमत में अर्ज किया कि ऐ पैगम्बरे खुदा^{सअव.} भला आप ही हमें बतालाएं कि हमने जिन नमाज़ों को बैयतुल मुकद्दस की तरफ मुंह करके पढ़ा है उन नमाज़ों का और हमारा क्या अन्जाम होगा? चुनाचें इसके जवाब में आसमान से ये आयत नाज़िल हुई :

وَمَا كَانَ لِلَّهِ لِيُضَيِّعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرُؤُوفٌ رَّحِيمٌ •

वमा कानल्लाहो लियुज़ीअः ईमानकुम इन्नल्लाहः बिन्नासि ल—रउफुर रहीम 2-2/143 (तर्जुमा) : और अल्लाह तआला ऐसे नहीं है कि तुम्हारे ईमान को ज़ाया कर दे यकीनन अल्लाह तआला तो लोगों पर बहुत ही मेहरबान व शफीक है देखा आपने कि अल्लाह तआला ने इस आयते करीमा में नमाज़ को ईमान से तअबीर किया है अब जो शख्स इस दुनिया से इस हाल में इन्तिकाल करेगा कि उसके आज़ा गुनाहों से मेहफूज़ होंगे और हर अज़ू ने अपना फर्ज अच्छी तरह से अदा किया होगा तो वो शख्स अल्लाह तआला से कामिलुल ईमान की सूरत में जा मिलेगा और दाखिले बहिशत (जन्नत) होगा मगर जिस शख्स ने उन आज़ा के ज़रिये अल्लाह तआला से ज़रा भी खयानत की होगी या एहकामे इलाही से तजावुज़ व सरताबी (ना—फरमानी) की होगी तो ऐसा शख्स नाकिसुल ईमान की शक्ल में अल्लाह तआला से जा मिलेगा। ईमान की इस तवील तशरीह के बाद साइल ने इमाम जअफरुस्सादिक^{अस.} की खिदमत में फिर अर्ज किया ए फरज़न्दे रसूल^{सअव.} मैं आपकी इस तशरीह से नाकिस और कामिल ईमान की हकीकत से वाकिफ हो चुका लेकिन ईमान की ज़्यादती की क्या केफियत और सूरत है और उसके ज़्यादा होने का सुबूत क्या है। इमाम जअफरुस्सादिक^{अस.} ने फरमाया कि ईमान के ज़्यादा होने के बारे में खुदावन्दे तआला ने इस आयते करीमा में बयान किया है कि :

وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَّن يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَذِهِ إِيْمَانًا فَآمَّا الَّذِينَ آمَنُوا
فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ • وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَّرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَى
رِجْسِهِمْ وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ •

व इज़ा मा उनज़िलत सूरतुन फमिनहुम मन्य-यकूलो अय्युकुम जादतहो
हाज़िही ईमानन फअम्मल लज़ीनः आमनू फज़ादतहुम ईमानव व हुम यस्तबशिरून
व अम्मल लज़ीनः फी कुलूबिहिम मरज़ुन फज़ादत हुम रिजसन इला रिजसिहिम
वमातू व हुम काफिरून 11-9/124-125 (तर्जुमा) : और जब कोई सूरह
नाज़िल की जाती है तो बाअज़ मुनाफिकीन कहते हैं उस सूरत में तो तुम
में से किसके ईमान में तरक्की दी सो जो लोग ईमानदार हैं उस सूरत ने
उनके ईमान में तरक्की दी है और वो खुश हो रहे हैं और जिनके दिलों में
आज़ार (बीमारी) है इस सूरत ने उनमें उनकी गंदगी के साथ और गंदगी
बढ़ा दी है और वो हालते कुफ़ ही में मर गये। और एक दूसरी आयत में
खुदावन्दे तआला का इर्शाद है :

نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ نَبَأَهُم بِالْحَقِّ إِنَّهُمْ فِتْيَةٌ آمَنُوا بِرَبِّهِمْ وَزِدْنَاهُمْ هُدًى •

नहनो नकुस्सो अलैकः नबअहुम बिल हक्कि इन्नहुम फितयतुन आमनू
बिरब्बिहिम व ज़िदनाहुम हुदा 15-18/13 (तर्जुमा) : हम उनका वाकिआ
आपसे ठीक-ठीक बयान करते हैं वो लोग चन्द नौजवान थे जो अपने रब
पर ईमान लाये थे और हमने उनकी हिदायत में और तरक्की कर दी थी।

अगर कुल ईमान एक होता और उसमें कोई कमी व ज़्यादती न
होती तो उस सूरत में किसी को किसी दूसरे मुअमिन पर फज़ीलत हासिल
न होती और ईमान लाने के ऐवज़ जो नेअमतें मिलती उसमें सब बराबर के
हिस्सेदार होते और तमाम मुअमिनीन दर्जे में मुसावी (बराबर) होते और
अफज़लियत का नज़रिया बातिल हो जाता लेकिन हकीकतें अम्र यह है कि
मुअमिनीन अपने ईमान कामिल ही की वजह से जन्नत में दाखिल होंगे और
ईमान के राजिह (बढ़िया) और ज़्यादा होने की बिना पर उनको खुदावन्दे
तआला के नज़दीक दूसरों पर फज़ीलत हासिल होगी और वो मुक़स्सरीन
जिन के ईमान नाकिस हैं वो जहन्नम में दाखिल होंगे। साइल कहता है कि
मैंने सादिक आले मोहम्मद^{अ.स.} की खिदमत में अर्ज़ किया कि खुदावन्दे

तआला के नज़दीक ईमान के ऐसे दरजात व मनाज़िल भी हैं जिनसे मुअमिनीन को दूसरों पर फज़ीलत हासिल होगी। इमाम जअफरुस्सादिक^{अ.स.} ने फरमाया कि हॉ! ईमान के ऐसे दरजात व मनाज़िल हैं उस वक्त साइल ने अर्ज़ किया कि ऐ फरज़न्दे रसूल^{अ.स.} आप ईमान के ऐसे दरजात व मनाज़िल को बयान फरमायें, ताकि मैं उनसे वाकिफ हो जाऊँ। इमाम जअफरुस्सादिक^{अ.स.} ने फरमाया कि खुदावन्दे तआला मुअमिनीन के दरमियान ईमान लाने में गोया सबक़त ले जाने की बाज़ी लगाई थी जिस तरह से कि एक मुक़र्रर दिन में घोड़ों के दरमियान मुसाबिक़त की बाज़ी लगाई जाती है चुनायें जो मुअमिनीन ईमान लाने में साबिक़ हुए उनमें से हर एक के ईमान को दर्जा ब दर्जा क़बूल फरमाया और सबाक़त के मुताबिक़ उनको दर्जात अता किये गये। यानि बा—एतिबारे सबाक़त जिसको जो दर्जा मिलना चाहिये था उसमें कोई कमी नहीं की गई न तो ईमान में पीछे रहने वाला साबिक़ मुअमिन पर मुक़द्दम किया गया और न मफ़ज़ूल को फाज़िल पर ये सबाक़त ही एक ऐसी फज़ीलत है जिससे उम्मत में अव्वल ईमान लाने वाले को आखिर में ईमान लाने वालों पर फज़ीलत दी गई। चुनांचे अमीरूल मुअमिनीन इमाम अली इब्ने अबी तालिब^{अ.स.} तमाम सहाबा किराम में सबसे पहले ईमान लाये थे। इसलिये आपको दूसरे तमाम मुअमिनीन पर फज़ीलत हासिल थी और अगर पहले ईमान लाने वालों को बाद में ईमान लाने वालों पर कोई फज़ीलत और फौकियत हासिल न होती तो इस उम्मत का आखिरी ईमान लाने वाला पहले ईमान वालों के दोश बदोश खड़ा नज़र आता। और अगर सबाक़त को फज़ीलत का मिअयार न बनाया गया होता तो बाद में आने वालों में से बहुत से अरबाबे फज़ल व कमाल व ज़ोहद व तक्वा अव्वलीन (पहले आने वाले) पर मुक़द्दम हो जाते क्योंकि बाद में आने वाले में ऐसे बहुत से अरबाबे फज़ल व कमाल ऐसे नज़र आते हैं जो मुतक़द्मीन (पहले ईमान लाने वाले) से कई ज़्यादा बा अमल है वो बक़सरत नमाज़े पढ़ते हैं और बहुत रोज़े रखते हैं और बहुत हज करते हैं और बहुत ज़्यादा जिहाद और राहे खुदा में सद्कात करते हैं। अगर मुअमिनीन के दरमियान सबाक़त व अव्वलीयत को बुनियाद अशरफ़ीयत व अफ़ज़लीयत करार न दिया जाता तो मुताखिरीन (बाद में आने वाले) अपने अमल की ज़्यादती के बाइस (की वजह से) अव्वलीन साबेक़ीन पर मुक़द्दम हो जाते लेकिन खुदा को ये पसन्द नहीं कि जो शख्स ईमान के आखिरी दर्जे में है वो अव्वलीन के दर्जे में शामिल हो जाये और खुदावन्दे तआला को ये भी पसन्द नहीं कि जिसको

उसने ईमान के दर्जे में मुअख्खिर (बाद में) रखा है वो मुकद्दम हो जाये और जिसको ईमान के दर्जे में मुकद्दम फरमाया है वो मुअख्खिर हो जाये साइल कहता है कि मैंने सादिक आले मोहम्मद^{अ.स.} की खिदमत में अर्ज किया कि आप मुझे कोई ऐसी आयत बतलाएं जिसमें अल्लाह जल शानहू ने मुअमिनीन को ईमान में सबक़्त ले जाने की दावत दी हो। इमाम जअफररुस्सादिक^{अ.स.} ने फरमाया कि इस आयते करीमा में साबिक़्त का बयान है खुदावन्दे तआला का इर्शाद है :

سَابِقُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ ۚ أُعِدَّتْ لِلَّذِينَ
آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ

साबिकू इला मगफिर:तिम मिन्ऱब्बिकुम वजन्नतिन अरदुहा कअरदिस—समाइ वल अरदि उइदत लिल—लज़ीन: आमनू बिल्लाहि व रुसुलिही 27—57/21 तर्जुमा : तुम अपने परवरदिगार की मगफिरत की तरफ दौड़ों और ऐसी जन्नत की तरफ जिसकी लम्बाई चौड़ाई आसमान व ज़मीन की लम्बाई चौड़ाई के बराबर है वो उन लोगों के वास्ते तैयार की गई है जो अल्लाह पर और उसके रसूलों पर ईमान रखते हैं। और दूसरी आयत करीमा में खुदावन्दे तआला का इर्शाद है कि :

وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ • أُولَٰئِكَ الْمُقَرَّبُونَ •

वस्साबिकूनस्साबिकून: उलाइकल मुकररबून 27—56/10—11 तर्जुमा : और जो आला दर्जे के हैं वो आला दर्जे के हैं वो खास कुर्ब (नज़दीकी) रखने वाले हैं और इस आयते करीमा में भी खुदावन्दे तआला का इर्शाद है :

وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ ۖ رَّضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ

वस्साबिकूनल अव्वलून: मिनल—मुहाजिरीन: वल अन्सारि वल—लज़ीनत तबऊहुम बि इहसानिर रज़िअल्लाहो अनहुम व रजू अनहो 11—9/100 तर्जुमा : और जो मुहाजिरीन और अन्सार साबिक और मुकद्दम हैं और जितने लोग इखलास के साथ उनके पैरू (मानने वाले) हैं अल्लाह उन सब

से राजी हुआ और वो उससे राजी हुए और खुदावन्दे तआला का इर्शाद है :

لِلْفُقَرَاءِ الْمُهِجْرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّنَ اللَّهِ وَ
رِضْوَانًا وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۖ أُولَٰئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ •

लिल-फुकराइल मुहाजिरीनल लज़ीनः उखरिजू मिन दियारिहिम व
अमवालिहिम यबतगूनः फज़लम मिनल्लाहि व रिज़वानव व यनसुरुनल्लाहः
व रसूलहू उलाइकः हुमुस्सादिकून 28-59/8 तर्जुमा : उन हाजतमन्द
मुहाजिरीन का हक है जो अपने घरों से और अपने मालों से जुदा कर दिये
गये हैं वो अल्लाह के फज़ल व रज़ामन्दी के तालिब हैं और वो अल्लाह और
उसके रसूल की मदद करते हैं यही लोग सच्चे हैं। और अल्लाह तआला ने
फरमाया कि :

وَالَّذِينَ تَبَوُّوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي
صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِّمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ ۚ وَمَنْ
يُوقِ شَحْنَفَهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ • وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا
اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا
إِنَّكَ رءُوفٌ رَحِيمٌ •

वल्लज़ीनः तबव्वउद्दारः वल-ईमानः मिन-कबलिहिम युहिब्बूनः मन हाजरः
इलैहिम वला यजिदूनः फी सुदूरिहिम हाजतम मिम्मा ऊतू व युअसिरूनः अला
अनफुसिहिम वलो कानः बिहिम खसासतुन वमन्य-यूकः शुहहः नफिसही फ
उलाइकः हुमुल मुफलिहून वल्लज़ीनः जाऊ मिम-बअदिहिम यकुलूनः
रब्बनग-फिरलना व लि इखवानिनल लज़ीनः सबकूना बिल ईमानि वला
तजअल फी कुलूबिना गिल्लल लिल्लज़ीनः आमनू रब्बना इन्नकः रऊफुर
रहीम 28-59/9-10 तर्जुमा : और उन लोगों का हक है जो दारूल इस्लाम
में और ईमान में उनके कब्ल से करार पकड़े हुए हैं जो उनके पास हिजरत
करके आता है उससे ये लोग मोहब्बत करते हैं और मुहाजिरिन को जो कुछ

मिलता है उससे ये अपने दिलों में कोई रशक नहीं पाते और अपने से मुक़द़म रखते हैं और अगरचे उन पर फाका ही हो और जो शख्स अपनी तबीयत के बुख़ल (कंजूसी) से मेहफूज़ रखा जाये ऐसे ही लोग फलाह पाने वाले हैं और उन लोगों का जो उनके बाद आये जो दुआ करते हैं कि ऐ हमारे परवरदिगार हमको बख़्श दे और हमारे उन भाईयों को जो हमसे पहले ईमान ला चुके हैं। और हमारे दिलों में ईमान लाने वालों की तरफ़ कीना (अदावत) न होने दीजिये ऐ हमारे रब आप बड़े शफीक़ व रहीम हैं। इस आयते करीमा में अल्लाह तआला ने मुहाजिरीन व अन्सार व ताबेईन का तज़क़िरा दर्जा-ब-दर्जा किया है। सबसे पहले मुहाजिरीन अब्बलीन का तज़क़िरा उनके दर्जे सबाक़त के मुताबिक़ किया गया है। फिर दर्जाए दौम (2) में अन्सार का ज़िक़्र है और दर्जा सौम (3) के ताबेईन मुखलिसीन का ज़िक़्र है। पस खुदावन्दे तआला ने अपनी बारगाह में मुहाजिरीन व अन्सार व ताबेईन को वही दर्जा व मनज़िलत अता किया जिसके वो मुस्तहक़ थे और इस आयते करीमा में मुतक़ददमीन अहले ईमान के हक़ में मुअमिनीन के तलबे मग़फ़िरत का भी ज़िक़्र किया गया है ताकि उससे मुतक़ददमीन का फज़ल व कमाल साबित हो जाये उसके बाद खुदावन्दे तआला ने मनदर्जाज़ील आयत में अपने औलिया के फज़ाइल व मनाकिब का इस तरह तज़क़िरा किया कि :

تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ ۚ مِنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ ۚ
وَأَتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُّوسِ ۖ

तिलकर रुसुलो फज़ज़लना बअज़हुम अला बअदिम मिनहुम मन कल्लमल्लाहो
व रफअः बअदहुम दरजातिन व आतेना ईसा इब्निः मरयमल बय्यिनाति व
अय्यदनाहो बिरुहिल कुदुस 3-2/253

तर्जुमा : ये हज़रात मुरसलीन ऐसे हैं कि हमने उन में से बाअज़ों को बाअज़ों पर फोकीयत बख़्शी है बाअज़ उनमें वो हैं जो अल्लाह तआला से हम कलाम हुए हैं और बाअज़ों को उनमें बहुत से दरजों में सरफराज़ किया और हमने हज़रत ईसा^{अ.स.} बिन मरियम को खुले खुले दलाइल अता फरमाये और हमने उन की ताईद रुहुल कुदुस से फरमाई और एक दूसरी आयत में खुदावन्दे तआला का इर्शाद है कि :

وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّنَ عَلَى بَعْضٍ

व लक़द फज़ज़लना बअदन नबीय्यीनः अला बअदिन 15-17/55 (तर्जुमा) : और हमने बाअज़ नबियों को बाअज़ पर फज़ीलत दी है। और इर्शाद बारी है कि :

هُمْ دَرَجَتٌ عِنْدَ اللَّهِ

हुम दरजातुन इन्दल्लाहि 4-3/163 (तर्जुमा) : ये मज़कुरीन दरजात में मुखतलिफ होंगे अल्लाह तआला के नज़दीक। और खुदावन्दे तआला का इर्शाद है कि :

وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ

व युअति कुल्लः जी फज़लिन फज़लहू 11-11/3 (तर्जुमा) : और हर ज़्यादा अमल करने वाले को ज़्यादा सवाब देगा। और इर्शाद बारी तआला है कि :

الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ ۖ أَعْظَمُ دَرَجَةً

عِنْدَ اللَّهِ ۖ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ

अल लज़ीनः आमनू व हाजरू व जाहदू फी सबीलिल्लाहि बि अमवालिहिम व अनफुसिहिम अअज़मो दरजतन इन्दल्लाहि व उलाइकः हुमुल फाइज़ून 10-9/20 (तर्जुमा) : जो लोग ईमान लाये और उन्होंने तर्क वतन किया और अल्लाह की राह में अपने माल व जान से जिहाद किया वो दर्जे में अल्लाह के नज़दीक बहुत बड़े हैं और यही लोग पूरे कामयाब हैं। और खुदावन्दे तआला का ये भी इर्शाद है कि :

وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا ۖ دَرَجَتٌ مِنْهُ وَمَغْفِرَةٌ وَرَحْمَةٌ

व फज़ज़लल्लाहुल मुजाहिदीनः अलल काइदीनः अजरन अज़ीमा दरजातिम मिनहो व मगफिरतं व रहमतन 5-4/95-96 (तर्जुमा) : और अल्लाह तआला ने मुजाहिदीन को ब मुकाबला घर में बैठने वालों के बड़ा अजरे अज़ीम दिया है (यानि बहुत से दर्जे जो खुदा की तरफ से मिलेंगे) और मगफिरत और रहमत। और इस आयते करीमा में अल्लाह तआला का इर्शाद है कि :

لَا يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلَ ۖ أُولَٰئِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِنَ الَّذِينَ
 أَنْفَقُوا مِنْ بَعْدُ وَقَاتَلُوا ۖ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ

ला यसतवी मिनकुम मन अनफकः मिन कब्लिल फतहि व कातलः उलाइकः
 अअजमो दरजतम मिनल लजीनः अनफकू मिम बअदो व कातलू व कुल्लव
 वअदल्लाहुल हुस्ना 27-57/10 (तर्जुमा) : जो लोग फतह मक्का के पहले
 खर्च कर चुके और लड़ चुके बराबर नहीं वो लोग दर्जे में उन लोगों से बड़े
 हैं जिन्होंने बाद में खर्च किया और लड़े और अल्लाह तआला ने भलाई का
 वादा सबसे कर रखा है। और बारी तआला का इर्शाद है कि :

يَرْفَعُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ ۖ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ

यरफइल्लाहुल लजीनः आमनू मिनकुम वल लजीनः उतुल इल्मः दरजातिन
 28-58/11 (तर्जुमा) : अल्लाह तआला तुम में ईमान वालों के और उन
 लोगों को जिनको इल्म अता हुआ है दर्जे बुलन्द कर देगा।

इमाम जअफररुस्सादिक^{अ.स.} फरमाते हैं कि मजकूरा बाला (ऊपर
 लिखी) तमाम आयतों में ईमान के दरजात व मनाज़िल और मुअमिनीन के
 मुखतलिफ हालात और सबाक़त में बाहम तफाज़िल का तज़क़िरा किया गया
 है लेकिन ईमान के बग़ैर सिर्फ सबाक़त से कोई फायदा न होगा। चुनाचे
 अगर किसी साबिक़ मर्द मुअमिन ने अपने ईमान में किसी किसम का नुक़स
 पैदा कर दिया या उसको तोड़ दिया तो उस सूरत में सिर्फ़ मुक़द्दम और
 साबिक़ होना उसको कोई फायदा न पहुंचाएगा। जैसा कि इस आयते
 करीमा में खुदावन्दे तआला का इर्शाद है कि :

وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ ۖ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَسِرِينَ

व मन्य यकफुर बिल ईमानि फकद हबितः अमःलुहू व हुवः फिल आखिरति
 मिनल खासिरीन 6-5/5 (तर्जुमा) : और जो शख्स ईमान के साथ कुफ़्र
 करेगा। तो उस शख्स का अमल ग़ारत (बेकार) हो जायेगा और वो शख्स
 आखिरत में बिल्कुल ज़ियाकार (नुक़सान उठाने वाला) होगा।

इमाम जअफरुस्सादिक^{अ.स.} फरमाते हैं कि इस आयते करीमा में कुफ्र बिल ईमान से एहकाम इलाही पर अमल न करना मुराद है और इस बात से हमारे इस कौल की ताईद भी होती है कि ईमान की बुनियाद कौल व अमल और एतिकाद पर है और ईमान व तस्दीक के बगैर इन तीनों का वजूद ना मुमकिन हैं। पस जब ईमान व तस्दीक के साथ-साथ कौल व अमल और दिली एतिकाद होगा तो उस वक्त ईमान कामिल होगा। उसके अलावा अगर कोई शख्स ज़बान से कहता और उस पर अमल करता है लेकिन हक व ईमान के खिलाफ दिल में अकीदा रखता है तो ऐसा शख्स मुअमिन न होगा। चाहे वह अपनी जान पर कितनी ही मशक्कत क्यों न उठाता हो उसका ये अमल उसको मुफीद न होगा।

चुनांचे इस बारे में खुदावन्दे तआला का इर्शाद है कि :

• وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَّنْثُورًا •

व कदिमना इला मा अमिलू मिन अमःलिन फ जअलनाहो हबाअम मन्सूरा 18-25/23 (तर्जुमा) : और हम उनके उन कामों की तरफ जो कि वो कर चुके थे मुतवज्जा होंगे सो उनको ऐसा कर देंगे जैसे परेशान गुब्बार। और दूसरी आयते करीमा में इर्शाद बारी तआला है कि :

• وَجُودُهُ يَوْمَئِذٍ خَاشِعَةٌ • عَامِلَةٌ نَّاصِبَةٌ • تَصْلِيٰ نَارًا حَامِيَةً •

वुजूहुन्य योमइज़िन खशिआ 0 आमिलतुन नासिबा 0 तसला नारन हामिया 30-88/2-4 (तर्जुमा) : बहुत से चेहरे उस रोज़ ज़लील मुसीबत झेलते और खस्ता होंगे। आतिशे सोज़ा (तपती आग) में दाखिल होंगे। इस सिलसिले में और ब कसरत दलाइल मौजूद हैं।

इस्लाम' और ईमान

इस्लाम व ईमान के दरमियान क्या फर्क है? इस सिलसिले में खुदावन्दे तआला का इर्शाद है कि :

قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا ۖ قُلْ لَّمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ

कालतिल अआराबो आमन्ना कुल लम तुअमिन् वला किन कूलू असलमना वलम्मा यदखुलिल ईमानो फी कुलूबिकुम 26-49/14 (तर्जुमा) : ये गंवार कहते हैं कि हम ईमान ले आये आप फरमा दीजिये कि तुम ईमान तो नहीं लाये लेकिन यूँ कहो कि हम मुतीअ हो गये और अभी तक ईमान तुम्हारे दिलों में दाखिल नहीं हुआ। और ये भी इर्शाद बारी तआला है कि :

يَمُنُونَ عَلَيْكَ أَنْ أَسْلَمُوا ۖ قُلْ لَا تَمُنُوا عَلَيَّ إِلَّا بِمَا مَكَّمَ اللَّهُ يُمِّنُ عَلَيْكُمْ أَنْ هَدَاكُمْ لِلْإِيمَانِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ •

यमुन नून: अलैक: अन असलमु कुल ला तमुन्नू अलय्य: इस्लामकुम बलिल्लाहो यमुन्नो अलैकुम अन हदाकुम लिल ईमानि इन कुनतुम सादिकीन 26-49/17 (तर्जुमा) : ये लोग अपने इस्लाम लाने का आप पर एहसान रखते हैं आप कह दीजिये कि मुझ पर अपने इस्लाम लाने का एहसान न रखो बल्कि अल्लाह तुम पर एहसान रखता है कि उसने तुमको ईमान की हिदायत दी बशर्त यह कि तुम सच्चे हो। और दूसरी आयत में खुदावन्दे तआला का इर्शाद है कि :

नोट 1 : मशहुर इमामे लुगात सय्यदना अबू हातिम राजी किताब-ज़ीना में इस्लाम व ईमान की लगवी मअनी (मतलब) पर रोशनी डालते हुए तेहरीर फरमाते हैं कि लुगात (अरबी डिशनरी) में इस्लाम के दो मअनी हैं। एक तो मुतीअ व फरमांबरदार होना और दूसरी मअनी है इनकिताअ यानि यकसु (एक साथ) हो जाना और ईमान के लगवी मअनी है तस्दीक और उसका अस्ल अमान है।

• فَأَخْرَجْنَا مَنْ كَانَ فِيهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ • فَمَا وَجَدْنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ •

फअखरजना मन कानः फीहा मिनल मुअमिनीन ० फमा वजदना फीहा गैरः बैतिन मिनल मुस्लिमीन ० 27-51/35-36 (तर्जुमा) : तो हमने जितने ईमानदार थे सबको वहां से अलग कर दिया सो सिवाये मुसलमानों के एक घर के और कोई घर हमने नहीं पाया।

पस कुरआने हकीम की इन आयतों से ये साबित होता है कि ईमान एक अलग शैय है लेकिन उसके बरअक्स बाअज़ अवाम का ये बयान है कि ईमान व इस्लाम दोनों एक ही शैय है जो दुरुस्त नहीं। इमाम जअफरुस्सादिक^{अ.स.} से रिवायत है आप फरमाते हैं कि ईमान इस्लाम के दायरे में ज़रूर दाखिल है लेकिन इस्लाम ईमान के दायरे में दाखिल नहीं क्योंकि इस्लाम का तअल्लुक ज़ाहिरी अक़वाल व आमाल से है और ईमान का तअल्लुक बातिन यानि खुलुसे क़ल्ब से है। सादिक आले मोहम्मद^{अ.स.} से एक मर्तबा इस्लाम व ईमान की हकीकत के मुताल्लिक पूछा गया तो आपने फरमाया कि ईमान का तमाम तर तअल्लुक दिल से है और इस्लाम निकाह व मीरास के अहकाम की पाबन्दी का नाम है जो शख्स दायरा-ए-इस्लाम में दाखिल हो जाता है उसका क़त्ल हराम हो जाता है। उसका खून इज़ज़त व आबरू, माल व दौलत सब कुछ मेहफूज़ हो जाते हैं।

लिहाज़ा ईमान दायरा-ए-इस्लाम में ज़रूर दाखिल है लेकिन इस्लाम दायरा ईमान में दखिल नहीं। इमाम जअफरुस्सादिक^{अ.स.} ने उसकी तशरीह व तोज़ीह इस तरह से फरमाई थी कि आप ने अपनी हथेली पर एक छोटा सा गोल दायरा बना कर फरमाया कि ये ईमान का दायरा है। उसके बाद आप ने उस छोटे गोल दायरे के चौ तरफ एक दूसरा बड़ा गोल दायरा बना कर फरमाया कि ये इस्लाम का दायरा है आपने उन दोनों दायरों की शक़ल इस तरह बनाई थी। ☉ इस शक़ल में आपने इस्लाम को बाहर के बड़े दायरे से ताबीर फरमाया है और ईमान को अंदर के छोटे दायरे से मिसाल दी है। क्योंकि ईमान का तअल्लुक दिल की मारिफ़त से है और दिल इन्सान के अन्दरूनी हिस्से यानि सीने में होता है इस तशरीह और तमसील से ये बात साबित व रोशन हो गई कि ईमान इस्लाम में तो ज़रूर शामिल है लेकिन इस्लाम ईमान में शामिल नहीं है ये तो मुमकिन है कि एक मुसलमान मुअमिन न हो लेकिन हर मुअमिन पहले मुस्लिम होता है। चुनांचे इस्लाम व ईमान की इस तशरीह से हमारे इस ख्याल की ताईद होती है जो

हमने गुज़िशता बाब में ईमान की हकीकत बयान करते हुए यह लिखा है कि ईमान कामिल की बुनियाद अक्द निय्यत पर है। इस्लाम व ईमान ही के मुताल्लिक अली इब्ने अबी तालिब^{अ.स.} से ये रिवायत मनकूल है कि एक मर्तबा इस्लाम व ईमान की हकीकत के मुताल्लिक आप से ये पूछा गया तो आपने फरमाया कि इस्लाम सिर्फ़ ज़बान से इकरार कर लेना है और ईमान इकरार के साथ-साथ दिल से मारिफत (समझ) करना भी लाज़मी है। पस खुदा अगर किसी बन्दे को अपनी व अपने पैगम्बर व इमाम की मारिफत की तौफीक अता करे और वो ज़बान से इकरार भी करे तो वो मुअमिन है अमीरुल मुअमिनीन^{अ.स.} की खिदमत में फिर अर्ज किया गया कि इसका मतलब तो ये हुआ कि मारिफत खुदा की तौफीक और दीन है और इकरार बन्दे का ज़ाती फअल है? अमीरुल मुअमिनीन^{अ.स.} ने फरमाया कि किसी भी बन्दे को मारिफत कि तौफीक अता करना ये खुदा की तरफ से तमाम हुज्जत और उसका लुतफ व करम है और किसी बन्दे को अपनी ज़बान से इकरार कर लेना ये भी खुदा ही का एहसान व करम है वो जिस बन्दे पर चाहता है उस किस्म का अहसान करता है गर्ज के मारिफत वो एहसाने अज़ीम है जो खुदा बन्दे के दिल में पैदा कर देता है। और खुदा ही के फज़ल व करम से ज़बान का इकरार करना दिल का अमल है। यानि दिल में खुदावन्दे तआला ने जो मारिफत पैदा कर दी है वो अमलन ज़बान से इकरार की शकल इख्तियार कर लेती है। पस जिस शख्स को खुदा ने साहिबे मारिफत नहीं बनाया है। उस पर कोई हुज्जत व दलील कायम नहीं की जा सकती। लेकिन उस पर सिर्फ़ इतना वाजिब है कि वो अपनी मालूमात की हद में रह कर अमल करे और जिन बातों का उसे कोई इल्म न हो उन पर अमल न करे क्योंकि खुदावन्दे तआला अदम मालूमात (जानकारी नहीं होने) की बिना पर उसको सज़ा न देगा बल्कि एहकामे इलाही की पाबन्दी और आमाले सालेहा व इताअत के सिले में सवाब का मुस्तहक होगा गर्ज इन उमूर में से हर अम्र बग़ैर किसी ज़ब्र व इकराह के कज़ा व कद्र और इल्म इलाही के मुताबिक़ वाकिअ होता है अगर लोग मजबूर महज़ हो तो उस सूरत में वो माअज़ूर समझे जायेंगे। अलबत्ता तारीफ व सताइश के काबिल न होंगे लेकिन किसी शख्स को अगर किसी बात का इल्म न हो तो उस पर वाजिब है कि वो अपने तमाम मुश्किल मसाइल को हमारे सामने पेश करें जैसा कि इस आयते करीमा में खुदावन्दे तआला का हुक्म है कि :

فَسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ •

फसअलू अहलज़ ज़िकरि इन कुनतुम ला तअलमून 0 17-21/7 (तर्जुमा)
: सो अगर तुमको मालूम न हो तो अहले किताब (कुरआन के जानने वाले)
से दरयाफ़्त कर लो।

ये रिवायत भी अमीरूल मुअमिनीन^{अ.स.} से मनकूल है कि एक मर्तबा आपकी खिदमत में अर्ज़ किया गया कि ऐ अमीरूल मुअमिनीन^{अ.स.}! अदना में अदना वो कौन सी शैय है जिस पर अमल करने से एक बन्दा मुअमिन हो सकता है। और अदना में अदना वो कौन सी शैय है जिस पर अमल करने से एक बन्दा काफिर होता है। और अदना में अदना वो क्या चीज़ है जिससे एक बन्दा गुमराह हो जाता है। चुनांचे जनाब अमीर^{अ.स.} ने इन एहम मसाइल पर रोशनी डालते हुए फरमाया कि अदना में अदना वो चीज़ कि जिससे एक बन्दा मुअमिन हो सकता है। वो यह है कि अगर अल्लाह जल शानहू किसी बन्दे को अपनी मारिफ़त की तौफीक़ अता करे तो वो इताअत के साथ खुदा का इक़रार करे और अगर अल्लाह तआला अपने पैग़म्बर^{सअव.} कि मारिफ़त की तौफीक़ दे तो फरमांबरदारी के साथ उनका इक़रार करे और अगर उसको अल्लाह तआला ज़मीन पर अपनी हुज्जत और ख़लाइक़ पर अपने शाहिद की मारिफ़त की तौफीक़ बख़्शे तो उस हुज्जतुल्लाह की इमामत का मुअतकिद हो जाये और इताअत के साथ इक़रार करे तो ऐसा शख्स मुअमिन होगा। आपकी खिदमत में अर्ज़ किया गया कि अगर वो उसके अलावा और बातों से बे ख़बर हो तो? अमीरूल मुअमिनीन^{अ.स.} ने फरमाया कि हाँ! अगर उसको दूसरी बातों का इल्म न हो तो जब उसको किसी काम का हुक्म दिया जाये तो उसकी तअमील करे और जब किसी काम से रोका जाये तो उसको न करे अब रही अदना में अदना वो चीज़ कि जिससे एक बन्दा मुशरिक हो जाता है वो ये है कि बन्दा किसी ऐसी चीज़ को अपना दीनी शुआर बना ले जिस पर अमल करने से खुदा ने रोका हो और उस पर ये गुमान भी कर ले कि खुदा ही ने इसका हुक्म दिया है और वो जिसकी परस्तिश कर रहा है उसका हुक्म भी खुदा ही ने दिया है। हालांकि वो चीज़ गैरअल्लाह है और किसी भी गैरअल्लाह की इबादत से शिर्क लाज़िम आता है। लिहाज़ा ऐसा शख्स यानि गैरअल्लाह की परस्तिश करने वाला मुशरिक शुमार होगा। रहा अदना में अदना वो अमल जिससे एक बन्दा गुमराह हो सकता है वो ये है कि खुदा अगर अपने किसी बन्दे को ज़मीन पर अपनी

हुज्जत और खलाइक़ पर अपने शाहिद की मारिफ़त की तौफीक़ न बख़्शी हो कि वो उसकी पैरवी करे तो ऐसा शख्स जो हुज्जतुल्लाह यानि इमामुज्जमान^{अ.स.} की मारिफ़त से मेहरूम है वो यकीनन गुमराह है।

वलायते अमीरुल मुअमिनीन अली इब्ने अबी तालिब^{अ.स.}

वलायते वली के मुताल्लिक़ कुरान मजीद में परवरदिगारे आलम का ये इर्शाद है कि :

إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ

इन्नमा वलीयुकुमुल्लाहो व रसूलहू वल लजीनः आमनू अल लजीनः युकीमूनस्सलातः व यूतूनज़ ज़कातः व हुम राकिऊन 6-5/55 (तर्जुमा) : तुम्हारा वली अल्लाह और उसके रसूल और वो अहले ईमान हैं जो नमाज़ पढ़ते हैं और रुकू की हालत में ज़कात देते हैं।

इमाम जअफरुस्सादिक़^{अ.स.} से मनकूल है कि एक मर्तबा किसी शख्स ने आपकी खिदमत में अर्ज किया कि ऐ फरज़न्दे रसूल^{स.अ.व.} हम से हसन बसरी ने ये हदीस बयान की हैं कि आहज़रत^{स.अ.व.} फरमाते हैं कि मुझ पर अल्लाह तआला ने एक ऐसा पैग़ाम नाज़िल फरमाया कि जिस से मेरा दिल बैठ गया और उस वक्त मुझे ये खौफ़ पैदा हुआ कि कहीं लोग मेरी नबुव्वत के मुन्किर न हो जायें पस उस वक्त खुदावन्दे तआला ने मुझे ये धमकी दी कि अगर मैंने इस रिसालत को न पहुँचाया तो वो मुझे मुबतला ए अज़ाब करेगा। सादिक़ आले मुहम्मद^{अ.स.} ने उस शख्स से पूछा कि आया हसन बसरी ने तुम को इस रिसालत के मुताल्लिक़ भी कुछ बताया था? उस शख्स ने जवाब दिया कि नहीं! इमाम जअफरुस्सादिक़^{अ.स.} ने उस शख्स से मुखातिब हो कर फरमाया कि कसम बखुदा हसन बसरी को मालूम था कि वो रिसालत क्या हैं जिससे आपका दिल बैठ गया था और आपको अपनी तकज़ीबे नबुव्वत का खौफ़ लाहक़ हो गया था मगर उन्होंने कसदन तुम से उस रिसालत के मुताल्लिक़ कुछ नहीं कहा था बल्कि उसको तुम से छिपाया था। उस शख्स ने सादिक़ आले मुहम्मद^{अ.स.} की खिदमत में अर्ज किया कि ऐ फरज़न्दे रसूल^{अ.स.} मेरी जान आप पर कुरबान आप ही बयान फरमायें कि वो रिसालत क्या थी? इमाम जअफरुस्सादिक़^{अ.स.} ने फरमाया कि जब खुदावन्दे तआला ने अपनी किताब कुरआने हकीम में मुअमिनीन को नमाज़ पढ़ने का हुक्म

दिया तो मुअमिनीन ये न समझ सके कि नमाज़ क्या है और उसको पढ़ने का तरीका क्या है तो उस वक्त खुदावन्दे तआला ने अपने पैगम्बर मोहम्मदन रसूलल्लाह^{स.अ.व.} को ये हुक्म दिया कि आप मुअमिनीन को नमाज़ पढ़ने का तरीका बतला दें चुनांचे आहंज़रत^{स.अ.व.} ने जिस नमाज़ को कुरान हकीम में मुअमिनीन पर खुदावन्दे तआला ने मुजमल तौर पर फर्ज़ किया है। आपने अपनी सुन्नत में अमली तौर पर करके बता दिया कि जिस नमाज़ को खुदावन्दे तआला ने मुअमिनीन पर फर्ज़ किया है उस नमाज़ के पढ़ने का तरीका ये है और उसी तरह खुदावन्दे तआला ने मुअमिनीन को जब ज़कात देने का हुक्म दिया तो वो ये न समझ सके कि ज़कात किस तरह अदा करें तो आहंज़रत^{स.अ.व.} ने पूरी तफसील के साथ सोना, चांदी, ऊँट, गाय, बकरी, अनाज, वगैरह की तादाद व मिक़दार पर जो ज़कात वाजिब होती है उससे उम्मत को बा-ख़बर कर दिया। इसी तरह परवरदिगारे आलम ने जब मुअमिनीन पर रोज़ा फर्ज़ किया तो वो समझ न सके कि रोज़ा क्या है और किस तरह से रोज़ा रखा जाता है। चुनांचे रसूले अकरम^{स.अ.व.} ने रोज़े की हालत में किन-किन चीज़ों से दूर रहना चाहिये और रोज़ा रखने की क्या सूरत व कैफ़ियत है इससे उम्मत को अच्छी तरह वाकिफ़ कर दिया इसी तरह अल्लाह तआला ने हज बेतुल्लाहिल हराम का हुक्म दिया। उम्मते मुस्लिमा हज की कैफ़ियत न समझ सकी। उस वक्त परवरदिगारे आलम ने रसूले अकरम^{स.अ.व.} को ये हुक्म दिया कि आप उम्मत को हज की पूरी कैफ़ियत से वाकिफ़ कर दें। चुनांचे आपने अपनी सुन्नत में अमली तौर से हज की वज़ाहत फरमा दी और इसी तरह परवरदिगारे आलम ने इस आयते करीमा में उम्मत को ओलिया अल्लाह की वलायत का हुक्म दिया कि :

إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، الَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ •

इन्नमा वलीय्युकुमुल्लाहो व रसूलुहू वल लज़ीन: आमनू अल लज़ीन: युकीमूनस्सलात: व यूतूनज़ ज़कात: व हुम राकिऊन 6-5/55 (तर्जुमा) : तुम्हारा वली अल्लाह और उसके रसूल और वो अहले ईमान है जो नमाज़ पढ़ते हैं और रूकू की हालत में ज़कात देते हैं। चुनांचे जब उम्मत पर उलुल अम्र की वलायत फर्ज़ की गई तो लोग समझ न सके कि वलायत क्या है। उस वक्त परवरदिगारे आलम ने आहंज़रत^{स.अ.व.} को ये हुक्म दिया कि आप उम्मत को वलायत का मफहूम भी उसी तरह समझा दे जिस तरह से कि आपने नमाज़, ज़कात, रोज़ा, हज की सूरत व कैफ़ियत से वाकिफ़ किया है पस मफहूम वलायत समझने का ये हुक्म खुदावन्दे तआला ने जब आहंज़रत^{स.अ.व.}

पर नाज़िल किया तो उस वक्त आपका दिल बैठ गया। और आपके दिल में ये ख़ौफ़ पैदा हुआ कि कहीं खुदा ना ख्वास्ता लोग आपके दीन से मुरतद न हो जायें और आपकी नबुव्वत की तकज़ीब न कर बैठें इस अन्देश की वजह से आप अम्रे वलायत के मुताल्लिक़ दोबारा रब्बुल इज़्ज़त से मुखातिब हुए तो खुदावन्दे तआला ने ये वही नाज़िल की कि :

يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ ط وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ ط
وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ ط

या अय्योहर रसूलो बललिग मा उनजिल: इलैक: मिन् रब्बिक: व इन लम तफअल फमा बल्लगत: रिसालतहू वल्लाहो यअसिमुक: मिनन नास 6-5/67 (तर्जुमा) : ए रसूल जो कुछ (अम्र वलायत के बारे में) आपके रब की जानिब से आप पर नाज़िल किया गया है। आप उसको पहुँचा दीजिये और अगर आप ऐसा न करेंगे तो आपने अल्लाह तआला का एक पैगाम भी नहीं पहुँचाया और अल्लाह तआला आपको लोगों से मेहफूज़ रखेगा। चुनांचे आंहज़रत^{सअव} ने अम्र इलाही को ज़ाहिर कर दिया और मुक़ामे ग़दीरे ख़ुम में अमीरुल मुअमिनीन अली इब्ने अबी तालिब^{अ.स.} की वलायत व इमामत का ऐलान कर दिया। आपने पहले तो इस पैगाम को पहुँचाने के लिये सलातुल जामिआ की निदा करवाई और आपने ये हुक्म जारी फरमाया कि जो हाज़िर है वो इस पैगाम को ग़ायब तक पहुँचा दें। दर हकीकत इस्लाम के जुमला फराइज़ मसलन नमाज़, ज़कात, रोज़ा, हज एक के बाद एक नाज़िल होते रहे हैं लेकिन आखिरी फरीज़ा वलायत जब नाज़िल हुआ तो उस वक्त यह आयते करीमा नाज़िल हुई कि :

الْيَوْمَ اكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَاتَّمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا ط

अल यौम: अकमल्लो लकुम दीनकुम व अतममतो अलैकुम नेअमती वरज़ीतो लकुमुल इस्लाम: दीना 6-5/3 (तर्जुमा) : आज के दिन तुम्हारे लिये तुम्हारे दीन को मैंने कामिल कर दिया और मैंने तुम पर अपना इनआम तमाम कर दिया और मैंने इस्लाम को तुम्हारा दीन बनने के लिये पसंद किया।

इमाम बाकिर^{अ.स.} फरमाते हैं कि इस आयत के ज़रिये जिसमें तकमीले दीन और अतमामे नेअमत की खबर दी गई है परवरदिगारे आलम उम्मत को इस बात से आगाह कर देना चाहता है कि अब मैं फरीज़ाए

वलायत के बाद जो आखिरी फरीज़ा है तुम पर कोई और फरीज़ा उतारने वाला नहीं हूँ क्योंकि मैं तुम पर तमाम फराइज़ नाज़िल कर चुका हूँ। रसूले अकरम^{स.अ.व.} से रिवायत मनकूल है कि आप फरमाते हैं कि जो लोग मुझ पर और खुदा पर ईमान ले आये हैं और मेरी नबुव्वत की तस्दीक कर चुके हैं मैं उनको अमीरुल मुअमिनीन मौलाना अली इब्ने अबी तालिब^{अ.स.} की वलायत की वसीयत करता हूँ क्योंकि अली^{अ.स.} से मोहब्बत करना मुझसे मोहब्बत करने के बराबर है और ये वलायत एक ऐसा अम्र हैं जिसको पहुँचाने का खुदा ने मुझको हुक्म दिया है और खुदा ने मुझ से ये एहद लिया है कि मैं इस अम्रे वलायत को खुदा की तरफ से तुम लोगों तक पहुँचा दूँ।

अमीरुल मुअमिनीन अली इब्ने अबी तालिब^{अ.स.} से ये रिवायत मनकूल है आप फरमाते हैं कि जब आयते करीमा :

وَ أَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ •

व अनज़िर अशीरतकल अकरबीन 0 19-26/214 (तर्जुमा) : और आप अपने नज़दीक के कुन्बे वाले को डराइये। नाज़िल हुई तो आहज़रत^{स.अ.व.} ने एक प्याला दूध और बकरी की एक रान दस्तर खान पर रख कर खानदान बनी अब्दुल मुत्तलिब को जमा किया जो चालीस मर्दों पर मुश्तमिल था मगर दस नौजवान तो ऐसे थे कि उनमें से हर एक मेमना अकेला ही खा सकता था और एक मश्क दूध पी सकता था। फिर भी उन लोगों ने ख़ूब पेट भर कर खाया पिया उस रोज़ अबू लहब भी उनके साथ था। जब खाने पीने से फारिग हो चुके तो रसूले अकरम^{स.अ.व.} ने उन सब से मुखातिब हो कर फरमाया कि ऐ बनी अब्दुल मुत्तलिब! मेरी इताअत करो तो तुम सब ज़मीन के बादशाह और हुकमरां बन जाओगे और मैं तुमसे पूरे यकीन के साथ कहता हूँ कि अब तक परवरदिगारे आलम ने दुनिया में जितने पैग़म्बर भेजे हैं उनमें से हर एक के लिये एक वसी और वज़ीर भाई और वारिस और वली मुकरर फरमाया था तो आज तुममे कौन ऐसा जवान मर्द है जो मेरा वसी मेरा वारिस मेरा वली मेरा भाई और मेरा वज़ीर बनेगा? इतना सुनना था कि सब पर खामेशी छा गई। मगर आहज़रत^{स.अ.व.} ने अतमामे हुज्जत के तौर पर उन में से एक एक के सामने फरदन फरदन ये दावत पेश की लेकिन किसी ने आपकी उस दावत को क़बूल नहीं किया हालांकि मैं बाकी रह गया था उस वक्त मैं सबसे कमसिन था मगर जब रसूल्लाह^{स.अ.व.} ने मेरे सामने अपनी ये दावत पेश की तो मैंने मुअद्बाना (पूरी अदब के साथ) अर्ज की कि ए पैग़म्बर

खुदा^{स.अ.व.} मैं आपका वसी वजीर, भाई, वारिस और वली बनूंगा आपने फरमाया कि हाँ! ऐ अली तुम्ही मेरे वसी, मेरे वजीर, मेरे भाई और मेरे वली हो। जब बनी अब्दुल मुत्तलिब मजलिस से बाहर निकले तो अबू लहब ने उनसे कहा कि तुम ने आज जो कुछ देखा है, क्या उससे तुम को अपने साहब मोहम्मद^{स.अ.व.} की जादूगरी का सुबूत नहीं मिलता कि उस ने तुम्हारे सामने दस्तरख्वान पर बकरी की रान रखी और दूध का एक प्याला जिस से तुम लोग खूब सेरशिकम (भर-पेट) हो गये। फिर क्या था वो सब के सब अबू लहब की उस बात को सुन कर टट्टा करने लगे और हज़रत अबू तालिब से कहने लगे कि तुम्हारा बेटा तुम पर मुकद्दम हो गया। अक्सर अवाम अपने इस्लाफ, मुफस्सरीन, से आयते करीमा :

إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ

इन्नमा वलीय्युकुमुल्लाहो व रसूलुहू वल लज़ीनः आमनू अल लज़ीनः युकीमूनस्सलातः व यूतूनज़ ज़कातः व हुम राकिऊन 6-5/55 की यह तावील नक्ल करते हैं, कि यह आयत अमीरुल मुअमिनीन अली बिन अबी तालिब^{अ.स.} के बारे में नाज़िल हुई है। रूकू की हालत में ज़कात देने का वाकिआ जैसा कि इस आयते करीमा में बयान किया गया है वो इस तरह से पेश आया है कि एक मर्तबा अमीरुल मुअमिनीन^{अ.स.} नमाज़ में रूकू की हालत में थे कि एक साइल आप के पास खड़ा हो गया, उस वक्त आपने रूकू कि हालत में अपनी अंगूठी साइल की तरफ फँक दी थी चुनांचे आयते करीमा :

إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ

इन्नमा वलीय्युकुमुल्लाहो व रसूलुहू वल लज़ीनः आमनू अल लज़ीनः युकीमूनस्सलातः व यूतूनज़ ज़कातः व हुम राकिऊन 6-5/55 अमीरुल मुअमिनीन^{अ.स.} आप की जुरीय्यते ताहिरा से जो अइम्मा ताहिरीन^{अ.स.} हुए हैं उनके बारे में नाज़िल हुई है उसके अलावा ग़दीरे ख़ुम में सरवरे कायनात फखरे मौजुदात^{स.अ.व.} की जुबाने मुबारक से अमीरुल मुअमिनीन^{अ.स.} की वलायत का खुलम खुल्ला एलान एक मशहूर व मारुफ वाकिआ है जिसके दोस्त व दुश्मन दोनों मोअतरिफ हैं यह वाकिआ तारीख में इस तरह मनकूल है कि आंहज़रत^{स.अ.व.} जब हज्जतुल विदा से फारिग हो कर मोज़ेअ ग़दीर ख़ुम में दाख़िल हुए। तो पहले आप ने वहां की ज़मीन साफ करने का हुक्म दिया

उस के बाद आप ने सलातुल जामिआ की निदा करवाई जब तमाम असहाब जमा हो गये तो आंहज़रत^{स.अ.व.} ने अमीरुल मुअमिनीन^{अ.स.} का हाथ पकड़ कर आप को अपने पहलू में खड़ा कर दिया और असहाब से मुखातिब हो कर फरमाया के ऐ लोगो खूब जान लो कि अली^{अ.स.} का मर्तबा मेरे नज़दीक वही है जो हारुन^{अ.स.} का मर्तबा मूसा^{अ.स.} के नज़दीक था मगर मेरे बाद कोई नबी आने वाला नहीं है। अली^{अ.स.} मेरे बाद वली है और जिसका मैं मौला व आका हूँ। उसके अली^{अ.स.} मौला व आका है। फिर आपने अपने दोनों हाथों को खूब बुलन्द करके फरमाया कि ऐ परवरदिगार! तू उस शख्स से मुहब्बत कर जो अली^{अ.स.} से मुहब्बत करता है और उससे अदावत कर जो अली^{अ.स.} से अदावत रखता है। और उसकी मदद कर जो अली^{अ.स.} की मदद करता है और उसकी मदद न कर जो अली की मदद न करे और अली जहां कही भी हो वहा हक़ भी उनके हमराह हो अब इस बैअते वलायत के सिवा और कौन सी बैअत ज़्यादा मुआविकद (सही व साबित) हो सकती है ?

अमीरुल मुअमिनीन अली इब्ने अबी तालिब^{अ.स.} से रिवायत मनकूल है कि एक रोज़ कुछ लोगों ने आपसे दरयाफ़्त किया कि ऐ अमीरुल मुअमिनीन^{अ.स.}! आप हमसे अपने अफज़ल तरीन फज़ाइल व कमालात बयान फरमायें। आपने उनके इस सवाल के जवाब में फरमाया कि मेरे फज़ाइल व मनाकिब में अफज़ल तरीन फज़ल व कमाल वह है जिसके लिये मैंने अपनी तरफ से कोई अमल नहीं किया है। उन लोगो ने कहा कि ऐ अमीरुल मुअमिनीन^{अ.स.}! आपकी कौन सी अफज़ल तरीन फज़ीलत व मनकबत है? जनाब अमीर^{अ.स.} ने फरमाया कि जब रसूल^{स.अ.व.} मक्का मुअज़्ज़मा से हिजरत करके मदीना मुनव्वरा तशरीफ लाये तो आपने अपने असहाब को मस्जिदुन्नबवी की तामीर का हुक्म दिया चुनांचे सहाबा किराम ने मस्जिद की तामीर के साथ-साथ एक एक दरवाज़ा भी खोल लिया। जिब्रईल अमीन^{अ.स.} आप^{स.अ.व.} के पास आये और खुदा का ये हुक्म आंहज़रत^{स.अ.व.} को सुनाया कि ऐ पैग़म्बर^{स.अ.व.} आप अपने असहाब को हुक्म दें कि वो अपने-अपने दरवाज़ों को बन्द कर ले लेकिन अली का दरवाज़ा खुला रहने दें। पस आंहज़रत^{स.अ.व.} हज़रत ने मआज़ बिन जबल को उन तमाम असहाब के पास भेजा जिन्होंने मस्जिद नबवी में अपना अपना दरवाज़ा खोल रखा था वो सबसे पहले हज़रत अबू बक्र के पास आये और उनको खुदा और रसूल^{स.अ.व.} का ये हुक्म सुनाया कि आप अपना दरवाज़ा बन्द कर ले चुनांचे उन्होंने उस फरमान को सर व आखों पर रखकर कबूल करके अपना दरवाज़ा बन्द

कर लिया। उसके बाद वो हज़रत उमर बिन खत्ताब के पास आये और उनसे कहा कि वो भी अपना दरवाज़ा बन्द कर ले मगर वो रसूले अकरम^{स.अ.व.} की खिदमत में हाज़िर हुए और अर्ज किया ऐ पैग़म्बरे खुदा^{स.अ.व.} बराये करम आप मेरे लिये इतनी जगह तो खुली रहने दीजिये कि जहां से अपनी दोनो आंखों से जमाले खतमुल मर्तबत^{स.अ.व.} को देख सकू आंहज़रत^{स.अ.व.} ने हज़रत उमर बिन खत्ताब की इल्तमास को मन्ज़ूर नहीं फरमाया। पस हज़रत उमर ने मजबूरन अपना दरवाज़ा बन्द कर लिया उसके बाद आंहज़रत^{स.अ.व.} ने हज़रत मआज़ को तलहा, जुबेर, उस्मान, अब्दुल रहमान, सअद, हमज़ाह और अब्बास के पास भेजा कि उनसे जाकर कहो कि वो अपना अपना दरवाज़ा बन्द कर लें चुनांचे उन्होंने आंहज़रत^{स.अ.व.} के इस फरमान को सुन कर अपना अपना दरवाज़ा तो बन्द कर लिया मगर हज़रत हमज़ाह^{अ.स.} और अब्बास बोले कि पैग़म्बरे खुदा^{स.अ.व.} ने हमारे दरवाज़ों को तो बन्द कर लिया लेकिन अली^{अ.स.} के दरवाज़े को खुला रहने दिया है। जब इसकी इत्तिलाअ आंहज़रत^{स.अ.व.} को हुई तो आपने फरमाया कि दरवाज़े बन्द करने का जो फरमान मैंने जारी किया था उसके बारे में तुम लोगों ने जो कुछ कहा है मुझे उसकी इत्तिलाअ मिल चुकी है। कसम बखुदा मैंने ये हुक्म अपनी तरफ से जारी नहीं किया था। बल्कि मैंने खुदा वन्दे तआला के फरमान के मुताबिक ऐसा किया है और ये कोई नई बात नहीं है इससे पहले खुदावन्दे तआला ने हज़रत मूसा^{अ.स.} को भी ब—ज़रिया वही ये हुक्म दिया था कि ऐ मूसा^{अ.स.} तुम एक पाक घर बना लो जिसमें तुम और हारून और उनके दोनों फरज़न्दो के सिवा कोई और शख्स जनाबतदार न हो यानि उनके अलावा कोई और जिमाअ (संभोग) की हालत में दाखिल न हो उसी तरह खुदावन्दे तआला ने मुझको भी ब ज़रिया वही ये हुक्म दिया है कि मैं इस पाकीज़ा घर को मखसूस कर लू जिसमें मेरे और अली^{अ.स.} व हसन^{अ.स.} व हुसैन^{अ.स.} के सिवा कोई और जिमाअ (संभोग) की हालत में दाखिल न हो कसम बखुदा मैंने अपनी राय से कुछ तुम्हारे दरवाज़ों को बन्द करने का हुक्म सादिर नहीं किया है और न अली^{अ.स.} के दरवाज़े को खुला रखा है। बल्कि परवरदिगारे आलम ने मुझे ब—ज़रिया ए वही ऐसा करने का हुक्म दिया है।

असहाबे अमीरूल मुअमिनीन^{अ.स.} ने अर्ज की कि ए मौला व आका अपने और फज़ाइल बयान कीजिये। आपने फरमाया कि एक मर्तबा रसूले अकरम^{अ.स.} की खिदमत में कौम नसारा के दो आलिम आये थे उन्होंने हज़रत

ईसा^{अ.स.} के बारे में कुछ गुप्तगू की तो उस वक्त परवरदिगारे आलम ने ये आयते करीमा नाज़िल फरमाई कि :

﴿إِنَّ مَثَلَ عِيسَىٰ عِنْدَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ ۖ خَلَقَهُ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ ۖ كُنْ فَيَكُونُ﴾ (५९)

इन्नः मसलः ईसा इन्दल्लाहि कमसलि आदमः खलकहू मिन तुराबिन सुम्मः कालः लहू कुन फयकून 3-3/59 (तर्जुमा) : बेशक ईसा^{अ.स.} की हालत अल्लाह तआला के नज़दीक आदम^{अस} जैसी हालत अजीबा है कि उनको मिट्टी से बनाया— जब आयते मज़कूरा बाला नाज़िल हुई तो आंहज़रत^{स.अ.व.} घर में दाखिल हुए और आपने मेरा^{अ.स.} और हसन^{अ.स.} व हुसैन^{अ.स.} और फातिमा ज़ेहरा^{अ.स.} का हाथ पकड़ा और मुबाहिला के लिये बाहर निकले और अपने दोनों हाथों को ऊपर उठाया उंगलियों को फैला दिया। फिर आपने उन दोनो नसरानी आलिमो को मुबाहिले की दावत दी जब दोनो आलिमो की नज़र रिसालत मआब^{स.अ.व.} के चेहरे अनवर पर पड़ी तो उनमे से एक आलिम ने अपने साथी दूसरे आलिम से कहा कि कसम बखुदा अगर ये अल्लाह का सच्चा रसूल होगा तो हम ज़रूर हलाक हो जायेंगे। और अगर ये नबी न भी होगा तो इसकी कौम हमारी हलाकत के लिये काफी होगी। चुनांचे दोनों नसरानी आलिम मुबाहिले से बाज़ आ गये और अपने वतन की तरफ वापस चले गये।

लोगों ने फिर अर्ज किया कि ए अमीरुल मुअमिनीन^{अ.स.} हम से और अपने फज़ाइल बयान कीजिये आप ने फरमाया कि जब सूरअः बराअत आंहज़रत^{स.अ.व.} पर नाज़िल हुई तो आप^{स.अ.व.} ने हज़रत अबू बक्र को सूरअः बराअत दे कर मक्का की तरफ रवाना फरमाया ताकि वो हज के मौके पर लोगों को पढ़ कर सुना दें कि अचानक जिब्रईल अमीन^{अ.स.} नाज़िल हुए और रसूले अकरम^{स.अ.व.} से कहा कि आपकी जानिब से अली^{अ.स.} के सिवा कोई और सूरअः बराअत पढ़कर न सुनाये उस वक्त रसूले खुदा^{स.अ.व.} ने मुझे बुलाया और ये हुक्म फरमाया कि आपकी ऊँटनी अज़बाअ पर सवार हो कर रास्ते ही में हज़रत अबू बक्र से जा मिलो और उनसे सूरअः बराअत लेकर मैं खुद मक्का में जाकर खुद उसे पढ़ कर सुना दूँ चुनांचे जब मैं इर्शादे नबवी की तअमील में हज़रत अबू बक्र के पास पहुँचा और रिसालत मआब का फरमान सुनाया तो उन्होंने कहा कि ये क्या आका ए नामदार ने नाराज़गी से ऐसा फरमान सादिर किया है मैंने कहा कि ये बात तो नहीं है मगर जिब्रईल अमीन^{अ.स.} दरबारे रिसालत^{स.अ.व.} में हाज़िर हुए थे और उन्होंने खुदावन्दे तआला

का ये हुक्म सुनाया है कि मुहम्मद रसूलल्लाह^{स.अ.व.} की तरफ से सूरअः बराअत वही शख्स पहुँचाएँ जो उनमें से हो। चुनांचे हम यौमुल नहर (कुर्बानी के दिन) जोहर के बाद मक्का मुअज्जमा पहुँचे उस दिन हज्जे अकबर था और लोग जमा हो चुके थे उस वक्त में उठा और मैंने लोगों से मुख़ातिब हो कर कहा।

ए लोगों! तुम्हें मालूम हो कि मैं तुम्हारे पास रसूलल्लाह^{स.अ.व.} का कासिद बन कर आया हूँ फिर मैंने उनके सामने सूरअः बराअत इस तरह से तिलावत की :

• بَرَاءَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ •

فَسِيحُوا فِي الْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ

बराअतुन मिनल्लाहि व रसूलिही इलल लजीनः आहदतुम मिनल मुशरिकीन 0 फसीहू फिल अरदि अरबअतः अश्हुरिन 10-9/1-2 तर्जुमा : अल्लाह की तरफ से और उसके रसूल की तरफ से उन मुशरिकीन से दस्त बरदारी है जिन से तुमने एहद कर रखा था सो तुम लोग इस सर ज़मीन में चार महीने चल फिर लो। वो इस तरह कि ज़िलहिज्जा के बीस दिन और मुहर्रम, सफर, रबिउल अव्वल और रबिउल आखिर के दस दिन उसके अलावा मैंने उनसे ये भी कहा कि आज से कोई मर्द या औरत उरियां (नंगी) हालत में खाना काअबा का तवाफ न करे और न कोई मुशरिक व मुशरिका तवाफ दे और ये भी सुन लो कि रसूलल्लाह^{स.अ.व.} के साथ अगर किसी शख्स का कोई एहद व पैमान हुआ है तो अब उसकी मुद्दत सिर्फ चार महीना है।

अमीरूल मुअमिनीन^{अ.स.} ने अपने फज़ाइल का ज़िक्र करते हुए फरमाया कि खुदा की मुकद्दस किताब कुराने हकीम में इज़्न यानि कान से मुझको मोसूम किया गया है। उस राज़ को मेरे सिवा और कोई नहीं जानता है। लोगों ने अर्ज की कि ऐ अमीरूल मुअमिनीन^{अ.स.} अपने और फज़ाइल बयान फरमाइये। उस वक्त आपने फरमाया कि अच्छा लो सुनो! एक मर्तबा मैं और अब्बास और उस्मान बिन शेबा मस्जिदुल हराम में बैठे हुए थे कि वो दोनो मुझ पर अपना फज़ल व कमाल जताने लगे। उस्मान बिन शेबा ने कहा कि रसूले खुदा^{स.अ.व.} ने मुझे 'सदानत' यानि खाना-ए-कअबा की कुन्जियां (चाबियाँ) दी है और अब्बास बिन अब्दुल मुतल्लिब ने गर्व से कहा कि रसूलुल्लाह^{स.अ.व.} ने हुज्जाज को पानी पिलाने की खिदमत से मुझे नवाज़ा है

यानि आबे ज़मज़म पर मेरा कब्ज़ा है उसके बाद दोनो ने अमीरुल मुअमिनीन^{अ.स.} से मुखातिब हो कर कहा कि ऐ अली^{अ.स.} आहज़रत^{स.अ.व.} ने तो आपको कुछ नहीं दिया है। उस वक़्त अल्लाह तआला ने ये आयते करीमा नाज़िल फरमाई कि :

أَجَعَلْتُمْ سِقَايَةَ الْحَاجِّ وَعِمَارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ كَمَنْ أَمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَجَاهَدَ
فِي سَبِيلِ اللَّهِ ط لَا يَسْتَوُونَ عِنْدَ اللَّهِ ط وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ • الَّذِينَ آمَنُوا وَ
هَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ لَا أَكْظُمُ دَرَجَةً عِنْدَ اللَّهِ ط وَ
أُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ • يُبَشِّرُهُمْ رَبُّهُمْ بِرَحْمَةٍ مِنْهُ وَرِضْوَانٍ وَجَنَّتْ لَهُمْ فِيهَا نَعِيمٌ
مُقِيمٌ • لَا خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ط إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ

अजअलतुम सिकायतल हाज्जि व इमारतल मस्जिदिल हरामि कमन आमनः
बिल्लाहि वल यौमिल आखिरि व जाहदः फी सबीलिल्लाहि ला यस्तवूनः
इन्दल्लाहि वल्लाहो ला यहदिल कौमज़ ज़ालिमीन 0 अल लज़ीनः आमनू व
हाजरू व जाहदू फी सबीलिल्लाहि बि अमवालिहिम व अनफुसिहिम अअज़मो
दरजतन इन्दल्लाहि व उलाइकः हुमुल फाइज़ून 0 युबशिशरुहुम रब्बुहुम बि
रहमतिम मिनहो व रिज़वानिव व जन्नातिल लहुम फीहा नईमुम मुकीम 0
खालिदीनः फीहा अबदन इन्नल्लाहः इनदहू अजरुन अज़ीम 0 10-9/19-22
तर्जुमा : क्या तुम लोगों ने हाजियों के पानी पिलाने को और मस्जिदुल हराम
के आबाद रखने को उस शख्स के बराबर करार दे लिया जो कि अल्लाह
पर और कयामत के दिन पर ईमान लाया हो और उसने अल्लाह की राह
में जिहाद किया हो ये लोग बराबर नहीं अल्लाह के नज़दीक और जो लोग
बे इन्साफ है अल्लाह तआला उनको समझ नहीं देता। जो लोग ईमान लाये
और उन्होंने तर्क वतन किया और अल्लाह की राह में अपने माल और जान
से जिहाद किया वो दर्जा में अल्लाह तआला के नज़दीक बहुत बड़े हैं और
यही लोग पूरे कामियाब हैं। उनका रब उनको बशारत देता है अपनी तरफ
से बड़ी रेहमत और बड़ी रज़ामन्दी और ऐसे बागों की कि उनके लिये उनमें

दाइमी (हमेशा) नेअमतेँ होंगी। उनमें ये लोग हमेशा हमेशा को रहेंगे। बिला शक अल्लाह तआला के पास बड़ा अजर है।

लोगों ने फिर अर्ज किया ए अमीरुल मुअमिनीन^{अ.स.} अपने और फज़ाइल बयान कीजीये। आपने फरमाया कि सुनो जब रसूलल्लाह^{स.अ.व.} हज्जतुल विदा से फारिग होकर मदीना मुनव्वरा की तरफ रवाना हुए तो रास्ते में मक़ाम गदीरे खुम में आपने क़याम फरमाया और वहां की ज़मीन साफ करवाने के बाद लोगों को जमा किया फिर आपने मेरा हाथ पकड़ कर आसमान की तरफ बुलन्द किया और हाज़रीन से मुखातिब हो कर फरमाया कि क्या मैं तुमसे ज़्यादा तुम्हारी जानों पर हक़ नहीं रखता? सबने एक साथ एक ज़बान होकर कहा कि ऐ पैग़म्बरे खुदा^{स.अ.व.} हम से ज़्यादा आपका हक़ हमारी जानों पर है तब आपने फरमाया कि सुनो! जिसका मैं मौला व आका हूँ उसका अली मौला व आका है ए परवरदिगार तू उससे मुहब्बत रख जो अली^{अ.स.} के साथ मुहब्बत रखता है और उससे अदावत कर जो अली^{अ.स.} से अदावत करता है।

इमाम जअफररुस्सादिक^{अ.स.} से रिवायत है कि आप इस आयते करीमा के मुताल्लिक़ फरमाते हैं कि :

أَفَمَنْ كَانَ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّهِ وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِّنْهُ

अफमन कान: अला बय्यिनतिन मिन्-रब्बिही व यत्लूहो शाहिदुम मिनहो 12-11/17 तर्जुमा : क्या मुन्किरे कुरान क्या ऐसे शख्स की बराबरी कर सकता है जो कुरान पर काइम हो जो कि उसके रब की तरफ से आया है और उसके साथ उसी में से एक गवाह भी है। सादिक़ आले मुहम्मद^{अ.स.} फरमाते हैं कि इस आयत में जो शख्स "बय्यिनत" पर है उससे मुराद मुहम्मद रसूलल्लाह^{स.अ.व.} है और वो शाहिद जो आपमें से है और आपके साथ-साथ है उससे अमीरुल मुअमिनीन अली इब्नि अबी तालिब^{अ.स.} मुराद हैं। आप रसूलल्लाह^{स.अ.व.} के बाद उम्मत के इमाम व हुज्जत हैं।

रसूले अकरम^{स.अ.व.} से ये हदीस मनकूल है। आप फरमाते हैं कि अली^{अ.स.} मुझ से है और मैं अली^{अ.स.} से हूँ और अली^{अ.स.} मेरे बाद हर मुअमिन मर्द व मुअमिना औरत के वली हैं। इस सिलसिले में यह भी निहायत मशहूर व मअरुफ़ रिवायत है कि आयते करीमा : "अफमन कान: अला बय्यिनतिन मिन्-रब्बिही" से रसूलल्लाह^{स.अ.व.} मुराद है उसके बाद से "व यत्लूहो शाहिदुम मिनहो " से कौन मुराद है तो इस सिलसिले में रसूले अकरम^{स.अ.व.}

का ये इर्शाद है कि “मैं अली^{अ.स.} से हूँ और अली^{अ.स.} मुझ से है। इससे साबित होता है कि अमीरुल मुअमिनीन^{अ.स.} अली इब्नि अबी तालिब^{अ.स.} वही शाहिद हैं जो आपके साथ—साथ हैं और आपकी उम्मत पर आपके बाद शाहिद व हुज्जत हैं और ऐसे इमाम हैं जिसकी इताअत करना फर्ज है और आपके वैसे ही वसी हैं जैसे हारुन^{अ.स.} मूसा^{अ.स.} के वसी थे।

रसूलल्लाह^{स.अ.व.} का अली^{अ.स.} से फरमाना कि ऐ अली^{अ.स.} मेरे नज़दीक तुम्हारा वही मरतबा है जो मूसा^{अ.स.} के नज़दीक हारुन^{अ.स.} का था। रसूले खुदा^{स.अ.व.} के इस इर्शादे गिरामी का सिर्फ यही एक फहवा व मतलब हो सकता है कि अली रसूलल्लाह^{स.अ.व.} के बाद आपकी उम्मत के खलीफा हैं। जैसा कि मूसा^{अ.स.} ने हारुन^{अ.स.} से फरमाया था कि तुम मेरी उम्मत में मेरे काइम मकाम और खलीफा हो।

अगर हम मसअला खिलाफत के बारे में अखबार व रिवायात और हुज्जत व दलील पेश करें तो ये एहम काम इस किताब की हद से बाहर है। और इस किताब के हर बाब में जो मौजू है उसे उसके तमाम मसाइल पर पूरी रोशनी डालना चाहें तो उसके लिये हमें एक अलग किताब तसनीफ करनी होगी। और नाज़रीन को मालूम है कि हम ने इस किताब के शुरू में ये शर्त लगा रखी है कि हम इस किताब में ऐसे मुखतसिर अक्वाल पेश करेंगे जो अक्लमन्दों के लिये काफी हों।

وَاللّٰهُ الْمَوْفِقُ لِلصّٰوَابِ

वल्लाहुल मुवफिको लिस्सवाब।

वलायते अइम्मा अहलेबैत^{अ.स.}

कुराने हकीम में परवरदिगारे आलम का इर्शाद है कि :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ

या अय्योहल लज़ीन: आमनू अतीउल्लाह: व अतीउर रसूल: व उलिल अमरि मिनकुम 5—4/59 तर्जुमा : ऐ ईमान वालों तुम अल्लाह का कहना मानो और रसूल^{स.अ.व.} का कहना मानो और तुममें जो साहिबाने अम्र है उन का भी कहना मानो फिर अगर तुम किसी अम्र में बाहम इखतिलाफ करने लगो तो उस अम्र को अल्लाह व रसूल^{स.अ.व.} की तरफ हवाला कर लिया करो। इमाम बाकिर^{अ.स.} से रिवायत है कि एक मर्तबा किसी साइल ने जब आपसे मज़कूरा बाला

आयत के मुताल्लिक पूछा तो आपने फरमाया कि कुरआने हकीम में अल्लाह तआला का इर्शाद है कि :

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيْبًا مِّنَ الْكِتَابِ يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوتِ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ
كَفَرُوا هَؤُلَاءِ أَهْدَى مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلًا •

अलम तर: इलल लज़ीन: उतू नसीबम मिनल किताबि युअमिनून बिल जिबति वत्तागूति व यकूलून: लिल लज़ीन: कफरू हा उलाइ अहदा मिनल लज़ीन: आमनू सबीला 0 5-4/51 तर्जुमा : क्या तूने उन लोगों को नहीं देखा जिनको किताब का एक हिस्सा मिला है वो बुत और शैतान को मानते हैं और वो लोग कुपफार की निसबत कहते हैं कि ये लोग बनिसबत उन मुसलमानों के ज़्यादा राह रास्ते पर हैं। आपने फरमाया कि वो लोग गुमराह इमामो और जहन्नुम की तरफ दावत करने वालों के मुताल्लिक ऐसा कहते हैं कि वो आले मोहम्मद^{अ.स.} से ज़्यादा राह रास्ते पर हैं। उसके बाद इर्शादे बारी तआला है कि :

أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ ط وَ مَنْ يَلْعَنِ اللَّهُ فْلَنْ تَجَدَّ لَهُ، نَصِيرًا • أَمْ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّنَ
الْمُلْكِ فَإِذَا لَا يُؤْتُونَ النَّاسَ نَقِيرًا •

उलाइकल लज़ीन: ल:अन:हुमल्लाहो व मन्य यलअनिल्लाहो फलन तजिद: लहू नसीरा 0 अम लहुम नसीबुम मिनल मुल्कि फइज़ल ला युअतूनन्नास: नकीरा 0 5-4/52-53 तर्जुमा : ये वो लोग है जिनको खुदा तआला ने मलऊन बना दिया है और खुदा तआला जिसको मलऊन बना दे उसका कोई हामी न पाओगे। हां क्या उनके पास कोई हिस्सा है सल्तनत (यानि इमामत खिलाफत) का (अगर उनको कुछ हिस्सा हासिल होता) तो ऐसी हालत में वो और लोगों को ज़रा-सी चीज़ भी न देते। इमाम बाकिर^{अ.स.} फरमाते हैं कि इस आयत में "अन-नास" यानि लोगों से हमारी मुराद है गुटली के बीज में जो नुक़ता नज़र आता है उसको 'नकीर' कहते हैं।

أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَى مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ح

अम यहसुदूनन्नास: अला मा आताहुमुल्लाहो मिन फज़लिही 5-4/54 तर्जुमा : या दूसरे आदमियों से उन चीज़ों पर जलते हैं जो अल्लाह ने उनको अपने फज़ल से अता फरमाई हैं।

इमाम बाकिर^{अ.स.} फरमाते हैं कि हम वो लोग हैं जिनको अल्लाह तआला ने इमामत के बुलन्द तरीन मनसब से नवाज़ा है इसलिये लोग हमसे हसद करते हैं और उसके बाद इर्शाद बारी तआला है कि :

فَقَدْ آتَيْنَا آلَ إِبْرَاهِيمَ الْكِتَابَ وَ الْحِكْمَةَ وَ آتَيْنَهُمْ مُلْكًا عَظِيمًا •

फक़द आतैना आलः इब्राहीमल किताबः वल हिकमतः व आतैनाहुम मुल्कन अज़ीमा 5-4/54 तर्जुमा : सो हमने हज़रत इब्राहिम^{अ.स.} के खानदान को किताब दी है और हिकमत भी और हमने उनको बड़ी भारी सल्तनत भी दी है। यानि हमने आले-इब्राहिम^{अ.स.} में से अन्बिया व मुरसलीन और अइम्मा पैदा किये हैं। और आगे 57वी आयत के आखिर ज़िल्लन ज़लीला तक पढ़ जायें। उसके बाद अल्लाह तआला का इर्शाद है कि :

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا ۚ وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا •

इन्नल्लाहः यअ मुरुकुम अन तुअददुल अमानाति इला अहलिहा व इज़ा हकमतुम बैनन्नासि अन तहकुमू बिल अदलि इन्नल्लाहः निइम्मा यइज़िकुम बिही इन्नल्लाहः कानः समीअम बसीरा 5-4/58 तर्जुमा : बेशक तुमको अल्लाह इस बात का हुक्म देता है कि अहले-हुक्क को उनके हुक्क पहुँचा दो और ये कि जब लोगों का तसफिया (फैसले) किया करो तो अदल से तसफिया किया करो। बेशक अल्लाह जिस बात की तुमको नसीहत करता है वो बात बहुत ही अच्छी है बिला शक अल्लाह खूब सुनता है और खूब देखता है। इमाम बाकिर^{अ.स.} इस आयत की तशरीह करते हुए फरमाते हैं कि इस आयत में अमानत को अदा करने का जो हुक्म दिया गया है उससे हम मुराद हैं कि हमारा हर इमाम अपने बाद के आने वाले इमाम को किताबें, हथियार और उलूम जो अमानत हैं उनको सौंप दिया करे। और व इज़ा हकमतुम — का मतलब ये है कि जब तुम ग़ालिब आ जाओ तो लोगों के बीच इस अदल व इन्साफ के मुताबिक फैसला करो जो हमारी तरफ से तुम्हारे हाथों में दिया गया है। उसके बाद परवरदिगारे आलम ने (ऐ ईमान वालों) फरमाकर, क़यामत तक के मुअमिनीन से मुखातिब करके फरमा दिया है कि :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ

या अय्योहल लज़ीन: आमनू अतीउल्लाह: व अतीउर रसूल: व उलिल अमरि
मिनकुम 5-4/59 तर्जुमा : ऐ ईमान वालो! तुम अल्लाह और उसके
रसूल^{स.अ.व.} की इताअत करो और तुमसे जो साहिबाने अम्र हैं उनकी इताअत
करो। इमाम बाकिर^{अ.स.} फरमाते हैं कि इस आयते करीमा में अल्लाह व
रसूल^{स.अ.व.} की इताअत के बाद जिन साहिबाने अम्र की इताअत का हुक्म
दिया गया है उससे हम अइम्मा अहलेबैत^{अ.स.} मुराद हैं।

साइल ने अर्ज किया कि कुरआने हकीम में दूसरे मुकाम पर
खुदावन्दे तआला का इर्शाद है कि :

إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، الَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ •

इन्मा वलीय्युकुमुल्लाहो व रसूलुहू वल्लज़ीन: आमनू अल्लज़ीन: युकीमूनस्सलात:
व यूतूनज़ ज़कात: व हुम राकिऊन 6-5/55

तर्जुमा : तुम्हारे वली तो अल्लाह और उसके रसूल^{स.अ.व.} और वो ईमानदार
लोग हैं जो नमाज़ कायम करते हैं और रूकूअ की हालत में ज़कात देते हैं।

इमाम बाकिर^{अ.स.} फरमाते हैं कि ऐ साइल जो लोग नमाज़ कायम
करते हैं और रूकूअ की हालत में ज़कात देते हैं उनसे खुदावन्दे तआला ने
हमारी तरफ इशारा किया है। उसके बाद आपने फरमाया कि ऐ साइल!
कुरआने हकीम में खुदावन्दे तआला का तो ये भी इर्शाद है कि :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ •

या अय्योहल लज़ीन: आमनुत-तकुल्लाह: व कूनू मअस-सादिकीन 11-9/119
तर्जुमा: ऐ ईमान वालो! खुदा से डरो और सच्चे लोगों के साथ हो जाओ।
इमाम बाकिर^{अ.स.} ने फरमाया कि ऐ साइल! इस आयते करीमा में “सादिकीन”
से हम मुराद हैं। साइल ने अर्ज किया कि खुदावन्दे तआला का ये भी इर्शाद
है कि :

وَقُلْ أَعْمَلُوا فَسِيرَی اللَّهِ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ، وَالْمُؤْمِنُونَ ط

व कुलिअमलु फ-सयरल्लाहो अमलकुम व रसूलुहू वल मुअमिनून 11-9/105
तर्जुमा : ऐ रसूल^{स.अ.व.} आप कह दीजिये कि अमल किये जाओ पस अनकरीब
अल्लाह और उसके रसूल^{स.अ.व.} और मुअमिनीन तुम्हारे आमाल नामों को
देखेंगे। इमाम बाकिर^{अ.स.} ने फरमाया कि ऐ साइल इस आयत में अल्लाह व

रसूल^{स.अ.व.} के बाद जिन मुअमिनीन का तज़क़िरा किया गया है कि वो क़यामत के दिन मुअमिनीन का आमाल नामा देखेंगे। उन मुअमिनीन से हम मुराद हैं। साइल ने फिर अर्ज़ किया कि कुरआने हकीम में खुदावन्दे तआला का ये भी तो इर्शाद है :

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا ۝

व कज़ालिक: जअलनाकुम उम्मतं वसतन्ल लितकूनू शोहदाअ: अलन्नासि व यकूनर रसूलो अलैकुम शहीदा 2-2/143 तर्जुमा : और हमने तुमको एक ऐसी ही जमआत बना दी है जो निहायत एअतिदाल पर है ताकि तुम लोगों पर गवाह रहो और रसूल तुम पर गवाह रहें। इमाम बाकिर^{अ.स.} ने साइल से फरमाया कि हम अइम्मा अहलुल बैत^{अ.स.} उम्मते वसता (माध्यम) हैं और हमें खलाइक पर खुदा के गवाह और पुश्ते ज़मीन पर उसकी तरफ से हुज्जत मुक़र्रर किये गये हैं।

साइल ने इमाम बाकिर^{अ.स.} की खिदमत में फिर अर्ज़ किया कि आले इब्राहीम^{अ.स.} के मुतल्लिक खुदावन्दे तआला का ये इर्शाद है कि :

وَآتَيْنَهُم مَّلَكًا عَظِيمًا ۝

व आतेनाहुम मुल्कन अज़ीमा 5-4/54 (तर्जुमा) : और हमने उनको (यानी आले इब्राहीम^{अ.स.} को) बहुत बड़ी सल्तनत अता की थी आपने फरमाया के मुल्के अज़ीम से ये मुराद है कि परवरदिगारे आलम ने आले इब्राहीम^{अ.स.} में ऐसे जलीलुल क़द्र अइम्मा पैदा किये थे कि जिनकी इताअत अल्लाह की इताअत थी और जिनकी ना फरमानी अल्लाह की ना फरमानी थी। ए साइल यही वो मुल्के अज़ीम है जो परवरदिगारे आलम ने आले इब्राहीम^{अ.स.} को अता किया था। लेकिन अफसोस तो इस बात का है कि मुसलमानों को इसका तो इक़रार है कि आले इब्राहीम^{अ.स.} को मुल्के अज़ीम अता किया गया था यानि परवरदिगारे आलम ने आले इब्राहीम^{अ.स.} में जलीलुल क़द्र अइम्मा पैदा किये थे और जब यही मुल्क मुल्के-अज़ीम आले मुहम्मद^{स.अ.व.} को अता किया गया तो वो इसका इन्कार करते हैं।

साइल ने इमाम बाकिर^{अ.स.} की खिदमत में अर्ज़ किया है कि खुदावन्दे तआला का ये भी इर्शाद है कि :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ •

وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ ط

या अय्योहल लज़ीनः आमनू रकउ वस्जुदू वअबुदू रब्बकुम वफअलुल खैरः
लअल्लकुम तुफलिहून 0 वा जिहादू फिल्लाहि हक्कः जिहादिही 17-22/77-78
तर्जुमा : ऐ ईमान वालो! तुम रुकूअ किया करो सजदा किया करो और अपने
रब की इबादत किया करो और नेक काम किया करो उम्मीद है कि तुम
फलाह पाओगे और खुदा की राह में जिहाद करो जैसा कि जिहाद करने का
हक है।

इस सूरअः को आखिर तक पढ़ जाइये तो आपको हुवज—तबाकुम —
— हुवः सम्माकुमुल मुस्लिमीनः अलफाज़ मिलेंगे और साथ—साथ मिल्लते
इब्राहिम^{अ.स.} का भी तज़क़िरा किया गया है। इमाम बाकिर^{अ.स.} ने साइल से
फरमाया कि हम वो अइम्मा अहलेबैत^{अ.स.} हैं जिनको हमारे जद्दे आला हज़रत
इब्राहिम^{अ.स.} की मिल्लत के लिये मुनतख़िब कर लिया गया है और परवरदिगारे
आलम ने किताबों में शुरु ही से हमारा नाम 'मुस्लिमीन' रखा है। पस
कुरआने हकीम में भी हमारा नाम "मुस्लिमीन" रखा है इसी कुरआन में है
ताकि रसूल तुम पर गवाह हो। पस तुम्हे मालूम हो कि रसूले खुदा^{स.अ.व.} हम
पर इस चीज़ के शाहिद है जो आपने हम तक खुदा की जानिब से पहुंचाया
है। और हम दूसरे लोगों पर गवाह मुकरर हैं लिहाज़ा क़यामत के रोज़ जो
शख्स सच—सच कहेगा हम उसकी तस्दीक करेंगे और जो झूठ बोलेगा
उसकी हम तकज़ीब करेंगे।

साइल ने इमाम बाकिर^{अ.स.} की खिदमत में अर्ज किया कि कुरआने
हकीम में खुदावन्दे इज़्ज़ः व जल शानहू का इर्शाद है कि :

بَلْ هُوَ آيَاتٌ مِّنْ بَيْنَاتٍ فِي صُورِ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ ط

बल हुवः आयातुम बय्यिनातुन फी सुदूरिल लज़ीनः ऊतुल इल्म 21-29/49
तर्जुमा : बल्कि वो उन लोगों के दिलों में जिनको इल्म अता किया गया है
वाज़ेह दलीले हैं। आप^{अ.स.} ने फरमाया कि खुदावन्दे तआला ने इस आयते
करीमा में जिन लोगों की तरफ इशारा किया है वो हम ही लोग हैं जिनको
इल्म अता किया गया है। साइल ने फिर अर्ज किया कि खुदावन्दे तआला
का ये भी इर्शाद है कि :

قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ ۖ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ •

कुल कफा बिल्लाहि शहीदम बैनी व बैनकुम व मन इन्दहू इल्मुल किताब 13-13/43 तर्जुमा : ऐ पैगम्बर^{स.अ.व.} आप फरमा दीजिये कि मेरे और तुम्हारे दरमियान अल्लाह और वो शख्स जिसके पास किताब का इल्म है काफी गवाह हैं आपने फरमाया कि इस आयत में जिनके पास किताब का इल्म है इससे हम अइम्मा अहलेबैत^{अ.स.} मुराद हैं। सरवरे कायनात मोहम्मदुन रसूलल्लाह^{स.अ.व.} के बाद अमीरुल मुअमिनीन अली इब्नि अबी तालिब^{अ.स.} हम अइम्मा अहलेबैत^{अ.स.} में सबसे अव्वल और सबसे अफज़ल व बरतर हैं। साइल ने फिर अर्ज किया कि खुदावन्दे तआला का इर्शाद है कि :

وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَّكَ وَلِقَوْمِكَ ۖ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ •

व इन्नहू ल ज़िकरुल लकः व लि कौमिकः व सोफः तुसअलून 0 25-43/44 तर्जुमा : और यह कुरआन आप^{स.अ.व.} के लिये और आपकी कौम के लिये बड़े शरफ की चीज़ है और अनकरीब तुमसे इसके मुताल्लिक पुछा जायेगा। आपने साइल से फरमाया कि “ज़िक्र” से हम मुराद हैं। वो “अहले ज़िक्र” हमी हैं जिनके मुताल्लिक क़यामत के दिन पुछा जायेगा। साइल ने फिर अर्ज किया कि खुदा वन्दे तआला का इर्शाद है कि :

إِنَّمَا أَنْتَ مُنْذِرٌ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ •

इन्नमा अन्तः मुनज़िरुन् वलिकुल्लि कौमिन हाद 13-13/7 तर्जुमा : ऐ रसूल^{स.अ.व.} आप सिर्फ़ डराने वाले हैं और हर कौम के लिये एक हादी है। इमाम बाकिर^{अ.स.} ने साइल से फरमाया कि इस आयत में “अन्तः मुन्ज़िर” यानि डराने वाला से रसूले खुदा^{स.अ.व.} मुराद है और “हादी” से हम अइम्मा अहलेबैत^{अ.स.} मुराद हैं। क्योंकि हर ज़माने में अहलेबैते रसूल^{अ.स.} से एक इमाम होता है जो लोगों को रसूलल्लाह^{स.अ.व.} की तालीमात की तरफ़ हिदायत व रहनुमाई करता है। पस तुमको मालूम हो कि रसूलल्लाह^{स.अ.व.} के बाद हम अइम्मा अहलेबैत^{अ.स.} में सबसे पहले “हादी” अमीरुल मुअमिनीन अली इब्नि अबीतालिब^{अ.स.} थे फिर आपके बाद आपके औसिया यानि हम अइम्मा अहलेबैत^{अ.स.} इक के बाद दिगर हादी व इमाम—ए—ज़माना हैं।

साइल ने फिर अर्ज किया कि कुरआने हकीम में खुदावन्दे जल शानहू का इर्शाद है कि :

وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ

व मा यअलमो तावीलहु इल्लल्लाहो वर्रासिखूनः फिल इल्म 3-3/7 तर्जुमा : और उसकी तावील यानि सही मतलब अल्लाह और इल्म में पुख्ताकार लोगों के सिवा कोई नहीं जानता। आपने फरमाया कि ऐ साइल रसूले खुदा^{स.अ.व.} अपने एहद मुबारक में इल्म में पुख्ताकार लोगों में सबसे अफज़ल व बड़तर थे क्योंकि खुदावन्दे तआला ने आप पर जो कुछ भी तनज़ील व तावील नाज़िल फरमाई है उन तमाम का इल्म आपको हासिल था। आप पर जो चीज़ भी नाज़िल होती थी आप^{स.अ.व.} उसकी तावील बखूबी जानते थे और आपके बाद औसिया यानि अइम्मा ताहिरीन^{अ.स.} जो इल्म में पुख्ताकार है उनको तमाम तावीलात का पूरा-पूरा इल्म था। साइल ने अर्ज़ किया कि खुदावन्दे करीम का ये भी इर्शाद है कि :

ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ ۖ وَمِنْهُمْ مُّقْتَصِدٌ ۖ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ ۖ إِذْنِ اللَّهِ ۗ ذَٰلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ ۝

सुम्मः अवरसनल किताबल लज़ीनस तफेना मिन इबादिना फ मिनहुम ज़ालिमुन्ल लि-नफसिही व मिनहुम मुक़तसिदुन व मिनहुम साबिकुम बिल खैराति बिइज़िन्ल्लाहि ज़ालिकः हुवल फज़लुल कबीर 0 22-35/32 तर्जुमा : फिर हमने किताब का वारिस उन लोगों को बनाया जिनको हमने अपने बन्दों में से चुन लिया था। पस उनमें से कितने ऐसे हैं जो अपनी जानों पर जुल्म करने वाले हैं और उनमें से कितने मयाना रवी इख्तियार करने वाले हैं और उनमें से कितने तो खुदा की तौफीक से नेकियों में सबक़त ले जाने वाले हैं ये बड़ा फज़ल है। इमाम बाकिर^{अ.स.} ने इस आयते करीमा की तशरीह करते हुए साइल से फरमाया कि इस आयत में भी परवरदिगारे आलम ने हम अइम्मा अहलेबैत^{अ.स.} की तरफ इशारा फरमाया है सो तुम्हें मालूम हो कि “साबिक” हम अइम्मा अहलेबैत^{अ.स.} में से हर दौर का इमाम मुराद है और “मुक़तसिदुन” यानी मियाना रवी इख्तियार करने वाले से मुराद इमाम के हुकूक की मारिफत रखने वाला है और अपने नफस पर जुल्म करने वाले से वो शख्स मुराद है जो शक में मुबतिला है और हमसे दूरी इख्तियार किये हुए है। रहा अवाम का ये ख्याल कि आयते करीमा :

ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا.....

सुम्म: अवरसनल किताबल लज़ीनस तफेना — मैं उन्ही लोगों को मुनतखिब कर लेने की तरफ का इशारा किया गया है अगर उनके ख्याल के मुताबिक इस बात को तसलीम कर लिया जाये तो उस सूरत में अवाम सबके सब मुनतखिब और चुनिंदा हुए और तमाम के तमाम दाखिले जन्नत हुए जैसा कि खुदावन्दे तआला ने इस आयते करीमा में इर्शाद फरमाया है कि :

جَنَّتْ عَدْنٌ يَدْخُلُونَهَا

जन्नातो अदनिय यदखुलूनहा 22-35/33 तर्जुमा : वो हमेशा बाकी रहने वाले बागात है जिनमें ये लोग दाखिल होंगे। अवाम ने जिस तरह से आयते करीमा सुम्म: अवरसनल किताबल लज़ीन की तावील की है कि इस आयत में मुनतखिब लोगों से उन्ही को मुराद किया गया है ठीक उसी तरह उन्होंने इस आयत की तावील में दो किस्म के कौल कहे हैं जिस आयत का ज़िक्र हमने इस बाब के आगाज़ में किया है वो आयते करीमा ये है कि :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ

या अय्योहल लज़ीन: आमनू अतीउल्लाह: व अतीउर रसूल: व उलिल अमरि मिनकुम 5-4/59 (तर्जुमा) : ऐ ईमानवालों! तुम अल्लाह और रसूल की इताअत करो और तुमसे जो साहिबाने अम्र है उनकी इताअत करो।

अवाम में बाअज़ का ये ख्याल है कि इस आयते करीमा में खुदावन्दे तआला ने जिन उलुल अम्र की इताअत को वाजिब करार दिया है वो उमराए लश्कर है और बाअज़ ये कहते हैं कि उलुल अम्र से वो अहले इल्म यानि उलमा मुराद है जो दर्जा-ए-इफ्ताअ पर फाइज़ है। अवाम के इन दोनों अक़वाल का मतलब बेबुनियाद है। क्योंकि जो लोग ये कहते हैं कि उलुल अम्र से सरदाराने लश्कर मुराद है तो गोया उन्होंने ये कहकर अपने उन इमामों पर उन सारदाराने लश्कर को फज़ीलत दे दी जिन्होंने उनको लश्कर का सरदार बनाया था और इस तरह अवाम ने अपने इस कौल से उलटे इमामों पर सरदाराने लश्कर की इताअत वाजिब कर दी और साथ-साथ तमाम मुअमिनीन पर उमराए लश्कर की इताअत वाजिब कर दी क्योंकि आयते करीमा या अय्योहल लज़ीन: में तमाम मुअमिनीन से खिताब करके उलुल अम्र की इताअत का हुक्म दिया गया है इसलिए उलुल अम्र की इताअत में हर एक मुअमिन दाखिल है और ये मुमकिन नहीं कि उलुल अम्र की इताअत से एक मुअमिन को दूसरे मुअमिन के मुकाबले में अलग करार

दिया जाये हालांकि कुरआने हकीम में इस्तिस्ना (अलग करने, छूट) की कोई ऐसी दलील पाई जाये या पैगम्बर^{स.अ.व.} का कोई बयान होना चाहिये कि जिनको बयान का पूरा हक हासिल था। तो मालूम होना चाहिये कि अवाम को कुरआन व हदीस में कोई ऐसी दलील न मिलेगी। इसके अलावा ये भी एक हकीकत है कि वो लश्कर के सरदार की इताअत लश्करीयों के अलावा जो लोग हैं उन पर वाजिब व फर्ज तसब्बुर नहीं करते तो गोया खुद उन्होंने अपनी ज़बान से अपना ये दावा बातिल व रद्द कर दिया कि उलुल अम्र से मुराद सरदार लश्कर है।

अब रहे वो लोग जो ये कहते हैं कि उलुल अम्र से मुराद उलमा हैं और वह उलमा अइम्मा हैं तो उन अवामी उलमा का हाल ये है कि वो सबके सब आपस में इख़िलाफ़ राय रखते हैं। अगर उन में से किसी एक आलिम की इताअत की जाये तो दूसरे की नाफरमानी होती है। क्योंकि जब मुअमिन इन उलमा-ए-जमहूर में से एक आलिम की पैरवी करेगा तो उस सूरत में यकीनन दूसरे आलिम की नाफरमानी होगी क्योंकि वो उसी मस्अले में अपनी दूसरी राय रखता है। हालांकि ये बात बिल्कुल साफ़ और वाज़ेह है कि परवरदिगारे आलम ने अपने बन्दों को ऐसे उलमा की इताअत का हुक्म कभी नहीं दिया है कि जो आपस में इतना इख़िलाफ़ रखते हों कि मामूर (अम्र मानने वाला) को ये भी मालूम न हो सके कि उनमें से किसकी इताअत का हुक्म उसको दिया गया है। लिहाज़ा ये कौल भी बिल्कुल बे बुनियाद है कि उलुल अम्र से उलमा ए जमहूर मुराद हैं। इस राय और ख्याल का ज़ाहिरी पहलू इतना कमज़ोर है कि इसके काइल पर किसी किस्म की हुज्जत व दलील करने की कोई ज़रूरत नहीं है। दरअसल उलुल अम्र कहला ने के ज़्यादा हकदार तो वो अइम्मा अहले बैत^{अ.स.} हैं जिन के कब्ज़े में तमाम उमूरे शरइया हैं और सही माअनों में वही अम्र के वाली व सरपरस्त हैं अगर कोई साहिबे फेहम व बसीरत इस बात पर ग़ोरो फ़िक्क़ करे तो उसके नज़दीक उलुल अम्र का मफहूम बिल्कुल वाज़ेह और रोशन हो जायेगा।

और ये भी कितनी ना माअकूल बात है कि खुदा अपनी और अपने रसूल^{स.अ.व.} की इताअत में किसी ऐसे शख्स की इताअत को शामिल करके अपनी मखलूक से उसकी इताअत करवाये जिसका हुक्म हर उस काम में जिसका तआल्लुक खुदा की जमीन में एहकामे इलाही को काइम करना है इस तरह नाफिज़ व जाइज़ ही न हो जिस तरह कि खुदा और रसूल^{स.अ.व.} का अम्र नाफिज़ व जाइज़ है? अब रहे अवाम में से वो लोग जो ये कहते हैं

के उलुल अम्र से मुराद सरदार लश्कर और उलमा हैं तो उन्हें हमारी इस बात पर ग़ोरो फ़िक्र करना चाहिये कि उनके इस ख्याल के मुताबिक़ तो खुद सरदार लश्कर को इमामो की इताअत करनी चाहिये क्योंकि उन्ही ने तो उन को वो सरदारी और क़यादत अता की है जिसकी वजह से वो इस बात के मुस्तहक़ हुए कि जिन लोगों का उन्हें सरदार बनाया गया है। वो उनकी इताअत करे। रहे वो लोग जो ये कहते हैं कि उलुल अम्र से मुराद उलमा हैं तो उन्हें भी मालूम होना चाहिये कि अइम्मा अहले बैत^{अ.स.} ही वो हकीकी उलमा हैं जिनके मुकाबिल में दूसरे तमाम उलमा का दर्जा कम तर है वो इल्म व फज़लो कमाल में हर लिहाज़ से अफज़ल व बड़तर हैं।

इमाम जअफरुस्सादिक^{अ.स.} से मनकूल है कि हसन बिन सालेह बिन हेय और अली बिन सालेह बिन हेय दोनों ने आपसे खुदावन्दे तआला के इस इर्शाद के बारे में पूछा कि :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ ؕ

या अय्योहल लज़ीन: आमनू अतीउल्लाह: व अतीउर रसूल: व उलिल अमरि
मिनकुम 5-4/59 (तर्जुमा) : ऐ ईमान वालो! अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करो और तुममें से जो साहिबाने अम्र है उनकी इताअत करो। इस आयते करीमा में उलुल अम्र से कौन लोग मुराद है? आप सादिक़ आले मोहम्मद^{अ.स.} ने फरमाया कि उलुल उम्र से उलमा मुराद है। जब दोनों आपके पास से उठकर बाहर चले गये तो अली बिन सालेह ने कहा गज़ब हो गया हमने ये तो पूछा ही नहीं कि वो उलमा कौन है? दोनों फिर इमाम जअफरुस्सादिक^{अ.स.} की खिदमत में हाज़िर हुए और आपसे दरयाफ़्त किया कि उलमा से कौन मुराद है? आपने फरमाया कि अहलेबैत रसूल^{अ.स.} में से जो इमामत के मर्तबा-ए-उज़मा पर फाइज़ है वो मुराद है। इमाम बाकिर^{अ.स.} से मरवी है कि आपने आयते करीमा :

وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِيَ الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنَظُّونَهُ مِنْهُمْ ؕ

व लो रदुहो इलर रसूलि व इला उलिल अमरि मिनहुम लअलिमहुल लज़ीन:
यस्तमबितूनहु मिनहुम 5-4/83 तर्जुमा : और अगर ये लोग इस (बात) को रसूल^{स.अ.व.} के और उन लोगों के सामने जो साहिबाने अम्र हैं पेश करते तो उन में से जो बात की तैह तक पहुँच जाने वाले हैं वो असल हकीकत मालूम कर लेते उसके मुताल्लिक़ फरमाया कि जो बात की तैह तक पहुँच जाने

वाले हैं उनसे अइम्मा अहलेबैते रसूल^{अ.स.} मुराद हैं जिनको परवरदिगारे आलम ने वो इल्म अता किया है कि जिससे वो मामले की तैह तक पहुंच जाते हैं इसलिये खुदावन्दे तआला ने इस आयते करीमा में उनकी इताअत को आम तौर से वाजिब करार दे दिया है कि :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ

या अय्योहल लज़ीन: आमनू अतीउल्लाह: व अतीउर रसूल: व उलिल अमरि
मिनकुम 5-4/59 तर्जुमा : यानी अल्लाह व रसूल की इताअत करो और तुममे से जो साहिबाने अम्र है उनकी इताअत करो।

इमाम जअफरुस्सादिक^{अ.स.} से रिवायत है आपने एक शख्स को जो बैतुल्लाह का तवाफ दे रहा था ये कहते हुए सुना कि :

اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِنَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِآيَةِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخْرُؤْا عَلَيْهَا ضَمًّا وَعُمِيَانًا

अल्लाहुम्मज अलनी मिनल लज़ीन: इज़ा जुक्किरु बिआयाति रब्बिहिम लम यखिररु अलैहा सुम्मव व उमयाना 19-25/73 तर्जुमा : ऐ परवरदिगार तू मुझे उन लोगों में से बना जिस वक्त उनके सामने अल्लाह की आयतों का तजकिरा होता है तो अन्धे-बहरे बनकर नहीं गिरते। (बल्कि गोर से सुनते हैं।)

رَبِّ اجْعَلْنِي مِنَ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَرْوَاحِنَا وَذُرِّيَّتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا

لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا •

रब्बिज़ अलनी मिनल लज़ीन: यकुलून: रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व जुर्रियातिना कुरत: अअयुनिव वजअलना लिलमुत्तकीन: इमामा 0 19-25/74 तर्जुमा : ऐ मेरे परवरदिगार तू मुझे उन लोगों में से बना जो ये कहते हैं कि ऐ हमारे रब तू हमारी बीबियों और औलाद की तरफ से आंखों की ठंडक अता फरमा और हमको परहेज़गारों का इमाम बना दे। आपने उस शख्स से फरमाया कि ऐ शख्स तूने अपने परवरदिगार से अपनी हैसियत से बढ़कर सवाल किया है तूने खुदावन्दे तआला से ये सवाल किया है वो तुझे परहेज़गारों का ऐसा इमाम बना दे जिसकी इताअत फर्ज की गई हो। उस वक्त आपके असहाब में से किसी ने कहा कि ऐ सादिक आले मोहम्मद^{अ.स.} मैं आप पर कुर्बान जाऊँ पहली आयत में किन लोगों की तरफ इशारा है?

आपने फरमाया कि वो तुम्हारे मुताल्लिक है। फिर उन्होंने पूछा कि दूसरी आयत में किन लोगों की तरफ इशारा किया गया है? इमाम जअफरुस्सादिक^{अ.स.} ने फरमाया कि दूसरी आयत हमारे लिये उतरी है।

इमाम जअफरुस्सादिक^{अ.स.} से रिवायत है आपने आयते करीमा :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ

या अय्योहल लज़ीन: आमनू अतीउल्लाह: व अतीउर रसूल: व उलिल अमरि
मिनकुम 5-4/59 तर्जुमा : ऐ ईमानवालों! तुम अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करो और तुममें से जो साहिबाने अम्र हैं उनकी इताअत करो इसके मुताल्लिक फरमाया कि हम अइम्मा अहलेबैत^{अ.स.} में से जो इमामे ज़माना है वही उलुल अम्र हैं और इसकी इताअत फर्ज की गई है।

इमाम जअफरुस्सादिक^{अ.स.} से रिवायत है आपसे रसूले खुदा^{स.अ.व.} के इस इर्शादे गिरामी के मुताल्लिक पूछा गया कि :

مَنْ مَاتَ لَا يَعْرِفُ إِمَامَ دَهْرِهِ حَيًّا مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً

मन मात: ला यअरिफो इमाम: दहरिही हय्यम मात: मीततन जाहिलिय्यतन
यानि जो शख्स अपने जिन्दा इमामुज़ ज़माना की मारिफत किये बगैर वफात पा गया तो वो जाहिलियत की मौत मर गया, आपसे पूछा गया कि आया वो शख्स जाहिलियत की मौत मर गया जो आले मोहम्मद^{अ.स.} में से हो या गैर आले मोहम्मद^{अ.स.} में से हो? आपने फरमाया कि जो इमाम के वजूद ही का मुन्किर हो वो जाहिलियत की मौत मरता है चाहे वो मुन्किरे इमाम आले मोहम्मद^{अ.स.} में से हो या उन में से न हो उसकी यहां पर कोई फर्क नहीं है।

इमाम जअफरुस्सादिक^{अ.स.} से रिवायत है आपसे खुदावन्दे तआला के इस इर्शादे गिरामी के मुताल्लिक पूछा गया कि :

إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّلْمُتَوَسِّمِينَ •

इन्न: फी ज़ालिक: ल आयातिल लिल मुत:वस्सिमीन 14-15/75 तर्जुमा :
यकीनन इसमें अहले बसीरत के लिये निशानियां हैं। आपने फरमाया कि मुतवस्सिमीन यानि अहले बसीरत से वो अइम्मा अहलेबैत^{अ.स.} मुराद है जो हर चीज़ को नूरे खुदावन्दे की रोशनी में देखते हैं लिहाज़ा तुम पहचान लेने की ताकते आले मोहम्मद^{अ.स.} से हमेशा डरते रहो।

रसूले अकरम^{स.अ.व.} से मरवी है आपने एक मर्तबा अमीरुल मुअमिनीन मौलाना अली इब्ने अबीतालिब^{अ.स.} से फरमाया कि ऐ अली^{अ.स.}! तुम और

तुम्हारे फरज़न्दों में से जो औसिया यानि अइम्मा हैं वो जन्नत और जहन्नम के दरमियान खुदा के अअराफ हैं। जन्नत में वही शख्स दाखिल होगा जिसको तुम पहचानते होंगे और वो तुमको पहचानता होगा और जहन्नम में भी वही शख्स दाखिल होगा जो तुमहारी वसायत व इमामत का मुन्किर होगा। और जिसको पहचानने से तुमने इन्कार कर दिया होगा। ये है अअराफ की वाज़ेह और रोशन तावील जिसके सिवा कोई और तावील जाइज़ व दुरुस्त नहीं हो सकती जैसा कि अवाम का ख्याल है कि असहाबे अअराफ से वो लोग मुराद हैं जो अपने आमाल की वजह से न तो जन्नत में दाखिल हो सके और न जहन्नम में बल्कि वो जन्नत और जहन्नम के दरमियान ही रुक गये। अवाम की ये तावील कैसे दुरुस्त हो सकती है जबकि परवरदिगारे आलम ने आखिरत में जन्नत व जहन्नम के सिवा बन्दों के आमाल की जज़ा व सज़ा के लिये कोई और घर ही नहीं बनाया है। जन्नत व जहन्नम दो किस्म के लोगों के दरजात व मनाज़िल हैं। जो अहले जन्नत हैं वो जन्नत में अपने आमाले हुस्ना के मुताबिक उसी दर्जे में क़याम करेंगे जिसके वो मुस्तहक हैं इसी तरह अहले दोज़ख अपनी बद आमालियों की वजह से जहन्नम के उसी दर्जे में दाखिल होंगे जिसके वो मुस्तहक हुए हैं। लिहाज़ा जो शख्स ज़र्रा बराबर भी अज़ाबे इलाही का मुस्तहक न होगा वो रहमतें इलाही की पनाह और साये में होगा। पस ये बात समझ में नहीं आती कि असहाबे अअराफ का ऐसा हाल क्यूं कर होगा जैसा कि अवाम का ख्याल है कि न तो जन्नत में दाखिल होंगे न जहन्नम में इसका मतलब यह हुआ कि उन्हे जन्नत में दाखिल होने से रोका गया है और वो खुदा की रहमत से दूर रखे गये हैं। हालांकि कुरआने हकीम में खुदावन्दे तआला ने असहाबे अअराफ की शान में यह कहा गया है कि वो क़यामत के रोज़ लोगों को उनकी पेशानियों से ताड़ लेंगे (पहचान लेंगे)। वो अहले दोज़ख को उनके गुनाहों पर मुत्तलिअ करेंगे और उनको खूब उलाहना देंगे और कहेंगे कि :

مَا أَغْنَىٰ عَنْكُمْ جَمْعُكُمْ وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ • أَهْلَ الْأَذْنَانِ أَقْسَمْتُ لَا يُنَالُهُمُ اللَّهُ بِرَحْمَةٍ ۝

मा—अगना अनकुम जमउकुम व मा कुनतुम तसतकबिरुन: अ—हा—उलाइल लज़ीन: अकसमतुम ला यनालुहुमुल्लाहो बि—रहमतिन 8-7/48-49 तर्जुमा : तुम्हारी जमाअत और तुम्हारा अपने को बड़ा समझना तुम्हारे कुछ काम न

आया। क्या ये वही लोग हैं जिनकी निस्वत तुम क़सम खाकर कहा करते थे अल्लाह तआला उन पर रहमत न करेगा।

अवाम असहाबे अअराफ़ से अहले जन्नत की एक जमाअत मुराद लेते हैं वो दूसरे जन्नती लोगों से मुखातिब होकर कहेंगे कि तुम पर सलाम हो तुम बिला हुज़्न व मलाल और खौफ़ व खतर जन्नत में दाखिल हो जाओ दूसरे लोग भी उनको अपनी मदद के लिये पुकारेंगे और उनकी शफाअत के उम्मीदवार होंगे।

खुदावन्दे तआला ने कुरआने हकीम में असहाबे अअराफ़ का ज़िक्र करके उनके बुलन्द मक़ाम की तरफ़ इशारा फरमाया है कि वो खुदा की तरफ़ से उसकी मखलूक़ पर गवाह और उसके बन्दों पर हुज्जत मुक़रर हैं। गर्ज़ असहाबे अअराफ़ खुदावन्दे तआला के नज़दीक़ अजीमुश-शान क़द्र व मनज़िलत के मालिक हैं। अरबी ज़बान में अर्फ़ किसी चीज़ के बुलन्दतर हिस्से को कहते हैं। जैसा कि मुर्गे की कलन्गी और घोड़े की अयाल (सर के बाल) को अर्फ़ कहा जाता है। उसकी जमाअ अअराफ़ है। बाअज़ माहिरीन लुगत का ख़्याल है कि अरबों के नज़दीक़ हर बुलन्द शय अअराफ़ है। चुनांचे इसी ख़्याल से रेत के ढेर को अअराफ़ कहा जाता है।

अवामुन्नास के बाअज़ मुफ़स्सरीन

وَنَادَىٰ أَصْحَابُ الْأَعْرَافِ

व नादा अस्हाबुल एअराफ़ि 8-7/48 तर्जुमा : और असहाबे अअराफ़ ने आवाज़ दी। इस आयत की तफ़सीर करते हुए लिखते हैं कि असहाबे अअराफ़ से यहां वो लोग मुराद हैं जो जन्नत व जहन्नम के दरमियान एक ऊंचे टेकरे पर होंगे। और बाअज़ मुफ़स्सिर ये कहते हैं कि असहाबे अअराफ़ जन्नत व जहन्नम के दरमियान एक बुलन्द दीवार पर होंगे। ये मुफ़स्सरीन कहते हैं कि महज़ बुलन्दी की वजह से अअराफ़ कहा गया है मुफ़स्सरीन की इस जमाअत ने मुन्किरे आरिफ़ और जाहिल मुफ़स्सिर की सूरत में ज़रूर हक़ के गिर्द चारों तरफ़ चक्कर लगाया मगर दरे मक़सूद हासिल न हुआ हम खुदावन्दे तआला से हैरत व जलालत और हक़ बात के इन्कार व जहालत से पनाह मांगते हैं। किताबे इलाही की अकसर अवामी तावीलें इसी किस्म के फ़साद व बुल्लान पर आधारित हैं। हम तफ़सीर बिल राये और हक़ की मुखालिफ़त में हवा नफ़सी के घोड़े पर सवार होने से खुदा की पनाह मांगते हैं।

असहाबे अअराफ के मुताल्लिक आवाम की ये 'राये' की उनसे एक ऐसी जमाअत मुराद है जो न जन्नत में होगी न जहन्नम में। ये इतनी गलत तावील है कि इसके गलत व फासिद होने के लिये किसी किस्म की दलील व हुज्जत पेश करने की ज़रूरत नहीं है। अवाम के मुफस्सिरिन की अक्सर तावीलें उनकी आराअ (अंदाज़ो, राय) का नतीजा है खुदावन्दे तआला हमें अपनी किताब कुरआन पाक की हलाल व हराम बातों की तावील बिल राये करने के तसव्वुर से भी मेहफूज़ रखें। रसूले अकरम^{स.अ.व.} से मरवी है आप फरमाते हैं कि मुझको यह हुक्म दिया गया है कि मैं अपने परवरदिगार के एहकाम की इताअत करूँ और मेरे अहलेबैत^{अ.स.} में जो अइम्मा हैं उनको मेरी सुन्नत और एहकामे इलाही की इताअत का हुक्म दिया गया है और उनके सिवा तमाम लोगों को अल्लाह तआला की इताअत और मेरी इताअत और मेरे अहलेबैत^{अ.स.} में से जो अइम्मा हैं उन की इताअत का हुक्म दिया गया है पस याद रखो जिसने अइम्मा अहलेबैत^{अ.स.} की पैरवी की उसने निजात पाई और जिसने उनका दामन छोड़ दिया वो हलाक हो गया और यकीनन खारजी के सिवा अहलेबैत^{अ.स.} का दामन कोई और न छोड़ेगा।

इमाम जअफरुस्सादिक^{अ.स.} से रिवायत है कि :

وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولَى الْأَمْرِ مِنْهُمْ

व लो रदूहो इलर रसूलि व इला उलिल अमरि मिनहुम 5-4/83 तर्जुमा : और अगर यह लोग इस बात को रसूल^{स.अ.व.} के और उन लोगों के सामने जो साहिबाने अम्र हैं पेश करते हैं। जब आप से पूछा गया कि आयते मज़कूरा में साहिबाने अम्र से कौन लोग मुराद हैं? तो आप ने फरमाया कि हम अइम्मा अहलेबैत^{अ.स.} वो उलिल अम्र हैं जिन के सामने सवाल पेश करने का हुक्म दिया गया है।

एक शख्स ने सादिक आले मुहम्मद^{अ.स.} की खिदमत में अर्ज किया कि मेरी जान आप पर कुरबान हो हमारे यहां कुछ ऐसे लोग भी हैं जो यह कहते हैं कि :

فَسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ •

फसअलू अहलज़ ज़िकरि इन कुनतुम ला तअलमुन 14-16/43 तर्जुमा : सो अगर तुम को इल्म नहीं तो अहले इल्म से पूछ देखो। वो कहते हैं कि "अहले ज़िक्र" से उलमा—ए—यहूद मुराद हैं आपने यह सुन कर तबस्सुम

फरमाया और साइल से मुखातिब हो कर कहा कि कसम बखुदा फिर तो वो लोगों को अपने ही दीन की तरफ दावत करेंगे यह नामुमकिन है कि खुदावन्दे तआला लोगों को उलमा-ए-यहूद से सवाल करने का हुक्म दे बल्कि हम अइम्मा अहलेबैत^{अ.स.} वो अहले ज़िक्क हैं जिनके सामने सवाल पेश करने का हुक्म दिया गया है।

इमाम जअफरुस्सादिक^{अ.स.} से रिवायत है आपने रसूले खुदा^{स.अ.व.} के इस इर्शादे गिरामी के बारे में फरमाया कि

مَنْ مَاتَ لَا يَعْرِفُ إِمَامَ دَهْرِهِ حَيًّا مَاتَ مَيِّتَةً جَاهِلِيَّةً

मन मातः ला यअरिफो इमामः दहरिही हय्यम मातः मीततन जाहिलिय्यतन यानि जिस शख्स ने अपने ज़माने के इमाम की मारिफत न की वो जाहिलियत की मौत मर गया। सादिक आले मोहम्मद^{अ.स.} ने फरमाया कि इमामुज्जमान से ज़िन्दा इमाम मुराद है उस वक्त आपकी खिदमत में अर्ज किया गया कि हम ने ज़िन्दा इमाम का लफ़्ज़ नहीं सुना है। आपने फरमाया कसम बा खुदा रसूले खुदा^{स.अ.व.} ने ज़रूर ऐसा ही इर्शाद फरमाया था।

आप ने खुदावन्दे तआला के इस इर्शाद के बारे में फरमाया कि :

يَوْمَ نَدْعُوا كُلَّ أُنَاسٍ بِإِمَامِهِمْ

यौमः नदऊ कुल्लः उनासिम बिइमामिहिम 15-17/71 (तर्जुमा) : जिस दिन के हम हर एक जमाअत को उसके इमाम के साथ बुलायेंगे। जब आप से पूछा गया के इस आयत में “बिइमामिहिम” से कौन मुराद है?

सादिक आले मुहम्मद^{अ.स.} ने फरमाया कि इस आयत में इमाम से वो शख्स मुराद है जिस की लोगों ने दुनिया में इक़तिदा व पेरवी की होगी। चुनांचे क़यामत के रोज़ अमीरुल मुअमिनीन अली इब्न अबी तालिब^{अ.स.} के अहद मुबारिक में जिन लोगों ने आप की इताअत व पैरवी की होगी उनको आपके हमराह बुलाया जायेगा। इसी तरह आपने तमाम अइम्मा अहले बैत^{अ.स.} के मुताल्लिक़ फरमाया उसके बाद आपने कहा कि रसूले खुदा^{स.अ.व.} के इरशाद के मुताबिक़ जिसने अपने ज़माने के इमाम की मारिफत न की वो यकीनन जाहिलियत की मौत मरेगा।

इमाम बाकिर^{अ.स.} से रिवायत है कि एक मर्तबा एक शख्स ने आपकी खिदमत में आकर अर्ज किया कि फरज़न्दे रसूल^{अ.स.} कुरेश आप लोगों की इस बात से बहुत रज़ीदह खातिर होते हैं कि आप ही लोग उनके आका व

मौला है। आपने उस शख्स से फरमाया कि लोग तीन किस्म के हैं। एक किस्म तो उन लोगों की है जिन को जब हम ने अल्लाह की तरफ बुलाया तो उन्होंने हमारी दावत को लब्बेक कहा पस उन पर खुदा और रसूल^{स.अ.व.} का और हमारा एहसान है। और दूसरी किस्म उन लोगों की है जिनको हमने मैदाने जंग में क़त्ल कर दिया था। और तीसरी किस्म उन लोगों की है जिन पर खुदा और रसूल^{स.अ.व.} ने फतह मक्के के रोज़ एहसान किया था और ये एहसान खुदा और रसूल^{स.अ.व.} ने हमारी ही वजह से किया था पस जो लोग हमारे आका व मौला होने से रंजीदा खातिर होते हैं वो उन तीन किस्म के लोगों में जिस किस्म में भी चाहे शामिल हो सकते हैं।

हज़रत अबूज़र ग़फ़ारी रेहमतुल्लाह अलेह से रिवायत है आप एक मरतबा रसूले खुदा^{स.अ.व.} की वफात के बाद हज के मौके पर हाज़िर हुए जब आप ने बाबे काबा पर तवाफ करते हुए लोगों का अज़दहाम (भीड़-भाड़) देखा तो आपने बैतुल्लाह उल हराम के दरवाज़े की ज़न्जीर पकड़ कर फरमाया कि ऐ लोगों! ऐ लोगों! ये सुनना था कि लोग निहायत खामोशी के साथ जमा हो गये। हज़रत अबूज़र ग़फ़ारी^{र.अ.} ने फरमाया कि ऐ लोगों! तुममें से जो मुझे पहचानता है वो पहचानता है और जो नहीं पहचानता वो जान ले कि मैं ही अबूज़र ग़फ़ारी हूँ। आज मैं तुम्हारे सामने वो हदीस बयान करना चाहता हूँ जिसको मैंने खुद अपने कानों से सुना है। मैंने ये हदीस उस वक्त सूनी थी जब आंहज़रत^{स.अ.व.} सकरात में थे। उस वक्त आप^{स.अ.व.} अपनी ज़बाने अक़दस से ये फरमा रहे थे कि मैं तुम्हारे दरमियान दो बहुत कीमती चीज़ें छोड़े जा रहा हूँ। एक तो अल्लाह की किताब और दूसरे अपनी इतरत यानि अहले बैत^{अ.स.} को छोड़े जा रहा हूँ ये दोनों एक दूसरे से उस वक्त तक जुदा ना होंगे जब तक होज़े कौसर पर मुझ से न मिल जायेंगे। होज़े कौसर पर एक साथ मिलने की क़ेफ़ियत ज़ाहिर करने के लिये आपने तमसीलन (मिसाल के तोर पर) दोनों हाथों की तसबीह वाली उंगलियों को बाहम (एक-दूसरे से) मिलाया फिर दोनों खूब बराबर करके आपने फरमाया कि मैं इस तरह से कहता हूँ। मैं इस तरह से नही कहता कि किताबुल्लाह और मेरी इतरत एक दूसरे से अलग-अलग होकर आगे पीछे मिलेंगे आपने आगे पीछे होने की तमसील में अपने दाहिने हाथ की तसबीह वाली उंगली और बीच वाली उंगली को मिलाकर बताया कि देखो इस तरह नही कि उन दोनों उंगलियों में से एक आगे है और दूसरी पीछे। उसके बाद रसूले अकरम^{स.अ.व.} ने इर्शाद फरमाया कि याद रखो कि किताबुल्लाह

और मेरी इतरत की मिसाल तुम्हारे दरमियान किशती नूह^{अ.स.} की मिसाल है जो उस पर सवार हुआ उसने निजात पाई और जिसने उसको छोड़ दिया वो गरक हो गया।

अमीरुल मुअमिनीन अली इब्न अबीतालिब^{अ.स.} से रिवायत है कि आप से अहलुज ज़िक्र के मुताल्लिक पूछा गया कि उनसे कौन लोग मुराद है तो आपने फरमाया कि हम अहले ज़िक्र हैं। इमाम बाकिर^{अ.स.} से भी यही सवाल किया गया तो आपने भी फरमाया कि हम अहले ज़िक्र हैं। गरज़ इस मौजू के सिलसिले में तो अहादीस और खबरों का एक अन्बार है। जिनको कलमबन्द करना इस किताब की हद से बाहर है हमने अब तक इन हदीसों व अखबारों में से जो कुछ भी पेश किया है वो अक्लमन्दों और उन लोगों के वास्ते जिनको राह-रास्त की तौफीक अता की गई है काफी है।

मुहम्मद^{स.अ.व.} व आले मुहम्मद^{अ.स.} पर सलवात का बयान

मुहम्मद^{स.अ.व.} व आले मुहम्मद^{अ.स.} पर सलवात भेजना वाजिब है और आले मुहम्मद^{अ.स.} से अहलेबैते रसूल^{अ.स.} मुराद हैं। और मनसबे इमामत उन्हीं में मुनतकिल हुआ है और आले मुहम्मद^{अ.स.} ही रसूले अकरम^{स.अ.व.} की उम्मत हैं खुदावन्दे तआला का इर्शाद है कि :

إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا •

इन्नल्लाहः व मलाइकतहु युसल्लुनः अलन नबीय्यि या अय्योहल लज़ीनः आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तसलीमा 0 22-33/56 तर्जुमा : इसमें शक नही कि खुदा और उसके फरिश्ते पैगम्बर और उनकी आल पर दूरुद भेजते हैं तो ऐ ईमानदारों तुम भी दूरुद भेजते रहो और बराबर सलाम करते रहो।

रसूले अकरम^{स.अ.व.} से रिवायत है कि जब आंहजरत^{स.अ.व.} पर मज़कूरा बाला आयते करीमा नाज़िल हुई तो आपके असहाबे किराम में से कुछ लोगों ने पूछा कि ऐ पैगम्बरे खुदा! हमें आप पर सलाम पढ़ने की कैफियत का इल्म तो है लेकिन आप पर सलवात भेजने की क्या सूूरत है? उस वक्त रिसालत मआब^{स.अ.व.} ने फरमाया कि मुझ पर इस तरह से दूरुद भेजा करो :

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی مُحَمَّدٍ وَ عَلٰی اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰی اِبْرٰهِيْمَ وَ عَلٰی اٰلِ اِبْرٰهِيْمَ
اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ

अल्लाहुम्मः सल्ले अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मदिन कमा सल्लैतः
अला इब्राहीमः व अला आले इब्राहीमः इन्नकः हमीदुम मजीद। चुनांचे
आंहजरत^{स.अ.व.} नें अपने असहाब को खुले लफ्जों में ये बता दिया कि उन पर
किस तरह सलवात भेजना चाहिये और ये वाजेह रहे कि परवरदिगारे आलम
ने सिर्फ मोहम्मद^{स.अ.व.} व आले मोहम्मद^{अ.स.} ही पर सलवात भेजना अहले
ईमान के लिये वाजिब करार दिया है।

रसूले अकरम^{स.अ.व.} ने अपने असहाब को मुहम्मद^{स.अ.व.} व आले मोहम्मद^{अ.स.}
पर सलवात भेजने की कैफियत से इस तरह आगाह कर दिया था जिस
तरह की आपने नमाज़ पढ़ने ज़कात देने, रोज़ा रखने, हज करने और
वलायत व जिहाद की तमाम तफसीलात से वाकिफ कर दिया था क्योंकि ये
तमाम फराइज़ कुरआने हकीम में मुजमल नाज़िल हुए थे।

जमाअत आम्मा ने भी इस हदीस को हमारी रिवायत के मुताबिक़
नक़ल किया है लेकिन जब उन्हें इस हदीस के इनकार का कोई रास्ता न
मिल सका तो वो ये क्यास कर बैठे कि तमाम मुसलमान आले मोहम्मद है
ताकि अहलेबैते रसूल^{अ.स.} को आले मोहम्मद^{अ.स.} होने के इस शरफ से खारिज
कर दें जिससे खुदावन्दे तआला ने उनको मखसूस फरमाया है जिसका
ज़िक्र कुरआने हकीम में भी मौजूद है और खुद रसूले अकरम^{स.अ.व.} ने
अहलेबैते रसूल^{अ.स.} का आले मोहम्मद^{अ.स.} होना वाजेह तौर से बयान कर दिया
है और परवरदिगारे आलम ने अहलेबैत^{अ.स.} के इसी शरफ को उनकी इताअत
व इमामत के लिये दलील व हुज्जत करार दिया है और उनकी इताअत को
खुदा व रसूल^{स.अ.व.} की इताअत के मुसावी (बराबर) बना दिया है।

अहलेबैते रसूल^{अ.स.} के आले मोहम्मद^{अ.स.} होने के सिलसिले में अवाम
का मुखालिफाना रवैया फासिद और बातिल बुनियादों पर है जो अकलमंदों
से मखफी नहीं अहलेबैत^{अ.स.} की इस फज़ीलत के मुतल्लिक अवाम ने जिस
ग़लत बयानी से काम लिया है वो इस क़द्र रोशन है कि उसकी तरदीद में
किसी दलील की चंदा ज़रूरत नहीं है।

इमाम जअफरुस्सादिक^{अ.स.} से रिवायत है कि एक साइल ने आपसे
दरयाफ़्त किया कि ऐ फरज़न्दे रसूल^{अ.स.}! आप मुझे बतायें कि आले मोहम्मद^{अ.स.}

कौन है? इमाम जाअफरुस्सदिक^{अ.स.} ने फरमाया कि आले मुहम्मद^{अ.स.} बिल खसूस (खास तौर से) रसूले खुदा^{स.अ.व.} के अहलेबैत किराम^{अ.स.} हैं। साइल ने खिदमते इमाम में अर्ज किया कि अवाम का ये ख्याल है कि तमाम मुस्लिमीने आलम आले मोहम्मद^{अ.स.} है इमाम मुस्कुराये और फरमाया कि उन्होंने सच भी कहा है और झूठ भी कहा है साइल ने पूछा कि ऐ फरज़न्दे रसूल^{अ.स.} आपके इस इर्शादे गिरामी का क्या मतलब है कि अवाम ने झूठ भी कहा है और सच भी कहा है आपने फरमाया कि उन्होंने एक मअनी में सच कहा है और एक मअनी में झूठ कहा है। उन्होंने इस मअनी में झूठ कहा है कि तमाम वो मुसलमान जो तौहीद के काइल हैं और रसूले अकरम^{स.अ.व.} को सच्चा पैगम्बर तसलीम करते हैं आले मोहम्मद^{अ.स.} है। हालांकि वो अपने मज़हब में नाकिस हैं और इफरात व तफरीत (अफरा तफरी यानि कमी भी और ज़्यादाती भी) करते रहते हैं। लेकिन अवाम ने उस मअनी में सच कहा है कि मुसलमानाने आलम में जो अहले ईमान है वो आले मोहम्मद^{अ.स.} के जुमरा में से हैं अगरचे वो नसबी ऐतबार से आले मोहम्मद^{अ.स.} नहीं लेकिन शरायते कुरआन पर अमल करने की वजह से आले मोहम्मद^{अ.स.} में से ज़रूर हैं। और ऐसा भी नहीं है कि वो उन आले मोहम्मद^{अ.स.} में शुमार किये जायें जिनसे खुदावन्दे तआला ने शिर्क व कुफ़्र की तमाम नापाकियों को दूर कर दिया है और उनको इस तरह पाक कर दिया जैसा कि पाक करना चाहिये। लिहाज़ा हमारे कहने का ये मतलब हुआ कि जो शख्स भी कुरआन के अहकाम पर अमल करता है और अइम्मा अहलेबैत^{अ.स.} का पैरु है वो उनके दायरा हुब्बे वलाअ में दाखिल होने की वजह से आले मोहम्मद^{अ.स.} में से शुमार होगा अगरचे उसका नसबी रिश्ता मोहम्मद रसूलल्लाह^{स.अ.व.} के निस्ब व खानदान से बिल्कुल अलग है।

साइल ने अर्ज किया कि आप मुझे बतायें कि वो शरायते कुरआन क्या हैं कि जिन पर पाबन्दी के साथ अमल करने से एक मुअमिन आले मोहम्मद^{अ.स.} में से शुमार हो सकता है मैं आप पर फिदा हो जाऊं। इमाम जअफरुस्सदिक^{अ.स.} ने फरमाया कि कुरआने हकीम के अहकाम पर अमल करें और अइम्मा अहलेबैत^{अ.स.} की पे़रवी करें और जिस तरह अल्लाह तआला ने आले मोहम्मद^{अ.स.} को रसूले अकरम^{स.अ.व.} के साथ क़राबतदारी की वजह से तमाम खलाइक़ पर मुक़द्दम किया है इसी तरह आले मोहम्मद^{अ.स.} को मुक़द्दम समझें तो वो इस ऐतबार से आले मोहम्मद^{अ.स.} में से शुमार होगा। चुनांचे इसके मुताल्लिक़ बारी तआला का इर्शाद है कि :

مَنْ يَتَوَلَّاهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ

मन्य यतवल्लहुम मिनकुम फ इन्नहू मिनहुम 6-5/51 (तर्जुमा) : (याद रहे) तुममें से जिसने उनको अपना सरपरस्त बनाया फिर वो भी उन्हीं लोगों में से होगा। इसके अलावा परवरदिगारे आलम ने हज़रत इब्राहीम^{अ.स.} का ये कौल भी नकल किया है कि :

فَمَنْ تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي ۚ وَ مَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ •

फमन तबिअनी फइन्नहू मिन्नी व मन असानी फइन्नक: गफुरर रहीम 13-14/36 (तर्जुमा) : तो जो शख्स मेरी पेरवी करे तो वो मुझसे है और जिसने मेरी ना फरमानी की (तो तुझे इख्तियार है) तो तू बड़ा बख्शाने वाला मेहरबान है। और खुदावन्दे तआला ने यहूद के बारे में उन लोगों का कौल नकल किया है जो ये कहते थे कि :

الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ عَهِدَ إِلَيْنَا أَلَّا نُؤْمِنَ لِرَسُولٍ حَتَّىٰ يَأْتِينَا بَقُرْبَآنٍ تَاكُلُهُ النَّارُ ۖ

अल लज़ीन: कालू इन्नल्लाह: अहिद: इलेना अल्ला नुअमिन: लि रसूलिन हत्ता यअतियना बिकुरबानिन तअकुलुहुन्नार 4-3/183 (तर्जुमा) : (ये वही लोग हैं) जो कहते हैं कि खुदा ने तो हम से ऐहद किया है कि जब तक कोई रसूल हमें ये (मोअजिज़ा) न दिखा दे कि वो कुरबानी करे और उसको (आसमानी) आग चट कर जाये। उसके जवाब में खुदा ने अपने रसूल^{स.अ.व.} से कहलाया कि :

قُلْ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّن قَبْلِي بِالْبَيِّنَاتِ وَ بِالذِّكْرِ قُلْتُمْ فَلِمَ قَتَلْتُمُوهُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ •

कुल कद जाअकुम रुसुलुम मिन कब्ली बिल बय्यिनति व बिल्लजी कुलतुम फलिम: कतलतुमुहुम इन कुन्तुम सादिकीन 4-3/183 तर्जुमा : (ऐ रसूल) तुम कह दो (भला ये तो बताओ) बहुत से पैगम्बर मुझ से कब्ल तुम्हारे पास वाज़ेह व रोशन मोअजिज़ात और जिस चीज़ की तुमने (उस वक्त) फरमाइश की है वो भी ले कर आये फिर अगर तुम (अपने दावे में) सच्चे हो तो तुमने उन्हे क्यों क़त्ल किया। ये बात खुदावन्दे तआला ने कौम यहूद के उन चन्द अफराद के मुताल्लिक कही है जो रसूल^{स.अ.व.} के एहद मुबारक में मौजूद थे उन्होंने खुद अपने हाथों से अम्बिया साबिकीन को न तो क़त्ल किया था न वो उनके ज़माने में थे अलबत्ता उनके इस्लाफ ने अम्बिया को क़त्ल किया

था और उनका कसूर ये है कि उन्होंने अपने इस्लाफ के इस ज़ालिमाना फअल को पसन्द किया और बजाये नफरत के उनसे मुहब्बत की इसलिये खुदा ने आयते मजकूरा बाला में इसलाफ के फअल को उनकी तरफ मनसूब कर दिया और उन अफरादे यहूद को महज़ पेरेवी की बिना पर अम्बिया ए किराम के कातिले इसलाफ (दादा परदादा) में से शुमार किया ।

साइल ने सादिक आले मुहम्मद^{अ.स.} की खिदमत मे फिर अर्ज किया कि मेरी जान आप पर कुर्बान आप आले मुहम्मद^{अ.स.} के मुताल्लिक खुदा की किताब कुरान हकीम में से कोई ऐसी दलील पेश करें कि जिससे मैं इस बात पर इस्तिदलाल कर सकूँ कि बिला शुबह तमाम मुसलमानाने आलम को छोड़ कर आले मुहम्मद^{अ.स.} बिल खुसूस रसूले खुदा^{स.अ.व.} के अहले बैत^{अ.स.} हैं । आप ने फरमाया कि अस्दकुल काइलीन अल्लाह जल शानहू का इर्शाद है कि :

• إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ آدَمَ وَ نُوحًا وَ آلَ إِبْرَاهِيمَ وَ آلَ عِمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِينَ •

इन्नल्लाहसतफा आदमः व नुहव व आलः इब्राहीमः व आलः इमरानः अलल आलमीन 3-3/33 तर्जुमा : बेशक खुदा ने आदम^{अ.स.} और नूह^{अ.स.} और खानदाने इब्राहिम^{अ.स.} और खानदाने इमरान^{अ.स.} को सारे जहां से बरगज़ीदा (बरतर) किया है इतना फरमाने के बाद खुदा ने ये भी वाज़ेह कर दिया कि वो बरगज़ीदा लोग कौन हैं । खुदावन्दे तआला का इर्शाद है कि :

• ذُرِّيَّتَهُم بِغُضِّهَا مِنْ بَعْضٍ ۖ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ •

जुरीयतम बअजुहा मिम बअज़िन वलल्लाहो समीउन अलीम 3-3/34 तर्जुमा : बाअज़ की औलाद को बाअज़ से और खुदा (सबकी) सुनता और (सब कुछ) जानता है ये तो बिल्कुल खुली हुई बात है कि किसी कौम की औलाद नस्ल ही से होती है दूसरे मक़ाम पर इर्शादे बारी तआला है कि :

• اَعْمَلُوا آلَ دَاوُدَ شُكْرًا ۖ

इअमलू आलः दाऊदः शुकरा 22-34/13 तर्जुमा : ऐ दाऊद की औलाद शुक्र करते रहो । और इर्शाद बारी तआला है कि :

وَقَالَ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَكْتُمُ إِيمَانَهُ أَتَقْتُلُونَ رَجُلًا أَنْ يَقُولَ رَبِّيَ اللَّهُ

व कालः रजुलुम मुअमिनुम मिन आलि फिरओनः यक्तुमो ईमानहू अ तकतुलूनः रजुलन अन्य यकूलः रब्बियल्लाहो 24-40/28 तर्जुमा : और

फिरओन के लोगों में से एक ईमानदार शख्स (हिज़कील) ने जो अपने ईमान को छुपाये रहता था (लोगों से कहा) क्या तुम लोग ऐसे शख्स के क़त्ल के दरपे हों जो सिर्फ़ ये कहता है कि मेरा परवरदिगार अल्लाह है। देखा आपने परवरदिगारे आलम ने आयते मज़कूरा में इस मुअमिन को जो फिरओन का इब्ने अम (चचा ज़ाद भाई) था महज़ नसबी क़राबत की बिना पर आले फिरओन में से शुमार किया है हालांकि वह मज़हबन फिरओन का मुखालिफ़ था। पस अगर तमाम मुसलमान जो रसूले अकरम^{स.अ.व.} पर ईमान रखते हैं और उनकी इत्तिबाअ (पैरवी) करते हैं इस ईमान व इत्तिबाअ की वजह से इनको इन आले मोहम्मद^{अ.स.} में शुमार कर लिया जाये जिनसे खुदा ने कुरआने हकीम में मुराद लिया है तो फिर खुदा आले फिरओन के उस मुअमिन को फिरओन की तरफ़ मनसूब ना फरमाता। क्योंकि वो फिरओन के दीन का मुखालिफ़ था। पस इस मिसाल से वाज़ेह हो गया कि किसी शख्स की आल उसके अहलेबैत ही होते हैं। अब रहा वो शख्स जो आले मोहम्मद^{अ.स.} की पैरवी करता है तो वो महज़ तबाअत के ऐतबार से आले मोहम्मद^{अ.स.} में से शुमार होगा। जैसा कि हज़रत इब्राहिम^{अ.स.} का इर्शाद है कि :

﴿فَمَنْ تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي ۚ وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾

फमन तबिअनी फइन्नहू मिन्नी व मन असानी फइन्नकः गफुररु रहीम 13-14/36 तर्जुमा : जो शख्स मेरी पैरवी करे तो वो मुझसे है और जिसने मेरी नाफरमानी की (तो तुझे इख्तियार है) तू तो बड़ा बख्शाने वाला मेहरबान है। दूसरे मकाम पर इर्शादे बारी तआला है कि :

﴿ادْخُلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ﴾

अदखिलू आलः फिरओनः अशदल अज़ाब 24-40/46 तर्जुमा : (क़यामत के रोज़ हुक्म होगा कि) फिरओन की आल को सख्त से सख्त अज़ाब में झोंक दो। यहां आल से मुराद बिल खुसूस फिरओन के घरवाले हैं और आमतौर से उसके तमाम इत्तिबाअ मुराद हैं और जो अहलेबैत फिरओन के अलावा जहन्नम में दाखिल होंगे सो वो फिरओन के अहलेबैत के साथ मोहब्बत रखने की वजह से दाखिले जहन्नम होंगे क्योंकि वो बरबनाये इताअत व इत्तिबाअ उन्हीं में से शुमार होंगे और फिर जबकि आले फिरओन उनके इमाम ठहरे तो वो उनसे मोहब्बत रखने की बिना पर उनके ताबेअ व पैरु हुए। दूसरे मकाम पर इर्शादे बारी तआला है कि :

• سَلَامٌ عَلَىٰ آلِ يَاسِينَ •

सलामुन अला आले यासीन 23-37/130 तर्जुमा : आले यासीन पर सलाम ही सलाम है इस आयते करीमा में यासीन रसूले खुदा^{स.अ.व.} का इस्म गिरामी है और आले यासीन आपके अहलेबैते अतहार^{अ.स.} हैं। इसी तरह इस आयत में आले दाऊद^{अ.स.} को भी खिताब किया गया है। इर्शादे खुदावन्द है कि :

اعْمَلُوا آلَ دَاوُدَ شُكْرًا ۖ وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ •

इअमलू आलः दाऊदः शुकरन व कलीलुम मिन इबादियश शकूर 22-34/13 तर्जुमा : ऐ दाऊद^{अ.स.} की औलाद शुक्र करते रहो और मेरे बन्दो में से शुक्र करने वाले (बन्दे) थोड़े से हैं और दूसरे मकाम पर खुदावन्द तआला का इर्शाद है कि :

وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ آلُ مُوسَىٰ وَآلُ هَارُونَ تَحْمِلُهُ الْمَلَائِكَةُ •

व बकीय्यतुम मिम्मा तरकः आलो मूसा व आलो हारूनः तहमिलुहुल मलाइका 2-2/248 तर्जुमा : और उन तबरूकात से बचा कुचा होगा जो मूसा^{अ.स.} की औलाद और हारून^{अ.स.} की औलाद यादगार छोड़ गई है और सन्दूक को फरिश्ते उठाये होंगे।

सादिक आले मोहम्मद^{अ.स.} ने मजकूरा बाला आयते करीमा तिलावत करने के बाद फरमाया कि आले मूसा^{अ.स.} और आले हारून^{अ.स.} और आले दाऊद^{अ.स.} और आले यासीन^{अ.स.} में से जो लोग शुमार होंगे वो आल की पैरवी और इत्तिबाअ के ऐतबार से शुमार होंगे क्योंकि कितने ऐसे लोग भी होंगे जिनका आल से कोई नसबी व सलबी रिश्ता न होगा। लिहाज़ा ये बात बिल्कुल वाज़ेह हो चुकी कि अम्बिया-ए-किराम^{अ.स.} के घर के लोग ही अइम्मा होते हैं अब जो लोग इन अइम्मा अहलेबैत^{अ.स.} से रिश्ता मोहब्बत काइम करेंगे और उनकी दीनी मामलात में पैरवी करेंगे उनका शुमार इस एतबार से आले मोहम्मद^{अ.स.} में से होगा जैसा कि परवरदिगारे आलम ने कुरआने पाक की बेशुमार आयतों में वाज़ेह कर दिया है। इतना फरमा चुकने के बाद इमाम जअफरुस्सादिक^{अ.स.} ने साइल से मुखातिब हो कर फरमाया कि तुम यकीन मानो कि गुज़िश्ता उम्मतों में से कोई उम्मत इस उम्मत से बढ़कर ज़ालिम व ज़ाबिर न थी क्योंकि मौजूदा उम्मत तो ये गुमान कर बैठी है कि उनके दरमियान और उनके पैगम्बर मोहम्मद रसूलल्लाह^{स.अ.व.} के अहलेबैत किराम^{अ.स.} के दरमियान कोई फर्क नहीं है और न अहलेबैत^{अ.स.} के

लिये उन पर कोई फज़ीलत हासिल है इससे बढ़कर और क्या जुल्म हो सकता है पस जिन लोगों ने ये वहम व गुमान किया है कि वो अहलेबैते रसूल^{अ.स.} के हमपल्ला व मुसावी हैं उन्होंने परवरदिगारे आलम पर बहुत बड़ी तौहमत लगाई है और वो बुहतान व गुनाहे अजीम के मुर्तकिब हुए हैं। लिहाज़ा ऐसे एतिकाद रखने वाले लोग मोहम्मद^{स.अ.व.} व आले मोहम्मद^{अ.स.} से बरी हैं। जब तक कि वो तौबा न कर लें और अल्लाह तआला ने अहलेबैत किराम^{अ.स.} को जो फज़ाइल व मनाकिब अता किये हैं उनका इक़्रार करते हुए और ये कि वो खानदाने नबुव्वत के दमकते हुए सितारे और मौज़ेअ रहमत और इल्म की खदाने और अहले ज़िक्र हैं और उनके दरमियान फरिश्तों की गुज़रगाह थी। इन तमाम फज़ाइल का ऐतराफ करते हुए हक़ की तरफ रुजूअ हों तो आले मोहम्मद^{अ.स.} से बरी न होंगे। लेकिन जो लोग अहलेबैते अतहार^{अ.स.} की फज़ीलत के मुनकिर हैं वो दुनिया और आखिरत में आले मोहम्मद^{अ.स.} से बरी है।

जनाब सादिक आले मोहम्मद^{अ.स.} ने इसके बाद फरमाया कि ऐ साइल असाहाबे—इज़्माअ (अकसरियत) की जानिब से एक और दलील पेश की जाती है। साइल ने अर्ज़ किया कि वो दलील क्या है? आपने फरमाया कि क्या ये हकीक़त नहीं है कि दूसरे तमाम इख़्तिलाफी मसाइल को छोड़कर इस मसअले पर अमल किया जाये जिस पर आम मुसलमानों का इत्तेफ़ाक़ है साइल ने कहा कि ऐ फरज़न्दे रसूल^{अ.स.} आपने बजा इर्शाद फरमाया। सादिक आले मोहम्मद^{अ.स.} ने साइल से फरमाया कि फिर तुम्ही मुझे बताओं कि मुसलमानों में कितने हैं जिन्होंने आले मोहम्मद^{अ.स.} होने का दावा किया है ऐसा दावा तो किसी मुसलमान ने नहीं किया है अलबत्ता वो इस बात का इक़्रार करते हैं कि उनके आले मोहम्मद^{अ.स.} होने में अहलेबैत मोहम्मद^{अ.स.} भी बराबर के शरीक हैं साइल ने कहा कि आपने बजा इर्शाद फरमाया। आपने फरमाया कि क्या ये हकीक़त नहीं है कि जो लोग अपने आले मोहम्मद होने का दावा करते हैं वो साथ साथ इस बात का भी इक़्रार करते हैं कि रसूले अकरम^{स.अ.व.} के घरवाले अहलेबैत मोहम्मद^{अ.स.} हैं मगर उसके बरअक्स जिन्होंने अपने आले मोहम्मद होने का दावा किया है आले मोहम्मद उनके इस इद्दिआ (अपने अधिकारों की मांग) का इन्कार करते हैं और हकीक़तन ये दावा बिल्कुल ग़लत और ना काबिले क़बूल है जब तक कि ये दावेदार उन दलीलों में से किसी एक दलील से भी अपने दावे को साबित न कर दिखायें। पहला सुबूत तो वो ये पेश करें कि तमाम अहलेबैत मोहम्मद^{अ.स.} उनके दावा

ए आले मोहम्मद^{अ.स.} का इक़रार करते हैं और उनके आले मोहम्मद^{अ.स.} होने के दावे को तस्लीम करते हैं। जिस तरह आले मोहम्मद^{अ.स.} होने के ये दावेदार आले मोहम्मद^{अ.स.} का इक़रार करते हैं या फिर किसी ग़ैर जानिबदार की कोई दलील पेश करें जो आले मोहम्मद^{अ.स.} होने के दावे में क़तअन शरीक न हो यकीनन वो इन दोनों दलीलों में से एक दलील भी नहीं पेश कर सकते।

इमाम जअफरुस्सादिक^{अ.स.} ने साइल से मुखातिब होकर फरमाया कि देखा तुमने कितने मुद्दलिल तरीके से अहलेबैत मोहम्मद^{अ.स.} का हक़ साबित हो गया है उसके बरखिलाफ़ जिन दावेदारों ने अपने आले मोहम्मद होने का दावा किया था उनका ये दावा बर बनाये इख़िलाफ़ बातिल हो चुका है जबकि आले मोहम्मद^{अ.स.} का हक़ दोनों वजह से मुत्तफ़िक़ अलेहा (एकमत से साबित) है और जिन लोगों ने अपने आले मोहम्मद होने का दावा किया है उनका ये दावा न किसी दलील व हुज्जत से साबित होता है न इजमाअ से साबित होता है।

साइल ने अर्ज़ किया कि मैं आप पर फिदा हो जाऊँ अब आप मुझे बतायें कि अहलेबैत मोहम्मद^{अ.स.} ही उम्मत मोहम्मद^{अ.स.} है? आपने फरमाया कि हाँ अहलेबैत रसूल^{अ.स.} ही उम्मत मोहम्मद^{अ.स.} है साइल ने फिर अर्ज़ किया कि क्या जो लोग रसूलल्लाह^{स.अ.व.} पर ईमान लाये और आप की नबुव्वत की तस्दीक़ की वो मुहम्मद^{स.अ.व.} की उम्मत नहीं है? इमाम जअफरुस्सादिक^{अ.स.} ने फरमाया कि उम्मत मोहम्मद^{अ.स.} का मरअला भी आले मुहम्मद^{अ.स.} ही जैसा है ये एक वाज़ेह हकीक़त है कि तमाम मुसलमानाने आलम जो अहले बैते मुहम्मद यानि खानदान बनी हाशिम से निसबत नहीं रखते वो मुहम्मद^{अ.स.} की उम्मत नहीं हैं। अलबत्ता तमाम अहले मशरिक व मग़रिब अरब व अजम इन्स व जिन में से जो लोग खुदा और उसके रसूल पर ईमान रखते हैं और इस उम्मत (यानि खानदान नबवी) की मुहब्बत रखते हुए पैग़म्बर^{स.अ.व.} की पेरवी करते हैं जिसमें आप मबऊस हुए हैं तो ऐसे लोगों का शुमार उम्मत मोहम्मद^{अ.स.} में से होगा। इसी तरह जो मुसलमान तौहीद परस्त हैं और नबी अकरम^{स.अ.व.} का इक़रार करते हैं। वो इस उम्मत में शुमार होंगे जिसकी हिदायत के लिये आप मबऊस हुए हैं रहे वो लोग जो उम्मत मोहम्मद^{अ.स.} यानि आपके अहले बैत अतहार^{अ.स.} के फज़ल व कमाल का इन्कार करते हैं वो उन लोगों में से है जो ये कहते हैं कि :

نُؤْمِنُ بَبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ ۚ وَ يُرِيدُونَ اَنْ يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذٰلِكَ سَبِيْلًا •

नुअमिनो बि बअज़िन्व व नकफुरो बि बअज़िव व युरीदूनः अन्य यत्तखिजू बेनः जालिकः सबीला 6-4/150 (तर्जुमा) : हम बअज़ (पैगम्बर) पर ईमान लाये और बअज़ का इंकार करते हैं और चाहते हैं इस (कुफ़्र और ईमान) के दरमियान एक दूसरी राह निकालें तुम यकीन करो ये वही लोग हैं कि जब उनसे पूछा जाता है कि क्या तुम अल्लाह और उसके भेजे हुए पैगम्बर मोहम्मद रसूलल्लाह^{स.अ.व.} पर ईमान रखते हो? तो कहते हैं कि हाँ हम अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान रखते हैं लेकिन जब उन से ये कहा जाता है कि क्या तुम जिस पैगम्बरे इस्लाम मोहम्मद रसूलल्लाह^{स.अ.व.} पर ईमान रखते हो उनकी पाकिजा आल के फज़ाइल व मनाकिब और उनकी फज़ीलत का भी इकरार करते हो? तो पैगम्बरे इस्लाम पर ईमान रखने के ये दावेदार कहते हैं कि नहीं हम आले मुहम्मद^{अ.स.} की फज़ीलत का इकरार नहीं करते क्योंकि हम पर उनको फज़ीलत व बड़तरी हासिल नहीं है।

साइल ने सादिक आले मुहम्मद^{अ.स.} की खिदमत में अर्ज़ किया कि आपके पास इस बारे में कोई और दलील व हुज्जत है कि आले मोहम्मद^{अ.स.} ही रसूलल्लाह^{स.अ.व.} की उम्मत है और दूसरे नहीं? इमाम^{अ.स.} ने साइल को जवाब देते हुए फरमाया कि सुनो! कुरआने हकीम में खुदावन्दे तआला का इर्शाद है कि :

وَ اِذْ يَرْفَعُ اِبْرٰهِيْمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَاِسْمٰعِيْلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا ۖ اِنَّكَ اَنْتَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ • رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا اُمَّةً مُّسْلِمَةً لَّكَ ۖ وَارِنَا مَنَا سِكَانًا وَتُبْ عَلَيْنَا ۖ اِنَّكَ اَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ •

व इज़ यरफओ इब्राहीमुल कवाइदः मिनल बैति व इस्माईलो रब्बना तक्बल मिन्ना इन्नकः अनतस समीउल अलीम 0 रब्बना वजअलना मुस्लिमेनि लकः व मिन जुरीय्यतिना उम्मतम मुस्लिमतल लकः व अरिना मना सिकःना व तुब अलैना इन्नकः अन्तत तव्वाबुर रहीम 1-2/127-128 तर्जुमा : और (वो वक्त भी याद दिलाओ) जब इब्राहीम^{अ.स.} व इस्माईल^{अ.स.} खाना ए काअबा की बुनियादे बुलन्द कर रहे थे (और दुआ मांगते जाते थे कि) ऐ हमारे परवरदिगार हमारी (ये खिदमत) कुबूल कर बेशक तू ही (दुआ का) सुनने

वाला (और निय्यत का) जानने वाला है और ए हमारे पालने वाले तू हमें अपना फरमान बरदार बन्दा बना और हमारी औलाद से एक गिरोह (पैदाकर) जो तेरा फरमान बरदार हो और हमको हमारे हज की जगह दिखा दे और हमारी तोबा कबूल कर बेशक तू ही बड़ा तोबा कबूल करने वाला मेहरबान है। चुनांचे जब खुदावन्दे तआला ने हज़रत इब्राहिम^{अ.स.} व इस्माईल^{अ.स.} की इस दुआ को कबूल फरमा लिया कि खुदा वन्दा हम दोनों की औलाद से एक उम्मत मुस्लिमा को पैदा कर और फिर इसी उम्मत में से एक रसूल को मबऊस कर जो उनको खुदा की आयतें पढ़ कर सुनाये और उनको पाकीजा बनायें और किताब व हिकमत सिखलाये हज़रत इब्राहीम^{अ.स.} ने अपनी इस पहली दुआ के साथ जो आपने बारगाहे इलाही में अपनी जुर्रियत में से एक उम्मत मुस्लिमा पैदा करने के लिये की थी एक दूसरी दुआ भी शामिल कर दी कि जिसमें आपने परवरदिगारे आलम से ये सवाल किया है कि खुदा वन्दा अपनी जुर्रियत में से जिस उम्मत को पैदा करने के लिये मैंने तुझ से दुआ की है उसी उम्मत के लिये तुझ से ये सवाल करता हूँ कि तू उनको शिर्क व बुतपरस्ती से दूर रखना और ये कि वो तेरे सिवा किसी और की परस्तिश व पैरवी न करें हज़रत इब्राहिम^{अ.स.} की वो दुआ—ए—इसमत व तहारत ये है :

وَاجْبُنِي وَبَنِيَّ أَنْ نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ •

वज नुबनी व बनिय्य: अन्नअबुदल अस्नाम 13-14/35 (तर्जुमा) : और मुझे और मेरी औलाद को इस बात से बचा ले कि बुतों की परस्तिश करने लगे। परवरदिगार ये वो लोग हैं जिनके लिये मैंने तुझसे दुआ की है और तुने मुझसे वादा भी कर लिया है तू उनको अइम्मा और उम्मत मुस्लिमा बनायेगा और उनके दरमियान उन्हीं में से एक पैगम्बर मबऊस करेगा और ये कि तू उनको बुतपरस्ती से मेहफूज़ रखेगा।

इसके बाद हज़रत इब्राहीम^{अ.स.} अस्नाम (बुतों) के मुताल्लिक़ फरमाते हैं कि :

رَبِّ إِنَّهُمْ أَضَلُّنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ ۖ فَمَنْ تَبَعْنِي فَإِنَّهُ مِنِّي ۖ وَ مَن عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ •

रब्बि इन्नहुन्न: अज़:ललन: कसीरम मिनन्नासि फमन तबिअनी फ इन्नहू मिन्नी व मन असानी फ इन्नक: गफूरु रहीम 0 13-14/36 तर्जुमा : ऐ मेरे पालने वाले इसमें शक नही कि इन बुतों ने बहुतेरे लोगों को गुमराह बना

कर छोड़ा तो जो शख्स मेरी पैरवी करे तो वो मुझसे हैं और जिसने मेरी ना फरमानी की (तो तुझे इख्तियार है) तू तो बड़ा बख्शने वाला मेहरबान है। सादिक आले मुहम्मद^{अ.स.} ने फरमाया कि ऐ साइल ये रही इस बात की दलील कि अइम्मा ताहिरीन^{अ.स.} और वह उम्मत मुस्लिमा जिसमें मुहम्मद रसूलुल्लाह^{स.अ.व.} मबऊस हुए हैं। दोनों हज़रत इब्राहीम^{अ.स.} व इस्माईल^{अ.स.} ही की उन औलाद में से होंगे जो साकिनीने हरम (हरम के रहने वाले) हैं और जिन्होंने कभी गैर अल्लाह की पूजा नहीं की है इसकी दलील ये है कि हज़रत इब्राहीम^{अ.स.} ने अपनी औलाद के लिये ये दुआ की थी कि खुदावन्दे तू मुझे और मेरी औलाद को बुतों की परस्तिश करने से मेहफूज़ रखना पस इससे गैर अल्लाह की परस्तिश करने से इन अइम्मा ताहिरीन^{अ.स.} की इसमत व तहारत साबित होती है जो हज़रत इब्राहीम^{अ.स.} व इस्माईल^{अ.स.} की जुरियत में से होंगे। और आले इब्राहीम^{अ.स.} व इस्माईल^{अ.स.} के साकिनीने हरम होने का ये सुबूत है कि इब्राहीम^{अ.स.} ने परवरदिगारे आलम से खिताब करके फरमाया था कि :

رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنْتُ مِنْ دُرَّتَيْ بُوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِيُقِيمُوا
الصَّلَاةَ فَاجْعَلْ أَفْنَدَةً مِنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُمْ مِنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ •

रब्बना इन्नी असकन्तो मिन जुर्रिय्यती बिवादिन गैरि जी ज़रइन इन्दः
बैतिकल मुहर्रमि रब्बना लि युकीमुस्सलातः फजअल अफइदतम मिनन्नासि
तहवी इलैहिम वरजुकहुम मिनस समःराति लअल्लहुम यशकुरुन 0 13-14/37
(तर्जुमा) : ऐ हमारे पालने वाले मैंने तेरे मुअज़्जिज़ घर (काअबा) के पास एक
बे खेती के वीरान ब्याबान (मक्का) में अपनी कुछ औलाद को (लाकर)
बसाया ताकि ऐ हमारे पालने वाले ये लोग बराबर यहां नमाज़ पढ़ा करें तो
तू कुछ लोगों के दिलों को उनकी तरफ माइल कर (ताकि वो यहां आबाद
हों) और इन्हें तरह तरह के फलों से रोज़ी अता कर ताकि ये लोग (तेरा)
शुकराना अदा करें। सादिक आले मुहम्मद^{अ.स.} ने साइल से फरमाया कि देखा
तुमने हज़रत इब्राहीम^{अ.स.} ने साकिनीने हरम के लिये ये दुआ नहीं की थी कि
वो पूजा करें बल्कि बारगाहे इलाही में ये दुआ फरमाई कि मेरी औलाद में
से जो साकिनीने हरम हैं उन को तेरे मोअज़्जिज़ घर काअबा के जवार में
इसलिये आबाद किया है ताकि वो बराबर यहां नमाज़ पढ़ा करें पस मज़कूरा
बाला आयतें करीमा इस बात की रोशन दलील है कि वो अइम्मा ताहिरीन^{अ.स.}

और उम्मत मुस्लिमा जिनकी इस्मत व तहारत के लिये हज़रत इब्राहीम^{अ.स.} ने बारगाहे इलाही में दुआ फरमाई थी वो आपकी पाकीज़ा औलाद है जिन्होंने ग़ैर अल्लाह के आगे कभी सजदा नहीं किया है इसके अलावा हज़रत^{अ.स.} ने अपनी औलाद ही के लिये खास तौर से ये फरमाया है कि परवरदिगार तू लोगों को उनकी तरफ माइल कर ताकि वो यहां आबाद हों। इससे साबित होता है कि ये दुआ ए खलील अइम्मा ताहिरीन^{अ.स.} और उम्मत मुस्लिमा दोनों के लिये मखसूस है जो दोनों ही आप की औलाद में से हैं। उसके बाद हज़रत इब्राहिम^{अ.स.} ने अपने औलाद से मुहब्बत रखने वाले के हक में भी दुआ फरमाई है जैसा कि आप ने उनके लिये दुआ की थी अब इस्तिदलाल की रोशनी में देखा जाये तो ये बात साबित हो जाती है कि हज़रत इब्राहीम^{अ.स.} और हज़रत इस्माईल^{अ.स.} ने अपनी जिस जुर्रियते ताहिरा और उम्मत मुस्लिमा के लिये दुआ की थी वो जनाब रिसालत मआब^{स.अ.व.}, अमीरुल मुअमिनीन^{अ.स.}, जिगर गोशा ए रसूल हज़रत फातिमा ज़ेहरा^{अ.स.}, और इमाम हसन^{अ.स.}, इमाम हुसैन^{अ.स.} और जुम्ला ताहिरीन^{अ.स.} हैं और जो लोग इब्राहीम^{अ.स.} व इस्माईल^{अ.स.} की इस जुर्रियते ताहिरा से वलायत व मुहब्बत रखते हैं वो भी उन्हीं में से हैं हम ने यहां पर हज़रत इब्राहीम^{अ.स.} व इस्माईल^{अ.स.} की दुआ में हज़रात अहले बैत अतहार^{अ.स.} को इसलिये मखसूस तौर से शामिल किया है कि मोहम्मदन रसूलुल्लाह^{स.अ.व.} अली^{अ.स.} व फातिमा^{अ.स.} हसन^{अ.स.} व हुसैन^{अ.स.} के सिवा तमाम औलाद इस्माईल^{अ.स.} बुतपरस्ती में मुब्तिला थी। पस हज़रत इस्माईल^{अ.स.} व इसहाक^{अ.स.} की दुआ पंजेतने पाक ही के लिये मखसूस है।

इसके अलावा रसूले अकरम^{स.अ.व.} से ये भी हदीस मनकूल है आप^{स.अ.व.} फरमाते हैं कि मैं अपने जद्दे आअला हज़रत इब्राहीम^{अ.स.} की दुआ का समरा (फल) हूँ लिहाज़ा जो लोग इस उम्मत मुस्लिमा की इत्तिबाअ करेंगे जिसके औसाफ खुदावन्दे तआला ने कुराने हकीम में बयान कर दिये हैं तो वो वलायत व मुहब्बत के एतबार से उम्मत में से शुमार होंगे। और जो लोग ये समझ कर उम्मत मुस्लिमा यानि पंजतन पाक^{अ.स.} की मुखालिफत करेंगे कि उनको हम पर कोई फज़ीलत हासिल नहीं है तो ऐसे लोगों का उस उम्मत में शुमार होगा जिनकी हिदायत के लिये रसूले अकरम^{स.अ.व.} को भेजा तो गया था मगर वो ईमान नहीं लाये।

सादिक आले मुहम्मद^{अ.स.} ने साइल से फरमाया कि उम्मत मुस्लिमा यानि पंजेतने पाक^{अ.स.} व अइम्मा ताहिरीन^{अ.स.} जिनके लिये हज़रत इब्राहीम^{अ.स.} व इस्माईल^{अ.स.} ने दुआ की थी परवरदिगारे आलम ने कुरआने हकीम में उनके मुताल्लिक दूसरे मकाम पर इर्शाद फरमाया है कि :

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ۚ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ •

वल तकुम मिनकुम उम्मतुन्य यदऊनः इलल खैरि व यअमुरुनः बिल मअरुफि व यनहोनः अनिल मुनकरि व उलाइकः हुमुल मुफलिहून 0 4-3/104 तर्जुमा : और तुममें से एक गिरोह (ऐसे लोगो का भी) तो होना चाहिये जो (लोगो को) नेकी की तरफ बुलाये और अच्छे काम का हुक्म दे और बुरे कामों से रोके और ऐसे ही लोग (अखिरत में) अपनी दिली मुराद पायेंगे। इस आयते करीमा में अहले किबला के गुनाहों का ज़िक्र किया गया हैं क्योंकि जो लोग न नेकी की तरफ बुलाते हैं न अच्छे काम का हुक्म देते हैं और न बुरे कामों से रोकते हैं वो इस उम्मत में से हरगिज़ न होंगे जिनके औसाफ परवरदिगारे आलम ने आयते मज़कूरा में बयान किये हैं। आम मुसलमानों का ये ख्याल कैसे दुरुस्त हो सकता है कि वही लोग रहमतुल आलमीन^{स.अ.व.} की उम्मत हैं हालांकि खुदावन्दे आलम ने आयते मज़कूरा में उम्मते मुहम्मद^{स.अ.व.} की ये सिफत बयान की है कि वो लोग नेकी की तरफ बुलाते होंगे और बुरे कामों से रोकते होंगे पस उम्मत के जिन लोगों में अम्र बिल मअरुफ और नहयि अनिल मुन्कर की सिफत न पाई जाती हो जिससे खुदावन्दे तआला ने उम्मते मुहम्मद^{अ.स.} को मोसूफ फरमाया है तो वो लोग उम्मते मुहम्मद^{अ.स.} में से कैसे शुमार हो सकते हैं क्योंकि वो खुदा की शर्तों और उसके बतलाये हुए औसाफ के बिल्कुल बरअक्स हैं।

और एक दूसरे मक़ाम पर इस उम्मत की सिफत इस तरह बयान की गई है कि :

وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَاهُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِّتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا •

व कज़ालिकः जअलनाकुम उम्मतन्व वसःतल (यानि अदलन) लि तकून शुहःदाअः अलन्नासि व यकूनर रसूलो अलैकुम शहीदा 2-2/143 तर्जुमा : (और जिस तरह तुम्हारे किब्ला के बारे में हिदायत की) उसी तरह तुमको आदिल उम्मत बनाया ताकि और लोगों के मुकाबले में तुम गवाह बनो और रसूल (मोहम्मद^{स.अ.व.}) तुम्हारे मुकाबले में गवाह बने। सादिक आले मोहम्मद^{अ.स.} ने साइल से मुखातिब हो कर फरमाया कि अगर तुम्हारा ये गुमान है कि इस आयते करीमा में उम्मत से खुदावन्दे तआला ने तमाम तौहीद परस्त अहले किब्ला से मुराद लिया है तो क्या तुम्हें यह मालूम नहीं है कि जिसकी गवाही इस दुनिया में एक प्याला खजूर के मामले में जाइज़ ना हो उसकी गवाही खुदावन्दे तआला क़यामत के दिन तमाम मखलूक के बारे में कैसे क़बूल कर सकता है और उसको गुज़िश्ता उम्मतों के मामले में किस तरह गवाह बनायेगा। खुदावन्दे तआला हरगिज़ अपनी मखलूक के साथ इस किस्म का मामला न करेगा। एक दूसरे मक़ाम पर इर्शाद है कि जहां खुदावन्दे करीम ने उम्मत से वही उम्मत मुराद लिया है जो हज़रत इब्राहिम^{अ.स.} की दुआ का समरा है वो आयते करीमा यह है :

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ

कुनतुम खैरः उम्मतिन उखरिजत लिन्नासि 4-3/110 (तर्जुमा) : तुम क्या ही अच्छे गिरोह हो कि लोगों की हिदायत के वास्ते पैदा किये गये हो। अगर यह तसलीम कर लिया जाये कि खुदावन्दे तआला के नज़दीक इस आयते करीमा में उम्मत से तमाम मुसलमानाने आलम मुराद हैं और वह सब के सब एक नेक दिल उम्मत और उम्दा जमाअत है जो लोगों की हिदायत के लिये पैदा किये गये हैं तो हमारी समझ में यह बात नहीं आती कि फिर वो कौन लोग हैं? तुम लोग जिन कमीने और बद खसलत लोगों को उम्मत समझते हो खुदावन्दे तआला के नज़दीक हरगिज़ वह उम्मते मोहम्मद नहीं है बल्कि उसके नज़दीक सही माने में वही अहलुल बैते रसूल^{अ.स.} उम्मत है जिनके दरमियान में रसूले अकरम^{स.अ.व.} मबरूस हुए थे।

साइल ने इमाम सादिक^{अ.स.} की खिदमत में अर्ज़ किया कि इसका मतलब तो यह हुआ कि हज़रत अली^{अ.स.} आहज़रत^{स.अ.व.} के साथ एक उम्मत है और कोई नहीं? सादिक आले मोहम्मद^{अ.स.} ने फरमाया कि ऐसा नहीं है बल्कि अमीरुल मुअमिनीन अली^{अ.स.} के साथ सय्यदा आलम फातिमा ज़ेहरा^{अ.स.} और इमाम हसन^{अ.स.} व इमाम हुसैन^{अ.स.} भी हैं। यह वो अहलुल बैत—ए—रसूल^{अ.स.}

है जिनसे परवरदिगारे आलम ने तमाम नापाकियों को दूर कर दिया है और यही वो अहले किसाअ (चादर) हैं जिनकी इस्मत व तहारत पर कुरआन गवाह हैं और ऐ साइल अगर अली^{अ.स.} तन्हा एक उम्मत हैं तो उसमें तआज्जुब की क्या बात है जबकि रसूल^{स.अ.व.} खुदा तन्हा एक उम्मत थे। इसके अलावा हज़रत इब्राहिम^{अ.स.} भी तन्हा एक उम्मत थे। चुनांचे इर्शादे बारी तआला है कि :

إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا لِلَّهِ حَنِيفًا ط

इन्नः इब्राहीमः कानः उम्मतन कानितन्ल लिल्लाहि हनीफा 14-16/120 तर्जुमा : इसमें शक ही नहीं कि इब्राहिम^{अ.स.} एक उम्मत (यानि लोगों के) पैशवा खुदा के फरमांबरदार बन्दे और बातिल से कतराकर चलने वाले थे।

देखा तुमने कि इस आयत से यह साबित हो गया कि हज़रत इब्राहिम^{अ.स.} तन्हा एक उम्मत थे। जब आप बड़ी उम्र के हो चुके तो हज़रत इस्माईल^{अ.स.} व इसहाक^{अ.स.} के ज़रिये आपकी पुष्ट पनाही की गई और परवरदिगारे आलम ने इन दोनों की औलाद में किताब व नबुव्वत को जारी फरमाया ठीक इसी तरह खतमुल मर्तबत^{स.अ.व.} भी तन्हा एक उम्मत थे। फिर आपको खुदावन्दे तआला ने अमीरुल मुअमिनीन अली^{अ.स.} के ज़रिये कसरत बख्शी जैसा कि परवरदिगार आलम ने हज़रत इब्राहिम^{अ.स.} के दायरे को हज़रत इस्माईल^{अ.स.} व इस्हाक^{अ.स.} के ज़रिये वसीअ फरमाया था और इसी तरह परवरदिगारे आलम ने मनसबे इमामत को जो नबुव्वत के बाद का दर्जा है आहज़रत^{स.अ.व.} के ज़ुरियते ताहिरा यानि औलादे इमाम हुसैन बिन अली^{अ.स.} में जारी फरमाया जिस तरह से कि उसने मनसबे नबुव्वत को औलादे इसहाक^{अ.स.} में जारी फरमा कर औलादे इस्माईल^{अ.स.} पर खत्म कर दिया था।

ज़ुरियते रसूल^{स.अ.व.} में मनसबे इमामत के मुस्तहक़ इमाम हसन बिन अली^{अ.स.} सबाक़त की वजह से हुए क्योंकि सबाक़त के मुत्तालिक बारी तआला का यह इर्शाद है कि :

وَالسَّيْقُونِ السَّيْقُونَ • أُولَئِكَ الْمُقَرَّبُونَ •

वस्साबिकूनस्साबिकून 0 उलाइकल मुक़र्रबून 0 27-56/10-11 तर्जुमा : सबक़त ले जाने वाले ही सबक़त ले जाने वाले हैं और वही लोग ज़्यादा मुक़र्रब हैं जो कि इमाम हसन^{अ.स.} हर लिहाज़ से इमाम हुसैन^{अ.स.} पर फाइक़ व बड़तर थे इसलिये आप सबसे पहले मनसबे इमामत के मुस्तहक़ हुए। और

फिर आपके बाद मनसबे इमामत औलादे इमाम हुसैन^{अ.स.} में इसी तरह मुन्तकिल हो गई जिस तरह से कि परवरदिगारे आलम ने नबुव्वत को औलादे इसहाक^{अ.स.} से औलाद इस्माईल^{अ.स.} की तरफ मुन्तकिल फरमाया था। पस यह एक हकीकत है कि अइम्मा अहलेबैत^{अ.स.} ही पर उम्मत होने का इत्तिफाक है और इस बात पर भी उम्मते मुस्लिमा का इजमाअ है कि मनसबे इमामत आले मोहम्मद^{अ.स.} में जारी है और ता कयामत जारी रहेगा और उम्मत का यह इजमाअ ऐसा बेमिसाल है कि मसअला इमामत में अइम्मा अहलेबैत^{अ.स.} के सिवा इस उम्मते मुस्लिमा के किसी भी शख्स पर ऐसा इजमाअ तारीखे इस्लाम के सफहात में मौजूद नहीं है।

सिलसिलाए इमामत में यह एक अहम सवाल पैदा होता है कि अगर कोई पुछे कि इस बात का क्या सुबूत है कि अल्लाह तआला ने मनसबे इमामत को औलादे इमाम हसन^{अ.स.} से औलादे इमाम हुसैन^{अ.स.} की तरफ मुन्तकिल कर दिया है? ऐसे शख्स को हमारा यह जवाब है कि मनसबे इमामत को नस्ले हुसैन^{अ.स.} में खुद किताबे इलाही यानि कुरआने हकीम ने मुन्तकिल कर दिया है अगर वो फिर पूछ बैठें कि कैसे मुमकिन है? जबकि मनसबे इमामत का इस्तेहकाक (हक) सबाकत व लियाकत और गुनाह कबाइर (बड़े गुनाहों) से पाकिजा होने पर मौकूफ है। इसके अलावा अमली लियाकत भी होनी चाहिये तो ऐसे शख्स को हमारा यह जवाब है कि इमाम को इन तमाम बातों का इल्म होना चाहिये जिनकी इमामत को ज़रूरत है जैसे हराम व हलाल के मसाइल और कुरआने हकीम का खास व आम इल्म ज़ाहिर व बातिन, मोहकम व मुतशाबिहा, नासिख व दकाइक व ग़राइब तावीलात का इल्म! साइल ने अर्ज किया कि इस बारे में क्या हुज्जत व दलील है कि आपने जिन उलूम का तज़क़िरा किया है उन तमाम से इमाम वाकिफ ही होता है?

सादिक आले मोहम्मद^{अ.स.} ने फरमाया कि कुरआने हकीम में खुदावन्दे तआला ने इन अफराद के मुत्तालिक इर्शाद फरमाया है कि जिनको हुकमरानी करने की इजाज़त दी है और हुकूमत करने का अहल करार दिया है। इर्शादे बारी तआला है कि :

إِنَّا أَنْزَلْنَا التَّوْرَةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ ۖ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا ۚ وَالرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ

इन्ना अन्ज़लनत तोरातः फीहा हुदन्व व नूरून यहकुमो बिहान—नबीय्यूनल लजीनः असलमू लिल्लज्जीनः हादू व रब्बानीय्यूनः वल अहबारो 6—5/44 तर्जुमा : बेशक हमने तौरात को नाज़िल किया है जिसमें हिदायत और नूर है वो अम्बिया—ए—किराम जो अल्लाह तआला के मुतीअ थे वो इस किताब से यहूदियों के लिये फ़ैसले किया करते थे इस तरह से अहलुल्लाह और उलमाअ भी। पस इस आयते करीमा में “रब्बानीय्यूनः” से अइम्मा ताहिरीन^{अ.स.} मुराद हैं जो आम्बिया—ए—किराम से कम दर्जा रखते हैं और अपने उलूम व मुआरिफ से लोगों की तरबियत करते हैं, रहे अहबार तो वो अइम्मा ताहिरीन^{अ.स.} से कम दर्जा रखते हैं उनसे दुआत किराम मुराद हैं। इसके बाद खुदावन्दे तआला ने बतला दिया कि :

بِمَا اسْتَحْفِظُوا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ ج

बिमस तुहफिजू मिन किताबिल्लाहि व कानू अलैहि शुहःदाअः 6—5/44 तर्जुमा : ब वजह इसके कि उनको इस किताबल्लाह की हिफाज़त का हुक्म दिया गया था और वह इसी पर गवाह थे। देखा आपने कि खुदावन्दे तआला ने ऐसा नहीं फरमाया कि वह ब वजह जहालत के फ़ैसले किया करते थे। इसके अलावा यह भी तो इर्शादे बारी तआला है कि :

هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ؕ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ •

हल यस्तविल लज़ीनः यअलमूनः वल लज़ीनः ला यअलमूनः इन्नमा यतज़क्करो उलुल अलबाब 23—39/9 तर्जुमा : क्या वो लोग जो जानते हैं और नहीं जानते दोनो बराबर हैं बेशक अक़लमंद लोग ही नसीहत लेते हैं। और खुदावन्दे तआला का यह भी इर्शाद है कि :

بَلْ هُوَ آيَاتٌ مِّنْ بَيْنَتٍ فِي صُذُورِ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ ط

बल हुवः आयातुम बय्यिनातुन फी सुदूरिल लज़ीनः ऊतुल इल्म 21—29/49 तर्जुमा : बल्कि वो आयतें उन लोगों के सीने में रोशन हैं जिनको इल्म अता किया गया है। और इर्शादे बारी तआला है कि :

وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ •

वमा यअकिलुहा इल्लल आलिमून 20—29/43 तर्जुमा : और उन अमसाल (मिसाल) को इल्म वाले ही समझते हैं। और यह भी इर्शाद है कि :

إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ ط

इन्मा यखशल्लाहः मिन इबादिहिल उलमाओ 22-35/28 तर्जुमा : अल्लाह के बन्दों में सिर्फ उलमाओ ही खुदा का खौफ करते हैं। और इर्शादे बारी तआला है कि :

أَفَمَنْ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ أَحَقُّ أَنْ يُتَّبَعَ أَمَّنْ لَا يَهْدِي إِلَّا أَنْ يُهْدَىٰ ۖ فَمَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ •

अफमन्य यहदी इललहविक अहक्को अन्य युत्तबअः अम्मन्ल्ला यहिदी इल्ला अन्य युहदा फमा लकुम कैफः तहकुमून 11-10/35 तर्जुमा : तो क्या वो शख्स जो अग्रे हक का रास्ता बतलाता है वो ज़्यादा इत्तिबाअ (पैरवी) के लायक है या वो शख्स जिसको बे बतलाये खुद ही रास्ता न सूझे तो तुमको क्या हो गया है तुम कैसी तजवीजें और फैसले करते हो।

यह वो रोशन दलीलें हैं जिनसे साबित होता है कि अइम्मा ताहिरीन^{अ.स.} तमाम उलूम और मआरिफ से वाकिफ होते हैं ताकि लोग उनके मोहताज हों, ना यह कि वो हराम और हलाल के मसाइल में दूसरों के मोहताज हों।

साइल ने सादिक आले मोहम्मद^{अ.स.} की खिदमत में अर्ज किया कि आप मुझे यह बताइये कि इमामत किस तरह से औलादे इमाम हसन^{अ.स.} से निकल कर औलादे इमाम हुसैन^{अ.स.} में जारी हुई और इस बारे में आपके पास क्या-क्या दलाइल हैं? इमाम जअफरुस्सादिक^{अ.स.} ने फरमाया कि सुनो! कुरआने हकीम में खुदावन्दे तआला का इर्शाद है कि :

إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا •

इन्मा युरीदुल्लाहो लियुज़हिबः अनकुमुर रिजसः अहलल बैति व युतहहिरःकुम ततहीरा 22-33/33 तर्जुमा : खुदावन्दे तआला तो फकत यह चाहता है कि वो अहलेबैत^{अ.स.} से हर किस्म की नापाकी को दूर रखे और तुमको पाक कर दे जो पाक करने का हक है। यह आयते करीमा पांच अफराद के बारे में नाज़िल हुई हैं और इस बात की शाहिद है कि इन पांच अफराद ने गैर-अल्लाह की परस्तिश नहीं की है और शिर्क व बुत परस्ती से हमेशा पाक रहे हैं। इन पांच अफराद की तहारत और पाकीज़गी की बुनियाद हज़रत इब्राहिम^{अ.स.} की इस दुआ पर है आपने अपनी औलाद के बारे में यह दुआ की थी कि

• وَاجْتَنِبِي وَبَنِيَّ أَنْ تَعْبُدَ الْأَصْنَامَ •

वजनुबनी व बनिय्यः अन नअबुदल असनाम 13-14/35 तर्जुमा : ऐ परवरदिगार ! तु मुझे और मेरी औलाद को बुत परस्ती से दूर रख। चुनांचे वो पांच अफराद जिनके बारे में हज़रत इब्राहिम^{अ.स.} ने दुआ की थी और जिनके बारे में आयते ततहीर नाज़िल हुई जुरियते इब्राहिम^{अ.स.} से हैं और वह पाँच अफराद रसूले अकरम^{स.अ.व.}, अमीरुल मुअमिनीन हज़रत अली मुर्तजा^{अ.स.}, सय्यदा-ए-आलम फातिमा ज़ेहरा^{अ.स.}, हज़रत इमाम हसन^{अ.स.} व हज़रत इमाम हुसैन^{अ.स.} हैं।

खातूने जन्नत फातिमतुज़-ज़ेहरा^{अ.स.} इन मर्दों के साथ ततहीर में हम पल्ला और बराबर की शरीक थी मगर आपको इमामत में कोई दर्जा हासिल न था बजुज़ (सिवाय) इसके कि आप अइम्मा ताहिरीन^{अ.स.} की मादरे गिरामी थी और रसूले अकरम^{स.अ.व.} के विसाल के बाद मनसबे खिलाफत व इमामत के सबसे बड़े हकदार हज़रत अमीरुल मुअमिनीन अलीयुल-मुर्तजा^{अ.स.} हुए क्योंकि खुदा का यह इर्शाद है कि :

• وَالسَّبِقُونَ السَّبِقُونَ • أُولَئِكَ الْمُقَرَّبُونَ •

वस्साबिकूनस्साबिकून 0 उलाइकल मुकर्बून 0 27-56/10-11 तर्जुमा : सबक़त ले जाने वाले ही सबक़त ले जाने वाले हैं और वही लोग ज़्यादा मुकर्ब हैं। और आपके बाद इमाम हसन^{अ.स.} और इमाम हुसैन^{अ.स.} मसनद इमामत पर जलवा अफरोज़ हुए क्योंकि उन दोनों की इमामत की तस्दीक़ खुद रसूले अकरम^{स.अ.व.} के इस इर्शादे गिरामी से होती है कि हसन^{अ.स.} और हुसैन^{अ.स.} दोनों इमामे बर हक़ हैं चाहे वो क़याम करें या क़ऊद करें (यानि ज़ाहिर में उनकी इमामत कायम हो या न हो)। अलबत्ता इन दोनों के पिदर बुर्जुगवार अली मुर्तजा^{अ.स.} दोनों से अफज़ल हैं।

इसके अलावा हज़रत हसनैन^{अ.स.} के मुताल्लिक़ रसूले अकरम^{स.अ.व.} का यह इर्शाद गिरामी है कि हसन^{अ.स.} और हुसैन^{अ.स.} जवानाने अहले जन्नत के सरदार हैं। लीजिये इस हदीस से भी दोनो हज़रात की सयादत साबित होती है।

अब ब-एतबारे सबाक़त देखा जाये तो अली मुर्तजा^{अ.स.} हसनैन से इमामत के ज़्यादा हक़दार थे क्योंकि आप साबिक़ थे चुनांचे आप रसूले अकरम^{स.अ.व.} के बाद मसनदे खिलाफत व इमामत पर सबसे पहले जलवा

अफरोज़ हुए फिर आपके इन्तिक़ाल के बाद इमाम हसन^{अ.स.} सबाक़त की वजह से इमाम हुसैन^{अ.स.} से ज़्यादा इमामत के मुस्तहक़ थे और अव्वलियत और अफ़जलियत खुदा के इस इर्शाद से भी साबित है कि जो साबिक़ है वो साबिक़ ही रहते हैं पस इमाम हसन^{अ.स.} के बाद आप ही मनसबे इमामत पर फ़ाइज़ हुए जब इमाम हसन^{अ.स.} के इन्तिक़ाल का वक़्त करीब हुआ तो आपके लिये यह रवा न हुआ कि ततहीर में अपने हम मिस्ल भाई इमाम हुसैन^{अ.स.} के होते हुए मनसबे इमामत आप अपनी औलाद को सुर्पुद कर दें क्योंकि इमाम हुसैन^{अ.स.} हम मिस्ल और साबिक़ होने की वजह से इमाम हसन^{अ.स.} की औलाद पर फ़ज़ीलत रखते थे। इसलिये इमाम हसन^{अ.स.} के बाद मसनदे इमामत पर इमाम हुसैन^{अ.स.} जलवा अफ़रोज़ हुए और जब आपके इन्तिक़ाल का वक़्त करीब हुआ तो किसी तरह से यह रवा न हुआ कि आप अपनी औलाद को छोड़कर अपने भाई इमाम हसन^{अ.स.} की औलाद को इमामत का मनसब वापस लौटा दें। क्योंकि आपके पेश नज़र खुदावन्दे तआला का यह इर्शाद था कि :

وَأُولُوا الْأَرْحَامَ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ ط

व उलुल अरहामि बअदुहुम ओला बि बअदिन फी किताबिल्लाह 10-8/75 तर्जुमा : और जो लोग रिश्तेदार हैं वो खुदा की किताब में एक दूसरे से ज़्यादा हक़दार हैं। इस हुक्मे इलाही के मुताबिक़ इमाम हुसैन^{अ.स.} की औलाद ब—एतबारे रिश्ता आपके भाई इमाम हसन^{अ.स.} की औलाद से ज़्यादा अक़रब व ऊला है इसलिये मनसबे इमामत की ज़्यादा हक़दार इमाम हुसैन^{अ.स.} ही की औलाद थी पस ऐ साइल! आयते मज़क़ूरा बाला ने ही औलादे इमाम हसन^{अ.स.} को मनसबे इमामत से खारिज कर दिया है और इसका मुस्तहक़ औलादे इमाम हुसैन^{अ.स.} को क़रार दिया है चुनाचें इमामत इमाम हुसैन^{अ.स.} ही की नस्ल में जारी है और ता क़यामत जारी रहेगी। तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिये है।

अइम्मा आले मोहम्मद^{अ.स.} पर नस व तौफीक़ का बयान

अगर हम आले मोहम्मद^{अ.स.} में से जो इमाम हुए हैं उन पर नस सरीह के बारे में तमाम रोशन दलीलें क़लमबंद करें और नस के मुखालिफीन

पर हुज्जत काइम करें तो यह मौजूअ-ए-बहस हमारी इस किताब की गुंजाइश से बाहर हो जायेगा। इस मौजूअ पर तो एक अलग किताब लिखने की ज़रूरत है।

फातिमी खलीफा हज़रत इमाम मंसूर बिल्लाह^{अ.स.} ने मसअला इमामत पर एक जामेअ और मुफ़रिसल किताब लिखी है जिसमें उन्होंने इमामत के अग़राज़ व मक़ासिद मानी व मतालिब, हुज्जत व रोशन दलीलों पर काफी रोशनी डाली हैं क्योंकि हमने अपनी इस किताब के आगाज़ में यह शर्त लगा रखी है कि हम तमाम ज़रूरी और अहम मसाइल पर खुलासे के साथ गुप्तगु करेंगे इसलिये मसअले इमामत पर भी हमारा मुख़्तसिर बहस करना हमारे लिये और भी ज़रूरी हो गया है।

मसअले इमामत

इमामत के मुताल्लिक़ लोगों की मुख़तलिफ़ राय हैं। अवाम का ख़्याल है कि उन्हें खुद ब खुद चुन लेने का इख़तियार हासिल है वह अपने इस अक़ीदे के सुबूत में यह दलीलें पेश करते हैं कि रसूले खुदा^{स.अ.व.} के विसाल के बाद सहाबा-ए-किराम ने एक शख्स को अपना पेशवा मुन्तख़िब कर लिया था लेकिन यह लोग ऐसे शख्स को जिसको वह अपना पेशवा बनाये किन्-किन सिफ़ात का हामिल होना चाहिये और यह कि सिर्फ़ उसको तन्हा किस वजह से इमामत का मुस्तहक़ करार दिया जाये इस बारे में शदीद इख़्तिलाफ़ रखते हैं।

अवाम इस बात का साफ़ इन्कार करते हैं कि पैग़म्बरे इस्लाम मोहम्मद रसूलल्लाह^{स.अ.व.} ने अपनी ज़िन्दगी के आखिरी लमहात तक किसी ऐसे शख्स का नाम ज़ाहिर किया हो जो आपके बाद मनसबे इमामत के फ़राइज़ अंजाम दे सके। अवाम के एक तबक़े का यह भी ख़्याल है कि रसूले अकरम^{स.अ.व.} ने ऐसे शख्स की तरफ़ सिर्फ़ इशारा फ़रमाया था उसका नाम नहीं बताया था। वो कहते हैं कि जिसकी तरफ़ रसूले अकरम^{स.अ.व.} ने इशारा फ़रमाया था वह हज़रत अबूबक्र हैं।

आहज़रत^{स.अ.व.} ने उनको नमाज़ पढ़ाने के लिये आगे कर दिया था चूँकि नमाज़ का ताअल्लुक़ ज़कात से बहुत ही गहरा है लिहाज़ा यह वाजिब

हो गया कि ज़कात भी उसी शख्स को दी जाये जिसको नमाज़ पढ़ाने के लिये मुक़द्दम किया गया है। यह आम मुसलमानों का ख्याल है वो तो यहां तक कहते हैं कि वाली (यानि इमाम) चाहे हब्शी ही क्यों न हो उसकी हर हाल में इताअत वाजिब है इसके खिलाफ बगावत करना जाइज़ नहीं है। ख्वाह गुनाहों का इरतिकाब ही क्यों न करता हो!

फिरका मरजिया का अक़ीदा है कि लोगों पर यह वाजिब है कि वो किसी ऐसे शख्स को अपना इमाम बना लें जो साहिबे इल्म व फज़ल हो वह ऐसे शख्स की तलाश में अपनी राय और अक्ल व दानिश से काम लें और जिसको अपना इमाम बना लें उस पर वाजिब है कि वो लोगों के दरमियान खुदा की किताब कुरआन और रसूले खुदा^{स.अ.व} की सुन्नतों के मुताबिक़ अहकाम जारी करे और जिस मस्अले का हल खुदा की किताब और रसूले मक़बूल^{स.अ.व} की सुन्नत में न मिले तो फिर इसमें अपनी राय से काम ले, वह यह भी कहते कि इस इमाम की इताअत उस वक्त तक वाजिब है जब तक वह खुदा की इताअत पर खुद लाज़िम रहे और जब खुदा की ना फरमानी और असयान (ग़लती) पर उतर आये तो लोगों पर उसकी इताअत वाजिब नहीं है उनको चाहिये कि वो ऐसे शख्स को मसनदे इमामत से उतार दे और इसकी जगह कोई दूसरा इमाम मुन्तख़िब कर लें।

फिरका मोअतज़िला यह कहता है कि रसूलल्लाह^{स.अ.व} ने ना तो किसी शख्स की तरफ़ इशारा फरमाया है न किसी शख्स को बतौर इमाम नामज़द किया है अलबत्ता आपने लोगों को इस बात का इख़्तियार दिया है कि वो आपके बाद किसी शख्स को अपना इमाम बना लें चुनाचें अवाम ने हज़रत अबू बक्र को रसूले मक़बूल^{स.अ.व} की वफ़ात के बाद अपना इमाम मुन्तख़िब कर लिया।

ख़्वारिज कहते हैं कि हमें ना इसका इल्म है ना हम तक यह ख़बर पहुँची है कि आयां रसूले अकरम^{स.अ.व} ने मनसबे इमामत के मुताल्लिक़ कोई हुक्म सादिर फरमाया है कि नहीं! और किसी शख्स की तरफ़ इशारा भी किया है या नहीं! अलबत्ता हम इस बात के काइल हैं कि एक इमाम ज़रूर होना चाहिये जो बन्दगाने खुदा के दरमियान अहकामें इलाही को जारी करे लिहाज़ा इस ज़रूरत के पेश नज़र हमें खुद अपना इमाम मुन्तख़िब कर लेना चाहिये।

सैयदना काज़िल नोअमान^{र.अ.} फरमाते हैं कि हम खुदा की तौफ़ीक़ व हिदायत से यह बात उन लोगों से कहते हैं जिन लोगों का यह गुमान है

कि रसूले खुदा^{स.अ.व} ने अपने बाद किसी शख्स को अपनी उम्मत का इमाम मुकर्रर नहीं फरमाया है (यह अक़ीदा मरजिया, मोअतज़िला व ख्वारिज का है)।

तुम्हारे इस सरीह इन्कार को क़बूल कर लेना हमारे और खुद तुम्हारे नज़दीक किसी हालत में जाइज़ नहीं है क्योंकि आम मुसलमानों का इस बात पर पूरा इत्तेफ़ाक़ है कि ऐसा शख्स जो खुद किसी वाकिआ के वुजूद का मुनकिर हो वह किसी सूरत में गवाह बनने के लायक़ नहीं है गवाह तो वही शख्स हो सकता है जो वाकिआ को साबित करता हो और यह कहता हो कि उसने इसका बज़ाते खुद मुशाहिदा किया है ठीक इसी तरह तुम लोग इसका पूरे तौर से इन्कार करते हो कि रसूले अकरम^{स.अ.व} ने अपने बाद किसी शख्स को अपनी उम्मत का खलीफा या इमाम नहीं बनाया है तो गोया तुमने यह कहकर वुजूदे इमाम का इन्कार कर दिया और तुमने उस चीज़ की नफ़ी की जिसको तुम ना पसंद करते हो। अब रहा वो शख्स जो इमामत के वुजूद का काइल है तो वह ज़्यादा हक़दार है इस बात का कि उसकी शहादत क़बूल की जाये और ज़्यादा वाजिब है कि वही शख्स तुममें से गवाह हो क्योंकि तुम और तमाम उम्मत का ऐसे दो शख्सों के मुताल्लिक़ पूरा इत्तेफ़ाक़ है कि इनमें से अगर एक यह कहे कि मैंने फ़लां शख्स को ऐसा कहते हुए सुना है या ऐसा करते हुए देखा है और दूसरा उसके बरअक्स (खिलाफ़) यह कहे कि मैंने फ़लां शख्स का ना तो ऐसा कहते हुए सुना है और न ऐसा करते हुए देखा है तो इन दोनों में से जिसने सुना या देखा है उसी शख्स की शहादत क़बूल की जायेगी और जिसने ना तो सुना है ना देखा है वह किसी सूरत में गवाह बनने के काबिल नहीं है और इसका सिर्फ़ इन्कार कर देना इतना काफी नहीं है कि उस शख्स की बात को टाल दिया जाये जो कहता है कि मैंने खुद सुना और देखा है।

हम बयान कर चुके हैं कि रसूले अकरम^{स.अ.व} ने मक़ामे ग़दीरे—खुम में अमीरुल मुअमिनीन अली बिन अबी तालिब^{अ.स.} की वलायत का बर—सरे मलाअ (खुलम खुल्ला) आमतौर से ऐलान कर दिया था इस वाकिआ को तुम भी बयान करते हो। यह सबसे ज़्यादा ताकीदी बैअत (मीसाक़) थी और हमने इमामत के सुबूत में जितने भी दलाइल पेश किये हैं उनमें सबसे ज़्यादा मज़बूत और मोहक़म सुबूत यही बैअते ग़दीरे खुम है। यहां हमने तवील बहसों में ना उलझते हुए इख़तिसार से काम लिया है और महज़ वज़ाहत पर इक़तिफ़ा किया है अगर यह मान लिया जाये कि तुम्हारे ख़्याल के मुताबिक़

इमाम व खलीफा का इनतिखाब लोगों के इखतियार में है तो रसूले अकरम^{सअव} आम मुसलमानों को जमा करके उनको यह हुक्म सुना देते कि तुम लोग मेरे बाद जिसको चाहो अपना इमाम व खलीफा बना लो हालांकि यह ना मुमकिन सी बात है कि लोग एक शख्स के इनतिखाब पर कुल्लियतन (पूरे तौर से) राजी हो क्योंकि उनमें हर एक अपनी अलग राय रखता है और फिर अकसर लोगों में बुग़ज़ व हसद भी तो होता है। अगर इमाम का इनतिखाब मान लिया जाये कि लोगों के एक शख्स पर इत्तेफाक ही कर लेने से होना चाहिये तो बावर कीजिये (यानि मान लीजिये) कि लोग कभी-भी एक शख्स को अपना इमाम व खलीफा बनाने पर मुत्तफिक नहीं हो सकते इसका सुबूत यह है कि मदीना मुनव्वरा में जो सहाबा-ए-किराम मौजूद थे वह हज़रत अबूबक्र की बैअत पर मुत्तफिक नहीं हुए थे। अंसार ने यह कहकर कि (अमीर हममें से होना चाहिये) हज़रत अबूबक्र की बैअत से इंकार कर दिया था। उनके अलावा रसूले खुदा^{सअव} के अकाबिर (करीब वाले, श्रेष्ठ पुरुष) असहाबे किराम ने हज़रत अबूबक्र की बैअत नहीं की थी और जो मुसलमान दूसरे शहरों में आबाद थे उनकी तो बात ही जाने दो इसके जवाब में तुम अगर यह दलील पेश करो कि इज़हारे राय और अग्रे खिलाफत का इसतेहकाक एक ही कौम को हासिल है दूसरे शहर और कबीले वालों को नहीं तो इसके सुबूत में तुम खुदा की किताब और रसूलल्लाह^{सअव} की सुन्नत से बतौर दलील व हुज्जत कोई मिसाल पेश करो? लेकिन हमें जहां तक मालूम है तुम हरगिज़ कोई ऐसी दलील पेश नहीं कर सकते और अगर तुम्हारे कहने के मुताबिक यह तसलीम कर लिया जाये कि इमाम व खलीफा कौम ही मुनतखिब करे तो इसका मतलब यह हुआ कि ऐसे इमाम को लोगों का ताबेअ फरमान होना चाहिये वह उस वक्त तक किसी चीज़ का मालिक व मुखतार न होगा जब तक कि लोग उसको मालिक व मुखतार न बनायें इस नज़रीये के मुताबिक तो गोया इमाम को मुनतखिब करने वाले खुद इमाम हैं और उन्होंने जिसको अपना इमाम बनाया है वह उनके आमिलों (कारकुनो) में से एक आमिल (यानि कारकुन) है कार परवाज़ है वह जब चाहे अपने खुद साख़ता इमाम को माअजूल (बेदखल) कर सकते हैं जैसा कि मरजिया फिरका इस बात का काइल है कि अगर इमाम गुनाहों का इरतिकाब करे तो उसको माअजूल कर देना चाहिये इस अकीदे का फसाद इतना वाज़ेह है कि इस पर और ज़्यादा रोशनी डालने की कुछ ज़रूरत नहीं है।

आम मुसलमानों का यह कहना कि वह ऐसा काम करते हैं जिसका हुक्म न रसूल ख़ुदा^{स.अ.व.} ने दिया है न खुद आपने इस काम को किया है गोया वह “बिदअत” करने का इक़रार करते हैं अवाम इस बात का भी इक़रार करते हैं कि इमामत दीन—ए—ख़ुदा का एक हिस्सा है और ख़ुदावन्दे तआला ने अपनी किताब में यह वाज़ेह कर दिया है कि उसने अपने दीन को मुकम्मल कर दिया है और हम इससे पहले यह बता चूके हैं कि ख़ुदा का दीन उस वक़्त मुकम्मल हुआ था जबकि रसूल ख़ुदा^{स.अ.व.} ने (गदीर—ए—ख़ुम में) अमीरुल मुअमिनीन^{अस} की वलायत का ऐलान कर दिया था लेकिन हमारी समझ में यह नहीं आता कि आम मुसलमान इस बात का किस तरह इक़रार करते हैं कि ख़ुदा ने अपने दीन को कामिल कर दिया है जबकि उनके नज़दीक अल्लाह तआला ने अग्रे इमामत के बारे में कोई वज़ाहत नहीं की है हालांकि ख़ुद उनके इक़रार के मुताबिक़ इमामत दीने इलाही का एक हिस्सा है। क्या ऐसा है कि ख़ुदा ने तो यह फरमा दिया कि उसने अपने दीन को कामिल बना दिया है लेकिन उसने ख़ुद अपने दीन को कामिल नहीं किया बल्कि लोगो ने उसके दीन को कामिल बनाया है या फिर ख़ुदा तआला ने जिस अम्र की वज़ाहत फर्ज़ की थी उसकी अदाइगी से रसूल अकरम^{स.अ.व.} आजिज़ व कासिर रहे और लोगो ने इसकी वज़ाहत की? अवाम का यह निहायत बदतरीन अक़ीदा है और ख़ुदा व रसूल^{स.अ.व.} के साथ एक बहुत बड़ी ज़सारत (ज़ुर्रत) है।

हम उन लोगों से कहते हैं जिनका यह गुमान है कि रसूल अकरम^{स.अ.व.} ने हज़रत अबू बक्र की तरफ़ इशारा फरमाया था इसलिये उन्होंने (आम मुसलमानो ने) हज़रत अबू बक्र ही को अपना खलीफा और इमाम बना दिया हालांकि तुम आम मुसलमान इस बात का भी इक़रार करते हो कि इमामत दीने ख़ुदा का एक हिस्सा है तो फिर हम तुमसे यह दरयाप्त करते हैं कि क्या ख़ुदा के दीन में ज़र्ज़ बराबर भी किसी किस्म की तबदीली करना जाइज़ है ? यकीनन तुम यही जवाब दोगे कि नहीं तो फिर उनसे कहा जायेगा कि अगर ऐसा ही है कि फर्ज़—ए—इमामत पर अमल इस तरह हो कि इमाम इशारे से काइम किया जाये जैसा कि तुम कहते हो कि आंहज़रत^{स.अ.व.} ने हज़रत अबू बक्र की इमामत की तरफ़ इशारा फरमाया था तो फिर तुम्ही बताओं कि हज़रत अबू बक्र ने हज़रत उमर के साथ क्या किया? और हज़रत उमर ने हज़रत उस्मान के साथ क्या किया? तो तुम (आम मुसलमान) इस सवाल का यह जवाब दोगे कि हज़रत अबू बक्र ने हज़रत उमर पर नस की

और हज़रत उमर ने मनसबे इमामत व खिलाफत को छः असहाब के दरमियान मशवरा के भरोसे छोड़ दिया और हज़रत सुहेब को नमाज़ पढ़ाने पर मामूर कर दिया। यह तो खुदा के दीन में आंहज़रत^{स.अ.व.} के तरजे अमल की सरीह मुखालिफत हुई हालांकि खुदावन्दे तआला ने रसूले अकरम^{स.अ.व.} को मुकम्मल पैरवी और इत्तिबाअ करने का हुक्म दिया है और आंहज़रत^{स.अ.व.} की मुखालिफत करने से मना फरमाया है चुनांचे इर्शाद बारी तआला है कि :

وَمَا اتَّكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ ۚ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ۚ

वमा आताकुमुर रसूलो फखुजूहो वमा नहाकुम अनहो फनतहू 28-59/7
तर्जुमा : हां जो तुमको रसूल दे दे वह ले लिया करो और जिससे मना करे उससे बाज़ रहो।

हज़रत अबू बक्र के तरजे अमल से रसूल^{स.अ.व.} की मुखालिफत हुई तो हुई मगर हज़रत उमर ने भी हज़रत अबू बक्र के अमल के खिलाफ किया गोया (ए मुसलमानो) खुद तुम्हारे इक़्रार के मुताबिक़ उन दोनों हज़रात ने (हज़रत अबू बक्र व हज़रत उमर ने) अपने-अपने अमल से खुदा के दीन में तग़य्युर (बदलाव) पैदा किया और हुक्मे खुदा में तबदीली का इरतिकाब किया और खुदा के रसूल की मुखालिफत की। आम मुसलमानों के अकीदे के मुताबिक़ (वह अकीदा यह कि रसूले अकरम^{स.अ.व.} ने हज़रत अबू बक्र को नमाज़ पढ़ाने के लिये मुकद्दम फरमाया था इसलिये वह खिलाफत व इमामत के हक़दार हो गये) तो हज़रत सुहेब को नमाज़ पढ़ाने की वजह से हज़रत उस्मान से ज़्यादा इमामत व खिलाफत का हक़दार होना चाहिये क्योंकि हज़रत उमर ने उनको नमाज़ पढ़ाने पर मामूर किया था ठीक उसी तरह जैसाकि (आम मुसलमानों का) यह गुमान है कि रसूले अकरम^{स.अ.व.} ने चूँकि हज़रत अबू बक्र को नमाज़ पढ़ाने पर मामूर किया था इसलिये वह उनके नज़दीक इमामत व खिलाफत के हक़दार हो गये हालांकि रसूले खुदा^{स.अ.व.} ने हज़रत अबू बक्र को नमाज़ पढ़ाने का हुक्म ही नहीं दिया था अब जो लोग इस बात के काइल हैं कि आंहज़रत^{स.अ.व.} ने हज़रत अबू बक्र को नमाज़ पढ़ाने का इशारा किया था तो हम उनसे कहेंगे कि बराए करम तुम इस दलील को न पेश करो क्योंकि तुम्हारे नज़दीक तो हर नेक व बद के पीछे नमाज़ पढ़ना जाइज़ है और इसके सुबूत में तुम बहुत से वकिआत पेश करके अपने मुखालिफीन पर दलील व हुज्जत काइम करते हो हालांकि तुम खुद इस बात का भी इक़्रार कर रहे हो कि रसूलल्लाह^{स.अ.व.} ने गज़वऐ

जातुल सलासिल के मौके पर जब उमर बिन आस को काइद और आमिल मुकर्रर फरमाया था उस वक्त उमर बिन आस के साथ हज़रत अबू बक्र और हज़रत उमर भी थे उमर बिन आस उन दोनों हज़रात को और दूसरे लोगों को नमाज़ पढ़ाते थे और यह दोनों हज़रात उमर बिन आस के झंडे के नीचे (यानि मातहत) थे साथ ही साथ तुम लोग (आम मुसलमान) इस बात का भी इक़्रार करते हो कि रसूलल्लाह^{स.अ.व.} ने अमीरुल मुअमिनीन अली बिन अबी तालिब^{अ.स.} पर कभी भी किसी शख्स को बतौर आमिल व काइद मुकर्रर नहीं फरमाया था और न आपको किसी और के पीछे नमाज़ पढ़ने का हुक्म दिया था। तुम लोग हज़रत अबूबक्र के जिस नमाज़ पढ़ाने का तज़क़िरा करते हो कि रसूलल्लाह^{स.अ.व.} ने उन्हें नमाज़ पढ़ाने का हुक्म दिया था इस नमाज़ में जनाब अमीरुल मुमिनीन^{अ.स.} शरीक नहीं हुए थे। बल्कि जैसा तुम कहते हो कि आप रसूले खुदा^{स.अ.व.} के हमराह थे और आंहज़रत^{स.अ.व.} के साथ नमाज़ पढ़ी थी तो तुम्हारे ही दावे के मुताबिक़ अमीरुल मुमिनीन अली बिन अबी तालिब^{अ.स.} इस शख्स से ज़्यादा अफज़ल हुए जिसको तुम ने मुक़ददम किया है इसी तरह तुम इस बात का भी इक़्रार करते हो कि रसूले अकरम^{स.अ.व.} ने उसामा बिन जैद को हज़रत अबूबक्र और हज़रत उमर पर आमिर बनाया था और यह दोनों हज़रात आंहज़रत^{स.अ.व.} की वफात तक उसामा बिन जैद के मातहत रहे और वह नमाज़ में हज़रत अबूबक्र और हज़रत उमर के इमाम और अमीर थे और आंहज़रत^{स.अ.व.} ने अपनी आखिरी वसीयत में यह फरमा दिया था कि लश्करे उसामा को मुहिम पर रवाना कर दिया जाये जो शख्स इस लश्कर में शामिल न होगा उस पर खुदा की लाअनत है। चुनाचें हज़रत उसामा अपनी मुहिम पर जा चुके थे लेकिन पीछे रह जाने वालों में यह दोनो हज़रात भी थे। लिहाज़ा तुम्हारे कहने के मुताबिक़ उसामा बिन जैद और उमर बिन आस यह दोनों हज़रत अबूबक्र और हज़रत उमर से ज़्यादा इमामत के हक़दार हुए क्योंकि उसामा और उमर बिन आस दोनों नमाज़ से हज़रत अबूबक्र और हज़रत उमर के इमाम थे। तुम आम मुसलमान इस बात का भी इक़्रार करते हो कि हज़रत उमर ने जब मनसबे इमामत को छः असहाब के दरमियान मशवरा पर छोड़ दिया और सुहेब को नमाज़ पढ़ाने पर मामूर कर दिया फिर भी सुहेब तुम्हारे नज़दीक ख़िलाफत व इमामत के हक़दार न हुए साथ ही हज़रत अबू बक्र के जिस नमाज़ पढ़ाने का तुम दावा करते हो वह तुम्हारी उन ख़बरों और रिवायतों के इख़्लिताफ़ की वजह से साबित नहीं जिन को तुम हज़रत आइशा बिनते अबू बक्र की तरफ़ मनसूब

करके पेश करते हो और तुम यह भी कहते हो कि जिस शख्स के मुताल्लिक किसी एक हदीस में भी इख्तिलाफ वाक़ेअ हो जाये तो गोया वह ऐसा है जिससे कोई हदीस ही नक़ल नहीं की गई है। और जब तुम अमीरुल मुअमिनीन अली बिन अबू तालिब^{अ.स.} के लिये सय्यदा—ए—आलम जिगर गोशा—ए—रसूल हज़रत फातिमा ज़ेहरा^{अ.स.} की शहादत ना मंज़ूर करते हो तो फिर क्यों कर तुम जनाब आइशा की शहादत को उनके वालिद हज़रत अबू बक्र के लिये जाइज़ समझते हो? जबकि नमाज़ पढ़ाने की बाबत हज़रत आइशा के अलावा किसी और से साबित नहीं है और जब रसूले अकरम^{स.अ.} व. को इस बात का इल्म हुआ कि (हज़रत अबू बक्र नमाज़ पढ़ा रहे हैं) तो आप बेयतुल शरफ से बाहर तशरीफ लाये उस वक़्त लोगों ने हज़रत अबू बक्र को पीछे हटा दिया और आंहज़रत^{स.अ.व.} ने खुद नमाज़ पढ़ाई है।

फिरकाए मरजिया का यह कहना कि लोग खुद ही इमाम मुनतख़िब कर ले मगर जब वह जुल्म व जोर से पेश आये तो उसको बरतरफ़ कर देना चाहिये वह अपने अक़ीदे की रू से इस बात के ज़्यादा हक़दार और अहल हैं कि खुद ही इमाम बन बैठें जबकि इन्हें किसी को वाली और इमाम मुक़र्रर करने का इख़्तियार है तो इसको माअज़ूल करने का इख़्तियार भी इन्हीं को हासिल है इस कौल पर कोई एतिबार नहीं किया जा सकता है हमने इससे क़ब्ल इस अक़ीदे का फ़साद वाज़ेह लफ़्ज़ों में बयान कर दिया है।

और फिरकाए मोअतज़िला का यह कहना कि रसूले अकरम^{स.अ.व.} वह तरज़े अमल जो आपने मक़ामें ग़दीरे खुम में जनाब अमीर^{अ.स.} के मुताल्लिक इख़्तियार किया था यानि आपने जनाब अमीर^{अ.स.} की वलायत और ख़िलाफ़त व इमामत के सिलसिले में जो ऐलान फरमाया था उसका तज़क़िरा कर दिया है और जिन लोगों का यह गुमान है कि इमाम का इन्तिखाब उनके इख़्तियार में है उसकी तरदीद में हमने ऊपर बहुत कुछ लिख दिया है और यह एक हकीक़त है कि खुदा व रसूल^{स.अ.व.} हरगिज़ किसी ऐसी बात के मुताल्लिक कोई ऐसा हुक्म सादिर नहीं करते जो ना होने वाली हो और खुदा किसी ऐसे शख्स की इताअत भी वाजिब व फ़र्ज़ क़रार नही देता जिसका इन्तिखाब उस शख्स के इख़्तियार में हो जिस पर उन मुन्तख़िब इमाम की इताअत फ़र्ज़ की गई है और इस इमाम के इन्तिखाब के साथ—साथ उसका बरतरफ़ कर देना भी उसी के इख़्तियार में हो और उसको यह भी इख़्तियार हासिल हो कि वह जिसको इनतिखाब करे उसको ख़ूब सोच विचार के बाद एहतियात से काइम करें अगर यह जाइज़ होता कि लोग अपना इमाम

मुन्तखिब कर लें तो इनके लिये यह भी जाइज़ होता कि वो नबी को भी काइम कर लें क्योंकि अल्लाह तआल ने इमामों की इताअत को अम्बिया^{अ.स.} की इताअत के साथ लागू कर दिया है और इमामो को अम्बिया^{अ.स.} के बाद उनकी उम्मतों में उनका जानशीन और हाकिम मुक़र्रर फरमाया है जिस तरह अम्बिया^{अ.स.} लोगों के दरमियान खुदा के जानशीन और हाकिम होते हैं।

फिरकाए ख़्वारिज का यह कहना कि रसूले अकरम^{स.अ.व.} ने जो कुछ किया है उसका उन्हें कोई इल्म नहीं है तो मालूम होना चाहिये कि उनकी यह ला इल्मी उस शख्स पर हुज्जत नहीं बन सकती जो ख़बरदार और साहिबे इल्म है ऐसा शख्स जो किसी बात को न जानता हो उस पर वाजिब है कि वो उस शख्स से मालूम करने की कोशिश करे जो जानता है। अगर हम से ये लोग पूछें कि फिर तुम्ही ये बताओ कि इमाम किस तरह काइम किया जा सकता है? तो हम उनको यह जवाब देंगे कि इमाम का तक़्रूर एक ऐसी सूरत से मुमकिन है जिसको रद्द करने की किसी की ज़रूरत नहीं हो सकती न खुद तुम उसको रद्द कर सकते हो न तुम्हारे अलावा दूसरे लोग रद्द कर सकते हैं वो ना काबिले तरदीद सूरत यह है कि इमाम नस व तौफीक़ से काइम होता कि नस व तौफीक़ का तसव्वुर रखने वाले पर कोई हुज्जत काइम न हो सके और न उसकी मुख़ालिफ़त के लिये कोई गुंजाइश रहे।

हम ऊपर बयान कर चुके हैं कि रसूलल्लाह^{स.अ.व.} ने लोगों को अमीरूल मुअमिनीन अली बिन अबू तालिब^{अ.स.} की इमामत व खिलाफ़त से आगाह कर दिया था और आहज़रत^{स.अ.व.} ने उनको अपना जानशीन और लोगों का इमाम मुक़र्रर कर दिया था और फिर इसी तरह अमीरूल मुअमिनीन^{अ.स.} ने इमाम हसन^{अ.स.} को इमाम मुक़र्रर फरमाया और इमाम हसन^{अ.स.} ने इमाम हुसैन^{अ.स.} को इमाम मुक़र्रर फरमाया और इमाम हुसैन^{अ.स.} ने इमाम जैनुल आबिदीन^{अ.स.} को इमाम मुक़र्रर फरमाया और इमाम जैनुल आबिदीन^{अ.स.} ने इमाम मोहम्मदुल बाकिर^{अ.स.} को इमाम मुक़र्रर फरमाया और इमाम मोहम्मदुल बाकिर^{अ.स.} ने इमाम जअफरुस्सादिक़^{अ.स.} को इमाम मुक़र्रर फरमाया और फिर इमाम जअफरुस्सादिक़^{अ.स.} के बाद एक के बाद दूसरे इमाम काइम होते रहे ये वो अइम्मा ताहिरीन^{अ.स.} हैं जिनके बारे में हमारे बुर्जुग़ों (पुर्वजो) से हम तक ख़बर पहुंची है और हमने अपने अहद में जिन इमामों को देखा है उन्होंने भी नस ही के तरीक़े पर अमल किया है पस नस का तरीका निहायत वाज़ेह और

हुज्जत कातेअ (हुज्जत खत्म करने वाला) है इसमें किसी को कुछ कहने की गुंजाइश नहीं है और न कोई हर्फ ज़नी (टिप्पणी) कर सकता है।

यही बात हम रसूलों के बारे में और उनके दरमियान जो अइम्मा होते हैं उनके बारे में भी कहते हैं कि मनसबे इमामत का होना नस व तौफीक ही से होता है वो इस तरह से कि एक नबी अपने बाद एक इमाम को ब ज़रिया नस व तौफीक मुक़रर कर जाता है और वो इमाम अपने के बाद के इमाम को ब-ज़रिया नस काइम कर जाता है और एक नबी अपने बाद के आने वाले नबी की बशारत देता है जैसा कि खुदावन्दे तआला ने अपनी किताब कुरआने हकीम में इर्शाद फरमाया है कि :

و مَبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِنْ بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ

व मुबशिशरम बि रसूलिन्याती मिम बअदिसमुहु अहमदो 28-61/6 तर्जुमा : और एक पैगम्बर जिनका नाम अहमद होगा और मेरे बाद आयेंगे। उनकी खुशखबरी सुनाता हूँ।

चुनांचे अइम्मा एक दूसरे को मकामे इमामत ब-ज़रिया नस सौंपते रहते हैं और अपने बाद के आने वाले इमाम से वाकिफ व खबरदार करते रहते हैं यहाँ तक कि जिस नबी की बशारत दी गई है उसका जुहूर हो जाता है जैसा कि आम मुसलमान भी इस बात का इक़रार करते हैं कि आदम^{अ.स.} ने शीस^{अ.स.} पर नस की थी और फिर शीस^{अ.स.} ने अपने फरज़न्दों में से अपने बाद के आने वाले इमाम पर नस की थी गरज़ इमामों के नस करने का यही तरीका था। हर इमाम अपने बाद के आने वाले इमाम से ब-ज़रिया नस आगाह करता रहा यहां तक कि ये सिलसिला नूह^{अ.स.} तक पहुँचा और नूह^{अ.स.} से इब्राहिम^{अ.स.} तक पहुँचा और इब्राहिम^{अ.स.} से मूसा^{अ.स.} तक पहुँचा और मूसा^{अ.स.} से ईसा^{अ.स.} तक पहुँचा और ईसा^{अ.स.} से खातिमुल अम्बिया मोहम्मद रसूलल्लाह^{स.अ.व.} तक पहुँचा।

आम मुसलमान इस बात का भी इक़रार करते हैं कि गुज़िशता अम्बिया-ए-किराम में से हर नबी ने अपना एक वसी मुक़रर किया था जो उसके बाद उसके तमाम काम को बखुबी अंजाम देता सिवाये उनके अपने पैगम्बर मोहम्मद मुस्तफा^{स.अ.व.} के कि आपने किसी को अपना वसी नहीं बनाया है। हालांकि लोगों को वही व नबुव्वत का सिलसिला मुन्कते हो जाने के सबब औसिया और अइम्मा की सख्त ज़रूरत थी लेकिन हमारा ये अक्कीदा है कि जब परवरदिगारे आलम ने मोहम्मद रसूले अकरम^{स.अ.व.} पर सिलसिलाये

नबुव्वत को खत्म कर दिया तो उसने उम्मत के तमाम उमूर को अइम्मा अहलेबैत^{अ.स.} के हवाले कर दिया और कयामत तक के लिये अइम्मा ताहिरीन^{अ.स.} को खल्फे खुदा की निगहदाश्त का काम सौंपा गया है। पस हमने जैसा कि ऊपर लिखा है कि इस तरह नबुव्वत व इमामत के बारे में नस व तौफीक के काइल हैं न कि आम मुसलमानों का जैसा कि ये अक़ीदा है कि अम्बिया व मुरसलीन की रिसालत व नबुव्वत की तस्दीक के लिये बतौर सुबूत उनके मौजिज़ात काफी हैं नस व बशारत और तौफीक नहीं अगर वो कुरआने हकीम का गौर से मुतालिआ करते तो उनको मालूम हो जाता कि कुरआन अम्बिया व मुरसलीन^{अ.स.} से मौजिज़ात तलब करने वालों की सख्त मज़म्मत करता है जैसा कि आयते करीमा में खुदावन्दे तआला ने रसूले अकरम^{स.अ.व.} से मुखातिब हो कर फरमाया है कि :

يَسْأَلُكَ أَهْلُ الْكِتَابِ أَنْ تُنْزِلَ عَلَيْهِمْ كِتَابًا مِّنَ السَّمَاءِ فَقَدْ سَأَلُوا مُوسَىٰ أَكْبَرَ مِنْ ذَٰلِكَ فَقَالُوا أَرَنَا اللَّهَ جَهْرَةً

यसअलुक: अहलुल किताबि अन तुनज़िल: अलैहिम किताबम मिनस समाइ फकद सअलू मुसा अकबर: मिन ज़ालिक: फकालू अरिनल्लाह: जहरतन 6-4/153 तर्जुमा : (ऐ रसूल) अहले किताब (यहूद) जो तुमसे ये दरखास्त करते हैं कि तुम उन पर एक किताब आसमान से उतरवा दो तो तुम इसका ख्याल न करो क्योंकि ये लोग मूसा से तो इससे कहीं बढ़ चढ़ के दरखास्त कर चुके हैं। चुनाचें कहने लगे कि खुदा को हमें खुलम खुल्ला दिखा दो और दूसरे मुक़ाम पर अल्लाह तआला का इर्शाद है कि :

وَقَالُوا لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنْبُوعًا • أَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ مِّنْ نَّخِيلٍ وَعِنَبٍ فَتُفَجِّرَ الْأَنْهَارَ خَالِهَا تَفْجِيرًا • أَوْ تُسْقِطَ السَّمَاءَ كَمَا زَعَمَتْ عَلَيْنَا كِسْفًا أَوْ تَأْتِيَ بِاللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ قَبِيلًا • أَوْ يَكُونَ لَكَ بَيْتٌ مِّنْ زُخْرَفٍ أَوْ تَرْقَىٰ فِي أَسْمَاءٍ ۚ وَلَنْ نُؤْمِنَ لِرُقِيِّكَ حَتَّىٰ تُنْزِلَ عَلَيْنَا كِتَابًا نَقْرُوهُ ۚ قُلْ سُبْحَانَ رَبِّيَ هَلْ كُنْتُ إِلَّا بَشَرًا رَسُولًا •

व कालू लन नुअमिनः लकः हत्ता तफजुरः लना मिनल अरदि यम्बूआ 0 अवतकूनः लकः जन्नतुम मिन नखीलिन्व व इनः बिन फतुफज्जिरल अनहारः खिलालहा तफजीरा 0 अव तुसकितस समाअः कमा जअम्तः अलैना किसःफन अव तअतियः बिल्लाहि वल मलाइकति कबीला 0 अव यकुनः लकः बैतुम मिन जुखरुफिन अव तरका फिस्समाइ वलन नुअमिनः लिरुकिथिकः हत्ता तुनज्जिलः अलैना किताबन नकरउहू कुल सुब्हानः रब्बी हल कुन्तो इल्ला बशरर रसूला 0 15-17/90-93 तर्जुमा : और (ऐ रसूल^{स.अ.व.} कुपफारे मक्का ने) तुमसे कहा कि जब तक तुम हमारे वास्ते ज़मीन से चश्मा न बहा निकालोगे हम तुम पर हरगिज़ ईमान न लायेंगे (या ये नहीं तो) खजूरों और अंगूरों का तुम्हारा कोई बाग़ हो उसमें तुम बीच-बीच में नहरें जारी करके दिखा दो या जैसा तुम गुमान रखते थे। हम पर आसमान ही को टुकड़े-टुकड़े कर के गिराओ या खुदा और फरिश्तों को (अपने कौल की तस्दीक में हमारे सामने) गवाही में ला खड़ा करो। या तुम्हारे (रहने के) लिये कोई ख़िलाई महल (आसमान में महल हो) या तुम आसमान पर चढ़ जाओ जब तक तुम पर खुदा के वहां से एक किताब नाज़िल न करोगे कि हम उसे खुद भी पढ़ लें उस वक्त तक हम तुम्हारे (ईमान) पर चढ़ने के भी काइल न होंगे (ऐ रसूल) तुम कह दो कि सुब्हानल्लाह मैं एक आदमी खुदा के रसूल के सिवा आखिर और क्या हूँ।

दूसरी जगह इर्शाद बारी तआला है कि :

وَقَالُوا لَوْلَا يَأْتِينَا بِآيَةٍ مِّن رَّبِّهِ ۖ أَوَلَمْ تَأْتِهِم بَيِّنَةٌ مَّا فِي الصُّحُفِ الْأُولَىٰ •

व कालू लौला यअतीना बिआयतिम मिन् रब्बिही अवलम तअतिहिम बय्यिनःतो मा फि स्सुहुफिल ऊला 16-20/133 तर्जुमा : और (अहले मक्का) कहते हैं कि अपने परवरदिगार की तरफ से हमारे पास कोई मौअजिज़ाअ (हमारी मर्जी के मुआफिक) क्यों नहीं लाता तो क्या जो पैशन-गोईयां अगली किताबों (तौरात, इन्जील) में (इसकी) गवाह हैं वो भी उनके पास नहीं पहुँची।

कुरआने हकीम में इस किस्म की ब-कसरत आयतें मौजूद हैं इसके अलावा यह मालूम होना चाहिये कि अल्लाह तआला जिस नबी को मबरूस करता है उसकी इताअत फर्ज और वाजिब होती है पस जिसने उसकी तस्दीक न की और कब्ल इसके कि वो नबी मौअजिज़ाअ पेश करे तकजीब की हालत में मर जायें तो अवाम के नज़दीक बिल-इत्तिफाक़ काफिर की मौत मर गया अगर अवाम के ख्याल के मुताबिक़ अम्बिया की नबुव्वत के

लिये उनके मौअजिज़ात ही सुबूत और दलील व हुज्जत हैं तो फिर वो शख्स काबिले भरोसा नहीं जो मौअजिज़ात जाहिर होने से पहले ईमान लाये। लेकिन अवाम अगर हमसे दरयाप्त करें कि अम्बिया के मौअजिज़ात आने का क्या मक़सद है ? तो हम उनको ये जवाब देंगे कि अल्लाह तआला अम्बिया किराम को इसलिये मौअजिज़ात देकर मबऊस करता है ताकि अपनी मखलूक के दिलों में ख़ौफ व रौब पैदा कर दे और अपने रसूलों की ताईद और उनके रोशन दलाइल को मज़बूत बनाने के लिये जो वो अपने मुखालिफीन के सामने पेश करते हैं और उनके दिलों में ख़ौफ पैदा करने के लिये खुदा अम्बिया^{अ.स.} को मौअजिज़ात दे कर मबऊस करता है। चुनाचें इस आयते करीमा में इर्शाद है कि :

• وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ إِلَّا تَخْوِيفًا •

व मा नुरसिलो बिल आयाति इल्ला तखवीफा 15-17/59 तर्जुमा : और हम तो मौजिज़ें सिर्फ डराने की गर्ज से भेजा करते हैं।

अल्लाह तआला ने हज़रत नूह^{अ.स.} को उनकी क़ौम में मबऊस फरमाया था वो अपनी क़ौम को साढ़े नौ सौ बरस तक दाअवत करते रहे इस तवील (लंबी) मुद्त के दरमियान आपकी तकज़ीब करने वाले बकसरत लोग हालते कुफ़्र में मर गये और खुदावन्दे तआला ने ये ख़बर दी है कि नूह^{अ.स.} का मौजिज़ा आपकी किशती है और आम मुसलमानो का भी यही ख़्याल है और यह सबको मालूम है कि किशती का मौजिज़ा आपके आख़री ज़माने में पेश आया है और इसके साथ ही साथ नूह^{अ.स.} की क़ौम पर उनके कुफ़्र की वजह से अज़ाब भी आया और खुदा ने उन्हे उनकी ना फरमानी का मज़ा चखाया और नूह^{अ.स.} और आपके उन साथियों को बचा लिया जो आप पर ईमान ला चुके थे। यहाँ पर काबिले ग़ौर बात तो यह है कि किशती नूह^{अ.स.} से पहले वो क़ौम में आपकी तकज़ीब कर चुकी थी वो आपकी तकज़ीब और जो आप अपने परवरदिगार की तरफ से लाये थे उसकी तकज़ीब की वजह से दाख़िले जहन्नम हो चुकी थी पस अगर क़ौमे नूह^{अ.स.} के नज़दीक आपकी नबुव्वत का सुबूत मौजिज़ा ही होता तो उन पर कुछ फर्ज व वाजिब न था कि वो आप पर ईमान लाते और जब क़ौम नूह^{अ.स.} पर ये वाजिब ही न था कि वो नूह^{अ.स.} पर ईमान लायें तो नूह^{अ.स.} के लिये यह सज़ावार ना था कि वह कोई मौजिज़ा पेश किये बग़ैर उनको दावत करते क्योंकि उन पर नूह^{अ.स.} की तस्दीक किसी मौजिज़ा के बग़ैर वाजिब ही न थी और न ये वाजिब था

कि नूह^{अ.स.} उनको किसी ऐसी चीज़ की तरफ दाअवत करते जिसका क़बूल करना उन पर वाजिब न था हालांकि खुदावन्दे तआला जब किसी पैग़म्बर को मबऊस करता है तो उसकी इताअत वाजिब और फ़र्ज़ होती है यह बात उस शख्स के लिये रोशन और वाज़ेह है जो ग़ौरो फ़िक्र करे और समझे। अगर हम इस सिलसिले में मज़ीद और बातें बयान करें तो ये इस किताब की हद से बाहर होगा। हमने तो उनमें से चंद नुकते बयान कर दिये हैं जिसको साहिबाने अकल ही समझते हैं और खुदा अपनी रहमत से राहे सवाब पर चलने की तौफ़ीक़ अता करने वाला हैं।

अइम्मा ताहिरीन^{अ.स.} के दरजात और मनाज़िल का बयान

इस बाब में अइम्मा अहलेबैत^{अ.स.} के मनाज़िल और दरजात का हम तज़क़िरा करेंगे और ये बतायेंगे कि उन्होंने हमेशा ऐसे लोगों से इज़हारे बराअत किया है जो उन्हें उनके दरजात के सिवा दूसरे दरजो में शुमार करते हैं और वो ऐसे लोगों को काफ़िर समझते हैं जो उनकी ज़ाते मुक़द्दस के बारे में अपने मुंह से कुफ़्र व इलहाद (नास्तिकता) के कलिमात निकालते हैं।

अइम्मतुल हुदा^{अ.स.} ख़लाइक़ खुदा में से एक मख़लूक़ हैं और उसके बन्दों में से चुनिन्दा बन्दे हैं। खुदावन्दे तआला ने हर इमाम की इताअत उसके हम अस्र (उनके ज़माने के) लोगों पर फ़र्ज़ की है और उसके हुक्म को तसलीम करना वाजिब क़रार दिया है खुदावन्दे तआला ने अइम्मा ताहिरीन^{अ.स.} को अपनी तरफ़ रहनुमाई करने के लिये ख़लाइक़ का रहनुमा बनाया है और अपनी ज़ात की मारिफ़त करवाने के लिये उनको अपने बन्दों का पैशवा बनाया है और परवरदिगारे आलम ने अपनी और रसूल^{स.अ.व.} की इताअत के साथ अइम्मतुल हुदा^{अ.स.} की इताअत को वाबिस्ता कर दिया है गर्ज़ कि अइम्मा ताहिरीन^{अ.स.} ख़ल्क़े खुदा पर उसकी तरफ़ से हुज्जत मुक़र्रर हैं और खुदा की ज़मीन में उसके ख़लीफ़ा और नायबीन हैं वो इफ़्तिरा—परवाज़ गुमराहो के अक़ीदे के मुताबिक़ खुदा नहीं हैं और न रसूल व नबी और न उन पर इस तरह वही नाज़िल होती है जैसे अम्बिया^{अ.स.} पर नाज़िल होती है न वो ऐसा इल्मे ग़ैब जानते हैं जिन को खुदा ने अपनी मख़लूक़ से छुपा रखा है इस इल्मे ग़ैब में से अम्बिया किराम वही जानते हैं जो उसने उनको बताया

है न कि उनके पास वैसा इल्मे ग़ैब है जैसा कि अहले बातिल इफ़्तिरा परवाज़ और झूठे लोगों का इनके बारे में अक़ीदा है खुदावन्दे तआला इस बात से बुलन्दो बाला है उसने अपने औलिया किराम को मुलहदीन मुक़ज़िबीन दाल्लीन व मुफ़्तरीन की तोहमतों से पाक कर दिया है।

जब अइम्मा ताहिरीन^{अ.स.} खुदा की ऐसी हुज्जतें हैं जिनसे उसने अपनी मख़लूक पर इस्तिदलाल काइम किया है और वो खुदा की रहमत के ऐसे दरवाज़ें हैं जिनको उसने अपनी मख़लूक पर खोल रखे हैं और खुदावन्दे तआला ने अइम्मतुल हुदा^{अ.स.} को अपने इताअत गुज़ार बन्दों के लिये असबाबे निजात बनाया है इनकी इताअत के बग़ैर न आमाल मक़बूल होंगे न जज़ाएं मिलेंगी। मगर जो लोग अइम्मा ताहिरीन^{अ.स.} से मोहब्बत रखते होंगे और जो उनकी तस्दीक करेंगे उनके आमाल मक़बूल होंगे और उनको जज़ाएं मिलेंगी और खुदा उनको कोई जज़ाअ न देगा जो अइम्मतुल हुदा^{अ.स.} से दुश्मनी रखते हैं और उनकी ना फरमानी करते हैं और उन्होंने बरहक़ इमामो के मुक़ाबिल में किसी और शख्स को अपना इमाम बना लिया है पस शैतान ने अइम्मा ताहिरीन^{अ.स.} के मुतीअ व फरमांबरदार मुहिब्बों से सख़्त दुश्मनी की ताकि उनको गुमराह कर दें जिस तरह उसने पहले आदम^{अ.स.} व हव्वा^{अ.स.} को बहकाया था। चुनांचे शैतान ने उनमें से ब—कसरत लोगों को बहका कर गुमराह कर दिया उन्हें फरेब में मुब्तिला किया और हवा—परस्ती की राह पर लगा दिया जिसकी वजह से वो बहुत बड़े खसारे (नुकसान) में मुब्तिला हो गये। नैक बख्ती के बाद बद बख्ती का शिकार हो गये और इताअत की राह से हट कर ना फरमानी और मअसियत पर उतर आये। शैतान इनमें से हर उस शख्स के पास पहुँचा जिन तक पहुँचने का उसे कोई रास्ता मिल सका और उस पर उसने अपने घोड़े और प्यादे दौड़ाए उनमें से जो इल्म व फेहम में कमज़ोर थे अपनी हवा नफसी का शिकार थे उनको गुमराह कर दिया और उनको अइम्मतुल हुदा^{अ.स.} से इंकार, खुरुज और कुफ़्र व निफाक़ के रास्ते पर लगा दिया और जो इल्म व फन के माहिर और साहिबे फेहम व बसीरत थे जिनको शैतान उन लोगों की तरह गुमराह न कर सका जिनका हमने ऊपर ज़िक़्र किया है वो ऐसे पुख्ताकार आलिमों और साहिबाने फेहम व बसीरत के पास उनके महबूब व पसंदीदा रास्तों से पहुँचा उनकी तमन्नाओं और ख्वाहिशात की जगहों से उन तक पहुँचा और उनको गुमराही में मुब्तिला कर दिया उनके सामने उसने खुशनुमा तावीलें पेश की और झूठे अक़वाल पर ख़ूब रंग व रोगन चढ़ाया गर्ज़ शैतान ने अइम्मतुल हुदा^{अ.स.} की

शान और उनके मक़ामे बुलन्द में ग़ौर व फ़िक्र पर आमादा करके लोगों को गुमराह कर दिया और उसने उनके सामने इस बात के सुबूत में पुरज़ोर वसाइल व दलाइल पेश किये कि अइम्मा ताहिरीन^{अ.स.} नऊजो बिल्लाह खुदा हैं मख़लूक नहीं हैं। या फिर उसने ये साबित करने की कोशिश की कि अइम्मा अम्बिया व मुरसलीन हैं पस शैतान ने जिस मक़सद के लिये इस किस्म की ज़ुरत की थी उसमें सौ फिसदी कामयाब हो गया अब तीसरे तबक़े के पास इस सूरत में गया कि उसने उनके ज़ेहनों में ऐसे शकूक व शुब्हात (शक) पैदा कर दिये कि जिससे दीन के फराइज़ व वाजिबात को एक भार समझने लगे फिर क्या था शैतान ने हराम चीज़ों को उनके लिये मुबाह कर दिया और दीन के अहम फराइज़ को तर्क करने का रास्ता खोल दिया और तौहीद परस्त मुसलमानों के जुमरा (गिरोह) से निकल जाना उनके लिये आसान और सहल बना दिया उसने ये सब कुछ अपनी नापाक और झूठी तावीलों और वाहियात दलीलों से किया था पस तीसरे तबक़े के लोग भी बदबख़्ती और नामुरादी में मुबतिला हो गये और अहले दीन व ईमान के जुमरें से खारिज हो गये हम खुदा से दुआ करते हैं और पनाह तलब करते हैं कि वो हमें इस किस्म की गुमराही से बचायें और हमें इस दुनिया से ईमान की सलामती के साथ उठायें। इस हाल में कि हमने न तो बैअत तोड़ी हो न दीन से निकल गये हों न हमने दीन में कोई रद्दो बदल किया हो न हम पर खुदा का गज़ब उतरा हो न हम गुमराह हुए हों।

इमाम जअफररुस्सादिक़^{अ.स.} से रिवायत है कि एक मर्तबा आपके असहाब में से एक शख्स ने लोगों के ताने और ईज़ा रिसानी की शिकायत करते हुए आपसे कहा कि ऐ फरज़न्दे रसूल लोग हमें क्यों सताते हैं और हमारे पीछे क्यों पड़े हुए हैं वो हमसे बुगज़ व अदावत क्यों रखते हैं और हम पर ताअने क्यों कसते रहते हैं जैसे कि हम उनके नज़दीक मुसलमान ही नहीं हैं ? सादिक़ आले मोहम्मद^{अ.स.} ने उस शख्स से फरमाया कि क्या तुम उस ताना-ज़नी और ईज़ा रसानी पर खुदा की हम्दो सताइश और उसका शुक्र न अदा करोगे? देखो जब शैतान इस बात से मायूस और ना उम्मीद हो जाता है कि तुम हमारे दामने वलायत को छोड़ने में उसकी इताअत नहीं करते जिसके मुताल्लिक़ वह जानता है कि खुदा वलायत के बग़ैर किसी अमल करने वाले के अमल को क़बूल न करेगा। लिहाज़ा शैतान हमारी इस वलायत की वजह से लोगों को तुम्हारे ख़िलाफ़ भड़का देता है पस तुम्हें चाहिये कि खुदा ने तुमको जो इसमत व पनाह अता की है उस पर उसकी

हमदो सताइश करो और जब लोगों की ईज़ा रिसानी हद से तजावुज़ कर जाये तो तुम इसके बारे में गोरो फिक्र करो और हम पर जो मुसीबतें और मेहनतें पड़ी हैं उन पर नज़र डालो और आइन्दा भी लोगों की तरफ से हमें ईज़ा पहुँचती रहेगी और हमसे पहले खुदा के औलियाओं और रसूल गुज़र चुके उनके मसाइब व आफतों पर भी नज़र डालो। सुनो मैं तुमको याद दिलाता हूँ कि एक मर्तबा रसूले अकरम^{सअव.} से पूछा गया कि दुनिया में वह कौन से लोग हैं जो सब से ज़्यादा इम्तिहान व आजमाइश में मुबतिला किये जाते हैं। आपने फरमाया अम्बिया फिर ओसिया फिर अइम्मा ताहिरीन^{अस.} फिर मुअमिनीन। इनमें जो अव्वल हैं वह अव्वल ही हैं और जो अफज़ल हैं वह अफज़ल ही हैं खुदावन्दे तआला ने हमें और तुम्हें आखिरत की पाकीज़ा ज़िन्दगी अता की है और उसने हमारे और तुम्हारे लिये इस ज़िन्दगी को पसंद फरमाया है। इसके बाद कहा कि आंहज़रत^{सअव.} ने फरमाया कि यह दुनिया मुअमिनीन के लिये कैद खाना और काफिर के लिये जन्नत है। खुदा जब किसी मुअमिन बंदे को इस दुनिया में कुछ हिस्सा अता करता है तो उसमें कुछ न कुछ मिलावट और कदुरत (तकलीफदेह) होती ही है ताकि दुनिया का यह हज़ (लुत्फ) व नसीब खुदा के बे-आमेज़िश (मिलावट रहित) सवाब में से शुमार न हो इसके लिये तो खुदा आखिरत की बिला कदुरत पाकीज़ा ज़िन्दगी को मुकम्मल कर देगा।

अहले गुलू जो गुमराह और हलाक हो गये उनकी फेहरिस्त तो बहुत तवील है और वह इस किताब की हदो बिसात से बाहर है लेकिन हमारी शर्त के मुताबिक़ इस सिलसिले में हमारे लिये कुछ न कुछ बयान करना निहायत ज़रूरी है। चुनांचे अमीरूल मुअमिनीन अली बिन अबी तालिब^{अ.स.} से रिवायत है आपके असहाब में से कुछ ऐसे लोग जो आपकी बैअत में दाखिल थे और आपकी वलायत व इमामत के काइल थे वह आपसे अलग हो गये और आपकी बैअत को तोड़ दिया और आपके बारे में जुल्म व नाइंसाफी से काम लिया। पस अमीरूल मुअमिनीन^{अ.स.} ने उनसे जंग की और बैअत तोड़ने वालों को शिकस्त दी और दीन से निकल जाने वालों को क़त्ल कर दिया और ज़ालिमों से जिहाद करके उन्हें मौत के घाट उतार दिया। इनमें से कितने आपसे बरी हो गये और आप उनसे बरी हो गये। एक गिरोह ने तो शैतान के मकर व फरैब में आकर अमीरूल मुअमिनीन अली बिन अबू तालिब^{अ.स.} की शान में गुलू करते हुए यहां तक कहा कि नऊज़ो बिल्लाह आप ही नबी थे। जिब्रईल^{अ.स.} ने ग़लती की उन्हें अली^{अ.स.} के पास

वही देकर भेजा गया था मगर ग़लती से मोहम्मद रसूलल्लाह^{स.अ.व.} के पास चले गये। तुफ और हेफ है ऐसी नाकिस अक्लो और ना मुराद लोगों पर और ऐसी वाहिय्यात और लचर बातों पर उन्हे इतना तो गौर करना चाहिये कि उनमें से एक शख्स किसी शख्स को एक प्याला खजूर देकर किसी शख्स को देने के लिये भेजता है और वह जाकर किसी और ही शख्स को दे आये तो भेजने वाला उसके फअल को जाइज़ करार नहीं देता बल्कि उसकी जगह पर दूसरा कासिद भेजता है या दी हुई चीज़ को वापिस मंगा लेता है जब ऐसी बात एक मामूली इन्सान के बारे में सोची नहीं जा सकती तो हमारी समझ में नहीं आया कि यह लोग रब्बुल आलमीन के बारे में क्यों ऐसा फासिद और ग़लत गुमान करते हैं और रूहूल-अमीन जिब्रईल^{अ.स.} के साथ इस किस्म का सू-ए-जन्न (बुरा ख्याल) क्यों करते हैं हालांकि वह रसूले अकरम^{स.अ.व.} की हयाते तय्यबा में आपके पास बराबर वही लेकर आया करते थे और वह कुरआन लेकर आये जो आहज़रत^{स.अ.व.} पर नाज़िल हुआ है इसके बावजूद अहले गुलू शैतान के फरेब में आकर ऐसी बुरी बातें अपने मुंह से निकालते हैं और इस किस्म का खुलम खुल्ला बोहतान लगाते हैं इसकी वजह यह है कि शैतान ने इनको बेहका दिया है और बोहतान व सरकशी का रास्ता इनके सामने आरास्ता कर दिया है। यह वह लोग हैं जिनका हमने इससे पहले ज़िक्र किया था। इनमें बहुत से ऐसे लोग भी हैं जिनको यह वहम है कि जनाब अमीर^{अ.स.} बादलों के अन्दर हैं यह इनकी ऐन हिमाकत और ऐसी ग़लत बात है जो अक्लमंदों पर मख़फ़ी नहीं है एक मर्तबा का ज़िक्र है कि अमीरूल मुअमिनीन^{अ.स.} की शान में गुलू करने वाले आपके पास आये और कहने लगे कि आप ही हमारे खुदा और खालिक व रज़्ज़ाक हैं और आप से हमारी इबतिदा है और आपकी तरफ हमारा मआद है इन बेहुदा बातों को सुनकर आपके चेहरे मुबारक का रंग बदल गया और आप पसीना-पसीना हो गये और जलाले इलाही की ताअज़ीम और ख़ौफ की वजह से बैद की तरह लरज़ उठे और गज़बनाक हो कर अपने हाशिया नशीनों को आवाज़ दी और उनको एक खड्डा खोदने का हुक्म दिया जो फौरन खोदा गया आपने फरमाया कि मैं आज इस खड्डे को चर्बी और गोश्त से भर दुंगा जब गुलू करने वालों को इस बात का यकीन हो गया कि आप उनको क़त्ल कर देंगे तो उन्होंने फिर यह कहा कि अगर आप हमें मार डालेंगे तो आप ही हमें दोबारा ज़िन्दा भी कर देंगे पहले तो अमीरूल मुअमिनीन^{अ.स.} ने उनसे फरमाया कि तुम लोग इन बेहुदा बातों से तौबा करो

लेकिन वो अपनी बात पर अड़े रहे पस आपने उन सबको क़त्ल कर डालने का हुक्म दिया फिर क़त्ल करने के बाद उस खड्डे में आग सुलगाकर उनको जला दिया गया आपने उस वक्त ये शेर पढ़ा :

لَمَّا رَأَيْتُ الْأَمْرَ أَمْرًا مُنْكَرًا
أَضْرَمْتُ نَارًا وَدَعَوْتُ قَنْبَرًا

लम्मा रअयतुल अमरः अमरन मुनकरा

अज़रम्तो नारन व दाअवतो कन्बिरा

तर्जुमा : मैंने जब नागवार बात देखी तो आग सुलगाई और अपने गुलाम कम्बर को आवाज़ दी।

आपका ये वाकिआ तारीख़ में बहुत मशहूर है ऐसे ही दूसरे वाकिआत आपके फरज़न्दों में से जो अइम्मा ताहिरीन^{अ.स.} हुए हैं उनके ज़मानों में भी पेश आ चुके हैं जिनकी फेहरिस्त बहुत तवील है मिसाल के तौर पर हम मुगीरा बिन सईद का वाकिआ यहाँ पर नक़ल करते हैं मुगीरा इमाम बाकिर^{अ.स.} के असहाब और दुआत में से था। मगर शैतान ने उसको गुमराह कर दिया वह काफिर हो गया उसने नबुव्वत का दावा किया। उसको यह वहम हो गया कि वो मुर्दों को ज़िन्दा कर सकता है उसका यह भी अक़ीदा था कि इमाम बाकिर^{अ.स.} (नऊज़ो बिल्लाह) खुदा हैं अल्लाह ही तमाम आलम का रब है उसका ये भी गुमान था कि आपने उसको पैग़म्बर बनाकर भेजा है। चुनांचे उसकी इन वाहिय्यात और लचर बातों में आपके बहुत से असहाब आ गये और वो फिरका मुगीरिया के नाम से मशहूर हो गये जब ये ख़बर इमाम बाकिर^{अ.स.} को पहुँची तो उस वक्त आप अमीरुल मुअमिनीन अली बिन अबी तालिब^{अ.स.} की तरह बादशाहे वक्त न थे कि आप उनको क़त्ल करते जैसा कि जनाब अमीर^{अ.स.} ने उन लोगों को क़त्ल किया था। जिन्होंने आपकी ज़ाते मुबारक में कुफ़्र व इलहाद की बातें कही थी अलबत्ता इमाम बाकिर^{अ.स.} ने इतना ज़रूर किया कि आपने मुगीराह और उसके मानने वालों पर लाअनत भेजी और उससे और उसके असहाब से उसकी तमाम कुफ़रियात से अपनी बराअत का इज़हार किया और अपने शियों को तेहरीरन इस बात से ख़बरदार कर दिया उनको मुगीरा व असहाबे मुगीरा से तर्क़ ताअल्लुक़ और खुदा से पनाह मांगने का हुक्म दिया और आपने मुगीरा व असहाबे मुगीरा पर पुरज़ोर अलफाज़ में लाअनत भेजी पस आपके असहाब ने आपके हुक्म

पर अमल किया उन्होंने इतबाए मुगीरा का मुगीरिया राफज़ा के नाम से मौसुम किया क्योंकि उन्होंने इमाम बाकिर^{अ.स.} का दामन छोड़ दिया था। और मलऊन मुगीरा की बातों में आ गये थे आपके और मुगीरा व असहाबे मुगीरा के दरमियान ब—कसरत मनाज़िरे और झगड़े हुए हैं जिनका तज़किरा बहुत तवील है। मुगीरा व असहाबे मुगीरा ने तमाम मुहर्रिमात को हलाल व मुबाह कर लिया था उन्होंने शरीअत को छोड़ दिया था और वो इस्लाम के दायरे से खारिज हो गये थे और शियाने हक के जुमरा और अइम्मतुल हुदा^{अ.स.} के मानने वालों से अलग हो गये थे। इमाम बाकिर^{अ.स.} ने अपनी लाअनत और बराअत का आम तौर से ऐलान कर दिया था।

इमाम जअफरुस्सादिक^{अ.स.} के ज़माने में अबुल खत्ताब निकला ये आपका बहुत बड़ा दाई था मुगीरा की तरह ये दाई भी गुमराह हो गया उसने कुफ़्र और दावा ए नबुव्वत तक किया और बद गुमानी की कि इमाम जअफरुस्सादिक^{अ.स.} (नऊज़ो बिल्लाह) खुदा है अल्लाह तआला ही बुलन्द व बड़तर है उसने भी मुगीरा की तरह तमाम मुहर्रिमात को हलाल व मुबाह कर लिया था उसने फसक व फुजूर की आम इजाज़त दे रखी थी उसके ताबेईन को जब किसी फरीज़ा की अदाइगी बारे—गिरां (भारी) मालूम होती तो वो अबुल खत्ताब के पास आकर कहते कि ऐ अबुल खत्ताब! हमारे सरों से इस बोझ को हल्का कर दो तो उस वक्त अबुल खत्ताब उन सबको उस फरिज़ा को तर्क करने का हुक्म दे देता यहां तक कि उन्होंने रफ़्ता रफ़्ता तमाम फराइज़ को तर्क कर दिया था और तमाम मुहर्रिमात को हलाल व मुबाह कर लिया था गर्जे शरीअत ने जिन—जिन कामों से रोका था वो उसी के मुरतकिब हुए इसके अलावा अबुल खत्ताब ने अपने मानने वालों को एक दूसरे के खिलाफ झूठी गवाही देना भी जाइज़ व मुबाह कर दिया था उसने यहां तक कहा कि जिसने इमाम को पहचान लिया उसके लिये हर हराम चीज़ हलाल है जब इसकी इत्तिलाअ इमाम जअफरुस्सादिक^{अ.स.} को हुई तो आप उस वक्त इसके सिवा कुछ और न कर सके कि आपने अबुल खत्ताब पर लाअनत और उससे इज़हारे बराअत की ये इत्तिलाअ ब—ज़रिया खत पहुँचा दी पस इमाम जअफरुस्सादिक^{अ.स.} के लिये उस ज़माने में इतना ही मुमकिन था जो आप कर गुज़रे अबुल खत्ताब का मामला आप पर बहुत शाक और गिरां (सदमा पहुँचा) था।

हज़रत मुफज़ज़ल बिन उमरू का बयान है वो कहते हैं कि मैं एक रोज़ इमाम जअफरुस्सादिक^{अ.स.} की खिदमत में हाज़िर हुआ तो उस वक्त

मैंने आपको गुस्से के आलम में रंजीदा खातिर और अशक बार पाया मैंने अर्ज किया कि मैं आप पर कुर्बान व निछावर हो जाऊँ इस रंजीदगी और अशक फिशानी (आंसू बहाने) का बाइस क्या है सादिक आले मोहम्मद^{अ.स.} ने फरमाया कि

سُبْحَنَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يَقُولُونَ عُلُوًّا كَبِيرًا •

सुब्हानहु व तआला अम्मा यकूलून: उलुव्वन कबीरा 15-17/43 तर्जुमा : पाक है खुदा और बुलन्द व बाला है उस बात से जो जालिमीन कहते हैं। ऐ मुफ़्ज़ल! ये काफिर व कज़़ाब (झूठे) अबुल खत्ताब ये बदगुमानी करता है कि मैं (नऊज़ो बिल्लाह) अल्लाह हूँ, सुब्हानल्लाह अल्लाह तआला के सिवा कोई माबूद नहीं है वही मेरा और मेरे आबाअ व अजदाद का रब है उसी ने हमको पैदा किया है और हमको अपनी अतियात से नवाज़ा है हम तो हिदायतों के महज़ निशानात और झंडे हैं और ज़मीन में खुदा के लिये सबसे बड़ी हुज्जत हैं। ऐ मुफ़्ज़ल! तुम असहाबे अबुल खत्ताब के पास जाओ और उनसे कह दो कि हम मख़लूक और खुदा के बन्दे हैं रब नहीं मरबूब हैं अलबत्ता हमको खुदा की तरफ से ऐसा दर्जा अता हुआ है जो हमारे सिवा किसी और को नहीं मिला है और इस मर्तबा ए इमामत के सिर्फ हमी अहल हैं हम तो महज़ खुदा के अनवार में से एक नूर हैं और हमारे शिया हममें से हैं और हमारे तमाम मुख़ालिफीन जहन्नम में होंगे और हम कल क़यामत के रोज़ खुदा के घर में उसके पड़ोसी होंगे। जो भी हमारी बातों को क़बूल कर लेगा और हमारी इताअत करेगा वो जन्नत में होगा और जो उस काफिर व कज़़ाब अबुल खत्ताब की इताअत व पैरवी करेगा वो जहन्नम में जायेगा।

इमाम जअफरुस्सादिक^{अ.स.} से रिवायत है सुदेर सेरफी^{र.अ.} ने एक मर्तबा आपसे पूछा कि मैं आप पर फिदा हो जाऊँ आपके शिया आपके बारे में ब-कसरत इख़िलाफ रखते हैं बाअज़ कहते हैं कि इमाम के कान में फूँका जाता है और बाअज़ कहते हैं कि इमाम पर वही नाज़िल होती है और बाअज़ कहते हैं कि इमाम अपने बाप-दादा की किताबों से फतवा देते हैं अब आप ही फरमाये कि मैं उनमें से किसकी बात मानूँ ? इमाम जअफरुस्सादिक^{अ.स.} ने फरमाया कि उनमें से किसी की बात न मानो। ऐ सुदेर^{र.ज.} हम तो अल्लाह के बन्दों पर महज़ उसके हुज्जत और अमीन हैं। हमारा हलाल व हराम खुदा की किताब से है।

इमाम जअफरुस्सादिक^{अ.स.} से रिवायत है कि ऐस बिन मुख़तार आपकी ख़िदमत में हाज़िर हुए और कहा कि मैं आप पर कुर्बान हो जाऊँ आपके शियों के दरमियान ये कैसे-कैसे इख़िलाफ़ात हैं ? सादिक आले मोहम्मद^{अ.स.} ने फरमाया कि ऐ ऐस तुम इनके दरमियान किन इख़िलाफ़ात की बातें करते हो ? ऐस ने अर्ज़ किया कि मैं जब कभी कूफ़ा में आपके शियों के हल्के में बैठता हूँ तो मैं उनकी बातों और इख़िलाफ़ात की वजह से शक से क़रीब हो जाता हूँ और जब वहां से लौट कर मुफ़ज़्ज़ल^{र.ज.} के पास पहुँचता हूँ तो मुझे उनके पास सुकून व इतमीनान मिल जाता है। इमाम जअफरुस्सादिक^{अ.स.} ने फरमाया कि हाँ ऐ ऐस ये वैसा ही है जैसा की तुमने बयान किया है लोग हम पर बोहतान बांधने लगे हैं गोया खुदा ने हमारे ख़िलाफ़ बोहतान तराशी को उन पर फर्ज़ कर दिया है और वो उनसे इसके सिवा कुछ और चाहता नहीं है मैं इनमें से जब किसी एक से कोई हदीस बयान करता हूँ तो वो जैसे ही मेरे पास से उठ कर चला जाता है वो मेरे ख़िलाफ़ उसकी बे बुनियाद तावीलात करने लगता है इसकी असल वजह ये है कि वो दीने हक़ के तलबगार नहीं हैं और तुम सही माअनों में दीने हक़ के तलबगार हो ऐ ऐस उनमें से हर एक की यही खुवाहिश है कि वो सर बुलन्द सरदार बन जायें और ये एक हकीक़त है कि जो बन्दा अपना सर ऊँचा करता है खुदा उसके सर को नीचा कर देता है और जो बन्दा अपने नपस को कमतर और हकीर शुमार करता है। खुदा उसको सर बुलन्द और शरफदार कर देता है।

इमाम जअफरुस्सादिक^{अ.स.} से रिवायत है कि आपने अपने उस दाई को ख़त लिखा जिसने अपने ख़त में ऐसे लोगों का हाल लिखा था जिन्होंने अलग दाअवत काइम कर ली थी और हुदूद से तजावुज़ कर गये थे और उन्होंने मुहर्रिमात को जाइज़ व हलाल बना लिया था और ज़ाहिरी अहकामे शरीअत को छोड़ दिया था इमाम जअफरुस्सादिक^{अ.स.} ने उस दाई को जवाब देते हुए अपने मकतूबे गिरामी में क़ौम का हाल बयान करने के बाद इस तरह तहरीर फरमाया कि ऐ दाई तुमने अपने ख़त में लिखा था कि तुम्हे इस बात की ख़बर पहुँची है कि उस क़ौम का ये गुमान है कि नमाज़, रोज़ा, ज़कात, हज व उमरा मस्जिदे हराम, बैतुल्लाह हराम, मशाइरे इज़ाम और शहरे हराम ये तमाम एक शख्स हैं जनाबत के गुस्ल से एक शख्स मुराद है और खुदा ने जो फराइज़ अपने बन्दों पर फर्ज़ किये हैं उन तमाम से मुराद एक शख्स है और वो ये भी कहते हैं कि जिसने उस एक शख्स को पहचान

लिया तो अमल के बगैर उसको ये पहचान लेना काफी है। उसने नमाज़ पढ़ ली ज़कात, रोज़ा, हज व उमरा अदाकर लिया और जनाबत के गुस्ल से पाक हो गया है वो हुरमते अल्लाह की ताअज़ीम कर चुका उसने शहरे हराम और मस्जिद हराम की ताअज़ीम कर ली और उनका ये भी गुमान है कि जिसने उस शख्स की माअरिफत कर ली और वो शख्स उसके दिल में पैवस्त व जागज़ी हो गया (समा गया) उसके लिये जाइज़ है कि वो एहकाम इलाही के साथ हिक्मत से पेश आये उसे अपनी जान को मशक्कत में डालना वाजिब नहीं है। जिसने उस शख्स को पहचान लिया तो उसकी तरफ से खुदा के तमाम फराइज़ मकबूल हो गये अगरचे उसने इन फराइज़ पर अमल नहीं किया है और ऐ दाई तुम्हें ये भी खबर पहुँची है कि वो लोग ये गुमान करते हैं कि खुदावन्दे तआला ने जिन फवाहिश और बदकारियों से रोका है मसलन जुआ, शराब, ज़िना, सूद, मुर्दा, खून, सूअर का गोश्त यह कि तमाम अशखास हैं उनका ये भी खयाल है कि खुदावन्दे तआला ने सिर्फ अपनी माँओ, बेटियों, बहनों, चाचियों, खालाओं के साथ निकाह करना हराम किया है इनके अलावा मुअमिनीन जो दूसरी औरतें हराम है वो नबी की अजदवाज मुत्ताहिरात (पाक बीवीयाँ) हैं इनके सिवा दूसरी औरतों से निकाह करना मुबाह है तुमको ये भी खबर मिली है कि वो लोग एक ही औरत के साथ बाहम निकाह करते हैं और एक दूसरे के खिलाफ झूठी गवाही देते हैं और वो ये भी गुमान रखते हैं कि उन्हें हर शेय (चीज़) के ज़ाहिर व बातिन की माअरिफत हासिल है और बातिन ही असल गर्ज व ग़ायत हैं उनको बातिन ही पर अमल करने का हुक्म दिया गया है ऐ दाई! तुम इस बारे में और उनके हालात के बारे में और उनके अकाइद के बाबत मुझसे सवाल करते हो? तो सुनो! मैं तुमको खबर करता हूँ कि जिसका दीन व मज़हब इस किस्म का है जिसके मुताल्लिक तुम ने मुझसे दरयाफ़्त किया है तो तुम्हें मालूम हो कि ऐसे दीन व मज़हब का पिरो (मानने वाले) मेरे नज़दीक मुशरिक हैं उसका शिर्क इतना वाज़ेह और खुला हुआ है कि जिसमें किसी को शक करने की गुंजाइश नहीं है।

क्या उन लोगों ने खुदा का ये कौल नहीं सुना है कि :

قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَّنَ

कुल इन्नमा हररमः रब्बियल फवाहिशः मा ज़हरः मिन्हा वमा बतनः 8-7/33
 तर्जुमा : (ऐ रसूल^{स.अ.व.}) तुम (साफ) कह दो कि हमारे परवरदिगार ने तो
 तमाम बदकारियों को ख्वाह जाहिरी हों या बातिनी हराम किया है।

और खुदा का ये भी इर्शाद है कि :

وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ

व ज़रू ज़ाहिरल इस्मि व बातिनःहू 8-6/121 तर्जुमा : और (ऐ लोगो)
 ज़ाहिरी और बातिनी (दोनों) गुनाह को बिल्कुल छोड़ दो।

पस जिस चीज़ का ज़ाहिर हराम है उसका बातिन भी हराम है और
 जिस चीज़ का ज़ाहिर हलाल है उसका बातिन भी हलाल व जाइज़ है।
 ज़ाहिर को बातिन पर दलील बनाया गया है और बातिन को ज़ाहिर पर
 दलील बनाया गया है ज़ाहिर व बातिन दोनों एक दूसरे की ताईद करते हैं
 और एक-दूसरे को मज़बूत व पुख्ता करते हैं जो चीज़ ज़ाहिर में मज़मूम व
 बुरी है वो बातिन में भी मज़मूम व बुरी हैं और जो ज़ाहिर में पसंदीदा है वो
 बातिन में भी पसंदीदा हैं।

इमाम जअफरुस्सादिक^{अ.स.} ने इसके बाद तहरीर फरमाया कि ऐ
 दाई तुम यकीन जानों कि ये वो क़ौम है जिसने सुना तो ज़रूर मगर वो
 इसकी हकीकत से वाकिफ नहीं हुए और वह इसके हुदूद पर वाज़ेह कर
 सकें जिन पर वाज़ेह करने का उन्हें हुक्म दिया गया था ये तकज़ीब और
 खुदा व रसूल^{स.अ.व.} पर बोहतान बांधने की वजह से उन्होंने ऐसा किया है और
 इरतिकाबे गुनाह पर जुर्अत की बिना पर ऐसा किया है खुदावन्दे तआला ने
 किसी ऐसे नबी को मबऊस नहीं फरमाया है जो महज़ माअरिफत की तरफ
 दाअवत करता हो और उसके साथ इताअत लाज़िम न हो खुदा अपने बन्दों
 से फराइज़ के आमाल को उसी वक़्त क़बूल करता है जबकि खुदा की तरफ
 से उन फराइज़ व अहकाम को लाने वाले और उसकी तरफ दाअवत करने
 वाले की माअरिफत हासिल हो लिहाज़ा सबसे पहला फर्ज़ यही है कि उस
 शख्स की माअरिफत हासिल की जाये जो खुदा की तरफ दाअवत करता है
 वो इस तरह से कि पहले इस बात का इक़रार किया जाये कि अल्लाह
 तआला के सिवा कोई माअबूद नहीं है वो वाहिद है और फिर उसकी
 रुबूबियत का इक़रार किया जाये। उसके बाद उस रसूल की मारिफत फर्ज़
 है जिसने खुदा की तरफ से पैगाम को पहुंचाया है वो जो कुछ भी पैगामे
 इलाही लेकर आया है उसको क़बूल किया जाये फिर वसी की माअरिफत

फिर उन अइम्मा ताहिरीन^{अ.स.} की मारिफत करना फर्ज है जिनकी इताअत को खुदा ने हर ज़माने के लोगों पर फर्ज की है अब्बल व आखिर रसूल^{सअव.} व इमाम^{अ.स.} पर ईमान लाना और उसकी तस्दीक करना फर्ज है इसके बाद खुदा ने अपने बन्दों पर जिन ज़ाहिरी व बातिनी आमाल को फर्ज किया है उन पर अमल करना ज़रूरी है और ज़ाहिर और बातिन में जो हराम चीज़ें हैं उनसे इजतिनाब (परहेज़) करना चाहिये। खुदा ने ज़ाहिर को बातिन के साथ और बातिन को ज़ाहिर के साथ हराम करार दिया है खुदा ने अस्ल व फराअ दोनों को हराम किया है पस जो चीज़ बातिन में हराम है वो अपने ज़ाहिर ही की तरह हराम है इन दोनों में से किसी एक को हलाल व मुबाह नहीं किया जा सकता है और इस तरह तमाम ताअत के ज़ाहिर व बातिन पर अमल करना बंदों पर फर्ज है ऐसा नहीं है कि इनमें से ज़ाहिर पर तो अमल किया जाये और बातिन को छोड़ दिया जाये या बातिन पर अमल किया जाये और ज़ाहिर को छोड़ दिया जाये बातिनी नमाज़ छोड़कर सिर्फ ज़ाहिरी नमाज़ जाइज़ नहीं है और न ज़ाहिरी नमाज़ को छोड़कर बातिनी नमाज़ जाइज़ है यही हाल ज़कात, हज व उमरा का भी है और दूसरे उन तमाम फराइज़ और हुरमात व शआइरुल्लाह का है जिनको खुदा ने अपने बन्दों पर फर्ज किया है।

अमीरुल मुअमिनीन अली बिन अबीताल्लिब^{अ.स.} से रिवायत है आपने एक मर्तबा कुरआन का तज़क़िरा करते हुए फरमाया कि कुरआन के ज़ाहिरी अहकाम पर अमल करना वाजिब है और कुरआन का इल्म बातिन पोशीदा है जो हमारे पास मालूम व मकतूब है।

इमाम जअफरुस्सादिक^{अ.स.} से रिवायत है कि एक मर्तबा आपके असहाब में से एक शख्स ने आपसे ऐसे लोगों का तज़क़िरा किया जो आपके शियों के जुमरा (गिरोह) से निकल गये थे और उन्होंने तमाम हराम चीज़ों को हलाल कर लिया था उस शख्स ने सादिक आले मोहम्मद^{अ.स.} की खिदमत में अर्ज किया कि उन लोगों का ये अक़ीदा है कि दीन फकत माअरिफत का नाम है जब तुमको इमाम की माअरिफत हासिल हो जाये तो फिर जो चाहो सो करो। इमाम जअफरुस्सादिक^{अ.स.} ने फरमाया कि

إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ •

इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन उन काफ़िरों ने ऐसी चीज़ के मुताल्लिक़ सर मारा है जिसको वो जानते ही नहीं है दरअसल ये कहा गया

है कि इमाम की माअरिफत करो उसके बाद ताअतों में से जो चाहो ताअत करो वो तुमसे कबूल की जायेगी क्योंकि खुदा बगैर मारिफत के कोई अमल कबूल नहीं करता है अगर एक शख्स नेकी के तमाम काम करता रहे। और ज़माने भर रोज़ा रखता रहे और रात भर नमाज़ पढ़ता रहे और राहें खुदा में अपनी दौलत को खर्च करता रहे और खुदा के तमाम एहकाम पर अमल करता रहे लेकिन उसको उस नबी की माअरिफत ही हासिल न हो जो उन फराइज़ को लाता है ताकि वो उस पर ईमान लाये और उसकी तस्दीक़ करे और उसको अपने इमाम—ए—ज़माना का भी पता न हो जिसकी इताअत खुदा ने उस पर फर्ज़ की है कि वो उस इमाम की इताअत करे तो ऐसे शख्स को खुदा उसके किसी अमल का भी ज़र्रा बराबर सवाब न देगा। जैसा कि इस बारे में खुदावन्दे तआला का इर्शाद है कि :

وَقَدْ مَنَّا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَّنْثُورًا

व क़दिमना इला मा अमिलू मिन अमलिन फजअलनाहो हबाअम मनसूरा 0 19—25/23 तर्जुमा : और उन लोगों ने (दुनिया में) जो नेक काम किये हैं हम उसकी तरफ तव्वजो करेंगे तो हम उसको (गोया) उड़ती हुई खाक बना देंगे (बर्बाद कर देंगे)।

इमाम जअफरुस्सादिक^{अ.स.} ने तो यहां तक फरमाया कि अगर एक “जाहिल” इबादत में मशगूलियत की वजह से टुकड़े—टुकड़े हो जाये फिर भी वह खुदा से दूर ही रहेगा और इस किस्म की दूसरी रिवायत और वाकिआत जो हर इमाम के ज़माने में पेश आ चुके और जिनका हमने खुद मुशाहिदा किया है अगर उन तमाम को हम बयान करने लगें तो इस किताब को तमाम करने का जो हमारा इरादा है वो पूरा न होगा।

ऐसा ही एक वाकिआ इमाम मेहदी बिल्लाह^{अ.स.} के ज़माने में पेश आ चुका है हमें कुछ ऐसे लोगों के इख़्तिलाफ की खबर पहुँची थी जो दीन में बसीरत रखते थे और जलीलुल क़दर मुअमिनीन में से शुमार होते थे उन्होंने इतनी मशक्कत उठाई थी और ऐसा जिहाद किया था जिसकी गुज़िशता ज़माने में कोई मिसाल नहीं मिलती और वो ऐसे दुआत थे जो खुदा और उसके वली ही की तरफ दाअवत करते थे और वो इल्म के ऐसे बुलन्द मक़ाम पर पहुँचे थे जहाँ उनके सिवा कोई और न पहुँचा था ऐसे लोगों को शैतान ने उन लोगों की तरह गुमराह किया जिनका हमने ऊपर ज़िक्र किया है पस शैतान ने उनको हवा परस्ती की राह पर लगा दिया और उनको

पहले रास्ते से हटा दिया और उनको गारे हलाकत में डाल दिया और इस तरह उनका खात्मा व अंजाम बहुत बुरा हुआ वो निफाक व गुमराही की हालत में कत्ल कर दिये गये वो दीन से बिल्कुल खारिज हो गये थे दलालत (गुमराही) व बदबख्ती से खुदा की पनाह! हमने कितने ऐसे लोगों को भी देखा है जो दाअवत के दायरे में थे और साहिबाने बसीरत व वलायत थे और नेक अमल करते थे फिर वो बड़े-बड़े गुनाह करने लगे। उन्होंने हराम चीजों को हलाल कर लिया और फराइज़ को तर्क कर दिया दीन को हिकारत की नज़र से देखने लगे उनका हाल भी वही हो गया जिनका हम ऊपर बयान कर चुके हैं इमाम मेहदी बिल्लाह^{अ.स.} ने इन लोगों को सख्त सज़ा दी थी और हर एक को उसके कुफ़्र व शिर्क के मुताबिक़ मुबतिला ए—अज़ाब किया था आपने उनमें से कुछ लोगों को तो मार डाला और कुछ लोगों को सूली पर लटका दिया और कितनों को बेड़िया पहनाकर कैदखानों में डाल दिया यहाँ तक कि वो सब के सब हलाक हो गये आपने अपनी दाअवत का दरवाज़ा बन्द कर लिया और उन पर से रहमत को अरसा दराज़ तक के लिये मख़्फ़ी कर दिया यहाँ तक कि आपने मुअमिनीन का इम्तिहान लिया मुनाफ़िकों और बे—दीनों को अलग कर दिया इस सिलसिले में आपने जो कुछ किया था वो क़ौम के हालात लिखने बैठें तो ज़ख़ीम (बड़ी) किताबें लिखी जा सकती है। हमने ऐसा ही वाकिआ इमाम मंसूर बिल्लाह^{अ.स.} से भी सुना है आप फरमाते हैं कि जब इमाम मेहदी बिल्लाह^{अ.स.} का इन्तिक़ाल हो गया और आपके बाद आपके फरज़न्द इमाम काइम बि—अमरिल्लाह^{अ.स.} तख़्ते ख़िलाफ़त व इमामत पर जलवा अफरोज़ हुए उसके बाद आपने एक रोज़ अइम्मा ताहिरीन^{अ.स.} का ज़िक्र किया और उन लोगों के कुफ़्र व इलहाद का तज़किरा फरमाया जिन्होंने अइम्मतुल हुदा की शान में अपनी ज़बान से कुफ़्र व इलहाद के कलिमात निकाले थे आपने उस वक्त आह! सर्द खींची अचानक तबीयत में रंज (उदासी) व मलाल पैदा हो गया और आप पर ख़ौफ़े इलाही तारी हो गया हम उस वक्त आपके सामने बैठे थे। हमने आप पर ख़ौफ़े इलाही के आसार देखे थे आपने कुछ देर के बाद फरमाया कि :

إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ •

इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन।

तर्जुमा : हम तो खुदा ही के हैं और हम उसी की तरफ लौटकर जाने वाले हैं और इमाम मंसूर बिल्लाह^{अ.स.} ने इमाम काइम बिअमरिल्लाह^{अ.स.} के कुछ

कलाम का तज़क़िरा किया था जो हमें याद नहीं है मगर इसका मफहूम व मक़सूद लोगों के शर से और उनकी तावीलात और मनगढ़त बातों से पनाह मांगना था उसके बाद आपने फरमाया कि कल तक तो मैं इन लोगों के नज़दीक मुसलमानों का वली उल अम्र था और आज ये हाल है कि इनमें से कुछ लोगों ने मुझे खुदा बना दिया है और बाअज़ ने मुझे नबी बना दिया है और बाअज़ ये कहते हैं कि इल्म ग़ैब जानता हूँ और कितनो ने यह कहा कि मुझ पर वही नाज़िल होती है इसके बाद इमाम मंसूरबिल्लाह^{अ.स.} ने हमसे फरमाया कि जैसा कि हमने ऊपर बयान किया है उसी तरह तुम लोग भी हमारी बातें लोगों तक पहुँचा दो इतना कहना था कि आपकी आँखों में आँसू भर आये हमने आप पर खुदा का ख़ौफ तारी देखा फिर आपने फरमाया कि हमारी ये बातें नोट करो और लोगों के सामने इसका तज़क़िरा करो कि हम अइम्मतुल हुदा^{अ.स.} बन्दगाने खुदा में से सिर्फ उसके बन्दे हैं और उसकी मख़लूक में से हम भी एक मख़लूक हैं हाँ इतना फर्क ज़रूर है कि खुदावन्दे तआला ने हमको अपनी तरफ से मर्तबा इनायत फरमाया है इस मर्तबे से हमको इज़्ज़त बख़्शी है वो मर्तबा ये है कि खुदा ने हमें अपने बन्दों का इमाम और अपनी मख़लूक पर “हुज्जत” बनाया है हमारे पास इस किस्म की और बहुत सी बातें मौजूद हैं अगर हम उनको पूरा बयान करने लगे तो इस किताब का असल मक़सद फौत हो जायेगा फिर भी हमने जो कुछ बयान कर दिया है इससे खुदा अक़लमंदो को फायदा ही पहुँचायेगा।

اِنْشَاَ اللّٰهُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ

इन्शा अल्लाहो व ला होल: व ला कुव्वत: इल्ला बिल्लाह।

अइम्मतुल हुदा की वसीयतों का बयान

अमीरुल मुअमिनीन अलीयुल मुर्तज़ा^{अ.स.} से मरवी है कि कुछ लोग दुनियावी कामकाज के सिलसिले में आपके पास आये और उस दुनियावी मक़सद के हुसूल के लिये अपनी शीइयत को आला कार बनाते हुए अर्ज़ करने लगे कि ऐ अमीरुल मुअमिनीन हम आपके शिया हैं जनाब अमीर^{अ.स.} ने उनकी तरफ कुछ देर देखने के बाद फरमाया कि मैं तुम लोगों को पहचान भी नहीं पाता हूँ दर हकीक़त हमारे शिया तो वो लोग हैं जो अल्लाह

व रसूल पर ईमान लाये हैं जो खुदा के एहकाम पर अमल करते हैं और गुनाहों से बचते हैं और जिस बात का हम उनको हुक्म देते हैं उस पर अमल करते हैं हमारे शिया तो वो हैं जो औकाते नमाज़ मालूम करने के लिये सूरज, चाँद और सितारों पर नज़र रखते हैं हमारे शिया वो हैं जिनके होंठ खुश्क और पेट अन्दर को धंसे हुए होते हैं जिनके चेहरों से दरवेशाना आसार नज़र आते हैं वो शख्स हमारे शियों में से नहीं है जो दूसरों का हक़ खा जायें और जो लोगों पर जुल्म व जबर करे और जो उस चीज़ पर अपना कब्ज़ा जमा ले जो उसका हक़ नहीं है।

इमाम जअफरुस्सादिक^{अ.स.} से रिवायत है कि एक मर्तबा शियों में से कुछ लोग कूफा से आपकी खिदमत में हाज़िर हुए ये लोग जब तक उनसे हो सका मदीना में मुकीम रहे और सादिक आले मोहम्मद^{अ.स.} की खिदमत में आते जाते रहे और आपसे अहादीस का समाअ करते रहे और उलूम और मआरिफ हासिल करते रहे जब कूफा जाने का वक्त आया तो वो आपकी खिदमत में हाज़िर हुए इमाम जअफरुस्सादिक^{अ.स.} ने उन्हें विदा किया उस वक्त उनमें से एक शख्स ने अर्ज़ किया कि ऐ फरज़न्दे रसूल आप हमको कुछ वसीयत फरमाइये आपने उनसे खिताब करके फरमाया कि मैं तुम सबको अल्लाह तआला से डरने की वसीयत करता हूँ और एहकामे इलाही पर अमल और गुनाहों से इजतिनाब (बचने की) की वसीयत करता हूँ और जो तुमको अपनी अमानत सौंप जाये उसको अदा करने की वसीयत करता हूँ जिनकी सौहबत में रहो उसके साथ हुस्न सुलूक की मैं तुमको वसीयत करता हूँ और इस बात की वसीयत करता हूँ कि तुम हमारे खामोश दुआत बनो ये सुनकर उन लोगों ने अर्ज़ किया कि ऐ फरज़न्दे रसूल भला हम लोग खामोश रहकर किस तरह आप लोगों की तरफ दाअवत करेंगे आपने फरमाया कि जब तुम उन एहकामे इलाही पर अमल करोगे जिन पर अमल करने का हमने तुमको हुक्म दिया है और खुदावन्दे तआला ने जिन चीज़ों को हराम क़रार दिया है उसके इरतिकाब से एक दूसरे को रोकते रहोगे और लोगों के साथ सच्चाई व इन्साफ से पेश आओगे और अमानतों को बराबर अदा करोगे नेक कामों का हुक्म दोगे और बदकारियों से मना करोगे और लोग तुम्हारी नेकी ही नेकी से वाकिफ होंगे तो उस वक्त यह कहेंगे कि ये फलां इमाम के अतबाअ हैं खुदा की रहमत फलां पर उसने अपने असहाब को कितनी उम्दा तालीम और कितने अच्छे आदाब सिखाये हैं उस वक्त उन्हें हमारे फज़ल व कमाल का इल्म होगा और फिर वो हमारे फज़ल व

कमाल की तरफ जल्द माइल होंगे। मैं इस बात का शाहिद हूँ कि मैंने अपने पिदर बुजुर्गवार इमाम बाकिर^{अ.स.} को ये फरमाते हुए सुना है कि अगले ज़मानों में हमारे जो शिया थे वो अपने ज़माने के बहुत ही नेक और बा-अमल लोग थे अगर कबीले की मस्जिद में कोई इमाम होता तो वो उन्हीं में से होता था और अगर उस मस्जिद का कोई मोअज़्ज़िन होता तो वो हमारे ही शियों में से होता था और अगर उनमें कोई ऐसा आलिम होता जिसके पास लोग दीनी व दुनियावी हाजत रवाई के वास्ते आते तो वह भी हमारे ही शियों में से होता था लिहाज़ा तुम लोग भी ऐसे ही बनो। हमें लोगों के नज़दीक महबूब व पसंदीदा बनाओ हमें उनके नज़दीक ना पसंदीदा और मबगूज़ न बनाओं।

इमाम जअफररुस्सादिक^{अ.स.} से रिवायत है कि एक मर्तबा आपको अपने कुछ शियों के अमल में कोताही की खबर पहुँची तो आपने उनको नसीहत फरमाई और सख्त तनबीह (ताकीद) की। आपने उनसे फरमाया कि देखो जो शख्स भी खुदा के फर्ज़ की अदाइगी में ज़र्रा बराबर भी कोताही करेगा उस पर खुदा की रहमत न होगी और वो क़्यामत के दिन मोहम्मद रसूलल्लाह^{स.अ.व.} की शफाअत का हक़दार भी न होगा लिहाज़ा तुम पर जो कुछ खुदा ने फर्ज़ किया है वो हमसे सुनो और उस पर अमल करो हम तुमसे जो कुछ कहते हैं उसकी मुखालिफ़त करके खुदा व रसूल के और हमारे आसी व नाफरमान न बनो खुदा की क़सम अल्लाह के सिवा कोई और माअबूद नहीं है ये कहकर आपने अपने हाथ से आसमान की तरफ इशारा किया और फिर ये फरमाया कि और हम हैं उस वक़्त आपने अपने नफ़्स की तरफ हाथ से इशारा किया फिर फरमाया कि हमारे शिया हम में से हैं और दूसरे तमाम लोग जहन्नम में जायेंगे। हमारी ही ज़ात से खुदा की इबादत होती है और हमारी ही ज़ात से खुदा की ना फरमानी होती है पस जिसने हमारी ना फरमानी की उसने खुदा की ना फरमानी की और जिसने हमारी इताअत की उसने खुदा की इताअत की हमारी इताअत खुदा का वो हुक्म है जो उसकी मख़लूक की तरफ साबित हो चुका है वो इस तरह की खुदा किसी बन्दे का अमल क़बूल नहीं करता मगर हमारे ज़रिये से और न वो किसी पर रहम फरमाता है मगर हमारे ही ज़रिये से लिहाज़ा हम खुदा के “बाब” और उसके “हुज्जत” हैं और उसकी मख़लूक के अमीन हैं और उसके असरार के मुहाफिज़ हैं और उसके उलूम व मआरिफ के अमानतदार

हैं जन्मत में उस शख्स का कोई हिस्सा नहीं है जो अपने माल में से हमको हमारा हक ना देगा।

इमाम जअफरुस्सादिक^{अ.स.} से रिवायत है आपने हज़रत मुफज़्ज़ल^{र.} ज. से फरमाया कि ऐ मुफज़्ज़ल ! तुम हमारे शियों से कह दो कि वो खुदा की मर्जी के ताबेअ होकर और उसके मुहारिम व मआसी से बचते हुए लोगों को हमारी तरफ दाअवत करते रहें क्योंकि जब वो खुद अमल करेंगे तो लोग खुद ब खुद हमारी तरफ दौड़कर आयेंगे।

इमाम जअफरुस्सादिक^{अ.स.} से ये भी मरवी है कि एक मर्तबा हज़रत मुफज़्ज़ल बिन उमरु^{र.अ.} आपकी खिदमत में हाज़िर हुए उस वक्त उनके हाथ में कोई चीज़ थी जिसे उन्होंने सादिक आले मोहम्मद^{अ.स.} के सामने रख दिया आपने हज़रत मुफज़्ज़ल से पूछा कि ये क्या है? उन्होंने कहा कि मेरी जान आप पर कुर्बान ये आपके गुलामों की तरफ से 'सिला' यानी हदिया है इमाम जअफरुस्सादिक^{अ.स.} ने फरमाया कि ऐ मुफज़्ज़ल मैं इसे ज़रूर क़बूल करूँगा लेकिन किसी मोहताजगी और ज़रूरत की वजह से नहीं बल्कि इस हदिये से आपको सिर्फ़ पाकीज़ा बनाने के लिये इसे क़बूल करूँगा ये कहकर आपने ख़ादिमा को आवाज़ दी जब ख़ादिमा आपकी खिदमत में हाज़िर हुई तो आपने उससे फरमाया कि मैंने गुज़िश्ता शब तुमको जो पेटी दी थी उसको ले आओ ख़ादिमा ने खजूर की बनी हुई एक पेटी आपके सामने लाकर रख दी हज़रत मुफज़्ज़ल^{र.अ.} फरमाते हैं कि मैंने उस पेटी में एक ऐसा मोती देखा जिसके मिस्ल मैंने उससे पहले कभी कोई मोती नहीं देखा था वो बेहद चमकदार और आग के अंगारे की तरह शोअला ज़न था इमाम जअफरुस्सादिक^{अ.स.} ने फरमाया कि ऐ मुफज़्ज़ल! क्या आले मोहम्मद^{अ.स.} के लिये सिर्फ़ ये एक मोती काफी नहीं है? हज़रत मुफज़्ज़ल कहते हैं कि मैंने इमाम आली मक़ाम की खिदमत में अर्ज़ किया कि मैं आप पर कुर्बान हो जाऊँ हॉ खुदा की क़सम सिर्फ़ ये एक ही मोती काफी है बल्कि इससे कम कीमत का भी होता तो वो काफी था इस गुप्तगु के बाद इमाम जअफरुस्सादिक^{अ.स.} ने पेटी को ढांक दिया और ख़ादिमा को दे दिया फिर आपने फरमाया कि मैंने अपने पिदर बुर्जुगवार इमाम बाकिर^{अ.स.} से सुना है आप फरमाते थे कि जिस शख्स ने एक साल गुज़र जाने के बाद अपने माल में से हमारा हक़ चाहे वो कम हो या ज़्यादा अगर न देगा तो खुदा क़यामत के रोज़ उसकी तरफ नज़र भी नहीं उठाकर देखेगा हालांकि वो माफ़ कर दे। उसके बाद आपने फरमाया कि ऐ मुफज़्ज़ल 'सिला' वो फरीज़ा है

जिसको खुदा ने अपनी किताब में हमारे शियों पर फर्ज किया है इसके बारे में खुदावन्दे तआला का ये इर्शाद है कि :

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ

लन तनालुल बिर्रः हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून 4-3/92।

तर्जुमा : (लोगों) जब तक तुम अपनी पसंदीदा चीजों में से कुछ राहे खुदा में खर्च न करोगे हरगिज़ नेकी के दर्जे पर फाइज़ न होंगे पस याद रखो कि हम अहले बिर व तकवा हैं और हिदायत के रास्ते हैं इसके बाद आपने फरमाया कि जिसने हमारा राज़ फाश कर दिया उसने हमारे साथ दुश्मनी की फिर आपने फरमाया कि मैंने अपने पिदर बुजुर्गवार इमाम बाकिर^{अ.स.} से सुना है आप फरमाते थे कि जिस शख्स ने हमारा राज़ फाश कर दिया उसके बाद चाहे वो हमें सोने का पहाड़ ही क्यों न लाकर दे वो हमसे दूर ही रहेगा।

इमाम जअफरुस्सादिक^{अ.स.} ने एक मर्तबा हज़रत मुफज़ज़ल से कूफा में आबाद अपने असहाब की बाबत पूछा तो उन्होंने जवाब दिया कि वो बहुत थोड़े हैं जब हज़रत मुफज़ज़ल कुफा में पहुँचे तो वहाँ के शियों ने आपके साथ निहायत ज़िल्लत आमेज़ सुलूक किया और उनको मारने का इरादा किया और उन्हें खूब धमकी दी ये खबर इमाम जअफरुस्सादिक^{अ.स.} को भी पहुँची तो जब हज़रत मुफज़ज़ल^{र.अ.} कुफा से वापस आपकी ख़िदमत में मदीना हाज़िर हुए तो इमाम जअफरुस्सादिक^{अ.स.} ने उनसे दरयाफ़्त किया कि ये कैसी ख़बर मुझे मिली है? हज़रत मुफज़ज़ल ने अर्ज़ किया कि मैं आप पर कुर्बान हो जाऊँ कूफा वालों की बातें मेरे लिये बाइसे ऐब नहीं हैं आपने फरमाया कि हाँ मुफज़ज़ल! उन्ही लोगों पर ऐब है खुदा की क़सम वो हमारे शिया नहीं हैं अगर वो हमारे शिया होते तो वो तुम्हारी बातों से इस क़दर गुस्सा न हो जाते और न कबीदाह खातिर होते। हमारे शियों के औसाफ तो खुदावन्दे तआला ने उन कुफा वालों के औसाफ के बर अक्स बयान किये हैं जअफरुस्सादिक^{अ.स.} का शिया तो वही हो सकता है जिसने अपनी ज़बान को काबू में रखा हो और जिसने अपने खालिक के लिये अमल किया हो और अपने आका से उम्मीद रखी हो और खुदा से डरता हो जितना कि उससे डरना चाहिये यहां तक कि वो कसरते नमाज़ से कमान की तरह हो जाये और ख़ौफे खुदा से मरीज़ की तरह दुबला पतला हो जाये और खुशुअ की वजह से अंधे की मानिन्द हो जाये और रोज़े की कसरत से मरीज़ की तरह

लागर हो जाये और मुसलसल खामोश रहने की वजह से मानिन्द गूंगा हो जाये क्या है कुफा के उन शियों में कोई ऐसा जिसने नमाज़ में पूरी रात गुज़ार दी हो और दिन भर रोज़ा दारी को अपनी आदत बना लिया हो या ख़ौफ़े इलाही और हम अहलेबैत^{अ.स.} की तरफ़ इशतियाक़ रखने की खातिर अपने नपस को दुनिया की लज़्ज़तों और उसकी नेअमतों से दूर रखा हो? ये लोग कैसे हमारे शिया हो सकते हैं जबकि वो हमारे दुश्मनों से हमारे बारे में खुसूमत (लड़ाई) किया करते हैं यहाँ तक कि उसको हमारा और दुश्मन बना देते हैं ये लोग तो जैसे सर्दी लगने की वजह से कुत्ते कूंकूंक करते हैं वैसे भौंकते हैं और कव्वे की तरह लालची हैं। खुदा की कसम अगर तुम्हारे और उनके दरमियान मज़ीद (ज्यादा) अदावत पैदा हो जाने का ख़ौफ़ न होता तो मैं तुमको हुक्म देता कि तुम अपने घर में बैठ जाओ और अपना दरवाज़ा बन्द कर लो यहां तक कि तुम ता-उम्र उनमें से किसी का चेहरा ही न देखो हालांकि वो तौबा करते हुए तुम्हारे पास आये तो तुम उनकी तौबा क़बूल कर लो क्योंकि खुदा ने हमको अपना ऐसा ख़लीफा बनाया है जो उसके बन्दों से तौबा क़बूल करते हैं।

इमाम जअफरुस्सादिक^{अ.स.} से रिवायत है आपने बाअज़ असहाब से फरमाया कि तुम हमारा राज़ छुपाओ उसको फाश न करो क्योंकि जो हमारा राज़ छुपायेगा और उसको फाश न करेगा खुदा उसको दुनिया व आखिरत में इज़्ज़त अता करेगा और जो हमारे राज़ को नहीं छुपायेगा बल्कि उसको फाश करेगा तो खुदा उसको दुनिया व आखिरत में ज़लील करेगा और उसकी दोनों आंखों से रोशनी को ज़ाइल कर देगा। मेरे पिदर बुर्जुगवार इमाम बाकिर^{अ.स.} फरमाया करते थे कि तकिय्या मेरा और मेरे आबाओ अजदाद का दीन है जो तकिय्या नहीं करता उसका कोई दीन नहीं है। खुदा को ये बात पसन्द है कि उसकी इबादत मख्फी में भी की जाये जिस तरह कि वो पसन्द करता है कि उसकी इबादत ऐलानिया ज़ाहिर में की जाये और हमारे अम्र को फाश करने वाला उसके मुनकिर के बराबर है।

इमाम जअफरुस्सादिक^{अ.स.} से रिवायत है कि एक मर्तबा आपके शियों की एक जमाअत आपके खिदमत में हाज़िर हुई और आपसे अपनी मुश्किलात के सिलसिले में कुछ बातचीत की और मसाइब से निजात पाने का तज़किरा किया उन्होंने आपसे कहा कि ऐ फरज़न्दे रसूल हम कब कुशादगी और अमन व चैन का दिन देखेंगे? आपने उनसे फरमाया कि क्या तुम जिस चीज़ के खुवाहिशमंद हो अगर वो तुमको मिल जाये तो तुम खुश हो जाओगे

उन्होंने जवाब दिया कि हां खुदा की क़सम तब आपने उनसे फरमाया कि क्या तुम लोग अपने अहलो अयाल, अहबाब व अकारिब से फिराक़ (जुदाई) इख़्तियार करोगे और घोड़ों पर सवार होंगे और हथियार पहनोगे? उन्होंने कहा कि हाँ आपने फरमाया कि अच्छा ये बताओ कि क्या तुम अपने दुश्मनों से जंग भी करोगे? उन्होंने कहा कि हाँ, उस वक़्त इमाम जअफरुस्सादिक़^{अ.स.} ने उनसे कहा कि हमने तो तुमसे इससे बहुत ही मामूली काम करने का सवाल किया था मगर तुम उसे अन्जाम न दे सके ये सुनकर वो सब के सब खामोश हो गये लेकिन उनमें से एक शख्स ने आपसे दरयाफ़्त किया कि ऐ फरज़न्दे रसूल मैं आप पर कुर्बान हो जाऊँ वो कौन—सा काम था? आपने फरमाया कि हमने तुमसे सिर्फ़ इतना कहा था कि खामोशी इख़्तियार करो क्योंकि जब तुम खामोश रहोगे और कोई हरकत न करोगे तो हम खुश व ख़रम रहेंगे और अगर तुमने अपने दुश्मनों से मुखालिफ़त की तो हमें उनसे अज़िय्यत पहुँचेगी पस तुम इतना भी न कर सके।

हज़रत सादिक़ आले मोहम्मद^{अ.स.} से रिवायत है कि एक मर्तबा आपने अपने उन असहाब से फरमाया कि जो आपकी खिदमत में हाज़िर थे और वो आपके सामने इस मौजूअ पर बहस कर रहे थे कि आपके पास किस बात को मौजूए कलाम बनाया जाये उस वक़्त इमाम जअफरुस्सादिक़^{अ.स.} ने उनसे फरमाया कि लोगों से इस नौइय्यत की बात करो और इस तरीक़े से करो जो उनके नज़दीक़ पसंदीदा और मारुफ़ हो और जो उनको नापसंद हो उसको छोड़ दो। क्या तुम ये चाहते हो कि खुदा और उसके रसूल को गालियां दी जायें? उन्होंने अर्ज किया कि ऐ फरज़न्दे रसूल! खुदा व रसूल को कैसे गालियां दी जायेगी? आपने फरमाया कि वो इस तरह की जब तुम उनसे उनकी पसन्द के खिलाफ़ बात करोगे तो वो यह कहेंगे कि ऐसी बातें करने वाले पर खुदा की लाअनत है हालांकि उस बात को खुदा व रसूल ने कहा है।

इमाम जअफरुस्सादिक़^{अ.स.} से रिवायत है आपने एक मर्तबा अपने किसी शिया से फरमाया कि तुम्हारी ये बात और तुम्हारा ये अम्र वो है जिससे जाहिलों के दिल रंजीदा और कबीदा होते हैं पस तुम्हारी ये बात और तुम्हारा ये अम्र जो पहचान ले उसको मज़ीद वाकिफ़ करो और जो इंकार करे उसको छोड़ दो बेशक अल्लाह तआला ने जिस दिन अम्बिया—ए—किराम का मीसाक़ लिया था उसी दिन हमारा और हमारे शियों का भी मीसाक़ लिया था पस अब उन शिओं में न कोई ज़्यादा होगा और न कोई शिया उनमें से

कम होगा अल्लाह तआला जब किसी बंदे को नेक तौफीक अता करना चाहता है तो वो खुद उसकी चोटी पकड़कर हमारी इमामत का मोअतकिद (मानने वाला) बना देता है चाहे वो इसे पसन्द करे या नापसन्द ।

इमाम जअफरुस्सादिक^{अ.स.} से रिवायत है कि आपने फरमाया कि अल्लाह तआला ने एक कौम को हमसे मोहब्बत करने के लिये पैदा किया है और एक कौम को हमसे बुग़ज़ व अदावत करने के लिये पैदा किया है पस अगर वो लोग जिनको खुदा ने हमारी मोहब्बत के लिये पैदा किया है अगर वो हमारी दाअवत व इमामत से निकल कर किसी और की तरफ चले जायें तो खुदा उनको हमारी दाअवत व इमामत की तरफ लौटा देगा चाहे उन्हें कितना ही ना पसन्द क्यूं न हो और खुदा ने जिस कौम को हमसे बुग़ज़ व अदावत करने के लिये पैदा किया है वो हमसे कभी-भी मोहब्बत न करेंगे ।

इमाम बाकिर^{अ.स.} से मरवी है आपने फरमाया कि उस बन्दे पर खुदा की रहमत जिसने हमको लोगों के नज़दीक महबूब व पसंदीदा बनाया उनके नज़दीक मबगूज़ व ग़ैर-पसंदीदा नहीं बनाया । खुदा की कसम अगर लोग हमारी बातों को सही तौर पर पेश करें उसमें अपनी राय से किसी किस्म की तहरीफ व तब्दीली न करें तो कोई शख्स किसी मामले में भी उनसे उलझने की जुअत नहीं कर सकता लेकिन अफसोस तो इस बात का है कि जब उनमें से कोई शख्स हमारे अक़वाल को सुनता है तो उसमें अपनी तरफ से दस बातें मिला देता है और उसके अस्ल मक़सद के बरअक्स अपनी हस्बे मंशा उसकी तावील करता है । खुदा उस बंदे पर रहम करे जो हमारी राज़ की बातें सुनता है और फिर उसको अपने सीने में दफन कर देता है, फिर आपने फरमाया कि खुदा की कसम इस दुनिया के सिवा किसी और जगह हमारे दोस्तों और हमारे दुश्मनों को खुदा यकजा न करेगा ।

इमाम जअफरुस्सादिक^{अ.स.} से रिवायत है कि एक मर्तबा एक शख्स कूफा से आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ आपने उससे दरयाफ़्त किया कि कूफा में हमारे शियों का क्या हाल है? जब वो शख्स कूफा के शिओं का हाल बयान कर चुका तो आपने फरमाया कि सिर्फ़ क़बूल व तस्दीक़ ही हमारे अम्र की पाबंदी नहीं है बल्कि हमारे अम्र को छुपाना और ग़ैर-मुस्तहक़ से उसको महफूज़ रखना भी अमल है पस तुम उनको हमारा सलाम कहो और उनसे ये बात भी कह दो कि खुदा उस शख्स पर रहम करेगा जिसने हमको और अपने आपको लोगों के नज़दीक महबूब व पसंदीदा बनाया और उनके मआरुफ व पसंदीदा तरीका से गुप्तगु की और उनसे इस बात को छुपाया

जो उन्हें नापसन्द है। आपने मज़ीद फरमाया कि अगर कोई शख्स हमारे खिलाफ जंग करता है तो वो हमारे लिये इतना मज़रत और तकलीफ़दह नहीं होता जितना कि वो शख्स जो हमारी तरफ से ऐसी बातें करता है जिसे हम खुद ना-पसंद करते हैं अगर वो वही बात कहे जो मैं कहता हूँ तो मैं उनकी बातों की इतनी परवाह भी न करता और वो लोग दर-हकीक़त मेरे असहाब होते।

इमाम जअफरुस्सादिक^{अ.स.} से रिवायत है आपने एक रोज़ अपने असहाब को नसीहत करते हुए फरमाया कि अल्लाह से डरो और जिसकी सोहबत में रहो उसके साथ हुस्ने सुलूक से पेश आओ और जिसके पड़ोस में रहो तो अपने पड़ोसी का हक़ भी अदा करो और तुम्हारे पास अमानतें हों तो उनके हक़दारों को पहुँचा दो और अगर तुम हमारे शिया हो तो लोगों को सुअर और खनाज़ीर से खिताब न करो। वही बात कहो जो हम कहते हैं और उसी पर अमल करो जिसका हम तुम्हें हुक्म देते हैं तो उस वक़्त तुम हमारी सही माअनों में शिया होंगे और याद रखो हमारे मुताल्लिक़ ऐसी बातें न कहो जो खुद हम अपने बारे में नहीं कहते अगर तुम कहोंगे तो हमारे शिया न बन सकोंगे। मेरे पिदर बुर्जुगवार इमाम बाकिर^{अ.स.} ने मुझसे ये फरमाया है कि अगर हमारा कोई शिया किसी क़बीले में होता है तो उसके पास लोगों की अमानतें और वसीयतें महफूज़ रहती हैं लिहाज़ा तुम लोग भी वैसे ही बनो।

इमाम बाकिर^{अ.स.} से मरवी है कि एक मर्तबा आपने अपने असहाब में से एक शख्स को जिसे अपने शियों की तरफ भेज रहे थे वसीयत करते हुए फरमाया कि तुम हमारे शियों को हमारा सलाम पहुँचा दो और उन्हें अल्लाह से डरने की वसीयत करो और उन्हें इस बात की वसीयत करो कि उनमें जो मालदार है वो अपने गरीबों और मोहताजों की देख-भाल करें जो तन्दुरुस्त हों वो बीमार की मिज़ाज पुर्सी करें और हर शख्स मय्यत के जनाज़े में शरीक हों और उनको इस बात की वसीयत करो कि अपने घरों में एक दुसरे से मिला-जुला करें क्योंकि बाहम मिलने जुलने से हमारे अम्र की बका और जिन्दगी है खुदा रहम करे उस शख्स पर जिसने हमारे अम्र को जिंदा किया और नेक अमल किया तुम उनसे ये भी कहो कि मैं खुदा के नज़दीक अमले सालेह के सिवा ज़र्रा बराबर भी उनको फायदा न करूँगा और तक्वा व ज़ोहद के बग़ैर हमारी वलायत को हरगिज़ पा नहीं सकते क़यामत के रोज़ उस शख्स को ज़्यादा हसरत व अफसोस होगा जिसने अमल की तारीफ़ तो की मगर फिर वो अमल छोड़कर दूसरी बात की तरफ चला गया।

इमाम जअफरुस्सादिक^{अ.स.} से रिवायत है आपने एक मर्तबा अपने असहाब को वसीयत करते हुए फरमाया कि तुम्हारा अमल खुदा के लिये होना चाहिये, लोग दिखावे के लिये नहीं क्योंकि जो अमल खुदा के लिये होगा वो खुदा तक पहुँचेगा और जो अमल लोग दिखावे के लिये होगा वो खुदा तक न पहुँचेगा तुम अपने दीन के लिये लोगों के साथ लड़ाई-झगड़ा न करो क्योंकि लड़ाई-झगड़े से दिल बीमार हो जाता है। खुदावन्दे तआला ने अपने पैगम्बर मोहम्मद रसूलल्लाह^{स.अ.व.} से खिताब करके फरमाया है कि :

إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ ۚ

इन्नकः ला तहदी मन अहबबतः वला किन्नल्लाहः यहदी मन्य यशाओ
20-28/56।

तर्जुमा : (ऐ रसूल) बेशक तुम जिसे चाहो मंजिल मकसूद तक नहीं पहुँचा सकते मगर हाँ खुदा जिसे चाहे मंजिले मकसूद तक पहुँचाए और खुदा ने ये भी इर्शाद फरमाया है कि :

• أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّىٰ يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ

अफः अन्तः तुकरिहुन नासः हत्ता यकुनू मुअमिनीन 0 11-10/99।
तर्जुमा: क्या तुम लोगों पर ज़बरदस्ती करना चाहते हो ताकि सबके सब ईमानदार हो जायें। तुम लोगों को उनके हाल पर छोड़ दो क्योंकि ये लोग तो एक दूसरे से इल्म हासिल करते हैं और तुम रसूले खुदा^{स.अ.व.} और अली मुर्तजा^{अ.स.} और हम अहलेबैत^{अ.स.} से उलूम हासिल करते हो मैंने अपने पिदर बुजुर्गवार इमाम बाकिर^{अ.स.} से ये कहते हुए सुना है कि जब इस अम्र "वलायत" में किसी बंदे का दाखिल होना कलमबन्द हो जाता है तो वो परिन्दों के अपने घोंसलों की तरफ परवाज़ करने से तेज़ रफ्तार हमारे अम्र की तरफ परवाज़ करके आ जाता है। उसके बाद इमाम जअफरुस्सादिक^{अ.स.} ने फरमाया कि तुम में से जिसने तकवा और अमले सालेह को अपना शिआर (तौर तरीका) बनाया तो हम अहलेबैत^{अ.स.} के जुमरे से हैं आपसे दरयाफ्त किया गया ऐ फरज़न्दे रसूल! क्या वाकई ऐसा शख्स आप लोगों में से है? आपने फरमाया कि हाँ वो ज़रूर हममें से है क्या तुमने खुदा का ये इर्शाद नहीं सुना है कि :

وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ ط

व मन्य यतवल्लहुम मिनकुम फइन्नहू मिनहुम 6-5/51।

तर्जुमा : और (याद रहे कि) तुममें से जिसने उनको अपना सरपरस्त बनाया तो फिर वो भी उन्ही लोगों में हो गया। और कुरआन में हज़रत इब्राहिम^{अ.स.} का ये कौल है कि :

فَمَنْ تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي ج

फमन तबिअनी फइन्नहू मिन्नी 13-14/36।

तर्जुमा : जो शख्स मेरी पैरवी करे तो वो मुझसे है। इमाम जअफररुस्सादिक^{अ.स.} से रिवायत है आपने अपने बाअज शिओं को वसीयत करते हुए फरमाया कि खुदा की कसम तुम सब अल्लाह और उसके मलाइका के दीन के पैरु हो लिहाज़ा तुम अपने ज़ोहद व तक्वा और इजतिहाद से इस दीन के लिये हमारी मदद करो और याद रखो खुदा तुम्हारे ही दीन व अमल को क़बूल करेगा। लिहाज़ा तुम अल्लाह से डरो और अपनी ज़बानों पर काबू रखो और अपनी मस्जिदों में नमाज़ पढ़ो अपने बीमारों की इयादत करो जब लोग तुमसे जुदा हो जायें तो तुम भी उनसे अलग हो जाओ खुदा उस शख्स पर रहम करे जिसने हमारे अम्र को ज़िन्दा किया आपकी खिदमत में अर्ज किया गया कि ऐ फरज़न्दे रसूल! आप लोगों के अम्र को ज़िन्दा करने से क्या मुराद है? आपने फरमाया कि दीनदारों, अहले इल्म और अक्लमदों के नज़दीक हमारे अम्र का तज़क़िरा करो फिर आपने फरमाया कि क़सम ब—खुदा तुम सब बिना शुबाह जन्नत में दाखिल होंगे। लेकिन तुमसे वो शख्स कितना बुरा है जो आमाले सालेह करने वालों के साथ जन्नत में तो होगा लेकिन यह उनके दरमियान अमल के ज़ेवर से खाली होगा। आपसे पूछा गया कि ऐसा शख्स भी वहाँ होगा? आपने फरमाया कि हाँ यह उस शख्स का हाल होगा जो अपने शिकम अपनी शर्मगाह और अपनी ज़बान पर काबू न रखेगा।

इमाम जअफररुस्सादिक^{अ.स.} से रिवायत है आपने फरमाया कि तुम हमारा ऐसा कोई शिया न पाओगे जिसके दोनों क़दम फिसल जाते हों अलबत्ता जब उसका एक पाँव फिसल जाता है तो वो दूसरे पाँव का सहारा लेता है यहाँ तक की फिसला हुआ क़दम अपनी असली हालत पर आ जाता है।

इमाम बाकिर^{अ.स.} से रिवायत है आपसे एक शख्स ने किसी के मुताल्लिक अर्ज किया कि फलों शख्स ने अपना सत्तर खोल दिया है और हराम कामों का इरतिकाब किया है और फराइज को हकीर समझता है यहां तक कि उसने फर्ज को भी तर्क कर दिया है इमाम बाकिर^{अ.स.} उस वक्त टेक लगाये बैठे थे ये सुनकर आप सीधे बैठ गये और फरमाया कि सुबहानल्लाह उसने फर्ज नमाज़ को छोड़ दिया है बिला शुब्हा फर्ज नमाज़ को तर्क करना खुदा के नज़दीक गुनाहे अज़ीम है।

अमीरुल मुअमिनीन अली बिन अबी तालिब^{अ.स.} से रिवायत है आपने फरमाया कि अल्लाह तआला जिस बन्दा—ए—मुअमिन के दिल को जोहद व तक्वा के लिये परख लेता है तो वो ज़रूर हमें अपने दिल से मुहब्बत करने लगता है। और जिस बन्दे से खुदा नाराज़ व नाखुश होता है वो ज़रूर हमें अपने दिल से बुग़ज़ व अदावत करता है लिहाज़ा जो शख्स हमसे मुहब्बत करे तो उसको चाहिये कि वो हमसे खालिस मुहब्बत करे उस सोने की तरह जिसमें ज़रा भी मिलावट नहीं होती और जिसने हमसे बुग़ज़ रखा तो वो बुग़ज़ ही की मंज़िल पर है। हम शरीफ व नजीब हैं हमारी औलाद आम्बिया की औलाद हैं और मैं तमाम औसिया का सरदार हूँ मैं अल्लाह और उसके रसूल के शुक्र से हूँ और बाकी जमाअत शैतान के लश्कर में से हैं और शैतान उनमें से है पस जिसने हमारे बारे में शक किया और हमसे अलग होकर हमारे दुश्मनों में जा मिला वो हममें से नहीं है तुमसे अगर कोई ये जानना चाहे कि हमसे कौन मुहब्बत करता है और कौन अदावत करता है तो पहले उसके दिल को टटोलो अगर उसके दिल में हमारे किसी दुश्मन की मुहब्बत है तो ये जान लेना चाहिये कि खुदा व रसूल व मलाइका जिब्रईल व मीकाईल उसके दुश्मन हैं और अल्लाह तो काफ़िरो का दुश्मन ही है।

इमाम जअफरुस्सादिक^{अ.स.} से रिवायत है आपने अपने बाअज़ शियों को वसीयत करते हुए फरमाया कि एक कौम ने इस तरीक़े से इल्म हासिल किया और दूसरी कौम ने दूसरे तरीक़े से इल्म हासिल किया आपने इसकी पाँच किस्में बयान की मगर तुमने तो अपने नबी के अहलेबैत^{अ.स.} का दामन पकड़ा है लिहाज़ा तुम पर वाजिब है कि जोहद व तक्वा पर लाज़िम रहो सच बोलो, अमानतों को अदा करो क्योंकि खुदा अपनी इताअत के बग़ैर कुछ भी सवाब न देगा।

इमाम बाकिर^{अ.स.} से रिवायत है आपने अपने बाअज शिओं को वसीयत करते हुए फरमाया कि ए गिरोहे शिआ सुनो! और समझो! हमारी इन वसीयतों को और उस अहद को जो हम अपने मुहिब्बों से लेते हैं तुम सच बोलो और अपनी कसमों को पूरा करो। माल व दौलत से बाहम एक दूसरे को मदद करते रहो और आपस में दिल से मुहब्बत करो अपने मोहताजों को खैरात बांटो और इत्तिफाक व इत्तिहाद पर काइम रहो किसी के साथ मकर व फरेब जालसाज़ी और खयानतें मुजरिमाना से पेश न आओ यकीन के बाद दिल में शक न लाओ और कदम उठाने के बाद बुजदिली से पीछे न हटो तुम में से कोई भी अपने अहले मुहब्बत को पीठ न दिखाये और गैर की मुहब्बत में शहवत न होनी चाहिये और तुम्हारी मवददत तुम्हारे सिवाये न हो और तुम्हारा अमल गैर अल्लाह के लिये न हो और तुम्हारा ईमान व मकसूद तुम्हारे नबी के सिवा कोई और न हो।

وَأَسْتَعْنُوا بِاللَّهِ وَاصْبِرُوا إِنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ يُورِثُهَا مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ

व इस्तईनू बिल्लाहि वसिबुरू इन्नल अरदः लिल्लाहि यूरिसुहा मन्य यशाओ
मिन इबादिही वल आकिबतो लिल मुत्तकीन 0 9-7/128

तर्जुमा : खुदा से मदद मांगों और सब्र करो सारी ज़मीन तो खुदा ही की है वो अपने बन्दों में से जिसको चाहे उसको वारिस (मालिक) बना दे और खातमा बिल खैर तो बस परहेज़गारों ही का है फिर आपने फरमाया कि हमारे शियों में से अल्लाह व रसूल के औलिया व मुहिब्बीन (चाहने वाले) वो हैं जो सच बोलते हैं और जब वादा करते हैं तो वफा करते हैं और उनको अमानत दी गई हो तो अदा करते हैं और जब राहे हक में मुश्किलात का सामना होतो सब्र व ज़ब्त करते हैं और जब उनसे वाजिबात का मुतालबा (मांग) किया जाता है तो अदा कर देते हैं और जब उनको हक बात का हुक्म दिया जाता है तो उस पर अमल करते हैं हमारे शिया वो हैं जिनके कानों से इल्म बाहर नहीं निकलता हमारे शिया वो हैं जो हम पर ऐब लगाने वाले की मदद नहीं करते और जो हमसे बुग़ज़ रखते हैं उनसे वो ताअल्लुक नहीं रखते और न हमारे फज़ाइल में तक़सीर करने वाले अहले कुलू की सोहबत इख्तियार करते हैं अगर हमारे शिया किसी मोमिन से मिलते हैं तो उसकी इज़्ज़त करते हैं और अगर किसी जाहिल से मुलाकात हो जाती है तो उससे परे हट जाते हैं हमारे शिया वो हैं जो सर्दी की वजह से भौंकने वाले कुतो की तरह नहीं भौंकते और न कव्यों की तरह लालच करते हैं अगर हमारे

शिया किसी से कुछ मांगते हैं तो अपने ही किसी भाई से मांगते हैं ख़्वाह वो भूख से मर ही क्यों न जाये हमारे शिया वो हैं जो हमारी ही बात कहते हैं और हमारी मुहब्बत में अपने दोस्तों तक को छोड़ देते हैं और हमारे लिये जो दूर के लोग हैं उनको अपने से करीब कर लेते हैं और जो करीब के लोग हैं उनको दूर कर देते हैं उस वक्त हाज़िरिन में से एक शख्स ने अर्ज़ किया कि ऐ फ़रज़न्दे रसूल! मैं आप पर कुर्बान हो जाऊँ ऐसे शिया कहाँ मिलेंगे? आपने फ़रमाया कि ज़मीन के अतराफ़ में मिलेंगे वो बहुत ही तंगदस्त और ग़रीब होंगे मगर उनकी आंखें ठंडी होगी (हशाश व बशाश) अगर उन्हें देखा जाये तो वो पहचाने नहीं जा सकते और अगर ग़ायब हो जायें तो उन्हें ढूँढ़ा नहीं जा सकता और बीमार पड़ जायें तो उनकी इयादत नहीं की जाती और वो शादी करना चाहते हैं तो उनसे शादी व ब्याह नहीं किया जाता है और अगर किसी राह गुज़र पर आ गये तो हट कर चलते हैं।

• **وَإِذْ خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا • وَالَّذِينَ يَسْتُونُ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا**

व इज़ा खातबःहुमुल जाहिलूनः कालू सलामन वल लज़ीनः यबीतूनः लिरब्बिहिम सुज्जदव व कियामा 19-25/63-64। तर्जुमा : और जब जाहिल उनसे (जहालत) की बातें करते हैं तो कहते हैं कि सलाम (तुम सलामत रहो) उस शख्स ने फिर अर्ज़ किया कि ऐ फ़रज़न्दे रसूल! उन लोगों का क्या हाल होगा जो अपनी ज़बानों से तो शिया होने का इक़रार करते हैं मगर उनके दिल तशीअ (शिया उसूल) के बरखिलाफ़ हैं? आपने फ़रमाया कि उन पर एक ऐसा दौर आयेगा जो उन्हें फना कर देगा और कीना बाज़ी (अदावत) और इख़तिलाफ़ उन्हें मार डालेगा ख़बरदार! क़सम है उस ज़ात की जिसने अपने मलाइका से हमारी इमदाद की है खुदा उन्हे अपने ही हाथों से क़त्ल करेगा पस जब तुमसे कोई हदीस बयान की जाये तो उसका इक़रार करो और जब आंख से देखो तो तस्दीक़ करो और लड़ना-झगड़ना बन्द करो क्योंकि झगड़ा तुमको असल मंज़िले मक़सूद से दूर डाल देगा खुदा तुमको क़यामत से क़ब्ल उठाने से बचाये वरना तुम्हारा खून ज़ाइअ हो जायेगा और तुम्हारी जानें हलाक हो जायेंगी और तुम्हारे बाद जो लोग आयेंगे वो तुमको बुरा-भला कहेंगे और तुम देखने वालों के लिये इब्रत बन जाओगे वो शख्स अमल के एतबार से बहुत बेहतर है जो अहले-दुनिया और अपने माँ-बाप और फ़रज़न्दों से फ़िराक़ इख़तियार करे और खुदा के लिये अपने भाइयों के साथ मुहब्बत करे। नसीहत व तआवुन करे ख़्वाह वो हबशी और जंगी ही क्यों

न हो अगरचे कोई बन्दा मुअमिन अपनी क़ब्र से बरोज़ क़यामत सियाह रूह नहीं उठाया जायेगा बल्कि वो बर्फ़ की मानिंद सफ़ेद होगा और उसको जन्नत के पानी से गुस्ल दिया गया होगा। वो हमेशा बाकी रहने वाली नेअमत पाएँगे उनको मलाइका मुक़र्रबीन और अम्बिया मुरसलीन की सोहबत नसीब होगी खुदावन्दे तआला के नज़दीक उस बन्दे से ज़्यादा काई बंदा मोअज़िज़ नहीं है जो खुदा के लिये शहर बदर किया गया हो यहां तक कि वो जिला-वतनी की हालत में अपने परवरदिगार से जा मिले हमारे शिया ज़मीन से मन्ज़र यानि क़यामत वगैरह से डराने वाले हैं और तलबगारों के लिये चिरागे राह हैं। निशानात और नूर हैं और अल्लाह की इताअत करने वालों के लिये रहनुमा हैं और जिन लोगों ने इमामों के मनसब का दावा किया है और इनकी मुखालिफ़त की है तो उन पर हमारे शिया शाहिद व हुज्जत हैं उनके पास जो आता है सुकून पाता है और जो उनसे मुहब्बत करता है उनके साथ वो लुत्फ और मेहरबानी से पेश आते हैं हमारे शिया सख़ी और माफ़ करने वाले और रहम करने वाले हैं तौरात व इंजील और कुरआन में हमारे शियों की ये सिफ़तें और उनके गुण हैं।

हमारे शियों में से जो आलिम होता है अपनी ज़बान को काबू में रखता है और अल्लाह व रसूल की इताअत से उसको खुशी हासिल होती है और हमारे दुश्मनों के लिये अपनी तदबीर को अपने दिल में छुपाये रखता है और जब सवेरे निकलता है तो वो उनके तमाम ऐबों (बुराई) से वाकिफ़ होता है मगर उनके लिये अपने दिल में जो रखता है उसको ज़ाहिर नहीं करता उनके बुरे आमाल को अपनी आंखों से देखता रहता है और अपने कानों से उनकी बुराइयों को सुनता रहता है और अपनी ज़बान से उनके लिये बद्दुआ करता है उनसे बुग़ज़ रखने वाले उसके दोस्त होते हैं। और उनसे मुहब्बत रखने वाले उसके दुश्मन होते हैं उस वक़्त इमाम बाकिर^{अ.स.} से एक शख्स ने पूछा कि मेरे माँ-बाप आप पर फिदा हो ऐसे शख्स के लिये सवाब ही क्या हो सकता है जो सुबह और शाम अमन व चैन के साथ गुज़ारता और रात भी महफूज़ हालत में बसर करता हो उसका दर्जा ही क्या और सवाब क्या? आपने फरमाया कि आसमान को उस पर साया करने का हुक्म दिया जायेगा और ज़मीन को उसकी इज़्ज़त करने का हुक्म दिया जायेगा उस शख्स ने अर्ज़ किया कि उसकी दुनियावी सिफ़त क्या है? आपने फरमाया कि अगर सवाल करेगा तो पायेगा अगर दुआ करेगा तो जवाब मिलेगा और तलब करेगा तो पायेगा किसी मज़लूम की मदद करेगा तो वो अज़ीज़ होगा।

इमाम जअफरुस्सादिक^{अ.स.} से रिवायत है आपने अपने बाअज शियों को वसीयत करते हुए फरमाया कि तुम लोगों के उम्दा अखलाक को अपनाओं उनकी मस्जिदों में नमाज़ पढ़ो उनके बीमारों की मिजाज पूरसी करो और उनके जनाज़ों में शरीक हुआ करो और तुम पेश इमाम और मुअज़्ज़िन बन सकते हो तो बनो क्योंकि जब तुम इन बातों पर अमल करोगे तो लोग कहेंगे कि ये फलां के पैरु है खुदा फलां पर रहम करे इसने अपने इत्तिबाअ व असहाब को कितने अच्छे आदाब सिखाये हैं।

इमाम जअफरुस्सादिक^{अ.स.} से रिवायत है आपने अपने बाअज शियों से फरमाया कि तुम जोहद व तक़्वा और इजतिहाद पर लाज़िम रहो, सच बोलो, अमानतों को अदा करो और जिस रास्ते पर तुम हो उस पर काइम रहो क्योंकि जब तुमसे किसी की जान हलकूम तक आ पहुँचती है तो उस वक्त खुश होता है। उसके बाद आपने फरमाया कि अगर तुम ज़िन्दा रहे तो वो चीज़ देखोगे जिससे तुम्हारी आंखें ठण्डी होंगी और अगर तुम इन्तेक़ाल कर गये तो खुदा की क़सम तुम बेहतरीन सलफ़ से जा मिलोगे। खुदा की क़सम तुम अल्लाह के दीन और मेरे आबा-ओ-अजदाद के दीन पर हो खुदा की क़सम आबा-ओ-अजदाद से मुराद सिर्फ़ मुहम्मद बिन अली^{अ.स.} और अली बिन हुसैन^{अ.स.} ही नहीं है बल्कि इन दोनों हज़रात के साथ-साथ हज़रत इब्राहिम व इस्माईल और इस्हाक़ व याक़ूब^{अ.स.} भी हैं इन सबका एक ही दीन है तुम खुदा से डरो और जोहद व तक़्वा से हमारी इमदाद करो। खुदा की क़सम नमाज़, ज़कात और हज सिर्फ़ तुम्ही से क़बूल किये जायेंगे और तुमको खुदा माफ़ करेगा लेकिन इतना याद रखो कि हमारे शिया वहीं हैं जो हमारी पैरवी करते हैं हमारी मुखालिफ़त नहीं करते जब हम डरते हैं तो वो भी डरते हैं और जब हम अमन व अमान में रहते हैं तो वो भी अमन व सुकून में रहते हैं यही लोग हमारे शिया हैं। इबलीस जब लोगों में गया तो उन्होंने उसकी इताअत की और जब वो हमारे शियों के पास आया तो उन्होंने उसकी इताअत करने से इंकार कर दिया इसलिये इबलीस ने लोगों को शियों के खिलाफ़ भड़का दिया पस यही सबब है कि हमारे शियों को उनकी तरफ़ से मसाइब पहुँचते हैं।

हुब्बे अहलेबैत^{अ.स.} का बयान हुब्ब व वला की तरगीब

अल्लाह तआला का इर्शाद है कि :

قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَىٰ

कुल ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवदतः फिल कुरबा 25-42/23
तर्जुमा : (ऐ रसूल) तुम कह दो कि मैं इस (तबलीगे रिसालत) का अपने क़राबतदारों (अहलेबैत^{अ.स.}) की मुहब्बत के सिवा तुमसे कोई सिला नहीं मांगता ।

इमाम जअफरुस्सादिक^{अ.स.} से रिवायत है कि एक मर्तबा आपके शिया की एक जमाअत आपकी खिदमत में हाज़िर हुई उनके साथ एक अन्ध ा शख्स भी था उनमें से किसी ने कहा कि ऐ फरज़न्दे रसूल! ये शख्स आपसे मुहब्बत करता है ये सुनना था कि आप ग़ज़बनाक सूरत में उसकी तरफ़ मुतवज्जा हुए और फरमाया कि बेहतरीन मुहब्बत वो है जो अल्लाह व रसूल के लिये की जाये उसके सिवा किसी और से मुहब्बत में कोई ख़ैर व ख़ूबी नहीं है इतना फरमाने के बाद आपने दो बार अपने दस्ते मुबारक को हिलाया और फरमाया कि एक मर्तबा आहज़रत^{स.अ.व.} की खिदमत में अंसार ने आकर अर्ज़ किया कि ऐ रसूले खुदा^{स.अ.व.} हम गुमराह थे तो अल्लाह तआला ने हमें आपके ज़रिये हिदायत दी हम मोहताज थे तो अल्लाह तआला ने हमें आपके ज़रिये ग़नी बना दिया इसलिये आप हमारे माल व दौलत में से जो चाहें तलब फरमायें वो हम आपको दे देंगे उस वक़्त अल्लाह तआला ने आयत मवद्दत नाज़िल फरमाई कि :

قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَىٰ

कुल ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवदतः फिल कुरबा 25-42/23
तर्जुमा : (ऐ रसूल) तुम कह दो कि मैं इस (तबलीगे रिसालत) का अपने क़राबतदारों (अहलेबैत^{अ.स.}) की मुहब्बत के सिवा तुमसे कोई सिला नहीं मांगता । इस आयत मवद्दत को तिलावत करने के बाद सादिक आले मोहम्मद^{अ.स.} ने अपने दस्ते मुबारक को आसमान की तरफ़ बुलन्द किया और इतना रोए कि आपकी दाढ़ी आँसुओं से तर हो गई फिर आपने फरमाया कि खुदा का शुक्र है कि उसने हमको फज़ीलत अता फरमाई ।

इमाम जअफरुस्सादिक^{अ.स.} से रिवायत है आपसे आयते करीमा :

قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَىٰ

कुल ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवदत: फिल कुरबा 25-42/23 के बारे में पूछा गया था तो आपने फरमाया कि एक मर्तबा अन्सार ने आंहजरत^{स.अ.व.} की खिदमत मे हाज़िर हो कर अर्ज किया कि ऐ रसूले खुदा^{स.अ.व.} आप हमारे पास उस वक्त तशरीफ लाये जब हम गुमराह थे तो अल्लाह तआला ने आपके ज़रिये से हमको हिदायत दी और हम मोहताज थे तो आपके ज़रिये अल्लाह तआला ने हमको तवंगर (अच्छा हाल) बना दिया ये हमारी दौलत है आप इसमें से जितना चाहे ले लें उस वक्त अल्लाह तआला ने आयत मवदत नाज़िल फरमाई

قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ ---- فِي الْقُرْبَىٰ

^८ कुल ला असअलुकुम — — — 25-42/23

इमाम बाकिर^{अ.स.} से मरवी है आपसे आयत मवददत के बारे पूछा गया तो आपने फरमाया कि मोहम्मद रसूलल्लाह^{स.अ.व.} के वास्ते आपके अहलेबैत^{अ.स.} की मवददत खुदा की जानिब से बंदों पर फर्ज है। उम्मत में आयते मवददत की तावील में चार फिरके हो गये हैं उनमें से एक फिरका इस आयत की वही तावील करता है जो हमने ऊपर बयान किया है कि ये आयते करीमा अहलेबैत ए रसूल^{अ.स.} के बारे में नाज़िल हुई है अवाम ने हज़रत इब्ने अब्बास^{र.अ.} से रिवायत नक़ल की है कि जब आयते मवददत नाज़िल हुई तो लोगों ने रसूले अकरम^{स.अ.व.} की खिदमत में अर्ज किया ऐ पैगम्बरे खुदा^{स.अ.व.} वो कौन अशखास हैं जिनसे हम मुहब्बत करें? आपने फरमाया कि अली^{अ.स.} व फातिमा^{अ.स.} और उनकी औलाद।

दूसरा फिरका ये कहता है कि आयते करीमा मवददते अहलेबैते रसूल^{अ.स.} के सिलसिले में ज़रूर नाज़िल हुई थी मगर वो इस आयत से मनसूख हो चुकी है :

قُلْ مَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ أَجْرٍ فَهُوَ لَكُمْ ۖ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ ۚ

कुल मा सअलतुकुम मिन अजरिन फहुव: लकुम इन अजरिय: इल्ला अलल्लाहि 22-34/47। तर्जुमा : (ए रसूल) तुम यह भी कह दो कि (तबलीगे रिसालत की) मैंने तुमसे कुछ उजरत मांगी हो तो वह तुम्ही को

(मुबारक) हो मेरी उजरत तो बस खुदा पर है। इन लोगो ने अपनी इस तावील से अहलेबैते रसूल^{अ.स.} की इस मवद्दत का इंकार कर दिया जिसे खुदा ने फर्ज किया था हालांकि वो अहलेबैते^{अ.स.} के फजल व कमाल और रसूले अकरम^{स.अ.व.} के नज़दीक उनका जो मुक़ाम है इसमें उनको कोई शक नहीं है। उन्होंने अल्लाह तआला के एक ऐसे फर्ज को साक़ित कर दिया है जिसे उसने फर्ज किया था और एक ऐसी आयत का हुक्म साक़ित कर दिया जिस हुक्म को खुदा ने अपनी किताब में वाजिब व लाज़िम करार दिया था उन्होंने ऐसा अल्लाह तआला के औलिया-ए-किराम से बुग़ज़ व अदावत और किताबल्लाह से जहालत की बिना पर किया है। पस उन्हें मालूम होना चाहिये कि आयते करीमा :

قُلْ مَا سَأَلْتُكُمْ مِّنْ أَجْرٍ.....

कुल मा सअलतुकुम मिन अजरिन — — — 22-34/47
दो बातों से खाली नहीं या तो ये आयत

قُلْ لَّا أَسْأَلُكُمْ ---- فِي الْقُرْبَى

कुल ला असअलुकुम — — — 25-42/23 से पहले नाज़िल हुई है या उसके बाद अगर नाज़िल हुई है तो आयत मवद्दत फिल कुरबा की ताक़ीद व तोसीक में नाज़िल हुई है क्योंकि

قُلْ مَا سَأَلْتُكُمْ مِّنْ أَجْرٍ.....

कुल मा सअलतुकुम मिन अजरिन — — — 22-34/47 में कोई ऐसी बात नहीं है जो अजरे रिसालत को साक़ित करे बल्कि इस आयते करीमा में तो परवरदिगारे आलम ने ये बताया है कि मवद्दत का अजर उन्ही को मिलेगा जब वो अहलेबैते रसूल^{अ.स.} से मुहब्बत करें तो उनको अजर व सवाब मिलेगा ऐसा नहीं है कि मवद्दत का अजर रसूलल्लाह^{स.अ.व.} को मिलेगा ये तो बहुत ही वाज़ेह और साफ़ बात है अगर मखफ़ी है तो जाहिल ही पर मखफ़ी है और इसका इंकार सिर्फ़ बुग़ज़ व इनाद (दुश्मनी) रखने वाला ही कर सकता है पस ये दोनों आयतें साबित और बाक़ी हैं बि-हम्दो लिल्लाह न तो इनमें से कोई नासिख है और न मनसूख है बल्कि ये दोनों आयतें एक-दूसरे की ताक़ीद व तोसीक करती है।

तीसरा फिरका कहता है कि आयते मवद्दत अरब के तमाम लोगों के मुताल्लिक है उन्होंने इस आयत की ये तावील और माअनी महज़ आले रसूल^{अ.स.} से बुगज़ व अदावत की वजह से की है उनकी तावील का मतलब ये है कि आयते मवद्दत में रसूले अकरम^{स.अ.व.} ने ये सवाल किया है कि तुम लोग मेरे अकरबा से मुहब्बत करके मुझसे मुहब्बत कर सकते हो वो कहते हैं कि इसकी वजह ये है कि अरब के तमाम खानदानों में आपकी क़राबत पाई जाती है। ये उन्होंने अहलेबैते रसूल^{अ.स.} के फज़ल व कमाल के इंकार में निहायत मुबालिगा आमेज़ बात कही है उन्होंने नबी करीम^{स.अ.व.} की क़राबत को तमाम अरबों में बांट कर फज़ले अहलेबैते रसूल^{अ.स.} से इंकार का अपना मौकिफ, मज़बूत व महफूज़ बना दिया है वो कहते हैं कि आंहज़रत^{स.अ.व.} ने तमाम अरबों से ये सवाल किया है कि चूँकि सब अरब आपकी क़राबत में हैं इसलिये वो आपसे मुहब्बत करें। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि अगर रसूले खुदा^{स.अ.व.} ने अजरे रिसालत का सवाल मुअमिनीन से किया है तो वो आप पर ईमान लाने और आपकी तस्दीक करने की वजह से आपसे मुहब्बत करेंगे और अल्लाह तआला ने उन पर आपके ज़रिये से हिदायत देकर जो एहसान किया है उसकी वजह से वो मुहब्बत करेंगे और अगर उनके कहने के मुताबिक इस आयत के मुखातिब कुफ़ार हैं तो आंहज़रत^{स.अ.व.} उन लोगों से किस तरह अजरे रिसालत का सवाल कर सकते हैं जिन्होंने आपकी तस्दीक भी नहीं की है गरज़ उन लोगों ने आयते मवद्दत को तमाम अरबों के लिये मखसूस करके अपनी जहालत और बुगज़ व अदावत का सुबूत दिया है। उन्होंने आयते मवद्दत की इस तावील से खुदा की किताब में तहरीफ और उसके कलाम में तगय्युर व तबद्दुल किया है जबकि इर्शादे बारी तआला इस तरह से है कि :

قُلْ مَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ أَجْرٍ..... وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فِي رَوْضَتِ الْجَنَّةِ
لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ عِنْدَ رَبِّهِمْ ۚ ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ • ذَلِكَ الَّذِي يُبَشِّرُ اللَّهَ عِبَادَهُ
الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ۖ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَىٰ

वल्लज़ीन: आमनू व अमिलुस सालिहाति फी रोज़ातिल जन्नाति लहुम मा यशाऊन: इन्द: रब्बिहिम ज़ालिक: हुवल फज़लुल कबीर 0 ज़ालिकल लज़ी

युबशिशरुल्लाहो इबादहुल लज़ीन: आमनू व अमिलुस सालिहाति कुल ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत: फिल कुरबा 25-42/22-23

तर्जुमा : और जिन्होंने ईमान कबूल किया और अच्छे-अच्छे काम किये वो बहिश्त के बागों में होंगे वो जो कुछ चाहेंगे उनके परवरदिगार की बारगाह में (मौजूद) है (यही खुदा का) बड़ा फज़ल है यही इनाम है जिसकी खुदा अपने उन बन्दों को खुशखबरी देता है जो ईमान लाये और नेक काम करते रहे (ऐ रसूल) तुम कह दो कि मैं इस (तबलीगे रिसालत) का अपने कराबतदारों (अहलेबैत^{अ.स.}) की मुहब्बत के सिवा तुमसे कोई सिला नहीं मांगता। इस आयत में खुदा ने तमाम मुअमिनीन से खिताब करके फरमाया है इसमें अरब व अजम के तमाम मुअमिनीन शामिल हैं जो अल्लाह और उसके रसूल मुहम्मद रसूलल्लाह^{स.अ.व.} पर ईमान लाये हैं अल्लाह तआला ने उन पर वाजिब कर दिया है कि वो रसूले अकरम^{स.अ.व.} के कराबतदारों (अहलेबैत^{अ.स.}) से मुहब्बत व मवद्दत करें। ये बात इसके लिये बहुत ही वाज़ेह और रोशन है जिसको खुदा ने फेहम व बसीरत की तौफीक और हिदायत अता की है।

चौथा फिरका ये कहता है कि आयते मवद्दत फिल कुरबा से मुराद अल्लाह के एहकाम पर अमल करके उसकी कुरबत हासिल करना है ये बहुत बईद (दूर) माअनी और ग़ामिज़ तावील है इस आयत के ज़ाहिरी अल्फाज़ से ये मअनी नहीं निकलते दर-हकीक़त ये तावील हसन बसरी से मनकूल है। जिसका अकीदा आले मुहम्मद^{अ.स.} के साथ दुरुस्त नहीं था उसकी बद-अकीदगी से इंकार नहीं किया जा सकता क्योंकि उसने आयते मवद्दत के निहायत फासिद माअनी बयान किये हैं हालांकि मवद्दत फिल कुरबा मे ब-ज़ाहिर कोई ऐसी दलील नहीं है कि कुरबा से मुराद खुदा की कुरबत ली जाये अगर खुदा के कलाम में इस तहरीफ करने वाले की ये बात मान ली जाये तो फिर यहाँ पर “मवद्दत” के क्या माअनी होंगे और “अजर” के ज़िक्र का क्या मतलब होगा? खुदा के कलाम में इस तहरीफ करने वाले ने अपनी तरफ से एक ऐसी बात पेश की है जिससे उसने खुदा की किताब में तहरीफ पैदा कर दिया है।

इस माअनी के साथ-साथ ये हेर फेर करने वाले हज़रत इब्ने अब्बास^{र.अ.} का वो कौल भी नक़ल करते हैं जो हमने ऊपर बयान कर दिया है कि एक मर्तबा लोगों ने आंहज़रत^{स.अ.व.} से आयत मवद्दत फिल कुरबा के मुताल्लिक दरयाफ़्त किया कि ऐ अल्लाह के रसूल! वो “अहले कुरबा” कौन

लोग हैं जिनसे हम आपके लिये मुहब्बत करें? आपने फरमाया कि अली^{अ.स.} व फातिमा^{अ.स.} और उनकी औलाद^{अ.स.} हैं पस आंहज़रत^{स.अ.व.} ने लोगों को उन पाकीज़ा हस्तियों से वाकिफ़ कर दिया जिनसे मुहब्बत करने का हुक्म खुदा ने दिया था और आप पर जो हुक्म नाज़िल हुआ था उसको आपने वाज़ेह कर दिया कि बात बिल्कुल वाज़ेह और मशहूर व मअरूफ़ हो जाये और फिर हर वो शख्स मुस्तहक़े मवद्दत होने का दावा न कर सके जिसको रसूले खुदा^{स.अ.व.} से ज़रा भी क़राबत है अगर आपके अहले क़राबत इसका दावा भी करें तो मवद्दत का इस्तेहकाक़ उसी को हासिल होगा जो ब—लिहाज़े क़राबत सबसे ज़्यादा आपसे अक़रब है मगर तारीख़ गवाह है कि आपके अहलेबैत^{अ.स.} के सिवा किसी और क़राबतदार ने इसका दावा नहीं किया है।

हज़रत इब्ने अब्बास रसूले अकरम^{स.अ.व.} से तो ये रिवायत नक़ल करते हैं कि मवद्दत फ़िल क़ुरबा में बावजूद ये कि वो आंहज़रत^{स.अ.व.} के क़राबतदार हैं उनको कोई हज़ हासिल नहीं है बल्कि ये हज़ रसूले अकरम^{स.अ.व.} के बयान के मुताबिक़ अली^{अ.स.} और अइम्मा—ए—ताहिरीन^{अ.स.} के लिये मख़सूस है पस कलामे इलाही में इस तहरीफ़ करने वाले ने न तो किताबल्लाह के ज़ाहिरी बयान की पैरवी की न तो रसूलल्लाह^{स.अ.व.} ने “अहले मवद्दत” के सिलसिले में अपनी उम्मत के लिये जो वज़ाहत फरमाई थी उसकी इक़तिदा की बल्कि उस मुहर्रिफ़ ने तो खुदा व रसूल की सरासर मुखालिफ़त की और जिन अफ़राद से खुदा ने मुहब्बत करने का हुक्म दिया था उनसे बुग़ज़ व अदावत की बिना पर उस मुहर्रिफ़ ने अपनी राय और तबीयत से एक ऐसी बात पैदा की जो उसके लिये मोहलिक (घातक) थी उसने तो खुदा व रसूल पर जुर्अत की है खुदा की पनाह गुमराही और जहालत से और इस किस्म की फासिद तावीलात से ये हमारा मौजूअे बहस नहीं है कि हम इस पर मज़ीद गुफ़्तगु करें लेकिन हमने जो कुछ बयान कर दिया है वो इन्शा अल्लाह काफी होगा।

इमाम जअफ़ररुस्सादिक़^{अ.स.} से रिवायत है आपने अपने शिष्यों से ख़िताब करके फरमाया कि क्या मैं तुम लोगों को उस नेकी से मुत्तलअ (आगाह) न करूँ कि जिसका करने वाला क़यामत के दिन ख़ौफ़ से मामून रहेगा और क्या मैं तुमको उस बदी से ख़बरदार न करूँ कि जिसके करने वाले को खुदा मुँह के बल जहन्नम में डालेगा? लोगों ने अर्ज़ किया कि हाँ ऐ फरज़न्दे रसूल! आप ज़रूर हमको बताइये। आपने फरमाया कि वो नेकी हमारी मुहब्बत है और वो बदी हमसे बुग़ज़ व अदावत रखना है।

इमाम बाकिर^{अ.स.} से मरवी है कि एक मर्तबा खुरासान से कुछ लोग आपकी खिदमत में हाज़िर हुए आपने उनमें एक ऐसे शख्स को देखा जिसके दोनों पैर ज़ख्मी थे उससे आपने पूछा कि ये क्या हुआ? उस शख्स ने कहा कि ऐ फरज़न्दे रसूल! सफ़र की दूरी की वजह से ऐसा हुआ है और क़सम ब—ख़ुदा मैं जहाँ से आया हूँ वहाँ से मुझे सिर्फ़ आप अहलेबैते किराम^{अ.स.} की मुहब्बत खींच कर लाई है इमाम बाकिर^{अ.स.} ने उस शख्स से फरमाया कि क़सम ब—ख़ुदा मैं तुमको ये बशारत देता हूँ कि तुम क़यामत के रोज़ हमारे साथ उठोगे उस शख्स ने आपसे फिर अर्ज़ किया कि ऐ फरज़न्दे रसूल! क्या आप लोगों के साथ मेरा हज़्न होगा? आपने फरमाया कि हाँ जो बन्दा—ए—ख़ुदा हमसे मुहब्बत करेगा ख़ुदा उसको क़यामत के रोज़ हमारे साथ उठायेगा। दीन सिर्फ़ मुहब्बत है अल्लाह तआला ने भी फरमाया है कि :

قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ

कुल इन कुनतुम तुहिब्बूनल्लाह: फत्तबिऊनी युहबिबकुमुल्लाहो 3-3/31
तर्जुमा : (ऐ रसूल^{स.अ.व.} इन लोगों से) कह दो कि तुम ख़ुदा को दोस्त रखते हो तो मेरी पैरवी करो कि ख़ुदा भी तुम को दोस्त रखेगा।

इमाम जअफरुस्सादिक^{अ.स.} से मरवी है आपने फरमाया कि अल्लाह तआला ने अपनी ख़लाइक़ में एक मख़लूक़ को हमारी मुहब्बत के लिये पैदा किया है और एक मख़लूक़ को हमसे बुग़ज़ व अदावत करने के लिये पैदा किया है। अगर कोई ऐसा शख्स जिसने हमसे मुहब्बत की है वो अपनी इस राय से निकल कर दूसरी राय की तरफ़ माइल हो जाये तो ख़ुदा उसको पहली राय की तरफ़ यानि हमारी मुहब्बत की तरफ़ वापस लौटा देगा।

इमाम बाकिर^{अ.स.} से रिवायत है आपने फरमाया कि जब तुम्हारी जान हल्क़ तक आ पहुँचे तो उस वक़्त अली की मुहब्बत तुमको सबसे ज़्यादा नफ़अ बख़्श होगी और आपसे ये भी रिवायत है कि एक मर्तबा ज़ियादुल असवद जब आपकी खिदमत में हाज़िर हुए तो आपकी नज़र उनके पैरों पर पड़ी आपने उनसे फरमाया कि ऐ ज़ियाद ये ज़ख्म कैसे हैं? उन्होंने कहा कि ऐ मेरे आका मैं एक कमज़ोर ऊँट पर सवार हुआ था और शाहराह (आम रास्ता) पर चला था मेरे पास माल (रूपये) नहीं थे कि जिससे फरबा (तंदरुस्त) ऊँट खरीदता और ये ऊँट भी मैंने तीन—चार चीज़ों को मिलाकर खरीदा था ये सुनना था कि इमाम बाकिर^{अ.स.} पर रिक्कत तारी हो गई और आँखों में आँसू थरथराने लगे ज़ियादुल असवद ने अर्ज़ किया कि ऐ आका

आप पर मेरी जान कुर्बान कसम ब—खुदा मैं बहुत ही गुनाहगार और अपनी जान पर इसराफ करने वाला हूँ। बसा औकात तो मैं बोल उठता हूँ कि मैं हलाक हो गया। फिर जब मैं आप अहलेबैते किराम^{अ.स.} की हुब व वला याद करता हूँ तो मैं मग़फिरत की उम्मीद करने लगता हूँ उस वक़्त इमाम बाकिर^{अ.स.} ने ज़ियादुल असवद की जानिब ख़िताब करते हुए फरमाया कि सुब्हानल्लाह दीन फक़त मोहब्बत है और खुदावन्दे तआला ने भी अपनी किताब में फरमाया है कि :

حَبِّ الْيَكُمُ الْإِيْمَانُ وَزَيْنَهُ، فِي قُلُوبِكُمْ

हब्बब: इलैकुमुल ईमान: व ज़य्यनहू फी कुलूबिकुम 26—49/7
खुदा ने तुम्हे ईमान की मुहब्बत दी है और उसी को तुम्हारे दिलो में उम्दा कर दिखाया है और खुदा का यह भी इश्ाद है :

قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ

कुल इन कुनतुम तुहिब्बुनल्लाह: फत्तबिऊनी युहबिबकुमुल्लाहो 3—3/31
तर्जुमा : (ऐ रसूल इन लोगों से) कह दो कि अगर तुम खुदा को दोस्त रखते हो तो मेरी पैरवी करो कि खुदा भी तुमको दोस्त रखेगा। और खुदा ने यह भी फरमाया है कि :

يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ

युहिब्बून: मन हाजर: इलैहिम 28—59/9
तर्जुमा : और जो लोग उनकी तरफ हिजरत करके आये उनसे मुहब्बत करते हैं। फिर इमाम बाकिर^{अ.स.} ने फरमाया कि एक मर्तबा एक एअराबी रसूलल्लाह^{सअव.} की ख़िदमत में हाज़िर हुआ और उसने कहा कि ऐ रसूले खुदा^{स.अ.व.} मैं नमाज़ियों से मुहब्बत करता हूँ मगर खुद नमाज़ नहीं पढ़ता और रोज़ादारों से मुहब्बत करता हूँ मगर खुद रोज़ा नहीं रखता हूँ इमाम बाकिर^{अ.स.} ने फरमाया कि एअराबी ने जो ये कहा था कि मैं नमाज़ नहीं पढ़ता हूँ और न रोज़ा रखता हूँ। उससे उसकी मुराद ततव्वो यानि नफल नमाज़ और रोज़ा से थी फर्ज़ नमाज़ व रोज़ा से नहीं। रसूले अकरम^{स.अ.व.} ने एअराबी से जब ये सुना तो आपने फरमाया कि तुम्हारा हश्न उनके साथ होगा जिनसे तुम मुहब्बत करते हो इस तज़किरा के बाद इमाम बाकिर^{अ.स.} ने फरमाया कि तुम लोग क्या चाहते हो? कसम ब—खुदा अगर कोई ऐसा खौफनाक अम्र वाके

हो जाये जिससे लोग सरासीमा और ख़ौफ़ज़दा हो जायें तो उस वक्त तुम हमारी पनाह में होंगे और हम हमारे नबी करीम^{स.अ.व.} की पनाह में होंगे। मैं तुम को खुशखबरी सुनाता हूँ कि तुम कयामत के रोज़ बिला-शुबाह हमारे साथ होंगे खुदा की कसम तुमको और तुम्हारे अग़यार (ग़ैरों) को खुदा कोई मसावी (बराबर का) दर्जा न देगा और न उनके लिये कोई इज़ज़त व करामत है।

इमाम जअफरुस्सादिक^{अ.स.} से रिवायत है एक मर्तबा आपने अपने असहाब से फरमाया कि हम तुम और हमारे इत्तिबाअ में से जब कोई शख्स अपने घर में कुरआने पाक की तिलावत करता है तो वो आसमान वालों के लिये उसी तरह चमकता है जिस तरह आसमान के रोशन सितारे ज़मीन वालों के लिये चमकते हैं आपसे ये भी रिवायत है कि एक मर्तबा एक शख्स ने आपके पास किसी के इंतिक़ाल का तज़क़िरा करते हुए कहा कि ऐ फरज़न्दे रसूल! मरहूम आप लोगों के बारे में हुस्ने ज़न (अच्छा ख़्याल) रखता था और आप लोगों का मुहिब था उस शख्स से इमाम जअफरुस्सादिक^{अ.स.} ने फरमाया कि हमसे जो बन्दा भी मुहब्बत करेगा वो बरोज़े कयामत हमारे साथ होगा और हमारे साथे में होगा और मन्ज़िलत व दरजात में भी हमारा हम सोहबत होगा। कसम ब-खुदा कोई बन्दा हमसे उस वक्त तक मुहब्बत नहीं कर सकता जब तक कि खुदा उसके दिल को पाक न कर दे और खुदा उसके दिल को उस वक्त तक पाक न करेगा जब तक कि वो हमारी इमामत को तसलीम न करेगा जबकि वो हमें बतौर इमाम तसलीम करेगा तो खुदा उसको बरोज़ कयामत हिसाबे बद से बचायेगा और वो ख़ौफ़े अज़ीम से महफूज़ रहेगा। हमारी इमामत को तसलीम करने वाले उस वक्त खुश होते हैं जब उनकी जान यहाँ तक आ पहुँचती है आपने अपने दस्त मुबारक से अपने हल्क़ की तरफ़ इशारा करके बताया।

इमाम जअफरुस्सादिक^{अ.स.} से रिवायत है आपने एक मर्तबा अपने शियों से फरमाया कि तुम लोगों ने तो हमारी माअरिफ़त भी की मगर दूसरे लोगों ने तो हमें साफ़ इंकार कर दिया तुम लोगों ने हमसे मुहब्बत की और दूसरे लोगों ने बुग़ज़ व अदावत तुम लोगों ने हम से तअल्लुक़ पैदा किया और दूसरों ने क़तअ तअल्लुक़ किया इसलिये खुदा तुमको सरकारे दो आलम मुहम्मद रसूलल्लाह^{स.अ.व.} की रफ़ाक़त से नवाज़ेगा और तुमको उनके हौज़-ए-कौसर से सैराब करेगा।

इमाम बाकिर^{अ.स.} से रिवायत है एक मर्तबा आपके पास किसी ने अबु हुरेरा शाइर (शायर)¹ का तज़किरा किया आपने फरमाया कि खुदा अबु हुरेरा शाइर पर रहम करे उस वक्त हाज़िरीन में से किसी ने अबु हुरेरा शाइर के मुताल्लिक कुछ ऐसी बात कही जिससे वो आपको अबु हुरेरा शाइर मज़कूर की जानिब से बदज़न करना चाहता था मगर आपने उसकी बात सुनने के बाद भी यही फरमाया कि खुदा अबु हुरेरा शाइर पर रहम करे ऐ शख्स वाए (अफसोस) हो तुझ पर क्या अली के शिया को बख़्श देना खुदा के लिये कोई दुश्वार बात है।

इमाम जअफरुस्सादिक^{अ.स.} से रिवायत है आपने फरमाया कि वो मर्द मुमिन जो हमारी वलायत व मुहब्बत पर साबित क़दम है अगर उसको इस दुनिया में दरख्तों के सिवा किसी और चीज़ का साया मयस्सर न हो और उसकी पत्तियों के सिवा कोई और गिज़ा न होतो उससे उसको कोई ज़रर (नुकसान) न पहुंचेगा लोगों का तो ये हाल है कि वो हमसे दाएं-बाएं हो गये मगर एक तुम हो कि हमसे लाज़िम व मुताल्लिक रहे उस वक्त हाज़िरीन में से किसी ने अर्ज़ किया कि मैं आप पर कुर्बान हो जाऊँ खुदावन्दे तआला से हमें इस बात की पूरी उम्मीद है कि वो हमको और अवाम को मसावी दर्जा न देगा। आपने फरमाया कि क़सम ब—खुदा हरगिज़ ऐसा नहीं हो सकता उनके लिये तो कोई इज़्ज़त व करामत नहीं हैं।

इमाम जअफरुस्सादिक^{अ.स.} से रिवायत है कि आपने अपने शियों से खिताब करके फरमाया कि तुम्हें वो उलुल अलबाब यानि साहिबाने अक्ल व होश हो जिनका तज़किरा खुदा ने अपनी किताब में इस तरह किया है :

• إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُوا الْأَلْبَابِ •

इन्नमा यतज़क्करो उलुल अलबाब 13—13/19।

1 किताब शरहुल—अखबार के सोलहवें जुज़ में ये रिवायत मैमूनुल—अयादी से इस तरह मनकूल है कि इमाम बाकिर^{अ.स.} के नज़दीक अबु हुरेरा शाइर का जब उसने तज़किरा किया तो आपने फरमाया कि खुदा उस पर रहम करे। मैमून कहते हैं कि मैंने अर्ज़ किया कि वो तो शराबी था उसके जवाब में आपने दोबारा फरमाया कि खुदा उस पर रहम करे वाए हो तुझ पर ऐ मैमून क्या अली के शिया को बख़्श देना खुदा के लिए कोई दुश्वार बात है?

तर्जुमा : इससे तो बस कुछ समझदार लोग ही नसीहत हासिल करते हैं। पस तुमको बशारत है कि तुमको परवरदिगारे आलम की जानिब से दो हसनात में से किसी एक से जरूर नवाजा जायेगा। या तो अल्लाह तआला तुमको इतने अरसे तक ज़िन्दा रखेगा कि तुम वो तमाम चीज़ें अपनी आँखों से देख लोगें जिनकी तरफ तुम अपनी गर्दने दराज़ करते थे पस अल्लाह जल शानहू उससे तुम्हारे दिलों की प्यास और तड़प को दूर कर देगा जैसा कि खुदावन्दे तआला का इर्शाद है कि :

وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُّؤْمِنِينَ • وَيُذْهِبُ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ

व यशफि सुदूरः कौमिम मुमिनीन ० व युज़हिब गैज़ः कुलूबिहिम 10-9/14-15
तर्जुमा : और ईमानदार लोगों के कलेजे ठण्डा करेगा और उन मुअमिनीन के दिल की परेशानियाँ जो उससे (कुफ़ार से) पहुँच रही हैं दफा (दूर) करेगा और अगर तुम इस मंज़र के दिखने से पहले इन्तेकाल कर गये तो तुम अल्लाह के उस दीन पर वफात पाओगे जिसे उसने अपने पैग़म्बर^{स.अ.व.} के लिये पसंद फरमा लिया है और फिर तुम उसी दीन पर मबऊस होंगे खुदा की क़सम क़यामत के रोज़ खुदा बन्दों से वही दीन क़बूल करेगा जिस पर तुम हो और याद रखो जब तुममें से किसी बन्दा ए मुअमिन की जान यहाँ तक आ पहुँचेगी तो उस वक़्त वो ऐसे मनाज़िर देखेगा जिससे उसकी आँखें ठण्डी हो जायेगी इमाम जअफरुस्सादिक^{अ.स.} ने अपने हाथ से हलकूम मुबारक की तरफ इशारा करके बताया और फिर ख़ूब रोये।

इमाम जअफरुस्सादिक^{अ.स.} से रिवायत है कि एक मर्तबा आप जबकि अपने शियों की जमाअत में तशरीफ रखते थे आपने उनसे फरमाया कि तुम लोग मुझे ये बताओ कि लोगों के नज़दीक सबसे ज़्यादा बद हाल फिरका कौन सा है? उनमें से एक ने कहा कि मैं आप पर कुर्बान हो जाऊँ लोगों के नज़दीक तो हमी सबसे ज़्यादा बदहाल फिरका हूँ उस वक़्त आप टेक लगाये बैठे थे ये सुनना था कि उठ बैठे और फरमाया कि क़सम ब—खुदा तुमसे ना दो (2) जहन्नम में होंगे न एक (यानि तुमसे कोई भी जहन्नम में दाखिल न होगा) और सूनो ये आयते करीमा तुम्हारी ही बाबत उतरी है कि :

وَقَالُوا مَا لَنَا لَا نَرَىٰ رَجُلًا كُنَّا نَعُدُّهُمْ مِّنَ الْأَشْرَارِ •

اتَّخَذْنَاهُمْ سِحْرِيًّا أَمْ زَاغَتْ عَنْهُمْ الْأَبْصَارُ

व कालू मा लना ला नरा रिजालन कुन्ना नउहुहुम मिनल अशरार 0
अत्तखजनाहुम सिखरिय्यन अम जागत अनहुमुल अबसार 0 23-38/62-63।
तर्जुमा : और फिर खुद को कहेंगे कि हमें क्या हो गया है कि हम जिन लोगों
को दुनिया में शरीर (बदमाश) शुमार करते थे। हम उनको यहाँ दोज़ख में
नहीं देखते क्या हम उनसे (नाहक) मसखरापन करते थे या उनकी तरफ से
हमारी आंखें पलट गई हैं इसके बाद इमाम जअफरुस्सादिक^{अ.स.} ने फरमाया
कि क्या तुम्हें कुछ मालूम है कि उनके नज़दीक तुम्हारा हाले बद क्यूँ है?
उन्होंने कहा कि ऐ फरज़न्दे रसूल! हमको इसका इल्म नहीं है आपने
फरमाया कि तुम्हें बदहाल समझने की असल वजह ये है कि उन्होंने इबलीस
की इताअत की और तुमने नाफरमानी की इसलिये इबलीस ने उनको
तुम्हारे खिलाफ वरगलाया (भड़काया) है।

इमाम बाकिर^{अ.स.} से मरवी है आपने फरमाया कि जन्नत आले मुहम्मद
और उनके शियों की मुश्ताक है और उनकी आमद से जन्नत की रौनक
बढ़ती है अगर कोई बन्द-ए-खुदा रूकने यमानी व मक़ामे इब्राहिम^{अ.स.} के
दरमियान इतनी इबादत करे कि उसके अज्जा टुकड़े-टुकड़े हो जायें दर
हालांकि वो हम अहलेबैत^{अ.स.} की वलायत व मुहब्बत के साथ खुदा के दीन
पर अमल न करता हो तो खुदा उसकी इबादत कबूल न करेगा।

इमाम जअफरुस्सादिक^{अ.स.} से रिवायत है कि एक मर्तबा आपने अपने
बाअज़ शियों से फरमाया कि तुम लोगों ने तो हमसे मुहब्बत की मगर दूसरे
लोगों ने हमसे बुग़ज़ व अदावत किया और तुमने हमको महबूब व पसंदीदा
बनाया मगर दूसरे लोगों ने हमें मबगूज़ बनाया तुम लोगों ने हमारी तस्दीक
की और दूसरों ने हमें झुठलाया और तुम लोगों ने हमसे तअल्लुक रखा मगर
दूसरे लोगों ने कतअ तअल्लुक किया पस इसलिये अल्लाह तआला ने
तुम्हारी ज़िन्दगी को हमारी ज़िन्दगी करार दे दिया है और तुम्हारी मौत को
हमारी मौत बना दिया है। क़सम ब-खुदा तुममें से जब किसी की जान हल्क
तक आ पहुंचेगी तो उस वक़्त ऐसे मंज़र देखेगा जिससे उसकी आंखें ठण्डी
हो जायेगी।

क्या तुम ये नहीं पसन्द करते कि तुम भी नमाज़ पढ़ते हो और वो भी नमाज़ पढ़ते हैं मगर तुम्हारी नमाज़ मकबूल होगी और उनकी नमाज़ मकबूल ना होगी और तुम रोज़ा रखते हो वो भी रोज़ा रखते हैं मगर तुम्हारे रोज़े मकबूल होंगे उनके रोज़े मकबूल न होंगे और तुम हज करते हो और वो भी हज करते हैं मगर तुम्हारा हज मकबूल होगा उनका हज मकबूल न होगा कसम ब—खुदा नमाज़, रोज़ा, ज़कात, हज और दूसरे तमाम नेक आमाल सिर्फ तुम्हीं से कबूल किये जायेंगे। लोगों ने यहाँ—वहाँ, दाएँ—बाएँ से लिया मगर तुमने वहाँ से लिया जहाँ से अल्लाह के रसूल और उसके औलिया—ए—किराम अइम्मा ताहिरीन^{अ.स.} ने लिया था और अल्लाह तआला ने अपने बंदों में से मुहम्मद^{स.अ.व.} व आले मुहम्मद^{अ.स.} को मुनतख़िब कर लिया है पस तुमने उनको मुख़तार बनाया जिनको अल्लाह ने मुख़तार बनाया है तुम अल्लाह से डरो और अमानतों को स्याह व सफ़ेद में से जिसकी हो उसको अदा कर दो ख़्वाह वो हरवरी शामी और उमवी ही क्यों न हो।

रसूले अकरम^{स.अ.व.} से मरवी है आपने फरमाया कि अली के शिया ही कामयाब होने वाले और फ़लाह पाने वाले हैं।

इमाम बाकिर^{अ.स.} से रिवायत है आपने अपने शियों से फरमाया कि जब तुममें से किसी की जान (दम वापसी) हलक़ तक आ पहुँचती है तो वो बड़ा खुश होता है और मलकुल मौत उसके पास आकर कहता है कि तु जिस चीज़ का उम्मीदवार है वो तुझे मिल जायेगी और जिस चीज़ से तू डरता है उससे महफूज़ व मामून रहेगा उसके लिये एक दरवाज़ा खोल दिया जायेगा उसके उस मकान की तरफ जो जन्नत में हैं मलकुल मौत उससे कहेगा लो जन्नत में तुम अपने मसकन को देख लो वो रसूले खुदा^{स.अ.व.} है वो अली^{अ.स.} व फातिमा^{अ.स.} और हसन^{अ.स.} व हुसैन^{अ.स.} हैं ये सब तुम्हारे रुफ़काए हैं।

इमाम बाकिर^{अ.स.} फरमाते हैं कि अल्लाह तआला का ये इर्शाद है कि

:

الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ • لَهُمُ الْبُشْرَىٰ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ

अल लज़ीन: आमनू व कानू यत्तकून 0 लहुमुल बुशरा फिल हयातिदुनिया व फिल आखिरति 11-10/63-64

तर्जुमा : ये वो लोग हैं जो ईमान लाये और खुदा से डरते थे इन्ही लोगों के वास्ते दुनियावी ज़िन्दगी में भी और आखिरत में भी खुशख़बरी है रसूले अकरम^{स.अ.व.} से रिवायत है आपने फरमाया कि जो शख्स हम अहलेबैत^{अ.स.} से

बुग़ज़ व अदावत रखेगा खुदा उसको क़यामत के दिन यहूदी उठायेगा हज़रत जाबिर^{र.ज.} बिन अब्दुल्लाह अल अंसारी ने पूछा कि ऐ रसूले खुदा^{स.अ.व.} क्या वो दोनो कलमा—ए—शहादत पढ़ते हों तब आंहज़रत^{स.अ.व.} ने फरमाया कि हाँ इतना ज़रूर है कि उसने कलमा—ए—शहादत पढ़ कर अपना खून महफूज़ कर लिया है और सुनो! मेरे परवरदिगार ने मुझसे अली^{अ.स.} और उनके शियों के लिये एक खुसुसियत का वादा फरमाया है अर्ज़ किया गया कि ऐ रसूले खुदा^{स.अ.व.} वो खुसुसियत क्या है? आपने फरमाया कि उनमें से जो मुअमिन और मुत्तकी हैं खुदा उसके तमाम छोटे—बड़े गुनाहों को माफ करेगा और उनकी बुराइयों को हसनात (अच्छाईयों) में तबदील कर देगा।

अमीरुल मुअमिनीन अली बिन अबी तालिब^{अ.स.} से रिवायत है आपने फरमाया कि हसन^{अ.स.} और हुसैन^{अ.स.} की मुहब्बत में नेक व बद मुमिन व काफिर दोनों ही बराबर के शरीक है लेकिन मुझे ये खुसुसियत हासिल है कि मुझसे कभी कोई काफिर मुहब्बत न करेगा और न कोई मुअमिन बुग़ज़ व अदावत रखेगा।

इमाम बाकिर^{अ.स.} से खुदा के इस इर्शाद के बारे में सवाल किया गया है कि :

قُلْ يَعْبَادِي الَّذِينَ اسْرِفُوا عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ
جَمِيعًا ۚ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ

कुल या इबादियल लज़ीन: अस्स्फू अला अनफुसिहिम ला तकनतू मिन्न रहमतिल्लाहि इन्नल्लाह: यगफिरुज़ जुनूब: जमीअन इन्नहु हुवल गफूरुर रहीम 0 24—39/53

तर्जुमा : (ऐ रसूल) तुम कह दो कि ऐ मेरे ईमानदार बंदो जिन्होंने (गुनाह करके) अपनी जानों पर ज़्यादतियाँ की हैं तुम लोग खुदा की रहमत से ना—उम्मीद न होना बेशक खुदा (तुम्हारे) कुल गुनाहों को बख़्श देगा वो बेशक बड़ा बख़्शने वाला मेहरबान है क्या ये आयत करीमा खास है या आम आपने फरमाया कि ये आयत हमारे शियों के लिये मखसूस है आपसे ये भी मनकूल है कि आपने फरमाया है कि क़यामत के रोज़ हमारे शिया अपने ऐबों और गुनाहों समेत अपनी क़ब्रों से उठेंगे और वो बाजूदार (पंखों वाली) ऊँटनियों पर सवार होंगे उनकी जुतियों के तसमें नूर के मानिंद चमकदार

होंगे उनके लिये घाटों पर जाना आसान होगा उनसे मसाइब दूर हो चूके होंगे लोग खाइफ होंगे मगर वो नहीं। लोग हुज़्ज व मलाल (दुख दर्द) में मुबतिला होंगे मगर वो नहीं उनको अर्शे इलाही के साये में ले जाया जायेगा जहाँ उनके सामने दस्तरख्वान बिछाये जायेंगे और वो उसमें से खाना तनावुल करेंगे जबकि दूसरे लोग हिसाब व किताब में मुबतिला होंगे।

इमाम जअफरुस्सादिक^{अ.स.} से रिवायत है आपने एक मर्तबा अपने शियों से फरमाया कि हम क़यामत के रोज़ अपने पैगम्बर मुहम्मद मुस्तफा^{स.अव.} का दामन पकड़े होंगे और तुम हमारे दामन को पकड़े होंगे पस तुम किस तरफ जाओगे? उनमें से किसी ने कहा कि जन्नत की तरफ इन्शा अल्लाह आपने फरमाया कि हां क़सम बा—खुदा जन्नत की तरफ जायेंगे इन्शाअल्लाह।

इमाम जअफरुस्सादिक^{अ.स.} से रिवायत है कि एक दिन अबु बसीर जो काफी सन रसीदा (बुर्जुग) थे और उनकी आंखें भी जाती रही थी और उनको तनपफुस की शिकायत भी थी जब वो आपकी खिदमत में हाज़िर हुए तो आपने फरमाया कि ऐ अबु बसीर इस तनपफुस की वजह क्या है? उन्होंने जवाब दिया कि मेरी जान आप पर कुर्बान ये किब्सिनी और बुढ़ापे की वजह से है और मेरी आंखें भी ज़ाए हो गई हैं और अब तो मौत भी मुझसे क़रीब आ चुकी है लेकिन मेरा अंजाम क्या होगा इसकी मुझे मुतलक़ ख़बर नहीं है सादिक आले मुहम्मद^{अ.स.} ने फरमाया कि ऐ अबु मुहम्मद क्या ये तुम कह रहे हो? क्या तुम्हें ये मालूम नहीं है कि अल्लाह तआला तुममें से जो नौजवान हैं उनको अज़ाब देकर इज़्ज़त व करामत अता करता है मगर तुममें जो बूढ़े हैं उनके हिसाब व किताब तक से वो शर्माता है और जो बहुत बूढ़े हो चूके हैं उनको तो इज़्ज़त व करामत से नवाज़ता है अबू बसीर ने कहा कि ए फरज़ंदे रसूल! क्या यह आप हमारे लिये फरमा रहे हैं? आपने फरमाया कि हां इससे और भी ज़्यादा। अबू बसीर ने अर्ज़ किया कि मैं आप पर कुर्बान हो जाऊँ ऐ फरज़न्दे रसूल! मुझसे और बयान कीजिये। इमाम जअफरुस्सादिक^{अ.स.} ने फरमाया कि क्या तुमने खुदा का ये इर्शाद नहीं सुना है कि :

رَجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ ۖ فَمِنْهُمْ مَّنْ قَضَىٰ نَحْبَهُ ۖ وَمِنْهُمْ مَّنْ يَنْتَظِرُ

रिजालुन सदकू मा आहदुल्लाह: अलैहि फ मिनहुम मन क़ज़ा नहबहू व मिनहुम मन्य यनतज़िरो 21—33/23 अबु बसीर ने कहा कि हाँ ऐ फरज़न्दे रसूल! मैंने इस आयत को पढ़ा है आपने फरमाया कि क़सम ब—खुदा

अल्लाह तआला ने इससे तुम्हें मुराद लिया है तुम्ही वो हो जिन्होंने अल्लाह से किये हुए अहद व पैमान को पूरा किया है और तुम्ही वो हो जिन्होंने हम अहलेबैत^{अ.स.} को छोड़कर दूसरों को अपना इमाम नहीं बनाया है। ऐ अबू बसीर क्या तुम खुश हुए? उन्होंने कहा कि हाँ मैं आप पर कुरबान हो जाऊँ मुझसे और बयान कीजिये। सादिक आले मोहम्मद^{अ.स.} ने फरमाया कि लोगों ने तो खेर को छोड़ा मगर तुमने शर को छोड़ा है और दूसरे लोग फिरका फिरका जमाअत दर जमाअत बंट गये मगर तुम तो अहलेबैत^{अ.स.} की जमाअत में ही रहे। पस तुम्हे बशारत है बशारत कसम ब—खुदा अल्लाह जल शानहू तुम पर रहम करेगा और तुम्हारे नेको—कार का अमल कबूल करेगा और तुम्हारे बद कार को माफ करेगा और जो तुम्हारी राह पर नहीं है उनसे खुदा कुछ भी कबूल न करेगा न उनकी नेकी को कबूल करेगा न उनके गुनाह को माफ करेगा। ऐ अबू बसीर क्या तुम खुश हुए? उन्होंने कहा हां मैं आप पर कुरबान हो जाऊँ आप मुझसे और बयान कीजिये। इमाम जअफरुस्सादिक^{अ.स.} ने फरमाया सुनो! अल्लाह तआला ने अपने फरिश्तों में से चन्द फरिश्तों को इस काम पर मुकर्रर कर रखा है कि वह हमारे शियों के गुनाहों को झाड़ते रहें जैसे पतझड़ के मौसम में दरख्तों से पत्ते झड़ते हैं। चुनांचे इसके मुताल्लिक परवरदिगार आलम का यह इर्शाद है कि :

الَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ
 آمَنُوا رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَّحْمَةً وَعِلْمًا فَاغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُوا وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ

अल लजीन: यहमिलूनल अरश: व मन होलहू युसब्बिहून: बि हमदि रब्बिहिम
 व युअमिनून: बिही व यसतगफिरून: लिल लजीन: आमनू रब्बना व सिअत:
 कुल्ल: शैइन रहमतव व इल्मन फगफिर लिल लजीन: ताबू वत्तबऊ सबीलक:
 24—40/7

तर्जुमा : जो फरिश्ते अर्श को उठाये हुए हैं और जो उसके इर्द—गिर्द (आस—पास) हैं सब अपने परवरदिगार की तारीफ के साथ तस्बीह करते हैं और इस पर ईमान रखते हैं और मुअमिनों के लिये बख्शिश की दुआ मांगा करते हैं कि परवरदिगार तेरी रहमत और तेरा इल्म हर चीज़ पर अहाता किये हुए है। तो जिन लोगों ने सच्चे दिल से तौबा कर ली और तेरे रास्ते पर चले उनको बख्श दे। इस आयते करीमा में इस्तिगफारे मलाइका के मुताल्लिक सादिक आले मुहम्मद^{अ.स.} ने फरमाया कि कसम बखुदा यह

फरिश्ते तमाम ख़लाइक़ को छोड़कर सिर्फ़ तुम्हारे ही लिये मग़फ़िरत तलब करते हैं ए अबू बसीर क्या तुम खुश हुए? उन्होंने कहा कि हाँ मैं आप पर फ़िदा हो जाऊँ आप और बयान कीजिये। आपने फरमाया कि अल्लाह तआला ने अपनी किताब में तुम्हारा इस तरह ज़िक्र किया है कि :

رَجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ ۖ فَمِنْهُمْ مَّنْ قَضَىٰ نَحْبَهُ ۚ وَمِنْهُمْ مَّنْ يَنْتَظِرُ

रिजालुन सदकू मा आहदुल्लाहः अलैहि फ मिनहुम मन कज़ा नहबहू व मिनहुम मन्य यनतज़िरो 21-33/23।

तर्जुमा : यह वह मर्द है जिन्होंने अल्लाह से किया हुआ वादा सच कर दिखाया है। पस उनमें से कितने शहीद हो चुके और कितने शहादत के इन्तिज़ार में हैं।

और अल्लाह तआला ने दूसरे मकाम पर तुम्हारा इस तरह तज़क़िरा किया है कि :

وَقَالُوا مَا لَنَا لَا نَرَىٰ رَجُلًا كُنَّا نَعُدُّهُمْ مِنَ الْأَشْرَارِ ۚ أَتَّخَذْنَاهُمْ سِحْرِيًّا أَمْ أَزَاغَتْ عَنْهُمْ الْأَبْصَارُ ۚ

व कालू मा लना ला नरा रिजालन कुन्ना नउदुहुम मिनल अशरार 0 अत्तखज़नाहुम सिखरिय्यन अम ज़ागत अनहुमुल अबसार 0 23-38/62-63।

तर्जुमा : और फिर खुद भी कहेंगे हमें क्या हो गया है कि हम जिन लोगों को दुनिया में शरीर (बदमाश) शुमार करते थे हम उनको दोज़ख में नहीं देखते। क्या हम उनसे नाहक़ मसख़रापन करते थे या उनकी तरफ़ से हमारी आंखें पलट गई हैं। आपने फरमाया कि ए अबू बसीर तुम जन्नत में खुश व ख़ुर्रम होंगे और लोग तुमकों जहन्नम में तलाश करते होंगे। ऐ अबू बसीर! क्या तुम खुश हुए? उन्होंने कहा कि हां आप पर मेरी जान फ़िदा मुझसे और बयान कीजिये। आपने फरमाया कि अल्लाह तआला ने अपनी किताब में तुम्हारा इस तरह ज़िक्र किया है कि :

يَوْمَ لَا يُغْنِي مَوْلَىٰ عَنْ مَوْلَىٰ شَيْئًا وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ ۚ إِلَّا مَنْ رَّحِمَ اللَّهُ

यौमः ला युगनी मौलन अन्म मौलन शैअन्व वला हुम युनसरून 0 इल्ला मन् रहिमल्लाहो 25-44/41-42।

तर्जुमा : जिस दिन कोई दोस्त किसी दोस्त के काम न आयेगा और न उनकी मदद की जायेगी मगर जिस पर खुदा रहम फरमाये।

सादिक आले मोहम्मद^{अ.स.} ने फरमाया कि ए अबू बसीर इस आयत करीमा में कसम ब खुदा अली^{अ.स.} और आपके अहलेबैत^{अ.स.} और उनके शियों के सिवा किसी और को मुस्तसना नहीं किया है और तुम्हारा तज़क़िरा दूसरे मक़ाम पर इस तरह से किया है कि :

فَاُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِيْنَ اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ مِّنَ النَّبِيِّْنَ وَ الصّٰدِقِيْنَ وَ الشّٰهَدَآءِ وَ الصّٰلِحِيْنَ

फ उलाइक: मअल लज़ीन: अनअमल्लाहो अलैहिम मिनन नबीय्यीन: वस सिदीकीन: वश शोहदाए वस सालिहीन 5-4/69।

तर्जुमा : ऐसे लोग उन मक़बूल बंदों के साथ होंगे जिन्हें खुदा ने अपनी नेअमते दी हैं यानि अम्बिया और सिद्दीकीन और शोहदाए व सालेहीन। यहां पर अम्बिया में से रसूले अकरम^{स.अ.व.} मुराद हैं और सिद्दीकीन व शोहदाअ में से हम हैं और सालेहीन में से तुम हो। ए अबू बसीर क्या तुम खुश हुए? उन्होंने कहा कि हां मेरी जान आप पर कुरबान मुझसे और बयान कीजिये। आपने फरमाया कि अल्लाह तआला ने तुम्हारा ज़िक्र अपनी किताब में इस तरह से किया है कि :

قُلْ يٰعِبَادِىَ الَّذِيْنَ اَسْرَفُوْا عَلٰى اَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوْا مِنْ رَّحْمَةِ اللّٰهِ

कुल या इबादियल लज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम ला तकनतू मिन रहमतिल्लाहि 24-39/53।

तर्जुमा : (ए रसूल) तुम कह दो कि ऐ मेरे ईमानदार बन्दो जिन्होंने (गुनाह करके) अपनी जानों पर ज़्यादतियां की हैं तुम लोग खुदा की रहमत से ना उम्मीद न होना। सादिक आले मोहम्मद^{अ.स.} ने फरमाया कि इस आयत में इबाद से तुम लोग मुराद हो, ए अबू बसीर क्या तुम खुश हुए? उन्होंने कहा कि हां आप पर मैं कुरबान हो जाऊँ मुझसे और बयान कीजिये। आपने फरमाया कि अल्लाह तआला ने अपनी किताब में तुम्हारा इस तरह तज़क़िरा किया है कि

قُلْ هَلْ يَسْتَوِى الَّذِيْنَ يَعْلَمُوْنَ وَ الَّذِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ ؕ اِنَّمَا يَتَذَكَّرُ اُولُو الْاَلْبَابِ

कुल हल यसतविल लज़ीन: यअलमून: वल लज़ीन: ला यअलमून: इन्नमा यतज़क़रो उलुल अलबाब 23-39/9।

तर्जुमा : (ए रसूल) तुम पूछो तो कि भला कहीं जानने वाले और न जानने वाले लोग बराबर हो सकते हैं।

ए अबू बसीर इस आयत में उलुल अलबाब से तुम लोग मुराद हो क्या तुम खुश हुए? उन्होंने कहा कि हां मेरी जान आप पर फिदा मुझसे और बयान कीजिये। आपने फरमाया कि अल्लाह तआला का यह इर्शाद है कि :

إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطٰنٌ

इन्नः इबादी लैसः लकः अलैहिम सुल्तान 14-15/42।

तर्जुमा : जो मेरे मुखलिस बंदे हैं उन पर तुझे किसी तरह की हुकूमत न होंगी।

ए अबू बसीर इस आयत में 'इबाद' से तुम लोगो को मुराद लिया गया है (तुम्ही वह लोग हो जिन पर शैतान का कोई हरबा कारगर नहीं होता) क्या तुम खुश हुए? उन्होंने कहा कि हां मैं आप पर कुरबान जाऊँ और बयान कीजिये। सादिक आले मोहम्मद^{अ.स.} ने फरमाया कि कुरआने पाक की वह तमाम आयतें जो जन्नत की तरफ शौक़ दिलाती है और नेकी की याद दिलाती हैं वह सब हमारे मुताल्लिक और हमारे शियों के मुताल्लिक हैं और वह तमाम आयतें जो दोज़ख से डराती हैं और जिनमें अहले दोज़ख का तज़किरा है वह सब हमारे दुश्मनों के मुताल्लिक हैं आप उस वक्त मक़ामे " अबतह " में मुकीम थे जब आपने सुना कि लोग हज के लिये जा रहे हैं तो आप ने फरमाया कि शोर व ग़ोगा तो बहुत ज़्यादा है मगर हाजी बहुत कम हैं क़सम ब खुदा ए अबू बसीर अल्लाह तआला तुमसे और तुम्हारे असहाब से आमाल को क़बूल करेगा। इतना फरमाने के बाद आप उठ कर अपने घर की तरफ तशरीफ ले गये। इस सिलसिले में और बहुत सी रिवायतें हैं अगर हम उनको बयान करें तो ज़िक्र तवील हो जायेगा हम ने जो कुछ बयान कर दिया है वही काफी है। पस अल्लाह और उसके ओलियाअ अइम्मा ताहिरीन^{अ.स.} की जानिब से बशारत व खुश ख़बरी है।

वलहम्दोलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।

इल्म की तरगीब और तालिबाने इल्म के फज़ाइल का बयान

अल्लाह तआला का इर्शाद है कि :

فَسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ •

“फसअलू अहलज़ ज़िक्रि इन कुन्तुम ला तअलमून 0 14-16/43

तर्जुमा : अगर तुम नहीं जानते हो तो अहले ज़िक्र (आलिमों से) पूछो।

और यह भी फरमाया है कि :

هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ۚ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُوا الْأَلْبَابِ •

हल यसतविल लज़ीनः यअलमूनः वल लज़ीनः ला यअलमूनः इन्नमा यतज़क्करो
उलूल अलबाब 23-39/9

तर्जुमा : ए रसूल तुम पूछो तो! कि भला कहीं जानने वाले और न जानने वाले लोग बराबर हो सकते हैं। मगर नसीहत व इब्रत तो बस अक्लमंद लोग ही मानते हैं और अल्लाह तआला का इर्शाद है कि :

بَلْ هُوَ آيَاتٌ مِّنْ بَيْنَتٍ فِي صُذُورِ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ •

बल हुवः आयातुम बय्यिनातुन फी सुदूरिल लज़ीनः उत्तूल इल्मः 21-29/49।

तर्जुमा : मगर जिन लोगों को (खुदा की तरफ से) इल्म अता हुआ है उनके दिल में यह (कुरआन) वाज़ेह व रोशन आयतें हैं। और खुदावन्दे आलम का यह भी इर्शाद है कि :

يَرْفَعُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ ۖ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ ۚ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ •

यरफइल्लाहुल लज़ीनः आमनू मिनकूम वल लज़ीनः ऊतूल इल्मः दरजातिन
वल्लाहो बिमा तअमलूनः खबीर 0 28-58/11।

तर्जुमा : जो लोग तुममें से ईमानदार हैं और जिनको इल्म अता हुआ है उनके दर्जे बुलंद करेगा और खुदा तुम्हारे सब कामों से बा खबर है। इससे कब्ल हम बयान कर चुके हैं कि कुरआने हकीम में इस किस्म की जितनी आयतें हैं उनसे अइम्मा अहलेबैते रसूल^{अ.स.} मुराद हैं पस यही वह अहले इल्म हैं जिनके मुबारक सीनों में परवरदिगारे आलम ने तमाम उलूम व मआरिफ को वदीअत कर दिया है और इसी इल्म व माअरिफत की बिना पर उनको

खलाइक़ पर अफज़लियत हासिल है और खुदा ने उनको अपने नूर से मखसूस फरमाया है और अल्लाह तआला ने उनको इल्म व माअरिफत का मुहाफिज़ और खज़ानादार बनाया है। वह इल्म की इशाअत व हिफाज़त पर मामूर हैं। इल्म व माअरिफत के बारे में अल्लाह तआला ने इस उम्मत को अइम्मा अहलेबैत^{अ.स.} की तरफ़ मुतवज्जा किया है और जिस मसअले का इन्हे कोई इल्म न हो उसे इमामो की खिदमत में पेश करने का हुक्म दिया गया है और अल्लाह तआला ने अइम्मा ताहिरीन^{अ.स.} के मानने वालों को उनकी वलायत की वजह से दूसरों पर फज़ीलत बख्शी है और उन अइम्मा अहलेबैत^{अ.स.} से इल्म हासिल करने और उनका हुक्म मानने और उनकी इताअत को अपना शिआर बनाने की वजह से उनको शरफ व कमाल अता किया है। इस सिलसिले में हमने गुज़िशता बाब में कुछ बयान कर दिया है। अब हम इस बाब में अइम्मा अहलेबैत^{अ.स.} से इल्म व माअरिफत हासिल करने की फज़ीलत और उनके फरमान से इल्मी खिदमत करने वालों से इल्म व माअरिफत हासिल करने की फज़ीलत बयान करेंगे।

अइम्मा अहलेबैत^{अ.स.} ने रसूले अकरम^{स.अ.व.} से यह रिवायत नक़ल की है कि आप ने एक मर्तबा फरमाया कि मेरी उम्मत में से हर साहिबे अक्ल पर यह चार बातें लाज़िम और वाज़िबुल अमल हैं। अर्ज़ किया गया कि ए रसूले खुदा^{स.अ.व.} वह चार चीज़ें क्या हैं? आंहज़रत^{स.अ.व.} ने इर्शाद फरमाया कि इल्म का सुनना, उसको याद रखना, उस पर अमल करना और उसको फैलाना।

अइम्मा अहलेबैत^{अ.स.} ने आंहज़रत^{स.अ.व.} से यह हदीस नक़ल की है कि आपने फरमाया कि बहुत से अहले इल्म ऐसे हैं जो फकीह नहीं और बहुत से फुक्हाअ अपने से ज़्यादा माहिर इल्मे फिकाह के मोहताज हैं और यह हदीस भी मनकूल है कि एक मर्तबा रिसालत मआब^{स.अ.व.} ने मस्जिदे ख़ैफ़ में लोगों को खिताब करके फरमाया कि खुदावन्दे आलम उस बंदे पर अपनी रहमत नाज़िल करे जिसने मेरी बात को सुनकर उसको याद रखा और जिसने नहीं सुना था उसको सुनाया। पस तुमको मालूम हो कि बहुत से हामिले फिकाह फकीह नहीं होते और बहुत से हामिले फुकाह अपने से ज़्यादा बुलंद पाया फकीह के मोहताज हैं।

हज़रत अली^{अ.स.} से मरवी है आपने फरमाया कि चार चीज़ें ऐसी हैं जिनके हुसूल (हासिल) के लिये अगर सवारियां दौड़ाई जायें और वह उनकी तलब में दुबली हो जायें तो भी यह बहुत कम होगा। पहली बात तो यह है कि बंदा किसी से उम्मीद न रखे सिर्फ़ खुदा ही से उम्मीद रखे, दूसरी बात

यह है कि बन्दा किसी से न डरे सिर्फ डरे तो अपने गुनाह से डरे। तीसरी बात यह है कि जाहिल इल्म को तलब करने में शर्माये नहीं और चौथी बात यह है कि जब किसी आलिम से कोई ऐसा मस्अला पूछा जाये जिसके मुताल्लिक वह न जानता हो तो वह यह कहने से न शर्माये कि मुझे इसका इल्म नहीं है।

इमाम जअफरुस्सादिक^{अ.स.} से रिवायत है आपने फरमाया कि इल्म हासिल करो मगर इल्म के साथ-साथ बुर्दबारी और वक़ार को अपना शिआर बनाओ और जिस तालिबे इल्म को तुम पढ़ाओ उसके साथ तवाज़ोअ से पेश आओ। उलमा-ए-जबाबिरा यानि सख़्ती और तशहूद से काम लेने वाले आलिम न बनो वरना तुम्हारा बातिल तुम्हारे हक़ को भी ले डूबेगा।

सादिक आले मोहम्मद^{अ.स.} से रिवायत है आपने फरमाया कि अगर हमारे शिष्यों में से कोई ऐसा नौजवान मुझे मिल जाता जो इल्म फिक्ह न जानता हो तो मैं उसको बेहतरीन अदब से आरास्ता कर देता।

हज़रत अमीरुल मुअमिनीन^{अ.स.} से रिवायत है आहज़रत^{स.अ.व.} ने फरमाया कि मेरे अहलेबैत^{अ.स.} का मकाम तुम्हारे दरमियान किशती नूह की तरह है कि जो उसमें सवार हो गया उसने नजात पाई और जो सवार न हुआ वह ग़रक़ हो गया और आपने यह भी इर्शाद फरमाया है कि मेरे अहलेबैत^{अ.स.} के आलिम से इल्म हासिल कर लिया फिर उससे जिसने खुद आलिमे अहलेबैत^{अ.स.} से इल्म हासिल किया हो तब तुम दोज़ख़ से नजात पाओगे।

अइम्मा ताहिरीन^{अ.स.} ने हज़रत अली^{अ.स.} से और आपने पैग़म्बरे खुदा^{स.अ.व.} से यह रिवायत नक्ल की है कि आहज़रत^{स.अ.व.} ने फरमाया कि ज़िंदगी में किसी के लिये कोई लुत्फ़ व राहत नहीं है। सिवाये आलिमे नातिक़ या ऐसे सुनने वाले के जो सुनकर याद रखता हो और यह दो कमालात किसी मुनाफ़िक़ में जमा न होंगे, एक तो फिकाहे इस्लामी और दूसरे किसी मुनाफ़िक़ के चेहरे पर नेकी के आसार न होंगे। फुक़हा जब तक दुनियादारी में नही गिरिपतार होते उस वक़्त तक वह रसूलों के अमीन होते हैं। अर्ज़ किया गया कि ए पैग़म्बरे खुदा^{स.अ.व.} उनके दुनिया में पड़ने से क्या मुराद है? आपने फरमाया कि उससे सुल्तान की पैरवी व इत्तिबाअ मुराद है यानि जब फुक़हा सुल्तान के इशारों पर चलने लगें तो तुम अपने दीन के मुआमलात में उनसे बचते रहना। यहां पर सुल्तान से आहज़रत^{स.अ.व.} ने अहले जोर व बगावत के सुल्तान से मुराद ली है लेकिन वह अइम्मा अदल जो अल्लाह

तआला की तरफ से काइम किये गये हैं या जिनको इन्होंने खुद अपने हिदायत यापतह लोगों में से मुर्करर किया हो और वह अइम्मा अदल के फरमान पर अमल करते हों तो उन तमाम की इत्तिबाअ करना उनके साथ तआवुन करना और उनका काम करना नेकी और फजीलत है। आम मुसलमानों में से मैं किसी के मुताल्लिक यह नहीं जानता कि उसने अइम्मा अदल की इत्तिबाअ से रोका हो या इंकार किया हो। बल्कि उन्होंने तो लोगों को इतबा की तरगीब दी है। पस यह इस बात की दलील है कि सुल्तान से रसूले अकरम^{स.अ.व.} की मुराद जालिमीन के सुल्तान से हैं और वह तमाम लोग मुराद है जिनकी इत्तिबाअ और पैरवी से खुदावन्दे आलम ने मना फरमाया है।

अइम्मा ताहिरीन^{अ.स.} ने रिसालत मआब^{स.अ.व.} से यह हदीस नक्ल की है आप^{स.अ.व.} ने फरमाया कि परवरदिगारे आलम जिस शख्स के जरिये नेक काम अन्जाम देने का इरादा कर लेता है उसको दीन का इल्मे फिक्ह अता कर देता है।

रसूले अकरम^{स.अ.व.} से मनकूल है आपने फरमाया है कि खल्फ में से हर आदिल शख्स इस इल्म का हामिल होगा। वह इस इल्म को जाहिलों की तहरीफ और अहले बातिल की मन-गढ़त बातों और अहले गुलू की तावीलात से पाक रखेंगे।

आंहज़रत^{स.अ.व.} से रिवायत है आपने फरमाया है कि जब कोई शख्स इल्म की तलाश में अपने घर से निकलता है। खुदा उसके पीछे नेकियाँ तहरीर फरमा देता है और जब वह तालिबे इल्म और आलिम एक दुसरे से मिलते हैं और अग्रे इलाही के सिलसिले में आपस में बहस करते हैं तो फरिश्ते उन पर साया करते हैं और दोनों के ऊपर से यह निदा की जाती है कि तुम दोनों को माफ कर दिया गया है।

इमाम जअफरुस्सादिक^{अ.स.} से रिवायत है आपने फरमाया कि बंदा मुअमिन अपने घर वालों को इल्म और सालेह अदब की विरासत दे जाता है यहां तक कि वह उन तमाम को बहिश्त में दाखिल कर देता है यहां तक कि उनमें से न तो कोई छोटा बाकी रह जाता है न बड़ा। न खादिम बाकी रह जाता है न पड़ोसी और उसके बर-अक्स बन्दा आसी अपने अहलो अयाल को अदबे फासिद विरासत में दे जाता है। यहां तक कि वह उन तमाम को जहन्नम में पहुँचा देता है और जहन्नम में दाखिल होने से न तो कोई छोटा बचता है न बड़ा न नौकर बचता है न पड़ोसी।

इमाम जअफरुस्सादिक^{अ.स.} से रिवायत है आपने फरमाया कि जब यह आयते करीमा नाज़िल हुई कि :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا

या अय्योहल लजीनः आमनू कू अनफुसःकुम व अहलीकुम नारन 28-66/6
तर्जुमा : ऐ ईमान वालों तुम अपनी जानो और अपने अहलो अयाल को जहन्नम से बचाओ। लोगों ने रसूलल्लाह^{स.अ.व.} की खिदमत में अर्ज किया कि ए पैगम्बरे खुदा^{स.अ.व.} हम लोग किस तरीके से अपनी जानों और अपने अहलो अयाल को बचायें? उस वक्त रसूले खुदा^{स.अ.व.} ने उनको जवाब दिया कि तुम लोग नेक अमल करो और अपने अहलो अयाल को इसकी तालीम दो और उनको इताअते इलाही का सबक दो। इसके बाद इमाम जअफरुस्सादिक^{अ.स.} ने फरमाया कि क्या तुम्हें मालूम नहीं है कि अल्लाह तआला ने अपने पैगम्बर^{स.अ.व.} से फरमाया है कि :

وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا

वअमुर अहलकः बिस्सलाति वस्सतबिर अलैहा 16-20/132।

तर्जुमा : (ए मोहम्मद^{स.अ.व.}) तुम अपने अहलेबैत^{अ.स.} को नमाज़ पढ़ने का हुक्म दो उस पर सब्र व सुकून से लाज़िम रहो। और अल्लाह तआला ने यह भी फरमाया है कि :

وَأَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ ۚ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَّبِيًّا ۚ وَكَانَ يَأْمُرُ
أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ ۖ وَكَانَ عِنْدَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا ۖ

वज़कुर फिल किताबि इस्माइलः इन्नहू कानः कौमल सादिकल वअदि व कानः रसूलन नबीय्या 0 व कानः यअमुरो अहलहू बिस्सलाति वज़्ज़काति व कानः इन्दः रब्बिही मरज़ीय्या 0 16-19/54-55।

तर्जुमा : और (ए मोहम्मद^{स.अ.व.}) याद रखो ईस्माइल को वह वादा के सच्चे और नबी व रसूल थे और अपने अहलेबैत को नमाज़ व ज़कात अदा करने का हुक्म देते थे और वह अपने परवरदिगार के नज़दीक महबूब व पसंदीदा थे। इमाम जअफरुस्सादिक^{अ.स.} और आपके आबा-ए-किराम^{अ.स.} से और रसूले खुदा^{स.अ.व.} से रिवायत है आपने फरमाया कि पहला इल्म खामोशी है दूसरा गौर से सुनना और तीसरा इल्म उस पर अमल करना और चौथा इल्म उसकी इशाअत करना है।

इमाम जअफरुस्सादिक^{अ.स.} अपने आबा—ए—किराम^{अ.स.} से और रसूले खुदा^{स.अ.व.} से रिवायत नक्ल करते हैं कि रसूले खुदा^{स.अ.व.} ने फरमाया कि जिस शख्स ने अपनी जवानी में इल्म हासिल किया वह इल्म सीने में अन्नक्श फिल हजर (पत्थर पर लकीर) बन जाता है और जिस ने बड़ी उम्र में इल्म हासिल किया तो उसका इल्म पानी पर तैरती हुई किताब की तरह होता है।

इसी तरह आंहज़रत^{स.अ.व.} से यह भी रिवायत है आपने फरमाया कि जिसने दुनिया से मोहब्बत की उसके दिल से अखिरत का खौफ चला जाता है और जिस बन्दे को अल्लाह तआला ने इल्म अता किया और फिर वह दुनिया की तलब में ज़्यादा से ज़्यादा मशगूल हो गया तो खुदा उससे नाराज़ और गुस्सा हो जाता है।

आंहज़रत^{स.अ.व.} से रिवायत है आपने फरमाया कि ईमान का बेहतरीन वज़ीर (मुहाफिज़) इल्म है। और इल्म का बेहतरीन वज़ीर हिल्म है और हिल्म का बेहतरीन वज़ीर कुशादा दिली और कुशादा दिली का बेहतरीन वज़ीर नरमी है।

रसूले खुदा^{स.अ.व.} से रिवायत है आपने फरमाया कि आलिम से सबसे ज़्यादा कतराने वाले उसके खुद अपने फरज़न्द क़राबतदार और पड़ोसी होते हैं वह कहते हैं कि आलिम तो हमारे पास (घर में) है। जब हम चाहेंगे उससे मिलकर इल्म हासिल कर लेंगे। हालांकि आलिम की मिसाल पानी के उस चश्में की है जहां लोग जाकर पानी से सेराब हुआ करते हैं फिर अचानक चश्में का पानी खुश्क हो जाता है तो वह बहुत नादिम व पशेमाँ होते हैं।

हज़रत अली^{अ.स.} से रिवायत है आपने फरमाया कि नौ चीज़ें बुरी हैं जो नौ अफ़राद में पाई जाती हैं उनमें से एक—एक से बढ़कर बदतर है, जैसे बादशाहों की तंग दिली, मालदारों का बुख़्ल (कंजूसी) और उलमाओं का जल्दी गुस्सा हो जाना और बुद्धों से तिफ़लाना (बच्चों जैसी) बातों का ज़ाहिर होना और सरदारों की क़तअ तअल्लुकी और काज़ियों का झूठ बोलना और बीमारों को तंग करने वाले हुकमाअ और औरतों की फहश बातें और साहिबे कुदरत व सुल्तान का तेश में आ जाना।

हज़रत अली^{अ.स.} की रिवायत है आपने फरमाया कि चापलूसी और हसद मुमिन का किरदार नहीं सिवाये उसके कि वह तलबे इल्म की राह में चापलूसी और हसद करता हो। आपने यह भी फरमाया कि इल्म का तलब करना हर मुस्लिम पर फर्ज़ है।

इमाम जअफरुस्सादिक^{अ.स.} से रिवायत है आपने फरमाया कि हज़रत लुक़्मान^{अ.स.} ने अपने बेटे से कहा था कि ए मेरे प्यारे बेटे तुम इल्म इसलिये न पढ़ो कि इल्म पढ़कर उलमाओं पर फौकियत जताओ और फख़र करो और न इसलिये कि तुम अपने इल्म से अहमको (बेवकूफों) के साथ बहस व मुबाहि़सा करो या तुम इस इल्म से मजलिसों में ज़ीनत की नुमाइश करो। इल्म से कतरा कर जहालत में रग़बत रख कर इल्म से मुंह न मोड़ो। ऐ मेरे प्यारे बेटे बसरो चश्म! मजलिसों में जाओ अगर तुम लोगों को ज़िक़्रे इलाही में मशगूल देखो तो उनमें शामिल हो जाओ क्योंकि अगर तुम आलिम हो तो तुम्हारा इल्म फायदा देगा और तुम्हारी इल्मियत में इज़ाफ़ा होगा और अगर तुम जाहिल हो तो वह तुम्हें इल्म सिखायेंगे और शायद अल्लाह ने उन पर रहम किया हो तो तुम भी उस रहमत में उनके शरीक होंगे। ऐ मेरे लख़ते—जिगर अगर तुम ऐसे लोगों को देखो जो अल्लाह का ज़िक़्र नहीं करते तो उनके साथ न बैठो क्योंकि अगर तुम आलिम हो तो तुम को तुम्हारा इल्म फायदा न करेगा और अगर तुम जाहिल हो तो वह लोग तुम को और जाहिल बना देंगे और शायद अल्लाह ने उन पर अपना अज़ाब नाज़िल किया हो तो तुम भी उनके साथ अज़ाब में मुबतला हो जाओगे।

इमाम बाकिर^{अ.स.} से रिवायत है कि एक मर्तबा आपके बाअज़ असहाब ने आकर अर्ज़ किया कि लोग यह कहते हैं तुम्हारे साहब (आका) नौजवान हैं उनको फिकहे का इल्म नहीं है। उस वक़्त आपने अपना असा उठाया और कहा कि मुझे इस बात से खुशी न होगी कि यह उम्मत मुझ पर इस तरह से इत्तेफ़ाक़ कर ले जैसे कि इस असा का मेरे हाथ के साथ तअल्लुक़ है मुझसे लोगों ने हराम व हलाल की बाबत पूछा ही कब था कि मैं जिसका हल पेश नहीं कर सका?

किससे इल्म हासिल करना और किससे न करना और किसके कौल पर अमल न करना चाहिये इसका बयान

हमने गुज़िश्ता बाब में इल्म की तरगीब व तहरीस (चाहत) का ज़िक़्र कर दिया है लिहाज़ा हम पर अब यह ज़रूरी हो गया है कि हमने जिस इल्म के हसूल की तरफ़ इशारा किया है और जिसकी तरगीब दिलाई है उससे भी ब—ख़बर कर दें और उन उलमाओं को भी बता दें जिनके फज़ल व

कमाल को हमने बयान किया है और जिनसे उलूम व मआरिफ हासिल करना वाजिब करार दिया है अगरचे इसका बयान आगे आ चुका है। हम यह भी बतायेंगे कि किस का कौल न लेना चाहिये और इसकी वजह क्या है और उसके फासिद होने की दलील क्या है? यह सब बयान करेंगे।

हम (सय्यदना काज़िल नौमान^{क.स.}) कहते हैं कि जिस इल्म को क़बूल करना, उसको पढ़ना और नक़ल करना वाजिब है वह अइम्मा अहलेबैत^{अ.स.} से मनकूल इल्म है वह इल्म नहीं कि जो इल्म की तरफ़ मनसूब होने वाले अवाम के मुहदसीन से पहुँचा है जिनका शैवा बिदअत है। जिन्होंने दीन को खेल समझ रखा है।

जो इस दुनिया की जिंदगी के फरेब में है और जो इस दुनिया की रियासत पर खुश हैं और इस दुनिया के माल व दौलत पर संतोषी हैं। ऐसी जगह पर बैठ गये जहां उनको बैठना ज़ेब नहीं देता। वह ऐसे घाट पर वारिद हुए हैं जहां उनको न आना चाहिये। उन्होंने आकर रियासत को हक़दारों से छीन लिया और इस बात से इज़हारे नफरत किया कि वह उनके पास से इल्म हासिल करें। अपने पैरों से चल कर जायें और उनसे सवाल करें जैसा कि उनको अल्लाह तआला ने इस बात के पुछने का हुक्म दिया है। जिसका इन्हे इल्म नहीं है और यह कि वह आले मोहम्मद^{अ.स.} के अम्र को सुनें और उसकी इताअत करें (लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया) बल्कि उन्होंने अल्लाह के दीन में अपने क़यासात और राये का इस्तेमाल किया चुनांचे उम्मत के जाहिल उनके पैरु बन गये। उनकी बिदअतों की तक़लीद करने लगे ताकि उनको भी वही रियासत हासिल हो जाये जो इन्हे हासिल हुई है। इनके इमाम जब जब इन्हे जहालतों में गर्क करते हैं तो वह उसे उनका फज़ल व कमाल शुमार करते हैं उनकी बिदअतों में से चन्द का हम यहां ज़िक्र करते हैं। अवाम की यह रिवायत है कि हज़रत उमर बिन खत्ताब ने एक मर्तबा लोगों से खिताब करके कहा कि ऐ लोगों औरतों की मेहरें बढ़ा चढ़ाकर न मुक़र्रर करो। क्योंकि अगर यह चीज़ दुनिया में बाइसे इज़्ज़त और खुदा के नज़दीक तकवा में शुमार होती तो तुमसे पहले उसे रसूले खुदा^{स.अ.व.} खुद करते हालांकि रसूलल्लाह^{स.अ.व.} ने अपनी औरतों में से किसी औरत की मेहर बारह औकिया से ज़्यादा नहीं दी है।

यह सुनकर एक औरत मजमेअ के आखिरी हिस्से से उठी और उसने कहा कि ए अमीरूल मुमिनीन आप हमसे हमारे उस हक़ को क्यों

छीनते हैं जिसे अल्लाह ने हमारे लिये मुकर्रर किया है। अल्लाह तआला का इर्शाद है कि

وَآتَيْتُمْ أَحَدَهُنَّ فِئْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا

व आतेतुम इहदाहुन्ना किन्तारन फला तअखुजू मिन्हो शैअन 4-4/20।
तर्जुमा : और अगर तुम अपनी औरतों में से किसी को एक किन्तार (तकरीबन सौ रतल सोना वगैरह) दे दो तो तुम उसमें से ज़र्रा बराबर भी न लो। (हज़रत) उमर यह सुनकर खामोश हो गये। इसका जवाब उनसे कुछ भी न बन पड़ा। मगर उन्होंने हाज़िरीन से कहा कि सुनते हो मैंने तुम लोगों से एक बात कही जिसकी तुमने तो तरदीद नहीं की। मगर एक औरत जो औरतों में कुछ सब से बढ़कर आलिम भी नहीं है मुझ पर एतराज़ करती है। अवाम ने इस बात को हज़रत उमर का फज़ल व कमाल तसव्वुर किया। लेकिन यह बात समझ में नहीं आती कि उन्होंने कैसे वाजिब करार दे दिया कि वह शख्स रसूले खुदा^{रसूल} की नियाबत करे जो इतना जाहिल है कि उस पर एक ऐसी औरत एतराज़ करे जो औरतों में सबसे ज़्यादा आलिम भी नहीं है या वो हक़ बात से ज़्यादा वाकिफ़ है।

इसी तरह एक मर्तबा हज़रत उमर बिन खत्ताब ने लोगों से मुखातिब हो कर कहा कि हज़रत अबूबक्र की बैअत बगैर किसी तदब्बुर के अचानक हो गई थी। खुदा तआला इस बैअत के शर से बचाये। अगर कोई शख्स इस किस्म की बैअत करे तो उसको मार डालो। गौया हज़रत उमर ने यह कहकर खुद अपनी जान का क़त्ल वाजिब कर दिया और उन तमाम लोगों का क़त्ल वाजिब कर दिया जिन्होंने उनके साथ हज़रत अबू बक्र की बैअत की थी। और अपने इस कौल से खुद खिलाफत से दस्त बरदारी वाजिब कर दी। क्योंकि हज़रत उमर को हज़रत अबू बक्र ही ने खलीफा बनाया था। और उन्होंने खिलाफत की बाग़ डोर अपने हाथ में ले ली थी। न कि वह लोगों की राय से काइम हुए थें बल्कि जब लोगों ने अग्रे खिलाफत के सिलसिले में हज़रत अबू बक्र से कहा कि हम आपको अल्लाह की क़सम देते हैं कि आप हम पर संग दिल आदमी को हाकिम मुकर्रर न करें तो उस वक़्त हज़रत अबू बक्र ने कहा कि क्या तुम लोग मुझे इससे डराते हो। हां जब मैं अल्लाह से जा मिलूंगा तो कहूंगा कि मैंने तेरे बन्दों में से बेहतरीन शख्स को तेरे बन्दों का वाली व हाकिम मुकर्रर किया है। लोगों ने इन दोनों हज़रात की इन बातों का इंकार नहीं किया। बल्कि उन्होंने दोनों के मनाकिब व

फज़ाइल में से इसको शुमार किया। इसी तरह अवाम ने यह रिवायत भी नक़ल की है कि एक मर्तबा हज़रत अबू बक्र ने लोगों से मुख़ातिब होकर कहा कि मैं तुम पर वाली व हाकिम तो बन गया हूँ लेकिन तुम लोगों से ज़्यादा अच्छा नहीं हूँ। अगर मुझे किसी बात का इल्म न हो तो तुम लोग मुझे राह रास्त बता देना। अवाम ने हज़रत अबू बक्र की इस बात को भी उनका एक फज़ल व कमाल तसव्वुर किया।

अवाम की रिवायत है कि एक मर्तबा हज़रत उमर ने एक औरत पर जिसके पेट से छः माह का बच्चा पैदा हुआ था हद जारी करने का इरादा किया तो उनको हज़रत अली^{अ.स.} ने फरमाया कि यह बच्चा इसके शोहर का है और इस औरत पर कोई हद जारी नहीं की जा सकती। हज़रत उमर ने हज़रत अली^{अ.स.} से कहा कि ए अबुल हसन^{अ.स.} यह किस दलील की बिना पर कहते हो।

हज़रत अली^{अ.स.} ने फरमाया कि मैं यह बात खुदा की किताब से कहता हूँ। अल्लाह तआला का इर्शाद है :

وَحَمْلُهُ، وَفِصْلُهُ، ثَلَاثُونَ شَهْرًا

व हमलुहू व फिसालुहू सलासूनः शहरा 26—46/15।

तर्जुमा : और उसका पेट में रहना और उसकी दूध पिलाई के तीस महीने हुए। पस बच्चे का हमल और उसके दूध छुड़ाने की मुद्दत तीस महीने है। और यह भी इर्शाद है कि :

وَالْوِلْدَاتُ يُرْضَعْنَ أَوْلَا دَهْنٍ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ

वल वालिदातो युरज़िअनः औलादहुन्ना हौलेनि कामिलेनि 2—2/233

तर्जुमा : (और तलाक़ देने के बाद) जो शख्स अपनी औलाद को पूरी मुद्दत तक दूध पिलवाना चाहे तो उसकी खातिर से माँ अपनी औलाद को दो साल तक दूध पिलाये तो इस हिसाब से हमल की कम—अज़—कम मुद्दत छः माह की होती है। यह सुनकर हज़रत उमर ने उस औरत को छोड़ दिया और उसके बच्चे को उसके बाप के सुपुर्द कर दिया और उस वक़्त यह कहा कि अगर आज अली न होते तो उमर हलाक हो जाता। अवाम ने उनकी इस बात को भी कोई ऐब तसव्वूर नहीं किया। बल्कि उसे भी फज़ीलत तसव्वूर किया।

इसी तरह एक मर्तबा हज़रत उमर ने एक हामिला औरत को संगसार करने का इरादा किया तो हज़रत अली^{अ.स.} ने कहा कि इस औरत के पेट में जो बच्चा है इसके बारे में तुमने क्या सोचा है। यह सुनकर हज़रत उमर उस औरत को संगसार करने से बाज़ आ गये। अवाम में से एक कौम का यह ख्याल है यह बात हज़रत उमर से मआज़ ने कही थी तो उस वक़्त हज़रत उमर ने यह कहा था कि अगर मआज़ न होते तो उमर हलाक हो जाता। ज़रा सोचो तो अगर इस किस्म की हरकत किसी कोतवाल से सरज़द हो जाती तो लोग उसके खिलाफ हंगामा मचा देते और उसको मअज़ूल करवा कर ही दम लेते तो फिर किस तरह से लोगों ने उस शख्स के लिये गवारा कर लिया जो रसूले—खुदा^{स.अ.व.} के मक़ाम में जा बैठा है और इस किस्म की जहालतों के साथ मुसलमानों की अमानत का दावेदार है और जो अपनी जहालत का इक़रार भी करता है तो उसे उसका फज़ल व कमाल व तवाज़ों समझा जाता है। खाकसारी का भी कोई मौक़ा होता है अगर कोई बार मौक़ा खाकसारी दिखाये तो उसकी तारीफ़ की जाती है। अगर हम उनके इमामों की इस किस्म की तमाम बातों को क़लम बन्द करें तो यह इस किताब की हद से ख़ारिज है।

मुसलमानों के उन दोनों खुलफ़ाअ के बाद लोगों ने हज़रत उस्मान की खिलाफ़त पर इत्तेफ़ाक़ कर लिया। इनमें अन्सार व मुहाजिरीन दोनों शामिल थे। अवाम ने हज़रत उस्मान की भी बिद्अतों का ज़िक़्र किया है जिसकी फ़हरिस्त बहुत तवील है। उन्होंने उसको कोई ऐब ख़्याल नहीं किया बल्कि वह उनके नज़दीक़ इमाम ही रहे और उनके क़ौल पर अमल किया जाता था और अवाम मुआविया के क़ौल पर भी अमल करते रहे। हालांकि वह अक्सर अवाम के नज़दीक़ गुमराह था और बाग़ियों में से था। और इस तरह अवाम मरवान बिन हक़म और अम्र बिन आस के क़ौल पर भी अमल करते हैं। और जो उनके हम मिस्ल हैं उनके अक्वाल पर अमल करते हैं वह इस सिलसिले में रसूले खुदा^{स.अ.व.} का यह इश्आद बतौर सुबूत पेश करते हैं कि उनके ज़अम के मुताबिक़ आपने यह फ़रमाया कि मेरे असहाब सितारों के मानिंद हैं। उनमें से जिसका भी दामन पकड़ लोगे हिदायत पाओगे। हालांकि रसूले खुदा^{स.अ.व.} ने यूँ नहीं फ़रमाया है बल्कि आपने यह फ़रमाया है कि मेरे अहलेबैत^{अ.स.} में से जो अइम्मा होंगे वह सितारों की मानिंद हैं उनमें से तुम जिसका भी दामन पकड़ लोगे हिदायत पाओगे। अगर अवाम के कहने के मुताबिक़ आंहज़रत^{स.अ.व.} ने असहाबों को अन—नज़ूम फ़रमाया है और

उनके नज़दीक असहाब वो है जिन्होंने पैग़म्बर^{स.अ.व.} को अपनी आंखों से देखा था और आपकी सोहबत में रहे। तो इस कौल से तो तमाम असहाब के क़त्ल की इज़ाजत होती है क्योंकि वह तमाम के तमाम आंहुज़रत^{स.अ.व.} के बाद आपस में लड़ पड़े थे और उन्होंने आपस में इख़्तिलाफ़ किया था यहां तक कि बाअज़ ने बाअज़ को क़त्ल किया। अगर कोई इक़तिदाअ करने वाला उनमें से किसी एक की पैरवी करे तो उनके कौल के मुताबिक़ उसके लिये उस ताइफ़ा का क़त्ल हलाल हो जाता है जिससे वो सहाबी जंग करेंगे। फिर उसकी राय बदल गई और उसने दूसरे ताइफ़ा में से किसी की पैरवी कर ली। तो अब पहले ताइफ़ा को क़त्ल करना उसके लिये हलाल व जाइज़ होगा जिसमें वह पहले था। अल्लाह तआला और उसके पैग़म्बर हरगिज़ ऐसे लोगों की इक़तिदाअ का अम्र नहीं करते जो बाहम इख़्तिलाफ़ रखते हों और यह कैसे मुमकिन है कि जिन लोगों की इक़तिदाअ करने का हुक्म खुदा दे तो मामूर को इस बात का इल्म तक न हो कि वह उनमें से किसकी इत्तिबाअ और पैरवी करे। इस कौल का फ़साद बिल्कुल वाज़ेह है। इस किस्म का अएतिक़ाद रखने वाले पर हुज्जत व दलील कायम करने की कोई ज़रूरत नहीं है।

और इसके बाद फतवा सादिर करना अबू हनीफ़ा, मालिक और शाफ़ई पर मुनहसिर है यह उनके अकाबिर हैं जिनसे उन्होंने इल्म लिया है (या जिनके मज़हब पर अवाम हैं) उनके इन अकाबिर में उनके लिये किताबें लिखी हैं और बड़े-बड़े दफ़ातिर मुरत्तिब किये हैं और अपने मुख़ालिफीन पर हुज्जत व इस्तिदलाल किया है।

अबू हनीफ़ा के दो शार्गिद अबू युसूफ़ और हसन बिन ज़ियाद ने उनसे रिवायतें क़लमबंद की हैं और अवाम के नज़दीक यह दोनों अबू हनीफ़ा के बुलंद पाया शार्गिदों में से हैं। अबू युसुफ़ और हसन बिन ज़ियाद का कौल है कि अबू हनीफ़ा ने कहा कि हमारा यह इल्म सिर्फ़ राय पर मुनहसिर है और यह सबसे उमदा तरीका है जिस पर हमने काबू पाया है। अगर कोई इससे उमदाह तरीका बताये तो हम उसको क़बूल करने को तैयार हैं।

रहे मालिक तो उनसे उनके शार्गिद अशहब बिन अब्दुल अज़ीज़ ने रिवायतें बयान की हैं और यह अवाम के नज़दीक मालिक के बुलन्द पाया शार्गिदों में से हैं। वो बयान करते हैं कि मैं एक मर्तबा मालिक की खिदमत में हाज़िर था कि आपसे तलाक़ का मस्अला पूछा गया तो उन्होंने कहा कि तलाक़ तीन मर्तबा है। यह सुनकर मैंने इसे लिखने के लिये क़लम दवात

संभाली तो उन्होंने कहा कि यह क्या कर रहे हो मैंने कहा कि आप ने अभी अभी जो कुछ फरमाया है उसको लिख रहा हूँ। उन्होंने कहा कि ऐसा न करो। क्योंकि बहुत मुमकिन है कि मैं शाम तक यह कह दूँ कि तलाक़ सिर्फ एक मर्तबा में वाक़ेअ हो जाती है।

रहे शाफई तो उनसे भी उनके असहाब ने रिवायत बयान की है कि उन्होंने अपने और हम मिसलों (यानि मुफतियों की तकलीद) से रोका है।

यह लोग और उनसे पहले उनके जो इसलाफ गुज़र चुके हैं, उनमें से कोई भी ऐसा न था जो अपने कौल से न फिर गया हो। यहां तक वो इस आलम से इन्तिकाल कर गया। चुनांचे इससे यह साबित होता है कि अगर वो और ज़िन्दा रहते तो न जाने वो अपनी किन-किन बातों से फिर जाते जिन पर वो इन्तिकाल कर गये। जाहिल अवाम फिर भी उनका दामन पकड़े हुए हैं और उनकी तकलीद (पैरवी) करते हैं। उनमें से कोई ऐसा नहीं है जो (अपने इन इमामो और मुफतीयों) के कौल से फिरने की बात तक करे बल्कि उनके कौल के मुखालिफ को गुमराह समझते हैं। और यह जाहिल अवाम जिनके इमामों के मुताल्लिक हमने जो कुछ बयान किया है उसे उनका फज़ल व कमाल समझते हैं। हालांकि यह उनके उयूब हैं। काश उनको उयूब के परखने और उनके अक़वाल की बुराई को समझने की तौफीक होती।

यह लोग (अवाम) इमाम मालिक से रिवायत करते हैं कि उनका अक़ीदा ख्वारिज का अक़ीदा था। क्योंकि जब उनसे ख्वारिज के बारे में दरयाफ़्त किया गया तो उन्होंने कहा कि यह मुमकिन नहीं है कि हम उस कौम के बारे में कुछ कहें जो हम पर हाकिम हुई और उसने हमारे साथ अदल और इन्साफ का सुलूक किया और इमाम शाफई वो हैं जिनसे बहुत सी रिवायतें बयान की गई हैं और अवाम के नज़दीक वो बुलंद मुक़ाम और साहिबे माअरिफ़त और तमीज़ हैं। उन्होंने यह कहा कि इमाम मालिक के लिये जाइज़ नहीं है कि वो कोई फतवा जारी करे और जब इमाम शाफई और उनके हम मज़हब अपने नज़दीक इन बातों से महफूज़ रह गये जिनका फसाद हमने ऊपर बयान कर दिया है, और उस शख्स की तकलीद की कि जिसकी तकलीद अल्लाह ने वाजिब नहीं की है तो वो उससे भी शर में फंस गये और फिर उससे निकल ना सके और उन्होंने यह कहा कि हम किसी की तकलीद नहीं करते लेकिन हम तो हर एक कहने वाले का कौल लेते हैं जो साबित हो और जो फासिद होता है उसको छोड़ देते हैं अगर उन्होंने

शाफइ से उनकी तकलीद करके जो कुछ लिया हो तब भी वह तकलीद से बच न सके। और जिसके कौल में ज़रा भी फसाद हो तो वाजिब नहीं है कि उससे कोई कौल लिया जाये ख्वाह वो ज़र्रा बराबर भी उसकी तकलीद ना करते हों, उनका यह कहना कि हमने उनके कौल में से जो साबित पाया उसको ले लिया। इस तरह तो वह गोया अपने नपस की तकलीद में मुबतिला हो गये। और दूसरों पर वाजिब है कि उनसे कोई न ले जैसा कि उन्होंने तकलीद न करना वाजिब करार दिया है। उनका तमाम तर एअतिमाद उनकी हवा परसतियों पर है। अगर इस राह में इतनी कुशादगी और वुसअत किसी को हासिल होती तो यह वुसअत अम्बिया किराम को दी जाती। अल्लाह तआला ने मोहम्मद रसूलल्लाह^{स.अ.व.} के बारे में फरमाया है कि :

وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ ۖ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ

व मा यनतिको अनिल हवा 0 इन हुवः इल्ला वहयुन यूहा 0 27-53/3-4
तर्जुमा : और (मोहम्मद रसूलल्लाह^{स.अ.व.}) अपनी नपसानी ख्वाहिश से कोई बात नहीं करते। यह तो वही है जो उनकी तरफ की जाती है। और अल्लाह तआला ने दाऊद^{अ.स.} से फरमाया है :

وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ

व ला तत्तबिडिल हवा फ युज़िल्लकः अन सबीलिल्लाहि। 23-38/26
तर्जुमा : (ए दाऊद^{अ.स.}) अपनी नपसानी ख्वाहिश के ताबेअ न हो जाओ। वरना यह पैरवी तुम्हे खुदा की राह से हटा देगी और यह भी फरमाया है कि

أَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ

अरएतः मनित तखज़ः इलाहहू हवाहो 19-25/43 क्या देखा तुमने उस शख्स को जिसने अपनी नपसानी ख्वाहिश को अपना माबूद बना रखा है। पस अल्लाह और उसके रसूल^{स.अ.व.} ने सिर्फ इत्तिबाअ (पैरवी) का अम्र किया है और हर शख्स को यह इखतियार नहीं दिया है कि वह अपनी राय अपनी पसंद और अपनी नपसानी ख्वाहिश पर एतिमाद करे। इत्तिबाअ के बारे में अल्लाह तआला का इर्शाद है कि

وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ

वत्तःबिऊ अहसनः मा उनजिलः इलैकुम मिन् रब्बिकुम 24-39/55।

तर्जुमा : और जो अच्छी बातें तुम्हारे रब की जानिब से तुम पर नाज़िल हुई हैं उन पर चलो। और रसूले अकरम^{स.अ.व.} ने फरमाया है कि :

اَتَّبِعُوا وَلَا تَبْتَدِعُوا افْكُلْ بِدَعَةٍ ضَلَالَةٍ وَ كُلْ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ

इत्त तबिऊ वला तबतदिऊ फकुल्लो बिदअतिन दलालतुन व कुल्लो दलालतिन फिन्नार पैरवी करो बिदअत न करो क्योंकि हर बिदअत गुमराही है और हर गुमराही का ठिकाना जहन्नम है। आपने इस हदीस से बिल्कुल यह वाज़ेह कर दिया है कि जो इत्तिबाअ का मुख़ालिफ़ है वह बिदअती है। इससे कब्ल हमने उन लोगों का ज़िक्र कर दिया है जिनकी इत्तआब करने और जिनसे इल्म हासिल करने का अल्लाह और उसके रसूल ने हुक्म दिया है। और वह अइम्मतुल हुदा^{अ.स.} हैं जिनकी इताअत को अल्लाह तआला ने अपने बन्दों पर फर्ज़ कर दिया है और जिनसे पूछने का हुक्म दिया है।

बयान किया जाता है कि एक मर्तबा अहले खुरासान में से एक शख्स हज के लिये निकला और उसने इमाम अबू हनीफा से मुलाकात की और उनसे कुछ मसाइल क़लमबंद किये। फिर जब वह दुसरे साल लौट कर आया तो इमाम अबू हनीफा से मिला और उन्हीं मसाइल को दोबारा पेश किया तो वह उन तमाम मसाइल से फिर गये। यह देखकर खुरासानी अपने सिर पर खाक उड़ाने लगा और शोर मचाने लगा। लोग उसके पास जमा हो गये तो उसने कहा कि ए लोगो इस शख्स ने गुज़िश्ता साल मुझे चंद फतवे दिये थे जो इस किताब में हैं। मैं जब अपने वतन लौटकर वापस गया तो मैंने इस फतवे के मुताबिक़ फर्ज़ों को हलाल कर लिया था और खून बहाया था और इसी के मुताबिक़ माल का लेन-देन किया था जब मैं इस साल फिर इनसे मिला तो वह तमाम बातों से फिर गये। उस वक़्त इमाम अबू हनीफा ने कहा कि यह तो मेरी राय थी। अब उसके ख़िलाफ़ व बरअक्स मेरी राय है। खुरासानी ने उनसे कहा कि वाए हो तुम पर। अगर मैं इस साल भी तुम से वही मसाइल क़लमबंद कर लेता जिससे तुम फिर गये हो तो उससे तुम आइन्दा भी फिर जाते। अबू हनीफा ने कहा कि मुझे इसका इल्म नहीं है। खुरासानी ने कहा कि, लेकिन मैं यह जानता हूँ कि तुम पर अल्लाह उसके फरिश्तों और तमाम लोगों की फटकार है। अवाम के तमाम मुफतियों का तक़रीबन यही हाल है। इनमें से जब कोई मसअला बताता है तो उस पर अमल भी किया जाता है और उसका क़ौल लिया जाता है और उस क़ौल को लेने वाले उस पर अमल भी कर चुकते हैं। फिर वह अपने

कौल से फिर जाता है। वो उसी तरह बराबर अपने कौल से फिरता रहता है यहां तक कि उससे फिर पूछा जाता है तो उसको कोई ऐसी दलील नहीं मिलती जो उसको निजात दिलाये। इस मौजूअ के हुज्जत व दलील का सिलसिला बहुत तवील है।

बजमे खवीश (पहले दो खलीफा की महफिल में बैठने वाले, उनके मानने वाले) फिकह का इल्म रखने वाले फुकहा ने हज़रत अबू बक्र और हज़रत उमर से यह रिवायत बयान की है कि दोनो शेखेन हज़रात ने रसूलल्लाह^{स.अ.व.} से यह हदीस बयान की है कि आंहज़रत^{स.अ.व.} ने फरमाया कि कुरैश को आगे करो तुम उनके आगे न रहो। उन से इल्म सीखो उनको तुम न सिखाओ और आपने यह भी फरमाया है इमामत कुरैश का हक है इस तरह से कौम खुद इक़रार कर रही है कि कुरैश को उन पर तक़दुम (बड़तरी) हासिल है और आंहज़रत^{स.अ.व.} के इर्शाद के मुताबिक है और इस रिवायत से तो उन लोगों का कुफ़ साबित होता है जिन्होंने उन बुतों (फुकहाओं) का कौल अपनाया है और जिसने उनका कौल लिया है। इससे यह लाज़िम आता है कि उसने अल्लाह के कौल को रद्द किया है और रसूलल्लाह^{स.अ.व.} के कौल को झुठलाया है क्योंकि यह लोग वह नहीं हैं जिन को फज़ीलत दी गई है और न यह वह लोग हैं जिनकी नफ़्सानी ख़्वाहिश और क़्यास और राय की पैरवी का लोगों को हुक्म दिया गया है। और यह लोग कुछ खानदाने कुरैश से भी नहीं हैं। उन्होंने इस रिवायत से उम्मत को शुबह (शक में) में डाल दिया जैसा कि शेखों ने किया था अगर वह अल्लाह को सच्चा मानते और रसूल^{स.अ.व.} के कौल को तसलीम करते तो ज़रूर वह उस नस का इक़रार करते जो आपने अपने वसी हज़रत अली^{अ.स.} पर फरमाई थी। और जिनकी बैअत लोगों से ली थी और लोगों को जिनकी इताअत और इक़तिदाअ की ताकीद की थी। अगर वह यह इक़रार कर लेते तो गोया यह समझा जाता कि उन्होंने रिवायत को सही बयान किया है। और यह समझा जाता कि उन्होंने उम्मत को ग़फलत से बेदार किया है और अपनी जानों को अज़ाबे जहन्नम से बचाया है। लेकिन जब उन्होंने इमाम मालिक और अपने दूसरे इमामों से मसाइल अख़ज़ (मालूम) करना वाजिब ठहरा लिया है तो उन पर उन लोगों की इताअत वाजिब है जिन्होंने दीनी मुआमलात में फतवा देने के लिये अपने आपको मुत्तकी बना लिया है और उम्मत के जाहिल और नाकारह लोगों को गुमराह करने के लिये अपने आप को मुफ़्ती बना लिया है जब हालत एक ही है और क़्यास जारी है तो अल्लाह तआला ने कुरआने

पाक में जो यह कौल अपने पैगंबर^{स.अ.व.} पर नाज़िल किया है बातिल हो जाता है। खुदा का इर्शाद है कि

الْيَوْمَ اكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَاتَّمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا

अल यौमः अकमलतो लकुम दीनकुम व अतममतो अलैकुम नेअमती व रज़ीतो लकुमुल इस्लामः दीना 5-5/3।

तर्जुमा : आज मैंने तुम्हारे दीन को कामिल बना दिया है और तुम पर अपनी नेअमतें पूरी कर दी हैं। और तुम्हारे इस दीने इस्लाम को पसंद किया है। मैं ईमान के बाद कुफ़ से पनाह मांगता हूँ और शैतान के दोस्तों और पेरुओं की चिकनी चुपड़ी बातों की तरफ माइल होने से पनाह चाहता हूँ और अल्लाह के कौल को छोड़ देने से पनाह चाहता हूँ। खुदा अपने फज़ल व करम से हम सबको इस किस्म की बातों से बचाये और अपनी रहमत से हमारी तलाफी करे। और हमको अल्लाह अपनी इताअत पर साबित क़दम रहने वालों में से बनाये।

और रसूले खुदा^{स.अ.व.} के अहलेबैते ताहिरीन^{अ.स.} में से अल्लाह तआला के अम्र के जो वाली है उनसे इल्म हासिल करने वालों में से हमको बनाये। इस सिलसिले में अगर दलाइल पेश किये जायें तो यह मौजूअ बहस इस किताब की हद से खारिज होगा। मगर हमने शर्त लगा रखी है कि हम हर मौजूअ पर इख़तिसार से काम लेंगे।

इमाम जअफरुस्सादिक^{अ.स.} से रिवायत है आपने इमाम अबू हनीफा से फरमाया जबकि वह आपकी खिदमत में हाज़िर हुए थे। आपने उनसे कहा कि ए नोमान जिस मसअले में तुमको अल्लाह की किताब और रसूलल्लाह^{स.अ.व.} की हदीस में कोई दलील और हुज्जत न मिलती हो तो उस वक़्त तुम किस चीज़ पर एतिमाद करते हो। उन्होंने जवाब दिया कि इस मसअले के सिलसिल में जो कुछ मुझे हदीसे रसूलुल्लाह^{स.अ.व.} और किताब में मिलता है उस पर से इस मसअले को क़यास कर लेता हूँ। इमाम जअफरुस्सादिक^{अ.स.} ने उस वक़्त उनसे फरमाया कि सबसे पहले जिसने क़यास किया था वह इबलीस है। उसने अपने क़यास में ख़ता की थी। क्योंकि अल्लाह तआला ने उसको आदम^{अ.स.} को सजदा करने का हुक्म दिया था लेकिन उसने (अपने क़यास से) यह जवाब दिया कि :

أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ ۚ خَلَقْتَنِي مِنْ نَّارٍ وَ خَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ •

अना खैरुम मिन्हो खलकतनी मिन नारिन व खलकतहू मिन तीन 0
8-7/12।

तर्जुमा : मैं आदम से बेहतर हूँ। तुने मुझे आग से पैदा किया है और आदम को मिट्टी से बनाया है। शैतान ने यह राय सोची कि आग का अंसुर मिट्टी से ज़्यादा अशरफ व अफज़ल है। पस उसके इस क़यास ने हमेशा के लिये ज़लील—कुन अज़ाब में डाल दिया। अच्छा ए नोमान यह बताओ कि इन दोनों में से कौन सी चीज़ ज़्यादा पाक है— मनी या पैशाब। नोमान ने कहा कि मनी। आपने फरमाया कि अल्लाह तआला ने पैशाब करने के बाद वुजू वाजिब किया है लेकिन मनी के खुरुज पर गुस्ल लाज़िम किया है। अगर इस मसअले को क़यास की ऐनक से देखा जाये तो पैशाब पर गुस्ल वाजिब होना चाहिये। और यह बताओं की खुदा के नज़दीक ज़िना सबसे बड़ा गुनाह है या किसी को क़त्ल करना। नोमान ने कहा कि किसी को मार डालना बड़ा गुनाह है। आपने फरमाया कि किसी को मार डालने के सुबूत में दो शाहिद अल्लाह ने रखे हैं। और ज़िना के लिये चार शाहिद हैं। अगर इस मसअले को भी क़यास की ऐनक से देखा जाये तो क़त्ल में चार शाहिद होने चाहिये। क्योंकि यह सबसे बड़ा गुनाह है और यह बताओं कि खुदा के नज़दीक नमाज़ का मर्तबा बड़ा है या रोज़ा का। नोमान ने कहा कि नमाज़ का, आप ने फरमाया कि रसूलल्लाह^{स.अ.व.} ने तो हाइज़ (हैज़ वाली) औरत को रोज़ा क़ज़ा करने का हुक्म दिया है और नमाज़ क़ज़ा न पढ़ने का हुक्म दिया है। अगर इस को भी क़यास की ऐनक से देखा जाये तो हाइज़ा को नमाज़ क़ज़ा पढ़ना चाहिये। तो ए नोमान तुम अल्लाह से डरो और क़यास न करो। क्योंकि हम और तुम और हमारे मुखालिफीन दोनों क़यामत के रोज़ अल्लाह के सामने खड़े होंगे तो खुदा उस वक़्त हमारे अक़वाल के मुताल्लिक़ पुछेगा और तुम से तुम्हारे अक़वाल के बारे में पूछेगा तो हम उस वक़्त यह जवाब देंगे कि अल्लाह और उसके रसूल ने कहा है और तुम और तुम्हारे साथी यह कहेंगे कि हमने राय और क़यास किया है तो उस वक़्त खुदा हमारे और तुम्हारे साथ जो चाहेगा वह सलूक करेगा।

इमाम जअफरुस्सादिक^{अ.स.} से रिवायत है आपने एक रोज़ इब्ने अबी लैला से फरमाया कि ए अब्दुल रहमान क्या तुम लोगों के दरमियान फैसले करते हो। उन्होंने कहा कि हां ए फरज़न्दे रसूल आपने फरमाया कि तुम एक का माल छीन कर दूसरे को दे देते हो और एक की औरत को छीन कर दूसरे को दे देते हो एक पर हद जारी करते हो और दूसरे को कैद करते

हो। उन्होंने कहा कि खुदा की किताब की बुनियाद पर। आपने फरमाया कि क्या तुम जो कुछ भी फैसले करते हो तो क्या उन तमाम का हल खुदा की किताब से तुम्हें मिल जाता है। उन्होंने कहा कि नहीं। आप ने फरमाया कि जब तुम अल्लाह की किताब में नहीं पाते तो उस वक़्त क्या करते हों उन्होंने कहा कि मैं रसूलल्लाह^{स.अ.व.} का कौल लेता हूँ। आप ने फरमाया तो क्या तुम हर मसअले का जवाब अल्लाह की किताब और रसूलल्लाह^{स.अ.व.} की हदीस में पाते हो? उन्होंने कहा कि मैं जिस चीज़ का हल अल्लाह की किताब और रसूलल्लाह^{स.अ.व.} की सुन्नत में नहीं पाता तो असहाबे रसूलल्लाह के कौल व फअल पर अमल करता हूँ। आपने फरमाया कि असहाब में किन के कौल व फअल पर अमल करते हो। उन्होंने कहा कि हज़रत अबू बक्र, हज़रत उमर, हज़रत अली, हज़रत उस्मान और हज़रत तलहा व जुबेर इसी तरह और दीगर असहाब के नाम बतायें। आपने फरमाया कि तुम उनसे जो कुछ भी लेते हो उस पर सब मुत्तफ़िक़ हो जाते हैं। उन्होंने कहा कि नहीं। आपने फरमाया कि यह तो बताओ कि जब वह एक दूसरे के बर-अक्स होते हैं तो उनमें से किसके कौल पर अमल करते हो। उन्होंने कहा कि उनमें से जिसके कौल पर अमल करना मुनासिब समझता हूँ उसका कौल ले लेता हूँ। आपने फरमाया कि तुमको इस बात की कोई परवाह नहीं होती कि तुम उस वक़्त बाकी दूसरे असहाब की मुख़ालिफ़त करते हो। उन्होंने कहा कि नहीं। आपने फरमाया कि क्या तुम अली^{अ.स.} के फैसले की मुख़ालिफ़त करोगे जिसके मुताल्लिक़ तुम्हें ख़बर पहुँच चुकी हो कि आपने ऐसा फैसला किया था। उन्होंने कहा कि अकसर मैं आपकी मुख़ालिफ़त करके दूसरे असहाब के कौल पर अमल करता हूँ। यह सुनकर इमाम जअफ़रुस्सादिक़^{अ.स.} थोड़ी देर के लिये ख़ामोश हो गये। आप ज़मीन कुरेदने लगे। फिर आपने अपना सिर मुबारक ऊँचा किया और कहा कि ए अब्दुल रहमान तुम कयामत के रोज़ क्या जवाब दोगे। जब रसूले खुदा^{स.अ.व.} तुम्हारा हाथ पकड़कर अल्लाह तआला के सामने खड़ा करेंगे और फरमायेंगे ए परवरदिगार इस शख्स तक मेरा कौल पहुँचा था। मगर इस शख्स ने मेरे कौल के ख़िलाफ़ अमल किया। उन्होंने कहा कि ए फरज़न्दे रसूल कब मैंने रसूलल्लाह^{स.अ.व.} के कौल की मुख़ालिफ़त की है? आपने फरमाया कि क्या तुम्हें रसूलल्लाह^{स.अ.व.} का यह कौल नहीं पहुँचा कि एक मर्तबा आपने अपने असहाब से ख़िताब करके फरमाया था कि अली तुम में सबसे बड़े काज़ी हैं। उन्होंने कहा कि हां। आपने फरमाया कि जब तुमने अली के कौल की मुख़ालिफ़त की तो क्या

तुमने खुद रसूलुल्लाह^{स.अ.व.} की मुख़ालिफ़त ना की। यह सुनकर इब्ने लैला का चेहरा ज़र्द हो गया और उनसे कोई जवाब न बन पड़ा।

और उमरु बिन उज़ेयना से रिवायत है। आप इमाम जअफरुस्सादिक^{अ.स.} के असहाब में से थे। उमरु बिन उज़ेयना कहते हैं कि मैं एक मर्तबा अब्दुल रहमान बिन अबी लैला के पास कूफ़ा गया। वो वहां के काज़ी थे। मैंने कहा कि मैं आपसे चंद मसाइल के बारे में पूछना चाहता हूँ। खुदा आपको राहे रास्त दिखाये। मैं उस ज़माने में नोउम्र था। अब्दुल रहमान ने कहा कि ए बिरादरे मन पुछो जो पूछना चाहते हो। मैंने उनसे कहा कि आप अपने काज़ियों के तबके (श्रेणी) के बारे में मुझे बताइये कि जब आप लोगों के पास मीरास निकाह व तलाक़ और क़त्ल वगैरह के मसाइल आते हैं तो आप अपनी राय से उनका फैसला करते हैं। फिर यही क़ज़िया मक्के के काज़ी के पास जाता है तो वह आपके फैसले के बरअक्स फैसला देते हैं। और यही क़ज़िया जब बसरा और मदीना और यमन के काज़ियों के पास जाता है तो वह सब तुम्हारे फैसले के बरअक्स फैसला देते हैं। फिर तुम सब अपने ख़लीफ़ा के पास हाज़िर होते हो। जिसने तुमसे फैसला तलब किया था तो तुम लोग उसे अपने इख़तिलाफ़ात से वाकिफ़ करते हो तो फिर वह तुम में से हर एक की राय को ठीक कर देता है। हालांकि तुम्हारा खुदा एक है तुम्हारा नबी एक है, तुम्हारा दीन एक है। क्या अल्लाह ने तुमको इख़तिलाफ़ करने का हुक्म दिया है कि तुम इसकी पैरवी करते हो। या तुमको उसने इख़तिलाफ़ से रोका है। पस तुम इख़तिलाफ़ करके उसके आसी बन गये हो। या तुम अल्लाह के हुक्म में उसके शरीक हो कि जिससे तुमको यह मजाज़ (इख़्तियार) हासिल है कि जो चाहो तुम कहो और अल्लाह पर यह वाजिब है कि वह उसको पसंद कर ले। या फिर अल्लाह ने नाक़िस दीन उतारा है। जिसको तमाम करने के लिये तुमसे उसने मदद मांगी है या फिर अल्लाह ने तो उसको कामिल उतारा था मगर रसूलुल्लाह^{स.अ.व.} उसके अदा करने से कासिर रहे। या फिर तुम ही बताऊ कि इस बारे में तुम क्या कहते हो। अब्दुल रहमान ने कहा कि ए नौजवान तुम किस शहर के बाशिंदे हो। मैंने कहा कि मैं बाशिंदगाने बसरा में से हूँ। अब्दुल रहमान ने पूछा कि किस कबीले से हो। मैंने जवाब दिया कि कबीला अब्दुल कैस से हूँ। अब्दुल रहमान ने कहा कि किस खानदान से हो। मैंने कहा कि बनी उज़ेयना में से हूँ। उन्होंने कहा कि अब्दुल रहमान बिन उज़ेयना तुम्हारा क्या लगाता है? मैंने कहा कि वह मेरे दादा होते हैं। यह

सुनकर उन्होंने मुझे मरहबा कहा और अपने से करीब किया। और कहा कि ए नौजवान तुमने सवाल में सख्ती से काम लिया। और ख्वामोख्वाह के लिये उलझ गये। मैं तुमको इन मसाइल का जवाब देता हूँ। सुनो तुमने जो फैसलों के इख्तिलाफात के बारे में कहा तो हमारे पास जब ऐसे मसाइल आते हैं कि जिनका हल अल्लाह तआला की किताब और रसूलल्लाह^{स.अ.व.} की सुन्नत में मौजूद होता है तो हमें उसको किताबुल्लाह और सुन्नते रसूलल्लाह^{स.अ.व.} से तजावुज़ करने का मजाज़ हासिल नहीं है। लेकिन जब ऐसे मसाइल वारिद हो जाते हैं जिनका हल ना तो खुदा की किताब में मिलता है और ना रसूल की सुन्नत में तो उस वक़्त हम अपनी राय पर अमल करते हैं। मैंने कहा कि तुमने कुछ भी नहीं किया क्योंकि अल्लाह तो यह फरमाता है कि :

مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ

मा फरतना फिल किताबि मिन शैइन 7-6 / 38।

तर्जुमा : हमने किताब (कुरआन) में किसी चीज़ (के लिखने) में कोताही नहीं की है। और यह भी इर्शाद फरमाया है कि :

وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ

व नज़्ज़लना अलैकल किताबः तिबयानल लिक्वुल्लि शैइन 14-16 / 89
तर्जुमा : और हमने तुम पर (ऐसी) किताब नाज़िल की है कि उसमें हर चीज़ का शाफ़ी (तफसील से) बयान मौजूद है। इस बारे में आपका क्या ख्याल है कि एक शख्स ने अल्लाह के हुक्म पर अमल किया और जिससे उसने मना किया था उससे बाज़ रहा तो कोई चीज़ अल्लाह के लिये बाकी रह गई है कि जिसको अगर न करे तो उसके लिये उसको अज़ाब करेंगे और अगर करे तो उसको सवाब अता करेंगे। अब्दुल रहमान ने कहा कि अल्लाह तआला किस तरह से उसको उस अमल का सवाब देगा। जिसके करने का उसने हुक्म नहीं दिया है। या किस तरह से उस फअल के करने पर सज़ा करेगा। जिससे उसने रोका नहीं है? मैंने कहा कि तो आप यह बताइये कि कैसे आपके पास ऐसे मसाइल व अहकाम आते हैं कि जिनका न तो किताबुल्लाह में बयान है और न जिनकी रसूलल्लाह^{स.अ.व.} की सुन्नत में कोई ख़बर है? अब्दुल रहमान ने कहा कि ए मेरे भाई के फरज़न्द मैं तुम्हे एक हदीस सुनाता हूँ जिसको हमारे बाअज़ असहाब ने बयान किया है। और यह

हदीस हज़रत उमर बिन ख़त्ताब तक मरफ़ुअ है कि उन्होंने एक मर्तबा दो मर्दों के दरमियान एक फ़ैसला किया। उस वक़्त उनसे जो शख्स सबसे ज़्यादा नज़दीक था उसने कहा कि आपने बराबर फ़ैसला किया है। ए अमीरुल मुअमिनीन उस वक़्त हज़रत उमर ने अपना डंडा उस पर बुलंद किया और कहा कि तेरी माँ रोए। खुदा की क़सम खुद उमर को मालूम नहीं है कि उसने ठीक फ़ैसला किया है या ग़लती की है। यह मेरी राय है जिसे मैंने अपने दिमाग़ से सोचा है। लिहाज़ा तुम लोग हमारे ही सामने हमारी पाकी न बयान करो। मैंने कहा कि ए अब्दुल रहमान क्या मैं आपसे एक हदीस बयान कर सकता हूँ? अब्दुल रहमान ने कहा कि वह कौन सी हदीस है। मैंने कहा कि मेरे वालिद ने अबुल आसिम अबदी से और उन्होंने अब्बान से और अब्बान ने अमीरुल मुअमिनीन अली बिन अबी तालिब^{अ.स.} से यह रिवायत बयान की है कि अमीरुल मुमिनीन^{अ.स.} ने फरमाया कि काज़ियों की तीन क़िस्में हैं। उनमें से एक नाज़ी हैं और दो हलाक होने वाले हैं जो दो (2) काज़ी हलाक होने वाले हैं वह ज़ालिम व जाबिर हैं और अमदन जुल्म व जोर करने वाले हैं और इजतिहाद में ख़ता करने वाले हैं और नाज़ी (निजात पाने वाला) वह है जो अल्लाह के हुक्म पर अमल करता है तो ए चचा यह हदीस आपकी हदीस के बरअक्स है। अब्दुल रहमान ने कहा कि हां खुदा की क़सम ए बिरादर जादे अली^{अ.स.} ने ऐसा कहा था। तो गोया तुम्हारे कहने का मतलब यह है कि हर शय का ज़िक्र खुदा की किताब (कुरआन) में मौजूद है। मैंने कहा कि हां अल्लाह ने खुद ही फरमाया है कि खुदा की किताब में जो कुछ भी हराम—हलाल अम्र व नहयि है वह सब मौजूद है जिसको मालूम है उसको मालूम है और जो बेख़बर हैं सो वह बेख़बर हैं। और खुदा ने तो हमको अपनी किताब में उस चीज़ की भी ख़बर दी है जिसके हम ज़रूरतमंद नहीं है। फिर यह कैसे हो सकता है कि वह हमें उस चीज़ की ख़बर न करे जिसके हम मोहताज हैं। अब्दुल रहमान ने कहा कि यह बात तुम किस बुनियाद पर कहते हो? मैंने कहा कि अल्लाह तआला का इश्आद है कि:

فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلَىٰ مَا أَنفَقَ فِيهَا

फअसबह: युक्ल्लिबो कपफेहि अला मा अनफक: फीहा 15—18/42।

तर्जुमा: तो उसने जो बाग़ पर सर्फ़ किया था उस पर अफसोस करने लगा। अब्दुल रहमान ने कहा कि फिर इन बातों का इल्म किससे हासिल होता है?

मैंने कहा कि तुम किसे पहचानते हो? अब्दुल रहमान ने कहा कि अगर मैं आपको पहचान जाता तो उनके दोनों पैरों को धोता और उनसे इल्म हासिल करता। मैंने कहा कि तुम्हें खुदा की कसम क्या तुम किसी ऐसे मर्द को जानते हो कि जब रसूलल्लाह^{स.अ.व.} से किसी चीज़ का सवाल करते तो आप उनको जवाब इनायत फरमाते और जब वह खामोश रहते तो उनसे आप खुद क़लाम की इब्तिदा करते थे। अब्दुल रहमान ने कहा कि हां वह अली बिन अबी तालिब^{अ.स.} थे। मैंने कहा कि क्या तुम्हें मालूम है कि अली^{अ.स.} ने रसूले खुदा^{स.अ.व.} के बाद हराम व हलाल के बारे में किसी से कभी सवाल किया है? अब्दुल रहमान ने कहा कि नहीं। मैंने कहा कि क्या तुमको यह मालूम है कि तमाम सहाबा आपके मोहताज थे और आपसे ऐसे मसाइल पूछते थे? अब्दुल रहमान ने कहा कि हां। तो मैंने कहा कि सब इल्म उन्हीं के पास है। अब्दुल रहमान ने कहा कि वो तो गुज़र चुके अब किससे इल्म हासिल करें? मैंने कहा कि उनके फरज़न्द से पूछो। क्योंकि वह इल्म उनके फरज़न्दों में मौजूद है। अब्दुल रहमान ने कहा कि मैं उनके फरज़ंदों को कहां पाऊंगा? मैंने कहा कि क्या तुमने किसी ऐसी क़ौम को देखा है जो ज़मीन के किसी बंजर मैदान में हैं और उनके हमराह रास्ता बताने वालों की जमाअत भी मौजूद है और उन्होंने उन रास्ता बताने वालों पर हल्ला बोल दिया हो। यहां तक कि बाअज़ को क़त्ल कर दिया और बाअज़ पर जुल्म व सितम ढाया पस उनमें से जो बाक़ी बचे वह उनके डर से छुप गये। फिर उस क़ौम को ऐसे लोग नहीं मिले जो उनकी रहनुमाई करते जिसकी वजह से वह उस जंगल में भटक कर हलाक हो गये। तुम ऐसी क़ौम के बारे में क्या कहते हो? अब्दुल रहमान ने कहा कि वह सब दाखिले जहन्नम होंगी उस वक़्त अब्दुल रहमान का चेहरा ज़र्द हो गया और उसके हाथ में एक सफ़रजल (एक फल) था। जिसको ज़मीन पर दे मारा और वह रेज़ा रेज़ा हो गया। फिर कहा कि *इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलेहे राजिऊन।*

बअज़ अइम्मा ताहिरीन^{अ.स.} से रिवायत है कि एक मर्तबा अबू हनीफ़ा इमाम जअफ़रुस्सादिक़^{अ.स.} की खिदमत में हाज़िर हुए। आप अबू हनीफ़ा की तरफ एक लकड़ी पर टेका लगाये घर से बाहर निकले अबू हनीफ़ा ने आपसे कहा कि आपने यह असा क्यो पकड़ रखा है? आप तो अभी इतने सन रसीदा नहीं हुए हैं कि इस डंडे की आपको ज़रूरत हो? इमाम जअफ़रुस्सादिक़^{अ.स.} ने फरमाया कि हां लेकिन जानते हो यह रसूलल्लाह^{स.अ.व.} का असा है मैं इसे तबर्रुकन अपने हाथ में रखता हूँ। अबू हनीफ़ा ने कहा

कि अगर मुझे मालूम होता कि यह रसूलल्लाह^{स.अ.व.} का असा है तो मैं उठकर इसको चूम लेता। इमाम जअफरुस्सादिक^{अ.स.} सुबहानल्लाह सुब्हानल्लाह कहते हुए अपनी आस्तीन को ऊपर चढ़ाया और फरमाया कि खुदा की कसम ए नोमान तुम्हे यह मालूम है कि यह बाल रसूलल्लाह का बाल है और यह चमड़ी रसूलल्लाह की चमड़ी है फिर भी तुमने इसको बोसा नहीं दिया। अबू हनीफा झूके ताकि आपके दस्त मुबारक को चूम लें मगर आपने अपनी आस्तीन को उतार दिया और हाथ खींच लिया। और घर में वापस तशरीफ ले गये।

इमाम जअफरुस्सादिक^{अ.स.} के बाअज शियों से यह रिवायत है कि एक मर्तबा एक शिआ अबू हनीफा के हल्का ए दरस में जाकर खड़ा हो गया। उस वक्त अबू हनीफा फतवा दे रहे थे उसने कहा कि ए अबू हनीफा इस मसअले के बारे में तुम क्या कहते हो कि एक शख्स ने अपनी बीबी को एक ही मजलिस में तीन तलाक़ दे दी। बगैर तोहर (पाकी) के या वो हाइज़ थी? अबू हनीफा ने कहा कि वो उससे अलाहिदा हो गई (यानी मुतल्लका हो गई) उस शिआ ने कहा कि क्या खुदा ने तलाकुल—इद्दत का हुक्म नहीं दिया है और तलाक़ में अल्लाह के हुद्द से तजावुज़ करने से मना नहीं फरमाया है। यही रसूलल्लाह की सुन्नत भी थी और आपने इसकी ताकीद की है और इस पर जोर दिया है। अबू हनीफा ने कहा की हां लेकिन हम तो सिर्फ यह कहते हैं कि उस शख्स ने अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी ज़रूर की है लेकिन उसकी बीवी उससे अलाहिदा हो चुकी है। उस मर्द शिआ ने कहा कि तो यह बताओं कि अगर एक शख्स अपनी दो बीवीयों की तलाक़ का किसी को वकील बनाये और उसको यह हुक्म दे कि वह उनमें से एक को तलाकुल—इद्दत दे और दूसरे को तलाकुल बिदअत दे दे। लेकिन उसने ऐसा ना करते हुए उस औरत को तलाकुल—इद्दत दे दिया जिसको तलाकुल—बिदअत देने के लिये उसने कहा था और जिस औरत को तलाकुल बिदअत देना था उसको तलाकुल इद्दत दे दिया? अबू हनीफा ने कहा कि उसकी तलाक़ जाइज़ नहीं है। सवाल करने वाले मर्द शिआ ने कहा कि आखिर क्यों जाइज़ नहीं है? अबू हनीफा ने कहा कि इसलिये कि उसको जिस चीज़ का वकील बनाया गया था उसकी उसने मुख़ालिफ़त की। साइल ने कहा कि ख़ूब जिसने उसको वकील बनाया उसकी मुख़ालिफ़त से उस शख्स की तलाक़ जाइज़ नहीं है और जो अल्लाह और उसके रसूल की मुख़ालिफ़त करता हो उसकी तलाक़ जाइज़ है। अबू हनीफा ने यह

सुनकर अपने असहाब की तरफ मुतवज्जा होकर कहा कि यह राफज़ी का मसअला है और वो इसका कोई जवाब न दे सके।

अगर हम इस किस्म की तमाम बातें दर्ज करें तो यह सिलसिला दराज़ हो जायेगा। इमाम जअफरुस्सादिक^{अ.स.} और आपके असहाब अबू हनीफा और उनके इराकी असहाब से बहस इसलिये किया करते थे कि वह तशय्युअ (शिया विचारधारा) से इसलिये करीब थे कि उन्होंने असहाबे अली^{अ.स.} से इल्म हासिल किया था। जबकि वह इराक में मौजूद थे पस आप और आपके असहाब हक की तरफ उनके लौट जाने के उम्मीदवार थे।

रहे इमाम मालिक और उनके असहाब तो आप और आपके असहाब को उन लोगों के मज़हब और अकाइद का पूरा इल्म था और फिर इमाम मालिक को सलतनत में भी थोड़ा बहुत दखल था इसलिये इमाम जअफरुस्सादिक^{अ.स.} ने उनसे मुआरज़ा (बहस व मुबाहिसा) नहीं किया और इमाम मालिक जब कि इमाम जअफरुस्सादिक^{अ.स.} मदीने में मौजूद थे तो उन्होंने आपसे सुना था आपने इमाम मालिक को सुनाया था। लेकिन मालिक पर आपने कोई इस्तिदलाल नहीं किया। क्योंकि उन्होंने आपसे मुँह फिरा लिया था आपसे मालिक की दूरी और ऐराज़ निहायत बुरी बात थी। हम खुदा के ओलिया किराम से मुँह फ़ैरने से पनाह मांगते हैं।

रसूले अकरम^{स.अ.व.} से रिवायत है आपने फरमाया कि अल्लाह कुछ आम लोगों से इल्म छीन कर अपने कब्जे में नहीं कर लेता बल्कि वह उलमाओं को कब्ज़ करके इल्म को अपने कब्जे में कर लेता है। यहां तक कि जब कोई आलिम बाकी नहीं रहता तो लोग जाहिलों को अपना सरदार बना लेते हैं। जब उनसे मसाइल पूछे जाते हैं तो बग़ैर इल्म के फतवा देते हैं पस वह खुद गुमराह होते हैं और दूसरों को गुमराह करते हैं।

हजरत अली^{अ.स.} से रिवायत है आपने फरमाया कि इल्म के रफअ हो जाने से पहले सीख लो मैं इस तरह से नहीं कहता हूँ आपने अपना हाथ उठाकर बताया मगर इल्म इस तरह रफअ हो जाता है कि अगर कोई आलिम किसी कबीले में हो और वह वफात पा जाये तो उसके साथ ही इल्म भी चला जाता है। इसी तरह दूसरे कबीले में कोई आलिम होता है तो उसकी भी वफात से इल्म चला जाता है जब यह हाल हो जाता है तो लोग जाहिलों को अपना सरदार बना लेते हैं जो अपनी राय से फतवा देते हैं और आसार को छोड़ देते हैं। पस वह खुद भी गुमराह हो जाते हैं और दूसरों को

भी गुमराह करते हैं। मगर जब ऐसा होगा तो उस वक्त यह उम्मत हलाक हो जायेगी।

हजरत अली^{अ.स.} रसूले खुदा^{स.अ.व.} से रिवायत करते हैं कि आंहजरत^{स.अ.व.} ने फरमाया कि जो बगैर किसी इल्म के फतवा देगा उस पर आसमान व ज़मीन के फरिश्ते लअनत भेजेंगे।

एक एअराबी ने रबीया बिन अब्दुल रहमान से एक मस्अला पूछा उन्होंने उसको जवाब दिया तो एअराबी ने कहा कि अगर मैंने इस पर अमल किया तो इसका इताब तेरी गर्दन पर होगा। रबीआ खामोश हो गये एअराबी ने कई बार कहा लेकिन वह खामोश रहे। इमाम जअफरुस्सादिक^{अ.स.} सुन रहे थे। आपने फरमाया कि ए एअराबी इसका इताब ज़रूर उसकी गर्दन पर होगा। वो इकरार करे या ना करे।

इमाम बाकिर^{अ.स.} से रिवायत है आपने फरमाया कि जिसने बगैर इल्म के फतवा दिया तो उस पर आसमान व ज़मीन और रहमत व अज़ाब के फरिश्तों की लअनत है। और उसका गुनाह उस पर आयद होता है जिसके फतवे पर अमल किया गया है।

अमीरुल मुमिनीन अली बिन अबी तालिब^{अ.स.} ने एक मर्तबा अपने खुतबे में लोगों से मुख़ातिब होकर फरमाया कि अम्माबाद! मैं अपने कौल का ज़िम्मेदार हूँ और जो कुछ कहता हूँ उसकी सच्चाई का ज़ामिन हूँ। तक्वा की ज़मीन में किसी कौम की खेती बरबाद नहीं हो सकती और ज़मीन की तह में उतरी हुई जड़ प्यासी नहीं रह सकती है इस में कोई शुबह नहीं है कि हक़ और ख़ैर उन्ही लोगों में होता है जो उसकी क़द्र व मंजिलत पहचानते हैं और आदमी की जहालत के लिये यही काफी है कि वह अपने आप (अपनी मंजिलत) को नहीं पहचानता। दुनिया भर में दो ही आदमी हैं जिनसे खुदा सबसे ज़्यादा दुश्मनी रखता है— एक तो वह शख्स जिसे अल्लाह ने (ढील दे के) उसके हाल पर छोड़ दिया है। सो वह सीधे रास्ते से हट के चलता है। बिदअत की बातें और गुमराही की तरफ बुलाने पर तुला है और (अपनी बिदअतों को फ़रोग़ देने के लिये) नमाज़ रोज़ा का बड़ा पाबंद होता है। ऐसा शख्स उन लोगों के लिये एक मुस्तक़िल फितना है जो उसकी इबादत गुज़ारी के फरेब में आ गये हैं वह अगले लोगों की सीधी राह से भटका हुआ है और अपने पेरुओं (मानने वाले) को जीते जी और मरने के बाद गुमराह करने वाला है। उन लोगों की ख़तायें अपने सर लादने वाला है जिनको उसने अपनी ख़ताकारी से गुमराह किया था।

और दूसरा शख्स वह है जिसने निरी जहालत को हर तरफ से जोड़ बटोर कर इकट्ठा कर लिया है। यह शख्स गुमराही फैलाने के लिए उम्मत के जाहिल लोगों में बड़ी तेजी से दौड़ धूप कर रहा है और फितना व फसाद की अंधेरियों में पिछले पहर बड़ी फुर्ती से दौड़ता है। नाम के आदमियों ने उसका नाम आलिम रख दिया है। हालांकि ख़ताओं और लगज़िशों से उसका एक दिन भी सलामत नहीं गुज़रता है उसने जल्दी जल्दी (जहालतो और गुमराहियों से) बहुत कुछ जोड़ बटोर कर इकट्ठा कर लिया। जिसकी कमी ज़्यादाती से कहीं बेहतर है। यहां तक कि जब वह (जहालत और उलूमे बातिला) सड़े हुए पानी से अपनी प्यास बुझा चुका और बेकार और बे फायदा बातों से अपने खज़ाना ए दिमाग को भर चुका तो लोगों में काज़ी बन बैठा और उन मस्अलों के सुलझाने का ज़मानतदार बन गया जिनकी गुल्थी दूसरों के नज़दीक उलझी हुई है। सो अगर कोई मुश्किल मस्अला उसके सामने आता है तो वह अपनी राय से बेकार की पोच व लचर बोदी और महमिल बातें और दलीले पेश करता है और उसके सही होने पर यकीन कर लेता है। (दर हकीक़त) वह उन शुबहों की वजह से जिनके हल होने में उसको खुद शक है मकड़ी के जाले के ताने बाने में फंसा हुआ है। वह खुद नहीं जानता कि उसने (उस मसअले में) ठीक जवाब दिया या ग़लत। इत्तिफ़ाक़न ठीक कहा (तो दिल में चोर है) डरता है कि कहीं ग़लत न कहा हो और अगर ग़लत जवाब दिया तो आस लगाए हुए है कि मुमकिन है सही कहा गया हो (ऐसा अनपढ़) कि उसे वहम भी नहीं कि जिस चीज़ से वह इंकार कर रहा है दर हकीक़त इल्म उसमें मुनहसिर है और न यह जानता है कि जहां तक उसके ज़हन की रिसाई होती है उसके सिवा भी दूसरों के लिए कोई न कोई रास्ता है। अगर एक चीज़ को दूसरी चीज़ से क़यास करता है तो उस बारे में अपनी नज़र को नहीं झुटलाता और जब कोई बात उसकी समझ में नहीं आती तो उसे दूसरों से छिपाए रखता है कि उसके इल्म का भ्रम न खुले और उसकी जहालत न ज़ाहिर हो और यह न कहा जाय कि उसे इल्म नहीं है और बड़ी ज़सारत के साथ अम्र जारी कर देता है। पस वह तारीकियों की कुंजी है वह जाहिल है और जहालत की तारीकियों में हाथ पांव मारने वाला है और शक व शुबहात पर सवारी करने वाला है। जिस बात को नहीं जानता उससे मअज़िरत भी नहीं करता कि खता से महफूज़ रहे। कभी उसने इल्म की लकड़ी को दांत से नहीं काटा

(उसने इल्म को इल्म की तरह नहीं हासिल किया) जिससे वह इल्म का हिस्सा पाता।

हदीसों और रिवायतों को यूँ उड़ाता है जैसे हवा भूसे और सूखी घास को तितर-बितर कर देती है इसके फैसले से मीरासें वावेला मचा रही हैं। और उसके ज़ालिमाना नाहक़ फैसलों से खूने नाहक़ फरयादी है। उसके नाहक़ फैसलों पर हलाल फर्जे (औरत की शर्मगाहें) हराम हो जाती है और हराम फर्जे हलाल हो जाती है उससे अगर कुछ पूछा जाये तो बखुदा इसको ठीक बता नहीं सकता और न वह इस ओहदे के काबिल है। ए लोगो! उन लोगों के ऐबों को खूब गोर से परखो। जो जुल्म व सितम के माअदिन (खज़ाने) है। और उस शख्स की इताअत पर लाज़िम रहो जिसके मुताल्लिक़ बेख़बरी और अदम मअरिफ़त से तुम को मअज़ूर ना समझा जायेगा पस तुम को मालूम हो कि जो इल्म आदम^{अ.स.} पर उतारा गया था और वह तमाम बातें जिनसे अम्बिया^{अ.स.} को फज़ीलत दी गई थी वह सब मोहम्मद खातिमुल नबीय्यीन^{स.अ.व.} और आप की इतरत (अइम्मा अहलेबैत^{अ.स.}) में मौजूद है। पस कहां तुमको भटकाया जा रहा है बल्कि सोचो कि तुम खुद कहां जा रहे हो!

इमाम जअफरुस्सादिक़^{अ.स.} से रिवायत है आप ने फरमाया कि जिस शख्स ने इसलिए इल्म हासिल किया था ताकि वह उस इल्म से उलमाओं पर फख़र करे इल्म के ज़रिए बेवकूफो से बहस व मुबाहिसा करे या इससे लोगों का मुंह अपनी तरफ़ फ़ैरे या यह कहे कि मैं तुम्हारा सरदार हूँ तो ऐसे शख्स को चाहिए कि वह अपना ठिकाना जहन्नम को समझे रही रियासत तो जो उसका अहल है उसी को ज़ेब देती हैं

अगर हमने इख़तिसार की शर्त न लगाई होती तो हम इस सिलसिले में दफ़तर के दफ़तर भर देते हमने इस सिलसिले में जो कुछ बयान किया है वह उस शख्स के लिए काफी है जिसके पास इल्म और समझ बूझ है।

हमने ऊपर कौम (अवाम) के अपनी जहालतों और गुमराही में भटकने का इक़्रार का ज़िक्र किया है और उनकी तकलीद से मना किया है और उनसे इल्म हासिल करने से रोका है और हमने यह भी बयान कर दिया है कि वह जो कुछ भी कहते हैं अपनी राये और कयास से कहते हैं। किताबुल्लाह व सुन्नत और रसूलुल्लाह^{स.अ.व.} की किसी हदीस के बग़ैर और न इस सिलसिले में आले मोहम्मद^{स.अ.व.} के किसी ऐसे इमाम की रिवायत नक्ल करते हैं जिसकी इताअत फर्ज़ व वाजिब है और हमने आले मोहम्मद^{स.अ.व.} के इमामों का भी हाल बयान कर दिया है और अल्लाह तआला ने उनकी इताअत करने और उनसे इल्म हासिल करने और

उनके अम्र को तस्लीम करने का जो हुक्म दिया है उसको भी बयान कर दिया है और इसका भी ज़िक्र कर दिया है जिसको इमामों ने अपने लिए वाजिब करार दे लिया है। पस यह दलील व हुज्जत के लिए काफी है।

وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَ صَلَّى اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ خَاتَمِ النَّبِيِّينَ وَعَلَى
الْأَئِمَّةِ مِنْ ذُرِّيَّةِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ

वलहमदो लिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सललल्लाहो अला रसूलिही सय्यदना
मोहम्मदिन खातमिन नबीय्यीन व अलल अइम्मति मिन जुर्रिय्यितित तय्यिबीनत
ताहिरीन।

तहारत

किताबुत-तहारत

बिस्मिल्लाहि र्हमानि र्हहीम

अल्लाह तआला ने अपने बन्दगान मुमिनीन को तहारत और पाकीजगी का जो हुक्म दिया है और उस सिलसिले में जो तरगीबी रिवायात आई हैं उनका बयान ।

अल्लाह तआला का इर्शाद है कि :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ
وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ۖ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا

या अय्योहल लज़ीन: आमनू इज़ा कुमतुम इलस्सलाति फगसिलू वुजूहकुम व एदिय:कुम इलल मराफिकि वमसहू बिरुउसिकुम व अरजुलिकुम इलल कअबेन व इन कुनतुम जुनुबन फत्तहहरु 6-5/6

तर्जुमा : ए ईमानवालों जब तुम नमाज़ के लिये आमादा हो तो अपने मुंह और कोहनियों तक हाथ धो लिया करो और अपने सिरों को और टखनों तक पांव का मसाह कर लिया करो और अगर तुम हालते जनाबत में हों तो तुम तहारत (पाक हो लो) व गुस्ल (नहा लो) करो ।

और अल्लाह तआला का यह भी इर्शाद है कि :

لَمَسْجِدٍ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَىٰ مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَنْ تَقُومَ فِيهِ ۚ فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ
يَتَطَهَّرُوا ۚ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَهَّرِينَ •

ल मसजिदुन उस्सिस: अलत्तक़वा मिन अव्वलि यौमिन अहक़को अन तकूम: फीहि फीहि रिजालुन युहिब्बून: अन्य यततहहरु वल्लाहो युहिब्बुल मुत्तहहिरीन 11-9/108 ।

तर्जुमा : वह मस्जिद जिसकी बुनियाद अव्वल रोज़ से परहेज़गारी पर रखी गई है वह ज़रूर इसकी ज़्यादा हक़दार है कि उसमें खड़े होकर नमाज़ पढ़ो

क्योंकि इसमें वह लोग हैं जो पाक व पाकीज़ा रहने को पसंद करते हैं और खुदा भी पाक व पाकीज़ा रहने वालों को दोस्त रखता है।

मनकूल है कि अइम्मा ताहिरीन^{अ.स.} अपने अपने ज़मानों में ढेलों और पत्थरों से इस्तिन्ज़ा करने के बाद पानी से भी इस्तिन्ज़ा करते थे मगर अवाम फक़त ढेलो और पत्थरो ही से इस्तिन्ज़ा करते थे।

अल्लाह तआला का इर्शाद है कि :

يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ • قُمْ فَأَنْذِرْ • وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ • وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ •

या अय्योहल मुदस्सिर 0 कुम फ अन्ज़िर 0 व रब्बक: फकब्बिर 0 व सियाबक: फतहहिर 0 29-74/1-4।

तर्जुमा : ए (मेरे) कपड़ा ओढ़ने वाले (रसूल) उठो और (लोगों को अज़ाब से) डराओ और अपने परवरदिगार की बड़ाई करो और अपने कपड़े पाक रखो। और अल्लाह तआला का यह भी इर्शाद है कि :

وَيَنْزِلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لَيُطَهِّرَكُمْ بِهِ وَيُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْسَ الشَّيْطَانِ وَلَيَرْبِطَ

عَلَى قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ •

व युनज़िलो अलैकुम मिनस समाइ माअन लियुतहहिर:कुम बिही व युज़हिब: अनकुम रिज ज़शैतानि व लि यरबित: अला कुलूबिकुम व युसब्बित: बिहिल अक़दाम 0 9-8/11।

तर्जुमा : और तुम पर आसमान से पानी बरसाता है ताकि उससे तुम्हें पाक व पाकीज़ा कर दे और तुम से शैतान की गंदगी दफा कर दे और तुम्हारे दिल मज़बूत कर दे। और पानी से तुम्हारे क़दम अच्छी तरह जमाये रहे।

हज़रत अमीरुल मुमिनीन^{अ.स.} से रिवायत है कि रसूले अकरम^{स.अ.व.} ने फरमाया कि परवरदिगारे आलम क़यामत के रोज़ तमाम उम्मतों के दरमियान मेरी उम्मत को उस हाल में उठायेगा कि वुजू के असरात से उनकी पेशानियों और पांव सफेद होंगे और जनाब अमीर^{अ.स.} से यह भी मनकूल है कि आहज़रत^{स.अ.व.} ने फरमाया कि जब मुझे आसमान पर ले जाया गया तो उस वक़्त मुझसे पूछा गया कि मलाइका मुक़र्रबीन किस बारे में आपस में झगड़ा करते हैं मैंने कहा मुझे मालूम नहीं है इसलिये (ए जिब्रईल) तुम मुझे यह बताओ कि यह मलाइका किस बारे में बाहम झगड़ते हैं। हज़रत जिब्रईल^{अ.स.} ने कहा कि सख़्त सर्दी के ज़माने में अच्छी तरह वुजू करने के

बारे में और जमाअतों में शामिल होने के वास्ते तेज़ी से क़दम उठाने की बाबत और एक वक़्त की नमाज़ पढ़ चुकने के बाद दूसरे वक़्त की नमाज़ के इन्तिज़ार में बाहम खुसूमत (बहस) करते हैं। और अमीरूल मुमिनीन^{अ.स.} से यह भी रिवायत है कि रसूले खुदा^{स.अ.व.} ने फरमाया है कि नमाज़ की बुनियाद इन चार चीज़ों पर है अव्वल कामिल तौर से वुजू करना, दोइम (दूसरा) रूकूअ सोइम (तीजा) सुजूद, चहारम (चौथा) खुजुअ व खुशूअ (पुरे ध्यान और सच्ची भावना से)। हज़रत अली^{अ.स.} से रिवायत है कि रसूले अकरम^{स.अ.व.} ने फरमाया है कि वुजू के वक़्त अपनी आंखों को पानी से खूब सेराब करो ताकि वह (क़यामत के रोज़) गर्मी-आतिशे जहन्नम को महसूस न कर सके। नोफे शामी से मनकूल है वह बयान करते हैं कि मैंने एक मर्तबा हज़रत अली^{अ.स.} को इस हालत में वुजू करते हुए देखा था कि कामिल तौर से वुजू करने की वजह से आपके दोश मुबारक पर पानी के छींटे उड़ रहे थे।

हज़रत अमीरूल मुमिनीन^{अ.स.} से रिवायत है कि रसूले खुदा^{स.अ.व.} का यह इर्शाद है कि जिस शख्स ने मुकम्मल तौर पर वुजू, रूकू, सुजूद और खुशुअ अदा न किया तो उसकी नमाज़ अकारत (बेकार) है। अमीरूल मुमिनीन^{अ.स.} से रिवायत है आपने फरमाया कि तहारत यानि पाकीज़गी निस्फ (आधा) ईमान है और आपका यह भी इर्शाद है कि अगर कोई मर्द मुमिन अच्छी तरह वुजू करके मस्जिद की तरफ जाये तो जब तक वह कोई हदसो (पैशाब, पाखाना गो़ज़) नहीं करता नमाज़ की हालत में है। अमीरूल मुमिनीन^{अ.स.} फरमाते हैं कि मैंने रसूले खुदा^{स.अ.व.} को यह कहते हुए सुना है कि ए लोगों! क्या मैं तुमको इस चीज़ से ख़बरदार न कर दूँ जो तुम्हारे गुनाहों और ख़ताओं को मिटाने वाली है। सुनो! वह यह है सख़्त सर्दी और नागवारे ख़ातिर (नापसंद) औकात व हालत में कामिल तौर से वुजू करना और एक वक़्त की नमाज़ पढ़ने के बाद दुसरे वक़्त की नमाज़ का इंतिज़ार करना यह एक किस्म का जिहाद है।

रसूले अकरम^{स.अ.व.} से रिवायत है कि आपने इर्शाद फरमाया कि नमाज़ बिला (बिना) वुजू जायज़ नहीं है। इमाम जअफरुस्सादिक^{अ.स.} से रिवायत है आपने फरमाया कि अल्लाह तआला बावुजू नमाज़ों को क़बूल करता है। हज़रत अली^{अ.स.} हर नमाज़ के वक़्त वुजू की तजदीद (फिर से) महज़ हुसूले (हासिल होना) फज़्ल व सवाब की ख़ातिर करते थे। आप तजदीद वुजू किसी हदस की वजह से नहीं करते थे हां अगर कोई हदस हो जाये तो उस

वक्त वुजू करना वाजिब और ज़रूरी है। मोहम्मद रसूलल्लाह^{स.अ.व.} से यह मनकूल है कि आप भी हर नमाज़ के वक्त वुजू की तजदीद (फिर से वुजू करना) महज़ फज़ल व सवाब की खातिर करते थे और आप^{स.अ.व.} ने फतह—मक्का के दिन एक ही वुजू से तमाम नमाज़ें पढ़ी थी।

इमाम जअफरुस्सादिक^{अ.स.} से रिवायत है जब कोई हदस वाक़ेय हो जाये तो फिर से वुजू करना वाजिब है और एक शख्स जब तक कोई हदस नहीं करता वह एक ही वुजू से जितनी चाहे नमाज़ें पढ़ सकता है। लेकिन अगर उससे कोई हदस हो जाये या सो जाये या जिमाअ (संभोग) करे या बेहोश हो जाये या कोई ऐसी बात हो जाये जिससे वुजू का इआदा वाजिब हो तो उस पर फिर से वुजू करना वाजिब है। यह मुत्तफिक अलैहा मसाइला (ये मसला ऐसा है जो सब मानते हैं) हैं। इंशा—अल्लाह हम इसको आइंदा बयान करेंगे।

उन अहदास का बयान जिनसे वुजू करना वाजिब होता है

रसूले खुदा^{स.अ.व.}, हज़रत अली^{अ.स.} और इमाम बाकिर^{अ.स.} और इमाम जअफरुस्सादिक^{अ.स.} से रिवायत है आप तमाम हज़रात फरमाते हैं कि जिन बातों से वुजू टूट जाती है वह अहदास यह हैं :

पाखाना, पैशाब, हवा का खारिज होना और मज़ी का निकलना। मज़ी वह पतला पानी है जो बग़ैर जमाअ के महज़ मुजामअत (हम बिस्तरी) की शेहवत से आला—ए—तनासुल से खारिज होता है। अगर उछलता हुआ गाढ़ा पानी निकले तो वह मनी है। इसके निकलने पर गुस्ल करना वाजिब है। अगर मज़ी का पानी बंद न होता हो तो ऐसे शख्स को चाहिये कि वह हर नमाज़ के लिये वुजू करे और आला—ए—तनासुल पर एक थैली बांधे। जब नमाज़ पढ़ने के लिये उठे तो वुजू करे और आला—ए—तनासुल के मक़ाम पर पानी छिड़के और फिर इस पर थैली को बांधने के बाद नमाज़ पढ़े। अगर उसे कुछ नमी महसूस होती हो तो उसे समझना चाहिये कि यह वही छिड़का हुआ पानी है। वह नमाज़ को तर्क न करे और अइम्मा ताहिरीन^{अ.स.} ने इस पर भी वुजू वाजिब क़रार दिया है कि अगर किसी पर नींद का इतना ग़लबा हो जाये कि उसे अपनी हालत का कुछ इल्म ही न हो तो उसको वुजू करना वाजिब है लेकिन जो सिर्फ़ ऊंग रहा हो और उसे अपनी हरकतों का इल्म

हो और वह महसूस कर सकता हो सुन सकता हो तो इससे ऐसे शख्स का वुजू नहीं टूटता और इसके अलावा अइम्मा ताहिरीन^{अ.स.} के नज़दीक पिछन्ना (एनीमा) और रग (नस) खुलवाने और कै (उल्टी) करने, खून बहने या किसी जख्म से खालिस पीप या खून आमेज़ (मिला हुआ) पीप के निकलने या पैशाब व पाखाना के अलावा किसी भी जगह से कोई चीज़ ख़ारिज हो तो उस सूरत में वुजू वाजिब नहीं है। अलबत्ता इस जगह को धो डालना चाहिये। अगर किसी को कै हो जाये और वह वुजू कर चुका हो तो सिर्फ़ कुल्ली करके नमाज़ पढ़ ले और पैशाब व पाखाना के मक़ाम से इन बातों के अलावा जिनका हम ऊपर ज़िक्र कर चुके हैं अगर उन दोनों मख़ारिज से कीड़े या केंचुए या कददूदाना खून या खालिस पीप या खून आमीज़ पीप या किसी किस्म की तरी पैदा हो जाये तो इन तमाम सूरतों में वुजू टूट जाता है और इन तमाम हालत में वुजू करना वाजिब है।

अइम्मा ताहिरीन^{अ.स.} के नज़दीक औरत को बोसा देने और हाथ लगाने या आला-ए-तनासुल और फरज को छुने या फोटो को हाथ लगाने और जिस्म से किसी भी चीज़ के छू जाने से वुजू वाजिब नहीं होता है और न ऊंट के गोश्त को हाथ लगाने या दूध को छुने या आग पर पकी हुई किसी चीज़ को हाथ लगाने से वुजू वाजिब नहीं होता है लेकिन इन चीज़ों को छु लेने के बाद हाथों को धो लिया जाये तो बेहतर है। इसकी तरगीब भी दी गई है और अगर किसी ने हाथों को धोये बग़ैर ही नमाज़ पढ़ ली तो इस सूरत में उसकी नमाज़ ज़ाये न होगी।

आंहज़रत^{स.अ.व.} से मनकूल है एक मर्तबा ऐसे वक़्त में भुने हुए गोश्त का टुकड़ा आपकी ख़िदमत में पेश किया गया जबकि हज़रत बिलाल^{र.अ.} अज़ान कर चुके थे। आप^{स.अ.व.} ने हज़रत बिलाल^{र.अ.} को थोड़ी देर के लिये रोक दिया यहाँ तक कि आप^{स.अ.व.} और आपके असहाब ने उस भूने हुए गोश्त को तनावुल किया। फिर आपने दूध मंगाया और उसमें पानी मिलाया गया जिसे आपने और आपके असहाब ने पिया उसके बाद आप^{स.अ.व.} ने उठ कर नमाज़ पढ़ी। उस वक़्त आपने पानी को हाथ भी नहीं लगाया था। मुमकीन है कि आपने अपने इस फअल से अपनी उम्मत को यह बताना चाहा हो कि ऐसा करना जायज़ है यह रिवायत अइम्मा ताहिरीन^{अ.स.} ने आंहज़रत^{स.अ.व.} से नक़ल की है।

अइम्मा ताहिरीन^{अ.स.} ने रसूले खुदा^{स.अ.व.} से यह भी रिवायत नक़ल की है कि आंहज़रत^{स.अ.व.} ने खाना खाने से पहले और खाना खा चुकने के बाद

हाथ धोने का हुक्म दिया है। इंशा-अल्लाह हम इसका आइन्दा ज़िक्र करेंगे। अगर किसी ने वुजू के बाद खाना खाया या कुछ पिया तो यहां हाथों का धोना महज़ पाकीज़गी और तहारत के ख्याल से है। यह कोई इतना वाजिब या ज़रूरी नहीं है कि इसके बग़ैर नमाज़ ही जाइज़ न होगी। जिस तरह से कि किसी ने हदस किया तो बग़ैर वुजू के उसकी नमाज़ जाइज़ नहीं है। आग पर पकी हुई चीज़ का खाना और ऊंट का दुध पीना हदस नहीं है कि जिससे वुजू वाजिब हो जैसा कि कुछ लोगों का गुमान है। यह मस्अला मुत्ताफ़िक़ अलैह है कि खाने पीने की वह तमाम चीज़ें जो हलाल हैं पाक हैं। लिहाज़ा पाकीज़ा चीज़ के छुने या खाने पीने से वुजू नहीं टूटता और अइम्मा ताहिरीन^{अ.स.} के नज़दीक नाखून काटने, मूँछों को तरशवाने और सर के बाल मुंडवाने से वुजू वाजिब नहीं होता है अगर पानी से पोंछ कर साफ़ कर लिया जाये तो बेहतर है।

और अइम्मा ताहिरीन^{अ.स.} के नज़दीक जिस शख्स को इस बात का यकीन है कि उसने वुजू किया है इसके बाद यह शक पैदा हो गया कि उसने कोई हदस किया है तो इस सूरत में वह यकीनन तहारत पर है। जब तक कि उसे हदस का यकीन न हो जाये। महज़ शक पर वुजू वाजिब नहीं होता। हां अगर हदस का यकीन हो जाये तो उस वक़्त अलबत्ता वुजू करना वाजिब है और अगर किसी ने यकीन कर लिया कि उसने हदस किया है और इसके बाद यह शक पैदा हुआ की उसने वुजू किया है तो इस सूरत में जब तक वह दोबारा वुजू न करे उसकी नमाज़ जाइज़ न होगी हालांकि (मगर) उसको अपने वुजू का पूरा यकीन हो तो उसकी नमाज़ जाइज़ है।

हमने ऊपर जो कुछ बयान किया है यह तमाम साबित रिवायतें रसूले अकरम^{स.अ.व.} और अइम्मा ताहिरीन^{अ.स.} से मनकूल हैं किसी मसअला में उनका इख़िलाफ़ नहीं है। इंशा-अल्लाह हमारी इस किताब के तमाम अबवाब इसी सूरत पर होंगे। क्योंकि हमने अपनी इस किताब को इख़्तिसार (टूक) के तौर पर लिखने का क़स्द (इरादा) किया है। वरना हमें लायक़ था कि हम अइम्मा ताहिरीन^{अ.स.} से रिवायत करने वालों के इख़्तिलाफ़ात को भी क़लमबंद करते और उनके मुख़तलिफ़ फ़ीहि (इख़्तिलाफी) मसाइल में से जो बातें सही और साबित हैं उनको दलील व बुरहान के साथ पेश करते। हमने इसका ज़िक्र अपनी इस किताब में कर दिया है जिसके ब-कसरत अजज़ा (बहुत सारे टुकड़े) हैं इसमें दुश्वारी भी बहुत है और तालिबीन (तलब करने

वाले) पर इसका अग्र निहायत मुश्किल है। यहा पर हमने जो कुछ बयान किया है वह इसका खुलासा है और सही व साबित रिवायते है।

हमने जो कुछ बयान किया है इस सिलसिले में अगर तूल तवील (लम्बान) बहस बिला फायदा न होती तो हम अवाम के हर उस फिरके का कौल नक्ल करते जो हमारे कौल के मुआफिक (मिलता-जुलता) होता और जो इसके मुखालिफ होते उन पर हुज्जत काइम करते। अगर हम ऐसा करें तो यह बहस बगैर किसी फायदे के तवील हो जायेगी। अल्लाह तआला ने तो अपने फज़्ल व करम से अपने औलिया-किराम^{अ.स.} के अग्र को ग़ालिब फरमाया है और उनके दीन व मज़हब को इज़्ज़त व सर बुलंदी बख्शी है और इसने तमाम अहकाम उनके फ़ैसलों के मुताबिक बनाये हैं। दीन वही है जिसको उन्होंने समझाया और जिसका रास्ता बताया है। पस अइम्मा ताहिरीन^{अ.स.} तमाम खलाइक़ पर हुज्जत व दलील में जो उनका ताबेअ हुआ उसने नजात पाई और जिसने उनकी मुखालिफत की वह गुमराह हुआ। यहां पर मुखालिफीन की बातों का ज़िक्र बिल्कुल बे-मानी है। अल्लाह तआला तो ज़ालिमीन को दूर ही रखता है।

वुजू के आदाब का बयान

अइम्मा ताहिरीन^{अ.स.} से रिवायत है कि उन्होंने शर्मगाह का छुपाने का हुक्म दिया है और मुसलमानों के शर्मगाहो की तरफ नज़र उठाकर देखने से मना फरमाया है। मर्दों की शर्मगाह गोठन (गुटने) से लेकर नाफ (डूँटी) तक है और औरतों की पर्दा दारी सर से पैर तक है। अइम्मा ताहिरीन^{अ.स.} ने मुअमिन को अपनी शर्मगाह खोलने से मना फरमाया है ख़्वाह वह किसी ऐसी जगह में क्यों न हो जहां उसको कोई न देखता हो, एक मर्तबा का वाकिआ है कि अइम्मा ताहिरीन^{अ.स.} में से एक इमाम इज़ार पहनकर पानी में उतरे। आपने इस इज़ार को जिस्म मुबारक से उतारा नहीं था। आपकी खिदमत में अर्ज़ किया गया कि आप तो उस वक़्त पानी के अंदर मसतूर हो चुके हैं तो फिर आपने जिस्म मुबारक से इज़ार क्यों न उतारी? आपने फरमाया कि पानी में रहने वाले जानवर तो मुझे देखते थे फिर मैं किस तरह उतारता यह तो मैंने महज़ अपनी शर्मगाह को छुपाने के लिये पहन रखा है। अइम्मा अहले

बैत^{अ.स.} ने पैशाब और पाखाना करते वक़्त बात-चीत करने से मना फरमाया है इस हालत में अगर कोई सलाम भी करे तो उसको जवाब न देना चाहिये।

अइम्मा ताहिरीन^{अ.स.} से मनकूल है कि आंहज़रत^{स.अ.व.} जब बैतुल खलाअ (लेटरिन) के लिये तशरीफ़ ले जाते तो सर मुबारक पर कपड़ा डाल लेते और सर मुबारक को इतना छुपा लेते कि आप को कोई न देख पाता और जब कभी आप सफ़र में कज़ा-ए-हाज़त (लेटरिन के लिये) को तशरीफ़ ले जाते तो बहुत दूर निकल जाते। यहां तक कि आप लोगों की नज़रों से छुप जाते।

अइम्मा ताहिरीन^{अ.स.} का इर्शाद है कि मर्द मुमिन का यह इल्म फ़िक़ह है वह पैशाब व पाखाना और बलगम थूकने की मुनासिब जगह तलाश करे। जगह तलाश करने का यह मतलब है वह ये सब ऐसी जगह पर न करे जहां से उसको लोग देख सके। बअज़ अइम्मा ताहिरीन^{अ.स.} से रिवायत है कि उनमें से किसी इमाम ने अपने घर में बैतुल खलाअ बनाने का हुक्म दिया तो लोगों ने बैतुल खलाअ के लिये ऐसी जगह का इन्तिखाब किया जो खुली हुई बेपर्दा जगह थी। आपने उस वक़्त फरमाया कि ए लोगो! अल्लाह तआला ने जब इंसान को पैदा किया तो उसके जिस्म में संडास का मक़ाम सबसे ज़्यादा पोशीदा जगह में बनाया। पस इसी तरह घर के अन्दर भी पाखाना सबसे ज़्यादा पोशीदा जगह में होना चाहिये। यह वह हकीमाना कलाम है जिससे अल्लाह तआला ने अपने औलिया किराम^{अ.स.} को तमाम खलाइक़ पर फज़ीलत बख़्शी है और इस फज़ल व कमाल की वजह से उनको तमाम मख़लूक़ात से अलाहिदा (अलग) मक़ाम अता फरमाया है।

रसूले अकरम^{स.अ.व.} का इर्शाद है कि ठहरे हुए पानी में पैशाब करना एक किस्म का जुल्म है। आपने ठहरे हुए साकिन पानी में पैशाब और पाखाना करने से मना फरमाया है। नदी और नदी के किनारे या ऐसे कुओं के किनारे जिसका पानी पिया जाता है और फलदार दरख़्तों के नीचे और क़ब्रों के दरमियान सड़कों पर और आंगनों में पैशाब करने से मना फरमाया है और बुलंद जगह से पैशाब करने से मना फरमाया है। और पैशाब व पाखाना करते वक़्त किब्ले की तरफ़ मुंह या पीठ करने से भी मना फरमाया है और खड़े खड़े पैशाब करने से रोका है। अइम्मा ताहिरीन^{अ.स.} ने पैशाब और दूसरी तमाम नजासतों से बचते रहने का हुक्म दिया है। बरतन में पैशाब और पाखाना करने की इजाज़त दी है। और इसी तरह बर्तन में वुजू करने की भी इजाज़त दी है।

हजरत अली^{अ.स.} से रिवायत है कि जब आप क़ज़ाए हाजत के लिये बैतुल ख़लाअ में तशरीफ़ ले जाते तो उस वक़्त आप यह दुआ पढ़ते थे :

بِسْمِ اللَّهِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الرَّجْسِ النَّجِسِ الْخَبِيثِ الْمُخْبِتِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ

बिस्मिल्लाहि अल्लाहुम्म: इन्नी अरुजो बिक: मिनर्रिजसिन नजसिल खबीसिल मुखबिसि मिनशशैतानिर्रजीम।

तर्जुमा : खुदा के नाम से ए बारे इलाहा! मैं नापाकी और ख़बासत से भरे हुए रांदाए बारगाहे शैतान से तेरी पनाह चाहता हूँ।

और जब आप बैतुल ख़लाअ से बाहर तशरीफ़ लाते तो यह दुआ पढ़ते थे :

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي عَافَانِي فِي جَسَدِي وَالْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَمَاطَ عَنِّي الْأَذَى

अलहम्दो लिल्ला—हिल लज़ी आफानी फी जस:दी वलहम्दो लिल्ला—हिल लज़ी अमात: अन्नियल अज़ा।

तर्जुमा : तमाम हम्द व सना अल्लाह के लिये है जिसने मेरे जिस्म को आफियत बख़्शी और मेरी तकलीफ़ को दफा कर दिया।

इमाम जअफरुस्सादिक^{अ.स.} से रिवायत है आपने फरमाया कि जब तुम बैतुल ख़लाअ में दाख़िल हो तो यह दुआ पढ़ो :

بِسْمِ اللَّهِ وَبِاللَّهِ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الرَّجْسِ الْخَبِيثِ الْمُخْبِتِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ اللَّهُمَّ

كَمَا أَعْطَمْتَنِي فِي عَافِيَةٍ فَأَخْرِجْهُ مِنِّي فِي عَافِيَةٍ

बिस्मिल्लाहि व बिल्लाहि अरुजो बिल्लाहि मिनर्रिजसिल खबीसिल मुखबिसि मिनशशैतानिर्रजीम अल्लाहुम्म: कमा अत अम्तनीहि फी अफियतिन फअखरिजहो मिन्नी फी आफियतिन।

तर्जुमा : खुदा के नाम और वसीले से मैं नापाकी और खबीस व नापाक बनाने वाले शैतान रजीम से अल्लाह की पनाह चाहता हूँ। परवरदिगार तुने जिस आफियत से मुझे ये खाना खिलाया है उसी आफियत के साथ इसे बाहर निकाल दे।

और जब तुम पाख़ाना से फारिग हो चुको तो यह दुआ पढ़ो :

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَمَاطَ عَنِّي الْأَذَى وَهَنَّا نِي مَسَاعٍ طَعَامِي وَشَرَابِي

अलहम्दो लिल्लाहिल लज़ी अमातः अन्नियल अज़ा व हन्नानी मसागः
तआमी व शराबी।

तर्जुमा : तमाम हम्दो सना उस खुदा के लिये है जिसने मेरी तकलीफ को दफा फरमाया और मेरे खाने पीने को आसान और मुबारक और खुशगवार बनाया।

गरज़ इन दुआओं में कोई मखसूस और वाजिब दुआ नहीं है यह तो एक उम्दा दुआ है। अगर कोई न भी पढ़े तो इसमें कोई हरज की बात नहीं है और कोई कमी या ज़्यादती कर ले तो भी कोई हर्ज नहीं है।

अइम्मा ताहिरीन^{अ.स.} ने पैशाब कर चुकने के बाद आला-ए-तनासुल को निचोड़ने का हुक्म दिया है ताकि इसके अंदर जो पैशाब बचा हुआ है वह बाहर निकल जाये और इसलिये भी कि वुज़ू से फारिग हो चुकने के बाद कहीं वह फिर बह न निकले। अगर इसमें से ज़रा सा भी बह निकले और इसके रोकने पर कुदरत न हो तो इसका भी वही हुक्म है जो मज़ी के सिलसिले में हम ऊपर बयान कर चुके हैं।

अइम्मा ताहिरीन^{अ.स.} ने हड्डी, मींगनी (छाने) और खाने की चीज़ों से इस्तिंजा करना मना फरमाया है। पथर, ढेले और कपड़े के टुकड़े और रूई वगैरह से इस्तिंजा करने में कोई हर्ज नहीं है। लेकिन इन चीज़ों से इस्तिंजा कर चुकने के बाद पानी से भी इस्तिंजा कर लेना चाहिये ताकि असल नजासत और उसकी बदबू बिल्कुल जाइल (खत्म) हो जाये।

वुज़ू के औसाफ का बयान

अइम्मा ताहिरीन^{अ.स.} ने हज़रत अली^{अ.स.} से रिवायत नक्ल की है कि आपने फरमाया है कि निय्यत के बग़ैर वुज़ू जाइज़ नहीं है और अगर किसी ने नमाज़ पढ़ने की गरज से बग़ैर निय्यत के वुज़ू कर लिया तो उसकी नमाज़ जाइज़ नहीं है। जैसे कि अगर कोई शख्स चार रकाअत नमाज़ पढ़े और नमाज़े जोहर की निय्यत न करे तो उसने नमाज़े जोहर अदा नहीं की। रसूले खुदा^{स.अ.व.} का इर्शाद है कि कोई अमल निय्यत के बग़ैर मकबूल नहीं और यकीन के बग़ैर कोई इबादत नहीं और तक्वा के बग़ैर कोई इज़्ज़त व करामत नहीं है।

अइम्मा ताहिरीन^{अ.स.} ने वुजू करते वक्त बिस्मिल्लाह पढ़ने का हुक्म दिया है। सादिक^{अ.स.} आले मोहम्मद^{अ.स.} फरमाते हैं कि जो शख्स वुजू करते वक्त अल्लाह का नाम लेता है तो अल्लाह तआला उससे उस वुजू को गुस्ल का दर्जा अता करता है और अगर कोई शख्स वुजू करते वक्त बिस्मिल्लाह पढ़ना भूल जाये तो उसका वुजू जाइज है।

हज़रत अली^{अ.स.} से रिवायत है आपने फरमाया कि जो भी मुस्लिम बंदा वुजू से फारिग होकर यह दुआ पढ़ता है :

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ
اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِنَ التَّوَّابِينَ وَاجْعَلْنِي مِنَ الْمُتَطَهِّرِينَ

सुब्हानकः अल्लाहुम्मः व बिहम्दिक्: अशहदो अन ला इलाहः इल्ला अन्तः अस्तगफिरुकः व अतूबो इलैकः अल्लाहुम्मज अलनी मिनत्तव्याबीनः वजअलनी मिनल मुततहहिरीन।

तर्जुमा : परवरदिगार तू पाक है तेरी हम्द व सताइश की कसम! मैं गवाही देता हूँ कि तेरे सिवा कोई और मअबूद नहीं है। मैं तुझसे मगफिरत का तालिब हूँ और तेरी बारगाह में तौबा करता हूँ बारे इलाहा तू मुझे तौबा करने वालों और पाकीज़ा लोगों में से बना दे।

इसकी पढ़ी हुई इस दुआ को एक वरक (कागज़) पर लिख कर मोहरबंद कर दी जाती है और अर्श के नीचे इसे रख दिया जाता है। यहां तक कि क़्यामत के दिन इसको यह वरक मोहरबंद हालत में दे दिया जायेगा।

इमाम जअफरुस्सादिक^{अ.स.} से रिवायत है आपने फरमाया कि जब तुम वुजू करो तो यह दुआ पढ़ो :

بِسْمِ اللَّهِ وَعَلَى مِلَّةِ رَسُولِ اللَّهِ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ
أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ، وَرَسُولُهُ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ

बिस्मिल्लाहि व अला मिल्लति रसूल ल्लाहि अशहदो अन ला इलाहः इल्लल्लाहो वहदहू ला शरीकः लहू व अशहदो अन्तः मोहम्मदन अब्दुहू व रसूलुहू सल्लल्लाहो अलैहि व आलिही।

तर्जुमा : अल्लाह तआला के नाम से और रसूले खुदा^{स.अ.व.} की मिल्लत पर मैं इस बात की शहादत देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई और मअबूद नहीं है वह एकता (एक) है। उसका कोई शरीक नहीं है। मोहम्मद रसूलल्लाह^{स.अ.व.} अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। आप पर आपकी आल पर दुरुद व सलाम।

पस यह दुआएं भी वैसी ही है जैसी कि बैतुल खलाअ में दाखिल होते वक़्त पढ़ी जाती हैं जिनका कि हमने ऊपर ज़िक्र किया है। इनमें से न तो कोई दुआ मखसूस है और न कोई लाज़मी है। अलबत्ता पढ़ने में सवाब है और इसकी तरगीब दी गई है।

अइम्मा ताहिरीन^{अ.स.} ने फरमाया है कि बर्तन में हाथ डालने से पहले दाहिने हाथ को धो लेना चाहिये। अगर हाथों में नजासत लगी हुई है तो धोना वाजिब है और अगर नहीं लगी हुई है तो यह अम्र महज़ तरगीबी है।

अगर किसी ने दाहिने हाथ को जो साफ और पाक है बर्तन में डाल दिया तो इससे उसका वुजू फासिद (ग़लत) न होगा। इस सिलसिले में अहलेबैते रसूल^{अ.स.} से ब-कसरत रिवायतें आई हैं जिनका ज़िक्र तवील है। जो कुछ हमने यहां लिख दिया है पस वही साबित और सही है।

इमाम जअफरुस्सादिक^{अ.स.} से रिवायत है कि इस्तिंजा, पाखाना, पैशाब के रास्ते — — — से हवा के सिवा कोई और चीज़ खारिज हो तो इस्तिंजा वाजिब व लाज़िम है। हवा छूटने पर इस्तिंजा वाजिब नहीं है। अगर हवा खारिज होने पर कोई इस्तिंजा करे तो यह तहारत और पाकीज़गी का इस्तिंजा होगा। अगर कोई शख्स महज़ फज़ल व सवाब के लिये हवा खारिज होने पर इस्तिंजा करे इस ख्याल से नहीं कि इस्तिंजा करना वाजिब है तो यह बेहतर हैं।

अइम्मा ताहिरीन^{अ.स.} और हज़रत अली^{अ.स.} से रिवायत है आपने फरमाया कि पत्थर या ढेले से इस्तिंजा कर चुकने के बाद पानी से इस्तिंजा करने का बयान कुरान पाक में मौजूद है। अल्लाह तआला का इर्शाद है कि :

• إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ

इन्ल्लाह: युहिब्बुत तव्वाबीन: व युहिब्बुल मुततहहिरीन 0 2-2/222

तर्जुमा : अल्लाह तआला तौबा करने वालों और पाकीज़ा रहने वालों को दोस्त रखता है। पाकीज़गी और तहारत हुस्न सीरत व अखलाक की दलील

है नजासत दूर करना निहायत ज़रूरी है। नजासत को बाकी रखना किसी के लिये भी जाइज़ और दुरुस्त नहीं है।

अमीरुल मुमिनीन^{अ.स.} फरमाते हैं कि एक मर्तबा रसूले अकरम^{स.अ.व.} से एक ऐसी औरत के मुताल्लिक पूछा गया जो बैतुल खलाअ में दाखिल हुई और उसने पानी के अलावा किसी और चीज़ से इस्तिंजा किया। आपने फरमाया कि पानी के सिवा किसी और चीज़ से पाखाना के बाद इस्तिंजा करना जाइज़ और दुरुस्त नहीं है हालांकि पानी मौजूद न हो तो किसी और चीज़ से इस्तिंजा किया जा सकता है।

हज़रत अली^{अ.स.} फरमाते हैं कि यह सुन्नत है कि पानी से इस्तिंजा करते वक़्त फरज (शर्मगाह) से इब्तिदा की जाये और निचले हिस्से तक साफ किया जाये। दोनों मख़रज को एक साथ जमा न किया जाये और दाहिने हाथ से इस्तिंजा करना मकरूह है अलबत्ता अगर कोई ख़ास वजह हो तो ऐसा किया जा सकता है।

इमाम जअफरुस्सादिक^{अ.स.} और इमाम बाकिर^{अ.स.} से रिवायत है दोनों हज़रात ने इस्तिंजा का ज़िक्र करते हुए फरमाया है कि जब तुम इस्तिंजा से फारिग हो चुको तो अपने हाथ धोओं इसके बाद अइम्मा ताहिरीन^{अ.स.} ने कुल्ली करने और नाक में पानी डालने का हुक्म दिया है अंगूठे और तस्बीह की उंगली से दांतों को साफ करना चाहिये। अइम्मा ताहिरीन^{अ.स.} फरमाते हैं कि ऐसा करना मिस्वाक की जगह पर काफी है इसकी तरगीब दी गई है। कुल्ली करना और नाक में पानी डालना इनके नज़दीक वुज़ू नहीं है। इसलिये कि इसका तज़क़िरा अल्लाह तआला ने नहीं किया है अलबत्ता रसूले खुदा^{स.अ.व.} ने यह कहा है लिहाज़ा कुल्ली करना, नाक में पानी डालना दोनों सुन्नत है उनको क़सदन तर्क न करना चाहिये। और न इनको मामूली समझना चाहिये। अगर भूल या ला-इल्मी की बिना पर किसी ने छोड़ दिया तो उस पर वुज़ू का इआदा इस तरह वाजिब नहीं है जिस तरह से कि इन चार अज़ा (अंगों) हाथ, मुंह, सर और पैर पर जिनके धोने और मसाह करने का हुक्म अल्लाह तआला ने दिया है। अगर किसी ने इनको छोड़ दिया तो उस पर फिर से वुज़ू करना वाजिब होता है। अगर किसी ने एक ही मर्तबा कुल्ली की और नाक में पानी डाला तो यह जाइज़ व दुरुस्त है। अइम्मा ताहिरीन^{अ.स.} ने कुल्ली करने और नाक में पानी डालने के बाद मुंह को पैशानी से लेकर टुड्डी तक चेहरे के दोनों जानिब धोने का हुक्म दिया है। आंखों में ख़ूब पानी डालना चाहिये और मुंह को अच्छी तरह पानी से धोना चाहिये

और दोनों हाथों से चेहरे को खूब मसलना चाहिये। अगर तीन मर्तबा धोया जाये तो यह अपज़ल है और अगर उम्दा तरीके से एक या दो मर्तबा धो लिया जाये तो भी काफी होगा। अगर एक मर्तबा उम्दगी के साथ न धोया जाये तो तीन मर्तबा का धो लेना काफी न होगा। अइम्मा ताहिरीन^{अ.स.} ने दाढ़ी में ख़िलाल करने का भी हुक्म दिया है दाढ़ी के अंदर उंगलियों को डालकर ख़िलाल करना चाहिये। ताकि पानी चमड़ी तक बराबर पहुँच जाये। यह महज़ अग्रे तरगीबी है और इसमें फज़ल व सवाब है। अगर किसी ने दाढ़ी में ख़िलाल नहीं किया और उसको सिर्फ पानी से तर कर लिया तो इतना ही काफी है।

वुजू करते वक़्त दाहिने हाथ धोना चाहिये फिर बायां हाथ इसी तरह पहले दाहिने पैर पर फिर बाया पैर पर मसाह करना चाहिये। अगर किसी ने बायां हाथ धो डाला फिर उसने दाहिना हाथ धोया तो इस सूरत में उसको बाया हाथ फिर धोना चाहिये। इसका हुक्म दिया गया है। अमदन वुजू को बायें हाथ या बायें पैर से न शुरू करना चाहिये। अगर कोई न जानता हो या भूल गया हो और उसने नमाज़ भी पढ़ ली है तो इसकी नमाज़ फासिद न होगी।

अइम्मा ताहिरीन^{अ.स.} ने दोनों हाथों को कोहनियों तक तीन या दो मर्तबा धोने का हुक्म दिया है। अगर किसी ने एक ही मर्तबा अच्छी तरह से धो लिया तो जाइज़ है और तीन मर्तबा का धो लेना ही काफी न होगा जब तक उनमें से एक मर्तबा अच्छी तरह न धोया जाये और दोनों हथेलियों को दोनों हाथों पर कोहनियों समेत मसलना चाहिये। क्योंकि अल्लाह तआला ने इलल मराफिक कोहनियों तक हाथों को धोने का हुक्म दिया है। यहां पर इला तक के मअनी में नहीं बल्कि मअ यानि साथ या समेत के मअनी में इस्तेमाल हुआ है जैसा कि इस आयत करीमा में इला बिमअनी मअ के इस्तेमाल हुआ है।

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ

वला तअकुलू अमवालहुम इला अमवालिकुम 4-4/2।

तर्जुमा : और इनके माल अपने मालों में मिलाकर न खाओ।

अइम्मा ताहिरीन^{अ.स.} ने वुजू करते वक़्त अगर हाथ में अंगूठी हो तो उसको घुमाने का हुक्म दिया है ताकि पानी अंगूठी के निचले हिस्से तक पहुँच जाये। इसके बाद सर के अगले और पिछले हिस्सों को मसाह करने

का हुक्म दिया है। मसाह करते वक्त पहले सर के बीच से शुरू किया जाये और पेशानी के बाल तक खत्म किया जाये। फिर सर के बीच से सर के पिछले हिस्से तक मसाह किया जाये। इसके बाद अंदर और बाहर से दोनों कानों का मसाह किया जाये। और फिर गर्दन का एक मर्तबा मसाह किया जाये। अगर किसी ने महज़ फज़ल व सवाब की निय्यत से तीन मर्तबा मसाह कर लिया यह न समझते हुए कि इसके सिवा जाइज़ ही नहीं है तो फिर तीन मर्तबा करना बेहतर है।

इसके बाद अइम्मा ताहिरीन^{अ.स.} ने दोनों पैरों पर मसाह करने का हुक्म दिया है जैसा कि इस आयत करीमा में अल्लाह तआला का इर्शाद है :

فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ

फगसिलू वुजूहकुम व एदियःकुम इलल मराफिकि वमसहू बिरुऊसिकुम व अरजुलिकुम इलल कअबैन 6-5/6

तर्जुमा : अपने मुंह और कोहनियों तक हाथ धो लिया करो और अपने सर का और टखनों तक पैरों का मसाह कर लिया करो जो लोग इस आयत में अरजुलिकुम के लाम का ज़ेर पढ़ते हैं वह वमसहू पर अतुफ (मेहरबानी) मानते हैं और यही अहले बैत रसूल^{अ.स.} की भी किराअत है और अवाम में से उन लोगों की भी यही किराअत है जो इस मसअले में अहले बैत^{अ.स.} के मुवाफिक व हमख्याल हैं।

इमाम बाकिर^{अ.स.} से जब दोनों पैरों पर मसाह करने के मुताल्लिक दरयाफ्त किया गया तो आपने फरमाया कि इसका हुक्म कुरान पाक में मौजूद है। वह इस तरह से है कि अल्लाह तआला ने उस शख्स पर तयम्मुम वाजिब करार दिया है जिसको पानी न मिलता हो और तयम्मुम का तरीका यह है कि मुंह और दोनों हाथों पर मसाह कर लिया जाये। इस सूरत में खुदा वन्दे तआला ने मसाह के दोनों अज़ू यानि सर और पैर को खारिज रखा है। वुजू और तयम्मुम के इस फर्क से मालूम हुआ कि पानी से वुजू करते वक्त सर और पैर का मसाह करना चाहिये और तयम्मुम में इनका मसाह जाइज़ नहीं है। आप^{अ.स.} ने इस मसअले पर निहायत वज़ाहत के साथ रोशनी डाली थी। जिसे हमने यहां इख्तिसार के साथ पेश किया है। अगर किसी ने फज़ल व सवाब की ख़ातिर दोनो पैरों को महज़ तहारत की गरज़ से धो डाला है और उंगलियों में ख़िलाल कर लिया तो उसने बहुत

अच्छा किया। ऐसा करना पाकीज़गी और तहारत के लिये काफी है लेकिन इसे ऐसा फर्ज़ न समझना चाहिये कि जिसके बगैर वुज़ू जाइज़ ही नहीं होता। अइम्मा ताहिरीन^{अ.स.} से रिवायत है कि पैरों पर सिर्फ़ मसाह कर लेना काफी है और इसी पर अल्लाह के हुक्म के मुताबिक़ वुज़ू का खातमा है। अइम्मा ताहिरीन^{अ.स.} ने यह हुक्म दिया है कि अल्लाह तआला ने जिस अज़ू को वुज़ू में मुक़द्दम (पहले) रखा है उसको बाद में न करना चाहिये। और जिस अज़ू को बाद में रखा है उसको मुक़द्दम न करना चाहिये। संडास और पैशाब से इस्तिंजा कर चुकने के बाद वुज़ू की इब्तिदा उस अज़ू से करनी चाहिये जिसका ज़िक्र अल्लाह तआला ने आयते करीमा में पहले किया है। हमने वुज़ू की तरतीब का ज़िक्र पहले कर दिया है। लिहाज़ा वुज़ू की तरतीब यह है कि इस्तिंजा के बाद मुंह और दोनों हाथों को धोना चाहिये। इसके बाद सर और दोनों पैरों पर मसाह करना चाहिये। अगर किसी ने दोनों पैरों को धो लिया तो बेहतर है लेकिन सिर्फ़ दोनों पैरों को धो लेना यानि उन पर पानी बहाना ही काफी नहीं है। बल्कि दोनों पैरों पर अपने हाथों से मसाह भी करना चाहिये। अगर किसी ने उन अअज़ा को पहले धो लिया जिनको अल्लाह तआला ने बाद में किया था फिर उसने उन अअज़ा को धोया जिनको मुक़द्दम किया था तो उस सूरत में वुज़ू फिर से करना चाहिये। लेकिन किसी ने भूल और ला-इल्मी की वजह से नमाज़ पढ़ ली तो उस सूरत में उसकी नमाज़ इस तरह बातिल न होगी जिस तरह कि हमने दाहिने अअज़ा पर बायें अअज़ा को मुक़द्दम करने के बयान में लिखा है।

अइम्मा ताहिरीन^{अ.स.} का इर्शाद है कि रह रहकर वुज़ू न करना चाहिये (यानि हाथों को तो धो लिया फिर घंटे आधे घंटे के बाद मुंह धोया) बल्कि वुज़ू तो एक ही वक़्त में पूरा करना चाहिये। ऐसा नहीं कि कुछ वुज़ू तो अभी कर लिया और कुछ वुज़ू दूसरे वक़्त पर छोड़ दिया। ऐसा क़सदन न करना चाहिये। अगर वुज़ू की तकमील में किसी को कोई दखल पेश आ गया और फिर उसने छोड़े हुए वुज़ू को फिर पूरा करने का इरादा किया तो उस पर वाजिब है कि फिर से वुज़ू करे। अगर उसको इस बात का इल्म नहीं था और उसने जहां से वुज़ू छोड़ा था वही से वुज़ू पूरा करके नमाज़ पढ़ ली तो उस सूरत में वुज़ू के इआदे (वालना) का हुक्म नहीं है। उसकी नमाज़ का वही हाल है जो हमने अअज़ा को मुक़द्दम व मुअख़िख़र करने के बयान में लिखा है। यानि इसकी नमाज़ फासिद न होगी।

अइम्मा ताहिरीन^{अ.स.} ने कामिल तौर से वुजू करने की तरगीब दी है और वुजू की खुसूसियात की माअरिफत (पहचान) के बगैर कामिल वुजू का इनहिसार पानी की कसरत पर नहीं है बल्कि जिसको अच्छी तरह वुजू करना आता है वह थोड़े पानी से भी अच्छी तरह वुजू कर लेता है और जिसको अच्छी तरह वुजू ही करना नहीं आता वह ज़्यादा पानी होने के बावजूद अच्छी तरह वुजू नहीं कर पाता है। वुजू और गुस्ल के लिये पानी की कोई हद मुकर्रर नहीं है। लेकिन इतना ज़रूर है जो अअज़ा वुजू में ६ गोए जाते हों उन पर पानी डाल कर हाथों को फेरना और मसलना चाहिये। और जिन अअज़ा पर मसाह किया जाता है उन पर इस तरह मसाह करना चाहिये कि जिस कद्र मुमकिन है पानी का असर पहुँच जाये।

इमाम बाकिर^{अ.स.} फरमाते हैं कि मसाह का बयान खुदा की किताब कुरान हकीम में मौजूद है। अल्लाह तआला का इर्शाद है कि :

وَأَمْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ

वमसहू बिरुऊसिकुम व अरजुलिकुम इलल कअबैन 6-5/6

तर्जुमा : और अपने सरो का और टखनों तक पाऊँ का मसाह कर लिया करो।

बिरुऊसिकुम में जो हरफ “बे” है उससे मालूम होता है कि मसाह सर के बअज़ ही हिस्से पर वाजिब है। जैसा कि अल्लाह तआला ने तयम्मुम के सिलसिले में फरमाया है कि

فَأَمْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ

फमसहू बिबुजूहिकुम व एदियःकुम मिन्हो 6-5/5 तर्जुमा : दोनो हाथ मारकर उससे (मिट्टी से) अपने मुंह और हाथों का मसाह कर लो। तयम्मुम में चेहरे और हाथों के बअज़ हिस्से पर मसाह करने की क़ैद अल्लाह तआला ने इसलिये लगाई है कि उसे मालूम था कि मिट्टी की गर्द पूरे चेहरे और हाथों पर क्यों कर लगाई जा सकती है इसलिये तो परवरदिगारे आलम ने

بِرُءُوسِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ

बिबुजूहिकुम व एदियःकुम मिन्हो फरमाया है। पस ठीक इसी तरह वुजू करते वक़्त सर और दोनो पैरों के कुछ हिस्से पर मसह किया जाता है।

अइम्मा ताहिरीन^{अ.स.} का इर्शाद है कि जिसका हाथ कटा हुआ हो उसको चाहिये कि जहां से हाथ कटा हुआ है उसे धोए। अगर किसी अज़ू

में बीमारी है और उसको धोने से मज़रत (तकलीफ़) पहुंचेगी तो वह न धोए। अगर उस अज़ू पर कपड़े या लकड़ी की पट्टी बांधी हुई हो तो उस पर मसह कर लेना चाहिये। अइम्मा ताहिरीन^{अ.स.} का इस बात पर पूरा इत्तेफ़ाक़ है कि वाजिब वुजू में मोज़ों के ऊपर से मसह करना जाइज़ नहीं है अल्लाह तआला ने तो पैरों के मसाह का हुक्म दिया है न कि मौज़ों पर मसह करने का लिहाज़ा पैरों पर ही मसह करना चाहिये।

इमाम जअफ़रुस्सादिक़^{अ.स.} ने फरमाया है कि तकिय्य: मेरा और मेरे बाप दादा का दीन व मज़हब है। लेकिन इन तीन बातों में तकिय्य: करना जाइज़ नहीं है। नशा आवर चीज़ों के पीने में और मोज़ों पर मसह करने में और नमाज़ में “बिस्मिल्लाहि र्हमानि र्हीम” बुलंद आवाज़ से पढ़ना तर्क कर देने में।

अइम्मा ताहिरीन^{अ.स.} फरमाते हैं कि जिसका यह अक़ीदा हो कि मोज़ों पर मसह कर लेना जाइज़ है तो उसके नीचे नमाज़ पढ़ना दुरुस्त नहीं है। क्योंकि वह बग़ैर तहारत (यानि बग़ैर वुज़ू) के नमाज़ पढ़ायेगा और यह तो एक कुल्लिया है कि अगर किसी ने वुज़ू के मखसूस अअज़ा में से किसी एक भी अज़ू को छोड़ दिया तो उसका वुज़ू नहीं हुआ और जिसका वुज़ू ही कामिल न होगा उसकी नमाज़ भी न होगी। लिहाज़ा ऐसे शख्स के नीचे जो भी नमाज़ पढ़ेगा उसकी भी नमाज़ न होगी। अलबत्ता मोज़ों पर उस वक़्त मसह जाइज़ है जबकि पैरों में कोई ऐसी बीमारी हो कि पानी लगने से मानेअ हो उस सूरत में बवजह ज़रूरत मोज़ों पर मसह कर लेना जाइज़ है। यह वैसे ही है जैसे हमने कपड़े की पट्टी और लकड़ी के पट्टे पर मसह करना जाइज़ लिखा है और कोई ऐसा शख्स जो पहले से बा-वुज़ू है और उससे कोई हदस नहीं हुआ है मगर उसने फज़ल व सवाब के लिये वुज़ू की तजदीद को पसंद किया तो इस हाल में उस पर कोई वुज़ू वाजिब नहीं है अगर वह कुछ अअज़ा धोए और कुछ न धोए तो उसमें कोई हर्ज नहीं है।

इमाम हुसैन^{अ.स.} से मनकूल है कि एक मर्तबा आपसे राहे सफ़र में मसह करने के बारे में पूछा गया। आपने उस वक़्त तो कोई जवाब नहीं दिया। लेकिन जब दूसरी मंजिल पर पहुँचे तो साइल भी हमराह था। उस मक़ाम पर पानी भी मौजूद था। आप वहां उतरे और वुज़ू फरमाया। उस वक़्त आपने अमामा और दोनो मोज़ों पर मसह किया और फरमाया कि यह उस शख्स का वुज़ू है। जिसने कोई हदस न किया हो (यानि जिसका वुज़ू न टूटा हुआ हो वह ऐसा कर सकता है।)

अइम्मा ताहिरीन^{अ.स.} ने अमामा, दुपट्टा, टोपी, मौज़ा, दस्ताना (औरतो के हाथो और पैरो का जेवर) और जूतों पर मसाह करने से मना फरमाया है। अलबत्ता अगर कोई ऐसी चप्पल हो कि जिससे दोनों पैरों पर मसाह करने में कोई चीज़ हाईल न हो तो मसह करना जाइज़ है। और अगर किसी अजू में कोई ऐसी बीमारी हो कि उस पर पानी लगने से मज़रत का अंदेशा हो तो उस पर मसाह करना जाइज़ है। उसकी सूरत वही है जो हमने टूटे हुए हाथों पर कपड़े के पट्टे व लकड़ी के पट्टे पर मसाह करने का ऊपर ज़िक्र किया है।

पानी का बयान

कुरान पाक मे अल्लाह तआला का इर्शाद है कि :

وَ أَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا •

व अन्ज़लना मिनस समाइ माअन तहूरा 0 19-25/48

तर्जुमा : और हम ही ने तो आसमान से बहुत पाक और साफ—सुथरा पानी बरसाया और दूसरे मकाम पर इर्शाद है कि :

وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً لِّيُطَهِّرَ كُمْ

व युनज़िलो अलैकुम मिनस समाइ माअन्ल लियुतहहिरःकुम 9-8/11

तर्जुमा : और तुम पर पानी बरसा रहा था ताकि उससे तुम्हे पाक और पाकीज़ा कर दे और अल्लाह तआला ने यह भी फरमाया कि :

فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا

फलम तजिदू माअन फतयम्मू सईदन तय्यैबन 6-5/6

तर्जुमा : और तुमको पानी न मिल सके तो पाक मिट्टी से तयम्मूम कर लो।

इमाम जअफरुस्सादिक^{अ.स.} और तमाम अइम्मा ताहिरीन^{अ.स.} और रसूले खुदा^{स.अ.व.} से मनकूल है आंहज़रत^{स.अ.व.} ने फरमाया कि पानी खुद पाकीज़ा बनाता है उसको पाक नहीं किया जा सकता। आपने समुद्र का ज़िक्र करते हुए फरमाया कि उसका पानी पाक है और उसका मुरदार हलाल है। हज़रत अली^{अ.स.} से रिवायत है आपने फरमाया कि जिसे दरिया पाक न कर सके वह कभी पाक नहीं हो सकता। आपने उस बहते हुए पानी के

मुताल्लिक़ फरमाया जिसके अंदर मुरदार और गलाज़त और खून बहते हों। आपने फरमाया कि इससे वुज़ू किया जा सकता है और उसका पानी पिया जा सकता है जब तक कि इस पानी का रंग और मज़ा और बू न बदल जाये उसे कोई चीज़ नापाक नहीं कर सकती है। अमीरुल मुमिनीन^{अ.स.} ने यह भी फरमाया है कि कोई चीज़ पानी को नापाक नहीं बनाती है।

इमाम जअफरुस्सादिक़^{अ.स.} से रिवायत है आपसे मस्जिद के उस होज़ के बारे में पूछा गया जिसमें हैज़दार औरत और नाबालिग़ बच्चे हाथ डालते हैं क्या उस पानी से वुज़ू किया जा सकता है? आप^{अ.स.} ने फरमाया कि उस होज़ के पानी से वुज़ू किया जा सकता है क्योंकि कोई चीज़ पानी को नापाक नहीं बनाती है। आपसे ऐसे तालाब के बारे में पूछा गया जो गांव के आसपास होते हैं। उसमें आलूदगी होती है और बच्चे पैशाब करते हैं चौपाए भी बोल व बराज़ करते हैं। सादिक़ आले मोहम्मद^{अ.स.} ने फरमाया कि अगर उन सब बातों से तुम्हारे अपने दिल में खटक (अंदेशा) हो तो इस तरीके से पानी को हरकत दे कर वुज़ू कर लो। आपने अपने दस्त मुबारक से इशारा फरमाकर बताया। इसके बाद आपने फरमाया कि दीन तंग नहीं है। अल्लाह तआला का इर्शाद है कि :

وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ

वमा जअल: अलैकुम फिद्दीनि मिन हर:जिन 17-22/78।

तर्जुमा : और उमूरे दीन में तुम पर किसी तरह की सख़्ती नहीं की। आपसे पूछा गया कि अगर तलाब में कोई चीज़ मर जाये तो? आपने फरमाया कि अगर पानी ग़ालिब हो यानि उसके पानी में किसी किस्म की बदबू न पैदा हो तो वुज़ू किया जा सकता है।

आपसे ऐसे तलाब के बारे में पूछा गया जिसमें चौपाए पैशाब करते हैं और कुत्ते उसमें मुंह डालते हैं। जनाबतदार मर्द और औरतें और हैज़दार औरत गुस्ल करते हैं? आपने फरमाया कि अगर इस तालाब का पानी एक कर (यानि सात सो बीस साअ) (एक किस्म का पैमाना) की मिकदार में हो तो उसे कोई चीज़ नापाक नहीं कर सकती है।

एक मर्तबा इमाम जअफरुस्सादिक़^{अ.स.} से ऐसे तालाब के बारे में पूछा गया जिसमें चौपाए बौल व बराज़ करते हैं और जनाबतदार मर्द और हैज़दार औरत गुस्ल करते हैं। क्या उस पानी से वुज़ू किया जा सकता है? आपने फरमाया कि उस तालाब के पानी से वुज़ू करने में कोई हर्ज नहीं है

क्योंकि एक मर्तबा रसूल^{स.अ.व.} खुदा अपने असहाब के हमराह एक सफर में एक तालाब के पास खड़े थे और उस तालाब में आपके असहाब के घोड़े और चौपाए बोल व बराज करते थे। उसके बावजूद आपके असहाब उसमें गुस्ल करते थे और उससे वुजू भी करते थे और उसका पानी पीते भी थे। इमाम जअफरुस्सादिक^{अ.स.} से रिवायत है आपने फरमाया है कि जब पानी दो गज चौड़ा, दो गज लम्बा और दो गज गहरा हो फिर दो गज लम्बाई और दो गज चौड़ाई के साथ जर्ब (गुणा) दिया जाये और इसको दो गज गहराई के साथ जर्ब दिया जाये तो इस हिसाब से जब पानी आठ ज़िराअ हो तो वह किसी चीज़ से नापाक नहीं होता है। इससे मुराद अइम्मा ताहिरीन^{अ.स.} की कुल पानी से है और थोड़े पानी की मिक्दार के मुताल्लिक फरमाया है कि जब तक पानी ग़ालिब हो यानी उसमें नजासत का असर नुमाया न हो तो ऐसे पानी को वह जारी पानी समझा जायेगा जिसे अल्लाह और उसके रसूल ने तहारत के लिये मुबाह करार दिया है। अगर पानी पर नजासत ग़ालिब हो जाये यानि रंग और पानी का मज़ा और उसकी बू में फर्क पैदा हो जाये तो वह नापाक है। उस पानी को वैसा ही पानी समझा जायेगा जिस पर नजासत ग़ालिब आ चुकी है। इमाम जअफरुस्सादिक^{अ.स.} से रिवायत है आपने फरमाया है कि अगर जनाबतदार ऐसे पानी के पास से गुज़रे जिसमें मुरदार है तो अगर उस पानी का रंग, मज़ा और बू में फर्क पैदा हुआ हो तो उसके पानी को न तो पियें न उससे वुजू करें न गुस्ल करें।

यह हुक्म उस पानी के लिये है जो नजासत की वजह से बदल गया हो लेकिन अगर ज़्यादा दिनों का होने की वजह से या उसमें घास वगैरह उग आने की वजह से कि जो नजासत नहीं है उस पानी का रंग या मज़ा बदल गया तो वह पानी पाक है।

पानी तो महज़ नजासत की वजह से नापाक होता है इसी तरह अगर कुए में कोई जानवर गिर कर मर जाये और पानी का रंग, मज़ा और बू बदल जाये तो उस कुए से इतना पानी निकाल देना चाहिये कि पानी में जो तबदीली हो गई थी वह दूर हो जाये और पानी अपनी असल हालत पर आ जाये। और इसमें नजासत ज़रा भी नुमायां न हो तो उस वक़्त वह पानी पाक है।

इमाम जअफरुस्सादिक^{अ.स.} और अइम्मा ताहिरीन^{अ.स.} से रिवायत है आपने फरमाया कि इसी तरह से वह पानी भी है जिसमें कुत्तें और दरिंदे और चौपाए दाख़िल होते हैं।

इमाम जअफरुस्सादिक^{अ.स.} और आपके आबा-ए-किराम^{अ.स.} से मनकूल है कि रसूले खुदा^{स.अ.व.} से रिवायत है कि आपसे ऐसे पानी के मुताल्लिक पूछा गया जिसमें कुत्तों, दरिंदे और चौपाए दाखिल होते हैं। तो आपने फरमाया कि उन जानवरों ने जो कुछ अपने मुंह में उठा लिया वह उनका हो गया। तुम्हारे लिये तो वह पानी है जो बाकी रह गया है। यह इस सूरत में हो सकता है जबकि पानी की असलियत ग़ालिब हो लेकिन अगर जानवरों का लुआब (थूक) पानी पर ग़ालिब आ जाये और वह पानी में नुमाया हो तो वह पानी नापाक है और वह उस पानी की तरह है जिसमें नजासत ग़ालिब आ चुकी है।

इसी तरह अइम्मा ताहिरीन^{अ.स.} से रिवायत है कि बिल्ली, चूहे और यहूदी व नसारा और मजूसी के मुंह का झूठा उस पानी की तरह है जिसमें जानवरों, कुत्तों और बहाइम ने पिया है, हैज़दार औरत व जनाबतदार मर्द के मुंह और हाथ लगाई हुई चीज़ के खाने में रूखसत दी गई है और ऐसे कुंए जिनसे मुत्तसल (साथ) मोरी (गुस्लखाना) हो या पाखाना की नाली हो और उसका पानी कुंए में जा गिरने से रंग वगैरह बदल जाता हो तो पानी गंदा हो जाता है। अगर उस कुंए से उतनी मिक्दार में पानी बाहर निकाल दिया जाये कि जिससे पानी का तगय्युर दूर हो जाये तो वह पाक है और जब फिर उसमें नापाक पानी चला जाये तो फिर नापाक हो जाता है। इन तमाम सूरतों में एक ही हुक्म है और उनकी एक ही असल है। पानी पाक है जैसा कि अल्लाह तआला ने फरमाया है लेकिन अगर इसमें नजासत पड़ जाये तो उसका हुक्म वही है जो उस पानी का है जिसमें नजासत ग़ालिब है। अगर वह नजासत दूर हो जाये तो वह पानी पाक है। पानी के मसअले में उन बातों के सिवा कोई दूसरी बात सही नहीं है। पानी के बारे में मुनाज़िरा हो कि वह पानी जिसमें नजासत है उससे हर वह चीज़ नापाक हो जाती है जिससे वह नजासतदार पानी लग जाता है। तो मालूम होना चाहिये कि हमने जो ऊपर कहा है वह ही सही है। इस बारे में बकसरत दलाइल व मिसालें हैं जिसे हमने मुख्तसर करने के लिहाज़ से हज़फ कर दिया है।

गुस्ल का बयान

अल्लाह तआला का इर्शाद है कि :

وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا

व इन कुनतुम जुनुबन फत्तहहरू 6-5/6।

तर्जुमा : अगर तुम हालत जनाबत में हो तो गुस्ल कर लो। खुदा की किताब से यह बात साबित है कि जनाबत का गुस्ल वाजिब है और इस पर तमाम मुसलमानों का इत्तेफाक है।

हज़रत अली^{अ.स.} से रिवायत है आपने फरमाया है कि अगर कोई जनाबतदार जनाबत का गुस्ल करते वक़्त जनाबत के गुस्ल की निय्यत न करे तो दसो मर्तबा भी गुस्ल करेगा तो यह गुस्ल उसके लिये काफी न होगा। अइम्मा ताहिरीन^{अ.स.} से रिवायत है जनाबत के गुस्ल के मुताल्लिक़ फरमाते हैं कि सबसे पहले वुजू करना चाहिये जैसा कि हमने पहले लिखा है और फरज (शर्मगाह) पर लगी हुई नापाकी को दूर करना चाहिये। फिर पूरे जिस्म पर पानी डाला जाये। और जहां तक दोनों हाथ पहुँच सकते हों पहुँचाया जाये। जिस्म में कोई ऐसी जगह न रह जाये जहां पानी न पहुँचा हो। साथ ही साथ हाथ को भी जिस्म पर फेरा जाये। बालों को भिगौया जाये और बदन को साफ़ कर लिया जाये। गुस्ल के लिये कोई पानी की मिक्दार मुकरर नहीं है जैसाकि हमने वुजू के बाब में लिखा है। लेकिन अगर किसी ने तमाम बदन पर पानी डाल लिया और उस पर हाथ फेरा और मैल को साफ़ किया बालों को तर किया। यहां तक की पानी चमड़ी को लग गया और उससे क़ब्ल उसने वुजू भी कर लिया तो उस सूरत में वह पाक व साफ़ है। अइम्मा ताहिरीन^{अ.स.} से यूं तो गुस्ल के मुताल्लिक़ बहुत सी रिवायत आई हैं। लेकिन यह रिवायत असल मक़सूद व मुराद है। अइम्मा ताहिरीन^{अ.स.} ने उस जनाबतदार के मुताल्लिक़ फरमाया है जो पानी में गोते लगाता है और उसकी निय्यत गुस्ल की है साथ ही साथ उसने गुस्ल के तमाम मज़कूरा बातों को अंजाम भी दिया है तो उस हाल में वह पाक व साफ़ होगा।

फर्ज और सुन्नत के गुस्ल का बयान

फर्ज व वाजिब गुस्ल यह है :

1. जनाबत का गुस्ल 2. हैज का गुस्ल 3. नफास (जच्चा-बच्चा) का गुस्ल 4. काफिर का गुस्ल जब वह इस्लाम कबूल करे, 5. पागल और बेहोश आदमी का गुस्ल जब वह होश में आ जाये, 6. नजासत में लोट-पोट हो जाने का गुस्ल 7. मय्यत का गुस्ल।

सुन्नत के गुस्ल यह है :

(1) जुम्मा के दिन गुस्ल करना, (2) ईद-उल-फितर का गुस्ल (3) ईद-उल-अदहा का गुस्ल (4) अहराम बांधने का गुस्ल (5) हरम शरीफ (6) काबा और (7) मदीने में दाखिल होने का गुस्ल (8) अरफा के दिन का गुस्ल (9) रमजान की उन्नीसवीं (10) इक्कीसवीं (11) तेइसवीं रात गुस्ल। इन रातों में मगरिब की नमाज पढ़ने के बाद गुस्ल करना चाहिये। यह मुस्तहिब है और इस की तरगीब दी गई है कि इन तीनों रातों को इबादत में गुज़ारा जाये, (12) मय्यत को नहलाने वाला नहलाने के बाद खुद गुस्ल करे।

अमीरुल मुमिनीन^{अ.स.} से रिवायत है आपने फरमाया कि एक मर्तबा कुछ औरतें रसूले अकरम^{स.अ.व.} की ज़ोजा (बीवी) के पास आईं और उनसे कुछ अपने बारे में बयान किया। उन ज़ोजा ने रसूले अकरम^{स.अ.व.} की खिदमत में इस बात को पेश किया कि ए रसूले खुदा^{स.अ.व.} यह औरतें आपसे कुछ ऐसी बातें दरयाप्त करना चाहती हैं जिनके बयान करने से इन्हे शर्म आती है। आप^{स.अ.व.} ने फरमाया कि वह जो चाहे पूछ सकती हैं। क्योंकि अल्लाह को हक़ बात कहने में कोई शर्म व हिजाब नहीं है। उन्होंने कहा कि यह औरतें कहती हैं कि अगर कोई औरत ख़्वाब में वही देखे जो कि एक मर्द देखता है। यानी एहतलाम करता है तो क्या उस औरत पर भी गुस्ल करना वाजिब है। आपने फरमाया कि हां उस पर गुस्ल वाजिब है। औरत को भी मर्द की ही तरह पानी निकलता है लेकिन अल्लाह तआला ने औरत के पानी को पोशिदा रखा और मर्द के पानी को अयां (ज़ाहिर) कर दिया है। जब औरत का पानी (बवक़्त जिमाअ) मर्द के पानी पर ग़ालिब आ जाता है तो बच्चा मां से मुशाबा होता है और जब मर्द का पानी औरत के पानी पर ग़ालिब होता है तो बच्चा बाप के मुशाबा होता है और जब दोनों पानी मुअतदिल यानि

बराबर होते हैं तो बच्चा दोनों के मुशाबा होता है। लिहाजा जब औरत से वह चीज़ निकले जो मर्द से निकलती है तो उस पर गुस्ल वाजिब है और यह बात सिर्फ शरीर और बदकुमाश (बुरे ख्याल वाली) औरतों ही में पायी जाती है।

अइम्मा ताहिरीन^{अ.स.} का यह हुक्म है कि किसी ने जिमाअ किया या एहतलाम किया और उसने गुस्ल करना चाहा तो उसे गुस्ल से क़ब्ल पैशाब करना चाहिये ताकि पैशाब आला-ए-तनासुल में रुकी हुई मनी को बाहर निकाल दे। अगर किसी ने ऐसा न किया और गुस्ल करने के बाद आला-ए-तनासुल में रुकी हुई मनी बाहर निकल आई तो उस पर गुस्ल फिर से वाजिब होगा। अइम्मा ताहिरीन^{अ.स.} से रिवायत है कि जो शख्स जिमाअ करे तो उस पर वाजिब है कि जब तक वह गुस्ल न कर ले उसको न सोना चाहिये न खाना चाहिये न पानी पीना चाहिये। हां अगर वह फिर जिमाअ करने की निय्यत रखता हो तो और बात है। इसमें कोई हरज नहीं अगर वह दोबारा जिमाअ का इरादा रखता हो तो गुस्ल न करे। हालांकि नमाज़ का वक़्त आ जाये तो जब नमाज़ का वक़्त हो जाये तो गुस्ल में ताख़ीर न करना चाहिये। अगर उसने गुस्ल से क़ब्ल फिर जिमाअ किया तो उसमें कोई हरज की बात नहीं है। और उन्होंने जनाबतदार और हाइज़ा औरत के साथ मुबाशिरत (यानी बोसा व किनार) करने की रूख़सत दी है और जनाबतदार के लिये मस्जिद में बैठना नापसंद करार दिया है। अलबत्ता मस्जिद में राही की तरह गुज़र सकता है।

अइम्मा ताहिरीन^{अ.स.} फरमाते हैं कि अगर किसी ने जनाबत के गुस्ल में वुजू न किया तो उसका यह गुस्ल काफी है बशर्ते कि उसने अपने हाथों से वुजू की निय्यत से वुजू के तमाम अअज़ा पर पानी डाल लिया हो। अइम्मा ताहिरीन^{अ.स.} ने थोड़ा थोड़ा गुस्ल करना नापसंद किया है। अगर किसी ने थोड़ा गुस्ल कर लिया हो तो उसे फिर से गुस्ल करना चाहिये। ताकि एक ही वक़्त में पूरा गुस्ल हो जायें।

रिवायत है कि एक मर्तबा रसूले अकरम^{स.अ.व.} ने जनाबत का गुस्ल फरमाया। जब अपने इस गुस्ल से फारिग हो चुके तो आपकी नज़र जिस्म मुबारक में एक ऐसी जगह पड़ी जहां पानी नहीं पहुँचा था। तो उस वक़्त आपने अपने बालों में लगे हुए पानी से उस जगह पर मसाह कर दिया था।

अइम्मा ताहिरीन^{अ.स.} से रिवायत है कि ऐसा शख्स जिसके जिस्म पर ज़ख़्म लगे हुए हैं या फोड़ा-फुन्सी या चेचक निकली हुई है और उसको

गुस्ल की ज़रूरत है। तो अगर उसे पानी से किसी किस्म की तकलीफ़ व खतरे का खौफ़ न हो तो गुस्ल कर ले। अगर वह जिस्म पर हाथ फिरा सके तो ठीक है वरना अहिस्ता-अहिस्ता हाथ रखे और यह भी न हो सके तो जिस्म पर पानी का बहा लेना ही उसको काफी है और अगर पानी बर्दाश्त न कर सके तो पाक मिट्टी से तयम्मूम कर ले।

अइम्मा ताहिरीन^{अ.स.} ने इल्तिकाउल-खतानेन पर गुस्ल वाजिब करार दिया है चाहे इनज़ाल (स्खलन) हो कि न हो। अइम्मा ताहिरीन^{अ.स.} से रियायत है कि इल्तिकाउल-खतानेन से मतलब ये है कि हशफा (लिंग) फरज (शर्मगाह) में दाखिल हो जाये जब ऐसा हो जाये तो मर्द व औरत दोनों पर गुस्ल वाजिब हो जाता है। ख्वाह इनज़ाल हो कि न हो। अगर किसी ने फरज (शर्मगाह) के अलावा जिमाअ किया और इनज़ाल न हुआ हो तो उस पर गुस्ल वाजिब नहीं है। अगर किसी को ख्वाब में मालूम हुआ कि उसने एहतिलाम किया है और जब उठा तो उसने कोई तरी (नमी) न पाई तो उस पर गुस्ल वाजिब नहीं है। लेकिन अगर मनी नज़र आ जाये तो गुस्ल करना वाजिब है। अगर मज़ी की तरह सिर्फ तरी ही हो तो गुस्ल वाजिब नहीं है लेकिन उस तरी और नींद की वजह से उस पर वुजू ज़रूर वाजिब है।

अइम्मा ताहिरीन^{अ.स.} से रियायत है कि अगर बेदारी के आलम में औरत या मर्द ने जिमाअ या बगैर जिमाअ के इन्ज़ाल किया तो उस पर गुस्ल वाजिब है। मर्द की तरह औरत को भी खवाब में एहतिलाम हो जाये तो उस पर गुस्ल वाजिब है।

उस औरत के बारे में अइम्मा ताहिरीन^{अ.स.} ने फरमाया जिसका शोहर उसके साथ हमबिस्तर होता है और वह खुद जनाबतदार होती है। फिर वह गुस्ल से पहले हैज़दार हो जाती है तो उस सूरत में जब वह हैज़ से पाक हो जाये तो उस को एक ही गुस्ल काफी है और अइम्मा ताहिरीन^{अ.स.} ने फरमाया है कि जब औरत गुस्ल करे तो अपने बालों को खोल डाले। हां उस वक़्त न खोले जब उसको यह मालूम हो कि बगैर बाल खोले पानी उसके सर की खाल तक पहुँच जायेगा और तमाम बाल पानी से तर हो जायेंगे। लेकिन यह उस सूरत में मुमकिन है जबकि बालों की गिरहें ढिली हों।

और अइम्मा ताहिरीन^{अ.स.} ने यह भी फरमाया है कि जब ज़मिया औरत (यानी मर्द या औरत उनको कहते हैं जो जज़िया देकर दारुल इस्लाम में रहते हैं।) किसी मुस्लिम की बीवी हो तो उस पर से यह अम्र मरफूअ (लागू नहीं) है। अगर वह गुस्ल न करे और उससे इंकार करे तो

उसको जनाबत के गुस्ल के लिये मजबूर नहीं किया जा सकता क्योंकि उसके अंदर जो शिर्क पोशिदा है वह तो जनाबत से भी बढ़ कर गुनाह है। अलबत्ता हैज़ के गुस्ल पर मजबूर की जा सकती है ताकि मुस्लिम मर्द के लिये उसके साथ मुजामअत (हमबिस्तरी) करना हलाल हो जाये और ताकि वह उसको अपनी ज़ात से दूर न रख सके।

गुस्ल के वक़्त बाजूबंद और अंगूठी को घुमाना चाहिये ताकि पानी उनके नीचे हिस्से तक पहुँच सके। और उनके ऊपर भी पानी डालना चाहिये। वुजू के वक़्त जो दुआयें पढ़ी जाती हैं वह दुआयें गुस्ल के वक़्त भी पढ़ी जायें। गुस्ल करने के बाद रुमाल या तौलिया से जिस्म पोछने की रूख़सत दी गई है।

जिस्म, लिबास, ज़मीन और बिछोने की तहारत का बयान

इमाम जअफरुस्सादिक^{अ.स.} से रिवायत है कि हज़रत अली^{अ.स.} ने फरमाया कि पैशाब अगर कपड़े में लग जाये तो उसको दो मर्तबा धो डालना चाहिये।

इमाम जअफरुस्सादिक^{अ.स.} ने फरमाया कि अगर बच्चे का पैशाब कपड़े में लग जाये तो उस पर इस तरह से पानी बहाया जाये कि दूसरी तरफ से निकल जाये।

हज़रत अली^{अ.स.} से रिवायत है आपने फरमाया कि अगर मनी कपड़े में लग जाये तो उस जगह को धो डाला जाये। और अगर यह न मालूम हो सके कि मनी किस जगह लगी है लेकिन इतना यकीनी इल्म हो कि कहीं मनी ज़रूर लगी हुई है तो तीन मर्तबा पूरा लिबास धोना चाहिये। और हर मर्तबा पानी में डूबो कर निचोड़ना चाहिये। और अगर मज़ी (पतला पानी) कपड़ों में लग जाये तो भी ऐसा ही करना चाहिये।

इमाम बाकिर^{अ.स.} और इमाम जअफरुस्सादिक^{अ.स.} फरमाते हैं कि कपड़े में अगर खून लग जाये तो उसको दूसरी नजासतों की तरह ही धोना चाहिये और उन्होंने यह भी फरमाया है कि अगर खून का छींटा और उसके अलावा दूसरी नजासतों का छींटा जैसे पिस्सू का खून लग जाये तो उसमें रूख़सत है लेकिन अगर बहुत ज़्यादा नुमायां हो तो धोना ज़रूरी है। इसी

तरह अगर मछली का खून नुमायां तौर से हो तो धोना चाहिये। इमाम जअफरुस्सादिक^{अ.स.} से मुशरिकीन के बनाये हुए लिबास के मुताल्लिक पूछा गया कि क्या उनको पहन कर नमाज़ अदा की जा सकती है? आपने फरमाया कि नहीं। आप से कपड़े में शराब लगने के बारे में पूछा गया तो आपने फरमाया कि धोना चाहिये। जनाबतदार और हैज़दार का पसीना कपड़े में लग जाये तो कोई हरज नहीं है। इसी तरह से अगर भीगा हुआ कपड़ा किसी जनाबतदार या हाइज़ा के जिस्म से लग जाये तो अइम्मा ताहिरीन^{अ.स.} ने इसमें भी रूखसत दी है। इसी तरह सूखी नजासत कपड़े या जिस्म से लग जाये लेकिन उनमें से ज़रा भी लगी न रह जाये जैसे सूखा पाखाना, कुत्ते सूअर और मुरदार यह अगर कपड़े या जिस्म से भी मस हो जायें तो कोई हरज नहीं है। परिन्दों में से मुर्गे और तीतर कि जिनका गोश्त खाया जाता है। अगर उसका बीट या पैशाब लग जाये तो कोई हरज नहीं है। जिन नापाकियों के लग जाने की वजह से वह कपड़ा धोया जाता है अगर जिस्म में लग जाये तो जिस्म को भी धोना चाहिये और अगर बारिश का कीचड़ कपड़े में लग जाये और उसकी नजासत ग़ालिब न हो और कपड़े की रंग रूप बदल न दे जैसा कि हमने पानी के बयान में लिखा है तो उसमें अइम्मा ताहिरीन^{अ.स.} ने रूखसत दी है लेकिन कीचड़ की नजासत कपड़े पर ग़ालिब हो जाये और रंग रूप बदल जाये तो वह नजासत के हुक्म में है अगर कोई शख्स गुस्ल करके पहले तो नापाक ज़मीन पर चले फिर वह पाक ज़मीन पर चले तो इस के दोनो पैर पाकीज़ा हो जाते हैं। और अइम्मा ताहिरीन^{अ.स.} ने फरमाया है कि अगर किसी ज़मीन पर नजासत हो तो उस जगह नमाज़ न पढ़ी जाये लेकिन अगर वह सूख जाये और नजासत की बदबू दूर हो जाये और ऐन नजासत का असर बाकी न रहे तो नमाज़ पढ़ना जाइज़ है।

अइम्मा ताहिरीन^{अ.स.} ने (1) कब्रस्तान, (2) खजूरों के झड़ और (3) हमाम में नमाज़ पढ़ने से मना फरमाया है। भेड़ों बकरियों के बाड़े में नमाज़ पढ़ने की रूखसत दी है। जहां नमाज़ पढ़ी जाये वहां झाड़ू करके और पानी छिड़क कर नमाज़ पढ़ी जाये। इसी तरह से गिरजाओं और मुशरेकीन के घरों में झाड़ू मारकर और पानी छिड़क कर नमाज़ पढ़नी चाहिये। और जिन कपड़ों को मुशरेकीन ने बनाया है और उसको उन्होंने इस्तिमाल नहीं किया है और उनमें किसी किस्म की नजासत भी नुमायां नहीं है तो ऐसे कपड़ों में अइम्मा ताहिरीन^{अ.स.} ने नमाज़ पढ़ने की रूखसत दी है।

मिस्वाक (दातुन) का बयान

इमाम जअफरुस्सादिक^{अ.स.} से रिवायत है कि जब रसूले अकरम^{स.अ.व.} नींद से बेदार होते तो मिस्वाक करते थे और जब सफर पर जाते तो आपके साथ यह छः चीजे ज़रूर होती थी (1) इत्र की शीशी (2) कैंची (3) सूरमादानी (4) आइना (5) कंधी (6) मिस्वाक। रसूले खुदा^{स.अ.व.} ने इर्शाद फरमाया है कि मिस्वाक मुंह की खुशबू है और इसमें रब्बुल इज्ज़त की खुशी है। जब कभी मेरे पास जिब्राईल आते तो मुझे मिस्वाक की वसीयत करते। यहां तक कि मैं तो डर गया कि अपने मुंह के अगले दांतों को छुपाये रखूं। आपने फरमाया कि अबिया किराम को तीन चीजें दी गई हैं इत्र, अजवाज़, मिस्वाक अगर लोगों को मिस्वाक के फायदे का इल्म हो जाये तो हर शख्स उसे अपने लिहाफ (चादर) में रखकर सोया करे। रसूले अकरम^{स.अ.व.} ने फरमाया है कि कुरान के रास्ते को (यानी मुंह को) साफ रखो। अर्ज़ किया गया कि ए रसूले खुदा^{स.अ.व.} कुरान का रास्ता क्या है? आपने फरमाया तुम्हारे मुंह हैं। आपका मक्सद मिस्वाक से मुंह को साफ करना है।

आपने यह भी फरमाया कि अगर मेरी उम्मत पर बार न हो जाता तो मैं उन पर मिस्वाक को वुजू के साथ फर्ज़ करार दे देता। अगर किसी से हो सके तो वह कभी मिस्वाक न तर्क करे। आप^{स.अ.व.} ने फरमाया कि एक मर्तबा तीन दिन इनक़िता—ए—वही के बाद जिब्रईल^{अ.स.} मेरे पास आये तो मैंने उनसे कहा कि आपकी ताख़ीर (देरी) की वजह क्या है ए मेरे हबीब जिब्रईल^{अ.स.} उन्होंने कहा कि ए मोहम्मद^{स.अ.व.} मलाइका तुम पर क्यों कर नाज़िल हों सकते हैं जबकि तुम सब मिस्वाक नहीं करते हो और पानी से इस्तिंजा नहीं करते और गुस्ल नहीं करते और अपने मुफासिल (मलद्वार) को नहीं धोते। आंहज़रत^{स.अ.व.} ने फरमाया कि मिस्वाक वुजू का निस्फ हिस्सा है और वुजू ईमान का निस्फ हिस्सा है। आपने एक मर्तबा फरमाया कि जो बंदा मुमिन निस्फ रात को उठकर मिस्वाक करता हो और फिर गुस्ल करता हो तो उसका गुस्ल निहायत उम्दा होता है। फिर जब वह मस्जिद में दाख़िल होता है तो एक फरिश्ता उसके पास आकर उसके मुंह पर अपना मुंह रख देता है तो उसके मुंह में से जो भी निकलता है वह फरिश्ता के मुंह में चला जाता है वही फरिश्ता क़यामत के रोज़ उसका शफीअ और गवाह बनकर आयेगा। आपने फरमाया कि मिस्वाक अरज़ में (चौड़ाई में) करो लम्बाई में न

करो। आपने फरमाया कि अंगूठे और तस्बीह की ऊंगली वुजू करते वक़्त दांतों पर फिरा लेना भी मिस्वाक है। आपने बांस की लकड़ी, फूलदार दरख़्त (पेड़) और अनार की लकड़ी से मिस्वाक करना मना फरमाया है। क्योंकि उससे जुज़ाम (कोढ़) पैदा होने का इम्कान है।

तयम्मूम का बयान

अल्लाह तआला का इर्शाद है कि :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً
فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوْهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ

या अय्योहल लज़ीन: आमनू इज़ा कुमतुम इलस सलाति फगसिलू वुजुहकुम इलल — — — फलम तजिदू माअन फतयम्मूमू सईदन तय्यिबन फमसहू बिबुजुहिकुम व एदीकुम मिन्हो 6—5/6।

तर्जुमा : ए ईमान वालों जब तुम नमाज़ के लिये आमादा हो तो अपने मुंह को धो लो। अगर तुम को पानी न मिले तो पाक मिट्टी से तयम्मूम कर लो।

हज़रत अली^{अ.स.} से रिवायत है आपने फरमाया कि जिस शख्स को पानी न मिले तो उसे तयम्मूम आखिरी वक़्त में करना चाहिये। आपने यह भी फरमाया है कि जो शख्स तयम्मूम कर चुके तो जब तक वह कोई हदस नहीं करता या उसको गोया पानी नहीं मिल जाता उस वक़्त तक वह जितनी नमाज़े पढ़ना चाहे पढ़ सकता है। अगर उसका गुज़र पानी के पास से हो जाये या उसे पानी मिल जाये तो उस सूरत में उसका तयम्मूम टूट जायेगा लेकिन उसके फिर पानी न मिले तो तय्युमम कर ले। अगर किसी ने तयम्मूम करके अब्बल वक़्त में नमाज़ पढ़ ली फिर उसको पानी मिल गया। और इतना वक़्त अभी बाकी हो कि जिसमें वह वुजू करके नमाज़ पढ़ सकता हो तो वह वुजू करके फिर से नमाज़ पढ़े। पानी मिलने के बाद जबकि नमाज़ पढ़ने का वक़्त अभी बाकी हो तो उसकी नमाज़ किसी हालत में तयम्मूम से जाइज़ न होगी। आपने फरमाया कि इस तरह अगर किसी ने तयम्मूम कर लिया और अभी उसने नमाज़ नहीं पढ़ी है, इतने में उसको पानी मिल गया तो उसका तयम्मूम टूट जायेगा। उस पर वाजिब है कि वह वुजू करके फिर

से नमाज़ पढ़े। अगर तयम्मुम करके नमाज़ पढ़ने लगा फिर उसी वक़्त पानी मिल गया तो उस सूरत में अगर वह रुकू में ना गया हो तो फिर से वुजू करके नमाज़ पढ़े अगर रुकू कर चुका हो तो नमाज़ पूरी करे। अगर तयम्मुम से नमाज़ पढ़ने के बाद भी नमाज़ का वक़्त है तो पानी से वुजू करके फिर से नमाज़ पढ़े। अगर वक़्त गुज़र चुका हो तो फिर तयम्मुम से पढ़ी हुई नमाज़ उसके लिये काफी है।

इमाम जअफरुस्सादिक^{अ.स.} से रिवायत है कि आपने तयम्मुम की तरतीब बताते हुए फरमाया कि तयम्मुम ब-वक़्ते ज़रूरत एक किस्म का वुजू है लिहाज़ा तयम्मुम करने वाला जब तयम्मुम करने का इरादा करे तो पहले अपनी दोनो हथेलियों को एक मर्तबा ज़मीन पर मारे उसके बाद एक को दूसरे पर मारकर झाड़े (खनकाड़े)। फिर अपने हाथों की उंगलियाँ से अपने मुंह पर एक ही मर्तबा भोओं से लेकर मुंह के निचले हिस्से तक मसाह करे। इसके बाद अपनी बायें उंगलियों को दाहिनी उंगलियों पर हथेली के ऊपर रखकर आगे हिस्से तक ले जाये। इसी तरह से दाहिनी उंगलियों को बायें उंगलियों पर फ़ैरे जैसाकि उसने पहले किया था। सिर्फ़ एक मर्तबा करे यह है तयम्मुम और कामिल वुजू और जनाबत का गुस्ल, इसके बाद इमाम जअफरुस्सादिक^{अ.स.} ने फरमाया कि एक मर्तबा हज़रत अम्मार बिन यासिर^{र.अ.} जनाबतदार हुए तो उन्होंने अपना कपड़ा उतारा और पाक मिट्टी में लोटने लगे। जब यह ख़बर रसूलल्लाह^{स.अ.व.} को पहुँची तो आपने फरमाया कि ए अम्मार^{र.अ.} क्या तुम गधे की तरह लोटते थे तुमको तो इतना ही काफी था कि तुम मिट्टी से अपने हाथ और मुंह पर मसाह कर लेते जैसाकि अल्लाह तआला ने फरमाया है।

हज़रत अली^{अ.स.} ने रसूले खुदा^{स.अ.व.} से रिवायत नक्ल की है कि आपने फरमाया मुझे तीन चीज़ें अता की गई है जो मुझसे कब्ल किसी नबी को नहीं दी गई हैं। रोअब के जरीये मेरी मदद की गई है और माले-ग़नीमत मेरे लिये हलाल किया गया है और ज़मीन को मेरे वास्ते मस्जिद और उसकी खाक को ज़रीआ-ए-तहारत करार दिया गया है। हज़रत अली^{अ.स.} ने फरमाया कि अगर कोई जनाबतदार हो जाये और उस वक़्त ज़मीन में नमी हो तो अपने घोड़े के पायदान को झाड़कर उसके गुब्बार (बारीक मिट्टी) से तयम्मुम करे और इमाम बाकिर^{अ.स.} और इमाम जअफरुस्सादिक^{अ.स.} भी

फरमाते हैं कि वह शख्स जिसको पाक मिट्टी न मिल सकती हो तो ऐसी सूरत में अपने कपड़े और पालान^१ को झाड़कर तयम्मूम करे और लबादा (ऊनी कपड़ा) पर ज़ोर से हाथ मारकर या झाड़कर तयम्मूम करे। और तयम्मूम करने वाले के लिये ज़मीन पर एक ही मर्तबा हाथ मारना काफी है। वह दोनों हाथों से हाथ और मुंह पर मसाह करे। अइम्मा ताहिरीन^{अ.स.} ने फरमाया है कि गच, राख, अबरक से तयम्मूम करना जाइज़ नहीं है। लेकिन जो पत्थर ज़मीन से निकला हुआ हो और उस पर गुब्बार लगी हुई हो तो तयम्मूम उससे हो सकता है। लेकिन अगर वह भीगा हुआ है तो तयम्मूम नहीं हो सकता है। हालते हज़र में (सफर में न हो) किसी बीमारी की वजह से ही तयम्मूम करना चाहिये और अगर कोई शख्स भीड़ में पड़ गया और वह उससे नहीं निकल पायां यहां तक कि नमाज़ का वक़्त आ गया तो वह तयम्मूम करके नमाज़ पढ़े और फिर बाद में इआदा करे और वह जनाबतदार जो कुएं के पास तो है लेकिन उसके पास पानी निकालने का सामान नहीं है तो वह तयम्मूम कर ले और वह जनाबतदार शख्स जिसके जिस्म में फोड़े या ज़ख्म या कोई ऐसी बीमारी हो कि अगर वह गुस्ल करता है तो उसकी जान का ख़ौफ़ है तो वह तयम्मूम करके नमाज़ पढ़े और जो जनाबतदार शख्स ठंडक के ख़ौफ़ से डरता है कि वह अगर गुस्ल कर ले तो हलाक हो जायेगां वह तयम्मूम करके नमाज़ पढ़े और ऐसा ख़ौफ़ न हो तो गुस्ल कर ले इस सूरत में अगर वह मर गया तो शहीद है। अगर किसी शख्स के पास इतना थोड़ा सा पानी है कि अगर वह उस पानी से बुजू या गुस्ल करता है तो प्यास की वजह से हलाक हो जायेगा। तो वह तयम्मूम करके नमाज़ पढ़े और पानी को अपनी जान के लिये बचाये रखे। उसकी हलाकत का समान न करे। अल्लाह तआला का इर्शाद है कि :

وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا •

व ला तक्तुलू अनफुसःकुम इन्नल्लाहः कानः बिकुम रहीमा 5-4/29।

तर्जुमा : और तुम अपना गला घोटकर अपनी जान न दे दो। क्योंकि खुदा तो ज़रूर तुम्हारे जान पर मेहरबान है।

अइम्मा ताहिरीन^{अ.स.} ने उस मुसाफिर के बारे में फरमाया है जिसे पानी ऐसी जगह पर मिलता है। जहां जाने से उसको अपनी जान का ख़ौफ़

^१पालान : वह गोदरी व कपड़ा जो ऊंट या गधे की पीठ पर पीठ की हिफाज़त के लिये रखा जाता है।

है। जैसे डाकू या दरिदे या दूसरी कोई ऐसी चीज़ है जिससे उसको अपनी जान का खौफ है तो उस हालत में वह तयम्मुम करके नमाज़ पढ़े। अगर मुसाफिर को बहुत ज़्यादा कीमत से पानी मोल मिलता है और उसके पास कीमत हो तो तयम्मुम न करे। क्योंकि जब उसके पास पानी की कीमत मौजूद है तो गोया पानी मौजूद है लेकिन अगर उसको रुपये खर्च करने की वजह से अपनी हलाकत का डर हो तो पानी न ख़रीदे और तयम्मुम करके नमाज़ पढ़े।

हज़रत अली^{अ.स.} ने फरमाया है कि सफर में जबकि पानी न मिलता हो तो अपनी औरत के साथ हम बिस्तरी होने में कोई हरज नहीं है। वह तयम्मुम करके नमाज़ पढ़े। रसूले खुदा^{सअव.} से इस मसअले के बारे में दरयाप्त किया गया तो आपने फरमाया कि अपनी औरत से मिलो और तयम्मुम कर के नमाज़ पढ़ो। तुमको इसका अज़्र मिलेगा। साइल ने अर्ज़ किया कि ए रसूलल्लाह^{सअव.} मैं लिज़्ज़त भी उठाऊंगा और मुझे अज़्र भी मिलेगा? आपने फरमाया कि हां। जब तुम हलाल काम करोगे तो तुम को ज़रूर अज़्र मिलेगा ठीक उसी तरह जैसे कि तुम हरामकारी करोगे तो गुनाहगार ठहरोगे।

खाने पीने की चीज़ों की तहारतों का बयान

इमाम जअफरुस्सादिक^{अ.स.} से रिवायत है कि आपसे ऐसे सफरा या दस्तरख्वान के बारे में पूछा गया जिसमें शराब लगी हुई है तो क्या उस पर खाना खाया जा सकता है? आपने फरमाया कि अगर सूख गई हो तो कोई हरज नहीं है। चूहों की लेंडी जो आटे में पाई जाती हैं उसके बारे में सवाल किया गया तो आपने फरमाया कि अगर मालूम हो जाये तो उसे निकाल देना चाहिये और अगर मालूम न हो तो कोई हरज नहीं है। और आपसे पूछा गया कि कुत्ते और चूहें जो रोटी खा जाते या सूँघते हैं उसके मुताल्लिक क्या हुक्म है? आपने फरमाया कि जिस जगह से उन्होंने खाया है या सूँघा है उसको काट दिया जाये और बाकी खाया जाये।

इमाम जअफरुस्सादिक^{अ.स.} से रिवायत है आप ने हर उस चीज़ के खाने और पीने की रूख़सत दी है जिसमें से बिल्ली ने खाया पीया हो। इमाम जअफरुस्सादिक^{अ.स.} से चूहे के घी में गिर पड़ने के बारे में पूछा गया तो

आपने फरमाया कि अगर घी जमा हुआ हो तो चूहे के आसपास के घी को निकाल दिया जाये और बाकी को खाया जाये। अगर पिघला हुआ हो तो सबका सब खराब हो गया है। उसको सिर्फ चिराग जलाने के काम में लाया जाये। आपने फरमाया कि अमीरुल मुमिनीन^{अ.स.} से कीड़े-मकोड़े के बारे में पुछा गया जो घी, शहद, दूध और तेल में गिरकर मर जाते हैं तो आपने फरमाया कि अगर कीड़े-मकोड़े पिघल गये हों तो दूध को बहा दिया जाये और घी व तेल को चिराग जलाने के काम में लिया जाये और संडासिया (कोकोरोच), बिच्छू, मखखी और झिंगड़ और उनके अलावा जिनमें खून न हो और वह खाने में गिरकर मर जायें तो उससे खाना खराब नहीं होता है। आपने तेल के मुताल्लिक फरमाया कि अगर कोई चाहे तो उससे साबून बना सकता है। अगर कीड़े-मकोड़े शोरबे में गिरकर जब तक मरे न हों और उनको जिंदा निकाल लिया जाये तो वह नजस नहीं होता है। उसको खाया जा सकता है और अगर गिरकर मर जाये तो उसे न खाया जा सकता है, न बेचा जा सकता है, न खरीदा जा सकता है। रसूले खुदा^{स.अ.व.} के उस कौल से भी यही पता चलता है कि उसका खरीदना-बेचना ममनूअ (मना) है क्योंकि आपने फरमाया है कि यहूदियों पर खुदा की मार बावजूद ये कि उन पर चर्बी हराम की गई थी फिर भी उसको उन्होंने फरोख्त करके उसकी कीमत को खाया। अलबत्ता उस चर्बी से मुरदार की खाल की तरह फायदा उठाया जा सकता है। लेकिन उसका खरीदना-बेचना जाइज़ नहीं हैं। और जो शख्स इसी चर्बी से चिराग जलाये या साबुन बनाये तो उसे इस बात से बचना चाहिये कि कहीं वह कपड़े में न लग जाये। अगर जिस्म और कपड़े में लग जाये तो उतना हिस्सा धोना चाहिये। जिस तरह नजासत धोई जाती है। अइम्मा ताहिरीन^{अ.स.} से रिवायत है कि एक मर्तबा रसूले खुदा^{स.अ.व.} की खिदमत में शोरबा का प्याला आया जिसमें मखखी थी। आपने उसको बाहर निकालने का हुक्म फरमाया। इसके बाद आपने फरमाया कि इस पर बिस्मिल्लाह पढ़ कर खाओ। क्योंकि इससे कोई चीज़ हराम नहीं हो जाती है। हम इससे पहले लिख आये हैं कि जिसमें खून न हो और नफसे साइला न हो और वह खाने-पीने की चीज़ों में गिरकर मर जाये तो उससे खाना खराब नहीं होता है। इसी तरह मखखी गिरकर मर जाये तो खाना हराम नहीं होता है। अलबत्ता नफस को उन तमाम चीज़ों से एक किस्म की कराहियत हो जाती है जो खाने या पीने की चीज़ों में गिर जाती है लेकिन उस चीज़ को हराम नहीं करार देना चाहिये। जिसको अल्लाह तआला ने हलाल किया

है। जिसको पसंद आये तो वह खाये और जिसको नापसंद हो वह न खाये लेकिन उसको हराम करार न दे।

सफाई और फितरी (प्रकृतिक) तहारतों का बयान

रसूले खुदा^{स.अ.व.} से रिवायत है आपने फरमाया कि नापाक शख्स बहुत बुरा बंदा है। हज़रत अली^{अ.स.} से रिवायत है आपने फरमाया कि तुमको अपनी बीवी के लिये उसी तरह से आरास्ता होना चाहिये जिस तरह से कि तुम चाहते हो कि वह तुम्हारे लिये आरास्ता हो। रसूले खुदा^{स.अ.व.} ने फरमाया है कि अपने बच्चों के झूठे हाथों को धो डालो क्योंकि शैतान उसको सूघंता है। आपने यह भी फरमाया है कि जो शख्स अपने घर में बरकत देखना चाहता है उसको चाहिये कि खाते वक़्त हाथ धो लिया करे। आपने फरमाया है कि जिसने खाने से पहले हाथ धोलिये वह ऐश व आराम और सेहतमंद ज़िन्दगी बसर करेगा। हज़रत अली^{अ.स.} से रिवायत है कि आप रोटी और सूखी खजूर और आटे से हाथ धोने को नापसंद करते थे। आपने फरमाया कि इससे नेअमतें चली जाती है।

इमाम बाकिर^{अ.स.} से रिवायत है आपने फरमाया कि खाने से पहले और खाने के बाद हाथ धोना तआम (खाने) में बरकत का बाइस (वजह) है। उन्होंने कहा कि अमीरूल मुमिनीन^{अ.स.} ने भी ऐसा ही फरमाया है और यह भी फरमाया है कि शैतान गौश्त वगैरह की चिकनाहट का आशिक है। तुम में से जब कोई अपने बिस्तर पर जाये तो अपना हाथ धो ले ताकि गौश्त वगैरह की जो चिकनाहट लगी हुई हो वह दूर हो जाये। रसूले खुदा^{स.अ.व.} ने तश्त (हाथ धुलाने का बर्तन) भर जाने से पहले उठाने से मना फरमाया है। इमाम बाकिर^{अ.स.} ने फरमाया है कि घर का मालिक सब से आखिर में हाथ धोएं।

हज़रत अली^{अ.स.} से रिवायत है आपने फरमाया कि एक रोज़ रसूले अकरम^{स.अ.व.} अपने असहाब की जानिब निकले तो आपने उनसे मुख़ातिब हो कर फरमाया कि खिलाल करने वालों को बशारत है। उस वक़्त अर्ज़ किया गया कि ए रसूले खुदा^{स.अ.व.} यह खिलाल क्या चीज़ है? आपने फरमाया कि उंगलियों और नाखून के दरमियान वुज़ू करते वक़्त खिलाल करना चाहिये और खाने के बाद खिलाल करना चाहिये क्योंकि मूमिन के दाहिने और बायें दोनों फरिश्तों पर कोई चीज़ उससे ज़्यादा शाक और तकलीफ़दह नहीं गुज़रती कि वह नमाज़ पढ़ते वक़्त मूमिन के मुंह में ज़रा सा भी लगा हुआ

खाना देखें। मौलाना अली^{अ.स.} से रिवायत है आपने फरमाया कि तआम से फारिग होने के बाद खिलाल कर लो क्योंकि उससे अगले दांतों और अंदर के दांतों की सेहत है और यह बंदे के रिज़क का बाइस है। इमाम जअफरुस्सादिक^{अ.स.} से रिवायत है आपने बांस, फूलदार दरख्त और अनार की लकड़ी से खिलाल करने से मना फरमाया है। आपने यह भी फरमाया है कि खिलाल रोज़ी की वजह है।

रसूले खुदा^{स.अ.व.} से रिवायत है आपने फरमाया कि खतना करना फितरत है। आपने फरमाया कि इस्लाम में कोई शख्स बगैर खतना के न रहने पाये। उसका खतना ज़रूर होना चाहिये ख़्वाह वह अस्सी साल (80) का क्यों न हो जाये। हज़रत अली^{अ.स.} से रिवायत है आपने फरमाया कि अस्सी (80) साल की उम्र में सबसे पहले जिनका खतना हुआ वह हज़रत इब्राहिम^{अ.स.} है। अल्लाह तआला ने हज़रत इब्राहिम^{अ.स.} पर जब वही नाज़िल की कि पाक बन जाओ तो आपने अपनी मूंछों के बाल तरशवाये। इसके बाद फिर कहा गया कि पाक बन जाओ तो आपने नाखूनों को तराशा। इसके बाद फिर यही हुक्म हुआ तो आपने बगल के बाल उखाड़े उसके बाद फिर यही हुक्म हुआ तो आपने जेरे नाफ (शर्मगाह) के बालों को साफ किया उसके बाद जब फिर यही हुक्म हुआ तो आपने उस वक़्त खतना किया। हज़रत अली^{अ.स.} से रिवायत है आपने फरमाया कि ए गिरोहे—ज़नान (औरतों की जमाअत) जब तुम अपनी दुखतरान (बेटियों) का खतना करो तो थोड़ा सा हिस्सा बाकी रखो क्योंकि उससे उनके रंग व रूप की ज़्यादा सफाई है और वह अपने शौहरों के नज़दीक उससे ज़्यादा हज़ (लुत्फ) उठा सकती है। आपने फरमाया कि अपने बच्चों की खतनाओं में जल्दी करो क्योंकि यह उनकी सबसे बड़ी पाकी और तहारत है और याद रखो कि सात साल से पहले किसी भी लड़की का खतना न होना चाहिये।

रसूले अकरम^{स.अ.व.} से रिवायत है आपने फरमाया कि कनपट्टी और दाढ़ी के दोनों तरफ के बालों को तरशवाना चाहिये और दाढ़ी में कंधी करना चाहिये और किफा यानि गर्दन के पिछले हिस्से और निचले होंठ के दरमियान के बाल मुंडवाओ। श्वारिब को तरशवाओ और मूंछों को ज़रा सा कतरो और नाखूनों को कतरो और अहले किताब (यहुद, नसारा) से मुशाबा (उन जैसे) न बनो। कोई शख्स श्वारिब (मूंछों के आगे के बाल), जेरे—नाफ के बाल और बगल के बाल न बढ़ाये क्योंकि शैतान उन जगहों को अपना अड्डा बना लेता है। जहां वह रूपोश (छुप जाना) हो जाया करता है। जो

शख्स खुदा और क़यामत के दिन पर ईमान रखता है वह अपने ज़ेरे—नाफ के बालों को चालीस (40) दिन से ज़्यादा न रहने दे।

और हज़रत अली^{अ.स.} से रिवायत है आपने फरमाया कि दोनो कनपट्टी के बालों, दाढ़ी के दोनो जानिब के बालों और तुङ्डी और निचले होंठ के दरमियान के बालों को तरशवाओ।

इमाम बाकिर^{अ.स.} से मनकूल है आपने फरमाया कि तुम मुँछों के बढ़े हुए बालों को तरशवाओ क्योंकि बनी उमय्या मुँछों के बढ़े हुए बालों को नहीं तरशवाते थे। रसूले खुदा^{स.अव.} का इर्शाद है कि जिस शख्स ने बरोज़े जुमआ अपने नाखूनों को तराशा तो खुदा वन्दे तबारक व तआला उसकी उगलियों की बीमारी को दूर कर देता है। और उनको शिफा अता फरमाता है और आपने यह भी फरमाया कि ए लोगो! अपने नाखूनों को तरशवाओ और औरतों से आपने फरमाया कि अपने नाखूनों को बढ़ाओ क्योंकि उसमें तुम्हारे लिये जीनत है। आपने यह भी फरमाया कि जो शख्स बाल रखे उसको चाहिये कि वह संवारता रहे। आपने अबू क़तादा^{र.अ.} से फरमाया कि ए अबू क़तादा तुम अपनी जुल्फों को अलग—अलग करो और उनको खूब संवारो।

आपने यह भी इर्शाद फरमाया है कि खूबसूरत बाल अल्लाह की जानिब से एक किस्म का लिबास है लिहाज़ा उसको संवारते रहो और जिस शख्स ने बाल रखे लेकिन उसने मांग नहीं निकाली तो खुदा वन्दे तआला बरोज़े क़यामत आग की कील से उसकी मांग फाड़ेगा। आपने फरमाया कि जिसने अपने सफेद बालों के फज़ल व कमाल को जानकर उसकी तौकीर (इज़्ज़त) की तो खुदा उसको क़यामत के ख़ौफ से मामून व महफूज़ रखेगा। सफेद बाल खुदा का नूर है लिहाज़ा उसको उखाड़ मत फेंको। अमीरूल मुमिनीन मौलाना अली^{अ.स.} सफेद बालों को कतरवाने में कोई हरज महसूस न करते थे। अलबत्ता उनके उखाड़ने को नापसंद करते थे। रसूले खुदा^{स.अव.} का इर्शाद है कि तीन चीज़ें बंदे का नूर बुझा देती है। अपने पिदर (बाप) के रिश्ता ए मोहब्बत को क़तअ कर देना और अपने सफेद बालों को सियाह कर देना और ख़ानगी कमरों में ताक—झांक करना। किसी इमाम ने ऐसे शख्स को देखा जिसने अपनी दाढ़ी पर सियाह रंग लगा रखा था। उन्होंने फरमाया कि उसने अपने चेहरों को बदसूरत बना लिया है।

खाल हड्डी बाल और ऊन की पाकीज़गी व तहारत का बयान

बारी सुब्हाना तआला का इर्शाद है कि :

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ

हुर्रिमत अलैकुमुल मैततो वदमो व लहमुल खिनज़ीरि 6-5/3।

तर्जुमा : तुम पर मुर्दा जानवर, खून, सूअर का गौश्त हराम है।

इस आयत के ज़ाहिरी अल्फाज़ से वाज़ेह है कि मुर्दा जानवर की न खाल, न बाल, न ऊन न हड्डी, न कोई जोड़ गरज़ मुर्दार की थोड़ी या ज़्यादा कोई चीज़ भी हलाल नहीं है। बारी सुब्हानहू तआला ने जबकि सुअर का गौश्त बिल कुलिया (हर हाल में) हराम करार दे दिया है। तो फिर उसकी हर चीज़ हराम है। इस पर जुमला मुसलमानों का इत्तेफाक़ है। यही हाल मुर्दा जानवर का भी है। अहले बैत^{अ.स.} किराम से मरवी है कि मुर्दा जानवर की ज़रा सी भी चीज़ फरोख़्त करना या खरीदना या उस पर नमाज़ पढ़ना हराम है।

अलबत्ता अइम्मा ताहिरीन^{अ.स.} ने मुर्दा जानवरों के किसी अज़ा से उसी तरह फायदा उठाने की रूख़सत दी है जैसा कि नापाक कपड़े से ओढ़ने और बिछौने का काम लिया जाता है और उस पर नमाज़ नहीं पढ़ी जाती। मुर्दा जानवर की कोई चीज़ दबाग़त यानि सिधाने (रंगवाने) से और धोने से पाकीज़ा नहीं होती है। इमाम जअफरुस्सादिक़^{अ.स.} और आपके आबा-ए-किराम और मौलाना अली^{अ.स.} से मरवी है कि रसूले खुदा^{स.अ.व.} ने मुर्दा जानवर की सिधाई हुई खाल पर नमाज़ पढ़ने से मना फरमाया है। आपने इर्शाद फरमाया है कि मुर्दार तो नजस व नापाक ही है। ख़्वाह उसकी खाल सिधाई ही क्यों न गई हो। इमाम बाकिर^{अ.स.} से रिवायत है आपने फरमाया कि मुर्दार की खाल पर नमाज़ पढ़ी नहीं जा सकती उसको 70 सित्तर बार क्यों न सिधाया गया हो। अहले बैत^{अ.स.} मुर्दार की खाल पर नमाज़ नहीं पढ़ते। ख़्वाह वह सिधाई ही क्यों न गई हो। इमाम बाकिर^{अ.स.} से भेड़ों की खालों की बाबत पूछा गया जो ज़बीहा की खालें और मुर्दार की खालों के साथ मख़लूत (मिल) हो जाती है और फिर उन खालों से जुब्बा (कुर्ता) बनाया जाता है। आपने फरमाया कि तुम उसे पहन तो सकते हो

लेकिन इसमें नमाज़ नहीं पढ़ सकते और अगर तुमको मालूम हो कि यह मुर्दा जानवर की खाल से बना है तो तुम उसकी ख़रीद व फरोख़्त न करो। लेकिन अगर तुमको इसका इल्म न हो तो ख़रीद व फरोख़्त कर सकते हो। आपने साथ ही साथ यह भी फरमाया कि इमाम ज़ेनुल आबिदीन^{अ.स.} के पास ऐसा ही एक इराक़ी जुब्बा था जिसे आप ज़ेबेतन फरमाया करते थे। लेकिन जब नमाज़ का वक़्त हो जाता तो आप उसे उतार देते थे।

हज़रत अली^{अ.स.} से रिवायत है कि मैंने रसूले अकरम^{स.अ.व.} को यह फरमाते हुए सुना है कि मुर्दा जानवर की खाल न हड़्डी और न किसी अजज़ा से कोई फायदा उठाया जा सकता है। दूसरे रोज़ जब मैं आंहरजत^{स.अ.व.} के हमराह बाहर निकला तो बकरी का एक बच्चा मरा हुआ रास्ते में पड़ा था। आंहरजत^{स.अ.व.} ने उसे देखकर फरमाया कि इस मुर्दार बच्चे के मालिक ने इससे कोई फायदा नहीं उठाया। मैंने अर्ज किया कि ए रसूले खुदा^{स.अ.व.} आपने कल ही तो फरमाया था कि मुर्दा जानवर से कोई फायदा नहीं लिया जा सकता है। आंहरजत ने फरमाया कि उससे लिहाफ का काम लिया जा सकता है जो जिस्म से चिपकता नहीं है।

इमाम जअफरुस्सादिक^{अ.स.} से लोमड़ी बिल्ली, समूर, संजाब, फनक, काकम (सियार, जंगली चूहें जैसे जानवर जिनकी खालें मुलायम रोये-दार होती हैं) वगैरह की खालों से बने हुए लिबास के बारे में पूछा गया तो आपने फरमाया कि उसको पहना तो जा सकता है मगर उसमें नमाज़ नहीं पढ़ी जा सकती और दरिंदों की किसी भी खालों को पहन कर न तो उस पर नमाज़ पढ़ी जा सकती है और न उस पर सजदा किया जा सकता है। यही हाल उन तमाम जानवरों की खालों का है जिनका गौशत खाना हराम है। हज़रत अली^{अ.स.} ने फरमाया कि दरिंदा जानवरों की खालों की कीमत (सुहत) हराम है। इमाम जअफरुस्सादिक^{अ.स.} ने इंसान के बाल को मकरुह करार दिया है। आप फरमाते हैं कि इंसान के बदन से गिरी हुई चीज़ मुर्दार है इसी तरह जिंदा हैवानों के अजज़ा में से निकली हुई हर चीज़ मुर्दार है। इसको खाया नहीं जा सकता है लेकिन हलाल जानवरों के कतरे हुए बाल जो धोए गये हों मसलन ऊन वगैरह को पहनने और उस पर नमाज़ पढ़ने की रूख़सत है। बशर्ते वह पाकीज़ा हो इंसानों के बालों के बर ख़िलाफ अल्लाह तआला का इर्शाद है कि :

وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَثَاثًا وَمَتَاعًا إِلَىٰ حِينٍ •

व मिन अस्वाफिहा व अवबारिहा व अशआरिहा असासन्व व मताअन इला
हीन 0 14-16/80।

तर्जुमा : और उन जानवरो के ऊन और रोओ और बालो से एक वक्ते खास
तक के लिये असबाब और कार आमद चीजें अल्लाह तआला ने तुम्हारे लिये
बनाये।

हैज का बयान

अहलेबैते अतहार^{अ.स.} से मरवी है कि औरत जबकि हैज या निफास¹
की हालत में हो तो उस पर रोज़ा और नमाज़ हराम है और उसके शौहर
के लिये हम बिस्तर भी होना हराम है। यहां तक कि वह पाक हो जाये और
पानी से गुस्ल कर ले या पानी न मिले तो तयम्मूम कर ले। जब वह पाक
हो जाये तो रोज़ा क़ज़ा करे और नमाज़ क़ज़ा न पढ़े। और अब वह अपने
शौहर के लिये हलाल हो गई।

इमाम जअफरुस्सादिक^{अ.स.} से रिवायत है आपने हैजदार औरत के
साथ मुबाशिरत (बोसा व किनार) की रूख़सत दी है। आप फरमाते हैं कि
हैजदार औरत नाफ से लेकर दोनो घुटनों तक एक कपड़ा पहने रहे। इस
सूरत में इज़ार से ऊपर का जो हिस्सा है वह उसके शौहर के लिये हलाल
है। अइम्मा ताहिरीन^{अ.स.} से मरवी है कि जिस शख्स ने हैजदार औरत के
साथ हमबिस्तरी की उसने ऐसा किया जो उसके लिये हलाल न था और
उसने ऐसा फअल (काम) किया जो उसके लिये वाजिब भी न था। उस पर
वाजिब है कि वह अल्लाह तआला से मग़फिरत तलब करे और उसके
नज़दीक अपने गुनाह से तौबा करे। अगर वह सदका करे तो उसके लिये
बहुत ही अच्छा है। किसी औरत को मुस्तक़िल (लगातार) ख़ून आता हो तो
वह औरत मुस्तहाज़ा² है।

हैज और इस्तिहाज़ा के ख़ून में फर्क होता है। हैज का ख़ून गंदा
बदबूदार और गाढ़ा होता है और इस्तहाज़ा का ख़ून पतला होता है। जब
हैज का ख़ून जारी हो तो मुस्तहाज़ा औरत को वही करना चाहिये जो एक
हैजदार औरत करती है। जब इस्तिहाज़ा का ख़ून बंद हो जाये तो वह पाक
व साफ हो गई। अब उसको सिर्फ कपड़े का एक टुकड़ा या रूई रखना
चाहिये और हर वक़्त की नमाज़ के लिये वुज़ू करना चाहिये और वह अपने

¹निफास : वह ख़ून जो औरत को बच्चा जनने के बाद चालीस दिन तक निकलता है।

²मुस्तहाज़ा : हैज की मुद्दत से ज़्यादा ख़ून बहना।

शौहर के लिये हलाल हो चुकी। यह अहलेबैत^{अ.स.} से निहायत साबित व मुस्तहकम रिवायत है और उन्होंने मुस्तहाज़ा के लिये यह मुस्तहब करा दिया है कि वह हर दो नमाज़ के बाद गुस्ल कर लिया करे। वह इस तरह है कि जोहर के वक्त गुस्ल करके जोहर व अस्त्र की नमाज़ पढ़े फिर गुस्ल करे तो मगरिब व इशा की नमाज़ पढ़े इसके बाद फिर गुस्ल करके फज़्र की नमाज़ पढ़े। अइम्मा ताहिरीन^{अ.स.} फरमाते हैं कि अगर कोई मुस्तहाज़ा औरत सवाब की खातिर इस पर अमल करे तो खुदा उसकी इस्तहाज़ा की बीमारी को दूर कर देगा। इसी तरह अइम्मा ताहिरीन^{अ.स.} फरमाते हैं उस औरत के बारे में जो पाकीज़गी और तहारत के अय्याम में खून देखती हो अगर वह हैज़ का खून हो तो वह हैज़दार औरत के दर्जे में है। उस पर इस खून के बंद होने पर गुस्ल वाजिब है और अगर पतला खून है तो यह शैतान की एक हरकत और वसवसा है। ऐसी हालत में उस औरत का बुजू करके नमाज़ पढ़नी चाहिये और वह अपने शौहर के लिये हलाल है। यही सूरत उस हामिला औरत की है जो हमल के अय्याम में खून देखती है।

इमाम बाकिर^{अ.स.} से रिवायत है आपने फरमाया कि हम हमारी हैज़दार औरतों को हुक्म देते हैं कि वह हर नमाज़ के वक्त कामिल तौर से बुजू करें और रूई या कपड़ा रख ले फिर क़िबला रूख़ होकर सिर्फ़ तस्बीह व तकबीर व तहलील कर लिया करें। और किसी मस्जिद के करीब न हो। और कुरआन पाक न पढ़ें। आपकी ख़िदमत में यह अर्ज़ किया गया कि मुगीरा का यह ख्याल है कि आपने फरमाया है कि हैज़दार औरतें क़ज़ा नमाज़ पढ़ें। आपने फरमाया कि मुगीरा झूठा है। रसूलल्लाह^{स.अ.व.} की अजवाज़े मुतहहरात में से किसी जोज़ा ए मुतहहरा (पाक) और हमारी औरतों में से किसी औरत ने बहालते हैज़ कभी कोई नमाज़ नहीं पढ़ी है। जैसा कि हमने ऊपर बयान किया है। महज़ तलबे फज़्ल के लिये सिर्फ़ उनको ज़िक्रे इलाही का अम्र किया गया है। हज़रत अली^{अ.स.} ने फरमाया है कि हैज़दार औरत न कुरआन पढ़े न मस्जिद में दाख़िल हों। न नमाज़ से करीब हो और न हमबिस्तर हों। यहां तक कि वह हैज़ से पाक हो जायें।

इमाम जअफररुस्सादिक^{अ.स.} ने फरमाया है कि जब मस्जिद में एअतिकाफ बांधने वाली औरत को हैज़ का खून आ जाये तो वह मस्जिद से फौरन बाहर निकल जाये। यहां तक कि पाक व साफ़ हो जाये। आपने यह भी फरमाया कि जब हैज़दार औरत नमाज़ के औकात में पाक हो जाये और गुस्ल न करके नमाज़ का वक्त ज़ाये कर दे तो उस पर उस वक्त की नमाज़

को क़ज़ा पढ़ना और उसके बाद जो नमाज़ें उसने जाये की हैं उनको क़ज़ा पढ़ना वाजिब है। और हैज़दार औरत की तहारत और उसके पाक होने की यह अलामत है कि जब वह रूई अंदरूने फरज (शर्मगाह के अंदर) दाखिल करे तो उसमें कोई चीज़ न लगी हो। जब ऐसा हो तो फिर वह पाक हो चुकी। उस पर उस वक़्त गुस्ल करना वाजिब है। पस वह गुस्ल करे और नमाज़ पढ़े। हज़रत अली^{अ.स.} का इर्शाद है कि हैज़ व नफ़ास का गुस्ल जनाबत के गुस्ल के मानिंद है। अगर जनाबत की हालत में कोई औरत हैज़दार हो जाये तो उसको एक ही गुस्ल करना काफी है।

इस्तबरा का बयान

इमाम जअफरुस्सादिक^{अ.स.} और आपके आबा—ए—किराम और मौलाना अली^{अ.स.} से मरवी है कि एक मर्तबा रसूले खुदा^{स.अ.व.} को एक शख्स ने खाने की दावत दी। आंहज़रत^{स.अ.व.} ने उस मौके पर एक लड़की को देखा जो खाना लेकर आती जाती थी और उसका पेट बड़ा—सा था। आंहज़रत^{स.अ.व.} ने उस शख्स से पूछा कि यह कौन है? उस शख्स ने अर्ज़ किया कि ए रसूले खुदा^{स.अ.व.} यह लौंडी है। इसको मैंने खरीदा है। आपने पूछा कि और यह लड़की उस वक़्त हामिला थी? उस शख्स ने कहा कि हां। आपने पूछा कि तो यह बताओ कि तुम इस औरत से करीब भी हुए हो? उस शख्स ने कहा कि हां। आपने फरमाया कि अगर तुम्हारे इस खाने की हुरमत न होती तो मैं तुम पर ऐसी लअनत करता जो तुम पर तुम्हारी क़ब्र में भी होती रहती। उस औरत के पेट में जो बच्चा है उसको आज़ाद कर दो। उस शख्स ने पूछा कि वह आज़ाद होने का क्योंकर हक़दार है ए रसूले खुदा^{स.अ.व.}? आंहज़रत^{स.अ.व.} ने फरमाया कि इसलिये कि तुम्हारे नुत्फे ने इस के कान, आंख, खून, बाल और खाल को गिज़ा पहुँचाई है।

हज़रत अली^{अ.स.} ने फरमाया है कि जब कोई शख्स ऐसी लड़की खरीदे जो हामिला हो तो उसके करीब न जाये। यहां तक कि वह बच्चा जन चुके। इसी तरह मैदाने जंग में गिरपतार शुदा औरतों से भी करीब न होना चाहिये। यहां तक कि वह बच्चा जन दे। रसूले खुदा^{स.अ.व.} ने फरमाया है कि जब लौंडी के साथ कोई शख्स हमबिस्तर हो चुका हो तो उसके इस्तबरा की मुद्दत एक हैज़ है।

इमाम जअफरुस्सादिक^{अ.स.} फरमाते है कि फरोख्त करने वाले पर इस्तबरा वाजिब है। अगर किसी शख्स ने कोई लौंडी किसी औरत से खरीदी तो वह अगर चाहे तो हमबिस्तर हो सकता है। लेकिन खरीदने वाले को इसलिये एहतियातन बचना चाहिये कि मुमकिन है कि वह लौंडी इस्तिबरा की हालत में न हो। या यह भी हो सकता है कि वह किसी और से हामिला हों और बच्चा ख्वाहमोखवाह उसकी तरफ मनसूब हो जाये। लिहाज़ा खरीदने वाले के लिये इस्तिबरा बेहतर है। इस्तिबरा की मुद्दत एक हैज़ है जो खरीदने और बेचने वाले दोनों के लिये काफी है। आपने यह भी फरमाया है कि अगर किसी ने नाबालिग लौंडी खरीदी है या बड़ी उम्र की लौंडी खरीदी है जो हैज़ से मायूस हो चुकी है तो उस पर इस्तिबरा वाजिब नहीं है। इसी तरह किसी ने ऐसे शख्स से कोई लौंडी खरीदी है जिस पर उसको भरोसा है और वह फरोख्त करने वाला यह कहता है कि उसने इस लौंडी से इस्तिबरा किया है तो अगर उस शख्स पर भरोसा है तो खरीदने वाला उसके साथ अगर हमबिस्तर हो तो कोई हरज नहीं है बशर्ते कि वह शख्स यह भी कहता हो कि उसने उस औरत के साथ हमबिस्तरी नहीं की है। और यह औरत इस्तिबरा की हालत में है। आपने यह भी फरमाया है कि अगर कोई शख्स अपनी ही लौंडी को आज़ाद करके उससे ब्याह करे तो बगैर इस्तबरा के उसके साथ हम बिस्तर होने में कोई हरज नहीं है लेकिन अगर वह किसी और के साथ उसकी शादी कर देने का इरादा रखता हो तो उस सूरत में इस्तबरा ज़रूरी है।

हज़रत अली^{अ.स.} ने फरमाया है कि अगर किसी शख्स ने कोई लौंडी खरीदी हो तो वह इस्तबरा के क़ब्ल बोसा व किनार कर सकता है। आपने ऐसी लौंडी के बारे में फरमाया जो खरीदी गई है। लेकिन इस बात का ख़ौफ है कि कहीं वह हामिला न हो तो उससे 45 रातों तक किनारा-कश रहना चाहिये हज़रत अली^{अ.स.} और इमाम बाकिर^{अ.स.} से रिवायत है कि लौंडी ने अगर बदकारी की तो उससे इस्तबरा ज़रूरी है।

इमाम जअफरुस्सादिक^{अ.स.} का इर्शाद है कि किसी शख्स ने किसी कौम की लड़की के साथ हरामकारी के साथ हमबिस्तरी की और उसको खरीद लिया तो उससे जो बच्चा पैदा होगा वह इसकी किसी चीज़ का वारिस न होगा। रसूले अकरम^{स.अ.व.} का इर्शाद है कि

الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ

अलवलदो लिल फराश वलिल आहिरिल हजर वलदुल—फराश ही मीरास का मालिक है फाजिर के लिये पत्थर यानि कुछ नहीं है।

आंहजरत^{स.अ.व.} के इर्शाद के मुताबिक वाजिब है कि उससे इस्तबरा किया जाये। ताकि वह ऐसे बच्चे की मां न बने जो मीरास का हकदार न हो सके।

इमाम जअफरुस्सादिक^{अ.स.} से रिवायत है आपने फरमाया कि अगर कोई शख्स ऐसी लौंडी खरीदे जो हैजदार हो तो उसके लिये जाइज है कि वह हैज बंद होने के बाद उसके साथ हमबिस्तरी करे और आपने दो ममलूका बहनों के बारे में फरमाया कि उनके मालिक को लायक नहीं कि वह दोनों के साथ—जिमाअ करे, अगर उनमें से एक के साथ हमबिस्तर हुआ हो तो दूसरी के साथ हमबिस्तर न हो जब तक पहली ममलूका उसकी मिलकियत से निकल न जाये और अगर दूसरी के साथ भी हम बिस्तर हुआ उस हाल में कि दोनों उसकी मिलकियत में थी तो उस पर पहली ममलूका हराम है यहां तक कि जिसके साथ उसने हमबिस्तरी की है वह किसी ज़रूरत की बिना पर फरोख्त हो कर न निकल जाये। लेकिन दूसरी ममलूका को पहली ममलूका के साथ अपने दिली लगाव की वजह से फरोख्त न करे।

इमाम बाकिर^{अ.स.} से रिवायत है आपने फरमाया कि ऐसी औरत जो कैद करके गुलाम बना ली गई है और उसका शौहर मौजूद है तो उसके साथ एक हैज तक का इस्तबरा करना लाज़मी है। मौलाना अली^{अ.स.} से रिवायत है कि एक मर्तबा हजरत उमर ने आपसे ऐसी औरत के बारे में पूछा जिसको गुंडो ने ग़ज़ब कर लिया था। आपने फरमाया कि जिस पर ज़बरदस्ती और जबर किया गया हो उस पर कोई हद जारी नहीं की जा सकती है। अलबत्ता उसको किसी साहिबे—अदल मुसलमान के हवाले कर दो। यहां तक कि वह एक हैज से इस्तबरा करे और उसके बाद उस औरत को उसके शौहर के पास भेज देना चाहिये। चुनाचे हजरत उमर ने ऐसा ही किया था।

सलात

बिस्मिल्लाहि र्हमानि र्हहीम

किताबुस सलात

नमाज़ें फर्ज होने का ब्यान

अल्लाह तआला का इर्शाद है कि :

• إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا •

इन्स सलात: कानत अलल मुमिनीन: किताबम मौकूता 5-4 / 103 तर्जुमा : नमाज़ तो ईमानदारों पर वक्ते मुअय्यन करके (तय वक्त पर) फर्ज की गई है। इमाम जाफरुस्सादिक^{अ.स.} ने खुदा वन्दे तआला के इर्शाद मौकूतन के बारे में फरमाया है कि इससे मुराद मफरूज यानि नमाज़ पढ़ना फर्ज है। आपने आयते करीमा :

فَاقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا

फअकिम वजहक: लिद्दीनि हनीफा 21-30 / 30 तर्जुमा : (ए रसूल^{स.अ.व.}) तुम बातिल से कतराते हुए अपना रुख दीन की तरफ किये रहो के बारे में फरमाया कि अल्लाह तआला ने रसूले खुदा^{स.अ.व.} को हुक्म दिया था कि हर तरफ से मुँह मोड़कर किब्ला रुख खड़े हो जाओ इस खुलूस के साथ कि उसमें बुत परस्ती का शाएबा (अन्श) तक न हो। इमाम बाकिर^{अ.स.} से उन नमाज़ों के बारे में पूछा गया जो अल्लाह तआला की तरफ से फर्ज की गई हैं आपने जवाब दिया कि अल्लाह तआला ने शबो रोज़ में कुल पांच नमाज़ें फर्ज की है। इनका ज़िक्र परवरदिगारे आलम ने अपनी किताब कुरआन-पाक में किया है आपकी खिदमत में अर्ज किया गया कि ऐ फरजन्दे रसूल क्या इन नमाज़ों का तज़क़िरा अल्लाह जल शान-हु ने किया है? आपने फरमाया कि हाँ अल्लाह तआला का इर्शाद है कि :

اقِمِ الصَّلَاةَ لِذُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ الْإِيلِ

अकिमिस सलात: लिदुलुकिश शम्सि इला गस:किल लैलि 15-17 / 78 तर्जुमा : (ए रसूल^{स.अ.व.}) सूरज के ढलने से रात के अंधेरे तक नमाज़ (जोहर व अस्र मगरिब व ईशा) पढ़ा करो। पस दुलुकिश शम्स से यहाँ मुराद सूरज

का ज़वाल (ज़ोहर व अस्त्र का वक़्त) मुराद है। और अल्लाह तआला ने इस आयते करीमा में ज़वाल के वक़्त से लेकर रात की तारिकी होने तक के दरमियान की नमाज़ों (ज़ोहर, अस्त्र, माग़रिब व ईशा) का ज़िक्र कर दिया है। ग़सःकिल लैल से आधी रात तक (यानी मग़रीब व ईशा की नमाज़) मुराद है। इसके बाद अल्लाह तआला ने फरमाया है :

وَقُرْآنَ الْفَجْرِ ۖ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا •

व कुरआनल फज़ि इन्नः कुरआनल फज़ि कानः मशहूदा 15-17/78 तर्जुमा : और नमाज़ें सुबह भी क्योंकि सुबह को नमाज़ पर दिन और रात के दोनों फरिश्तों की गवाही होती है। पस इस आयत में पांचवी नमाज़ सुबह का तज़क़िरा है। इसके अलावा दूसरे मक़ाम पर इर्शादे बारी है कि :

أَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفِي النَّهَارِ

व अकिमिस सलातः तरः फयिन नहारि 12-11/114 तर्जुमा : (और ऐ रसूल^{स.अ.व.}) दिन के दोनों किनारे नमाज़ पढ़ा करो। इस आयते करीमा में दिन के दोनों किनारों से फज़ और मग़रिब की नमाज़ मुराद है और जुलफ़म मिनल लैल यानि कुछ रात गई नमाज़ पढ़ा करो। इससे नमाज़े ईशा मकसूद है और अल्लाह तआला का ये भी इर्शाद है कि :

حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَىٰ ۖ

हाफिजू अलस सलवाति वस्सलातिल वुस्ता 2-2/238 तर्जुमा : (मुसलमानों) तुम तमाम नमाज़ों की (और खुसूसन) बीच वाली नमाज़ (सुबह या जौहर या अस्त्र) की पाबन्दी करो। यूँ तो सलाति वुस्ता बीच वाली नमाज़ से नमाज़े जुमुआ मुराद है मगर जुमुआ के अलावा दूसरे दिनों में सलाति वुस्ता बीच वाली नमाज़े जौहर मुराद है। इस्लाम में नमाज़े ज़ोहर सबसे पहली नमाज़ है जिसे रसूलल्लाह^{स.अ.व.} ने पढ़ी थी ये दिन में पढ़ी जाने वाली नमाज़ों यानी सुबह और अस्त्र की नमाज़ के दरमियान (ज़ोहर की नमाज़ यानि सलाते वुस्ता है।

इमाम जअफरुस्सादिक^{अ.स.} से रिवायत है कि अल्लाह तआला ने पहले तो शबो रोज़ में कुल पचास नमाज़े फर्ज़ की थी लेकिन बाद में अल्लाह तआला ने अपनी मख़लूक पर रहम फरमाकर उन पचास नमाज़ों को पँचगाना नमाज़ में तब्दील कर दिया। वाकिआ यूँ बयान किया जाता है कि अल्लाह तआला ने जब अपने पैगम्बर सरकारे दो आलम^{स.अ.व.} को मेअराज का

शरफ बख्शा था उस वक़्त आप तमाम अम्बिया^{अ.स.} के पास से गुज़रे थे मगर उनमें से किसी नबी ने कुछ न पूछा लेकिन जब आप^{स.अ.व.} हज़रत मूसा^{अ.स.} के पास से गुज़रे तो उन्होंने फ़राइज़ के बारे में आपसे पूछा आंहुज़रत^{स.अ.व.} ने उनको सब कुछ बता दिया। हज़रत मूसा^{अ.स.} ने फ़रमाया कि ऐ मुहम्मद^{स.अ.व.} अपने रब की बारगाह में वापस जाओ और अर्ज़ करो कि बारे इलाहा! तू मेरी उम्मत पर इन फ़राइज़ में से तख़फ़ीफ़ (कमी) फ़रमा दे। ऐ मुहम्मद^{स.अ.व.} ये इसलिये कि मैं बनी इस्राईल की इताअत से अच्छी तरह वाकिफ़ हूँ क्योंकि मुझ पर भी जब फ़राइज़ नाज़िल हुए थे तो उन फ़राइज़ ने बनी इस्राईल को मुनकर बना दिया था और उन्होंने ताअत से इन्कार किया था। ये सुनकर रसूले खुदा^{स.अ.व.} वापस लौटे और परवरदिगारे आलम से अर्ज़ किया तो अल्लाह तआला ने पाँच नमाज़ को और कम कर दिया। जब मूसा^{अ.स.} को इसकी ख़बर दी गई तो उन्होंने कहा कि फिर वापस जाओ चुनांचे फिर पाँच नमाज़ें कम हो गई, इसी तरह हज़रत मूसा^{अ.स.} आपको वापस करते रहे यहाँ तक कि जब सिर्फ़ पाँच नमाज़े बाकी रह गई तो उस वक़्त रसूले खुदा^{स.अ.व.} को बारगाहे इलाही में जाकर अर्ज़ करने से शर्म व हया महसूस हुई। इमाम जअफ़रुस्सादिक्^{अ.स.} ने इस वाकिआ को बयान करने के बाद फ़रमाया कि अल्लाह तआला हज़रत मूसा^{अ.स.} को इस उम्मत की तरफ़ से जज़ाए खैर अता करें।

इन पाँच नमाज़ों में कुछ सतराह रकआत नमाज़े तो फ़र्ज़ हैं जोहर की नमाज़ चार रकआत हैं जिसमें आयते कुरआनी की किराअत मख़फी पढ़ी जाती है और हर दो रकआत के बाद तशाहुद के लिये दो मर्तबा बैठा जाता है और हर जुलुस के वक़्त (बैठते) दुआ—ए—तशाहुद पढ़ी जाती है अस्स की नमाज़ भी इसी तरह से है। और मग़रिब की नमाज़ कुल तीन रकआत है पहली दो रकआतों में किराअत बुलन्द आवाज़ से पढ़ी जाती है। दो रकआत के बाद बैठते वक़्त तशाहुद पढ़ा जाता है इसके बाद उठकर एक रकआत नमाज़ मख़फी किराअत के साथ पढ़ी जाती है इसके बाद नमाज़ पढ़ने वाला बैठकर तशाहुद पढ़ता है और सलाम फ़ैरता है। ईशा की नमाज़ भी जोहर ही की नमाज़ की तरह से है। अलबत्ता ईशा की नमाज़ में शुरू की दो रकआतों में किराअत बुलन्द आवाज़ से पढ़ी जाती है और फ़ज़्र की नमाज़ दो रकआत है जिसमें किराअत बुलन्द आवाज़ से पढ़ी जाती है और दूसरी रकआत में रुकूअ से पहले दुआ—ए—कुनूत पढ़ी जाती है। पस ये पंचगाना नमाज़ों की रकआतों की तादाद है। जो फ़र्ज़ है इस पर तमाम मुसलमानों

का इत्तेफाक है, और सुन्नते फराइज से दो गुनी यानी 34 रकआते हैं, इन्शाअल्लाह हम उनकी तादाद का ज़िक्र आइन्दा करेंगे।

नमाज़ की तरगीब और इसके तमाम करने का हुक्म और सवाब का बयान

इमाम जअफरुस्सादिक^{अ.स.} और आपके आबा—ए—किराम^{अ.स.} से मरवी है कि रसूले खुदा^{स.अ.व.} ने फरमाया है कि अपनी जानों को निजात दिलाओ। अमल करो। तुम्हारा सबसे बेहतर अमल नमाज़ है और आपने ये भी फरमाया है कि नमाज़ हर मुत्तकी के लिये कुरबते इलल्लाह का ज़रिया हैं। और जबकि हर चीज़ के मुँह होते हैं तो तुम्हारे दीन का मुँह नमाज़ हैं।

हज़रत अली^{अ.स.} ने फरमाया है कि मैं तुम लोगों को उस नमाज़ की वसीयत करता हूँ जो दीन का खंबा है, और जिस पर इस्लाम की बुनियाद है। लिहाज़ा तुम लोग नमाज़ से कभी गाफिल न रहना।

इमाम बाकिर^{अ.स.} ने अपने किसी शिआ से फरमाया था कि तुम हमारे जिन दोस्तों से भी मिलो उनको हमारा सलाम पहुँचा दो और उनसे कहो कि मैं खुदा के नज़दीक तुमको जोहद व तक्वा के बगैर कोई फायदा नहीं पहुँचा सकता लिहाज़ा तुम अपनी ज़बानों पर काबू रखो और अपने हाथों को ग़लत कामों से रोको, और सब्र व नमाज़ पर लाज़िम रहो 'इन्ल्लाह मअस साबिरीन बेशक अल्लाह तआला सब्र करने वालों के साथ है'। इमाम जअफरुस्सादिक^{अ.स.} का इर्शाद है कि मैं माअरिफते इलाही के बाद नमाज़ के सिवा किसी और चीज़ को ज़्यादा अफज़ल नहीं समझता हूँ।

हज़रत अली^{अ.स.} का इर्शाद है कि नमाज़ दीन का उमूद (खंबा) है, अल्लाह तआला क़यामत के रोज़ जब इब्ने आदम के आमाल पर नज़र डालेगा तो सबसे पहले नमाज़ पर नज़र डालेगा। अगर नमाज़ दुरुस्त निकली तो फिर बाकी अमल पर नज़र करेगा और अगर नमाज़ दुरुस्त ना निकली तो फिर किसी अमल की तरफ निगाह न करेगा। जिस शख्स ने नमाज़ को तर्क किया उसके लिये दीन व इस्लाम में कोई हिस्सा नसीब नहीं है।

हज़रत अली^{अ.स.} से रिवायत है कि रसूले अकरम^{स.अ.व.} ने फरमाया है कि शैतान उस मुअमिन बन्दे से हमेशा डरता है। जो पँचगाना नमाज़ पर

लाज़िम रहता है और जब वो नमाज़ नहीं पढ़ता है तो उस पर ज़रूरत करके उसको बड़े-बड़े गुनाहों में मुबतिला कर देता है।

इमाम बाकिर^{अ.स} का इर्शाद है कि जब बन्दा नमाज़ की हालत में होता है तो वो उस वक़्त अल्लाह जल सुब्हानहु से बहुत ज़्यादा क़रीब होता है। हज़रत अली^{अ.स} से रिवायत है कि रसूले अकरम^{स.अ.व.} ने फरमाया है कि जिस शख्स ने कामिल तौर से वुजुअ किया और ब-हुस्न व ख़ुबी नमाज़ अदा की और अपने अमवाल की ज़कात अदा की और अपने गुस्से को रोका और अपनी ज़बान को बंद-कलामी से बन्द रखा और कारे-ख़ैर किया और अपने रब से माफ़ी मांगी और मेरे अहले बैत^{अ.स} की ख़ैर ख़्वाही की तो उसने ईमान की हकीकतों को पा लिया, उसके लिये जन्नत के दरवाज़े खुले हैं।

इमाम बाकिर^{अ.स} अकसर फरमाया करते थे कि ऐ इल्म के तलाश करने वाले नमाज़ पढ़ो इससे क़ब्ल के तुझे (मौत मौका न दे) इस बात पर कुदरत हासिल हो कि तू रात और दिन में कोई नमाज़ पढ़ सके। नमाज़ की मिसाल नमाज़ पढ़ने वाले के लिये वैसी ही है जैसे कि एक शख्स जब किसी बादशाह के दरबार में हाज़िर होता है तो निहायत खामोश और अदब के साथ खड़ा रहता है। यहां तक कि वो अपनी ज़रूरत से फारिग हो जाता है। यही हाल मुसलमान का है जबकि वो नमाज़ की हालत में बारगाहे इलाही में पेश होता है।

हज़रत अली^{अ.स} से रिवायत है कि रसूले खुदा^{स.अ.व.} ने फरमाया है कि जन्नत में एक दरख़्त है जिसकी जड़ से चित कब्रें घोड़े निकलेंगे जो मल मूत्र से पाक होंगे उन पर ज़ीन और लगाम होगी ये लगामें सोने की होंगी और ज़ीन मोती और याकूत की होगी उन घोड़ों पर अहले इल्लीयीन (जन्नत में एक दरजा है) सवार होंगे जब वो सवार होकर अपने से नीचे दरजे के लोगों के पास से होकर गुज़रेगे तो उस वक़्त उस जन्नत के लोग कहेंगे कि परवरदिगार! तूने अपने इन बन्दों को किस वजह से इज़्ज़त व करामत अता की है? तो उनको जवाब दिया जायेगा कि ये लोग दिन में रोज़ा रखते थे और तुम लोग ख़ूब खाते-पीते थे ये लोग रात को उठकर नमाज़ पढ़ते थे और तुम लोग ख़ूब आराम से सोते थे, ये लोग सदका व ख़ैरात करते थे और तुम बख़ालत और कंजूसीपना करते थे, और ये लोग खुदा की राह में जिहाद करते थे और तुम बुज़दिली का मुज़ाहिराह करते थे। रसूले खुदा^{स.अ.व.} ने ये भी फरमाया है कि जब कोई शख्स ऐसा गुनाह करे जिससे खौफ़ज़दा हो तो उसको अच्छी तरह वुजुअ करके मैदान में ऐसे मकान पर चले जाना चाहिये

जहां उसको कोई भी न देख सके वहाँ दो 2 रकआत नमाज़ पढ़े फिर दुआ करे कि परवरदिगार मेरे फुलां—फुलां गुनाह माफ कर दे ये नमाज़ उसके लिये बतौर कफ़ारा है और ये कफ़ारा खुदा बेहतर जानता है उन गुनाहों के लिये है जो उसके और बन्दों के दरमियान होते हैं। लेकिन जो गुनाह मखलूक के साथ होते हैं उन गुनाहों की तौबा मकबूल नहीं सिवाए इसके कि लोग खुद माफ कर दें या फिर उनकी ली हुई चीज़ें उनके हाथों को लौटा दी जाये।

इमाम बाकिर^{अ.स.} ने फरमाया इर्शाद बारी हैं कि :

وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ •

वल लज़ीन: हुम अला सलवातिहिम युहाफिज़ून 18-23/9 तर्जुमा — और वो लोग जो अपनी नमाज़ों की पाबन्दी किया करते हैं। इस आयते करीमा के बारे में फरमाया कि इससे फर्ज नमाज़ मुराद है। यानि जिस शख्स ने उनको वक़्त मुक़र्रर पर अदा किया और उनके हुकुक को पहचाना और उन पर किसी और चीज़ को तरजीह न दी तो अल्लाह तआला उसको दोज़ख से बराअत का परवाना लिख देगा और उसको अज़ाब में मुबतिला ना करेगा। और जिसने वक़्त पर नमाज़ न पढ़ी और उसके हुकुक को न पहचाना उस पर दूसरी चीज़ को तरजीह दी तो अब उसका मामला खुदा वन्दे तआला के इख्तियार में होगा चाहे तो वो उसको माफ कर देगा या अज़ाब मे मुब्तिला कर देगा।

इमाम जअफररुस्सादिक^{अ.स.} ने फरमाया है कि एक मर्तबा एक शख्स ने आंहज़रत^{स.अ.व.} की खिदमत में हाज़िर होकर अर्ज किया कि ऐ रसूले खुदा^{स.अ.व.} आप अल्लाह से दुआ करें कि वो मुझे दाखिले जन्नत कर दे आपने उससे फरमाया कि देखो मैं तो तुम्हारे लिये दुआ करूँगा लेकिन तुम बकसरत सजदों से (यानि नमाज़ से) मेरी मदद करो।

हज़रत अली^{अ.स.} से मरवी है आपने फरमाया कि पंचगाना नमाज़ उन गुनाहों का कफ़ारा है जो इन नमाज़ों के दरमियान छोटे—छोटे गुनाह होते हैं जब तक कि तुम बड़े—बड़े गुनाह के काम न करोगे और नमाज़ ही के मुताल्लिक अल्लाह तआला ने ये भी फरमाया है कि :

إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ۖ ذَلِكَ ذِكْرُ لِلذَّاكِرِينَ •

इन्नल हसःनति युज़हिब—नस—सयियआति ज़ालिकः ज़िकरा लिज़्ज़ाकिरीन 12—11/114 तर्जुमा : (नमाज़े पढ़ा करो) क्योंकि नेकीयां यकीनन गुनाह को दूर कर देती है और हमारी याद करने वालों के लिये ये बातें नसीहत और इब्रत है।

रसूल^{स.अ.व.} का इर्शाद है कि सबसे बड़ा चोर वो है जो अपनी नमाज़ की चोरी करता है यानि फराइज़ को बराबर अदा नहीं करता है। आप^{स.अ.व.} ने ये भी फरमाया है कि जिस शख्स ने अपना वुजुअ, रूकूअ, सुजुद और खुशुअ पूरी तरह से अदा न किया तो उसकी नमाज़ बे नतीजा यानि नाकिस और ना मुकम्मिल होगी। और अमीरुल मुअमिनीन^{अ.स.} का इर्शाद है कि नमाज़ एक मीज़ान है जिसने पूरी तरह से अदा किया उसको पूरा—पूरा बदला मिलेगा।

आंहज़रत^{स.अ.व.} ने फरमाया है कि अगर तमक्कुन (इत्मिनान) के साथ ही दो 2 रकआत नमाज़ पढ़ ली जाये तो रात भर की रात भर जागने से बेहतर है। हज़रत अली^{अ.स.} ने फरमाया है कि जो शख्स अपनी नमाज़ को अच्छी तरह से अदा नहीं करता है उसकी मिसाल उस हामिला औरत की है जो हामिला तो होती है लेकिन जब जनने का वक़्त करीब होता है तो अपना हमल गिरा देती है। पस न तो वो हामिला रही और न उसको कोई औलाद हुई। इमाम जअफरुस्सादिक^{अ.स.} ने फरमाया है कि जब कोई मुसल्ली नमाज़ पढ़ता है तब आसमान की बुलन्दियों से उस पर रहमत नाज़िल होती है और मलाइका उसको अपने हलक़े में ले लेते हैं और एक फरिश्ता निदा करता है कि अगर नमाज़ पढ़ने वाला ये जान जाये कि उसके लिये नमाज़ में क्या अजरो सवाब है तो वो कभी उससे मुँह न फिराएगा।

आपने ये भी फरमाया है कि खुदा के नज़दीक सबसे ज़्यादा पसंदीदा अमल नमाज़ है नमाज़ अंबिया—ए—किराम की आखिरी वसीयत है। इससे ज़्यादा कोई काम अच्छा नहीं है कि एक शख्स गुस्ल करने के बाद मुकम्मिल तौर से वुजुअ करे फिर वो मैदान में ऐसी जगह चला जाये जहाँ कोई उसका अनीस न हो तो अल्लाह तआला बहालत रूकूअ व सुजुद उसकी तरफ़ मुतवज्जा होता है और जब कोई बन्दा सजदा करता है तो इब्नीस आवाज़ देता है कि ऐ वाए अफसोस इस शख्स ने तो इताअत की और मैंने नाफरमानी की, इस शख्स ने सजदा किया और मैंने सजदा से इन्कार किया, जब बन्दा सजदा करता है तो उस वक़्त अल्लाह से ज़्यादा करीब होता है।

इमाम बाकिर^{अ.स.} ने फरमाया है कि जब बन्दा मुस्लिम अपनी नमाज़ में तकबीर—तुल—एहराम करता है तो अल्लाह तआला उसकी तरफ मुतवज्जा हो जाता है और उस पर एक फरिश्ते को मुकर्रर फरमा देता है जो उसके मुँह से कुरआन को चुन लेता है। और जब नमाज़ से मुँह फिरा लेता है तो अल्लाह तआला भी उससे मुँह फेर लेता है और उसको फरिश्ते के हवाले कर देता है।

नमाज़ के औकात (वक़्त) का बयान

इमाम जअफरुस्सादिक^{अ.स.} से रिवायत है कि आपने फरमाया कि हर नमाज़ के लिये दो वक़्त है। एक अब्बल वक़्त है और दूसरा आखिर वक़्त है। लेकिन अब्बल वक़्त अफज़ल है। किसी को इस बात का इख्तियार नहीं है कि वो दोनो वक़्तों में से आखिर वक़्त को ही अपना वक़्त बना ले। आखिर वक़्त तो महज बीमार और माअज़ूर के लिये रखा गया है। अब्बल वक़्त में अल्लाह तआला की खुशनुदी हासिल होती है और आखिरी वक़्त में तो अल्लाह मग़फिरत करता है और मग़फिरत किसी तक़सीर की बिना पर होती है तक़सीर यही है कि एक शख्स आखिर वक़्त में नमाज़ पढ़ता है उसका जो वक़्त उससे फौत हो गया है वो उसके अहलो अयाल और माल व ज़र से अफज़ल था।

इमाम जअफरुस्सादिक^{अ.स.} ने फरमाया है कि किसी सायादार चीज़ को मुअतदिल (उपयुक्त) और सीधी जगह में दिन के आगाज में नसब कर दिया जाये तो उसका साया धीरे—धीरे मग़रिब की तरफ बढ़ता जायेगा फिर एक हद तक पहुँचने के बाद सिकुड़ना और कम होना शुरू कर देगा यहाँ तक कि वो बिल्कुल ठहर जायेगा ये उस वक़्त होता है जबकि सूरज मशरिक व मग़रिब के दरमियान आसमान के बीचो—बीच में आ जाता है। फिर उसके बाद सूरज का ज़वाल होता है और उसकी मशीयत के मुताबिक वो चलता है। साया तो बरकरार रहता है लेकिन उसकी हरकत मालूम नहीं होती। फिर उसके बाद वो साया ज़्यादती की तरफ हरकत करता है लिहाज़ा जब उसकी हरकत मालूम हो जाये तो उसी को ज़ोहर का पहला वक़्त समझना चाहिये। लोगों ने ज़ोहर और असर और दिन के औकात की

बहुत सी निशानियाँ और अनुमान बना लिये हैं जिनका विस्तार के साथ बयान करना इस किताब की हद से बाहर है।

इमाम जअफरुस्सादिक^{अ.स.} से रिवायत है आपने फरमाया है कि जब सूरज का ज़वाल हो जाये तो ज़ोहर व असर दोनों नमाज़ों का वक़्त हो जाता है। ज़ोहर की नमाज़ पढ़ चुकने के बाद नमाज़े असर पढ़ने में कोई चीज़ अरचन नहीं सिवाए उस नाफिला या तसबीह के जो ज़ोहर के बाद और असर के पहले पढ़ी जाती है। अगर चाहे तो उसको इतना लम्बा कर दे कि कुछ अरसा गुज़र जाये या फिर इख़तिसार से काम ले।

इमाम बाकिर^{अ.स.} एक मर्तबा अपने एक सहाबी के साथ मशरिबते इब्राहिम (मदीना में एक टेकरी का नाम है) की जानिब निकल पड़े और फिर उस टेकरी पर चढ़कर नीचे उतर आए और उस शख्स से पूछा कि बताओ तो सूरज का ज़वाल हो चुका है? उस शख्स ने अर्ज़ किया कि मौला आप पर मैं कुरबान हो जाऊ मुझसे ज़्यादा आपको इसका इल्म है ये सुनकर आपने नज़र उठाकर देखा और फरमाया कि ज़वाल का वक़्त हो चुका है आपने अज़ान दी और एक खजूर के पास जाकर ज़वाल की नमाज़ यानि ज़ोहर की नमाज़ से पहले सुन्नत की नमाज़ अदा की उसके बाद आपने इक़ामत कही और एक दूसरी खजूरी के पास तशरीफ ले गये वहां पर आपने उस शख्स को अपने दायें तरफ खड़ा किया और ज़ोहर की चार रकआत नमाज़ पढ़ी। इसके बाद दूसरी खजूरी के पास ज़ोहर के बाद की चार रकआत सुन्नत अदा की उसके बाद आपने अज़ान देकर चार रकआत सुन्नत नमाज़ पढ़ी। इसके बाद इक़ामत कहकर आपने असर की नमाज़ पढ़ी। इन दोनों नमाज़ों के दरमियान फक़त तसबीह का ही वक़फ़ा था। ज़ोहर व असर की नमाज़ों के इन औकात पर इत्तेफाक़ है और फिर इन दोनों नमाज़ों के औकात में कुशादगी (लम्बा वक़्त) है।

इमाम जअफरुस्सादिक^{अ.स.} से मरवी है आप फरमाते हैं कि असर की नमाज़ का आखिरी वक़्त ये है कि सूरज पीला पड़ जाये।

रसूले खुदा^{स.अ.व.} से रिवायत है आप फरमाते हैं कि असर की नमाज़ उस वक़्त पढ़ो जबकि सूरज साफ़ व शिफाफ़ (चमकीला) हो यानि इससे पहले कि सूरज का रंग बदल जाये या वो पीला पड़ जाये। जैसा कि जाहिल अवाम उस वक़्त असर की नमाज़ पढ़ते हैं। वो इस बारे में रसूले खुदा^{स.अ.} की हदीस भी पेश करते हैं लेकिन जब ये लोग इस बारे में अइम्मा आले मुहम्मद सलवातुल्लाह अलेहिम के इस कौल से वाकिफ़ हुए जिसका ज़िक्र

हमने इनकी तरफ इनतिसाब (इशारा) करते हुए किया है कि जब सूरज का ज़वाल हो जाता है तो साथ ही साथ जोहर और असर की नमाज़ का वक़्त भी हो जाता है तो अवाम में से कुछ लोग भी इसके काइल हो गये फिर भी इन लोगों ने असर के वक़्त में हद से ज़्यादा देरी करने की रीत रखी महज़ औलिया उल्लाह की मुखालिफ़त की गरज़ से अल्लाह तआला उन्हें औलिया उल्लाह की मुखालिफ़त करने की वजह से अज़ाब में मुब्तिला कर देगा।

इमाम जअफरुस्सादिक^{अ.स.} और आपके आबा-ए-किराम से मरवी है कि मग़रिब की नमाज़ का पहला वक़्त ये है कि सूरज डूब जाये और सूरज के डूबने का मतलब ये है कि सूरज का गोला पश्चिमी क्षितिज में इस तरह से डूब जाये कि क्षितिज के दरमियान कोई चीज़ ऐसी रूकावट न हो जैसे पहाड़ या दीवार वगैराह जब गोला गायब हो जाये तो वो नमाज़े मग़रिब का पहला वक़्त है इस पर सबका इत्तेफाक़ है और अगर कोई चीज़ सूरज और क्षितिज के दरमियान रूकावट हो जाये उस वक़्त सूरज का गोला डूबने की निशानी यह है कि पुर्व में क्षितिज पर कालक छा जाये। इमाम जअफरुस्सादिक^{अ.स.} का यही इर्शाद है।

रसूले अकरम^{स.अ.व.} से मरवी है आपने फरमाया कि यहां से रात निकले तो मग़रिब का वक़्त हो जाता है और उस वक़्त आपने मशरिक़ की जानिब इशारा फरमाया था। अबुल खत्ताब ने इमाम जअफरुस्सादिक^{अ.स.} को फरमाते हुए सुना कि जब सुर्खी यहाँ से गायब हो जाये तो उस वक़्त मग़रिब का वक़्त होता है और आपने मशरिक़ की जानिब इशारा फरमाया था। लेकिन जब अबुल खत्ताब ने बहुत सी बिदअतो को जारी किया तो उस वक़्त उसने अपने असहाब से कहा कि मग़रिब की नमाज़ का अब्बल वक़्त उफ़ुके मग़रिब से सुर्खी का गायब हो जाना है। अबुल खत्ताब ने इतना ही नहीं कहा बल्कि यहाँ तक कहा कि मग़रिब की नमाज़ तुम उस वक़्त तक न पढ़ो जब तक कि सितारे आसमान पर बिखर न जाये जब इमाम जअफरुस्सादिक^{अ.स.} को इसकी खबर हुई तो आपने उस पर लाअनत भेजी और फरमाया कि जो शख्स सितारों के निकलने तक जान बूझकर नमाज़े मग़रिब छोड़ देगा तो मैं उससे बरी हूँ।

इमाम जअफरुस्सादिक^{अ.स.} फरमाते हैं कि इशा की नमाज़ का अब्बल वक़्त शफ़क़ (लालिमा) का गायब हो जाना है। शफ़क़ उस सुर्खी को कहते हैं जो सूरज के गुरुब के बाद उफ़ुके मग़रिब में दिखाई देती है और इशा की नमाज़ का आखिरी वक़्त निस्फ़ुललैल यानी आधी रात तक है।

इमाम जअफरुस्सादिक^{अ.स.} से रिवायत है आप फरमाते हैं कि सलातुल लैल (यानी तहज्जुद की नमाज़) नमाज़े इशा पढ़ने के बाद अब्बल शब से लेकर आखिरी रात तक जब तुम चाहो पढ़ सकते हो और सलातुल लैल (तहज्जुद) के बाद नमाज़ व़त्र पढ़नी चाहिये।

इमाम जअफरुस्सादिक^{अ.स.} फरमाते हैं कि फ़ज़्र की दो 2 रकआत नमाज़ का व़क्त फ़ज़्र के फ़ैल जाने के बाद है। आपसे ये भी मरवी है कि फ़ज़्र होने से क़ब्ल इन दो रकआतों के पढ़ने में कोई हर्ज नहीं है इसमें बड़ी कुशादगी है। क्योंकि फ़ज़्र की ये दो रकआत नमाज़ उन फ़राइज़ में दाख़िल नहीं है जिनका हमने ज़िक्र किया है ये तो सुन्नत की दो रकआत नमाज़ है। व़क्त की तजदीद (हद) और पाबन्दी तो फ़र्ज़ नमाज़ में लाज़मी है। लेकिन फ़ज़्र की ये दो रकआत नमाज़ तुलुअ फ़ज़्र के बाद पढ़ना चाहिये क्योंकि ये दोनों रकआतें फ़ज़्र की तरफ़ मनसूब हैं कि जिस तरह से कि तुम हर नमाज़ की सुन्नत उसके व़क्त में पढ़ते हो उसके व़क्त से पहले नहीं पढ़ते।

इमाम जअफरुस्सादिक^{अ.स.} से रिवायत है आप फरमाते हैं कि नमाज़े फ़ज़्र का अब्बल व़क्त मशरिक के उफ़ुक (क्षतिज) में सफ़ेदी का नमूदार (ज़ाहिर) होना है और इसका आखिरी व़क्त ये है कि मग़रिब की जानिब सुर्खी फ़ैल जाये क़ब्ल इसके कि मशरिक के उफ़ुक से सूरज का दायरा ज़र्ज़ बराबर भी नमूदार हो उस व़क्त तक नमाज़ में देरी ना करनी चाहिये बशर्तें कि ताख़ीर का कोई वजह और कोई सबब हो लेकिन अब्बल व़क्त में नमाज़ पढ़ना अफ़ज़ल है। हमने उफ़ुक के मशरिक में जिस सफ़ेदी (फ़ज़्र) के फ़ैलने का ज़िक्र किया है तो मालूम होना चाहिए कि अरब फ़ज़्र अब्बल को जनबुस—सरहान (झुठी फ़ज़्र) कहते हैं कि इससे मुराद वो रोशनी है जो सूरज के तुलुअ होने के मुक़ाम से ज़रा—ज़रा नमूदार होती है जैसे चिराग़ की रोशनी तो उस व़क्त न नमाज़ पढ़ना वाजिब है और न रोज़ादार पर खाना—पीना हराम होता है फिर ये रोशनी उफ़ुक के दाएं—बाएं तरफ़ फैल जाती है जब ऐसा हो तो उसी को फ़ज़्रे सानी समझना चाहिये और यही नमाज़े फ़ज़्र का अब्बल व़क्त है इस व़क्त रोज़ादार पर खाना—पीना जिमाअ करना हराम हो जाता है।

इमाम बाकिर^{अ.स.} और इमाम जअफरुस्सादिक^{अ.स.} से मरवी है दोनों इमामैन अक़दसैन फरमाते हैं कि अगर तुम पर फ़र्ज़ नमाज़ जो फ़ौत हो गई है तो पढ़ना चाहो तो जब तक उस फ़र्ज़ को अदा न कर लो नाफ़िलत की नमाज़ न पढ़ो इमाम बाकिर^{अ.स.} फरमाते हैं कि परवरदिगारे आलम फरीज़ा

की अदाएगी के बाद ही नाफिलत को कबूल फरमाता है। एक शख्स ने आपकी खिदमत में अर्ज किया ये किस तरह से है मैं आप पर कुर्बान जाऊँ? आपने फरमाया कि तुम खुद सोचो कि अगर तुम पर माहे रमज़ान का एक भी रोज़ा बाकी हो तो क्या तुम उसको कज़ा रखने से पहले कोई तत्त्वोअ का रोज़ा रख सकते हो? उस शख्स ने अर्ज किया कि नहीं आपने फरमाया कि यही हाल नमाज़ का है कि ऐसे ही फौत शुदा नमाज़े भी मुमकिन है जबकि आखरी वक़्त में कोई मुसल्ली नफल नमाज़ पढ़ना शुरू करे और फर्ज़ नमाज़ का वक़्त गुज़र जाता हो तो उस पर वाजिब है कि वो पहले फर्ज़ नमाज़ पढ़े और अगर नमाज़ का अव्वल वक़्त हो और वो नफल नमाज़ पढ़ने के बाद वक़्त गुज़रने से पहले फर्ज़ नमाज़ अदा पढ़ सकता हो तो फिर वो नफल नमाज़ पढ़ सकता है। हम इन्शाल्लाह आइन्दा फर्ज़ और सुन्नत नमाज़ पढ़ने की कैफ़ियत बयान करेंगे।

इमाम जाफ़र बिन मुहम्मद^{अ.स.} से रिवायत है आप सख़्त गर्मी के दिनों में जोहर की नमाज़ में इबराद गरमी की शिद्दत में कमी होने तक यानि ज़वाल के बाद ज़रा ताख़ीर से नमाज़ पढ़ने का हुक्म फरमाते थे।

इमाम जअफरुस्सादिक^{अ.स.} और आपके आबा—ए—किराम और हज़रत अली^{अ.स.} से मरवी है कि जुमआ की नमाज़ ज़वाल के वक़्त ही पढ़नी चाहिये।

इसी तरह आपसे ये भी रिवायत है कि आपने सफ़र में जोहर व अस्त्र और मग़रिब व इशा को एक साथ पढ़ने की इजाज़त दी है और जिन मस्जिदों में जमाअत के साथ नमाज़ होती हो तो उनमें हज़र (घर) की हालत में अगर कोई खास उज़र मसलन बारिश हो या सख़्त सर्दी हो या हवा चलती हो या अन्धेरा हो तो एक अज़ान और दो इक़ामत से दो नमाज़े एक साथ पढ़ी जा सकती है। इसकी सूरत ये है कि अज़ान व इक़ामत कह कर पहली नमाज़ पढ़ ली जाये फिर सलाम फ़ैरने के बाद उठकर इक़ामत कहने के बाद दूसरी नमाज़ पढ़ ली जाये। इस सूरत में पहली नमाज़ आखरी वक़्त में पढ़ना मुस्तहिब है। और दूसरी नमाज़ अव्वल वक़्त में मुस्तहिब है। अगर दोनों नमाज़े पहले वक़्त के अन्दर ही पढ़ ली जाये तो कोई हर्ज नहीं है। ये सूरत महज़ मग़रिब व इशा की नमाज़ में मुमकिन है। रही जोहर व अस्त्र की नमाज़ तो हमने ऊपर ज़िक्र कर दिया है कि जब सूरज का जवाल हो जाये तो जोहर व अस्त्र दोनों नमाज़ों का वक़्त हो जाता है अगर किसी शख्स की कोई नमाज़ फौत हो गई हो तो जब याद आए तो उसको कज़ा पढ़ लेनी चाहिये।

इमाम जअफरुस्सादिक^{अ.स.} से रिवायत है कि एक मर्तबा रसूले खुदा^{स.अ.व.} अपने सफर के दरमियान एक वादी में ठहरे जहां आप^{स.अ.व.} ने रात बसर की। आपने अपने असहाब से फरमाया कि आज की शब कौन हमारी निगरानी करेगा? हज़रत बिलाल^{र.ज.} ने कहा कि मैं ये खिदमत अनजाम दूंगा। चूनांचे आंहज़रत^{स.अ.व.} और आपके तमाम असहाब सो गये और उस वक़्त उठे जब सूरज की रोशनी बहुत तेज हो गई थी। रसूले अकरम^{स.अ.व.} ने बिलाल से दरयाप्त फरमाया कि ऐ बिलाल ये क्या बात है? उन्होंने अर्ज़ किया कि जिस तरह से आप लोगों पर नींद का ग़लबा हो गया था उसी तरह मुझ पर भी नींद का ग़लबा हो गया था। रसूले अकरम^{स.अ.व.} ने ये सुनकर इर्शाद फरमाया कि ऐसी वादी से जल्द निकल जाओ जहां तुम पर नींद का ग़लबा हो गया है क्योंकि तुमने आज की रात शैतान की वादी में गुज़ारी है आपने इतना फरमाने के बाद वुजु किया और लोगों ने वुजु किया और बिलाल^{र.ज.} को अज़ान का हुक्म दिया। उन्होंने अज़ान दी आपने फज़्र की दो रकआत सुन्नत पढ़ी फिर इक़ामत कहने के बाद दो 2 रकआत फर्ज़ नमाज़ पढ़ी।

इमाम जअफरुस्सादिक^{अ.स.} से रिवायत है आप फरमाते हैं कि जिस शख्स की नमाज़ फौत हो गई हो और दुसरी नमाज़ का वक़्त हो चुका हो तो अगर वक़्त कुशादाह हो तो पहले क़ज़ा नमाज़ पढ़े, फिर दूसरी नमाज़ पढ़े और अगर वक़्त इतना ही हो कि वो सिर्फ़ वहीं नमाज़ पढ़ सकता है जिसका वक़्त हुआ है तो पहले उसे पढ़े फिर उसके बाद फौत शुदा नमाज़ को क़ज़ा पढ़े।

इमाम जअफरुस्सादिक^{अ.स.} से मरवी है कि एक मर्तबा एक शख्स ने आपसे पूछा कि ऐ फरजन्दे रसूल^{स.अ.व.} आप उस शख्स के बारे में क्या फरमाते हैं जो ज़ोहर की नमाज़ को भूल गया और उसने अस्त्र की दो रकआत नमाज़ पढ़ ली आपने फरमाया कि उस शख्स पर लाज़िम है कि उन दो रकआतों को ज़ोहर की नमाज़ क़रार दे उसके बाद अस्त्र की नमाज़ फिर से शुरू करे। उस शख्स ने अर्ज़ किया कि अगर मग़रिब की नमाज़ भूल गया और उसने इशा की दो रकआत नमाज़ पढ़ ली तो क्या करे। आपने फरमाया कि उसको तमाम करे और फिर से मग़रिब की नमाज़ पढ़े उस शख्स ने अर्ज़ किया कि मैं आप पर कुर्बान जाऊँ इन दोनों में क्या फर्क है? आपने फरमाया कि अस्त्र के बाद कोई नमाज़ नहीं है यानि कोई नफल नमाज़ नहीं पढ़ी

जाती और इशा की नमाज़ के बाद जो भी नफल नमाज़ चाहो पढ़ी जा सकती है।

इमाम जअफरुस्सादिक^{अ.स.} से एक मर्तबा एक ऐसे शख्स के बारे में पूछा गया जो जोहर की नमाज़ तो भूल गया हो और उसने अस्त्र की नमाज़ पढ़ डाली। आपने फामाया कि जो नमाज़ वह पढ़ चुका है उसको जोहर की नमाज़ करार दे और अस्त्र की नमाज़ फिर से पढ़े। अर्ज किया गया कि अगर वह मगरिब की नमाज़ भूल गया और इशा की नमाज़ पढ़ ली तो क्या करें? आपने फरमाया कि वो पहले मगरिब की नमाज़ पढ़े। फिर इशा की नमाज़ पढ़े।

हज़रत अली^{अ.स.} और अइम्मा ताहिरीन^{अ.स.} से रिवायत है कि अगर किसी शख्स ने कबूल—अज़—वक़्त नमाज़ पढ़ ली तो उस पर इआदा (वापिस पढ़ना) लाजिम है। वक़्त से पहले नमाज़ जायज़ नहीं है जिस तरह से कि ये जायज़ नहीं है कि कोई शख्स रमज़ान का रोज़ा शअबान में रखे।

अज़ान व इक़ामत का बयान

इमाम जअफरुस्सादिक^{अ.स.} और अइम्मा ताहिरीन^{अ.स.} से रिवायत है कि एक मर्तबा इमाम हुसैन^{अ.स.} से अज़ान के मुताल्लिक अवाम के उस कौल के बारे में पूछा गया कि अज़ान का सबब अब्दुल्लाह बिन ज़ैद का यह ख्वाब है जिसको उसने देखा था उसने अपने इस ख्वाब का ज़िक्र रसूले अकरम^{स.अ.व.} के पास किया और आपने उसके बाद अज़ान देने का हुक्म जारी किया? इमाम हुसैन^{अ.स.} ने फरमाया कि 'वही' तो तुम्हारे नबी^{स.अ.व.} पर नाज़िल होती थी, इसके बावजूद तुम लोग इस किस्म का गुमान करते हो कि आपने अज़ान का तरीका अब्दुल्लाह बिन ज़ैद से सीखा है जबकि अज़ान तुम्हारे दीन का चेहरा है। इतना फरमाने के बाद आप गज़बनाक हुए और फरमाया कि मैंने इसके बरअक्स (खिलाफ) अपने पिदर बर्जुगवार हज़रत अली बिन अबी तालीब^{अ.स.} से ये कहते हुए सुना है कि परवरदिगारे आलम ने एक फरिश्ता ज़मीन पर भेजा और वो जिब्रईल^{अ.स.} थे जो रसूले अकरम^{स.अ.व.} को आसमान की तरफ ले गये उसके बाद आपने बाकी किस्सा ए मेअराज बयान किया जिसको हमने यहाँ पर मुखतसर कर दिया है आपने ज़िक्रे मेअराज में बयान किया कि परवरदिगारे आलम ने एक फरिश्ता भेजा जिसको आसमान

पर न उससे पहले देखा गया और न बाद में उस फरिश्ते ने दो-दो मर्तबा अज्ञान व इक़ामत की आपने अज्ञान की कैफियत का जिक्र किया। जिब्रईल^{अ.} स. ने रसूले अकरम^{स.अ.व.} से कहा ऐ मुहम्मद^{स.अ.व.} इस तरह नमाज़ के लिये अज्ञान दिया करो।

इमाम बाकिर^{अ.स.} से रिवायत है आपने फरमाया कि अहदे रिसालत में *हयया अला खैरिल अमल* के साथ अज्ञान कही जाती थी और अहदे हज़रत अबुबक्र और हज़रत उमर के इबतिदाई ज़माने में उसी तरह अज्ञान दी जाती थी मगर बाद में हज़रत उमर ने अज्ञान व इक़ामत से इन अलफाज़ को हज़फ करने (हटाने) का हुक्म दे दिया। जब हज़रत उमर से इस सिलसिले में कुछ कहा गया तो उन्होंने कहा कि लोग जब ये सुनेंगे कि नमाज़ खैरुल अमल है तो जिहाद में सुस्ती करेंगे और इससे पीछे हट जायेंगे। इमाम जअफरुस्सादिक^{अ.स.} से भी यही रिवायत आई है अवाम भी यही रिवायत बयान करते हैं मगर आज तक वो इस मसले में हज़रत उमर की पैरवी ही करते हैं और सुन्नते रसूल^{स.अ.व.} को छोड़ने के आरोपी होते हैं और हज़रत उमर के इस कौल को हुज्जत बनाते हैं। ये बात इतनी साफ है कि इस बारे में हुज्जतो दलील करने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि अल्लाह तआला ने तो अपने रसूले अकरम^{स.अ.व.} से ही सब कुछ लेने का हुक्म दिया है। जैसा कि अल्लाह तआला का इर्शाद है कि :

وَمَا اتَّكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ ۚ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا

वमा अताकुमुरुर रसूलो फखुजूहो वमा नहाकुम अनहो फन्ततहू 28-59/7
तर्जुमा : जो तुमको पैगम्बर दे दे उसको ले लिया करो और जिससे मना करे उससे बाज़ आ जाओ। दुसरी जगह इर्शाद है कि :

فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ •

फल यहज़रिल लज़ीन: युखालिफून: अन अमरिही अन तुसीबहुम फितनतुन
अव युसीबहुम अज़ाबुन अलीम 0 18-24/63 तर्जुमा : जो लोग रसूल^{स.अ.व.} के अम्र से इख़िलाफ करते हैं उसको इस बात से डरते रहना ये कि (मुबादा) उन पर मुसीबत न आ पड़े या उन पर कोई दर्दनाक अज़ाब नाज़िल हो जाये और दूसरी जगह इर्शाद है कि :

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ ۗ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا ۝

वमा कानः लि मुअमिनिव वला मुअमिनतिन इज़ा कज़ल्लाहो व रसूलुहु अमरन अन्य यकुनः लहुमुल खियरतो मिन अमरिहिम वमन्य यअसिल्लाहः व रसूलहु फकद दल्लः दलालम मुबीना 22-33/36 तर्जुमा : किसी मुमिन और मुमिना को इंकार का इख्तियार नहीं है जबकि अल्लाह और उसके रसूल^{स.अ.व.} किसी अम्र का फैसला कर दें जो अल्लाह और उसके रसूल^{स.अ.व.} के फरमान से सरताबी करेगा वह खुली गुमराही में है।

रसूले अकरम^{स.अ.व.} का इर्शाद है कि इतबाअ करो बिदअत न करो क्योंकि हर बिदअत गुमराही है और हर गुमराही का ठिकाना जहन्नुम है। क्या आम मुसलमानों के नज़दीक हज़रत उमर को दीन और मुसलमानों के मसअलों का इल्म ज़्यादा था या अल्लाह व रसूल^{स.अ.व.} को ज़्यादा इल्म था?

परवरदिगारे आलम ने अपनी किताब कुरआन मजीद में नमाज़ व जिहाद और दीगर खैर के कामों की तरगीब दी है और उनको फर्ज़ क़रार दिया है तो क्या किसी शख्स को इस बात का इख्तियार है कि वो खुदा की किताब में से किसी ऐसे फर्ज़ को साक़ित कर दे जिसको करने की उसने तरगीब दी है या किसी को इतना वसीअ इख्तियार हासिल है कि वो किसी फर्ज़ को इस बिना पर तर्क कर दे कि इससे ज़्यादा किसी दूसरे फर्ज़ में तरगीब मौजूद है? ये एक ऐसी बे-बुनियाद बात है कि जिसका काइल न कोई जाहिल हो सकता है न आलिम। हमको तो इतना भी मालूम नहीं है कि किसी ने इसका गुमान तक भी किया हो या इसकी तरफ इशारा भी किया हो कि जिससे हज़रत उमर और उनके ताबिईन का कौल दुरुस्त साबित हो और अगर जाहिलो ने ऐसा वहम कर लिया था जैसा कि हज़रत उमर ने ज़अम किया है तो क्या जाहिलों के ज़अम की बिना पर जिस चीज़ को अल्लाह और रसूल^{स.अ.व.} ने साबित रखा है और शब व रोज़ दस मर्तबा जिसकी निदा का हुक्म दिया है और हर मस्जिद में और हर जमाअत में और हर फरद के लिये निदा करना वाजिब है उसको जाहिलों के गुमान और अवाम के क़ियास पर तर्क कर दिया जाये?

अगर इतनी छूट उनको दे दी गई तो इसका मतलब ये है कि जाहिलों के दिमाग में इस्लाम के अहकाम में से जो भी हुक्म उनको खराब

नज़र आए उसको साकित कर देना चाहिये। जाहिल तो इस्लाम के अकसर एहकाम से बेखबर है उनकी अक्लें इस्लाम की अकसर बातों का इनकार करती है। और ये भी एक मानी हुई बात है कि परवरदिगारे आलम ने जाहिलों की पैरवी का हुक्म नहीं दिया है उसने तो उन लोगों को सिखाने का हुक्म दिया है जो याद रखते और क़बूल करते हैं और उस शख्स से रूहगिरानी (दूर रहने) का हुक्म दिया है जो क़बूल नहीं करते। और जो कुफ़्र व तकज़ीब पर उतर आए हैं तो उनके साथ जिहाद करने का हुक्म है हज़रत उमर और इतबाअ हज़रत उमर की ये राय की जाहिल जब ये सुनेंगे कि नमाज़ तमाम आमाले हसना से बेहतर है तो वो जिहाद तर्क कर देंगे तो इस राय से ये वाजिब होता है कि वो जब न सुनेंगे तो नमाज़ को छोड़ सकते हैं! खुदा इन लोगों से अच्छी तरह वाकिफ़ है और उस चीज़ से अच्छी तरह वाकिफ़ है जिसकी इताअत पर उनको हज़रत उमर वगैराह की जानिब से उभारा जाता है इससे खुदा भी अच्छी तरह वाकिफ़ है इस कौल का फसाद इतना वाज़ेह है कि इसके मुत्तालिक किसी हुज्जत की ज़रूरत नहीं है और न उसके काइलीन (मानने वालों) पर हुज्जत कायम करने की ज़रूरत है, हम तो खुदा के दीन से फिर जाने से उसकी पनाह मांगते हैं। खुदा और उसके औलिया—ए—किराम की इताअत पर साबित क़दमी की दुआ करते हैं।

इमाम जअफररुस्सादिक^{अ.स.} से और आपके पिदर बुजुर्गवार और अइम्मा—ताहिरीन और हज़रत अली^{अ.स.} से रिवायत है कि रसूलल्लह^{स.अ.व.} ने फरमाया की तीन चीज़ें ऐसी हैं कि अगर मेरी उम्मत उसके सवाब से जो खुदा की तरफ से तीनों कामों पर मिलने वाला है वाकिफ़ हो जाये तो फिर तीर चल जाये (1) अज़ान (2) जुमआ की तरफ ज़वाल के वक़्त जाना (3) पहली सफ़। उसके बाद आपने फरमाया कि क़यामत के दिन मुअज़्ज़िन इस हाल में उठाए जायेंगे कि उनकी गर्दने तमाम लोगों से लंबी होगी वह ला इलाहा इल्लल्लाह की निदा करते होंगे। आंहज़रत^{स.अ.व.} का ये इर्शाद कि उनकी गर्दने तमाम लोगों से लंबी होगी यानि वो अल्लाह की रहमत से ज़्यादा करीब होंगे इन लोगों के बरअक्स जिनकी बदहाली का ज़िक्र खुदा ने इस आयत में किया है कि :

وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُوا رُءُوسِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ ط

वलो तरा इज़िल मुजरिमुनः नाकिसू रुउसिहिम इन्दः रब्बिहिम 21-32/12
 तर्जुमा : और ऐ रसूल^{स.अ.व.} तुमको बहुत अफसोस होगा जब तुम देखोगे कि
 मुजरिमीन अपने परवरदिगार की बारगाह में (हिसाब के वक़्त) अपने सिर को
 झुकाए खड़े हैं।

रसूले अकरम^{स.अ.व.} से मरवी है कि आप^{स.अ.व.} ने लोगों को अज़ान की
 ख़ूब तरगीब दी और आपने लोगों से अज़ान के फ़ज़ाइल बयान किये उस
 वक़्त एक शख्स ने अर्ज़ किया कि ऐ पैगम्बरे खुदा^{स.अ.व.} आपने तो हमको
 अज़ान की तरगीब दी हत्ता कि हमें ये ख़ौफ़ ला हक़ हो गया कि कहीं
 अज़ान के बारे में आपकी उम्मत आपस में तेगज़नी (मार-काट) न कर बैठे,
 उस वक़्त आप^{स.अ.व.} ने फरमाया कि अज़ान तुम्हारे ज़ईफ़ लोगों से तजावुज़
 न करेगी।

हज़रत अली^{अ.स.} से रिवायत है आपने फरमाया कि मुझे किसी शेर
 का इसके सिवा रंज व मलाल न था कि मैं चाहता था (काश) कि
 रसूलल्लाह^{स.अ.व.} से अज़ान का शरफ़ हसन^{अ.स.} व हुसैन^{अ.स.} के लिये मांग लिया
 होता।

इमाम अबू अब्दुल्लाह जअफरुस्सादिक^{अ.स.} से रिवायत है आपने फरमाया
 कि अज़ान व इक़ामत दो-दो मर्तबा कहना चाहिये। और इक़ामत में
 कलमा-ए-शहादत एक ही मर्तबा पढ़ना चाहिये यानि *ला इलाहा इल्लल्लाह*
 एक मर्तबा कहना चाहिये।

हज़रत अली^{अ.स.} से रिवायत है आपने फरमाया कि मुअज़्ज़िन को
 चाहिये की वो अज़ान व इक़ामत के वक़्त किब्ला की तरफ मुँह करे और जब
हयया अलस सलात और *हयया अलल फलाह* कहे तो अपना मुँह दाएं और
 बाएं फेर ले।

इमाम जअफरुस्सादिक^{अ.स.} से रिवायत है आपने फरमाया कि अज़ान
 तरतील (रुक-रुक कर, यानि आराम) से कहना चाहिये और इक़ामत जल्दी
 से कहना चाहिये। और अज़ान व इक़ामत के दरमियान नफल नमाज़ या
 दुआ से फर्क करना चाहिये खुसूसन मगरिब की नमाज़ में क्योंकि उससे
 पहले कोई नफल नमाज़ नहीं है कम से कम इतना तो करना चाहिये कि
 मुअज़्ज़िन अज़ान व इक़ामत के दरमियान थोड़ी देर बैठकर अपने हाथ
 ज़मीन को लगा दे।

इमाम अली इब्निल हुसैन^{अ.स.} से रिवायत है आपने फरमाया कि
 रसूले अकरम^{स.अ.व.} जब मुअज़्ज़िन को अज़ान कहते हुए सुनते थे तो वो जो

कहता आप भी वही कहते और जब मुअज़्ज़िन हयया अलस सलात हयया अलल फलाह और हयया अला खैरिल अमल कहता था तो आप लाहोलः वला कुव्वतः इल्ला बिल्लाह पढ़ते थे जब इक़ामत पूरी हो जाती तो आप ये दुआ पढ़ा करते थे :

اَللّٰهُمَّ رَبَّ هَذِهِ الدَّعْوَةِ النَّائِمَةِ وَ الصَّلٰوةِ الْقَائِمَةِ اَعْطِ مُحَمَّدًا رَّسُوْلَهُ، يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَ
بَلِّغْهُ الدَّرَجَةَ الرَّسِيْلَةَ مِنَ الْجَنَّةِ وَ تَقَبَّلْ شَفَاعَتَهُ، فِيْ اُمَّتِهِ

अल्लाहुम्मः रब्बः हाज़िहिद दअवतिद ताम्मति वस सलातिल काइमति अअति मोहम्मदन रसूलहु यौमल कियामति व बललिग हुद दरजतल वसीलतः मिनल जन्नति व तक्ब्बल शफाअतःहु फी उम्मतिही तर्जुमा : ऐ दावते तअम्मा और सलाते काइमा के रब अपने रसूल मुहम्मद^{स.अ.व.} को बरोजे क़यामत उनका सवाल पूरा कर और जन्नत के दर्जा वसीला तक उनको पहुँचा और आपकी शफाअत आपकी उम्मत के लिये मकबूल फरमा।

हज़रत अली^{अ.स.} से रिवायत है आपने फरमाया कि तीन चीज़े ऐसी हैं जिनको आजिज़ के सिवा और कोई तर्क न करेगा एक वो शख्स जिसने मुअज़्ज़िन को अज़ान कहते हुए सुना तो वो भी वही कलेमा दोहराएगा जो मुअज़्ज़िन कहता है और एक वो शख्स जिसको रास्ते में कहीं जनाज़ा मिले तो अहले जनाज़ा पर सलाम न पढ़ेगा बल्कि वो जनाज़ा का पाया पकड़ेगा। और एक वो शख्स जो इमाम से सुजूद में मिले उस हालत में कि उसने अभी तकबीरा नहीं कही है तो वो भी सजदा करेगा लेकिन उसको नमाज़ में शुमार न करेगा।

इमाम जअफरुस्सादिक^{अ.स.} से रिवायत है आपने फरमाया कि जब मुअज़्ज़िन अल्लाहो अकबर कहे तो तुम भी अल्लाहो अकबर कहो और जब वो अशहदो अन ला इलाहा इल्लल्लाह कहे तो तुम भी अशहदो अन ला इलाहा इल्लल्लाह कहो और जब अशहदो अन्नः मुहम्मदन रसूलल्लाह कहे तो तुम भी अशहदो अन्नः मुहम्मदन रसूलल्लाह कहो और जब क़दका मतिस्सलात कहे तो तुम

اَللّٰهُمَّ اَقِمَّهَا وَ اَدِمَّهَا وَ اجْعَلْنِيْ مِنْ خَيْرِ صَالِحِيْ اَهْلِهَا عَمَلًا

अल्लाहुम्मः अकिमहा व अदिमहा वजअलनी मिन खैरि सालिही अहलिहा अमलन कहो। तर्जुमा : परवरदिगारा तू नमाज़ पर काईम व दाईम रख और

मुझे नेक अमल करने वालों में से बना और जब मुअज़्ज़िन क़दक्का मतिस्सलात कहने लगे तो खामोशी के साथ उठना वाजिब है। हालांकि जब उनका कोई इमाम न हो तो आगे पीछे होकर नमाज़ पढ़ ले।

इमाम जअफरुस्सादिक^{अ.स.} से रिवायत है आपने फरमाया कि लहण से अज़ान देने में कोई हर्ज नहीं बशर्ते कि अज़ान से अलिफ और हाअ की पूरी वज़ाहत की जाये।

इमाम जअफरुस्सादिक^{अ.स.} फरमाते हैं कि जो शख्स अज़ान व इक़ामत कहकर नमाज़ पढ़ता है तो उसके पीछे फरिश्तों की दो सफ नमाज़ पढ़ती है। और अज़ान कहे बगैर महज़ इक़ामत कहकर जो नमाज़ पढ़ता है तो उसके पीछे फरिश्तों की एक ही सफ नमाज़ पढ़ती है। मगरिब और फज़्र की नमाज़ चाहे वतन में हो या सफर में हो अज़ान व इक़ामत के बगैर नहीं पढ़नी चाहिये क्योंकि इन दोनों नमाज़ों में कसर नहीं हैं।

अमीरुल मुअमिनीन हज़रत अली^{अ.स.} फरमाते हैं कि अगर कोई शख्स बगैर इक़ामत व अज़ान के अकेला नमाज़ पढ़ता हो तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। इससे ये पता चलता है कि अज़ान व इक़ामत कहने में शरफ व सवाब है। और इससे कम तर शरफ अज़ान के बगैर इक़ामत कहने में है और अगर कोई शख्स अज़ान और इक़ामत न कहे तो इसमें कोई हर्ज नहीं है आप फरमाते हैं कि नमाज़ के वक़्त ही पर अज़ान देनी चाहिये।

इमाम जअफरुस्सादिक^{अ.स.} फरमाते हैं कि तुलुअ ए फज़्र से पहले अज़ान देने में कोई हर्ज नहीं है और जब तक नमाज़ का वक़्त न हो अज़ान न देनी चाहिये। फज़्र की नमाज़ और दूसरी नमाज़ों के लिये बरवक़्त अज़ान देनी अफ़ज़ल है।

रसूले खुदा^{स.अ.व.} से रिवायत है कि हज़रत बिलाल^{र.ज.} अज़ान के बाद रसूलुल्लाह^{स.अ.व.} को अज़ान की इत्तिलाअ करते थे ताकि आप बाहर तशरीफ लाकर लोगों को नमाज़ पढ़ाए चुनाचे उसी के मुताबिक़ अज़ान के बाद पेश इमाम को नमाज़ की इत्तिलाअ दी जाती है।

अमीरुल मुअमिनीन^{अ.स.} से मरवी है कि आप अज़ान व इक़ामत के दरमियान बातचीत करने में कोई हर्ज नहीं समझते थे, इमाम जअफरुस्सादिक^{अ.स.} से भी ये रिवायत है मगर आपने इक़ामत को इससे अलग करार दिया है आप फरमाते हैं कि जब मुअज़्ज़िन क़दक्का मतिस्सलात कहता है तो उस वक़्त बातचीत करना हराम है और तमाम अहले मस्जिद पर भी हराम है। सिवाए इसके कि उनका कोई इमाम न हो और वो अलग अलग नमाज़ पढ़ने

के लिये जमा हुऐ हो और अज़ान में क़सदन कलाम नहीं कहने चाहिये क्योंकि अज़ान नेकियों के दरवाज़ों में से एक दरवाज़ा है। लिहाज़ा उस शख्स को लायक नहीं कि किसी नेक काम को करता हो और फिर उसे तर्क कर दे। हालांकि वो उसी के मिसल दूसरी नेकी की तरफ माइल हो जाये मगर कोई शख्स मजबूरन किसी हाज़त के सबब बात करे तो कोई हर्ज नहीं हैं।

इमाम जअफरुस्सादिक^{अ.स.} फरमाते है कि बगैर वुजु के अज़ान देने में कोई हर्ज नहीं है। अगर मुअज़्ज़िन पाक और बा-वुजु हो तो अफज़ल है। मगर वुजु के बगैर इक़ामत न कहनी चाहिये और बीमार और घोड़े के सवार के सिवा कोई बैठकर अज़ान न कहे और इक़ामत ज़मीन पर खड़े रहकर कहनी चाहिये लेकिन अगर कोई बीमारी के सबब खड़ा होकर इक़ामत न कह सकता हो तो कोई हर्ज नहीं है।

अमीरुल मुअमिनीन हज़रत अली^{अ.स.} फरमाते है औरतों पर अज़ान व इक़ामत कहना लाज़िम नहीं है। आप से ये भी रिवायत है आपने फरमाया कि अज़ान तो मुअज़्ज़िन कहे और इक़ामत कोई और कहे तो इसमें कोई हर्ज नहीं है।

इमाम जअफरुस्सादिक^{अ.स.} से पूछा गया कि क्या औरत अज़ान व इक़ामत कह सकती है तो इसके जवाब में आपने फरमाया कि हाँ अगर औरत चाहे तो कह सकती है और शहर की अज़ान अपने कानों से सुनले तो उसके लिये काफी है और अगर न सुने तो *अशहदो अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदो अन्नः मोहम्मदन रसूलुल्लाह* कहे तो बहुत है। सादिक आले मुहम्मद^{स.अ.व.} फरमाते है कि गुलाम और ना-बालिग बच्चे अज़ान कहे तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। हज़रत अली^{अ.स.} फरमाते है कि मुअज़्ज़िन की उजरत (मेहनताना) हराम कमाई है जबकि कौम उसको अज़ान देने के लिये उजरत पर रखे, लेकिन अगर बैतुल माल में से कुछ रकम मुकर्रर कर दी जाये तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। आप फरमाते है कि अगर कोई शख्स मस्जिद में अज़ान की निदा सुनने के बाद बाहर चला जाये तो वो मुनाफिक है। मगर वो शख्स नहीं जो वापस आने का इरादा रखता है या ऐसा शख्स जो बा-वुजू नहीं था और वह वुजु करने के लिये बाहर गया हो। आप फरमाते है कि तुम मे जो शख्स सबसे फसीह हो वो अज़ान दे और जो सबसे ज्यादा इल्मे फिक़ह का माहिर हो वो इमामत करे। इमाम जअफरुस्सादिक^{अ.स.}

फरमाते हैं कि नफ़ल नमाज़ में अज़ान की ज़रूरत नहीं है। अन्धे आदमी को अगर अज़ान देने के लिये सीधा क़िबला रूख़ खड़ा कर दिया जाये तो उसमें कोई हर्ज़ नहीं है अहद रिस्सालत में इब्ने उम्मे मकतूम^{र.ज.} अज़ान दिया करते थे।

अमीरुल मुअमिनीन मौलाना अली^{अ.स.} से मनकूल है कि एक मर्तबा आपने एक ऊँची सी अज़ानगाह देखी तो आपने उसको गिराने का हुक्म फरमाया और ये फरमाया कि सतह मस्जिद से ज़्यादा बुलन्द जगह से अज़ान न दी जाये। खुदा बेहतर जानता है कि ये हुक्म ऐसी अज़ानगाहों के मुताल्लिक है जिससे लोगों के घरों की बे पर्दगी होती है। और जहाँ से चढ़ने वाले को घर की हर चीज़ नज़र आती है। इससे लोगों को ज़रर (नुकसान) पहुँचता है और पर्दा नशीन ख्वातीन की बेपर्दगी होती है। लिहाज़ा ऐसी अज़ानगाहों से अज़ान देना जायज़ नहीं हैं।

मौलाना अली^{अ.स.} से रिवायत है कि रसूलुल्लाह^{स.अ.व.} ने इर्शाद फरमाया कि जिसके घर में कोई फरजन्द पैदा हो तो उसको लाज़िम है कि वो बच्चे के दाहिने कान में अज़ान और बाँए कान में इक़ामत कहे क्योंकि ये उसके लिये शैतान से हिफाज़त का सबब है। मुझको रसूले खुदा^{स.अ.व.} ने हसन^{अ.स.} व हुसैन^{अ.स.} की विलादत के वक़्त इसका हुक्म दिया था और साथ ही साथ ये भी फरमाया था कि उनके कानों में सूरः अलहम्द, आयतुल कुर्सी और सूरतुल हश्म का आखरी हिस्सा सुरअः कुल हुवल्लाहो अहद और कुल अऊज़ो बि रब्बिन नास और कुल अऊज़ो बि रब्बिल फलक पढ़ी जाये। रसूले अकरम^{स.अ.व.} ने ये भी फरमाया है कि जब तुममें से किसी को आसेब लग जाये या बदसूरत खबीस जैसे जिन्नात रास्तो से भटका दे तो अज़ान कहो।

मसाजिद का बयान

इमाम जअफरुस्सादिक^{अ.स.} और आपके आबा—ए—किराम और मौलाना अली^{अ.स.} से रिवायत है आपने फरमाया कि मस्जिद के पड़ोसी के लिये ज़रूरी है कि वो मस्जिद ही में नमाज़ पढ़े अलबत्ता अगर कोई उज़्र या बीमारी हो तो और बात है। आपकी खिदमत में अर्ज़ किया गया कि ऐ अमीरुल मुमीनीन^{अ.स.} मस्जिद का पड़ोसी कौन हो सकता है? आपने फरमाया कि हर वो शख्स जिसके कानों में अज़ान की आवाज़ पहुँचे।

मौलाना अली^{अ.स.} से रिवायत है कि रसूले अकरम^{स.अ.व.} ने फरमाया मस्जिदे हराम (काबा) में नमाज़ पढ़ने का सवाब एक लाख रकआत है और मस्जिदुन नबी (मदीना) में नमाज़ पढ़ने का सवाब दस हजार रकआत है और बैयतुल मुक़द्दस में एक हजार नमाज़ का सवाब है और मस्जिदे आजम में एक सौ (100) नमाज़ का सवाब है और क़बीला की मस्जिद में 25 नमाज़ का सवाब है और मस्जिदुल सूक़ (बाज़ार की मस्जिद) में बारह 12 नमाज़ का सवाब है और अपने घर में अकेले नमाज़ पढ़ने में एक ही नमाज़ का सवाब है।

हज़रत अली^{अ.स.} रसूले अकरम^{स.अ.व.} से रिवायत करते हुए फरमाते हैं कि आहज़रत^{स.अ.व.} ने फरमाया है कि मस्जिद में बैठकर नमाज़ का इंतज़ार करना भी इबादत है जिस शख्स की बातचीत का मौजूअ हमेशा कुरआन हो और मस्जिद उसका घर हो तो खुदा उसके लिये जन्नत में घर बना देगा और दर्जा ए वुस्ता से उसका दर्जा बुलन्द करेगा।

अमीरुल मुअमिनीन हज़रत अली^{अ.स.} फरमाते हैं कि एक नमाज़ के बाद दूसरी नमाज़ का इंतज़ार करना जिहाद की तैयारी से अफज़ल है और मस्जिद में किबला रुख होकर बैठना सुन्नत है। मस्जिद अपने परवरदिगार के नज़दीक अपनी वीरानी की शिकायत करती है और मस्जिद की आबादी की रौनक बढ़ाने वाला शख्स जब गायब हो जाने के बाद वापस आता है तो मस्जिद निहायत खुश मिज़ाजी और खुशआमदीद के साथ उसका इस्तिक़बाल करती है। जिस तरह तुमसे कोई शख्स किसी शख्स के गायब रहने के बाद उसके वापस आने पर गर्म-जोशी से इस्तिक़बाल करता है। आप फरमाते हैं मस्जिद में बैठना अरबो की रहबानीयत है। मुमीन के बैठने की जगह उसकी मस्जिद है और उसका घर उसकी कूटिया है। आप फरमाते हैं कि ऐ लोगों ! अपनी मस्जिदों को शोरगुल से बचाओ, उसमें खरीद व फरोख्त न करो और हथियार न ले जाओ और हफ़्ता के रोज़ उसमें बख़ूर जलाओ और उसमें वुजू के सामान वगैराह रखो। आप फरमाते हैं कि जिस शख्स ने अपनी नाक की गंदगी से मस्जिद को पाक रखा वो क़यामत के रोज़ अल्लाह से सुख़रू मिलेगा। क्योंकि उसका नामा-ए-आमाल उसके दाहिने हाथ में होगा। मस्जिद नाक की अलाइश (गंदगी) से इस तरह लरज़ उठती है जैसे कि तुममें से कोई बेत (लकड़ी) की मार से लर्ज़ उठता है।

अमीरुल मुअमिनीन मौलाना अली^{अ.स.} फरमाते हैं कि रसूले अकरम^{सअव.} ने मस्जिद में मुजरिमों को सज़ा देने से मना फरमाया है (यानि हद जारी न की जाये)।

और आपने मस्जिद में ज़ोर से आवाज़ करने से (चिल्लाने से) मना फरमाया है और उसमें गुमशुदा चीज़ की तलाश करने से मना फरमाया है और तलवार को मियान से न निकाला जाये और तीर न चलाया जाये और खरीद व फरोख्त न किया जाये। किबला में हथियार न लटकाया जाये।

अमीरुल मुअमिनीन मौलाना अली^{अ.स.} फरमाते हैं कि मस्जिदों को तुम्हें ज़रूर अपने यहूद व नसारा, अपने बच्चों और पागलों से बचाना चाहिये वरना खुदा तुमको बन्दरों और सूअरो की शक्ल में रूकूअ व सुजूद की हालत में वापस कर देगा जैसा कि अल्लाह तआला का इर्शाद है कि :

إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ

इन्नमल मुशरिकून: नजसुन फला यकरबुल मस्जिदल हराम: 10-9/28
तर्जुमा : मुशरिकीन तो बड़े नापाक हैं वो अब तो काबा के पास फिर न फटकने पाए। मस्जिद में नापाक शख्स को दाखिल न करने पर सबका इत्तेफाक है इसी तरह जनाबतदार मुस्लिम को भी मस्जिद में दाखिल होने से मना किया गया है हालांकि मुस्लिम चाहे वो जनाबतदार हो या ना हो नजिस (नापाक) नहीं होता। आंहज़रत^{स.अ.व.} ने मना फरमाया है कि कोई जनाबतदार शख्स मस्जिद में ना बैठने पाएं

अमीरुल मुअमिनीन मौलाना अली^{अ.स.} इस आयते करीमा के बारे में इर्शाद फरमाते हैं कि :

وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ

वला जुनुबन इल्ला आबिरी सबीलिन 5-4/43 तर्जुमा : और न जनाबत की हालत में मगर राहदारी में। आप फरमाते हैं कि यहां पर जनाबतदार से ऐसा शख्स मुराद है जो मस्जिद से सिर्फ गुज़र जाना चाहता हो और बैठने का इरादा न रखता हो।

आंहज़रत^{स.अ.व.} ने लहसुन खाकर मस्जिद में जाने से मना फरमाया है ताकि उसकी बू से अहले मस्जिद को ईज़ा न पहुँचे आप फरमाते हैं कि जिस शख्स ने लहसुन खाया हो वो मस्जिद के करीब न हो।

अमीरूल मुअमिनीन मौलाना अली^{अ.स.} जब मस्जिद में दाखिल होते तो आप ये दुआ पढ़ते थे

بِسْمِ اللَّهِ وَبِاللَّهِ السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ السَّلَامُ عَلَيْنَا

وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ

बिस्मिल्लाहि व बिल्लाहि अस्सलामो अलेकः अइय्युहन नबीय्यो व रहमतुल्लाहि व बरकातहू अस्सलामो अलैना व अला इबादिल्लाहिस्सालिहीन। तर्जुमा : अल्लाह के नाम से अल्लाह के तवस्सुल से ऐ पैगम्बर आप पर सलाम और खुदा की रहमत व बरकत नाज़िल हो और हम पर और खुदा के नेक बन्दों पर सलाम हो।

आप फरमाते हैं मस्जिद का ये हक़ है कि जब तुम उसमें दाखिल हो तो दो रकआत (तहीययतुल मस्जिद की) नमाज़ पढ़ो और इन दो रकआत का ये हक़ है कि उनमें सुरअः फातेहा पढ़ो और कुरआन का हक़ ये है कि जो कुछ उसमें है उस पर अमल करो।

आंहज़रत^{स.अ.व.} फरमाते हैं कि जिसने खुदा के लिये एक मस्जिद बनाई या क़तात परिंदे के ज़मीन में घर बनाने के बराबर मस्जिद का कुछ हिस्सा बनाया है तो खुदा उसके लिये जन्नत में एक घर तैयार करेगा। आप फरमाते हैं कि बग़ैर किसी आड़ के नमाज़ पढ़ना एक किस्म का जुल्म है, अगर कोई शख्स किसी मैदान में नमाज़ पढ़े तो उसको लायक़ है कि कज़ावे का पिछला हिस्सा अपने सामने रख ले (कुछ भी निशान कर ले)।

अमीरूल मुअमिनीन अली^{अ.स.} ऊँट की तरफ़ मुँह करके नमाज़ पढ़ना मकरूह समझते थे और आप फरमाते थे कि हर ऊँट पर एक शैतान बैठा रहता है।

इमाम जअफरुस्सादिक़^{अ.स.} से मरवी है कि आप इस बात को नापसंद करते थे कि कोई शख्स नमाज़ पढ़े और उसके सामने दूसरा सोया हो और कोई शख्स इस हाल में नमाज़ न पढ़े कि उसके दोश बदोश (बिल्कुल साथ साथ) कोई औरत हो हालांकि वो उस औरत से थोड़ा आगे हो जाये।

रसूले अकरम^{स.अ.व.} से रिवायत है कि आपने फरमाया कि जब तुम में से कोई शख्स किसी पर्दे और ओट की तरफ़ मुँह करके नमाज़ पढ़े तो उसको लायक़ है कि वो उससे क़रीब हो जाये क्योंकि शैतान उसके और

ओट के बीच से गुज़रता रहता है आपने इस सिलसिले में बैल के बाड़े की मिसाल पेश की।

इमाम जअफरुस्सादिक^{अ.स} से मरवी है कि आपने क़िबला में तस्वीरों की मौजूदगी से इज़हारे नफरत किया है। आपसे उस मस्जिद के मुताल्लिक पूछा गया जो घर के अंदर बना ली गई हो और बाद में मालिक मकान की ये राय हुई कि उसको फिर मकान में शामिल कर दिया जाये या उसकी जगह बदल दी जाये तो आपने फरमाया कि उसमें कोई हर्ज नहीं है।

इमामत का बयान

इमाम जअफरुस्सादिक^{अ.स} से आपके पिदर बुजुर्गवार और आबा—ए—किराम और मौलाना अली^{अ.स} से रिवायत है आपने फरमाया है कि किसी क़ौम का इमाम क़ौम को अल्लाह की तरफ ले जाने वाला होता है। लिहाज़ा अपनी नमाज़ों में तुम उसी को आगे करो जो तुममे सबसे अफज़ल है।

मौलाना अली^{अ.स} फरमाते हैं कि अपनी नमाज़ों का पेश इमाम अहमकों (जाहिलों) को न बनाओ और न उनको अपने जनाज़ों पर मुक़द्दम करो क्योंकि पेश इमाम तुमको तुम्हारे परवरदिगार के पास पहुँचाने वाले होते हैं। और बीमार तन्दरुस्त को नमाज़ न पढ़ाए। यह खसूसियत तो सिर्फ़ रसूले अकरम^{स.अ.व.} के लिये ही थी।

इमाम मोहम्मदुल बाकिर^{अ.स} फरमाते हैं कि अगर गुलाम फ़कीह हो तो उसके पीछे नमाज़ पढ़ने में कोई हर्ज नहीं है बशर्ते यह कि उस वक़्त कोई उससे ज़्यादा इल्म फ़िक़ह का माहिर मौजूद न हो कि जो लोगो को नमाज़ पढ़ाएं और आपने अन्धे की इमामत में रूख़सत दी है बशर्ते यह कि उसको क़िबला रूख़ खड़ा कर दिया जाये और वह तमाम हाज़रीन से अफज़ल भी हो।

मौलाना अली^{अ.स} से रिवायत है कि आपने जुज़ामी, अबरसी (कोढ़ियों) मजनून (पागल) महदूद जिसको शरई सज़ा दी गई हो, ज़िना से पैदा हुआ हो के पीछे नमाज़ पढ़ने से मना फरमाया है और एअराबी (गांव वाला) मुहाजिरीन को नमाज़ न पढ़ाए। कैदी आज़ाद को, तयम्मूम वाला वुजू वाले

को, खसी (ना मर्द) फहुल को, औरत मर्द को, हिजड़ा मर्दों को, गूंगा बोलने वालो को, मुसाफिर मुकीम को नमाज़ ना पढ़ाए।

इमाम जअफरुस्सादिक^{अ.स} फरमाते हैं कि हरवरी और नासबी (अहले बैत के दुश्मन) के पीछे जब तुम नमाज़ पढ़ो तो उस नमाज़ को नमाज़ न शुमार करो और हरूरी या नासबी जो भी पेश इमाम हो उसको मस्जिद के खम्बों में से एक खम्बा समझो और तसव्वुर करो कि गोया तुम तन्हा नमाज़ पढ़ रहे हो। ऐसा तक्वियतन दुश्मनों से खौफ के वक़्त किया जा सकता है वरना जब खुदा के फज़ल व करम से कोई खौफ व फितना का मुक़ाम न हो और खुदा का अम्र ज़ाहिर हो और उसके औलिया गालिब हों तो उस वक़्त किसी दुश्मने अहले बैत^{अ.स} के पीछे नमाज़ पढ़ना जायज़ नहीं क्योंकि उनको कोई इज़्ज़त व करामत हासिल नहीं है।

इमाम मुहम्मदुल बाकिर^{अ.स} फरमाते हैं कि किसी नासबी (दुश्मने अहलेबैत) के पीछे नमाज़ न पढ़ो क्योंकि उनके लिये कोई इज़्ज़त व करामत नहीं है हालांकि जब तुमको अपनी जानो का खौफ हो और यह कि तुमको मशहूर कर दिया जायेगा और तुम्हारी जानिब उगलियां उठाई जायेंगी लिहाज़ा उस वक़्त पहले तुम अपने घरों में नमाज़ पढ़ लिया करो और फिर उनके साथ भी नमाज़ पढ़ लो लेकिन उनके साथ जो नमाज़ पढ़ो उसको नपल समझकर पढ़ो। अब तो खुदा के फज़ल और करम से खौफ जाता रहा और हमारे इस ज़माने में तक़य्या साक़ित हो गया है लिहाज़ा तुम किसी नासबी यानि (दुश्मने अहले बैत) के पीछे नमाज़ न पढ़ो खुदा किसी नासबी की आंख को ठंडा न करे।

हज़रत अली^{अ.स} फरमाते हैं कि एक मर्तबा हज़रत उमर ने लोगों को सुबह की नमाज़ पढ़ाई जब नमाज़ खत्म हो गई तो उन्होंने लोगों से खिताब करके फरमाया कि ऐ लोगों फज़्र की नमाज़ तुमको उमर ने जनाबत की हालत में पढ़ाई थी लोगों ने अर्ज़ किया कि फिर आप क्या चाहते हैं। हज़रत उमर ने कहा कि मुझे दोबारा नमाज़ पढ़ना चाहिये लेकिन तुमको नहीं उस वक़्त हज़रत अली^{अ.स} ने फरमाया कि ऐ उमर तुम पर और उन लोगों पर फिर से नमाज़ पढ़ना वाजिब है क्योंकि कौम तो अपने इमाम ही के साथ—साथ होती है। वह उस इमाम ही के रूकुअ और सुजुद के साथ अपना रूकूअ और सुजूद करते हैं। इसलिये जब इमाम की नमाज़ फासिद हो गई तो उसके पीछे नमाज़ पढ़नेवालों की भी नमाज़ फासिद हो गई।

रसूले अकरम^{स.अ.व.} से रिवायत है कि आपने फरमाया कि तुमको इमामत कराने का वही शख्स ज़्यादा मुस्तहिक् है जिसका नूर ज़्यादा है यानि जो तुममे ज़्यादा कुरआन का हाफिज़ है। अहले मस्जिद ज़्यादा हकदार है कि वह अपनी-अपनी मस्जिदों में खुद नमाज़ पढ़ाएं हालांकि जब किसी मस्जिद में उनका अमीर आ जाये तो वह अहले मस्जिद से ज़्यादा नमाज़ पढ़ाने का हकदार है।

इमाम जअफरुस्सादिक^{अ.स.} ने फरमाया है कि वही शख्स इमामत से नमाज़ पढ़ाए जो तुममे सबसे ज़्यादा हिजरत के एतबार से कदीम है। अगर उसमें सब के सब बराबर हो तो जो उनमें सबसे ज़्यादा बड़ा कारी (तिलावत करने वाला) हो वह नमाज़ पढ़ाए अगर उसमें भी सब बराबर हो तो जो सबसे बड़ा इल्म फिकह का माहिर हो वह नमाज़ पढ़ाए और अगर उसमें भी सब बराबर हो तो जो उम्र में ज़्यादा बड़ा हो वह नमाज़ पढ़ाए और साहिबे मस्जिद ज़्यादा हकदार है कि वह अपनी मस्जिद में खुद नमाज़ पढ़ाए।

इमाम जअफरुस्सादिक^{अ.स.} से रिवायत है कि आपने फरमाया कि जब कोई शख्स किसी एक शख्स को इमामत से नमाज़ पढ़ाना चाहे तो उसको अपने दाहिनी जानिब खड़ा करे और अगर दो या दो से ज़्यादा हो तो वह इमाम के पीछे खड़े हो जाये। अमीरुल मुअमिनीन हज़रत अली^{अ.स.} से रिवायत है आपने फरमाया कि लोग अगर मस्जिद के अलावा किसी और जगह इमामत से नमाज़ पढ़ना चाहे तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। इमाम जअफरुस्सादिक^{अ.स.} फरमाते हैं कि जब तुम नमाज़ तनहा पढ़ो तो उसको तूल कर सकते हो यह इबादत है और जब तुम लोगों को नमाज़ पढ़ाओ तो तूल ना दो बल्कि इस तरह से नमाज़ पढ़ाओ जैसे तुममे कोई कमज़ोर आदमी नमाज़ पढ़ता है। रसूले अकरम^{स.अ.व.} उमदगी और तमामियत के साथ बहुत ही खफीफ (जल्दी) नमाज़ पढ़ाते थे।

इमाम जाफरुस्सादिक^{अ.स.} से मरवी है औरतें मर्दों को नमाज़ न पढ़ाए लेकिन वह औरतों को इस तरह नमाज़ पढ़ा सकती है कि वह उनसे आगे न हो बल्कि उनके बीच में खड़ी हो जाये और दूसरी ख्वातीन उसकी नमाज़ के मुताबिक नमाज़ पढ़े।

अमीरुल मुअमिनीन हज़रत अली^{अ.स.} से रिवायत है आपने इमाम को कुरआन की तलकीन (नसीहत) की इजाज़त दी है। जबकि वह थक जाये या रूक जाये और अगर एक आयत या एक से ज़्यादा छोड़ दे या एक

सूरअः को छोड़कर दूसरी सूरअः पढ़ने लगे और किराअत में मशगुल रहे उस वक़्त तलकीन (लुकमा व बीच में बोलना) न करना चाहिये।

जमाअत और सफ का बयान

इमाम जाअफरूरुस्सादिक^{अ.स.} और आपके पिदर बुजुर्गवार और अइम्मा ताहिरीन^{अ.स.} से रिवायत है कि रसूल अकरम^{स.अ.व.} ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स जमाअत से नमाज़ पढ़ता है उसके बारे में यह हुस्नोज़न (अच्छे विचार) रखो कि वह नेकी करेगा और उसकी शहादत को जायज़ करार दो।

इमाम जाअफरूरुस्सादिक^{अ.स.} से रिवायत है आपने फरमाया कि ब—जमाअत नमाज़ पढ़ना तन्हा नमाज़ पढ़ने से अफज़ल है। तन्हा नमाज़ पढ़ने में एक ही नमाज़ का सवाब है और जमाअत से नमाज़ पढ़ने में चौबीस नमाज़ का सवाब मिलता है।

इमाम बाकिर^{अ.स.} से नमाज़ ब—जमाअत की बाबत पूछा गया कि आया वह फर्ज़ है तो आपने जवाब में फरमाया कि नमाज़ फर्ज़ हैं नमाज़ में इकट्ठा होना कोई फर्ज़ नहीं है अलबत्ता यह सुन्नत है। अगर किसी ने इस सुन्नत को छोड़ा और मुमिनीन की जमाअत से बिला किसी उज़र या बीमारी के अलग नमाज़ पढ़ी तो उसकी नमाज़ न होगी।

हज़रत अली^{अ.स.} फरमाते हैं कि जिस शख्स ने नमाज़े फज़्र ब—जमाअत अदा किया तो उसकी यह नमाज़ सालेहीन व अबरार की नमाज़ों में शुमार होगी और उस दिन उसका नाम मुत्तकीन यानि अहले तक्वा के जुमरे में लिख दिया जायेगा।

इमाम मोहम्मदल बाकिर^{अ.स.} फरमाते हैं कि एक मर्तबा अमीरूल मुअमिनीन हज़रत अली^{अ.स.} ने तमाम रात सुजूद व क़याम में गुज़ार दी और जब सुबह का झटका नमुदार हुआ तो आपने फज़्र की नमाज़ पढ़ी और आपको झोंका आ गया इधर जब मस्जिद में रसूले अकरम^{स.अ.व.} ने सुबह की नमाज़ पढ़ने के बाद अली^{अ.स.} को ना पाया तो सय्यदा—ए—आलम फातिमा ज़ेहरा^{अ.स.} के पास तशरीफ लाए और कहा कि ए जिगर गोशा—ए—रसूल तुम्हारे इन्ने अम का क्या हाल है वह नमाज़ में सुबह हमारे साथ मौजूद न थे। जनाबे फातिमा ज़ेहरा^{अ.स.} ने रसूले अकरम^{स.अ.व.} को पूरा वाकिआ सुना दिया। आंहज़रत^{स.अ.व.} ने फरमाया कि आज के दिन अली^{अ.स.} से सुबह की

नमाज़ जो फौत हो गई है वह सारी रात इबादत में गुज़ारने से अफ़ज़ल थी। अली^{अ.स.} ने जब रसूले अकरम^{स.अ.व.} की आवाज़ सुनी तो बेदार हो गये। रसूले अकरम^{स.अ.व.} ने उनसे फरमाया कि ए अली जिस शख्स ने सुबह की नमाज़ ब—जमाअत अदा की तो गोया उसने रात भर क़याम व सुज़ूद किया है और ए अली क्या तुमको मालूम नहीं है कि तुलू—ए—आफ़ताब से पहले अगर आलिम सो जाये तो ज़मीन बारगाहे इलाही में फरियाद करती है।

हज़रत अली^{अ.स.} से रिवायत है कि एक मर्तबा आप हज़रत अबू दरदाअ^{र.अ.} के पास अलस सुबह तशरीफ़ ले गये तो उन्हें सोता हुआ देखकर फरमाया कि ए अबू दरदाअ क्या बात है? उन्होंने कहा कि आज की शब कुछ ऐसी ही बात हो गई थी जिसकी वजह से मैं सोया रहा हज़रत अली^{अ.स.} ने फरमाया कि क्या तुमने आज नमाज़े सुबह बाजमाअत नहीं पढ़ी है? अबू दरदाअ ने कहा कि हां। अमीरुल मुअमिनीन^{अ.स.} ने फरमाया कि ए अबू दरदाअ^{र.अ.} मुझे नमाज़े इशा और नमाज़े फज़्र बाजमाअत पढ़ना इन दोनों के दरमियान रात भर इबादत करने से ज़्यादा पसंद है। क्या तुमने आंहज़रत^{स.अ.व.} को यह कहते हुए नहीं सुना है कि लोगों को अगर नमाज़ें इशा व फज़्र का सवाब मालूम हो जाता तो लोग घुटनों के बल आते और नमाज़ पढ़ते। क्योंकि इन दोनों नमाज़ों के दरमियान जो भी गुनाह होते हैं वह उनकी बंदौलत मिट जाते हैं।

इमाम बाकिर^{अ.स.} से रिवायत है आपने फरमाया कि एक मर्तबा कबीला—ए—जहीना का एक मर्द आंहज़रत^{स.अ.व.} की खिदमत में हाज़िर हुआ उसने दरबारे रिसालत^{स.अ.व.} में अर्ज़ किया कि ए पैग़म्बर खुदा^{स.अ.व.} मैं अपने बाल बच्चों और गुलामों के साथ देहात में रहता हूँ और नमाज़ के वक़्त खुद मैं अज़ान और इक़ामत कहता हूँ और उनको नमाज़ पढ़ाता हूँ तो क्या हम लोग जमाअत है? आपने फरमाया कि हां। उस मर्द जहीनी ने फिर अर्ज़ किया कि बसा औकात मेरे गुलाम ऊंटों के पीछे पीछे दूर निकल जाते हैं। उस वक़्त मैं और मेरे अहलो अयाल बाकी रह जाते हैं। उस वक़्त मैं अज़ान और इक़ामत के बाद उनको नमाज़ पढ़ाता हूँ। तो क्या हम एक जमाअत है? आपने फरमाया कि हां। उसने फिर अर्ज़ किया कि कभी मेरे फ़र्जन्द पानी की तलाश में दूर निकल जाते हैं और मैं और मेरी बीवी रह जाते हैं। मैं अज़ान व इक़ामत कहकर नमाज़ पढ़ाता हूँ तो क्या हम दोनों मिलकर भी एक जमाअत है? आप^{स.अ.व.} ने फरमाया कि हां! उसने फिर अर्ज़ किया कि कभी मेरी बीवी भी अपनी किसी काम से कही चली जाती है और मैं बिल्कुल

तन्हा रहा जाता हूँ जब नमाज़ का वक़्त होता है तो अज़ान व इक़ामत कहकर नमाज़ पढ़ता हूँ तो क्या मैं तन्हा एक जमाअत हूँ? रसूले अकरम^{स.अ.व.} ने फरमाया कि मुमिन तन्हा एक जमाअत है। हम आगे बयान कर चुके हैं कि जब एक मुमिन अज़ान व इक़ामत कहकर नमाज़ पढ़ता है तो उसके पीछे फरिश्तों की दो सफ़े नमाज़ पढ़ती है।

हज़रत अली^{अ.स.} से रिवायत है आपने फरमाया कि क़यामत के दिन जबकि अर्शे इलाही के साये के सिवा कोई और साया न मिलेगा उस साये के नीचे एक वह शख्स बैठेगा जो अपने घर से निकला और अच्छी तरह से वुजू करके किसी मस्जिद की तरफ गया ताकि फराइज़ में से किसी एक फर्ज को अदा करे इतने में वह हलाक हो गया और दूसरा वह शख्स अर्शे इलाही के साये में बैठेगा जो आधी रात को उस वक़्त उठता है जब सारी क़ायनात सो जाती है फिर वो कामिल तौर पर वुजू करके किसी मस्जिद की तरफ नमाज़ पढ़ने के लिये चला जाता है और इस हाल में हलाक हो जाता है। रसूले अकरम^{स.अ.व.} का इर्शाद है कि ना पसंदीदा औकात और हालत में अच्छी तरह से वुजू करना और मस्जिदों की तरफ जाना और एक वक़्त की नमाज़ पढ़ने के बाद दूसरे वक़्त की नमाज़ का इंतज़ार करने से तमाम गुनाह माफ हो जाते हैं।

रसूले अकरम^{स.अ.व.} ने फरमाया कि नमाज़ की बेहतरीन सफ पहली सफ है लेकिन नमाज़े जनाज़ा में बेहतरीन सफ आखिरी सफ है। आपकी खिदमत में अर्ज किया गया कि रसूले खुदा^{स.अ.व.} यह कैसे? तो आपने फरमाया कि यह इसलिये कि आखिरी सफ में ख्वातीन का पर्दा बाकी रहता है। लिहाज़ा मर्दों की सबसे उमदाह सफ पहली है और ख्वातीन की आखिरी सफ बेहतरीन सफ है। और अगर लोगों को पहली सफ का सवाब मालूम हो जाता तो कोई शख्स भी वहां तक तीरो के सिवा ना पहुँच सकता था।

अमीरुल मुअमिनीन हज़रत अली^{अ.स.} से रिवायत है आपने फरमाया कि बेहतरीन सफ पहली सफ है और यह सफ फरिश्तों की सफ है और पहली सफ में अफज़ल जगह इमाम के दाहिने बाजु में है। आपने फरमाया है कि सफो में जहां कहीं भी खाली जगह रह जाये उसको भी पूरा करो जो शख्स पहली सफ को मुकम्मल कर सकता है या ऐसा शख्स जो पहली सफ से क़रीब हो तो उसको पहली सफ मुकम्मल करनी चाहिये क्योंकि यह बात तुम्हारे पैगम्बर को ज़्यादा पसंद थी लिहाज़ा तुम लोग सफों को मुकम्मल

किया करो क्योंकि खुदा और फरिश्तें उन लोगों पर दुरुद भेजते हैं जो सफ़ों को तमाम करते हैं।

इमाम जअफरुस्सादिक^{अ.स.} फरमाते हैं कि सफ़ों को तमाम करो अगर तुमसे से किसी शख्स को पहली सफ में जगह की तंगी महसूस हो तो पिछली सफ में आने में कोई हर्ज नहीं। उसको अपने पीछे की सफ तमाम करनी चाहिये और अगर तुम्हारे आगे की सफ में खलल (खाली जगह) नज़र आए तो नमाज़ की हालत में कतराते हुए जा कर उस जगह को पूरा करने में कोई हर्ज नहीं है।

रसूले अकरम^{स.अ.व.} फरमाते हैं कि अपनी सफ़ों के दरमियान वस्ल (जोड़े हुए) रखो और अपने कंधों को मुक़ाबिल में रखो एक दूसरे से आगे पीछे न रखो वरना तुम्हारे दरमियान इख़्तिलाफ पैदा हो जायेगा। और तुम्हारे दरमियान शैतान खलल अंदाज हो जायेगा जिस तरह से कि मैमने भेड़ों की टांगों के दरमियान घुस जाते हैं जैसे हज़फ़ की औलाद भीड़ में घुस कर खो जाती है। हज़फ़ भेड़ों के छोटे काले बच्चों को कहते हैं। उसकी वाहिद हज़फ़ा है। रसूले अकरम^{स.अ.व.} ने सफ़ों में खाली जगह होने की वजह से शैतान के दाख़िल होने की तशबीया (उदाहरण) भेड़ों के उन मेमनों से दी है जो बड़ी भेड़ों के दरमियान घुस जाते हैं।

हज़रत अमीरुल मुअमिनीन^{अ.स.} से रिवायत है कि रसूलुल्लाह^{स.अ.व.} ने मुझसे फरमाया कि ऐ अली^{अ.स.} कभी असकल की हालत में खड़े ना होना। मैंने अर्ज़ किया कि ऐ रसूले खुदा^{स.अ.व.} ये असकल का मतलब क्या है? आपने फरमाया कि असकल से यह मुराद है कि तुम सफ़ों के पीछे तन्हा नमाज़ पढ़ो। यानि जब आगे की सफ़ों में जगह हो पिछली सफ में तन्हा नमाज़ न पढ़ना चाहिये। लेकिन अगर जगह ही ना हो तो फिर सफ़ों के पीछे तनहा नमाज़ पढ़ने में कोई हर्ज नहीं है क्योंकि इमाम जअफरुस्सादिक^{अ.स.} से रिवायत है कि एक मर्तबा आपसे एक ऐसे शख्स की बाबत पूछा गया जो एक कौम के साथ जमाअत में शरीक हुआ और वह तनहा इस हालत के खड़ा हो गया कि सफ में उसके सिवा और कोई ना था और उसके आगे की सफ में जगह तंग थी तो आपने फरमाया कि इस सूरत में अगर उसने तन्हा नमाज़ पढ़ ली है तो वह जमाअत के साथ शुमार होगा।

अमीरुल मुमीनीन अली^{अ.स.} फरमाते हैं कि जहां तक हो सके तुम सफ में रहकर नमाज़ पढ़ो लेकिन जब जगह ही तंग हो जाये तो आगे और पीछे होने में कोई हर्ज नहीं है।

हज़रत अली^{अ.स.} फरमाते हैं कि जब कोई शख्स मस्जिद में नमाज़ पढ़ने के लिये आए और वो सफ में दाखिल न हो सके तो उसको ये कि ठीक इमाम के मुकाबिल में खड़ा हो जाये यह उसके लिये काफी होगा अलबत्ता सफ के बाहर न निकल जाये।

इमाम बाकिर^{अ.स.} से रिवायत है आपने फरमाया कि सफों को मुकम्मल होना चाहिये। और उनको एक दूसरे से साथ लगे हुए होना चाहिये। और हर दो सफों के दरमियान एक आदमी के धड़ के बराबर फासला होना चाहिये जिस सफ के दरमियान इससे कम फासला होगा तो उसकी नमाज़ जायज़ ना होगी। आप फरमाते हैं कि नमाज़ में इमाम के करीब अक्लमन्द और साहिबे बसीरत लोगो को खड़ा होना चाहिये ताकि इमाम अगर किराअत में कुछ खता करे तो वह उसको तलकीन कर सके। आप फरमाते हैं कि जब ख्वातीन मर्दों के साथ नमाज़ ब जमाअत पढ़े तो उनको आखिरी सफ में खड़ा होना चाहिये। वह न मर्दों के आगे हो और ना उनके मुकाबिल हो। हालांकि जब मर्दों और औरतों के बीच पर्दा लगा हुआ हो।

नमाज़ की कैफियत का बयान

इमाम जअफरुस्सादिक^{अ.स.} से रिवायत हैं कि रसूले अकरम^{स.अ.व.} ने फरमाया कि तमाम आमाल नीय्यतो से होते हैं जिसकी जैसी निय्यत उसको वही मिलेगा।

इमाम बाकिर^{अ.स.} फरमाते हैं कि निय्यत के बग़ैर नमाज़ न पढ़नी चाहिये और अगर किसी ने नमाज़ की निय्यत रखकर नमाज़ अदा की और वह नमाज़ में किसी और तरफ मशगुल न हुआ तो उसकी नमाज़ मकबूल है बशर्ते उसने जाहिरी और बातिनी दोनो नमाज़ पढ़ी हो।

हज़रत अमीरुल मुअमिनीन^{अ.स.} इस आयते करीमा :

فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ •

फसल्लि लि रब्बिक: वनहर 30-108/2 के मुताबिक फरमाते हैं कि इससे मुराद नमाज़ पढ़ते वक़्त दोनो हाथों को मुँह की तरफ उठाना है। इमाम जअफरुस्सादिक^{अ.स.} फरमाते हैं कि जब तुम नमाज़ पढ़ना शुरू करो तो पहले दोनो हथेलियों को कानों के मुकाबिल ऊंचा करो और उनको कानो

से आगे न ले जाओ और दोनो हथेलियों को खुला रखों इसके बाद तकबीर कहो। आप फरमाते है कि तकबीरूल एहराम से नमाज़ की इबतिदा होती है लिहाज़ा जो शख्स इसको तर्क कर दे वो फिर से नमाज़ पढ़े तकबीरा कहने के बाद नमाज़ पढ़ते वक़्त हर फअल (काम) हराम हो जाता है और सलाम फ़ैरने के बाद हर चीज़ मुबाह हो जाती है ।

हज़रत अली^{अ.स.} फरमाते है कि जब तुम नमाज़ पढ़ना शुरू करो तो यह दुआ पढ़ो :

اللَّهُ أَكْبَرُ وَجْهَتْ وَجْهِي لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا مُسْلِمًا وَمَا أَنَا مِنَ
الْمُشْرِكِينَ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَحْدَهُ لَا
شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ

अल्लाहो अकबर वज्जहतो वजही लिल लज़ी फतरस समावाति वल अरदः
हनीफन मुसलिमन वमा अना मिनल मुशरिकीनः इन्नस सलाती व नुसुकी व
महाययः व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीनः वहदहु ला शरीकः लहू व
बिज़ालिकः उमिरतो व अना मिनल मुसलिमीन तर्जुमा : अल्लाह सबसे बड़ा
है मै ज़मीन व आसमान के खालिक की तरफ सारे जहाँ से कतराकर अपना
मुँह करता हूँ मुसलमान होने की हालत मे मैं मुशरिकों मे से नहीं हूँ मेरी
नमाज़, मेरी इबादत मेरी जिंदगी और मौत सब कुछ रब्बिल आलमीन के
लिये है जो अकेला है उसका कोई शरीक नहीं है मुझे इसी बात का हुक्म
दिया गया है और मैं मुसलमानों में से हूँ।

तकबीरतुल एहराम के बाद अइम्मा—ए—ताहिरिन से बहुत सी दुआएं
मरवी है जिनका ज़िक्र हमने इस किताब में मुख्तसिर कर दिया है क्योंकि
इसमे कोई दुआ मखसुस नहीं है। हमने ऊपर हज़रत अली^{अ.स.} से जो दुआ
नक़ल की है वो बेहतर और काफी है।

इमाम जअफरुस्सादिक^{अ.स.} फरमाते है “कि वज्जहतो वजही पढ़ने
के बाद शैतान से पनाह मांगने के लिये अउज़ो बिल्लाहि मिनशैतानिर्रज़ीम
पढ़ना चाहिये।

रसूले अकरम^{स.अ.व.} फरमाते है कि नमाज़ पढ़ते वक़्त अपनी नज़र
सजदे की जगह पर रखनी चाहिये और नमाज़ पढ़ते वक़्त आसमान की

तरफ आँख उठाकर न देखना चाहिये।

इमाम बाकिर^{अ.स.} फरमाते हैं कि नमाज़ पढ़ते वक़्त किब्ला से मुहँ फेरना नहीं चाहिये वरना नमाज़ फासिद हो जायेगी क्योंकि इर्शादे बारी तआला है कि :

فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ۚ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ

फवल्लि वजहकः शतरल मस्जिदिल हरामि व हेसो मा कुनतुम फवल्लू वुजुहकुम शतरहू 2-2/150। आँखों से खोफे इलाही का इज़हार करो और आसमान की तरफ आँख उठाकर न देखो, अपनी नज़र सुजुद करने की जगह पर रखो।

एक मर्तबा रसूले अकरम^{स.अ.व.} मस्जिद में तशरीफ लाए आपने अन्स बिन मालिक को देखा कि वो नमाज़ में चौ (चार) तरफ देख रहे हैं। आपने फरमाया कि ऐ अन्स तुम इस तरह से नमाज़ पढ़ो जैसे तुम विदाअ हो रहे हो और फिर उसके बाद कभी नमाज़ पढ़ने का मौका हाथ न आएगा। तुम अपनी नज़र सुजुद देने की जगह पर इस तरह रखो की यह पता तक न चले कि दाँए बाँए कौन है, और इस बात का यकीन रखो कि अल्लाह के सामने खड़े हो, वो तुम को देख रहा हैं लेकिन तुम उसको नहीं देख सकते।

इमाम जअफरुस्सादिक^{अ.स.} से मरवी है इर्शाद बारी हैं कि :

الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ •

अल्लज़ीनः हुम फी सलातिहिम खाशिऊन 18-23/2

के बारे में फरमाया कि खुशुअ से मुराद नमाज़ में अपनी आँखों को नीचे रखना है। आपने ये भी फरमाया कि अगर किसी ने बिल्कुल अपना मुँह किब्ला से फिरा दिया तो उसकी नमाज़ क़तअ (टूट गई) हो गई।

रसूले अकरम^{स.अ.व.} फरमाते हैं कि नमाज़ की बुनियाद चार चीज़ों पर है (1) कामिल तौर से वुजू करना (2) रूकुअ करना (3) सजदा करना (4) खुशुअ करना। रसूलल्लाह^{स.अ.व.} की खिदमत में अर्ज़ किया था कि ए पैगम्बरे खुदा^{स.अ.व.} खुशुअ से क्या मुराद है? आपने फरमाया कि नमाज़ में तवाज़ोअ व खाकसारी का इख्तियार करना और ये कि बन्दा दिलो जान से अपने परवरदिगार की तरफ मुत्तवज्जा हो इस तरह जब नमाज़ पढ़ने वाला इन चारों बातों को अन्जाम दे देता है तो उसकी नमाज़ आसमान की जानिब इस हाल में चढ़ती है कि उसमें से नूर निकलता है ऐसी नमाज़ के लिये

आसमान के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं ऐसी नमाज़ पुकार कर कहती है कि (ऐ नमाज़ पढ़ने वाले) तुमने मेरे तमाम अरकान की हिफाज़त की खुदा तुम्हारी हिफाज़त करे। और फरिश्ते कहते हैं कि दूरुद हो ऐसे नमाज़ी पर और जब नमाज़ी नमाज़ की इन चारों बातों को अच्छी तरह अदा नहीं करता तो ऐसी नमाज़ इस हाल में रफ़ा होती है उसमें से जुल्मत निकलती है और उसके लिये आसमान के दरवाज़े बन्द कर दिए जाते हैं और वो नमाज़ कहती है कि (ऐ नमाज़ी) तुने मुझको ज़ाएअ कर दिया खुदा तुझको ज़ायेअ (बरबाद) करे और क़यामत के दिन ऐसी नमाज़ उसके मुँह पर फेंक दी जायेगी।

इमाम जैनुल आबिदीन^{अ.स.} से रिवायत है कि एक मर्तबा आप नमाज़ पढ़ रहे थे कि आपके दोश मुबारक से चादर गिर पड़ी। फिर भी आप नमाज़ में मशगूल रहे। बअज़ असहाब ने आपकी खिदमत में अर्ज़ किया कि ऐ फरज़न्दे रसूल^{स.अ.व.} आपके दोश मुबारक से चादर गिर पड़ी थी फिर भी आप नमाज़ में मशगूल रहे हालांकि आप ही ने हमें इससे रोका था। आपने उस शख्स से फरमाया कि तुम्हें कुछ खबर है की मैं किसके सामने खड़ा था? क़सम ब—खुदा ज़िक्रे इलाही में मशगूल होने की वजह से मैं इससे गाफिल हो गया था। क्या तुमको मालूम है कि बन्दे की इतनी ही नमाज़ मकबूले बारगाह होती है जितना की वो नमाज़ में मशगूल रहता है। उस शख्स ने अर्ज़ किया कि तब तो हम ऐ फरज़न्दे रसूल^{अ.स.} हलाक हो गये (क्योंकि हमको इतनी मशगूलियत नहीं होती।) इमाम जैनुलआबिदीन^{अ.स.} ने फरमाया कि ऐसा नहीं है बल्कि खुदा इस फर्ज़ नमाज़ की कमी को नपल नमाज़ से पूरी कर देता है।

इमाम जैनुलआबिदीन^{अ.स.} जब नमाज़ के लिये वुजू करते और नमाज़ पढ़ने का आगाज़ करते तो उस वक़्त आपका चेहरा मुबारक ज़र्द हो जाता और रंग बदल जाता था। इस सिलसिले में एक दफा आपकी खिदमत में अर्ज़ किया गया तो आपने फरमाया कि ऐसा इसलिये होता है कि उस वक़्त मैं एक बहुत बड़े बादशाह के दरबार में जाने का इरादा रखता हूँ।

हज़रत इमाम बाकिर^{अ.स.} और इमाम जअफरुस्सादिक^{अ.स.} ने फरमाया हैं कि बन्दे को नमाज़ में इतना ही सवाब मिलता है जितना कि वो नमाज़ में मशगूल रहता है और जहाँ नमाज़ में वहम व गुमान पैदा हो गया तो पूरी नमाज़ लपेटकर उनके मुँह पर फेंक दी जाती है।

इमाम जअफरुस्सादिक^{अ.स.} फरमाते हैं कि जब तुम तकबीरतुल एहराम

बोल चुको तो नमाज़ में मशगूल हो जाओ क्योंकि जब तुम नमाज़ में मशगूल रहोगे तो अल्लाह तआला तुम्हारी तरफ मुत्तवज्जा होगा और जब नमाज़ से मुहँ फेर लोगे तो अल्लाह तआला अपना मुहँ फेर लेगा अकसर ऐसा होता है कि नमाज़ का आधा हिस्सा आसमान तक पहुँचता है या तीसरा हिस्सा या चौथा या छट्टा हिस्सा जिस क़द्र नमाज़ पढ़ने वाला अपनी नमाज़ में मशगूल रहता है और खुदा की बारगाह में ऐसा दिल लेकर नहीं आता जो ज़र्ज़ बराबर भी उसकी याद से गाफिल रहता हो। और अल्लाह तआला गाफिल बन्दे को कुछ भी नहीं देता।

इमाम बाकिर^{अ.स.} और इमाम जअफरुस्सादिक^{अ.स.} से मरवी है जब दोनो हज़रात नमाज़ पढ़ने के लिये खड़े होते थे तो दोनो हज़रात का चेहरा अक़दस कभी सुख तो कभी ज़र्द हो जाता था ऐसा मालूम होता था कि गोया दोनो हज़रात किसी ऐसी ज़ात से मुखातिब हैं जिसे वो खुद देख रहे हैं।

अमीरुल मुअमिनीन हज़रत अली^{अ.स.} जब नमाज़ पढ़ते थे तो ऐसा मालूम होता था कि आप एक जमी हुई दीवार या खड़ा हुआ सुतुन हैं। आप ज़रा भी हिलते न थे जब कभी रूकुअ व सुजूद में जाते तो आपके ऊपर परिन्दे बैठ जाते थे। अमीरुल मुमीनीन^{अ.स.} और इमाम जैनुल आबिदीन^{अ.स.} के सिवा कोई दुसरा शख्स रसूल अकरम^{अ.स.} की नक़ल नहीं कर सकता था।

इमाम जअफरुस्सादिक^{अ.स.} से एक ऐसे शख्स के मुत्तालिक पूछा गया जो नमाज़ की हालत में कभी एक पैर पर और कभी दूसरे पैर पर आराम की गर्ज से खड़ा होता है। या किसी सबब के बग़ैर आगे पीछे करता है। क्या वो नमाज़ की हालत में ऐसा कर सकता है? आपने फरमाया कि अगर ये नुमायां तौर पर न मालूम हो सके तो ऐसा करने में कोई हर्ज नहीं है और आपने फरमाया कि रसूले अकरम^{स.अ.व.} ने नमाज़ की हालत में दोनो पैरों के दरमियान फर्क करने से मना फरमाया है और यह भी फरमाया है कि दोनों पैरों के दरमियान फासला रखना यहूद का काम है लेकिन ज्यादा से ज्यादा दो पैरों के दरमियान एक बालिशत का फासला होना चाहिये या उससे कम हो लेकिन दोनो को इकट्ठा रखा जाये तो ये अफज़ल है हालांकि कोई मर्ज़ हो।

इमाम जअफरुस्सादिक^{अ.स.} से रिवायत है कि रसूले अकरम^{स.अ.व.} ने फरमाया कि जब तुम नमाज़ पढ़ो तो अपने दाहिने हाथ को बाएं हाथ पर बांध कर नमाज़ न पढ़ो और न बाएं हाथ को दाहिने हाथ पर बांध कर

नमाज़ पढ़ो क्योंकि ये काम अहले किताब के कुर्फ के काम में से है लेकिन दोनो हाथों को नीचे की तरफ बिलकुल छोड़कर नमाज़ पढ़ना चाहिये और ये ज्यादा बेहतर है ताकि तुम अपनी जान को नमाज़ में किसी काम के साथ मशगूल न रख सको।

इमाम जअफरुस्सादिक^{अ.स.} अपने पिदर बुजुर्गवार इमाम बाकिर^{अ.स.} ने हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह अनसारी^{र.ज.} से रिवायत नक़ल की है कि एक मर्तबा मुझसे रसूले अकरम^{स.अ.व.} ने फरमाया कि तुम नमाज़ किस तरह से पढ़ोगे। मैंने अर्ज की कि पहले सूरअः फातेहा (अलहम्दो लिल्लाहि रब्बिल आलमीन) पढ़ूंगा आपने फरमाया कि नहीं पहले बिस्मिल्लाहि र्हमानि र्हीम पढ़ो फिर सूरअः अलहम्दो लिल्लाहि रब्बिल आलमीन पढ़ो।

रसूले खुदा^{स.अ.व.} से और हज़रत अली^{अ.स.} और इमाम हसन^{अ.स.} और इमाम हुसैन^{अ.स.} और इमाम जैनुल आबिदीन^{अ.स.}, इमाम बाकिर^{अ.स.} और इमाम जअफरुस्सादिक^{अ.स.} से रिवायत है कि ये तमाम हज़रात बिस्मिल्लाहि र्हमानि र्हीम इब्तिदाई दो रकआत में सूरअः फातेहा और कोई दुसरी सूरत से पहले बुलन्द आवाज़ से पढ़ते थे जिन नमाज़ों में क़ित्रराअत बुलन्द आवाज़ से पढ़ी जाती हैं। और जिन नमाज़ों में क़िराअत मखफ़ी पढ़ी जाती है उनमें बिस्मिल्लाहि र्हमानि र्हीम मखफ़ी (मन ही मन में) पढ़ते थे। इमाम जैनुलआबिदीन^{अ.स.} फरमाते हैं कि हम तमाम अहले फातिमा^{अ.स.} का इस पर इत्तफ़ाक़ है।

इमाम जअफरुस्सादिक^{अ.स.} फरमाते हैं कि तक्य्या मेरा और मेरे आबा—ए—किराम का दीन है मगर इन तीन चीज़ों में तक्य्या नहीं है। (1) शराब पीने (2) मौजे पर मसाह करने से (3) और बिस्मिल्लाहि र्हमानि र्हीम की क़िराअत जान बूझकर न पढ़ने में। अइम्मा ताहिरीन^{अ.स.} फरमाते हैं कि बिस्मिल्लाहि र्हमानि र्हीम पढ़ने के बाद हर एक रकआत में अलहम्दो लिल्लाह (सूरअः फातिहा) पढ़ना चाहिये। और शुरु की दो रकआतो में अलहम्द पढ़ने के बाद कोई दुसरी सूरअः ज़रूर पढ़नी चाहिये।

सूरअः फातेहा पढ़ने के बाद उस तरह आमीन कहना अइम्मा ताहिरीन^{अ.स.} के नज़दीक़ मकरूह है जैसा की आवामुन्नास का इस पर अमल है।

इमाम जअफरुस्सादिक^{अ.स.} फरमाते हैं कि आमीन कहना नसरानियों का फ़अल है आप और आपके आबा—ए—किराम और रसूले खुदा^{स.अ.व.} से रिवायत है कि आपने फरमाया कि मेरी उम्मत हमेशा शरीअते हुस्ना पर कायम रहेगी जब तक कि वो क़िब्ला को अपने कदमों से न रौंदेगी और

ब—वक्त क़याम पीठ न फेरेगी जैसा कि अहले किताब करते हैं और जब तक कि वो बुलन्द आवाज़ से आमीन न कहेंगे।

इमाम जअफरुस्सादिक^{अ.स.} से रिवायत है कि आपने फरमाया कि ज़ोहर और इशा की नमाज़ में सूरअः मुरसिलात और व इजशशम्सों कुव्विरत जैसी सूरतें पढ़ना चाहिये और अस्त्र की नमाज़ में सूरअः वल आदियात और अल कारिअः जैसी सूरतें पढ़नी चाहिये और मगरिब की नमाज़ में कुल हुवलल्लाहो, इज़ा जाअः जैसी सूरतें पढ़नी चाहिये और फज़्र की नमाज़ में इन तमाम सूरतों से बड़ी सूरतें पढ़नी चाहिये। उसमें कोई मखसूस सूरअः नहीं है। हम इससे पहले बयान कर आए हैं कि ब—जमाअत नमाज़ में तखफ़ीफ़ करना चाहिये और इस तरह नमाज़ पढ़नी चाहिये जैसे कोई कमज़ोर व नातवां शख्स नमाज़ पढ़ता है क्योंकि नमाज़ ब—जमाअत में बहुत से हाजतमंद, बीमार और कमज़ोर लोग भी होते हैं। अगर कोई तनहा नमाज़ पढ़ता हो और वो देर तक रूकुअ व सुजूद पर कादिर हो तो उसके लिये इसमें फज़ल व सवाब है और नमाज़े फज़्र में लम्बी सूरतें पढ़ने में कोई हर्ज नहीं है। और ज़ोहर व इशा की नमाज़ में दरमियानी और मगरिब व अस्त्र में छोटी सूरतें पढ़नी चाहिये।

इमाम जअफरुस्सादिक^{अ.स.} से रिवायत है कि आप ने फरमाया कि अगर किसी शख्स ने नमाज़ में एक सूरअः पढ़ना शुरू कर दिया फिर उसने उसको छोड़कर दूसरी सूरअः पढ़ना शुरू कर दिया तो ऐसा करना जायज़ है। अलबत्ता वो निस्फ़ सूरअः न पढ़ चुका हो। लेकिन अगर वो सूरअः कुल हुवलल्लाहो अहद उसने शुरू कर दिया हो तो उसको न छोड़े और सूरतुल जुम्आ, सूरतुल मुनाफ़िक्कीन नमाज़े जुम्आ में खास तौर से पढ़ना चाहिये। उनको छोड़कर दूसरी सूरअः न पढ़ना चाहिये। और अगर सूरअः कुल हुवलल्लाहो अहद शुरू कर दिया हो तो उसको छोड़कर सूरतुल जुम्आ, सूरतुल मुनाफ़िक्कीन खुसूसन नमाज़ें जुम्आ में पढ़ना चाहिये।

इमाम जअफरुस्सादिक^{अ.स.} और आपके पिदर बुर्जुगवार और आपके आबा—ए—किराम से रिवायत है आहज़रत^{स.अ.व.} ने फर्ज़ नमाज़ में एक सूरअः से कम पढ़ने से मना फरमाया और फर्ज़ नमाज़ में तबईजुस्सूरत यानि एक सूरअः में से कुछ पढ़ा फिर दूसरी में से कुछ पढ़ा। इससे मना फरमाया है। इस तरह फर्ज़ नमाज़ में सूरअः फातेहा के बाद दो सूरतें न पढ़ना चाहिये यानि अलहम्द के बाद एक ही सूरअः चाहे बड़ी हो या छोटी पढ़ना चाहिये। नफल नमाज़ में तबईज़ (यानि एक सूरअः में से कुछ फिर दूसरी में से कुछ

पढ़ने) की रूखसत है।

अमीरुल मुअमिनीन हज़रत अली^{अ.स.} से आयते करीमा :

• وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا •

व रत्तिलिल कुरआन: तरतीला 29—73/4 की बाबत पूछा गया तो आपने फरमाया कि इसका मतलब ये है कि पूरी वजाहत के साथ किराअत पढ़ना चाहिये। रद्दी खजूर की तरह फैंकना न चाहिये और शअर व अशआर की तरह न पढ़ना चाहिये कुरआन के मकाम अजाइब व ग़राइब पर रूक जाओ और अपने दिल को उससे मुतासिर करो और तुममे से किसी का ये इरादा न हो कि वो जल्द से जल्द आखिरी सूरअ: तक पहुंच जाये।

इमाम जअफरुस्सादिक^{अ.स.} से नमाज़ में पेश—इमाम के मुताल्लिक पूछा गया कि जब वो सूरअ: पढ़े तो क्या उसको अपने मुक़तदीयों (पीछे नमाज़ पढ़ने वालों) को ख्वाह कितने ही ज़्यादा क्यों न हो किराअत को सुनाना ही चाहिये आपने फरमाया कि दरमियानी किराअत करनी चाहिये न ज़्यादा बुलन्द आवाज़ से न ज़्यादा धीमी आवाज़ से। इसका बयान खुदा वन्दे करीम ने अपनी किताब में इस आयते करीमा में कर दिया है :

وَلَا تَجْهَرُ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافُ بِهَا

वला तजहर बिसलातिक: वला तुखाफित बिहा 15—17/110 तर्जुमा : (ऐ रसूल^{स.अ.व.}) न तो अपनी नमाज़ बहुत चिल्लाकर पढ़ो न बिलकुल चुपके से।

इमाम जअफरुस्सादिक^{अ.स.} फरमाते हैं कि नमाज़ में किराअत सुन्नत हैं ये कोई नमाज़ के फराइज़ में से नहीं हैं अगर कोई शख्स किराअत भूल गया तो उस पर नमाज़ का इआदा लाज़मी नहीं हैं लेकिन जिसने क़सदन छोड़ दी हो तो उसकी नमाज़ जायज़ नहीं होगी क्योंकि जान बुझ कर सुन्नत का तर्क करना रवा नहीं हैं। आपने फरमाया कि कम से कम नमाज़ में जो चीज वाजिब है वो तकबीरतुल एहराम रूकु व सुजुद है लेकिन हुदुद नमाज़ मे से जो फअल वाजिब हैं उसको छोड़े बगैर अदा करना चाहिये अगर किसी ने अमदन (इरादे से) किराअत को छोड़ दिया तो उस पर इआदा (फिर से पढ़ना) लाज़िम है और अगर भूल गया हो तो उस पर इआदा वाजिब नहीं हैं।

इमाम जअफरुस्सादिक^{अ.स.} और आपके पिदर बुर्जुगवार और आबा—ए—किराम और हज़रत अली^{अ.स.} से रिवायत है कि रसूले अकरम^{स.अ.व.}

तकबीरा तुल एहराम के बाद आप दोनों हाथों को कानों के मुक़ाबिल उठाते थे और रूकुअ करते वक़्त और रूकुअ से सर उठाते वक़्त भी ऐसा ही करते थे।

इमाम जअफरुस्सादिक^{अ.स.} फरमाते हैं कि जब तुम रूकुअ में जाओ तो अपनी दोनों हथेलियों को अपने गुटनों पर रखो और अपनी पीठ फैलाए रखो और सर को नीचा ऊंचा न रखो। रसूले अकरम^{स.अ.व.} जब रूकुअ में जाते थे तो उस वक़्त आपकी हालत ये होती थी कि अगर आपकी पुश्त मुबारक पर पानी भी गिराया जाये तो वो ठहर जाता और रूकुअ में जब तुम जाओ तो अपनी अंगुलियों को दोनों गुटनों पर फैला कर रखो और अंगुलियों के सिरों को गुटनों के किनारे तक पहुँचाओं।

आप फरमाते हैं कि रूकुअ में तीन बार सुब्हाना रब्बियल अज़ीम पढ़ो। इमाम जअफरुस्सादिक^{अ.स.} और आपके आबा—ए—किराम^{अ.स.} से रूकुअ व सुजुद की दुआएं बहुत किसम की ब—कसरत मरवी है जिनको हमने लम्बाई की वजह से मुख्तसिर कर दिया है। तीन मर्तबा कहना काफी है और अगर कोई तन्हा नमाज़ पढ़ता हो तो और कई बार पढ़े और खूब तूल दे तो उसके लिये ज़्यादा सवाब है।

इमाम जअफरुस्सादिक^{अ.स.} के रिवायत है आपने फरमाया कि रूकुअ में ये दुआ भी पढ़ी जाती है :

اَللّٰهُمَّ لَكَ رَكَعْتُ وَ لَكَ خَشَعْتُ وَ بِكَ اَمَنْتُ وَ عَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ وَ اَنْتَ رَبِّيْ
خَشَعَ لَكَ سَمْعِيْ وَ بَصَرِيْ وَ شَعْرِيْ وَ بَشَرِيْ وَ لَحْمِيْ وَ دَمِيْ وَ مَخْيِ وَ عَصَبِيْ وَ
عِظَامِيْ وَ مَا اَقَلْتُ قَدْ مَآىْ غَيْرَ مُسْتَكْفٍ وَ لَا مُسْتَكْبِرٍ وَ لَا مُسْتَحْصِرٍ عَنْ عِبَادَتِكَ
وَ الْخُشُوْعَ لَكَ وَ التَّلَذُّلُ بِطَاعَتِكَ

अल्लाहुम्म: लक: रकअतो व लक: खशअतो व बिक: आमन्तो व अलैक: तवक्कलतो व अन्त: रब्बी खशअ लक: समई व बसरी व शअरी व बशरी व लहमी व दमी व मुख्खी व असबी व इज़ामी वमा अकल्लत कदमाय: गैर: मुस्तनकिफिन वला मुस्तकबिरिन वला मुस्तहसिरिन अन इबादतिक: वल खुशुइ लक: वत्तजल्लो बि ताअतिक:।

तर्जुमा—बारे इलाहा! मैंने तेरे लिये रूकूअ व खुशुअ किया है और तुझ पर ईमान लाया हूँ। और मैंने तुझ पर भरोसा किया है। बेशक तू ही मेरा रब है। परवरदिगार! मेरे कान मेरी आंख, मेरे बाल, मेरी खाल, मेरा गोश्त, मेरा खून और हड्डियाँ और गुदाह और पुट्टों ने तेरे लिये खुशुअ किया है। किसी किस्म की ना पसंदगी और इस्तिकबार और तेरी इबादत से थकावट के बगैर और मैंने तेरे लिये खुजुअ किया और तेरी इताअत के वास्ते ज़लील हुआ, मेरा रब अज़ीम पाक है और हम्द व सना का हकदार है। उसके बाद सुब्हानः रब्बियल अज़ीम तीन मर्तबा पढ़ो और जब रूकूअ से सिर उठाओ तो समिअल्लाहो लिमन हमिदा कहो इसके बाद रब्बना लकल हम्दो कहो।

इमाम जअफरुस्सादिक^{अ.स.} और आपके आबा—ए—किराम^{अ.स.} से रूकूअ के बाद बहुत सी दुआएं मरवी हैं उनमें से एक ये है :

اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ أَهْلُ الْجَبَرُوتِ وَالْكِبَرِيَاءِ بِالْعِظْمَةِ وَالْجَلَالِ
وَالْقُدْرَةِ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي وَارْحَمْنِي وَاجْبُرْنِي وَارْفَعْنِي فَإِنِّي لِمَا أَنْزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ

अल्लाहुम्मा रब्बना लकल हम्दो ——— अलहम्दो लिल्लाहि रब्बिल आलमीन अहलिल जबरुति वल किबरियाइ बिल अज़ःमति वल जलालि वल कुदरति अल्लाहुम्मग फिरली वरहमनी वजबुरनी वरफअनी फइन्नी लिमा अन्ज़लतः इलय्यः मिन खैरिन फकीरुन।

तर्जुमा: बारे इलाहा! तू ही हम्द व सना का सज़ावार है। तमाम सताईश उस खालिके कायनात के लिये सज़ावार है जो साहिब व किबरीया और अज़मत व जलाल और कुदरत का मालिक है। परवरदिगार! तू मुझे बख्श दे और मेरी इस्लाह कर दे और बुलन्द कर दे क्योंकि तूने खैर में से जो खैर मेरी तरफ नाज़िल फरमाया है उसका मैं मोहताज हूँ।

अगर कोई तन्हा नमाज़ पढ़ता हो तो इस किस्म की दुआएं पढ़े लेकिन नमाज़ ब—जमाअत में समिअल्लाहो लिमन हमिदा पढ़ना काफी है। ये बुलन्द आवाज़ से कहना चाहिये और रब्बना लकल हम्दो अपने दिल में कहना चाहिये इसके बाद तकबीरा बोल कर सजदा किया जाये।

इमाम जअफरुस्सादिक^{अ.स.} फरमाते हैं कि जब तुम रूकूअ से सजदे में जाने के लिये सीधे खड़े हो जाओ और सजदे में जाने के लिये झुको तो गुठने टेकने से पहले अपने दोनों हाथों को ज़मीन पर रखो और जब तुम सजदा करो तो तुम्हारी दोनों हथेलियाँ ज़मीन पर फैली हुई हो और

अंगुलियों के सिरे दोनों कानों के मुकाबिल हो जैसे कि तकबीरा—तुल—अहराम के वक्त करते हो और अपनी दोनों कोहनियां ऊपर को उठाए रखो दोनों बाजुओं को ज़मीन पर न बिछाओ और अपनी पैशानी और नाक ज़मीन पर लगाये रखो और दोनों आसतीनों से अपने हाथों को बाहर निकालकर ज़मीन से लगाओ या उस मुसल्ले पर जिस पर तुम नमाज़ पढ़ते हो, अमामा के किनारे पर सजदा न करो। उसको अपनी पैशानी से हटा दो पैशानी को कम से कम एक दिरहम (सिक्का) के बराबर ज़मीन से लगाना ये सजदा में सुब्हान: रब्बियल आअला व तआला तीन बार कहना चाहिये।

इमाम जअफरुस्सादिक^{अ.स.} और आपके आबा—ए—किराम से इस सिलसिले में ब—कसरत दुआएं मनकूल है लेकिन पेश इमाम के लिये यही अफज़ल है कि वो तीन मर्तबा सुब्हान: रब्बियल आअला व तआला कहे और अगर कोई तन्हा नमाज़ पढ़ता हो तो सजदे में ये दुआ पढ़ सकता है :

اَللّٰهُمَّ لَكَ سَجَدْتُ وَبِكَ اٰمَنْتُ وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ وَاَنْتَ رَبِّيْ وَاللهِى سَجَدُ وَجْهِيْ
لِلَّذِيْ خَلَقَهُ وَصَوَّرَهُ وَشَقَّ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ اللهُ رَبُّ الْعٰلَمِيْنَ

अल्लाहुम्म: लक: सजदतो व बिक: आमन्तो व अलैक: तवक्कलतो व अन्त: रब्बी व इलाही सजद: वजही लिल्लज़ी खलकहू व सव्वरहू व शक्क: समअहू व बसरहू अल्लाहो रब्बुल आलमीन।

तर्जुमा: बारे इलाहा! मैंने तेरे लिये सजदा किया और मैं तुझ पर ईमान लाया और भरोसा रखा, बेशक तू ही मेरा रब और मेरा खुदा है। मेरे चेहरे ने उस जात के लिये सजदा किया जिसने इसको पैदा किया और सूरत बनाई और कान व आँख बनाया फिर सुब्हान: रब्बियल आअला व तआला तीन मर्तबा पढ़े।

अइम्मा ताहिरीन^{अ.स.} से दो सजदों के दरमियान बकसरत दुआएं मनकूल है जिनका ज़िक्र बहुत ही तूल तवील है लेकिन उनमें से तुम इस दुआ को पढ़ो :

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِيْ وَاَرْحَمْنِيْ وَاَجْبِرْنِيْ وَاَرْفَعْنِيْ

अल्लाहुम्मग फिरली वरहमनी वजबुरनी वरफअनी।

इमाम जअफरुस्सादिक^{अ.स.} फरमाते हैं कि जब तुम सजदे से उठने का इरादा करो तो अपने दोनों हाथों को बन्द न कर लो यानि इस हाल में

दोनो का सहारा न लो कि वो बन्द हो बल्कि दोनों हाथों को खुला रखते हुए उनका सहारा लो और खड़े हो जाओ।

अमीरुल मुअमिनीन हज़रत अली^{अ.स.} जब सजदे से उठते तो ये दुआ पढ़ते थे :

اَللّٰهُمَّ بِحَوْلِكَ وَقُوَّتِكَ اَقُوْمُ وَاَقْعُدُ

अल्लाहुम्म: बिहोलिक: वकुव्वतिक: अकूमो व अकउदो।

तर्जुमा : बारे इलाहा तेरी ही दी हुई कुदरत व कुव्वत से मैं उठता बैठता हूँ।

इमाम जअफररुस्सादिक^{अ.स.} शुरु की दो रकाअत पढ़ने के बाद जोहर, अस्त्र और मगरिब व ईशा की नमाज़ में तशहहुद की पहली दुआ इस तरह से पढ़ते थे :

بِسْمِ اللّٰهِ وَبِاللّٰهِ وَالْاَسْمَاءِ الْحُسْنٰى كُلِّهَا لِلّٰهِ وَاَشْهَدُ اَنْ لَا اِلَهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ، لَا شَرِيْكَ لَهٗ، وَاَشْهَدُ اَنْ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ، وَرَسُوْلُهٗ، اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ نَّبِيِّكَ وَتَقَبَّلْ شَفَاعَتَهٗ، فِىْ اُمَّتِهٖ وَصَلِّ عَلٰى اَهْلِ بَيْتِهٖ الطّٰهَرِيْنَ

बिस्मिल्लाहि व बिल्लाहि वल असमा उल हुस्ना कुल्लुहा लिल्लाहि व अशहदो अन ला इलाहा इल्लल्लाहो वहदहू ला शरीक: लहू व अशहदो अन्न: मोहम्मदन अब्दुहू व रसूलुहू अल्लाहुम्म: सल्लि अला मोहम्मदिन नबीथिक: व तकब्बल शफाअतहु फी उम्मतही व सल्ले अला अहले बैतिही।

तर्जुमा : खुदा के नाम और वास्ते से मैं शुरु करता हूँ, तमाम अस्मा-ए-हुस्ना उसके लिये सज़ावार है, मैं इस बात की गवाही देता हूँ कि अल्लाह तआला के सिवा कोई माबूद नहीं है और उसका कोई शरीक नहीं है और मैं इस बात की भी गवाही देता हूँ कि मुहम्मद^{स.अ.व.} अल्लाह के बन्दे और उसके रसूल हैं परवरदिगार! तु अपने पैगम्बर मुहम्मद^{स.अ.व.} पर दुरुद भेज और उम्मत के लिये उनकी शफाअत को कुबूल करना और उनके अहले बैत पर दुरुद ओर सलाम भेज।

इमाम जअफररुस्सादिक^{अ.स.} और आपके आबा-ए-किराम से तशहहुद की बहुत सी दुआएं मनकूल हैं लेकिन तशहहुद की बेहतरीन दुआ कोई मखसूस दुआ नहीं है कि जिसके सिवा दूसरी दुआ ना पढ़ी जा सके।

इमाम जअफरुस्सादिक^{अ.स.} से रिवायत है कि आप दूसरे तशहहुद में ये दुआ पढ़ते थे :

بِسْمِ اللَّهِ وَبِاللَّهِ اتَّحَيَّاتُ لِلَّهِ الطَّيِّبَاتُ الطَّاهِرَاتُ الصَّلَوَاتُ الزَّكَايَاتُ الْحَسَنَاتُ
الْغَادِيَاتُ الرَّائِحَاتُ النَّاعِمَاتُ السَّابِغَاتُ لِلَّهِ مَا طَابَ وَخُلِصَ وَصَلَحَ وَرَزَى فَلِلَّهِ
أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ،
أَرْسَلَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا بَيْنَ يَدَيِ السَّاعَةِ أَشْهَدُ أَنَّ اللَّهَ نِعَمَ الرَّبِّ
وَأَنَّ مُحَمَّدًا نِعَمَ الرَّسُولِ وَأَشْهَدُ أَنَّ عَلِيًّا نِعَمَ الْوَلِيِّ

बिस्मिल्लाहि व बिल्लाहि अत्तहिय्यातो लिल्लाहि अतय्यिबातो तहिरातुस
सलवातुज्जाकियातुल हसनातुल गादियातुर राइहातुन नाइमातुस सबिगात
लिल्लाहि माताबः व खलुसः व सलुहः व ज़का फलिल्लाहि अशहदो अन ला
इलाहः इल्लल्लाहो वहदहू ला शरीकः लहू व अशहदो अन्नः मोहम्मदन अब्दहू
व रसूलहू अरसलहू बिलहुदा व दीनिल हक्कि बशीरंव व नज़ीरन बैनः
यदयिस साअति अशहदो अन्नल्लाहः नेअमर रब्बो व अन्नः मोहम्मदन नेअमर
रसूलो व अशहदो अन्नः अलीयन नेअमल वलीयो। तर्जुमा — “मैं खुदा के
नाम और वसीले से शुरू करता हूँ। तहिय्यात (मुल्क) अल्लाह के लिये है
पाकीज़ा चीज़ें, पाकीज़ा नमाज़ें, सुबह और शाम में की जाने वाली नेकियां
और तमाम नेअमतेँ अल्लाह के लिये हैं और जितनी भी तय्यब (पाक) और
खालिस (अच्छी) व सालेह (नेक) चीज़ें हैं वो सब अल्लाह के लिये हैं, मैं
गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद और उसका कोई शरीक
नहीं हैं और मैं इस बात की गवाही देता हूँ कि मुहम्मद^{स.अ.व.} अल्लाह के बन्दे
और उसके भेजे हुए पैग़म्बर हैं उनको अल्लाह तआला ने हिदायत और दीने
हक देकर भेजा है और उनको कयामत से पहले जन्नत की बशारत देने
वाला और जहन्नम से डराने वाला बनाकर भेजा है। मैं इस बात की शहादत
देता हूँ कि अल्लाह तआला बेहतरीन रब है और मुहम्मद रसूलल्लाह^{स.अ.व.}
बेहतरीन रसूल है और अली^{अ.स.} बेहतरीन वली है।

इस दुआ के बाद जिस क़द्र चाहें तुम अपने परवरदिगार की बेहतरीन से बेहतरीन हम्दो सनाअ कर सकते हो और मुहम्मद^{स.अ.व.} व आले मुहम्मद^{अ.स.} पर सलवात भेजो। फिर अपनी जान के लिये कुछ मांगों और जो दुआ चाहो करो जब इससे फारिग हो चुको तो नबी^{स.अ.व.} पर सलाम पढ़ो वो इस तरह से कि :

السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ السَّلَامُ عَلَى مُحَمَّدٍ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ
السَّلَامُ عَلَى مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عَبْدِ اللَّهِ الصَّلَحِينَ

अस्सलामो अलैक: अय्युहन नबीय्यो व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु अस्सलामो अला मोहम्मदिब्नि अब्दिल्लाहि अस्सलामो अला मोहम्मदन रसूलिल्लाहि अस्सलामो अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन
तर्जुमा : ऐ पैगम्बर^{स.अ.व.} आप पर सलाम हो और खुदा की रहमत व बरकत नाजिल हो सलाम हो मुहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह पर सलाम हो मुहम्मद रसूलिल्लाह^{स.अ.व.} पर सलाम हो हम पर और अल्लाह के नेक बन्दों पर।

इस सिलसिले में अइम्मा ताहिरीन^{अ.स.} से बहुत सी दुआएं मनकूल हैं जिससे पता चलता है कि इसमें कोई ऐसी दुआ खास नहीं की गई है कि जिसको छोड़कर कोई दूसरी दुआ ना पढ़ी जा सके। लेकिन हम जो दुआ नक़ल कर रहे हैं वो बेहतरीन दुआ हैं।

इमाम जअफरुस्सादिक^{अ.स.} फरमाते हैं कि जब तुम नमाज़ पढ़ चुको तो दाहिने जानिब सलाम फैरते वक़्त इस तरह से कहो : अस्सलामो अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु फिर बाएं तरफ भी मुंह फैर कर कहो : अस्सलामो अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु

नमाज़ पढ़ने के बाद दुआ माँगने का बयान

इमाम जअफरुस्सादिक^{अ.स.} और आपके पिदर बुजुर्गवार इमाम बाकिर^{अ.स.} और आबा—ए—ताहिरीन और अमीरुल मुअमिनीन हज़रत अली^{अ.स.} से रिवायत है कि रसूले अकरम^{स.अ.व.} ने फरमाया है कि जो शख्स अपने मसल्ले पर दो—ज़ानू पर बैठकर ज़िक्रे इलाही में मशगूल रहता है। खुदा वन्दे तआला उस पर एक ऐसा फरिश्ता मुक़रर कर देता है जो ये कहता रहता है कि ऐ

फुलां शख्स तेरा शरफ ज़्यादा हो, तेरे आमाल—नामे में नेकियां क़लमबन्द की जाती है और बुराईयां मिटाई जाती है और तेरे वास्ते दरजात मुक़र्रर किये जाते हैं ये उस वक़्त तक कहता है जब तक वो शख्स अपने मुसल्ले से उठकर नहीं चला जाता।

इमाम बाकिर^{अ.स.} फरमाते हैं कि नमाज़ से पहले और नमाज़ के बाद दुआ मांगी जा सकती हैं।

इमाम जअफरुस्सादिक^{अ.स.} आयते करीमा

فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ • وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَبْ •

“ फइज़ा फरग़तः फन्सिब व इला रब्बिकः फरगब ” के मुताल्लिक़ फरमाते हैं कि फर्ज़ नमाज़ अदा करने के बाद दुआ करना चाहिये उसको तुम तर्क न करना क्योंकि फर्ज़ नमाज़ के बाद उसका फज़ल व सवाब वैसा ही है जैसे कि फर्ज़ नमाज़ का फज़ल व सवाब नफ़ल नमाज़ पर है। इसके बाद आपने फरमाया कि परवरदिगारे आलम का इर्शाद है कि :

أَدْعُونِي ۖ أَسْتَجِبْ لَكُمْ ۖ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ •

उदऊनी अस्तजिब लकुम इन्नल लज़ीनः यस्तकबिरुनः अन इबादती स—यदखुलूनः जहन्नमः दाखिरीन

तर्जुमा : मुझे पुकारो मैं तुमको जवाब दूंगा बेशक जो लोग मेरी इबादत से इस्तिकबार (दूर भागते हैं) करते हैं वो अनक़रीब जहन्नम में ज़लील व ख़्बार हालत में दाखिल होंगे।

अफज़ल तरीन इबादत दुआ है और इस आयते करीमा में उसी से मुराद है। आयते करीमा

إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَحَلِيمٌ أَوَّاهٌ مُنِيبٌ •

“ इन्नः इब्राहीमः ल हलीमुन अव्वाहुम मुनीब ” के मुताबिक़ आपसे पूछा गया तो आपने फरमाया कि अव्वाहुम से मुराद है बहुत दुआ करने वाला।

इमाम बाकिर^{अ.स.} फरमाते हैं कि फर्ज़ नमाज़ अदा करने के बाद दुआ करना नफ़ल नमाज़ से अफज़ल है। इमाम जअफरुस्सादिक^{अ.स.} से दो ऐसे शख्सों के बारे में पूछा गया जो दोनों एक वक़्त सजदे में गये और दोनों ने एक ही वक़्त में नमाज़ पढ़ना शुरू किया। एक ने ज़्यादा दुआ की दूसरे ने कुरआन ज़्यादा पढ़ा तो उनमें अफज़ल कौन है? आपने फरमाया कि हर एक शख्स के लिये फज़ल व सवाब है और हर एक में बेहतरी है। अर्ज़ किया

गया कि हमें ये तो मालूम है लेकिन हम ये जानना चाहते हैं कि दोनों में अफ़ज़ल कौन हुआ? आपने फ़रमाया कि दुआ अफ़ज़ल हैं। क्या तुमको खुदा का यह इर्शाद मालूम नहीं है :

• اَدْعُونِيْٓ اَسْتَجِبْ لَكُمْ ۚ اِنَّ الَّذِيْنَ يَسْتَكْبِرُوْنَ عَنْ عِبَادَتِيْ سَيَدْخُلُوْنَ جَهَنَّمَ دَاخِرِيْنَ •

उदऊनी अस्तजिब लकुम इन्नल लज़ीनः यस्तकबिरुनः अन इबादती स—यदखुलूनः जहन्नमः दाखिरीन।

तर्जुमा “मुझे पुकारो मैं तुमको जवाब दूंगा बेशक जो लोग मेरी इबादत से इस्तिफ़ादा करते हैं वो अनकरीब जहन्नम में ज़लील व ख़्वाब हालत में दाखिल होंगे”। खुदा की क़सम ये अफ़ज़ल है, खुदा की क़सम यही अफ़ज़ल है, खुदा की क़सम यही अफ़ज़ल है। क्या ये इबादत नहीं, खुदा की क़सम ये इबादत है। खुदा की क़सम ये इबादत है। खुदा की क़सम ये इबादत है। क्या ये दुश्वार (मुश्किल) काम नहीं। खुदा की क़सम ये दुश्वार है, खुदा की क़सम ये दुश्वार है, खुदा की क़सम ये दुश्वार है।

इमाम जअफररुस्सादिक^{अ.स.} जब फज़ की दो रकाअत पढ़ चुकते जिसे आप तुलुअ फज़ के बाद पढ़ते थे तो उस वक़्त आप दाहिने पहलु पर टेक लगाकर अपना दाहिना हाथ दाहिने गाल के नीचे रखते और फिर किबला रूख होकर ये दुआ पढ़ते थे :

اسْتَمْسَكْتُ بِعُرْوَةِ اللَّهِ الْوُثْقَى الَّتِي لَا انْفِصَامَ لَهَا وَاعْتَصَمْتُ بِحَبْلِ اللَّهِ الْمَتِينِ اَعُوذُ
 بِاللَّهِ مِنْ شَرِّ شَيَاطِينِ الْإِنْسِ وَالْجِنِّ اَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شَرِّ فَسَقَةِ الْعَرَبِ وَالْعَجَمِ حَسْبِيَ
 اللَّهُ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ اَلْجَاءُ ثُ ظَهَرْتُ إِلَى اللَّهِ وَطَلَبْتُ حَاجَتِي مِنَ اللَّهِ لَا حَوْلَ وَلَا
 قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ اَللَّهُمَّ اجْعَلْ لِي نُورًا فِي قَلْبِي وَنُورًا فِي سَمْعِي وَنُورًا فِي بَصَرِي وَنُورًا
 فِي لِسَانِي وَنُورًا فِي شَعْرِي وَنُورًا فِي بَشَرِي وَنُورًا فِي دَمِي وَنُورًا فِي لَحْمِي وَنُورًا
 فِي عِظَامِي وَنُورًا فِي عَصَبِي وَنُورًا مِنْ بَيْنِ يَدَيَّ وَنُورًا مِنْ خَلْفِي وَنُورًا عَنْ يَمِينِي وَ
 نُورًا عَنْ شِمَالِي وَنُورًا مِنْ فَوْقِي وَنُورًا مِنْ تَحْتِي وَنُورًا فِي قَبْرِي اَللَّهُمَّ اعْظِمْ لِي
 نُورًا وَنِعْمَةً وَسُرُورًا

इस्तमसकतो बि—उरवतिल्लाहिल वुस्कल लती लन फिसाम: लहा वअतसम्तो
 बि हबलिल्लाहिल मतीनि अऊजो बिल्लाहि मिन शररि शयातीनिल इन्सि वल
 जिन्नि अऊजो बिल्लाहि मिन शररि फसकतिल अरबि वल अजमि हस्बियल्लाहो
 तवक्कलतो अलल्लाहि अल जाअतो ज़हरी इलल्लाहि तलबतो हाजती
 मिनल्लाहि लाहोल: वला कुव्वति इल्ला बिल्लाहिल अलीयिल अज़ीम
 अल्लाहुम्मज अल ली नूरन फी कल्बी व नूरन फी समई व नूरन फी बसरी
 व नूरन फी लिसानी व नूरन फी शअरी व नूरन फी बशरी व नूरन फी लहमी
 व नूरन फी दमी व नूरन फी इज़ामी व नूरन फी असबी व नूरन मिम बैयनि
 यदय्य: व नूरन मिन खलफी व नूरन अन्य यमीनी व नूरन अन शिमाली व
 नूरन मिन फोकी व नूरन मिन तहती व नूरन फी कबरी अल्लाहुम्म: अज़ि़म
 ली नूरन व निअमतन व सूरुरा।

तर्जुमा : “ मैंने अल्लाह तआला के इस मजबूत दस्ते को पकड़ा है जो कभी
 टूटने वाला नहीं है और अल्लाह तआला की मजबूत रस्सी को पकड़ा है मैं
 जिन्नों और इन्सानों के शर से खुदा की पनाह मांगता हूँ। अरब और अजम
 के फासिकों से खुदा की पनाह मांगता हूँ। खुदा मेरे लिये काफी है। मैंने उस

पर एअतिमाद (भरोसा) किया है मैंने अल्लाह ही की तरफ आसरा लिया हैं मैंने अल्लाह से अपनी हाजत मांगी है। अल्लाह के सिवा कोई ताक़त व कुदरत नहीं है। बारे इलाहा! मेरे दिल, आँख, कान, ज़बान, बाल, खाल, खून, गोश्त, हड्डी और रगों में नूर जारी कर दे और मेरे आगे—पीछे, दाए—बाएं ऊपर—नीचे नूर जारी कर दे। परवरदिगार! तू मेरे लिये नूर और नेअमत व सुरूर को ज़्यादा कर दे।”

इसके बाद और सूरअः आले—इमरान की आखरी पाँच आयतें पढ़ते थे :

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ----- إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ

इन्नः फी खलकिस्समावाति वल अरदि — — — इन्नकः ला तुखलिफुल मीआद 4-3/190-194 तक दुआ पढ़ते थे।

इसके बाद यह दुआ पढ़ते थे :

سُبْحَانَ رَبِّ الصَّبَاحِ وَفَالِقِ الْإِصْبَاحِ وَجَاعِلِ اللَّيْلِ سَكَنًا وَالشَّمْسِ وَالْقَمَرِ حُسْبَانًا تَيْنِ
مَرْتَبَهُ اللَّهُمَّ اجْعَلْ أَوَّلَ يَوْمِي هَذَا صَاحًا وَأَوْسَطَهُ فَلَا حَا وَآخِرَهُ نَجَاحًا اللَّهُمَّ مَنْ أَصْبَحَ
وَ حَاجَتُهُ وَ طَلَبَتُهُ إِلَى مَخْلُوقٍ فَإِنَّ حَاجَتِي وَ طَلَبَتِي إِلَيْكَ وَ حَذَكَ لَا شَرِيكَ لَكَ

सुब्हानः रब्बिस्स सबाहि व फालिकिल इस्बाहि व जाइलिल लैलि सकनव वशमसि वल क़मरि हुस्बाना तीन बार अल्लहुम्मज अल अव्वलः योमी हाज़ा सलाहन व अवसतहू फलाहन व आखिरहू नजाहन अल्लाहुम्मः मन अस्बहः व हाजतहू व तलिबतहू इला मखलूकिन फ इन्नः हाजती व तलिबती इलैकः वहदकः ला शरीकः लकः। तर्जुमा : परवरदिगार ! तू मेरे आज के इबतिदाई हिस्से को मेरे लिये बेहतर बना और बीच के हिस्से को कामयाब बना और आखिरी हिस्से को नजात बना। परवरदिगार! अगर कोई शख्स सुबह उठकर किसी मखलूक से अपनी मुराद मांगता है तो मैं अपनी हाजत और मुराद तेरे सामने पेश करता हूँ तू वाहिद है और तेरा कोई शरीक नहीं है।

इसके बाद आयतुल कुर्सी और कुल अऊज़ो बे रब्बिल फलक और कुल अऊज़ो बे रब्बिन नास पढ़ते थे इसके बाद आप एक सौ (100) मर्तबा पढ़ते थे : सुब्हानः रब्बियल अज़ीमि व बिहम्दिही अस्तगफिरुल्लाह व अतुबो

इलैहि / आप फरमाते थे जो शख्स इस तरह से दुआ मांगेगा तो खुदा उसके लिये जन्नत में एक घर बना देगा।

रसूले अकरम^{स.अ.व.} का इर्शाद है कि कसम है उस परवरदिगार की जिसके कब्जे में मुहम्मद^{स.अ.व.} की जान है अगर कोई शख्स तुलु-ए-फज्र के बाद तुलु-ए-आफताब तक दुआ करे तो हाजत बरारी के लिये उस शख्स से ज्यादा कामयाब दुआ है जो अपने माल व असबाब को उठाए शहर दर-शहर बगरजे तिजारत सफर करता है।

आंहजरत^{स.अ.व.} फरमाते हैं तुमसे अगर कोई शख्स नमाज़ फज्र अदा करने के बाद तुलुअ-ए-आफताब तक ज़िक्रे इलाही में मशगूल रहे तो उसको हज का सवाब मिलेगा।

इमाम जअफररुस्सादिक^{अ.स.} फरमाते हैं कि जब तुम नमाज़ पढ़ने खड़े हो तो ये दुआ पढ़ो :

بِسْمِ اللَّهِ وَبِاللَّهِ وَمِنْ اللَّهِ وَإِلَى اللَّهِ وَكَمَا شَاءَ اللَّهُ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِنْ
رُؤَاكٍ وَعُمَرٍ مَسْجِدِكَ وَافْتَحْ لِي بَابَ رَحْمَتِكَ وَأَغْلِقْ عَنِّي بَابَ مَعْصِيَتِكَ
الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي جَعَلَنِي مِمَّنْ يُنَاجِيهِ اللَّهُمَّ اقْبَلْ عَلَيَّ بِوَجْهِكَ جَلَّ ثَنَاءُكَ

बिस्मिल्लाहि व बिल्लाहि व मिनल्लाहि व इलल्लाहि व कमाशाअल्लाहो वला कुव्वतः इल्ला बिल्लाहि अल्लाहुम्मज अलनी मिन जुव्वारिकः व उम्मारि मसाजिदिकः वफतह ली बाबः रहमतिकः व अगलिकः अन्नी बाबः मअसियतिकः अलहम्दो लिल्लाहिल लज़ी जअलनी मिम्मन युनाजीहि अल्लाहुम्मः अक़बिल अलय्यः बि वजहिकः जल्लः सनाउकः। तर्जुमा : खुदा के नाम और तवस्सल से खुदा की तरफ से और खुदा की तरफ और उसकी मशियत के मुताल्लिक अल्लाह के सिवा कोई ताक़त नहीं है परवरदिगार! तू मुझे अपनी ज़ियारत करने वालों और तेरी मस्जिदों के आबाद करने वालों में से बना दे और मुझ पर अपनी रहमत का दरवाज़ा खोल और मुझ पर तेरी माअसियत का दरवाज़ा बन्द कर दे तमाम हम्द उस अल्लाह के लिये है जिसने मुझको अपने मुनाजात करने वालों में से बनाया। परवरदिगार तू मेरी तरफ मुतवज्जा हो। तेरी हम्दो सनाअ अज़ीम है तमाम सताइश अल्लाह के लिये है। इस दुआ के बाद नमाज़ शुरू करो। अमीरुल मुअमिनीन हज़रत अली^{अ.स.} फरमाते

है कि अगर कोई शख्स इस बात से खुश होता है कि उसको पूरा-पूरा सवाब मिले तो नमाज़ पढ़ने के बाद ये दुआ पढ़े :

سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

सुब्हान: रब्बिक: रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल हम्दो लिल्लाहि रब्बिल आलमीन।

आप फरमाते हैं कि अगर नमाज़े फज़ के बाद कोई शख्स अपने मुसल्ले पर बैठकर तुलुअ आफताब तक दस मर्तबा कुल हुवल लाहो अहद पढ़े तो वो शैतान के हसद करने के बावजूद उस दिन किसी गुनाह का मुरतकब न होगा। आप फरमाते हैं कि रसूले खुदा^{स.अ.व.} ने फरमाया कि ऐ अली^{अ.स.} हर नमाज़ के बाद आयतुल कुर्सी पढ़ो क्योंकि इसकी पाबन्दी नबी, और सिद्दीक और शहीद के सिवा दूसरा कोई नहीं कर सकता।

इमाम जअफरुस्सादिक^{अ.स.} फरमाते हैं कि अगर कोई शख्स नमाज़ पढ़कर मुसल्ले से हटने से पहले तस्बीह—फातिमा करे तो खुदा उसके गुनाहों को माफ कर देगा। तस्बीहे फातिमा के मुताल्लिक अमीरुल मुअमिनीन अली^{अ.स.} से ये रिवायत है कि एक मर्तबा शाहाने अजम में से एक बादशाह ने रसूले अकरम^{स.अ.व.} की खिदमत में एक गुलाम भेजा था। उस वक़्त मैंने फातिमा^{अ.स.} से कहा तुम अपने लिये रसूले खुदा^{स.अ.व.} से एक खादिम मांग लो। फातिमा^{अ.स.} आंहरत^{स.अ.व.} की खिदमत में आई और उनसे खादिम का सवाल किया। अमीरुल मुअमिनीन^{अ.स.} ने ये पूरा वाकिआ सुनाया था। जिसको हमने मुख़्तसर कर दिया है। जब हज़रत फातिमा^{अ.स.} ने खादिम मांगा तो आपने फरमाया कि ऐ फातिमा मैं तुमको एक ऐसी चीज़ दूँगा जो इससे बेहतर है वो यह कि तुम हर नमाज़ के बाद 33 मर्तबा अल्लाहो अकबर कहो और 33 मर्तबा अलहम्दो लिल्लाह और 33 मर्तबा सुब्हानल्लाह और फिर आखिर में ला इलाह: इलल्लाह। यह तस्बीह दुनिया वमा फीहा (दुनिया की तमाम हाजतों) से और जो खादिम तुमने तलब किया है उससे बेहतर है। चुनांचे हज़रत सय्यदा फातिमा^{अ.स.} हर नमाज़ के बाद ये तस्बीह करती थी। लिहाज़ा ये तस्बीह, तस्बीहे फातिमा^{अ.स.} के नाम से मशहूर हो गई।

तस्बीहे फातिमा^{अ.स.} पर जो शख्स लाज़िम रहेगा तो उसे सौ (100) नेकियों का सवाब मिलेगा और एक नेकी खुदा के नज़दीक दस गुना नेकियों के बराबर है और उस शख्स के नामा—ए—आमाल में हर नमाज़ के बाद एक

हजार नेकियाँ लिखी जायेगी। इस बात का तो वही शख्स इंकार कर सकता है जो खुदा के सवाब से नावाकिफ है।

खुदा वन्दे तआला का इर्शाद है कि :

فَاذْكُرُونِي اَذْكُرْكُمْ

फज्रकुरुनी अजकुरकुम 2-2/152।

तर्जुमा: तुम हमारी याद रखो तो मैं भी तुम्हारा जिक्र खैर करूँगा। पस अगर किसी ने अल्लाह के इर्शाद के मुताबिक उसका जिक्र किया खुसुसन इताअत के वक़्त खुदा को याद किया है तो खुदा उसको अपनी रहमत व रिज़वान से नवाज़ेगा। लेकिन लोगों को इसका कोई इल्म नहीं है। बअज़ अइम्मा ताहिरीन^{अ.स.} से रिवायत है कि लोग मक़ामे गफलत में है। अमल तो करते है लेकिन उनको इसका इल्म नहीं है क्योंकि इकतिसाब (हासिल) इल्म ऐसी जगह से करते है जिसका उन्हें कोई इल्म नहीं है। जब वो दारे आखिरत की तरफ मुनतक़िल हो जायेगे तो यकीन की दुनिया में पहुँच जायेंगे जहाँ उनको सब चीज़ का इल्म तो हो जायेगा लेकिन वो अमल न कर सकेंगे।

रसूले अकरम^{स.अ.व.} से रिवायत है कि एक दफा आप बेगयाह (वीरान) मक़ाम में उतरे और आपने अपने असहाब से फरमाया कि जाओ हमारे वास्ते लकड़िया चुनकर लाओ लोगों ने अर्ज किया कि ऐ खुदा के सच्चे रसूल^{स.अ.} व. आप तो जानते हैं कि हम इस वक़्त चटैल मैदान में हैं आप^{स.अ.व.} ने फरमाया कि लकड़ी की तलाश में तुम में से हर एक मशगूल हो जाओ और हर एक अपनी ताक़त के मुताबिक तलाश करे। चुनांचे हसबे फरमान उनमें से हर एक—एक दो (2) दो (2) तिनके लाने लगे। यहाँ तक की आपके पास लकड़ियों का एक बहुत बड़ा अम्बार लग गया। ये देखकर आंहज़रत^{स.अ.व.} ने फरमाया कि मेरा मक़सद इससे ये था कि मैं तुम लोगों के वास्ते एक मिसाल पेश करूँ कि इस तरह से नेकियाँ जमा होती है और बुराइयाँ भी इसी तरह जमा होती है। पस खुदा की रहमत हो उस शख्स पर जिसने अपने नफ्स के मुआमले पर गौर किया।

हज़रत अमीरुल मुअमिनीन^{अ.स.} फरमाते है कि एक मर्तबा मुझसे रसूले अकरम^{स.अ.व.} ने फरमाया कि तुममें से कोई मामूली सी भी नेकी करे तो उसको हकीर ख्याल न करना चाहिये। ख्वाह वो अपने डोल से दूसरे के बर्तन में पानी का क़तरा उसी को क्यों न डालता हो। इस सिलसिले में दूसरी

बकसरत आयतें वारिद हुई है। इन्शा-अल्लाह हम उनका ज़िक्र उनके मक़ाम पर करेंगे।

हज़रत अमीरुल मुअमिनीन^{अ.स.} जब नमाज़ से फारिग होते तो दाहिनी तरफ पलट कर मुसल्ले से उठते इसके बाद सफ़ो को चीर कर बाहर निकल जाते।

आप फर्ज़ नमाज़ के बाद ये दुआ पढ़ते थे :

تَمَّ نُورُكَ فَهَدَيْتَ فَلَكَ الْحَمْدُ وَ عَظُمَ حِلْمُكَ فَعَفَوْتَ فَلَكَ الْحَمْدُ وَ بَسَطْتَ
يَدَكَ فَأَعْطَيْتَ فَلَكَ الْحَمْدُ رَبَّنَا وَجْهَكَ أَكْرَمُ الْوُجُوهِ وَ جَاهُكَ خَيْرُ الْجَاهِ وَ
عَطِيَّتِكَ أَنْفَعُ الْعَطِيَّاتِ وَ اهْنُوهَا تُطَاعُ رَبَّنَا فَتَشْكُرُ وَ تُعْصِي رَبَّنَا فَتَغْفِرُ تُجِيبُ دُعَاءَ
الْمُضْطَرِّ وَ تَشْفِي السَّقِيمَ وَ تُنْجِي مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ وَ تَقْبَلُ التَّوْبَةَ وَ تَغْفِرُ الذَّنُوبَ لَا
يَجْزِي بِأَنَّكَ أَحَدٌ وَ لَا يُحْصِي نِعْمَتَكَ قَوْلٌ قَائِلٍ

तम्म: नूरुक: फहदैत: फलकल हम्दो व अजुम: हिल्मुक: फअफोत: फलकल हम्दो व बसत्त: यदक: फअतैत: फलकल हम्दो रब्बना वजहुक: अकरमुल वुजूहि व जाहुक: खैरुलजाहि व अतिय्यतुक: अनफउल अतीय्याति व अहनउहा तुताओ रब्बना फतशकुरो व तुअसा रब्बना फतगफिरो तुजीबो दुआअल मुस्तरि व तशफिस सकीम: व तुन्जी मिनल करबिल अजीम व तकब्बलुत तौबत: व तगफिरुज़ जुनूब: ला यजज़ी बि आलाइक: अहदुन वला युहसी नेअमतिक: कौलो काइलिन।

तर्जुमा : “बारे इलाहा! तेरा नूर नूर तमाम है तूने हिदायत दी है पस तमाम हम्दो सताइश तेरे ही लिये है और तेरे हिल्म व बुरदबारी का दायरा बहुत वसीअ है पस तूने माफ कर दिया है। पस तमाम हम्दो सनाअ तेरे लिये है तूने अपना हाथ खोल दिया है पस तूने अतिया दिया, पस तू ही हम्दो सनाअ का सज़ावार है। परवरदिगार! तेरा चेहरा तमाम चीज़ों से ज़्यादा बा-इज़्ज़त है और तेरा मर्तबा तमाम मरतबों से बुलन्द व बड़तर है और तेरा अतिया तमाम अतियात से ज़्यादा नफाअ बख्श और खुशगवार है। परवरदिगार! तेरी इताअत की जाती है तो तू शुक्र करता है और जब तेरी नाफरमानी की जाती

है तो तू बख्शा देता है, परवरदिगार! तू मजबूर व बेकस की दुआ सुनता है और तू ही बीमारों को शिफाअ देता है। और ददों तकलीफ से निजात देता है। और तू ही तौबा कुबूल करता है और गुनाहों को माफ करता है, तेरे ऐहसानात का कोई बदला नहीं दे सकता और न कोई तेरी नेअमतों को शुमार कर सकता है।”

इमाम जअफररुस्सादिक^{अ.स.} फरमाते हैं कि जब तुम नमाज़ पढ़ चुको तो हर नमाज़ के बाद ये दुआ पढ़ो :

اَللّٰهُمَّ لَكَ صَلَّيْتُ وَبِكَ اٰمَنْتُ وَاِيَّاكَ رَجَوْتُ فَاَسْأَلُكَ اَنْ
تَجْعَلَ لِيْ فِيْ صَلَوَتِيْ وَدُعَائِيْ بَرَكَةً تُكَفِّرُ بِهَا سَيِّئَاتِيْ وَتُبَيِّضُ بِهَا وَجْهِيْ وَتُكْرِمَ بِهَا
مَقَامِيْ وَتَحْطُطُ بِهَا عَنِّيْ وَزُرِّيْ اَللّٰهُمَّ اَحْطُطْ عَنِّيْ وَزُرِّيْ وَاَجْعَلْ مَا عِنْدَكَ خَيْرًا لِّيْ
اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ قَضَىٰ عَنِّيْ صَلَوةً كَانَتْ عَلَيَّ وَ عَلٰى الْمُؤْمِنِيْنَ كِتَابًا مَّرْقُومًا

अल्लाहुम्म: लक: सल्लैत: व बिक: आमन्तो व इय्याक: दअवतो व इय्याक:
रजोतो फअसअलुक: अन तजअल ली फी सलाती व दुआई बरकतन
तुकफफिरो बिहा सय्यिआती व तुबय्यिजो बिहा वजही व तुकरिमो बिहा
मकामी व तहुत्तो बिहा अन्नी विज़री अल्लाहुम्म: अहतुत अन्नी विज़री
वजअल मा इन्दक: खैरन ली अलहम्दो लिल्लाहिल लज़ी कज़ा अन्नी
सलातन कानत अलय्य: व अलल मुअमिनीन: किताबन मौकुता।

तर्जुमा: बारे इलाहा! तेरे लिये मैंने नमाज़ पढ़ी और मैं तुझ पर ईमान लाया
और मैंने तुझे पुकारा और तुझसे उम्मीद बांधी। पस मैं तुझसे इतना सवाल
करता हूँ कि तू मेरी नमाज़ और दुआ में बरकत फरमा और इससे मेरे गुनाहों
को मिटा दे और मेरे चेहरे को रोशन फरमा और इससे मेरे मकान को बा
इज़्ज़त बना दे और इस नमाज़ और दुआ से मेरे गुनाहों को माफ फरमा और
तेरे पास जो खैरो बरकत है वो मुझे अता फरमा तमाम हम्दो सनाअ उस
खुदा के लिये सज़ावार है जिसने इस नमाज़ को मुझसे पुरा कराया जो मुझ
पर और मुअमिनीन पर फर्ज की गई हैं

और आप सलाम के बाद ये दुआ भी पढ़ते थे :

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِيْ مَا قَدَّمْتُ وَمَا اَخَّرْتُ وَمَا اَسْرَرْتُ وَمَا اَعْلَنْتُ وَمَا اَنْتَ اَعْلَمُ بِهِ مِنِّيْ
 اَنْتَ الْمُقَدِّمُ وَاَنْتَ الْمُؤَخِّرُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ

अल्लाहुम्मग फिरली मा कददमतो वमा अख्खरतो व मा अससरतो व मा अअलनतो व मा अनतः अअलमो बिही मिन्नी अन्तल मुकदिदमो व अन्तल मुअख्खरो ला इलाहा इल्ला अन्तः ।

तर्जुमा : बारे इलाहा! जो मैं आगे कर चुका हूँ और आइन्दा जो करूँगा, और जो कुछ मैंने छुपकर किया है या एलानियां किया है तू मुझसे ज़्यादा जानता है उन तमाम गुनाहों को माफ कर दे। तक्दीम व ताखीर का तू ही मालिक है, तेरे सिवा कोई माबूद नहीं है। ”

इमाम बाकिर^{अ.स.} फरमाते हैं कि फर्ज नमाज़ के बाद कम से कम इतनी दुआ पढ़ लेना काफी है कि :

اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْئَلُكَ مِنْ كُلِّ خَيْرٍ اَحَاطَ بِهِ عِلْمُكَ وَاَعُوْذُبِكَ مِنْ كُلِّ شَرٍّ اَحَاطَ بِهِ
 عِلْمُكَ اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْئَلُكَ عَافِيَتَكَ فِیْ اُمُوْرٍ كُلِّهَا وَاَعُوْذُبِكَ مِنْ خِزْيِ الدُّنْيَا وَ
 مِنْ عَذَابِ الْاٰخِرَةِ

अल्लाहुम्मः इन्नी असअलुकः मिन कुल्लि खैरिन अहातः बिही इल्मुकः व अउज़ो बिकः मिन कुल्लि शरिन अहातः बिही इल्मुकः अल्लाहुम्मः इन्नी असअलुकः आफियतकः फी उमूरी कुल्लिहा व अऊज़ो बिकः मिन खिज़यिद दुनिया व मिन अज़ाबिल आखिरति ।

तर्जुमा : बारे इलाहा! मैं तुझसे हर उस नेकी का सवाल करता हूँ जिस पर तेरा इल्म मूहीत है और मैं हर उस शर से पनाह माँगता हूँ जिस पर तेरा इल्म मुहीत है। बारे इलाहा! तु मुझे मेरे तमाम कामों में सहूलियत और आफियत अता कर और दुनिया व आखिरत की ज़िल्लत से तेरी पनाह माँगता हूँ।

इमाम जअफरुस्सादिक^{अ.स.} फरमाते हैं कि नमाज़े फज्र पढ़ने के बाद दुआ करना तलबे रिज़्क के लिये सफर करने वाले से ज़्यादा फायदेमंद और असरदार है।

अमीरुल मुअमिनीन हज़रत अली^{अ.स.} फरमाते हैं कि मैंने रसूले अकरम^{सअव.} को कहते सुना है कि जो शख्स फर्ज़ नमाज़ के बाद सौ (100) मर्तबा कुल हुवल्लाहो अहद पढ़ेगा तो कयामत के दिन पुले सिरात से गुज़र जायेगा, इस हाल में कि उसके दाहिनी जानिब आठ गज़ और बाई जानिब आठ गज़ का फासला होगा और जिब्रईल^{अ.स.} उसका दामन पकड़े हुए होंगे वो दाहिने और बाएं जानिब अहले जहन्नुम पर निगाह करेगा उसमें किसी ऐसे शख्स को देखेगा जिसको वो पहचानता है और वो शिर्क के सिवा किसी और गुनाह की वजह से दाखिले जहन्नुम हुआ है तो उसको वो अपने हाथ से बाहर निकाल लेगा और फिर खुदा उसकी शफाअत से उसको दाखिले जन्नत फरमाएगा।

इमाम जअफरुस्सादिक^{अ.स.} फरमाते हैं कि जब तुम नमाज़ से फारिग होकर सलाम फेरो तो तीन मर्तबा अल्लाहो अकबर कहो और ये दुआ पढ़ो :

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ، لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ بِيَدِهِ الْخَيْرُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ، أَنْجَزَ وَعَدَهُ، وَنَصَرَ عَبْدَهُ، وَغَلَبَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ
فَلَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

ला इलाहा इल्लल्लाहो वहदहु ला शरीकः लहु लहुल मुल्को व लहुल हम्दो बि यदिहिल खैरो व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर ला इलाहा इल्लल्लाहो वहदहु अन—जज़ वअदहु व नसरः अब्दहु व गलबल अहज़ाबः वहदहू फ—लहुल मुल्को व लहुल हम्दो अलहम्दो लिल्लाहि रब्बिल आलमीन।

तर्जुमा : अल्लाह के सिवा कोई माअबूद नहीं है और उसका कोई शरीक नहीं मुल्क और सताईश (तारीफ) खुदा के लिये है। कारे खैर उसी के हाथों में है। वो हर शैए पर क़ादिर है अल्लाह के सिवा कोई माअबूद नहीं है उसने वादा को पूरा किया और अपने बंदे (मुहम्मद^{सअव.}) की मदद की और तनहा अहज़ाब को मगलूब किया पस मुल्क व हम्द खुदा के लिये है। तमाम हम्दो सनाअ अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिये है। इस दुआ के बाद दस मर्तबा ला इलाहा इल्लल्लाहो वल्लाहो अकबर व सुब्हानल्लाह वल हम्दो लिल्लाह पढ़ो क्योंकि ये मुस्तहब है।

इमाम जअफरुस्सादिक^{अ.स.} से रिवायत है आप फरमाते हैं कि हर नमाज़ के बाद 33 मर्तबा तस्बीह करना चाहिये। अगर तस्बीह व तहमीद सौ मर्तबा पढ़े तो ये अफज़ल है। नमाज़ के बाद दुआ व तस्बीह के मुताल्लिक अइम्मा ताहिरीन^{अ.स.} से बहुत-सी रिवायतें वारिद हैं। हमने यहाँ जो कुछ बयान किया है वो काफी है इसमें कोई दुआ व तस्बीह वाजिब व मखसूस नहीं है बल्कि दुआ व तस्बीह करने से फज़ल व सवाब हासिल होता है।

हज़रत अमीरुल मुअमिनीन अली^{अ.स.} से रिवायत है आपने फरमाया कि रसूले खुदा^{स.अव.} ये कहा करते थे कि मेरी उम्मत में से जो शख्स भी नमाज़ पढ़ने के बाद अपने दाहिने हाथ से चेहरे पर मसाह करेगा और ये दुआ पढ़ेगा, तो खुदा उसकी हर मुराद पूरी करेगा वो दुआ यह है :

اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ اللَّهُمَّ أَذْهَبْ عَنِّي اللَّهُمَّ
وَالْحَزَنَ وَالْفَتَنَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ

अल्लाहुम्म: लकलहम्दो ला इलाहा इल्ला अन्तः आलिमुल गैबि वशहादति
अल्लाहुम्म: अज़हिब अन्नी अल्लाहुम्म: वल हज़नः वल फितनः मा ज़हरः
मिन्हा व मा बतनः।

तर्जुमा : बारे इलाहा! तमाम हम्दो सना तेरे लिये है और तेरे सिवा कोई और माबूद नहीं है तू हाज़िर व गायब का जानने वाला है। परवरदिगार! तू मेरे ज़ाहिर व बातिन दोनो किस्म के हुज़्ज व मलाल और फितनों को दूर कर दे।

अइम्मा ताहिरीन सलवातुल्लाहि अलैहिम अजमईन ने हर फर्ज़ नमाज़ के बाद तकरूब की दुआ पढ़ने का हुक्म फरमाया है। वो इस तरह की जब नमाज़ पढ़ने वाला सलाम फेर चुके तो अपने दोनो हाथ ऊपर उठाकर ये दुआ पढ़े :

اللَّهُمَّ إِنِّي أَتَقَرَّبُ إِلَيْكَ بِمُحَمَّدٍ رَسُولِكَ وَبِنَبِيِّكَ وَبِوَصِيِّهِ عَلِيِّ وَلِيِّكَ وَ
بِالْإِئْمَتِهِ مِنْ وَلَدِهِ الطَّاهِرَيْنِ الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ وَعَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ وَمُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ
وَجَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ

अल्लाहुम्मः इन्नी अतकररबो इलैकः बिमुहम्मदिन रसूलिकः व नबीय्यिकः व बि वसिय्यिहि अलीय्यिन वलीय्यिकः व बिल आइम्माति मिन वलदिहीत ताहिरीनल हसनि वल हुसैनि व अली इब्निल हुसैनि व मुहम्मद इब्नि अलीय्यिन व जअफर इब्नि मुहम्मद ।

तर्जुमा : बारे इलाहा! मैं तेरी बारगाह में तेरे रसूल मुहम्मद^{स.अ.व.} का और तेरे नबी के वसी और वली अली^{अ.स.} का वसीला और उनकी औलादे अतहार इमाम हसन^{अ.स.} व इमाम हुसैन^{अ.स.} और इमाम अली जैनुल आबिदीन^{अ.स.} इमाम मुहम्मद बाकिर^{अ.स.} व इमाम जअफरुस्सादिक^{अ.स.} का वसीला लेता हूँ । और उसके बाद दूसरे तमाम इमामों का यहां तक कि इमामे ज़माना का नाम लिया जाये इसके बाद ये दुआ पढ़ी जाये :

اَللّٰهُمَّ اَتَقَرَّبُ اِلَيْكَ بِهِمْ وَ اَتُوْا لَا هُمْ وَ اَبْرَأُ اِلَيْكَ مِنْ اَعْدَائِهِمْ وَ اَشْهَدُ اَللّٰهُمَّ
بِحَقَائِقِ الْاِخْلَاصِ وَ صِدْقِ الْيَقِيْنِ اَنَّهُمْ خُلَفَاؤُكَ فِيْ اَرْضِكَ وَ حُجَجُكَ عَلٰى
خَلْقِكَ وَ الْوَسَائِلُ اِلَيْكَ وَ اَبْوَابُ رَحْمَتِكَ اَللّٰهُمَّ احْشُرْنِيْ مَعَهُمْ وَ لَا تُخْرِجْنِيْ مِنْ
جُمْلَتِهِ اَوْلِيَاءِهِمْ وَ ثَبِّتْنِيْ عَلٰى عَهْدِهِمْ اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنِيْ بِهِمْ عِنْدَكَ وَ جِیْهًا فِی الدُّنْيَا وَ
الْاٰخِرَةِ وَ مِنَ الْمُقَرَّبِيْنَ اَللّٰهُمَّ ثَبِّتِ الْيَقِيْنَ فِیْ قَلْبِيْ وَ زِدْنِيْ هُدٰی وَ نُوْرًا اَللّٰهُمَّ صَلِّ
عَلٰى مُحَمَّدٍ وَ عَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ وَ اَعْطِنِيْ مِنْ حَزْبِیْلِ مَا اَعْطَيْتَ عِبَادَكَ الْمُؤْمِنِيْنَ مَا اَمِنُ
بِهِ عِقَابِكَ وَ اَسْتَوْجِبُ بِهِ رِضَاكَ وَ رَحْمَتَكَ وَ اهْدِنِيْ اِلٰی مَا اخْتَلَفَ فِیْهِ مِنَ الْحَقِّ
بِاِذْنِكَ اِنَّكَ تَهْدِیْ مَنْ تَشَاءُ اِلٰی صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ وَ اَسْأَلُكَ يَا رَبِّ فِی الدُّنْيَا حَسَنَةً
وَ فِی الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً وَ اَسْأَلُكَ اَنْ تَقِيْنِيْ عَذَابَ النَّارِ

अल्लाहुम्मः अत्तकररबो इलैकः बिहिम वतवलाहुम व अबरउ इलैकः मिन अअदाइहिम व अशहदो अल्लाहुम्मः बि हकाइकिल इखलासि व सिदकिल यकीनि अन्नहुम खुलफाउकः फी अरजिकः व हुजः जुकः अला खलकिकः वल

वसाइलो इलैकः व अबवाबो रहमतिकः अल्लाहुम्मह शुरनी मअहुम व ला तुख रिजनी मिन जुमलतिही औलियाइहिम व सब्बितनी अला अहदिहिम अल्लाहुम्मज अलनी बिहिम इन्दकः वजीहन फीदुनिया वल आखिरति व मिनल मुकर्बीन अल्लाहुम्मः सब्बितिल यकीनः फी कल्बी व ज़िदनी हुदन व नूरन अल्लाहुम्मः सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व अअतिनी मिन हज़ीलि मा अअतैतः इबादकल मुअमिनीनः मा आमनो बिही इकाबिकः व असतोजिबो बिही रिज़ाकः व रहमतकः वहदिनी इला मखतुलिफः फीहि मिनल हक्कि बिइज़निकः इन्नकः तहदी मन तशाओ इला सिरातिन मुसतकीम व असउलकः या रब्बि फीदुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व असअलुकः अन तकियनी अज़ाबन नार ।

तर्जुमा: परवरदिगार! मैं तेरी बारगाह में इन तमाम अइम्मा ताहिरीन^{अ.स.} का वसीला लेकर आया हूँ मैं इनसे मुहब्बत करता हूँ और इनके दुश्मनों से इज़हारे बरात करता हूँ। बारे इलाहा! मैं पूरे इखलास और यकीन की सच्चाई के साथ शहादत देता हूँ। तमाम अइम्मा ताहिरीन^{अ.स.} तेरी ज़मीन पर तेरे खुलुफा और तेरी मखलूक पर तेरी हुज्जत हैं और तेरी बारगाह के लिये वसीला हैं और तेरी रहमत के दरवाज़े हैं। परवरदिगार! तू इनके साथ मेरा हथ कर और तू मुझे इन अइम्मा ताहिरीन^{अ.स.} के दोस्तों के ज़मराह से खारिज न कर, और तू मुझे इनके अहद व पैमान पर साबित कदम रख। परवरदिगार! तू मुझे इनके वसीले से दुनिया व आखिरत में अपने नज़दीक बाइज़्ज़त और मुकर्बीन में से बना। बारे इलाहा! तू मेरे दिल में यकीन को साबित फरमा और हिदायत व नूर को ज़्यादा कर। परवरदिगार! तू मुहम्मद^{सअव.} व आले मुहम्मद^{अ.स.} पर दुरुद भेज और मुझे वो सवाब अताकर जो तूने अपने मुअमिन बन्दों को दिया है ताकि इससे मैं तेरे अज़ाब से महफूज़ रहूँ और तेरी रज़ा और रहमत का मुस्तहिक् बनूँ और जिन बातों में इखतिलाफ हो उनमें मुझे हिदायत अताकर बेशक तू ही जिसे चाहता है सिरात—ए—मुस्तकीम की हिदायत देता है और ऐ परवरदिगार! मैं तुझसे दुनिया व आखिरत में नेकी का सवाल करता हूँ और ये सवाल करता हूँ कि तू मुझे अज़ाबे जहन्नुम से बचा।”

नमाज़ की हालत में कलाम और अमल करने का बयान

नमाज़ की हालत में तकबीर, क़िराअत, तस्बीह, तहमीद, तशाहुद और दुआ वगैरह जिनका पढ़ना जायज़ है हमने उनका ऊपर तज़क़िरा कर दिया है ये तमाम मिन-जुमला कलाम के हैं और हदीस शरीफ में है कि नमाज़ की हालत में बातचीत करने से नमाज़ क़तअ हो जाती है।

हज़रत अली^{अ.स.} से मरवी है आपने फरमाया है कि अगर कोई शख्स नमाज़ की हालत में कलाम करे तो वो फिर से नमाज़ पढ़े आपका ये मुजमल इर्शाद है मगर जो कलाम (दुआ) नमाज़ में मुबाह है और जिसका हुक्म दिया गया है उससे नमाज़ क़तअ नहीं होती।

इमाम जअफरुस्सादिक^{अ.स.} से रिवायत है आपने फरमाया कि नमाज़ की हालत में बन्दा अपने रब से जो कुछ कलाम करता है वो दरअसल कलाम (बातचीत) नहीं है।

हज़रत अली^{अ.स.} से रिवायत है आप फरमाते हैं कि आंहज़रत^{स.अ.व.} जब आप अपने पहले उमराह में मशगूल थे एक मर्द आया और हालते नमाज़ में आप^{स.अ.व.} पर सलाम पढ़ा जिसका आप^{स.अ.व.} ने कोई जवाब नहीं दिया। जब नमाज़ से फारिग हो चुके तो आपने फरमाया कि अभी-अभी जिस शख्स ने मुझ पर सलाम पढ़ा था वो कहां है? मैं जब नमाज़ में मशगूल था कि उस वक़्त हज़रत जिब्रईल^{अ.स.} आए और उन्होंने कहा कि अपनी उम्मत को रोको कि वो नमाज़ की हालत में सलाम का जवाब न दें। अगर किसी को नमाज़ की हालत में शदीद ज़रूरत पेश आ जाये तो अइम्मा ताहिरीन^{अ.स.} ने तस्बीह के ज़रिए अपने मक़सद की तरफ इशारा करने की रूख़सत दी है। यानि सुबहानल्लाह कहे।

हज़रत अली^{अ.स.} से रिवायत है आप फरमाते हैं कि मैं जब रसूले अकरम^{स.अ.व.} की खिदमत में हाज़िर होता तो पहले इजाज़त तलब करता था अगर आप नमाज़ की हालत में होते तो सुब्हानल्लाह पढ़ देते और मैं आपका मतलब समझ जाता और अंदर दाखिल हो जाता और आप नमाज़ की हालत में न होते तो आप मुझे बुला लेते और मैं बैयतुल शरफ में दाखिल हो जाता।

इमाम जअफरुस्सादिक^{अ.स.} से रिवायत है आप फरमाते हैं कि अगर कोई शख्स नमाज़ की हालत में अपनी किसी हाज़त को पूरा करना चाहता हो तो वो सुबहानल्लाह कहे।

आप फरमाते हैं कि नमाज़ पढ़ते वक़्त अगर हँसी आ जाये तो नमाज़ टूट जाती है लेकिन मुस्कुराहट से नमाज़ नहीं टूटती, बन्दे को चाहिये कि वो नमाज़ के वक़ार को मुस्कुराहट और इधर—उधर देखने और किसी काम में मशगूल होने से महफूज़ रखे इसमे अफज़लियत और सलामती है। हमने इससे पहले नमाज़ में पूरी तवज्जाह रखने का बयान कर दिया है लेकिन अगर नमाज़ पढ़ने वाले को कोई ऐसा मामला दरपेश आ जाये कि वो बगैर मुँह फिराए सिर्फ़ इशारे के ज़रिए अपने मक़सद को नहीं बयान कर सकता तो उस वक़्त किबला से मुँह फेरे बगैर अपने काम को अन्जाम दे तो कोई हर्ज नहीं है।

इमाम जअफरुस्सादिक^{अ.स.} से रिवायत है कि अगर कोई शख्स नमाज़ की हालत में किसी हाज़त को पूरा करना चाहे तो सुबहानल्लाह कहे या उंगली से इशारा करे या अपने सर से इशारा करे और अगर कोई औरत नमाज़ की हालत में किसी मक़सद को पूरा करना चाहे तो हाथ पर हाथ (ताली से) मारे। रसूले अकरम^{स.अ.व.} ने नमाज़ पढ़ते वक़्त बे—माअनी लगवियात (बेकार की हरकतें) करने से मना फरमाया है और मुँह से फूंकने से भी मना फरमाया है।

इमाम जअफरुस्सादिक^{अ.स.} से रिवायत है कि आपने नमाज़ की हालत में मौजूए सुजूद (सजदे करने की जगह) पर फूंक मारने से मना फरमाया है सिर्फ़ इस हरकत से मना किया गया है लेकिन इससे नमाज़ क़तअ नहीं होती। नमाज़ में नाक साफ करने की इज़ाज़त है।

हज़रत अमीरुल मुअमिनीन^{अ.स.} फरमाते हैं कि नमाज़ की हालत में अगर कोई शख्स नाक साफ करे तो उसको अगर जगह हो तो बाए जानिब साफ करे और गड़्डा न हो तो गड़्डा खोद कर अपने पैरो के नीचे दबा दे यानि जबकि वो कंकड़ पर या रेत (कच्ची ज़मीन) पर पढ़ता हो तो ऐसा करे।

रसूले अकरम^{स.अ.व.} ने किबला में नाक साफ करने से मना फरमाया है एक मर्तबा जब आपने मस्जिद के किबला में नाक की गंदगी को देखा तो आपने नाक साफ करने वाले पर लाअनत भेजी जब ये ख़बर नाक साफ करने वाले की बीवी को पहुँची उस वक़्त उसका शौहर गायब था तो उस शख्स की औरत आई और उसने किबला से नाक की गंदगी को साफ किया और उसकी जगह ज़ाफ़रान और अंबर से बनी हुई खुशबू का लैप चढ़ा दिया। रसूले अकरम^{स.अ.व.} ने जब ये देखा तो फरमाया कि ये किसने किया

है? आपको उस औरत ने जो कुछ किया था उसकी खबर की गई। आपने उस औरत की तारीफ की। क्योंकि उसने अपने शौहर का काम अन्जाम दिया था। चुनांचे अवाम महज़ कयास की बिना (अन्दाज़) पर मस्जिदों में इस किस्म का खुशबूदार लैप इस्तेमाल करने लगे हालांकि रसूले खुदा^{स.अ.व.} ने ऐसा नहीं किया था। बहुत से लोग इससे रोकते और ना पसन्द करते हैं और बहुत से लोग हमने जो वाकिआ बयान किया है उसकी वजह से इस बात को मुस्तहिब (अच्छा) ख्याल करते हैं।

इमाम जअफरुस्सादिक^{अ.स.} से रिवायत है आपने नमाज़ की हालत में ऐसे शख्स को खुजली करने की इजाज़त दी है जिसको खुजली हुई है, और नमाज़ में उगलियाँ तोड़ने से मना फरमाया है यानि एक उगली पर दूसरी उगली रखकर चटखाना नहीं चाहिये अगर किसी शख्स की नज़र किताब, या अंगूठी के नक्श पर जा पड़े तो उसकी नमाज़ टूट जायेगी चुनांचे इसी मसले के पेश नज़र ये पसन्द किया गया है कि किबला में कोई ऐसी चीज़ न हो जिससे मुसल्ली की नज़र उस तरफ जाये या कोई किताब रखी हुई न हो कि वो पढ़े इससे मुसल्ली की नमाज़ टूट जाती है।

इमाम जअफरुस्सादिक^{अ.स.} से रिवायत है आपने उस मुसल्ली के मुताल्लिक़ फरमाया जिसको नमाज़ की हालत में कीड़े-मकोड़े ने काटा हो उस शख्स को ये कि कीड़े-मकोड़े को दूर कर दे या कंकड़ों में दफन कर दे। आप से जब पूछा गया कि अगर किसी शख्स को नमाज़ की हालत में बिच्छू और सांप नज़र आए तो क्या करें? आपने फरमाया कि मार डाले।

एक मर्तबा आंहज़रत^{स.अ.व.} ने एक शख्स को देखा जो नमाज़ की हालत में अपनी डाढ़ी से खेल रहा था। आप^{स.अ.व.} ने फरमाया भला देखो तो अगर उस शख्स के दिल में खोफे इलाही होता तो उसके तमाम आज़ा खुशुअ में ग़र्क़ रहते।

आंहज़रत^{स.अ.व.} ने फरमाया कि अल्लाह तआला ने छः बातें तुम्हारे लिये ना पसन्द की हैं। (1) नमाज़ में खेलना (2) और सदका करके एहसान जताना (3) और रोज़ा रखकर बुरा काम करना (4) और क़ब्रों के पास हँसना (5) और बगैर इजाज़त के घर में झाँकना और (6) जनाबत की हालत में मस्जिद में बैठना।

हज़रत अमीरुल मुअमिनीन अली^{अ.स.} फरमाते हैं कि मुझे रसूले खुदा^{स.अ.व.} ने इन चार बातों से मना फरमाया है (1) नमाज़ की हालत में कंकड़ों को उलटना-पलटना (2) नमाज़ की हालत में बालों को पीछे से चोटी बाँधना

(3) और रोज़े की हालत में पिछना (एनीमा) लगाना (4) और जुमआ के दिन मखसूस तोर से रोज़ा रखना।

इमाम जअफरुस्सादिक^{अ.स.} से ऐसे शख्स के बारे में पूछा गया जो नमाज़ की हालत में आयतें गिनता है? आपने फरमाया कि कुरआन की आयतें गिनने में कोई हर्ज़ नहीं हैं।

हज़रत अमीरुल मुअमिनीन^{अ.स.} फरमाते हैं कि रसूलल्लाह^{स.अ.व.} ने फरमाया है कि तुम लोग नमाज़ की हालत में जम्हाई (उबासी) लेने से बचो, क्योंकि ये शैतान की आवाज़ है। खुदा छींकना तो पसन्द करता है मगर नमाज़ की हालत में जम्हाई लेना पसन्द नहीं करता है।

इमाम जअफरुस्सादिक^{अ.स.} से मरवी है कि नमाज़ की हालत में जम्हाई लेना और जिस्म तोड़ना मकरूह है ये दानों बातें सुस्ती की वजह से पैदा होती है।

चुनाचे इसी वजह से ये ममनूअ (मना) है। ऐसा अमदन करना भी ममनूअ है लेकिन जम्हाई तो बगैर कसद के होती है लिहाज़ा अगर किसी को ऐसी जम्हाई आए कि वो उस पर काबू न रख सके तो अपना हाथ मुँह पर रखकर लौटा दे उसको न तो मोड़े न लम्बा करें।

हज़रत अमीरुल मुअमिनीन^{अ.स.} से रिवायत है कि जब रसूले अकरम^{स.अ.व.} को नमाज़ की हालत में जम्हाई आती तो आप उसको दाहिने हाथ से लौटा देते थे और छींक तो निशात के वक़्त ही आती है इसलिये वो मुस्तहिब है, जब छींक आए तो उस वक़्त वाजिब है कि उसको धीमे से लिया जाये जहाँ तक हो सके ज़ोर से न लिया जाये।

आप फरमाते हैं जब तुम में से किसी को नमाज़ की हालत में छींक आए तो उसे बिल्ली की तरह आहिस्ता छींकना चाहियें इमाम जअफरुस्सादिक^{अ.स.} फरमाते हैं कि जब तुम में से किसी को छींक आए तो अलहम्दो लिल्लाह कहे और अपने दिल में सलवात पढ़े।

आपने नमाज़ पढ़ते वक़्त पैशानी को मिट्टी से मस करने की इजाज़त दी है। और नमाज़ की हालत में आंखें बन्द करने से मना फरमाया है और चौतड़ (कूल्हे) पर हाथ रखकर नमाज़ पढ़ने से मना फरमाया है और बगैर किसी इल्लत के मुँह ढांक कर नमाज़ पढ़ना भी मकरूह है।

नमाज़ में लिबास का बयान

इमाम बाकिर^{अ.स.} से रिवायत है आपने फरमाया कि जिस शख्स ने इमाम हुसैन^{अ.स.} को नमाज़ पढ़ते हुए अपनी आंख से देखा है उसने मुझसे बयान किया है कि आप एक ही लिबास में नमाज़ पढ़ते थे और उसी शख्स ने ये भी बयान किया है कि रसूले खुदा^{स.अ.व.} भी एक ही लिबास में नमाज़ पढ़ते थे।

आप फरमाते हैं हज़रत जाबिर^{र.ज.} बिन अब्दुल्लाह अनसारी ने मुझसे बयान किया कि उन्होंने रसूले खुदा^{स.अ.व.} को एक ही लिबास में नमाज़ पढ़ते हुए देखा है और खुद हज़रत जाबिर^{र.ज.} बिन अब्दुल्लाह अनसारी ने अपने घर में एक ही कपड़े में नमाज़ पढ़ाई थी। हालांकि उस वक़्त आपके पास ही एक खूँटी पर कुछ कपड़े टंगे हुए थे। अगर आप पहनना चाहते तो उनमें से लेकर पहन लेते।

इमाम जअफरुस्सादिक^{अ.स.} फरमाते हैं कि इमाम बाकिर^{अ.स.} ने हमको एक ही लिबास में नमाज़ पढ़ाई है आपने उसको जिस्म पर लपेट रखा था। रसूले खुदा^{स.अ.व.} एक ही लिबास में नमाज़ पढ़ाते थे अगर कपड़ा वसीअ (ज्यादा) होता तो उसको लपेट लेते और अगर छोटा होता तो उसको इज़ार बना लेते।

अबुल जारुद ने इमाम बाकिर^{अ.स.} से कहा कि ऐ फरजन्दे रसूल^{अ.स.} मुगीरा कहता है कि कोई शख्स चाहे तो वो सिर्फ एक इज़ार या पटका बांधाकर नमाज़ पढ़ सकता है। आपने फरमाया कि ऐ अबुल जारुद ऐसा तो यहूदी लोग करते हैं। अमीरुल मुअमिनीन^{अ.स.} फरमाते हैं कि अगर मोटे कपड़े का कमीज़ हो और उस पर इज़ार भी पहन ली जाये तो नमाज़ पढ़ने में कोई हर्ज़ नहीं है।

इमाम बाकिर^{अ.स.} और इमाम जअफरुस्सादिक^{अ.स.} फरमाते हैं कि सिर्फ इज़ार से नमाज़ पढ़ने में कोई हर्ज़ नहीं है।

और सिर्फ तहबंद पहन कर नमाज़ पढ़ने में कोई हर्ज़ नहीं है। लेकिन दोनों कांधों पर छोटा सा कपड़ा डाल लेना चाहिये, ये उस वक़्त जायज़ है जबकि उसके सिवा और चारा न हो अगर कपड़ा मिल सकता हो तो नमाज़ के साथ इस किस्म का मज़ाक़ न करना चाहिये। क्योंकि नमाज़ी अपने परवरदिगार से मुनाजात करता है और उसके सामने खड़ा होता है।

रसूले खुदा^{स.अ.व.} फरमाते हैं कि जो शख्स अपने कपड़े को नमाज़ में पहनने से बचाता हो तो उसका वो कपड़ा पहनना खुदा के लिये नहीं है। हज़रत अमीरुल मुअमिनीन^{अ.स.} फरमाते हैं कि रसूले खुदा^{स.अ.व.} ने सम्माअ करने से मना फरमाया है। सम्माअ एक कपड़े को अपने जिस्म पर इस तरह लपेटना कि उसके दोनों सिरों एक ही तरफ हो जायें जैसा कि आजकल बरबर कौम का तरीका है इस लिबास में नमाज़ पढ़ना जायज़ नहीं है लेकिन अगर कोई एक ही कपड़े को इस तरह लपेटकर नमाज़ पढ़े कि उसके दोनों सिरों हाथ पर हो फिर दोनों के दरमियान इस तरह से फासला कर दे कि दाएं जानिब का सिरा बाएं कंधे पर डाल दे और बाएं तरफ का सिरा दाहिनी जानिब डाल दे और फिर बीच से अपने दोनों हाथों को बाहर निकालकर नमाज़ पढ़े।

इमाम जैनुल आबिदीन^{अ.स.} बरन्स (कम्बल) में नमाज़ पढ़ा करते थे इमाम जअफरुस्सादिक^{अ.स.} फरमाते हैं कि बरन्स चादर के मानिन्द होता है।

एक मर्तबा अमीरुल मुअमिनीन हज़रत अली^{अ.स.} मस्जिद में तशरीफ ले गये तो उस वक़्त लोग खड़े होकर अपनी चादरों को लटकाए हुए नमाज़ पढ़ रहे थे। आपने फरमाया कि तुम्हें क्या हो गया है कि तुम लोगों ने अपनी चादरों को लटका दिया गोया तुम यहूदियों के गिरजा में यहूदी बन गये हो। तुम लोग चादर लटकाने से बचो। लटकाने का मतलब ये है कि चादर के बीच के हिस्से को अपने सिर पर रखा जाये या कंधे पर और उसके दोनों सिरों को सीने से लपेट दिया जाये और चादर को ज़मीन पर लटकता छोड़ दिया जाये।

इमाम जअफरुस्सादिक^{अ.स.} से तलवार लेकर नमाज़ पढ़ने के मुताल्लिक पूछा गया तो आपने फरमाया कि तलवार के साथ नमाज़ पढ़ना मानिन्द चादर के है। इमाम बाकिर^{अ.स.} से रिवायत है आपने फरमाया कि अगर तुम चाहो तो अपने मौजों और जूतों के साथ नमाज़ पढ़ सकते हो। रसूले अकरम^{स.अ.व.} ने यहूद, नसारा और मजूस के पहने हुए लिसाब में नमाज़ पढ़ने से मना फरमाया है।

हज़रत अमीरुल मुअमिनीन^{अ.स.} फरमाते हैं कि अगर औरत जरअ और ओढ़नी पहनकर नमाज़ पढ़ना चाहे बशर्ते कि दोनों कसीफ (मोटा) हो तो नमाज़ पढ़ सकती है लेकिन इसके साथ इज़ार और लिहाफ हो तो औरत के लिये ज़्यादा बेहतर और अफज़ल है हुररा (आज़ाद) औरत के लिये ये जायज़ नहीं कि वो बगैर ओढ़नी और मुकनाअ के नमाज़ पढ़े।

वो हुर्रा (आजाद) लड़की जो बालिग हो चुकी बगैर ओढ़नी के उसकी नमाज़ मकबूल नहीं है लेकिन वो ममलूका (बान्दी) है तो उसके लिये दुपट्टा ओढ़ना वाजिब नहीं है।

इमाम जअफरुस्सादिक^{अ.स.} से लोंडी के मुताल्लिक पूछा गया कि आया उस पर वाजिब है कि वो नमाज़ की हालत में सिर पर मुकनाअ (सर पर पहनने वाला एक कपड़ा) पहने? आपने फरमाया कि नहीं मेरे पिदर बुजुर्गवार इमाम बाकिर^{अ.स.} जब किसी लोन्डी को सिर पर मुकनाअ रखे हुए नमाज़ पढ़ते देखते तो आप उसको मारते और फरमाते कि लकअ, हुर्रा (आजाद) औरतों के साथ मुशाबहत (बराबरी) न करे ताकि लोन्डी और हुर्रा के दरमियान फर्क व इस्तियाज़ रहे।

रसूले अकरम^{स.अ.व.} से रिवायत है आपने इस बात को ना पसन्द फरमाया है कि औरत बगैर ज़ेवर के नमाज़ पढ़े। आपने फरमाया है कि औरत जब नमाज़ पढ़े तो उसके जिस्म पर ज़ेवर ज़रूर होना चाहिये कम से कम छल्ला तो होना ही चाहिये और मेहन्दी लगाये अगर मेहन्दी न लगाये तो उंगलियों को खुशबूदार करें। ये उस वक़्त करे जब ज़ेवर मौजूद हो जब मौजूद न हो तो गले में हार पहन ले या और कोई चीज़ (जेवर) ताकि मर्द-औरत में फर्क रहे अगर ज़ेवर मौजूद हो तो औरत जितना भी ज़्यादा ज़ेवर पहनकर नमाज़ पढ़ेगी यह उसके लिये उतना ही ज़्यादा अफज़ल है। हम अनकरीब लिबास की बाबत जो मर्दों और औरतों को पहनना चाहिये इसका बयान करेंगे इन्शाअल्लाह।

हज़रत अमीरुल मुअमिनीन^{अ.स.} फरमाते हैं कि रसूले खुदा^{स.अ.व.} ने मुझको हुक्म दिया था कि ऐ अली^{अ.स.} अपनी ख्वातीन को हुक्म करो कि वो बगैर ज़ेवर के नमाज़ न पढ़े। अगर ज़ेवर मौजूद न हो तो एक हार ही सही और उनको हुक्म दो कि वो अपनी हथेलियों को हिना से रंग लें वो मर्दों की तरह सादी न रखें।

इमाम जअफरुस्सादिक^{अ.स.} और आपके पिदर बुजुर्गवार इमाम बाकिर^{अ.स.} और आपके आबा-ए-किराम और हज़रत अली^{अ.स.} से रिवायत है कि रसूले खुदा^{स.अ.व.} ने फरमाया कि ज़मीन तुम पर किस क़दर रहीम है कि तुम इससे तयम्मुम करते हो और दुनिया की जिंदगी में इस पर नमाज़ पढ़ते हो वो मौत के वक़्त तुम्हारे काम आती है और ये खुदा की बहुत बड़ी नेअमत है लिहाज़ा खुदा हम्दो सनाअ के लायक है नमाज़ पढ़ने वाला अफज़ल में अफज़ल जिस चीज़ पर सजदा करता है वो पाक व साफ ज़मीन ही तो है।

इमाम जअफरुस्सादिक^{अ.स.} फरमाते हैं कि नमाज़ पढ़ने वाला अपनी पैशानी को ज़मीन से लगा दे और मुँह को मिट्टी में लौटा दे क्योंकि ये खुदा के

सामने एक किस्म का इज़हारे तज़ल्लुल है और इससे खुदा की ताअज़ीम होती है आप फरमाते हैं कि ग़ल्ले (अनाज) के अलावा ज़मीन से उगने वाली घास मसलन जड़ी-बूटी पर सजदा करने में कोई हर्ज नहीं है।

रसूले खुदा^{स.अ.व.} हसीर (चटाई) पर नमाज़ पढ़ते थे। इमाम जअफररुस्सादिक^{अ.स.} फरमाते हैं कि खजूर की पत्तों से बनी हुई जाये नमाज़ (मसल्ला) पर नमाज़ पढ़ने में कोई हर्ज नहीं है। खुमराह खजूर की बनी हुई वो चटाई जो धागें और खजूर की पत्ती से बनाई जाती है उस पर नमाज़ पढ़ने में कोई हर्ज नहीं है ये चटाई इतनी छोटी होती है कि उस पर नमाज़ में सिर्फ सजदा किया जा सकता है या उससे ज़रा बड़ी होती है और जब उससे ज़्यादा बड़ी हो कि नमाज़ी उस पर सजदा कर सके और सजदा करते वक़्त उसका पूरा जिस्म उस चटाई पर आ जाये तो ये हसीर है खुमराह नहीं है।

इमाम जैनुल आबिदीन^{अ.स.} कंबल या ऊन से बने हुए कपड़े पर नमाज़ पढ़ते थे इमाम जअफररुस्सादिक^{अ.स.} ने ऊन (कंबल) से बने हुए कपड़े पर नमाज़ पढ़ने की रूखसत दी है और हर उस कपड़े पर नमाज़ पढ़ने की रूखसत दी है जो पहनने के काम आता है और जिसको पहनकर नमाज़ पढ़ी जाती है। उस पर सुजूद जायज़ है हाथ, पैर, गुठनें सजदा करने वाले आज़ाअ हैं। उस कपड़े पर सजदा भी करना जायज़ है क्योंकि जब ऊन वगैराह से बना हुआ कपड़ा पहना जा सकता है तो उसको पहनकर नमाज़ भी पढ़ी जा सकती है तो उस पर सजदा भी किया जा सकता है।

इमाम जअफररुस्सादिक^{अ.स.} से रिवायत है कि आपने आस्तीन पर सजदा करने से मना फरमाया है और दोनों हाथों को आस्तीन से बाहर निकालने और उनको ज़मीन पर या जिस मुसल्ले पर नमाज़ पढ़ी जाती है उस पर सजदा करते वक़्त फैलाने का हुक्म दिया है और आपके पिंदर बुजुर्गवार इमाम बाकिर^{अ.स.} और आबा-ए-किराम से मरवी है कि रसूले खुदा^{स.अ.व.} ने नमाज़ी को अपने अमामे (पगड़ी) की कौड़ और आस्तीन पर सजदा करने से मना फरमाया है।

इमाम जअफररुस्सादिक^{अ.स.} से रिवायत है कि जब आपसे गेहूं की कटी हुई खेती के ढेर पर नमाज़ पढ़ने की बाबत पूछा गया तो आपने उस पर नमाज़ पढ़ने से मना फरमाया फिर जब आपकी खिदमत में अर्ज किया गया अगर उसको ज़मीन पर बराबर बिछा दिया जाये तो? आपने फरमाया कि खाने की किसी भी चीज़ पर नमाज़ न पढ़ना चाहिये क्योंकि ये खुदा की तरफ से बन्दों के लिये रोज़ी का सामान है और बन्दों पर एक किस्म की नेअमत है लिहाज़ा तुमको चाहिये कि उसकी नेअमत की ताअज़ीम करो अपने कदमों से उसको रौंद कर नेअमत की तौहीन न करो क्योंकि

तुमसे पहले एक ऐसी उम्मत गुज़री है जिस पर खुदा ने रोज़ी का दरवाजा खोल दिया था वो साफ व पाक रोटी के टुकड़ों से इतिजा करते थे चुनांचे अल्लाह तआला ने उनको अकाल व भूख में इतना मुबतिला कर दिया कि इस्तिजा की हुई रोटियों को तलाश करके खाने लगे। उन्हीं के मुताल्लिक कुरआने पाक में ये आयत नाज़िल हुई है कि :

وَصَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ أَمْنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِّنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ •

व ज़रबल्लाहो मसलन करयतन कानत आमिनतन मुतमइन्नतन्य यअतीहा रिज़कुहा रगदम मिन कुल्लि मकानिन फकफरत बिअन उमिल्लाहि फअज़ा कहल्लाहो लिबासल जूइ वल खौफि बिमा कानू यसनऊन 14-16/112।

तर्जुमा : खुदा ने एक गांव की मिसल बयान फरमाई जिसके रहनेवाले हर तरह के चैन और इतमिनान में थे। हर तरह से बा-फरागत (आसानी से) उनकी रोज़ी उनके पास चली आती थी फिर उन लोगों ने खुदा की नेअमतों की नाशुकी की तो खुदा ने भी उनके करतुतों की बदौलत उनको मज़ा चखा दिया कि भूख और खौफ को ओढ़ना बिछौना बना दिया।

नमाज़े जुमआ का बयान

इमाम जअफरुस्सादिक^{अ.स.} और आपके पिदर बुजुर्गवार इमाम बाकिर^{अ.स.} और आपके आबा-ए-किराम^{अ.स.} और हज़रत अली^{अ.स.} से रिवायत है कि रसूले खुदा^{स.अ.व.} ने फरमाया कि चार किस्म के आदमियों पर फिर से अमल करना वाजिब है (1) मरीज़ जब शिफा पा जाये (2) मुशरिक जब इस्लाम कुबुल कर ले (3) और वो शख्स जो जुमआ की नमाज़ से लौट आए ईमान व अहतिसाब की खातिर (4) और हज करने वाला जब अपने हज को पूरा कर ले।

रसूले अकरम^{स.अ.व.} फरमाते हैं कि जुमआ के दिन मुझ पर बकसरत दुरुद व सलाम भेजा करो क्योंकि जुमआ के रोज़ अमल का दोगुना सवाब मिलता है।

इमाम जअफरुस्सादिक^{अ.स.} फरमाते हैं कि परवरदिगारे आलम जुमआ की शब में फरिश्तों को ज़मीन की तरफ भेजता है जब फज़ तुलुअ होती है तो

वो सुबह से शाम तक आमालनामे में मुहम्मद^{स.अ.व.} व आले मुहम्मद^{अ.स.} पर दुरुदो सलाम ही लिखा करते हैं।

इमाम बाकिर^{अ.स.} का इर्शाद है कि जुमआ के रोज़ आमाल का सवाब दोगुना मिलता है और इस दिन तुम सलवात और सदका ज़्यादा करो। आपने फरमाया कि जुमआ की शब रोशन शब है और दिन रोज़-ए-रोशन है जुमआ की शब जो मुमीन बन्दा या मुमीना औरत इन्तिकाल कर जाये तो वो अज़ाबे क़ब्र से महफूज़ रहते हैं और जो जुमआ के रोज़ इन्तिकाल कर जाता है वो जहन्नुम के अज़ाब से महफूज़ रहता है। जुमआ के रोज़ दिन भर नमाज़ पढ़ते रहने में कोई हर्ज़ नहीं है क्योंकि इस रोज़ दोज़ख की आग नहीं सुलगती।

इमाम बाकिर^{अ.स.} और इमाम जअफरुस्सादिक^{अ.स.} से रिवायत है दोनो हज़रात फरमाते हैं कि जब जुमआ की शब आती है तो खुदा एक फरिश्ते को हुक्म देता है जो इब्तिदा-ए-शब से इन्तिहा तक निंदा करता है और शबे जुमआ के अलवा हर रोज़ रात के तिहाई हिस्से से निंदा करता है कि कोई साइल है जिसको मैं कुछ दूँ और कोई तौबा करने वाला है जिसकी तौबा मैं क़बूल करूँ, कोई मग़फ़िरत तलब करने वाला है जिसको मैं माफ़ कर दूँ ऐ तालिबे खैर मुतवज्जा हो ऐ तालिबे शर बाज़ आ जा।

हज़रत अमीरुल मुअमिनीन^{अ.स.} फरमाते हैं कि मुमकिन है कि तुम में से कोई शख्स जो देहात में रहता हो और सिर्फ़ जुमआ के रोज़ मस्जिद में हाज़िर होता हो और फिर कभी जुमआ में आता हो और कभी न आता हो और फिर कभी बिल्कुल ही आना बन्द कर देता हो तो अल्लाह तआला उसके दिल पर मोहर लगा देता है।

इमाम बाकिर^{अ.स.} फरमाते हैं कि जुमआ की नमाज़ फर्ज़ है और जुमआ के रोज़ इमामे आदिल के साथ जमअ होना फर्ज़ है अगर किसी ने मुसलसल तीन जुमआ छोड़ दिया तो गोया उसने तीन फराइज़ को छोड़ दिया और बिला अज़्र व इल्लत मुनाफ़िक़ के सिवा तीन फराइज़ दूसरा कोई नहीं छोड़ सकता है।

हमने इसी किताब में (गुसल के बयान में) ज़िक्र कर दिया है कि जुमआ के रोज़ गुसल करना सुन्नत है।

इमाम बाकिर^{अ.स.} से रिवायत हैं आप फरमाते हैं कि तुम जुमआ के रोज़ गुसल करना तर्क न करो। क्योंकि ये सुन्नत है और ज़वाल से पहले गुसल करो। रसूले खुदा^{स.अ.व.} से रिवायत है आपने फरमाया कि जुमआ के रोज़ तुममे से हर एक को खुशबू लगाना चाहिये अगर न हो तो अपनी बीवी की शीशी से खुशबू लगा लेना चाहिये।

इमाम बाकिर^{अ.स.} फरमाते हैं कि जुमआ के रोज़ खुशबू और अच्छा लिबास पहनना चाहिये। आप फरमाते हैं कि जुमआ के रोज़ एक ऐसी घड़ी आती है कि जिसमें बन्दा मुमिन जो ज़रूरत भी बारगाहें इलाही में पेश करता है वो पूरी होती है। वो वक़्ते ज़वाल से लेकर निदा-ए-नमाज़ तक है।

हज़रत अली^{अ.स.} फरमाते हैं कि मुसाफिर पर नमाज़े जुमआ और जमाअत में शिरकत और ईद की नमाज़ पढ़ना वाजिब नहीं है हालांकि वो शहर के अंदर मौजूद हो।

इमाम जअफरुस्सादिक^{अ.स.} फरमाते हैं कि रसूले खुदा^{स.अ.व.} हफ़ता भर में कुछ 35 नमाज़े लेकर आए थे उन 35 नमाज़ों में से एक नमाज़ ऐसी है जिसको सिवाए इन पाँच अशखास के किसी को छोड़ना न चाहिये (1) औरत (हेज़ की हालत में) (2) बच्चा (3) मुसाफिर (4) बीमार (5) ममलूक इस नमाज़ से मुराद जुमआ की नमाज़ है जो इमामे आदिल के साथ पढ़ना चाहिये।

हज़रत अली^{अ.स.} फरमाते हैं कि जब औरत और ममलूक जुमआ की नमाज़ में हाज़िर हो तो ज़ोहर की नमाज़ के लिये वो काफी है। इमाम बाकिर^{अ.स.} फरमाते हैं कि इमामे आदिल मौजूद हो तो जुमआ की नमाज़ हर उस शख्स पर वाजिब है जो दो-फरसख (6 मील) की दूरी पर है। इमाम जअफरुस्सादिक^{अ.स.} फरमाते हैं कि जुमआ के रोज़ पाँच या पाँच से ज़्यादा लोग हों तो जुमआ की नमाज़ पढ़ना चाहिये अगर कम हो तो जुमआ की नमाज़ उन पर वाजिब नहीं है।

रसूले खुदा^{स.अ.व.} से रिवायत है आपने फरमाया कि दोपहर के वक़्त जुमआ की नमाज़ में शिरकत करना मेरी उम्मत के मोहताज़ों का हज़ है। अमीरुल मुअमिनीन^{अ.स.} से इस आयते करीमा के बारे में पूछा गया कि :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ

या अय्योहल लज़ीन: आमनू इज़ा नूदिय: लिस्सलाति मिन यौमिल जुमुअति फसओ इला जिकरिल्लाहि 28-62/9। आपने फरमाया कि फसओ से मुराद जल्दी से जाना मुराद नहीं है बल्कि दरमियानी चाल से जाना है।

हज़रत अमीरुल मुअमिनीन अली^{अ.स.} जुमआ की ताअज़ीम की खातिर नंगे पैर चलकर जुमआ की नमाज़ में शिरकत करते थे आप अपनी दोनों जुतियों को बाएं हाथ से उठा लेते थे और ये फरमाते थे कि ये अल्लाह की इबादत का मक़ाम व रास्ता है। ये बारगाहे इलाही में महज़ आपकी

इनकिसारी थी और इससे महज फज़ल का हसूल मकसूद था आप ऐसा इसलिये नहीं करते थे कि ऐसा करना ही वाजिब है और उसके सिवा जायज़ नहीं है, जुतियां पहनकर और सवार होकर जुमआ की नमाज़ में शिरकत करने के लिये जाना ममनूअ नहीं है, इसमें कोई हर्ज नहीं है।

इमाम जैनुल आबिदीन^{अ.स.} अइम्मा ए जोर के साथ जुमआ की नमाज़ में हाज़िर होते थे लेकिन उसे जुमआ की नमाज़ शुमार नहीं करते थे और उसके बाद आप तनहा जोहर की नमाज़ अदा करते थे।

इमाम जअफरुस्सादिक^{अ.स.} से रिवायत है आपने फरमाया है कि जुमआ की नमाज़ जायज़ नहीं है मगर इमामे आदिल और तक्वा शुआर के साथ।

हज़रत अमीरुल मुअमिनीन^{अ.स.} फरमाते हैं कि हुक्म देना और हुदुद जारी करना और जुमआ की नमाज़ पढ़ना बगैर इमाम के दुरुस्त नहीं है। आप फरमाते हैं कि जुमआ की नमाज़ में तीन किस्म के लोग शरीक होते हैं (1) एक तो वो शख्स है जो जुमआ में रियाकारी और लहवो-लअब (रोब) के लिये शरीक होता है नमाज़े जुमआ में से उसका बस इतना ही हिस्सा है। (2) और एक वो शख्स जो उस वक़्त आए जब इमाम खुतबा पढ़ता है और फिर उसके साथ नमाज़े जुमआ पढ़ता है। खुदा ऐसे शख्स को चाहे तो अता करे चाहे तो महरूम रखे (3) एक वो शख्स जो इमाम के निकलने से पहले मस्जिद में आता है और नमाज़ पढ़ता है फिर खामोशी और सुकुन के साथ बैठ जाता है उसके बाद जब इमाम आता है और नमाज़ खत्म हो जाती है पस ये नमाज़ उसके और आईन्दा जुमआ की नमाज़ के दरमियान जो गुनाह करता है उसके लिये बतौर कफ़ारा के है और तीन दिन ज़्यादा क्योंकि खुदा का इर्शाद है कि :

مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا

मन जाअ: बिल हसनति फलहू अशरो अम्सालिहा 8-6/161। जो शख्स नेकी करेगा तो उसको इसका दस गुना सवाब होगा।

आप फरमाते हैं कि जब इमाम बैठ जाये तो मैं लोगों के सिरों पर से गुज़र कर आऊँ। इससे बेहतर तो यह है कि मैं जुमआ की नमाज़ पढ़ने से रुक जाऊँ। इमाम जअफरुस्सादिक^{अ.स.} फरमाते हैं कि जब इमाम खुतबा देता हो तो लोगों पर वाजिब है कि वो खामोश रहें। हज़रत अली^{अ.स.} फरमाते हैं कि इमाम जब खुतबा पढ़ता हो तो बातचीत न करना चाहिये और न

इधर उधर देखना चाहिये हालांकि वो अमल जो नमाज़ में रवा है किया जाये। इमाम जअफरुस्सादिक^{अ.स.} भी यही फरमाते हैं कि इमाम जब खुतबा दे तो किसी को गुप्तगू (बातचीत) न करना चाहिये यहां तक कि वो खुतबा से फारिग हो जाये जब फारिग हो जाये तो नमाज़ के बीच जो वक़्त हो उसके दरमियान बातचीत करने में कोई हर्ज़ नहीं है।

हज़रत अमीरुल मुअमिनीन^{अ.स.} फरमाते हैं कि लोग इमाम के सामने क़िबला—रूख़ होकर बैठें और पूरी तवज्जाह के साथ खुत्बा (तकरीर) सुने जुमआ के दिन का खुत्बा दो रकाअत नमाज़ के एवज़ है जो जोहर की नमाज़ से साक़ित कर दी गई है। (इमामे ज़माना के साथ) लिहाज़ा खुतबा नमाज़ ही के मानिन्द है खुतबा में वही जायज़ है जो नमाज़ के अंदर जायज़ है।

अमीरुल मुअमिनीन^{अ.स.} फरमाते हैं कि नमाज़ से पहले दो खुतबा देना चाहिये। इमाम जब मिम्बर पर चढ़े तो पहले बैठ जाये और उसके आगे अज़ान देने वाला अज़ान दे। जब वो अज़ान से फारिग हो जाये तो इमाम खुतबा पढ़े और वाअज़ करे उसके बाद थोड़ी देर तक बैठ जाये। फिर दूसरा खुतबा दे जिसमें दुआएं करे उसके बाद मुअज़्ज़िन इक़ामत कहे और इमाम मिम्बर से उतरकर नमाज़े जुमआ पढ़ाए दोनो रकाअत में क़िराअत ज़ोर (बुलन्द आवाज़) से पढ़े।

अमीरुल मुअमिनीन^{अ.स.} जब मिम्बर पर तशरीफ़ ले जाते तो आप लोगों पर सलाम पढ़ते थे। इमाम जअफरुस्सादिक^{अ.स.} फरमाते हैं कि जुमआ के रोज़ इमाम को लायक़ है कि वो खुशबू लगाये बेहतरीन लिबास ज़ैबे तन करे और अमामा पहने। आप फरमाते हैं कि जुमआ की नमाज़ में पहली रकाअत के अन्दर सूरत: जुमआ पढ़ना सुन्नत है। और दूसरी रकाअत में सूरतुल मुनाफ़िकीन पढ़े। दूसरी रकाअत में जब इमाम क़िराअत से फारिग हो तो रूकूअ से पहले दुआ—ए—कुनूत पढ़े।

आवामुन—नास रसूले खुदा^{स.अ.व.} से ये रिवायत नक़ल करते हैं कि रसूले अकरम^{स.अ.व.} जुमआ की नमाज़ में सूरते जुमआ और सूरते मुनाफ़िकीन पढ़ते थे और दुआ—ए—कुनूत पढ़ते थे। वो ये भी कहते हैं कि जुमआ की नमाज़ में दुआ—ए—कुनूत की रस्म बनी—अब्बास के ज़माने से शुरू हुई है। जब यही रिवायत अइम्मा ताहिरीन^{अ.स.} से उन तक पहुँची तो महज़ अइम्मा ताहिरीन^{अ.स.} की मुखालिफ़त में उन्होंने इसका इन्कार कर दिया। हम नबी^{स.अ.व.} की सुन्नत से इन्कार और औलिया अल्लाह^{अ.स.} की मुखालिफ़त से पनाह चाहते हैं।

इमाम जब खुतबा दे वो मिम्बर पर अपने दाहिने हाथ का सहारा ले और बाएं हाथ से तलवार का कब्ज़ा (मुठिया) पकड़े तलवार को हमआईल किये हुए हो इस हाल में नमाज़ पढ़े।

इमाम जअफरुस्सादिक^{अ.स.} फरमाते हैं कि जो शख्स जुमआ की एक रकाअत नमाज़ में भी शरीक हो गया। उसको जुमआ मिल गया। इमाम जब सलाम फेर दे तो उठकर दूसरी रकाअत पढ़ ले। अगर दोनों रकाअतें फौत हो जाये तो तनहा चार रकाअत जोहर की नमाज़ पढ़े।

नमाज़े इदैन (ईदुल फितर और ईदुल अदहा) का बयान

इमाम जअफरुस्सादिक^{अ.स.} और आपके पिदर बुजुर्गवार इमाम बाकिर^{अ.स.} और आपके आबा—ए—किराम^{अ.स.} और हज़रत अली^{अ.स.} से रिवायत है आप फरमाते थे कि मुझे ये पसन्द है कि आदमी इन चार रातों में ज़िक्रे इलाही और इबादत के लिये अपने आपको बिल्कुल फारिगुल बाल (पुख्ता इरादा करे) रखे। (1) शबे ईदुर फितर (2) शबे ईदुल अदहा (3) पंदराह शाबान (4) रजब की अव्वल शब। हज़रत अमीरुल मुअमिनीन^{अ.स.} फरमाते हैं कि मैंने रसूले खुदा^{स.अ.व.} को ईदे कुरबां के रोज़ खुतबा में ये कहते हुए सुना है कि आज सज व अज का दिन है यानि ऊंटों के ज़िब्हा करने और दुआ करने का दिन है। पस जिस शख्स की निय्यत सही होगी तो उसकी कुरबानी का पहला क़तराह उसके हर गुनाह का कफ़ारा होगा और अज से मुराद दुआ है। लिहाज़ा तुम सब बारगाहे इलाही में ख़ूब दुआ करो पस खुदा की क़सम जिसके कब्ज़े में मुहम्मद^{स.अ.व.} की जान है जो शख्स भी इस मक़ाम से वापस होगा उसके तमाम गुनाह माफ़ हो चुके होंगे सिवाएँ उस शख्स के जो गुनाहे कबीरा (बड़े गुनाहों) का मुरतकब हुआ है। और उसी ज़िद पर है उसका ज़मीर उस गुनाह को तर्क करना (छोड़ना) नहीं चाहता है। हम इससे पहले लिख चुके हैं कि ईदैन का गुसल सुन्नत है।

हज़रत अमीरुल मुअमिनीन^{अ.स.} फरमाते हैं कि जब रसूले खुदा^{स.अ.व.} ईद—उल—फितर के मौक़े पर ईदगाह की तरफ जाने का क़सद फरमाते तो बाहर निकलने से पहले चन्द अंगुरों या खजूरों से इपतार फरमा लेते थे और आप यौमुल अदहा के मौक़े पर ईदगाह से वापस लौटने से पहले ज़रा—सा भी खाना न पसंद फरमाते थे।

इमाम बाकिर^{अ.स.} फरमाते हैं कि अगर किसी शख्स को इस बात का इमकान हो कि वो ईदुल फितर के रोज़ ईदगाह में जाने से क़बल खा-पी सकता है तो वो ऐसा करे लेकिन ईदल अदहा के रोज़ जब तक कुरबानी न कर चुके कुछ न खाए। आप ईदेन और जुमआ के दिन इस तरह दुआ करते थे :

اَللّٰهُمَّ مِنْ تَهَيَّأْ وَتَعَبَّأْ وَاعَدَّ وَاسْتَعَدَّ بِرِفَادَةٍ عَلٰى مَخْلُوْقٍ رَجَاءٍ رِفْدِهِ وَجَائِزَتِهِ فَاِلَيْكَ
 يَا سَيِّدِيْ كَانَ تَهَيُّيْ وَاعْدَادِيْ وَاسْتِعْدَادِيْ رَجَاءٍ رِفْدِكَ وَجَائِزَتِكَ وَنَوَافِلِكَ
 فَاِنِّيْ لَمْ اَتِكَ بِعَمَلٍ صَالِحٍ قَدَّمْتُهُ، وَلَا شَفَاعَةَ مَخْلُوْقٍ رَجَوْتُهُ، بَلْ اَتَيْتُكَ مُكِرًّا
 بِالذُّنُوْبِ وَالْاِسَاءَةِ عَلٰى نَفْسِيْ يَا عَظِيْمُ يَا عَظِيْمُ اِغْفِرْ لِيْ الذَّنْبَ الْعَظِيْمَ فَاِنَّهُ
 لَا يَغْفِرُ الذَّنْبَ الْعَظِيْمَ اِلَّا اَنْتَ يَا عَظِيْمُ لَا اِلَهَ اِلَّا اَنْتَ

अल्लाहुम्म: मन तहय्यअ व तअब्बअ व अअदद: वस्तअदद: बिरिफादतिन
 अला मखलूकिन रजाअ: रिफदिही व जाइज़तिही फ इलैक: या सय्यिदी
 कान: तहय्योई व इअदादी व इसतिअदादी रजाअ रिफदिक: व जाइज़:तक: व
 नवाफिलिक: फ इन्नी लमा तिक: बि अमलिन सालिहिन कददमतुहू वला
 शफाअति मखलूकिन रजोतुहू बल अतैतुक: मुकिररन बिज्जुनूबि वल इसाअति
 अला नफसी या अज़ीमो या अज़ीमो या अज़ीमो इगफिर लियज्जम्बल
 अज़ीम: फ इन्नहू ला यगफिरुज्जम्बल अज़ीम: इल्ला अन्त: या अज़ीमो ला
 इलाह: इल्ला अन्त: ।

तुर्जमा : बारे इलाहा! आज के दिन किसी शख्स ने अगर किसी बन्दे के पास जाकर इनाम हासिल करने की उम्मीद में अपने को तैयार किया हुआ और अबा पहनी होतो ऐ मेरे आका मैंने तुझसे मिलने की उम्मीद में और तेरे इनामात हासिल करने की गरज़ से आज के दिन ये तैयारी की है क्योंकि आज न तो मैं तेरे पास से पहले से कोई अमल सालेह करके आया हूँ। और न किसी मखलूक की सिफारिश लेकर आया हूँ। बल्कि अपने गुनाहों का इकरार करते हुए तेरे पास आया हूँ और इस बात का इकरार करता हूँ कि मैंने अपनी जान के साथ बहुत बुरा सलूक किया है। ऐ बुलन्द व बड़तर

खुदा। ऐ बुलन्द व बड़तर खुदा, ऐ बुलन्द व बड़तर खुदा, ऐ बुलन्द व बड़तर खुदा तू मेरे बड़े गुनाहों को माफ़ फरमा दे क्योंकि तेरे सिवा कोई भी मेरा गुनाह माफ़ करने वाला नहीं है। परवरदिगार तेरे सिवा कोई और माअबूद नहीं है।

इमाम जअफररुस्सादिक^{अ.स.} से रिवायत है कि आपने फरमाया कि ईदैन की नमाज़ पढ़ने के लिये ईदगाह की तरफ जाने से पहले अच्छा लिबास और बेहतरीन खुशबू लगाना चाहिये। अल्लाह तआला का इर्शाद है कि :

يَا بَنِي آدَمَ خُلُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ •

या बनी आदम: खुजू ज़ीनतकुम इन्द: कुल्लि मस्जिदिन व कुलू वशरबू व ला तुसरिफू इन्नहू ला युहिब्बुल मुसरिफीन: 8-7/31।

तर्जुमा : ऐ औलादे आदम हर नमाज़ के वक़्त बन संवर के निखर जाया करो खाओ और पिओ और फुजूल खर्ची न करो क्योंकि खुदा फुजूल खर्ची करने वालों को दोस्त नहीं रखता, आपने फरमाया कि इससे ये मुराद है कि ईदैन और जुमआ के दिन ज़ीनत करना और खुशबू लगाना चाहिये। इमाम को लायक़ है कि वो सर्दी का मौसम हो या गर्मी का मौसम तो एक चादर ओढ़े और आमामा सर पर रखे।

रसूले खुदा^{स.अ.व.} से रिवायत है आपने फरमाया कि ईदैन के मौक़े पर अगर दुश्मनों से खतरा हो तो हथियार बाहर निकाला जाये। हज़रत अमीरुल मुअमिनीन^{अ.स.} इन पाँच मौक़े पर नंगे पैर तशरीफ़ ले जाते थे और दोनो जूतों को अपने बाएं हाथ में लटका लेते थे और ये फरमाते थे कि ये पाँच मक़ामाते इलाहिyyा हैं। जहां मैं नंगे पैर चल कर जाना ज़्यादा पसन्द करता हूँ। (1) यौमुल फितर (ईद के दिन) (2) यौमुल नहर (ईदुल अदहा के दिन) (3) जुमआ के दिन (4) बीमार की इयादत के वक़्त (5) जनाज़ा में शिरकत के वक़्त।

इमाम जअफररुस्सादिक^{अ.स.} फरमाते हैं कि ईदैन की नमाज़ छत वाली जगहों पर घरों में न पढ़ना चाहिये। क्योंकि रसूले खुदा^{स.अ.व.} दूर मैदान में निकल जाते थे और वहाँ ज़मीन पर अपनी पैशानी झुकाते थे।

हज़रत अमीरुल मुअमिनीन^{अ.स.} से कहा गया कि आप किसी शख्स को हुक्म दें कि वो कमज़ोर और नातवाँ लोगों को ईद की नमाज़ मस्जिद में पढ़ाए आपने फरमाया कि मैं इसे मकरूह समझता हूँ कि कोई ऐसी सुन्नत

जारी करूँ जो रसूले खुदा^{स.अ.व.} ने जारी नहीं फरमाई है। इमाम जअफरुस्सादिक^{अ.स.} से रिवायत है कि रसूले खुदा^{स.अ.व.} ने फरमाया है कि ईदैन की नमाज़ में उम्र रसीदा औरतों को हाज़िर होने की रूख़सत है ताकि वो दुआ कर सके कि खुदा उनको रिज़्क यानि निकाह मयस्सर करे। सादिक आले मुहम्मद^{अ.स.} ने फरमाया कि ईद के दिन जब इमाम खुतबा शुरू करे तो लोगों को खामोशी के साथ क़िबला—रूख बैठ जाना चाहिये।

इमाम जअफरुस्सादिक^{अ.स.} फरमाते हैं कि ईदैन की नमाज़ में अज़ान और इक़ामत और कोई नफल नमाज़ नहीं है इमाम जुमआ के बरअक्स खुतबा से पहले नमाज़ पढ़ाए और ईदैन की नमाज़ सिर्फ़ दो रकाअत है जिनमें क़िराअत बुलन्द आवाज़ से पढ़ना चाहिये। आप फरमाते हैं कि ईदैन की नमाज़ में तकबीरा इस तरह कहना चाहिये। पहले तकबीरा—ए—एहराम के बाद क़िराअत शुरू करके सूरत: फातेहा और सूरत: वश्शम्स व दुहाहा पढ़े फिर पाँच तकबीरें कहे और इसके बाद रूकूअ के लिये तकबीरा कहे और रूकूअ व सुजूद करे फिर खड़े होकर सूरत: फातेहा और हल अताक: हदीसुल गाशिया पढ़े फिर चार तकबीरा कहे और रूकूअ का तकबीरा बोलकर रूकूअ व सुजद करे और फिर तशाहुद पढ़कर सलाम फेरे और हर दो तकबीरा के दरमियान ये दुआएं कुनूत पढ़ें :

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِيْ وَارْحَمْنِيْ وَعَافِنِيْ وَاعْفُ عَنِّيْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ
अल्लाहुम्मग फिरली वरहमनी व आफिनी वअफो अन्नी फिददीनि वददुनिया वल आखिरति इन्नक: अला कुल्लि शैइन क़दीर। रसूले अकरम^{स.अ.व.} से मनकूल है कि आप ईद के दिन ईदगाह से लौटते तो उस रास्ते से तशरीफ न लाते जिस रास्ते से तशरीफ ले गये थे।

इमाम जअफरुस्सादिक^{अ.स.} से पूछा गया कि क्या वो शख्स अपने घर में नमाज़ पढ़ सकता है जो ईद की नमाज़ में हाज़िर नहीं हुआ है? आपने फरमाया कि हाँ वो पढ़ सकता है और ईद की नमाज़ नहीं पढ़नी चाहिये मगर इमामे आदिल के साथ और जो ईद की नमाज़ में हाज़िर न हो सका हो चाहे औरत हो या मर्द अपने घर में चार रकाअत नमाज़ पढ़े दो रकाअत ईद की नमाज़ और दो रकाअत खुतबा की नमाज़ इसी तरह गांव के वो लोग जो ईद की नमाज़ में शरीक न हुए हों वो अपने लिये चार रकाअत नमाज़ पढ़ें।

हज़रत अली^{अ.स.} से रिवायत है आपने उन गांव वालों के मुताल्लिक़ फरमाया जो ईद की नमाज़ में शरीक न हो सके थे कि वो शहर में इमाम के साथ नमाज़ न पढ़ सकते हो तो उन पर चार रकाअत नमाज़ पढ़ना वाजिब है। आपने फरमाया है कि मुसाफिर पर ईद और जुमआ की नमाज़ में शिरकत वाजिब नहीं है।

इमाम जअफरुस्सादिक^{अ.स.} से रिवायत है आपने ईदैन की नमाज़ के मुताल्लिक़ फरमाया कि अगर शहर में इमाम के साथ पाँच या पाँच से ज़्यादा लोग हों तो उन पर जुमआ और ईदैन की नमाज़ पढ़ना वाजिब है।

हज़रत अमीरुल मुअमिनीन^{अ.स.} के अहदे खिलाफत में एक मर्तबा दो ईदैन यानि यौमुल जुमआ और ईदुल फितर इकट्ठा हो गये उस वक़्त आपने पहले तो नमाज़े ईद पढ़ाई इसके बाद फरमाया कि गांव वालों में से जिनका घर दूर है उनको चले जाने की इजाज़त है फिर आपने मस्जिद में लोगों को जुमआ की नमाज़ पढ़ाई। आपने उन लोगों के मुताल्लिक़ इर्शाद फरमाया जिन्होंने ईद का चांद नहीं देखा और बहालते रोज़ा सुबह की यहां तक कि ईद की नमाज़ का वक़्त गुज़र गया इसके बाद चंद आदिल शाहिदों ने शहादत दी कि उन्होंने गुज़िश्ता शब ईद का चांद देखा था। आपने फरमाया कि वो लोग रोज़ा इफ़तार कर लें और दूसरे दिन, दिन के अव्वल हिस्से में ईद की नमाज़ पढ़ने के लिये बाहर निकलें। आपने फरमाया कि ईदे कुरबाँ के दिनों में अरफा के दिन नमाज़े फ़ज्र से लेकर असर की नमाज़ तक कुरबानी के आखरी दिन तक तकबीर कही जायें।

इमाम बाकिर^{अ.स.} ने फरमाया कि अय्यामें तशरीक़ (ईदे कुरबाँ के दिनों) में मर्द और हर औरत पर तकबीरा बोलना वाजिब है।

इमाम जअफरुस्सादिक^{अ.स.} से रिवायत है आपने फरमाया कि अय्यामें तशरीक़ में (कुरबानी के दिनों में) हर फ़र्ज नमाज़ के बाद इस तरह तकबीरा कहना चाहिये:

اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ وَلِلَّهِ الْحَمْدُ اللَّهُ أَكْبَرُ عَلَى مَا

هَدَانَا وَاللَّهُ أَكْبَرُ عَلَى مَا رَزَقَنَا مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ

अल्लाहो अकबर अल्लाहो अकबर ला इलाहः इल्लल्लाहो वल्लाहो अकबर अल्लाहो अकबर वलिल्लाहिल हम्दो अल्लाहो अकबर अला मा हदाना वल्लाहो अकबर अला मा रज़कना मिन बहीमतिल अन्आम और इमाम जब

नमाज़ पढ़ता हो तो तकबीरा बोले और जब बोलकर खामोश हो जाये तो जो लोग उसके पीछे हैं वो भी बुलन्द आवाज़ से तकबीरा बोलें और अगर कोई तन्हा नमाज़ पढ़ता हो तो वो भी तकबीर बोले और इमाम के साथ जिसकी नमाज़ फौत हो चुकी हो। वो जब तक बाकी नमाज़ पूरी न कर ले और सलाम न फ़ैर ले तकबीर न कहे।

नमाज़ में सहव (भूल) का बयान

इमाम जअफररुस्सादिक^{अ.स.} से और आपके पिदर बुजुर्गवार इमाम बाकिर^{अ.स.} से और आपके आबा—ए—किराम^{अ.स.} से मनकूल है आप फरमाते हैं कि अगर कोई शख्स तकबीरा—तुल—अहराम भूल जाये तो फिर से नमाज़ पढ़े।

इमाम जअफररुस्सादिक^{अ.स.} से रिवायत है आपने उस शख्स के मुताल्लिक़ फरमाया जो नमाज़ पढ़ता है और उसको अपने रूकूअ में शक है आपने फरमाया कि वो रूकूअ करे और फिर सहव के दो सजदे करे और उस शख्स के मुताल्लिक़ आपने फरमाया जिसको ये शक है कि उसने एक रकाअत नमाज़ पढ़ी है या दो रकाअत पढ़ रहा है तो आपने फरमाया कि अगर वो बैठ चुका है और तशहहुद भी पढ़ चुका है वो फिर तशहहुद हाईल है लेकिन उसको इस बात का यकीन है कि उसने एक ही रकाआत नमाज़ पढ़ी है तो उठकर दूसरी रकाआत नमाज़ पढ़े और अगर तशहहुद के लिये नहीं बैठा है तो जिस पर यकीन हो वो अमल करे और सजदा सहव बहरहाल करे और अगर इस बात का शक है कि दो रकाअत नमाज़ पढ़ी है या तीन रकाअत पढ़ी है इस सूरत में भी यकीन पर अमल करे और अगर इस बात में शक है कि तीन रकाअत पढ़ी है या चार रकाअत पढ़ी है पस इस सूरत में सलाम फ़ैरने के बाद बैठकर दो रकाअत नमाज़ पढ़े अगर तीन रकाअत पढ़ी होगी तो उसने बैठकर जो दो रकाअत नमाज़ पढ़ी है वो ब—मन्जिला एक रकाअत के है इससे चार रकाअत नमाज़ पूरी हो जायेगी।

और अगर मुसल्ली को इसमें शक हो कि उसने दो रकाअत नमाज़ पढ़ी है या चार रकाअत तो फिर वो सलाम फ़ैरने के बाद दो रकाअत नमाज़ पढ़े अगर उसकी नमाज़ पूरी हो गई होगी तो ये दो रकाअत नमाज़ नफल होगी और अगर उसने दो ही रकाअत पढ़ी है तो इन दो रकाअतों से उसकी

पूरी नमाज़ हो जायेगी इन दोनो रकाअतों में सिर्फ़ सूरअः फातेहा पढ़े। इन तमाम सूरतों में सलाम के बाद सहव के दो सजदे करे और फिर छोटा तशाहुद इस तरह पढ़े :

بِسْمِ اللَّهِ وَبِاللَّهِ وَاشْهَدْ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ

बिस्मिल्लाहि व बिल्लाहि व अशहदो अन ला इलाहः इल्लल्लाहो व सल-लल्लाहो अला मुहम्मदिन व अला आलिही और अगर मुसल्ली रुकूअ भूल गया हो और सजदा में चला गया हो, तो फिर से नमाज़ पढ़े और अगर मुसल्ली सजदा भूल गया हो तो याद आने के बाद जब सलाम फेर चुके तो सजदा कर ले। और अगर मुसल्ली तशहहुद भूल जाये तो सजदा सहव करे और अगर मुसल्ली सलाम फेरना भूल गया है तो तशहहुद में उसने जो सलाम पढ़ा है वो काफी है कि :

اَسْلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ، اَسْلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ

अस्सलामो अलैकः अय्योहन नबीय्यो व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू अस्सलामो अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीनः।

इमाम जअफरुस्सादिक^{अ.स.} से रिवायत है आपने फरमाया कि अगर मुसल्ली नमाज़ की बअज़ रकाअत में किराअत भूल गया है तो जो रकाअत बाकी है उनमें किराअत पढ़े ये उसके लिये काफी है और अगर तमाम में किराअत भूल गया है और उसने रुकूअ व सुजुद व तकबीरा बराबर अदा किया है तो उसे फिर नमाज़ पढ़ना वाजिब नहीं है। लेकिन अगर उसने अमदन किराअत तर्क किया है तो उसको फिर से नमाज़ पढ़ना वाजिब है।

और अगर कोई शख्स पहला तशहहुद पढ़ना भूल जाये और तीसरी रकाअत पढ़ने के लिये खड़ा हो जाये तो फिर उसको अचानक रुकूअ में याद आए कि वो तशहहुद के लिये बैठा नहीं था तो बैठकर तशहहुद पढ़ले और जब सलाम फैरे तो सजदा सहव करे और अगर रुकुअ के बाद याद आए तो नमाज़ पढ़कर सलाम के बाद सजदा सहव करे।

आपसे ऐसे मुसल्ली के बारे में पूछा गया जिसने भूल कर दो रकाअत के बाद सलाम फैर दिया और उसने ये समझा कि पूरी नमाज़ पढ़ ली है। आपने फरमाया कि एक मर्तबा रसूले खुदा^{स.अ.व.} ने लोगों को नमाज़ पढ़ाई और दो रकाअत पर सलाम फैर दिया। जब आप मुसल्ले पर से उठे तो उस वक़्त आंहज़रत^{स.अ.व.} की खिदमत में जुलये दयन ने अर्ज़ किया कि

ऐ रसूले खुदा^{स.अ.व.} क्या नमाज़ कम कर दी गई या आप भूल गये थे। आंहज़रत^{स.अ.व.} ने पूछा कि तुम क्या समझते हो, जुलयदेन ने कहा कि आपने तो दो ही रकाअत नमाज़ पढ़ाई है फिर आंहज़रत^{स.अ.व.} ने लोगों से पूछा कि जुलयदेन की बात सच है? लोगों ने कहा कि हां या रसूलल्लाह^{स.अ.व.} इस तहकीक के बाद आपने फिर दो रकाअत नमाज़ पढ़ी और सलाम के बाद सजदा—ए—सहव किया और छोटा तशहहुद पढ़कर सलाम फ़ैर दिया।

इमाम जअफरुस्सादिक^{अ.स.} ने ऐसे शख्स के मुताल्लिक़ फरमाया है जिसने भूल कर ज़्यादा नमाज़ पढ़ ली है अगर मुसल्ली चौथी रकाअत में बैठ चुका है और उसने तशहहुद पढ़ लिया है तो उसकी नमाज़ तमाम हो चुकी लेकिन सहव के दो सजदे करे और अगर चौथी रकाअत में नहीं बैठा है तो फिर से नमाज़ पढ़े।

आपने उस शख्स के बारे में फरमाया जो ये भूल गया है कि उसने आया ज़्यादा नमाज़ पढ़ डाली है या कम, तो सजदा सहव करे और जब किसी को अपनी नमाज़ से ज़रा बराबर भी शक हो और वो आगे पढ़ चुका है तो नमाज़ पूरी कर दे और रूकूअ के बाद अगर तकबीरा में शक हुआ है तो नमाज़ जारी रखे और अगर सुजुद के बाद शक हो तो नमाज़ जारी रखे और खड़े होने के बाद या तशहहुद के वास्ते बैठ जाने के बाद सुजुद में शक हो तो नमाज़ जारी रखे इसी तरह सलाम के बाद नमाज़ में ज़रा भी शक हो तो उस पर इआदा (फिर से पढ़ना) लाज़िम नहीं है ये तमाम शक की सूरत में करे। यकीन की हालत में नहीं लेकिन जब यकीन हो तो खता पर नमाज़ को जारी न रखे।

आपसे ऐसे शख्स के मुताल्लिक़ पूछा गया तो इमाम के पीछे नमाज़ पढ़ता है और कुछ भूल गया तो क्या करें। आपने फरमाया कि उस पर कुछ भी वाजिब नहीं है। इमाम उसका बोझा उठाएगा और अगर कोई नफल में भूल हो जाये तो उसके मुताल्लिक़ आप से जब पूछा गया तो आपने फरमाया कि उस पर कुछ वाजिब नहीं है नाफिला चाहे एक हो या एक से ज़्यादा, जिस क़द्र चाहे पढ़े।

अमीरूल मुअमिनीन^{अ.स.} से रिवायत है कि एक मर्तबा एक अनसारी रसूलल्लाह^{स.अ.व.} की खिदमत में हाज़िर हुआ उसने कहा कि ऐ रसूले खुदा^{स.अ.व.} मुझको नमाज़ में जो वसवसा पैदा होता है मैं उसकी आपके पास शिकायत लेकर आया हूँ। वसवसा कभी—कभी तो इतना हो जाता है कि मुझे खबर तक नहीं होती कि आया मैंने ज़्यादा नमाज़ पढ़ी है या कम रसूले खुदा^{स.अ.व.}

ने फरमाया कि जब तुम नमाज़ पढ़ने के लिये खड़े हो तो अपनी दाहिने हाथ की तस्बीह वाली अंगुली से बाएं रान (जांघ) में दबाकर ये दुआ पढ़ो :

بِسْمِ اللَّهِ وَبِاللَّهِ وَتَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَسْمِعِ الْعَلِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ

बिस्मिल्लाहि व बिल्लाहि व तवक्कलतो अलल्लाहि अऊज़ो बिल्लाहिस्समीइल अलीम मिनश्शैतानिर्रजीमः। ऐसा करने से तुम्हारा वसवसा दूर हो जाया करेगा।

इमाम बाकिर^{अ.स.} से ऐसे शख्स के मुताल्लिक पूछा गया जिसको अपनी नमाज़ में शक पैदा होता था। आपने फरमाया कि फिर से नमाज़ पढ़ें। अर्ज किया गया कि शक और बढ़ता जाता है यहाँ तक कि जितनी बार इआदा करता है शक फिर हो जाता है आपने फरमाया कि अपनी नमाज़ जारी रखें। लेकिन तुम लोग नमाज़ तोड़ने की बुरी आदत अपनी जानिब से न पैदा करो वरना तुम्हें उसकी बार-बार तमअ (लालच) होगी अगर ऐसा किया जाये जैसा कि मैंने कहा है तो ये आदत बाकी न रहेगी।

नमाज़ क़तअ करने का बयान

इमाम जअफरुस्सादिक^{अ.स.} और आपके पिदर बुजुर्गवार इमाम बाकिर^{अ.स.} और आबा—ए—किराम और हज़रत अली^{अ.स.} से रिवायत है आपने फरमाया कि ऐसा शख्स जो नमाज़ की हालत में किसी बच्चे को आग की तरफ चलते हुए देखे और ये खतरा हो कि वो आग में जल जायेगा या छत पर चढ़ रहा है और वहां से गिर जायेगा या बकरी को घर में दाखिल होते देखे जो घर में जाकर चीजों को नुक़सान पहुँचाएगी या इस किस्म की कोई और बात हो तो इसमें कोई हर्ज़ नहीं है कि मुसल्ली कतराकर किब्ले से मुँह न फिराते हुए वहाँ जाये और उस चीज़ की हिफाज़त करे और फिर जहाँ से नमाज़ छोड़ी है वहाँ से नमाज़ को पूरी करें अपनी उस नमाज़ को तोड़े नहीं लेकिन अगर ऐसी सूरते हाल हो कि वो सिवाए नमाज़ क़तअ करने (छोड़ने) के कुछ नहीं कर सकता है तो ऐसे वक़्त में नमाज़ क़तअ करे और फिर से नमाज़ पढ़ें।

रसूले अकरम^{स.अ.व.} से रिवायत है आपने फरमाया कि जो शख्स अपनी नमाज़ में हदस (पखाना, पैशाब, पाद) करे तो वो फिर से वुजु करके

नमाज़ पढ़े। लेकिन वो शख्स जिसको ये ख्याल हो उसने हवा खारिज की है तो वो ऐसा न करे हालांकि बदबू महसूस करे या उसकी आवाज़ सुने या फिर उसे हदस का पूरा यकीन हो तो मुन्हरिफ़ (अलग) होकर फिर से वुजु करके नमाज़ पढ़े।

हज़रत अमीरुल मुअमिनीन^{अ.स.} एक मर्तबा लोगों को नमाज़ पढ़ा रहे थे कि आपकी नकसीर (नाक से खून का निकलना) फूट गई उस वक़्त आपने अपनी जगह पर एक शख्स का हाथ पकड़कर आगे कर दिया और फिर खून साफ करके आपने तनहा नमाज़ पढ़ी। आप फरमाते हैं अगर नमाज़ की हालत में कोई बातचीत करे तो उस पर फिर से नमाज़ पढ़ना वाजिब है।

हज़रत अमीरुल मुअमिनीन^{अ.स.} से मुसल्ली के आगे से गुज़रने के मुताल्लिक पूछा गया तो आपने फरमाया कि नमाज़ को कोई चीज़ क़तअ नहीं करती मगर किसी शख्स को अपने आगे से गुज़रने न दो। ख्वाह तुमको जंग क्यों न करनी पड़े। आपने फरमाया कि एक मर्तबा जब आंहज़रत^{स.अ.व.} नमाज़ पढ़ रहे थे तो आपके आगे से एक कुत्ता गुज़रा फिर गधा गुज़रा। फिर एक औरत गुज़री आप नमाज़ में मशगुल थे जब नमाज़ से फारिग हुए तो आपने लोगों से फरमाया कि मैंने जो कुछ देखा है वही तुमने भी देखा है लेकिन मुमिन की नमाज़ को कोई चीज़ क़तअ नहीं कर सकती। अलबत्ता तुम लोग जहाँ तक हो सके हिफाज़त रखो।

मसबूक़ (बाद में आने वाले) की नमाज़ का बयान

हज़रत अमीरुल मुअमिनीन अली^{अ.स.} से रिवायत है आपने फरमाया कि जब इमाम नमाज़ से तुमसे साबिक़ हो जाये तो इमाम के साथ नमाज़ का जो भी हिस्सा तुमको मिले उसे तुम अपनी अब्बल नमाज़ क़रार दो अगर इमाम मौक़ा दे तो अपने दिल में क़िराअत पढ़ो अगर इसका इमकान न हो तो जो रकाअत क़ज़ा पढ़ो उसमें क़िराअत पढ़ लो। अगर कोई शख्स ईशा की नमाज़ में शरीक हुआ है और इमाम एक रकाअत पढ़ चुका है तो जब इमाम तीसरी रकाअत में खड़ा हो तो मसबूक़ अपने दिल में क़िराअत पढ़े और उसे अपने मन में दूसरी रकाअत समझे और जब इमाम सलाम फ़ैर दे

तो मसबूक सलाम न फेरे उठकर एक रकाअत पढ़े और उसमें सूरत फातेहा पढ़े क्योंकि उस पर एक ही रकाअत पढ़ना वाजिब है।

इमाम जअफरुस्सादिक^{अ.स.} से पूछा गया कि अगर कोई शख्स जमाअत की नमाज़ में उस वक़्त शरीक हो जबकि उसकी एक रकाअत जाती रही है तो वो क्या करें? आपने फरमाया कि वो उनके साथ दूसरी रकाअत में शामिल हो। जब सब लोग बैठे तो वो भी ग़ैरे मुतमकिन बैठे (अपने पैरो पर बैठे) और जब वो तीसरी रकाअत में खड़े हो तो ये उसकी दूसरी रकाअत होगी तो वो उसमें क़िराअत पढ़े और जब सजदे से अपना सर उठाए तो उस वक़्त छोटा तशहहुद पढ़ने के लिये बैठे इसके बाद जब सफ बराबर हो जाये और अभी लोग रूकूअ में न गये हों इससे पहले उठ खड़ा हो फिर लोग चौथी रकाअत में बैठ जाये तो वो भी ग़ैर मुतमकिन बैठे। इमाम जब सलाम फ़ैरे दे तो उठकर एक रकाअत नमाज़ पढ़े फिर तशहहुद पढ़कर सलाम फ़ैर दे।

अमीरुल मुअमिनीन^{अ.स.} से रिवायत है आपने फरमाया कि जिसकी मगरिब की नमाज़ एक रकाअत फौत हो गई हो और इमाम साबिक हो उस वक़्त नमाज़ में शरीक होने वाला शख्स हर रकाअत के बाद बैठे यानि जब इमाम दूसरी रकाअत में बैठे तो मसबूक भी ग़ैर—मुतमकिन बैठे ये उसकी पहली रकाअत होगी इसके बाद इमाम उठकर तीसरी रकाअत में मख़फ़ी क़िराअत पढ़े तो वो अपनी दूसरी रकाअत में दिल में क़िराअत पढ़े (इमाम ने दूसरी रकाअत में जो सूरत फातिहा के बाद जो सूरत पढ़ी हो उसके बाद की छोटी सूरत जल्दी से पढ़े) उसके बाद बैठे ये मसबूक की दूसरी रकाअत होगी। मसबूक इमाम के साथ अपना पहला तशहहुद पढ़े और इमाम जब सलाम फ़ैर ले तो मसबूक खड़ा होकर अपनी तीसरी रकाअत में सूरतः फातिहा पढ़े व रूकूअ सुजूद के बाद तशहहुद पढ़कर सलाम फ़ैर ले।

इमाम बाकिर^{अ.स.} फरमाते हैं कि जब इमाम दो रकाअत नमाज़ पढ़ चुका हो और फिर मुक़तदी जमाअत में शरीक हुआ तो जिस रकाअत में शरीक हुआ है वहीं से अपनी नमाज़ शुरू समझें और अपने दिल में सूरतः फातेहा और कोई एक सूरत पढ़े अगर इमाम तुमको इसका मौका दे और अगर तुम ऐसी रकाअत में शामिल हुए हो जिसमें क़िराअत का इमकान है तो तुम उसको अपनी पहली रकाअत शुमार करो और जब इमाम दूसरा तशहहुद पढ़ने के लिये बैठे तो तुम भी बैठो। लेकिन तुम उस तशहहुद को पहला तशहहुद समझो और वही दुआ पढ़ो जो पहले तशहहुद में पढ़ी जाती

है। जब इमाम सलाम फ़ैर दे तो तुम उठकर अगर ज़ोहर, अस्त्र, ईशा की नमाज़ हो तो दो रकाअत नमाज़ पढ़ो और अगर मग़रिब की नमाज़ हो तो एक रकाअत पढ़ो हर रकाअत में सूरत फातेहा पढ़ो। फिर दूसरा तशहहुद पढ़कर सलाम फ़ेरो और अगर तुमको इमाम के साथ सिर्फ़ एक ही रकाअत मिली हो तो उसको अपनी नमाज़ की अव्वल रकाअत समझो और जब इमाम तशहहुद के लिये बैठे तो तुम भी ग़ैर मुतमकिन बैठो और तुम तशहहुद न पढ़ो जब इमाम सलाम फ़ैरे तो तुम उठो और जो रकाअत तुम पढ़ चुके हो उसे पहली रकाअत करार देकर बाकी रकाअतों को पूरा कर लो।

इमाम बाकिर^{अ.स.} और इमाम जअफरुस्सादिक^{अ.स.} फरमाते हैं कि अगर कोई शख्स नमाज़ में इमाम के रूकूअ से पहले या रूकूअ की हालत में शरीक हुआ हो और उसको तकबीरा बोलने का मौका मिला हो और रूकूअ कर सकता हो इमाम के रूकूअ से सिर उठाने से पहले तो उसकी एक रकाअत नमाज़ हो गई और इमाम के साथ रूकूअ में शरीक न हो सका और इमाम ने रूकूअ से सिर उठा लिया तो इमाम के साथ शामिल तो हो जाये लेकिन उसको रकाअत न शुमार करे।

हज़रत अली^{अ.स.} से रिवायत है आपने फरमाया कि अगर कोई शख्स उस वक़्त नमाज़ में शामिल हो जबकि इमाम रूकूअ की हालत में हो तो एक ही तकबीरा बोलकर रूकूअ करे उस वक़्त एक ही तकबीरा काफी है।

इमाम जअफरुस्सादिक^{अ.स.} फरमाते हैं कि अगर किसी शख्स की इमाम के साथ एक रकाअत नमाज़ चली गई हो और इमाम ने सलाम फ़ैर दिया लेकिन वो एक रकाअत पढ़ना भूल गया और उसने भी लोगों के साथ सलाम फ़ेर दिया तो उस पर वाजिब है कि वो तन्हा फौत शुदा रकाअत पढ़े और तशहहुद पढ़कर सलाम फ़ेरे और अगर इमाम नमाज़ की रकाअत में साबिक़ है और नमाज़ की हालत में हदस लाहक़ हो जाये और इमाम उस मसबूक़ को आगे कर दे तो जब वो शख्स इमाम की नमाज़ को तमाम कर ले तो अपने पीछे वाले लोगों को इशारा कर दे कि वो सलाम फ़ैर दें और चले जायें फिर वो खुद उठकर अपनी नमाज़ पूरी करे। और ज़ोर से तकबीरा न करे।

आप फरमाते हैं कि इमाम को लायक़ है कि वो जब सलाम फ़ैर चुके तो अपनी जगह पर इतनी देर तक बैठे कि जिसकी नमाज़ चली गई हो वो पूरी कर ले। इमाम देर तक इन नमाज़ों में बैठा रहे जिसमें नमाज़ के बाद

दुआ वगैराह पढ़ी जाती हो ताकि इमाम के अपनी जगह से उठने से पहले जिसकी नमाज़ फौत हुई हो वो पूरी करे और इमाम उस दरमियान में अपनी जगह पर बैठकर दुआ और तक़्रूब पढ़ा करे।

किस उम्र में बच्चों को नमाज़ पढ़ने की ताकीद करनी चाहिये

इमाम जअफरुस्सादिक^{अ.स.} और आपके पिदर बुर्जुगवार इमाम बाकिर^{अ.स.} और आपके आबा—ए—किराम और हज़रत अली^{अ.स.} से रिवायत है कि जब बच्चा समझने लगे तो उसको नमाज़ पढ़ने का हुक्म करना चाहिये और अगर वो रोज़ा रख सके तो रोज़ा रखने का भी हुक्म किया जाये।

इमाम जअफरुस्सादिक^{अ.स.} फरमाते हैं कि जब बच्चा समझदार हो जाये और वो थोड़ा कुरआन पढ़ने लगे तो उसको नमाज़ सिखाना चाहिये। इमाम जैनुल आबिदीन^{अ.स.} के पास जो बच्चे हाज़िर होते थे उनको पकड़ते और हुक्म देते कि वो ज़ोहर व अस्त्र की नमाज़ एक वक़्त में पढ़ लें और मग़रिब व इशा की नमाज़ एक वक़्त में पढ़ ले। इस सिलसिले में जब आपसे अर्ज़ किया गया तो आपने जवाब में फरमाया कि ये उन पर निहायत आसान होगा ताकि वो नमाज़ पढ़ने की तरफ माइल हो और नमाज़ पढ़ना तर्क न करें और नमाज़ पढ़े बग़ैर सो न जाये और इससे गाफ़िल न हो जायें आप फर्ज़ नमाज़ के अलावा किसी और नमाज़ के लिये उनको मजबूर नहीं करते थे आप फरमाते थे कि अगर बच्चे नमाज़ पढ़ सकते हो तो उनको फर्ज़ नमाज़ ज़रूर पढ़ाना चाहिये।

इमाम बाकिर^{अ.स.} फरमाते थे कि जब बच्चों में नमाज़ को समझने का माद़दा पैदा हो जाये तो उनको नमाज़ पढ़ने का हुक्म करना चाहिये और रोज़ा रख सकते हों तो उनको रोज़ा रखने का हुक्म करना चाहिये। आपसे अर्ज़ किया गया कि उनको किस उम्र में नमाज़ और रोज़ा का हुक्म देना चाहिये आपने फरमाया कि बच्चे जब छः साल के हो जाये तो उनको नमाज़ पढ़ने का हुक्म दिया जाये।

इमाम जअफरुस्सादिक^{अ.स.} फरमाते हैं कि हम अहलेबैत^{अ.स.} अपने बच्चों को जब कि सात साल के हो जाते हैं तो नमाज़ पढ़ने और अगर रोज़ा रख सकते हो तो रोज़ा रखने का हुक्म करते हैं और आपके पिदर बुर्जुगवार

इमाम बाकिर^{अ.स.} और आबा-ए-किराम से रिवायत है कि रसूले खुदा^{स.अ.व.} ने फरमाया है कि जब बच्चे सात साल के हो तो उनको नमाज़ पढ़ने का हुक्म करो और जब नौ साल के हो और नमाज़ पढ़ना छोड़ दे तो उनको मारो और जब दस साल के हो तो उनका बिछोना अलग करो ये तमाम बातें एक दूसरे के करीब-करीब हैं बच्चों की ताकत और अक्ल के अहवाल मुख्तलिफ होते हैं मतलब ये है कि उसी अन्दाज़े के मुताबिक उनको दीनी तालीम देना चाहिये। यूं तो बच्चे गैर-मुकल्लिफ (बे जवाबदार) हैं। अइम्मा ताहिरीन^{अ.स.} का ये अम्र तो महज तादीब (इल्म व तालीम व अख्लाक) की बिना पर है ताकि बचपन ही से बच्चों को नमाज़ व रोज़ा रखने की आदत हो जाये और जब उन पर फर्ज़ पढ़ने का ज़माना आ जाये तो वो उस वक़्त तक तजुर्बा-कार हो चुके होंगे और आदी बन चुके होंगे फिर वो नमाज़ को तर्क करने के मुरतकब न होंगे।

इमाम जअफररुस्सादिक^{अ.स.} बच्चों को माहे-रमज़ान में दिन के कुछ हिस्से तक रोज़ा रखने का हुक्म करते थे जब आप देखते कि बच्चों पर भूख और प्यास का ग़लबा हो चुका है तो इफ़तार करा देते थे। आप ऐसा महज़ उनको तदरीजन आदी बनाने की गरज़ से करते थे वरना रोज़ा और नमाज़ बतौर फर्ज़ तो हर मर्द और हर औरत पर बालिग होने के बाद ही वाज़िब है। हज़रत अली^{अ.स.} से रिवायत है कि रसूले खुदा^{स.अ.व.} ने फरमाया है कि तीन आदमियों से हुक्म मरफूअ है। सोने वाला जब तक जाग न जाये, मजनून जब तक होश में न आ जाये, बच्चा जब तक कि बालिग न हो जाये।

मुसाफिर की नमाज़ का बयान

मुसाफिर जब ऐसा सफर करे जिसमें क़सर नमाज़ पढ़ी जाती है तो ख़्वाह दरिया में सफर करे या ख़ुश्की में ज़ोहर, असर और इशा की नमाज़ क़सर पढ़े। इन तीनों नमाज़ों में चार रकाअत की बजाय दो रकाअत फरज नमाज़ पढ़े। मगरिब और फजर की नमाज़ में क़सर नहीं है।

इमाम जअफररुस्सादिक^{अ.स.} और आपके पिदर बुजुर्गवार इमाम बाकिर^{अ.स.} और हज़रत अली^{अ.स.} से रिवायत है कि रसूले अकरम^{स.अ.व.} ने फरमाया है कि—अल्लाह तआला ने मेरी उम्मत को ऐसा हदिया अता फरमाया है कि जैसा हदिया किसी और उम्मत को नहीं बख़्शा है यह महज़ खुदा की तरफ से मेरी

उम्मत की इज़्जत अफजाई है। लोगो ने अर्ज किया कि या रसूले खुदा^{स.अ.व.} वह हदिया क्या है? हज़रत^{स.अ.व.} ने फरमाया कि सफर में इफ्तार करना और सफर में क़स्र नमाज़ पढ़ना खुदा की तरफ से एक किस्म का अतिया है अगर किसी ने अमल न किया तो गोया उसने खुदा के हदिया को वापिस लौटा दिया।

अमीरुल मुअमिनीन^{अ.स.} फरमाते हैं कि जिसने सफर में क़स्र नमाज़ पढ़ी और इफ्तार किया तो गोया उसने खुदा की उस तख्फ़ीफ को कुबूल कर लिया उसकी नमाज़ मुकम्मल हो गई इमाम बाकिर^{अ.स.} से सफर की हालत में नमाज़ की कैफियत के मुताल्लिक पूछा गया कि किस तरह है? आप^{स.अ.व.} ने फरमाया कि खुदा वन्दे तआला ने फरमाया है कि :

وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ

“व इज़ा ज़रबतुम फिल अरदि फलैसः अलैकुम जुनाहुन अनतकसुरु मिनस्सलाति (5-4 / 100)” “जब तुम रूए ज़मीन पर सफर करो तो तुम पर क़स्र नमाज़ पढ़ने में कोई हर्ज नहीं है।”

इमाम बाकिर^{अ.स.} ने फरमाया कि सफर में क़स्र नमाज़ पढ़ना उसी तरह वाजिब है जैसे मुक़ीम को पूरी नमाज़ पढ़ना वाजिब है। अर्ज किया गया कि फरज़न्दे रसूलुल्लाह^{स.अ.व.} इस आयत में तो खुदा तआला ने यह फरमाया है कि तुम पर कोई हर्ज नहीं है बस इतना ही फरमाया है, ऐसा नहीं फरमाया है कि तुम लोग क़स्र नमाज़ पढ़ो लिहाज़ा क़स्र नमाज़ पढ़ना पूरी नमाज़ पढ़ने के मानिन्द कैसे वाजिब हो सकती है आप ने फरमाया कि खुदा वन्दे तआला ने एक दूसरी आयत में इसी तरह फरमाया है कि :

إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ ۚ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا

“इन्स्सफा वल मरवतः मिन शआ इरिल्लाहि फमन हज्जल बैतः अविअतमरः फला जुनाहः अलैहि अन्य्यत्तव्वफः बिहिमा (2-2 / 157)” बेशक कोह—सफाह कोह—मर्वा खुदा की निशानियों में से है बस जो शख्स हज या उमरा करे उस पर उन दोनों के दरमियान तवाफ करने का कुछ गुनाह नहीं है (बल्कि सवाब है) क्या तुम को मालूम है कि सफा व मरवाह का तवाफ वाजिब और फर्ज़ है? क्योंकि खुदा वन्दे तआला ने इसी तरह अपनी किताब कुरआन मजीद में इसका ज़िक्र कर दिया है और रसूले खुदा^{स.अ.व.} ने उस पर अमल फरमाया है बस उसी तरह खुदा ने क़स्र नमाज़ का ज़िक्र अपनी किताब में

कर दिया है और रसूले खुदा^{स.अ.व.} ने उस पर अमल कर दिखाया है।

हज़रत अमीरुल मुअमिनीन^{अ.स.} से रिवायत है कि आपने फरमाया कि रसूले खुदा^{स.अ.व.} ने सफर में पूरी नमाज़ पढ़ने से मना फरमाया है। इमाम जअफरुस्सादिक^{अ.स.} फरमाते हैं कि मैं उस शख्स से बरी हूँ जो मुसाफिर होकर पूरी नमाज़ पढ़ता है। इमाम बाकिर^{अ.स.} ने फरमाया कि अगर सफर में चार रकाअत नमाज़ फर्ज़ पढ़ी है तो उस पर इआदा (वापस पढ़ना) वाजिब है जबकि उसने रकाअत क़स्र न पढ़ी हो और उसको मालूम न हो तो उस पर इआदा वाजिब नहीं है। इमाम जअफरुस्सादिक^{अ.स.} से रिवायत है आपने फरमाया कि सफर की हालत में मुसाफिर पर दो ही रकाअत नमाज़ फर्ज़ है सिवाय मगरिब और फज़्र की नमाज़ के क्योंकि उसमें क़स्र नहीं है।

इमाम बाकिर^{अ.स.} से रिवायत है आपने फरमाया कि सफर में मुसाफिर पर दिन में फर्ज़ नमाज़ के सिवा और कोई नमाज़ वाजिब नहीं है। लेकिन अगर तुम रातभर नमाज़ पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो। और दिन की नपल नमाज़ रात में कज़ा पढ़ना भूलना न चाहिये। आपने फरमाया कि जब मुसाफिर अपने शहर या गांव से ऐसे सफर पर निकले जिसमें नमाज़ क़स्र पढ़ी जाती है तो नमाज़ को क़स्र पढ़े और माह रमजान होतो रोज़ा इफ़तार करे। आप^{स.अ.व.} ने फरमाया कि आने और जाने में 24 मील का फासला हो तो मुसाफिर को नमाज़ क़स्र पढ़ना चाहिये यानि मुसाफिर अगर सफर के लिये निकले (1 बुरीद) 12 मील की मुसाफ़त पर और फिर वह वापस होना चाहता है तो नमाज़ क़स्र पढ़े और अगर इक़ामत (ठहरने) का इरादा रखता हो तो क़स्र नमाज़ न पढ़े यहां तक कि मुसाफ़त 24 मील हो जाये।

हज़रत अमीरुल मुअमिनीन^{अ.स.} फरमाते हैं कि मैंने रसूले खुदा^{स.अ.व.} से सुना है कि सात किस्म के आदमी क़स्र नमाज़ न पढ़े। अमीर जो अपने इलाकों में ग़श्त पर हो, और लगान वसूल करने वाला जब वह लगान वसूल करने जाये, ताजिर जो तिजारत की गर्ज़ से गांव गांव घूमता हो और शिकारी, और मुहारिब यानि कोतवाल जो चोरों और लुटेरों के खिलाफ जंग करता हो, और देहाती जो पानी की तलाश में यहां वहां फिरता हो, और किसान। यह तमाम लोग अगर एक गांव से दूसरे गांव में दौरा करते हो और सफर में तेज़ रू ना हो तो क़स्र नमाज़ न पढ़े। इसी तरह इमाम जअफरुस्सादिक^{अ.स.} ने जानवरो को किराये पर देने वाले और मल्लाह (किश्ती चलाने वाले) के बारे में फरमाया है कि यह दोनो भी क़स्र नमाज़ न पढ़े क्योंकि यह उनकी आदत है उसी तरह से वह मुसाफिर जिसकी ज़मीने क़रीब क़रीब है यानि

एक रोज़ इस गांव में, और एक रोज़ दूसरे गांव में रहता हो तो नमाज़ क़स्र न पढ़े। इस तरह से वह मुसाफ़िर जो कहीं सफ़र के दौरान आपने अहलो अयाल (रिश्तेदारों) मेहरमदार के पास ठहरे तो क़स्र नमाज़ न पढ़े।

इमाम बाकिर^{अ.स.} और इमाम जअफरुस्सादिक^{अ.स.} फरमाते हैं कि जब कोई मुसाफ़िर किसी मक़ाम पर दस दिन ठहरने की निययत करे तो वहां वो रोज़ा भी रखे और पूरी नमाज़ भी पढ़े और अगर उससे कम ठहरने की निययत हो तो रोज़ा इफ़तार करे और नमाज़ क़स्र पढ़े क्योंकि वह मुसाफ़िर की हालत में है और अगर दोनों में से कुछ भी निययत न रखता हो और वह यह कहता हो कि आज निकलूंगा कल निकलूंगा तो तक़रीबन एक माह के अंदर तक क़स्र नमाज़ पढ़े। फिर उसके बाद पूरी नमाज़ पढ़े। आप^{स.अ.व.} ने फरमाया कि मुसाफ़िर को लायक़ नहीं है कि वह किसी मुक़ीम को नमाज़ पढ़ाये और न मुक़ीम के पीछे नमाज़ पढ़े। अगर ऐसा करे कि मुक़ीमीन को इमामत से नमाज़ पढ़ाये तो दो रकाअत नमाज़ पढ़ने के बाद सलाम फेर दे और फिर मुक़ीमीन से कहे कि वह पूरी नमाज़ पढ़ ले और अगर किसी मुक़ीम के पीछे नमाज़ पढ़े तो दो रकाअत पढ़कर सलाम फेर दे।

इमाम जअफरुस्सादिक^{अ.स.} फरमाते हैं कि अगर सफ़र की हालत में कोई नमाज़ भूल जाये। फिर उसको हज़र (घर) में याद आये तो मुसाफ़िर की तरह क़स्र करके क़ज़ा नमाज़ पढ़े और हज़र में नमाज़ भूल जाये और सफ़र में याद आये तो पूरी नमाज़ क़ज़ा पढ़े।

रसूले खुदा^{स.अ.व.} से और हज़रत अली^{अ.स.} और इमाम बाकिर^{अ.स.} और जअफरुस्सादिक^{अ.स.} से रिवायत है कि मुसाफ़िर को नफ़ल नमाज़ पढ़ने की रूख़सत है कि वह अपने बोझ उठाने वाले जानवर या अपने ऊंट पर इशारे से नमाज़ पढ़े चाहे वह किब्ला की तरफ़ हो या किसी और सिम्त हो जब सजदे में जाये तो रूकू से ज़्यादा सर को झुकाये और जब फर्ज़ नमाज़ का वक़्त हो तो किब्ला रू होकर ज़मीन पर नमाज़ पढ़े। अवाम का भी उसी पर अमल है, वह उसके सबूत में यह आयत पेश करते हैं कि :

فَإِنَّمَا تُوَلُّوْا فِثْمَ وَجْهِ اللّٰهِ

“फ एनमा तुवल्लु फसम्मः वजहुल्लाहि (1-2/115) “बस जहां कहीं किब्ला की तरफ रूख़ करो वहीं खुदा का सामना है”। यह आयत सवारी पर नफ़ल नमाज़ पढ़ने के सिलसिले में उतरी है वह जिस सिम्त को भी जाये नफ़ल

नमाज़ पढ़ी जा सकती है।

अहलेबैत^{अ.स.} से रिवायत है कि अगर कोई शख्स किशती में नमाज़ पढ़ता हो और किशती चक्कर खाती हो तो तकबीरतुल ऐहराम के वक़्त किब्ला रु होने का क़स्द (इरादा) करे अगर किशती घूमती रहे तो उसके साथ-साथ वह भी जितना मुमकिन हो सके घूमे अगर खड़ा न रह सके तो बैठ कर नमाज़ पढ़े और अगर चाहे तो तारकोल पर सजदा करे।

इमाम जअफरुस्सादिक^{अ.स.} से रिवायत है आपने मना फरमाया है कि कोई शख्स आम रास्ते पर नमाज़ न पढ़े। अपने पानी की तह में (डुबकी लगाने वाले) और गरीक (डूबने वाला) के बारे में फरमाया है कि दोनो इशारे से नमाज़ पढ़े इसी तरह अगर नंगे शख्स को कपड़ा न मिले तो बैठकर इशारे से नमाज़ पढ़े।

बीमार की नमाज़ का बयान

इमाम जअफरुस्सादिक^{अ.स.} और आपके पिदर बुजुर्गवार इमाम बाकिर^{अ.स.} और आपके आबाए किराम और हज़रत अली मुर्तजा^{अ.स.} से रिवायत है कि रसूले खुदा^{स.अ.व.} से बीमार के मुताल्लिक पूछा गया कि वह किस तरह से नमाज़ पढ़े आपने फरमाया कि वह खड़े होकर नमाज़ पढ़े और अगर ताक़त न हो तो फिर वह बैठकर नमाज़ पढ़े। अर्ज़ किया गया कि ए रसूले खुदा^{स.अ.व.} कब वह बैठकर नमाज़ पढ़े? आपने फरमाया कि जब वह खड़ा होकर सूरअः फातेहा और तीन आयतें भी न पढ़ सके और अगर सजदा न कर सके तो अपने सर से इशारा करके नमाज़ पढ़े और सुजूद का इशारा रुकु के मुकाबिल में ज़्यादा झुका हुआ हो और अगर बैठकर न पढ़ सके तो दाहिने बाजू पर लेटकर नमाज़ पढ़े इस तरह कि उसका चेहरा किब्ला की तरफ हो, अगर उसकी भी इस्तिताअत (ताक़त) न हो तो चित्त लेटकर नमाज़ पढ़े उस हाल में कि उसके दोनो पैर किब्ला की जानिब हो और वह इशारा करे। इमाम बाकिर^{अ.स.} से रिवायत है आपने फरमाया कि अगर किसी की नकसीर चल पड़े और वह बंद न होती हो तो वह इशारे से नमाज़ पढ़े। इमाम जअफरुस्सादिक^{अ.स.} ने फरमाया है कि मरीज़ जब ज़्यादा बीमार हो और चंद दिनो तक नमाज़ पढ़ना छोड़ दे तो जब उसको नमाज़ पढ़ने की इस्तिताअत हो उस वक़्त जो नमाज़ छोड़ी है उनका इआदा करे। आपसे ऐसे शख्स के

मुताल्लिक पूछा गया जिसने मदहोशी की हालत में नमाज़ पढ़ी है आपने फरमाया कि वह फिर से नमाज़ पढ़े।

इमाम जअफरुस्सादिक^{अ.स.} ने फरमाया है कि बैठकर नमाज़ पढ़ने वाला कयाम की सूरत में पालती मारकर बैठे और हालते रुकु व सुजूद व जुलूस में अगर उससे हो सके तो अपने दोनों पैरों को दोहरा करे। आपने फरमाया कि मरीज़ के लिये फर्ज़ नमाज़ में सिर्फ़ सूरअः फातेहा पढ़ना काफी है और रुकु व सुजूद में एक ही मर्तबा तस्बीह करना काफी है। आपने फरमाया कि बेहोश आदमी को जब होश आये तो जितनी नमाज़े फौत हुई हो उनको क़ज़ा पढ़े।

सलातुल खौफ का बयान

खुदा वन्दे तआला ने कुरआने हकीम में सलातुल खौफ क़स्र पढ़ने का ज़िक्र फरमाया और उसकी कैफियत भी इसमें बयान कर दी है। इमाम जअफरुस्सादिक^{अ.स.} से सलातुल खौफ और सलातुल सफर के मुताल्लिक पूछा गया कि क्या यह दोनों नमाज़ें क़स्र पढ़ी जाये ? आपने फरमाया कि दोनों हालत में क़स्र नमाज़ पढ़ना चाहिये और सलातुल सफर से ज़्यादा जरूरी है कि सलातुल खौफ को क़स्र पढ़ा जाये क्योंकि सफर की नमाज़ में किसी किस्म का खौफ दरपेश नहीं होता।

इमाम जअफरुस्सादिक^{अ.स.} और आपके पिदर बुजुर्गवार इमाम बाकिर^{अ.स.} और आपके आबाए किराम^{अ.स.} से रिवायत है कि रसूले खुदा^{स.अ.व.} ने ग़ज़वा—ज़ातुल—रुकाअ में सलातुल खौफ पढ़ाई थी वह इस तरह कि आप^{स.अ.व.} ने अपने असहाबे किराम को दो टुकड़ियों में बांट दिया, एक टुकड़ी को आपने दुश्मनों के सामने खड़ा कर दिया और दूसरी टुकड़ी को अपने पीछे रखा आप^{स.अ.व.} ने तकबीर कही तो असहाब ने भी तकबीर कही और आप^{स.अ.व.} ने किराअत शुरू की तो वह खामोश खड़े रहे। आप^{स.अ.व.} ने रुकू किया, तो उन्होंने भी रुकू किया और आप^{स.अ.व.} ने सजदा किया तो उन्होंने भी सजदा किया, उसके बाद आप^{स.अ.व.} खड़े हो गये और जो लोग आपके पीछे थे उन्होंने दूसरी रकाअत नमाज़ पढ़ ली और नमाज़ पढ़ कर चले गये और उन असहाब की जगह पर जा पहुंचे जो दुश्मन के मुकाबिल में खड़े थे और वह रसूले खुदा^{स.अ.व.} के पीछे आकर खड़े हो गये। आप^{स.अ.व.} ने तकबीर

कही तो उन्होंने भी तकबीर कही और जब हुज़ूर^{स.अ.व.} ने किराअत पढ़ी तो वह खामोश खड़े सुनते रहे जब रुकू किया तो असहाब ने भी रुकू किया और जब आपने सजदा किया तो उन्होंने भी सजदा किया फिर आप हज़रत^{स.अ.व.} ने बैठकर तशाहुद पढ़ा तो वह आपके साथ बैठे फिर आप^{स.अ.व.} ने सलाम फेरा तो वह खड़े हो गये और दूसरी रकाअत नमाज़ पढ़ी और सलाम फेरा।

इमाम जअफरुस्सादिक^{अ.स.} ने सलातुल खौफ की कैफियत इस तरह से बयान की कि अगर मगरिब के वक़्त सलातुल खौफ इमाम पढ़ाये तो पहले गिरोह को एक रकाअत पढ़ाये और दूसरे गिरोह को दो रकाअत। ताकि हर एक टुकड़ी को किराअत मिल जाये। इमाम बाकिर^{अ.स.} से पूछा गया कि ऐसे सख़्त खौफ के मक़ाम और तैगज़नी के मौके पर क्या किया जाये जहाँ रुकुअ व सुजूद का भी इम्कान न हो आपने फरमाया कि अपनी सवारियों पर या अपने कदमों पर खड़े रहकर इशारे से नमाज़ पढ़ना चाहिये।

आपने यह आयते—करीमा तिलावत फरमाई :

فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا

“फइन खिफतुम फ रिजालन अव रुकबाना (2-2/239)” फिर अगर तुम खौफ की हालत में हो और पूरी नमाज़ न पढ़ सको तो सवार या पैदल जिस तरह बन पड़े पढ़ लो।” और अगर इशारे का भी इम्कान न हो तो हर रकाअत की जगह पर एक तकबीरा बोलो।

सलातुल कुसूफ (ग्रहण की नमाज़) का बयान

इमाम जअफरुस्सादिक^{अ.स.} और आपके बुजुर्गवार इमाम बाकिर^{अ.स.} आपके आबाए किराम और हज़रत अली मुर्तजा^{अ.स.} से रिवायत है आपने फरमाया कि— एक मर्तबा ऐहदे रिसालत में चांद को ग्रहण लग गया उस वक़्त आप के पास जिब्रईल^{अ.स.} मौजूद थे आप हज़रत^{स.अ.व.} ने जिब्रईल^{अ.स.} से पूछा कि यह क्या बात है? जिब्रईल^{अ.स.} ने फरमाया कि यह चांद तुम सब से ज़्यादा खुदा का मुतीअ व फरमांबरदार है। उसने कभी भी जब से वह पैदा हुआ है अपने रब की नाफरमानी नहीं की है यह तो महज़ एक इबरत और निशानी है आप हज़रत^{स.अ.व.} ने कहा कि जब ऐसा हो तो क्या अमल करना चाहिये। जिब्रईल^{अ.स.} ने कहा कि नमाज़ और तिलावते कुरआन में मशगूल रहना चाहिये।

इमाम जअफरुस्सादिक^{अ.स.} फरमाते है कि जब कभी सूरज और चांद को ग्रहण लगता है तो रसूलुल्लाह^{स.अ.व.} लोगो से फरमाते कि जल्दी से मस्जिदों की तरफ जाओ। सादिक आले मोहम्मद^{स.अ.व.} फरमाते है कि सूरज या चांद के ग्रहण लगने के वक़्त या खुदाई आयतों (निशानियों) के जुहूर के वक़्त सलातुल कुसूफ एक ही किस्म की है बस सलातुल कुसूफ दस रकाअत और चार सजदों पर मुश्तमिल है।

तकबीरतुल एहराम से नमाज़ शुरू करे। उसमें सूरअ: फातिहा और बुलन्द आवाज़ से कोई तवील सूरअ: पढ़े। उसके बाद रुकुअ करे और जिस क़द्र क़िराअत के वक़्त ठहरा था उसी क़द्र रुकुअ में रुका रहे। फिर सर उठा कर अल्लाहो अकबर कहे उसी तरह फिर सूरअ: फातेहा और कोई तवील सूरअ पढ़े जब क़िराअत से फारिग़ हो तो दुआए कुनूत पढ़कर तकबीरा कहे और फिर दूसरे रुकुअ में जाये और क़िराअत में जितनी देर तक था उतनी देर तक रुकुअ में ठहरा रहे उसके बाद सर उठाते हुए अल्लाहो अकबर कहे फिर सूरअ: फातिहा और कोई तवील सूरअ: पढ़े और तकबीरा (अल्लाहो अकबर) कहकर — तीसरा रुकुअ में इतनी देर करे जिस क़द्र क़िराअत में देर की थी, फिर रुकुअ से सिर उठाये और अल्लाहो अकबर कहे फिर सूरअ: फातिहा और कोई तवील सूरअ: पढ़े। जब उससे फारिग़ हो जाये तो दुआए कुनूत पढ़े और तकबीरा बोलकर चौथे रुकुअ में जाये और क़िराअत के मुताबिक़ रुकुअ में खड़ा रहे। फिर सर उठाये और अल्लाहो अकबर कहे और सूरअ: फातेहा के साथ कोई लम्बी सूरअ: पढ़े जब उससे फारिग़ हो जाये तो तकबीरा कहे और पांचवा रुकुअ करें क़िराअत के मुताबिक़ रुकुअ में रहे। जब सर उठाये तो समेअ अल्लाह लिमन हमिदा कहे। उसके बाद तकबीरा कहकर सजदे में जाये और सजदे में क़िराअत के मुताबिक़ रुका रहे। उसके बाद तकबीरा बोलकर सर उठाये और दो सजदे के दरमियान थोड़ी देर बैठकर दुआ करे उसके बाद तकबीरा बोल कर दूसरा सजदा करे। और क़िराअत के मुताबिक़ सजदे में ठहरे उसके बाद तकबीरा बोलकर उठ जाये उसी तरह दूसरी रकाअत पढ़े उसमे पांच बार रुकुअ करे और सजदा करे और एक बार तवील तशहूद पढ़े फिर सलाम फेर दे और दुआए कुनूत तो हर दो रकाअत के बाद दूसरे चौथे छठे आठवें दसवे रुकुअ में जरूर पढ़े और समेअ अल्लाह लिमन हमिदा उसी रकाअत में पढ़े जिसके बाद वह सजदा करने वाला है और उसके सिवा जैसा कि हमने जिक़ किया है सिर्फ़ तकबीरा बोलता रहे बस यह इमाम

जअफरुस्सादिक^{अ.स.} का इर्शाद है हमने बहुत सी रिवायत को महज इख़्तिसार के ख्याल से कम कर दिया है अगर सलातुल कुसूफ में लम्बी सूरअः तरतील के साथ पढ़ी जाये तो यह बहुत उम्दा बात है अगर तरतील के बगैर भी सूरअः पढ़ी जाये तो बहुत काफी है। और अगर सूरअः मसानी या उससे भी छोटी सूरअः पढ़े तो भी काफी है सुरअः मसानी सुरअः बक्र से लेकर सुरअः बराअत तक है। सलातुल कुसूफ में अज़ान और इक़ामत नहीं है। लेकिन सलातुल जामिआ कहकर लोगों को बुलाना चाहिये।

हज़रत अमीरुल मुअमिनीन^{अ.स.} ने एक मर्तबा सलातुल कुसूफ में एक सूरतुल मसानी में से फिर सूरह—ए—कहफ सूरअ रुम सूरअ यासीन व सूरअ वश्शम्स पढ़ी थी इसमें कोई सूरअः मख्सूस नहीं है।

इमाम जअफरुस्सादिक^{अ.स.} से रिवायत है आपने फरमाया है कि सलातुल कुसूफ में सूरतों के अंदर तबईज़ की रूखसत है यानि थोड़ी सूरअः पढ़कर रुकुअ करे फिर जहां से छोड़ा है वहां से शुरू करे। अगर सलातुल कुसूफ में किसी सूरअः को तबईज़ के साथ पढ़ता है तो फिर पहली रकाअत में सूरअः फातिहा पढ़े। लेकिन हर रकाअत में एक सूरअः पढ़ना अफज़ल है।

हज़रत अमीरुल मुअमिनीन^{अ.स.} ने एक मर्तबा सलातुल कुसूफ पढ़ने के बाद कुसूफ (ग्रहण) खत्म होने से पहले अपने मुसल्ले पर बैठे रहे और दुआ व ज़िक्रे इलाही में मसरूफ हो गये उसी तरह दूसरे लोग भी बैठकर दुआ करते रहे यहां तक कि ग्रहण खत्म हो गया।

इमाम जअफरुस्सादिक^{अ.स.} ने फरमाया कि अगर कोई शख्स सलातुल कुसूफ पढ़ रहा हो और फर्ज़ नमाज़ का वक़्त हो जाये तो वह मशगूल रहे यहां तक कि फर्ज़ नमाज़ का आखिरी वक़्त हो जाये लेकिन अगर नमाज़ फौत होने का अंदेशा हो तो सलातुल कुसूफ कतअ कर दे और फर्ज़ नमाज़ पढ़े उसी तरह से अगर फर्ज़ नमाज़ के वक़्त में सूरज या चांद का ग्रहण लग जाये तो सलातुल कुसूफ से पहले फर्ज़ नमाज़ पढ़े।

आपसे पूछा गया कि अगर कुसूफ अन्न के बाद या किसी ऐसे वक़्त में हो जिसमे नमाज़ पढ़ना मकरूह है तो क्या किया जाये? आपने फरमाया कि जब भी ग्रहण लगे सलातुल कुसूफ पढ़ना चाहिये।

आपसे पूछा गया कि कुछ लोग सफर की हालत में हो और ग्रहण लग गया लेकिन उन्होंने नमाज़ नहीं पढ़ी तो आपने फरमाया कि उनको सलातुल कुसूफ पढ़नी चाहिये थी आपने फरमाया कि सूरज या चांद को

ग्रहण लग जाये तो दोनो की नमाज़ एक ही है लेकिन सूरज को ग्रहण लग जाये तो उसकी नमाज़ को देर तक पढ़ना चाहिये। आपने फरमाया कि ज़लज़ला, तेज़ आंधी व सख्त तारीकी छा जाये तो उस वक़्त सलातुल कुसूफ पढ़ना चाहिये। आपसे पूछा गया कि अगर कोई शख्स सो गया हो या उसको ग्रहण की इत्तिलाअ न हो या ग्रहण के वक़्त मशगूलियत के सबब नमाज़ न पढ़ सका हो तो क्या वह क़ज़ा नमाज़ पढ़े ? आपने फरमाया कि उसमें क़ज़ा पढ़ना वाजिब नहीं है। यह नमाज़ तो उसी वक़्त पढ़ना चाहिये जब ग्रहण लगे और खत्म हो जाये तो फिर कोई नमाज़ वाजिब नहीं है आपसे पूछा गया कि सलातुल कुसूफ कहां पढ़ना चाहिये। आपने फरमाया कि मैदान में पढ़ना ज़्यादा अच्छा है ताकि ग्रहण के मुताबिक़ मुसल्ली नमाज़ पढ़ सके। सुन्नत तो यह है कि अगर सलातुल कुसूफ ब—जमाअत पढ़ना होतो मस्जिद में पढ़ना चाहिये।

सलातुल इस्तिस्काअ

खुदा वन्दे तआला का इर्शाद है कि :

وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ

“व इज़ि—स्तस्काअ मूसा लि कौमिही” 1—2/60 और वह वक़्त याद करो जब मूसा ने अपनी कौम के वास्ते पानी मांगा था। इमाम जअफररुस्सादिक़^{अ.स.} और आपके पिदर बुजुर्गवार इमाम बाकिर^{अ.स.} और आपके आबाए किराम^{अ.स.} से रिवायत है कि एक मर्तबा रसूलेखुदा^{स.अ.व.} ईदगाह की तरफ नमाज़ इस्तिस्काअ के लिये तशरीफ ले गये थे।

इमाम जअफररुस्सादिक़^{अ.स.} से रिवायत है कि आपने फरमाया कि खुले मैदान में ही इस्तिस्काअ की नमाज़ पढ़नी चाहिये इमाम निहायत वकार और खुशुअ और सवाली बनकर निकले और लोग भी उसके हमराह हो। इमाम उनके लिये पानी तलब करे।

आपने फरमाया कि इस्तिस्काअ की नमाज़ ईदैन की तरह है। इमाम दो रकाअत नमाज़ पढ़े जैसे ईद की नमाज़ में तकबीरे बोली जाती है उसी तरह इसमें भी तकबीरे बोले और उसके बाद मिम्बर पर चढ़े जब उस पर तमक्कुन के साथ बैठ जाये तो थोड़ी देर बैठने के बाद उठे और अपनी

चादर के दाहिने सिरे को बायें तरफ और बायें सिरे को दाहिने तरफ फिरा ले। उसी तरह रसूलुल्लाह^{स.अ.व.} और हज़रत अली मुर्तजा^{अ.स.} ने किया था और यही सुन्नत है उसके बाद बुलंद आवाज़ से अल्लाहो अकबर कहे और हम्द व सना और तस्बीह व दुआ में मशगूल रहे। तस्बीह व तेहलील व तकबीर ईदैन की नमाज़ की तरह करते रहें और खुदा से उसके बंदो के लिये पानी मांगे और कुछ तकबीरा किब्ला की तरफ मुंह करके कहे फिर दाहिने व बायें तरफ मुंह फेरे और खुत्बा दे लोगों को वाअज़ व हम्द सुनाये।

आपने फरमाया कि सोमवार के दिन इस्तिस्काअ के लिये बाहर निकलना मुस्तहिब है। लोग बाहर निकले और मिम्बर भी बाहर ले जाना चाहिये जैसा कि ईदैन के मौके पर किया जाता है सलातुल इस्तिस्काअ में अज़ान व इक़ामत नहीं है।

वत्र और फज़ की दो रकाअत नमाज़ और कुनूत का बयान

इमाम जअफरुस्सादिक^{अ.स.} व आपके पिदर बुजुर्गवार इमाम बाकिर^{अ.स.} और आबाए किराम^{अ.स.} से रिवायत है कि रसूले खुदा^{स.अ.व.} ने नमाज़ वत्र पढ़ने का हुक्म दिया है अमीरुल मुअमिनीन^{अ.स.} वत्र के सिलसिले में सख्ती से पेश आते थे और किसी को उसे तर्क करने की रूखसत न देते थे। आप फरमाते थे कि सुबह हो गई और किसी ने वत्र की नमाज़ न पढ़ी हो यानि फौत हो गई हो तो जब सुबह हो उसको क़ज़ा पढ़नी चाहिये। इमाम बाकिर^{अ.स.} ने महमिल (ऊँट का कजावा) के अंदर वत्र की नमाज़ पढ़ने की रूखसत दी है। अमीरुल मुअमिनीन^{अ.स.} ने सफर व मुक़ीम दोनों हालत में फज़ की दो रकाअत नमाज़ पढ़ने का हुक्म दिया है आपने फरमाया कि— “*व अदबारुल नुजूम*” यानि सितारों के डूब जाने के बाद उससे दो रकाअत नमाज़े—फज़ मुराद है।

इमाम जअफरुस्सादिक^{अ.स.} से आयते करीमा :

وَقُرْآنَ الْفَجْرِ ۖ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا •

व कुरआनल फज़े इन्नः कुरआनल फज़े कानः मशहूदा 10 15-17/78 के मुताल्लिक पुछा गया तो आपने फरमाया कि फज़ के कब्ल जो दो रकाअत

नमाज़ पढ़ी जाती है उससे मुराद है हमने रसूलेखुदा^{स.अ.व.} से रिवायत नक़ल की है कि जब आप और आपके असहाब (एक वादी में) सो गये थे और फ़ज़्र की नमाज़ न पढ़ सके तो आपने उस वक़्त पहले दो रकाअत नमाज़ पढ़ी फिर आपने फ़ज़्र की नमाज़ पढ़ी। इस तरह आपने दोनों फ़ौत शुदा नमाज़ों को क़ज़ा पढ़ा था।

इमाम जअफरुस्सादिक^{अ.स.} और आप^{अ.स.} के पिदर बुजुर्गवार इमाम बाकिर^{अ.स.} और आपके आबा ए किराम और हज़रत अली^{अ.स.} से रिवायत है कि आपने फरमाया कि अगर किसी से फ़ज़्र की दो रकाअत नमाज़ (सुन्नत) फ़ौत हो गई हो तो उस पर क़ज़ा वाजिब नहीं, उससे मालुम होता है कि रसूलेखुदा^{स.अ.व.} ने जो दो रकाअत नमाज़ क़ज़ा पढ़ी थी वह वक़्त फ़ौत होने की वजह से पढ़ी थी। उसी तरह जैसे कि आप^{स.अ.व.} सुन्नत को क़ज़ा पढ़ते थे और यह दो रकाअत फ़ज़्र की सुन्नत नमाज़ है। उन दो रकाअतों को भुलने या छोड़ने वाले पर क्या वाजिब है उसका हम अनक़रीब बयान करेंगे। यह वाजिब व लाज़िम फ़ज़्र की तरह नहीं है। अलबत्ता इतना ज़रूर है कि उनको क़सदन ना छोड़ना चाहिये जैसा कि हमने नमाज़ की सुन्नतों के छोड़ने के बारे में बयान किया है। यानि क़िराअत और रुकुअ व सुजूद की तस्बीह वगैरह।

इमाम जअफरुस्सादिक^{अ.स.} ने फरमाया कि आयते करीमा

وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَإِدْبَارَ النُّجُومِ •

व मिनल लैलि फ सब्बिहहो व इदबारन नुजूम (27-52/49)" से रात के आखिरी हिस्से में वत्र की नमाज़ पढ़ने से मुराद है।

आपसे एक शख्स के मुतल्लिक पुछा गया कि जो आपके नैक मुहिब्बों में से थे उन्होंने आपकी खिदमत में यह शिकायत की कि उन पर नींद का ग़ल्बा हो जाया करता है। वह कहते हैं कि मैं रात में सलातुल लैल पढ़ने के लिये उठने का ईरादा रखता हूँ तो मुझ पर नींद का इतना ग़ल्बा तारी हो जाता है कि मैं सुबह तक सोता रहता हूँ। इस वजह से अकसर ऐसा होता है कि मैं सलातुल लैल मुसलसल दिन में रोज़ क़ज़ा पढ़ता हूँ। इमाम जअफरुस्सादिक^{अ.स.} ने फरमाया कि क़सम खुदा कि यह उसके लिये आंख की ठंडक है आपने उसको रात के शुरू हिस्से में वत्र पढ़ने की रुख़सत नहीं दी और फरमाया कि वत्र की नमाज़ फ़ज़्र से पहले पढ़नी

चाहिये वत्र की नमाज़ पढ़ने का यही मरगूब और पसंदीदा वक़्त है और वत्र सलातुल लैल के बाद पढ़ी जाती है। हम अनक़रीब सलातुल लैल के वक़्त के मुताल्लिक़ बयान करेंगे। मरगूब यह है कि जब सोकर रात के आखिरी हिस्से में उठा जाये तो उस वक़्त वत्र की नमाज़ पढ़ना चाहिये क्योंकि उसका सवाब मशक़त के मुताबिक़ ही हासिल होता है। हमने उसका ज़िक़ इस बाब में कर दिया है जिसमें औकात की रूख़सत का बयान है कि वत्र इशा की नमाज़ के बाद रात के पहले हिस्से में पढ़ने की रूख़सत है।

इमाम जअफरुस्सादिक़^{अ.स.} से आयते करीमा वश्शफ़ऐ वल वत्रे के मुताल्लिक़ पूछा गया तो आपने फरमाया कि वश्शफ़ऐ दो रकाअत है और वत्र एक रकाअत है जिसमें दुआ—ए—कुनूत पढ़ी जाती है। आपने फरमाया कि यह दो रकअतें पढ़ने के बाद सलाम फेरे और अगर चाहे तो ज़रूरत के मुताबिक़ बातचीत कर सकता है उसके बाद एक रकाअत वत्र की नमाज़ पढ़े रूकु के बाद दुआ कुनूत पढ़े, फिर बैठ कर तशाहुद पढ़े और सलाम फेरे उसके बाद दो रकाअत जुलूस की नमाज़ पढ़े, उसके बाद तुलुअ फज़ तक कोई नमाज़ न पढ़े जब फज़ तुलु हो जाये तो फज़ की दो रकाअत सुन्नत पढ़े।

रसूले अकरम^{स.अ.व.} वत्र की पहली रकाअत में सब्बेह ईस्माए रब्बिकलआला और दूसरी रकाअत में कुल या अय्योहल काफिरुन पढ़ते थे। और तीसरी रकाअत जिसमें दुआ कुनूत पढ़ी जाती है उसमें आप सुरअः फातेहा के बाद कुल हु वल्लाहो अहद पढ़ते थे।

इमाम बाकिर^{अ.स.} फरमाते हैं कि फज़ की दो रकाअत में सुरअः फातिहा के बाद कुल या अय्योहल काफिरुन और कुल हुवल्लाहो अहद पढ़ना चाहिये। इमाम जअफरुस्सादिक़^{अ.स.} वत्र में रूकुअ के बाद दुआए कुनूत पढ़ने के मुताल्लिक़ फरमाते हैं कि तुम अपने दोनो हाथों को उपर उठाओ और उनको अपने मुंह के मुकाबिल खुला रखो फिर दुआए कुनूत पढ़ो।

अहले बैत किराम से बहुत सी दुआएं मनकूल हैं उसमें कोई दुआ मखसूस नहीं है। अहले बैत से जो दुआ मनकुल है वह ज्यादा बेहतर है और वह यह दुआ है :

اللَّهُمَّ أَنْكَ تَرَى وَلَا تُرَى وَأَنْتَ بِالْمَنْظَرِ الْأَعْلَى وَالْيَكْ رُفِعَتِ الْأَبْصَارُ وَنُقِلَتْ
 الْأَقْدَامُ وَمُدَّتِ الْأَعْنَاقُ وَبُسِطَتِ الْأَيْدِي وَدُعِيتِ بِالْأَلْسُنِ وَتُحَوِّكُمُ الْيَكْ
 بِالْأَعْمَالِ فَيَأْمَنُ إِلَيْهِ الْأَيْدِي بُسِطَتْ وَيَأْمَنُ إِلَيْهِ الْقُلُوبُ قَصِدَتْ وَيَأْمَنُ إِلَيْهِ الْأَبْصَارُ
 خَشَعَتْ وَيَأْمَنُ إِلَيْهِ الرِّقَابُ خَضَعَتْ نَشْكُوا إِلَيْكَ شِدَّةَ الزَّمَانِ وَتَظَاهَرُ الْأَعْدَاءُ
 وَقَلَّةَ الْعَدَدِ وَاخْتِلَافِ الْقُلُوبِ وَنَشْكُرُ إِلَيْكَ النِّعْمَةَ بِوَلِيِّنَا وَإِمَامِنَا وَابْنِ نَبِيِّنَا (امام
 زمان کا نام لیا جائے) وَهَادَيْنَا إِلَيْكَ وَالِدَ الدَّلِيلِ لَنَا عَلَيْكَ وَنَسْأَلُكَ أَنْ تُصَلِّيَ عَلَيْهِ
 وَعَلَى آبَائِهِ وَأَنْ تُؤَيِّدَهُ بِنَصْرٍ وَتُعِزَّهُ بِدِينِكَ وَتُصَرِّبَهُ أَوْلِيَانِكَ وَاجْمَعْ اللَّهُمَّ
 الْقُلُوبَ عَلَى طَاعَتِكَ وَطَاعَتِهِ وَالتَّدْيِينَ بِإِمَامَتِهِ وَأَنْصُرْهُ عَلَى أَعْدَائِهِ الْمَارِقِينَ يَا إِلَهَ
 الْخَلْقِ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ اللَّهُمَّ ثَبِّتِ الْيَقِينَ فِي قَلْبِي وَزِدْنِي هُدًى وَنُورًا وَمَغْفِرَةً
 وَاهْدِنِي إِلَى صِرَاطِكَ الْمُسْتَقِيمِ آمِينَ آمِينَ وَأَسْأَلُكَ يَا رَبَّ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي
 الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَأَسْأَلُكَ أَنْ تَقِينِي عَذَابَ النَّارِ

अल्लाहुम्मा इन्नकः तरा वला तुरा वा अन्तः बिल मन्जरिल आअला व इलैकः
 रुफिअतिल अबसारो व नुकिलतिल अकदामो व मुद्दतिल अअनाको व
 बुसिततिल ऐदी व दुईतः बिल अल सुनि व तुहू किमः इलैकः बिल अअमालि
 फयामन इलैहिल ऐदी बुसितत व या मन इलेहिल कुलूबो कसदत व या मन
 इलैहिल अबसारो खशअत व या मन इलेहिर रिकाबो खजअत नशकू इलैकः
 शिद्दतज ज़मानि व तज़ाहरुल अअदाए व किल्लतल अददि वखतिलाफिल
 कुलूबि व नशकुरो इलैकन नेअमतः बि वलीयियना व इमामिना व नबीयिना
 (इमामे ज़माना का नाम लिया जाये) व हादीना इलैकः वद्दलीलः लना अलेकः
 व नसअलोकः अन तुसल्लियः अलेहि व अला आबाइही व अन तुवय्येदहू

बिनसरिन व तुइज़्जो बिही दीनेकः व तनसुरो बिही औलियाअकः वजमइ
अल्लाहुम्मल कुलूबः अला ताअतिकः व ताअतिही वत्तदय्युनि बिइमामतिही
वनसुरहो अला अअदाइहिल मारिकीन या इलाहल ख़लक़े या रब्बल आलमीन
अल्लाहुम्मः सब्बितल यकीनि फी कल्बी व ज़िदनी हुदन व नूरन व मग़फिरतन
वहदिनी इला सिरातिकल मुस्तकीम आमीन आमीन व असअलोकः या रब्बे
फिद्दुनिया हसनतन व फिल आखिरते हसनतन व अस अलोकः अनतकि—यनी
अज़ाबन नार।

तर्जुमाः— बारें इलाहा! तु सब कुछ देख रहा है मगर खुद नज़र नहीं आता
और तु मंज़र आअला पर है। बारें इलाहा! निगाहे तेरी तरफ उठी हुई है और
क़दम तेरी तरफ बढ़ रहे हैं और गर्दने तेरी तरफ दराज़ की गई है और हाथ
खुले हुए हैं। और जुबानों से तेरी बारगाह में दुआ मांगी जा रही है और
आमाल का फ़ैसला तेरी बारगाह से मतलूब है। पस ए वो ज़ात—ए—पाक
जिसकी बारगाह में हाथ फैलाये गये हैं और वह ज़ात जिसकी तरफ दिल
रूजुअ हुए हैं और निगाहों में खुशुअ और गरदनो ने खुजुअ किया है। हम
तेरे दरबार में ज़माने की सख्ती की और दुश्मनो के तगल्लुब और हमारी
तादाद की कमी की और दिलो के इख़िलाफात की शिकायत लेकर आये
हैं और तुने हमारे इमाम और हमारे वली और हमारे पैग़मबर^{स.अ.व.} के फ़रजंद
हमारे हादी (इमाममुज़मान का नाम लिया जाये) के ज़रीये हम पर जो करम
फरमाया है उसका हम शुक्रिया अदा करते हैं। और हम तुझसे यह सवाल
करते हैं कि तु उन पर और उनके आबा—ए—किराम पर दुरुद भेज और तु
उनकी उस नुसरत व मदद से तार्इद फरमा जिससे तु अपने दीन को इज़्ज़त
बख्शाता है और जिससे तु अपने औलिया की मदद करता है। बारें इलाहा!
तु दिलो को अपनी और इमामुज़मान^{अ.स.} की इताअत और उनकी इमामत
के एतिकाद पर मुत्तहद कर दे और इमामुज़मान को उनके दुश्मनो पर
ग़ालिब फरमा जो दीन से निकल गये हैं। ऐ खलाइक़ के खुदा! ऐ दोनो
जहां के परवरदिगार बारें इलाहा! तु यकीन को मेरे दिल में जमा दे और मेरी
हिदायत और मेरी नूरे माअरिफत को ज़्यादा कर दे और अपने सिराते
मुस्तिकीम की तरफ मेरी रेहनुमाई करता रह। आमीन सुम्मा आमीन।

ऐ परवरदिगारे आलम मैं दुनिया व आखिरत में तूझसे नेकी का
सवाल करता हूं और यह सवाल करता हूं कि तु मुझे अज़ाब ए जहन्नम से
बचा ले।

इमाम जअफरुस्सादिक^{अ.स.} फरमाते हे कि फज़ की नमाज़ में दुआए

कुनूत दुसरी रकाअत में किराअत के बाद रुकु से कबल पढ़ना चाहिये।
अहले बैत किराम से ब—कसरत दुआ ए कुनूत मरवी है लेकिन यह दुआ
सबसे बेहतर है। यु तो सभी दुआए बेहतर है।

اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَسْتَغِيْثُكَ وَنَسْتَغْفِرُكَ وَنُؤْمِنُ بِكَ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْكَ وَنُثْنِيْ
اَلْخَيْرَ وَ لَا نَكْفُرُكَ وَ نَخْشَعُ لَكَ وَ نَخْتَلِعُ مِمَّنْ يَّكْفُرُكَ اَللّٰهُمَّ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَ لَكَ
نُصَلِّي وَ نَسْجُدُ وَ اِلَيْكَ نَسْعٰى وَ نَحْفَدُ وَ نَرْجُو رَحْمَتَكَ وَ نَخْشٰى عَذَابَكَ اِنَّ
عَذَابَكَ بِالْكَافِرِيْنَ مُلْحَقٌ اَللّٰهُمَّ عَذَّبِ الْكَافِرِيْنَ وَ الْمُنافِقِيْنَ وَ الْجٰحِدِيْنَ لَا وِلْيٰتَكَ
اَلْاِيْمَةِ مِنْ اَهْلِ بَيْتِ نَبِيِّكَ الطّٰهَرِيْنَ وَ اَنْزِلْ عَلَيْهِمْ رِجْزَكَ وَ بٰئِسَكَ وَ غَضَبَكَ
وَ عَذَابَكَ اَللّٰهُمَّ عَذَّبْ كَفْرَةَ اَهْلِ الْكِتٰبِ وَ الْمُشْرِكِيْنَ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُؤْمِنِيْنَ وَ
اَلْمُؤْمِنٰتِ وَ اَصْلِحْ يَا رَبِّ ذٰتَ بَيْنِهِمْ وَ اَلْفَ كَلِمَتَهُمْ وَ ثَبِّتْ فِيْ قُلُوْبِهِمُ الْاِيْمَانَ
وَ الْحِكْمَةَ وَ ثَبِّتْهُمْ عَلٰى مِلَّةِ نَبِيِّكَ وَ اَنْصِرْهُمْ عَلٰى عَدُوِّكَ وَ عَدُوِّهِمْ اَللّٰهُمَّ اهْدِنِيْ
فِيْمَنْ هَدَيْتَ وَ تَوَلَّيْنِيْ فِيْمَنْ تَوَلَّيْتَ وَ بَارِكْ لِيْ فِيْمَا اَعْطَيْتَ وَ عَافِنِيْ فِيْمَنْ عَافَيْتَ
وَ قِنِيْ شَرَّ مَا قَضَيْتَ اِنَّكَ تَقْضِيْ وَ لَا يُقْضٰى عَلَيْكَ وَ لَا يَدْلُ مِنْ وَاَلَيْتَ وَ لَا يَعْزُّ مَنْ
عَادَيْتَ تَبَارَكْتَ وَ تَعَالَيْتَ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ اَسْتَغْفِرُكَ وَ اَتُوْبُ اِلَيْكَ وَ اَسْأَلُكَ يَا رَبِّ
فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَ فِي الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً وَ اَسْأَلُكَ اَنْ تَقِيْنَا بِرَحْمَتِكَ عَذَابَ النَّارِ

अल्लाहुम्मः इन्ना नसतइनुकः व नसतगफिरुकः व नुअमिनो बिकः व न
तव्वकलो अलैकः व नुसनी अलैकल खैरः वला नकफुरुकः व नखशओ लकः
व नखतलिओ मिम्मन्य यकफोरुकः अल्लाहुम्मः इय्याकः नअबुदो व लकः

नुसल्ली व नसजुदो व इलैकः नसआ व नहफदो व नरजू रहमतकः व नखशा अजाबकः इन्नः अजाबकः बिल काफिरीनः मुलहकुन अल्लाहुम्मः अज्जिबिल काफिरीनः वल मुनाफिकीनः वल जाहिदीनः लि औलियाइकल अइम्मति मिन अहले बैत नबीय्यिकत ताहिरीनः व अनजिल अलैहिम रिज-ज़कः व बाअसकः व गज़बकः व अजाबकः अल्लाहुम्मः अज़ज़िब कफरतः अहलिल किताबि वल मुशरिकीनः अल्लाहुम्मग़फिर लिलमुअमिनीनः वल मुअमिनाति व अस्लिह या रब्बे ज़ातः बेनिहिम व अललिफ कलिमतहुम व सब्बित फी कुलूबिहिमिल ईमानः वल हिकमतः व सब्बितहुम अला मिल्लति नबीय्यिकः वनसुरहुम अला अदुव्विकः व अदुव्विहिम अल्लाहुम्महदिनी फी मन हदैतः व तवल्लनी फी मन तवल्लैतः व बारिकली फी मा अअतैतः व आफिनी फी मन आफैतः व किनी शररः मा कज़ैतः इन्नकः तक़ज़ी वला युक्ज़ा अलैकः वला यज़िल्लो मन वालैतः वला यइज़्ज़ो मन आदैतः तबारकतः व तआलैतः ला इलाहः इल्ला अन्तः अस्तग़फिरुकः व अतूबो इलैकः व असअलोकः या रब्बे फिददुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व असअलोकः व अन तकियना बिरहमतिकः अजाबन नार।

तर्जुमा : बारे इलाहा! हम तुझी से नुसरत व मगफिरत के तलबगार हैं और तेरे खैर की सताइश करते हैं। तेरा कुफर नहीं करते जबकि तेरे लिये खुशूअ करते हैं और जो तेरा कुफर करते हैं उनसे हम दूर रहते हैं बारे इलाहा! हम तेरी ही परस्तिश करते हैं और तेरे ही लिये नमाज़ पढ़ते हैं और तुझी को सजदा करते हैं और तेरे ही दरबार में दौड़ कर आते हैं और तेरे ही रहमोकरम की उम्मीद रखते हैं, और तेरे अजाब से डरते हैं। बेशक तेरा अजाब काफिरो को पहुंचने वाला है बारे इलाहा! तु काफिरो, मुनाफिको और तेरे औलिया किराम यानि अइम्मते अहले बैत के मुनकिरो को अजाब में मुबतिला कर और उन पर अपना गज़ब और अजाब और अपनी सख्ती नाज़िल फरमा। बारे इलाहा! अहले किताब मे से जितने काफिर और मुशरिक है उनको अजाब में मुबतिला कर परवरदिगार! मुअमिनीन और मुअमिनात के गुनाहों को मआफ कर दे और उनके दरमियान सुलह और इत्तिहाद (मेल-जोल) काइम कर और उनको बाहम मुत्तहिद कर दे और उनके दिलो में ईमान व हिकमत को काइम कर दे और अपने नबी की मिल्लत पर साबित क़दम रख और अपने और उनके दुश्मनो के खिलाफ मुअमिनीन की मदद फरमा। बारे इलाहा! मुझे लोगो के साथ हिदायत दे जिनको हिदायत दे चुका है और मुझको उन लोगो के साथ अपना दोस्त

बना जिनको तु अपना दोस्त बना चुका है और तुने मुझे जो अता किया है उसमें बरकत अता कर और तु जिस बात का फैसला कर चुका है उसके शर से मुझे मेहफुज़ रख बेशक तुही हर बात का फैसला करता है और तेरे खिलाफ कोई फैसला नहीं किया जाता है परवरदिगार जिससे तुने मोहब्बत किया वह कभी ज़लील न होगा और जिससे तुने अदावत की वह कभी बाइज़्ज़त न होगा। परवरदिगार तु बुलंद और बा-बरकत है। तेरे सिवा और कोई माअबूद नहीं है। मैं तुझसे मग़फ़िरत तलब करता हूं और तेरे नज़दीक तौबा करता हूं और ऐ परवरदिगार दुनिया व आखिरत में नैकी का सवाल करता हूं और तु मुझे अपनी रेहमत से अज़ाबे जहन्नुम से बचा ले।

अगर इन दोनों दुआए कुनूत में से कोई कुछ कम करना चाहे तो कर सकता है उसमें कोई हर्ज नहीं है लेकिन कम से कम दुआए कुनूत यह है कि तीन मर्तबा सुब्हानल्लाह और तीन मर्तबा अल्लाहो अकबर कहा जाये।

अहले बैत^{अ.स.} से जुमुआ की नमाज़ में मुख़लिफ़ दुआए कुनूत मरवी हैं और वह सब दुआए बेहतर हैं। दूसरी रकाअत में सूरअ: मुनाफिकून पढ़ने के बाद रूकुअ से पहले यह दुआ कुनूत पढ़ना चाहिये :

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْحَلِيمُ الْكَرِيمُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ سُبْحَانَ رَبِّ السَّمَوَاتِ السَّبْعِ وَمَا فِيهِنَّ وَمَا بَيْنَهُنَّ وَرَبِّ الْأَرْضِينَ السَّبْعِ وَمَا فِيهِنَّ وَمَا بَيْنَهُنَّ وَرَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ يَا اللَّهُ الَّذِي لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ أَيْمَةَ الْمُؤْمِنِينَ أَوْلَاهُمْ وَآخِرِهِمْ وَتَبَّتْ قَلْبِي عَلَى دِينِكَ وَدِينِ نَبِيِّكَ وَلَا تُرْغِ قَلْبِي بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنِي وَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ الْتَوَّابُ الرَّحِيمُ اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِمَّنْ خَلَقْتَهُ لِحَبَّتِكَ وَآخَرْتَهُ لِدِينِكَ وَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ وَبِمَا أَنْتَ أَهْلُهُ وَهُمْ بِكَ أَهْلُهُ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ

ला इलाहः इल्लल्लाहो हलीमुल करीमो ला इलाहः इल्लल्लाहुल अलीयुल अज़ीमो सुब्हानः रब्बिस समावातिस सबइ वमा फीहिन्नः वमा बैनहुन्नः व

रब्बल अरज़ीनस सबइ वमा फीहिन्नः वमा बैनुहन्नः व रब्बल अरशिल अज़ीमि वल हम्दो लिल्लाहि रब्बिल आलमीन या अल्लाहुल लज़ी लैसः कमिस—लिही शैउन सल्ले अला मोहम्मदिन व अला आले मोहम्मदिन अइम्मतिल मुअमिनीनः अव्वलिहिम व आखिरिहिम व सब्बित कल्बी अला दीनिकः व दीने नबीय़िकः व ला तुज़िग कल्बी बअदः इज़ हदैतनी व हबली मिन लदुनकः रहमतन इन्नकः अन्तल वहाबुत तव्वाबुर रहीम अल्लाहुम्मजअलनी मिम्मन खलकतहू लि जन्नतिकः वखतरतहू लि दीनिकः व सल्ले अला मोहम्मदिन व अला आले मोहम्मदिन व बिमा अन्तः अहलुहू व हुम बिकः अहलुहू सलवातुल्लाहि अलैहिम अजमईन

तर्जुमा : उस अल्लाह के सिवा कोई माअबूद नहीं है जो साहिबे हिल्म (नरमाई) व करम है बुलंद व बड़तर अल्लाह के सिवा कोई दुसरा माअबूद नहीं है पाक है सात आसमानो का रब और उन तमाम चीजो का जो उन आसमानो और उनके दरमियान मौजूद हैं और पाक हैं सात ज़मीनों का रब और उन तमाम चीजो का रब जो उन ज़मीनो में और उनके दरमियान मौजूद है और पाक है अर्श अज़ीम का रब तमाम हम्द व सताइश उस अल्लाह के लिये है जो तमाम आलम का परवरदिगार है जिसके मानिन्द कोई चीज़ नहीं है परवरदिगार तु मोहम्मद^{स.अ.व.} और उन आले मोहम्मद^{स.अ.व.} के अव्वल व आखिर पर दुरुद भेज जो मुअमिनीन के इमाम हैं और अपने दीन पर अपने नबी के दीन पर मेरे दिल को साबित रख। और जबकि तुने मुझे हिदायत दी है तो फिर मेरे दिल को हिदायत से न फ़ैर और परवरदिगार अपनी बारगाह से मुझ पर रहमत की नज़र कर बिला शक तु बड़ा बरख़्शने वाला और तौबा कबूल करने वाला रहीम है। बारे इलाहा! तु मुझे उन लागो मे से बना जिनको तुने अपनी जन्नत के लिये पैदा किया है और अपने दीन के लिये मुनतख़िब कर लिया हैं। और परवरदिगार तु मोहम्मद^{स.अ.व.} और आले मोहम्मद^{स.अ.व.} पर दुरुद भेज जिसका तु अहल है और वह तेरे दुरुद के अहल हैं खुदा की सलवात अइम्मा आले मोहम्मद^{स.अ.व.} पर।

सुन्नत और नफ़ल नमाज़ का बयान

सुन्नत नमाज़ उसको कहते है जिसको रसूले खुदा^{स.अ.व.} हर फ़र्ज़ नमाज़ के साथ लाज़िमन पढ़ा करते थे और अइम्मा ताहिरीन^{अ.स.} ने भी इसको

अपने लिये लाज़िम करार दे लिया था और वह अपने मानने वालों को उस पर लाज़िम रहने का हुक्म करते थे। सुन्नत नमाज़ फर्ज़ से दुगुनी हैं और नफ़ल नमाज़ तो यह ततव्वोअ है और ततव्वुआत की कोई हद मुकर्रर नहीं है। शब व रोज़ नमाज़ के औकात में कोई शख्स जिस तरह चाहे ततव्वोअ नमाज़ पढ़ सकता है वह नफ़ल नमाज़ जितनी भी पढ़ेगा उसके मुताबिक़ उसे अज़्र व सवाब मिलेगा।

इमाम ज़ैनुलआबिदीन^{अ.स.} से मनकूल है कि आप हर शब व रोज़ में एक हजार रकाअत नफ़ल नमाज़ पढ़ा करते थे।

इमाम जअफरुस्सादिक़^{अ.स.} से मरवी है एक मर्तबा आपने शब व रोज़ की कुल सत्तराह (17) रकाअत फर्ज़ नमाज़ का तज़क़िरा किया और फरमाया कि सुन्नत फर्ज़ से दो गुनी है और वह इसलिये है कि बंदे से अगर फर्ज़ नमाज़ में भी कुछ कमी रह गई हो या भुल चुक हो गई हो तो उसकी कसर पूरी हो जाये और दूसरी वजह यह है कि जब कोई मुसल्ली नमाज़ पढ़ने के लिये उठता है तो नमाज़ के मुताल्लिक़ वह यह सोचता है कि नमाज़ फर्ज़ भी है और फर्ज़ के अलावा भी है तो वह उस वक़्त वह तमाम तर फर्ज़ ही के लिये जद्दो जहद करता है बस अगर फर्ज़ के अलावा नमाज़ न होती तो फर्ज़ नमाज़ में लोग कोताही और बेपरवाही करते। सुन्नत के अलावा नफ़ल नमाज़ पढ़ने की सिर्फ़ तरगीब दी गई है। आप से किसी साइल ने सुन्नत नमाज़ की बाबत पुछा तो आपने साइल को जवाब दिया कि शायद तुम यह समझ बैठे हो कि सुन्नत नमाज़ फर्ज़ है, साइल ने अर्ज़ किया मैं आप पर कुरबान जाऊ आपने जैसा फरमाया है वही मेरा ख़्याल था। सादिक़ आले मोहम्मद ने फरमाया कि सुनो इमाम ज़ैनुलआबिदीन^{अ.स.} ने इस नमाज़ को इसलिये लाज़िमन पढ़ते थे ताकि शब व रोज़ की नमाज़ में जो कमी रह गई हो वह पूरी हो जाये और सुनो! सुन्नत नमाज़ फर्ज़ से दुगुनी हैं।

इमाम जअफरुस्सादिक़^{अ.स.} से मरवी है कि अम्मार साबाती की जानिब से आप को यह ख़बर पहुंची के अम्मार ने आप के इसनाद से यह रिवायत बयान की है कि सुन्नत नमाज़ फर्ज़ है पस आपने उस बात से इन्कार किया और फरमाया कि अम्मार कहां चला गया मैंने उसको इस तरह से हदीस बयान नहीं की थी मैंने तो उसको सिर्फ़ यह कहा था कि जब कोई मुसल्ली अपनी नमाज़ में पूरी तरह मशगूल मुतवज्जा रहता है और बआज़ औकात आधी नमाज़ आसमान की तरफ़ चढ़ती है या तीन हिस्सा या चार हिस्सा या

पांचवा हिस्सा चढ़ती है चुनांचे सुन्नत नमाज़ पढ़ने का हुक्म महज़ इसी लिये दिया गया है कि फर्ज़ नमाज़ में जो कमी रह गई हो वह सुन्नत से पूरी हो जाये।

इमाम जअफरुस्सादिक^{अ.स.} से रिवायत है आपने फरमाया कि मैं शब व रोज़ में ईक्यावन (51) रकाअत में से कुछ भी कम करना पसंद नहीं करता हुं अर्ज किया गया कि यह किस तरह से है आपने फरमाया कि ज़ोहर की नमाज़ से पहले छः (6) रकाअत सुन्नत नमाज़ जो सलातुल ज़वाल और सलातुल अव्बाबीन है जब सूरज का ज़वाल हो जाये तो ज़ोहर के फर्ज़ से पहले पढ़ना चाहिये और चार रकाअत ज़ोहर के फर्ज़ के बाद और चार रकाअत अस्म के फर्ज़ से पहले पढ़ना चाहिये क्योंकि फिर गुरुबे आफताब तक कोई नमाज़ नहीं है और मग़रिब की नमाज़ फर्ज़ से शुरू की जाये उसके बाद छः (6) रकाअत सुन्नत पढ़ना चाहिये और नमाज़े इशा से पहले चार रकाअत सुन्नत नमाज़ पढ़ना चाहिये और नमाज़े इशा की फर्ज़ के बाद चार रकाअत सलातुल लैल के बाद तीन रकाअत वत्र की नमाज़ पढ़ना चाहिये और उसके बाद दो रकाअत सलातुल जुलूस पढ़ना चाहिये। जुलूस की दो रकाअत एक ही रकअत के बराबर है। क्योंकि आहज़रत^{स.अ. व.} से मरवी है कि आप^{स.अ. व.} ने फरमाया है कि बगैर किसी सबब के बैठकर नमाज़ पढ़ी जाये तो वह खड़े होकर पढ़ने वाले की नमाज़ के मुकाबिल में आधी नमाज़ के बराबर है और फिर फज़्र की नमाज़ से पहले दो रकाअत नमाज़ पढ़नी चाहिये। पस यह कुल चौतीस (34) रकाअत नमाज़े हुई जो फर्ज़ नमाज़ से दो गुनी हुई और फर्ज़ नमाज़ सत्तराह (17) रकाअत है यह तमाम मिलकर शब व रोज़ में कुल इक्कावन (51) रकाअत नमाज़े हुई है।

इन नमाज़ों में इमाम जअफरुस्सादिक^{अ.स.} से जिनके बारे में तरगीब आई है वह यह है आप सलातुज़ ज़वाल यानि ज़ोहर की नमाज़ से पहले छः (6) रकाअत सुन्नत के मुताल्लिक़ फरमाया करते थे कि यह सलातुल अव्बाबीन है यह उस वक़्त पढ़नी चाहिये जब सूरज ढल जाये और तेज़ हवा चलती हो तो उस वक़्त आसमान के दरवाज़े खुल जाते हैं और दुआ मक़बूल होती है और बड़ी बड़ी हाज़तें पूरी हो जाती हैं। जब आप सलातुल ज़वाल से फारिग हो जाते तो दोनो हाथ उठा कर यह दुआ पढ़ते थे :

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَتَقَرَّبُ اِلَيْكَ بِجُودِكَ وَكَرَمِكَ وَاتَقَرَّبُ اِلَيْكَ بِمُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَرَسُوْلِكَ وَاتَقَرَّبُ اِلَيْكَ بِمَلَائِكَتِكَ وَانْبِيَائِكَ وَبِكَ اَللّٰهُمَّ الْغَنِيُّ اَعْنِىْ وَبِى الْفَاقَةُ اِلَيْكَ اَنْتَ الْغَنِيُّ وَاَنَا الْفَقِيْرُ اِلَيْكَ اَقْلَنْتَنِىْ عَشْرَتِىْ وَسَتَرْتَ عَلٰى ذُنُوْبِىْ فَاَقْضِ لِى الْيَوْمَ حَاجَتِىْ وَلَا تُعَذِّبْنِىْ بِقَبِيْحٍ مَا تَعْلَمُ مِنْىْ فَاِنَّ عَفْوَكَ وَجُودَكَ يَسْعٰنِىْ

अल्लाहुम्मा इन्नी अतर्करबो इलैकः बिजूदिकः वकरमिकः व अतक्र्रबो इलैकः बिमोहम्मादिन अब्दुकः व रसूलिकः व अतर्करबो इलैकः बिमलाएकतिकः व अमबियाइकः व बिकः अल्लाहुम्मल गनीया अन्नी व बियल फाकतो इलैकः अन्तल गनीययो व अनलफकीरो इलैकः अकलतनी असरती व सतरतः अला जुनूबी फकज़ि—लियल यौमः हाजती व ला तुअज़िबनी बि—कबीहि मा तअलमो मिन्नी फइन्नः अफवकः वजूदकः यसउनी फिर मुसल्ली सजदे मे जाये और यह दुआ पढ़े :

يَا اَهْلَ التَّقْوٰى وَيَا اَهْلَ الْمَغْفِرَةِ يَا بُرِّ يَا رَحِيْمُ اَنْتَ اَبْرُبِّىْ مِنْ اَبِىْ وَاُمِّىْ وَالنَّاسِ اَجْمَعِيْنَ فَاَقْلِبْنِى الْيَوْمَ بِقَضَائِى حَاجَتِى مُسْتَجَابًا دُعَاۡى مَرْحُوْمًا صَوْتِى وَقَدْ كَفَفْتَ اَنْوَاعَ الْبَلَاءِ عَنِّى

या अहलल तक्वा व या अहलल मगफिरतः या बर्रो या रहीमो अन्तः अबर्रुबी मिन अबी व उम्मी वन नासि अजमईन फ—अक्लिबनियल यौमः बि—कजाए हाजती मुसतजाबन दुआई मरहूमन सोती व कद कफफतः अनवाअल बलाए अन्नी

हजरत अमीरुल मुअमिनीन^{अ.स.} से मनकूल है कि आपसे अल्लाह तआला के इर्शाद :

• وَادْبَارَ السُّجُودِ •

व अदबारस—सुजूद (26—51/40) तर्जुमा! और नमाज़ के बाद भी उसकी तस्बीह किया करो कि मुताल्लिक पुछा गया तो आपने फरमाया कि उससे वह सुन्नत मुराद है जो मगरिब की नमाज़ के बाद पढ़ी जाती हैं सफर और

मुकीम में उसको तर्क न करना चाहिये।

इमाम बाकिर^{अ.स.} से मरवी है कि आपने फरमाया कि अल्लाह तआला की बारगाह में मुर्ग की शक्ल का एक फरिश्ता है जिसके पंजें ज़मीन की तह में है और उसके दोनों बाज़ू हवा में हैं और उसकी गर्दन अर्श के नीचे मुड़ी हुई है जब आधी रात गुज़र जाती है तो वह फरिश्ता अपनी गर्दन को उपर उठा कर यह दुआ पढ़ता है :

سُبُّوحٌ قُدُّوسٌ رَبُّ الْمَلَائِكَةِ وَالرُّوحِ رَبُّنَا الرَّحْمَنُ لَا إِلَهَ غَيْرُهُ، لِيَقْمَ الْمُتَهَجِّدُونَ

सुब्बुहुन कुददुसुन रब्बुल मलाएकति वररूहि रब्बुनर रहमानो ला इलाहः गैरूहू लियकुमिल मुतहज्जिदून उस वक्त मुर्ग बांग लगाते हैं फिर वह फरिश्ते खुदा की मशियत के मुताबिक थोड़ी देर के लिये खामोश हो जाते हैं फिर यह दुआ पढ़ते हैं :

سُبُّوحٌ قُدُّوسٌ رَبُّ الْمَلَائِكَةِ وَالرُّوحِ رَبُّنَا الرَّحْمَنُ لَا إِلَهَ غَيْرُهُ، لِيَقْمَ الْقَانِتُونَ

सुब्बुहुन कुददुसुन रब्बुल मलाएकति वररूहि रब्बुनर रहमानो ला इलाहः गैरूहू लियकुमिल कानितून फिर अल्लाह तआला की मशियत के मुताबिक खामोश रहता है फिर वह यह दुआ पढ़ता है :

سُبُّوحٌ قُدُّوسٌ رَبُّ الْمَلَائِكَةِ وَالرُّوحِ رَبُّنَا الرَّحْمَنُ لَا إِلَهَ غَيْرُهُ، لِيَقْمَ الذَّاكِرُونَ

सुब्बुहुन कुददुसुन रब्बुल मलाएकति वररूहि रब्बुनर रहमानो ला इलाहः गैरूहू लियकुमिज़ ज़ाकिरून फिर तुलू फज्र के बाद यह कहता है :

رَبُّنَا الرَّحْمَنُ لَا إِلَهَ غَيْرُهُ، لِيَقْمَ الْغَافِلُونَ

रब्बुनर रहमानो ला इलाहः गैरूहू लियकुमिल गाफिलून।

इमाम बाकिर^{अ.स.} से मरवी है कि आपने फरमाया कि जब तिहाई रात गुज़र जाती है तो एक मुनादी यह निदा करता है :

يَا بَاغِيَ الْخَيْرِ أَقْبِلْ يَا طَالِبَ الشَّرِّ أَقْصِرْ هَلْ مِنْ تَائِبٍ يُتَابُ عَلَيْهِ هَلْ مِنْ مُسْتَغْفِرٍ يُغْفَرُ لَهُ، هَلْ مِنْ سَائِلٍ فَيُعْطَى

या बागियल खैरे अक़बिल या तालिबश शर्रे उक़सुर हल मिन ताइबिन युताबो अलैहि हल मिन मुसतगफिरिन युगफरो लहू हल मिन साइलिन

फ-यूअता ।

तर्जुमा : ए खैर के चाहने वाले आगे आ और ए शर के चाहने वाले पीछे जा । हे कोई तौबा करने वाला जिसकी तौबा कबूल की जाये है कोई मग़फ़िरत तलब करने वाला जिसको बख़्श दिया जाये । हे! कोई मांगने वाला जिसको दिया जाये ? इस तरह तुलूअ आफताब तक पुकारता है ।

इमाम जअफरुस्सादिक^{अ.स.} से मनकूल है आपने फरमाया कि मैं उस शख्स से बुगज़ रखता हूं जिसने कुरआन पढ़ा फिर रात में उठा और सो गया जब सुबह हुई तो उठकर जल्दी जल्दी नमाज़ पढ़ी । आपने आयते करीमा :

• وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ • وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَإِدْبَارَ النُّجُومِ

व सब्बिह बिहम्दि रब्बिकः हीनः तकूम 0 व मिनल लैलि फसब्बिहहो व इदबारन-नुजूम 0 27-52/48-49

के मुताल्लिक़ फरमाया कि इस आयत में अल्लाह तआला ने आंहज़रत^{स.अ.व.} को रात में उठ कर नमाज़ पढ़ने का हुक्म दिया है । और आपने

• وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ • وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا

व मिनल लैलि फसजुद लहु व सब्बिहहो लैलन तवीला 29-76/26 के मुताबिक़ फरमाया कि अल्लाह ताआला ने इस आयत में भी आंहज़रत^{स.अ.व.} को यह हुक्म दिया है कि आप रात में उठकर नमाज़ पढ़े पस आपने उस पर अमल किया था ।

हज़रत अमीरुल मुअमिनीन^{अ.स.} से मनकूल है कि रसूले करम^{स.अ.व.} ने फरमाया है कि कोई शख्स रात भर मुरदार की तरह न पड़ा रहे आपने रात में उठकर तहज्जुद की नमाज़ पढ़ने का हुक्म दिया है । आप हज़रत^{स.अ.व.} ने फरमाया है कि सलाम को अपशाअ (बुलन्द आवाज़ से सलाम) करो और खाना खिलाओ और जब लोग रात में सो रहे हो तो उठकर नमाज़ पढ़ो तो तुम यकीनन सलामती के साथ दाखिले बहिश्त (जन्नत) होंगे ।

इमाम जअफरुस्सादिक^{अ.स.} से मरवी है आपने फरमाया कि रसूले अकरम^{स.अ.व.} रात में कई बार उठते थे आप^{स.अ.व.} का इस तरह उठना बड़ा सख्त काम था । आंहज़रत^{स.अ.व.} जब इशा की नमाज़ से फारिग़ हो जाते तो अपने सिरहाने मिसवाक (दातुन) और वुजू का पानी ढ़क कर रखने का हुक्म देते । फिर मशियत इलाही के मुताबिक़ सो जाते । फिर उठते और मिसवाक

और वुजू करके चार रकाअत नमाज़ पढ़ते, ऐसा कई बार करते थे। यहां तक कि जब सुबह करीब हो जाती तो वत्र की तीन रकाअत नमाज़ पढ़ते और फिर दो रकाअत बैठकर नमाज़ पढ़ते। आप जब भी उठते तो आसमान पर नज़र डालते। फिर आले इमरान की चंद आयते पढ़ते

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ---- لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ

इन्नः फी खलकिस समावाति वल अरदि से ला तुखलिफुल मीआद 4-3 / 192-194 तक फिर जब फज़ तुलूअ हो जाती तो वुजू और मिसवाक करके मस्जिद में तशरीफ ले जाते और फज़ की दो रकाअत (सुन्नत) नमाज़ पढ़ते और कुछ देर बैठकर फज़ की फर्ज़ नमाज़ पढ़ते थे।

अमीरुल मुअमिनीन हज़रत अली^{अ.स.} से रिवायत है कि आंहज़रत^{स.अ.व.} ने फरमाया है कि जब तुम में से कोई शख्स रात में उठे तो दो रकाअत नमाज़ से इसतिफताह करे और सलाम फ़ैर दे और जो नमाज़े (ततवआत) पढ़ना हो पढ़े।

इमाम जअफरुस्सादिक^{अ.स.} से मनकूल है आपने फरमाया कि पिदर बुर्जुगवार इमाम बाकिर^{अ.स.} जब रात में उठते तो देर तक खड़े रहते और जब रुकू और सजदे में जाते तो देर तक रहते। लोगो को यह मालूम होता कि आप सो गये हैं। फिर अचानक आप यह दुआ पढ़ने लगते :

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ حَقًّا حَقًّا سَجَدْتُ لَكَ يَا رَبِّ تَعَبُّدًا وَرِقًّا يَا عَظِيمُ إِنَّ عَمَلِي ضَعِيفٌ
فَضَاعَفُهُ لِي يَا كَرِيمُ يَا جَبَّارُ اغْفِرْ ذُنُوبِي وَجُرْمِي وَتَقَبَّلْ مِنِّي عَمَلِي يَا جَبَّارُ يَا كَرِيمُ
إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَخِيبَ أَوْ أَحْمَلَ جُرْمًا

ला इलाहः इल्लल्लाहो हक्कन हक्कन सजदतो लकः या रब्बि तअब्बुदन व रिक्कन या अज़ीमो इन्नः अमली जइफुन फज़ाइफुहो ली या करीमो या जब्बारो इगफिर जुनूबी व जुरमी व तकब्बल मिन्नी अमली या जब्बारो या करीमो इन्नी अरुज़ो बिकः अन अखीबः ओव अहमिलः जुरमन।

इमाम जैनुलआबिदीन^{अ.स.} से मनकूल है कि जब आप रात में नमाज़ पढ़ते तो यह दुआ करते थे :

إِلَهِي غَارَتْ نُجُومُ سَمَوَاتِكَ وَنَامَتْ عُيُونُ خَلْفِكَ وَهَدَأَتْ أَصْوَتْ عِبَادِكَ وَ
 غَلَقَتْ مُلُوكُ بَنِي أُمِّيَّةٍ عَلَيْهَا أَبْوَابُهَا وَطَافَ عَلَيْهَا حُجَابُهَا وَاحْتَجَبُوا عَمَّنْ يَسْأَلُهُمْ
 حَاجَةً أَوْ يَتَعَبَى مِنْهُمْ فَائِدَةً وَأَنْتَ إِلَهِي حَيُّ قَيُّومٌ لَا تَأْخُذُكَ سِنَّةٌ وَلَا نَوْمٌ وَلَا
 يَشْغُوكَ شَيْءٌ عَنْ شَيْءٍ أَبْوَابُ سَمَوَاتِكَ لِمَنْ دَعَاكَ مُفْتَحَاتٌ وَخَزَائِنُكَ غَيْرُ
 مُغْلَقَاتٍ وَرَحْمَتُكَ غَيْرُ مَحْجُوبَةٍ وَفَوَائِدُكَ غَيْرُ مَحْظُورَةٍ وَأَنْتَ إِلَهِي الْكَرِيمُ
 الَّذِي لَا تَرُدُّ سَائِلًا مِنْ الْمُؤْمِنِينَ سَائِلَكَ وَلَا تَحْتَجِبُ عَنْ طَالِبٍ مِنْهُمْ أَرَادَكَ وَلَا وَ
 عَزَّتْكَ مَا تَخْتَزِلُ حَوَائِجُهُمْ دُونَكَ وَلَا يَقْضِيهَا أَحَدٌ غَيْرَكَ اللَّهُمَّ وَقَدْ تَرَى وَ
 قُوفِي ذُلَّ مَقَامِي بَيْنَ يَدَيْكَ وَتَعْلَمُ سِرِّيَّتِي وَتَطْلُعُ عَلَيَّ مَا فِي قَلْبِي وَمَا يُصْلِحُنِي
 لِأَخْرَجْتَنِي وَدُنِيَايَ إِلَهِي تَرْقُبُ الْمَوْتَ وَهَوْلُ الْمَطْلَعِ وَالْوُقُوفُ بَيْنَ يَدَيْكَ نَغْصَنِي
 مَطْعَمِي وَمَشْرَبِي وَغَصْنِي بَرْقِي وَأَقْلَقْنِي عَنْ وَسَادِي وَاهْجَعْنِي وَمَنْعْنِي عَنْ رُقَادِي
 إِلَهِي وَكَيْفَ يَنَامُ مَنْ يَخَافُ بَغْتَاتِ مَلِكِ الْمَوْتِ فِي طَوَارِقِ اللَّيْلِ وَطَوَارِقِ النَّهَارِ بَلْ
 كَيْفَ يَنَامُ الْعَاقِلُ وَ مَلِكُ الْمَوْتِ لَا يَنَامُ بِاللَّيْلِ وَلَا بِالنَّهَارِ يَطْلُبُ قَبْضَ رُوحِهِ حَتَّىثًا
 بِالْبَيَّاتِ أَوْفَى إِلَى السَّاعَاتِ

इलाही गारत नुजूमो समावातिकः व नामत उयूनो खलफिकः व हदाअत
 असवातो इबादिकः व गल्लकत मुलूको बनी उमय्यतः अलैहा अबबाबहा व
 ताफः अलैहा व हुज्जाबुहा वहतजबू अम्मन यसअलुहुम हाजतन ओव यबतगी
 मिनहुम फाइदतन व अन्तः इलाही हय्यो कय्यूमो ला ता खजुकः सिनतुन व
 ला नोमुन व ला यशगुलुकः शैउन अन शैइन अबबाबो समावातिकः लिमन
 दआकः मुफत्ताहातुन व खजाइनुकः गैरो मुगल्लाकातिन व रहमतुकः गैरो

महजुबतिन व फवाइदुकः गैरो महजूरतिन व अन्तः इलाहियल करीमुल लज़ी ला तरुद्दूस साअइलन मिनल मुअमिनीनः सअलकः वला तहतजिबो अन तालिबिन मिनहुम अरादकः वला व इज्जतिकः मा तखतज़िलो हवाइजुहुम दूनकः वला यकजीहा अहदुन गैरकः अल्लाहुम्मः वकद—तरा व कूफी जुल्लि मकामी बैनः यदैकः व—तअलमो सरीरती व तत तलिओ अला मा फी कल्बी व मा युसलिहुनी लि आखिरती व दुनयायः इलाही तरक्कुबुल मौति व होलुल मुततलइ वल वुकूफो बैनः यदैकः नग्गसनी मतअमी व मशरिबी व गस्सनी बिरिकी व अकलकनी अन विसादी व अहजअनी व मनअनी अन रुकादी इलाही व कैफः यनामो मन्यखाफो बगताति मलकिल मौति फी तवारिकिल लैलि व तवारिकिन नहारि बल कैफः यनामुल आकिलो व मलकुल मौति ला यनामो बिललैयलि वला बिन्नहारि यतलुबो कब्ज़ः रुहिही हसीसन बिलबयाति ओवफी अय्यिस साअति ।

इमाम जैनुलआबिदीन^{अ.स.} जब इस दुआ को पढ़ते तो फूट-फूट कर रोते यहां तक कि आपके अहलो अयाल और गुलाम खौफज़दा हो जाते और जब आपके पास से उठ कर जाते तो आपको इस हाल में पाते कि आपने अपने रूख़सार मुबारक को ज़मीन पर लगा दिया है और यह दुआ पढ़ रहे है :

رَبِّ اسْأَلْكَ الرَّاحَةَ وَالرَّوْحَ عِنْدَ الْمَوْتِ وَالْمَصِيرَ إِلَى الرَّحْمَةِ وَالرَّضْوَانِ

रब्बि असअलुकर राहतः वररुहः इन्दल मौति वलमसीरः इलररहमति वररिज़वान ।

हज़रत अली^{अ.स.} से मनकूल है कि रसूले अकरम^{स.अ.व.} ने फरमाया है कि अगर कोई शख्स रात में उठकर नमाज़ पढ़ने का इरादा करे तो जब बिस्तर पर जाये तो यह दुआ पढ़े

اَللّٰهُمَّ لَا تُؤْمِنِيْ مُكْرَكَ وَلَا تُنْسِنِيْ ذِكْرَكَ وَلَا تَجْعَلْنِيْ مِنَ الْغَافِلِيْنَ اِنْشَاءُ اللّٰهِ فَلَا فَلَآ .:

अल्लाहुम्मः ला तू मनी मुकरकः वला तुनसिनी ज़िकरकः वला तजअलनी मिनल गाफिलीनः इंशा अल्लाहो फलां (वक्त का नाम ले) फलां वक्त में उठुंगा । पस अल्लाह तआला उस पर एक फरिश्ता मुक़रर कर देता है जो उसको उस साअत (उस वक्त में) में उठा देता है । और किसी ने अगर रात में उठने का इरादा किया मगर उसकी आंखे लग गई यहां तक कि सुबह हो गई तो उसकी यह नींद खुदा की तरफ से सदका है फिर खुदा उसको रातभर क़याम करने का सवाब अता करेगा ।

इमाम बाकिर^{अ.स.} से मनकूल है कि एक मर्तबा आप मस्जिदे नबवी में तशरीफ ले गये उस वक़्त इब्ने हश्शाम माह रमज़ान में जुमआ का खुतबा पढ़ रहा था। उसने कहा कि यह वह महीना है जिसका रोज़ा रखना फर्ज़ है। और रात में उठना रसूले खुदा^{स.अ.व.} की सुन्नत है, इमाम बाकिर^{अ.स.} ने फरमाया कि इब्ने हश्शाम ने झूठ कहा माह रमज़ान में रसूले खुदा^{स.अ.व.} का उठ कर नमाज़ पढ़ना इस तरह था जैसा कि आप दूसरे महीनों में उठ कर नमाज़ पढ़ते थे।

इमाम जअफरुस्सादिक^{अ.स.} से मनकूल है आपने फरमाया कि माहे रमज़ान का रोज़ा फर्ज़ है और रात में जमाअत के साथ तरावीह नमाज़ पढ़ना बिदअत है। रसूलुल्लाह^{स.अ.व.} ने ऐसी नमाज़ नहीं पढ़ी है और अगर उसमें खैर होती तो आप उसको तर्क न करते अलबत्ता एक मर्तबा ऐसा हुआ है कि आप रमज़ान मुबारक के महीने में एक रात जबकि आप तन्हा नमाज़ में मशगूल थे उस वक़्त कुछ लोग आपके पीछे खड़े हो गये। आपको जब इसका एहसास हुआ तो घर के अंदर तशरीफ ले गये आपने मुसलसल तीन रात तक ऐसा ही किया तीन रात के बाद जब सुबह हुई तो आप मिम्बर पर तशरीफ ले गये और अल्लाह की हम्द सना के बाद आपने फरमाया कि ए लोगो! माहे रमज़ान और किसी दूसरे महीने में फर्ज़ नमाज़ के सिवा जमाअत से कोई और नमाज़ न पढ़ो। तुम लोगो ने जो किया था वह बिदअत है और चाश्त (सुबह सूरज निकलने के बाद रोशन वक़्त) के वक़्त नमाज़ न पढ़ो क्योंकि चाश्त के वक़्त नमाज़ पढ़ना बिदअत है और हर बिदअत गुमराही है और हर गुमराही का रास्ता दोज़ख की तरफ जाता है। उसके बाद मिम्बर से उतरते हुए फरमाया कि सुन्नत के मुताबिक़ थोड़ा सा अमल बिदअत के बकसरत (ज़्यादा) अमल से बेहतर है।

अवाम ने भी रसूले खुदा^{स.अ.व.} से यही रिवायत नक़ल की है कि अहदे रिसालत में माहे रमज़ान की रातों में बा जमाअत नफ़ल नमाज़ नहीं पढ़ी जाती थी और न हज़रत अबु बक्र के अहदे खिलाफ़त में इसका रिवाज़ था और न हज़रत उमर के इब्तिदाई दोरे खिलाफ़त में इसका रिवाज़ था मगर बाद में हज़रत उमर ने रमज़ान की रातों में नफ़ल (तरावीह) बा जमाअत को रिवाज़ कर दिया और लोगो ने उनकी पेरवी की हालांकि खुद अवाम ने यह रिवायत नक़ल की है कि आहज़रत^{स.अ.व.} ने रमज़ान की रातों में नफ़ल नमाज़ को ब—जमाअत पढ़ने से मना फरमाया था। हम खुदा के दीन में बिदअत

करने और उसके रसूल^{स.अ.व.} के मना करने पर भी किसी अमल के इरतिकाब से अल्लाह की पनाह मांगते है।

इमाम बाकिर^{अ.स.} से मनकूल है कि एक मर्तबा आपसे एक मर्द अंसारी ने चाश्त के वक़्त नमाज़ पढ़ने की बाबत सवाल किया तो आपने फरमाया कि चाश्त के वक़्त नमाज़ पढ़ने की बिदअत सब से पहले जिन लोगो ने जारी की थी वह तुम्हारी ही कौम अंसार है। वाकिआ यह है कि उन्होने एक मर्तबा आंहज़रत^{स.अ.व.} को यह कहते हुए सुना है कि मेरी मस्जिद में नमाज़ पढ़ना हज़ार रकाअत नमाज़ के बराबर है। पस वह जब अपने खेतो से चाश्त के वक़्त आते और मस्जिदे नबवी में दाखिल होकर नमाज़ पढ़ते जब इसकी इत्तिलअ आंहज़रत^{स.अ.व.} को हुई तो आपने उनको ऐसा करने से मना फरमाया।

इमाम जअफरुस्सादिक^{अ.स.} से मनकूल है आपने आयते करीमा :

• الَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ

अल्लज़ीन: हुम अला सलातिहिम दाइमून 29-70/23 के मुताल्लिक़ फरमाया कि यह उनके बारे में कहा गया है जो नफ़ल नमाज़ की पाबंदी करते हैं और इसमें से जो नमाज़ फ़ौत हो जाती है उसको कज़ा पढ़ते है, आपने फरमाया कि इमाम जैनुलआबिदीन^{अ.स.} ऐसा करते थे कि जो नफ़ल नमाज़ रात में बाकी रह जाती उसको आप दिन में कज़ा पढ़ते थे और जो नफ़ल नमाज़ बाकी रह जाती उसको रात में कज़ा पढ़ते थे। इमाम जअफरुस्सादिक^{अ.स.} फरमाते हैं कि अगर कोई शख्स खैर का कोई काम करे तो उसको एक साल तक करते रहना चाहिये बीच में छोड़ न देना चाहिये मैं यह गुमान भी नहीं कर सकता कि आपके कहने का यह मक़सद है कि एक साल के बाद कारे खैर को छोड़ देना चाहिये बल्कि आपके इस इर्शाद का यह मतलब है कि लोग कारे खैर के आदी बन जायें क्योंकि जो शख्स साल भर किसी अमल पर पाबंदी के साथ लाज़िम रहेगा तो किसी हालत में भी वो उसको तर्क न करेगा क्योंकि वह अमल उसकी आदत बन जायेगा। चुनांचे हमने बहुत से अमल का तर्जुबा किया तो हमने उसको अपनी जान के साथ लाज़िम पाया है।

कुरआन में सजदों का बयान

कुरआने पाक में पन्द्रह मुकामात पर सजदों का जिक्र है।

1,सूरतुल अअराफ 2,सूरतर्रअद रअद 3,सूरतन्नहल 4,सूरअः बनी इस्राईल 5,सूरअः मरियम (काफ हा या ऐन साद) 6,सूरतुल हज 7,सूरतुल हज 8,सूरतुल फुरकान 9,सूरअः नमल 10,सूरअः सजदा 11,सूरअः सअद 12,सूरअः हा मीम सजदा 13,सूरअः नज्म 14,सूरतुल इंशिकाक 15,सूरतुल अलक

इमाम बाकिर^{अ.स.} से मरवी है आपने फरमाया कि कुरआने पाक में चार मुकामात तो ऐसे हैं जहां पर जरूर सजदा करना चाहिये 1,सूरअः अलिफ लाम मीम सजदा 2,सूरअः हाम मीम सजदा 3,सूरअः नज्म 4,सूरतुल अलक और बाकी जगहों में इख्तियार है, चाहो सजदा करो या न करो।

इमाम बाकिर^{अ.स.} ने फरमाया कि इमाम जैनुलआबिदीन^{अ.स.} सजदा की आयतों पर सजदा करना पसंद करते थे।

इमाम जअफरुस्सादिक^{अ.स.} से मनकूल है आपने फरमाया कि जिसने सजदा की आयत पढ़ी या किसी कारी (पढ़ने वाले) को पढ़ते हुए सुना उस हालत में कि वह उसको कुरआन पढ़ते हुए सुन रहा था तो वह सजदा करे और फर्ज नमाज़ पढ़ रहा हो और इमाम के अलावा किसी से सजदा की आयत सुने तो अपने सर से इशारा करे। और अगर खुद इमाम हो और नमाज़ की हालत में सजदा की आयत पढ़े तो सजदा करे और दूसरे लोग भी उसके साथ सजदा करे। लेकिन इमाम को लायक नहीं है कि कसदन (जान बूझकर) वह फर्ज नमाज़ में किसी ऐसी सूरअः को पढ़े जिसमें सजदा की आयत हो, आपने यह भी फरमाया है कि किसी वक़्त भी कोई शख्स सजदा की आयत पढ़े या किसी से सुने तो चाहे वह ऐसा वक़्त ही क्यों न हो जिसमें नमाज़ पढ़ना जायज़ नहीं है वह सजदा करे और तुलूअ आफताब के वक़्त और गुरुबे आफताब के वक़्त भी सजदा करे चाहे वह पाकीज़गी की हालत में न हो तब भी सजदा करे। और जब कोई सजदा करे तो अल्लाहो अकबर न कहे और न उठते वक़्त सलाम फ़ैरे इसमें सजदा के सिवा और कुछ भी वाजिब नहीं है लेकिन जिस क़द्र हो सके सजदा में तसबीह व दुआ करे आपने यह भी फरमाया है कि जब मुसल्ली सजदा की आयत पढ़े तो गिर पड़े और सजदा करे फिर उठकर वहां से नमाज़ पढ़े जहां से रुक गया था और अगर सजदा की आयत सूरअः के आखिर में हो तो पहले सजदा करे फिर उठकर सूरअः फातिहा (अलहम्दो) पढ़े और रुकूअ व सुजूद करे।

इमाम बाकिर^{अ.स.} से मनकूल है आपने फरमाया कि जब तुम बैठे हो और सजदा की आयत पढ़ो तो क़िबला रूख होकर सजदा करो और अगर उस वक़्त पढ़ो जब तुम घोड़े पर सवार हो तो जिधर भी तुम्हारा रूख हो सजदा कर लो क्योंकि आहज़रत^{स.अ.व.} जब मक्का से लौटते और मदीना का रूख करते तो आप अपनी सवारी ही पर नफ़्ल नमाज़ पढ़ते थे और उसी के मुताबिक़ खुदा वन्दे तआला का यह इर्शाद भी है कि :

فَإَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ

फ़: एनमा तुवल्लू फ़सम्म: वजहुल्लाहि तर्जुमा : जहां कही भी (क़िब्ला की तरफ़) रूख करो वहीं खुदा का सामना है।

जनाइज

किताबुल जनाइज़

बीमारी, इयादत, और आलमे – सकरात (मौत की घड़ी)

इमाम जअफरुस्सादिक^{अ.स.} और आपके पिदर बुजुर्गवार इमाम बाकिर^{अ.स.} और आपके आबा ए किराम और हज़रत अली^{अ.स.} से रिवायत है कि रसूले खुदा^{स.अ.व.} एक मर्तबा एक मर्द अंसारी की इयादत को तश्रीफ ले गये उसने आपसे बुखार की तकलीफ की शिकायत की आपने फरमाया की बुखार परवरदिगारे आलम की तरफ से एक तहारत है। उस शख्स ने कहा कि नही बल्कि बुखार जईफ आदमी को भून डालता है यहां तक कि उसको कब्र में पहुंचा देता है। रसूले खुदा^{स.अ.व.} यह सुनकर गुस्सा हो गये और फरमाया कि ऐसा ही तुम्हारे साथ होना चाहिए चुनांचा वह शख्स उसी बुखार में मर गया।

इमाम जअफरुस्सादिक^{अ.स.} से रिवायत है कि आपने फरमाया कि मरीज़ का सब्र के साथ कराहना आह आह करना हसनात में शुमार होता है और जज़अ (बेचैनी) के साथ कराहने से बेसब्र गिना जाएगा और उसके लिये कोई अज़्र नही है आपने फरमाया कि एक दिन का बुखार एक साल का कफ़ारा है। जब किसी तबीब (हकीम) ने सुना और उसको उस हदीस की खबर की गई तो उसने कहा कि यह तबीबों के उस कौल की तस्दीक़ है कि एक रोज़ का बुखार एक साल तक जिस्म के लिये तकलीफदह होता है।

हज़रत अली^{अ.स.} से रिवायत है, आपने फरमाया कि बीमार खुदा के कैदखाने में होता है जब तक वह अपनी इयादत करने वालों से कोई शिकायत नही करता उसके गुनाह मिटाये जाते है और जो मुअमिन बंदा बीमारी की हालत मे इन्तिकाल कर जाता है वह शहीद होता है और युं तो हर मुअमिन शहीद है और हर मुअमिना हूर-ए-सियाह चश्म होती है। मुअमिन जिस मौत से भी मरे वह शहीद है। आपने यह आयते करीमा तिलावत फरमाई :

وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ أُولَٰئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ وَالشَّهَادَةُ عِنْدَ رَبِّهِمْ ط

वल्लज़ीनः आमनू बिल्लाहि व रुसुलिही उलाइकः हुमुस सिद्दीकूनः वश शोहादाओ इन्दः रब्बिहिम तर्जुमा : और जो लोग ईमान लाये खुदा और उसके रसूल पर यही लोग अपने परवरदिगार के नज़दीक सिद्दिदकून और शहीदो के दर्ज़ में होंगे।

आपने फरमाया कि जब खुदा किसी बंदे को किसी मर्ज़ में मुब्तिला फरमाता है तो उसकी बीमारी के मुताबिक उसकी खताएं माफ कर देता है। आपने फरमाया कि मरीज़ की इयादत तीन दिन के बाद करनी चाहिये मरीज़ की इयादत औरतों पर फर्ज़ नहीं है आपने फरमाया कि रसूले खुदा^{स.अ.व.} ने फरमाया है कि इयादत करने वाला मरीज़ के पास कोई चीज़ न खाये वरना उसकी इयादत का उसे कोई सवाब न मिलेगा।

हज़रत इमाम हुसैन^{अ.स.} से रिवायत है कि आप एक मर्तबा जब बीमार हुए तो उमरू—बिन हारिस ब—गरज़ अयादत को आये थे। अमीरूल मुअमिनीन^{अ.स.} ने उनसे फरमाया कि ए उमरू! तुम हुसैन^{अ.स.} की अयादत को आए हो मगर दिल में कुछ और बात है? मुझे इस वक़्त तुमको अच्छी खबर सुनाने से कोई चीज़ माने नहीं हो सकती क्योंकि मैंने खुद रसूले खुदा^{स.अ.व.} से सुना है कि जो भी मुस्लिम मर्द किसी बीमार की अयादत को जाता है तो सित्तर हजार (70000) फरिश्ते, अगर दिन हो तो गुरुबे आफताब तक और रात हो तो तुलू ए फज़ तक उस पर सलवात भेजते हैं।

अमीरूल मुअमिनीन^{अ.स.} से रिवायत है कि आप एक मर्तबा जैद—बिन अरकम की अयादत को तशरीफ ले गये। जैद ने कहा कि मरहबा ए अयादत को आने वाले अमीरूल मुअमिनीन ! हालांकि आप तो हमसे बहुत नाराज़ थें। अमीरूल मुअमिनीन^{अ.स.} ने फरमाया कि मैं उससे कुछ तुम्हारी अयादत से रूक जाने वाला नहीं था। उसके बाद आपने फरमाया कि जो शख्स किसी मरीज़ की अयादत को जाता है और अल्लाह तआला से वादा पूरा करने की इल्तिमास करता है तो वह जन्नत मे फस्ल खरीफ के मौसम मे दाखिल होगा। जब तक कि वह मरीज़ के पास बैठा रहे यहां तक कि जब मरीज़ के पास से उठकर जाता है तो उस रोज़ सित्तर हजार फरिश्ते उस पर रातभर दुरुद भेजते हैं और अगर शाम को इयादत करे तो वह जन्नत में मौसमे खरीफ मे होगा वह जब तक कि उसके पास बैठा रहेगा। जब उसके पास से चला जाता है तो सित्तर हज़ार फरिश्ते सुबह तक दुरुद भेजते हैं

इसलिये मैंने इस सवाब को हासिल करने में उज्जलत (जल्दी) की है।

अमीरुल मुअमिनीन^{अ.स.} से रिवायत है कि रसूले अकरम^{स.अ.व.} खानदाने अब्दुल मुत्तलिब में से एक शख्स के मकान पर उस वक्त तशरीफ ले गये जबकि वह हालते नज़अ (आखिरी वक्त) में था और उस का मुंह किब्ला की तरफ न था। आपने फरमाया कि इसको किब्ला रूख लेटा दो क्योंकि जब तुम इसको किब्ला की तरफ लेटाओगे तो खुदा और फरिश्ते इस पर मुतवज्जा हो जायेंगे चुनांचा उस शख्स का चेहरा किब्ला की तरफ था और वह उसी हालत में इन्तिकाल कर गया।

हज़रत अली^{अ.स.} फरमाते हैं कि यह फितरी बात है कि जब मरीज़ नज़अ के आलम में हो तो उसको किब्ला की तरफ लिटा देना चाहिये। इमाम जअफरुस्सादिक^{अ.स.} फरमाते हैं कि जब तुम किसी मुस्लिम मैयत के पास उसकी मौत से पहले जाओ तो कलिमा :

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ، وَرَسُولُهُ،

अशहदो अन ला इलाहः इल्लल्लाहो वहदहु ला शरीकः लहू व अशहदो अन्नः मोहम्मदन अब्दुहू व रसूलुहू की उसको तलकीन करो। और मरीज़ के सरहाने नज़अ के वक्त आयतुल कुर्सी पढ़ना मुसतहिब (बेहतर) है और उसके बाद की दो आयतें और फिर आयत :

إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ

इन्नः रब्बःकुमुल्लाहुल लज़ी खलकस समावाति वल अरदः फी सित्तति अय्याम आखिर तक उसके बाद सुरतुल बकरः की तीन आयते फिर उसके बाद यह दुआ पढ़ो

اللَّهُمَّ أَخْرِجْهَا مِنْهُ إِلَى رِضَا مِنْكَ وَرِضْوَانٍ اللَّهُمَّ لَقَّهِ الْبُشْرَى اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ، ذَنْبَهُ،
وَأَرْحَمُهُ

अल्लाहुम्मः अखरिजहा मिन्हो इला रिज़न मिन्कः व रिज़वानिन अल्लाहुम्मः लक्किहिल बुशरा अल्लाहुम्मगफिरलहू ज़म्बहू वर हमहो।

अबुज़र गफ़ारी^{र.अ.} ने फरमाया कि मैं रसूले खुदा^{स.अ.व.} के पास उस बीमारी के वक्त मौजूद था। जिसमें आपने वफात पाई थी। आंहज़रत^{स.अ.व.} ने मुझसे फरमाया कि ए अबुज़र मेरे करीब आओ ताकि मैं तुम्हारा सहारा लेकर

बैठू चुनांचा मैं आपके करीब हुआ तो आपने मेरे सीने का सहारा लिया। लेकिन जब अमीरूल मुअमिनीन तशरीफ लाये तो आपने फरमाया की ए अबुज़र^{र, अ.} अली^{अ.स.} इसके ज़्यादा हकदार हैं, पस अली^{अ.स.} आपके करीब बैठ गये और उन्होंने आपको अपनी छाती से लगा लिया उसके बाद मुझसे फरमाया कि यहां मेरे सामने बैठो जब मैं आपके सामने बैठ गया तो आप ने फरमाया कि यह गिरह बांध लो कि जिसका खात्मा कलिमतुश्शहादत ला इलाहा इल्लल्लाह पर होगा तो वह जन्नत में दाखिल होगा और जिसका खात्मा किसी मिस्कीन को खाना खिलाने की हालत में होगो तो वह जन्नत में दाखिल होगा और जिसका खात्मा हज की राह में होगा वह जन्नत में दाखिल होगा और जिसका खात्मा उमराह की हालत में होगा वह जन्नत में दाखिल होगा। और जिसका खात्मा राहे खुदा में जिहाद करते वक़्त होगा चाहे थोड़ी ही देर तक क्यों न उसने जिहाद किया हो, जन्नत में दाखिल होगा। आपने बाकी हदीस बयान की जिसको मैंने मुख़तसर तौर पर पैश किया है।

इमाम जअफरुस्सादिक^{अ.स.} से रिवायत है आपने फरमाया कि जब मौत के वक़्त मुअमिन की ज़बान बंद हो जाती है तो उस वक़्त रसूले खुदा^{स.अ.व.} उसके दाहिने तरफ तशरीफ लाते हैं और बाये तरफ अमीरूल मुअमिनीन^{अ.स.} होते हैं। रसूले खुदा^{स.अ.व.} उसको फरमाते हैं कि ऐ मर्द मुअमिन तुम जिसके उम्मीदवार थे वह तुम्हारे सामने मौजूद है। और तुमको जिसका खौफ था उससे मेहफूज़ हो। उसके बाद जन्नत का दरवाज़ा खोल दिया जायेगा। फिर उसको दिखाया जायेगा की वह तुम्हारी जगह है जन्नत में अगर तुम दुनिया में वापिस जाना चाहते हो तो वहां भी तुम्हारे लिये सोना और चांदी के ढेर हैं। उस वक़्त मर्द मुअमिन कहेगा की मुझे दुनिया की कोई ज़रूरत नहीं है उस वक़्त उसका चेहरा सफ़ेद हो जायेगा। और पेशानी से पसीना बह रहा होगा उसके दोनो होंठ सूख जाएंगे और दोनो नाक के नथने फूल जाएंगे और बाये आंख से आंसु आ जाएगा। जब तुम यह अलामते देखो तो यकीन करो कि उसके इन्तिक़ाल का वक़्त आ गया है। आपने बाकी हदीस बयान की थी। फिर फरमाया की खुदावंद तआला का इर्शाद है कि :

لَهُمُ الْبُشْرَىٰ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا

लहुमुल बुशरा फिल हयातिद दुनिया उनके लिये दुनिया ही में (जन्नत) की

बशारत है।

रसूले खुदा^{स.अ.व.} से रिवायत है कि आपने फरमाया कि जिस बंदे के लिए जन्नत में जगह है वह ज़रा सी आजमाइश से वहां तक न पहुंचेगा जब तक उसको मौत न आ जाए और जब तक इस दर्जा को न पहुंचेगा उस वक्त तक उस पर मौत सख्ती करेगी यहां तक कि वह इस दर्जा तक पहुंच जाए।

इमाम जअफरुस्सादिक^{अ.स.} ने फरमाया कि परवरदिगारे आलम सभी मलकुल मौत को हुक्म देता है कि वह मुअमिन की जान को तरद्दुद में डालकर फिर उसको आसानी के साथ निकाल दे लेकिन लोग यह समझते हैं कि मलकुल मौत ने उस पर बड़ी सख्ती की है और बसा औकात खुदा मलकुल मौत को काफ़िरो के साथ सख्ती करने का हुक्म देता है तो उसकी जान वह एक ही झटके में खींच लेता है जिस तरह से कि लोहे से तार खींचा जाता है लेकिन लोग यह समझते हैं की काफ़िर की जान आसानी के साथ निकाली गई है।

मौत को याद करने का बयान

इमाम जअफरुस्सादिक^{अ.स.} और आपके पिदर बुर्जुगवार इमाम बाकिर^{अ.स.} और आपके आबा ए किराम और हज़रत अली^{अ.स.} से रिवायत है कि जब तुमको जनाज़ा की तरफ बुलाया जाये तो जल्दी से जाओ क्योंकि जनाज़ा तुमको आखिरत की याद दिलाता है। इमाम बाकिर^{अ.स.} से पुछा गया कि अगर एक शख्स को एक ही वक्त में जनाज़ा और वलीमा (शादी का खाना) की दावत हो तो इन दोनों में से किसको क़बूल करे। आपने फरमाया कि जनाज़ा में शिरकत करे। क्योंकि जनाज़ा में शिरकत से मौत और आखिरत दोनों की याद ताज़ा होती है और दावते वलीमा में शिरकत मौत और आखिरत से गाफ़िल बना देती है।

रसूले खुदा^{स.अ.व.} ने अंसारियों में से एक शख्स को वसीयत करते हुए फरमाया कि मैं तुम्हें मौत को याद करने की वसीयत करता हूं। क्योंकि इससे तुमको दुनिया के अम्र मे तसल्ली होगी आपने फरमाया कि हादिमुल लज्ज़ात (मौत) को अक्सर याद करते रहो। अर्ज़ किया गया कि ए रसूले खुदा^{स.अ.व.} हादिमुल लज्ज़ात से क्या मुराद है ? रसूले खुदा^{स.अ.व.} ने

फरमाया कि हादिमुल लज्जात (लिज्जते खत्म करने वाला) से मुराद मौत है। चालाक और होशियार मर्द मुअमिन वह है जो मौत को ज़्यादा याद करता है और उसके वास्ते खूब तैयारी करता है।

एक मर्तबा आपने अपने असहाब की एक जमाअत से पुछा कि चालाक शख्स कौन है? लोगो ने कहा कि अल्लाह व रसूल^{स.अ.व.} को ज़्यादा मालूम है। आपने फरमाया कि जो मौत को ज़्यादा याद करे और उसकी खूब तैयारी करे।

इमाम बाकिर^{अ.स.} ने अपने बअज़ असहाब को वसीयत करते हुए कहा कि मौत को खूब याद किया करो, क्योंकि जो शख्स मौत को जितना ज़्यादा याद करता है वह दुनियादारी से उतना ही ज़्यादा किनारा कश रहता है।

रसूले खुदा^{स.अ.व.} से रिवायत है आपने फरमाया कि मौत मुअमिन के लिये मानिन्दे फूल के है। आपने यह भी फरमाया कि मौत से दो आदमी राहत पाते है एक तो मौत से राहत लेने वाला है और दूसरे से राहत ली जाती है। राहत पाने वाला वह अब्दे सालेह है। जिसको दुनिया के ग़म से और इबादत के कामों से राहत मिल जाती है और वह आखिरत की नेअमतों तक जा पहुंचता है और जिससे राहत मिल जाती है तो वह फाजिर (बुरा) शख्स है। जिससे दोनो फरिशतों को राहत मिल जाती है।

रसूले खुदा^{स.अ.व.} अकसर फरमाया करते थे कि बहुत से मसरूर व फरैब खुरदा किस्म के लोगो को कुछ शऊर नही होता। खाने पीने और हंसने में मशगूल रहते है हालांकि खुदा ने उनका ठिकाना जहन्नुम बनाया है।

हज़रत अमीरुल मुअमिन^{अ.स.} फरमाते है कि अगर अल्लाह तआला ने इब्ने आदम को एहमक न बनाया होता तो वह जिंदा न रहता। और अगर जानवरो को इसका इल्म होता कि वह मरने वाले हैं जैसा कि तुम इन्सानो को मौत का इल्म है तो वह भी तुम्हारे लिये मोटे ताज़े न होते। आप फरमाते है कि मैंने ऐसा ईमान नही देखा जो यकीन के साथ शक से ज़्यादा मुशाबा हो बदले उस इन्सान के जो हर रोज़ मुर्दों को विदा करता है और क़ब्रों तक उनको पहुंचाता है फिर भी दुनिया के फरैब में मशगूल हो जाता है। शेहवतों और लिज्जतों को नही छोड़ता। अगर इब्ने आदम मिस्कीन किसी गुनाह का मुरतकिब ही न होता। और न कोई हिसाब होता हालांकि मौत उसके शीराजे को बिखेर देती और उसकी औलाद को यतीम बना देती तो उसको ज़्यादा सज़ावार था कि वह उस चीज़ से बचता जिसमें ज़्यादा तकलीफ है। हम तो

मौत से गाफिल रहते हैं उस कौम की तरह जिसको गौया मौत आने वाली ही नहीं है। और दुनियावी शेहवतो की तरफ उस कौम की तरह माइल रहते हैं जिसको न हिसाब की उम्मीद है और न अज़ाब का डर है।

हज़रत अमीरुल मुअमिनीन^{अ.स.} ने फरमाया कि एक मरतबा रसूले खुदा^{स.अ.व.} से पुछा गया कि कौनसे मुअमिनीन ज़्यादा चालाक हैं तो आपने फरमाया की जो मौत को ज़्यादा याद करते हैं और उसके लिये खूब तैयारी करते हैं ऐसे ही मुअमिनीन ज़्यादा होशियार और चालाक हैं।

तअज़ियत सब्र और रोने की रूखसत का बयान

इमाम जअफरुस्सादिक^{अ.स.} से रिवायत है की आप ने फरमाया की जब रसूले खुदा^{स.अ.व.} का विसाल हो गया तो एहले बैत किराम के पास एक आने वाला आया। वह उसकी आवाज़ को सुन रहे थे लेकिन उसका जिस्म नज़र न आता था उसने कहा की सलाम हो तुम पर ए ऐहलेबेत, और खुदा की रेहमत व बरकात हो

كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ ۖ وَإِنَّمَا تُوَفَّقُونَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ ۖ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ ۖ
أُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ ۖ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ

कुल्लो नफसिन ज़ाइकुतुल मौत व इन्मा तुवफ़्फोनः उज़ूरकुम यौमल कियामति फमन जुहज़िहः अनिन्नारि व उद खिलल जन्नतः फक़द फाज़ः वमल हयातिद दुनिया इल्ला मताउल गुरुर हर मुसीबत के वक़्त खुदा के लिये सब्र से काम लेना चाहिये क्योंकि हर मरने वाला अपने पीछे जानशीन छोड़ जाता है लिहाज़ा खुदा से उम्मीद रखो और उसकी इबादत करो और इस बात का यकीन रखो की मुसीबत ज़दा दरअसल वह है जो सवाब से मेहरुम है तुम पर खुदा का सलाम और रेहमत व बरकत हो। इमाम जअफरुस्सादिक^{अ.स.} से पुछा गया कि ए फरजंदे रसूल एहले बैत के नज़दीक यह बात करने वाला कौन था। आपने फरमाया की हम एहले बैत के नज़दीक वह जिब्रईल^{अ.स.} थे।

इमाम जअफरुस्सादिक^{अ.स.} से और आपके पिदर बुजुर्गवार इमाम बाकिर^{अ.स.} और आबा ए किराम और हज़रत अली^{अ.स.} से रिवायत है कि रसूले

खुदा^{स.अ.व.} एक औरत के नज़दीक से होकर गुज़रे वह एक क़ब्र के नज़दीक रो रही थी आपने उससे फरमाया कि ऐ औरत तुम सब्र करो उस औरत ने आपसे कहा की ए मर्द तुम अपनी राह लो, क्योंकि यह मेरा फरजंद हे और मेरी आंखों की ठंडक है। रसूले खुदा^{स. अ. व} उस औरत को छोड़कर आगे तशरीफ ले गये लेकिन हुआ यह की उस औरत ने आपको पहचाना नहीं था जब उस औरत को बताया गया की वह रसूले खुदा^{स.अ.व.} है तो यह सुन कर आंहज़रत^{स.अ.व.} की तलाश में निकली और आपके पास जा पहुंची उसने अर्ज़ किया कि ए रसूले खुदा^{स.अ.व.} मैंने उस वक़्त आपको पहचाना नहीं था। आप फरमाइये कि अगर मैं सब्र करूं तो क्या मुझे इसका अज़्र मिलेगा? आपने फरमाया की सब्र पहले सदमे के वक़्त किया जाये तो अज़्र मिलता है।

रसूले खुदा^{स.अ.व.} ने फरमाया की जिस शख्स में यह चार चीज़ें होंगी वह जन्नत में ज़रूर दाखिल होगा। जिसका खात्मा कलिमतुश्शहादत ला इलाह: इल्लल्लाह पर हो और जिस पर खुदा एहसान करे तो अलहम्दोलिल्लाह कहे और जो गुनाह करे तो अस्तगफिरुल्लाह कहे और जिसको मुसीबत पहुंची हो तो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलेहि राजिउन कहे ।

हज़रत अमीरुल मुअमिनीन^{अ. स.} फरमाते हैं कि जज़अ से बचो क्योंकि इससे आस टूट जाती है। और अमल में कमज़ोरी पैदा हो जाती है और फिक्रो ग़म में इन्सान मुब्तिला हो जाता है। यकीन जानो कि अगर मामले दो किस्म के हैं तो बचने की सूरत सिर्फ यह है कि जिस मामले में कोई तदबीर काम आ सकती हो तो तदबीर करो और जिसमें कोई तदबीर काम न आ सके तो सब्र पर लाज़िम रहो। आपने फरमाया कि सब्र का दर्जा ईमान में इस तरह से है जैसे कि जिस्म में सर का दर्जा है रसूले खुदा^{स.अ.व.} ने फरमाया है कि जिस शख्स के तीन फरजंद इन्तिकाल कर जायें उनका अज़्र खुदा के नज़दीक उसको मिलेगा। उसके यह फरजंद उसको आग से बचाएंगे।

रसूले अकरम^{स.अ.व.} की खिदमत में अर्ज़ किया गया कि अगर दो बच्चे इन्तिकाल कर जायें तो? आपने फरमाया कि उनका भी अज़्र व सवाब मिलेगा।

एक मर्तबा रसूले खुदा^{स.अ.व.} एक ऐसे घर के पास से गुज़रे जिसमें कुछ अंसार बैठे हुए थे आपने उनको सलाम किया और खड़े होकर उनसे दरियाफ़्त किया कि तुम लोग किस हाल में हो? उन्होंने जवाब दिया कि ए रसूले खुदा^{स.अ.व.} हम सब अहले ईमान हैं। आंहज़रत^{स.अ.व.} ने फरमाया कि क्या तुम्हारे पास साहिबे ईमान होने की कोई निशानी है? उन्होंने कंहा कि हां।

आपने फरमाया कि उसको पेश करो। अंसार ने कहा कि हम राहत के वक़्त खुदा का शुक्र अदा करते हैं और मुसीबत पर सब्र करते हैं और कज़ा—कद्र पर राज़ी हैं। आंहज़रत^{स.अ.व.} ने उनको फरमाया कि तब तो तुम ठीक कहते हो यकीनन तुम मुअमिन हो।

रसूले अकरम^{स.अ.व.} से रिवायत है, आपने फरमाया कि अल्लाह तआला ने अपने बंदो को यह दुनिया बतौर कर्ज़ दी है। पस जिसने इस दुनिया से मुख्तसिर हज़ (लुत्फ) उठाया और उस पर सब्र किया तो खुदा वंदे तआला उसको उसके एवज़ तीन चीज़े अता करेगा कि उनमें से अगर एक चीज़ भी खुदा अपने फरिश्तो को देता वह खुश हो जाते वह तीन चीज़े यह हैं: दुरुद, रहमत, हिदायत। अल्लाह जल शानहू का इर्शाद है कि :

وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ • الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمُ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ • أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ •

व बश्शिरिस साबिरीनल लज़ीन: इज़ा असाबतहुम मुसीबतुन कालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन 0 उलाइक: अलैहिम सलवातुम मिन रब्बिहिम व रहमतुन व उलाइक: हुमुल मुहतदून (2-2/155) तर्जुमा : (ए रसूल) ऐसे सब्र करने वालो को कि जब उन पर कोई मुसीबत आ पड़े तो वह (बेसाख्ता) बोल उठें हम तो खुदा ही के हैं और हम उसी की तरफ लौट कर जाने वाले हैं खुशखबरी दे दो कि उन्ही लोगों पर उनके परवरदिगार की तरफ से इनायतें रहें और रहमत और यह ही लोग हिदायत याफता हैं।

इमाम जअफरुस्सादिक^{अ.स.} से रिवायत है, आपने फरमाया कि जब अबु सलमा बिन अब्दुल असद का इन्तिकाल हो गया तो उनकी बीवी उम्मे सलमा ने उन पर जज़अ (बेचैनी) व फज़अ किया उस वक़्त आंहज़रत^{स.अ.व.} ने उनसे फरमाया कि ए उम्मे सलमा^{र.अ.} तुम इस तरह से दुआ करो :

اللَّهُمَّ اعْظِمْ لِي أَجْرِي فِي مُصِيبَتِي وَعَوِّضْنِي خَيْرًا مِنْهَا

अल्लाहुम्मा अअज़िमली अजरी फी मुसीबती व अव्विज़नी खैरन मिन्हा तर्जुमा : बारे इलाहा! तु मुझे इस मुसीबत का बहुत बड़ा अज़्र व सवाब अता फरमा। और इससे बेहतर मुझे एवज़ अता फरमा। उम्मे सलमा ने आंहज़रत^{स.अ.व.} की खिदमत में अर्ज़ किया कि ए रसूले खुदा^{स.अ.व.} अबु सलमा के मिसल मेरे

लिए और कौन हो सकता है? लेकिन आंहज़रत^{स.अ.व.} ने फिर वही फरमाया जो आपने पहले कहा था उम्मे सलमा ने भी अपनी वही पहली बात कही। आपने फिर अपनी पहली बात दौहराई। उस वक़्त उम्मे सलमा ने अपने जी में कहा कि मैंने रसूले खुदा^{स.अ.व.} की बात तीन मर्तबा रद्द कर दी है। फिर उन्होंने वही कहा जो रसूले खुदा^{स.अ.व.} ने उनसे कहा था। पस परवरदिगारे आलम ने उनको अबु सलमा से बेहतर शौहर अता किया यानि आंहज़रत^{स.अ.व.} के अक्द में आ गई।

रसूले अकरम^{स.अ.व.} से रिवायत है कि आपने फरमाया कि मेरे बाद तुम में से अगर कोई शख्स किसी मुसीबत में मुब्तिला हो तो उस वक़्त जो मुसीबत मेरी वफात से पहुंची है उसको याद करे क्योंकि उसको मेरी वफात से जो मुसीबत पहुंची है वह सबसे बड़ी मुसीबत है।

इमाम बाकिर^{अ.स.} से मरवी है आपने फरमाया कि जब मुस्लिम किसी मुस्लिम को उस वक़्त ताज़ियत दे जबकि उसके करीब ज़िम्मी (दारुस्सलाम में जज़िया देकर रहने वाला गैर मुस्लिम) मौजूद हो तो :

إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ

इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़े। और मौत व आखिरत वगैरह का तजक़िरा करो। आपने फरमाया कि इसी तरह तुम्हारा कोई ज़िम्मी पड़ोसी किसी मुसीबत में मुब्तिला हो जाए तो उसके नज़दीक भी यही कहो और अगर वह ज़िम्मी (गैर मुस्लिम) तुम को किसी मय्यत की ताज़ियत दे तो उसको हदाकल्लाह (खुदा तुझे हिदायत दे) कहो।

हज़रत अली^{अ.स.} से रिवायत है आपने फरमाया कि जब रसूले अकरम^{स.अ.व.} के फरजंद जनाब इब्राहीम^{र.अ.} का विसाल हो गया तो आंहज़रत^{स.अ.व.} ने मुझे गुस्ल व कफन का हुक्म दिया। पस मैंने उनको नहलाया और आंहज़रत^{स.अ.व.} ने उनको कफन पहनाया और हुनूत (खुशबू) लगाया। उसके बाद आपने फरमाया कि ए अली! मैयत को उठा कर ले चलो। पस मैं जन्नतुल बक़ीअ की तरफ ले आया और आंहज़रत^{स.अ.व.} ने नमाज़े जनाज़ा पढ़ाई फिर आपने जनाज़े को क़ब्र से नज़दीक किया और मुझसे फरमाया कि ए अली! तुम क़ब्र में उतरो जब मैं क़ब्र में उतरा तो आपने जनाज़े को क़ब्र में झुका दिया जब आपने जनाज़े को क़ब्र में उतरते देखा तो आप रो पड़े और तमाम मुसलमान रसूलुल्लाह^{स.अ.व.} को देख कर रोने लगे हत्ता कि मर्दों की आवाज़ औरतो की आवाज़ से भी बुलंद हो गई। उस वक़्त रसूलुल्लाह^{स.अ.व.} ने उनको सख़्ती के

साथ रोने से मना फरमाया और कहा कि आंखे आंसू बहाए और दिल रंजीदा व मगमूम हो लेकिन ऐसी बात हम न कहें जिससे परवरदिगार नाखुश हो, ए इब्राहीम हम तुम्हारी वफात से मुसीबत में पड़ गए और हम तुम पर ग़म व मलाल करते हैं। फिर आपने क़ब्र को बराबर कर दिया और अपना हाथ सिरहाने रख कर अंगूठे को अंदर धंसा दिया और यह दुआ पढ़ी :

بِسْمِ اللَّهِ خَتَمْتُكَ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ أَنْ يَدْخُلَكَ

बिसमिल्लाहि ख़तमतुक: मिनश शैतानि रजीम अन्य यद खुलक: तर्जुमा : खुदा के नाम से मैंने इस बात की मोहर लगा दी है कि शैतान तुम्हारे पास दाखिल न हो। आपने बाकी हदीस तफसील के साथ बयान की थी जिसे हमने हज़फ कर दिया (छोड़ दिया) है।

इमाम जअफरुस्सादिक^{अ.स.} से रिवायत है आपने फरमाया कि जब आंहज़रत^{स.अ.व.} पर नजअ (आखिरी वक़्त) का वक़्त आया आप पर ग़शी तारी हो गई। उस वक़्त जनाबे फातिमा ज़ेहरा^{अ.स.} रोने लगी। जब आपको होश आया तो उस वक़्त जिगर—गोशा—ए—रसूल अपनी ज़बान अक्दस से यह फरमा रही थी कि ए रसूलुल्लाह^{स.अ.व.} आपके बाद हमारा कौन पुरसाने हाल होगा? आंहज़रत^{स.अ.व.} ने फरमाया कि कसम बखुदा मेरे बाद तुम लोगो को कमज़ोर व नातवां समझा जाएगा।

अमीरुल मुअमिनीन^{अ.स.} से मनकूल है आपने फरमाया कि एक मर्तबा आंहज़रत^{स.अ.व.} अपने किसी फरजंद के इन्तिक़ाल पर रो पड़े, लोगो न अर्ज़ किया कि ए रसूले खुदा^{स.अ.व.} आप खुद रो रहे हैं हालांकि आप हमको रोने से मना करते हैं? आंहज़रत^{स.अ.व.} ने फरमाया कि मैंने तुमको रोने से कभी मना नहीं किया है मैंने तो तुमको सर पीटने और वावेलाल करने से मना किया है यह रोना तो एक किस्म की रिक्कत और रहमत है। खुदा वंदे तबारकल्लाहो व तआला जिसके दिल में चाहता है पैदा कर देता है और खुदा जिस बंदे पर चाहता है रहम करता है और यकीन रखो कि खुदा सिर्फ अपने नर्म दिल और रहीम बंदो पर ही रहम करता है।

अमीरुल मुअमिनीन^{अ.स.} से रिवायत है कि आंहज़रत^{स.अ.व.} ने मुसीबत के वक़्त रोने की रूखसत दी है और यह इरशाद फरमाया है कि जान को मुसीबत पहुंचती है और आंख से आंसू बहते हैं वादे की घड़ी करीब है पस तुम अपने मुंह से ऐसी बात कहो जिससे खुदा खुश हो और बेहूदा कलिमात

मुंह से न निकालो अमीरूल मुअमिनीन^{अ.स.} ने फरमाया है कि आह का नारा मारना और नाक से खर्राटे भरना शैतान का काम है।

जनाबे अमीरूल मुअमिनीन^{अ.स.} से मनकूल है कि एक मर्तबा आंहज़रत^{स.अ.व.} की खिदमत मे अर्ज़ किया गया कि ए रसूले खुदा^{स.अ.व.} अब्दुल्लाह बिन रवाहा बीमारी की वज़ह से गिरांबार हो चले हैं। आप उठे और हम भी आपके साथ उठ पड़े यहा तक की हम और आप अब्दुल्लाह बिन रवाहा के पास गये। आंहज़रत^{स.अ.व.} ने उनको बेहोशी के आलम में पाया वह कुछ समझ न सकते थे। औरतें रो कर शोर कर रही थी आंहज़रत^{स.अ.व.} ने उनको तीन मर्तबा आवाज़ दी उन्होने कोई जवाब न दिया तो आपने यह दुआ की :

اَللّٰهُمَّ عَبْدُكَ اِنْ كَانَ قَدْ قَضٰى اَجَلَهُ، وَرِزْقَهُ، وَآثَرَهُ، فَالِىْ جَنَّتِكَ وَرَحْمَتِكَ وَاِنْ لَّمْ يَقْضِ اَجَلَهُ، وَرِزْقَهُ، وَآثَرَهُ، فَعَجِّلْ شِفَاةً وَعَافِيَةً،

अल्लाहुम्म: अब्दुक: इन कान: कद कज़ा अजलहू व रिज़कहू व असरहु फ इला जन्नतिक: व रहमतिक: व इन लम यकज़ि अजलहू व रिज़कहू व असरहु फअज्जिल शिफाअत: व आफियतहू तर्जुमा: बारे इलाहा! अगर तेरे इस बन्दे की मौत का वक़्त आ चुका है और आबो दाना उठ चुका है तो तु इसको अपनी जन्नत और साया ए रहमत की तरफ ले जा और अगर मौत का वक़्त नहीं हुआ है और न इसका आबोदाना दुनिया से उठा है तो फिर उसको जल्द शिफा अता कर दे। उस वक़्त किसी ने अर्ज़ किया की ए रसूले खुदा^{स.अ.व.} अब्दुल्लाह बिन रवाहा के लिये यह बड़े ताअज्जुब की बात है कि इन्होने अकसर ज़िहाद में बगरज़ शहादत अपने को पेश किया था मगर उनको शहादत का दर्जा नसीब न हुआ। और आज वह आपने बिस्तर पर इन्तिकाल कर रहे हैं आंहज़रत^{स.अ.व.} ने फरमाया कि मेरी उम्मत में कौन लोग शहीद है? लोगो ने अर्ज़ किया कि ए रसूले खुदा^{स.अ.व.} शहीद तो वह है जो मैदाने जंग में बगैर पीठ दिखाए क़त्ल हो जाएं। आपने फरमाया कि फिर तो मेरी उम्मत के शहीद बहुत थोड़े हैं। यकीनन शहीद तो वही है जिसका तुमने तज़क़िरा किया है लेकिन शहीद वह भी है जो प्लेग में मरा हो। और शहीद वह भी है जो कौलंज यानि दर्दे शिकम (पेट दर्द) में मुब्तिला होकर मर जाए। और शहीद वह भी है जो दीवार में दब कर मर जाए और शहीद वह भी है जो पानी में डूब कर मर जाए और वह औरत भी शहीद है जिसके पेट में बच्चा मर गया और वह उसकी वज़ह से खुद भी मर गई हो। और वह

औरत भी शहीद है जो कुवारी इन्तिकाल कर गई है। लोगो ने अर्ज किया कि ए रसूले खुदा^{स.अ.व.} कोई औरत अपने बच्चे के मर जाने की वजह से कैसे इन्तिकाल कर सकती है? आपने फरमाया कि जब बच्चा पेट में टेढ़ा हो जाता है तो वह औरत मर सकती है। उसके बाद आंहज़रत^{स.अ.व.} वहां से चले आए इतने में अब्दुल्लाह बिन रवाहा को जब कुछ इफाका (आराम) हुआ तो आंहज़रत^{स.अ.व.} को खबर दी गई आप फिर ठहर गए और आपने अब्दुल्लाह बिन रवाहा से फरमाया कि अब्दुल्लाह अभी अभी जो कुछ तुमने देखा है बयान करो। क्योंकि तुमने बड़े अज़ाइब देखे हैं अब्दुल्लाह बिन रवाहा ने कहा कि ए रसूले खुदा^{स.अ.व.} मैंने एक ऐसा फरिश्ता देखा था जिसके हाथ में लोहे की एक क़मची थी जिसमें से शोले भड़क रहे थे। जब जब चीखने वाली चीख कर “या जुब्ला” कहती तो वह फरिश्ता क़मची से मेरे सिर की तरफ इशारा करता और कहता कि तु ही इसका आसरा है मैं कहता कि नहीं बल्कि अल्लाह तआला है पस वह क़मची को हटा देता और चीखने वाली चीख कर “या गिरा” कहती तो वह फरिश्ता मेरे सिर की तरफ इशारा करता और कहता कि तु ही इसको इज़्ज़त देने वाला है मैं कहता कि नहीं बल्कि अल्लाह तआला इज़्ज़त देने वाला है पस वह फरिश्ता क़मची को हटा देता। आंहज़रत^{स.अ.व.} ने फरमाया कि अब्दुल्लाह ने सच कहा है ए लोगो तुम्हारे उन मुर्दों का क्या हाल होगा जो तुम्हारे जिंदा लोगो के अक़वाल से हैबत (खौफ) में मुब्तिला किए जाते हैं।

इमाम जअफररुस्सादिक^{अ.स.} से मनकूल है कि आपने अपनी वफात के वक़्त यह फरमाया कि मेरे इन्तिकाल के बाद रूख़सारो पर तमाचा न मारा जाए और न गिरेबान चाक किया जाए अगर कोई औरत अपना गिरेबान फाड़ेगी तो जहन्नुम में उसके लिए एक खड़्ग तैयार किया जाएगा वह जितना ज़्यादा गिरेबान चाक करेगी उतना ही ज़्यादा बड़ा खड़्ग खोदा जाएगा।

हज़रत अली^{अ.स.} से मनकूल है आपने फरमाया आंहज़रत^{स.अ.व.} ने औरतों से यह बैअत ली थी कि वह हरगिज़ हरगिज़ नोहा न करेगी और न अपने रूख़सारो को नोचेंगी और न खलवत में नामेहरमो के साथ बैठेगी और आंहज़रत^{स.अ.व.} ने यह भी फरमाया था कि ज़माना जाहिलियत के यह तीन काम क़यामत तक बाक़ी रहेंगे।

1.सितारो से पानी मांगना 2.और नसब (बाप-दादा का खानदान) में तानाज़नी करना 3. और मुर्दों पर नोहा करना।

हज़रत अली^{अ.स.} से रिवायत है कि आपने रिफाआ बिन शद्दाद को जो शहरे एहवाज़ में आपके काज़ी थे उनको एक खत में यह लिखा की ए रफाआ खबरदार तुम जिस शहर के भी सुलतान हो वहां किसी मैयत पर नोहा न होना चाहिए।

हज़रत अली^{अ.स.} से मरवी है कि आपने फरमाया दो आवाज़े मलउन हैं उनसे खुदा बुगज़ व अदावत रखता है। मुसीबत के वक़्त वावेला करना और खुदा जब नेअमतों से नवाज़े तो उस वक़्त नाच गाने में मशगूल हो जाना।

इमाम जअफरुस्सादिक^{अ.स.} से मरवी है आपने फरमाया कि इमाम हुसैन^{अ.स.} पर पूरे एक साल तक शब व रोज़ मातम किया गया था और जिस दिन से आप मुब्तिला, मसाइब हुए थे उस दिन से तीन साल तक आप^{अ.स.} पर गिरिया व नोहा किया गया था। उस मज़लिस—ए—गिरिया—नोहा में हज़रत मुसव्वर बिन मुखदमा और हज़रत अबू हुरेरा अकाबिर सहाबा रिसालत मआब^{स.अ.व.} मखफ़ी तौर से अपने चेहरो को ढांके हुए आये थे। और अगर यह नोहा की आवाज़ सुनकर वह असहाबे रसूल रोए थे। हमने यह देखा है कि बाअज़ अइम्मा अतहार पर नोहा किया गया है और बअज़ पर नहीं किया गया है पस जिन पर गिरिया व नोहा किया गया था उनकी अज़ीम मुसीबत की वजह से किया गया था। क्योंकि अल्लाह तआला ने अपनी मखलूक में से किसी शख्स को उनका हमपल्लह नहीं बनाया है इसलिये और लोगो से अइम्मत ताहिरीन^{अ.स.} इसके ज़्यादा मुस्तहिक है कि उन पर गिरिया व नोहा किया जाए और जिन अइम्मत ताहिरीन^{अ.स.} पर गिरिया व नोहा नहीं किया गया तो उसकी दो वजह है या तो उन्होने गिरिया व नोहा न करने की वसीयत की थी जैसा कि इमाम जअफरुस्सादिक^{अ.स.} ने बारगहे इलाही में इज़हारे तवाज़ो और इनकिसारी के लिये ऐसा किया था या तो फिर आने वाले इमाम ने इन्तिकाल कर जाने वाले इमाम की अज़ीम मुसीबत पर सब्र को तरजीह दी होगी। और सवाबे अज़ीम के हिस्सों की खातिर हुज़्न व मलाल के कडवे घुंठ पी लिये होंगे और सब्र पर खुद लाज़िम रहें और दुसरो को सब्र करने का हुक्म दिया ताकि आकिबत में सआदत व सुरूर नसीब हो जैसा की परवरदिगारे आलम ने मसाइब पर सब्र करने वालो से वादा फरमाया है। हमने जैसा कि उसका थोड़ा सा ज़िक्र इस बाब में कर दिया है।

मैयत को गुस्ल देने का बयान

इमाम जअफरुस्सादिक^{अ.स.} और आपके पिदर बुर्जुगवार इमाम बाकिर^{अ.स.} और आपके आबा ए किराम और हज़रत अली^{अ.स.} से मनकूल है आपने फरमाया कि आंहज़रत^{स.अ.व.} ने मुझको यह वसीयत की थी कि मैं आपके गुस्ल की तवल्ली करूँ। पस आप ही ने रसूलुल्लाह^{स.अ.व.} को गुस्ल दिया था हज़रत अमीरुल मुअमिनीन^{अ.स.} गुस्ल रसूलुल्लाह की कैफियत बयान करते हुए फरमाते हैं कि जब आंहज़रत^{स.अ.व.} को गुस्ल देने लगा तो मैंने बैतुशरफ के एक जानिब से किसी कहने वाले को यह कहते हुए सुना कि ए अली^{अ.स.} आंहज़रत^{स.अ.व.} के जिस्मे अतहर से कमीज़ न उतारो पस मैंने आपको कमीज़ के साथ गुस्ल दिया। और जब मैं गुस्ल दे रहा था तो मैंने अपने हाथ के साथ एक और हाथ को महसूस किया जो आपके जिस्म मुबारक पर आ जा रहा था। और जब मैंने आपको पलटाया तो उसमें मेरी मदद की गई। और जब मैंने आपको मुंह के बल लिटाना चाहा ताकि आपके पुश्त मुबारक को गुस्ल दुं उस वक़्त आवाज़ आई कि ए अली मुंह के बल न लिटाओ। पस मैंने आंहज़रत^{स.अ.व.} को पहलु पर लिटा कर पुश्त मुबारक को गुस्ल दिया हज़रत अमीरुल मुअमिनीन^{अ.स.} फरमाते हैं कि जब आंहज़रत^{स.अ.व.} ने मुझे इस अम्र की वसीयत फरमाई कि मैं आपको गुस्ल दुं और मेरे साथ कोई दुसरा गुस्ल न दे तो मैंने उस वक़्त रसूले अकरम^{स.अ.व.} की खिदमत में अर्ज़ किया कि ए रसूले खुदा^{स.अ.व.} आपका जिस्म मुबारक भारी है मैं आपको तन्हा नहीं उलट सकता हूं आंहज़रत^{स.अ.व.} ने फरमाया कि जिब्राईल^{अ.स.} आपके साथ मेरे गुस्ल में शरीक होंगे मैंने अर्ज़ किया की मुझको पानी कौन देगा? आपने फरमाया कि फज़ल (इब्ने अब्बास) तुमको पानी देंगे लेकिन तुम उनसे इतना ज़रूर कह देना कि वह अपनी दोनों आंखों पर पट्टी बांध ले। क्योंकि तुम्हारे सिवा जो भी मेरे सतर की तरफ देखेगा वह अंधा हो जायेगा।

इमाम बाकिर^{अ.स.} से रिवायत है उन्होंने कहा कि फज़ल (इब्ने अब्बास) आंखों पर पट्टी बांधे अमीरुल मुअमिनीन^{अ.स.} को पानी देते थे और अली^{अ.स.} व जिब्राईल^{अ.स.} दोनों ही रिसालते मआब^{स.अ.व.} को गुस्ल दे रहे थे।

इमाम बाकिर^{अ.स.} फरमाते हैं कि हज़रत अली^{अ.स.} ने आंहज़रत^{स.अ.व.} को तीन मर्तबा गुस्ल दिया था। एक गुस्ल हर्ज (बैर) के पानी से (हर्ज अश्नान घास को कहते हैं अरब जिससे खाने के बाद हाथ धोते हैं) और दूसरा गुस्ल

जो खुशबूदार काफूर मिले हुए पानी से और तीसरा गुस्ल सादे और साफ पानी से। और यह आखिरी गुस्ल था।

अमीरुल मुअमिनीन^{अ.स.} से रिवायत है कि आंहजरत^{स.अव.} ने फरमाया कि वह बंदा मुअमिन जिसने अपने किसी मुस्लिम भाई को बगैर किसी कराहियत के गुस्ल दिया और उसकी शर्मगाह पर नज़र न डाली और न उसकी किसी बुराई का ज़िक्र किया और उसके जनाजे के साथ चला और उस पर नमाज़ पढ़ी और फिर बैठकर उसको कब्र में छुपा दिया ऐसा मुसलमान बंदा जब वहां से चलेगा तो वह गुनाहो से खाली होगा।

इमाम जअफरुस्सादिक^{अ.स.} फरमाते हैं कि जनाबतदार व हैज़दार औरत दोनो किसी भी मय्यत को गुस्ल न दे। इमाम बाकिर^{अ.स.} से मरवी है आपने फरमाया कि हज़रत अली^{अ.स.} ने जनाब फातिमा ज़ेहरा^{अ.स.} की वसीयत के मुताबिक आपको गुस्ल दिया था और अमीरुल मुअमिनीन^{अ.स.} से यह रिवायत है कि जनाबे फातिमा ज़ेहरा^{अ.स.} ने उनको इस बात की वसीयत की थी कि उनको मेरे सिवा कोई और गुस्ल न दे असमा बिनते उमेस मुझ पर पानी डाले।

इमाम जअफरुस्सादिक^{अ.स.} से मनकूल है कि आपसे पुछा गया कि क्या कोई मर्द अपनी औरत को गुस्ल दे सकता है ? आपने फरमाया की इसमें कोई हज़्र नहीं है। अलबत्ता कपड़ों के उपर से गुस्ल दे और आपने यह भी फरमाया कि जब किसी औरत का शौहर इन्तिकाल कर जाये तो वह उसको गुस्ल दे मगर क़सदन उसकी शर्मगाह को न देखे। इमाम जअफरुस्सादिक^{अ.स.} से रिवायत है कि जब इमाम जैनुलआबिदीन^{अ.स.} का इन्तिकाल हो गया तो उस वक़्त मेरे पिदर बुर्जुगवार इमाम बाकिर^{अ.स.} ने फरमाया कि मैं जब आपकी ज़िंदगी में आपकी शर्मगाह की तरफ नज़र उठा कर देखना नापसंद करता था तो अब आपके इन्तिकाल के बाद किस तरह मैं इसकी तरफ नज़र उठा कर देख सकता हूँ? पस आपने कपड़े के नीचे हाथ डालकर आपको गुस्ल दिया। और आपकी उम्मे वलद को बुलाया उन्होने अभी आपके हाथ के साथ अपना हाथ शरीक कर दिया और आपको गुस्ल दिया। इमाम जअफरुस्सादिक^{अ.स.} फरमाते हैं कि उसी तरह से मैंने भी अपने पिदर बुर्जुगवार बाकिर^{अ.स.} को गुस्ल दिया था।

इमाम जअफरुस्सादिक^{अ.स.} से मनकूल है आपने फरमाया कि अगर औरतो के दरमियान कोई ऐसा शख्स इन्तिकाल कर जाये जिसको उनसे कोई मेहरम न हो और उसी तरह कोई ऐसी औरत ऐसे मर्दों के दरमियान

इन्तिकाल कर जाये जिनसे उसको कोई मेहरम न हो और उस वक्त कोई ऐसा शख्स मौजूद न हो जो उनको गुस्ल दे सके तो आपने फरमाया कि उन दोनो को बगैर गुस्ल के दफन कर दिया जाये। गोया आपकी यह राय हुई कि गुस्ल तो वाजिब था लेकिन जब गुस्ल का इमकान गैर वाजिब के जरिए से हो तो उस सूरत मे अज़ खूद वाजिब साक़ित हो गया। आपने फरमाया कि शहीद जो अपनी जगह पर ही क़त्ल कर दिया गया तो उसको उसके कपड़ों में ही दफन कर दिया जाये और गुस्ल न दिया जाये लेकिन अगर थोड़ी सी जान बाकी रही हो और उसको शहादत गाह से मुनतक़िल कर दिया गया फिर वह इन्तिकाल कर गया तो उसको गुस्ल दिया जाए और कफन पहनाया जाए फिर दफन किया जाए। आपने फरमाया कि रसूले खुदा^{स.अ.व.} ने हज़रत हमज़ा^{अ.स.} को आपके कपड़ो में ही दफन किया था। और एक चादर का इज़ाफा किया था।

हज़रत अली^{अ.स.} से मरवी है आपने फरमाया कि जंगे बद्र में जो मुसलमान शहीद हुए है आंहज़रत^{स.अ.व.} ने उनके जिस्मों से जुब्बों को उतार लिया था और उनको उन्ही कपड़ों में दफन कर दिया था और उन पर नमाज़ पढ़ी थी। और अमीरुल मुअमिनीन^{अ.स.} ने फरमाया है कि शहीद के जिस्म से जुब्बा जुता टोपी और अमामा कमरबंद और इज़ार उतार दी जाए बशर्ते कि उन पर खून न लगा हो और अगर खून लगा हो तो न उतारा जाए। अगर गिराह हो तो उसको खोल दिया जाए।

इमाम बाकिर^{अ.स.} से मरवी है आपने फरमाया कि वह शख्स जो डूब कर मर गया हो उसको गुस्ल दिया जाए। और हज़रत अली^{अ.स.} से रिवायत है आपने फरमाया कि वह शख्स जो जल कर मर गया जब उसको गुस्ल दिया जाए तो उपर से सिर्फ़ पानी उन्डेल दिया जाए अमीरुल मुअमिनीन^{अ.स.} से रिवायत है कि आंहज़रत^{स.अ.व.} ने फरमाया है कि अगर कोई शख्स डूब कर मर जाए तो उसको एक दिन और एक रात रख कर दफन किया जाए।

इमाम बाकिर^{अ.स.} से रिवायत है आपने फरमाया कि वह शख्स जिस पर बिजली गिर पड़ी हो उसको तीन दिन से पहले दफन न किया जाए मगर यह कि उसकी मौत का पूरा यकीन हो चुका हो और मौत के आसार वाज़ेह हों तो फिर दफन कर दिया जाए।

अमीरुल मुअमिनीन^{अ.स.} से रिवायत है कि आंहज़रत^{स.अ.व.} ने फरमाया है कि अगर कोई शख्स दिन के अब्बल हिस्से मे इन्तिकाल कर जाए तो उसको कयलूला (दोपहर में आराम का वक्त) उसकी क़ब्र में होना चाहिये

और अगर दिन के आखिरी हिस्से में इन्तिकाल कर जाए तो उसकी रात क़ब्र में होनी चाहिये। इमाम जअफरुस्सादिक^{अ.स.} से मरवी है आपने फरमाया कि अगर कोई शख्स जनाबत की हालत में इन्तिकाल कर जाए तो उसको एक ही गुस्ल काफी है और हाइज़ (हैज़ वाली औरत) के लिये भी एक ही गुस्ल काफी है।

इमाम जअफरुस्सादिक^{अ.स.} से मनकूल है आपने फरमाया कि मैयत को तीन मर्तबा गुस्ल देना चाहिये। एक गुस्ल तो पानी और बैर के पत्तों से गुस्ल दिया जाए और दूसरा गुस्ल काफ़ुर के पानी से दिया जाए और तीसरा गुस्ल सादे पानी से दिया जाए और हर गुस्ल जनाबत के गुस्ल की तरह होना चाहिये। पहले मैयत को उसी तरह वुजू कराया जाये जिस तरह नमाज़ के लिये वुजू किया जाता है। फिर मैयत के सारे बदन पर हाथ फिराया जाए। और उसको पहलू पर लिटाया जाए मगर बैठाया न जाए और न मुंह के बल गिराया जाए क्योंकि अगर मैयत को बिठाया गया तो उसकी कमर टूट जाएगी। इसलिये मैयत को पहलू पर लिटा कर उसकी पीठ को धोना चाहिए। और इसी हाल में सारे बदन पर हाथ फिराना चाहिये। ठीक उसी तरह जिस तरह कि एक जनाबतदार शख्स अपने सारे जिस्म पर हाथ फिराता है। आपने फरमाया कि जब मैयत को गुस्ल दिया जाए तो उसके गुटनें से नाफ तक एक कपड़ा डाल दिया जाये और उसके नीचे से पानी डाला जाये और गुस्ल देने वाला अपने हाथ में एक कपड़ा लपेट कर उसको इज़ार के नीचे दाखिल करे। और उसकी फरज या शर्मगाह को जो इज़ार के नीचे है धोए, आपने यह भी फरमाया है कि अगर मैयत के बदन से बाल, गोश्त, व हड्डी वगैरह कुछ भी निकल जाए तो उसको उसके कफन में रख कर दफन कर देना चाहिये।

हुनुत और कफन का बयान

इमाम जअफरुस्सादिक^{अ.स.} से मनकूल है आपने फरमाया है कि जब मैयत को गुस्ल देने वाला गुस्ल से फारिग हो जाए तो उसको एक कपड़े से पोंछे और उसके सूजुद के आज़ा यानि पेशानी, नाक दोनों हाथ, दोनों गुटनें और दोनों पैरों पर काफ़ुर और हुनुत लगाए और उसमें से कुछ आंख कान मुंह दाढ़ी और सीने पर लगा दे। औरत और मर्द दोनों का हुनुत एक

सा है।

इमाम जअफरुस्सादिक^{अ.स.} और आपके पिदर बुर्जुगवार इमाम बाकिर^{अ.स.} और आपके आबा ए किराम और हज़रत अली^{अ.स.} से मनकूल है कि आप हुनुत में मुश्क की आमज़श (दोनो को मिलाकर) में कोई हर्ज़ न समझते थे और आपने यह भी फरमाया है कि किसी मैयत को ज़ाफरान और वरक (एक किस्म की गास तिल के मानिंद है जिससे रंगाई का काम लेते हैं) से हुनुत न लगाए। आप मैयत को धुनी देने में भी कोई हर्ज़ न समझते थे। और मैयत के कफन को और उस जगह को जहां उसको गुस्ल व कफन दिया जाए धुनी देनी चाहिये।

इमाम जअफरुस्सादिक^{अ.स.} से मनकूल है कि आप मैयत के पीछे पीछे धुनी लेकर चलने को मकरुह समझते थे। अलबत्ता कफन को धुनी देनी चाहिये।

इमाम बाकिर^{अ.स.} से मरवी है आपसे उस शख्स के मुताल्लिक पुछा गया जो एहराम बांधे हुए इन्तिकाल कर गया आपने फरमाया कि उसके खुले हुए सर को ढांक दिया जाए और उसके साथ वह तमाम अमल किया जाए जो एक बगैर एहराम की मैयत के साथ किया जाता है। मगर खुशबू को उसके करीब न किया जाए।

हज़रत अली^{अ.स.} से मनकूल है कि आपने आंहज़रत^{स.अ.व.} को तीन कपड़े मे कफन दिया था कस्बा अमान (अमान नाम का गांव) के बने हुए दो कपड़े और एक यमनी चादर एक इज़ार और एक अमामा पहनाया था।

इमाम जअफरुस्सादिक^{अ.स.} से मनकूल है आपने फरमाया कि मैयत को तीन कफन ही देना बेहतर है। एक बगैर सिला हुआ कुरता और एक चादर और एक तेहबंद, सादिक^{अ.स.} आले मोहम्मद^{अ.स.} फरमाते हैं कि मेरे पिदर बुर्जुगवार इमाम बाकिर^{अ.स.} ने मुझे यह वसीयत की थी कि मैं उनको तीन कपड़ों में कफन दूं। एक तो उस चादर में जिसमे आप जुमआ की नमाज़ पढ़ा करते थे और एक कमीज़ और एक दुसरा कपड़ा।

इमाम बाकिर^{अ.स.} से मरवी है आपने फरमाया कि मैयत को तेहबंद और अमामा पहनाना ज़रूरी है लेकिन उन दोनों को कफन में शुमार न किया जाए। और मैयत को तीन कफन पहनाना मुस्तहिब है इसमें कोई चीज़ मखसूस और फर्ज़ नहीं है।

इमाम जअफरुस्सादिक^{अ.स.} से मनकूल है कि एक मर्तबा एक शख्स जो मैयतों को गुस्ल देता था। उसने आप से पुछा कि मैयत को किस तरह

अमामा पहनाया जाए आपने फरमाया कि देहाती के अमामा की तरह से मैयत को अमामा पहनाओ। लेकिन इस तरह से पहनाओ। तुम अमामा को दरमियान से पकड़कर मैयत के सर पर फैला दो और मैयत की दाढ़ी के नीचे से उसको निकाल कर अमामा पहनाओ और अमामा के दोनों किनारों को मैयत के सीने पर डाल दो और उसकी दोनों कोख पर तहेबंद के मानिन्द एक कपड़ा बांध लो। उसको हल्के हाथ से बांधो। और मक़अद (ढुंगा) के नीचे रूई रख दो ताकि उसमें से कोई चीज़ बाहर न निकले और अमामा व कोख से बंधा हुआ कपड़ा कफन में दाखिल नहीं हैं कफन तो वही है जिसमें मैयत के जिस्म को कफनाया गया।

हज़रत अली^{अ.स.} से मनकूल है कि आहज़रत^{स.अ.व.} ने मैयत को रेशमी कपड़े में कफनाने से मना फरमाया है।

इमाम जअफरुस्सादिक^{अ.स.} से मनकूल है आपने फरमाया कि मैयत की मक़अद पर रूई रखा करो ताकि उसमें से कोई चीज़ बाहर न आये। फरज और दोनों पैरों पर भी रूई रखी जाय और मैयत औरत हो तो उसके सिर पर एक औढ़नी ओढ़ाई जाये। और मर्द हो तो उसके सर पर अमामा बांधा जाए। अइम्मत ताहिरीन^{अ.स.} ने ऐसे कपड़ों में भी मैयत को कफन देने की रूख़सत दी है जिनमें कोई तगय्यर (बदलाव) मौजूद न हो और हज़रत अली^{अ.स.} से मरवी है कि आहज़रत^{स.अ.व.} ने हज़रत हमज़ा^{अ.स.} को ऊन की सियाह व धारीदार चादर में कफनाया था।

इमाम हुसैन^{अ.स.} से मरवी है कि आपने उसामा बिन जैद को सुर्ख चादर में कफन दिया था और हज़रत अली^{अ.स.} से रिवायत है कि आपने फरमाया कि मैयत के माल में से सबसे पहले कफन खरीदा जाए, फिर कर्ज़ अदा किया जाए। फिर उसकी वसीयत पूरी की जाए उसके बाद विरासत तक़सीम की जाए।

जनाज़ा उठाने का बयान

इमाम जअफरुस्सादिक^{अ.स.} और आपके पिदर बुर्जुगवार और आपके आबा ए किराम से मरवी है कि रसूले अकरम^{स.अ.व.} ने जनाब फातिमा ज़ेहरा^{अ.स.} से सरगोशी के अंदाज़ में कहा कि मेरे एहले बैत में से तुम सबसे पहले मुझे मिलोगी। जब आहज़रत^{स.अ.व.} का इन्तिक़ाल हो गया और लोग मुब्तिला—ए—ग़म

हो गए और सैयदा—आलम फातिमतुज्जेहरा^{अ.स.} बिस्तर से लग गई उनका जिस्म नहीफ व ज़ार(बहुत ज़्यादा दुबला) हो गया और आप मानिन्दे साया के हो गई और रसूलुल्लाह^{स.अ.व.} की वफात के बाद आप सिर्फ सित्तर दिन तक जिंदा रही जब इन्तिकाल का वक़्त करीब हुआ तो उन्होंने उम्मुल मुअमिनीन असमा बिन्ते उमेस^{र.अ.} से कहा कि मैं मर्दों के कंधों पर मकशूफ (ज़ाहिर) हालत में किस तरह उठाई जाऊँगी। मेरा ख़याल तो इस वक़्त यह है कि जिस्म पर सिर्फ़ खाल बाकी रह गई है जब मैं जनाज़ा में रख कर उठाई जाऊँगी तो किस तरह से लोग मेरे जुस्सा (जिस्म) को देखेंगे? उम्मे मुअमिनीन^{अ.स.} असमा बिन्ते उमेस ने कहा कि ए जिगर गौश—ए—रसूल अगर तुम पर क़ज़ा ए इलाही सादिर हो गई तो मैं तुम्हारे लिये एक ऐसी चीज़ बनाउंगी जिसे मैंने शहरे हब्शा मे देखी थी हज़रत फातिमतुज्जेहरा^{अ.स.} ने फरमाया कि वह क्या है? जनाब असमा बिन्ते उमेस ने कहा कि वह नअश (ताबूत) है जिसे जनाज़े के उपर रख कर मैयत को ढ़ांप दिया जाता है। पस जनाज़ा की कोई चीज़ नज़र नही आएगी। जिगर गोश—ए—रसूल^{अ.स.} ने कहा की मेरे लिये भी नअश (ताबूत) ही बनवा देना। जब आपका इन्तिकाल हो गया तो असमा बिन्ते उमेस ने उनके लिए नअश (ताबूत) बनाया था। पस यह पहला ताबूत था जो इस्लाम मे उठाया गया था।

हज़रत अली^{अ.स.} से मनकूल है कि आंहज़रत^{स.अ.व.} ने नअश पर हुनुत लगाने से मनाअ फरमाया है। आपने एक मर्तबा एक ऐसे ताबूत को देखा जिसको रंग बिरंगे के दुपट्टों से आरास्ता किया गया था। आपने उनको उतारने का हुक्म दिया था हज़रत अली^{अ.स.} से मनकूल है आप फरमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह^{स.अ.व.} को यह कहते हुए सुना है कि आखिरत का पहला अदल क़ब्रें है क्योंकि उन क़ब्रों में सोने वालों के मुताल्लिक कोई पता नही चलता कि शरीफ कौन है। और रज़ील कौन है। एक मर्तबा आपने एक क़ौम को देखा जिनके पास से जनाज़ा गुज़र रहा था वह लोग अपने अपने पैरो पर खड़े हों गये आपने उनको इशारा किया कि वह बैठ जाए यह हुक्म उन लोगो के लिये है जो जनाज़ा के हमराह चलने का इरादा न रखते हैं। लेकिन जो जनाज़ा के साथ जाने का इरादा रखतें हो तो वह उठ कर जनाज़े के हमराह चलें और जब तक जनाज़ा ज़मीन पर न रखा जाए उस वक़्त तक न बैठें।

इमाम हुसैन^{अ.स.} से मरवी है कि आप एक मर्तबा जनाज़ा के हमराह एक क़ौम के पास से गुज़रे वह लोग उठने लगे आपने उनको मना फरमाया

और चलते रहे जब क़ब्र के पास पहुंचे तो आप वहां रुक गये और हज़रत अबू हुसैना और इब्ने जुबैर के साथ बातचीत करने लगे। यहां तक कि जनाज़ा जमीन पर रखा गया उस वक़्त आप बैठ गये और दूसरे लोग भी बैठ गये।

हज़रत अमीरुल मुअमिनीन^{अ.स.} से मरवी है कि आपने जनाज़ा के मुताल्लिक़ रसूले अकरम^{स.अ.व.} को यह कहते हुए सुना है कि मुझे मालूम नहीं कि इन लोगों में से कौन सबसे बड़ा गुनाहगार है अया वह शख्स जो जनाज़ा के साथ बग़ैर चादर के चलता है या वह शख्स जो यह कहता है कि रहम करो अल्लाह तुम पर रहम करेगा या वह शख्स जो यह कहता है कि मैयत कि लिये मग़फ़िरत तलब करो खुदा तुम्हारी मग़फ़िरत करेगा ?

अमीरुल मुअमिनीन^{अ.स.} से रिवायत है आप अक्सर फरमाया करते थे कि जनाज़े को तैज़ रफ़्तारी से ले जाओ आहिस्ता आहिस्ता न ले जाओ। आप से पुछा गया कि क्या हर उस शख्स को जनाज़े को कंधा देना वाजिब है जो जनाज़ा के साथ साथ है ? आपने फरमाया कि नहीं मगर कंधा देना बेहतर है अगर चाहे तो जनाज़े को पकड़े चाहे तो न पकड़े। आपने सवारी के जानवर पर जनाज़ा उठाने की इजाज़त दी है। ऐसा उस वक़्त किया जाए जब कि कोई जनाज़ा उठाने वाला न हो या कोई उज़र हो मगर सुन्नत और हुक्म यही है की जनाज़ो को लोग ही उठाये आप इसके लिये यह अमल मुस्तहिब समझते थे जो जनाज़े को उठाने में मदद करना चाहता है कि वह बायें जानिब से इब्तिदा करे और जिसके दोनो हाथो में जनाज़ा का पाया हो उससे अपने दायें हाथो में ले ले फिर चारो तरफ चक्कर करे।

अमीरुल मुअमिनीन^{अ.स.} से मरवी है कि आहज़रत^{स.अ.व.} ने फरमाया है कि तुम लोग जनाज़ा के पीछे पीछे चलो ऐसा न हो कि जनाज़ा तुम्हारे पीछे हो और तुम आगे आगे चलो। अहले किताब के बिल्कुल बरअक्स अमल करो। एक शख्स ने अमीरुल मुअमिनीन^{अ.स.} से पुछा कि सुबह कैसी गुज़री आपने फरमाया कि उस शख्स से बेहतर गुज़री जो न किसी जनाज़े के पीछे चला न तो किसी बीमार की इयादत की, आपसे एक मर्तबा अबू सईद अल हज़री^{र.अ.} ने जनाज़े के हमराह चलने की बाबत पुछा कि जनाज़े के आगे चलना अफ़ज़ल है या पीछे? आपने उन से फरमाया कि ए अबू सईद! तुम जैसा इन्सान इस किस्म की बात पुछता है! उन्होने कहा कि हां बख़ुदा मुझ जैसा आदमी इस बारे में पुछता है तो आपने फरमाया कि जनाज़े के पीछे चलने वाले को आगे आगे चलने वाले पर वही फज़ीलत हासिल है जैसा

फर्ज नमाज़ को नफल नमाज़ पर है। अबू सईद^{र.अ.} ने कहा कि यह आप आपनी तरफ से फरमा रहे हैं या इस बारे में आपने खुद रसूले^{स.अ.व.} से भी सुना है। अमीरूल मुअमिनीन^{अ.स.} ने उससे कहा कि मैंने आंहज़रत^{स.अ.व.} को यही कहते हुए सुना है जो मैंने तुमसे अभी कहा है।

हज़रत अली^{अ.स.} हुसूले फज़ल व सवाब की खातिर जनाज़े के पीछे नंगे पांव चला करते थे।

अमीरूल मुअमिनीन^{अ.स.} से रिवायत है कि एक मर्तबा आंहज़रत^{स.अ.व.} एक जनाज़ा के हमराह तशरीफ ले जा रहे थे कि आपकी नज़र एक औरत पर पड़ी जो जनाज़े के पीछे पीछे चली आ रही थी आप ठहर गये और फरमाया कि उस औरत को लौटा दो पस वह लौटा दी गई, आप ठहरे रहे, यहां तक कि आपसे यह कहा गया कि ए रसूले खुदा^{स.अ.व.} वह औरत मदीना की दीवारों में छुप गई है। फिर आप चले।

नमाज़े जनाज़ा का बयान

इमाम जअफरुस्सादिक^{अ.स.} से मनकूल है आपने आंहज़रत^{स.अ.व.} की वफात का तज़क़िरा करते हुए फरमाया कि जब अमीरूल मुअमिनीन^{अ.स.} रिसालत मआब^{स.अ.व.} को गुस्ल व कफन दे चुके तो उस वक़्त अब्बास^{र.अ.} बिन अब्दुल मुत्तलिब आपके पास आये और उनसे यह कहा कि ए अली^{अ.स.} लोग रसूलुल्लाह^{स.अ.व.} पर नमाज़े जनाज़ा पढ़ने के लिये जमा हो गए हैं। और उनकी यह राय है कि आप^{स.अ.व.} को जन्नतुल बकीअ में दफन किया जाए और उनकी यह भी राय है कि उनमें से एक शख्स रसूले खुदा^{स.अ.व.} पर नमाज़े जनाज़ा की इमामत कराए यह सुन कर अमीरूल मुअमिनीन^{अ.स.} ने फरमाया कि ए लोगो! रसूले खुदा^{स.अ.व.} जिंदगी और मौत दोनों हालत में इमाम थे और जो नबी जहां वफात पाता है उसको वही दफन किया जाता है। लोगो ने अर्ज़ किया कि आप की जैसी राय। चुनांचा अमीरूल मुअमिनीन^{अ.स.} बैतुल-शरफ के दरवाज़े पर खड़े हो गये और रसूलुल्लाह^{स.अ.व.} पर नमाज़े जनाज़ा पढ़ी और आप दस दस आदमीयो को आगे करते जो नमाज़ पढ़कर वापस आ जाते।

इमाम बाकिर^{अ.स.} से मरवी है आपने फरमाया कि आफताब के गुरुब और तुलूअ के वक़्त और हर वक़्त में नमाज़े जनाज़ा पढ़ने में कोई हर्ज़ नहीं

है। क्योंकि यह तो महज़ इस्तिग़फ़ार है।

अमीरुल मुअमिनीन^{अ.स.} से रिवायत है कि एक मर्तबा आपको नमाज़े जनाज़ा पढ़ाने के लिये बुलाया गया तो आपने फरमाया कि हम तो नमाज़े जनाज़ा पढ़ते हैं लेकिन दरअसल मैयत का अमल ही उस पर नमाज़ पढ़ता है (यानि मैयत को उसका अमल ही काम आयेगा।)

अमीरुल मुअमिनीन^{अ.स.} से मरवी है आपने फरमाया कि जब मुअमिन पर चालीस मुअमिनीन नमाज़े जनाज़ा पढ़ते हैं और उसके लिये खूब दुआ करते हैं तो उनकी दुआ मैयत के हक़ में मक़बूल होती है आपने फरमाया कि जनाज़ा में खुद सुलतान शरीफ़ हो तो वह मैयत के वली से ज़्यादा नमाज़े जनाज़ा पढ़ाने का हक़दार है।

आपसे पुछा गया कि अगर किसी की बीवी इन्तिक़ाल कर जाये तो क्या वह खुद उस पर नमाज़े जनाज़ा पढ़ाने का हक़दार है।

आपसे पूछा गया कि अगर किसी की बीवी इन्तिक़ाल कर जाये तो क्या वह खुद उस पर नमाज़े जनाज़ा पढ़ा सकता है? आपने फरमाया कि औरत के खानदान वालों को नमाज़े जनाज़ा पढ़ाने का शौहर से ज़्यादा हक़ हासिल है आपने यह भी फरमाया है कि अगर बच्चा विलादत के वक़्त ज़ोर से चिल्लाए और फिर मर जाए तो उस पर नमाज़े जनाज़ा पढ़ना चाहिये।

हज़रत अली^{अ.स.} से मनकूल है कि एक मर्तबा आहज़रत^{स.अ.व.} ने एक ऐसी औरत और उसके बच्चे की नमाज़े जनाज़ा पढ़ाई थी जो ज़ानिया (बदकार) थी और बहालते निफ़ास इन्तिक़ाल कर गई थी। आपने नेक या बद कोई भी मुस्लमान हो उस पर नमाज़े जनाज़ा पढ़ने का हुक्म दिया है। अमीरुल मुअमिनीन^{अ.स.} ने यह भी फरमाया है कि इन्सान की हर उस चीज़ पर नमाज़े जनाज़ा पढ़नी चाहिये जिसके मुताल्लिक़ मालूम हो कि अगर वह इन्सान के जिस्म से अलग हो गई तो वह मर जाएगा। और जब एक वक़्त में कई जनाज़े जमा हो जाते तो आप उन तमाम पर एक ही मर्तबा नमाज़े जनाज़ा पढ़ते थे उस वक़्त मर्दों का जनाज़ा अपने से करीब रखते थे और औरतों का जनाज़ा किब्ला के करीब रखते थे।

हज़रत अली^{अ.स.} से रिवायत है कि आहज़रत^{स.अ.व.} जब किसी मर्द के जनाज़े पर नमाज़ पढ़ाने के लिये खड़े होते तो आप उसकी छाती के मुकाबिल खड़े होते थे और जब जनाज़ा किसी औरत का होता तो आप उसके सर के मुकाबिल खड़े होते थे। इमाम जअफ़रुस्सादिक़^{अ.स.} से मनकूल है कि आपसे ऐसे शख्स के मुताल्लिक़ पुछा गया जो जनाज़े में बग़ैर वुजू

के शरीक हुआ हो और पानी भी न मिलता हो? आपने फरमाया कि अगर नमाज़े जनाज़ा के फौत होने का खतरा हो तो तयम्मुम करके नमाज़े जनाज़ा पढ़े।

इमाम जअफरुस्सादिक^{अ.स.} से मनकूल है कि आप जब जनाज़ा पर तकबीरा बोलते तो अपने दोनों हाथों को उपर उठाते थे और जनाज़ा पर पांच मर्तबा तकबीरा कहते थे। आपसे एक मर्तबा तकबीरा के बारे में पुछा गया तो आपने फरमाया कि जनाज़ा पर पांच मर्तबा तकबीरा कही जाये। यह पांच वक्त की नमाज़ो से एक एक तकबीरा माखूज (लिया गया) है। आपने फरमाया है कि अगर कोई शख्स एक भी तकबीरा में पीछे रह जाये तो वह जनाज़े में शामिल तो हो मगर जब लोग सलाम फ़ैर दे तो अपना बाकी तकबीरा पूरा करे और फिर सलाम फ़ैरे और जब लोगो के साथ शरीक हो तो उस वक्त तकबीरा कहे और उसे अपनी अव्वल नमाज़ तसव्वुर करे।

अहले बैते अतहार^{अ.स.} से युं तो नमाज़े जनाज़ा की बकसरत दुआएं मनकूल हैं जिससे पता चलता है कि कोई दुआ मखसूस नहीं है। हासिल कलाम यह है कि मुसल्ली तकबीरा बोले फिर खुदा जिस हम्द व सना के लायक है हम्द व सना करे। और उसकी ताअज़ीम करे जो ताअज़ीम करने का हक है। फिर तकबीरा बोले और रसूले खुदा^{स.अ.व.} और आपकी आल पर दुरुद भेजे। फिर तकबीरा बोले और अगर मैयत मुअमिन हो तो उसके हक मे दुआ करे उसके बाद फिर तकबीरा बोले और तमाम मुअमिनीन और मुअमिनात के हक में दुआ करे। फिर तकबीरा बोलकर रसुलुल्लाह^{स.अ.व.} और आपकी आल पर दुरुद भेजे अगर हर मर्तबा तकबीरा में हम्द व सना, दुआ व दुरुद भेज सकता हो तो यह करना बेहतर है।

इमाम बाकिर^{अ.स.} से मरवी है आपने फरमाया कि अगर मैयत के बारे में तुमको कोई मालूमात हासिल न हो तो उस वक्त यह दुआ पढ़ो :

اللَّهُمَّ لَا نَعْلَمُ إِلَّا خَيْرًا وَأَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ قَوْلَهُ مَا تَوَلَّى وَاحْشُرْهُ مَعَ مَنْ أَحَبَّ

अल्लाहुम्मः ला नअलमो इल्ला खैरन व अन्तः अअलमो बिही फवल्लिही मा तवल्ला वहशुरहो मअः मन अहब्बः

इमाम जअफरुस्सादिक^{अ.स.} से मनकूल है आपने फरमाया कि अगर मुसत-जअफ (उसको कहते हैं जिसको कमज़ोर समझा जाए) पर नमाज़े जनाज़ा पढ़ी जाए तो उसकी नमाज़ में यह आयत पढ़ी जाए :

رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَّحْمَةً وَعِلْمًا هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ

रब्बना व सिअतः कुल्लः शैइन रहमतन व इल्मन हुवल फोजुल अजीम

एहले बैते अतहार^{अ.स.} ने औलिया अल्लाह के दुश्मन पर नमाज़े जनाज़ा पढ़ने के बारे में फरमाया है कि उसके हक में बददुआ की जाए और दुश्मने अहले बैत के हक में बददुआ करने की बहुत सी किस्में हैं जिससे मालूम होता है कि उनमें कोई बददुआ मखसूस नहीं हैं।

इमाम जअफरुस्सादिक^{अ.स.} से मनकूल है आप बच्चों की नमाज़े जनाज़ा में यह पढ़ते थे :

اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ لِنَاسِلًا وَفَرَطًا وَاجِرًا

अल्लाहुम्मज अलहो लना सलःफन व फरःतन व अजरन आपने यह भी फरमाया है कि जब तुम नमाज़े जनाज़ा से फारिग हों जाओ तो सलाम फेरो।

दफन और कब्र का बयान

इमाम जअफरुस्सादिक^{अ.स.} से और आपके पिदर बुजुर्गवार से और आपके आबा ए किराम और हज़रत अली^{अ.स.} से मनकूल है कि आपने आंहज़रत^{स.अ.व.} के लिये लहद खोदी थी लहद उस जगह को कहते हैं जो कब्र के अन्दर मैयत के लिए किब्ला की दीवार में बनाई जाती है और ज़रीह उस जगह को कहते हैं जो मैयत के लिए कब्र के बीच में खोदी जाती है। इमाम जाअफरुस्सादिक^{अ.स.} से मरवी है कि आपने अपने पिदर बुजुर्गवार इमाम बाकिर^{अ.स.} के लिये बर—बनाए एहतियाज (सावधानी से ज़रूरत मुताबिक) ज़रीह बनाई थी क्योंकि आप जसीम (भारी) थे।

हज़रत अली^{अ.स.} से मनकूल है आपने फरमाया की रसूले खुदा^{स.अ.व.} की कब्र मुबारक में इसलिए घास बिछाई गई थी कि कब्र में तरी और ज़मीन शोरे वाली थी। आपने फरमाया कि अगर मैयत औरत हो तो उसको कब्र में वही उतारे जो उसकी ज़िंदगी में अपनी आंखों से उसको देखता था और वही शख्स दूसरे तमाम शख्सों में उला (बेहतर) है और कि वह उसके पिछले हिस्से को पकड़ कर उतारे। और अगर मैयत मर्द हो तो उसका करीब तरीन रिश्तेदार कब्र में उतारे। यह इसलिए कि उसके अगले हिस्से को पकड़ कर

उतारे। मर्द के लिए मकरूह है कि वह अपने फरज़न्द को खुद कब्र में उतारे, यह इसलिए कि उस पर रिक्कत तारी न हो जाए। अमीरूल मुअमिनीन^{अ.स.} से रिवायत है रसूले खुदा^{स.अ.व.} ने फरमाया कि हर घर का एक दरवाज़ा है पस कब्र का दरवाज़ा मैयत के दोनो पैरो की तरफ है। लिहाज़ा उसी तरफ से कब्र में उतरना और चढ़ना चाहिये।

हज़रत अली^{अ.स.} से रिवायत है कि एक मर्तबा आंहज़रत^{स.अ.व.} एक जनाजे में शरीक हुए आपने लोगो को मैयत को किब्ला की सिम्त रखने का हुक्म दिया और कब्र में उतरने के लिए फरमाया और कहा कि किब्ला रूख होकर मैयत को उतारो और उसको लहद के अंदर रखो इसके बाद आपने फरमाया कि पढ़ो :

عَلَى مِلَّةِ اللَّهِ وَ مِلَّةِ رَسُولِ اللَّهِ

अला मिल्लतिल्लाहि व मिल्लति रसूलिल्लाहि आपने उसमान बिन मज़उन की कब्र पर कपड़ा डालने का हुक्म दिया और कहा कि यह पहली कब्र थी जिस पर कपड़ा डाला गया था।

अमीरूल मुअमिनीन अली^{अ.स.} ने फरमाया कि रसूले अकरम^{स.अ.व.} एक मर्तबा बनी अब्दुल मुत्तलिब में से एक शख्स के जनाजे में शरीक हुए जब लोगो ने मैयत को कब्र में उतारा तो उस वक़्त आप^{स.अ.व.} ने फरमाया कि इसको दाहिने पहलु पर किब्ला की जानिब मुंह करके लहद में रखो। मुंह के बल और सर के बल मैयत को लहद में न रखो फिर आप^{स.अ.व.} ने उस शख्स से फरमाया कि जो कब्र में उतरा था कि तुम अपना हाथ मैयत की नाक पर रखो ताकि तुम पर रोश्न हो जाए कि मैयत किब्ला रूख है फिर आपने लोगो से फरमाया कि अब यह दुआ पढ़ो :

اَللّٰهُمَّ لَقِّنْهُ حُجَّتَهُ وَ صَعِّدْ رُوحَهُ وَ لَقِّنْهُ مِنْكَ رِضْوَانًا

अल्लाहुम्मः लक्किनहो हुज्जःतहू व सअइद रू—हहू व लक्किही मिन्कः रिज़वाना।

अहले बैत अतहार^{अ.स.} से मैयत को कब्र में रखते वक़्त बहुत सी दुआए मनकूल है इससे मालूम होता है इस वक़्त के लिये कोई दुआ मखसूस नहीं है। हज़रत अली^{अ.स.} से मरवी है आपने फरमाया कि आंहज़रत^{स.अ.व.} जब किसी मैयत को दफन करने कि लिये तशरीफ ले जाते तो कब्र में तीन मर्तबा मिट्टी डालते थे।

हज़रत अली^{अ.स.} से मरवी है कि जब आप क़ब्र में मिट्टी डालते तो यह दुआ पढ़ते थे :

اللَّهُمَّ اِيْمَانًا بِكَ وَ تَصْدِيْقًا لِرَسُوْلِكَ وَ اِيْقَانًا بِعَيْنِكَ هَذَا مَا وَعَدَ اللَّهُ وَ رَسُوْلُهُ وَ
صَدَقَ اللَّهُ وَ رَسُوْلُهُ

अल्लाहुम्म: ईमानन बिक: व तसदीकन लिरसूलिक: व ईक़ानन बि बअसिक:
हाज़ा मा वअदल्लाहो व रूसूलुहु व सदकल्लाहो व रसूलुहु आप फरमाते थे
जो शख्स इस पर अमल करेगा तो खाक का हर ज़र्ज़ा उसके लिये नेकी बन
जाएगा। एक मर्तबा आपकी खिदमत में अर्ज़ किया गया कि कूफ़ा से चंद
मील के फासले पर देहात में एक शख्स इन्तिक़ाल कर गया पस लोग उसे
उठाकर कूफ़ा ले आए आपने उनको सख्त सज़ा दी और फरमाया कि मैयतों
को वही दफन कर दो जहां उनका इन्तिक़ाल हुआ हो, यहुदियो की तरह
जैसा कि वह अपने मुर्दों को बैतुल—मुक़द्दस ले जाते हैं तुम ऐसा न करो।

हज़रत अली^{अ.स.} फरमाते हैं कि जंगे ओहद में जब अंसार अपने शहीदों
को अपने घर की तरफ उठाकर ले जाने के लिए आए तो उस वक़्त
आंहज़रत^{स.अ.व.} ने एक मुनादी को यह निदा करने का हुक्म दिया कि अजसाम
(जिस्मो) को उसके मक़तल में दफन कर दो अमीरूल मुअमिनीन^{अ.स.} से मरवी
है कि आप जब रसूले खुदा^{स.अ.व.} को दफन कर चुके तो आपने क़ब्र मुबारक
को मुरब्बअ यानि चौकोर बना दिया था। आपसे यह भी रिवायत है कि
आंहज़रत^{स.अ.व.} जब उस्मान बिन मज़उन को दफन कर चुके तो आपने एक
पत्थर मंगवाकर उसके सिरहाने रख दिया और फरमाया कि यह एक
अलामत के तौर पर है ताकि मैं अपने अहले क़राबत को यही दफन कर
सकूँ।

हज़रत अली^{अ.स.} से मरवी है कि आप तीन हाथ से ज़्यादा गहरी क़ब्र
खोदना मकरूह समझते थे और क़ब्र के अंदर से निकली हुई मिट्टी के
अलावा दुसरी मिट्टी क़ब्र पर रखना मकरूह समझते थे। आपसे यह भी
रिवायत है कि आंहज़रत^{स.अ.व.} जब उस्मान बिन मज़उन की क़ब्र पर मिट्टी
बराबर कर चुके तो आपने उस पर पानी छिड़का था।

हज़रत अली^{अ.स.} से मरवी है कि आंहज़रत^{स.अ.व.} ने क़ब्रों की ज़ियारत
की रूखसत दी है आपने फरमाया कि क़ब्रों की ज़ियारत से आखिरत की
याद ताज़ा होती है। इमाम बाकिर^{अ.स.} से मनकूल है आपने फरमाया कि

सैयदा—ए—आलम जनाबे फातिमतुज्जेहरा^{अ.स.} हज़रत हमज़ा^{अ.स.} की क़ब्र की ज़ियारत करती थी। क़ब्र के पास खड़ी रहती थी और आप हर साल ख्वातीन के साथ शहीदों की क़ब्रों पर हाज़िर होती थी और दुआ व इस्तिग़फ़ार करती थी।

हज़रत अली^{अ.स.} से मरवी है कि जब आप क़ब्रों के पास से गुज़रते थे तो इस तरह से तीन मर्तबा सलाम पढ़ते थे :

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ يَا أَهْلَ الدَّارِ فَإِنَّا بَكُمْ لَاحِقُونَ

अस्सलामो अलैकुम या अहलद—दारि फइन्ना बिकुम लाहिकून ।

रसूले अकरम^{स.अ.व.} से मरवी है कि आप^{अ.स.व.} ने क़ब्रों पर चढ़ने से और उनके पास हंसने से मना फरमाया है और हज़रत अली^{अ.स.} से रिवायत है कि आपने क़ब्र के पास मस्जिद बनाने को मकरूह फरमाया है, आपसे यह भी रिवायत है कि जब जअफर बिन अबीतालिब^{र.ज.} की ख़बरे वफ़ात पहुंची तो आंहज़रत^{स.अ.व.} ने अपने एहले बैत से फरमाया कि खाना पकाओ और हज़रत जाअफर के घर वालों के पास ले जाओ जब तक कि वह हज़रत जाअफर के ग़म में मुब्तिला रहे और उनके साथ तुम भी खाना खाओ क्योंकि उन पर ऐसी मुसीबत नाज़िल हुई है कि जिसकी वजह से वो अपना खाना खुद नहीं पका सकते।

जकात

किताबुल ज़कात

(4)

ज़कात व सदका देने की तरगीबात का बयान

इर्शाद बारी तआला है कि :

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى • وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى •

क़द अफलह मन तज़क्का व ज़करसमः रब्बिही फसल्ला ।

दुसरे मुक़ाम पर इर्शाद है कि :

قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ • الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ • وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ الْغَوْرِ
مُعْرِضُونَ • وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ • أُولَئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ • الَّذِينَ يَرِثُونَ
الْفَرْدَوْسَ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ •

क़द अफलहल मुअमिनूनल लज़ीनः हुम फी सलतिहिम खाशिउनः वल
लज़ीनः हुम अनिल लगवि मुअरिज़ूनः वल लज़ीनः हुम लिज़ ज़काति फाइलूनः
— — —उलाइकः हुमुल वारिसूनल लज़ीनः यरिसूनल फिरदौसः हुम फीहा
खालिदून 18-23 / 1-11

तर्जुमा : अलबत्ता वह ईमान लाने वाले कामयाब हुए जो अपनी नमाज़ों में
(खुदा के सामने) गिरगिराते हैं और जो बेहूदा बातों से मुंह फेरते रहते हैं और
जो ज़कात अदा किया करते हैं। यही लोग सच्चे वारिस हैं जो बहिश्त ए बरी
के वारिस होंगे और यही लोग उसमें हमेशा ज़िंदा रहेंगे।

इमाम जअफरुस्सादिक^{अ.स.} से आपके पिदर बुर्जुगवार और आपके
आबा ए किराम और मौलाना अली^{अ.स.} से रिवायत है कि रसूले खुदा^{स.अ.व.} ने
फरमाया कि खुदा वन्द तआला जब किसी बन्दे के साथ खैर का इरादा
करता है तो उसके पास जन्नत के खज़ानादारों (पहरेदारों) में से एक
फरिश्ता भेजता है जो उसके सीने पर मसाह करता है। पस उनका नफस
ज़कात देने के लिये सखी हो जाता है यानि वह ज़कात को अदा करता है।

अमीरूल मुअमिनीन हज़रत अली^{अ.स.} से रिवायत है आपने फरमाया कि

मर्द आबिद की तीन अलामतें हैं — नमाज़, रोज़ा, ज़कात। आपने अपनी वसीयत में फरमाया कि मैं अपने अहलो अयाल को और तमाम मुअमिनो को खुदा से डरने की वसीयत करता हूँ। तुम ज़कात के बारे में खुदा से डरो। क्योंकि ज़कात तुम्हारे रब के गुस्से की आग को ठंडा करती है।

रसूले खुदा^{स.अ.व.} से मरवी है कि आपने ज़कात के मुताल्लिक फरमाया है कि जो शख्स ज़कात देता है वह उस माल में से सिर्फ़ एक ही जुज़ (हिस्सा) देता है जो खुदा ने उसको अता किया है। लिहाज़ा उसको ब-तय्यब खातिर (खुशी-खुशी) ज़कात देना चाहिये। अगर किसी ने अपने माल की ज़कात अदा कर दिया तो उसके माल से शर दूर हो गया। आपने फरमाया कि खुशकी या तरी में जो माल ज़ायेअ हो जाता है वह ज़कात के न अदा करने की वजह से ज़ाया होता है। लिहाज़ा तुम ज़कात देकर अपने माल व दौलत को मेहफूज़ कर दो और सदका से अपने बीमारो का ईलाज करो और दुआ से बला व मुसीबत को दफा करो।

इमाम बाकिर^{अ.स.} से रिवायत है आपने फरमाया कि ज़कात देने से कभी माल कम नहीं होता और जिस माल की ज़कात दी जाती है वह माल कभी खुशकी या तरी में ज़ायेअ नहीं होता।

हज़रत अली^{अ.स.} से रिवायत है कि रसूले खुदा^{स.अ.व.} ने फरमाया कि जो बंदा खुदा के नज़दीक जितना मोअज्जिज़ होता है उस पर बलाएं भी उतनी ही ज़्यादा नाज़िल होती हैं और जो शख्स अपने माल की ज़कात अदा करता है तो उससे उसका माल कम नहीं होता और न ज़कात रोकने से माल में इज़ाफा होता है और चोर जो कुछ चुराता है तो वह उसके रिज़क ही के हिस्से में शुमार होता है।

इमाम हसन^{अ.स.} से रिवायत है आपने फरमाया कि ज़कात से माल कम नहीं होता। इमाम बाकिर^{अ.स.} ने फरमया है कि जब वह अपने पिदर बुर्जुगवार इमाम अली जैनुलआबिदीन^{अ.स.} को गुस्ल दे चुके तो लोगो ने देखा की आपके गुठनें और पैर का ऊपरी हिस्सा गोया ऊंट के गोठन की तरह है और जब दोश मुबारक को देखा तो वह भी ऐसा ही था। लोगो ने इमाम बाकिर^{अ.स.} से पुछा की ए फरजंदे रसूल^{स.अ.व.} पेशानी और गौठन पर जो गड्डे पड़े हुए हैं वह तो हमे मालूम है कि अकसर नमाज़ और तूल (लम्बा) सुजूद की बिना पर है लेकिन यह आपके कंधे पर कैसा गड्डा पड़ा हुआ है आपने फरमाया कि सुनो! अगर मेरे पिदर बुर्जुगवार इमाम जैनुलआबिदीन^{अ.स.} जिंदा होते तो मैं

उनके मुताल्लिक़ तुमसे कुछ न कहता लेकिन सुनो! इमाम जैनुलआबिदीन^{अ.स.} की हर रोज़ यह आदत शरीफ़ (अच्छी आदत) थी की आप एक से ज़्यादा मिस्कीन को खाना खिलाते थे और जब रात आती तो अपने अहलो अयाल से दिन का बचा हुआ फ़ाज़िल खाना एक थैले में भर लेते। जब हर तरफ़ सन्नाटा छा जाता तो आप इसको अपने कंधे पर उठा कर मदीने की गलियों में ले जाते और वह बचा हुआ खाना ऐसे लोगो के पास ले जाते थे जो शर्म के मारे लोगो से सवाल न करते थे आप उनमें इस तरह से तक्सीम करते थे कि यह पता तक न चलता था कि देने वाला कौन है। हत्ता की घर वालो में से भी मेरे सिवा इस बात को कोई न जानता था लेकिन मैं ही किसी तरह से वाकिफ़ हो गया था। इमाम जैनुलआबिदीन^{अ.स.} का इससे मक़सद यह था कि पौशीदा तौर पर अपने हाथ से सदका देने का जो सवाब है वह हासिल कर लें। आप अक्सर फरमाते थे कि पौशीदा तौर से सदका करना खुदा के गुस्से को ठंडा कर देता है।

हज़रत अली^{अ.स.} से रिवायत है आपने फरमाया कि मैंने रसूले खुदा^{स.अ.व.} को कहते हुए सुना है कि मुअमिन के हाथ से अभी सदका निकला नहीं कि इससे सित्तर शैतानो के जबड़े कुचल जाते हैं। मख़्फी तौर से सदका करना रब की आतिश व गज़ब को बुझा देता है जैसे कि आग पानी को बुझा देती है। तुम मे से अगर कोई सदका करना चाहे तो अपने दाहिने हाथ से इस तरह से दें कि बायें हाथ को भी खबर तक न होने पाये।

इमाम जअफ़रुस्सादिक़^{अ.स.} से रिवायत है कि आपने फरमाया कि सदका, नमाज़, रोज़ा और दुसरे नैकी के काम जो फ़र्ज़ नहीं हैं जितने भी मख़्फी तौर पर हो ज़्यादा अफ़ज़ल हैं कि पौशीदा तौर से किया जाए और जो वाजिब और फ़र्ज़ है उनको एलानिआ (जाहिर) किया जाए। अमीरुल मुअमिनीन हज़रत अली^{अ.स.} से रिवायत है कि रसूले खुदा^{स.अ.व.} ने फरमाया है कि खैरात से बीमारी, पेट का दर्द, डुबना, जल जाना, दीवार टुटने से दब जाना और जुनून वगैरह गर्ज़ कुल सित्तर बलाएं दफा हो जाती हैं। इमाम बाकिर^{अ.स.} ने फरमाया कि बनी इस्राईल में एक दौलतमंद शख्स था और उसका एक ही इकलौता फरजंद था जिससे वह बहुत मोहब्बत करता था जब वह जवान हो गया तो उसने अपने भाई की लड़की से उसका निकाह कर दिया जब रात हुई तो ख्वाब में उसको किसी ने कहा कि तुम्हारा यह लड़का आज की रात जब वह अपनी बीवी के पास जाएगा तो मर जाएगा। इस ख़बर से उस शख्स को शदीद ग़म हुआ उसने उस ख्वाब को छुपाया

और जिफाफ (पहली रात की मुलाकात) के मुताल्लिक टाल मटोल करने लगा। हत्ता कि खुद उसकी औरत और खुद लड़का और लड़की के मां बाप ने शिद्दत (सख्ती) से इसरार (ज़िद) किया जब उसके लिये कोई चारा न रहा तो उसने इस्तिखारा (फाल निकालना) किया और अपने दिल में कहा कि शायद यह शैतान की हरकत है उसने यह समझकर अपने लड़के को उसकी बीवी के पास भेज दिया और उस रात खुद नमाज़ व दुआ में मशगूल हो गया और इन्तिज़ार करने लगा की उसके लड़के का अंजाम क्या होता है? यहां तक कि जब सुबह हो गई तो वह अपने लड़के के पास गया तो उसको निहायत उम्दा हाल में पाया उसने खुदा का शुक्र अदा किया जब रात हुई तो उसको ख्वाब में कहने वाले ने कहा कि तुम्हारे लड़के ने साइल के साथ जो नेकी की थी उसकी वजह से अल्लाह तआला ने उसकी बला व मौत को टाल दिया है जब सुबह हुई तो वह फिर अपने लड़के के पास गया और उससे कहा कि जाने पिदर क्या तुने किसी साइल के साथ उस रात को जिसमें तु पहली बार अपनी बीवी से मिला था कोई नेक काम किया था? लड़के ने कहा कि उस सवाल से आपको क्या मक़सद है उसने कहा कि मुझे तुम बताओ। उसने लड़के से इसरार किया और उसको कहा कि तुमको असल किस्सा बताना ही पड़ेगा। लड़के ने कहा कि अच्छा तो सुनिए — जब हम लोगो को खाना खिलाने से फारिग हो चुके तो उस वक़्त बहुत सा फाज़िल खाना बचा हुआ था जब मेरी बीवी मेरे पास आई और मैं उसके साथ तख़्लिया (तन्हाई) में हुआ और उससे करीब हुआ कि इतने में एक साइल ने दरवाज़े पर आवाज़ दी कि ए एहले मकान! खुदा ने तुमको रोज़ी दी है उससे हमारी मदद करो। पस मैं उस साइल के पास गया और उसका हाथ पकड़ कर अंदर ले आया और खाना पेश किया और मैंने उससे कहा कि जी भर कर खाओ वह खाकर सेराब हो गया तो मैंने उससे पुछा कि क्या तुम्हारे बीवी बच्चे भी है उसने कहा कि हां तो मैंने कहा कि इसमें से जितना चाहो तुम ले जा सकते हो। चुनांचा वह अपनी ताक़त के मुताबिक़ खाना ले गया और वह अपने घर चला गया और मैं अपनी बीवी के पास वापिस आया। बाप ने जब यह किस्सा सुना तो खुदा की हम्द व सना की और अपने लड़के को पूरा ख्वाब कह सुनाया।

इमाम जैनुलआबिदीन^{अ.स.} से रिवायत है आपने एक मर्तबा मक्का मुअज़्ज़मा के कबूतरो पर नज़र डाल कर फरमाया कि ए लोगो! तुम को खबर है कि यह कबूतर हरम पाक में क्यों आबाद हुए हैं लोगो ने कहा कि

ए फरजंदे रसूले क्या सबब है? आप ने फरमाया कि अगले ज़माने में एक शख्स के घर में एक खजूर का दरख्त था जिसके तने में एक कबूतर ने घोंसला बना रखा था जब उस कबूतर के बच्चे पैदा होते तो वह शख्स उस दरख्त पर चढ़कर उन बच्चों को पकड़ता और ज़िब्हा कर डालता। एक ज़माने तक ऐसा ही करता रहा। उस कबूतर की कोई नस्ल बाकी न रही। उस कबूतर ने उस शख्स की इस हरकत की बारगाहे इलाही में शिकायत की तो उसको यह जवाब मिला कि अगर इस साल यह शख्स दरख्त पर चढ़ेगा और बच्चों को पकड़ेगा तो गिर कर मर जाएगा। चुनांचा जब बच्चे बड़े हो गये और वह शख्स बच्चों को पकड़ने के लिये दरख्त पर चढ़ा तो कबूतर देखने लगा कि अब इस शख्स के साथ क्या होता है जब वह आधे तने तक पहुँच गया तो एक साइल दरवाजे पर खड़ा हो गया और उसने उतर कर उस साइल को कुछ दिया। फिर चढ़ा और बच्चों को पकड़कर लाया और ज़िब्हा कर डाला और उसको कुछ भी नहीं हुआ। कबूतर ने फिर बारगाहे इलाही में अर्ज़ किया कि परवरदिगार यह क्या इन्साफ है ? उसको जवाब दिया गया कि उस शख्स ने खैरात देकर अपने नफ्स को बचा लिया उसकी मुसीबत दफा हो गई। रहा तु तो तेरी नस्ल को भी खुदा वंद तआला ज़्यादा पैदा करेगा और तेरी नस्ल को ऐसे शहर में आबाद करेगा कि जहां क़यामत तक कोई तकलीफ न होगी चुनांचा उस कबूतर को हरम में लाकर आबाद कर दिया गया और यह उसकी नस्ल है।

हज़रत अली^{अ.स.} से रिवायत है कि रसूले खुदा^{स.अ.व.} ने फरमाया कि साइल खुदा का क़ासिद होता है। अगर किसी ने उसको कुछ दिया तो गोया उसने खुदा को दिया है और अगर वापस लौटा दिया तो गोया उसने खुदा को लौटा दिया है। अमीरुल मुअमिनीन^{अ.स.} फरमाते हैं कि साइल आये तो उसको एक खजूर ही देकर वापस कर दो। खाली हाथ वापस न करो और घोड़े पर भी चढ़ आये तो साइल को दो और खास कर रात के वक़्त साइल औरत हो या मर्द उसको बिल्कुल खाली हाथ न जाने दो क्योंकि कभी वह शख्स मांगता है जो न तो ज़िन्नो में से है न इन्सानो में से बल्कि खुदा तो उसके ज़रीये तुम्हारी दौलत ज़्यादा करना चाहता है।

इमाम बाकिर^{अ.स.} ने एक मर्तबा आपने बैतुलशरफ की एक लौंडी से फरमाया कि तुम लोग कभी किसी साइल को वापस न करना। उस वक़्त आपकी खिदमत में जो लोग हाज़िर थे उनमें से किसी ने अर्ज़ किया कि ए फरजंदे रसूल बअज़ वक़्त ऐसे लोग भी सवाल करते हैं जो उसके एहल

(लायक) नहीं होते आपने फरमाया कि अगर हम अपनी समझ के मुताबिक कभी ऐसे शख्स को वापिस भी कर दें जो मुस्तहक़ नहीं है तो हमको इसका खौफ़ रहता है कि कहीं हमने मुस्तहक़ को तो वापस नहीं कर दिया है। ऐसा अगर हमने किया तो जो हाल हज़रत याकूब^{अ.स.} का हुआ था वही हाल हमारा भी होगा। आपसे पुछा गया कि ए फरज़न्दे रसूल याकूब^{अ.स.} का क्या हाल हुआ था बयान फरमाइये आपने फरमाया कि एक नबी याकूब^{अ.स.} के दरवाज़े पर खड़े हुए जो अपने हाल को छुपाते थे वह दुनिया कमाने की कोशिश नहीं करते थे मगर जब उनको सख्त भूख लगती थी तो वह अम्बिया व सालेहीन के दरवाज़े पर आकर उनसे सवाल करते थे जब उनको अपनी जान बचाने जितना खाने को मिल जाता तो फिर ज़्यादा सवाल न करते। चुनांचा अपनी आदत के मुताबिक़ एक रात याकूब^{अ.स.} के दरवाज़े पर वह साइल बनकर आये और देर तक खड़े खड़े सवाल करते रहे मगर घर के लोग इतना गाफिल हो गए कि न कुछ देते थे न उनको वापस करते थे। यहां तक की भूख की शिद्दत के मारे उनको इतना ज़अफ़ (कमज़ोर) हो गया कि वह ज़मीन पर ग़श खाकर गिर गये किसी गुज़रने वाले ने उनको इस हाल में देखा तो उनको कुछ खिला पिलाकर होशियार किया और फिर वह नबी वापस चले गए। इसी रात को ख्वाब में किसी आने वाले ने कहा कि ए याकूब^{अ.स.} खुदा का साहिबे इज़्ज़त व करामत नबी तुम्हारे दरवाज़े पर आकर सवाल करता है तो तुम और तुम्हारे घर वाले उससे मुंह फिराते हो। हालांकि तुम पर खुदा का फज़ल व करम बे-इन्तिहा है ए याकूब^{अ.स.} तुमको खुदा ऐसी सज़ा देगा कि तुम आने वाली नस्लो के लिये यादगार बन जाओगे। जब सुबह हुई तो याकूब^{अ.स.} बहुत घबराए चुनांचा उसी दिन याकूब^{अ.स.} के फरज़ंद आए और यूसुफ़^{अ.स.} को अपने हमराह ले जाने की खुवाहिश ज़ाहिर की यूसुफ़^{अ.स.} हज़रत याकूब^{अ.स.} के बहुत चहेते थे चुनांचा उनको खुदा के अज़ाब का खटका हुआ, और वह समझ गये कि खुदा का वादा यूसुफ़ के ज़रिये पूरा होगा उन्होंने यूसुफ़^{अ.स.} और उनके भाईयो से जो कुछ कहा वह मालूम व मशहूर है। इमाम बाकिर^{अ.स.} ने यूसुफ़^{अ.स.} का पूरा किस्सा सुनाया। जिसको हम ने यहां मुख्तसिर कर दिया है।

अमीरुल मुअमिनीन हज़रत अली^{अ.स.} से रिवायत है कि एक मर्तबा रसूले अकरम^{स.अ.व.} के पास तीन किस्म के लोग आये उनमें से एक ने कहा कि खुदा के रसूल मेरे पास सौ ओकिया सोना है जिसमें से दस ओकिया बतौर सदका आपकी खिदमत में लाया हूं। दूसरे शख्स ने कहा कि ए खुदा

के रसूल मेरे पास सौ दीनार हैं उसमें से बीस दीनार सदका करता हूँ। तीसरा आया उसने कहा कि ए रसूल मेरे पास सिर्फ दस ही दीनार हैं उनमें से मैं एक दीनार सदका करता हूँ। आपने उन तीनों की तरफ देखकर फरमाया कि तुम में से हर एक को बराबर सवाब मिलेगा। क्योंकि तुम में से हर एक ने अपने अपने माल का दसवां हिस्सा सदका किया है।

इमाम जअफरुस्सादिक^{अ.स.} से रिवायत है कि आपने आयते करीमा :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ

या अय्युहल लज़ीनः आमनू अनफिकू मिन तययिबाति मा कसबतुम व मिम्मा अखरजना लकुम मिनल अरदि वला तयम्ममुल खबीसः मिनहो तुनफिकून (3-2/267)

आपने फरमाया कि जब लोग शुरू में इस्लाम लाये तो उनके पास सूद के काफी रुपये थे और खराब दौलत भी थी लोग उस माल व दौलत में से सदका करते थे चुनांचे खुदा वंद तआला ने मज़कूरा आयते करीमा में उनको इस हरकत से मना फरमाया है।

इमाम हुसैन^{अ.स.} से रिवायत है कि आपके नज़दीक जब बनी उमय्या से एक शख्स का तज़क़िरा किया गया कि उसने काफी माल ख़ैरात किया है तो आपने फरमाया कि उसकी मिसाल उस शख्स की सी है जिसने किसी हज करने वाले की रकम मार ली है और उस चोरी के माल में से सदका करता है सदका तो अपने पसीने की कमाई के माल से होता है। और जिस कमाई से उसका चेहरा गिर्द आलूद हो जाए तो उस कमाई से सदका करना हकीक़त में सदका है जैसा कि अली^{अ.स.} सदका करते थे और आप ही की तरह जो दूसरे लोग सदका करते थे।

मुस्तहक़ ज़कात को ज़कात न देने की बाबत तगलीज़ व तशददुद (भूल और सख्ती)

इमाम जाअफरुस्सादिक^{अ.स.} और आपके पिदर बुर्जुगवार इमाम बाकिर^{अ.स.} और आपके आबा ए किराम और अमीरुल मुअमिनीन मौलाना अली^{अ.स.} से

रिवायत है कि रसूले खुदा^{स.अ.व.} ने फरमाया कि क़यामत उस वक़्त आएगी जब नमाज़ बतौर एहसान जताने के लिए पढ़ी जाएगी। और अमानत को माले ग़नीमत समझा जाएगा और ज़कात को बतौर र्जुमाना अदा किया जाएगा। आपने बाकी हदीस को तूल (विस्तार) के साथ बयान फरमाया। इसी अस्नाद (सबूत) से मौलाना अली^{अ.स.} से रिवायत है आपने फरमाया कि परवरदिगार ने लोगो में जो मालदार है उन पर उतनी ही ज़कात फर्ज़ की है कि जो उनके फकीरों और मोहताजों को काफी हो जाए और फुकराअ, हलाक और नंगे भूखे रहते हैं तो उन मालदारों के ज़कात बंद कर देने की वजह से खुदा वंदे तआला उनसे इसका हिसाब क़यामत के दिन लेगा और वह उनको सख्त अज़ाब में मुब्तिला करेगा।

इमाम जअफरुस्सादिक^{अ.स.} से मरवी है आपने फरमाया कि खुदा वंदे तआला ने मालदारों के अमवाल में फुकराअ के वास्ते इतना ही देना फर्ज़ किया है जो मोहताजों के लिये काफी हो सके। अगर खुदा को यह मालूम होता कि जो उसने मालदारों पर फर्ज़ किया है वह काफी न होगा तो खुदा उन पर ज़्यादा ज़कात देना फर्ज़ व वाजिब कर देता लेकिन खुदा को तो कतई यह मालूम था कि उसने जो फर्ज़ किया है वह काफी है। फुकराअ को जो भीख दी जाती है वह इस वजह से कि मालदार आपने हुकूक को अदा नहीं करते और जो दिया जाता है उनके माल में से नहीं दिया जाता है।

इमाम जअफरुस्सादिक^{अ.स.} से और आपके पिदर बुर्जुगवार इमाम बाकिर^{अ.स.} से और हज़रत अली^{अ.स.} से रिवायत है कि रसूले खुदा^{स.अ.व.} ने मना फरमाया है कि कोई शख्स अपने इमाम से अपने माल की ज़कात को न छुपाये इसका छुपाना निफाक की अलामत (निशानी) है।

वलीद बिन सबीह से रिवायत है उन्होंने कहा कि मुझे शहाब ने एक मर्तबा कहा कि मैं रात में अजीब अजीब डरावने ख्वाब देखता रहता हूं। मुझे ख्वाब में एक औरत नज़र आती है जो मुझको डराती है तुम इमाम जअफरुस्सादिक^{अ.स.} से उसके बारे में पुछो। चुनांचा मैंने इमाम जअफरुस्सादिक^{अ.स.} से पुछा तो आपने फरमाया कि यह उस शख्स का ख्वाब है जो अपने माल की ज़कात अदा नहीं करता है मैंने जब इसकी इत्तिलाअ शहाब को दी तो उन्होंने कहा कि खुदा की क़सम मैं तो ज़कात अदा कर देता हूं। मैंने फिर इसकी खबर सादिक आले मोहम्मद^{स.अ.व.} को दी आपने फरमया कि अगर ज़कात देता है तो वह जिसे ज़कात देना चाहिये उसको नहीं देता होगा मैंने जब शहाब से कहा तो उन्होंने कहा कि इमाम

जअफरुस्सादिक^{अस.} ने सच फरमाया है।

मुसलमानो को इस बात पर इत्तिफाक है कि रसूले खुदा^{स.अ.व.} तमाम मुसलमानों से उनके अमवाल की ज़कात व सदकात वसूल फरमाया करते थे और उनको उस राह में खर्च फरमाते थे जिस राह में खर्च करने का हुक्म खुदा ने उन्हें दिया था। कुरान इस बात को बयान करता है खुदा वंदे तआला ने अपने पैगम्बर^{स.अ.व.} से खिताब करके फरमाया है कि :

حُذِّ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةٌ تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا

खुज मिन अमवालिहिम सदःकतन तुतहहिरुहुम व तुज़क्कीहिम बिहा
11-9/102

तर्जुमा : तुम उनके माल की ज़कात लो और उसकी बदोलत उनको (गुनाहो से) पाक साफ करो।

मुसलमानों का इस बात पर भी इत्तिफाक है कि इस आयते करीमा में “सदकात” से मुराद ज़कात ही है और तमाम मुसलमानों का इस बात पर भी इत्तिफाक है कि रसूले अकरम^{स.अ.व.} की वफात से ज़कात का फर्ज उनसे मरफूअ (खत्म) नहीं हुआ है बल्कि उन पर वाजिब है कि वह आप के बाद जो इमाम मौजूद हो उसको ज़कात अदा करें। चुनांचा मुसलमानों ने इब्तिदा—ए—खिलाफत के ज़माने में इस पर अमल भी किया था। वह अइम्मत ताहिरीन^{अ.स.} के हुक्क को ग़ज़ब करने वालों और उनकी जगह में बैठ जाने वालो को ज़कात देते थे। और जब उन्होने देखा कि उनके ज़ालिम इमाम ज़कात का माल बांट खाते हैं और उसको अपना ही हक़ समझते हैं तो फिर वह उनको अपना इमाम मानते रहे लेकिन जिस क़द्र भी मुमकिन हुआ उन ज़ालिमीन ग़ासिबीन को अपने अमवाल की ज़कात देना बंद कर दिया। इस तरह अमल में अजीब व ग़रीब तनाकुज़ (विरोधी) पाया जाता है जो अक्लमंदो से मख्फ़ी नहीं है। वह यह है कि अगर उनके ज़ालिम इमाम उनके नज़दीक इमाम थे तो उनको ज़कात बंद न कर देना चाहिये था। उन पर तो सिर्फ़ अदा कर देना फर्ज था। जैसा कि उन पर खुदा ने ज़कात देना फर्ज करार दिया था। उन पर इस बात की ज़िम्मेदारियाँ नहीं हैं जो खुदा ने उन इमामो की गरदन में ज़कात को उसके मुस्तहकीन (हक़दार) में तक्सीम करने का क़लादा (फ़ंदा) पहन रखा है। क्योंकि ज़कात अदा करने के बाद तो उनकी ज़िम्मेदारी खत्म हो जाती है। अब अगर उनके नज़दीक सही मानो में वह उनके इमाम हैं तो यह उनका फर्ज है कि वह ज़कात को

जिस राह में खुदा ने खर्च करने का हुक्म दिया है उस राह में खर्च करे और अगर उनके नज़दीक वह अइम्मा बर-हक़ नहीं है तो उनको इमाम की तलाश करनी चाहिये और उनके साथ रहना चाहिये और उन्हीं को ज़कात व सदका देना चाहिये। ताकि वह उस माल से जिसे खुदा ने वाजिब फरमाया है उन लोगो के खिलाफ इस्तेमाल करे। जिन्होंने उन पर जुल्म किया है और उनका हक़ ग़स्ब कर लिया है। और उन्हें अइम्मा बर-हक़ को अइम्मा ज़ालिमीन के खिलाफ मदद करनी चाहिये और उनके हमराह जिहाद करना चाहिये जैसा कि खुदा वंदे तआला ने फरमाया है कि अपने जान व माल से जिहाद करो। चुनांचा उसका तरीका रसूले खुदा^{स.अ.व.} ने लोगो को बताया था उनको ज़कात के रास्ते की तरफ़ रेहनुमाई की थी अमलन यह बताकर कि ज़कात का खाना खुद आप^{स.अ.व.} और आपके एहले बैत^{अ.स.} पर हराम है ताकि लोग ज़कात के सिलसिले में किसी किस्म की खयानत से बिल्कुल बेफिक्र रहे क्योंकि आप^{स.अ.व.} और आपके बाद अहले बैते रसूल^{अ.स.} ज़कात के माल में से ज़र्रा बराबर भी खा नहीं सकते थे और इसलिये कि ज़कात के माल में से ज़र्रा बराबर भी खाना उनके लिये हलाल व वाजिब नहीं है।

रिवायत है कि एक मर्तबा रसूले खुदा^{स.अ.व.} ने इमाम हुसैन^{अ.स.} को देखा कि उन्होंने ज़कात के माल में से एक खजूर मुंह में डाल लिया है वह उस वक़्त एक छोटे बच्चे थे। फिर भी आप ने उस खजूर को आपके मुंह से लुआब (लार) के साथ बाहर निकाल लिया और उसको वापिस ज़कात के माल में दाखिल कर दिया और यह फरमाया कि हम अहले बैत^{अ.स.} पर ज़कात का खाना हराम है। इन्शा अल्लाह हम पूरा किस्सा आइंदा बयान करेंगे।

मज़कूरा असनाद से रसूले खुदा^{स.अ.व.} से रिवायत है आपने फरमाया कि सबसे पहले जन्नत में शहीद दाखिल होगा और वह ज़र-खरीद गुलाम दाखिल होंगे जिसने अपने रब की खूब इबादत की होगी और अपने मालिक की खैर खाही में रहा होगा और जन्नत में वह साहिबे औलाद दाखिल होगा जो पाक दामन और बा-अखलाक़ था। और सबसे पहले दोज़ख में वह अमीर दाखिल होगा जो अदल नहीं करता था और वह मालदार जो अपने माल की ज़कात नहीं अदा करता था और फाजिर (बदकार) व बद-अखलाक़ शख्स।

रसूले खुदा^{स.अ.व.} से रिवायत है आपने फरमाया कि अल्लाह की कुछ ऐसी इन्तिक़ाम लेने वाली जगह है जहां उन लोगो को दे मारा जाएगा

जिन्होंने अपने माल की ज़कात देना बंद कर दिया था पस वह उस माल को उसी ज़मीनो पर खर्च करेंगे।

इमाम जअफरुस्सादिक^{अ.स.} ने फरमाया कि अल्लाह तआला ने उस उम्मत पर ज़कात से ज़्यादा दुश्वार और सख्त तरीन चीज़ फर्ज नहीं की है। उसके बंद कर देने की वजह से उम्मत के अवाम हलाक होते हैं आपने इस आयते करीमा के बारे में फरमाया कि :

حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ • لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا فِيمَا تَرَكْتُ

हत्ता इज़ा जाअः अहदहुमुल मौतो कालः रब्बिर जिऊन लअल्ली अअमलो सालिहन फीमा तरक—तो 18-23/99-100

तर्जुमा : यहां तक कि जब उनमें से किसी को मौत आई तो कहने लगे कि परवरदिगार तु मुझे (एक बार) इस मक़ाम (दुनिया) में जिसे मैं छोड़ आया हूँ फिर वापस कर दे ताकि (अब की दफा) अच्छे अच्छे काम करूँ।

इससे उस शख्स की मुराद यह है कि दुनिया में वापस जाकर अपने माल की ज़कात अदा कर आए।

हज़रत अली^{अ.स.} से रिवायत है आपने फरमाया है कि जिसके पास माल ज़्यादा जमा हो जाता है और वह उस माल का हक़ यानि ज़कात अदा नहीं करता तो उसका यह माल क़यामत के रोज़ सांप बनकर उसको डसेगा।

आपने फरमाया कि जो ज़कात अदा नहीं करता उसकी नमाज़ मक़बूल नहीं होगी रसूले खुदा^{स.अ.व.} का इर्शाद है कि नमाज़ माल की ज़कात अदा करने से ही मुकम्मिल होती है। और कंजूसी के साथ खैरात मक़बूल नहीं है। और जो शख्स ज़कात अदा नहीं करता उसकी नमाज़ मक़बूल नहीं होती और जो जोहद व तक़वा नहीं रखता उसकी भी ज़कात मक़बूल न होगी।

रसूले खुदा^{स.अ.व.} से किसी ने पुछा ए पैगम्बरे खुदा^{स.अ.व.} अल्लाह तआला का यह इरशाद है कि :

• وَيُلِّ لِلْمُشْرِكِينَ • الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَفَرُونَ •

व वैलुल लिलमुशरिकीनल लज़ीनः ला युतूनज़ ज़कातः व हुम बिल आखिरति हुम काफिरुन 24-41/6 तर्जुमा : और मुशरिकून पर अफसोस है जो ज़कात नहीं देते और आखिरत के भी काइल नहीं। आपने फरमाया कि इस

आयत में खुदा ने मुशरिकीन को मअतूब (खिताब) नहीं किया है। क्या तुमने यह आयत नहीं पढ़ी :

فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ • الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ • الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ • وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ • ع

फवैलुल लिलमुसल्लीनल लज़ीनः हुम अन सलातिहिम साहुनल लज़ीनः हुम युराऊनः व यम नऊनल माऊन 30-104/4-7।

तर्जुमा : उन नमाज़ियों की तबाही है जो अपनी नमाज़ से गाफिल रहते हैं जो दिखाने के वास्ते करते हैं और ज़कात नहीं देते।

सुनो! यहां माऊन से मुराद ज़कात है। इसके बाद आपने फरमाया कि खबरदार कसम है उस जात पाक की जिसके कब्जे में मोहम्मद^{स.अ.व.} की जान है। मुशरिक के सिवा कोई और शख्स खुदा के माल में ज़कात की खयानत नहीं करता।

अमीरुल मुअमिनीन हज़रत अली^{अ.स.} से रिवायत है कि आपने फरमाया कि माऊन से फर्ज ज़कात मुराद है। ज़कात का न अदा करने वाला, सूद खाने वाले के बराबर है और जो शख्स अपने माल की ज़कात अदा नहीं करता वह मुसलमान ही नहीं है। रसूले खुदा^{स.अ.व.} ने ज़कात न अदा करने वालों पर और सूदखोर शख्स पर लाअनत भेजी है। और इस रिवायत की ताईद इस बात से होती है कि ज़कात न अदा करने वाला मुशरिक है और यह रिवायत रसूले खुदा^{स.अ.व.} से मरवी है और इसके सबूत के लिए खुदा का यह इर्शाद काफी है कि :

فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرْمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَأَحْصُرُوهُمْ وَأَقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصِدٍ • فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ • ط

फइज़न सलखल अशहुरुल मुशरिकीनः हैसो वजद तुमूहुम व खुजूहुम वहसुरुहुम वकउदू लहुम कुल्लः मरसदिन फइन ताबू व अकामुस सलातः व आतुज़ ज़कातः फखल्लू सबीलहुम (10-9/5)

तर्जुमा : फिर जब हुरमत के (चारों) महीने गुज़र जायें तो मुशरिकों को जहां पाओ (बे ताम्मुल) क़त्ल कर दो। फिर अगर वह लोग (अब भी शिरक से)

बाज़ आएँ और नमाज़ पढ़ने लगेँ और ज़कात दें तो उनकी राह छोड़ दो।
और दूसरी जगह इर्शाद है कि :

فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ ط

फइन ताबू व अक़ामुस सलातः व आतुज़ ज़कातः फ इखवानुकुम फिद्दीन
(10-9/10)

तर्जुमा : (अगर अब भी शिरक से) तौबा करे और नमाज़ पढ़ने लगे और ज़कात दे तो वह तुम्हारे दीनी भाई है पस खुदा वंद तआला ने उस वक़्त तक किसी तौबा करने वाले की तौबा और किसी मुशरिक का इस्लाम कबूल नहीं किया जब तक कि उसने नमाज़ नहीं पढ़ी और ज़कात न अदा की।

तमाम मुसलमानों का इस बात पर इत्तिफाक़ है कि अगर किसी ने ज़कात के फर्ज़ का इन्कार करते हुए उसे अदा नहीं किया तो वह बिना शक़ व शुबह मुशरिक है। इमाम बर हक़ के साथ मिलकर उससे ज़िहाद किया जाए और उसको क़त्ल किया जाए उसकी औलाद को कैद किया जाए। उसके साथ मुशरिक का सा सुलूक किया जाए। चुनांचा इसी वजह से मुसलमानों ने बनी हनीफ़ा का खून हलाल किया था। क्योंकि उन्होंने हज़रत अबू बकर को ज़कात देना बंद कर दिया था। मगर वह शख्स मुशरिक नहीं है जो ऐसे शख्स को ज़कात न देता हो जो इमाम नहीं है और न वह ऐसा है जिसको ज़कात लेने पर इमाम हक़ ने मुक़र्रर किया है। अगर ऐसे इमाम को कोई ज़कात न दे तो वह राहे सवाब पर है। यह सब बातें उसी शख्स पर लाज़िम आती है।

और उसी शख्स के साथ ज़िहाद किया जा सकता है और ऐसे मुशरिकीन के जुमरे में शामिल किया जा सकता है जो एहले ज़कात को ज़कात न देता हो और उनके हक़ और ज़कात के फर्ज़ का इन्कार करता हो।

चाँदी सोना और जवाहिर की ज़कात का बयान

इमाम जअफरुस्सादिक़^{अ.स.} से और आपके पिदर बुर्जुगवार इमाम बाकिर^{अ.स.} से और आप के आबा ए किराम और मौलाना अली^{अ.स.} से रिवायत है आपने फरमाया कि रसूले खुदा^{सअव.} हमारे पास तशरीफ़ लाये और ज़कात

का ज़िक्र करते हुए फरमाया कि दसवें हिस्से का चौथा हिस्सा ज़कात अदा करो यानि 20 मिसकाल में से निस्फ (आधा) मिसकाल अदा करो और 20मिसकाल से कम होने की मिक्दार में कुछ भी ज़कात वाजिब नहीं है। यह आप^{स.अ.व.} ने सोने की ज़कात के बारे में फरमाया था।

इमाम जअफरुस्सादिक^{अ.स.} से सदक़ात (यानि ज़कात) के बारे में पुछा गया तो आप ने फरमाया कि सोना जब बीस 20 मिसकाल हो जाए तो इसमें से निस्फ मिसकाल ज़कात अदा करना चाहिये। अगर बीस मिसकाल से कम हो तो उस पर कुछ ज़कात वाजिब नहीं है।

अमीरूल मुअमिनीन हज़रत अली^{अ.स.} ने फरमाया है कि बीस दीनार में से निस्फ दीनार ज़कात वाजिब है। अगर बीस से कम हो तो कुछ ज़कात वाजिब नहीं है और अगर बीस से ज़्यादा हो तो जितना भी ज़्यादा हो उसके मुताबिक़ दसवें हिस्से का चौथा हिस्सा ज़कात देना चाहिये।

आपने फरमाया कि जब रसूले खुदा^{स.अ.व.} ने मुझे यमन भेजा था तो आपने फरमाया कि जब तुम वहां लोगो से मिलो तो उनसे कहना कि क्या तुम अपने अमवाल की ज़कात अपनी तहारत के लिए अदा करना चाहते हो, अमीरूल मुअमिनीन^{अ.स.} ने पूरी हदीस बयान फरमायी और कहा कि उसके बाद आंहज़रत^{स.अ.व.} ने फरमाया कि हर दो सौ दिरहम पर पांच दिरहम ज़कात वाजिब है लेकिन दो सौ से कम हो तो ज़कात वाजिब नहीं है।

अमीरूल मुअमिनीन हज़रत अली^{अ.स.} से भी यही रिवायत है आपने फरमाया कि दो सौ दिरहम पूरे न हो तो ज़कात वाजिब नहीं है और दो सौ दिरहम हो तो पांच दिरहम ज़कात वाजिब है। इसके बाद जितना ज़्यादा हो उसमें दसवें का चौथा हिस्सा ज़कात वाजिब है और जिसके पास सोना बीस दीनार से कम हो चांदी बीस दिरहम से कम हो तो उस पर ज़कात वाजिब नहीं है उसको सोना और चांदी बाहम मिलाना वाजिब नहीं है। क्योंकि खुदा वंद तआला ने दोनो के दरमियान फर्क़ रखा है। रसूले खुदा^{स.अ.व.} ने वाज़ेह कर दिया है कि जब तक सोना या चांदी इतनी मिक्दार में न हो जो इनके लिये हद मुक़रर की गई है तो उस वक़्त तक उन दोनो की ज़कात वाजिब नहीं है।

इमाम जअफरुस्सादिक^{अ.स.} से रिवायत है आपने फरमाया कि कोई शख्स जिस पर सोने की ज़कात देना वाजिब है अगर उसकी कीमत के बराबर चांदी दे तो उसमें कोई हर्ज़ की बात नहीं है इसी तरह चांदी के एवज़

उसकी कीमत के मुताबिक सोना दे तो कोई हर्ज नहीं है।

इमाम बाकिर^{अ.स.} और इमाम जअफरुस्सादिक^{अ.स.} फरमाते हैं कि जो ज़ेवरात पहने जाते हैं। उन पर ज़कात वाजिब नहीं है दोनों इमामों की मुराद उन ज़ेवरात से है जो पहनने के लिये बनाए गये हैं। जैसे औरतों के ज़ेवरात और तलवार वगैरह और ज़कात से बचने के लिये ज़ेवरात न बनाए जायें और न इस मक़सद से खरीदे जाएं कि उसकी ज़कात अदा न करना पड़े ऐसा करना किसी शख्स के लिये भी जायज़ और दुरुस्त नहीं है अगर किसी ने इस गर्ज से ज़ेवरात बनाये और खरीदें तो उन ज़ेवरात पर ज़कात वाजिब होगी और जिन ज़ेवरात की खरीद व फरोख्त की जाती है या किसी के पास ऐसे ज़ेवरात हैं जो पहनने के लिये नहीं हैं तो उन पर भी ज़कात वाजिब होगी।

इमाम जअफरुस्सादिक^{अ.स.} से रिवायत है आपने फरमाया कि ज़कात की चीज़ों पर उस वक़्त ज़कात वाजिब होती है जबकि उस वक़्त से एक साल की मुद्दत गुज़र जाये जब से कि उस चीज़ पर ज़कात की मिक़दार पूरी होती है। पस जब तक मुद्दत पूरी न हुई हो ज़कात वाजिब नहीं है। असनाद मज़कूर के मुताबिक़ मनकूल है कि आहज़रत^{स.अ.व.} ने मोती, याकूत, और जवाहिरात से ज़कात साक़ित कर दी है बशर्ते कि उनकी तिजारत (व्यापार) करना मक़सूद न हो। जवाहिरात का मामला भी ऐसा ही है जैसा कि हमने ज़ेवरात के मुताल्लिक़ ऊपर बयान किया है।

इमाम जअफरुस्सादिक^{अ.स.} से मनकूल है आपने फरमाया कि अम्बर और वह मोती जो दरिया से निकाले जाते हैं, उन दोनों में से खुमुस (पांचवा हिस्सा) लेना वाजिब है क्योंकि यह दोनों चीज़ें दूसरे अमवाल ही की तरह हैं। खान से निकली हुई धातु और पुराने खज़ानों की बाबत फरमाया कि दोनों में से खुमुस लिया जाए बाकी का हिस्सा उसका है जिसकी जमीन या घर में से वह निकला हो और अगर खज़ाना अभी नया हो और घर के लोग उसके दावेदार हो तो वह उन्हें दे दिया जाए।

इमाम बाकिर^{अ.स.} से सोने, चाँदी, लोहा, सीसा और तांबे की खदानों के मुताल्लिक़ पुछा गया तो आपने फरमाया कि इन सब पर खुमुस वाजिब है। और आपने फरमाया कि जब दीनार या सोना, दिरहम या चाँदी जय्यद (शुद्ध) से कम तर हो तो उन पर ज़कात वाजिब है।

हज़रत अमीरुल मुमिनीन अली^{अ.स.} से रिवायत है आहज़रत^{स.अ.व.} ने घरेलू नौकरो मकानात और पहनने के कपड़ों और घरेलू साज़ों—सामान की

ज़कात माफ कर दी है। बशर्ते कि उनकी तिजारत मकसूद न हो। इमाम जअफरुस्सादिक^{अ.स.} ने फरमाया कि जो साज़ो-सामान बगर्ज़ तिजारत लिया गया था और अब उसकी चाहे असल कीमत मिलती हो या ज़्यादा मिलती हो। अगर एक साल की मुद्दत गुज़र जाए और उसने इसको फरोख्त न किया तो उस पर ज़कात वाजिब है। और अगर बाज़ार गिर जाने की वजह से उसकी असल कीमत हाथ न आती हो तो उस वक़्त ज़कात न दे जब तक कि उसे फरोख्त न कर दे। सादिक आले मोहम्मद^{अ.स.} ने फरमाया कि यतीम और दीवाने के माल पर ज़कात वाजिब नहीं है। बशर्ते कि उनके सरमाया से कोई काम न किया जाता हो इस्तेमाल की सूरत में ज़कात वाजिब होगी।

इमाम जअफरुस्सादिक^{अ.स.} ने कर्ज़ के बारे में फरमाया कि किसी शख्स का दूसरे शख्स पर कर्ज़ हो और जब चाहे बिला किसी खुसूमत (झगड़ा) के ले सकता हो तो फिर वह उसके दूसरे तमाम अमवाल की तरह है उसको ज़कात अदा करना वाजिब है और अगर उस कर्ज़ के वापस मिलने का इमक़ान (मुमकिन) खुसूमत ही से हो तो उसकी ज़कात उस पर वाजिब होगी जिसके पास कर्ज़ की रकम है। और यही सूरत माल गायब की है। और यही सूरत औरत के मेहर की है जो उसके शौहर पर वाजिबुल अदा है।

अमीरुल मुअमिनीन हज़रत अली^{अ.स.} से रिवायत है आपने फरमाया कि जिस माल से फायदा लिया जाए जब तक उस पर एक साल न गुज़र जाये ज़कात वाजिब नहीं है। हालांकि वह माल ऐसे शख्स के पास हो जिसके माल पर ज़कात वाजिब होती है तो वह उस माल को भी अपने माल में शामिल करे जब ज़कात की मुद्दत पुरी हो जाए तो उसकी ज़कात अदा करे।

इमाम जअफरुस्सादिक^{अ.स.} फरमाते हैं कि मुकातिब गुलाम (उस गुलाम को कहते हैं जिसके आका ने कुछ रक़म लिखवाई हो कि अगर वह अदा कर दे तो आज़ाद कर दिया जाएगा) के माल में ज़कात वाजिब नहीं है और आपने फरमाया कि ज़कात उस वक़्त तक अमानत है जब तक कि साहिबे ज़कात उसको वहां न पहुंचा दे जहां पहुंचाना चाहिये। चुनांचा इस इर्शाद के मुताबिक़ यह बात हर उस शख्स के लिये लाज़िम है जिस पर ज़कात वाजिब है और अगर उसने अपनी ज़कात उन लोगों के अलावा किसी और को दी जिसको ज़कात देने का खुदा ने हुक्म फरमाया था तो उस पर वाजिब है कि वह दूसरी मर्तबा उनको ज़कात दे जिनको देने का

खुदा ने अम्र फरमाया है। इस सिलसिले में जो कुछ वाजिब है इन्शा अल्लाह हम आइंदा बयान करेंगे। इस रिवायत से यह बात साबित हो गई कि अगर किसी के माल की ज़कात उसके अदा करने से क़बूल जाये (बेकार) हो जाए तो उस पर अपने माल की ज़कात फिर से अदा करना वाजिब है जिसको देना चाहिये था। इसके मिलने से पहले ही माल ज़ाये हो गया तो ज़कात का जो माल ज़ाये हो गया वह काफी न होगा।

इमाम जअफरुस्सादिक^{अ.स.} से रिवायत है आपने फरमाया कि जिस शख्स पर अपने माल की ज़कात अदा करना वाजिब हो उसको अदा करने से पहले मरने का वक़्त आ गया और उसने यह वसीयत कर दी कि उसकी तरफ से ज़कात अदा कर दी जाए तो उस सूरत में उसके तमाम अमवाल में से ज़कात अदा की जाए हालांकि उसने वसीयत कर दी हो कि उसके माल के तीसरे हिस्से में से ज़कात अदा की जाए तो ऐसा उस वक़्त करना चाहिए जबकि इस बात का इल्म हो लेकिन अगर यह मालूम हो जाए कि वह अपने पूरे माल की ज़कात देकर अपने वारिसों को तकलीफ देना चाहता है और उनकी मीरास (विरासत) को तबाह करना चाहता है तो उस सूरत में पूरे माल से नहीं बल्कि उसके माल के तीसरे हिस्से में से ज़कात देनी चाहिये। लेकिन अगर वारिस पूरे माल में से ज़कात अदा करने पर रज़ामंद हो तो उसमें से ज़कात अदा की जाए।

चौपायों की ज़कात का बयान

इमाम जअफरुस्सादिक^{अ.स.} और आपके पिदर बुर्जुगवार इमाम बाकिर^{अ.स.} और आपके आबा ए किराम और हज़रत अली^{अ.स.} से रिवायत है कि रसूल ख़ुदा^{स.अ.व.} ने लोगो से ज़कात के सिलसिले में हल्फ लेने से मना फरमाया है। आपने फरमाया कि लोग ज़कात के सिलसिले में मेहफूज़ व मामून है (यानि अगर कोई शख्स इन्कार करे कि उसके माल पर ज़कात वाजिब नहीं होती और ज़ाहिर में भी इतना माल मौजूद न हो तो उससे क़सम न लेना चाहिये) आपने साल में दो मर्तबा ज़कात वसूल करने से मना फरमाया है। बल्कि हर साल ज़कात एक ही बार वसूल करनी चाहिये। आपने ज़कात की वसूलयाबी में सख़्ती करने से और ज़बरदस्ती वसूल करने से मना फरमाया है। लोगो को मारना पीटना और हद से ज़्यादा तकलीफ देना मना है। अइम्मत

ताहिरीन^{अ.स.} ने हुक्म दिया है कि सदका वसूल करने वाला लोगो के उस माल की ज़कात ले जो उनके पास मौजूद है और उनके साथ अदल व इन्साफ से पेश आये और उन पर जो कुछ ज़कात देना वाजिब होता है उसको न छोड़े।

अमीरुल मुअमिनीन हज़रत अली^{अ.स.} से रिवायत है आपने मुखनफ बिन सलीम अल अज़दी को उस वक़्त वसीयत की थी जब आपने उनको सदका की वसूलयाबी के लिये भेजा था। उनको एक तवील वसीयतनामा लिख दिया था। आपने वसीयतनामा में उनको जाहिर और बातिनी दोनों कामों में खुदा से डरने की वसीयत की थी और उनको इस बात की वसीयत की थी कि लोगो से खुशमिज़ाजी और नरमी से जाकर मिलना और तवाज़ोअ व इकिसारी पर लाज़िम रहना और तकब्बुर से बचना क्योंकि खुदा तवाज़ोअ व खाकसारी करने वालों को बुलंद व तकब्बुर करने वालों को नीचा करता है। उसके बाद आपने फरमाया कि मुखनफ बिन सलीम! तुम्हारे वास्ते भी इस ज़कात में एक वाजिब हिस्सा है और इसमें तुम्हारे दूसरे भी शरीक हैं जैसे फुकराअ और मसाकीन गारिमीन व मुजाहिदीन मुसाफिरीन, ममलूकीन और मुतालिफीन हम तुमको तुम्हारा पूरा हक़ देंगे तुम उनको पूरा पूरा हक़ दो। वरना क़यामत के रोज़ तुम्हारे सबसे ज़्यादा दुश्मन यही लोग होंगे और सबसे ज़्यादा मुसीबत और तंगी में वह शख्स होगा जिसके साथ खुसूमत करने वाले उतने ज़्यादा होंगे।

अमीरुल मुअमिनीन अली^{अ.स.} ने फरमाया कि अहले बादिया वालों (देहात वाले) की ज़कात उनके उन मवाज़ेअ (ठिकानों) से ली जाए जहां वह रहते हो और खेती बाड़ी करते हो लेकिन आपने यह भी फरमाया कि अगर सूखा यानि अकाल पड़ जाए और ज़मीन से अनाज पैदा न हो तो ज़कात में उस वक़्त तक ताखीर (देरी) करनी चाहिये जब तक की क़हत (अकाल) दूर न हो जाए। आपने फरमाया कि ज़कात उन्ही चौपायों में से वसूल की जाए जिन पर ज़कात वाजिब होती है ऊंट में से ऊंट, गाय में से गाय, भेड़ में से भेड़, गेहूं में से गेहूं, समर में से समर ये उस सूरत में किया जाए जबकि ज़कात देने वालो के पास सोना या चाँदी न हो। आपके ज़माने में लोगो का यही हाल था लेकिन अगर वह दीनार व दिरहम दे सकते हो तो उन पर जो ज़कात वाजिब है उसके मुताबिक़ कीमत दे दे तो उसमें कोई हर्ज़ नहीं है यह इसलिये ताकि इन्हे और दूसरो को सहूलियत हो जाए इस सिलसिले में हम उपर बयान कर चुके हैं।

इमाम जअफरुस्सादिक^{अ.स.} से रिवायत है आपने फरमाया कि अगर किसी पर सोने की ज़कात वाजिब है और वह उसकी कीमत के मुताबिक चाँदी देना चाहता है तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। इसी तरह चाँदी की जगह उसकी कीमत के मुताबिक सोना देना चाहता है तो इसमें भी कोई हर्ज नहीं है। यह वैसे ही है जैसे की हमने इससे पहले चौपायों और अनाज वगैरह पर ज़कात की जो रक़म वाजिब है उसको देना वाजिब किया है हम आइंदा ऊंटों की ज़कात अदा करने का ज़िक्र करेंगे जिनकी उम्रें मुख़ालिफ़ होती है।

इमाम जअफरुस्सादिक^{अ.स.} से मनकूल है आपने इर्शाद फरमाया कि इमाम लोगों से उनके अमवाल की ज़कात वसूल करने में उनके साथ ज़ब्र से काम ले क्योंकि परवरदिगारे आलम ने :

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً

खुज़़ मिन अमवालिहिम सदका 11-9 / 10

तर्जुमा : (ए रसूले खुदा) लोगो के अमवाल की ज़कात वसूल करो। हुक्म फरमाया है पस आहज़रत^{स.अ.व.} ने लोगो से फरमाया कि तुम लोग चालीसवां हिस्सा अदा करो यानि बीस मिसकाल में से निस्फ़ मिसकाल और दो सौ दिहरम में से पांच दिरहम अदा करो।

इमाम जअफरुस्सादिक^{अ.स.} और आपके पिदर बुर्जुगवार इमाम बाकिर^{अ.स.} और आपके आबा ए किराम और हज़रत अली^{अ.स.} से मनकूल है उन्होंने फरमाया कि अगर किसी के पास सिर्फ़ चार ऊंट हो तो उस पर कुछ भी ज़कात वाजिब नहीं है। यहां तक कि पांच चरने वाले ऊंट जमा हों तो उसमें एक बकरा की ज़कात वाजिब होगी फिर पांच से ज़्यादा यानि नौ तक एक ही बकरा है। यहां तक कि दस ऊंट हो जाये। जब दस ऊंट हो जाये तो दो बकरें ज़कात में देना वाजिब है और जब पन्द्रह ऊंट हो जाए तो तीन बकरें ज़कात में देना वाजिब है और जब बीस ऊंट हो जाए तो चार बकरें ज़कात में देना वाजिब है। और जब पचीस ऊंट हो जाए तो एक बन्ते मखाज़¹ (यानि ऊंट का एक साल की उम्र का मादा बच्चा) अगर बन्ते मखाज़ न हो तो इब्ने लबून (यानि दो साल का नर बच्चा) ज़कात में देना वाजिब है। 35 ऊंट से एक भी ज़ायद हो जाए तो 45 ऊंट तक एक बन्ते लबुन (ऊंट का वह मादा बच्चा जो दो साल का हो चुका है और तीसरे साल

1. बन्ते मखाज़ ऊंट के उस मादा बच्चे को कहते हैं जो एक साल का हो चुका हो और दूसरे में दाखिल हो चुका हो।

में दाखिल है) ज़कात में देना वाजिब है। और जब 45 से एक ऊंट भी ज़्यादा हो जाए तो 60 ऊंट तक एक हिक्का (यानि ऊंट का वह मादा बच्चा जो तीन साल का हो चुका है और वह अब सामान लादने के काम आ सकता है) ज़कात में देना वाजिब है। और जब इसमें से एक ऊंट भी ज़ायद हो जाए तो 75 ऊंट तक एक जज़आ (यानि पांच साल की ऊंटनी) ज़कात में देना वाजिब है। और जब उसमें से एक ऊंट भी ज़ायद हो जाए तो 90 ऊंट तक दो बिन्ते लबून ज़कात में देना वाजिब है। और जब उसमें से एक ऊंट भी ज़ायद हो जाए तो 120 ऊंट तक दो हिक्का (यानि तीन साल की उम्र के दो मादा बच्चे) ज़कात में देना वाजिब है। और जब 120 से भी ज़्यादा हो तो हर 40 पर एक बिन्ते लबून और हर 50 पर एक हिक्का और एक बिन्ते मखाज़ (यानि ऊंट का वह मादा बच्चा जिसकी उम्र एक साल की हो चुकी हो और दूसरे साल में दाखिल हो गया है गोया उसकी मां दूसरे बच्चे से हामिला हो गई इसलिये वह मखाज़ यानि हामिला है) और जब बिन्ते मखाज़ ऊँट का वह दो साल का मादा बच्चा जो दो साल का हो जाए और तीसरे साल में दाखिल हो तो अब वह बिन्ते लबून है। गोया उसकी माँ अब बच्चा जन चुकी है और वह दुध वाली हो चुकी है। और जब चौथा साल पूरा कर ले तो उसको हिक्का कहते हैं। यानि अब वह बार-बरदारी (बोझा ढोना) और सवारी के काम आ सकता है। और जब पांचवे साल में दाखिल हो जाए तो उसको जज़आ कहते हैं।

अमीरुल मुअमिनीन^{अ.स.} से मरवी है आपने फरमाया है कि ऊँट की ज़कात वसूल करने वाला ज़कात देने वाले के पास उस उम्र का बच्चा न पाए जो ज़कात में देना वाजिब हो तो उससे ज़्यादा उम्र का बच्चा ले ले। और ऊँट के मालिक को दोनों के दरमियान जो फर्क हो उसको अदा कर दे। या उससे कम उम्र का बच्चा ले तो उस ऊँट के मालिक पर वाजिब है कि वह उन दोनों के दरमियान जो कमी रह गई है उसको पूरा कर दे।

अइम्मत ताहिरीन^{अ.स.} ने फरमाया है कि गायों पर उस वक़्त तक ज़कात वाजिब नहीं है जब तक की उसकी तादाद 30 तक न पहुँच जायें जब 30 चरने वाली गाय हो जाएं बशर्ते कि वह हामिला न हों तो उन पर एक तबीअ (यानि एक बछड़ा जिसकी सींग सीधी हो चुकी हो और वह एक साल का हो चुका हो) एक साल का बछड़ा या एक तबीआ यानि एक साल की बछड़ी ज़कात में देना वाजिब है। फिर चालीस तक कुछ भी ज़कात वाजिब नहीं है। हां जब 40 गायें हो जाएं तो 60 गायों तक एक मसना (यानि

छः दांतों वाली गाय) ज़कात में देना वाजिब है। और जब 60 गायें हो जाएं तो 70 गायों तक दो बछड़ें या दो बछड़ियाँ ज़कात में देना वाजिब है। और जब 70 हो जाएं तो 1 गाय और एक बछड़ा ज़कात में देना वाजिब है। और जब 80 हो जाएं तो 90 तक दो गायें ज़कात में देना वाजिब है। और जब 90 गायें हो जाएं तो 100 तक तीन बछड़े ज़कात में देना वाजिब है। और जब 100 गायें हो जाएं तो 1 गाय और दो बछड़े ज़कात में देना वाजिब है। और जब 110 हो जाएं तो 120 तक दो गायें और एक बछड़ा ज़कात में देना वाजिब है। और जब 120 गायें हो जाएं तो 3 गायें ज़कात में देना वाजिब है। उसके बाद हर तीस पर एक बछड़ा या बछड़ी ज़कात में देना वाजिब है। और 30 के उपर हर 40 में एक गाय देना वाजिब है। और औकास (चौपायों के व्यापार) पर कुछ भी ज़कात वाजिब नहीं है और न उन ऊंट और गायों और बकरियों पर ज़कात वाजिब है जो काम काज, बार बरदारी, सवारी और पवन चक्की चलाने के काम आते हैं और घर के अंदर ही उनकी देखभाल और परवरिश की जाती है।

अइम्मत ताहिरीन^{अ.स.} फरमाते हैं कि 40 से कम भेड़ों पर ज़कात वाजिब नहीं है। जब उनकी तादाद 40 तक पहुंच जाए और वह चरती हो तो जब उन पर ज़कात देने की मुद्त (यानि एक साल) पूरी हो जाए तो उन पर एक बकरी ज़कात में देना वाजिब है। उसके बाद ज़्यादा हो जाए तो 200 तक 2 बकरियाँ ज़कात में देना वाजिब है। और जब 200 से 1 भी ज़्यादा हो जाए तो 300 तक 3 बकरियाँ ज़कात में देना वाजिब है। और जब 300 से ज़्यादा हो जाए तो हर 100 पर एक बकरी ज़कात में देना वाजिब है। ऊंट, गाय, भेड़ पर जिस वक़्त ज़कात वाजिब होती है, उसको निसाब कहते हैं अगर निसाब पूरा न होता हो तो नये पैदा होने वाले छोटे बच्चों को गिनती में शुमार न करें। इस तरह नये जानवरों को भी पुराने जानवरों में शरीक न करें हत्ता कि उन पर एक होल (साल) गुज़र जाए और उनमें निसाब पूरा होकर ज़कात वाजिब हो जाए।

अइम्मत ताहिरीन^{अ.स.} से रिवायत है कि आहज़रत^{स.अ.व.} ने ज़कात देते वक़्त चौपायों को बाहम जमा व तफरीक करने से मना फरमाया है वह इस तरह कि जब ज़कात वसूल करने वाला ज़कात लेने आये तो अहले मवेशी को अपने मवेशी मखलूत न करना चाहिये ताकि ज़कात वसूल करने वाला आसानी से हर सैकड़े पर एक बकरी ले सके। बल्कि जिस शख्स के पास जितने मवेशी हो उनका हिसाब लगाकर हर एक शख्स से अलग-अलग

वाजिब शुदा ज़कात वसूल करना चाहिये। मवेशी को बाहम मखलूत न करने की अव्वल वजह यह है कि मसलन तीन आदमी है उनमें से हर एक शख्स के पास 40 40 बकरियाँ है और उन्होने इसको मखलूत कर दिया तो इस सूरत में ज़कात के वसूल करने वाले के लिये एक ही बकरी ज़कात में लेना वाजिब हो जाता है। लेकिन अगर यही मवेशी हर एक के पास अलग-अलग हों तो तीन बकरियाँ वाजिब होती है यानि हर एक पर एक-एक बकरी ज़कात में देना वाजिब हो जाता है।

और तफरीक मुजतमअ की सूरत यह है कि मसलन किसी के पास 40 बकरियाँ है लेकिन जब ज़कात वसूल करने वाला आया तो उसने ज़कात से बचने के लिये उनको दो हिस्सों में तकसीम कर दिया। यह मवेशी के मालिकों का जुल्म है और ज़कात वसूल करने वालों को यह जुल्म है कि वह ऐसे दो आदमियों का माल मखलूत कर दे जिनमें से किसी पर ज़कात वाजिब नहीं है। मसलन उनमें से हर एक के पास 20 20 बकरियाँ है। अब जबकि ज़कात वसूल करने वाला उनको मखलूत कर देगा तो इस सूरत में उन पर ज़कात वाजिब हो जाएगी। इसी तरह ज़कात वसूल करने वाला एक ही शख्स के माल को मुतफर्रिक् कर दे। मसलन उसके पास 120 बकरीया है जिसकी ज़कात एक ही बकरी वाजिब है। लेकिन जब उनको 40-40 की सूरत में अलग कर दे ताकि तीन बकरीया ज़कात में वसूल करे तो यह हरकत न तो अहले मवेशी के लिये जायज़ है न ज़कात वसूल करने वालों को ज़ैबा है कि वह मुजतमअ को मुतफर्रिक् कर दे और मुतफर्रिक् को मुजतमअ कर दे।

इमाम जअफरुस्सादिक^{अ.स.} से रिवायत है आपने फरमाया खुलता (मवेशी को जमा करने वाला) जब अपने मवेशी को जमा कर दे और चरवाह भी एक हो और सांड भी एक हो तो ज़कात लेते वक़्त उनके अलग अलग अमवाल को जमा न किया जाए लेकिन हर एक से वही लिया जाए जितनी ज़कात उसके अपने माल में वाजिब है और अगर दो आदमी माल में शरीक हो तो पूरे माल की ज़कात ली जाए और वह माल में अपने अपने हिस्सों के मुताबिक बाहम (आपस में) समझ ले।

हज़रत अली^{अ.स.} से रिवायत है आपने फरमाया कि ज़कात वसूल करने वाला ज़कात में से बुढ़ा और कमज़ोर और एबदार जानवर न ले। इमाम जअफरुस्सादिक^{अ.स.} से मनकूल है आपने फरमाया कि ज़कात वसूल करने वाला ज़कात में वह बकरी न ले जो चरबीदार और भरे हुए गोश्त की हो और

न दुध वाली बकरी ले जिस पर बकरी के मालिक की जिंदगी का दारो मदार है और न हामिला बकरी और न अंधा न लंगड़ा ले। और न वह बकरा ले जिससे बकरीया हामिला की जाती है। और न कोई एबदार जानवर ले और न बकरी का छोटा बच्चा और न ऊंट का छोटा बच्चा और न गाय का छोटा बछड़ा ले। और न ज़कात में बहुत अच्छा और बहुत बुरा जानवर भी न ले।

हज़रत अमीरूल मुअमिनीन^{अ.स.} से रिवायत है आपने फरमाया कि भेड़ और बकरी को तीन तीन हिस्सों में पहलें तकसीम कर दिया जाए। फिर बकरियों का मालिक उनमें से एक सुलुस (तीसरा हिस्सा) का इन्तिखाब करे और फिर ज़कात वसूल करने वाला बाकी दो सुलुस में से इन्तिखाब करे।

आहज़रत^{स.अ.व.} से मनकूल है कि आपने घोड़ो, खच्चर, गधो और गुलामो की ज़कात माफ कर दी है। इमाम जअफरुस्सादिक^{अ.स.} से रिवायत है आपने फरमाया कि चरने वाले ऊंट, गाय, भेड़, बकरीयों पर ज़कात वाजिब है। जानवरों की इन तीन किस्मों के अलावा जानवरों की ज़कात वाजिब नहीं है। हज़रत अली^{अ.स.} से रिवायत है कि आपने अरब के नसरानियों से दो गुनी ज़कात यानि टैक्स वसूल करने का फरमान जारी किया था।

ज़कात देने का बयान

खुदा वंदे तआला ने अपने पैगम्बर रसूले खुदा^{स.अ.व.} से मुखातिब होकर फरमाया है :

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا

खुज़ मिन अमवालिहिम सदःकतन तुतहहिरुहुम व तुज़क्कीहिम बिहा 11-9/103। रसूले खुदा^{स.अ.व.} का इर्शाद है कि लाओ मुझे अपने अमवाल के दसवे हिस्से का चौथा हिस्सा यानि बीस दीनार में से निस्फ दीनार और हर दो सौ दिरहम में से पांच दिरहम ज़कात दो मुसलमानो का इस पर इत्तिफाक है और हमारे इल्म के मुताबिक उनके दरमियान कोई इख्तिलाफ नहीं है कि रसूले खुदा^{स.अ.व.} अपने नज़दीक रहने वाले मुसलमानो से खुद ज़कात वसूल फरमाया करते थे। और जो मुसलमान दूर रहते थे उनसे ज़कात वसूल करने के लिये दूसरो को भेजते थे। जो उन से ज़कात वसूल करके रसूले खुदा^{स.अ.व.} के दरबार में पेश करते थे और आप उसको उन राहों

में सर्फ (खर्च) करते थे जहां अल्लाह तआला ने आपको सर्फ करने का हुक्म दिया था। और तमाम मुसलमानों का इस पर भी इत्तिफाक है कि रसूले अकरम^{स.अ.व.} की वफात की वजह से ज़कात की फरीज़त रफअ नहीं हुई है बल्कि लोग आंहज़रत^{स.अ.व.} के बाद उसको ज़कात देते थे जो उनके उमूर को चलाते थे और जब आप^{स.अ.व.} के बाद आपका काइम मक़ाम बना था। मगर बाद में जब उन्होंने देखा कि उनके अइम्मा ज़कात को अपने ज़ाती कामों में सर्फ करने लगे हैं तो उन्होंने हत्तल—इमक़ान ज़कात देना बंद कर दिया। अगर उनके नज़दीक वह बरहक़ अइम्मा थे तो उन लोगों पर वाजिब और फ़र्ज़ था कि वह उनको ज़कात देते क्योंकि खुदा वंदे तआला ने तो उनको इस बात का कुछ मुकल्लिफ नहीं बनाया है जो उसने इमामों पर ज़कात को उसकी राहों में ही सर्फ करने की पाबंदी लगाई है।

लोगों पर तो सिर्फ ज़कात अपने इमामों को अदा कर देना वाजिब किया गया है। और इमामों पर वाजिब है कि ज़कात को उसकी राह में ही सर्फ करें। हरगिज़ खुदा किसी शख्स से ऐसे अमल की बाबत पुछ—ताज न करेगा। जिसको उसने इस पर फ़र्ज़ ही नहीं किया है। फिर बड़े तअज्जुब की बात है कि उन्होंने ज़कात को मसाकीन में तक्सीम करने की राय कर ली। इस तरह वह उनमें से अकसर अपनी ज़कात ग़ैर वाजिब राहों में खर्च कर देते हैं। पस वह खुद भी उस फ़अल के मुरतकिब हो गये जो इन्होंने अपने इमामों के लिये नापसंद किया था। मसाकीन के अलावा ज़कात में वह दूसरे हक़दार और शुरकाअ भी हैं जिनके नाम खुदा ने अपनी किताब में बता दिए हैं। मसाकीन के अलावा मुस्तहिक्कीन ज़कात की सात किस्में और भी हैं। 1 फ़ुकराअ, 2 ज़कात वसूल करने वाले, 3 मोअल—लफतुल कुलूब (नए मुसलमान व मुअमिन बने हों), 4 और जिनकी गर्दनो में गुलामी का फंद़ा है, 5 क़र्ज़दारों का, 6 खुदा की राहें जिहाद में, 7 मुसाफ़ीरीन। इस आयते करीमा में अल्लाह तआला ने किसी को कोई खुसुसियत नहीं दी है बल्कि इन आठों मुस्तहक्कीन को ज़कात में बराबर का शरीक क़रार दिया है। जैसाकि अल्लाह तआला का इश्आद है :

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَ الْمَسْكِينِ وَ الْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَ الْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَ فِي الرِّقَابِ
وَ الْغَارِمِينَ وَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَ ابْنِ السَّبِيلِ ۚ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۚ وَ اللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ۝

इन्नमस सदकातो लिल फुकराइ वल मसाकीनि वल आमिलीनः अलैहा वलमुवल्लःफति कुलूबुहुम व फिर-रिकाबि वल गारिमीनः व फी सबीलिल्लाहि वबनिस सबीलि फरीज़तन मिनल्लाहि वल्लाहो अलीमुन हकीम (10-9/60)
 तर्जुमा : खैरात तो बस खास फकीरो का हक है और मोहताजो का और ज़कात वसूल करने वालों का और मौअल-लफतुल कुलूब का और जिनकी गर्दनो में गुलामी का फंदा है और कर्जदारो का (जो खुद से अदा नहीं कर सकते) और खुदा की राह में (जिहाद) में और परदेसियों (मुसाफिरीन) की कफालत में खर्च करना चाहिये। यह हुक्कू खुदा की तरफ से मुक़र्रर किये गये हैं और खुदा बड़ा वाकिफकार और हिकमत वाला है।

पस कैसे जाइज़ और दुरुस्त हो सकता है कि मज़कूरा बाला मुस्तहकीन में से कुछ को तो दिया जाए और कुछ को न दिया जाए ? हालांकि परवरदिगार आलम ने ज़कात को उन तमाम का हक़ करार दिया है। लिहाज़ा अइम्मा आले मोहम्मद^{अ.स.} के सिवा किसी और को यह हक़ नहीं पहुँचता है कि वह ज़कात को उनमें तक़सीम करे और मुस्तहकीन ज़कात के हर तबक़े को उनके हक़ के मुताबिक़ ज़कात तक़सीम करे यह काम सिवाय उन अइम्मा ए अहले बैत^{अ.स.} के और कोई नहीं कर सकता है जिन पर अल्लाह तआला ने उन मुस्तहकीन में ज़कात को तक़सीम करना वाजिब कर दिया है और उनको ज़कात का अमीन बनाया है। वरना हर ज़माने में लोगों को इस मिक्दार का कैसे पता चल सकता है जो उन मुस्तहकीन ज़कात के तबक़ात में से हर तबक़े को देना चाहिये ? और लोगो को यह कैसे पता चल सकता है कि इस्लाम लाने पर किसकी तालीफ़ करनी चाहिये और आइम्मा-आले-मोहम्मद^{अ.स.} के सिवा कौन मौअललफतुल कुलूब को उनका हक़ दे सकता है जो इनकी तालीफ़ करने वाले हैं। और राहे ज़िहाद में आइम्मा-ए-अहले बैत^{अ.स.} के सिवा कौन ज़कात को किस तरह खर्च कर सकता है? क्योंकि ज़िहाद तो इन्ही के साथ रहकर किया जा सकता है और ज़िहाद कब और कैसे करना चाहिये। इसका पता भी इन्ही से चलता है। और ज़कात के कारिंदो को आइम्मा के सिवा कौन इनको इनका हक़ दे सकता है जबकि अइम्मा ने उनको ज़कात की वसूलयाबी पर मुक़र्रर किया है और यह भी एक हकीक़त है कि परवरदिगारे आलम ने इनको मुसलमानों की ज़कात का अमीन बनाया है और उन पर ज़कात का खाना हराम करार दिया है। ताकि लोगो को इस बात का पूरा यकीन हो जाए कि उन पर

ज़कात हराम होने की वजह से ज़कात में उनका कोई हक़ नहीं है तो वह कैसे इसको अपने ज़ाती मुसारिफ़ (खर्च) में लाकर लोगो की तौहमत का निशाना बन सकते हैं।

इमाम हसन^{अ.स.} से रिवायत है आपने फरमाया कि एक मर्तबा का ज़िक्र है कि रसूले अकरम^{स.अ.व.} मुझे मेरा हाथ पकड़े हुए तशरीफ़ ले जा रहे थे कि हम सदका की पड़ी हुई खजूरो के पास से गुज़रे। मैं उस वक़्त बच्चा था। मैंने उस खजूर के ढेर में से एक खजूर उठा कर अपने मुंह में डाल लिया रसूले अकरम^{स.अ.व.} जल्दी से आये और मेरे मुंह के अन्दर अपनी उंगलियाँ डालकर उस खजूर को लुआब-दहन के साथ बाहर निकाल दिया। और उसे खजूर के ढेर में डाल दिया। फिर आप^{स.अ.व.} ने मुझसे फरमाया कि हम एहले बैत^{अ.स.} पर सदका (यानि ज़कात का माल खाना), हराम है।

इमाम जअफरुस्सादिक^{अ.स.} ने फरमाया कि आंहज़रत^{स.अ.व.} का यह इर्शाद है कि ज़कात न मेरे लिये हलाल है न मेरे एहले बैत के लिये। यह सदका (ज़कात) तो लोगो का मेल है। उस वक़्त इमाम जअफरुस्सादिक^{अ.स.} की खिदमत में अर्ज़ किया गया कि इस सदका से वही ज़कात मुराद है जिसे लोग अपने अमवाल में से निकालते हैं आपने फरमाया कि हां लेकिन खुदा ने हमको इसके ऐवज़ खुम्स (पांचवां हिस्सा) अता फरमाया है। आपकी खिदमत में अर्ज़ किया गया कि अगर खुम्स का माल भी बंद हो जाये तो क्या इस सूरत में आप लोगो के लिये सदका (ज़कात) खाना हलाल होगा? आप^{अ.स.} ने फरमाया कि नहीं! कसम बखुदा अल्लाह तआला ने हम पर ज़कात को हर हाल में हराम कर दिया है। ज़ालिमीन अगर हमारे हुकूक को बंद भी कर दे तो ज़कात का माल खाना हलाल नहीं है। जो चीज़ परवरदिगारे आलम ने हम पर हराम कर दी है वह ज़ालिमीन से हमारे माल यानि खुम्स के बंद कर देने की वजह से हलाल नहीं हो सकती।

इमाम जअफरुस्सादिक^{अ.स.} फरमाते हैं कि ज़काते मफरूज़ा हमारे लिये खाना हलाल नहीं है। मैंने न तो कभी ज़कात खाई है न शराब पी है। परवरदिगार आलम ने हम पर लोगो के सदकात यानि ज़कात को खाना हराम कर दिया है। और ज़कात का करिन्दा बन कर ज़कात का माल खाना भी हराम कर दिया है। अलबत्ता ज़कात को छोड़ कर अल्लाह तआला ने हमारे लिये आपस में एक दूसरे के अतिया (हदिया) को खाना हलाल फरमाया है। आपने फरमाया कि अगर ज़कात के माल की ज़रूरत आन पड़े

तो वक्त से एक माह पहले वसूल कर देने में कोई हर्ज नहीं है। रसूले अकरम^{स.अ.व.} ने हज़रत अब्बास^{र.अ.} से ज़कात का माल किसी अहम ज़रूरत की वजह से कब्ल अज़वक्त (वक्त से पहले) वसूल कर लिया था।

कासिम बिन इब्राहीम अलवी से उस ज़कात की बाबत पुछा गया जो एक शहर से किसी दूसरे शहर में मुंतकिल की जाती है। उन्होने जवाब दिया कि ज़कात का तमाम मामला अइम्मा के हाथों में है। इमाम जहां जितना तकसीम करना मुनासिब खयाल करे उसे तकसीम करने का इख्तियार हासिल है। और जिससे इस्लाम पर आई हुई आफत को दूर कर सके उसका भी इख्तियार है।

हज़रज अली^{अ.स.} से मनकूल है कि आपने जब मुखनफ बिन सलीम को कबीला बक्र बिन वाइल की ज़कात वसूल करने के लिये रवाना फरमाया तो उनको यह ऐहद नामा लिख दिया कि हमारे ज़ैरे फरमान जज़ीरा और कुफा व शाम के दरमियान रहने वालों में से अगर कोई शख्स यह दावा करे कि उसने शाम के अम्माल को अपनी ज़कात अदा कर दी है। दर हालांकि हमारे घुड़सवारों और पैदल सवारों ने उसकी हिफाज़त की है इसलिये उसका अम्माल शाम को ज़कात देना काफी न होगा। अगर वह उन्ही को ज़कात देना बरहक समझता है तो उसको यह सज़ावार नहीं कि रहे तो हमारे बिलाद (शहर) में और अपने अमवाल की ज़कात हमारे दुश्मनों को दे दे।

इमाम जअफरुस्सादिक^{अ.स.} से आयत करीम :

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ

इन्नमस सदकातो लिलफुकराइ वल मसाकीन: 10—9/60 की बाबत पुछा गया तो आपने फरमाया कि फकीर वह है जो सवाल न करता हो और मसाकीन वह है जो फुकराअ से ज़्यादा तंगदस्त हो और बाइस उसको कहते हैं जो उन दोनों से भी ज़्यादा तंगदस्ती में मुब्तिला हो। आपने यह भी फरमाया कि ज़कात का माल सिर्फ मुमिनीन एहले वलाअ ही को देना चाहिये। अर्ज किया गया कि जब किसी मक़ाम पर कोई मुअमिन ज़कात का मोहताज ही न हो तो? आप^{अ.स.} ने फरमाया कि उस ज़कात को दूसरे ठिकाने में भेज देना चाहिये ताकि वहां के मोहताज मुअमिनीन एहले वलाअ में तकसीम कर दिया जाए लेकिन ऐसी कौम को न दो कि जिनको तुम अगर

अपने अग्र की तरफ दावत करोगे तो वह मरते दम तक कबूल न करेंगे। अर्ज किया गया कि जब कोई मुअमिन मुसतहिक् वहां भी न मिले तो? आपने फरमाया कि उस सूरत में ज़कात उन कमज़ोर और नातवां लोगो को दो जो अइम्मा से दुश्मनी नहीं करते और मुअमिन को ज़कात के माल से इतना दे दो कि जिससे वह खाना खा सकते हो और कपड़ा बनाकर पहन सकते हो और शादी कर सकते हो और हज कर सकते हो और फितरा अदा कर सकते हो।

सादिक् आले मोहम्मद^{अ.स.} ने इर्शादे बारी तआला

وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا

वल आमिलीन: अलैहा के बारे में फरमाया कि आमिलीन अलैहा से ज़कात के कारिंदे मुराद है। इमाम जिस कद्र मुनासिब ख्याल करे उनको ज़कात में से अता करे। इमाम पर उनको कोई मुक़रर रक़म देना फर्ज नहीं है।

हज़रत अमीरुल मुअमिनीन^{अ.स.} से रिवायत है कि आपने एक मर्तबा यमन से दरबारे रिसालत^{स.अ.व.} में सिधाए हुए खाल के थैले में कुछ सोना भेजा था। जो यमन की ज़मीन से नहीं हासिल किया गया था। आंहज़रत^{स.अ.व.} ने उसको इन पांच अशखास (आदमियों) के दरमियान तक़सीम कर दिया। अकरअ: बिन हाबिस, उयना बिन हसन बिन बदर, जैद अल खैल, अल्कमा बिन उलाना, आमिर बिन तुफैल। आंहज़रत^{स.अ.व.} की इस तक़सीम से कुछ असहाबे रसूल को रंज व मलाल हुआ उन्होने कहा कि हम इसके ज़्यादा हक़दार थे। जब यह खबर रिसालत मुआब^{स.अ.व.} को हुई तो आपने फरमाया कि जबकि मैं इस आसमान वाले का अमीन हूँ जहां से मुझे सुबह व शाम खबरे आती है तो क्या तुम मुझे अपना अमीन नहीं समझते?

इमाम बाकिर^{अ.स.} से मरवी है आपने फरमाया कि इरशादे बारी तआला

وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ

वल मुअल्लफति कुलूबुहुम से कबीले के वह सरदार मुराद है जिनके इस्लाम लाने पर रसूले खुदा^{स.अ.व.} तालीफे क़ल्ब फरमाया करते थे। यानि आप उनको कुछ अतिया इनायत करके तालीफे क़ल्ब करते थे। ऐसा तो हर ज़माने में हो सकता है पस जब कभी इमाम को तालीफे क़ल्ब की ज़रूरत हो तो वह ऐसा करे और फिर आपने इर्शादे बारी तआला

وَفِي الرِّقَابِ

व फिर रिकाबि के मुताल्लिक़ फरमाया कि जब ज़कात का माल पाँच सौ दिरहम से ज़्यादा हो जायें तो उससे एक गुलाम खरीद कर आज़ाद कर दिया जाए।

इमाम जअफरुस्सादिक़^{अ.स.} से और आपके पिदर बुर्जुगवार इमाम बाकिर^{अ.स.} से और आपके आबा ए किराम और रसूले अकरम^{स.अ.व.} से मनकूल है कि आंहज़रत^{स.अ.व.} ने फरमाया है कि ज़कात का माल उन पांच अफराद को छोड़ कर किसी मालदार के लिये खाना हलाल नहीं है। वह पांच अफराद यह हैं :

1. ज़कात के कारिन्दे 2. कर्ज़दार 3. वह शख्स जिसने ज़कात के माल को अपने माल के एवज़ खरीद लिया हो 4. वह शख्स जिसको ज़कात बतौर हदिया मिली हो 5. जिसने किसी की ज़मानत ली हो। और सादिक़^{अ.स.} आले मोहम्मद फरमाते हैं कि इर्शादे बारी तआला

وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ

व फी सबीलिल्लाह से ज़िहाद हज और खैर के दूसरे कामों में सर्फ करना मकसूद है और

وَابْنِ السَّبِيلِ

(वब्निस सबील) से वह शख्स मुराद है वह मुसाफिर जिसका दरमियाने सफर ही में माल खत्म या ज़ाया हो चुका हो। या चोरों ने लूट लिया हो। आप फरमाते हैं कि इमामुज्ज़मान की राय अल्लाह तआला की राय होती है। अगर इमामुज्ज़मान की राय हो कि ज़कात को उन सब मुस्तहकीन (हक़दारों) में तकसीम कर दे जिनका ज़िक्र अल्लाह तआला ने किया है तो बेहतर है और अगर इमाम उन सब में से किसी एक को किसी वक़्त ज़कात का ज़्यादा मुस्तहिक़ समझे और उसको दे दे तो इमाम को इसका इख्तियार है और अगर उन मुस्तहकीने ज़कात में से किसी के पास अगर मकान भी हो, नौकर भी हो और उसके पास दो सौ दिरहम भी हो तो उसको ज़कात देने में कोई हर्ज़ नहीं है। हमने अइम्मा को या उनकी तरफ से मुर्करर शुदा कारिंदों को ज़कात देने का तज़क़िरा किया है तो मुसलमानों पर इतना ही वाजिब है कि वह ज़कात अदा कर दे। रहे अइम्मा तो उन पर यह वाजिब है कि वह ज़कात के माल को उन राहों में खर्च करे जिन राहों में खर्च करने का हुक्म खुदा वंदे तआला ने उनको दिया है। हमने उन राहों का ज़िक्र कर दिया है

और अइम्मा आले मोहम्मद^{अ.स.} ही उन राहों से ज़्यादा वाकिफ़ है। हमने ऊपर जो ज़कात बंद कर देने और उसको ग़ैर राहों में खर्च करने और ग़ैर अहल को देने के सिलसिले में तग़लीज़ व तशद्दुद की रिवायत का ज़िक्र किया है। दर हकीक़त जैसा कि हमने इस बाब में साबित किया है। अइम्मा आले मोहम्मद^{अ.स.} ही को ज़कात देना चाहिये। वही इसके अहल है।

अकसर लोग इस बात पर इसरार करते हैं कि इमामों को अमवाल की ज़कात न देना चाहिये और बअज़ ऐसे लोगो को ज़कात दे देते हैं जिनको अल्लाह तआला ने ज़कात देने की इजाज़त नहीं दी है। ख्वाह कोई ज़कात ग़ैर मुस्तहिक् को दे या कोई उसको रोक रखे दोनों बराबर हैं फिर भी यह लोग ज़कात को अपने इमामों से रोक कर भी राज़ी न हुए हत्ता कि वह अपने अमवाल में से मांग बैठे। अगर इमामों की तरफ से उन्हें मिल गया तो खुश और राज़ी हो गए और अगर इमामो ने न दिया तो नाराज़ हो गये। चुनांचा परवरदिगारे आलम ने अपनी किताब में इन्ही का हाल इस तरह बयान किया है कि :

وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ ۖ فَإِنْ أُعْطُوا مِنْهَا رَضُوا وَإِنْ لَمْ يُعْطُوا مِنْهَا إِذَا هُمْ
يَسْخَطُونَ •

व मिनहुम मन्य यलमिज़ुकः फिस सदकाति फइन उअतू मिनहा रज़ू व इन लम युअतो मिनहा इज़ा हुम यसखतून 10-9/57

तर्जुमा : (ए रसूल) उन में से कुछ तो ऐसे भी हैं जो तुम्हें खैरात की तक्सीम (में ख्वाह मख्वाह) इल्ज़ाम देते हैं फिर अगर उनमें से उन्हें कुछ माकूल (अच्छी) मिक्दार दे दी गई तो खुश हो गये और अगर उनकी मर्ज़ी के मुवाफ़िक़ उसमें से अगर कुछ नहीं दिया गया तो बस फौरन ही बिगड़ बैठे। हम खुदा के हुक्म की खिलाफ़ वरज़ी और उसकी मुमानिअत से तजावुज़ और उसके फराइज़ की तअतील (इन्कार) और उसकी किताब और अइम्मा आले मोहम्मद^{अ.स.} के हुक्म की मुखालिफ़त और उनके अफ़आल से नाखुश होने और उसके फरमान से सर-ताबी करने से अल्लाह की पनाह मांगते हैं।

हम इससे कब्ल यह ज़िक्र कर चुके हैं कि आम मुसलमानों का इस बात पर पूरा इत्तिफ़ाक़ है कि रसूले अकरम^{स.अ.व.} अपने ऐहदे मुबारक में आप^{स.अ.व.} के पास जो लोग रहते थे उनसे खुद ब-नफ़से नफीस ज़कात

वसूल फरमाया करते थे और जो लोग आपसे दूर रहते थे। उनसे ज़कात वसूल करने के लिये कारिन्दो को भेजा करते थे। आप^{स.अ.व.} के इन्तिक़ाल फरमाने के बाद खिलाफत के इब्तिदाई ज़माने में भी यह तरीका था यहां तक कि हज़रत अबू बक्र और वह सहाब—ए—किराम जो आपके साथ थे उन्होंने ज़कात बंद करने वालों के साथ जंग की और उनके जान व माल व ज़ुर्रियत को हलाल करार दिया और उनको “मुर्तदीन” के नाम से मोसूम किया। लेकिन उनके लिये यह मुबाह नहीं किया कि वह ज़कात बंद करके अपने दरमियान तकसीम कर दें। क्योंकि परवरदिगार आलम ने

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً

खुज़ मिन अमवालिहिम सदकतन फरमाकर ज़कात वसूल करना वाजिब कर दिया हैं और ज़कात के उन कारिंदो का भी ज़िक्र किया है जो लोगो से ज़कात वसूल करते हैं। और सहाबा—ए—किराम में से कोई सहाबी अपनी ज़कात को मसाकीन में तकसीम नहीं करता था। जैसा कि आज आवामुन नास में से कुछ लोग इसे तकवा समझकर ज़कात को अपने हाथो से मसाकीन में तकसीम कर देते हैं। और आम मुसलमानो का हाल यह है कि वह अपने अमवाल की ज़कात अपने ही ख्वीश व अकारिब में तकसीम कर देते हैं। और उनको दे देते हैं जिनकी उन्होने ज़िम्मेदारी ले रखी है और अगर कोई उनके आगे दस्ते सवाल फैलाता हो तो शर्म की वजह से उसको भी दे देते हैं। और उनमें से अक्सर तो ज़कात निकालते ही नहीं। हमारे नजदीक तो मुसलमान में से जो मुस्तहिक्कीन ज़कात को ज़कात देते हैं और जो नहीं देते दोनो ही बराबर हैं। जिसको ज़कात वसूल करना चाहिये उसको ज़कात न दिया जाए तो उससे कुछ ज़कात देने का हक़ अदा नहीं हो जाता। हुकूक—अल्लाह में तो जिस कद्र भी एहतियात बरती जाए कम है। और फिर अवाम के अकसर अइम्मा और फुक्हाअ जिनसे अवाम अपने दीन की बातें सीखते हैं वह खुद अपने ही हाथों से मुस्तहिक्कीन को ज़कात देने से मना करते हैं। अगर किसी ने दे दिया तो उसे जायज़ नहीं समझते। उनकी राय यह है कि अमीर को ज़कात देना चाहिये। पस आज अवाम अपने ही इमामों के खिलाफ अमल कर रहे हैं और वह उनमें से अब्वल न आखिर किसी की भी पैरवी नहीं कर रहे हैं।

वह सहाबा ए किराम जिनकी राय यह है कि ज़कात “उम्माअ” को देनी चाहिये उनके नाम यह हैं : सअद बिन मालिक, अबू सईद अल हज़री,

अब्दुल्लाह बिन उमर, अबू हुरेरा हज़रत आईशा। यह वह लोग है जिनकी मुखालिफत की गई थी। यहां तक मामला मुतगय्यिर (तब्दील) हो गया था और बअज़ लोगो ने जब यह देखा कि उनके उमराअ खुद ज़कात का इस्तेमाल करने लगे है तो उनको ज़कात देना बंद कर दिया। सदरे अब्वल के बाद का यह किस्सा है।

और अवाम की यह रिवायत है कि जब बअज़ सहाबा से ज़कात की बाबत पुछा गया तो उन्होने कहा कि अपनी ज़कात उमराअ को दे दो चाहे वह ज़कात के माल से सांपो का गोश्त ही क्यों न खा जाएं। और जब अवाम के अइम्मा में से किसी से ज़कात की बाबत पुछा गया तो उन्होने जवाब दिया कि अपनी ज़कात उमराअ को दे दो। इस पर उनसे कहा गया कि वह ज़कात के माल से मोतीयों का हार और मकान खरीदते है। और उसको खर्च कर डालते है तो उन्होने कहा कि तुम्हें उससे क्या गर्ज है? तुमको तो सिर्फ उन्हे ज़कात देने का हुक्म दिया गया है। और उन्हे ज़कात को उसकी राहों में सर्फ करने का हुक्म दिया गया है। पस तुम अपना फर्ज अदा करो वह अपना फर्ज अदा करें।

इब्ने उमर से रिवायत है उन्होने कहा कि चार चीज़ें सुल्तान के हवाले है 1. ज़कात 2. जुमआ की नमाज़ पढ़ाना 3. माले ग़नीमत 4. हद जारी करना और जब उनसे यह कहा गया कि सुल्तान ज़कात को अपने तसररूफ (खर्च) में लाता है तो उन्होंने कहा कि तुम्हें इससे क्या लेना देना है। अच्छा इस बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है कि तुमने चंद चोरो को पकड़ा उनमें से बअज़ का हाथ काट दिया और बअज़ को छोड़ दिया तो क्या तुमने दुरुस्त किया? उन्होने कहा कि नहीं तो इब्ने उमर ने कहा कि अगर तुमने उन चोरों को सुल्तान के हवाले कर दिया और सुल्तान ने उनमें से कुछ का हाथ काटा और कुछ को छोड़ दिया तो क्या इस सूरत में तुम पर कुछ भी ज़िम्मेदारी आयद नहीं होती ? उन्होने कहा कि नहीं। इब्ने उमर ने पुछा कि क्यों ? उन्होने कहा कि इसलिये कि हम पर जो वाजिब था हमने वह किया। यानि यह कि हम चोरों को सुल्तान के हवाले करे। इसके बाद खुद सुल्तान अपने फेअल का ज़िम्मेदार है इब्ने उमर ने कहा कि तुमने सच कहा। ऐसे ही दुनिया के मामलात चलते है।

अवाम यह रिवायत नक़ल करते है कि एक मर्तबा मरवान ने सअद बिन मालिक के पास कहलवा भेजा कि तुम अपने अमवाल की ज़कात मेरे पास भेज दो। मालिक ने मरवान के कासिद से कहा कि मैं ज़कात नहीं दे

सकता क्योंकि तुम लोग ज़कात के माल से महल और गुलाम खरीदते हो और मकानात तामीर करते हो और अमवाल खरीदते हो। लेकिन जब कासिद वापस चला गया तो वह अपने नफस के साथ हुज्जत व दलील करने लगे कि ए सअद तुम्हें इससे क्या गर्ज है उन पर एक अम्र वाजिब किया गया है। और एक अम्र तुम पर वाजिब किया गया है पस तुम अपना फर्ज अदा करो वह अपना फर्ज अदा कर लेंगे। उन्होंने अपने दिल में कई बार इस मसले पर गौर व फिक्र किया फिर उन्होंने कहा कि कासिद को वापस बुलाओ। जब लोग कासिद को आपके पास ले कर आये तो तक़रीबन 500 या 700 दीनार कासिद के हवाले कर दिए।

और बअज़ अवाम की यह रिवायत है कि हसन बसरी, आमिर शअबी, इब्राहीम नख्खी, सईद बिन जुबेर अवज़ाई, शाफई अबू सोर। इन तमाम हज़रात की यह राय है कि उमराअ को ज़कात देना वाजिब है। अगर किसी ने सुल्तान को ज़कात न दिया और फुकराअ में तक़सीम कर दिया तो जायज़ नहीं है। अबू उबेदा ने सोने और चांदी की ज़कात के दरमियान तफरीक़ की है और मवेशी फलों और अनाज के दरमियान तफरीक़ की है उनका ख्याल है कि मवेशी अनाज और फलो की ज़कात सिर्फ़ सुल्तान को देना चाहिये। अगर उस शख्स ने जिन पर इन चीज़ों की ज़कात देना वाजिब है अपनी ज़कात फुकराअ व मसाकीन को दे दी तो उसने ज़कात अदा नहीं की। लेकिन सोने व चांदी की ज़कात उमराअ को दे दी तो जायज़ है और अगर फुकराअ में तक़सीम कर दी तब भी वह अपने फर्ज से सुबकदोश हो गया। जिसने यह कहा है उसका यह एक किस्म का तहक्कुम (ज़बरदस्ती) है। हालांकि अल्लाह व रसूल ने इस तफरीक़ करने वाले की तरह ज़कात में ऐसी कोई तफरीक़ नहीं की है। ज़ाहिरी एतबार से यह कौल इतना फासिद है कि इसके काइल पर एहतिजाज (किसी बुरी बात पर

विरोध करना) करना बेकार है। आज जिन लोगो ने अपनी अपनी कुदरत के मुताबिक़ ज़कात देना बंद कर दिया है और ज़कात की बाबत किताबुल्लाह और सुन्नते रसूलुल्लाह की मुखालिफ़त की है। अपने बुजुगों और अपने फुकहाओं का रास्ता छोड़ दिया है और अपने इमामो के हुक्क का इन्कार किया है। वह तमाम के तमाम ज़ाहिल और गुमराह है। सिवा उन लोगों के जिनको परवरदिगारे आलम ने ख़ता से बचा लिया है। हम अल्लाह व रसूल के हुक्म की मुखालिफ़त से खुदा की पनाह मांगते हैं और उन साहिबाने अम्र की मुखालिफ़त से खुदा की पनाह तलब करते हैं जिनकी इताअत को

अल्लाह तआला ने अपनी और अपने रसूल की इताअत के साथ मरबूत कर दिया है।

अनाज, फल नबातात (वनस्पति) की ज़कात का बयान

अल्लाह तआला का इर्शाद है कि :

وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أَكْلُهُ وَالزَّيْتُونَ
وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ ۚ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ

व हुवल लज़ी अनशअ: जन्नातिन मअरूशातिन व गैर: मअरूशातिन् व नख्ल:
वज़ ज़रअ: मुख्तलिफन उकुलुहू वज़ जैतून: वर रुम्मान: मुतशाबिहन व गैर:
मुतशाबिहिन कुलू मिन समरिही इज़ा अस मर: व आतू हक्कहू यौम: हसादिही
8-6/141

तर्जुमा : और वह तो वही खुदा है जिसने बहुत से बाग़ पैदा किये (जिनमें मुख्तलिफ अक़साम के दरख्त हैं कुछ तो (अंगूर की तरह बांस पर) चढ़ाये हुए और कुछ बे चढ़ाये हुए और खजूर के दरख्त और खेती जिसके फल (स्वाद में) मुख्तलिफ किस्मों के हैं और जैतून और अनार (बअज़ तो सूरत, रंग, स्वाद) मिलते जुलते और बअज़ बे मेल। लोगो जब यह चीज़ें पके तो उसके फल खाओ और उन चीज़ों के काटने के दिन खुदा का हक़ (ज़कात) दे दो।

और इर्शाद बारी तआला है कि :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ

या अय्युहल लज़ीन: आमनू अनफिकू मिन तययिबाति मा कसबतुम व मिम्मा
अखरजना लकुम मिनल अरदि 3-2/267

तर्जुमा : ए ईमान वालो ! अपनी पाक कमाई और उन चीज़ों में से जो हमने तुम्हारे लिये ज़मीन से पैदा की है (खुदा की राह में) खर्च करो।

इमाम जअफररुस्सादिक^{अ.स.} और आपके पिदर बुर्जुगवार इमाम बाकिर^{अ.स.} से मनकूल है कि आपने आयते करीमा : व आतू हक्कहू यौम: हसादिही के मुतालिफ़ फरमाया कि मालिक पर जो अल्लाह का हक़ वाजिब है वह ज़कात है। अलबत्ता मसाकीन को मुट्ठी दो मुट्ठी दे सकता है यह तो एक कारे खैर है इस

ज़कात की तरह वाजिब नहीं है जिसे अल्लाह तआला ने फर्ज़ किया है।

इमाम जअफरुस्सादिक^{अ.स.} और आपके पिदर बुर्जुगवार इमाम बाकिर^{अ.स.} और आपके आबा ए किराम और आंहज़रत^{स.अ.व.} से मरवी है कि आपने फरमाया कि जिन खेतों को आसमान का पानी और नहरें सैराब करती है उन पर दसवां हिस्सा ज़कात वाजिब है। इस हदीस शरीफ को खास और आम दोनों रिसालत मआब^{स.अ.व.} से नक़ल करते हैं। इस हदीस में तो बिलकुल खुला हुआ बयान है कि ज़मीन से जो कुछ भी पैदा होता है उसकी ज़कात देना वाजिब है क्योंकि रसूले अकरम^{स.अ.व.} ने हदीस में किसी चीज़ को बरी नहीं किया है। यह हदीस बहुत से तरीको और अवाम के इस्नाद से और एहले बैत अतहार^{अ.स.} से और रसूले खुदा^{स.अ.व.} से मनकूल है।

इमाम जअफरुस्सादिक^{अ.स.} से तिल और चावल वगैरह की ज़कात के मुताल्लिक जब पुछा गया कि इनकी भी ज़कात देना वाजिब है? तो आपने फरमाया कि हां यह तमाम चीज़ें भी गेहूं और समर के मानिंद हैं।

कासिम बिन इब्राहीम अलवी से अहले बैत रसूल^{अ.स.} के इस कौल की बाबत पुछा गया कि दाल चावल, चना, अंजीर और जैतून वगैरह मेवा—जात और फलों की ज़कात अइम्मा अहले बैत^{अ.स.} के नज़दीक वाजिब है। इस बारे में आप क्या फरमाते हैं? उन्होंने कहा कि ज़मीन से जो भी नबात उगे उस पर ज़कात वाजिब है। क्योंकि अल्लाह तआला का इरशाद है कि :

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا

खुज़् मिन अमवालिहिम सदःक़तन तुतहहिरुहुम व तुज़क्कीहिम बिहा 11—9/103
तर्जुमा : (ए रसूल) तुम उनके माल की ज़कात लो (और) इसकी बदोलत उनको (गुनाहो से) पाक साफ कर दो।

हज़रत अमीरुल मुअमिनीन^{अ.स.} से रिवायत है आपने फरमाया कि एक मर्तबा आंहज़रत^{स.अ.व.} हमारे दरमियान उठे और फरमाया कि जिन खेतों को आसमान और नहरों ने सैराब किया है उनमें उशर (दसवां हिस्सा) ज़कात वाजिब है और जिन खेतों को डोल और रहट वगैरह से सींचा गया है उनमें निस्फ उशर (दसवें का आधा) ज़कात वाजिब है।

इमाम बाकिर^{अ.स.} से रिवायत है आपने फरमाया कि आंहज़रत^{स.अ.व.} ने फरमाया है कि जिन खेतों को आसमान के पानी या सैलाब के पानी या नेहर के पानी ने सैराब किया हो या वो खेतियाँ जो ज़मीन के अंदरूनी तरी से उगती हैं उन तमाम पर उशर (दसवां हिस्सा) ज़कात वाजिब है लेकिन जिन खेतों को

रहट वगैरह से सैराब किया गया हो उनमें निस्फ उशर ज़कात वाजिब है। आंहज़रत^{स.अ.व.} से मरवी है कि आपने शहद पर भी उशर (दसवां हिस्सा) ज़कात वाजिब किया है।

ज़कातुल फ़ित्र (फितरा) का बयान

अल्लाह तआला का इर्शाद है कि :

• قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى • وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى •

क़द अफ़लह मन तज़क्का व ज़करसम: रब्बिही फसल्ला। 30—87 / 14—15
तर्जुमा : जिसने ज़कातुल फ़ित्र (फितरा) अदा किया और अपने परवरदिगार के नाम का ज़िक्र करता रहा और नमाज़ पढ़ता रहा वह कामयाब हुआ। और यह भी अल्लाह तआला का इरशाद है कि :

وَ أَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَ آتُوا الزَّكَاةَ

व अकीमुस सलात: व आतुज़ ज़कात: । 1—2 / 43

तर्जुमा : नमाज़ अदा करो और ज़कात दिया करो।

इमाम जअफरुस्सादिक^{अ.स.} से रिवायत है आपने क़द अफ़लह मन तज़क्का की बाबत फरमाया कि इससे वह शख्स मुराद है जिसने ज़कातुल फ़ित्र (फितरा) अदा किया है और (ज़करसम: रब्बिही फसल्ला) में नमाज़ पढ़ने से ईदगाह में ईद की नमाज़ पढ़ना मुराद है।

इमाम बाकिर^{अ.स.} से जब ज़कातुल फ़ित्र (फितरा) की बाबत पुछा गया तो आपने फरमाया कि वह ज़कात जिसे अल्लाह तआला ने इस आयत में नमाज़ के साथ फर्ज़ की है: व अकीमुस सलात: व आतुज़ ज़कात: वह मालदार और फकीरो दोनों पर वाजिब है। तमाम लोग फुकराअ है और मालदार बहुत कम है पस परवरदिगार आलम ने तमाम लोगो को नमाज़ पढ़ने और ज़कात (फितरा) देने का हुक्म दिया है।

हज़रत अली^{अ.स.} से रिवायत है कि हर शख्स अपने अहलो अयाल जिनकी वह परवरिश करता है छोटे हो या बड़े, आजाद हो या गुलाम, मर्द हो या औरत हर इन्सान की तरफ से एक प्याला अनाज़ ज़कातुल फ़ित्र (फितरा) अदा करें।

इमाम जअफरुस्सादिक^{अ.स.} से रिवायत है आपने फरमाया कि हर शख्स पर लाज़िम है कि वह अपने और अपने अहलो अयाल मर्दों व औरत, छोटे-बड़े, आज़ाद व गुलाम सब का फितरा अदा करे। चाहे यह लोग मालदार ही क्यों न हो।

इमाम बाकिर^{अ.स.} से रिवायत है कि आपसे जब पुछा गया कि क्या वह फकीर जिसको खैरात दी जाती है उस पर भी फितरा वाजिब है आपने फरमाया कि वह फकीर अपने उस माल में से फितरा दे जो उसको सदक़े में मिला है। इमाम हुसैन^{अ.स.} से रिवायत है आपने फरमाया कि ज़कातुल फित्र (फितरा) ख्वाह शहरी हो या देहाती सब पर एक सा फर्ज है।

इमाम जअफरुस्सादिक^{अ.स.} से मरवी है आपने फरमाया कि हर शख्स अपने गुलाम यहूदी हो या नसरानी उनका फितरा अदा करे और अपने घर में जिनकी वह परवरिश कर रहा है उनका भी फितरा अदा करे और अगर बीवी का गुलाम उसके अयाल में दाखिल हो तो उसका भी फितरा अदा करे। और अगर गुलाम मर्द के अयाल में दाखिल न हो तो बीवी अपने गुलामो का फितरा खुद अदा करे। बशर्ते वह गुलाम शोहर के नही बल्कि उसके माल में काम करते हो अगर शोहर न हो तो अपना और अपने गुलामो का और उनका फितरा जो उसकी कफालत में है खुद अदा करें।

इमाम हसन^{अ.स.} और इमाम हुसैन^{अ.स.} से मनकूल है आप दोनों इमामेन अक़दसेन हज़रत अमीरुल मुअमिनीन^{अ.स.} का फितरा अपनी वफात तक अदा करते रहे। इसी तरह इमाम जैनुलआबिदीन^{अ.स.} अपने पिदर बुर्जुगवार इमाम हुसैन^{अ.स.} का फितरा अपनी वफात तक अदा करते रहे। और इमाम बाकिर^{अ.स.} अपने पिदर बुर्जुगवार इमाम जैनुलआबिदीन^{अ.स.} का फितरा अपनी वफात तक अदा करते रहे। इमाम जअफरुस्सादिक^{अ.स.} फरमाते है कि और मैं भी अपने पिदर बुर्जुगवार इमाम बाकिर^{अ.स.} की तरफ से फितरा अदा कर रहा हुं। मरने वालों की तरफ से फितरा अदा करना वाजिब नही बल्कि तत्त्वोअ (कारे सवाब) है।

हज़रत अमीरुल मुअमिनीन^{अ.स.} फरमाते है कि फितरा की मिक्दार जौ, गेहुं, समर और अंगूर में से सिर्फ़ एक प्याला है। सादिक आले मोहम्मद^{अ.स.} फरमाते है कि अगर किसी के पास जौ, गेहुं, समर, सुखी खजूर, किशमिश इनमें से कुछ भी फितरा देने के लिये न हो तो उसके एवज़ वह दिरहम फितरा में दे सकता है।

हज़रत अमीरुल मुअमिनीन^{अ.स.} फरमाते है कि ईदुलफित्र के पहले सदका (फितरा) फित्र अदा करना सुन्नत है।

रोजा

किताबुल सोम वल एअतिकाफ

(5)

माहे रमज़ान का रोज़ा फर्ज़ होने का और उस सिलसिले में जो तरगीबात आई है उनका बयान

अल्लाह तआला का इर्शाद है कि :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ •
..... وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ •

या अय्युहल लज़ीनः आमनु कुतिबः अलैकुमस सियामो कमा कुतिबः अलल लज़ीनः मिन कबलिकुम लअल्लकुम तत्तकून ----- व लितुकमिलुल इददतः व लितुकब्बिरुल्लाहः अला मा हदाकुम व लअल्लकुम तशकुरुन 2-2 / 182-185

तर्जुमा : ऐ ईमानदारो रोज़ा रखना जिस तरह तुमसे पहले लोगो पर फर्ज़ था इसी तरह तुम पर भी फर्ज़ किया गया है ताकि तुम इसकी वजह से बहुत से गुनाहो से बचो! ताकि तुम रोज़ों की गिनती पूरी करो और ताकि खुदा ने जो तुमको राह पर लगा दिया है उस नेअमत पर उसकी बड़ाई करो। और ताकि तुम शुक्र करो।

इमाम जअफरुस्सादिक^{अ.स.} फरमाते हैं कि हर साल माहे रमज़ान का रोज़ा रखना फर्ज़ है अदना में अदना वह चीज़ जिससे रोज़ा तमाम होता है वह मुअमिन का दिली अज़म (पक्का इरादा) और उसकी निययत की सच्चाई है। और उसके बाद दिन भर खाने पीने और जिमाअ करने से बाज़ रहना चाहिये और रोज़ा की हालत में तमाम आज़ा (अंगों) पर काबू रखना चाहिये और अल्लाह तआला ने जिन कामों को हराम कर दिया है रोज़दार को चाहिये कि अपने आज़ा को उन हराम कामो से बचाये, और उन तमाम बातों पर अमल करके परवरदिगारे आलम की कुरबत हासिल करना चाहिये। अगर रोज़दार इन तमाम बातो पर अमल करे तो उसने राज़े का फर्ज़ अदा कर दिया।

इमाम जअफरुस्सादिक^{अ.स.} से और आपके आबा ए किराम और जनाबे फातिमातुज्ज़ेहरा^{अ.स.} से मरवी है आप फरमाती हैं कि रोज़दार अगर

रोज़ा की हालत में अपनी जुबान, अपने कान, अपनी आंख और जो अपने नपस को हराम कामो से न बचाये तो उसके रोज़ा का कोई फायदा न होगा।

इमाम जअफरुस्सादिक^{अ.स.} से रिवायत है कि आप फरमाते हैं कि इमाम के नाफरमान शख्स का रोज़ा बेसूद और अकारत (बेकार) है। इसी तरह भागे हुए गुलाम का भी रोज़ा अकारत है। जब तक कि वह अपने आका का मुतीअ न बन जाए। और वह औरत जो अपने शौहर की नाफरमान है जब तक कि तौबा न कर ले उसका भी रोज़ा अकारत है। और उस नाफरमान बेटे का रोज़ा अकारत है जब तक कि वह अपने वालिद का मुतीअ व नेकोकार न बन जाए।

सादिक आले मोहम्मद^{अ.स.} से रिवायत है आप अपने फरजंदो को फरमाया करते थे कि जब माहे रमज़ान शुरू हो तो अपने नपसों को इबादत में मुब्तिला कर दो क्योंकि इस माहे मुबारक में रोज़ियाँ तक़सीम की जाती हैं। और अमवात के दिन मुक़र्रर किये जाते हैं और खुदा की बरगाह में पहुंचने वालों के नाम लिखे जाते हैं और इस माहे रमज़ान में एक ऐसी भी रात आती है जिस रात में अमल करना एक हज़ार महीनों के अमल से बेहतर है।

रसूले अकरम^{स.अ.व.} से रिवायत है एक मर्तबा आपने माहे शाबान के आखरी दिनों में लोगों से खिताब करके फरमाया कि ए लोगो! माह बुर्जुग तुम पर साया कर चुका है। यह एक मुबारक महीना है इसमें एक ऐसी भी रात आती है जिस रात में अमल करना एक हज़ार महीनों के अमल से बेहतर है।

अगर किसी ने इस माह मुबारक में एक भी नेक अमल करके खुदा की कुरबत हासिल कर ली तो वह उस शख्स के मानिंद है जिसने दूसरे महीनों में एक फरीज़ा अदा किया है और जिसने माहे रमज़ान में एक फरीज़ा अदा कर लिया वह उस शख्स के मानिंद है जिसने दूसरे महीनों में 70 फराइज़ अदा किये हैं, यह सब्र करने का महीना है और सब्र का सवाब जन्नतुल फिरदौस है। यह एक दूसरे के साथ हमदर्दी करने का महीना है। इस महीने में मुअमिन की रोज़ी में इज़ाफा किया जाता है। इस माहे मुबारक में जो शख्स किसी रोज़ेदार को इफतार कराता है उसके तमाम गुनाह माफ हो जाते हैं। और उसको आतिशे-दोज़ख से आजाद कर दिया जाता है। इसको इफतार कराने का अज़्र रोज़ादार ही के बराबर मिलेगा। उसके अज़्र

में ज़रा बराबर भी कमी न होगी। उस वक़्त किसी ने बारगाहे रिसालत^{स.अ.व.} में अर्ज़ किया कि ए रसूले खुदा^{स.अ.व.} हम में से हर एक के पास इतना नहीं होता कि वह किसी रोज़दार को रोज़ा इफतार कराए। सरकारे दो आलम^{स.अ.व.} ने फरमाया कि अगर कोई शख्स पानी में दूध भी मिलाकर या एक तमर (खजूर) खिलाकर या एक घूंट पानी पिलाकर रोज़दार का रोज़ा इफतार कराएगा तो उसको पूरा सवाब मिलेगा। और जो शख्स किसी रोज़दार को पेट भरकर खिलाएगा—पिलाएगा तो परवरदिगारे आलम उसको मेरे हौज़े कौसर से ऐसा सैराब करेगा कि वह फिर कभी प्यासा न रहेगा। माहे रमज़ान वो महीना है जिसका अब्बल हिस्सा रहमत है। बीच का हिस्सा मग़फिरत है और आखिरी हिस्सा आतिशे—दोज़ख से छुटकारा है। उस माहे मुबारक में जो शख्स अपने ममलुक गुलाम पर तहफीफ (आसानी) करेगा अल्लाह तआला उसके तमाम गुनाहों को माफ कर देगा और आतिशे—दोज़ख से उसको आज़ाद कर देगा। इस माह मुबारक में चार नैक काम ज़्यादा करो। दो नैक काम तो ऐसे करो जिससे तुम्हारा रब खुश हो जाए और दो नैक काम ऐसे हैं जिनको किये बग़ैर कोई चारा ही नहीं है। वो दो नैक काम जिनसे तुम अपने रब को खुश कर सकते हो उनमें से एक कलेमतुश्शहादत ला इलाहः इल्लल्लाह का पढ़ना और दूसरे अल्लाह तआला से मग़फिरत तलब करना। और वो दो नैक काम जिनको किये बग़ैर तुमको कोई चारा ही नहीं है। उनमें से एक तो यह है कि तुम परवरदिगारे आलम से जन्नतुल फिरदौस का सवाल करो और दूसरे यह कि जहन्नुम से अल्लाह की पनाह तलब करो।

रसूले खुदा^{स.अ.व.} से रिवायत है एक मर्तबा आप मिम्बर पर तशरीफ ले गये पस पहले तो अपने आमीन कहा फिर कहा कि ए लोगो! अभी अभी जिब्रईल मेरे पास आये थे उन्होंने कहा कि ए मोहम्मद^{स.अ.व.} जिस शख्स ने माहे रमज़ान को पाया लेकिन उस माहे मुबारक में उसकी मग़फिरत न हुई और वह मर गया तो ऐसा शख्स जहन्नुम में दाखिल होगा। खुदा उसको दूर रखे ऐ मोहम्मद^{स.अ.व.} कहो आमीन। पस मैंने आमीन कहा।

इमाम जअफरुस्सादिक^{अ.स.} से रिवायत है कि आपने फरमाया कि माहे रमज़ान में जिसकी मग़फिरत न हुई तो उसको आइंदा माहे रमज़ान तक माफ न किया जाएगा। हालांकि अरफा के मैदान में जाकर इस्तिग़फार करे। हज़रत अमीरुल मुअमिनीन^{अ.स.} से मरवी है आपने फरमाया कि माहे रमज़ान का रोज़ा आतिशे—जहन्नुम के लिये ढाल है।

हज़रत सादिक आले मोहम्मद^{अ.स.} से रिवायत है आपने फरमाया कि तीन कामों में परवरदिगारे आलम की खुशी है 1. रात में उठ कर तहज्जुद की नमाज़ पढ़ना, 2. भाईयों से मिलना 3. और रोज़ा रखना।

रसूले अकरम^{स.अ.व.} से रिवायत है आपने फरमाया कि हर चीज़ की ज़कात है लेकिन तुम्हारे अजसाम की ज़कात रोज़ा है।

हज़रत अली^{अ.स.} से मनकूल है आपने फरमाया कि सात आमाल बहुत ही ज़रूरी और साबिक है उन पर अच्छी तरह से अमल करो :

1. कलिमतुशहादत ला इलाह: इल्लल्लाह व अन्न: मोहम्मदन अबदहु व रसूलहु 2. दिल से एहले बैत रसूल^{अ.स.} के साथ मोहब्बत रखना, लोगों को देखकर नहीं कि दिल जुदा हो। 3. राहे खुदा मे जिहाद 4. सख्त गर्मी के दिनों में रोज़ा रखना 5. और ठंडी के दिनों में कामिल तौर से वुजू करना 6. पाँचों नमाज़ों की पाबंदी करना 7. बैतुल्लाह हराम का हज करना।

इमाम बाकिर^{अ.स.} से रिवायत है आपने फरमाया कि आंहज़रत^{स.अ.व.} ने उसामा बिन ज़ैद को यह वसीयत फरमाई थी कि ए उसामा तुम जन्नत के रास्ते पर लाज़िम रहना, देखो इससे हटना नहीं। उसामा ने अर्ज़ किया कि ए रसूले खुदा^{स.अ.व.} वह कौन सा आसान ज़रीया है जिससे उस रास्ते को तय किया जा सकता है ? आंहज़रत^{स.अ.व.} ने फरमाया कि कड़ी धूप में प्यासा रहना (यानि रोज़ा रखना) और दुनिया की लिज़्ज़त से नपस को रोकना। ए उसामा! रोज़ा ज़रूर रखना क्योंकि यह आतिशे—जहन्नुम से बचने के लिये ढाल है। अगर तुमसे यह हो सके कि जब तुम्हारी मौत आये उस वक़्त तुम भुखे रह सको तो ऐसा करो। ए उसामा! रोज़ा ज़रूर रखना क्योंकि रोज़ा खुदा से कुरबत का ज़रीया है। इमाम बाकिर^{अ.स.} ने बाकी हदीस तूल के साथ सुनाई थी।

इमाम जअफरुस्सादिक^{अ.स.} से मरवी है आपने फरमाया कि एक मर्तबा खाना—ए—काअबा के दरवाज़े के पास हज़रत अबूज़र गफ़फ़ारी^{र.अ.} उठे और इस तरह गोया हुए कि ए लोगो! मैं जनदब बिन असकन गफ़फ़ारी^{र.अ.} हूँ। मैं तुम्हारा नासिह मुशफिक हूँ। मेरे नज़दीक आ जाओ चुनांचा लोगो ने उन्हें घेर लिया। उस वक़्त हज़रत अबूज़र^{र.अ.} ने फरमाया कि ए लोगो! तुम में से जब कोई सफर का इरादा करता है तो वह सबसे पहले ज़ादे राह (रास्ते का खर्च व सामान) तैयार करता है। पस तो क़यातम का रास्ता तो ज़्यादा सज़ावार है कि तुम उसके लिये ज़ादे राह तैयार करो। हाज़रीन में से एक शख्स उठा और उसने कहा कि ए अबूज़र^{र.अ.}! इस बारे में हमारी

रेहनुमाई कीजिये। उन्होंने कहा कि गुनाहे अजीम से मग़फ़िरत के लिये हज़ करो। क़यामत के दिन के लिये एक रोज़ा रखो और क़ब्र की वहशत से बचने के लिये रात की तारीकी में दो रकाअत नमाज़ पढ़ो और अगर हो सके तो सच बात कहो और झुठ बात मुंह से न निकालो। एक मिसकीन को अपनी तरफ से ख़ैरात दो ताकि तुमको सख्त दिन से निजात मिल जाए। दुनिया को दो हिस्सो में तक़सीम कर दो। एक हिस्सा कस्बे हलाल के लिये और दूसरा हिस्सा तलब आखिरत के लिये। ऐसी बात से बचो जो तुमको नुक़सानदेह हो और नफ़ा बख़्श न हो तो उसको छोड़ दो और माल को दो दिरहम में तक़सीम कर दो एक दिरहम तो अपनी आखिरत के लिये खर्च करो दूसरा दिरहम हर रोज़ अपने अहलो अयाल पर खर्च करो और हर रोज़ ख़ैरात करो।

रसूले खुदा^{स.अ.व.} से रिवायत है कि रोज़ेदार का सोना इबादत है और इसकी सांस की आमद—रपत तस्बीह है। आंहरत^{स.अ.व.} का इशार्द है कि अल्लाह फरमाता है कि

الصَّوْمُ لِيْ وَ اَنَا اَجْزِئُ بِهِ

अससोमो ली व अना अजज़ी बिही तर्जुमा : रोज़ा मेरे लिए रखा जाता है। पस मैं ही इसकी जज़ा दूंगा। रोज़ेदार के लिए दो खुशियां हैं। एक तो जब वह रोज़ा इफ़्तार करता है और दूसरा जब वह अपने परवरदिगार से मिलेगा। क़सम है उस ज़ात पाक की जिसके क़ब्ज़े में मोहम्मद^{स.अ.व.} की जान है। रोज़ेदार के मुंह की बदली हुई बू परवरदिगारे आलम के नज़दीक मुश्क की खुशबू से ज़्यादा पाकीज़ा है।

इमाम जअफ़रुस्सादिक^{अ.स.} से मनकूल है आपने फरमाया कि परवरदिगार आलम रोज़ेदार को इफ़्तार करवाने और भाईयो की मुलाक़त और नमाज़—तहज्जुद से खुश होता है।

रोज़ा रखने की कैफियत का बयान

हज़रत अमीरुल मुअमिनीन^{अ.स.} से मरवी है कि जब आप पहली रात का चांद देखते तो यह दुआ पढ़ते थे :

اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ خَيْرَ هَذَا الشَّهْرِ وَفَتْحَهُ وَنَصْرَهُ وَنُورَهُ وَرِزْقَهُ وَ
 أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهِ وَشَرِّ مَا بَعْدَهُ آمِينَ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ

अल्लाहो अकबर अल्लाहुम्मः इन्नी असअलोकः खैरः हाज़िशहरि व फतहहू
 व नसरहू व नूरहू व रिज़कहु व अऊज़ो बिकः मिन शरिरीही व शररि मा
 बअदहू आमीन या रब्बल आलमीन। तर्जुमा : अल्लाह ही बुर्जुग व बड़तर
 है बारे इलाहा! तुझसे मैं इस महीने की नेकी, फतह, नुसरत, नूर और रोज़ी
 का सवाल करता हूँ। और इसके और इसके बाद में आने वाले महीने के शर
 से पनाह मांगता हूँ। कबूल फरमा ए रब्बुल आलामीन।

आंहज़रत^{स.अ.व.} से रिवायत है आपने फरमाया कि सहरी ज़रूर खाओ
 चाहे एक घुंट पानी क्यों न पियो और इफतार करो चाहे खजूर का एक
 टुकड़ा ही क्यों न हो। यानि जब इफतार का वक़्त हो जाये उस वक़्त और
 यह भी आपने फरमाया है कि सहरी खाने में बरकत है। खुदा के कुछ ऐसे
 फरिश्ते हैं जो सहरी के वक़्त मग़फिरत तलब करने वालों और सहरी करने
 वालों पर दुरुद भेजते हैं और सहरी खाने से हमारे और दूसरे मज़हब वालों
 के तरीको में एक किस्म का फर्क हो जाता है।

हज़रत अली^{अ.स.} से रिवायत है आपने फरमाया कि जब अल्लाह
 तआला ने यह आयत करीमा नाज़िल फरमाई :

وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ

व कुलू वशरबू हत्ता यतबय्यनः लकुमुल खैतुल अबयज़ो मिनल खैतिल
 असवदि 2-2/187

तर्जुमा : और खाओ पीयो यहां तब कि सुबह की सफेद धारी रात की काली
 धारी से आसमान पर पूरब की तरफ तुम्हे साफ नज़र आने लगे तो लोगो
 ने सियाह और सफेद दोनों किस्म का डोरा रखना शुरू कर दिया और वह
 दोनो धागों की तरफ देखते रहते और खाते पीते रहते। यहां तक कि सफेद
 धागा काले धागे से अलग नज़र आने लगता था। परवरदिगारे आलम ने
 सफेद और सियाह धागे से जो मुराद ली थी उसको उसने आगे मिनल फज़
 कहकर वाजेह कर दिया है।

इमाम बाकिर^{अ.स.} फरमाते हैं कि फज़ फैलने वाली वह सफेदी है जो
 उफके मशरिक से निकलती है और फज़ दो हैं। उनमें से फज़े अब्वल ज़न्बुल

सरजान फ़ैलती नहीं है। पस ज़न्बुल सरजान यानि फज़ अव्वल के वक़्त खाना पीना कुछ भी हराम नहीं होता है। जब तक कि वह रोशनी उफ़क पर दायें और बायें फ़ैल न जाए। जिसे फज़ सादिक् या सुबह सादिक् कहते हैं। इस वक़्त रोज़दार पर खाना पीना वगैरह हराम हो जाता है।

रसूले अकरम^{स अ व} का इरशाद है कि फ़र्ज़ रोज़ा अकीदा और निय्यत के साथ रखा जाए अगर किसी ने शक की बुनियाद पर रोज़ा रखा तो वह आसी (गुनहगार) है। इमाम बाकिर^{अ.स.} फरमाते हैं माह रमज़ान के एक दिन का मैं रोज़ा न रखु यह मुझे इससे ज़्यादा पसंद है कि माह शाबान में एक दिन का रोज़ा रखूं और उस रोज़े से रमज़ान में इज़ाफ़ा कर दूं। आपका मतलब यह है कि इस दिन रोज़ा तो रखा जाए मगर यह मालूम न हो कि वह रमज़ान का दिन है और निय्यत हो रमज़ान की तो ऐसा करना वाजिब नहीं है यह फ़र्ज़ में ज़्यादती करने के बराबर है। और फ़र्ज़ में कमी बेशी करना जायज़ नहीं है। लेकिन उस शख्स को जिसे माहे रमज़ान में शक हो जाए कि वह उस दिन रोज़ा रखे जिस दिन कि रमज़ान होने का उसे यकीन नहीं है। और उस रोज़ा को शाबान का नफल रोज़ा करार दे और अगर उसको बाद में मालूम हो (यानि ततव्वोअ रोज़ा रखने के बाद) कि माहे रमज़ान शुरू हो चुका है तो बाद में उस दिन का क़ज़ा रोज़ा रखे क्योंकि उसका शाबान का रोज़ा तो नफल था इस तरह दो अज़्र का मुस्तहिक़ होगा। रमज़ान के एक दिन का भी रोज़ा क़सदन न छोड़ना चाहिये। अगर रोज़ा छोड़ने के बाद यकीन हुआ कि उसने रमज़ान के एक दिन का रोज़ा छोड़ दिया है तो यह उस वक़्त मुमकिन है जबकि कोई शख्स इमाम के हमराह न हो। लेकिन जब इमाम के साथ है या उस जगह पर है जहां इमाम का हुक्म पहुंच सकता है तो उस सूरत में इमाम उसके ज़िम्मेदार है। अगर इमाम रोज़ा रखें तो रोज़ा रखना चाहिये और रोज़ा इफ़तार करें तो वह भी इफ़तार करे। इमामुज्ज़मान इस पर नज़र रखते हैं। इमाम की वजह से उस सिलसिले में बेनियाज़ी हो जाती है। इमाम उन तमाम उमूरे दीन पर नज़र रखते हैं। जिसकी ज़िम्मेदारी अल्लाह तआला ने उसके सुपुर्द फरमाया है। इमामुज्ज़मान^{अ.स.} साबित और यकीन ही की बुनियाद पर रोज़ा रखते और इफ़तार करते हैं और उसका हुक्म लोगो को देते हैं।

जिन बातों से रोज़ा टुट जाता है उनका बयान और जिसने रोज़ा तोड़ दिया उस पर क्या वाजिब है उसका बयान

हज़रत अली^{अ.स.} से रिवायात है आपने फरमाया कि एक मर्तबा एक शख्स आंहज़रत^{स.अ.व.} की खिदमत में हाज़िर हुआ रमज़ान का महीना था उसने कहा कि ए रसूले खुदा^{स.अ.व.}! मैं तो हलाक हो गया। आपने पुछा की वो कैसे ? तो उसने अर्ज़ किया की मैंने अपनी औरत के साथ दिन में मुबाशिरत की। हत्ताकि मुझ पर शहवत का गलबा हुआ और फिर मैं उससे हमबिस्तर हुआ। आप^{स.अ.व.} ने उससे पुछा कि क्या तु किसी गुलाम को आज़ाद कर सकता है ? उसने कहा की मैं किसी गुलाम का मालिक नहीं हूँ। आप^{स.अ.व.} ने उस शख्स से फरमाया तो दो महीने के मुसलसल रोज़े रखो। उसने अर्ज़ किया कि खुदा की कसम मैं रोज़ा रखने की ताक़त अपने अंदर नहीं पाता। आपने फरमाया कि अच्छा जा और 60 मसाकीन को खाना खिला दे। उसने अर्ज़ किया कि मुझमें इसकी भी ताक़त नहीं। आपने उसको पन्द्रह प्याला खजूर दी और उससे कहा कि जा और 60 मसाकीन को खिला दे। लेकिन हर मिसकीन को एक एक रतल देना। उस शख्स ने अर्ज़ किया की ए रसूले खुदा^{स.अ.व.}! उस परवरदिगार की कसम जिसने आपको पैगम्बर बना कर भेजा है जहां मैं रहता हूँ वहां हमसे ज़्यादा कोई और मोहताज नहीं है। आपने फरमाया की अच्छा जाओ और इसे तु और तेरे अहलो अयाल मिलकर खा जाओ।

इमाम जाअफरुस्सादिक^{अ.स.} फरमाते हैं कि अगर किसी ने रमज़ान के महीने में दिन में कसदन इफतार कर दिया तो उस सूरत में अगर उससे हो सके तो एक गुलाम को आज़ाद कर दे। यह न हो सके तो दो महीने के मुसलसल रोज़े रखे। और यह भी न हो सके तो 60 मसाकीन को खाना खिलाए और यह भी न हो सके तो खुदा के नज़दीक तौबा व इस्तिग़फ़ार करे और जब कपफारा अदा करने के लायक़ हो तो कपफारा अदा करे। उस कपफारे के साथ साथ उस पर उस दिन का क़ज़ा रोज़ा भी उस पर रखना लाज़मी है। जिस दिन उसने रोज़ा इफतार कर दिया था।

इमाम बाकिर^{अ.स.} से मनकूल है आप ऐसे शख्स के मुताल्लिक़ फरमाते हैं जो दिन में माहे रमज़ान में अपनी बीवी के साथ मुलाइबत

(छेड़-छाड़) कर रहा था। हत्ताकि उसकी मनी बाहर निकल आई तो उस पर कपफारा और क़ज़ा रोज़ा रखना दोनो वाजिब है।

इमाम जअफरुस्सादिक^{अ.स.} से पुछा गया कि एक शख्स जो रोज़ा की हालत में माहे रमज़ान में अपनी बीवी का बौसा लेता है या मुबाशिरत करता है तो क्या ऐसा करना मुनासिब है ? आपने फरमाया कि ऐसा न करना चाहिये। क्योंकि इसमें खतरा है। इन बातों से बचते ही रहना मुझे ज़्यादा पसंद है।

अमीरुल मुअमिनीन हज़रत अली^{अ.स.} से रिवायत है आपने फरमाया कि अगर कोई शख्स माहे रमज़ान में दिन में अपनी बीवी के साथ जिमाअ करता है। जबकि वो सोई हुई है और उसे इल्म नहीं या मजनूना (नासमझ) है। तो ऐसे शख्स पर क़ज़ा और कपफारा दोनो वाजिब है मगर औरत पर न कपफारा न क़ज़ा। आप फरमाते हैं कि अगर किसी ने रोज़ा की हालत में सुबह की और फिर वह सलातुल ऊला से पहले सो गया इतने में जनाबतदार हो गया फिर वो उठा और दोबारा सो गया और उसने सलातुल ऊला (फज़्र की नमाज़) अदा नहीं पढ़ी। हत्ता कि दूसरी नमाज़ का वक़्त हो गया तो ऐसे शख्स पर उस दिन का क़ज़ा रोज़ा रखना वाजिब है।

इमाम जअफरुस्सादिक^{अ.स.} फरमाते हैं कि अगर कोई शख्स माहे रमज़ान में रात में अपनी बीवी के साथ हमबिस्तर हो तो उसको तुलू ए फज़्र से पहले गुस्ल कर लेना चाहिये। अगर उसने गुस्ल नहीं किया और क़सदन सो गया और वह जनाबत की हालत में उठा तो उसको गुस्ल करके अपने परवरदिगार से इस्तिग़फ़ार करना चाहिये। वह रोज़ा तो तमाम करे लेकिन उस दिन का क़ज़ा रोज़ा उस पर वाजिब है। अगर वह क़सदन नहीं सोया है बल्कि उसकी आंखों में नींद ग़ालिब आ गई और इसी हालत में सुबह हो गई तो वह जब भी बेदार हो गुस्ल करे और रोज़ा तमाम करे। उस पर कुछ भी क़ज़ा वाजिब नहीं है।

अमीरुल मुअमिनीन^{अ.स.} आयते करीमा :

رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَاْنَا

रब्बना ला तुआखिज़ना इन नसीना ओव अखताना

तर्जुमा : परवरदिगार ! अगर हमसे भुल चुक हो जाए तो हमारी गिरफ्त न करो। इस बारे में फरमाते हैं कि यह दुआ उस शख्स के लिये मुस्तजाब है जो भुल कर रमज़ान के दिन में इफतार कर ले। रसूले खुदा^{स.अ.व.} फरमाते हैं

कि मेरी उम्मत से खता व भूल और वह गुनाह जिस पर मजबूर किया गया हो यह सब मरफुअ (यानि माफ हैं) अगर किसी ने रमज़ान में भूल कर खा लिया तो रोज़ा पूरा करे। उस पर कुछ भी वाजिब नहीं है। उसको गोया खुदा ने खिलाया है।

इमाम जअफरुस्सादिक^{अ.स.} फरमाते हैं कि अगर कोई जान-बूझ कर कैं (उलटियाँ) करे तो उसने रोज़ा के साथ मज़ाक किया है। उस पर उस दिन का क़ज़ा रोज़ा रखना वाजिब है। अगर किसी को कैं खुद ब खुद आ जाए और वह उस पर काबू न पा सके तो इस सूरत में उस पर कुछ भी वाजिब नहीं है।

इमाम जैनुलआबिदीन^{अ.स.} और इमाम बाकिर^{अ.स.} और इमाम जअफरुस्सादिक^{अ.स.} से रिवायत है आप फरमाते हैं कि अगर किसी ने खा लिया और पानी पी लिया या रमज़ान में जिमाअ कर लिया जबकि फज़ तुलू हो चुकी थी लेकिन उसको इसका इल्म न था और अगर उसने खाने से पहले मुतलाअ की तरफ नज़र की थी लेकिन उसको तुलू के आसार नज़र न आये और जब खा चुका तो उसने देखा कि फज़ तुलू हो चुकी है। इस सूरत में रोज़ा रखे उस पर कुछ और वाजिब नहीं। अगर उसने मतलाअ पर निगाह डालने से क़ब्ल (पहले) खा लिया फिर उसको मालूम हुआ कि उसने तुलू ए फज़ के बाद खाया है तो उस सूरत में रोज़ा रख ले लेकिन उसकी जगह पर क़ज़ा रोज़ा रखे।

इमाम जअफरुस्सादिक^{अ.स.} फरमाते हैं कि अगर दो शख्स उठे उनमें से एक यह कहे कि फज़ हो चुकी है और दूसरा यह कहे कि मुझे कुछ नज़र नहीं आता है और यह दोनो ही तुलू ए फज़र का इल्म रखने वाले और तंदरुस्त आंखो वाले हैं तो उस सूरत में जिसके नज़दीक अभी फज़र तुलू नहीं हुई है वह खाए और पीये यहा तक कि उस पर फज़र रोशन हो जाए कि जिस पर फज़र रोशन हो चुकी हो वह खाना पीना बंद कर दे। क्योंकि खुदा वंदे सुब्हानहु व तआला का इर्शाद है कि :

وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ

व कुलू वशरबू हत्ता यतबय्यनः लकुमुल खैतुल अबयज़ो मिनल खैतिल असवदि मिनल फज़रि 2-2/187। लेकिन उन दोनो में से एक ज़्यादा इल्म रखता हो और उसकी बसारत ज़्यादा तेज़ हो तो जिसको इल्म और बसारत कम हो वह उसकी पैरवी करे।

इमाम जअफरुस्सादिक^{अ.स.} फरमाते हैं कि रमज़ान के महीने में किसी ने देखा कि आफताब गुरुब हो चुका है और उसने इफ्तार कर डाला फिर उसे मालूम हुआ कि अभी आफताब गुरुब नहीं हुआ है तो उस सूरत में उस पर कुछ वाजिब नहीं है क्योंकि इफ्तार में जल्दी करने का हुक्म दिया गया है। और उसकी तरगीब दी गई है और हमने इसका ज़िक्र भी कर दिया है। और जब रोज़दार ऐसा फेअल करता है जिसकी तरफ उसको दावत दी गई है तो उसने कोई गुनाह नहीं किया है न उस पर क़ज़ा वाजिब है।

आपने रोज़दार को सुरमा लगाने की रुखसत दी है बशर्ते कि वह हल्क़ में उसका कोई ज़ायका महसूस न करता हो। इस तरह ताज़ा मिसवाक करने की रुखसत दी है। लेकिन सूखा मिसवाक करने में तो कोई हज़्र नहीं है। रोज़ादार गोंद चबाए, शोरबा और सिरका चखे और खाना चखे और बच्चों के लिये चबाए तो उन तमाम सूरतों में उस पर कुछ भी वाजिब नहीं है। लेकिन इनमें से कोई चीज़ हल्क़ तक न पहुँचने पाए और जो चीज़ मुँह में रखे और इस तरह चबाये कि वह हल्क़ तक न पहुँचे तो कोई हर्ज़ नहीं है। लेकिन एहतियातन पानी से कुल्ली भी करे। रोज़ेदार का रोज़ा उस वक़्त टूट जाता है जबकि कोई चीज़ हल्क़ से नीचे उतर जाए। आपसे ऐसे रोज़ादार की बाबत पुछा गया कि जो पिछन्ना (उस्तरे से नस पर कट लगाना) लगाता है। आपने फरमाया कि मैं इस खौफ़ से उसके लिये नापसंद करता हूँ कि कहीं वह बेहोश न हो जाये। और उस पर पत का असर होने के बाइस कहीं कैं न कर बैठे। अगर इसका खौफ़ ना हो तो फिर कोई हर्ज़ नहीं है। अगर वह चाहे तो पिछन्ना लगा सकता है। आप रोज़ेदार के लिये यह न पसंद फरमाते थे कि रोज़ादार खुशबू और फूल सूँघे और पानी में डूबकी लगाये इस खौफ़ की वजह से कि इनमें से कोई चीज़ उसके हल्क़ में न पहुँच जाए और इसलिये भी कि रोज़ा की क़द्र करना और इन बातों से उसको पाक रखना ज़रूरी है क्योंकि रोज़े का सवाब तो भूख और प्यास और खुशूअ से हासिल होता है। और रोज़ा का सवाब खास तौर से ध्यान रहे और इन चीज़ों की लिज़ज़त से परहेज़ करने से मिलता है। अगर कोई उपर की बातों पर अमल करे और उसको हल्क़ में कोई मज़ा न मिलता हो तो ऐसा करने में उस पर कोई चीज़ वाजिब नहीं है लेकिन इन सब बातों से परहेज़ करना अफ़ज़ल है।

अमीरुल मुअमिनीन हज़रत अली^{अ.स.} ने रोज़ेदार को हुक़ना (एनीमा)

लेने से मना फरमाया है। अगर कोई हुकना ले तो इफतार कर ले। इमाम जअफरुस्सादिक^{अ.स.} से ऐसे रोज़ादार के लिये पुछा गया जो अपने कान में तेल के कतरे डालता है। आपने फरमाया कि अगर उसके हल्क तक न पहुंचे तो उस पर कोई हर्ज नहीं है। आपने यह भी फरमाया है कि मख्खी जो कभी रोज़ादार के मुंह में घुस जाती है और वह उसको बाहर निकालने की कुदरत नहीं रखता तो उसमें कोई हर्ज नहीं है और ऐसे रोज़ादार के मुताल्लिक पुछा गया कि जिसके हल्क में कुल्ली करते वक़्त पानी चला गया है। आपने फरमाया कि अगर उसका यह वुजू किसी फर्ज नमाज़ के लिये है तो फिर हर्ज नहीं है। और अगर गैर फर्ज के लिये है तो उस पर क़ज़ा रोज़ा वाजिब है।

सफर में रोज़ा रखने का बयान

इरशाद बारी तआला है कि :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ... فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ الْخ

या अय्युहल लज़ीन: आमनु कुतिब: अलैकुमुस सियामो कमा कुतिब: अलल लज़ीन: मिन कबलिकुम — — — फमन कान: मिनकुम मरीज़न ओव अला सफरिन फइद्दतुन मिन अय्यामिन उखर:— 2-2/183-184

तर्जुमा : ए ईमान वालो! रोज़ा रखना जिस तरह तुम से पहले के लोगो पर फर्ज था उसी तरह तुम पर भी फर्ज किया गया है। जो शख्स तुममें से बीमार हो या सफर में हो तो उन दिनों में जितने क़ज़ा हुए हो गिनकर रख लें। इस आयते करीमा में खुदा वंदे तआला ने ऐसे मुसाफिर पर जो रमज़ान में सफर करता हो यह वाजिब फरमाया है वह अपने सफर के दिनों में जितने रोज़े न रखे उतने ही दूसरे माह में रखे। उस पर सफर में रोज़ा रखना वाजिब नहीं है। इस इरशाद के बावजूद अगर किसी ने रोज़ा रखा तो उसने ऐसा रोज़ा रखा जो उस पर फर्ज न था उस पर तो खुदा के इरशाद के मुताबिक यह वाजिब था कि वह दूसरे माह में अपने सफर के अय्याम के मुताबिक अपना फर्ज रोज़ा रखे।

इमाम जअफरुस्सादिक^{अ.स.} से और आपके पिदर बुर्जुगवार इमाम बाकिर^{अ.स.} और अइम्मा ए किराम व रसूले खुदा^{स.अ.व.} से रिवायत है कि एक मर्तबा आंहज़रत^{स.अ.व.} ने माहे रमज़ान में सफर इख्तियार किया तो आपने इफतार किया और अपने साथियों को भी इफतार का हुक्म दिया कुछ लोग रोज़ा तोड़ने से रुक गये तो आपने उनको आसी (बेफरमान) कहा क्योंकि आपने उनको एक हुक्म दिया था जिसको वह बजा न लाये उसने खुदा के हुक्म की नाफरमानी और उसके रसूल के हुक्म की नाफरमानी की। आप^{स.अ.व.} ने उनको इफतार का इसलिये हुक्म दिया था कि सफर में जो रोज़े का हुक्म है उसको वह समझ ले। किताबुल्लाह के हुक्म के मुताबिक़ उनका रोज़ा रखना ज़ायज न था। अगर कोई मुसाफिर रमज़ान के महीने में रोज़ा रखे और वह यह ख्याल न करे कि वह रोज़ा उसका काफी होगा तो उस सूरत में जब सफर से लौटे तो क़ज़ा रोज़ा रखे ऐसा करने में कोई हर्ज़ नहीं है। सफर की हालत में जिस मुसाफिर ने रोज़ा रखा उसकी मिसाल उस शख्स की सी है जो खाने पीने से तो रुक गया लेकिन वह दरअसल रोज़ादार नहीं कहलाएगा।

हज़रत अली^{अ.स.} ने फरमाया कि रसूले खुदा^{स.अ.व.} ने एक मर्तबा माहे रमज़ान में सफर में रोज़ा रखा और सफर में इफतार किया और यह फरमाया कि जो शख्स सफर में रोज़ा रखे उसको चाहिये कि वह अपने मुक़ाम पर वापस करे। क्योंकि खुदा वंद तआला का इरशाद है कि :

فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ

फइद्दतुन मिन अय्यामिन उखर: —

इमाम जअफरुस्सादिक^{अ.स.} के नज़दीक यह मकरूह है कि अगर कोई शख्स अपने घर में मौजूद हो और रमज़ान का चांद देखे फिर भी सफर करे हालांकि सफर के बग़ैर कोई चारा न हो। अगर कोई मुसाफिर माहे रमज़ान में अपने घर लौट आए तो उसमें कोई हर्ज़ नहीं है। इमाम जअफरुस्सादिक^{अ.स.} फरमाते हैं कि सफर की अदना में अदना हद दो बुड़ीद यानि 24 मील है। जिसमें मुसाफिर नमाज़ कसर पढ़ सकता है और रोज़ा छोड़ सकता है। एक बुड़ीद 12मील का होता है। और एक मील 3000 हाथ का होता है और अगर सफर एक बुड़ीद यानि 12 मील का है और आने जाने में दो बुड़ीद यानि 24 मील हो जाते हों तो रोज़ा न रखे और कसर नमाज़ पढ़े। आप फरमाते हैं कि अगर कोई शख्स ज़वाल से पहले अपने घर वापस

आ जाये और उसने उस रोज़ इफतार न किया हो और रोज़ा की निययत की हो तो उस दिन के रोज़े को रोज़ा शुमार करे और उस पर क़ज़ा वाजिब नहीं है और अगर रोज़ा की निययत न की हो और ज़वाल के बाद घर आये तो उस दिन का क़ज़ा रोज़ा रखे।

इमाम बाकिर^{अ.स.} फरमाते हैं कि अगर कोई मुसाफिर माहे रमज़ान में किसी जगह जाकर वहां क़याम (ठहरने) की निययत करे तुलू-ए-फ़ज्र से पहले पहुंचे तो उस पर उस दिन का क़ज़ा रोज़ा रखना वाजिब है। इमाम जअफरुस्सादिक^{अ.स.} फरमाते हैं कि सफर में इक़ामत (ठहरने) की मुद्दत दस दिन है लिहाज़ा कोई शख्स सफर में माहे रमज़ान में किसी मुक़ाम पर उतरे और वहां दस रोज़ ठहरने की निययत करे तो वह रोज़ा रखे और अगर दस रोज़ की निययत न करे और यह कहता रहे कि आज निकलूंगा, कल निकलूंगा यहां तक कि एक महीना गुज़र जाए तो जब तक उस कशमकश में रहे रोज़ा न रखे और उस पर बाद में क़ज़ा रोज़ा रखना वाजिब है जब तक कि वह वहां मुक़ीम रहे। ख्वाह वह रोज़ा रखे या न रखे क्योंकि वह सफर की हालत में है यह उस वक़्त मुमकिन है जबकि वह लगातार सफर में मशगूल रहे और उसका उतरना ऐसे शहर में हो जहां उसका कोई रिश्तेदार न हो और अगर ऐसी जगह इक़ामत करे जहां उसके रिश्तेदार मेहरमदार हों तो वह मुक़ीम की हालत में है जब तक वह अपने मेहरमदार रिश्तेदारों में मुक़ीम रहे रोज़ा रखे उस पर क़ज़ा रोज़ा रखना वाजिब नहीं है यहां तक कि वह वहां से चला जाए।

बीमारी की हालत में रोज़ा न रखने का बयान

अल्लाह तआला का इर्शाद है कि :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ... فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ الْخ

या अय्युहल लज़ीन: आमनु कुतिब: अलैकुमुस सियामो कमा कुतिब: अलल लज़ीन: मिन क़बलिकुम — — — फमन कान: मिनकुम मरीज़न ओव अला सफरिन फइद्दतुन मिन अय्यामिन उखर:— 2-2/183-184

तर्जुमा : ऐ ईमानदारो! रोज़ा रखना जिस तरह तुम से पहले के लोगो पर फर्ज़ था उसी तरह तुम पर भी फर्ज़ किया गया है। जो शख्स तुम में से बीमार हो या सफर में हो तो उन दिनों में जितने रोज़ा क़ज़ा हुए हो गिनकर रख ले।

खुदा के इस इरशाद से वाजिब होता है कि जैसा कि हमने सफर के बाब में बयान किया है कि मुसाफिर पर रोज़ा वाजिब नहीं है इसी तरह मरीज़ पर भी माहे रमज़ान में रोज़ा रखना वाजिब नहीं है। लेकिन बीमार पर उस वक़्त रोज़ा वाजिब है जब कि वह तंदरूस्त हो जाए और वह रोज़ा रख सके।

इमाम जअफरुररसादिक^{अ.स.} फरमाते हैं कि मरीज़ की एक हद मुक़रर है। जिसमें मरीज़ पर उसी तरह रोज़ा रखना वाजिब नहीं है जैसे कि मुसाफिर पर क्योंकि खुदा का इरशाद है कि

فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ

फमन कान: मिनकुम मरीज़न ओव अला सफरिन फइद्दतुन मिन अय्यामिन उखर: पस मरीज़ की वह हद यह है कि वह रोज़ा न रख सके और अगर वह रोज़ा तो रख सकता हो लेकिन अगर रोज़ा रखने से उसकी बीमारी बढ़ जाएगी और उसकी जान को खतरा होगा तो रोज़ा न रखे। वह इस सिलसिले में अमीन और ब इख्तियार है अगर उसको खौफ महसूस हो तो रोज़ा छोड़ दे और अगर रोज़ा रखने की ताक़त हो तो रोज़ा रखें। ख्वाह कोई भी बीमारी हो जब तक मर्ज़ हो रोज़ा न रखे। जब मरीज़ तंदरूस्त हो जाए और रोज़ा रख सके तो रोज़ा रखे जैसा कि अल्लाह तआला का इरशाद है :

فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ

फइद्दतुन मिन अय्यामिन उखर: यानि इतने रोज़ा रखे जितने दिन वह बीमार था और रोज़ा न रख सकता हो ख्वाह इफतार किया हो या खाने पीने से बाज़ रहा हो और क़ज़ा रोज़ा रखे जैसा कि हमने सफर के बाब में लिखा है। और अगर मरीज़ की बीमारी दाइमी है और शिफा की कोई उम्मीद नहीं है या बीमारी का सिलसिला यहां तक दराज़ हो कि दूसरे रमज़ान का चांद निकल आये तो उस सूरत में जो पहला रमज़ान गुज़र चुका है उसके हर दिन के एवज़ जिसमें वह बीमार था एक मिसकीन को निस्फ साअ (आधा

प्याला) खाना खिलाये।

इसी तरह यह रिवायत हज़रत अली^{अ.स.} और अइम्मा ताहिरीन^{अ.स.} से मरवी है कि अमीरूल मुअमिनीन^{अ.स.} फरमाते हैं कि जब माहे रमज़ान का फर्ज़ रोज़ा रखने का हुक्म नाज़िल हुआ तो साथ ही साथ यह आयत भी उतरी कि

وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مَسْكِينٍ

व अलल लज़ीन: युतीकूनहू फिदयतुन तआमो मिस्कीन 2-2/184। उस वक़्त एक बुढ़ा आदमी दो आदमियों के सहारे रसूले अकरम^{स.अ.व.} की खिदमत में हाज़िर हुआ और अर्ज़ किया कि ए रसूले खुदा^{स.अ.व.} माहे रमज़ान के रोज़े फर्ज़ है और मैं रोज़ा रखने की ताक़त नहीं रखता। आप^{स.अ.व.} ने फरमाया कि जाओ और खाओ पीयो और हर रोज़ आधा प्याला किसी मिस्कीन को खाना खिला दो और एक या दो रोज़ जितने दिन भी तुम रोज़ा रख सकते हो रखो। एक मर्तबा एक औरत आई और उसने अर्ज़ किया कि ए खुदा के रसूल^{स.अ.व.} मैं हामिला औरत हूँ और रमज़ान का महीना सर पर आ पहुंचा है अगर मैं रोज़ा रखती हूँ तो मुझे अपने पैदा होने वाले बच्चे की जान का खतरा है। आप^{स.अ.व.} ने फरमाया कि तु भी चली जा और रोज़ा न रख और जब रोज़ा पर कुदरत हो तो रोज़ा रख। एक मर्तबा एक प्यास की शिद्दत का मरीज़ आपके पास आया और उसने अर्ज़ किया कि ए रसूले खुदा^{स.अ.व.} माहे रमज़ान जिसके रोज़े फर्ज़ है सर पर आ पहुंचा है मेरा यह हाल है कि मैं प्यास को एक लम्हा भी बरदाश्त नहीं कर सकता हूँ। अगर मैंने प्यास रोकी तो मुझे अपनी जान खतरे में नज़र आती है। आप^{स.अ.व.} ने फरमाया कि तुम भी जाओ खाओ पियो और जब रोज़ा रख सको उस वक़्त रखो। यहां कमज़ोर नातवा शेख उस मरीज़ के मुक़ाम पर है जो दाइमुल मरीज़ है। जिसकी शिफा की कोई उम्मीद नहीं। ऐसा शख्स जितने रोज़े छोड़े उतने रोज़े के एवज़ मिस्कीन को खाना खिलाए और यही सूरत उसी बुढ़ी औरत की है जो रोज़ा न रख सके। हामिला औरत और दुध पिलाने वाली औरत उस मरीज़ के हाल में है जिसे अपनी जान का खौफ है। यह दोनो भी रोज़ा न रखे। लेकिन जब यह लोग रोज़ा रख सके तो उस वक़्त रोज़ा रखे। इसी तरह वह शख्स जो प्यास की शिद्दत पर काबू न रख सके मरीज़ के दरजे में है।

हज़रत अमीरूल मुअमिनीन^{अ.स.} फरमाते हैं कि अगर कोई शख्स माह

रमज़ान में बीमार पड़ गया और उसी हाल में इन्तिक़ाल कर गया तो उस सूरत में मरने वाले की तरफ़ से उस माह रमज़ान के रोज़े क़ज़ा करना उसके वली पर वाजिब नहीं गोया मौत रोज़ा रखने से मानिअ हुई। लेकिन बीमार हो और फिर तंदरुस्त हो गया और वह जितने दिन बीमार रहा उतने दिन का रोज़ा क़ज़ा न रख सका और बाद में इन्तिक़ाल कर गया तो उस सूरत में उसके वली (रिशतेदारो) को लायक़ है और मुस्तहिब है कि वह उसकी तरफ़ से क़ज़ा रोज़ा रखे। इमाम जअफरुस्सादिक़^{अ.स.} फरमाते हैं मर्दों में से मरने वालो का जो सबसे अकरब वली हो वह उसकी तरफ़ से क़ज़ा रोज़ा रखे और औरत मर्द की तरफ़ से क़ज़ा रोज़ा न रखे। आप फरमाते हैं कि मरीज़ और मुसाफिर दोनों में से जो जितने दिन बीमार रहा या सफर में रहा हो वह माहे रमज़ान का क़ज़ा रोज़ा रखे। चाहे तो एक साथ रखे या मुतफरि़रक़ रखे। क्योंकि अल्लाह तआला ने फकत

فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ

فइद्दतुन मिन अय्यामिन उखरः फरमाया है। लिहाज़ा सिर्फ़ तादाद पूरी करना उस पर वाजिब है। ज़िलहज माह में क़ज़ा रोज़ा रखना हज़रत अली^{अ.स.} के नज़दीक़ मकरूह है। क्योंकि आप फरमाते हैं कि यह इबादत का महीना है।

रोज़ा इफतार करने का बयान

अल्लाह तआला का इर्शाद है कि :

ثُمَّ أَتُمُوا الصِّيَامَ إِلَى الْيَلِّ

सुम्मः अतिमुस सियामः इलल लैल 2-6/186

तर्जुमा : फिर रात तक रोज़ा पूरा करो।

इस सिलसिले में एहले बैत किराम^{अ.स.} से हम तक जो रिवायत आई है उनमें इस बात पर इजमाअ (अकसर उलमाओं का एक मत) है कि रात की हद जबकि रोज़ादार के लिये रोज़ा इफतार करना जाइज़ है वो यह है कि सूरज उफ़के मग़रिब (पश्चिम) में उस हालत में डूब जाए कि उसके दरमियान कोई ऐसी चीज़ हाइल न हो जो उसको आर करती हो, जैसे

पहाड़, दीवार वगैरह पस जब सूरज की टिकिया उफक मगरिब में गायब हो जाए तो रात हो गई। और उस वक्त रोज़दार के लिये इफतार हलाल है।

हज़रत अमीरुल मुअमिनीन^{अ.स.} फरमाते हैं कि इफतार में जल्दी करना और सेहरी मे ताखीर (देरी) करना सुन्नत है। और इफतार से कब्ल मगरिब की नमाज़ पढ़ना सुन्नत है। हालांकि खाना हाज़िर हो तो पहले इफतार कर लिया जाए फिर नमाज़ पढ़ी जाए, खाना छोड़कर नमाज़ न शुरू की जाए। आप फरमाते हैं कि एक मर्तबा आंहज़रत^{स.अ.व.} के पास भूना हुआ गौश्त आया। उस वक्त हज़रत बिलाल^{र.अ.} अज़ान दे चुके थे। आपने उनको थोड़ी देर ठहर जाने का हुक्म दिया। यहां तक कि आप^{स.अ.व.} और हम सब खाने से फारिग हो चुके फिर आप^{स.अ.व.} ने दूध मंगवाया जिसे आपने और हमने पिया। फिर आप^{स.अ.व.} ने बिलाल^{र.अ.} को इक़ामत का हुक्म दिया फिर इक़ामत के बाद हमने आप^{स.अ.व.} के साथ नमाज़ पढ़ी। आप^{अ.स.} फरमाते हैं कि जब रसूले खुदा^{स.अ.व.} इफतार फरमाते तो यह दुआ पढ़ते थे :

اَللّٰهُمَّ لَكَ صُمْنَا وَبِكَ اٰمَنَّا وَ عَلٰی رِزْقِكَ اَفْطَرْنَا فَتَقَبَّلْهُ مِنَّا ذَهَبَ الظَّمَاُ
وَامْتَلَاَتِ الْعُرُوْقُ وَ بَقِيَ الْاَجْرُ اِنشَاءَ اللّٰهُ تَعَالٰی

अल्लाहुम्म: लक: सुमना व बिक: आमन्ना व अला रिज़किक्: अफतरना फतकब्बलहो मिन्ना ज़हबज़ ज़माओ वमतलाअतिल उरुको व बकियल अजरो इंशा अल्लाहो तआला।

तर्जुमा : बारे इलाहा! हमने तेरे वास्ते रोज़ा रखा और तेरी दी हुई रोज़ी से इफतार किया। पस इसे हमारी जानिब से क़बूल फरमा। प्यास बुझ गई रगे सैराब हो चुके और अज़ बाकी रह गया। इन्शा अल्लाह।

अमीरुल मुअमिनीन^{अ.स.} फरमाते हैं कि जब तुमको हिलाल (चांद) नज़र आ जाए या उसको दों आदिल शख्स दिन में देख लें तो उस सूरत में तुम जब तक सूरज डूब न जाए इफतार न करो। ख्वाह ऐसा दिन के शुरू में हो या आखिर में और चांद देखने के दिन से लेकर जब तक तीस रोज़े पूरे न हो जाए तब तक रोज़े रखना बंद न करो, और अगर फिर दो ऐसे गवाहों की शहादत मौजूद हो जो उस बात की शहादत दे कि उन्होंने हिलाल को देखा है तो रोज़ा न रखे।

लैलतुल क़द्र (शबे क़द्र) का बयान

अल्लाह तआला का इरशाद है कि :

إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ •

इन्ना अनज़लनाहो फी लैलतिल क़द्रि — 30-97/1

तर्जुमा : हमने इस कुरआन को शबे क़द्र में उतारा—।

حَمِّ • وَالْكِتَابِ الْمُبِينِ • إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ مُبَرَّكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ • فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ

أَمْرٍ حَكِيمٍ • أَمْرًا مِّنْ عِنْدِنَا إِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ •

हा मीम वल किताबिल मुबीन इन्ना अनज़लनाहो फी लैलतिन मुबारकतिन इन्ना कुन्ना मुन्जिरीन फीहा युफरको कुल्लो अमरिन हकीम अमरन मिन इन्दिना इन्ना कुन्ना मुरसिलीन 25-44/1

तर्जुमा : वाज़ेह व रोशन किताब (कुरआन) की क़सम हमने इसको मुबारक रात (शबे क़द्र) में नाज़िल किया। बेशक हम अज़ाब से डराने वाले हैं उस रात को तमाम दुनिया की हिकमत व मस्लिहत के (साल भर के) काम फ़ैसल किये जाते हैं। यानि हमारे यहां से हुक्म होकर बेशक हम पैग़म्बरो को भेजते रहे हैं।

इमाम बाकिर^{अ.स.} से मरवी है कि आप फरमाते हैं कि आयत करीमा

:

تَنْزِيلُ الْمَلَكَةِ وَالرُّوحِ فِيهَا

तनज़िलुल मलाइक:तो वर रूहो फीहा में फरिश्तो से मुराद लैलतुल क़द्र के उन फरिश्तो से है जो आसमान से दुनिया की तरफ आकर साल भर में बंदो को जिन जिन उमूर से दो चार होना पड़ेगा तहरीर करते हैं। तक्दीम व ताखीर का इख्तियार अल्लाह तआला के कब्जे मशीयत में होता है। जिस चीज़ को चाहे मुक़द्दम करे जिस चीज़ को चाहे मोवख़्ख़र करे चाहे तो मिटा दे, चाहे तो बाकी रखे। खुदा ही के पास उम्मुल किताब है।

हज़रत अमीरुल मुअमिनीन^{अ.स.} फरमाते हैं कि ए लोगो! तुम माहे रमज़ान की 17वीं रात, 19वीं रात, 21वीं रात, 23मी रात में खुदा से हज़

बैतुल्लाह का सवाल करो क्योंकि हर साल शबे क़द्र में उमूर-ए-दुनिया को लिखा जाता है। इस शब के मुताल्लिक़ इरशादे बारी है कि इस शब में हर अम्र फ़ैसल किया जाता है।

इमाम बाकिर^{अ.स.} फरमाते हैं कि लैलतुल क़द्र की अलामत यह है कि इस रात खनक हवा चलती है अगर यह रात सर्दी के मौसम में आए तो गर्मी मेहसूस होती है और गर्मी में आए तो सर्दी मेहसूस होती है। आपने और आपके पिदर बुर्जुगवार इमाम जैनुलआबिदीन^{अ.स.} से रिवायत है कि रसूले खुदा^{स.अ.व.} ने इन दो रातों में गाफिल रहने से मना फरमाया है। 21वीं रात और 23वीं रात और इस रात में सोने से भी मना फरमाया है रसूले खुदा^{स.अ.व.} ने यह भी फरमाया है कि जो शख्स शबे क़द्र में इबादत करेगा खुदा उसके अगले और पिछले गुनाह माफ कर देगा।

इमाम बाकिर^{अ.स.} फरमाते हैं कि एक मर्तबा क़बीला जहीना का एक मर्द रसूले खुदा^{स.अ.व.} की खिदमत में हाज़िर हुआ उसने कहा कि या रसूलुल्लाह^{स.अ.व.} मेरे पास ऊंट, भेड़ें, और गुलाम हैं माहे रमज़ान में किसी ऐसी एक रात में इबादत का मुझे हुक्म दें ताकि माहे रमज़ान में आकर नमाज़ में हाज़िर हो जाऊँ। आपने उसको अपने क़रीब बुलाया और उसके कान में आहिस्ता से कुछ कहा। चुनांचा वह क़बीला जहीनी का मर्द जब माहे रमज़ान की 23वीं शब आई तो उसने अपने ऊंट, भेड़ अहलो अयाल के साथ मदीना में आकर रात गुज़ारी और जब सुबह हो गई तो अपने असल मुक़ाम पर चला गया। इमाम बाकिर^{अ.स.} से लैलतुल क़द्र के मुताल्लिक़ पुछा गया कि वह कौनसी शब है तो आपने फरमाया कि माहे रमज़ान के आखिरी अशरा में है।

अमीरुल मुअमिनीन^{अ.स.} फरमाते हैं कि रसूले खुदा^{स.अ.व.} से पुछा गया कि लैलतुल क़द्र कौनसी शब है तो आपने फरमाया कि इस शब को माहे रमज़ान के आखिरी अशरा में तलाश करो। क्योंकि मुझे ख़्वाब में बताया गया था लेकिन फिर मैं भुला दिया गया। मगर मुझे इतना ज़रूर याद है कि मैंने उस रात में अपने आप को पानी और कीचड़ में नमाज़ पढ़ते देखा था। चुनांचा जब 23वीं रात आई तो सख्त बारिश हुई और मस्जिद की छत से पानी टपकने लगा। रसूलुल्लाह^{स.अ.व.} ने हमको नमाज़ पढ़ाई उस हालत में कि आपकी नाक का सिरा कीचड़ में था।

हज़रत अली^{अ.स.} फरमाते हैं कि लैलतुल क़द्र को आखिरी अशरा में तलाश करो क्योंकि इबादत के मुशाइर सात है और आसमान सात है, ज़मीन सात है, गाये सात है, ताज़ा घास सात है और इन्सान भी सात चीज़ों पर

सजदा करता है। आप फरमाते हैं कि रसूले खुदा^{स.अ.व.} माहे रमज़ान के आखिरी अशरा में अपना बिस्तर लपेट देते थे और कमर कस लेते थे और अपने एहले बैत^{अ.स.} को 23वीं शब में जगाते और उस रात में जो सो जाते तो आप उनके चेहरो पर पानी छिड़कते थे। हज़रत फातिमतुज्ज़ेहरा^{अ.स.} अपने घर में उस शब में किसी को सोने नहीं देती थी। उनका इलाज थोड़े से खाने से करती थी। इस शब के लिये आप दिन से तैयारियाँ करती थी। और कहती थी कि वह शख्स बहुत ही नामुराद है जो इस रात की खैरो बरकत से महरूम रहा।

इमाम बाकिर^{अ.स.} फरमाते हैं कि माहे रमज़ान में 17वीं शब वह शब है जिसमें दो गिरोह मिले हैं। और 19वीं शब में साल भर के उमूर लिखे जाते हैं और 21वीं शब में नबीयों के औसीयाओं का इन्तिक़ाल हुआ था और उसी शब में हज़रत ईसा^{अ.स.} आसमान की तरफ रफ़ा किये गये थे और उसी शब में मूसा^{अ.स.} ने विसाल फरमाया था। और 23वीं शब में लैलतुल क़द्र की उम्मीद की जाती है।

सुन्नत और नफ़ल रोज़े का बयान

हमने किताबुस्सलात में अइम्मा ताहिरीन^{अ.स.} के इस्नाद से सुन्नत नमाज़ के मुताल्लिक़ रिवायत को नक़ल कर दिया है। और वो फर्ज़ से दुगनी है। इसी तरह रोज़ा में भी माहे रमज़ान का रोज़ा फर्ज़ है और सुन्नत रोज़ा भी है जिससे बे रग़बती न करनी चाहिये।

रसूले अकरम^{स.अ.व.} और आपके एहले बैत^{अ.स.} सुन्नत रोज़ो पर लाज़िम रहते थे। इसी तरह उनके शिया भी पाबंद होते हैं। सुन्नत के रोज़े भी फर्ज़ रोज़ो से दों गुने हैं और नफ़ल रोज़ा भी है। वह ततव्वोअ है। जैसाकि हमने ततव्वो नमाज़ के मुताल्लिक़ नमाज़ के बाब में बयान किया है। अगर कोई शख्स नफ़ल रोज़े जितने रखना चाहे रख सकता है।

इमाम जअफरुस्सादिक़^{अ.स.} से मरवी है आप फरमाते हैं कि हर साल जो रोज़ा फर्ज़ है वह रमज़ान का रोज़ा है जो ऐसा महीना है कि हर साल आता है। और सुन्नत के रोज़े फर्ज़ से दों गुने हैं और उनकी तफसील यह है हर माह में सुन्नत के तीन रोज़े हैं। हर माह के दस दिन में एक रोज़ा रखना चाहिये। दो जुम्मेरात के दरमियान बुध के दिन रोज़ा रखें। पहला

जुम्मेरात महीने के शुरू में आता है और बुध का वो दिन जो महीने के निस्फ हिस्से से करीब होता है फिर महीना के आखिरी जुम्मेरात के दिन रखे जिसके बाद कोई जुम्मेरात का दिन नहीं आता। और माह शाबान के रोज़े रखे पस यह भी मानिंद फर्ज रोज़े के है इन रोज़ों की तफसील यह है कि हर माह में तीन-तीन दिन रोज़ा रखें इस तरह दस महीने में रोज़े रखें तो कुल तीस रोज़े होंगे और इसके बाद शाबान का रोज़ा रखें तो कुल दो माह के रोज़े हो जाएंगे।

इमाम जअफरुस्सादिक^{अ.स.} और आपके आबा ए किराम और रसूले अकरम^{स.अ.व.} से रिवायत है कि आपने फरमाया कि हर महीने में जो शख्स तीन रोज़ा रखेगा तो वह सवाब में उस शख्स के बराबर होगा जिसने साल भर रोज़ा रखा है क्योंकि परवरदिगारे आलम ने फरमाया है कि :

مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ امْتَالِهَا

मन जाअ बिलहसनति फलहू अशरो अमसालिहा 8-6/161

तर्जुमा : जो शख्स नैकी करेंगा तो उसका उसको दस गुना सवाब मिलेगा। हज़रत अली^{अ.स.} और इमाम बाकिर^{अ.स.} और इमाम जअफरुस्सादिक^{अ.स.} से भी यही रिवायत मनकूल है और वह तमाम अइम्मा ताहिरीन^{अ.स.} से और आंहज़रत^{स.अ.व.} से यह रिवायत मनकूल है कि आंहज़रत^{स.अ.व.} ने फरमाया है कि यह शाबान मेरा महीना है और रमज़ान अल्लाह तआला का महीना है यह बतौर तअज़ीम के कहा गया है वरना तमाम महीने अल्लाह तआला के हैं। शाबान को आंहज़रत^{स.अ.व.} ने इसलिये अपना महीना फरमाया है कि आप^{स.अ.व.} माहे शाबान का रोज़ा रखते थे हज़रत अली ने फरमाया है कि रसूले अकरम^{स.अ.व.} शाबान और रमज़ान का रोज़ा एक साथ रखते थे और आप यह भी फरमाते थे कि यह दोनों महीने अल्लाह के है यह दोनो महीने अपने क़ब्ल और माबअद का कफ़ारा है।

इमाम जअफरुस्सादिक^{अ.स.} से मरवी है आपने फरमाया कि शाबान और रमज़ान दोनों महीनों के रोज़े कसम बख़ुदा अल्लाह की जानिब से कफ़ारा है इसके बाद आपने यह आयत करीमा तिलावत फरमायी :

فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللَّهِ ط

फसियामो शहरेनि मुतता बिएनि तोबतन मिनलल्लाहे 5-4/92

तर्जुमा : इसका कफ़ारा ख़ुदा की तरफ से लगातार दो महीने के रोज़ों है।

रसूले अकरम^{स.अ.व} से रिवायत है कि आप सब महीनो से ज़्यादा माह शाबान में रोज़ा रखते थे। आप दूसरे महीनों और दिनों में अकसर नफ़ल रोज़ा रखा करते थे। आप इतने रोज़े रखा करते थे कि आपके बारे में कहा जाने लगा कि आप इफ़तार ही नहीं करते। और जब इफ़तार करते तो यह कहा जाता कि आप गोया रोज़ा ही नहीं रखते हैं। बसा औकात तो एक दिन रोज़ा रखते तो दूसरे दिन न रखते आप फरमाते कि यह सख़्त तरीन रोज़ा है यह हज़रत दाऊद^{अ.स.} का रोज़ा है।

आहज़रत^{स.अ.व.} अकसर अय्यामुल बीज़ के रोज़े यानि हर महीने 13वीं 14वीं और 15वीं तारीखो में रोज़ा रखते थे और कभी कभी तो रजब, शाबान, रमज़ान तीनों महीनो का मुसलसल रोज़ा रखते थे।

इमाम जअफरुस्सादिक^{अ.स.} से रिवायत है आपने फरमाया कि जो शख्स माहे रजब का रोज़ा एक साल रखेगा तो एक साल के लिये उससे दोज़ख दूर हो जाएगी। अगर दो साल रखे तो दो साल के लिये दूर हो जाएगी। इसी तरह कोई मुसलसल सात साल तक रजब का रोज़ा रखे तो दोज़ख के सातो दरवाज़े उस पर बंद कर दिये जाएंगे और अगर आठ साल तक मुसलसल माहे रजब का रोज़ा रखेगा तो जन्नत के आठों दरवाज़े उस पर खोल दिये जाएंगे। अगर किसी ने दस साल तक रखा तो उससे कहा जाएगा कि फिर अमल शुरू कर जो जितना ज़्यादा अमल करेगा खुदा उसको अज़्र भी ज़्यादा देगा।

इमाम जअफरुस्सादिक^{अ.स.} से रिवायत है कि आप फरमाते हैं कि कश्ती नूह रोज़े आशूरा जूदी पहाड़ पर ठहरी थी उस वक़्त हज़रत नूह^{अ.स.} ने अपने हमसफ़र जिन्नों और इन्सानों को हुक्म दिया कि वो आशूरा के दिन का रोज़ा रखे परवरदिगार ने आशूरा के दिन ही आदम^{अ.स.} की तौबा क़बूल की थी और आशूरा के ही दिन काइम अहले बैत^{अ.स.} का जुहूर होगा।

हज़रत अली^{अ.स.} से रिवायत है कि आपने फरमाया कि अगर किसी ने अरफा के दिन रोज़ा रखा तो उसने ज़माने भर रोज़ा रखा। इमाम बाकिर^{अ.स.} से भी जब अरफा के रोज़े की बाबत पुछा गया तो उन्होंने भी ऐसा ही जवाब दिया लेकिन उन्होंने इतना यह भी कहा कि अगर किसी को इस बात का खतरा हो कि वह मौक़फ़ में रोज़ा की हालत में खड़ा होगा तो दुआ व सवाल और क़याम बराबर अदा नहीं कर सकेगा तो वह रोज़ा न रखे क्योंकि यौमे अरफा तो दुआ और सवाल का दिन है।

हज़रत अली^{अ.स.} से रिवायत है आपने फरमाया कि जो शख्स सवाल

के खातिर जुमआ का रोज़ा रखेगा तो गोया उसने दो जुमआ के बीच के दिनो का भी रोज़ा रख लिया उसके साथ दूसरे दिनो का भी रोज़ा रखे। चाहे जुमआ के क़बूल रखे या जुमआ के बाद किसी दिन रोज़ा रखे। क्योंकि आंहज़रत^{स.अ.व.} ने और दिनो को छोड़कर जुमआ के दिन को रोज़ा के लिए मखसूस करने से मना फरमाया है।

हज़रत अली^{अ.स.} से रिवायत है आपने फरमाया कि जिस शख्स पर फ़र्ज़ रोज़ा रखना बाकी है उससे नफ़ल रोज़ा क़बूल न किया जाएगा। जब तक कि फ़र्ज़ रोज़ा क़ज़ा न करेगा।

इमाम जअफरुस्सादिक^{अ.स.} से एक शख्स की बाबत पुछा गया जिस पर माहे रमज़ान का रोज़ा बाकी था वह नफ़ल रोज़ा रख सकता है कि नहीं? आपने फरमाया कि जब तक वह फ़र्ज़ रोज़ा न रख दे उस वक़्त तक नफ़ल रोज़ा न रखे। उसके बाद जितना चाहे नफ़ल रोज़ा रखे।

हज़रत अली^{अ.स.} से रिवायत है कि एक मर्तबा एक शख्स ने आपकी खिदमत में यह शिकायत पेश की उसकी बीवी अक्सर रोज़ा रखा करती है। इस तरह वह उसे अपने से दूर रखती है। आपने फरमाया कि जब तक वह तुमसे इजाज़त तलब न करे उसका रोज़ा मक़बूल न होगा। सिवा यह उस वाजिब व फ़र्ज़ रोज़ा के जिनका रखना उस पर अल्लाह की तरफ़ से फ़र्ज़ है।

हज़रत अली^{अ.स.} से रिवायत है कि आंहज़रत^{स.अ.व.} ने फरमाया कि अगर किसी शख्स ने अपने भाई के लिये तकलीफ़ उठा कर खाना पकाया हो और उसको दावत दी हो दर हालांकि वह रोज़दार है तो रोज़ा इफ़तार करने और खाना खा लेने में कोई हर्ज़ नहीं है। बशर्ते कि उसका यह रोज़ा न तो फ़र्ज़ हो न नज़र का रोज़ा हो और न दिन ढल चुका हो।

इमाम जअफरुस्सादिक^{अ.स.} से मरवी है आपने फरमाया कि अगर सुबह हो गई और किसी ने रोज़ा रखने की निययत न की फिर उसकी यह राय हुई कि वह नफ़ल रोज़ा रख ले तो ऐसा उस वक़्त तक कर सकता है जब तक कि सूरज का ज़वाल न हुआ हो उसी तरह सुबह हो गई और उसने नफ़ल रोज़ा रखा था तो वह सूरज के ज़वाल के क़बूल रोज़ा इफ़तार कर सकता है। आपने फरमाया कि यौमे ईद उल फ़ित्र के दिन रोज़ा न रखना चाहिये और न ईदुल अदहा (बकरा ईद) के दिन और न उसके बाद तीन दिन तक रोज़ा रखना चाहिये। बकरा ईद के बाद जो तीन दिन होते हैं उनको अय्यामुल तशरीक कहा जाता है। उन तीन दिनो में इसलिये रोज़ा

न रखे कि आंहज़रत^{स.अ.व.} ने फरमाया है कि यह खाने पीने के दिन है। आपने हमेशा रोज़ा रखना भी मकरूह फरमाया है। और रोज़ों में मुसलसल यानि दो दिन या दो से ज़्यादा दिनों तक मुसलसल रोज़ा रखना और रात में इफतार न करना मकरूह फरमाया है।

एअतिकाफ का बयान

अल्लाह तआला का इर्शाद है कि :

وَلَا تَبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسْجِدِ

व ला तुबाशिरुहुन्नः व अनतुम आकिफूनः फिल मसाजिदि 2-2/187
तर्जुमा : और जब तुम मस्जिदों में एअतिकाफ करने बैठो तो उन (औरतों) से (रात को भी) हम बिस्तरी न करो। यानि औरतो से एअतिकाफ की हालत में रात को भी हम बिस्तरी न करो। आकिफ के मानी मुकीम के है। और एअतिकाफ फिल मस्जिद से मस्जिद में ठहरना मुराद है इस आयत में आकिफ से वह शख्स मुराद है जो मस्जिद में मुकीम है वह न दिन में बाहर निकले और न रात में, बस नमाज़ और ज़िक्रे इलाही के लिये अपने आपको मस्जिद में कैद कर दे।

इमाम जअफरुस्सादिक^{अ.स.} और आपके पिदर बुर्जुगवार और आपके आबा ए किराम^{अ.स.} से मनकूल है कि आंहज़रत^{स.अ.व.} ने फरमाया है कि माहे रमज़ान के आखिरी अशरा का एअतिकाफ दो हज और दो उमराह के बराबर है।

इमाम जअफरुस्सादिक^{अ.स.} से मरवी है कि एक मर्तबा आंहज़रत^{स.अ.व.} ने रमज़ान के आखिरी अशरा की पहली रात में खुतबा पढ़ा और हम्द व सनाअ के बाद आपने फरमाया कि ए लोगो! परवरदिगारे आलम ने तुमको तुम्हारे जिन्नो और इन्सानो में से जो भी दुश्मन है उनसे पनाह दी है और तुमसे अअमाल कबूल करने का वादा किया है। जैसाकि इस आयत करीमा में अल्लाह तआला का इर्शाद है कि

أَدْعُونِي ۖ أَسْتَجِبْ لَكُمْ

उदऊनी अस्तजिब लकुम 24-40/60

तर्जुमा : तुम मुझसे दुआए मांगो मैं तुम्हारी दुआ कबूल करूंगा। ए लोगो! सुनो अल्लाह तआला ने हर सरकश शैतान पर सात फरिशतो को तैनात कर दिया है। पस जब तक कि तुम्हारा यह महीना रमज़ान पूरा न होगा। किसी भी शैतान को आज़ाद न किया जाएगा, सुनो! इस महीने में अव्वल शब से लेकर आखिर शब तक आसमान के दरवाज़े खुले हुए होते हैं। और सुनो! इसी महीने में हर दुआ मकबूल है। उसके बाद आहज़रत^{स.अ.व.} कमरबस्ता हुए और इज़ारबंद को कस कर बांधा और बैतुलशरफ से बाहर तशरीफ लाये और आखिरी अशरा की तमाम रातों में मस्जिद के अंदर मौतकिफ रहे आप हर रात को इबादत में गुज़ारते थे और मग़रिब व इशा के दरमियान हर शब को गुस्ल फरमाते थे।

इमाम जाअफरुस्सादिक^{अ.स.} से रिवायत है आपने फरमाया कि आहज़रत^{स.अ.व.} ने एक मर्तबा एक साल माहे रमज़ान के अव्वल अशरा में एअतिकाफ किया और दूसरी मर्तबा दूसरे साल बीच के अशरा में एअतिकाफ किया और फिर तीसरे साल आखिरी अशरा में एअतिकाफ किया।

इमाम जअफरुस्सादिक^{अ.स.} से यह भी रिवायत है आपने फरमाया कि रोज़ा की हालत ही में एअतिकाफ किया जा सकता है और जामा मस्जिद के अंदर ही एअतिकाफ हो सकता है और मौतकिफ न अपने घर में नमाज़ पढ़े और न अपनी बीवी से हम बिस्तर हो और न खरीद व फरोख्त करे और इन्सानी हाजत के सिवा कभी मस्जिद से बाहर न निकले और जाये तो बैठे नही वापस लौट आये। इसी तरह मौतकिफा (एअतिकाफ करने वाली औरतें) भी करे मगर जब हैज़ आ जाए तो उसका एअतिकाफ टूट जाता है वो मस्जिद से बाहर चली जाये और एअतिकाफ की कम से कम मुद्दत तीन दिन है।

हज़रत अली^{अ.स.} से रिवायत है आपने फरमाया कि मौतकिफ मस्जिद ही में लाज़िम रहे। ज़िक्रे इलाही और तिलावते कुरआन और नमाज़ में मशगूल रहे और दुनियादारी की बातें न करे। और किसी औरत से खलवत (तन्हाई) में न मिलें। और मुंह से बुरे कलाम न निकाले। और किसी से झगड़ा न करे और शअर न कहे। और खरीद व फरोख्त न करे। जनाज़ा में हाज़िर न हो और किसी मरीज़ की इयादत न करे। और किसी घर में दाखिल न हो जिस क़द्र भी लोग से बातचीत करने से बच सकता हो बचे, यह उसके लिये बेहतर है।

ਹੁਜ

किताबुल हज

(6)

हज के फर्ज होने और हज न करने पर तशह्रुद का बयान

अल्लाह तआला का इर्शाद है कि :

وَلِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ اِلَيْهِ سَبِيْلًا ۚ وَمَنْ كَفَرَ فَاِنَّ اللّٰهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعٰلَمِيْنَ

व लिल्लाहि अलन नासि हिज्जुल बैति मनिस तताअ इलैहि सबीलन व मन कफर: फ इन्नल्लाह: गनीयुन अनिल आलमीन 4-3/97

तर्जुमा : और लोगो पर वाजिब है कि महज़ खुदा के लिये खाना ए काबा का हज करे। जिन्हे वहां तक पहुचने की इस्तिताअत (कुदरत) हो और जिसने बावजूद ताक़त के हज से इन्कार किया (तो याद रखे कि) खुदा सारे जहां से बेपरवाह है।

रसूले अकरम^{स.अ.व.} से मनकूल है कि आपसे

وَلِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ.....

व लिल्लाहि अलन नासि हिज्जुल बैति — — के मुताल्लिक़ पुछा गया तो आपने फरमाया कि इस आयते करीमा में उस शख्स का तज़क़िरा है जिसने बावजूद हज पर कुदरत रखने के हज को तर्क कर दिया।

इमाम जअफरुस्सादिक़^{अ.स.} से मरवी है आपने फरमाया है कि बंदो पर सारी उम्र में जो फर्ज एक मरतबा वाजिब है वह हज का फर्ज है हज इसलिये एक मर्तबा वाजिब किया गया है कि हज के मुक़ामात बहुत दूर है और लोगो को उस राह में जान व माल की बहुत सी मशक्कते उठानी पड़ती है। पस हज तमाम लोगो पर फर्ज है लेकिन जो मअज़ूर है उस पर फर्ज नहीं है।

हज़रत अमीरुल मुअमिनीन^{अ.स.} से मनकूल है आपने फरमाया कि जब आयते करीमा

وَلِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ.....

व लिल्लाहि अलन नासि हिज्जुल बैति — — नाज़िल हुई तो मुअमिनीन ने रिसालत मआब^{सअव.} की खिदमत में अर्ज किया कि ए रसूले खुदा^{स.अ.व.} क्या हर साल हज करना फर्ज है? आपने कोई जवाब न दिया जब लोगो ने दोबारा और तीसरी बार अर्ज किया तो आपने फरमाया कि नहीं। अगर मैं हां कह देता तो फिर हर साल हज करना वाजिब हो जाता। उस वक़्त यह आयते करीमा नाज़िल हुई कि :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِنْ تُبَدِّلْكُمْ تَسْؤُكُمْ

या अय्युहल लज़ीन: आमनु ला तसअलु अन अशयाअ: इन तुबद: लकुम तसूअकुम 7-5/101

तर्जुमा : ए ईमानदारो ! ऐसी चीज़ो के बारे में (रसूल से) न पुछा करो कि अगर तुम को मालूम हो जाये तो तुम्हे बुरा मालूम हो।

इमाम जअफरुस्सादिक^{अ.स.} से मरवी है कि आपसे एक ऐसे शख्स की बाबत पूछा गया जो फरीज़त हज को टालता रहता है और उस राह में उसको तिज़ारती मशगूलियत मानिअ है या कर्ज मानिअ है? आपने फरमाया कि उसका उज़्र काबिले कबूल नहीं है। उसे किसी हाल में भी हज को टालना न चाहिये अगर वह इस हाल में मर जाये तो उसने इस्लाम के एक फर्ज को तर्क कर दिया। आपने फरमाया कि वह शख्स जो इस्लाम के हज के बगैर इन्तिकाल कर गया दर हालांकि न तो उसको हज से कोई ज़रूरत मानिअ थी और न कुछ इतना बीमार था कि वह हज न कर सकता था और न कोई बादशाह हज से मानिअ था तो ऐसा शख्स यहूदी और नसरानी की मौत मर गया।

इमाम जअफरुस्सादिक^{अ.स.} से रिवायत है आपसे एक ऐसे शख्स के मुताल्लिक पुछा गया जिसके पास दौलत थी मगर वह हज का फर्ज अदा किए बगैर मर गया? आपने फरमाया कि ऐसा शख्स उन लोगो में से है जिनके मुताल्लिक परवरदिगार आलम ने इस आयते करीमा में फरमाया है कि

وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ أَعْمَى •

व नहशुरुहू यौमल कियामति अअमा 16-20/124 हम क़यामत के दिन

उसको अंधा बना के उटाएंगे। अर्ज किया गया कि क्या अल्लाह तआला उसको अंधा बनाकर उटाएगा ? आपने फरमाया कि हां वह खैर के रास्ते से अंधा होगा।

रसूल अकरम^{स अ व} से मनकूल है आपने फरमाया कि जब मेरी उम्मत खाना—ए—काबा का हज छोड़ देगी तो उसकी तरफ नज़र उठाकर भी न देखा जाएगा। इमाम जअफरुस्सादिक^{अ.स.} से मरवी है आपसे इस आयते करीमा के मुताल्लिक पुछा गया कि

وَلِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ اِلَيْهِ سَبِيْلًا

व लिल्लाहि अलन नासि हिज्जुल बैति मनिस तताअः इलैहि सबीलन में राह की इस्तिताअत से अल्लाह तआला ने क्या मुराद लिया है ? आपने साइल से फरमाया है कि और लोग इसके बारे में क्या कहते हैं? साइल ने कहा कि दूसरे लोग यह कहते हैं कि जिसके पास तौशा और सवारी मौजूद हो वह हज की इस्तिताअत रखता है। इमाम जअफरुस्सादिक^{अ.स.} ने फरमाया कि इमाम बाकिर^{अ.स.} से भी ऐसा ही सवाल किया गया तो आपने फरमाया कि फिर तो वो लोग जिनके पास सिवाए तौशा और सवारी के और कुछ न होगा? वो हलाक हो जाएंगे क्योंकि वह शख्स जिसके पास सिर्फ तौशा और सवारी हो और वो इन दोनों को लेकर हज के लिये चला जाये और अपने अहलो अयाल के लिये कुछ भी देकर न जाये तो उसके अहलो अयाल हलाक हो जाएंगे। उस वक़्त आपकी ख़िदमत में अर्ज किया गया कि फिर आप ही बताइये कि इस्तिताअत से क्या मुराद है? इमाम बाकिर^{अ.स.} ने फरमाया कि सफर की इस्तिताअत और काफी ज़ादे राह (रास्ते का खर्च) होना चाहिये और अपने अहलो अयाल के लिये भी इतना छोड़ जाये कि जिससे वह गुज़र औकात कर सकें। उसके अलावा रास्ते का अमनो—अमान भी होना चाहिये तुम्ही बताओ कि क्या ऐसा नहीं है कि ज़कात सिर्फ उसी शख्स पर फर्ज की गई है कि जिसके पास दो सो दिरहम हो?

इमाम जअफरुस्सादिक^{अ.स.} से रिवायत है कि एक मर्तबा आपसे आयते करीमा

وَلِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ اِلَيْهِ سَبِيْلًا

व लिल्लाहि अलन नासि हिज्जुल बैति मनिस तताअः इलैहि सबीलन के

मुताल्लिक पुछा गया तो आपने फरमाया कि हज उस शख्स पर फर्ज है जिसके पास इतनी रकम हो कि वह हज कर सके। आपकी खिदमत में अर्ज किया गया कि अगर किसी शख्स को इतनी रकम दी जाये कि जिससे वह हज कर सके लेकिन उसको शर्म आती हो तो क्या करे आपने फरमाया कि वह उन लोगो में से है जो हज की इस्तिताअत रखते हैं वह क्यों शरमाता है उसको हज करना चाहिये चाहे दुम कटे गधे पर ही क्यों न हज करे।

हज़रत अली^{अ.स.} से मरवी हैं। आपने फरमाया कि अगर नाबालिग बच्चे को साथ लेकर हज किया जाये तो यह उसके लिये काफी न होगा जब बालिग हो जाये तो उस पर हज करना वाजिब है और यही हुक्म गैर बालिगा लड़की के लिये भी है।

इमाम जअफरुस्सादिक^{अ.स.} से एक ऐसे शख्स के मुताल्लिक पुछा गया जिसने हज तो किया लेकिन उसको उस अम्र वलायत की कोई मअरिफत हासिल न थी फिर अल्लाह तआला ने उस को अम्रे वलायत यानि इमाममुज़्जमान^{अ.स.} की मअरिफत से नवाज़ा। आपने फरमाया कि उसका हज काफी है लेकिन यह मुझे ज़्यादा पसंद है कि वह फिर हज करे और अगर नासबी (जो हज़रत अली^{अ.स.} की वलायत के काइल नहीं है) है और उसने हज कर लिया फिर खुदा ने उसको माअरिफत से नवाज़ा तो उस पर हज करना वाजिब है।

हज़रत अली^{अ.स.} से रिवायत है आपने फरमाया कि जब किसी गुलाम को आज़ाद कर दिया जाये तो जब भी उसको हज की इस्तिताअत हो हज करे। इमाम जअफरुस्सादिक^{अ.स.} से मनकूल है आपने फरमाया कि अगर ममलूक (गुलाम) हज करे तो जब तक ममलूक रहेगा उसका हज काफी है। मगर जब आज़ाद कर दिया जाये तो उस पर हज करना फर्ज है। और ममलूक ही रहे तो उस पर हज वाजिब नहीं है।

इमाम बाकिर^{अ.स.} से मरवी है कि आपसे उम्मे वलद (बच्चे वाली लोंडी) के मुताल्लिक पुछा गया कि उम्मे वलद (लोंडी) को उसके मालिक ने हज कराया फिर आज़ाद कर दिया तो क्या यह हज उसके लिये काफी होगा? आपने फरमाया कि नहीं।

रसूले अकरम^{स.अ.व.} से मरवी है आपने फरमाया कि मर्दों पर वाजिब है कि वह अपनी बीवियों को हज कराये। इमाम जअफरुस्सादिक^{अ.स.} ने फरमाया की मर्दों पर अपनी बीवियों को उस वक़्त हज कराना वाजिब है जब कि ज़ादे राह औरत के माल में से हो ऐसा नहीं है कि शौहर औरत के

अखराजाते हज को बर्दाश्त करे मगर इतना ज़रूर है कि अपनी बीवी के हमराह हज के लिये जाये ताकि वह अपना फर्ज अदा कर सके और तमाम खर्च औरत के सरमाया से हो आपने यह भी फरमाया है मुतल्लक़ा (तलाक़शुदा) औरत अगर हज करना चाहे तो वह अपनी इद्त के दरमियान हज कर सकती है। आपने फरमाया कि अगर किसी ने किसी तंगदस्त आदमी को हज कराया फिर वह मालदार हो गया तो उस पर दोबारा हज करना वाजिब है। आयते करीमा

وَلِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ الخ

व लिल्लाहि अलन नासि हिज्जुल बैति — — के मुताल्लिक़ पुछा गया कि इस आयत में हज से सिर्फ़ हज ही मुराद है या उमराह भी है? आपने फरमाया कि हज व उमराह दोनो मुराद हैं। क्योंकि हज व उमराह दोनो फर्ज है आपने यह आयते करीमा तिलावत की कि

وَاتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّٰهِ

व अतिम्मुल हज्जः वल उमरतः लिल्लाहि 2-2/196 तर्जुमा : और अल्लाह के लिये हज व उमराह को तमाम करो। आपने फरमाया कि हज व उमराह को तमाम करने से यह मुराद है कि इस दोनो को अदा किया जाये।

इमाम बाकिर^{अ.स.} से मरवी है आपने फरमाया कि उमराह उस शख्स पर फर्ज है जो मुस्ततीअ (इताअत करने वाला और इस्तिताअत रखने वाला) हो और यह हज के दर्जे में है। इमाम जअफरुस्सादिक्^{अ.स.} से मरवी है कि आपने फरमाया कि हज की तीन किस्में हैं। 1.हज मुफरद और उमराह मुफरद इन दोनो में से जिसको चाहे मुकद्दम करे, 2.हज व उमराह दोनो साथ साथ करे फसल न करे और यह हज उसके लिये है जिसके साथ कुरबानी का जानवर है वह मक्का मुअज्जमा में दाखिल हो और उमराह करे और ऐहराम की हालत में रहे यहां तक कि मक्का से हज के लिये निकले और हज करे 3. और उमराह करके हज के लिये निकलना हज की अफज़ल किस्म से है। इसको हज तमत्तोअ कहते हैं। और यह हज उसके लिये नहीं की जिसके साथ में कुरबानी का जानवर हो क्योंकि अल्लाह तआला ने फरमाया है कि

وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ

वला तहलिकू रूऊसकुम हत्ता यबलुगल हदयो महिल्लहू 2-2/196

तर्जुमा : और जब तक कुर्बानी अपनी जगह पर न पहुंच जावे, अपने सर न मुंडवाओ तमत्ताअे का उमराह करने वाला ब—हालते ऐहराम खाना ए काबा में दाखिल हो और उसका तवाफ करे और सफाह व मरवाह के दरम्यान सई करे जब इतना कर चुके तो ऐहराम खोल दे और सर के थोड़े बाल और नाखुन कटवाए और बाकी को हज के दिन के लिये छोड़ दे अब उसके लिये हर चीज़ हलाल है। इसके बाद मक्का से हज के लिये फिर ऐहराम बांधे और जिस चीज़ की कुर्बानी उसको मयस्सर हो करे जैसा कि अल्लाह तआला ने फरमाया है।

इमाम बाकिर^{अ.स.} से मनकूल है आपने इस आयते करीमा के बारे में फरमाया कि

الْحَجُّ أَشْهَرُ مَعْلُومَاتٍ ۚ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفْتٌ وَلَا فُسُوقٌ وَلَا جِدَالٌ فِي الْحَجِّ

अल हज्जो अशहुरुम मअलूमातुन फमन फरज़ः फीहिन्नल हज्जः फला रफसः वला फुसूकः वला जिदालः फिल हज्जि 2-2/197 तर्जुमा : हज के मालूम महीने यह है शव्वाल, ज़िलकाद, ज़िलहज इनके अलावा किसी और महीने में हज फर्ज नहीं है। हज का फर्ज तलबीया (लब्बेक कहना) अशआर और तकलीद से अदा होता है अगर हज करने का इरादा रखने वाला इनमें से जो भी अमल करे तो उसने अपने उपर हज फर्ज कर लिया। और रफसः से मुराद हमबिस्तर होना है और फुसूकः से मुराद झूठ बोलना और गाली गलोच करना है और जिदाल से

لَا وَاللَّهِ بَلَىٰ وَاللَّهُ

ला वल्लाहो, बला वल्लाहो कहना यानि बात बात में खुदा की क़सम खाना, नहीं खुदा की क़सम, हां खुदा की क़सम कहना और फखर करना मुराद है।

हज की तरगीबात का बयान

इमाम बाकिर^{अ.स.} ने आयते करीमा

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ اِنِّیْ جَاعِلٌ فِی الْاَرْضِ خَلِیْفَةً ۚ قَالُوْۤا اَتَجْعَلُ فِیْهَا مَنْ یُّفْسِدُ
فِیْهَا وَیَسْفِكُ الدِّمَآءَ ۚ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ

व इज कालः रब्बुकः लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अरदि खलीफतन कालू अ तजअलो फीहा मन्य युफसिदो फीहा व यसफिकुद—दिमाअः व नहनो नुसब्बिहो बि—हम्दिदकः व नुकदिसो लकः 1-2/30

तर्जुमा : (ए रसूल उस वक़्त को याद करो) जब तुम्हारे परवरदिगार ने फरिश्तो से कहा कि मैं अपना एक नायब ज़मीन में बनाने वाला हूँ तो (फरिश्ते तअज्जुब से) कहने लगे कि क्या तु ज़मीन में ऐसे शख्स को पैदा करेगा जो ज़मीन में फसाद और खूँ रेज़िया करता फिरे हालांकि (अगर खलीफा बनाना है तो) हमारा ज़्यादा हक़ है क्योंकि हम तेरी तारीफ व तस्बीह करते हैं और तेरी पाकिज़गी साबित करते हैं। उसके मुताल्लिक आपने फरमाया कि फरिश्तो के उस कौल में अपनी इबादत से अल्लाह तआला पर एहसान जताने का पहलु निकलता है। यह बात उन फरिश्तो ने कही थी जिनको कि आदम से पहले ज़मीन पर रहने वाले जिनो का हाल मालूम हुआ था जिन फरिश्तों ने यह बात कही थी खुदा वंदे तआला ने उनसे अपना मुंह फिरा लिया था और फिर उसने आदम^{अ.स.} को पैदा किया और उनको तमाम असमाअ (नाम) सिखलाए फिर खुदा ने फरिश्तो से उन अस्माअ के बारे में जब पुछा तो उन्होने कहा कि

لَا عَلِمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا

ला इल्मः लना इल्ला मा अल्लमतना उस वक़्त खुदा ने फरमाया कि

يٰۤاٰدَمُ اَنْبِئْهُمْ بِاَسْمَآئِهِمْ

या आदमो अम्बिअहुम बिअसमाइहिम जब आदम ने तमाम असमाअ बता दिये तो खुदा ने उनसे कहा कि अब आदम को सजदा करो चुनांचा फरिश्तो ने आदम को सजदा किया वह सजदा की हालत में अपने दिलो में कहने लगे कि हमे इसका वहम व गुमान तक न था कि खुदा वंदे तआला हमसे

अफ़ज़ल भी कोई मख़लूक पैदा करेगा। हालांकि हम तो खुदा के पड़ौसी और तमाम मख़लूक़ात से ज़्यादा उसके करीब हैं जब फरिश्तो ने सर उठाया तो अल्लाह तआला ने फरमाया कि

إِنِّي أَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ

इन्नी अअलमो ग़ैबस समावाति वल अरदि फरिश्तो ने जो ज़ाहिर किया था व उनका यह कौल था :

أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا

अतज—अलो फीहा मन्य युफ़सिदो फीहा और जो उन्होंने अपने दिल में कहा था वो यह कि हमको वहम व गुमान तक न था कि अल्लाह तआला हमसे अफ़ज़ल भी कोई मख़लूक़ पैदा करेगा। जब खुदा ने फरिश्तों से कहा कि

إِنِّي أَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ

इन्नी अअलमो ग़ैबस समावाति वल अरदि तो उन्होंने समझा कि उनसे भूल हो गई है लिहाज़ा वो अर्श—ए—इलाही से चिमट गये और उसके चौ तरफ तवाफ में मशगूल हो गये और परवरदिगार की रज़ा जोई तलब करने लगे। पस खुदा उनसे खुश हो गया फिर खुदा ने फरिश्तों को हुक्म दिया कि वो ज़मीन पर एक घर बनाए जिसको वह लोग तवाफ करे जो औलाद आदम में से गुनाह के मुरतकब होंगे जैसा कि फरिश्तों ने अर्श इलाही का तवाफ दिया था कि खुदा उनसे रज़ामंद हो जाये जैसा कि वह फरिश्तों से राजी हुआ था। चुनांचा उन्होंने मौजूदा बैतुल्लाह की जगह पर एक घर बनाया था जो तूफाने नूह के ज़माने में उठा लिया गया था और वो चौथे आसमान में है जिसमें हर रोज़ 70,000 फरिश्ते दाखिल होते हैं वो दुबारा उसकी तरफ वापस नहीं आते। इसी घर की बुनियाद पर हज़रत इब्राहीम^{अ.स.} ने बैतुल्लाह बनाया था जब आदम^{अ.स.} से ख़ता हुई और उनको खुदा ने ज़मीन पर गिरा दिया तो वो उसी घर की तरफ आये और उसका तवाफ दिया जैसा कि उन्होंने फरिश्तों को अर्श इलाही का सात मर्तबा तवाफ करते देखा था। उसके बाद आदम^{अ.स.} मुस्तज़ार के पास खड़े हो गये और यह निदा की कि रब्बि अगफिरली तर्जुमा : परवरदिगार तु मुझको बख़्श दे। आदम को आवाज़ दी गई कि ए आदम खुदा ने तुमको माफ कर दिया। आदम^{अ.स.} से

बारगाहे इलाही में अर्ज किया कि ए परवरदिगार कि तु मेरी औलाद को भी बख्शा दे फिर निदा आई कि ए आदम तुम्हारी औलाद में से जो गुनाहगार है यहां आकर तौबा करेंगे जहां तुमने तौबा की है तो उसके गुनाह खुदा माफ कर देगा।

अमीरुल मुअमिनीन^{अ.स.} फरमाते हैं कि खुदा वंदे तआला ने हज़रत इब्राहीम^{अ.स.} को यह वही की कि ए इब्राहीम तुम मेरे वास्ते ज़मीन पर एक घर बनाओ जिसमें मेरी इबादत की जाये। इब्राहीम^{अ.स.} का उस हुक्म से दिल तंग हो गया लेकिन खुदा वंदे तआला ने इब्राहीम^{अ.स.} पर सकीनत (तसल्ली) भेजी यह एक हवा थी जिसके दो सिरे थे जो एक दूसरे के पीछे पीछे चलते थे उस हवा ने वहां चक्कर लगाया जिस जगह फरिश्तो ने पहले घर बनाया था पस इब्राहीम^{अ.स.} ने बैतुल्लाहुल हराम की उस जगह बुनियाद रखी जहां—जहां पर सकीनत का गुज़र हुआ था। हज़रत इब्राहीम^{अ.स.} घर बना रहे थे और इस्माईल^{अ.स.} आपको पत्थर दे रहे थे और दीवार काअबा उठा रहे थे। जब हज़रत इब्राहीम^{अ.स.} घर बनाते बनाते रुकन—असवद तक पहुंचे तो उन्होंने इस्माईल^{अ.स.} को फरमाया कि इस जगह रखने के वास्ते पत्थर लाओ पस उन्हें पत्थर न मिला और वह युं ही खड़े रहे हज़रत इब्राहीम^{अ.स.} ने कहा की जाकर तलाश कर लाओ जब वो तलाश करने के लिये चले तो जिब्रईल^{अ.स.} इब्राहीम^{अ.स.} के पास पत्थर लेकर आये चुनांचा हज़रत इब्राहीम^{अ.स.} ने वही पत्थर उस जगह पर नसब कर दिया तो इस्माईल^{अ.स.} ने पुछा कि आपको पत्थर किसने लाकर दिया था? हज़रत इब्राहीम^{अ.स.} ने जवाब दिया कि उसने जिसने सिर्फ तुम्हारे बनाने ही पर भरोसा नही रखा है। चुनांचा यह घर एक ज़माना तक बाकी रहा फिर ध्वस्त हो गया उसको अमालिका ने बनाया फिर एक ज़माना तक बाकी रहा और जब गिर गया तो कौम जिरहम ने उसको बनाया यह घर फिर गिर गया तो कुरैश ने बनाया उस ज़माने में रसूले खुदा^{स.अ.व.} अभी बच्चे थे आपकी नशोनुमा (परवरिश) पाकीज़गी और अख़्लाक अम्बिया की सूरत पर हुई थी कुरैश आपको अमीन के लक़ब से पुकारते थे जब कुरैश हज़रे अस्वद तक पहुंचे तो हर क़बीले की यह खुवाहिश हुई कि हज़रे अस्वद को उस जगह पर वह खुद रखे। चुनांचा इस सिलसिले में उनकी आपस में इख़्तिलाफ़ हो गया उन्होंने इस बात पर इत्तिफ़ाक़ किया कि इस मसले में उसी को अपना हक़म बनाएंगे जो सबसे पहले यहां आएगा। पस सबसे पहले ख़ाना—ए—काअबा में रसूले खुदा^{स.अ.व.} तशरीफ़ लाए वह पुकार उठे कि यह तो अमीन आये है चुनांचा उन्होंने आपको पूरा किस्सा

कह सुनाया। आपने अपनी चादर मुबारक उतारी और उसमें हजरे अस्वद रख दिया और फरमाया कि कुरैश का कबीला इस चादर का कोना पकड़े फिर सब मिलकर उसको उठाओ उनको आपके इस फैसले पर बड़ा तअज्जुब हुआ वह सब बड़े खुश हो गये और उन्होंने उस पर अमल किया। जब चादर मुबारक हजरे अस्वद के मुक़ाम पर पहुँची तो आपने हजरे अस्वद को खुद उठा कर वहां रख दिया।

इमाम बाकिर^{अ.स.} फरमाते हैं कि हजरे अस्वद मीसाक के मानिंद है। उसको चूमना बैअत है। आप जब हजरे अस्वद को बौसा देते तो फरमाते कि :

اللَّهُمَّ أَمَاتِي أَوْتَهَا وَمِيثَاقِي تَعَاهَدْتُهُ، يَشْهَدُنِي عِنْدَكَ بِالْبَلَاغِ

अल्लाहुम्मः अमानती अव्वतिहा व मीसाकी तआहदतूह यशहदली इन्दकः बिल बलागि आपने लोगो को देखा कि वह बैतुल्लाह का तवाफ देकर वापस चले जा रहे हैं तो आप^{स.अ.व.} ने फरमाया कि खुदा की कसम इनको इसके अलावा और भी एक हुक्म दिया गया है। अर्ज किया गया कि वह क्या है ऐ फरजंदे रसूल? आपने फरमाया कि इनको यह हुक्म दिया गया था कि जब वह बैतुल्लाह के तवाफ से फारिग हो चुके तो हमारे पास आयें और अपनी जानो को हमारे सामने पेश करें।

इमाम जअफरुस्सादिक^{अ.स.} फरमाते हैं कि अल्लाह तआला तक पहुँचने के जितने रास्ते हैं उन तमाम रास्तों में से हज से बढ़कर अफज़ल और कोई रास्ता नहीं है। सिवाये उस शख्स के जो अपनी तलवार लेकर निकले और खुदा की राह में जिहाद करते करते शहीद हो जाये। आपसे एक शख्स ने पुछा कि ए फरजंदे रसूल! मैं मालदार आदमी हूँ। और फर्ज हज कर चुका हूँ, और मैं हज ए ततव्वोअ की तरगीबात सुन चुका हूँ तो क्या मैं अगर हज के खर्च के बराबर या उससे जाइद सदका कर दूँ तो क्या हज का सवाब मुझको मिलेगा? आपने अबू कैस पहाड़ की तरफ नज़र उठा कर फरमाया कि अगर तुम इस पहाड़ के बराबर सोना या चांदी सदका कर दोगे तब भी तुमको हज का सवाब न मिलेगा।

रसूले खुदा^{स.अ.व.} का इर्शाद है कि जो शख्स बैतुल्लाह का सात मर्तबा तवाफ करेगा और उम्दगी के साथ दो रकाअत नमाज़ पढ़ेगा तो उसको माफ कर दिया जाएगा। हज़रत अली^{अ.स.} से मरवी है कि रसूले खुदा^{स.अ.व.} जब हज्जतुल विदा से फारिग हो चुके और अरफा पर चढ़े तो

आपने लोगो की तरफ मुतवज्जा होकर तीन मर्तबा फरमाया खुश आमदीद ए खुदा की तरफ आने वालो! अगर तुम इस वक़्त सवाल करो तो तुमको दिया जाएगा और तुम्हारे खर्च का बदला मिलेगा। आखिरत में तुम्हारे हर एक दिरहम के एवज़ एक हजार नेकियाँ लिखी जाएंगी। उसके बाद आपने फरमाया कि ए लोगो! क्या मैं तुम को बशारत न दूँ? लोगो ने कहा हां ए रसूले खुदा^{स.अ.व.} आपने फरमाया कि आज शाम हो जाएगी तो खुदा उस मौक़िफ में खड़े रहने वालों से फरिश्तों के साथ फख़्र के साथ बात करेगा। खुदा उनको कहेगा कि ए मेरे फरिश्तो! देखो मेरे इन बन्दों को और बांदियो को यह मेरे पास गिर्द आलुद हालत में ज़मीन के मुख़्तलिफ हिस्सो से उमड़ उमड़ कर आये हैं। तुम्हें कुछ ख़बर है कि यह मुझसे क्या मांग रहे हैं? फरिश्ते कहेंगे कि ए हमारे परवरदिगार तुझसे यह लोग माफी के तलबगार हैं तो खुदा उस वक़्त कहेगा कि मैं तुम लोगों को शाहिद बनाकर कहता हूँ कि मैंने इन सबको माफ कर दिया है। ए लोगो तुम सब अपने मौक़िफ से इस हाल में लौट जाओ कि तुम्हारे पिछले गुनाह माफ हो चुके हैं।

इमाम जअफरुस्सादिक^{अ.स.} फरमाते हैं मुअमिन हाजी के लिये खुदा इस बात का ज़िम्मेदार है कि अगर वो दरमियाने सफर में मर जाये तो खुदा उसको दाखिले बहिश्त करेगा। और अगर उसको अपने अहलो अयाल तक वापस पहुंचा दे तो पहुंचने के बाद 70 रात तक उसका कोई गुनाह न लिखा जाएगा।

इमाम बाकिर^{अ.स.} फरमाते हैं कि रसूले अकरम^{स.अ.व.} फरमाते थे कि हज करने वाले तीन किस्म के होते हैं सबसे अफज़ल वह जिसके अगले और पिछले तमाम गुनाह माफ कर दिये गये हों, उसके बाद वह शख्स जिसके अगले गुनाह माफ कर दिये और आईंदा नया अमल करता है। तीसरा शख्स वह है जो सबसे कम नसीब वाला है जिसके सिर्फ अहलो अयाल में हिफाज़त की गई हो।

इमाम जअफरुस्सादिक^{अ.स.} फरमाते हैं कि हज करने वालों के तीन हिस्से हैं उनमें से एक हिस्सा के लोग दोज़ख़ से आज़ाद कर दिये जाएंगे। खुदा फिर उनको आज़ाद करने की तरफ रुजूअ न करेगा। और दूसरा हिस्सा वो है जो फिर से अमल शुरू करेगा। और उनके अगले गुनाह माफ हों चुके हैं और तीसरा वो है जिनको नुक़सानात का बदला मिलेगा। और वो अपने अहलो अयाल में तंदरुस्त रहेंगा।

अमीरुल मुअमिनीन^{अ.स.} से रिवायत है कि रसूले खुदा^{स.अ.व.} ने फरमाया

कि उमराह के बाद उमराह करना दोनों के दरमियान जो गुनाह हुए हैं उसका कफ़ारा है और हज मक़बूल का सवाब जन्नत है। गुनाहों में बहुत से ऐसे गुनाह हैं जो अरफ़ात के सिवा और कहीं माफ़ नहीं होंगे। आंहज़रत^{स.अ.व.} ने एक मर्तबा हुज्जाज के ऊंटों की क़तार पर नज़र डाली और फरमाया कि यह ऊंट जो भी क़दम उठाते हैं उसके एवज़ एक नैकी लिखी जाती है और एक एक कदम रखने पर उनके एक-एक गुनाह खो (माफ़) हो जाता है। जब वह मनासिक अदा कर लेते हैं तो उनसे कहा जाता है कि तुम एक मकान बना चुके हो अब उसको मनहदम (बर्बाद) न करना। माज़ी (पहले) की तुम को अब फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है मुस्तक़बिल (आइंदा) में नैक अमल करो।

इमाम जअफरुस्सादिक^{अ.स.} से मरवी है कि आपने फरमाया कि जब अल्लाह तआला ने हज़रत इब्राहीम^{अ.स.} पर वही नाज़िल की कि

أَنْ طَهَّرَا بَيْتِي لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ

अन तहहिरा बैतियः लिताइफीनः वल आकिफीनः वर रुक्कइस सुजूद उस वक़्त खुदा वंदे तआला ने कअबा पर एक सौ सित्तर रहमतें उतारी उसमें से साठ तवाफ़ देने वालों के लिये और 50 आकैफीन के लिये और 40 नमाज़ियों के लिये और 20 कअबा को देखने वालों के लिये।

हज़रत अमीरुल मुअमिनीन^{अ.स.} से रिवायत है कि रसूले खुदा^{स.अ.व.} ने फरमाया कि जो शख्स दुनिया और आखिरत का तालिब हो तो वह उस घर बैतुल्लाह—ए—हराम की तरफ़ आये क्योंकि जिस बंदे ने भी उस घर में आकर दुनिया मांगी है तो उसको दुनिया दी गई है और खुदा से आखिरत मांगी है तो उनको आखिरत का ज़खीरा दिया गया है ए लोगो तुम पर हज व उमराह वाजिब है दोनो को बाहम मिला दो क्योंकि यह दोनों गुनाहों को धो डालते हैं। जिस तरह से कि पानी गंदगी को साफ़ कर देता है। और हज व उमराह फाका व मोहताजगी को दूर कर देते हैं जिस तरह से कि आग जंग आलूद लोहे को साफ़ कर देती है।

मदीनतुन—नबी^{स.अ.व.} में दाखिला और हाजी का वहां जाकर क्या अमल करना चाहिये उसका बयान

अमीरुल मुअमिनीन^{अ.स.} से मरवी है आप ने लोगो से मुखातिब होकर अपने खुतबा में फरमाया कि रसूले अकरम^{स.अ.व.} ने फरमाया है कि मदीना मुनव्वरा जब्ले ऐर से लेकर जब्ले सोर तक हरम है अगर इसमें किसी ने जुर्म किया या किसी मुजरिम को पनाह दी तो उस पर फरिश्तो और इन्सानो की लानत होगी। खुदा उसके किसी भी अमल को कबूल न करेगा।

इमाम जअफरुस्सादिक^{अ.स.} फरमाते हैं कि मदीना के दोनो तरफ जो सियाह पत्थर है उनके दरमियान हरम है। आपकी खिदमत में अर्ज किया गया कि क्या मदीने के परिंदे भी मक्का के परिंदों के मानिन्द हैं। आपने फरमाया कि नहीं! लेकिन मदीने के दरख्त काटे न जाये। आपसे पुछा गया कि मदीना के लायत से क्या मुराद है? आपने फरमाया कि मदीना के वो काले पत्थर जो उसको मुहीत (घेरे) हुए है यह हरमे रसूले^{स.अ.व.} है। इस हद में न शिकार किया जाये न दरख्त काटे जायें।

अमीरुल मुअमिनीन^{अ.स.} फरमाते हैं कि अगर मदीना से कोई शख्स मुंह फिरा कर चला जाएगा तो खुदा उसको शर में मुब्तिला कर देगा। इमाम जअफरुस्सादिक^{अ.स.} फरमाते हैं कि ब—गरज ज़ियारत जो शख्स मदीना में दाखिल हो उसको पहले लायक है कि गुस्ल करे हमने इसका ज़िक्र किताबुत तहारत में कर दिया है इस किस्म के गुस्ल की तरगीब दी गई है यह गुस्ल जनाबत की तरह फर्ज नहीं है ज़ियारत की गरज से जो शख्स मदीना मुनव्वरा में दाखिल हों तो पहले अपने असबाबे सफर को मंजिल पर रखने के बाद सबसे पहले मस्जिदुन नबी^{स.अ.व.} में आकर क़ब्र मुबारक की ज़ियारत से मुशर्रिफ हो, और मस्जिदुल नबी^{अ.स.} में नमाज़ पढ़े।

इमाम जअफरुस्सादिक^{अ.स.} और आपके पिदर बुर्जुगवार इमाम बाकिर^{अ.स.} आपके आबा ए किराम और रसूल अकरम^{स.अ.व.} से मरवी है कि मस्जिदुन नबी^{स.अ.व.} में नमाज़ पढ़ने का सवाब 10,000 नमाज़ का है और इमाम जअफरुस्सादिक^{अ.स.} फरमाते हैं कि मस्जिदुन नबी^{स.अ.व.} में नमाज़ पढ़ने के लिये अफज़ल से अफज़ल जगह क़ब्रे रसूल^{स.अ.व.} के करीब की जगह है। लिहाज़ा जब तुम मदीना में दाखिल हो तो पहले गुस्ल करो और फिर मस्जिद में दाखिल हो और पहले क़ब्र मुत्तहरा पर जाओ और वहां सलाम

पढ़ो और तबलीगे रिसालत की शहादत दो और ब—कसरत दुरुद व सलाम भेजो और वहां दुआ करो जिससे खुदा तुम पर आसानियों के दरवाजे खोल देगा। कब्र मुत्तहर पर पढ़ने के लिये अहले बैत^{अ.स.} से बकसरत दुआए मरवी है उनमें से कोई भी दुआ मख्सूस नहीं है।

अमीरुल मुअमिनीन^{अ.स.} फरमाते हैं कि रसूले खुदा^{स.अ.व.} का इर्शाद है कि मेरे इन्तिकाल के बाद जो मेरे कब्र की ज़ियारत करेगा वह ऐसा है जैसे मेरी जिंदगी में मेरी तरफ हिज़रत करके आया है और जो मेरी कब्र की ज़ियारत नहीं कर सकता वो मेरी जानिब अपना सलाम भेजे वो मुझ तक पहुंच जाएगा।

इमाम जअफरुस्सादिक^{अ.स.} फरमाते हैं कि मदीना मुनव्वरा में जिन मुक़ामात की ज़ियारत करना और वहां नमाज़ पढ़ना चाहिये वो यह है। मस्जिदे—कबा यह वह मस्जिद है जिसकी बुनियाद तक्वा पर रखी गई है। मस्जिदे फतेह मस्जिदुल फज़ीख मशरबति उम्मे इब्राहीम, कब्र हम्ज़ा^{अ.स.} और दीगर शोहदा की कब्रें। और जब जाइर (ज़ियारत करने वाला) मदीना से वापस लोटे तो सबसे आखिर में कब्र नबी पर आये और वहां से विदा हो और वही अमल करे जो उसने दाखिला के रोज़ किया था और वह दुआ वगैरह करे जितनी उससे हो सके क़बरून नबी पर अलविदा कहे और वापस हो जाये।

ऐहराम के मीकातों का बयान

इमाम जअफरुस्सादिक^{अ.स.} से मरवी है आपने फरमाया कि रसूले अकरम^{स.अ.व.} ने ऐहराम बांधने के लिये पांच मीकातों को मुकर्रर फरमाया है अहले मदीना के लिये मक़ामे—जुल—हुलेफा है और वो मस्जिदुल शजरा है। अहले शाम के लिये मक़ामे हजफा है और अहले यमन के लिये यलम—लम और अहले ताइफ के लिये करन और अहले नजद के लिये मक़ामे अकीक है। यह पांच मवाकीत वहां के बाशिंदों के लिये है और उनके लिये है जो दूसरे शहरो से इन रास्तो से होकर आयें। आप फरमाते हैं हज व उमराह की तकमील उसी में है कि तुम इन मवाकीत से ऐहराम बांध कर आओ जिनको रसूले खुदा^{स.अ.व.} ने मुकर्रर फरमाया है वक़्त से पहले ऐहराम बांधना जाइज़ नहीं है अगर किसी ने वक़्त से पहले ऐहराम बांध लिया और ऐसा

काम किया जो ऐहराम की हालत में न करना चाहिये था तो उसका यह ऐहराम फासिद है। उस पर सिर्फ इतना वाजिब है कि वो मीकात पर वापस जाये और वहां से ऐहराम बांध कर आये।

इमाम जअफरुस्सादिक^{अ.स.} फरमाते हैं कि अगर किसी को किसी महीना में उमराह फौत होने का खौफ हो तो उसको इख्तियार है कि वह मीकात के अलावा कहीं से भी ऐहराम बांधे मसलन जब कोई उमराह के क़सद से माह रजब में निकले और उसको यह मालूम हो जाये कि वह मीकात तक न पहुंच सकेगा लेकिन उस वक़्त जब शाबान का हिलाल (चांद) निकल आयेगा तो वह ऐहराम न छोड़े यहां तक कि वह मीकात तक पहुंच जाये उस सूरत में उसका उमराह शाबान में होगा लेकिन वह क़ब्ल अज़ मीकात ऐहराम बांध ले तो यह उमराह रजबीया होगा। जो अफ़ज़ल है और इसी उमराह की उसने निय़त की थी आपसे पुछा गया कि अगर कोई मस्जिदे शजरा के उस पार से ऐहराम बांध ले तो ? आपने फरमाया कि मस्जिद शजरा और हुजफा के दरमियान ऐहराम बांधा जा सकता है।

इमाम जअफरुस्सादिक^{अ.स.} फरमाते हैं कि अगर कोई शख्स मीकात पर आकर ऐहराम बांधना भूल जाये या उसको यह इल्म ही न हो कि यह मीकात है और वह मीकात से आगे बढ़ जाये या मक्का पहुंचने के बाद उसको मालूम हो तो उन तमाम सूरतों में अगर मीकात पर जाकर वापस आ सके तो वह जाये और वहां से ऐहराम बांध कर आये और अगर हज के फौत हो जाने का खौफ हो या मीकात वापस नहीं लौट सकता हो तो जहां है वही से ऐहराम बांध ले और अगर हुदुदे हरम से बाहर जाकर ऐहराम बांध सकता है तो वहां से ऐहराम बांध कर आये। और हरम में दाख़िल हो अगर ऐसा नहीं कर सकता तो जहां हो वहां से ऐहराम बांध ले। आप फरमाते हैं कि जिसका घर ज़्यादा करीब हो मीकात से मक्का तक तो वह अपने घर से ही ऐहराम बांधे और उसको मीकात तक जाना वाजिब नहीं है। अमीरुल मुअमिनीन^{अ.स.} फरमाते हैं कि हज की तक्मील इससे है कि तुम अपने घर के सामने से ऐहराम बांधो यह उस शख्स के लिये है जिसका मीकात मक्का से कम फासले पर है।

ऐहराम का बयान

इमाम जअफरुस्सादिक^{अ.स.} और आपके पिदर बुर्जुगवार इमाम बाकिर^{अ.स.} आपके आबा ए किराम^{अ.स.} से मरवी है कि आंहज़रत^{अ.स.व.} जब हज्जतुल विदा के कसद (इरादा) से निकले और मस्जिद शजरा के पास पहुंचे तो आपने लोगों को हुक्म दिया कि वो बगल के बाल और जैरे नाफ (शर्मगाह) के बाल साफ करें। और गुस्ल करें और तमाम लिबास उतार कर एक इज़ार और एक चादर पहन ले या दो कपड़े उनमें से एक को तेहबंद बना ले और दूसरे को पीठ पर डाल ले। इमाम जअफरुस्सादिक^{अ.स.} फरमाते हैं कि जो शख्स ऐहराम बांधने का इरादा करे तो मुँछ के बाल और नाखून कतरे। इनमें से जो भी पहले करे तो कोई मज़ररत नहीं और अगर उसको मुमकिन हो तो इन कामों से ज़वाल के वक़्त तक फारिग हो जाये क्योंकि ऐहराम के लिये यह बेहतरीन वक़्त है। ऐहराम शब व रोज़ किसी भी वक़्त में बांधा जा सकता है उसमें कोई मुज़ाइका (हर्ज) नहीं है। आपने हाइज़ और नफास वाली औरतों के बारे में फरमाया कि मीकात पर आकर गुस्ल करें और जैसे मर्द ऐहराम बांधते है वह भी ऐहराम बांधे अगर किसी ने मीकात के अलावा किसी और जगह पर ऐहराम का गुस्ल कर लिया तो वो काफी है। आपने उस शख्स को ऐसी खुशबू लगाने से मना फरमाया है कि जो ऐहराम बांधने का इरादा रखता है और वह खुशबू ऐहराम के बाद बाकी रहती हो और मुहर्म्मि (ऐहराम बांधने वाला) को खुशबू को हाथ लगाने से भी मना फरमाया है। न सिली हुई कमीज़ न इज़ार न अमामा न टोपी न जूता न मोज़ा न बुरका न हाथ पैर में ज़ेवर गर्ज कोई सिला हुआ कपड़ा न पहने और न सर को ढांके। औरत कुरता पहने और सर को ढांके उसका ऐहराम उसके चेहरे में है चेहरे पर उस से थोड़ा कपड़ा डाल दे। मुहर्म्मि पर औरत से हमबिस्तर होना और शिकार करना दोनो हराम है। मुहर्म्मि कोई बाल न उतारे और न उखाड़े न नाखून कतरे और न जुएँ मारे। हम आइंदा मुहर्म्मि पर जो हराम है उसका बयान करेंगे और जिसने ऐहराम की हालत में ज़रा सा भी खिलाफ़े हुक्म किया हो तो उस पर क्या वाजिब है मुफस्सिल तेहरीर करेंगे।

आपने फरमाया कि जो शख्स ऐहराम बांधने का इरादा करे तो वह पहले नमाज़ पढ़े और अगर फर्ज़ नमाज़ का वक़्त हो तो नमाज़ पढ़ने के बाद ऐहराम बांधे उसके बाद नफ़ल नमाज़ हो तो पढ़े। फिर उसके बाद ऐहराम

बांधे और अगर फर्ज नमाज़ का वक़्त न हों तो नफ़ल पढ़ कर ऐहराम बांधे।

ग़र्ज नमाज़ पढ़े बग़ैर ऐहराम न बांधना चाहिये। हालांकि कोई भूल गया हो या कोई माकूल उज़्र हो, अगर किसी ने ऐहराम बांधने के बाद नमाज़ पढ़ी तो उस पर कोई चीज़ लाज़िम नहीं इतना ज़रूर है कि उसने एक अच्छी चीज़ को छोड़ दिया। आप फरमाते हैं कि मुहर्रिम जब ऐहराम बांधने का इरादा करे तो अपने दिल में नीयत करे अगर हज या उमराह और हज मुफ़र्रद (अकेली हज) या उमराह मुफ़र्रद (अकेला उमराह) जिसका भी इरादा रखता हो वह मुंह से कहे और यह दुआ पढ़े :

اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اُرِیْدُ اَنْ اَتَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ اِلَى الْحَجِّ

अल्लाहुम्म: इन्नी उरीदो अन अ तमततअ: बिल उमरति इलल हज्जि— और अगर हाजी के हमराह कुर्बानी का जानवर हो तो यह कहे :

اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اُرِیْدُ اَنْ اَقْرَنَ الْحَجَّ بِالْعُمْرَةِ

अल्लाहुम्म: इन्नी उरीदो अन अक़रिनल हज्जि बिल उमरति— और अगर हज मुफ़र्रद का इरादा रखता हो तो इस तरह कहे :

اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اُرِیْدُ الْحَجَّ

अल्लाहुम्म: इन्नी उरीदुल हज्जि— और अगर सिर्फ उमराह करने का इरादा हो तो यह कहे :

اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اُرِیْدُ الْعُمْرَةَ عَلٰی كِتَابِكَ وَسُنَّتِهِ نَبِیِّكَ اَللّٰهُمَّ وَمَحِلِّیْ حَيْثُ حَبَسْتَنِیْ لِقَدْرِكَ الَّذِیْ قَدَّرْتَ عَلٰی اَللّٰهُمَّ فَاعْنِیْ عَلٰی ذٰلِكَ وَیَسِّرْهُ لِیْ وَتَقَبَّلْهُ مِنِّیْ

अल्लाहुम्म: इन्नी उरीदुल उमर:ति: अला किताबिक: व सुन्नतहि नबीय्यिक: अल्लाहुम्म: व महिल्ली हैसो हबस तनी लि क़दरिकल लज़ी क़दरत: अलय्य: अल्लाहुम्म: फ अअनी अला ज़ालिक: व यस्सिरहो ली व तक़बल हो मिन्नी इसके बाद जो चाहे दुआ करे हज या उमराह जो भी करना चाहता हो अगर जुबां से न कहा और नीयत की हो तो इतना ही काफी है। इमाम जअफरुस्सादिक^{अ.स.} फरमाते हैं कि तमततो बिल उमरति इलल हज (हज

उमराह के साथ) अफज़ल हज है। यह ही कुरआन में आया हुआ है। इसकी फज़ीलत को रसूले अकरम^{सअ.व.} ने बयान फरमाया है। आपने अपने हमराह हज्जतुल विदा में कुर्बानी का जानवर लेकर गये थे आप मक्का पहुंचे तो आपने तवाफ किया और सफाह व मरवाह के दरमियान सई की उस वक़्त आप पर वही उतरी जैसा की हमेशा उतरा करती थी। आपने फरमाया कि मैंने जो कुछ पहले किया है काश उसको और कर सकता तो मैं कुर्बानी के जानवर को साथ न लाता और इस हज को *हज तमत्तोअ बिल उमरा* में तबदील कर देता पस जिसके हमराह कुर्बानी का जानवर न हों तो ऐहराम खोल दें। पस लोगों ने उमराह करके ऐहराम खोल दिया लेकिन जिसके पास कुर्बानी के जानवर थे उन्होंने ऐहराम नहीं खोला और जिन्होंने उमराह करने के बाद ऐहराम खोल दिया था उन्होंने हज के लिये तरविया (आठवी जिलहज) के दिन मस्जिदुल हराम से फिर ऐहराम बांधा था। पस यह *तमत्तोअ बिल उमराह इलल हज* उनके लिये है जो साकिनान (रहने वाले) हरम में से नहीं है। जैसाकि अल्लाह तआला ने फरमाया है क्योंकि साकिनान हरम तो हमेशा उमराह पर कादिर है खुदा वंदे तआला ने यह वुसअत तो उनको अता फरमाई है जो मुखतलिफ शहरो से आते हैं। उनको एक ही सफर में हज व उमराह दोनों का शरफ अता कर दिया है यह कुशादगी खुदा की रहमत के बाइस है। अपनी मख़लूक पर और उन पर खुदा का एहसान है।

इमाम जअफरुस्सादिक^{अ.स.} फरमाते हैं कि जो शख्स उमराह के बाद हज करने का इरादा रखता हो तो वह बैतुल्लाह—अल—हराम का सात मर्तबा तवाफ करे और अपने तवाफ की दो रकाअत नमाज़ पढ़े। और सफाह व मरवाह के दरमियान सात मर्तबा सई करे सफाह से शुरू करे और मरवाह पर ख़त्म करे। यह उमराह हुआ। अब ऐहराम छोड़ दे और थोड़े थोड़े बाल और नाखून कतरवाए और बाकी हज करने के बाद उतारें। उमराह करने के बाद ऐहराम खोल दें उसको चाहिये कि वह मुहर्रिम की तरह परेशान हाल रहें अगर हज का मौसम क़रीब हो और जब यौमुल तरविया आये तो मस्जिदे हराम से ऐहराम बांधे उसी तरह से जैसाकि उसने मीकात से बांधा था और जिसके हमराह कुर्बानी का जानवर हो और उमराह व हज एक साथ करना चाहता हो तो वह ऐहराम न खोलें। क्योंकि खुदा का इर्शाद है कि

وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ

वला तहलिकू रुऊसकुम हत्ता यबलुगल हदयो महिल्लहू और जो शख्स हज मुफर्रद का इरादा रखता हो तो हज से पहले उस पर तवाफ वाजिब नहीं है।

इमाम जैनुलआबिदीन^{अ.स.} से मरवी है कि आपने हज मुफर्रद किया जब आप मुक़ाम जी तुवा में उतरे तो आप सुनय्यदः के रास्ते मीना की तरफ तशरीफ ले गये और मक्का में दाखिल नहीं हुए लेकिन जो शख्स उमराह का इरादा रखता हो तो वह तवाफ दे और सई करे जैसाकि हमने उपर लिखा है और ऐहराम खोल दे और जब चाहे लौट जाए।

तकलीद (क़िलादा पहनाना) अशआर (निशानी लगाना) तजलील (झूल पहनाना) और तलबीया (यानि लब्बैक कहने) का बयान

जो शख्स अपने हमराह कुर्बानी का जानवर ले तो वो ऐहराम के बाद उसके गले में क़िलादा पहना दें और कोई निशानी लगा दे और झूल पहना दे और हांक कर ले जाये। पस जब मक्का और मदीना के मक़ाम बैदा में पहुंचें तो

لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ

लब्बैक अल्लाहुम्मः लब्बैक कहे।

इमाम बाकिर^{अ.स.} फरमाते हैं कि पहले लोग अपने ऊंटो को क़िलादा (पट्टा) पहनाते थे और गायो और भेड़ो को लेकिन आजकल लोगो ने गाय और भेड़ को क़िलादा पहनाना तर्क कर दिया है। आप फरमाते हैं कि तुम अपने कुर्बानी के जानवर को चमड़े या धागे का क़िलादा पहनाओ। और ऊंटनी के गले में पुराना जूता जिसको पहन कर तुमने नमाज़ पढ़ी हो बांधो। ताकि वह कहीं खो जाये तो वापस उसके मालिक को उसी जूते की अलामत से मिल जाये और इसलिये भी कि कोई जानवर गुम जाये तो वो पहचाना जा सके कि यह कुर्बानी का जानवर है।

इमाम जअफरुस्सादिक^{अ.स.} से ऐसे शख्स के मुताल्लिक पुछा गया जो अपने हमराह ऊंटनी ले जाये तो वह क्या करे? आपने फरमाया कि जब वह उस मीक़ात से जहां उसने ऐहराम बांधा हो वहां से लौटे तो उसको

निशान कर दे वो इस तरह से कि ऊँट की कौहान (कुल्हें) में दायें जानिब एक लौहा भौंक दे जिससे खून बह निकले और उसको किलादा पहना दे और झूल पहना दे और जब मक़ाम बैदा में पहुंचे तो अगर उसने मस्जिद शजरा से ऐहराम बांधा है तो लब्बैक लब्बैक कहना शुरू करे। अमीरुल मुअमिनीन हज़रत अली मुर्तज़ा^{अ.स.} अपनी कुर्बानी की ऊंटनी को जो झूल पहनाते थे उसको सदका कर देते थे।

इमाम जअफरुस्सादिक^{अ.स.} ने आयते करीमा

ذَلِكَ وَمَنْ يُعْظَمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ • لَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ إِلَىٰ أَجَلٍ
مُّسَمًّى ثُمَّ مَحِلُّهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ •

ज़ालिक: व मन्य युअज़्ज़िम शआइरल्लाहि फइन्नहा मिन तक्वल कुलूबि लकुम फीहा मनाफिओ इला अज:लिन मुसम्मन सुम्म: महिल्लुहा इलल बैतिल अतीक के मुताल्लिक फरमाया कि वह कुर्बानी का जानवर है जिसकी ताअज़ीम की जाती है। आपने फरमाया कि अगर हज करने वाले को सवार होने की ज़रूरत हो जाये तो उस पर बिला किसी सख्ती के सवार हो और अगर दूध हो तो दुध निकाल दे लेकिन वह कमजोर न होने पाये। आपने फरमाया कि अगर कुर्बानी का जानवर अगर नज़र का हो या जज़ा का यानि कपफारा का हो और वह हलाक हो जाये तो उसके एवज़ में दूसरे जानवर की कुर्बानी ज़रूरी है और अगर यह कुर्बानी ततव्वोअ के लिये है तो फिर कोई चीज़ वाजिब नहीं है और फर्ज, नज़र और कपफारा वगैरह की कुर्बानी के जानवर का गोश्त सदका कर दे। और खुद उसमें से कुछ न खाये और ततव्वोअ कुर्बानी के जानवर का गोश्त खुद खाये और खिलाये और बाकी सदका कर दे।

इमाम जअफरुस्सादिक^{अ.स.} और आपके पिदर बुर्जुगवार इमाम बाकिर^{अ.स.} से मरवी है कि जब रसूले खुदा^{स.अ.व.} मक्का और मदीना के दरमियान मक़ाम बैदा में पहुंचे तो आपने ज़ोर से लब्बैक कहा था और अहलाल के माअनी है आवाज़ को बुलंद करना आप ने इस तरह से कहा

اَللّٰهُمَّ لَبَّيْكَ • لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ • اِنَّ الْحَمْدَ وَ النِّعْمَةَ لَكَ وَ
الْمُلْكَ • لَا شَرِيكَ لَكَ

अल्लाहुम्म: लब्बैक लब्बैक ला शरीक: लक: लब्बैक इन्नल हमद: व नेअमत:
लक: वल मुल्क: ला शरीक: लक: इसके अलावा और कुछ न फरमाया
लेकिन एहले बैत^{अ.स.} ने इस दुआ में कुछ इस तरह से इज़ाफा किया कि :

لَبَّيْكَ يَا ذَا الْمَعَارِجِ • لَبَّيْكَ دَاعِيًا إِلَى دَارِ السَّلَامِ • لَبَّيْكَ غَفَّارَ الذُّنُوبِ •
لَبَّيْكَ مَرْهُوبٌ مِنْكَ • وَمَرْغُوبٌ إِلَيْكَ • لَبَّيْكَ ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ • لَبَّيْكَ
إِلَهَ الْخَلْقِ • لَبَّيْكَ كَاشِفَ الْكَرْبِ •

लब्बैक: या ज़ल—मआरिज लब्बैक: दाइयन इला दारिस्सलाम लब्बैक:
गफफारज़्ज़ुनूब लब्बैक: मरहूबुन मिन्क: व मरगूबुन इलैक: लब्बैक: ज़लजलालि
वल इकराम लब्बैक: इलाहल खलकि लब्बैक: काशिफल करब इसके
अलावा भी ब कसरत दुआए है लेकिन चार मर्तबा लब्बैक कहना सुन्नत है
और अगर कोई मज़ीद ज़िक्रे इलाही करे और अल्लाह तआला की बुर्जुगी
(ज्यादा) बयान करे और लब्बैक कहे और मक़ाम इलाही का ज़िक्र करे तो
उसमें फज़ल व ख़ैर है।

इमाम जअफरुस्सादिक^{अ.स.} फरमाते हैं कि ऐहराम बांधने के बाद हर
फर्ज़ नमाज़ और नफ़ल नमाज़ के बाद जितना हो सके लब्बैक कहो और जब
ऊंट तुमको लेकर उठे उस वक़्त और जब तुम किसी बुलंदी पर चढ़ो या
वादी में उतरो या अपनी नींद से जागो या सहर के वक़्त चाहे पाक हो या
नापाकी की हालत में हो लब्बैक कहना चाहिये।

मुहर्रिम पर ऐहराम की हालत में जो कुछ हराम है उसका बयान हराम काम के बाद मुहर्रिम क्या करे?

अल्लाह तआला का इर्शाद है कि :

الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَةٌ ۖ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفْتٌ وَلَا فُسُوقٌ وَلَا جِدَالٌ فِي الْحَجِّ

अलहज्जो अशहुरून मअलूमातुन फमन फरज: फीहिन्नल हज्ज: फला रफस:

वला फुसूक: वला जिदाल: फिल हज्जि 2-2/197 और यह भी इर्शाद है कि
 لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۖ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ
 ला तक्तुलूसैद: व अनतुम हुरुमुन व मन क्त:लहू मिनकुम मुतअम्मिदन
 फजज़ाउन मिस्तलो मा क्त:ल: मिनन नअमि 7-5/95 और बारी तआला का
 इर्शाद है :

أَحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ، مَتَاعًا لَكُمْ.....الخ

उहिल्ल: लकुम सैदुल बहरि व तआमुहु मताअन लकुम —

अमीरुल मुअमिनीन हज़रत अली^{अ.स.} और इमाम हसन^{अ.स.} व इमाम
 हुसैन^{अ.स.} इमाम जैनुलआबिदीन^{अ.स.} इमाम बाकिर^{अ.स.} और इमाम
 जअफरुस्सादिक^{अ.स.} से मरवी है कि मुहर्रिम पर शिकार करना, जमाअ
 करना, खुशबू लगाना, सिले हुए कपड़े पहनना बाल और नाखून काटना
 ममनूअ है। अगर मुहर्रिम अम:दन (जान-बूझकर) ऐहराम के बाद अरफा पर
 जाने से पहले जिमाअ करे तो उसका हज न होगा। वह कुर्बानी तो करे मगर
 आइंदा साल हज करे और अगर उसकी बीवी भी ऐहराम की हालत में अपने
 शौहर के साथ जिमाअ (मिलन) के लिये तैयार हुई तो उस पर भी यही
 वाजिब है। लेकिन अगर औरत ने जिमाअ से कराहियत की थी या सोई हुई
 थी या ऐहराम की हालत में नहीं थी तो उस पर कुछ भी वाजिब नहीं है।

इमाम जअफरुस्सादिक^{अ.स.} फरमाते हैं कि अगर किसी ने हज के
 अय्याम में अपनी औरत के साथ जिमाअ या मुबाशिरत किया और दोनो इस
 बात से बेखबर है कि इस हालत में जिमाअ करना जाइज़ नहीं है या दोनो
 भूल गये तो इस सूरत में दोनो पर कुछ भी वाजिब नहीं है। आप फरमाते
 हैं कि अगर मुहर्रिम अंदाम नहानी (जान-बूझकर) के अलावा अपनी औरत
 के साथ हमबिस्तर हो तो उस पर एक ऊंटनी की कुर्बानी वाजिब है और
 आइंदा साल उस पर हज करना लाज़िम नहीं है। अमीरुल मुअमिनीन^{अ.स.}
 फरमाते हैं कि मुहर्रिम न अपना निकाह करे न किसी का कराए अगर
 करेगा तो यह बातिल होगा।

इमाम जअफरुस्सादिक^{अ.स.} से रिवायत है आप फरमाते हैं कि अगर
 कोई मर्द अपनी औरत से मुबाशिरत करे और मनी निकल आये तो उस पर
 एक बकरी वाजिब है और अपनी औरत को बौसा दे और मनी निकल आये
 तो उस पर बकरी के बच्चे की कुर्बानी करना वाजिब है। और अपनी औरत

को शहवत की नज़र से देखे और उस पर नज़र जमाए रहे और मनी निकल आये तो उस पर भी बकरी की कुर्बानी वाजिब है। और अगर शहवत का क़सद न हो तो उस पर कुर्बानी वाजिब नहीं है। आपने फरमाया है कि अगर कोई मुहर्म्मि अपने जी ही जी में औरत के साथ शहवत की बात करे और मनी निकल आये तो उस पर कुछ भी वाजिब नहीं है। और अगर अपने आला-ए-तनासुल (लिंग) से खेले और वह उस्तादा हो जाये और मनी निकल आये तो उस पर वही वाजिब है जो जिमाअ करने वाले पर वाजिब है। आपने फरमाया कि मुहर्म्मि अपनी औरत को सवारी पर चढ़ाये और उसके कपड़े उसके जिस्म पर दुरुस्त करे और कपड़े के उपर से उसको हाथ लगाये और मनी निकल आये तो उस सूत में अगर उसने बग़ैर किसी शहवत से ऐसा किया है तो उस पर कुछ भी वाजिब नहीं है और अगर उसने ब-क़सदे शहवत किया है तो उस पर एक बकरी की कुर्बानी वाजिब है।

इमाम बाकिर^{अ.स.} फरमाते हैं कि जिदाल के मानि है

لَا وَاللّٰهُ بَلَىٰ وَاللّٰهُ

ला वल्लाहो और बला वल्लाहो कहना पस अगर मुहर्म्मि झगड़ा करते करते तीन मर्तबा यह अलफाज़ कहे तो उस पर एक बकरी की कुर्बानी करना वाजिब है।

इमाम जअफरुस्सादिक^{अ.स.} आयते करीमा :

وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْهَدْيُ..... الخ

व ला तहलिकू रूऊसकुम हत्ता यबलुगल हदयो —

के मुताल्लिक़ फरमाते हैं कि मुहर्म्मि अगर अपना सर मुंडवा दे तो उसके एवज़ ज़ील (निम्नलिखित) की तीन बातों में से जो चाहे करे उसको इख़्तियार है। तीन रोज़ के रोज़े रखे या छः मिसकीनो को ख़ैरात दे हर मिसकीन को निस्फ़ प्याला दे या एक बकरी की कुर्बानी करे। आप फरमाते हैं कि अगर मुहर्म्मि अपना सर या दाढ़ी रगड़े और उसमें से थोड़े बाल निकल जाये तो कोई हर्ज़ नहीं। आप फरमाते हैं कि अगर मुहर्म्मि को पिछन्ने की ज़रूरत पेश आ जाये तो पिछन्ना (उस्तरे से नस पर कट लगाना) करवाए लेकिन जिस मक़ाम पर पिछन्ना करवाए तो वहां के बाल न मुंडवाए और अगर कोई मुहर्म्मि अपना एक नाखून काट डाले तो उस पर वाजिब है कि एक मुट्ठी अनाज सदक़ा कर दे और अगर तमाम नाखून

कतरवा दे तो उस पर एक बकरी की कुर्बानी वाजिब है। और अगर मुहर्रिम खुशबू को हाथ लगाये तो उस पर वाजिब है कि कुछ सदका कर दे। आपने मुहर्रिम को काले सुरमें के सिवा जिस सुरमें में कोई खुशबू न हो जब ज़रूरत हो तो लगाने की रूख़सत दी है। और मिसवाक की इजाज़त दी है। और हर उस चीज़ से इलाज करने की इजाज़त दी है जिसका खाना हलाल हो लेकिन उसमें खुशबू न हो। मुहर्रिम चलते हुए बग़ैर किसी इल्लत के मेहमिल के साये में न आये ऐसा करना आपके नज़दीक मकरूह है लेकिन मंज़िल पर उतर जाने के बाद अगर साये (छाया) में बैठ जाये तो उसको रूख़सत है।

अमीरुल मुअमिनीन^{अ.स.} फरमाते हैं कि मुहर्रिम को अगर कोई ऐसी बीमारी है कि जिससे उसको अपने कपड़ों को उतारने में खौफ का अंदेशा है तो अपने कपड़ों में ही ऐहराम बांधे और उसके एवज़ सदका कर दे। अल्लाह तआला का इर्शाद है कि

فَفِدْيَةٌ مِّنْ صِّيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسْكَ

फ फिदयतुन मिन सियामिन औ सदक़तिन औ नुसुकिन इमाम बाकिर^{अ.स.} फरमाते हैं कि अगर मुहर्रिम अन्जाने या भूलकर सिले हुए कपड़े पहन ले तो उस पर कुछ भी लाज़िम नहीं है।

आप फरमाते हैं कि मुहर्रिम दो सफेद साफ—सुथरे कपड़े पहने अगर सफेद न हो रंगीन हों तो कोई हर्ज़ नहीं है, लेकिन ज़ाफ़रान और हल्दी के रंग के न हो इसी तरह औरत भी ऐसा रंगीन कपड़ा न पहने और मर्दों के सामने ऐहराम की हालत में ज़ेवरात की नुमाइश न करे तो ज़ेवरात पहनने में कोई हर्ज़ नहीं है। इसी तरह मर्द को हथियार पहनने की ज़रूरत हो तो पहने, इसी तरह मुहर्रिम के पास जूता मौजूद न हो या उसको मोज़ों की ज़रूरत पैश आये तो टख़ने के नीचे तक के मोज़े पहने उसमें कोई हर्ज़ नहीं है।

मुहर्रिम अगर शिकार का मुर्तकब हो तो उस पर क्या वाजिब है?

अल्लाह तआला का इर्शाद है कि :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ... الخ

या अय्युहल लजीनः आमनु ला तक्तुलुस्सैदः—7-5/95 इस आयत के आखिर में जुअ अदल का लफज़ आया है जिसको एहले बैत^{अ.स.} वाहिद यानि जुअदल पढ़ते हैं और इससे मुराद इमाम है या वह जिसको इमाम ने काइम किया है।

रिवायत है कि एक मर्तबा एक शख्स इमाम जअफरुस्सादिक^{अ.स.} के असहाब में से अबु हनीफा के हलका ए दरस (सबक) के पास जाकर खड़ा हो गया उनके असहाब उनको घेरे हुए थे वह लोगो को फतवा दे रहे थे कि उस वक़्त सहाबी सादिक आले मोहम्मद^{अ.स.} ने कहा कि ऐ अबु हनीफा आप उस मुहर्रिम के बारे में क्या कहते हैं जिसने शिकार किया है? अबु हनीफा ने कहा कि उस पर कफ़ारा वाजिब है उसने कहा कि यह हक़म उस पर कौन जारी करेगा? अबु हनीफा ने कहा कि दो साहिबाने इन्साफ़ जैसाकि खुदा ने फरमाया है। उस शख्स ने कहा कि अगर दोनों में इख़िलाफ़ हो जाये तो? अबु हनीफा ने कहा उस वक़्त तक कोई फ़ैसला न किया जायें जब तक दोनों मुत्तफ़िक़ न हो जाये उस मर्द ने कहा कि किस क़द्र अजीब बात है कि तुम अपनी अकेली राय से एक मामूली शिकार जिसकी कीमत चंद दिरहम होती है उस वक़्त तक कोई फ़ैसला नहीं कर सकते जब तक की दूसरा शख्स तुम से मुत्तफ़िक़ न हो जाये लेकिन ख़ून और निकाह व तलाक़ और अमवाल के बारे में तुम अपनी अकेली राय से फ़ैसला करते हो? अबु हनीफा इसके सिवा कोई जवाब न दे सकें कि उन्होंने अपने असहाब पर नज़र डाली और कहा कि यह राफ़ज़ी का सवाल है। अबु हनीफा का यह कौल कि फ़ैसला उस वक़्त तक न किया जाये जब तक कि दोनो मुत्तफ़िक़ न हो जायें इससे तो फ़ैसला बातिल हो जाएगा। क्योंकि हमने अकसर मुफ़तियों को देखा है कि वह सब के सब किसी एक बात पर मुत्तफ़िक़ नहीं होते और मुत्तफ़िक़ हों भी तो दूसरे इख़िलाफ़ करते हैं।

जब असहाबे अबू हनीफा को उस कौल के फासिद होने का इल्म

हो गया तो उन्होंने कहा कि इस बारे में उसका फैसला माना जाएगा जिसके फैसले में शिकार की कीमत दूसरे से कम होगी। क्योंकि सबसे ज़्यादा कम कीमत पर तो दोनो मुत्तफिक़ हो ही जाएंगे ग़ौर करने पर यह कौल भी फ़ासिद है क्योंकि अगर उनके क़्यास के मुताबिक़ कीमत दीनार या दिरहम से लगाई गई या इसी क़िस्म की दूसरी कोई और चीज़ शिकार की कीमत मुक़रर की गई है तो दोनों में से एक कहेगा शिकार की कीमत पांच दिरहम दूसरा कहेगा कि दस दिरहम। तो गोया उनके नज़दीक़ वह दोनो पांच पर तो मुत्तफिक़ है दर हकीक़त यह इत्तिफ़ाक़ नहीं है क्योंकि शिकार की कीमत कोई पांच दिरहम दे तो उसके नज़दीक़ दूरुस्त न होगा जो उसकी कीमत 10 दिरहम मुक़रर करता है इसके अलावा शिकार की कीमत मुख़तलिफ़ चीज़ों से अदा की जाती है जैसे मसाकीन को खाना खिलाना, और रोज़ा भी रखा जाता है इन सब बातों में कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जिसकी ज़्यादा कम हाने पर इत्तिफ़ाक़ किया जा सके और हर एक के नज़दीक़ मुआवज़ा भी पूरा न होगा सिवाय इसके कि उसके हुक्म के मुताबिक़ बदल दिया जाये और अगर कुछ लोग इत्तिफ़ाक़ करेंगे तो दूसरे लोग उसकी मुख़ालिफ़त करेंगे और यह बिलकुल वाज़ेह बात है उसके लिये जो इसमें ग़ौर करे और जिसको समझने की खुदा ने तौफ़ीक़ अता की है।

इमाम जअफरुस्सादिक़^{अ.स.} इस आयते करीमा के बारे में फरमाते हैं :

وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ

व मन आदः फयनतकिमुल्लाहो मिन्हो 7-5/95 आप फरमाते हैं कि अगर कोई शख्स किसी चीज़ का शिकार करे ऐहराम की हालत में तो उस पर वाजिब है कि वह उसके मिसल जज़ा दे अगर वह दोबारा कोई शिकार करे तो उस पर कोई हक़म जारी न किया जाएगा खुदा उससे इन्तिक़ाम लेगा।

आप आयते करीमा :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ... أَوْ كَفَّارَةً طَعَامٍ مَسْكِينٍ أَوْ عَدْلٍ

ذَلِكَ صَيَّامًا

या अय्युहल लज़ीनः आमनु ला तक़तुलुस्सैदः व अनतुम हुरुमुन — — — ओ कफ़फ़ारतुन तआमो मसाकीनः ओव अदलो ज़ालिकः सियामन 7-5/95 के बारे में फरमाते हैं कि अगर कोई शख्स ऐहराम की हालत में कोई शिकार

करे तो अनआम यानि जो चौपायो में से उसके मिसल कुर्बानी करे और कोई जानवर अनआम में से न मिले तो उस पर वाजिब है उसकी कीमत सदका कर दे।

أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا

ओ अदलो जालिक: सियामन से मुराद है उसके पास फिदया और कीमत भी न हो तो कफफारा के बराबर रोज़ा रखे।

आप फरमाते हैं कि अगर कोई शख्स ऐहराम की हालत में या तमत्तो की हालत में शिकार करे और उसके पास फिदया न हो तो रोज़ा रखे और वह रोज़ा के दरमियान मुस्ततीअ हो जाये तो उस पर क़ज़ा वाजिब नहीं है। उसका कफफारा अदा होगा। इमाम बाकिर^{अ.स.} फरमाते हैं कि अगर कोई मुहर्रिम शुतुरमुर्ग का शिकार करे तो वह एक ऊंटनी की कुर्बानी करे अगर इसकी इस्तिताअत न हों तो 60 मिसकीनो को खाना खिला दे। अगर इस पर भी कुदरत न हो तो 18 दिन तक रोज़ा रखे। आपसे पुछा गया कि अगर लोग ऐहराम की हालत में शुतुरमुर्ग के बच्चे का शिकार करे तो? आपने फरमाया कि हर बच्चे के एवज़ में एक ऊंटनी ज़िब्हे करे।

अमीरूल मुअमिनीन^{अ.स.} उस मुहर्रिम के बारे में फरमाते हैं जिसने शुतुरमुर्ग के अण्डे तोड़ दिये हैं। आप फरमाते हैं कि नर ऊंट को अण्डे की गिनती के मुताबिक ऊंटनियों पर छोड़ देना चाहिये। अब उनसे जो बच्चे पैदा होंगे वह कुर्बानी किये जाएंगे। और जो न पैदा होंगे तो कुछ भी नहीं क्योंकि अण्डो की भी यही सूरत है। उनमें से कुछ अच्छे होते हैं और कुछ खराब। लेकिन अगर उन्होने ऐसे अण्डे तोड़े हैं जिनमें बच्चे तो थे लेकिन अभी उन में जिंदगी नहीं आई थी तो उन पर वाजिब है कि वह नर ऊंट को ऊंटनियों में भेज दे हत्ताकि यह पता चल जाये कि वह हामिला हो गई है तो जो उनके इल्म के मुताबिक हामिला हो चुकी हो उनसे जो बच्चे पैदा होंगे वह कुर्बानी किये जाएंगे। और जो हमल के बाद हलाक हो जायें तो उसमें कोई हर्ज़ नहीं है। क्योंकि अण्डे के बच्चे भी ठीक उसी तरह से उनमें से कुछ तैयार होते हैं और कुछ तैयार नहीं होते। और अगर उन्होने ऐसे अण्डे तोड़े हो जिनमे रूह पैदा हो चुकी थी तो उसके अदद के मुताबिक नर ऊँट ऊँटनियों पर छोड़ देना चाहिये। यहां तक कि ऊंटनियों को हमल करार पा जायें और उनके बच्चे पेटो में हरकत करे फिर उनमें से जो जिंदा पैदा हो वह कुर्बानी किये जायें और जो पैदाईश के बाद मर जायें तो उसमें कोई

हर्ज नहीं है। क्योंकि अण्डो के बच्चे भी उनमें से कितने जिंदा बाहर निकलते हैं और कितने अन्दर ही मर जाते हैं।

इमाम बाकिर^{अ.स.} फरमाते हैं कि अगर मुहर्रिम वहशी गधे का शिकार करे तो उसके एवज़ एक ऊंटनी की कुर्बानी करे। अगर इस पर कुदरत न हो तो साठ मसाकीन को खाना खिलाये। अगर यह भी न हो सके तो 18 दिन के रोज़ा रखे।

इमाम जअफरुस्सादिक^{अ.स.} फरमाते हैं कि अगर मुहर्रिम नील गाय का शिकार करे तो उसके एवज़ घरेलु गाय की कुर्बानी करे। अगर न हो सके तो 30 मिस्कीनो को खाना खिलाओ अगर यह भी न हो सके तो 9 दिन के रोज़े रखे। आप फरमाते हैं कि अगर मुहर्रिम हिरनों का शिकार करे तो उस पर वाजिब है कि एक बकरी की कुर्बानी करे। अगर न हो सके तो 10 मसाकीन पर सदका व ख़ैरात करे। और अगर यह भी न हो तो 3 दिन तक रोज़ा रखे। अगर बिज्जू का शिकार करे तो एक बकरी और एक ख़रगोश के एवज़ बकरी और कबूतर के एवज़ बकरी और और ऐसे ही दूसरो परिंदो के एवज़ भी बकरी की कुर्बानी करे। और गौँह, जंगली चुहे और मचछर के एवज़ बकरी के बच्चे की कुर्बानी करे। और लोमड़ी के एवज़ एक बकरी कुर्बान करे। आप फरमाते हैं कि कबूतर वगैरह के अण्डे अगर कोई तोड़े तो बकरियों के साथ वैसा ही किया जाये जैसा कि शुतुरमुर्ग के अण्डे तोड़ने पर ऊंटनियो के साथ किया गया था। इसकी तफसील उपर हो चुकी है और आपने फरमाया कि हर बच्चे के एवज़ एक छोटा बकरी का बच्चा कुर्बान करना चाहिये। आप फरमाते हैं अगर जमआत मिल कर शिकार करे तो सब पर अलग-अलग जज़ा वाजिब है। आप फरमाते हैं कि मुहर्रिम को लायक नहीं है कि वह हिल व हरम के बाहर या मक्का में शिकार को जायज़ कर ले और न उस तरफ इशारा करे कि जिससे शिकार को अपने लिये जायज़ समझें। आपसे पुछा गया कि एक मुहर्रिम इतना मजबूर हो जाये की एक तरफ शिकार हो और दूसरी तरफ मुरदार तो उनमें से किसको खाये। आपने फरमाया कि शिकार को खाये और अगर कुदरत हो तो उसके एवज़ जज़ा दे।

आपने फरमाया कि किसी मुहर्रिम ने तीर चलाया और शिकार की टांग या हाथ तोड़ दिया तो अगर मुहर्रिम ने उस को इस हाल में छोड़ा है कि वह खड़ा होकर चर रहा हो तो उस पर जज़ा का चौथा हिस्सा अदा

करना लाजिम है। अगर शिकार तीर लगने के बाद चला जाये और मुहर्रिम को मालूम नहीं की क्या हुआ तो उस सूरत में उस पर पूरा बदला वाजिब है। आपने फरमाया कि मुहर्रिम शिकार को ख्वाह खुशक हो या तर उसमें ज़र्रा बराबर भी हाथ न लगाये। आप फरमाते हैं कि अगर मुहर्रिम ने किसी चीज़ का शिकार किया तो उसके एवज़ कुर्बानी करे उसको न खुद खाए न किसी को खिलाए बल्कि दफन कर दे।

अमीरुल मुअमिनीन^{अ.स.} फरमाते हैं कि अगर किसी शख्स ने किसी बच्चे को लेकर हज किया और उसने किसी चीज़ का शिकार किया तो हज कराने वाले पर उसकी जज़ा वाजिब है।

इमाम जअफरुस्सादिक^{अ.स.} फरमाते हैं कि अगर गुलाम ने ब—हालत ऐहराम शिकार किया है और उसको हज कराने वाला उसका आका है तो आका पर बदला वाजिब है और अगर गुलाम ऐहराम की हालत में न था और उसने शिकार किया लेकिन उसके आका ने शिकार का हुक्म उसको नहीं दिया था तो आका पर कुछ भी वाजिब नहीं है। हज़रत अमीरुल मुअमिनीन^{अ.स.} फरमाते हैं कि जब मुहर्रिम शिकार की जज़ा दे तो उसमें से कुछ भी न खाये। आप फरमाते हैं कि मुहर्रिम के मुताल्लिक पहले इस बात का फैसला किया जाए कि क्या उसने शिकार क़सदन किया था या ग़लती से किया था आपसे पुछा गया कि मुहर्रिम अगर ऐहराम बांध रहा हो और उसके घर में शिकार मौजूद हो तो ? आपने फरमाया कि वह शिकार उसको नुक़सानदेह न होगा।

अमीरुल मुअमिनीन^{अ.स.} ने छोटे परिंदो मसलन गौरय्या चिंडोल (चिड़ियाँ) वगैरह अगर मुहर्रिम इनमें से किसी को भी मार डाले तो उस पर मुट्ठी भर अनाज मुक़रर फरमाया है।

इमाम जअफरुस्सादिक^{अ.स.} ने मुहर्रिम को टिङ्डी का शिकार करने और ऐहराम की हालत में उसको खाने से मना फरमाया है। अगर उसको भूल से मार डाले या उसकी सवारी टिङ्डी को रेंदे तो इस सूरत में उस पर कुछ भी वाजिब नहीं है लेकिन इनमें से जिसको भी क़सदन मार डाले तो उसके एवज़ एक मुट्ठी अनाज सदका कर दे। और अगर कोई मुहर्रिम छिपकली जैसे जानवर या भड़ (कीट पतंगे) क़सदन मार डाले तो एक मुट्ठी अनाज सदका कर दे और यही बदला चिंटी, खटमल, मच्छर को मारने पर भी वाजिब है।

अमीरूल मुमिनीन^{अ.स.} फरमाते हैं कि रसूले खुदा^{स.अ.व} ने हद्द हिल में और हरम की हद में चुहे को मारने की इज़ाजत दी है। इमाम जअफरुस्सादिक^{अ.स.} फरमाते हैं कि मुहर्म्मि भेड़ियों, गिद्ध, चील, चुहा, सांप बिच्छु को मारे तो कोई हर्ज नहीं है। और हर वो चीज़ जो उस पर हमलावर हो और जिससे मुहर्म्मि को अपनी जान का ख़तरा हो और वो इसको ईज़ा पहुंचाये जैसे पागल कुत्ता, और दरिदा जानवर गर्ज हर एक हमलावर चीज़ को मार डाले तो कोई हर्ज नहीं है।

आप फरमाते हैं कि मुहर्म्मि और ग़ैर मुहर्म्मि दोनों के लिये दरिया का हर एक शिकार हलाल है उसको खायें और उसमें से तौशा भी बनाए। आपसे आबी चिड़ियों के मुताल्लिक पुछा गया तो आपने फरमाया कि वह तमाम परिंदें जो पानी में तो रहते हैं लेकिन अण्डे बच्चे खुश्की में देते हैं वो खुश्की के शिकार हैं और खुश्की के जो परिंदे रहते तो हैं खुश्की में और अण्डे बच्चे दरिया में देते हैं। वह दरिया के शिकार हैं।

आपसे सिधी (पाली हुई) मुर्गी के बारे में पुछा गया तो आपने फरमाया कि वह शिकार में शुमार नहीं हैं। परिंदों में से वही शिकार है जो मुस्तक़िल तौर पर उड़ान करते हैं। आपने फरमाया कि जो शख्स शिकार का इर्तिकाब करे तो अगर वह हाजी है तो मीना में शिकार के एवज़ कुर्बानी करे और उमराह करनेवाला हो तो वह मक्का में शिकार के एवज़ कुर्बानी करे।

हरम में दाखिला और दीगर आमाल वग़ैरह का बयान

इमाम जअफरुस्सादिक^{अ.स.} और आपके पिदर बुर्जुगवार इमाम बाकिर^{अ.स.} और आपके आबा ए किराम और हज़रत अली^{अ.स.} से रिवायत है कि रसूले खुदा^{स.अ.व} ने मक्का के शिकार को भगाने और किसी दरख्त को उखाड़ने और उसको तलवार से काटने से मना फरमाया है। और खुशबूदार पौधा और चरवाहे के डंडे के लिये रूख़सत दी है। रसूले खुदा^{स.अ.व} फरमाते हैं कि अगर तुम किसी को देखो कि उसने किसी दरख्त को तलवार से काट दिया या तोड़ दिया या शिकार को भगा दिया है यानि हुदूद हरम मे तो तुम्हारे लिये जायज़ है कि तुम उससे छीन लो और उसकी पीठ पर तकलीफ पहुंचाओ। ब एवज़ उस ना जाइज़ फ़ैअल के जो उसने अपने लिए हरम में जाइज़ कर लिया है।

इमाम जअफरुस्सादिक^{अ.स.} फरमाते हैं कि हुदूदे हरम में अगर कोई शख्स किसी दरख्त को उखाड़े या तलवार से काटे तो वह उसकी कीमत के मुताबिक सदका करे। और गैर मुहर्रिम भी हरम में शिकार करे तो उस पर उसकी कीमत अदा करना वाजिब है। और अगर किसी ने हुदूदे हरम के बाहर शिकार पर तीर चलाया और वह उसको जा लगा और छलांग मारकर हरम में दाखिल हो गया और वह उसके तीर लगने की वजह से मर गया तो उस सूरत में उस पर कुछ भी वाजिब नहीं है। आपने फरमाया कि किसी ने शिकार किया और वो उसको जिंदा हालत में हरम में लेकर दाखिल हो गया तो अब उसको पकड़े रखना उस पर हराम है उसको छोड़ देना चाहिये। और अगर उसने हुदूदे हरम के बाहर ज़िबह कर लिया फिर उस शिकार को अपने हमराह लेकर हरम में चला गया तो उस पर कुछ भी वाजिब नहीं है।

इमाम बाकिर^{अ.स.} फरमाते हैं कि एक शख्स मक्का से एक परिंदा लेकर चला और वह उसको लेकर कूफा पहुँचा तो उस पर वाजिब है कि परिंदे को हरम में वापस पहुँचा दे।

इमाम जअफरुस्सादिक^{अ.स.} से एक ऐसे शख्स के मुताल्लिक पुछा गया जो हरम में अपने साथ शिकार लेकर दाखिल हुआ तो क्या अब वह उसको वापस लेकर बाहर निकल जाये आपने फरमाया कि नहीं जब वह उसको हरम में लेकर दाखिल हो गया तो उस पर हराम है कि वह उसको पकड़ रखे। आपने फरमाया कि हरम में पड़ी हुई कोई चीज़ नहीं उठानी चाहिये उसको उसी जगह पर पड़ी रहने दिया जाये ताकि जिसकी चीज़ हो वह आकर ले जाये।

अमीरुल मुअमिनीन^{अ.स.} जब हरम शरीफ में दाखिल होने का कसद फरमाते तो पहले आप गुस्ल करते। इमाम जअफरुस्सादिक^{अ.स.} फरमाते हैं कि हज तमत्तो करने वाला जब हरम में दाखिल हो तो लब्बैक कहना बंद कर दे और तकबीरा व तहलील का कलिमा पढ़ना शुरू कर दे। आप फरमाते हैं कि हज और उमराह करने वाला जब मक्का में दाखिल हो तो सबसे पहले अपने असबाबे सफर को आराम गाह पर रख दे इसके बाद मस्जिदे हराम का कसद करे नंगे पैर पुर वकार हालत में हरम में दाखिल होना मुस्तहिब है। और हरम में पहले बाबे बनी शैबा से दाखिल होना चाहिए यह बाबुल इराकीयिन कहलाता है, दाखिल होते वक्त जितनी भी दुआ कर सके करे इस सिलसिले में अहले बैत किराम^{अ.स.} से ब—कसरत दुआएँ मरवी

है लेकिन इसमें से कोई दुआ मखसूस नहीं है। अमीरुल मुअमिनीन^{अ.स.} से रिवायत है कि रसूले अकरम^{स.अ.व} जब हज्जतुल विदा के मौके पर मस्जिदुल हराम में दाखिल हुए तो आपने हजरे असवद से शुरू किया और उसको बोसा दिया फिर आपने तवाफ शुरू किया।

तवाफ का बयान

इमाम बाकिर^{अ.स.} से मरवी हैं आपने फरमाया कि जो बन्दा इस बैतुल्लाह का सात मर्तबा तवाफ देगा और दो (2) रकाअत नमाज़ पढ़ेगा और अच्छी तरह से नमाज़ व तवाफ अदा करेगा तो खुदा उसको माफ कर देगा। इमाम जअफरुस्सादिक^{अ.स.} से मरवी है आपने फरमाया कि तवाफ हज के अहम उमूर में से हैं। अगर किसी ने कसदन तवाफ वाजिब को छोड़ दिया तो उसका हज न होगा।

इमाम बाकिर^{अ.स.} फरमाते हैं कि रसूले खुदा^{स.अ.व} जब मस्जिदे हराम में दाखिल होते तो सबसे पहले हजरे असवद के पास जाते और उसको बोसा देते फिर आप दाहिने पहलु से तवाफ शुरू करते और काबा आपके बाएं हाथ की तरफ होता सात तवाफ इस तरह देते कि तीन तवाफ में थोड़ा दौड़ते और बाकी चार में आहिस्ता—आहिस्ता चलते। इमाम जअफरुस्सादिक^{अ.स.} फरमाते हैं कि औरतो पर तवाफ में दौड़ना वाजिब नहीं हैं।

आप फरमाते हैं कि रसूले खुदा^{स.अ.व} जब भी तवाफ करते हुए हजरे असवद और रुक्ने यमानी के पास से गुज़रते तो दोनों को आप बोसा देते थे। आप फरमाते हैं कि तवाफ में बातचीत करने में कोई हर्ज तो नहीं है लेकिन दुआ और कुरआन पढ़ना अफज़ल हैं।

अहले बैते अतहार^{अ.स.} से तवाफ में पढ़ने के लिए ब—कसरत दुआएं आई हैं इनमें कोई दुआ मखसूस नहीं हैं। हजरे असवद और बाबे काअबा के दरमियान तवाफ करनेवाला पहुँचे तो उस वक़्त दुआ पढ़ने की तरगीब दी गई है। इमाम जअफरुस्सादिक^{अ.स.} फरमाते हैं कि बीमार और ऐसे शख्स को जो चल न सकते हों उठाकर तवाफ कराया जाए अगर कुछ चल सकें और सफाह व मरवाह पर खड़ा हो सके तो ऐसा करे। आपने फरमाया कि उठा कर तवाफ कराने में हामिल और हमूल (सवार होने वाला और सवार को उठाने वाले) दोनों का तवाफ होता है।

इमाम बाकिर^{अ.स} ने जूता पहनकर (पाक हो) तवाफ देने की इजाज़त दी हैं। आपने फरमाया कि एक मर्तबा रसूले खुदा^{स.अ.व} ने अपने ऊँट पर सवार हो कर तवाफ दिया था। आपके हाथ में एक लकड़ी थी जिसका सिरा मुड़ा हुआ था। जब आप हजरे असवद से गुजरते तो उससे आप हजरे असवद को बोसा देते थे।

आपने फरमाया कि तहारत की हालत में तवाफ देना चाहिए। अगर किसी ने बगैर वुजू के तवाफ किया तो उसको तवाफ शुमार न करे। और अगर किसी ने नफल तवाफ बगैर वुजू के किया फिर वुजू करके दो (2) रकाअत तवाफ की नमाज़ पढ़ी तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन फर्ज तवाफ वुजू के बगैर जाइज़ नहीं हैं।

इमाम जअफरुस्सादिक^{अ.स} फरमाते हैं कि अगर कोई शख्स तवाफ करता हो और उसके दरमियान नकसीर टूट जाये या दर्द होने लगे या कोई और बात हो जाए तो तवाफ क़तअ कर दे। उसके बाद फिर तवाफ में मशगूल हो तो वहां से तवाफ शुरू करे जहां से उसने तवाफ बन्द किया हैं। बशर्ते कि आधे या उससे ज़्यादा तवाफ हो चुके हो। अगर आधे से कम हुआ हो और यह तवाफ फर्ज हो तो जो पहले कर चुका हों उसको छोडकर फिर से तवाफ करे।

आप फरमाते हैं कि हैज़ वाली और निफास वाली जैसी तमाम औरतें हिल के मुवाकिफ (ठहरने की जगह) में वकूफ करें (ठहरे) और तवाफे बैतुल्लाह और सई सफा व मरवाह के सिवा तमाम मनासिक अदा करें। मस्जिदे हराम में दाखिल न हो और जब पाकीज़ा हालत में हो जाएं तो उनसे जो कुछ फौत हुआ हो उसको अदा करें। आप फरमाते हैं कि अगर कोई तवाफ करते-करते थक जाएं तो आराम करने मे कोई हर्ज नहीं हैं। जब तवाफ करते वक़्त नमाज़ का वक़्त हो जाए तो लोगों को चाहिए कि अपना तवाफ क़तअ कर दे और नमाज़ पढ़ने के बाद बाकी तवाफ को पूरा करे और नेकी के कामों के लिए तवाफ क़तअ करने की इजाज़त दी हैं और अगर ततव्वोअ का तवाफ हो तो जहां से छोड़ा था वहां से पूरा करे। और अगर कोई शख्स निस्फ (आधा) या इससे ज़्यादा तवाफ कर चुका फिर बीमार पड़ गया हो तो किसी और शख्स को हुक्म दे कि उसके बाकी तवाफ को उसकी तरफ से पूरा कर दे और निस्फ से कम तवाफ किया है फिर वो सेहतमंद हो गया तो वो सात तवाफ करे या उसकी तरफ से तवाफ किया जाए और अगर बिमारी तूल पकड़े तो उसको उठाकर तवाफ कराया जाए।

आप फरमाते हैं कि अगर फर्ज नमाज़ का वक़्त हो जाए तो पहले नमाज़ पढ़ी जाए फिर तवाफ़ किया जाए।

आपसे एक ऐसे शख्स के मुताल्लिक पूछा गया जो फर्ज का तवाफ़ करते-करते ये भूल गया कि उसने छः तवाफ़ किया है या उसने सात तवाफ़ किया है ? आपने फरमाया कि फिर से तवाफ़ करे। अर्ज़ किया कि वो तवाफ़ से निकल गया और तवाफ़ फौत हो चुका है ? आपने फरमाया कि तब उसमे कोई हर्ज नहीं है और अगर तवाफ़ करने वाले ने छः तवाफ़ किया मगर उसका गुमान यह है कि उसने सात तवाफ़ किया है फिर उस पर रोशन हो गया कि उसने छः ही तवाफ़ किया है तो एक तवाफ़ और करे। और अगर सात के बदले आठ मर्तबा तवाफ़ कर डाले तो उसमें छः और शामिल कर दे फिर मक़ामे इब्राहिम^{अ.स} के पास जाकर चार रकाअत नमाज़ पढ़े इसके बाद सफ़ाह व मरवाह का तवाफ़ करे इस सूरत में उसके दो तवाफ़ शुमार होंगे। एक फर्ज तवाफ़ और दूसरा नफ़ल तवाफ़ होगा।

आप फरमाते हैं कि मक़ामे हतीम के पीछे से तवाफ़ करना चाहिए अगर कोई हतीम में दाख़िल हो जाए तो फिर से तवाफ़ करे। मुलतज़िम के पास पढ़ने के लिए अहले बैत^{अ.स} से ब-कसरत दुआएँ मरवी हैं लेकिन उनमें से कोई मख़सूस नहीं है। मुलतज़िम बैतुल्लाह के पुश्त को कहते हैं बाबे काअबा के मुकाबिल तवाफ़ करने वाला जब सातवें तवाफ़ में वहाँ पहुँचे तो उससे चिपट कर बारगाहे खुदा वन्द में दुआएँ करे और अपने गुनाहों की माफ़ी चाहे।

इमाम बाकिर^{अ.स} का यह माअमूल था कि आप अपने गुलामों को अपने पास से हटा देते थे। और फिर खुदा से मुनाजात करते और जिस बात से मग़फ़िरत चाहते थे उसका बारगाहे इलाही में ज़िक्र करते थे।

इस्तिलामे हज़र का मतलब यह है कि जब तवाफ़ करने वाला हज़रे असवद के पास पहुँचे तो उसको बोसा दे या अपने हाथ से उसको छुए या उसकी तरफ़ इशारा करे अगर चूमने या इशारा करने पर क़ादिर न हो, तो उससे जितना हो सके दुआ करे। औरतों पर इस्तिलाम वाजिब नहीं हैं वो मर्दों से मज़ाहिम (भीड़-भाड़) न हो।

इमाम जअफ़रुस्सादिक^{अ.स} फरमाते हैं कि तवाफ़ काबा के चौ तरफ़ सात मर्तबा चक्कर करने को कहते हैं। एक चक्कर रूकने असवद से बैतुल्लाह के गिर्द रूकने हतीम के पास से घूमते हुए रूकने असवद पर ख़त्म करे जहा से तवाफ़ शुरू किया था। इस तरह से सात मर्तबा तवाफ़ करने

के बाद मक़ामे इब्राहिम^{अ.स} के पीछे दो (2) रकाअत नमाज़ पढ़ें। इन दो रकाअतों में कुल या अय्योहल काफ़ेरून और कुल हुवल्लाहो अहद, सूरअः 'फातेहा' के बाद पढ़ना मुस्तहिब हैं। इसके बाद बाबुल सफाह से निकल कर सफाह व मरवाह के दरमियान सात चक्कर करें। आमद—रफत में सफा से शुरू करें और मरवाह पर खत्म करें अगर कोई तवाफ की दो रकाअत नमाज़ पढ़ना भूल जाए तो उसको कज़ा पढ़ें। अगर मक्का से बाहर निकल जाए तो जहां पहुंचकर याद आए वहां पढ़ें।

इमाम जअफरुस्सादिक^{अ.स} फरमाते हैं कि तवाफ की दो (2) रकाअत नमाज़ पढ़ने के बाद अगर तुम ज़मज़म पर आकर पानी पी सकते हो और उसको अपने जिस्म पर डाल सकते हो तो ऐसा करें। आप फरमाते हैं कि तुम एक उसबूअ यानि सात चक्कर के साथ दूसरे उसबूअ यानि सात चक्कर को शामिल न करो इल्लांकि (अगर) तुमने भूलकर उसबूअ यानि सात चक्कर में इज़ाफा कर दिया हो। एक मर्तबा इमाम हसन^{अ.स} और इमाम हुसैन^{अ.स} ने असर के बाद तवाफ किया और आबे ज़मज़म को खड़े-खड़े दोनों शहज़ादों ने पिया था।

इमाम जअफरुस्सादिक^{अ.स} से पूछा गया कि अगर कोई शख्स फज़ या असर के बाद मक्का में दाखिल हो तो क्या करे ? अयां वह तवाफ देकर तवाफ की दो रकाअत नमाज़ पढ़े या तवाफ से फारिग होने के बाद पढ़े ? आपने फरमाया कि हां, अगर तवाफ फर्ज़ हो तो, वरना नफ़ल तवाफ इन दोनों औकात में करे तो जब तक नमाज़ का वक़्त न हो जाये तवाफ की दो रकाअत नमाज़ न पढ़ें।

आपने फरमाया कि तवाफ और नमाज़े तवाफ के बाद अगर सई की जाए तो यह बेहतर हैं। और अगर किसी वजह से कोई सई को मुवख़्खर (बाद में) कर दे और तवाफ व सई के दरमियान फर्क व फासला हो जाए तो कोई हर्ज़ नहीं हैं। आपने फरमाया कि तवाफ से पहले सई न करना चाहिए अगर किसी ने सई कर दिया हो तो फिर उस सई को जाने दे और फिर से तवाफ देकर सई करें।

इमाम बाकिर^{अ.स} आयते करीमा :

إِنَّ الصَّفَاَ وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ... الخ

इन्नस सफा वल मरवतः मिन शआइरिल्लाहि — — के मुताल्लिक़ फरमाते हैं कि सफाह व मरवाह का तवाफ वाजिब व फर्ज़ हैं। आयत मज़क़ूराह में

इसकी पूरी वज़ाहत हैं। अगर इन दोनों का तवाफ न करने की ज़रा भी रुखसत होती तो आयत के यह अलफाज होते कि :

فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطُوفَ بِهِمَا

फला जुनाह: अलैहि अन्यत तव्वफ: बिहिमा यानि सफाह व मरवाह का तवाफ न किया जाए तो इसमें कोई गुनाह नहीं हैं इस आयत से मालूम होता है कि अरब इन दोनों के तवाफ को गुनाह समझते थे और वाकिआ भी यही था अंसार यानि मदीना के बाशिन्दे मनात पर कलिमा पढ़ते थे और यह मनात कदीद के मुकाबिल था चुनांचे वो सफा व मरवाह के दरमियान सई में हर्ज ख्याल करते थे जब इस्लाम आया तो उन्होंने रसूले खुदा^{स.अ.व} से इस बारे में पूछा तो खुदा ने आयते करीमा नाज़िल की कि :

إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ... الخ

इन्नस सफा वल मरवत: मिन शआइरिल्लाहि—।

इमाम जअफरुस्सादिक^{अ.स} ने सफा व मरवाह के दरमियान तवाफ का ज़िक्र करते हुए फरमाया कि बाबे सफा से निकलकर सफा पर चढ़ना चाहिए फिर वहां से लौटना चाहिए इसी तरह सात मर्तबा सफा से शुरू करके मरवाह पर खत्म करना चाहिए। जब भी सफा व मरवाह पर चढ़ा जाए तो वहां दुआ की जाए जिस क़दर मुमकिन हो उसी तरह सफा व मरवाह के बीच में भी दुआ में मशगूल रहना चाहिए।

इस सिलसिले में अहले बैते किराम^{अ.स} से ब—कसरत दुआए मनकूल हैं लेकिन इनमें से कोई दुआ मखसूस नहीं हैं। सफा व मरवाह के दरमियान जब भी बतने वादी से गुज़र हो तो इसमें सई करना चाहिए और औरतों पर सई वाजिब नहीं हैं।

हज तमत्तोअ का बयान

अल्लाह तआला का इर्शाद है कि :

فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ

फमन तमत्तअ: बिल उमरति इलल हज्जि फमस तैसर: मिनल हदयि
2—2/196। तर्जुमा : जो कोई भी उमराह व हज साथ साथ करने का

फायदा लेना चाहे तो जो मिले उसकी कुर्बानी करे। इमाम जअफरुस्सादिक^{अ.स} से मरवी है कि जो शख्स हज तमत्ताअ करना चाहे तो वो मक्का आकर बैतुल्लाह का तवाफ दे और सफा व मरवाह के दरमियान सई करे। फिर अपने सिर के बाल दोनो जानिब से छोटे कराए दाढ़ी और मूँछ के बाल भी थोड़े कतरवायें और नाखून भी तरशवाएं बाकी हज के दिन के लिए रहने दे। और इनमे से बअज कतरवायें ओर कुछ रहने दे तो यह भी काफी होगा और अगर किसी ने मुंडवा दिया तो फिर एक बकरी वाजिब हैं। जब कुर्बानी का दिन आए तो सिर पर उसतरा फिरवाएं जैसा कि गंजे सिर वाला करता हैं। अगर कोई बालों को छोटा किए बगैर ऐहराम बांध ले तो उस पर कुछ भी वाजिब नहीं हैं। लेकिन वह खुदा से इस्तिगफार करे।

इमाम जअफरुस्सादिक^{अ.स} फरमाते हैं कि तमत्तोअ उमराह के तवाफ के बाद जब तक बाल न कतराएं नफल तवाफ न करे। मुतमताअ बाल तरशवाने के बाद अपनी जोजा से मिल सकता हैं। अगर वो बाल तरशवाने से पहले चला गया तो उस पर एक बकरी की कुर्बानी वाजिब हैं। अगर बोसा दिया है तो उस पर एक बकरी की कुर्बानी वाजिब है। मुतमताअ मुहर्रिम जब ऐहराम उतार दे तो हज के लिए दूसरा ऐहराम बांधने तक जितना चाहे ततव्वोअ का तवाफ कर सकता हैं।

आपने फरमाया कि मुतमताअ जब अपना ऐहराम खोल दे तो कमीस न पहने बल्कि मुहर्रिम के मुशाबा (जैसे) बना रहे अहले मक्का को भी चाहिए कि वो इसी तरह से रहे। यानि मुहर्रिमीन की तरह गुबार आलूद बने रहें। इमाम बाकिर^{अ.स} से मुतमताअ के बारे में पूछा गया कि अगर वो तरविया के दिन मक्का आए तो क्या करे ? आपने फरमाया कि अगर वो जवाल से पहले आए तो बैतुल्लाह का तवाफ करे और ऐहराम खोल दे और जब जोहर की नमाज़ पढ़ चुके तो ऐहराम बांध ले। अगर दिन के आखिरी हिस्से में आए तो तमत्तो के हज में कोई हर्ज नहीं हैं वो लोगो से मिना में जाकर मिले। अगर योमे अरफा पहुँचे तो हज तमत्तो फौत हो गया। इस सूरत में हजे मुफर्रद करे।

इमाम जअफरुस्सादिक^{अ.स} से एक औरत के मुताल्लिक पूछा गया जिसने तमत्तोअ बिल उमराह इलल हज किया लेकिन जब उसने ऐहराम खोल दिया तो उसको हैज का अन्देशा हुआ तो उस वक्त वो क्या करे ? आपने फरमाया कि हज का ऐहराम बांधे और हज के लिए बैतुल्लाह का तवाफ करे और सई करे। अगर औरत हज से पहले तवाफ व सई को

मुकद्दम करे तो उसके लिए कोई हर्ज नहीं हैं अगर तमत्तोअ बिल उमराह से क़ब्ल हैज़ आ जाए तो लोगों के साथ हज के लिए निकल जाए और जब तक पाक न हो जाए तवाफ को मुवख़िख़र रखे।

आपने आयते करीमा :

ذَلِكَ لِمَنْ لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ

ज़ालिक: लिमन लम यकुन अहलुहू — 2-2/196 के मुताल्लिक़ फरमाया कि अहले मक्का के लिए तमत्तोअ बिल उमराह नहीं हैं और न उन लोगों के लिए हैं जो अहले मक्का से नहीं हैं बल्कि मक्का में मुकीम हो गए हैं हज के महीनो में कोई शख्स उमराह लेकर दाखिल हो तो हज तक इक़ामत करे तो वो मुतमत्ताअ हैं अगर लौट जाए तो उस पर कुछ भी वाजिब नहीं हैं। यह उसका उमराह मुफ़र्रद (अकेला) होगा। आपने फरमाया कि

فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ... الخ

फमन तमत्तअ: बिल उमरति इलल हज्जि — 2-2/196 में जैसा कि इरशादे बारी तआला है कि एक बकरी या इसके अलावा किसी जानवर की कुर्बानी करे। अगर यह मुमकिन न हो तो अय्यामुल हज में तीन दिन रोज़ा रखे एक तरविया से पहले (7वीं) और एक तरविया के रोज़ (8वीं) और एक अरफा के रोज़ और जब अपने अहलो अयाल की जानिब वापस लौट जाए तो सात दिन तक रोज़ा रखे अगर हज में मशगूल हो जाए तो फिर उसको इख़्तियार है जब चाहे रोज़ा रखे अगर अव्वल अशराह में रोज़ा रखे तो यह बेहतर हैं और अगर अय्यामे हज में रोज़ा न रखे तो रास्ते में रखे अगर उसको मालूम न था और उसने रोज़ा न रखा तो अपने घर पहुँचने के बाद दस दिन तक रोज़ा रखे।

आपने फरमाया कि अगर किसी के पास बकरी की कीमत मौजूद न हो तो रोज़ा रखे और किसी के पास कीमत तो मौजूद हो लेकिन बकरी न मिले तो मिना से कूच के आख़री दिन तक बकरी न मिले तो इस सूरत में रोज़ा के सिवा उस पर कुछ वाजिब नहीं हैं।

इमाम जअफररुस्सादिक़^{अ.स} फरमाते हैं कि अगर मुतमत्ताअ को कुर्बानी का जानवर न मिल सका या उसके मिलने से पहले इन्तिक़ाल कर गया या रोज़ा रखने से पहले इन्तिक़ाल कर गया तो इस सूरत में उसका वली उसके एवज़ में रोज़ा रखे। आप फरमाते हैं कि मुतमत्ताअ तसलसुल

के साथ (लगातार) रोज़ा रखे लेकिन किसी इल्लत या बग़ैर इल्लत (तकलीफ़) के रोज़ों में तसलसुल न रख सके और इरशादे बारी तआला के मुताबिक़ जितना रखने का हुक्म है उतना रख ले तो उसके लिए ये काफी होगा। आपने फरमाया कि अगर कोई किसी बच्चे को हज तमत्तो बिल उमराह करवाए तो उसकी तरफ से कुर्बानी करना उसपर वाजिब है।

आप मुतमत्ताअ के बारे में फरमाते हैं कि तरविया के दिन गुस्ल करे और ऐहराम के दो कपड़े पहने फिर नंगें पांव मस्जिदे हराम में दाखिल हो चाहे तो सात मर्तबा ततव्वोअ का तवाफ करे और तवाफ की दो रकाअत नमाज़ पढ़े फिर बैठ जाए। यहां तक कि ज़ोहर की नमाज़ पढ़ने के बाद ऐहराम बांधे जैसा कि उसने मीकात पर ऐहराम बांधा था रुम के उस तरफ जब मक़ामे रकताअ तक पहुंचे तो बुलन्द आवाज़ में लब्बैक कहे। अहले मक्का भी मक्का से इसी तरह हज का ऐहराम बांधे और वो भी जो मक्का के रहने वालों में से नहीं हैं लेकिन मक्का में मुकीम हैं। इसी तरह ऐहराम बांधे।

मिना की तरफ निकलने और अरफा में ठहरने का बयान

इमाम जअफररुस्सादिक़^{अ.स} फरमाते हैं कि यौमे तरविया यानि ज़िलहिज्जा की आठवीं तारीख़ लोगों को मक्का से निकलना चाहिए और ज़ोहर की नमाज़ पढ़ने के बाद निकलना अफ़ज़ल है। हाजियों को सुबह से रात तक निकलने का इख़्तियार है। यौमे तरविया से क़ब्ल निकलने में कोई हर्ज़ नहीं है अगर कोई हज के लिए पैदल चलकर जा सकता हो तो इसमें फ़ज़ल व सवाब है। और अगर किसी को सवारी मिले और वो सवार होकर जाए तो इसमें भी फ़ज़ल व सवाब है। चुनांचे रसूले अकरम^{स.अ.व} सवारी पर तशरीफ़ ले गए थे।

आप फरमाते हैं कि इमाम को चाहिए कि वो तरविया के दिन ज़ोहर की नमाज़ मिना में पढ़े यौमे तरविया ज़िलहिज्जा की आठवीं तारीख़ को कहते हैं। अरफा की शब लोग मिना में बसर करें और अरफा के दिन सुबह के वक़्त मिना से अरफा की तरफ निकल जाएं। रसूले अकरम^{स.अ.व} से रिवायत है कि आप अरफा के दिन तुलु-ए-आफ़ताब के बाद मिना से निकलते थे और आपने ज़ोहर की नमाज़ अरफा में पढ़ी थी अमीरूल

मुअमिनीन मौलाना अली^{अ.स} अरफा के दिन गुस्ल फरमाते थे आपसे रिवायत है कि रसूले खुदा^{स.अ.व} अरफा के दिन वादी ए नमरह में उतरे और वहां ठहरे रहे यहां तक कि सूरज का ज़वाल हो गया तो उस वक़्त आपने अपनी ऊंटनी क़स्वा को लाने का हुक्म दिया आप उसपर सवार हो बतने वादी में तशरीफ़ लाए आपने वहां ठहरकर खुतबा दिया फिर बिलाल ने अज़ान दी फिर इक़ामत के बाद आपने ज़ोहर की नमाज़ पढ़ाई फिर इक़ामत कहकर आपने असर की नमाज़ पढ़ी आपने इन दोनों के बीच कोई और नमाज़ न पढ़ी। इसके बाद आप सवार होकर मौक़फ़ में तशरीफ़ लाए। अमीरूल मुअमिनीन^{अ.स} फरमाते हैं कि रसूले खुदा^{स.अ.व} जब यौमे अरफा मौक़फ़ पर पहुंचते तो उस वक़्त सूरज का ज़वाल हो चुका था आपने लब्बैक कहना बंद कर दिया। इमाम जअफरुस्सादिक^{अ.स} फरमाते हैं कि अरफात में ज़ोहर व असर की नमाज़ एक अज़ान और दो इक़ामत से दोनों नमाज़ों साथ में पढ़ना चाहिए। आपने फरमाया कि तमाम अरफा मौक़फ़ में शामिल है लेकिन अफज़ल मौक़फ़ अरफा पहाड़ का दामन हैं। अराक कड़वी घास के पास ठहरना और उतरना मना हैं। आप फरमाते हैं कि पहाड़ ही अफज़ल हैं। आप ज़िक्र करते हैं कि रसूले खुदा^{स.अ.व} ने नमराह में नुजुल फरमाया था।

इमाम जअफरुस्सादिक^{अ.स} फरमाते हैं कि लोग अरफा में ठहरें और वहां दुआ करें और खुदा से फज़ल व सवाब तलब करते रहें गुरुबे आफताब तक अगर कोई बीमारी की वजह से बेहोश हो जाए और उसको सिर्फ़ उस मौक़फ़ में लाकर बिठा दिया जाए तो इतना ही उसके लिए काफी हैं आप फरमाते हैं कि अरफा में बिला तहारत ठहरना दुरुस्त नहीं हैं।

अमीरूल मुअमिनीन^{अ.स} फरमाते हैं कि रसूले अकरम^{स.अ.व} का इरशाद है अहले अरफात में से सबसे बड़ा गुनाहागार वो है जो वहां से ये गुमान करते हुए पलटे कि उसकी मग़फ़िरत नहीं हुई हैं। अहले बैते किराम^{अ.स} से यौमें अरफा से मुताल्लिक़ ब—कसरत दुआए मनकूल है लेकिन इनमे से कोई दुआ मख़सूस नहीं है। अरफा में एक आदमी जितनी भी दुआ कर सके, करे और खुदा से दुनिया व आख़िरत का फज़ल व सवाब तलब करे।

अरफा से मुजदलिफा जाने का बयान

अल्लाह तआला का इर्शाद है कि

ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ

सुम्मः अफीजू मिन हैसो अफाज़न नासो 2-2 / 199 इमाम जफररुस्सादिक^{अ.स} से रिवायत है आप मज़कूरा आयत के मुताल्लिक़ फरमाते हैं कि कुरैश ज़माना जाहीलियत में मुजदलिफा से मुनतशिर होते थे और यह कहते जाते कि हम दूसरे लोगो से ज़्यादा बैतुल्लाह के हक़दार हैं। पस अल्लाह तआला ने उनको हुक्म दिया कि वो अरफात से मुनतशिर हो जहां से कि दूसरे लोग मुनतशिर हुआ करते हैं।

अमीरुल मुअमिनीन^{अ.स} फरमाते हैं कि रसूले खुदा^{स.अ.व} अरफा से उस वक़्त निकलते जब आफताब डूब जाता। इमाम जअफररुस्सादिक^{अ.स} से अरफात से निकलने की बाबत पूछा गया तो आपने फरमाया कि जब सूरज गुरुब हो जाए और अगर कोई गुरुब से पहले निकलेगा तो उस पर एक ऊँटनी की कुर्बानी वाजिब है आप फरमाते हैं कि जब तुम अरफात से तो इस हाल में कि तुम्हारे चेहरे पर सुकून और वक़ार हो और इस्तिग़फ़ार करते जाओ क्योंकि अल्लाह तआला का इरशाद है कि :

ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ

सुम्मः अफीजू मिन हैसो अफाज़न नासो वस्तग़फ़िरुल्लाहः 2-2 / 199 दरमियान चाल चलो सुकून के साथ और उस तेज़ रफ़्तार को छोड़ दो जो अकसर लोग चलते हैं। रसूले खुदा^{स.अ.व} एक मर्तबा जब अरफा से चले तो आपने अपनी ऊँटनी क़स्वा की लगाम खींची यहां तक की उसका सिर कजावे से टकराया था। आप लोगो को अपने दाहिने तरफ़ इशारा करते हुए फरमाते हैं कि ऐ लोगो सुकून और वक़ार कायम रखो। जब रास्ते में कोई पहाड आता तो आप ऊँटनी की लगाम ढीली कर देते ताकि वो ऊपर चढ़ जाए यहां तक कि आप मुजदलिफा पहुंचे। पस आपकी सुन्नत की पैरवी करनी चाहिए।

अमीरुल मुअमिनीन^{अ.स} फरमाते हैं कि जब रसूले खुदा^{स.अ.व} अरफात से निकलकर मुजदलिफा तशरीफ़ लाए तो वहां आप ने मग़रीब व इशा की नमाज़ एक अज़ान और दो इक़ामत से पढ़ी थी। इमाम बाकिर^{अ.स} से पूछा

गया कि मुज़दलिफा की रात मग़रीब व इशा की नमाज़ मुज़दलिफा पहुंचने से क़ब्ल पढ़ी जा सकती हैं ? आपने फ़रमाया कि नहीं ख़्वाह तिहाई रात क्यूं न गुज़र जाए। अगर किसी ने क़सदन ऐसा किया तो उसपर एक बकरी वाजिब होगी। आप फ़रमाते हैं कि जब रसूले खुदा^{स.अ.व} मग़रिब व इशा की नमाज़ एक साथ पढ़ने के बाद फारिग़ हो चुके तो आपने रात में फिर कोई नमाज़ नहीं पढ़ी और आप सो गए। फिर तुलु ए फ़ज्र के वक़्त उठे। आप फ़रमाते हैं कि तुमको मुज़दलिफा में बतने वादी के अंदर मशअर हराम से क़रीब ठहरना चाहिए और जबल व हयाज़ से आगे न निकल जाओ मिना और मुज़दलिफा के दरमियान मुहस्सर हद है और अरफात की हद माज़मीन से मौक़फ़ तक हैं।

इमाम बाकिर^{अ.स} फ़रमाते हैं कि हज करने वालों में से अगर किसी ने क़सदन कुर्बानी की रात मुज़दलिफा में बसर नहीं की बग़ैर किसी इल्लत के तो उस पर ऊंटनी की कुर्बानी वाजिब हैं।

रसूले खुदा^{स.अ.व} ने असबाब और ख्वातीन को और ज़ईफ़ो को मुज़दलिफा से मिना की तरफ़ रात में ही भेज देने की रूख़सत दी हैं। रसूले खुदा^{स.अ.व} जब मुज़दलिफा में कुर्बानी के दिन नमाज़े फ़ज्र से फारिग़ हो चुके तो आप अपनी ऊंटनी क़स्वा पर सवार हुए और मशअर हराम तशरीफ़ लाए और उसपर चढ़ गए फिर किबला रूख़ खड़े होकर तकबीर व तहसील व कलमा तौहिद आपने पढ़ा। आप उस वक़्त तक खड़े रहे जब तक कि ख़ूब रोशनी न फ़ैल गई फिर तुलु ए आफ़ताब से क़ब्ल मुज़दलिफा से मिना की तरफ़ रवाना हुए। रसूले अकरम^{स.अ.व} फ़रमाते हैं कि पूरा मैदान अरफा मौक़फ़ है और तमाम मुज़दलिफा मौक़फ़ है और पूरा मिना मनहर (कुर्बानी की जगह) हैं। रसूले खुदा^{स.अ.व} कज़ाह पहाड़ पर खड़े हुए थे। इमाम जअफ़रुस्सादिक़^{अ.स} फ़रमाते हैं कि इमाम (यानि अमीरुल हज) के लिए मुस्तहिब है कि वहां जाकर खड़ा हो आप फ़रमाते हैं कि मक़ामे जमअ मुज़दलिफा से अगर कोई शख्स क़सदन लोगों के निकलने से पहले निकले तो उस पर एक बकरी वाजिब हैं। सिवाए उन कमज़ोर लोगों और सरो सामान उठाने वालों और ख्वातीन के जिनको जाने की रूख़सत दी गयी हैं।

आप फ़रमाते हैं कि अगर कोई शख्स ला-इल्मी की बिना पर मुज़दलिफा में क़याम न करे और अरफा से सीधा मिना की तरफ़ चला जाए तो वो वापस आए और मुज़दलिफा में क़याम करे और दुआ करे। रसूले खुदा^{स.अ.व} जब मुज़दलिफा से निकले तो आप उस वक़्त दरमियानी रफ़तार से

चलते थे। आप लोगों से फरमाते थे कि वकार और इतमिनान व सुकून पर लाजिम रहो यहां तक कि जब आप^{स.अ.व} बतने महसर पहुंचे तो आप^{स.अ.व} ने अपनी ऊंटनी को एड़ लगाई तो वो दुलकी रफ्तार से दौड़ी हत्ता कि आप^{स.अ.व} वहां से निकल गए। फिर पहली रफ्तार के मुताबिक चलने लगे। आप फरमाते हैं कि बतने महसर में दौड़ना वाजिब हैं। रसूले खुदा^{स.अ.व} वहां से चलकर जमराह अक़बा पहुंचे तो आपने उसको सात कंकड़ियों से मारा आप फरमाते हैं कि यौमुल नहर हज्जे अक़बर का दिन हैं।

जमरों को कंकड़ियाँ मारने का बयान

इमाम बाकिर^{अ.स} से मरवी है कि मुज़दलिफा से कंकड़ियाँ चुनना मुस्तहिब हैं। इमाम जअफरुस्सादिक^{अ.स} फरमाते हैं कि तुम मुज़दलिफा से कंकड़ियाँ चुन लो और अगर तुमने मिना से चुन लिया है तो ये भी तुम्हारे लिए काफी हैं। आप फरमाते हैं कि हर एक कंकड़ी को उचकना चाहिए और हर कंकड़ी उंगली के पोर के बराबर होनी चाहिए और यह मुस्तहिब है कि वो कंकड़ियाँ नीली और सुरमई रंग की हो और उनमें नुकते भी हो पत्थरों में से कंकड़िया तोड़ना मकरूह है जैसा कि अकसर लोग करते हैं और आप फरमाते हैं कि उन कंकड़ियों को धो लेना चाहिए अगर कंकड़ियाँ साफ सुथरी हों और तुम उनको न धोओ तो तुम्हारे लिए कोई मज़रत नहीं हैं आप फरमाते हैं कि जमरों को कंकड़िया मारने के लिए धो लेना मुस्तहिब हैं।

इमाम जअफरुस्सादिक^{अ.स} फरमाते हैं कि हर जमरह के सात कंकड़िया से मारना चाहिए और वादी के बुलन्द हिस्से से मारना चाहिए और जमरह तुम्हारे दाहिने हाथ पर होना चाहिए और जमरह को ऊपर से न मारना चाहिए। जब तुम एक कंकड़ी फेंको तो अल्लाहो अक़बर कहो और एक जमरे को दूसरे जमरे पर मुक़दम न करो और कंकड़िया मारने के बाद जितना भी तुमसे हो सके दुआ करो इसके बाद मिना में अपने डेरे पर आ जाओ और जिस कंकड़ से एकबार जमराह को मारा जा चुका हैं उससे दोबारा न मारो। अगर तुम्हारे पास कुछ कंकड़ न हों तो जमरह के नजदीक से उठा लेने में कोई हर्ज नहीं है।

इमाम जअफरुस्सादिक^{अ.स} फरमाते हैं कि रसूले खुदा^{स.अ.व} जब मुज़दलिफा से चले तो ईद कुर्बानी के दिन आपका गुज़र जमरा अक़बा के पास से हुआ आपने उसको सात कंकड़ियाँ मारी इसके बाद आप मिना तशरीफ लाए ये सुन्नत हैं। इसके बाद⁴⁷² तुमको चाहिए कि अय्यामे तशरीक

में तीनों जमरों को हर रोज़ ज़वाले आफ़ताब के वक़्त मारो यही अफ़ज़ल हैं। इसके अलावा सुबह से शाम तक मारने का भी तुमको इख़्तियार हैं। बवुजू होकर जमराह को मारना चाहिए। अगर किसी ने बग़ैर बुजू के मारा तो उसपर कुछ भी वाजिब नहीं हैं।

रसूले अकरम^{स.अ.व} तीनों जमरो को पैदल चलकर कंकड़ियाँ मारते थे। अगर कोई सवार होकर जमराह को मारने जाए तो कोई हर्ज नहीं हैं। रसूले अकरम^{स.अ.व} ने पहरेदारों के लिए रात में कंकड़ियाँ मारने की रूख़सत दी है अगर कोई दिन में कंकड़ियाँ मारना चूक जाए तो वो रात में कंकड़ियाँ मार सकता हैं अगर किसी ने कंकड़ियाँ नहीं मारी तो वह वापस पलटकर कंकड़ियाँ मारे।

इमाम जअफररुस्सादिक्^{अ.स} फरमाते हैं कि ईद कुर्बानी के दिन जमरा कुबरा (बड़ा) को मुज़दलिफ़ा से आते वक़्त मारना चाहिए। जमराह कुबरा से मुराद जमरा अक़बा हैं। इसके बाद ईद कुर्बानी के दिनों में तीनों जमरो को मारना चाहिए। हर रोज़ पहले जमरा—ए—सुगरा (छोटा) को फिर जमराह—ए—वुस्ता (बीच का) को फिर जमरा—ए—कुबरा को मारना चाहिए। अगर किसी ने इन जमरो को मारते वक़्त आगे पीछे कर दिया तो फिर से मारे। रसूले खुदा^{स.अ.व} फरमाते हैं कि मरीज़ की जानिब से भी कंकड़ियाँ मारना चाहिए अगर कोई शख्स दो ही रोज़ में मिना से चला जाना चाहता हो तो बाकी कंकड़ियों को मिना में किसी पत्थर के नीचे दफन कर दे।

हज़रत अमीरुल मुअमिनीन^{अ.स} फरमाते हैं कि रसूले खुदा^{स.अ.व} ईद कुरबाँ के दिन जब जमराह अक़बा को मार चुके तो आप मिना के मज़बह खाने (जहां जानवरो की कुर्बानी की जाती है) में तशरीफ़ ले गए आपने फरमाया कि ये मनहर हैं और इसके अलावा तमाम मिना मनहर हैं आपने वहां अपने कुर्बानी के जानवर की कुर्बानी की और दूसरे लोगों ने अपने-अपने डैरों में मिना के अन्दर कुर्बानी की थी।

कुर्बानी करने का बयान

इमाम जअफररुस्सादिक्^{अ.स} और आपके पिदर बुजुर्गवार इमाम बाकिर^{अ.स} और आपके आबा ए किराम^{अ.स} से रिवायत है कि रसूले खुदा^{स.अ.व} ने मिना में कुर्बानी की थी और आपने फरमाया था कि तमाम मिना मनहर हैं और आपने

लोगों को हुक्म दिया था कि वो अपने जानवरों को जिबह करें चुनांचे लोगों ने अपने अपने डेरों में मिना के अन्दर कुर्बानिया की थी ओर रसूले खुदा^{स.अ.व} ने अपनी कुर्बानी में हज़रत अली^{अ.स} को शरीक किया था कुर्बानी के लिए सौ ऊँटनियाँ थी। आप^{स.अ.व} ने उन मे से 63 जानवरो को खुद जिबह किया था। बाकी जानवरो को जिबह करने के लिए हज़रत अली^{अ.स} को हुक्म दिया था।

इमाम जअफरुस्सादिक^{अ.स} फरमाते हैं कि यह मुस्तहिब है कि हर शख्स अपने कुर्बानी के जानवर को अगर कर सकता हो तो खुद अपने हाथ से जिबह करे अगर वो ऐसा नहीं कर सकता तो अपना हाथ जिबह करने वाले के हाथ पर रखे और ये भी नहीं कर सकता तो कुर्बानी के वक्त्त जानवर के पास खड़ा रहे और जब जानवर की कुर्बानी हो तो उस वक्त्त अल्लाहो अकबर कहे।

आप आयते करीमा :

وَالْبَدَنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ ۖ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَّ ۚ

فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا

वल बुदन: जअलनाहा लकुम मिन शआइरिल्लाहि लकुम फीहा खैरुन फज कुरुस मल्लाहि अलैहा सवापफ: फइज़ा व ज:बत जुनूबिहा फकुलू मिन्हा 17-22/36।

तर्जुमा : और कुर्बानी के ऊंट भी हमने तुम्हारे वास्ते खुदा की निशानियों मे से क़रार दिया हैं इसमे तुम्हारी बहुत सी भलाईयाँ हैं फिर उनको टांगे बांध कर जिबह करो और उन पर खुदा का नाम लो फिर जब वो अपने बाजूओं पर ढल जाएं तो उनमें से खुद भी खाओ। सादिक आले मोहम्मद^{अ.स} फरमाते हैं कि सवापफ से मुराद है कि कुर्बानी के ऊंटो को सफ ब सफ खड़ा किया जाए और उनको ब हालते क़याम जबकि वो बंधे हुए हो अपनी तीन टांगो पर खड़े हो तब जिबह करना चाहिए और

فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا

फइज़ा वजबत जुनूबुहा से मुराद है कि जब कट कर ज़मीन पर गिर पड़े। आप फरमाते हैं कि इसी तरह रसूले खुदा^{स.अ.व} ने अपने कुर्बानी के ऊंट को हालते क़याम में जिबह फरमाया था। लेकिन गाय और बकरी हो तो उसको लिटा कर जिबह करना चाहिए। फज-कुरुस-मल्लाहि से मुराद है कि जब

जिह्म करो तो बिस्मिल्लाहि अल्लाहो अकबर पढ़ना चाहिए और कुर्बानी करते वक़्त यह दुआ पढ़ना मुस्तहिब हैं :

وَجْهَتْ وَجْهِي لِلَّذِي فَتَرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا مُسْلِمًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ اللَّهُمَّ مِنْكَ وَلَكَ بِسْمِ اللَّهِ

वज्जहतो वजही लिल्लाजी फतरस्समावाति वल अरदः हनीफन मुस्लिमन वमा अना मिनल मुशरिकीनः इन्नः सलाती व नुसुकी व महयायः व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन ला शरीकः लहु व बिजालिकः उमिरतो व अना मिनल मुस्लिमीन अल्लाहुमः मिनकः व लकः बिस्मिल्लाह। आप फरमाते हैं कि हर मुस्लिम की कुर्बानी के जानवर को मुस्लिम ही जिह्म करे।

आप फरमाते हैं कि अगर कोई शख्स तनहा कुर्बानी न कर सके तो वो ऊंट या गाय की कुर्बानी में हस्बे इसतिताअत (हस्बे हैसियत) शिरकत करे। आप फरमाते हैं कि कुर्बानी के लिए ऊंटनी की कुर्बानी अफज़ल हैं इसके बाद ऊँट का दरजा है और फिर गाय अफज़ल हैं उसके बाद बैल और फिर दुन्बा उसके बाद बकरे फिर मादा दुन्बे फिर बकरियाँ गर्ज इन सबमें जो नर हो वो सबसे ज़्यादा अफज़ल हैं। उसके बाद ख़सी (वादोड़) का दर्जा हैं।

आप फरमाते हैं कि कुर्बानी के लिए ऐसे ऊंट जिनके आगे के दांत टूट चुके हों काम आ सकते हैं और बड़ी उम्र की गाय भी काम आ सकती हैं और ऐसे बकरे और बकरियाँ जिनके आगे के दांत टूट चुके हैं और दून्बे या भेड़ का छोटा बच्चा भी जाइज़ है दुन्बे के अलावा किसी और जानवर का बच्चा जाइज़ नहीं हैं क्योंकि दुन्बे का बच्चा हामिला करता है इसके अलावा किसी और जानवर का बच्चा हामिला नहीं करता।

इमाम जअफररुस्सादिक^{अ.स.} सींगों वाले ऐसे मेंढ़े की कुर्बानी को मुस्तहिब समझते थे जो कि तारिकी (अंधेरे) में चलता हो और तारिकी में खाता हो और तारिकी में देखता हो और तारिकी में मिंगनी करता हो।

आप फरमाते हैं कि ऐसा ही एक मेंढ़ा हज़रत इब्राहीम^{अ.स.} पर मस्जिदे मिना से जबले एमन पर उतरा था रसूले खुदा^{स.अ.व} भी इसी किस्म का मेंढ़ा कुर्बानी करते थे।

अमीरूल मुअमिनीन^{अ.स.} फरमाते हैं कि रसूले खुदा^{स.अ.व} ने अंदर और बाहर दोनो तरफ से टूटी हुई सींग वाले जानवर की कुर्बानी से मना फरमाया है और अगर सिर्फ बाहर की सींग टूटी हुई है तो उसको अकसम कहते हैं आप फरमाते हैं कि रसूले खुदा^{स.अ.व} ने फरमाया है कि कुर्बानी के जानवर की आंख और कान को बराबर तहकीक़ कर लो। आपसे लंगड़े जानवर की बाबत पूछा गया तो आपने फरमाया कि अगर वो मनसक यानी मनहर तक पहुंच जाए तो कोई हर्ज नहीं है बशर्ते कि उसका लंगड़ापन नुमायां न हो। अगर नुमायां हो तो उसकी कुर्बानी जायज़ नहीं हैं और दुबले पतले जानवर की कुर्बानी भी जाइज़ नहीं हैं।

रसूले खुदा^{स.अ.व} से रिवायत है आपने फरमाया कि थन कटे हुए और खारिश वाले जानवर की कुर्बानी जाइज़ नहीं हैं और अमीरूल मुअमिनीन^{अ.स.} ने कान कटे हुए और कमज़ोर बूढ़े जानवर की कुर्बानी से भी मना फरमाया है।

इमाम जअफरुस्सादिक^{अ.स.} के नज़दीक जिस जानवर के आगे के कान कटे हुए हों या पीछे से कटे हुए हों या जिसके कान फटे हुए हों या जिसके कान में गोल सुराख हो ऐसे जानवरों की कुर्बानी मकरूह हैं। आप फरमाते हैं कि अगर किसी ने सही व सलामत जानवर ख़रीदा और उसको क़लादह या शआर पहना दिया उसके बाद उसमें कोई ऐब पैदा हो गया तो वो काफी हैं अगर उसने क़लादह या शआर नहीं लगाया है तो बदल डाले। अगर किसी ने जानवर ख़रीदा लेकिन उसको कोई ऐब नज़र न आया, जब नक़द कीमत अदा करके जानवर को अपने कब्ज़े में ले चुका हो तो उस वक़्त उसने कोई ऐब देखा तो उसकी कुर्बानी जाइज़ है लेकिन नक़द कीमत अदा नहीं की है तो वो दूसरा जानवर बदल कर ले सकता है। आपसे पूछा गया कि मनहर तक पहुंचने से पहले अगर कुर्बानी का जानवर हलाक हो जाए या टुट-फुट जाए तो क्या किया जाए ? आपने फरमाया कि उसको ज़िब्ह कर दिया जाए और उसके गले में जो क़लादह है उसको खून से तर कर दिया जाए और उसको वही छोड़ दिया जाए ताकि जो भी वहां से गुज़रे उसको मालूम हो जाए कि ये ज़िब्ह किया गया है। अगर वो उसमे से खाना चाहे तो खा सकता है लेकिन अगर नज़र या जज़ाअ का जानवर हो तो उसकी जगह पर दूसरा जानवर ख़रीदना चाहिए और नफ़ल है तो यही काफी हैं। ततव्वोअ के जानवर का गोश्त खाया जा सकता है लेकिन फ़र्ज़ जानवर की कुर्बानी का गौश्त नहीं खाना चाहिए। हलाक शुदा कुर्बानी

के जानवर को ख़्वाह वो वाजिब किया गया हो या वाजिब न किया गया हो फ़रोख़्त नहीं किया जा सकता अगर किसी का जानवर हलाक हो गया और उसको दूसरा जानवर न मिल सके तो खुदा के नज़दीक वो ज़्यादा माअज़ूर हैं।

इमाम जअफरुस्सादिक^{अ.स.} फरमाते हैं कि जिसने अपने कुर्बानी के जानवर को गुम कर दिया हो और उसकी जगह पर दूसरा जानवर ख़रीदने के बाद पहला जानवर मिल गया हो तो इस सूरत में अगर उसने दूसरे जानवर को क़लादह पहना दिया है तो दोनो को एक साथ ज़िब्ह कर दे और अगर उसने शआर और क़लादह नहीं पहनाया है तो उसको इख़्तियार है अगर उसको अपना जानवर दूसरे शख्स के पास मिला है जिसने उसको ख़रीद लिया है तो अगर उससे ख़रीद लेना चाहे तो ले ले और अगर उसको ख़रीदार ने ज़िब्ह कर दिया है तो इसके ज़िब्ह करने से यह कुर्बानी का जानवर उसके लिए काफ़ी न होगा।

इमाम जअफरुस्सादिक^{अ.स.} फरमाते हैं कि अगर किसी को गुमशुदा कुर्बानी का जानवर मिल जाए तो पहले उसका ऐलान कर दे और अगर उसका कोई तलाश करने वाला मौजूद न हो तो अय्यामें तशरीक के आखिरी दिन उसको उसके मालिक की तरफ से कुर्बानी कर दे। आप फरमाते हैं कि ज़िब्ह करने के बाद अगर कुर्बानी का जानवर चोरी हो जाए तो उसकी तरफ से यह कुर्बानी काफ़ी है।

इमाम बाकिर^{अ.स.} फरमाते हैं कि रसूले खुदा^{स.अ.व} ने हुक्म दिया है कि जो शख्स कुर्बानी का जानवर अपने हमराह ले जाए तो उसको चाहिए कि वो अपने जानवर पर निशान लगा दे और अरफा वग़ैराह के मनासिक में उसको अपने साथ-साथ रखे।

अमीरुल मुअमिनीन^{अ.स.} फरमाते हैं कि रसूले खुदा^{स.अ.व} जब अपने जानवर की कुर्बानी कर चुके तो आप^{स.अ.व} ने कुर्बानी के एक-एक ऊँट का एक एक टुकड़ा लेकर पकाने का हुक्म दिया चुनांचे वो पकाया गया आपने उस में से खाया और मुझे भी हुक्म दिया तो मैंने भी खाया आप उसका शोरबा घुंट-घुंट करके पी गए मुझे भी आपने हुक्म दिया तो उसमें से मैंने भी पिया आप ने मुझको अपने कुर्बानी के जानवर में शरीक फरमाया था। आपने फरमाया कि जिसने शोरबा पी लिया तो गोया उसने गोश्त भी खा लिया है।

इमाम जअफरुस्सादिक^{अ.स.} फरमाते हैं कि अगर ततव्वोअ या कुर्बानी का जानवर किसी ने जिह्म किया हो तो उसमें से खाए और फिर सदका कर दे इसमें कोई तखसीस (निश्चित) नहीं है जितना चाहे खाए और खिलाए और किसी को हदिया के तौर पर दे दे या खैरात कर दे।

अल्लाह तआला का इर्शाद है कि

فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعُمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ •

फकुलू मिनहा व अतइमुल बाइसल फकीर 17-22 / 28 और यह भी इर्शाद है कि

فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعُمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ

फकुलू मिनहा व अतइमुल कानिअः वल मुअतरः 17-22 / 36 तर्जुमा : फिर जब वो अपने बाज़ूओ पर गिर पड़े तो उनमें से तुम खुद भी खाओ और कनाअत करनेवाले फकीरों और मौहताजों को खिलाओ।

आप फरमाते हैं कि जिस किसी ने भी कुर्बानी की हो उसको मिना से कुर्बानी के जानवर की कोई चीज़ न ले जानी चाहिए हालांकि ऊंट के कोहान (कुबड़) में से दवा के लिए ले जाया जाए और ऊन, खाल, बाल वगैराह जिससे फायदा उठाया जा सकता है ये मुस्तहिब है कि चमड़े को सदका कर दिया जाए और अगर कस्साब को खाल और गौशत और कलादह उजरत में दे दिया जाए तो कोई हर्ज नहीं है।

अमीरुल मुअमिनीन^{अ.स.} फरमाते हैं कि किसी ने कुर्बानी का जानवर खरीदा और उसने समझा के तरोताज़ा हैं मगर वो लागुर (कमज़ोर) निकला तो उसकी जानिब से उस जानवर की कुर्बानी काफी है इसी तरह किसी ने लागुर समझकर खरीदा लेकिन वो तरोताज़ा निकला तो जाइज़ है।

इमाम जअफरुस्सादिक^{अ.स.} फरमाते हैं कि अगर कुर्बानी के जानवर को वाजिब न किया गया हो तो फरोख्त करने और बदलने का इख्तियार है।

अल्लाह तआला का इर्शाद है कि

لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَةٍ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُمْ مِّنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ

लि यशहदू मनाफिअः लहुम व यज़कुरुस—मल्लाहि फी अय्यामिम मअलूमातिन अला मा रज़कहुम मिम बहीमतिल अन्आम 17-22 / 28 तर्जुमा : ताकि अपने

दुनिया व आखिरत के फायदों पर फाईज़ हो और खुदा ने जो जानवर चौपाए उन्हे अता फरमाये हैं उन पर ज़िब्ह के वक़्त चन्द मोअय्यन दिनों में खुदा का नाम ले। इमाम जअफरुस्सादिक^{अ.स.} फरमाते हैं कि अय्यामे मालूमात और मादूदात से मुराद अय्यामे तशरीक़ हैं कुरबानी के दिन के बाद के तीन दिन को अय्यामे तशरीक़ कहा जाता है। अय्यामे तशरीक़ इसलिए कहा जाता है कि लोग कुरबानी का गौशत सूरज की रोशनी में रख देते हैं ताकि वो सूख जाये। पस यौमुल नहर से यौमे ईद—उल—अज़हा मुराद है उसके बाद अय्यामे तशरीक़ का पहला दिन है इसको यौमुल कर भी कहते हैं यौमुल कर इसलिए कहा जाता है कि इस रोज़ लोग मिना में इक़ामत करते हैं और अवाम इसको यौमुल रउस भी कहते हैं क्योंकि वो इस दिन सिरों को खाते हैं और फिर इसके बाद का दिन कूच का पहला दिन है और फिर उसके बाद का दिन कूच का दूसरा दिन है यह अय्यामे तशरीक़ का आखिरी दिन है।

बाल मुंडवाने और कटवाने का बयान

इमाम जअफरुस्सादिक^{अ.स.} से रिवायत है कि आपने मुज़दलिफा से निकलने का बयान करते हुए फरमाया कि जब तुम मिना पहुँचों तो अपने जानवर की कुर्बानी करो और सिर को मुंडवाओ इन दोनों में से जो चाहो वो पहले कर लो कोई मज़रत की बात नहीं है। आपने फरमाया कि सिर को मुंडवाना कतरवाने से बेहतर है। क्योंकि रसूले खुदा^{स.अ.व} ने हज्जतुल विदा और उमरा हुदैबिया के मौके पर सर को मुंडवाया था।

अमीरुल मुअमिनीन^{अ.स.} फरमाते हैं कि जिस का सिर गजां हो वो सिर्फ़ अपने सर पर उस्तरा फिरवाएं। आप फरमाते हैं कि औरत जब अपना ऐहराम खोले तो अपने सिर के गैसुओं के सिरो को काट दे और आपने फरमाया कि सिर मुंडवाने वाला कनपट्टियों के नीचे उभड़ी हुई हड्डियों तक मुंडवाए।

इमाम जअफरुस्सादिक^{अ.स.} फरमाते हैं कि अगर कोई शख्स मिना में सिर मुंडवाना भूल जाए और रास्ते में याद आए तो उस वक़्त मुंडवाए और किसी के ज़रीए अपने बालों को मिना तक पहुंचा सकता हो तो वहां पहुंचा दे। अमीरुल मुअमिनीन^{अ.स.} ने बालों को दफन करने का हुक्म दिया है। आप

फरमाते हैं कि इब्ने आदम के जिस्म से जो चीज़ भी निकल जाए वो मुर्दार हैं ऐहराम वाला जब सिर को मुंडवाए तो अपने नाखून कतरवाए उस्तरे से बालों के मुंडवाने को अरबी में हलक़ कहा जाता है और कैंची से छंटवाने को तक़सीर कहा जाता है ख़्वाह थोड़ा छोड़ दिया जाए या ज़्यादा लेकिन सिर को मुंडवाना छंटवाने से अफ़ज़ल है।

अमीरूल मुअमिनीन^{अ.स.} से रिवायत है कि रसूले खुदा^{स.अ.व} ने एक मर्तबा फरमाया कि परवरदिगार तू सिर मुंडवाने वालों पर रहम फरमा, अर्ज़ किया गया कि ऐ रसूले खुदा^{स.अ.व} और मुक़स्सिरीन! आपने फरमाया कि परवरदिगार तू सिर मुंडवाने वालों पर रहम फरमा। आपसे अर्ज़ किया गया कि और मुक़स्सिरीन! असहाब ने तीन मर्तबा अर्ज़ किया चौथी मर्तबा जब लोगो ने कहा तो आपने फरमाया कि तू मुहल्लिकीन और मुक़स्सिरीन दोनो पर रहम फरमा पस इससे मालूम हुआ कि अफ़ज़ल सिर को मुंडवाना है और छटवाना जाइज़ है। अल्लाह तआला का इर्शाद है कि :

لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّءُيَا بِالْحَقِّ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ
مُحَلِّقِينَ رُءُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ

लक़द सदक़ल्लाहो रसूलहुर रूअया बिल हक़िक़ लतद खुलुन्नल मस्जिदल हरामः इन्शा अल्लाहो आमिनीनः मुहल्लिकीनः रूउसकुम व मुक़स्सिरीन पस इस आयते करीमा में अल्लाह तआला ने पहले सिर मुंडवाने का ज़िक्र किया है और यही अफ़ज़ल है।

मिना में इक़ामत के दरमियान हाजियों पर क्या क्या अमल करना वाजिब है इसका बयान

इमाम जअफरुस्सादिक़^{अ.स.} से मरवी है आपने फरमाया है कि जब तुम कुर्बानी के दिन मुज़दलिफा से मिना की तरफ जाओ तो पहले जमराह उक़बा को कंकड़िया मारो और जब मिना पहुँचों तो कुर्बानी करो इसके बाद सिर के बाल मुंडवाओ।

हजरत अली^{अ.स.} आयते करीमा :

ثُمَّ لِيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ •

सुम्मलयकजू तफसहुम वल यूफू नुजूरहुम वलयत्तव्वफू बिल बैतिल अतीक
17-22/29 तर्जुमा : फिर लोगों को चाहिए कि अपनी-अपनी (बदन की)
कसाफत दूर करें और अपनी नज़रे पूरी करें और काबा का तवाफ दे, के
मुताल्लिक़ फरमाते हैं कि अस्सफसो से कंकड़ मारना, सिर के बाल मुंडवाना
मुराद हैं और नज़रे पूरी करने से ये मुराद है कि अगर किसी ने पैदल चलने
की नज़र मानी है तो उसको पूरी करे और तवाफ से ये मुराद है कि कुर्बानी
करने के बाद ज़ियारत का तवाफ किया जाए और ईदे कुरबां के दिन सिर
को मुंडवाया जाए और ये तवाफ जिसे तवाफे इफाज़ाह और तवाफे हज
कहा जाता है वाजिब किया।

अमीरूल मुअमिनीन^{अ.स.} फरमाते हैं कि रसूले अकरम^{स.अ.व} कुर्बानी के
दिन बैतुल्लाह-अल-हराम की तरफ तशरीफ ले गए थे और आपने ज़ोहर
की नमाज़ मक्का मुअज़्ज़मा में पढ़ी थी। इमाम जअफररुस्सादिक^{अ.स.} फरमाते
हैं बैतुल्लाह की ज़ियारत में जल्दी करना चाहिए। कुर्बानी के दिन ज़ियारत
में ताख़ीर न करना चाहिए अगर दूसरे दिन भी कोई जाए तो इसमें कोई
हर्ज नहीं है। आप फरमाते हैं कि तुम कुर्बानी के दिन बैतुल्लाह की ज़ियारत
को जाओ तो पहले तवाफे ज़ियारत यानि तवाफे इफाज़ाह करो पहले तुम
बैतुल्लाह का सात मर्तबा तवाफ करो और मक़ामे इब्राहीम के अक़ब में दो
रकाअत नमाज़ पढ़ो और सफा व मरवाह के दरमियान सात मर्तबा सई करो
जब इससे फारिग हो चुको तो तुम्हारे लिए खुशबु लगाना, कपड़ा पहनना
हलाल हैं। उसके बाद तुम बैतुल्लाह में आओ और तवाफुन निसा करो और
इस तवाफ के बाद सफा व मरवाह के दरमियान सई नहीं करना चाहिए।
इसके बाद तुम्हारे लिए वो सबकुछ हलाल हैं जो मुहर्रिम होने की हालत
में बीवी से मुक़रिबत वगैराह हराम किया गया हैं। लेकिन शिकार करना
हलाल नहीं हैं। वो तो मिना से कूच करने के बाद ही हलाल होता हैं।
आपने फरमाया की हाजी मिना की रातों को मिना में ही गुज़ारे।

इमाम जअफररुस्सादिक^{अ.स.} फरमाते हैं कि जब तुम
बैतुल्लाह-अल-हराम की ज़ियारत को जाओ तो मिना वापस लौट आओ
और अय्यामे तशरीक की तमाम रातें मिना में ही बसर करो। अगर किसी ने
क़सदन मिना की रातों को किसी और मुक़ाम पर गुज़ार दिया तो हर रात
की एवज में एक बकरी की कुर्बानी करे। अगर भूल कर और ला इल्मी की

वजह से ऐसा किया है तो अल्लाह तआला से मग़फ़िरत तलब करे।

हजरत अली^{अ.स.} से मनकूल है आप फरमाते हैं आंहजरत^{स.अ.व} मिना मे कसर नमाज़ पढ़ते थे। इमाम जअफरुस्सादिक^{अ.स.} से मरवी है आपने आयते करीमा :

فَإِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ فَأَذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا

फइज़ा कज़ेतुम मनासिकः कुम फज़कुरुल्लाहः कज़िकरिकुम आबाअकुम ओ अशददः ज़िकरा 2-2/200 तर्जुमा : फिर जब तुम अरकाने हज बजा ला चुको तो तुम इस तरह अल्लाह का ज़िक्र करो जिस तरह तुम अपने बाप दादाओ का ज़िक्र करते हो बल्कि इससे भी बढ़ कर, के मुताल्लिक़ फरमाया कि मुशरिकीन कुर्बानी के दिनों में अपने बाप दादाओं पर फर्ख़ किया करते थे और अपने इसलाफ का ज़िक्र करते थे हालांकि उनको किसी किस्म का कोई शरफ हासिल न था। पस मुसलमानों को इसकी जगह पर अल्लाह का ज़िक्र करने का हुक्म दिया गया हैं।

अहलेबैते किराम^{अ.स.} से अय्यामे तशरीक़ में जिक्रे इलाही के मुताल्लिक़ बकसरत दुआएं मनकूल है लेकिन इनमे से कोई दुआ मखसूस नहीं है। जितनी ज़्यादा दुआ की जाये वो अफज़ल है अगर कोई चाहे तो हर रोज़ बैतुल्लाह की ज़ियारत कर सकता है और चाहे तो ततव्वोअ का तवाफ करता रहे लेकिन तवाफ से फारिग़ होकर दिन ही दिन में मिना चला आए और वहां आकर रात बसर करे यहां तक कि अय्यामे तशरीक़ के बाद मिना से कूच कर जाए।

मिना से कूच करने का बयान

अल्लाह तआला का इर्शाद है कि :

وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ ۖ فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ۖ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَىٰ ۚ

वज़कुरुल्लाहः फी अय्यामिम मअदूदातिन फमन तअज्जलः फी यौमेनि फला इस्मः अलौहि व मन तअख़्खरः फला इस्मः अलौहि लि मनित्तका —2-2/203 इमाम जअफरुस्सादिक^{अ.स.} फरमाते हैं कि यौमुल नहर के

बाद अगर तुम चाहो तो मिना में तीन दिन तक क़याम करो और अगर दो ही रोज़ में वहां से कूच करना चाहते हो तो इसका इस्तिथार है जैसा कि अल्लाह तआला का इर्शाद है कि :

وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ ۖ فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِيَّامَ عَلَيْهِ ۖ وَ مَنْ تَأَخَّرَ فَلَا
إِيَّامَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَى ۖ

वज़कुरुल्लाह: फी अय्यामिम मअदूदातिन फमन तअज्जल: फी यौमेनि फला इस्म: अलैहि व मन तअख़्खर: फला इस्म: अलैहि —2—2/203 यानि अगर कोई मिना से जल्द निकल जाना चाहे या ताख़ीर से निकलना चाहे तो दोनो सूरतों में उस पर कोई गुनाह लाज़िम नहीं आता हैं।

आप फरमाते हैं कि अगर किसी ने अय्यामे तशरीक के दूसरे ही दिन जाने की जल्दी की जो कुर्बानी के दिन से गिना जाए तो तीसरा दिन होता हैं तो ज़ोहर की नमाज़ पढ़कर निकले और कंकड़िया मारकर गुरुबे आफताब के दरमियान कूच करे। अगर सूरज गुरुब हो जाए तो फिर मिना में ही रात गुज़ारे। और किसी ने तीसरे दिन जाने का इरादा किया हो तो वो फज़्र की नमाज़ पढ़ने के बाद दिन के आख़री हिस्से तक जा सकता हैं। लेकिन जब तक कंकड़िया न मारे मिना से कूच न करे। आपने फरमाया है कि कोई शख्स कूच से क़ब्ल अपने असबाब को मक्का की जानिब रवाना न करे।

इमाम जअफरुस्सादिक^{अ.स.} फरमाते हैं कि जो शख्स मिना से मक्का की तरफ कूच करे तो वो मुहस्सब में जिसे बतहा कहते हैं थोड़ी देर तक क़याम करे फिर मक्का की तरफ कूच करे। रसूले अकरम^{स.अ.व} ने ऐसा ही किया था। इमाम बाकिर^{अ.स.} भी इस पर अमल करते थे।

आप फरमाते हैं कि जिसने मिना से कूच करने में जल्दी की हैं अगर वो लोगों के आने तक मक्का में क़याम करे तो इसमें कोई हर्ज नहीं हैं। आपसे बैतुल्लाह में दाख़िल होने के मुताल्लिक पूछा गया तो आपने फरमाया है कि अगर कोई दाख़िल हो सकता हो तो दाख़िल हो लेकिन अज़धाम (भीड़—भाड़) का ख़ौफ़ हो तो अपने नपस को हलाकत में न डाले। आप फरमाते हैं कि अगर कोई शख्स काबा में दाख़िल होने का इरादा रखता हो तो गुस्ल करना मुस्तहिब हैं।

अहलेबैते किराम^{अ.स.} से खाना—ए—कअबा में दाख़िल होने के वक़्त

पढ़ने के लिए ब—कसरत दुआएं मरवी हैं लेकिन इनमें से कोई दुआ मख्सूस नहीं है पस जो शख्स काबा में दाखिल हो तो खूब दुआ करे।

इमाम जैनुल आबिदीन^{अ.स.} फरमाते हैं कि रसूले खुदा^{स.अ.व} ने बैतुल्लाह के अंदर दोनों सूतून के दरमियान सुर्ख पत्थर पर नमाज़ पढ़ी थी और पुश्ते कअबा की तरफ आपका मुंह था आपने दो रकआत नमाज़ पढ़ी थी। इमाम जअफरुस्सादिक^{अ.स.} फरमाते हैं कि कअबा के अंदर फर्ज नमाज़ पढ़ना दुरुस्त नहीं है। मिना से कूच करने के बाद ही कअबा में दाखिल होना चाहिए और जो शख्स हज अदा करने के बाद मक्का से जाना चाहता हो वो सबसे आखिर में बैतुल्लाह का अल विदाई तवाफ करे। वो बैतुल्लाह को विदाअ करते वक़्त अपना हाथ हजरे असवद और बाबे कअबा के दरमियान रखे और दुआ करे और अल विदा कह के वापस निकल आए। विदाअ के मुताल्लिक अहले बैत^{अ.स.} से ब—कसरत दुआएं मनकूल है लेकिन उनमे से कोई दुआ मख्सूस नहीं है।

उमरा मुफरद: का बयान

अल्लाह तआला का इर्शाद है कि :

وَاتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ

व अतिमुल हज्ज: वल उमरत: लिल्लाहि 2—2/196 तर्जुमा : और सिर्फ खुदा ही के वास्ते हज और उमरा को पूरा करो। इमाम बाकिर^{अ.स.} से मनकूल हैं आप फरमाते हैं उमराह करना फर्ज हैं और हज के बराबर हैं। क्योंकि अल्लाह तआला का इर्शाद है कि :

وَاتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ

व अतिमुल हज्ज: वल उमरत: लिल्लाहि 2—2/196। अमीरुल मुअमिनीन^{अ.स.} फरमाते हैं कि उमराह करना वाजिब हैं। हमने किताबुल हज के शुरू में जो कुछ इस बारे में ज़िक्र किया हैं वो इसकी ताईद में है हमने कैफियत उमराह और इसके साथ हज करने की सूरत को बयान कर दिया हैं। हज के साथ उमराह करना और हज से पहले उमराह मुफरद: और हज के बाद उमराह मुफरद: करने का बयान ऊपर गुज़र चुका हैं।

इमाम जअफरुस्सादिक^{अ.स.} फरमाते हैं कि एक उमराह के बाद

दूसरा उमराह करने तक जो कुछ भी दोनो के दरमियान इस मुद्दत में गुनाह होता है इसको ये दोनो मिटा देते हैं। रसूले खुदा^{स.अ.व} फरमाते हैं कि माहे रमजान में उमराह करना हज के बराबर है। इमाम जअफरुस्सादिक^{अस} फरमाते हैं कि जिस महीने में तुम चाहो उमराह कर सकते हो लेकिन अफज़ल उमराह माहे रजब का उमराह है। आप फरमाते हैं कि हज के महिनो में अगर किसी ने उमराह किया और वो हज किये बगैर चला गया तो यह उमराह मुफरदः हैं और अगर उमराह के साथ हज किया तो वह हज तमत्ताअे हैं। आप से हज के बाद उमराह करने के मुताल्लिक पुछा गया? तो आपने फरमाया कि अय्यामे तशरीक ख़त्म हो जाने के बाद अगर सिर मुंडवाने का इमकान हो तो फिर उमराह करे। आप फरमाते हैं कि उमराह मुफरदः यह है कि बैतुल्लाह का तवाफ और सफा व मरवाह के दरमियान सई की जाए और इसके बाद अगर तुम उस वक़्त एहराम खोलना चाहो तो खोल सकते हो और जब तुम हरम में दाखिल हो तो लब्बैक कहना बंद कर दो और जब उमराह करने वाला तवाफ दे चुके और सई कर चुके तो एहराम खोल दे और अगर चाहे तो लौट जाए और अगर उसके हमराह हदी (कुर्बानी का जानवर) हो तो मक्का में ज़िब्र कर दे इसके बाद अगर नफ़ल तवाफ करना चाहे तो कर सकता है।

सद्दः (रूकावट) और इहसार (बीमारी) का बयान

सद्दः अनिल बैत यानि बैतुल्लाह—अल—हराम की ज़ियारत से रोक दिया जाए यह उस वक़्त मुमकिन है कि हज व उमराह करने वाले और बैतुल्लाह—अल—हराम के दरमियान दुश्मन हाईल हो। जैसा कि मुशरिकीन ने हुदैबिया के साल में रसूले अकरम^{स.अ.व} के साथ किया था। आप जब ब—मक़सद उमराह तशरीफ ले जा रहे थे तो मुशरिकीन ने रास्ते ही में आपको मक्का में दाखिल होने से मना कर दिया था। आपके हमराह हदी (कुर्बानी का जानवर) भी था। चुनांचे उस वक़्त खुदा वन्दे करीम ने मुशरिकीन के बारे में यह आयते करीमा नाज़िल फरमाई कि :

هُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَالْهَدْيِ مَعْكُوفًا أَنْ يَبْلُغَ مَحَلَّهُ

हुमुल लज़ीनः कफरु व सद्दूकुम अनिल मस्जिदिल हरामि वल हदयो मअकूफन अन्य यबलुगः महिल्लहु तर्जुमा : यह वही लोग तो है जिन्होने

कुफ्र किया और तुम को मस्जिद—अल—हराम में जाने से रोका और कुर्बानी के जानवरों को भी न आने दिया और वो अपनी जगह पर पहुँचने से रूके रहे।

इमाम जअफरुस्सादिक^{अ.स.} से मरवी है कि आमुल हुदैबिया (हुदैबिया का साल) रसूले खुदा^{स.अ.व} मदीना से उमराह के इरादा से रवाना हुए थे। आपके हमराह एक हजार से ज़्यादा असहाब थे। जब आप मुकामे जुल हुलेफा पहुँचे तो आपने और आपके असहाब ने एहराम बांधा और कुर्बानी के जानवर को क़लादह पहनाया और शआर लगाया। ये ख़बर कुरैश को पहुँची और यह वाकिआ फतह मक्का से पहले का है। चुनांचे कुरैश ने आपके मुक़ाबले के लिए लश्कर जमा किया। जब आहज़रत^{स.अ.व} मुक़ामे असफ़ान के पास पहुँचे तो आपको कुरैश की तैयारियों की इत्तिलाअ मिली। आपने उनको कहलाया कि हम जंग करने के लिए नहीं आए हैं हम तो उमराह करने की गरज़ से आए हैं। अगर कुरैश की ख्वाहिश हो तो मैं एक मुद्त तक के लिए उनसे सुलह कर सकता हूँ लेकिन इस शर्त पर कि वो हमारा रास्ता छोड़ दें अगर मैं ग़ालिब आया तो कुरैश चाहे वही मज़हब इस्तिआर कर सकते हैं जिसमे दुसरे लोग दाख़िल हो चुके हैं और उन्हें इंकार होगा तो फिर मैं उनसे जिहाद करूंगा यहां तक कि खुदा वंदे तआला हमारे दरमियान फैसला कर देगा। अल्लाह बेहतर फैसला करने वाला है चुनांचे आप^{स.अ.व} के और कुरैश के दरमियान कासिदो का आना जाना हुआ और आपने उनसे इस बात पर सुलह कर लिया कि आप इस साल तो वापस लौट जाते हैं लेकिन अगले साल अगर आपने चाहा तो उमराह बांध कर आएंगे। कुरैश ने जवाब दिया कि अरब ये हरगिज़ ग़वारा न करेंगे कि कोई शख्स मक्का में जबरन दाख़िल हो पस आपने उनको मज़कूर जवाब दे दिया और फिर वहीं पर आपने अपने कुर्बानी के जानवर को ज़िब्ह किया और बालों को तरशवाया फिर आप^{स.अ.व} और आपके तमाम असहाब वापस लौट आए। चुनांचे इसी तरह उस शख्स को भी अमल करने का हुक्म है जिसको उस वक़्त बैतुल्लाह—अल—हराम से रोक दिया गया हो जबकि उसने हज या उमराह करना अपने ऊपर फर्ज़ कर लिया हो या दोनो को एक साथ अपने ऊपर फर्ज़ कर लिया हो। इन दोनो सूरतों में वो सिर्फ़ बालों को तरशवाए, और वापस लौट जाएं। अगर किसी के हमराह कुर्बानी का जानवर हो तो अपना सिर न मुंडवाए क्योंकि अल्लाह तआला का इर्शाद है कि :

وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحَلَّهُ

वला तहलिकु रुऊसकुम हत्ता यबलुगल हदयो महिल्लहू तर्जुमा : और जब तक कुर्बानी अपनी जगह पर न पहुँच जाए अपने सिर न मुंडवाओ। ऐसा उसी वक्त करना चाहिए जब हाजी मीकात से गुज़र चुका हो और एहराम बांध लिया हो और कुर्बानी के जानवर को क़लादह पहना चुका हो और अगर मीकात से पहले ही उसको रोक दिया गया है तो वापस चला जाए। ख़्वाह एहराम बांध लिया हो या न बांधा हो। और कुर्बानी के जानवर को ज़िह न करें ख़्वाह क़लादह पहनाया हो या न पहनाया हो अगर उसके साथ कुर्बानी का जानवर है क्योंकि हमने पहले ज़िक्र किया है कि मीकात से पहले एहराम न बांधना चाहिए। और अगर किसी ने बांध लिया और उसका एहराम जाता रहा तो उस पर कुछ भी वाजिब नहीं हैं। इहसार बीमारी को कहते हैं कि उसके मुताल्लिक अल्लाह तआला का इर्शाद है कि :

فَإِنْ أَحْصَرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ

फइन उहसिरतुम फमस तैसर: मिनल हदयि तर्जुमा : पस अगर तुम बीमारी वगैरह की वजह से मजबूर हो जाओ तो फिर जैसी कुर्बानी मयस्सर हो वह कर दो। इमाम जअफरुस्सादिक^{अ.स.} से मनकूल है आपसे पूछा गया कि अगर कोई शख्स रास्ते में बीमार हो जाए और कुर्बानी के जानवर को भेज दे तो ? आपने फरमाया कि अगर वो हज की हालत में हो तो अपने साथियों से अहदो पैमान कर ले क्योंकि कुर्बानी तो कुर्बानी के दिन ही की जाती हैं। अगर उमराह की हालत में हो तो अपने साथियों के मक्का में दाख़िल होने के मोअय्यन दिन तक इंतज़ार करे। और उस घड़ी पर नज़र रखे जिसका उसने उनसे वादा किया है। जब वो घड़ी आ जाए तो वो बालो को छंटवाए और एहराम खोल दे और अगर एहराम के बाद रास्ते में बीमार हो गया और अपने अहलो अयाल की तरफ वापस जाना चाहता है तो लौट जाए और एक ऊँट या गाय की कुर्बानी करे। अगर वो हज की निय्यत से निकला था तो आइन्दा साल उसको हज करना वाजिब हैं और उमराह की निय्यत से निकला था तो उस पर उमरा करना वाजिब है क्योंकि एक मर्तबा इमाम हुसैन^{अ.स.} उमराह करने की नीयत से मदीना से रवाना हुए थे मगर आप रास्ते ही में बीमार पड़ गए जब ये ख़बर अमीरुल मुअमिनीन^{अ.स.} को पहुँची तो आप मदीना से इमाम हुसैन^{अ.स.} की तलाश में निकले और मक़ामें

सुक़या में इमाम हुसैन^{अ.स.} के पास पहुंचे वो उस वक़्त बीमार थे। अमीरूल मुअमिनीन^{अ.स.} ने पुछा कि जाने प़िदर क्या शिकायत हैं ? इमाम हुसैन^{अ.स.} ने फरमाया कि मुझे दर्द सिर हो रहा है। अमीरूल मुअमिनीन^{अ.स.} ने एक ऊँट तलब फरमाया और उसको ज़िब्ह किया और सिर के बालों को मुंडवाया और आपको मदीना वापस ले आए जब इमाम हुसैन^{अ.स.} ने दर्द सर से शिफा पाई तो आपने उमराह किया। आपसे अर्ज किया गया कि ऐ फरजन्दे रसूल^{स अ व} आप इस मसअले में क्या फरमाते हैं कि अगर कोई शख्स अपने दर्द से शिफा पा जाए तो क्या उसके लिए औरत हलाल हैं ? आपने फरमाया कि नहीं जब तक कि वह बैतुल्लाह का तवाफ न देगा और सफा व मरवाह के दरमियान सर्ई न करेगा हलाल नहीं हैं। आप से अर्ज किया गया कि फिर रसूले खुदा^{स.अ.व} जब हुदैबिया से वापस लौट आए थे तो आपके लिए औरतें हलाल हो गयी थी हालांकि आपने तवाफ नहीं किया था ? सादिक आले मोहम्मद^{अ.स.} ने कहा कि इस बारे में दोनो बराबर नहीं हैं क्योंकि रसूले खुदा^{स.अ.व} को रोका गया था और इमाम हुसैन^{अ.स.} बीमार हो गए थे हमने जो कुछ ऊपर बयान किया है वो सब मसदूद (जिसको रोका गया हो) और महसूर (जो बीमार हो गया हो) के लिए है ये सब उसी सूरत में है जबकि मीकात से एहराम बांधा जा चुका है लेकिन अगर मीकात के पहले कोई शख्स बीमार हो गया या रोक दिया गया तो उस सूरत में उस पर कुछ भी वाजिब नहीं है वो लौट कर चला जाए और कुर्बानी का जनवर हो तो फरोख़्त कर दे गर्ज जो चाहे सो करे क्योंकि उसने उस जानवर को अभी वाजिब नहीं किया है यानि न तो अभी शआर लगाया है न क़लादह पहनाया है और यह सब कुछ मीकात से एहराम बांधने के बाद ही किया जाता है।

दाईमुल मरज़ और अमवात की जानिब से हज करने का बयान

इमाम जअफरुस्सादिक^{अ.स.} से मनकूल है कि एक शख्स आपके पास आया और उसने अर्ज किया कि मेरे वालिद बहुत बुढ़े हो चुके हैं और उसने हज नहीं किया है तो क्या मैं किसी शख्स को उनकी तरफ से हज करने के लिए रास्ते का खर्च और साज़ो सामान देकर भेज सकता हूँ ? आपने फरमाया कि हाँ इसके सबूत में एक वाकिआ अहदे रिसालत का ये

है कि कबीला ख़शअम की एक औरत ने रसूले खुदा^{स.अ.व} से पुछा कि वो अपने वालिद की जानिब से हज कर सकती है इसलिए कि उसका वालिद बहुत बूढ़ा हो चुका हैं ? रसूले खुदा^{स.अ.व} ने फरमाया कि हाँ जाओ और तुम हज करो क्योंकि जिस तरह यह मुमकिन हैं कि तुम्हारे वालिद पर कर्ज़ हो और तुम उसको अपने वालिद की तरफ से अदा करो तो वह अदा हो जाता हैं शेख़ (बुढ़ा) और अजूज़ (लाचार) दोनो दाईमुल मरज़ में दाख़िल हैं। ये दोनो अगर अपने माल से हज करवाना चाहें तो हज करवाएं या अपनी औलाद को अपनी तरफ से खर्च देकर भेजे जैसा कि हमने किताबुल सोम में उनके रोज़े के मुताल्लिक़ जिक्र किया है कि अगर वो दोनो रोज़ा न रख सकते हों तो रोज़ा न रखें और हर रोज़ एक मिसकीन को खाना खिलाए क्योंकि उन दोनों से कोई उम्मीद नहीं है कि वह रोज़ा रख सकेंगे पस ऐसी सूरत इन दोनों के हज के सिलसिले में भी यही हुक्म है कि वो दोनों हज करने पर कभी कादिर न होंगे न ऐसी कोई उम्मीद है कि जिस उम्मीद पर वह आइन्दा साल के लिए हज को टालते रहें।

इमाम जअफररुस्सादिक^{अ.स.} से रिवायत है कि आपने फरमाया कि अगर कोई शख्स ये वसीयत कर जाए कि उसके मरने के बाद उसकी तरफ से इस्लामी हज करवाया जाए अगर वो अपने माल का तीसरा हिस्सा मुकर्रर कर जाए तो उसको अलग कर दिया जाए अगर उसने तय नहीं किया है तो असल माल में से निकाल लिया जाए बशर्ते कि उसने अपनी तरफ से हज करने की वसीयत की हो और जबकि वो अपना फर्ज़ हज कर चुका हो तो फिर ये हज उसकी तरफ से उसके माल के तीसरे हिस्से से किया जाए। एक शख्स को भेजा जाए जो उसकी तरफ से हज करे और उसको ऊजरत दी जाए पस खर्च से जो बच रहे सो ये उसका हक़ है जिसको भेजा गया हैं और ऐसे शख्स को हज पर भेजने में कोई हर्ज नहीं हैं। जिसने अभी अपना हज नहीं किया हैं अगर कर चुका है तो ऐसा शख्स ज़्यादा बेहतर हैं। औरत मर्द की तरफ से हज न करे। हालांकि इसके सिवा कोई मर्द मौजूद न हो या फिर वह औरत अफज़ल है जो मर्दों से ज़्यादा मनासिक को अदा कर सकती हैं।

इमाम जअफररुस्सादिक^{अ.स.} से मरवी है कि आपने अपने किसी शहज़ादे का हज करवाया तो आपने हज करने वाले से शर्त की कि वो एहकाम व इबादात को बराबर अदा करेगा। उसके बाद आपने फरमाया कि अगर तुम ने शर्त के मुताबिक़ मनासिक हज को बराबर अदा किया तो यह

उसका हज होगा जिसकी तरफ से तुमने हज किया हैं। और तुमको शर्त की अदायगी और अपने जिस्म को थकाने का अजर मिलेगा।

इमाम बाकिर^{अ.स.} फरमाते हैं कि अगर किसी शख्स ने ऊजरत पर दूसरे का हज कर लिया तो उसके हज से फारिग होने के बाद वो अपने लिए उमराह व तवाफ जो भी करना चाहे कर सकता हैं।

आप फरमाते हैं कि जो शख्स किसी ओर की तरफ से हज करने के लिए जाए तो वो ऐहराम बांधते वक़्त ये कहे :

اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَحْجُّ عَنْ فُلَانٍ فَتَقَبَّلْ مِنْهُ وَ اَجْرُنِیْ عَنْ قَصَائِیْ عَنْهُ

अल्लाहुम्म: इन्नी अहज्जो अन फलानिन(शख्स का नाम ले) फतकब्बल मिन्हो व अजरुनी अन कज़ाई अन्हो।

हज के फौत हो जाने का बयान

इमाम जअफरुस्सादिक^{अ.स.} से मनकूल है आप फरमाते हैं कि अगर कोई शख्स अरफा के मौकिफ (हाजियों के ठहरने की जगह) में लोगो से जा मिले और उनके साथ कूच करने से पहले कुछ देर मौकिफ पर भी खड़ा रहे तो उसका हज हो गया और अगर वो अरफात से निकलने के बाद आया और अरफात में रात के वक़्त पहुंचा और वहां ठहरकर उसने ज़िक्रे इलाही किया और लोगों के मुज़दलिफा से कूच करने से पहले मुज़दलिफा में पहुँच गया तो उसने हज पा लिया।

आप फरमाते हैं कि अगर कोई शख्स तुलु ए फज्र से पहले मैदान अरफात में जा पहुंचा और मकामे जमअ यानि मुज़दालिफा में उस वक़्त आया जबकि लोग निकल चुके थे और सूरज भी तुलुअ हो चुका तो उसका हज फौत हो गया अब वो हज को उमराह में बदल दे और अगर लोग वहां से निकले न हों तो उसका हज हो गया ओर जब तक लोग मशअर हराम से न निकल जाएं हज फौत नहीं होता।

इमाम जअफरुस्सादिक^{अ.स.} फरमाते हैं कि किसी शख्स ने हज का ऐहराम बांधा और वो अरफा में ठहर न कर सका और मुज़दलिफा में सुबह की नमाज़ भी फौत हो गयी तो उसका हज फौत हो गया अब वो हज को उमराह में तबदील कर दे फिर आइन्दा साल उस पर हज करना वाजिब हैं।

इमाम बाकिर^{अ.स.} फरमाते हैं कि किसी ने हज की निय्यत से उमराह बांधा या तमत्तो बिल उमराह इलल हज का अहराम बांधा और वो मक्का में कुर्बानी के दिन पहुंचा तो वो तवाफ बैतुल्लाह करे और सफा व मरवाह के दरमियान सई करके एहराम खोल दे और हज को उमराह से बदल ले अगर किसी ने हज तमत्तो बिल उमराह का एहराम बांधा या दोनो को एक साथ जमअ कर दिया है और वो मक्का से ऐसे वक्त में पहुंचा है कि उमराह के लिए तवाफ व सई करता है तो हज फौत होने का अन्देशा हैं उस वक्त जल्दी से जाकर मौकिफ में लोगो के साथ शामिल हो जाए और अपने हज को अदा करे और इस हज को हज मुफरद: करार दे। उसके बाद फिर से उमराह करे और अगर उसने ये शर्त की थी कि जहां रोक दिया जाए वही कुर्बानी करेगा तो यह उसका उमराह होगा। उस पर कुछ भी वाजिब नहीं हैं और अगर कोई शर्त न थी तो उस पर आइन्दा साल हज करना वाजिब हैं।

जिहाद

बिस्मिल्लाहि र्हमानि र्हीम

किताबुल जिहाद

(7)

जिहाद के फर्ज होने का बयान

अल्लाह तआला ने अपने पैगम्बर मुहम्मद मुस्तफा^{सअव} से खिताब करके फरमाया है कि

قُلْ يَٰأَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَ الْأَرْضِ ۚ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ ۖ فَأَمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيُّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يُمُنُ بِاللَّهِ وَكَلِمَتِهِ وَ اتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ •

कुल या अय्युहन नासो इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम जमीआनिल लज़ी लहू मुल्कुस समावाति वल अरदि ला इलाहः इल्ला हुवः युहयी व युमीतो फ आमिनु बिल्लाहि व रसूलिहिन नबीइल उम्मीयिल लज़ी युअमिनो बिल्लाहि व कलिमातिही वत्तबिऊहो लअल्लकुम तहतदून 9-7/158 तर्जुमा : (ऐ रसूल तुम उन लोगों से) कह दो कि लोगो! मैं तुम सब लोगों के पास उस खुदा का भेजा हुआ पैगम्बर हूँ जिसके लिए खास सारे आसमान व ज़मीन की बादशाहत (हुकुमत) है इसके सिवा और कोई माअबूद नहीं वही जिंदा करता है वही मार डालता है पस लोगो! खुदा और उसके रसूल नबी, उम्मी पर ईमान लाओ जो खुद भी खुदा पर और उसकी बातों पर दिल से ईमान रखता है और उसके कदम-ब-कदम चलो ताकि तुम हिदायत पाओ।

और दूसरे मकाम पर अल्लाह जल शानहू ने फरमाया है कि :

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ •

व मा अरसलनाकः इल्ला काफतन लिन्नासि बशीरन व नज़ीरन वला किन्नः अकसरन्नासि ला यअलमून 22-34/28। तर्जुमा : (ऐ रसूल) हमने तो तुमको तमाम दुनिया से लोगों के लिए (नेकोकारों को बहिश्त की खुशखबरी देने वाला और बुरों को अज़ाब से) डराने वाला (पैगम्बर), बनाकर भेजा मगर बहुत से लोग (इतना भी) नहीं मानते।

किताबे इलाही के इस बयान से वाज़ेह होता है कि रसूल ख़ुदा^{सअव} तमाम इन्सानों की तरफ पैग़म्बर बनाकर भेजे गए थे इसलिए अगर कोई शख्स आपकी नबुवत का इन्कार करता है और आपकी रिसालत को मानने से इन्कार करता है तो उसके साथ जिहाद करना वाजिब है।

रसूल अकरम^{सअव} का यह इर्शाद है कि मुझे तमाम बनी नूअ इन्सान का पैग़म्बर बनाकर भेजा गया है और आपने यह भी फरमाया है कि मैं गोरे और काले सबकी तरफ भेजा गया हूँ चुनांचे अल्लाह तआला ने सबसे पहले आपको ये हुक्म देकर भेजा कि इन्सानों को ख़ुदा की तरफ बुलाओ और जब वो तकज़ीब (झुठलाए) करें तो उनसे अपना मुँह फ़िरा लो। अल्लाह तआला की तरफ दाअवत करने का हुक्म इस आयत करीमा में मौजूद है। बारी तआला का इर्शाद है कि :

أَدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ

उदओ इला सबीलि रब्बिक: बिल हिकमति वल मौइज़तिल हसःनति व जादिलहुम बिल लती हियः अहसनो 14-16 / 125। तर्जुमा : (ऐ रसूल) तुम लोगों को अपने परवरदिगार की राह पर हिकमत और अच्छी अच्छी नसीहत के ज़रिए से बुलाओ और बहस व मुबाहिस्सा करो भी तो ऐसे तरीके से जो लोगों के नज़दीक सबसे अच्छा हो और तकज़ीब करने वालों से एअराज़ करने का हुक्म इस आयते करीमा में मौजूद है अल्लाह तआला का इर्शाद है कि :

وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

व अअरिज़ अनिल जाहिलीनः 9-7 / 199। तर्जुमा : और (ऐ रसूल) जाहिलों की तरफ से मुंह फेर लो। पस जब अल्लाह तआला ने लोगों पर हुज्जत की ताकीद कर दी और हुज्जत को तमाम कर दिया और उसके रसूल मुहम्मद मुस्तफा^{सअव} ने उन तक अल्लाह का पैग़ाम पहुँचा दिया फिर भी उनमें से कितने लोग कुफ़ व सरकशी और तकज़ीब में हद से गुज़र गए तो उस वक़्त अल्लाह तआला ने अपने रसूल की और अपने दीन की इस तरह नुसरत की कि उसने आप पर और जो आप पर ईमान लाए थे उन पर काफ़िरीन और मुकज़िबीन के साथ जिहाद करना फर्ज़ कर दिया।

अल्लाह तआला इर्शाद है कि :

كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَّكُمْ ۖ وَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ وَعَسَىٰ
 أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ

कुतिबः अलैकुमुल कितालो व हुवः कुरहुल लकुम व असा अन तकरहू
 शैअन्व व हुवः खैरुल लकुम व असा अन तुहिब्बू शैअन्व व हुवः शररुल
 लकुम 2-2/216। तर्जुमा : (मुसलामानों) तुम पर जिहाद फर्ज किया गया
 अगरचे तुम पर शाक ज़रूर है और अजब नहीं कि तुम चीज़ (जिहाद) को
 ना पसन्द करो हालांकि वो तुम्हारे हक में बेहतर हो और अजब नहीं कि तुम
 किसी चीज़ को पसन्द करो और वह तुम्हारे हक में बुरी हो। और दूसरे
 मक़ाम पर फरमाया है कि :

فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ
 وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصِدٍ ۚ فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ ۚ

फइज़न सलखल अशहुरुल हुरुमो फकतुलुल मुशरिकीनः हैसो वजदतुमुहुम
 व खुजुहुम वहसुरुहुम वकउदू लहुम कुल्लः मरसदिन फइन ताबू व
 अकामुस्सलातः व आतुज ज़कातः फखल्लु सबीलहुम 10-9/5 तर्जुमा : फिर
 जब हुरमत के (चारो) महीने गुज़र जाएं तो मुशरीकों को जहां पाओ (बिना
 देरी किए) कत्ल कर दो। और उनको गिरफ्तार कर लो। और उनको कैद
 करो और हर घात की जगह में उनकी ताक में बैठो फिर अगर वो लोग अब
 भी शिर्क से बाअज़ आएं और नमाज़ पढ़ने लगें और ज़कात दे तो उनकी राह
 छोड़ दो।

चुनांचे आंहज़रत^{स.अ.व} ने इसी फरमाने इलाही के मुताबिक़ उन
 मुशरिकीन के साथ जिहाद किया था जिन्होंने आपकी रिसालत और नबुवत
 की तकज़ीब की थी। और आपने खुदा के हुक्म से एक क़ौम के साथ एक
 मुक़रर मुद्दत तक के लिए सुलह कर लिया था ताकि उन पर हुज्जत तमाम
 हो जाए।

फिर परवरदिगारे आलम ने आपको यह हुक्म दिया कि अब उनके
 अहदो पैमान को ख़त्म कर दो और वह हुक्म इस आयत करीमा में मौजूद
 हैं अल्लाह तआला का इर्शाद है कि :

• بَرَاءَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ •

बराअतुम मिनल्लाहि व रसूलिही इलल लज़ीन: आहदत्तुम मिनल मुशरिकीन
10-9/1 तर्जुमा : ऐ मुसलमानो! जिन मुशरिकों से तुम लोगों ने सुलह का
अहदो पैमान किया था अब खुदा और उसके रसूल की तरफ से उनसे (पूरी
तरह से) बेज़ारी है।

इमाम जअफरुस्सादिक^{अ.स} से मनकूल है अमीरुल मुअमिनीन^{अ.स} से
पूछा गया कि ऐ अमीरुल मुअमिनीन^{अ.स} आपके अफज़ल तरीन मनाकिब क्या
क्या है? हज़रत अली^{अ.स.} ने फमराया कि मेरे अफज़लतरीन मनाकिब तो वही
हैं जिनके लिए मैंने कोई कारनामा अंजाम नहीं दिया है। फिर आपने अपने
बहुत से मनाकिब बयान फरमाए और उनमें से एक मनकबत यह बयान की
कि जब परवरदिगारे आलम ने अपने पैगम्बर मुहम्मद मुस्तफा^{स.अ.व} पर सूरअ:
बराअत उतारी तो आपने हज़रत अबु बक्र को सूरअ: बराअत देकर अहले
मक्का की जानिब रवाना कर दिया। जब वह निकलकर दूर चले गए तो
जिब्रईल^{अ.स} नाज़िल हुए और उन्होंने खुदा का यह पैगाम आंहज़रत^{स.अ.व} को
पहुंचाया कि ऐ मुहम्मद^{स.अ.व.} आपकी जानिब से सूरअ: बराअत अली^{अ.स} के
सिवा और कोई न पहुँचाए पस उस वक्त रसूले अकरम^{स.अ.व} ने मुझे बुलाया
और हुक्म दिया कि मैं आपके नाका—ए—अज़बा (ऊँट) पर सवार होकर
हज़रत अबू बक्र से जा मिलो और उनसे सूरअ: बराअत को वापस ले लो।
चुनांचे फरमाने रिसालत मआब^{स.अ.व} के मुताबिक मैं हज़रत अबूबक्र से रास्ते
में ही जा मिला। उस वक्त हज़रत अबू बक्र ने कहा कि क्या बात है ऐ
अली^{अ.स} तुम्ही बताओं क्या अल्लाह और रसूल की जानिब से मुझ पर कुछ
खफगी है? मैंने उनसे कहा ऐसा नहीं है बल्कि आंहज़रत^{स.अ.व} को यह हुक्म
दिया गया है कि उनकी जानिब से सूरअ: बराअत वही शख्स अहले मक्का
की तरफ लेकर जाए जो उनके खानदान से है। सादिक आले मुहम्मद^{अ.स}
फरमाते हैं कि अमीरुल मुअमिनीन^{अ.स} ने हज़रत अबु बक्र से सूरअ: बराअत को
वापस ले लिया और आप मक्का मोअज्जमा पहुँचे। ईदे कुरबान के दिन जौहर
के बाद आप सूरअ: बराअत लेकर उठे और उसको पढ़कर सुनाया कि :

• بَرَاءَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ • فَسِيحُوا فِي الْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ

बराअतुम मिनलाहि व रसूलिही इलल लज़ीन: आहदत्तुम मिनल मुशरिकीन
0 फसीहू फिल अरदि अरबअत: अशहुरिन 10-9/1-2। तर्जुमा : (ऐ

मुसलमानों) जिन मुशरिकों से तुम लोगों ने सुलह का अहदो पैमान किया था अब खुदा और उसके रसूल की तरफ से (एकदम) बेज़ारी है। (तो ऐ मुशरिको) पस तुम चार महीने चैन से रूए ज़मीन पर घुमो फिरो यानि ज़िलहिज्जा के बीस दिन और मोहर्रम, सफर रब्बिऊल अव्वल का पूरा महीना और रब्बिऊल आखिर के दस दिन तक और यह भी फरमाया कि कोई नंगा मर्द और नंगी औरत और मुशरिक व मुशरिका आज से बैतुल्लाह का तवाफ न करे। खबरदार! रसूल खुदा^{स.अ.व} के साथ सुलह का जो अहदो पैमान था अब उसकी मुददत सिर्फ चार महीने हैं इमाम जअफररुस्सादिक^{अ.स} ने बाकी हदीस बयान की थी जिसको हमने यहां मुख्तसर कर दिया है।

हज़रत अली^{अ.स} से मरवी है कि आपने फरमाया कि अल्लाह तआला के इस इर्शाद के मुताबिक हर मुसलमान पर जिहाद करना फर्ज़ है कि :

كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ

कुतिब: अलैकुमुल कितालो 2-2/216। तर्जुमा : (मुसलमानों) तुम पर जिहाद फर्ज़ किया गया है। अगर मुसलमानों का एक गिरोह मसरूफ़े जिहाद हो तो उस वक़्त तक दूसरे तमाम लोगों को जिहाद से दूर रहने का इख्तियार है जब तक कि जिहाद के रहनुमाओं को मदद की ज़रूरत न हो। और अगर मुजाहिदिन को इमदाद की ज़रूरत हो तो उस वक़्त उनकी भरपूर मदद करना हर मुसलमान का फर्ज़ है। अल्लाह तआला का इर्शाद है कि :

وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً

वमा कानल मुअमिनून: लि यनफिरु काफफतन 11-9/122 तर्जुमा : और यह भी मुनासिब नहीं कि मुअमिनीन सब के सब अपने घरों से निकल खड़े हों। अलबत्ता कोई मुहिम दरपेश आ जाए जिसमें पूरी जमाअत की ज़रूरत हो तो उसके लिए सब निकल पड़ें। जैसा कि अल्लाह तआला का इर्शाद है कि :

انْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

इन फिरु खिफाफन्व व सिकालन्व व जाहिदू बि अम्वालिकुम व अन्फुसिकुम फी सबीलिल्लाहि 10-9/41 तर्जुमा : (मुसलमानों) तुम हल्के फुल्के हो या भारी भरकम (हथियारबंद) बहरहाल जब तुमको हुक्म दिया जाए तो फौरन चल खड़े हों और अपने माल व नुफूस से खुदा की राह में जिहाद करो।

इमाम जअफरुस्सादिक^{अ.स} फरमाते है कि

خَفَافًا وَثِقَالًا

खिफाफन्व सिकालन से यह मुराद है कि नौजवान और बूढ़े जिहाद के लिए निकले और आयते करीमा :

إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَىٰ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنْ لَهُمُ الْجَنَّةَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ ۖ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْقُرْآنِ ۚ وَمَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ ۚ وَذَٰلِكَ هُوَ الْفُرُزُ الْعَظِيمُ •

इन्नल्ला—हशतरा मिनल मुअमिनीन: अन फुस:हुम व अम्वालहुम बिअन्न: लहुमुल जन्नत: युकातिलुन: फी सबीलिल्लाहि फयकतुलून: व युक्तलून वअदन अलैहि हक्कन फित तौराति वल इनजीलि वल कुरआन व मन ओफा बि अहदिही मिनल्लाहि फस्तबशिरु बि बेइकुमल लजी बा यअतुम बिही व जालिक: हुवल फोजुल अजीम 11-9/111 तर्जुमा : इसमें तो शक ही नहीं कि खुदा ने मुअमिनीन से उनकी जानें और उनके माल इस बात पर खरीद लिए हैं कि (उनकी कीमत) उनके लिए बहिश्त है। इसी वजह से यह लोग खुदा की राह में लड़ते हैं तो (कुपफार) को मारते हैं और (खुद) मारे जाते हैं। (यह) पक्का वादा है (जिसका) पूरा करना खुदा पर लाज़िम है। और ऐसा पक्का है कि तोरात और इन्जील और कुरआन (सब) में लिखा हुआ है कि अपने अहद का पूरा करने वाला खुदा से बढ़कर और कौन है तुम तो अपनी खरीद व फरोख्त से जो तुमने खुदा से की है खुशियाँ मनाओ यही बड़ी कामयाबी है के मुताल्लिक पूछा गया कि क्या इन तमाम लोगों के बारे में कहा गया है जो खुदा की राह में जिहाद करते हैं। या सिर्फ एक ही कौम से मुराद है और बाकी कौम नहीं? इमाम जअफरुस्सादिक^{अ.स.} ने फरमाया कि जब यह आयते करीमा रसूले खुदा^{स.अ.व} पर नाज़िल हुई तो उस वक्त बअज़ सहाबा ने इसके मुताल्लिक आपसे पूछा तो आपने इसका कोई जवाब न दिया लेकिन अल्लाह तआला ने यह आयत करीमा नाज़िल फरमाई :

التَّائِبُونَ الْعَبَدُونَ الْحَامِدُونَ السَّائِحُونَ الرَّاكِعُونَ السَّاجِدُونَ الْأَمْرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّاهُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَالْحَفِظُونَ لِحُدُودِ اللَّهِ ۗ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ •

अत्ताइबूनल आबिदूनल हामिदूनस साइहूनर राकिऊनस साजिदूनल आमिरूनः बिल मअरूफि वन नाहूनः अनिल मुनकरि वल हाफिजूनः लिहुदूदिल्लाहि व बश्शिरिल मुअमिनीन 11-9/112 तर्जुमा : अल्लाह तआला इसमें उन मुअमिनीन की सिफात बयान कर दी है जिनका जान और माल उसने खरीद लिया है पस जिसे जन्नत की ख्वाहिश हो तो वो खुदा की राह में मज़कूरा शराइत पर जिहाद करे। वरना वो उन लोगों में है जिनके मुताल्लिक रसूलल्लाह^{स.अ.व} ने कहा था कि खुदा अपने दीन की नुसरत ऐसे लोगों से करेगा जो मामूली हैसियत के लोग हैं।

इमाम जअफरुस्सादिक^{अ.स.} से देहातियों के बारे में पूछा गया कि क्या उन पर जिहाद फर्ज है? आपने फरमाया कि नहीं, हालांकि उस वक़्त जब इस्लाम पर कोई मुश्किल आन पड़े। खुदा की पनाह कि इस्लाम पर कोई ऐसा भी वक़्त आए जबकि वह देहातियों का मोहताज हो। और जब तक देहाती जिहाद न करें माले ग़नीमत में उनका कोई हिस्सा नहीं है।

अमीरुल मुअमिनीन^{अ.स.} से रिवायत है कि रसूले खुदा^{स.अ.व} ने फरमाया कि जो शख्स अपने दिल में बुज़दिली का ज़र्रा बराबर हिस्सा महसूस करता हो तो वो जिहाद में शरीक न हो। हज़रत अली^{अ.स.} फरमाते हैं कि बुज़दिल को लायक नहीं है कि वो जिहाद में शिरकत करे क्योंकि वह जल्द शिकस्त खाएगा। लेकिन वो जिन असबाब से जिहाद करने का इरादा रखता हो वह अपने उस साजों सामान से दुसरे मुजाहिद को आरास्ता कर दे। इस सूरत में उसको मुजाहिद का अज़्र मिलेगा इससे ज़रा भी कम न मिलेगा। आप फरमाते हैं कि जब तक गुलामों की जरूरत पेश न आए उन पर जिहाद फर्ज नहीं है और न औरतों पर जिहाद फर्ज है और न कम उम्र लोगों पर जिहाद फर्ज है।

इमाम बाकिर^{अ.स.} फरमाते हैं कि जब इमाम के पास अहले बद्र के मुजाहिदीन जितनी तादाद जमा हो जाए यानि (313) मुजाहिदीन तो उस वक़्त इमाम पर जिहाद के लिए उठ खड़े होना और निज़ामे हुकुमते वक़्त को बदल देना वाजिब है।

जिहाद में तरगीबात (प्रोत्साहन) का बयान

इमाम जअफरुस्सादिक^{अ.स.} और आपके पिदर बुर्जुगवार इमाम बाकिर^{अ.स.} और आपके आबा ए किराम और हज़रत अली^{अ.स.} से मनकूल है कि रसूले खुदा^{स.अ.व} ने फरमाया कि हर नेअमत के मुताल्लिक अल्लाह बंदे से पूछेगा सिवाय उसके जो खुदा की राह में खर्च की गई है।

इमाम जअफरुस्सादिक^{अ.स.} फरमाते हैं कि इस्लाम की बुनयाद नमाज़ पर है ज़कात इसकी शाख है और उसका शगूफा खुदा की राह में जिहाद करना है

हज़रत अमीरुल मुअमिनीन^{अ.स.} से रिवायत है कि रसूले अकरम^{स.अ.व} फरमाते हैं कि सफर करो तो मुनाफा उठाओंगे रोज़ा रखो तो तंदूरुस्त रहोंगे। जिहाद करो तो माले ग़नीमत पाओगे और हज करो तो इस्तिग़फ़ार नसीब होगा।

अमीरुल मुअमिनीन^{अ.स.} फरमाते हैं कि ईमान के चार अरकान हैं सब्र, यकीन, अदल, जिहाद। आप फरमाते हैं कि अपने हाथों से राहे खुदा में जिहाद करो। अगर ऐसा न कर सको तो अपनी ज़बानों से जिहाद करो और यह भी न कर सको तो अपने दिलों से जिहाद करो। तुम पर हर इमामे आदिल के साथ जिहाद करना फर्ज़ है क्योंकि जिहाद जन्नत के दरवाज़ों में से एक दरवाज़ा है। रसूले खुदा^{स.अ.व} का इर्शाद है कि कुरआन के हामिलीन व उरफाए अहले जन्नत है और मुजाहिदीन फी सबीलिल्लाह उनके काइदीन (रहबर) हैं और मुरसलीन अहले जन्नत के सरदार हैं। आपका यह भी इर्शाद है कि सबसे बड़ा सखी वो हैं जो खुदा की राह में अपनी जान तक को निछावर कर दे और सबसे बड़ा बख़ील (कन्ज़ूस) वो है जो सलाम करने में कन्ज़ूसी करे।

हज़रत अली^{अ.स.} से रिवायत है कि आंहुज़रत^{स.अ.व} ने फरमाया कि जब मूसा^{अ.स.} व हारून^{अ.स.} ने अपने रब को पुकारा तो अल्लाह तआला ने जवाब दिया कि मैंने तुम दोनों की दुआ कबूल कर ली। इसके अलावा जो भी मेरी राह में जिहाद करेगा मैं उसकी दुआ कबूल करूँगा जैसा कि मैंने तुम दोनों की दुआ को कबूल कर लिया है।

अमीरुल मुमिनीन^{अ.स.} से रिवायत है कि रसूले खुदा^{स.अ.व} का इर्शाद है जो शख्स किसी मुजाहिद की ग़ीबत करेगा या उसको अज़ीयत पहुँचाएगा

या उसके अहलो अकरबा में उसकी बुराई करेगा तो क़यामत के रोज़ एक निशान गाड़ा जाएगा और उसके तमाम गुनाहों को ज़ाहिर किया जाएगा फिर उसको मुंह के बल जहन्नम में डाल दिया जाएगा।

रसूले अकरम^{स.अ.व.} का इर्शाद है कि हर नेकी से बढ़कर एक नेकी है यहा तक कि नेकियां करते करते बन्दा खुदा की राह में शहीद हो जाता है और हर ना फरमानी से बढ़कर एक ना फरमानी है। यहां तक कि बन्दा ना फरमानी करते करते अपने मां या बाप को मार डालता है।

रसूले अकरम^{स.अ.व.} का इर्शाद है कि राहे खुदा में खून का जो क़तरा मुजाहिद के जिस्म से निकलता है इससे बढ़कर खुदा के नज़दीक और कोई क़तरा ज्यादा मेहबूब व पसंदीदा नहीं है या फिर वो आंसू का क़तरा जो शबे तारीक (अंधेरी रात) में ख़ौफ़े इलाही के सबब टपके।

आंहज़रत^{स.अ.व.} फरमाते हैं मेरी उम्मत का हर मुअमिन सिद्दीक़ और शहीद है। खुदा उस तलवार से जिसको चाहेगा करामात अता करेगा। इतना फरमाने के बाद आपने यह आयत तिलावत की :

وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ أُولَٰئِكَ هُمُ الصّٰدِقُونَ وَالشُّهَدَاءُ عِنْدَ رَبِّهِمْ

वल लज़ीनः आमनू बिल्लाहि व रूसुलिही उलाइकः हुमुस सिद्दीकूनः वशशोहदाओ इन्दः रब्बिहिम 27-57/19 तर्जुमा : जो लोग खुदा और उसके रसूल पर ईमान लाए यही लोग अपने परवरदिगार के नज़दीक सिद्दीकीन और शहीदों के दरजे में होंगे।

इमाम जअफरुस्सादिक^{अ.स.} फरमाते हैं कि क़यामत के रोज़ हर आंख की नींद उड़ गई होगी सिवाए उन तीन आंखों के – एक वो जो राहे खुदा में जागी है, दूसरी वो आंख जो हराम कामों पर निगाह डालने से रोकी गई है या वो आंख जो आधी रात में ख़ौफ़े इलाही की वजह से रो पड़ी थी।

इमाम बाकिर^{अ.स.} आयते करीमा :

رَضُوا بِأَنْ يَكُونُوا مَعَ الْخَوَالِفِ

रज़ु बि अन्य यकूनू मअल खवालिफि 10-9/87 के बारे में फरमाते हैं कि कुछ लोगों ने यह पसंद किया है कि वो ख्वालिफ यानि औरतों के साथ रहें।

ज़ैद इब्ने इमाम ज़ैनुल आबिदीन^{अ.स.} ने कहा कि लिबासुत तक़्वा से खुदा की राह में हथियार पोश होना मुराद है।

अमीरूल मुअमिनीन^{अ.स} फरमाते हैं कि सबसे पहले जिसने राहे खुदा में जिहाद किया वह हज़रत इब्राहीम^{अ.स} है। रूमियों ने जब उस हिस्से पर हमला किया था जहां हज़रत लूत^{अ.स} रहते थे और उनको कैद कर लिया था जब इसकी ख़बर हज़रत इब्राहीम^{अ.स} को हुई तो आप तशरीफ ले गए और उनके पंजों से हज़रत लूत को निजात दिलाई। हज़रत इब्राहीम^{अ.स} ने सबसे पहले लश्कर का अलम बनाया था।

राहे खुदा में घोड़ों को आरास्ता करने की तरगीबात का बयान

अल्लाह तआला का इर्शाद है कि ऐ मुसलमानों कुपफार के मुकाबले के वास्ते जहां तक तुमसे हो सके अपने बाजू के ज़ोर से और बंधे हुए घोड़ों से लड़ाई का सामान मुहय्या करो इससे खुदा के दुश्मनों और अपने दुश्मन पर धाक बिठा लोगे। अमीरूल मुअमिनीन^{अ.स} से रिवायत है कि रसूले खुदा^{स.अ.व} ने फरमाया कि खुदा के पास ऐसे फरिश्ते हैं जो घोड़ों के उन मालिकों पर दुरुद भेजते हैं जो उनको खुदा की राह में जिहाद करने के लिए साज़ो सामान से आरास्ता करते हैं। अमीरूल मुअमिनीन^{अ.स} फरमाते हैं कि जो शख्स खुदा की राह में जिहाद करने के लिए घोड़े की परवरिश करेगा और घोड़े पर सवार होकर निकलेगा तो उसकी घास उसका नक्शे क़दम और हर वो चीज़ जिस पर उसके पैर पड़े होंगे उन तमाम को बरोज़े क़यामत उसके मीज़ान में बतौर नेकीयों के शुमार किया जाएगा।

अमीरूल मुअमिनीन^{अ.स} से रिवायत है रसूले खुदा^{स.अ.व} ने उनसे फरमाया कि ऐ अली खुदा की राह के जिहाद के लिए जिन घोड़ों को बांधे रखा जाता है और उन पर जो कुछ खर्च किया जाता है यह वहीं नफ़का है जिसके मुताल्लिक़ खुदा ने इस आयत करीमा में इर्शाद फरमाया है कि :

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ سِرًّا وَعَلَانِيَةً

अल लज़ीन: युनफिकून: अम्वालहुम बिल-लैलि वन नहारि सिर्रव व अलानियतन 3-2/274। तर्जुमा : जो लोग रात को, दिन को, छुपा के, दिखा के, खुदा की राह में खर्च करते हैं।

अमीरुल मुअमिनीन^{अ.स} फरमाते है कि दुनिया में जिन घोड़ों पर बैठकर मुजाहिदीन ने जिहाद किया होगा वही घोड़े उनको जन्नत में मिलेंगे। आप से मनकूल है कि रसूले खुदा^{स.अ.व} ने फरमाया कि एक मर्तबा मेरा घोड़ा उस वक्त हिनहिनाया जबकि हज़रत जिब्रईल^{अ.स} मेरे पास खड़े थे। जिब्रईल^{अ.स} मुस्कुराए मैंने उनसे पूछा कि ऐ जिब्रईल^{अ.स} मुस्कुराने का क्या सबब है उन्होंने कहा कि मुझको इस वक्त मुस्कुराने से कौन सी चीज़ रोक सकती है जबकि मैं देख रहा हूँ कि मैदाने जंग में मुसलमानों के घोड़ों की आवाज़ से कुपफार के दिल धड़क रहे हैं और उनके आज्ञा लरज रहे हैं।

आप फरमाते हैं कि एक मर्तबा एक मुसलमान शख्स घोड़े पर बैठकर रसूले अकरम^{स.अ.व} के पास से होकर गुज़रा। उसने आहज़रत^{स.अ.व} को सलाम किया तो उसको रसूले खुदा^{स.अ.व} ने फरमाया कि तुम दोनो पर सलाम हो। मैंने अर्ज किया कि ऐ रसूले खुदा^{स.अ.व} क्या वो अकेला न था आपने फरमाया कि मैंने उस मुसलमान पर और उसके घोड़े दोनों पर सलाम भेजा है।

अमीरुल मुअमिनीन^{अ.स} फरमाते हैं कि रसूले खुदा^{स.अ.व} का यह इर्शाद है कि दुनिया का हर खेल-कूद बातिल है सिवाए तीरंदाजी और अपने घोड़ों को सिघाना और अपने अहलो अयाल के साथ मुलाइबत करना यह सब सुन्नत है।

अमीरुल मुमिनीन^{अ.स} से रिवायत है कि रसूले खुदा^{स.अ.व} ने फरमाया कि घोड़े की चौटी में ता-क्यामत खेरो बरकत बांधा गया है और घोड़ों के मालिकान को उनसे मदद मिलती है। उनकी गर्दन के बाल गर्मी के सामान हैं उनकी चोटियां हुस्न व जमाल हैं उनकी दुम (मोरछल) झाड़ने का सामान हैं इनमें से किसी चीज़ को भी काटने से आपने मना फरमाया है और आपने उन को खरसी (नसबन्दी) करने से भी मना किया है।

रसूले अकरम^{स.अ.व} का इर्शाद है कि घोड़ों की गर्दनों में हार पहनाओ, और उनके गलों में तान्त के तार ना बांधो। आपने घोड़ों के दरमियान मुसाबिकत की रूखसत दी है आपने घोड़ों के दरमियान खुद मुसाबिकत करवाई है और उसके लिए कुछ ओकिया चांदी मुकर्रर किया था। आप फरमाते है कि सिवाए इन तीन चीज़ों के किसी और चीज़ में मुसाबिकत जाइज़ नहीं है।

घोड़ों के दरमियान, ऊँटों के दरमियान, तीर अंदाजी के दरमियान मुसाबिकत करना जाइज़ है।

आदाबे सफर का बयान

इमाम जअफरुस्सादिक^{अ.स.} और आपके पिदर बुजुर्गवार इमाम बाकिर^{अ.स.} और आपके आबा—ए—किराम और रसूले खुदा^{स.अ.व} से मनकूल है आपने फरमाया कि अगर कोई शख्स सफर के लिए निकलता है और उसने अपने अहलो अयाल की हिफाजत के लिए दो रकाअत नमाज़ पढ़ी है तो यह किसी और को काइम मक़ाम बनने से बेहतर है वो निकलते वक़्त जो नमाज़ पढ़ता है वो पढ़ने के बाद यह दुआ करे कि परवरदिगार मैं अपनी जान माल अहलो अयाल दीन व दुनिया अख़िरत व अमानत और अपना आख़िरी अमल तेरे हवाले करता हूँ। अगर कोई मुमिन ऐसा करेगा तो खुदा उसकी हर मुराद को पूरी करेगा।

इमाम जअफरुस्सादिक^{अ.स.} फरमाते हैं कि मेरे पिदर बुजुर्गवार इमाम बाकिर^{अ.स.} के पास आपके असहाब में से एक शख्स विदा होने के लिए आया था क्योंकि वो सफर पर जा रहा था। उस शख्स से आपने फरमाया कि मेरे पिदर बुजुर्गवार इमाम जैनुलआबिदीन^{अ.स.} जब कभी अपनी जायदाद की देख—भाल के लिए जाने का इरादा फरमाते तो आप जिस क़द्र मुमकिन होता सदका करते और उससे आप खुदा से अपनी सलामती खरीदते। आप यह उस वक़्त करते जब अपना पैर रिकाब में रखते और जब सफर से ब—ख़ैरियत लौट आते तो खुदा का शुक्र अदा करते और जो भी बनता सदका करते। इतना फरमाने के बाद आपने उस शख्स को विदा कर दिया और वह शख्स सफर पर चला गया लेकिन आपकी नसीहत पर उसने अमल न किया और वह रास्ते में हलाक हो गया। जब यह ख़बर इमाम बाकिर^{अ.स.} को हुई तो आपने फरमाया कि उस शख्स को नसीहत तो की गई लेकिन ए काश! उसने नसीहत पर अमल भी किया होता।

एक मर्तबा अमीरुल मुअमिनीन^{अ.स.} ने जब सफर का क़स्द फरमाया तो आपने घोड़े पर बराबर बैठ जाने के बाद यह दुआ पढ़ी :

الْحَمْدُ لِلَّهِ سُبْحَانَ اللَّهِ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ

अलहम्दो लिल्लाहि सुब्हानल्लाहिल लज़ी सख़्खरः लना हाज़ा वमा कुन्ना लहू मुकरिनीनः व इन्ना इला रब्बिना ल—मुनक़लिबून्। इसके बाद तीन मर्तबा

आपने सूरअः फातेहा पढ़ा फिर तीन मर्तबा अल्लाहो अकबर कहा फिर यह दुआ पढ़ी :

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِرْ لِي إِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ

सुब्हानकः अल्लाहुम्मः इन्नी ज़लमतो नफसी फगफिरली इन्नहु ला यगफिरुज़ जुनूबः इल्ला अन्तः उसके बाद आप हंसे जब आपसे पूछा गया कि ए अमीरुल मुअमिनीन^{अ.स} आपके हंसने का सबब क्या है तो आपने फरमाया कि मैंने रसूले खुदा^{स अ व} को इसी तरह नमाज़ पढ़ने के बाद हंसते हुए देखा था। जब मैंने पूछा कि ए पैगम्बरे खुदा^{स.अ.व.} आपके हंसने का सबब क्या है तो आंहज़रत^{स.अ.व} ने फरमाया कि जब बन्दा खुदा से कहता है कि परवरदिगार तू मुझे माफ कर दे तो उसको बन्दे के उस कौल पर तअज्जुब होता है कि उसका बन्दा यह जानते हुए कहता है कि उसके सिवा कोई और उसके गुनाह को माफ करने वाला नहीं है।

हज़रत अली^{अ.स.} फरमाते हैं कि यह सफर की सुन्नत है कि जब कुछ लोग मिल कर सफर करते हों तो उनको अपना अपना सफर खर्च निकाल लेना चाहिए और फिर उसको इकट्ठा करके एक साथ खर्च करना चाहिए। क्योंकि इससे हर एक को सहूलियत और खुशी हासिल होगी और आपस में सलाह व सफाई भी रहेगी। इमाम जअफरुस्सादिक^{अ.स} से मनकूल है आपने फरमाया कि मुरव्वतें दो किस्म की है हज़र (घर) की मुरव्वत और सफर की मुरव्वत। पस हज़र की मुरव्वत तिलावते कुरआन और मस्जिदों में नमाज़ के लिए हाज़िर होना और नेको की दोस्ती और इल्मे फिकह में गौर करना है और सफर की मुरव्वत ज़ादे राह में खर्च करना है और उन रुफ़काए (हमसफर) सफर के ख़िलाफ कुछ भी न बोलना जो सफर से जब अलग हो चुके है।

हज़रत अली^{अ.स} से मरवी है कि आप ग़ज़वा—ए—तबूक के मौके पर आंहज़रत^{स.अ.व} को कुछ दूर तक पहुँचाने गए थे और आपने ग़ज़वा ए तबूक में इसलिए शरीक न हो सके थे कि आंहज़रत^{स अ व} ने उनको मदीने में अपना कायम मक़ाम बनाया था। और जब आंहज़रत^{स.अ.व} ग़ज़वा—ए—तबूक से वापस हुए तो आप खुद आंहज़रत^{स.अ.व} के इस्तिक्बाल के लिए नहीं गये थे।

अमीरुल मुमिनीन^{अ.स.} से रिवायत है कि जब सफर पर तशरीफ ले जाते थे तो यह दुआ पढ़ते थे :

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ، وَرَسُولُهُ، الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا
 لِلْإِسْلَامِ وَجَعَلَنَا مِنْ خَيْرِ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرْنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ،
 مُقْرِنِينَ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ وَعْثَاءِ السَّفَرِ وَكَآبَةِ الْمُنْقَلَبِ وَسُوءِ الْمُنْطَرِ فِي
 الْأَهْلِ وَالْمَالِ وَالْوَلَدِ اللَّهُمَّ أَنْتَ الصَّاحِبُ فِي السَّفَرِ وَالْخَلِيفَةُ فِي الْأَهْلِ الْمُسْتَعَانُ
 عَلَى الْأَمْرِ أَطْوَرُ لَنَا الْبَعِيدَ وَسَهْلٌ لَنَا الْخَرُونَ وَكَفْنَا أَلْمَهُمْ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

अशहदो अन ला इलाहः इल्लल्लाहो वहदहू व अशहदो अन्नः मोहम्मदन
 अब्दहु व रसूलुहु अलहम्दो लिल्लाहिल लजी हदाना लिल इस्लामि व
 जअलना मिन खैरि उम्मातिन उखरिजत लिननासि सुब्हानल लजी सख्खरः
 लना हाजा वमा कुन्ना लहू मुकरिनीन अल्लाहुम्मः इन्नी अऊजो बिकः मिन
 वअशाइस सफरि व काबतिल मुन्कलबि व सूइल मनजरि फिल अहलि वल
 मालि वल वलदि अल्लाहुम्मः अन्तस सहिबो फिस सफरि वल खलीफतो
 फिल अहलिल मुस्तआनो अलल अमरि अतवि लना अल बईदः वस सहहिल
 लनल खरूनतः व आकिफःना अल मुहिम्मः इन्नकः अला कुल्ले शैइन कदीर।

अमीरुल मुअमिनीन^{अ.स.} से रिवायत है कि आहज़रत^{स.अ.व} ने बोझा
 ढोने वाले और सवारी के जानवरों पर उनकी ताकत से ज़्यादा सामान
 लादने से मना फरमाया है। आहज़रत^{स.अ.व} ने फरमाया कि सवारी और बोझा
 ढोने के जानवरों की पीठ को कुरसियां न बनाओ क्योंकि सवारी के अकसर
 जानवर बअज़ औकात अपने सवार से ज़्यादा अच्छे होते हैं और सवार से
 वही ज़्यादा अल्लाह के मुतीअ व फरमांबरदार होते हैं और सवार से कहीं
 ज़्यादा खुदा के ज़िक्र में मशगूल रहते हैं। एक मर्तबा आपने एक बोझा ढोने
 वाले जानवर को देखा जिस पर बहुत ज़्यादा बोझ लादा गया था। आपने
 फरमाया कि इस जानवर का मालिक कहां है जब तलाश किया गया तो वो
 न मिला आपने फरमाया कि उसको यह हुक्म सुना दो कि वह क़यामत के
 दिन इस जानवर के साथ खुसुमत के लिए तैयार हो जाए।

हज़रत अली^{अ.स.} से रिवायत है कि आहज़रत^{स.अ.व} ने फरमाया है कि
 जानवरों के मालिकों पर अपने जानवरों के लिए यह छः बातें फर्ज़ है।

1) सवार जब अपनी सवारी से उतरे तो फौरन चारा खिलाए 2) जब पानी के पास से गुज़र हो तो पानी पिलाए 3) और जानवरों को हक़ बात पर मारे 4) ताक़त से ज्यादा बोझ न लादे 5) और ताक़त से ज्यादा जानवर को न चलाए 6) और उसके ऊपर बिला जरूरत बैठा न करे।

इमाम जअफरुस्सादिक^{अ.स.} से जानवरों को आग से दागने की बाबत पूछा गया तो आपने फरमाया कि अगर निशानी के लिए दागा जाए तो कोई हर्ज नहीं है लेकिन आपने जानवरों के मुंह पर दागने से मना फरमाया है। आपसे मरवी है कि एक मर्तबा आंहज़रत^{स.अ.व} ने एक शख्स को अपने ऊँट पर लाअनत भेजते हुए सुना तो आपने उससे फरमाया कि तू लौट जा और हमारे साथ मलऊन ऊँट पर न चल और अमीरूल मुअमिनीन^{अ.स.} जानवरों को गालियाँ देना ना पसन्द करते थे।

हज़रत अली^{अ.स.} से मरवी है कि एक मर्तबा आपने फरमाया कि कसम है उस खुदा की जिसने मुहम्मद रसूलल्लाह^{स.अ.व.} को नबी बनाकर मबऊस किया है और रसूले अकरम^{स.अ.व} के ज़रिए आपके अहले बैत को इज़्ज़त बख़्शी है तुम लोग दुनिया की ज़िन्दगी में जिन बातों से दो चार हुए हो वो सब कुरआने हकीम में मौजूद है। पस इस बारे में आज जो शख्स चाहे मुझसे पूछ सकता है उस वक़्त एक शख्स उठा और कहने लगा कि ऐ अमीरूल मुअमिनीन^{अ.स.} मेरा सवारी का जानवर बड़ा ही अड़ियल हो गया है मैं उससे बहुत ख़ौफ़ज़दा रहा करता हूँ। आपने फरमाया कि उसके दाहिने कान में इस आयत को पढ़ो :

وَلَهُ اسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ •

व लहू असलमः मन फिस समावाति वल अरदि तोअन व करहन व इलैहि युरजऊन 3-3/83 चुनांचा उसने जब इस पर अमल किया तो उसका जानवर बिल्कुल मुतीअ हो गया।

अमीरूल मुअमिनीन^{अ.स.} से मरवी है कि आंहज़रत^{स.अ.व} ने दुश्मनों की तरह कुरआन लेकर सफर करने से इस ख़ौफ़ से मना फरमाया है कि कुरआन मुशरिकीन के हाथ मे न पहुँच जाए। और आपने तन्हा सफर करने से मना फरमाया है। आपने फरमाया है कि तन्हा शख्स एक शैतान है और दो शख्स हो तो दो शैतान है और तीन हमसफर हो तो यह एक जमाअत है आपने फरमाया है कि वो शख्स जो जानवर पर सवार है पैदल चलने वाले

से ज्यादा हकदार है कि वह रास्ते के बीच से चले और नंगे पांव वाला जूता पहनकर चलने वाले से ज्यादा हकदार है कि वह रास्ते के बीच से चले।

अमीरुल मुअमिनीन^{अ.स.} से रिवायत है आप फरमाते हैं कि एक मर्तबा हम लोग आंहज़रत^{स.अ.व} के साथ एक गज़वा में थे जब लोगों की भीड़-भाड़ से रास्ता तंग हो गया तो आंहज़रत^{स.अ.व} ने एक मुनादी को इस बात के ऐलान करने का हुक्म दिया कि जो शख्स रास्ता तंग करेगा उसका जिहाद मकबूल न होगा।

अमीरुल मुअमिनीन^{अ.स.} फरमाते हैं कि आंहज़रत^{स.अ.व} ने फरमाया है कि अल्लाह तआला नरमी को पसन्द करता है और इस राह में लोगों की मदद करता है पस जब तुम इन गूंगे जानवरों पर सवारी करो और बे आबो गया बंजर जमीन से तुम्हारा गुज़र हो तो उस वक़्त तेज रफ्तारी के साथ गुज़र जाओ ताकि तुम इस ज़मीन से इस हालत में निकल जाओ कि जानवर कवी हो कमज़ोर न हो और अगर सरसब्ज ज़मीन पर गुज़र हो तो वहां मंजिलों पर उतर जाओ और रात में चला करो क्योंकि दिन से ज्यादा रात में मंजिलें तय होती हैं। रास्तों के पुश्त को अपनी मंजिल न बनाओ क्योंकि वहाँ दरिंदे व साँप रहते हैं।

अमीरुल मुअमिनीन^{अ.स.} से मरवी है आपने फरमाया कि एक मर्तबा हम लोग आंहज़रत^{स.अ.व} के साथ एक गज़वा में शरीक थे। सफर इतना दराज़ हो गया कि पैदल चलने वाले थक कर चूर हो गए पस वो लोग एक दिन सफ बस्ता होकर खड़े हो गए। जब आपका वहाँ से गुज़र हुआ तो उन लोगों ने आंहज़रत^{स.अ.व} की ख़िदमत क अर्ज़ किया कि ऐ रसूले खुदा^{स.अ.व} सफर बहुत तवील हो गया है और हमको बहुत मशक्कतें पहुँच चुकी हैं और हम अब पैदल चलन से आजिज़ और परेशान हो चुके हैं। उस वक़्त आंहज़रत^{स.अ.व} ने उनके हक में दुआ—ए—खैर फरमाई और उनको सवाब की तरगीब दी और उनसे फरमाया कि तुम लोग जल्दी—जल्दी क़दम उठाकर चलो इससे तुम्हारी अकसर तकलीफें दफा हो जायेंगी। चुनाचे उन लोगों ने इस पर जब अमल किय तो उनकी बहुत सी तकालीफ दूर हो गई।

अमीरुल मुअमिनीन^{अ.स.} से मरवी है कि आंहज़रत^{स.अ.व} ने फरमाया है कि अमीरे कौम को सबसे सुस्त रफ्तार घोड़े पर सवार होना चाहिए ताकि कमज़ोर लोग उसके हम रिकाब होकर चल सकें।

इमाम हुसैन^{अ.स.} से मनकूल है कि रसूले खुदा^{स.अ.व.} ने फरमाया है कि मेरी उम्मत के लोग जब किशती में सवार होते वक़्त

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ
الْقِيَامَةِ وَالسَّمَوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا
وَمُرْسَاهَا إِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ رَحِيمٌ

बिस्मिल्लहि र्हमानी र्हीम वमा कदरुल्लाहः हक्कः कदरिही वल अरदो
जमीअन कब्जतुहू यौमल कियामति वस समावातो मतविय्यातुन बि—यमीनिही
सुब्हानहु व तआला अम्मा युशरिकुन बिस्मिल्लाह मजरिहा व मुरसाहा इन्नः
रब्बी ल गफूरुर रहीम पढ़ते हैं तो गर्क होने से महफूज रहते हैं।

अमीरुल मुअमिनीन^{अ.स.} फरमाते है कि अगर कोई शख्स किशती से
सवार हो तो :

بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا ط إِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ رَحِيمٌ •

बिस्मिल्लाहि मजरिहा व मुरसाहा इन्नः रब्बी ल—गफूरुर रहीम और इसके
बाद

اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي مَرْكَبِنَا وَ أَحْسِنْ سَيْرَنَا وَ عَافِنَا مِنْ شَرِّ بَحْرِنَا
अल्लाहुम्मः बारिक लना फी मरकबिना व अहसिन सेरना व अफिना मिन
शर्रि बहरिना पढ़ें।

साहिबाने अम्र के हुक्क और उनके फराइज का बयान

अल्लाह तआला का इर्शाद है कि :

أَطِيعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ

अतीउल्लाहः व अतीउरसूलः व उलिल अमरि मिनकुम तर्जुमा : इताअत
करो अल्लाह की और उसके रसूल (मुहम्मद मुस्तफा^{स.अ.व.}) की और तुममें से
जो साहिबाने अम्र है उनकी इताअत करो। पस इस आयते करीमा में उलुल
अम्र (साहिबाने अम्र) से वो अइम्मा ताहिरीन^{अ.स.} मुराद है जिनके कब्जे में दीन
के तमाम उमूर होते हैं और वो साहिबाने अम्र में से हैं जिसको अइम्मा
ताहिरीन^{अ.स.} ने अमीर मुकर्रर फरमाया है। पस उसकी इताअत भी उन्हीं की

इताअत की तरह उस वक्त तक वाजिब है जब तक कि वह खुद अइम्मा ताहिरीन^{अ.स.} की इताअत पर लाजिम हो अगर वो मुर्करर किया हुआ अमीर ताहिरीन का बागी और आसी (गुनाहगार) हो जाए तो उसकी बिल्कुल इताअत न करनी चाहिए और अगर वो उन लोगों की जिन पर इसको अमीर मुर्करर किया गया है खुदा की किताब कुरआन पाक और अइम्मा ताहिरीन^{अ.स.} के हुक्म के खिलाफ दाअवत करे तो ऐसे दाई की इताअत वाजिब नहीं है।

हज़रत अली^{अ.स.} से मनकूल है आपने फरमाया कि एक मर्तबा आंहज़रत^{स.अ.व.} ने एक मुहिम पर एक लश्कर रवाना किया और अनसार में से एक शख्स को लश्कर का अमीर बना दिया और लोगों को उसकी इताअत का हुक्म फरमाया। एक दिन का ज़िक्र है कि वह लश्कर के लोगों पर गज़बनाक हो गया उनसे कहने लगा कि क्या रसूले खुदा^{स.अ.व.} ने तुम लोगों को मेरी इताअत करने का हुक्म नहीं फरमाया? लोगों ने कहा कि हाँ। उसने कहा कि पस मैं तुमको हुक्म देता हूँ कि जाओ मेरे लिए लकड़ियां जमा करो। पस जब वो लकड़ियां जमा कर चुके तो उस अमीर ने कहा कि उसमें आग लगा दो उन्होंने उसमें आग लगा दी फिर उनसे कहा कि तुम लोग आग में कूद जाओ उन्होंने उसका इरादा ही किया था कि वो बाहम एक—दूसरे को पकड़ने लगे और कहने लगे कि हम लोगों ने तो दोज़ख की आग से ही बचने के लिए तो रसूले खुदा^{स.अ.व.} का दामन पकड़ा था चुनाचे वो इसी गुप्तगु में मसरूफ थे कि आग ठंडी हो गई और अमीर का गुस्सा भी ठंडा हो गया। जब इसकी ख़बर रसूले अकरम^{स.अ.व.} को पहुँची तो आपने फरमाया कि अगर वो उस आग में कूद जाते तो ता—क़यामत इससे बाहर न निकलते। इताअत तो फक़त नेकी के काम में वाजिब है।

हज़रत अली^{अ.स.} से मरवी है आपने फरमाया कि मख़लूक के जिस हुक्म की इताअत से खालिफ़ की ना—फरमानी होती हो तो ऐसे हुक्म की इताअत न करनी चाहिए।

अमीरे क़ौम को खुद अपने नफ्स का जायज़ा लेना चाहिए इस सिलसिले में जो वाजिबात है उसका बयान

ऐ वो इंसान जो बादशाह भी है और ममलूक (गुलाम) भी है याद कर कि तू पहले किस हाल में था और आज तू क्या हो गया है। ऐ शख्स (अमीर)

तू उस चीज़ को अपने नफ्स के लिए गिरहबांध ले जो दाइमी है और अहदे माज़ी (पहले) को अहदे मुस्तक़बिल (आने वाले कल) के लिए दलील बना और सबसे पहले तू खुद अपनी जान को नसीहत कर और तू अपने ख़ास-ख़ास मामलात में और तुझ पर क्या-क्या फ़राइज़ आयद होते हैं और तेरे क्या-क्या हुकूक हैं उन तमाम पर ग़ौरो-फ़िक्र कर। पस याद रख कि खुदा वन्दे तआला के नज़दीक बन्दे को क्या अज़्र व सवाब मिलेंगे उसका पता बन्दे के अपने आमाल से ज़्यादा कोई और चीज़ नहीं बता सकती है और लोगों के दिलों में इसकी क्या क़द्र व मंजिलत है उसका भी पता उसके आसार ही बताते हैं। पस तू अपने ख़ास-ख़ास मामलात और अपने नफ्स के बारे में खुदा का ख़ौफ़ रख और तुझ पर खुदा वन्दे तआला ने जो फ़राइज़ आयद किए हैं इस सिलसिले में खुदा को निगराँ समझ और ख़ाकसारी के साथ खुदा की इबादत कर क्योंकि उसने तुझको बुलन्द किया है और इसके लिए भी कि इन्क़िसारी और तवाज़ोअ उबूदियत की ख़ासियत है और किबर (बड़प्पन) व गुरुर रबूबियत की खुसुसियत हैं और याद रख किसी ऐसे "मक़ाम" की तलब जो तेरा हक़ नहीं है तुझे मियाना रवी (दरमियानी चाल) से हटा न दे और याद रख कि खुदा की वो नेअमतेँ जो उसने तुझको बख़्शी हैं कही वह तुझको खुदा के हुकूक की ताअज़ीम से गाफ़िल और आपे से बाहर न कर दे। खुदा वन्दे तआला का हक़ तुझ पर अज़मत के एतबार से बे इन्तिहा है और याद रख यह न समझने लगना कि इस वक़्त परवरदिगारे आलम ने तुझको जो इज़्ज़त व करामत बख़्शी है उससे तुम पर खुदा के हुकूक व फ़राइज़ कुछ साक़ित हो गए हैं और मजीद-बरआं तुम इस बात के मुस्तहक़ हो गए हो कि तुमसे इबादत के दुश्वार काम का बोझ उतार दिया जाए और फिर तुम शहवतों और ख़्वाहिशाते नफ़्सानी के दरिया में ग़र्क़ हो जाओ। पस तुम यकीन रखो कि अगर तुमने ऐसा किया तो तुम्हारे दिल पर मेल ज़म जाएगा और जो आमाल तू कर चुका है उनका अंजाम बुरा होगा। पस तू अपनी क़द्र व मंजिलत को पहचान और अपने नताइज़ को अच्छी तरह से याद कर और अपने दिल को नताइज़ पर ग़ौरो फ़िक्र का आदी बना क्योंकि जो शख़्स जिस चीज़ की फ़िक्र में लगा रहेगा वह उसको अकसर याद करेगा और जो कुछ तुम करते हो उसमें खूब ग़ौरो फ़िक्र से काम लो और जो तुम्हारे शरीकेकार हैं उनकी बाबत भी ख़ुब ग़ौरो फ़िक्र करो और याद रखो कि तुम ग़ायत दरजे में अपने किसी ज़िन्दा शख़्स की मौत से निकल जाने वाले नहीं हो। क्योंकि क़बाहत की घड़ी तुम्हारे पीछे-पीछे

आ रही है और वह चीज जिससे तुम अपने फराइज़ अदा करते हो तुमसे ज़रा भी तुम्हारी इन लिज़्जतों को क़तअ करने वाली नहीं है तो तुम्हारे लिए हलाल है हालांकि तुम मियांना रवी को छोड़कर उन बे-नफ़ा बेकार बातों की जानिब माइल हो जाओ कि जिनसे तुमको सिर्फ़ नुक़सान ही पहुंचने वाला है और तुम अपने सर पर ऐसा बोझ उठा लो जिसमें सिर्फ़ तुम्हारी आंखों को ही हज़ मिलने वाला है और उसके पीछे तुम्हारे सिवा किसी और के लिए भी कोई फ़ायदा नहीं है।

जब सूरते हाल यह है तो तुमको चाहिए कि ऐसी चीज़ की तमन्ना और ख्वाहिश कम करो और उसके नतीजे से बेइतिहा डरो।

अमीरे लश्कर को हिदायत और इब्रत दिलाना उन लोगों के ज़िक्र से जो उनसे पहले गुज़र चुके हैं।

गौर कर ऐ इंसान जो बादशाह बनाया गया है और ममलूक भी है यादकर कहां है तेरे बाप-दादा और कहां है वो बादशाह और उनके शहज़ादे जो तुम्हारे दुश्मनों में से थे और जब से यह दुनिया वुजुद में आई है उस वक़्त से उसको खाते रहे हैं पस तू भी वही खाता है जिसकी तरफ़ वो इशारा कर गए हैं और तू भी वही निज़ाम चलाता है जो वो चलाकर गए हैं और भला सोच तो कि कहां हैं वो खज़ाने जिनको उन्होंने जमा किया था और कहां हैं उनके वो अजसाम जिनको वह बड़ी राहत पहुंचाते थे और कहां हैं उनके वो शहज़ादे जिनको वह इज़्ज़त व करामत देते थे क्या तुमको उस वक़्त उनकी बराए नाम भी कोई नस्ल नज़र आती है और उनमें से कोई गुमनाम शख्स मौजूद है। पस खुदा के जिन एहसानात की उम्मीद करते थे अगर उसने तुम पर कुछ एहसान किए हैं तो उनको याद करो और नसीब पर हरगिज़ तुम्हारी नफ्सानियत ग़ालिब न होने पाए और याद रखना तुम्हारे अपने शहज़ादों पर नरमी और शफ़क्क़त कहीं तुमको उनके लिए माल व दौलत जमा करने पर आमादा न कर दे और वो माल व दौलत खुदा के उस फैसले के दरमियान हाइल हो जाएं जो उसने उनके ख़िलाफ़ फैसले किए हैं और उस फैसले को नाफिज़ करने का इरादा भी कर चुका है अगर तुमने ऐसा किया तो तुम अपनी जान को दूसरों के मामलात में पड़ कर हलाक

करोगे और तुम अपनी जान को उस शख्स के ऐश व आराम पहुँचाने के लिए मशक्कत में डालोगे जो तुम्हारा कुछ भी ख्याल नहीं करता और ना तुम्हारे दुख व दर्द का उसको एहसास है और तुम मौत और उसकी अचानक आने वाली मुसीबत को याद करो और तुम मौत के जल्द नाज़िल होने से अपने को महफूज़ न समझो और दुनिया के ज़वाल को ख़ूब याद करो और इनक़िलाबे ज़माना को याद करो और तुमने अपने साथ और दूसरों के साथ दुनिया के बदलते हुए रंग को देखा है उसको याद करो।

इसमें शक नहीं कि तुम आम इन्सान में से बिल्कुल नए नहीं हो पस तुम बादशाहों की बढ़ाई और गुरुर और हुदूदे सलतनत के उनके ज़ब्र व तशहूद और अपनी प्रजा पर उनके घमंड को ऐब समझते थे और तुम शानो शौकत की तरफ बादशाहों के दौड़कर जाने को और उनके मालिक सज़ाओ को और दर गुज़र और रहमोकरम की राह छोड़ देने को और उनके मालिक बनने और ग़लबा पाने की बुरी राह को और मातहतों के साथ जुल्म व जोर से पेश आने को और अपने अंजाम के बारे में कम ग़ौरो फ़िक्र करने को उनकी मौत से तवील ग़फलत को और शहवतों में ख़ूब रग़बत रखने को और नेकियों को कम याद रखने को और अल्लाह तआला के इत्कि़ाम की बाबत कम ग़ौरो फ़िक्र करने को और इबरतो से कम फायदा उठाने को और तग़य्युरात के लिए अमन व चैन में अरसे तक रहने को और उनके सरो पर गुज़रते हुए हालात से कम नसीहत पकड़ने को और उनके सिर्फ़ वसूल करते ही रहने की ख्वाहिश और जो दूसरों को देना वाजिब है उसको कम देने की ख्वाहिश को और कमज़ोरों पर अरसा दराज तक सख्तियाँ करने को और उनकी यह ख्वाहिश कि दूसरे ईसार (बर्दाश्त) करते रहे और वह खुद नज़राने ले और इसरार पर लाज़िम रहे और जिस काम के लिए वो पैदा किए गए हैं उससे उनके गा़फ़िल रहने को और जो कुछ अमल कर चुके हैं उसको मामूली समझने को और जो फ़राइज़ उन पर आयद किए गए थे उनको जाया कर देने को तुम बादशाहों का ऐब समझते थे। क्या बादशाहों के खिलाफ़ तुम्हारी यह सब ऐब जोई बर—बिनाए नसीहत थी और तुम उनके उन तमाम अफ़आल को कबीह समझते थे? या उनके ऐशो आराम को देखकर तुम उनसे रश्क व हसद की वजह से ऐब निकालते थे पस अगर तुमने बर—बिनाए नसीहत उनके आमाल व अफ़आल को ऐब समझा था तो आज तुम खुद इस बात के ज़्यादा मुस्तहिक़ हो कि अपनी जान को नसीहत करो और अगर रश्क व हसद की वजह से तुम बादशाहों की ऐब—जोई करते

थे तो तुम्ही बताओ कि क्या तुम्हारे पास खुदा की कुदरत व महानता से बचने के लिए कोई अमान का सामान है या तुम्हारे पास खुदा के अज़ाब से बचने का कोई और जरिया है या फिर तुम खुदा की नेअमतों की वजह से अब उसकी रज़ा जोई से मुस्तग़नी और बेनियाज हो चुके हो। या खुदा वन्दे तआला ने तुमको जिस करामत और इज़्ज़त से नवाज़ा है उसकी वजह से तुम खुदा की नाराज़गी में इज़ाफा करने पर और उसकी ना फरमानी पर हाज़िर रहने के लिए ताक़तवर बन गए हो या फिर तुम्हारे लिए भाग कर जाने की कोई ऐसी जगह है जहाँ तुम खुदा के अज़ाब से महफूज़ हो गए। या अल्लाह तआला के सिवा तुम्हारा कोई और परवरदिगार है जिसके पास तुम जाकर पनाह हासिल करोगे या तुमको खुदा के अज़ाब पर सब्र करने की कुव्वत हासिल है या दुनिया के घेरों में से तुमको किसी ऐसे घेरे की उम्मीद है जो तुमको खुदा की कुदरत से बाहर निकाल के किसी और की कुदरत के सुपुर्द कर दे पस तुम अपनी जान के लिए इन तमाम उमूर में अच्छी तरह से गौरो फिक्र कर लो और उसमें अपनी अक्ल और कुव्वत, फिक्र को काम में लाओ और इस बात को अपने दिल के सामने बार-बार लाओ और तुम अच्छी तरह से जान लो कि जैसे तुम दूसरों के हाल पर नज़र रखते हो वैसे ही लोग तुम्हारे हाल पर भी नज़र रखते हैं और जिस तरह से तुम दूसरों के मुताल्लिक बोलते हो वैसे ही वो तुम्हारे मुताल्लिक भी कहते हैं ज़रा देखो तो कहां है बादशाह? और कहां है जमा किए हुए वो साज़ो सामान जिनकी बदौलत उनमें ऐब निकाले गए थे और उनके बारे में जो जो बातें की गई थी? ज़रा सोचो तो कि वो अपने साज़ो सामान में से अपने साथ क्या-क्या ले गए और अपने बाद आने वालों के लिए क्या क्या छोड़ गए? तुम अपने हाल और अपने हममिसल गुज़िश्ता लोगों के हाल पर गौर करो और तुमने और उन लोगों ने जो कुछ जमा किया था उस पर भी गौर करो क्या उनमें से कोई भी अपना वह खज़ाना बाकी रख सका जब उसको छीन लेने का खुदा ने इरादा कर लिया था और क्या तुम जब बेखज़ाना थे तो खुदा ने जब उस बादशाहत को तुम्हारे हवाले करने का इरादा किया तो किसी आज़ार (बीमारी) में मुबतिला हो गए? पस तुम यह न समझो कि यह खज़ाने तुमको फायदा देंगे। इन खज़ानों पर आज भी भरोसा न करो और कल के लिए इनसे किसी नफा की उम्मीद न रखो बल्कि तुम दूसरी तमाम चीज़ों से ज़्यादा उन खज़ानों से डरो और अपने नज़दीक उनके अन्जाम को बहुत ज़्यादा वेहशत-नाक तसव्वुर करो। तुम नफा और फायदे

के ऐतबार से अच्छे आमाल करो अपने नज़दीक ज़्यादा महबूब और ज़्यादा काबिल ख़त्म ना होने वाला ख़ज़ाना समझो और उम्दा आसार को गिरह बांध लो पस बिला शुब्हा अगर तुम नेक आमाल में अपनी नफ्सानियत को काम में लाओगे ओर दूसरी बातों से अपनी नफ्सानी ख़्वाहिश का रूख़ मोड़ दोगे तो तुम्हारा रंजोगम कम हो जाएगा और फिर तुम एशो आराम के साथ बेफ़िक़्र खुशगवार ज़िंदगी गुज़ारोगे और माल व दौलत जमा करने वाले जितना अपने ज़ख़ीरे से खुश होते हैं उससे कहीं ज़्यादा तुम अपने नेक आमाल और जोहद व तक्वा को अफज़ल तरीन बाइसे मसरत और आंखों की ठंडक समझो और याद रखो तुम ज़ख़ीरा अन्दोज़ी (जमाखोरी) और खर्च करने में मयाना रवी इख़्तियार करो और तुम हराम माल व दौलत को बहुत ज़्यादा जमा करके उसे कुव्वत न समझो और नाहक बख़्शिशों की तक्सीम को सख़ावत न समझो। क्योंकि यह दोनो एक दूसरे को मिटा देंगे अलबत्ता कुव्वत और सख़ावत तो यह है कि तुम अपनी नफ्सानी ख़्वाहिश पर काबू रखो। और तुम्हारे लिए जो कुछ हलाल है उसको लेने में बुख़्ल से काम लो और तुम पर जो वाजिब है उसकी सख़ावत करो उस राह में अपने इल्म से फायदा उठाओ और अपने ग़ैरो के जो हालात तुमने अपनी आंखों से देखे हैं उनसे इबरत और नसीहत पकड़ो और हर अम्र को नाफिज़ (जारी) करते वक़्त उस आमिल की तरह अपने नफ्स के साथ खुसूमत (काबू) करो जो हक़ के लिए जद्दो-जहद करता है और अल्लाह के लिए और लोगों के लिए इन्साफ़ करते वक़्त अपनी जान के साथ मुरव्वत और कोई लिहाज़ नहीं करता और जहां कोई बहाना न हो वहा ख़्वाहमो ख़्वाह अपनी जान के लिए कोई अज़्र तलाश नहीं करता और हलाकत के जाल में फंसने के लिए अपनी नफ्सानी ख़्वाहिश की पैरवी नहीं करता अगरचे इसमें कोई शक नहीं है कि नफ्सानियत का फौरी नतीजा बड़ा लज़ीज़ होता है मगर बाद में इसका अंजाम ख़तरनाक और तकलीफदेह होता है।

साहिबाने अम्र को अपनी रिआया और अपनी जानों के साथ अदलो इंसाफ से पेश आने का हुक्म और इसका बयान

अपनी रइय्यत (रिआया का बहूवचन) के साथ अपने दिल को रेहमत और मुहब्बत और हुस्ने सुलुक से पेश आने का शऊर दिलाओं उनके साथ दरिंदों जैसा सुलुक न करो और अपनी रिआया की छोटी-छोटी भूल को गनीमत समझो क्योंकि यह लोग निसबतन तुम्हारे भाई हैं और मख़लूक होने के एतबार से तुम्हारे हम शक़ल हैं रिआया से बेशुमार गलतियाँ होती हैं और असबाब व जवाबदारी भी उतने ही उनके सामने आते हैं और क़सद व इरादा और ख़ता में उनके हाथ चल पड़ते हैं पस तुम उनको इसी तरह माफ़ कर दो जैसा कि तुम यह चाहते हो कि जो ज़ात तुम्हारे और तुम्हारी रिआया के सिर पर है वह तुमकों माफ़ कर दे अल्लाह तआला ने उनके ज़रीए तुमको आजमाया है और तुमको उनके उमूर का मालिक बनाया है और खुदा ने तुमको अदल व मुहब्बत और दरगुज़र की जो मअरिफ़त अता की है वह तुम पर खुदा की हुज्जत के तौर पर है। पस तुम हरगिज़ हरगिज़ खुदा की मुहब्बत को तर्क करने के मुस्तहक़ नहीं हो और तुम हरगिज़ खुदा से जंग करने के लिए अपने नफ़्स को सामने न लाओ क्योंकि खुदाई इन्तेक़ाम से बचने के लिए तुम्हारे पास चाराहकार नहीं है और खुदा की रहमत और बख़्शि़श से तुम बेनियाज़ भी नहीं हो और याद रखो तुम किसी को सज़ा देने में हरगिज़ जल्दी से काम न लेना और अचानक पेश आने वाले हादसे में अगर किनारा कशी का रास्ता हो तो उसमें जल्दबाज़ी से काम न लो और ख़बरदार तुम हरगिज़ यह ना कहते फिरना कि मैं अमीर (वली उल अम्र) हूँ मुझे इस बात का इख़्तियार है कि मैं जो चाहूँ सो करूँ अगर तुमने ऐसा कहा तो इससे बड़ी तेज़ रफ़्तारी के साथ तुम्हारा अमल टूट कर फिर जाएगा और जब तुम अपनी खुशहाली पर नाज़ करने लगो और अचानक तुमको अज़मत व बुजुर्गी हासिल हो गई हो और इसकी वजह से तुम्हारे अंदर इतना घमंड पैदा हो गया हो कि तुम इतराने लगे हो और तुम इस अज़मत की बदौलत अपने मातहत लोगों पर और कादिर बन गए हो तो उस वक़्त तुम पर खुदा की जो कुदरत है उसकी अज़मत को याद करो और तुम मौत और मौत के बाद जो कुछ होने वाला है इसमें ग़ौरों-फ़िक्र करो क्योंकि जब तुम उस पर

गौर करोगे तो तुम्हारा फखरो—गुरुर कम हो जाएगा और अपने इतराने से बाज़ आ जाओगे और तुम अपने नफ्स में जिन बातों को बुजुर्गी और अज़मत का मौजब समझ बैठे हो वह तुम्हारी आंखों में हकीर और मामूली हो जाएगी और खबरदार तुम कभी—भी खुदा की अज़मत व जबररियत में मुकाबला और बराबरी का तसव्वुर भी ना करना और खुदा के मुल्क में उसके साथ ६ गोकाबाज़ी न करना क्योंकि खुदा वन्दे तआला हर जबर करने वाले को ज़लील और धोकेबाज़ को हकीर बनाने वाला है। तुम अपनी जान और अपने अहलो—अयाल और अपने ख्वास की तरफ से बिला किसी रियाअत के लोगों के साथ इंसाफ करो अगर तुमने इंसाफ न किया तो तुम जुल्म करोगे और जो शख्स अल्लाह के बन्दो पर जुल्म करेगा तो खुदा अपने बंदों की तरफ से खुद उसके मुकाबिल में खुसूमत के लिए खड़ा होगा। और जिसके साथ खुसूमत करने वाला खुद अल्लाह तआला हो यह खुदा के साथ जंग करना होगा। यहां तक की खुदा उसको पसपा कर देगा। जुल्म करने पर इसरार करने से बढ़कर खुदा की नेअमतों में तबदील करने वाली और उसके इन्तेक़ाम को जल्द बुलाने वाली कोई और दूसरी चीज़ नहीं है क्योंकि इसमें कोई शुबह नहीं है कि अल्लाह तआला हर मज़लूम की फरियाद को सुनता है और खुदा वन्दे तआला जुल्म करने वालों का दुश्मन है। और जिसका दुश्मन खुदा होगा वो दुनिया और आखिरत दोनों जगह हलाक होने वाला है और मीज़ाने हक में मुआमलात का दरमियानी हिस्सा तुमको ज़्यादा पसंदीदा होना चाहिए और बीच का यह रास्ता खुदा की इताअत और अवाम की खुशी का निहायत ही जामेअ रास्ता है और रिआया में से एक फर्द भी रजा—जोई में वाली पर ज़्यादा बारे गिरां नहीं है और न कोई आजमाईश के वक़्त मदद में ज़्यादा कमी करने वाला है और न उनमें कोई इसरार के साथ मांगने वाला है और न उसके साथ जब दिया जाए तो कोई कम शुक्र अदा करने वाला है और न देरी के वक़्त कोई बहाना है और न रिआया में कोई मसाइब के वक़्त ख्वास से कम सब्र करने वाला है और याद रखो कि वली—उल—अम्र के तमाम उमूर का शीराज़ा और बादशाह का दस्त व बाजू और दुश्मनों के लिए गेज़ो ग़ज़ब उसकी आम रिआया ही है और जब रिआया तुम्हारे दूसरों को छोड़कर तुम्हारी इताअत पर लाज़िम रहे उस वक़्त तक तुम्हारा मीलान (सद्भाव) उनकी तरफ रहना चाहिए और रिआया में से जो शख्स तुम्हारे नज़दीक लोगों के उयूब को ज़्यादा बयान करने वाला हो उससे तुम ज़्यादा बुग़ज़ रखो क्योंकि लोगों में जो उयूब ना मालूम थे उनको

कशफ करने से इज़हारे नफरत के ज़्यादा हक़दार थे क्योंकि जो मामला तुम्हारे सामने ज़ाहिर हो सिर्फ उसी के बारे में तुम पर हुक्म जारी करना वाजिब है और जो तुमसे पोशिदा हैं उसका फैसला तो अल्लाह पर छोड़ दो और तुम जो चीज़ अपनी जान के लिए नापसंद करते हो उसको दूसरों के लिए भी नापसंद करो और तुमसे जहां तक हो सके पर्दापोशी करो तो खुदा तुम्हारी उस चीज़ पर पर्दा डालेगा जिसको तुम छुपाना चाहते हो लोगों से कीना (अदावत) रखने की हर गिरह को खोल दो और तुम रिआया से कीना के हर अस्बाब को क़तअ—ए—नज़र कर दो और हरगिज़ तुम शक व शुबाह में मुब्तिला न हुआ करो और किसी चुगलख़ोर की बात ख्वाह नासिहाना क्यों न हो मानने में जल्दबाजी से काम न लो क्योंकि ऐसा शख्स धोकेबाज़ और फरेबी होता है और न तुम अपने मशवरे में किसी बखील व कंजूस को शामिल करो जो ग़ायत दर्जा फजलों करम में कोताह है और न किसी हरीस और लालची को अपने मशवरे में शामिल करो क्योंकि वो तुमको मोहताज बना देगा और हिरस व आज (लालच) को तुम्हारे सामने मुज़य्यन (बड़ा चढ़कर) करके पेश करेगा और न किसी बुज़दिल को मशवरा में शामिल करो क्योंकि वह उमूर को तुम पर तंग कर देगा और याद रखो कि कंजूसी, बुज़दिली और हिरस व लालच उन तमाम की ख़ासियत एक ही है और यह सब ख़ासियत खुदा से बदगुमानी करने के सबब जमा होती हैं और तुम अच्छी तरह से जान लो कि तुम्हारे मामलात में बदतरीन दखल करने वाला और बदतरीन वज़ीर वो है जो शरीरो का दखील (शामिल करने वाला) और वज़ीर है और उनके गुनाहों में बराबर का शरीक है और वह उनके लिए हर मुक़ाम में खड़ा रहा है पस ऐसे लोगों को तुम हरगिज़ अपने मामलात में दखील (दखल देना वाला) न बनाओ। और उनको इस तरह अपनी हुक्मत में शरीक न करो जिस तरह से कि वह तुम्हारे अग़यार (पहले) की हुक्मत में शरीक हुए हैं और वो लोग तुम्हारे हुज़ूर में जो कुछ भी हाज़िर करे उस पर तुम हरगिज़ लुभा न जाना क्योंकि यह लोग ज़ालिमों के भाई और गुनाहगारों के मददगार हैं और वह लालच के भेड़िये हैं हालांकि मअरिफ़त में उनसे बड़ चढ़कर उनकी जानशीनी करने वाले लोग तुमको मिलते हैं और उनकी नसीहत से बुलंद तरीन लोग मौजूद हैं जिन्होंने मामलात की अच्छी तरह छानबीन की है और उमूर की बुराइयों को पहचान लिया है और जो वाकिआत उसके सिर से गुज़र चुके हैं उनको उसने एहमियत दी है। ऐसा शख्स तुम्हारे लिए बहुत कम तकलीफ़दह होगा। और उम्दातरीन मददगार

साबित होगा और तुम पर सख्त मेहरबान होगा और तुम्हारे अग़यार से कम दोस्ती ओर मोहब्बत रखने वाला होगा। वह उन लोगों में से है जो ज़ालिमों के जुल्म पर न और न गुनाहगारों के गुनाह में तआवुन करते हैं पस तुम ऐसे ही लोगों को अपना खवास मुक़र्रर करो और उनको अपनी ख़लवतो में लेकर बैठो और वो भरे दरबार में भी तुम्हारे पास हाज़िर हो और उनमें से भी जो सबसे ज्यादा हक़ बात कहता हो और तुम्हारी रिआयात के साथ इंसाफ़ करते वक़्त ज़्यादा ऐहतियात से काम लेता हो उसको इज़्ज़त की निगाह से देखो। और जो बात तुमको नापसंद हो इसके ज़िक्र से तुम्हारे साथ सबसे कम मुनाज़िरा करता हो और तुम अहले ज़ोहद व तक्वा और अहले सिदक़ व सफ़ा (साफ़ और सच्चे) और साहिबाने अक्ल व तमीज़ और साहिबाने हस्ब से चिमटे रहो और तुम्हारे फ़ेअल पर तुम्हारे वज़ीरो और तुम्हारे अहलो अयाल में से जो इतराता हो या तुमने जो किया ही नहीं है उसको तुम्हारे सामने आरास्ता करके पेश करता हो तो तुम उन सबसे बुग़ज़ रखो। और तुमने अगर कोई कारेनुमाया अन्जाम दिया है तो उसको ज़ाहिर करने से लोगों को ख़ामोश रखो क्योंकि बहुत ज़्यादा इतराने से तबीयत में घमंड पैदा हो जाता है और घमंड इज़्ज़त से ज़िल्लत में गिरा देता है और अकसर अक़वाल जिसमें झूठ शामिल हों वह सुल्तान के तज़किए का बाइस है क्योंकि उसमें हक़ की हदों पर कायम नहीं रहा जा सकता है सिवाए इसके कि अफ़रात की तरफ़ क़दम उठ जाए और नेकोकार और बदकार दोनों को एक ही दर्जे में न रखो कि जिसमें दोनों बराबर हों। क्योंकि इससे नेकोकार नेक काम करने से रूके रहेंगे और बदकार लोग अपनी बदकारी के और आदी बन जायेंगे और तुम इसे अच्छी तरह से जान लो कि रिआया का वली उल अम्र के साथ हुस्ने-ज़न का मौज़ब (मुक़र्रर करने वाला) उनके साथ हुस्ने सुलुक करने से बढ़कर और कोई चीज़ नहीं है।

वली-ए-अम्र रिआया के सिरों से तकलीफ़ो को दूर कर दे और उनसे कम नुसरत रखे तो रिआया उसके साथ हुस्नेज़न रखती है जब तुम ऐसा करोगे तो इससे तुम्हारे दिल में रिआया के लिए हुस्नेज़न पैदा होगा और जब तुम अपनी रिआया के साथ हुस्नेज़न रखोगे तो उससे तुम्हारे बहुत से अफ़कार (चिंताएँ) दूर हो जायेंगी और अहले ख़ैर में से तुम्हारे हुस्नेज़न का वही शख्स ज़्यादा हक़दार है जिसको तुम्हारी आजमाइश पसन्द आई है और तुम्हारे सूए-ज़न (गुमान) का वह शख्स ज़्यादा हक़दार है जिसको तुम्हारी आजमाइश बुरी मालूम हुई है पस तुम उस मामले की अच्छी तरह

पहचान कर लो और ख़बरदार ऐसी सुन्नत जिस पर तुम्हारे पहले सालेहीन ने अमल किया था और जिस पर मोहब्बतें जमा हुई हैं और आम लोगों का हाल बेहतर हुआ था ऐसी सुन्नत को तुम हरगिज़ क़तअ न करना और न तुम कोई ऐसी सुन्नत जारी करना कि जिससे अहदे माज़ी की सुन्नते अदल व इंसाफ को ज़रर (नुक़सान) पहुँचे। और उसको तो अज़्र मिलेगा मगर तुम पर उस सुन्नते अदल को तोड़ने की वजह से गुनाह आयद हो और तुम उलुमाओं की सोहबत में बैठकर ख़ूब इल्म सीखो और हुकमाअ के साथ अदल व इंसाफ की सुन्नतों को बरक़रार रखने में मुनाज़िरा करो और उसको उस सूरत में कायम रखने पर बहस व मुबाहि़सा करो जिससे लोगों का हाल दुरस्त हो सके क्योंकि इससे हक़ को ज़िन्दगी मिलेगी और बातिल को मौत जिसकी दलील के लिए लोगों के एहवाल की दुरस्तगी काफी है क्योंकि 'सुन्नते सालेहा' उन असबाबे हक़ में से एक सबब है जिससे सुन्नत की माअरिफ़त होती है और इस बात की दलील है कि नेक सुन्नत पर चलने वाले खुदा की इताअत की राह पर हैं।

लोगों के तबक़ात की माअरिफ़त

तुम अच्छी तरह से जान लो कि लोगों के पांच तबक़े हैं उनमें से हर एक की दुरस्तगी एक दूसरे के साथ वाबिस्ता है। पस उनमें से फौज़ें हैं और उनमें से हाकिम के मददगार जज आमिल, और मुहर्रिर (कर्लक) वगैरह हैं और ज़मीनदारों में से अहले ख़िराज (मेहसूल देने वाला) वगैरह और उनमें से तिजारत पेशा और कारीगर वगैरह हैं और उनमें से निचले तबक़े के लोग जो ज़रूरतमंद और मोहताज हैं पस फौज़ें खुदा के हुक्म से रिआया की हिफाज़त करती हैं और उनसे बादशाह की ज़ीनत और इस्लाम का वक़ार है और मुल्क में अमन व हिफाज़त का मूजिब (कारण) है और फौज़ों का दारोमदार ख़िराज और माले ग़नीमत पर है जिससे वो अपने दुश्मनों के साथ जिहाद करने पर क़ादिर होते हैं वह उसी पर अपनी हालत की दुरस्तगी का भरोसा करते हैं और लश्कर के अहलो अयाल की खुराक का भी इसी पर दारोमदार है और फौज़ों और अहले ख़िराज का भी दारोमदार क़ाज़ियों, आमिलों और मुहर्रिरो पर है क्योंकि यही लोग उनके तमाम काम काज अन्जाम देते हैं कि और उनके मुनाफ़े को जमा करते हैं और अपने

ख्वास और अवाम से इस सिलसिले में महफूज़ रहते हैं और इन तमाम का दारोमदार ताजिरोँ और कारीगरों पर है क्योंकि उन्हीं की कारीगरी से वो फायदा उठाते हैं और उन्हीं की वजह से उनके बाज़ार लगते हैं और उनको अपने हाथों से बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती और निचले तबक़े के मोहताज और परेशानहाल लोग तमाम लोगों की तरफ मोहताज हैं और खुदा की ज़ात ही यह सबके लिए वसीला है और हर एक के लिए अमीर पर जवाबदारी के मुताबिक़ हक़ है उसके हक़ से अमीर को उस वक़्त तक निजात नहीं है जब तक कि वो मोहताज के हक़ का बंदोबस्त न कर दे और खुदा से उसके लिए मदद तलब करे और चाहे उसकी इच्छा हो या ना हो मगर उसके नफ्स को हक़ की अदाइगी पर आमादा रखे।

अफवाज के किन-किन मामलात में वाली को ध्यान देना चाहिए उसका बयान

तुम्हारे नज़दीक जो शख्स बड़ा बुरदबार हो उसको अपने लश्कर का काइद और वाली मुर्करर करो और वह इल्म और उम्दा सियासत और अच्छे अखलाक़ का भी मालिक हो देर में गुस्सा होता हो और उज़र (वजह) जल्द क़बूल करता हो कमज़ोर पर रहम करता हो और ताक़तवार के साथ इसरार से काम लेता हो उसको सख़्ती करना ज़रा भी अच्छा न लगता हो और कमज़ोरी की वजह से फ़र्ज़ के अंजाम देने से न रूकता हो और तुम साहिबाने फ़िक़ह और अहले दीन और नेकोकारों की सोहबत में रहो और फिर उनमें से जो अहले शुजाअत हैं उन से तअल्लुक रखो क्योंकि उन पर लुत्फ व करम का मदार है और यह अहले शुजाअत इज़्ज़त व वक़ार की एक शाख़ हैं और वह खुदा के साथ हुस्नेज़न और ईमान की दलील है इसके अलावा तुम अफवाज के उमूर की उसी तरह छानबीन करो जैसे एक बाप अपने बेटे के मामलात की छानबीन करता है अगर तुम उनको किसी चीज़ से नवाज़ो तो तुम उसको अपने दिल में हरगिज़ अज़ीम न समझना और न तुम जिस लुत्फ से उनके साथ पेश आओ उसको हकीर समझना इसलिए कि तुम उनके साथ जो भी हुस्ने सुलूक करोगे ख़्वाह थोड़ा ही क्यों न हो वो उनके हमराह रहेगा और देखो उनके सिर्फ़ मोटे मोटे उमूर में अपनी निगाह के भरोसे पर उनके बारीक़ उमूर की छानबीन को तर्क ना कर देना

क्योंकि नाजूक जगह पर ही फायदा उठाया जा सकता है और मोटे मोटे मामलात तो ऐसे हैं कि उनको किए बगैर छुटकारा ही नहीं मिलता है और तुम्हारे नज़दीक रियाया से ज़्यादा काबिल तवज्जह अफवाज होनी चाहिए और तुम्हारे नज़दीक का मर्तबा भी अफज़ल होना चाहिए। उनके साथ पूरा-पूरा तआवुन करो तुम उनको और उनके अहलो अयाल को इतना ज़रूरत मुताबिक सरमाया दो कि जिससे तमाम ज़रूरियात से बेनियाज हो कर तुम्हारे दुश्मनों से पूरे खुलूस के साथ जिहाद करें और तुम उनको अकसर उस बात का अहसास दिलाते रहो कि उनकी इज़्ज़त व करामत और उनके उमूर की निगरानी के काम का तुम्हारे दिल में अहसास है और तुम उस बात को 'अमलन' साबित कर दो और बड़े लुत्फ व मेहरबानी के साथ उनके दिलों को अपनी तरफ माइल कर लो क्योंकि वालियों और हाकिमों की आंखें उस वक़्त ठंडी होती हैं जबकि शहरों में हर तरफ अमन व अमान का डंका बजता है और अफवाज की मोहब्बत का जुहूर होता है जब वह इस हाल में होंगे तो उनके सीने सलामत होंगे और उनकी निगाहें दुरुस्त होगी और उमराअ पर उनका घेरा सख़्त होगा और तुम अपनी अफवाज को ख़ास तौर पर सिर्फ़ अमवाले ग़नीमत के हवाले न कर दो बल्कि हर माले ग़नीमत के वक़्त तुम भी उनको अपनी तरफ से अतिया (हदिया) दो कि जिससे उनको शौक पैदा हो और वह उसके मानिंद दूसरा अतिया हासिल करने के लिए जद्दो-जहद करे अल्लाह की कुव्वत और कुदरत के सिवा किसी और की कुव्वत और ताक़त नहीं है और उनमें से जो अहले शुजाअत हो उनको इनामात से नवाजों और तुम उनकी तारीफ़ करके और एक एक शख्स की बाबत तहकीक करके और मैदाने जिहाद में उसने जो कारनामा अंजाम दिया है उसकी मालूमात हासिल करके उनकी गहराइयों में जो सूरते पौशीदा है उनकी तरफ़ निगाह उठाकर देखने के लिए मदद करो क्योंकि उससे बहादुरों को और दूसरों को शौक पैदा होता है और उसके साथ-साथ उनके ऊपर अपने उन जासूसों को बतौर निगरां मुकर्रर कर दो जो अमानतदार और सच्चे हों वह जंग के वक़्त उनके पास हाज़िर हों और जो भी वह कारनामा अंजाम दें उसको क़लमबंद कर लें ताकि तुम्हें ऐसा महसूस हो कि गौया तुम उस मौके पर खुद हाज़िर थे और फिर उनमें से हर एक ने जो कारनामा अंजाम दिया है उससे वाकिफ़ कराओ और किसी के कारनामों को दूसरे का कारनामा हरगिज़ न करार देना और न उसमें से कुछ कमी करना और जिसने जैसा कारनामा अंजाम दिया है उसी के

मुताबिक उसको बदला दो और उसको एक सनद लिख दो कि ताकि उससे उसकी हौसला अफजाई हो और तुम्हारे पास उसके मुताल्लिक जो खबरें पहुँची हो उससे वाकिफ करो और तुम किसी आअला दरजे के आदमी के मामूली कारनामों को हरगिज़ बढ़ा कर ना पेश करना और ना किसी मामूली आदमी के बड़े कारनामों को हल्का समझना और अगर उनमें से किसी को कोई आरज़ा पेश आ जाए या किसी से कोई बदखलफी ज़ाहिर हो जाए और उससे पहले वो उम्दा कारनामा अंजाम दे चुका है तो तुम उसको अपने लिए हरगिज़ फासिद और बुरा मत ख्याल करना क्योंकि इज्ज़त तो खुदा के हाथ में है जब चाहता है देता है और जब चाहता है वापस ले लेता है।

अगर शुजाअत ईजाद की जा सकती तो अकसर लोग अपने अंदर शुजाअत पैदा कर लेते। मगर बहादुरी तो एक कुदरती शेअ है जो खुदा के हाथ में है। जिसके लिए जिस क़द्र चाहता है बहादुरी का हिस्सा उसके लिए मुक़र्रर फरमा देता है और याद रखो तुम्हारे शहसवारों में कोई ऐसा जांबाज जो तुम्हारे दुश्मनों को मैदाने जंग में बहुत क़त्ल करने वाला था अगर वह लड़ता लड़ता मारा जाए तो तुम उसके वारिसों के साथ वैसे ही हुस्ने सुलूक और मोहब्बत से पेश आना जैसा कि कोई मरने वाला किसी भरोसेमंद शख्स को जब वसीयत कर जाता है तो वो मरने वाले वारिसान के साथ हुस्ने सुलूक करता है तुम उसके वारिसों के साथ इतना अच्छा सुलूक करना कि मरने वाले बहादूर की मौत का उन पर कोई आसार बाकी न रहे और न उनको उसके मरने का कोई ग़म हो उस हुस्ने सुलूक से दूसरे शहसवारों के दिल तुम पर माइल होंगे और इताअत ज़्यादा करेंगे और तुम्हारे अम्र की रोक थाम के लिए मैदाने जंग में मौत के मुंह में जाने से तुम्हारे शहसवारों की रूहें खुश होगी। तमाम ताक़त व कुदरत खुदा के लिए है।

वाली—अम्र को लायक है कि वह लोगों के दरमियान जिन उमूर के फैसले किए जाते हैं उन पर भी ग़ोरो फिक्र करे

(ए वाली अम्र) तुम लोगों के दरमियान फैसलों पर उस शख्स की तरह ग़ौर करो जो खुदा के हुक्म की क़द्र व मंजिलत से बाख़ूबी वाकिफ हैं। क्योंकि हुक्म (फरमान) खुदा के अदलो—इंसाफ का तराजू है जो ज़मीन में मज़लूम को ज़ालिम से इंसाफ दिलाने के लिए नसब किया गया है और

इसलिए कि ताक़तवर से कमज़ोर का हक़ छीनकर उसको दे दिया जाए और यह मीज़ान इसलिए नसब किया गया है ताकि खुदा के हुदूद को उन्ही रास्तों पर बरक़रार रखा जाए कि जिन पर बंदो और शहरों की दुरस्तगी का मदार है। पस तुम लोगों के दरमियान फैसले करने के लिए अपनी रियाया में से उस शख्स को मुनतख़िब करो जो तुम्हारे नज़दीक सबसे अफज़ल हो इल्म और ज़ोहद व तक्वा का सब से ज़्यादा जामेअ हो और मामलात से तंगी महसूस न करता हो और न झगड़े उस को गज़बनाक कर देते हों और कलाम में रूक जाने वाला उसको तंग दिल न कर दे और जुल्म करने वाले का जुल्म उसको हद से तजावुज़ न कर दे और न उसका नफ़्स लालच की तरफ़ माइल हो और न वो अजब व गुरुर में मुब्तिला हो और उमूर के फैसले में मामले की तह तक पहुँचे बग़ैर थोड़े से गोरो-फ़िक्र पर इकतिफ़ा (संतोष) न करता हो जहाँ शुब्हा (शक) हो वहाँ सबसे रूक जाने वाला हो और वो अपनी जान के लिए सबसे ज़्यादा दलील व हुज्जत रखता हो और हुज्जतों के हुज़ूम से बहुत कम परेशान हो और उमूर के खुल जाने और दोनो झगड़ने वालों की वज़ाहत और हुज्जत व दलील पर सबसे ज़्यादा साबिर और बरदाश्त करने वाला हो और बेहद तारीफ़ से वो मगरूर न हो जाता हो और मिज़ाज बदलने के सबब बेख़ौफ़ न हो जाए और उसकी तबीअत में इत्तिलाअ देने की यह आदत न पड़ जाए कि यहां तक कहा जाने लगे कि फ़लां ने कहा है फ़लां ने कहा है अगर किसी शख्स में यह तमाम खुबियाँ मौजूद हों तो उसको तुम उमूर के फैसल करने पर मुक़र्रर करो यानि उसको वाली और काज़ी मुक़र्रर करो।

और तुम खुद भी उसके फैसलों और काम काज का अच्छी तरह से मुआयना करो और उसको इतना काफ़ी वज़ीफ़ा दो कि वो हवस व लालच से बेनियाज़ हो जाए और लोगों के सामने दस्ते सवाल न फैलाए और तुम उसको अपने नज़दीक ऐसे मर्तबे में बिठाओ कि उस मर्तबे की किसी और को लालच न हो ताकि वो अपने आपको इस बात से महफूज़ समझे कि लोग तुम्हारे पास उसकी ग़ीबत और चुगली नहीं खा सकते पस उस सूरत में वह किसी उम्मीद की खातिर किसी से मरऊब न होगा और न उम्दा तारीफ़ के लिए खुशामद करेगा और जब वह तुम्हारे दरबार में आए तो उसको इज़्ज़त से अपने पास बिठाओ और तुम उसके फैसलों को जारी करो और उसके लिए चंद मददगार मुक़र्रर करो जिनको अपने लिए वो अहले इल्म में से खुद मुन्तख़िब करे और तुम अपने ममालिक के लिए जिन काज़ियों को मुक़र्रर

करो उनके बारे में तुम खुद तहकीकात कर लो फिर तुम उनके फैसलों और मामलों की छानबीन करते रहो और उन अहकाम की छानबीन करो जो उनके सामने किस्म-किस्म के आते रहते हैं और याद रखो उनके फैसलों में ज़र्रा बराबर भी इख़्तिलाफ़ ना होना चाहिए क्योंकि उससे अदलो इंसाफ़ का खून होगा और दीन नंगा हो जाएगा और इफ़तिराक़ व इख़्तिलाफ़ का दरवाज़ा खुल जाएगा और याद रखो काज़ियों के दरमियान उसी वक़्त इख़्तिलाफ़ पैदा होता है जबकि वो इमाम को छोड़ कर अपनी राय पर इक्तिफ़ाअ करते हैं और याद रखो कि जब दो काज़ियों में इख़्तिलाफ़ हो जाए यह दोनों इख़्तिलाफ़ की हालत में अपने-अपने फैसले पर काइम नहीं रह सकते हालांकि उनको जिस मसले में इख़्तिलाफ़ हो उसे इमाम के सामने पेश करना चाहिए और उसी पर बस नहीं है बल्कि जिस मसले में भी लोगों को इख़्तिलाफ़ हो जाए उसे इमाम की ख़िदमत में पेश किया जाए। *वला क़व्वतः इल्ला बिल्लाहे*।

वाली को अपने आमिलों के जिन उमूर की देख-रेख रखना ज़रूरी है उनका बयान

ए वाली तुम जिन आमिलों को मुक़र्रर करो उनके उमूर की छानबीन कर लो और तुम्हारा आमिलों को मुक़र्रर करना तुम्हारे इख़्तियार व इन्तिख़ाब से होना चाहिए किसी ख़ौफ़ और ईसाar (दबाव) की बिना पर ना होना चाहिए क्योंकि नफ़्स की ख़्वाहिश से किसी को आमाल के लिए मुंतख़िब करना और उन मामलात में लापरवाही से बेफ़रमानी करना जुल्म व जोर और अल्लाह के साथ ख़यानत का मोज़िब है और उससे लोगों को नुक़सान और ज़रर पहुँचाना है। लोगों और वालियों के मआमलात उसी शख़्स के सलाह व मशवरा से दुरुस्त हो सकते हैं जिससे वह अपने मआमलात और काम काज में मदद लेते रहते हैं और जो बातें उनसे पौशीदा होती हैं उनसे निपटने के लिए जिसको वो मुन्तख़िब करते हैं उससे उनके उमूर भी दुरुस्त हो सकते हैं। पस तुम अपने काम काज की अंजाम-दही के लिए उन लोगों का इतिख़ाब करो जो जोहद व तक्वा और इल्म व फ़िक्ह और सियासत के माहिर हैं और अच्छे घराने के लोग जो दीन व वरअ (परहेज़गारी) अपने अंदर रखते हैं और तर्जुबा-कार साहिबाने अक्ल व

हया है तुम उनकी सोहबत से वाबिस्ता रहो क्योंकि यह लोग अपने अन्दर उम्दा अखलाक रखते हैं और अपने नफस की इस्लाह व हिफाजत ख़ुब करते हैं। वह बहुत कम लालची और उमूर के अंजाम पर दूसरों से उम्दा नज़र रखते हैं पस चाहिए कि ऐसे लोग तुम्हारे आमिल और मददगार हों।

और उनमें से जो तुम्हारे शिआ हैं उन्ही को सिर्फ अपना आमिल मुक़र्रर करो और उनको इनाम व इकराम से ख़ूब नवाज़ो और उनके लिए रोज़ी कुशादा करो क्योंकि उनको उससे अपनी जानो की इस्लाह में तक़वियत पहुँचेगी और उनके हाथों में दूसरो का जो सरमाया है वो उसके तनावुल से बेनियाज़ होंगे इससे फायदा यह होगा कि जब वो किसी चीज़ के बारे में तुम्हारे हुक्म की ख़िलाफ़वर्ज़ी करेंगे और तुम्हारी अमानत का कुछ हिस्सा ख़यानत करके ले लेंगे तो उस वक़्त उन पर तुम्हारी यह नवाज़िशात और रिज़्क की कुशादगी तुम्हारे लिए हुज्जत होगी फिर उसके बावजूद तुम खुद उनके काम काज की छानबीन करते रहो और सच्चे और अमानतदार जासूसों को उनके पीछे लगा दो उससे वो मुल्क व क़ौम की तामीर में ज़ददो-ज़हद करेंगे और रिआया के साथ नर्मी से पेश आएंगे और जुल्म व सितम से बाज़ रहेंगे और उनको मददगारों की भी हाजत न होगी और रिआया को तक़वियत मिलेगी और तुम तकब्बुर और ज़बरो व निखवत (गुरूर) करने वालों को आमिल बनाने से परहेज़ करो और उन लोगों को आमिल बनाने से बचो जो घमंड, तारीफ़, शोहरत और दुनियावी इज़्ज़त के चाहने वाले हैं शरफ़ तो सिर्फ़ तक़वा ही से हासिल होता है। अगर तुम अपने किसी आमिल को देखो कि उसने खयानत की जानिब अपना हाथ बढ़ाया है या किसी बदकारी का मुरतकिब हुआ है और तुमको तुम्हारे जासूसों की तरफ से भी उसकी ख़बरें बहम पहुँच चुकी है और तुम्हारी रिआया भी उस आमिल की बुराई बयान करती है तो यह उसके ख़िलाफ़ तुम्हारे लिए काफी शहादत है पस तुमने उसको अच्छी तरह जिस्मानी सज़ा दे दी और उसकी ख़ुब ख़बर ली फिर तुमने उसको लोगों के सामने खड़ा कर दिया तो यह उसकी सज़ा होगी और दूसरे लोग नसीहत व इब्रत हासिल करेंगे। इंशा अल्लाह।

वाली को अहले खिराज (लगान देने वाले) के जिन उमूर का मुआइना करना चाहिए उसका बयान

तुम अहले खिराज की देखभाल रखो और जिन बातों से उनकी बेहतरी इस्लाह व दुरुस्तगी होती हो उन पर नज़र रखो क्योंकि उनकी इस्लाह व बेहतरी में दूसरों की बेहतरी है और उनके सिवा लोगों की बेहतरी अहले खिराज पर मुनहसिर है। क्योंकि दूसरे तमाम लोगों को छोड़कर सिर्फ अहले खिराज ही पर पूरा दारोमदार है बाकी लोग तो उनके अहलो अयाल हैं जिनकी परवरिश की उन पर जिम्मेदारी आयद होती है। पस तुम उनकी ज़मीनों की तामीर पर ख़ूब ध्यान दो और उसके खिराज की सहूलियत से वसूली से ज़्यादा तुम उनके मआशी (रोज़गार) की बेहतरी का ख़्याल रखो क्योंकि खिराज की सहूलियत से वसूली आबाद—कारी पर मौकूफ है जो शख्स आबाद—कारी और तामीर के बग़ैर सहूलियत से सिर्फ खिराज वसूल करना चाहता है वो शहरों को तबाह व बरबाद करता है और बन्दों को हलाक करता है वह उस पर थोड़े ही दिनों तक काइम रह सकता है लेकिन तुम को तो यह चाहिए कि तुम हर शहर से अहले खिराज को जमा करो और उनको यह हुक्म दो कि वह तुमको अपने अपने शहरों के अहवाल से मुत्तलाअ करे और जिस बात से उनकी बेहतरी हो सकती है उसको बताएं और वह तुमको अपने ज़मीन के हाल से और अपने खिराज की सहूलियत से आगाह करे उसके बाद तुम उन बातों के मुताल्लिक उनसे दरयाफ्त करो जिनको तुम्हारे नज़दीक दूसरे जानने वालों ने पेश किया है अगर वह अपने खिराज के बार (बोझ) होने की शिकायत करे या पानी की कमी या ज़मीन की उस ख़राबी की शिकायत करे कि वो पानी में डूब गई है या प्यासी रह गयी है या किसी मोहलक आफत की शिकायत करे तो तुम उनके खिराज में इतनी तख्फ़ीफ (आसानी) कर दो कि जिसमें तुमको अल्लाह से उनके फलने फूलने की उम्मीद हो और अहले—खिराज अपने जिन उमूर की इस्लाह व दुरुस्तगी नहीं कर सकते उसके लिए तुम उनकी इमदाद का हुक्म जारी करो। पस खुदा वंदे तआला उनके उमूर की दुरुस्तगी और बेहतरी के नतीजे में तुमको खुशी और सवाब अता करेगा। इसलिए तुम उनकी तकालीफ को दूर कर दो और तुम इस बात पर यकीन रखो कि अहले खिराज के जिस बोझ को तुम हल्का करोगे यह उनके सरों की जिन

मुश्किलों को अपने सर लोге वो उनके पास तुम्हारे लिए ऐसा ज़खीरा होगा जिससे उनको तुम्हारे शहरों की आबादकारी में मदद मिलेगी। तुम्हारे मुल्क को आरास्ता करने में मदद मिलेगी और साथ ही साथ परवरदिगार आलम इससे तुम्हारी याद को बेहतर बना देगा और तुम अपने कल के लिए उससे उनको लबरेज़ कर दोगे और जब तुम अहले ख़िराज की ज़मीनों को आबाद और उनके ख़िराज की ब—आसानी वसूली और उनकी मोहब्बत और उम्दा तारीफ़ और उनमें कारे ख़ैर का फैज़ान देखोगे तो उससे तुम्हारी आंख ठंडी होगी और तुमको खुशी हासिल होगी और उससे पहले जब कि तुम उनको तकलीफ़ देकर ख़िराज वसूल करते थे अब तुम्हारे लिए यह बेहतरीन ज़खीरा होगा और अगर तुम पर कोई मुश्किल आ पड़े और उसको दूर करने के लिए तुमको उनके एअतिमाद की ज़रूरत पेश आ जाए तो तुम उनकी कुव्वत व ताक़त की ज़्यादती की वजह से उस चीज़ पर भरोसा कर सकोगे जो तुमने उनके पास जमा कर रखा है।

वह तुमसे मोहब्बत करेंगे और तुम्हारे साथ हुस्ने—ज़न रखेंगे और तुमने अदलो इंसाफ़ और नर्मी का जो सुलूक उनके साथ किया है उससे वो तुम पर भरोसा करेंगे और जब उनको इस बात की माअरिफ़त होगी कि जो उमूर पेश आ चुके हैं उसकी वजह से तुमने उनके उज़र को क़बूल कर लिया है तो वह उसे अपने लिए कुव्वत तसव्वुर करेंगे और फिर तुम उन पर जो बोझ भी लादोगे उसको अपनी कुव्वत से उठा लेंगे तुम उन पर जो बोझ भी लादोगे उससे उनके नुफ़ुस खुश होंगे क्योंकि अदले खुदा की इज़्ज़त से तुम उन पर जो बोझ भी लादोगे वो उठा लेंगे। शहरों की उमरानियत खज़ानों का मुँह दौलत से भरने से ज़्यादा नफा बरख़्श है क्योंकि खज़ाने तो हमेशा शहरों की आबादकारी और उमरानीयत से पूर हुआ करते हैं। पस जब शहर खराब हो जाते हैं तो खज़ानों का वो माद्दा बंद हो जाता है और जब ज़मीने ग़ैर आबाद और तबाह हो जाती हैं तो खज़ानें भी मालो दौलत से खाली हो जाते हैं और ज़मीन पर बसने वाले उसी वक़्त तबाहो बरबाद होते हैं जब वाली व हाकिम ज़खीरों में इसराफ़ (फुजुलख़र्ची) से काम लेते हैं और ज़माने से बदगुमान हो जाते हैं और इबरतों से कम फायदा उठाते हैं बस उनको तो सिर्फ़ उसी बात की माअरिफ़त होती है कि उन्होंने ख़िराज में जो तख़फ़ीफ़ की है उससे उन्होंने आइंदा साल के लिए जमा कर लिया है और उन्हें सिर्फ़ इतना मालूम होता है कि जिस उमूर पर खर्च करना वाजिब है वह उसी ज़खीरे में से करेंगे उससे उन ज़मीनों के ख़िराज में आसानी होगी

और उससे ज़मीन में उनके लिए उम्दा—तरीन निशानी होगी मगर वो खुद कहते हैं और कहने वाला उनसे कहता है कि सालें रवा की मालगुज़ारी की वसूली आइंदा साल के लिए यह समझकर न छोड़ो कि गौया तुम आइंदा साल भी जिंदा रहोगे?

हमें तो इस मामले में उनकी इस राय पर जो इस बात को उनके सामने मुज़ायन करके पेश करते हैं उनकी राय पर बड़ा ही तअज्जुब होता है कि वाली जबकि उन दो मर्तबों में से किसी एक ही मर्तबा में है या तो वो मालगुज़ारी को आइंदा साल के लिए बाकी रख छोड़े इससे यह फायदा होगा कि ज़मीन और रिआया की बेहतरी और बेहबुदी होगी मगर उसने उसका यह नतीजा निकाला कि इस जमा करने से उसी की आंख ठंडी हो और उसको खुशी हासिल हो और उससे उसके अपने हम व ग़म कम हों और उसके एवज़ परवरदिगार से सवाब का मुस्तहक़ हो या तो वो उस मर्तबा में होगा कि क़ब्ल अज़ इसके ज़माना मुस्तक़बिल आए उसकी मुददते हयात ही मुनक़तअ हो जाए उस सूरत में उसने जो बेहतरी के काम और एहसासात किए हैं उनका ज़्यादा मोहताज होगा और उस अमल पर उसकी उम्दा तारीफ़ होगी उसके हक़ में ज़्यादा दुआ की जाएगी और उसको बारगाहे खुदा वंदी से अफज़ल तरीन सवाब मिलेगा और अगर उसने इस्लाह और बेहतरी की गर्ज़ से नहीं बल्कि शहरों और लोगों को वीरान और तबाह व बरबाद करने की गर्ज़ से खज़ानों का मुँह भर दिया तो फिर वो किसी और के लिए यरग़माल हो गया उस किये का गुनाह उसी के सर होगा। वालियों के कारनामों में से सिर्फ़ याद ही बाकी रह जाती है और वो अपनी सीरत और अपने आसार ही की वजह से याद किए जाते हैं उनकी सीरत और उनके आसार अच्छे होंगे तो उनको अच्छे नाम से याद किया जाएगा और अगर सीरत और आसार बुरे हैं तो उनको बुरे नाम से याद किया जाएगा। रहा दुनिया का माल तो उस पर एक ऐसा वक़्त आता है कि उससे दूसरे फायदा उठाते हैं उस पर नौबत फिर जाने की वजह से अमवाल पर भी नौबत फिर जाती है। पस अहले दोलत हसरतों यास में मुबतिला हो जाते हैं अगर तुम अहसान और बद सुलूकी का अंजाम और उसके मा—बेन अक्लों की गुमशुदगी और दारुपतगी (मिलना) देखना चाहो तो गुज़िश्ता अदवार में जो नेक व बद किरदार वाली व हाकिम गुज़र चुके हैं उनके उमूर पर गौर करो तो तुम उनमें से दो किस्म के वाली व हाकिम पाओगे। एक वाली तो तुमकों ऐसा मिलेगा जो लोगों के दरमियान अच्छे किरदार का हामिल होगा अवाम

पर उसकी तकलीफ कम होगी। हक व वाजिब के अदा करने में उसका नपस सखी होगा। चाहे उसके मुल्क और उसके जिस्म की लिज्जत में नुकसान ही क्यों न होता हो और चाहे लोगों के दरमियान उसके उम्दा तारीफ में कमी क्यों न होती हो या फिर तुम उनमें से ऐसा वाली व हाकिम पाओगे जो लोगों के दरमियान बद किरदार होगा उसकी तकलीफ लोगों पर ज्यादा होगी उस से उसको अपने मुल्क में तो इज्जत हासिल होगी मगर दुनिया व आखिरत में इज्जत कम हो जाएगी। पस उसके जमा किये हुए माल पर नज़र न करो बल्कि उसने जो कारे ख़ैर जमा किए हैं और जो नेक काम अंजाम दिए हैं उनकी तरफ देखो इसमें कोई शक नहीं है नेकोकार की हमेशा मदद की जाती है अल्लाह ही तौफीक देने वाला और राह सबाब बताने वाला है।

वाली को मुहररिरो (कारकूनों) के जिन उमूर की निगहदाश्त (निगरानी) करनी चाहिए उसका बयान

तुम अपने कातिबों यानि मुहररिरो की निगहदाश्त करो। उनमें से तुम हर उस कातिब के हालात को पहचानो जिसके तुम जितने मोहताज हो क्योंकि कातिबों को एक ख़ास मक़ाम हासिल है और मक़ाम व मर्तबा के लिए एक ख़ास हक़ यानि अदब है जिसको दूसरा कोई शख्स अदा नहीं कर सकता है पस तुम अपने बड़े बड़े उमूर के लिए उनमें से ऐसे बुलंद पाया कातिबों का इत्तिखाब कर लो जो उनमें से हर एक अपने मन्सब (मर्तबा) के लायक़ हो और तुम जो काम उसको सौंपों वह उसे बाख़ुबी अंजाम दे सकता हो पस तुम अपने उन मख़सूस खुतूत की किताबत पर जिसमें तुम्हारे सरबस्ता राज़ और तुम्हारी तदबीरें मेहफूज़ हैं ऐसे कातिब को मुकर्रर करो जो अदबे सालेह के तमाम तरीकों का जामेअ हो और जो हर किस्म के बड़े बड़े उमूर में सबसे बेहतर हो और नसीहत के ऐतबार से सबसे ज़्यादा काबिले उसूल और तुम्हारे असरार (राज़) को सबसे ज़्यादा छुपाने वाला हो वह इज्जत व करामत मिले तो आपे से बाहर न हो जाए और न लुत्फ और मेहरबानी से घमंड में मुबतिला हो जाए और न उसमें लुत्फ व मेहरबानी की वजह से इतनी जुर्रत पैदा हो जाए कि वो ख़लवत (अकेले) में तुम पर अहसान जताने लगे। या सरे आम उसके इज़हार का मौका तलाश करे और

तुम्हारे गैर के जो खुतूत उसके पास आते हों उनके जवाबात को तुम्हारे लेन-देन के उम्दा तरीकों को अच्छी तरह कलमबंद करके जारी करता हो और जिस गिरह को तुम्हारे लिए बांधा है उसको दो चंद न करता हो और जो गिरह तुम पर बंध गई है उसके खोलने में अजिज़ न हो और साथ ही साथ अपने नफस की मारिफत से उमूर में जो दर्जा उसको हासिल है उससे बेख़बर न हो क्योंकि जो शख्स जितना ही अपने नफस की कद्रो-मंजिलत से बेख़बर होगा वह उतना ही ज्यादा दूसरों से बेख़बर और ना-वाकिफ होगा और उससे कम दर्जा के जो तुम्हारे खुतूत है और तुम्हारे खिराज के कागजात और तुम्हारे लश्कर के दफातर है उन तमाम की किताबत पर ऐसे कातिबों को मुक़र्रर करो जिन को कौम ने खुद अपनी ज़ाती तेहिक्कीकात से मुंतख़िब किया हो क्योंकि किताबत का यह अहम काम तुम्हारे बुलंद पाया उमूर में से है क्योंकि यह काम तुम्हारे और रिआया के फायदे के लिए निहायत ही जामेअ है पस तुम अपनी फुरासत और हुस्ने-ज़न पर एतबार करके उनका इत्तिखाब न कर लेना क्योंकि वली-ए अम्र की फुरासत के लिए उससे बढ़कर कोई इख़्तलाफ की चीज़ नहीं है और बहुत से लोगों में हुस्नेज़न करने के लिए इससे ज्यादा मुख़तलिफ़ कोई अम्र नहीं है मगर तुमसे पहले वो जिन उमूर के मुतवल्ली हो चुके हैं इस सिलसिले में उनके जो आसार बाकी रह गए हैं उनको सामने रखकर उनका इन्तिखाब करो। क्योंकि यही एक ऐसा उम्दा तरीका है कि जिससे बअज़ लोग बअज़ के उमूर पर इस्तिदलाल करते हैं और इन उमूरे मज़कूरा में से जो सबसे अहम हो उस पर एक ज़िम्मेदार शख्स को सरदार मुक़र्रर करो जो अमानतदार और साहिबे राय हो जिसको न बड़े से बड़ा अम्र मग़लूब करता हो और न जिसके नज़दीक छोटे से छोटा अम्र जाए हो जाता हो फिर उसके साथ तुम उनके मआमलात की तफ़्तीश को न छोड़ों उनके तमाम कामों पर नज़र रखो तुमको उनके जो हाल न मालूम हो उनके मुताल्लिक़ जानने के लिए अगर सवाल करो तो लुत्फ़ और मेहरबानी के साथ सवाल करो। हत्ता कि जिन उमूर का तुमने उनको वाली बनाया है इस सिलसिले में लोगों के साथ उनके मामले की केफ़ियत का हाल तुमको मालूम हो जाएगा क्योंकि अक्सर कातिबों और मुहररियों में इज़्ज़त व नख़वत और गुरुर का माद्दा होता है और बहुत जल्द लोगों से परेशान हो जाते हैं और निज़ाअ के वक़्त बेक़रार और कबीदा हो जाते हैं और मआमले पर नज़रे सानी के वक़्त तंगदिल हो जाते हैं और लोगों को अपनी हाजत की तलब ज़रूरी होती है पस जब वह अपने

सरो पर ताखीर और सख्ती को जमा कर लेते हैं तो उसका ऐब तुम पर चस्पां करते हैं और उसकी जेहमत व तकलीफ तुम पर डालते हैं और उसी में तुम्हारे उमूर की बेहतरी है और साथ ही साथ तुमको उसका अज़्जे-अज़ीम खुदा की बारगाह में मिलेगा। इंशा अल्लाह।

ताजिरों और कारीगरों के जिन उमूर की निगहदाश्त वाली व हाकिम को रखनी चाहिए उसका बयान

तुम व्यापारियों और कारीगरों और उद्योगों के मालिकों पर नज़र रखो और उनके लिये अच्छी वसीअत करो क्योंकि यही लोग तो आम इंसानों के लिए कार आमद माद्दा हैं जिनकी कारीगरी से लोग फायदा उठाते हैं और कारीगरों और उद्योगों के मालिकों को खुश्की व तरी में पहाड़ों की चोटियों से और दुश्मनों के मुमालिक में उनके लिए जो नफाबख्श चीज़ें हैं उनको मोहय्या करते हैं। उनसे फायदा उठाते हैं। और यह अहले सनअत व तिजारत उन जगहों से कार-आमद चीज़ें ले आते हैं जिनकी अकसर लोगों को ख़बर तक नहीं होती और न वो वहां से लाने की ताक़त रखते हैं और न खुद अपने आप कोई कारीगरों का काम अंजाम दे सकते हैं। पस इन सब बातों की वजह से कारीगरों और उद्योगों के मालिकों के कुछ हुक्क व हुरमत है जिनकी हिफाज़त ज़रूरी है पस तुम उनके अमूर की छानबीन करो और उनके मुताल्लिक अपने आमिलो को लिखो। उसके साथ-साथ यह भी जान लो कि उनमें से अकसर ताजिर, कंजूस-लालची होते हैं और महंगा फरोख़्त करने के लिए माल को रोक रखते हैं और महंगाई के मौक़े की तलाश में बैठे रहते हैं वो लोगों पर अरसा-ए-हयात तंग बना देते हैं और उन पर अपना हुक्म चलाते हैं इससे लोगों को बहुत बड़ा नुक़सान पहुंचता है और यह वालियों और हाकिमों के लिए ऐब की बात है। पस उनको उससे मना करो और इस सिलसिले में तुम खुद उनके पास जाओ और जो तुम्हारे हुक्म की ख़िलाफ़ वर्जी करे उसको सख़्त सज़ा दो। इंशा अल्लाह।

वाली व हाकिम को मिस्कीनों और मोहताजों के जिन उमूर की निगहदाश्त करनी चाहिए उसका बयान

और तुम मोहताजों और मिस्कीनों के उमूर से लापरवाही और बे-तवज्जही न करना खुदा के माल में से उनके लिए एक हिस्सा मख्सूस कर देना और अल्लाह तआला ने अपनी किताब कुरआन पाक में ज़कात और खेरात के अमवाल से उनके लिए जो हिस्से मुर्करर कर दिए हैं उनमें हक-इंसाफ के साथ तक्सीम कर दिया जाए और अपने तमाम आमाल में इससे डरते रहो सिर्फ एक ही जगह के लोग ज़कात व खेरात के दूसरी जगह के लोगों से ज्यादा हक़दर नहीं हैं बल्कि जो मसाकीन व मोहताज दूर के शहरों और गांवों में रहते हैं उनका उतना ही हक़ है जितना कि नज़दीक रहने वालों का है। उन तमाम की परवरिश और निगरानी का काम तुम को सुपुर्द किया गया है पस तुम दूसरों के उमूर की निगहदाश्त की वजह से उन मोहताजों और मिस्कीनों के उमूर से गाफिल और ला परवाह ना बन जाना क्योंकि तुम्हारी जानिब से उनमें से हर एक के लिए एक हिस्सा मुर्करर है अगर तुमने उसका हिस्सा नहीं दिया तो तुम माज़ूर न समझे जाओगे। तुम उन फुकराह और मसाकीन के हालात की तेहकीक़ करो जिनकी हाजते तुम्हारे पास पहुंची तक नहीं हैं और उन लोगों की हाजते और ज़रूरीयात को मालूम करो जिनको आंखें ज़लील समझती हैं और जब वह तुम्हारे पास अपनी हाजत पेश करते हैं तो लोग उनको हकीर समझते हैं तुम उन ज़रूरतमंदों और मिस्कीनों के लिए किसी ऐसे शख्स को मुर्करर कर दो जो बा-एतबार हो जिसकी नसीहत तुम्हारे नज़दीक निहायत काबिले वुसूक़ हो वो खैर के कामों में निहायत डरता हो और खुदा के वास्ते बहुत ज़्यादा तवाज़ोअ करता हो और वो नातवानों को हिक़ारत से न देखता हो और न बुरे लोगों को इज़्ज़त व शरफ़ की नज़र से देखता हो ऐसे शख्स को तुम यह हुक्म दो कि वो ज़रूरतमंदों के मामलात को तुम्हारे रूबरू पेश करे और फिर तुम उनके उमूर में ख़ूब छानबीन करो क्योंकि रिआया में जो कमज़ोर व नातवा और ला-गुर है अदल व इंसाफ़ और निगहदाश्त का उन लोगों से ज़्यादा मोहताज है जो तरो ताज़ा और खाते-पीते मोटे-ताज़े हैं और तुम बीमार और मुसीबत ज़दा कमज़ोर लोगों की खबर लो और उन हाजतमंदों की खबर लो जो अपने आपको छुपाते हैं और लोगों से भीख मांगने के लिए

अपने आपको मन्ज़रे आम पर नहीं लाते और ना वो भीख मांगने पर ऐतमाद रखते है। पस तुम खुदा से कुरबत व खुशी हासिल करने के लिए खुदा के माल में से एक हिस्सा मुक़र्रर कर दो क्योंकि आमाल सच्ची नीयतों से ही ख़ालिस और बे-लोस हुआ करते है।

वाली व हाकिम को जिन आदाब और हुस्नो-सीरत से आरास्ता होना चाहिए उनका बयान

इसके बावजूद के तुम हर साहिबे हक़ को उसका हक़ देते हो फिर भी उनमें से अकसर लोगों को इस बात का इमकान होना चाहिए कि वह अपनी हाजतो को खुद तुम्हारे रूबरू पेश करें अगरचे वालियों और हाकिमों पर यह एक किस्म का बोझ और तकलीफ़ है और हक़ तो बोझल होता ही है मगर उन लोगों पर नहीं जिन पर से खुदा ने बोझ को हल्का कर दिया है इसी तरह खुदा का सवाब भी मीज़ान में भारी और बोझल होता है पस तुम अपनी जानिब से हाजतमंदों के लिए कुछ सरमाया मख़सूस कर दो और उनके लिए एक वक़्त मुक़र्रर कर दो जिसमें उनको तुमसे मिलने की पूरी इजाज़त हो और वो तुम्हारे रूबरू जो कुछ पेश करें उसको खुद सुनो। तुम उनसे निहायत लुत्फ़ और नर्मी से पेश आओ और उनमें जो नादानी और हिमाक़त (बेवकूफी) और हम कलामी से आजज़ी है तो तुम उनके इस मजबूरी को अपनी तरह से बिना किसी नफरत और चिड़ चिड़ापन के बरदाश्त कर लो। पस उनमें से तुम जिनको इनामात से नवाज़ो तो निहायत खंदा-पेशानी के साथ इनामात दो और तुम जिसको मेहरूम रखना चाहो तो उसको हुस्न व खूबी के साथ वापस लौटा दो। वालियों और हाकिमों के उमूर को सबसे बढ़कर जो चीज़ ज़ाए करने वाली है वह उनकी सुस्ती है और आज के काम को कल पर और इस घड़ी के काम को दूसरी घड़ी पर डालते रहना है और लाज़िम व वाजिब कामों को छोड़कर ग़ैर वाजिब कामों में मशगूल हो जाना हैं। पस तुम हर काम के लिए एक वक़्त मख़सूस कर दो फिर उससे कभी तुम पीछे न रहना फिर तुम उस वक़्त में अपनी पूरी कोशिश सर्फ़ कर दो और हर दिन के तमाम काम को अंजाम दो और हर पल और हर घड़ी काम में सर्फ़ करो और तुम अपने नफ्स के वासते अपने और खुदा के दरमियान अफज़ल वक़्त मुक़र्रर कर लो अगरचे उन तमाम

औकात में तुम्हारी निय्यत सच्ची है तो वो सब अल्लाह के लिए सर्फ हुए हैं और दिन व रात में अपने दीनी फराइज़ पर किसी और चीज़ को मुकद्दम न करो हालांकि तुम उस दीनी फर्ज़ को अच्छी तरह अन्ज़ाम दे लो और अरसा दराज तक पर्दे में ना रहो क्योंकि इससे लोगों को तुमसे बदगुमानी पैदा हो जायेगी और उमूर में तुम्हारे खिलाफ फसाद हो जाएगा। क्योंकि लोग तो बशर है उनसे जो ग़ालिब चीज़ें हैं वो उनका कोई इल्म नहीं रखते और तुम अपने दरबानों को मुंतख़िब करो उनमें से जो लोगों पर असर रखते हैं और दूसरों के हक़ में दस्त दराज़ी करते हैं और कम इंसाफ़ करते हैं उनको हटा दो और तुम हरगिज़ अपने खानदान वालों में से या अपने नज़दीक के रिश्तेदारों में से किसी को कोई जागीर ना देना अगर उसके नज़दीक रहने वाले लोगों को जागीर में नुक़सान पहुंचता हो तो ऐसी जागीर ख़रीदने की उनको इजाज़त भी ना देना। और अगर तुम्हारे दुश्मन तुमको सुलह की दावत दें तो उसको क़बूल करने से इंकार न करना क्योंकि सुलह से फौज़ को आराम मिलता है और ग़मों से निजात मिलती है और शहरों में अमन व अमान फैल जाता है फिर जब तुम ताक़तवर हो जाओ और मौका हाथ आ जाए तो दुश्मन के अहदनामे को लौटा दो और उससे जंग करने के लिए खुदा से मदद मांगों और जब तुमको दुश्मन सुलेह की दावत दे तो तुम अपने से ख़ूब बच कर बड़े ऐहतियात से काम लो क्योंकि बसा औकात सुलह के नाम से दगा और फरेब किया जाता है और जब तुम मुआहिदा कर लो तो उसको क़लमबंद कर लो कि वादा को पूरा करोंगे और तुम अमानत और सच्चाई के साथ अपनी ज़िम्मेदारी की हिफाज़त करो और ख़बरदार कभी भी खुदा के अहद व पैमान के साथ ग़द्दारी और वादा ख़िलाफी न करना क्योंकि अल्लाह तआला ने अपने अहद और अपनी ज़मानत को अमान बनाकर अपनी रहमत से उसको बंदों के लिए जारी किया है और तंग हालत में सब्र से काम लो तो यह तंगी दूर हो जाएगी। ग़द्दारी से बेहतर है कि तुम उसके इंतिक़ाम और बुरे अंजाम से डरो जो खून हलाल नहीं उसको बहाने में पहल करने से बचो क्योंकि इससे बढ़कर किसी और चीज़ का ज्यादा बुरा अंजाम नहीं है और तुम कमज़ोर मुल्क को ताक़तवर बनाने की कोशिश ना करो क्योंकि तुम्हें मालूम है कि इस मुल्क की और तुम्हारी बका से तुमको क्या हिस्सा और नसीबा मिलेगा जब कि तुम इसके पीछे अपनी जान को हलाक कर दोगे और अपने रब की नाख़ुशी भी अपने सर मोल लोगे और तुम अपने नफ़्स पर घमण्ड करने और एतिमाद करने से बचो

क्योंकि ऐसे मौके को शैतान अपने दिल में निहायत काबिले वुसुक फुरसत तसव्वुर करता है और तुम वक्त से पहले उमूर के अंजाम देने में जल्दबाजी से काम न लो और जब काम के अंजाम देने का वक्त और मौका हो तो उस वक्त सुस्ती से काम न लो और जब अम्र दुश्वार हो जाए उसके बारे में झगड़ा न करो और जब उमूर रोशन हो जाए तो उस वक्त सुस्ती न करो क्योंकि हर अम्र के लिए एक महल व मक़ाम होता है। और हर हालत के लिए एक सूरते हाल हुआ करती है। हज़रत अमीरुल मुअमिनीन^{अ.स.} से मरवी है कि आंहज़रत^{स.अ.व.} ने फरमाया है कि अच्छे काम का हुक्म दो और बुरे कामों से रोको और याद रखो कि जिस शख्स में यह तीन खसलतें होगी वही नेक अमल करने का हुक्म करेगा और बुरे काम से रोकेगा। एक तो वो जिस काम का अम्र करे या जिस काम से रोके उसमें नमी से काम ले और दूसरे जिस नेक काम का हुक्म दे या जिस बुरे काम से रोके तो उसमें अदल व इंसाफ से काम ले और तीसरे यह कि जिस नेक काम का अम्र करे या जिस बुरे काम से मना करे तो उससे अच्छी तरह वाकिफ हो।

इमाम जअफरुस्सादिक^{अ.स.} से मनकूल है आपने फरमाया कि वह इमाम जो खुदा वंदे तआला की जानिब से मुक़रर है या वह शख्स जिसको इमाम ने अपने आदिल और मुनसिफ मिज़ाज वालियों और हाकिमों में से मुक़रर किया है। जब यह लोग किसी की मदद तलब करे तो उनकी मदद करनी चाहिए और जब कोई काम दे तो उसको बजा लाना चाहिए। जिस काम का हुक्म दे उसको इमाम के वास्ते या इमाम के साथ मिलकर अमल करना और उसकी वलायत में मदद करना अल्लाह तआला की इताअत है और इस अमल से जो कमाई हासिल हो वह हलाल है और ज़ालिम इमामों के लिए काम करना या उसके लिए काम करना जिसको उन्होंने काइम किया है और उनके साथ रहकर कमाई करना हराम है और उसमें खुदा की ना फरमानी और मअसियत है।

जंग से पहले जिन कामों को अंजाम देना चाहिए उनका बयान

इमाम जाफरुस्सादिक^{अ.स.} और आपके पिदरे बुजुर्गवार और आपके आबा—ए—किराम से और हज़रत अली^{अ.स.} से मनकूल है कि जब आंहज़रत^{स.अ.व.}

किसी लश्कर को मुहिम पर रवाना करते तो सबसे पहले आप फौज के अफसरे आला को अपने दिल में अल्लाह तआला से डरने की वसीयत फरमाते थे और उसके हमराह जो मुसलमान है उनके साथ हुस्ने सुलूक की वसीयत करते थे और यह वसीयत करते थे कि तुम लोग खुदा के नाम से जंग करो और खुदा की राह में जंग करो और रसूले खुदा^{स.अ.व} के दीन व मिल्लत के लिए जंग करो और याद रखो जब तक तुम अपने मद्दे मुकाबिल कौम पर हुज्जत तमाम न कर लो उस वक्त तक उनसे जंग न करना वो इस तरह कि पहले तुम उनको कलिमा ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मदुन रसूलल्लाह और जो कुछ मैं खुदा की तरफ से लाया हूँ उसके इकरार की दावत न कर लो जंग ना करो अगर वो उन बातों को कबूल कर ले तो फिर वो तुम्हारे दीनी भाई हैं फिर उस वक्त तुम उनको अपने घरों से मुहाजिरीन के घरों की तरफ मुंतकिल होने की दावत करो। अगर वो वहां से मुंतकिल हो जाएं तो ठीक वरना उनको आगाह कर दो कि वो देहाती मुसलमानों के दरजे में हैं। उन पर भी वही अहकामें इलाही जारी होंगे जो तमाम मुसलमानों पर जारी हैं। अलबत्ता अमवाले गनीमत में से उनको कोई हिस्सा न मिलेगा। अगर वो इस्लाम कबूल करने से इंकार कर दे तो ज़िल्लत के साथ जज़िया (टेक्स) देने की दावत दो अगर इस पर राजी हो जाएं तो उनसे झगड़ा ना करो और जज़ियां देने से भी इंकार कर दें तो उनके खिलाफ जंग करने के लिए अल्लाह तआला से मदद मांगो और उनसे जंग करो और याद रखो जंग में किसी बच्चे, बुढ़े और औरत को क़त्ल न करना, बशर्त यह कि वह तुमसे जंग न करते हों और जंग के दरमियान किसी को मसला (रोंदना) न करना यानि किसी के हाथ, कान, नाक वगैरह न काटना और न किसी को तौक पहनाना और न ग़द्दारी करना।

हज़रत अली^{अ.स.} से मरवी है कि आप लश्कर की रवानगी से कब्ल जासूसों और हरावल दस्ता को भेजना मुनासिब समझते थे। आपने फरमाया कि रसूले अकरम^{स.अ.व} ने आमे हुदेबिया के मौक़े पर आपने कबीला ख़ज़ाआ में से एक जासूस को अपनी रवानगी से कब्ल भेजा था। हज़रत अली^{अ.स.} से मनकूल है कि आपने लश्कर के उतरने के बाद खंदक (खाई) खोदने की रूख़स्त दी है। इस सिलसिले में आपने रसूलल्लाह^{स.अ.व} के खंदक खोदने का ज़िक्र फरमाया था। हज़रत अली^{अ.स.} से रिवायत है कि आप हमला करने से पहले परचम और निशान बांध लेना मुनासिब ख़्याल करते थे। हज़रत अली^{अ.स.} से रिवायत है कि आहज़रत^{स.अ.व} ने फरमाया है कि किसी कौम से

उस वक्त तक जंग ना करना चाहिए जब तक कि उनको दीने हक की तरफ बुला ना लिया जाए यानि जबकि उनके पास दावते इस्लाम पहुंची न हो और अगर दावत पहुँच चुकी है और दावत के जरिये उन पर हुज्जत तमाम की हो तो बेहतर है और पहले उसके कि उनको इस्लाम की तरफ बुलाया जाए उनसे जंग की गई दरहालांकि उनको दावत पहुँच चुकी थी तो फिर कोई हर्ज नहीं है। चुनांचे आंहज़रत^{स.अ.व} ने भी बनी मुस्तलक पर उस वक्त हमला कर दिया था जबकि वह गाफिल थे। आपने उनसे जंग की थी और उनकी औलाद को कैद कर लिया था और आपने जंग के वक्त उनको कोई दावत नहीं की थी।

हज़रत अली^{अ.स.} फरमाते हैं कि आज तो लोग अच्छी तरह वाकिफ हो चुके हैं कि उनको किस चीज़ की तरफ बुलाया जाता है और हज़रत अली^{अ.स.} से मनकूल है कि आंहज़रत^{स.अ.व} ने हुक्म दिया है कि जंग से पहले जो अलामती लफज़ होता है उसका ऐलान कर देना चाहिए। और तुम्हारी फौज का अलामती लफज़ अल्लाह के नाम में से कोई एक नाम होना चाहिए। खुदा बेहतर जानता है कि यह हुक्म मुस्तहिब है वाजिब नहीं है।

हज़रत अली^{अ.स.} से मरवी है आपने फरमाया कि जंगे बद्र में असहाबे रसूलल्लाह^{स.अ.व} का शआर (निशान) या मनसूरे उम्मत था जंगे बद्र में मुहाजिरीन का शआर या बनी अब्दुलल्लाह और खज़रज का या बनी अब्दुर्रहमान और ओस का या बनी उबैदुल्लाह था। इमाम बाकिर^{अ.स.} से मरवी है आपने फरमाया कि एक मर्तबा कबीला मज़ीना के कुछ लोग रसूल अकरम^{स.अ.व} की खिदमत में हाज़िर हुए उनसे रसूल अकरम^{स.अ.व} ने फरमाया कि तुम्हारा शआर क्या है? तो उन्होंने कहा कि 'हराम' हमारा शआर है आपने फरमाया कि नहीं बल्कि तुम्हारा शआर 'हलाल' है।

हज़रत अली^{अ.स.} से मरवी है आपने फरमाया कि आंहज़रत^{स.अ.व} ने जंगे हुनैन के मौके पर यह कहकर लोगों की हौसला अफज़ाई की थी कि जो बगैर भरपूर ज़ख्म खाए, गिरपतार हो जाएगा वह हमसे शूमार न होगा।

हज़रत अली^{अ.स.} से रिवायत है कि आपने कुफा के मिम्बर से इस तरह लोगों को हिम्मत दिलाई थी कि ए गिरोह अहले कूफा! तुम लोग दुश्मनों से जंग में सन्न व हिम्मत और शांती से काम लेना वरना खुदा तुम पर ऐसी कौम को मुसल्लत कर देगा कि जिससे तुम उस हक के ज़्यादा मुस्तहिक् हो। हज़रत अली^{अ.स.} से मरवी है आपने फरमाया कि मैदान से भाग

जाना बड़ा गुनाह है। इमाम जअफरुस्सादिक^{अ.स.} ने फरमाया है कि जो शख्स दो आदमियों के मुकाबलें से भाग जाए तो यह कहा जाएगा कि वह भाग गया और जो तीन आदमियों के मुकाबले से भाग जाए तो ऐसे शख्स को भगोडा नहीं कहा जाएगा क्योंकि अल्लाह तआला ने मुसलमानों पर यह फर्ज किया है कि वह मुश्रिकीन की दुगनी तादाद के मुकाबिल जंग करे।

हज़रत अली से मनकूल है कि आंहज़रत^{अ.स.} ने दारुल हरब (वह जगह जहां कुपफार की हुकुमत हो और वहां खुदा की इबादत करने से मना किया जाता हो) वगैरह में अगर फलदार दरख्त हों तो उसको उखाड़ने और जलाने से मना फरमाया है। हालांकि मुसलमानों के फायदे के लिए उसको उखाड़ा जाए तो कोई हर्ज नहीं है क्योंकि अल्लाह तआला का इर्शाद है कि :

مَا قَطَعْتُمْ مِّن لِّينَةٍ أَوْ تَرَكْتُمُوهَا قَائِمَةً عَلَىٰ أُصُولِهَا فَبِإِذْنِ اللَّهِ وَلِيُخْرِىَ الْفَسِيقِينَ •

मा कतअतुम मिन लीनतिन अव तरकतुमू हा काइमतन अला उसूलिहा फ बिइज़निल्लाहि व लियुखज़ियल फासिकीन 28-59/5 तर्जुमा : खजूर का दरख्त जो तुमने काट डाला या जूं का तूँ उनकी जड़ों पर खड़ा रहने दिया तो खुदा ही के हुक्म से और मतलब यह था कि वो ना-फरमानों को रूसवा करे।

हज़रत अली^{अ.स.} से मनकूल है कि आपके नज़दीक यह बात मकरूह और ना पसंदीदा है कि जंग के वक़्त मर्द अपना हथियार डाल दे। सलातुल खौफ के मौक़े पर अल्लाह तआला ने ज़िक्र फरमाया है कि :

وَلْيَأْخُذُوا بِسِلَاحِهِمْ

वल यअखुजू अस्लिहःतहुम 5-4/102 तर्जुमा : और अपनी हिफाज़त की चीज़ें और हथियार (नमाज़ में) साथ लिये रहो। और उसके बाद फरमाया है कि :

وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَّيْلَةً وَاحِدَةً

वद दल लज़ीना कफरू लो तगफुलुनः अन अस्लिहःतिकुम व अमतिअः तिकुम फ यमीलूनः अलैकुम मैलतन वाहिदतन तर्जुमा : कुपफार तो यह चाहते ही हैं कि काश तुम अपने हथियारों और अपने साज़ों सामान से ज़रा ग़फलत करो तो इक बारगी सब के सब तुम पर टूट पड़ें। पस अफज़ल और

बेहतर यही है कि जो शख्स मैदाने जिहाद में हो वो किसी हाल में भी अपना हथियार अलग न करे।

हज़रत अली^{अ.स.} से मरवी है कि आप सूरज के ज़वाल के बाद जब कि नमाज़े जोहर पढ़ी जा चुकी हो उस वक़्त जंग की इब्तदा करना पसंद फरमाते थे। आप फरमाते थे कि पांच मौक़े पर दुआ को ग़नीमत समझो तिलावते कुरआन के वक़्त, अज़ान के वक़्त, बारिश के वक़्त, फरीक़ेन के मुठ भेड़ के वक़्त और मज़लूम की पुकार के वक़्त। आप जब अपने दुश्मन से मुक़ाबला करते होते तो यह दुआ पढ़ते थे बारे इलाहा! तुही मेरे लिए पनाह और नासिर व मददगार है बारे इलाहा! तेरी कुव्वत के भरोसे पर मैं हमला करता हूँ और जंग करता हूँ। आप फरमाते हैं कि रसूले अकरम^{स.अ.व.} ने जंगे ओहद के मौक़े पर इस तरह दुआ की थी कि बारे इलाहा! तेरी ज़ात तमाम हम्दो सना के लायक़ है। और तेरे ही दरबार में शिकायत की जाती है और तुझी से मदद मांगी जाती है। उस वक़्त जिब्रईल^{अ.स.} नाज़िल हुए और फरमाया कि ए मोहम्मद^{स.अ.व.} आपने अल्लाह को उसके सबसे बड़े नाम से पुकारा है।

तरीक़ा—ए जंग का बयान

इमाम जअफररुस्सादिक^{अ.स.} और आपके पिदर बुजुर्गवार से और आपके आबा—ए—किराम से और हज़रत अली^{अ.स.} से मनकूल है कि जब रसूले अकरम^{स.अ.व.} मुक़ाबला करते होते तो पहले पैदल फौज फिर घुड़सवार फौज और फिर ऊँट सवार फौज को तरतीब से खड़ा कर देते थे और हज़रत अली^{अ.स.} से मरवी है कि आप जब जंग के लिए कूच करते तो फौज के दस्तों को मुरत्तिब करते और कबीलों को मुतफर्रिफ़ कर देते थे। उनमें से हर गिरोह पर एक शख्स को मुक़र्रर कर देते और सफ़ों को आरास्ता करते और घोड़ेसवार फौज को तरतीब से खड़ा कर देते फिर जंग के लिए कूच करते थे।

आप जब जंग के लिए कूच करते तो फौज को तीन टूकड़ियों में तक्सीम कर देते थे। मेमना (दायें तरफ), मेयसरा (बायें तरफ) और कल्ब (बीच में) जहां आप खुद तशरीफ़ रखते थे। आप उनको आपस में राबता कायम करते थे और उन पर सरबराह को मुक़र्रर करते थे। आप लोगों को

आहिस्ता बोलने और दुआ करने का हुक्म देते थे और आप उनको अपने दिलों को मजबूत रखने और अपनी अपनी तलवारों को म्यान से बाहर रखने और अपनी तादाद का मुजाहिरा करने और हर शख्स को अपनी जगह पर साबित कदम रहने और जो दुश्मन पर हमला करता उसको हमले के बाद वापस आकर सफ में खड़े रहने का हुक्म फरमाते थे।

हज़रत अली^{अ.स} से मनकूल है कि आपने मुकाबले के लिए सामने वाले को ललकारने की इजाज़त दी है। रसूले अकरम^{स.अ.व} के अहदे मुबारक में जो लोग मुकाबले के लिए सफ से बाहर निकले थे। आपने उनका ज़िक्र भी किया था। आपने जंग के ओसाफ को इस तरह बयान फरमाया है कि पहले पैदल फौज को आगे करना चाहिए। फिर तीरअंदाजों को ताकि वह खूब तीर बरसाएं और लश्कर के दोनों बाजू करीब-करीब हों और मजबूत घोड़ेसवार दस्ते को परचम और मुकद्दम-तुल-जैश (आगे रहने वाले जत्थे) के लिए भरपूर भरोसे के साथ कुव्वत बनाओ। अगर कोई घुड़सवार दुश्मन के लश्कर से निकलकर आए तो उसके लिए अपने मरकज़ से न हटे लेकिन जिसको मालूम हो कि दुश्मन उसके निशाने पर है तो वह अपने मरकज़ को मजबूत बनाने के बाद अपने मरकज़ से हटे और मौक़े से फायदा उठाए और जब अपने मक़सद में कामयाब हो जाए तो अपने मरकज़ पर वापस आ जाए और जब तुम हमला करने का इरादा करो तो साहिबुल क़द्मा यानि हरावल दस्ते का अफसरे आला पहल करे अगर वह कमज़ोर हो जाए तो फौज का पांचवा दस्ता और मसलह फौज चारों तरफ झाड़ियों में और ऊँची जगहों पर हिफाज़त के लिए अपने ठिकानों में छुपे रहें। और अगर तुम पर हमले की पहल दुश्मन करे तो उस वक़्त तुम खूब नेज़ा मारो और अपनी जगह पर साबित क़दम रहो और सब्र से काम लो और तीरअंदाजों को भी खूब तीर बरसाना चाहिए और परचमों को खूब लहराओ और ढालों को खनखनाओ और जो लोग ज़िरहपोश है वो दुश्मनों के रूबरू हो जाएं। अगर वह मामूली सी भी शिकस्त खा जाएं तो उन पर सबसे पहला दस्ता हमला करे और सब मिलकर इक बारगी हमला न करे जब तक कि हमला करने वाला दुश्मन के रूबरू खड़ा रहे अगर वो खड़ा न रह सके तो तुम उसकी थोड़ी थोड़ी मदद करो और तुम अपनी सफ़ों से चिमटे रहो और अपनी जगहों पर साबित क़दम रहो। पस जब शिकस्त के आसार नज़र आ जाएं तो तुम लोग अपनी जमात के साथ बग़ैर तितर बितर हुए फौजी तरतीब की सूरत में वापस हो जाओ।

हज़रत अली^{अ.स.} से मरवी है आपने फरमाया कि अगर दुश्मन तुम्हारी जानिब कूच करे तो खंदको के दरवाज़ों पर सफ बस्ता हो जाओ। पस वहां तलवारों के सिवा और कुछ भी नहीं है और सफों को मुस्तहकिम करने के बाद ज़मीन पर साबित क़दम रहने के सिवा और कुछ न करो तुम उनके चेहरों की तरफ ना देखो और उनकी तादाद से तुम ख़ौफ ना खाओ। मगर जिस ज़मीन में तुम्हारे वतन है। उन पर नज़र रखो। अगर वह तुम पर हमला कर दे तो तुम दो ज़ानू होकर बैठ जाओ और सफ बस्ता मुस्तहकिम हालत में बग़ैर किसी शिगाफ के ढालो के पीछे छुप जाओ और अगर पीठ फिराकर भाग खड़े हो तो उन पर तलवारों से तुम हमला कर दो और अगर वह साबित क़दम रहें तो तुम भी फौजी तरतीब के साथ साबित क़दम रहो। अगर वह शिकस्त खाएं तो अपने घोड़ो पर सवार होकर दुश्मनों की तलब में निकल जाओ और पनाह ब—खुदा तुम शिकस्त खा जाओ तो बाहम दुआ करो और उस वक़्त अल्लाह को याद करो और उस सज़ा को याद करो जिससे खुदा ने मैदान से भाग जाने वालों को डराया है और जिसको तुम पीठ फिराते हुए देखों उसको टुकड़े टुकड़े कर दो और झंडो को इकट्ठा करके बांध लो और जो थोड़े माल व असबाब वाले और आसान हालत में है वह शिकस्त ख़ूरदाह लोगों को जल्दी से जमात और छांवों में इकट्ठा कर लें और जो इस हाल में हो वो तुम्हारी तरफ भागकर चला आए। पस जब तुम्हारे अतराफ (आस—पास) जमा हो जाएं और तुमको इमदाद पहुँच जाए और शिकस्त ख़ूरदाह फौज वापस आ जाए तो लोगों को उनके काइदीन (सरदार) के साथ कर दो और उनको मुस्तहकिम तौर से आरास्ता कर लो। फिर जंग करो और खुदा से मदद मांगों और सब्र व तहम्मूल (बरदाश्त) से काम लो और शिकस्त के वक़्त साबित क़दम रहने में और दुश्मन की फौज पर एक तन्हा शख्स का अपनी शुजाअत पर भरोसा करके हमला करें तो उसमें बहुत फज़ल व सवाब है।

जैसा कि इमाम बाकिर^{अ.स.} से मरवी है आपने फरमाया कि जंगे ओहद में जब असहाब रसूल अकरम^{स.अ.व} से जुदा हो गए और सिर्फ आपके साथ हज़रत अली^{अ.स.} साबित क़दम रहे लोगों का उस वक़्त जो हाल था वह मालूम है। उस वक़्त रसूलल्लाह^{स.अ.व.} ने फरमाया कि ए अली तुम भी चले जाओ तो आपने यह फरमाया रसूले खुदा^{स.अ.व} को छोड़कर मैं कैसे चला जाऊँ ? ऐसा नही हो सकता बल्कि मैं आपसे पहले अपनी जान आप पर क़ुरबान कर दूंगा और मेरा ख़ून आपके ख़ून से पहले बह जाएगा। पस रसूले

खुदा^{स.अ.व} ने यह सुनकर आपकी ख़ूब तारीफ की। फिर आपने देखा कि दुश्मनों का एक दस्ता आपकी तरफ बढ़ रहा है तो आपने फरमाया कि ए अली^{अ.स.} तुम उस पर हमला कर दो। चुनांचे हज़रत अली^{अ.स.} ने उस लश्कर पर हमला करके उसको मुत्तफर्रिक कर दिया। और हश्शाम बिन उमय्या मखजूमि को क़त्ल कर डाला। फिर दूसरा लश्कर आया। रसूल खुदा^{स.अ.व} ने फिर हज़रत अली^{अ.स.} से फरमाया कि ए अली^{अ.स.} तुम इस लश्कर पर भी हमला कर दो। चुनांचे आपने उस पर हमला करके उसको भी मुत्तशिर कर दिया और उमर बिन अब्दुल्लाह अलजहमी को मार डाला। फिर दूसरा लश्कर आया आहज़रत^{स.अ.व} ने फिर हज़रत अली^{अ.स.} को फरमाया कि ए अली^{अ.स.} इस पर हमला कर दो। पस हज़रत अली^{अ.स.} ने उस पर हमला करके उसको मुत्तशिर कर दिया। और बनी आमिर बिन लोवइ के भाई शेबा बिन मालिक को क़त्ल कर डाला। उस वक़्त जिब्रईल^{अ.स.} रसूलल्लाह^{स.अ.व} के साथ-साथ थे। उस वक़्त जिब्रईल^{अ.स.} ने कहा कि ए मोहम्मद^{स.अ.व} यह अली^{अ.स.} की आपके साथ मवासात और हमदर्दी है। आहज़रत^{स.अ.व} ने फरमाया कि ए जिब्रईल^{अ.स.} अली^{अ.स.} मुझसे हैं और मैं अली से हूँ। उस वक़्त जिब्रईल^{अ.स.} बोल उठे कि ए मोहम्मद^{स.अ.व} और मैं तुम दोनों में से हूँ।

मुशरिकीन से जंग करने का बयान

अल्लाह तआला का इर्शाद है कि :

فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرْمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَجَدْتُمُوهُمْ

फ इज़न सलखल अशहूरुल हुरूमो फकतुलुल मुशरिकीन: हैसो वजदत्तुमूहुम 10-9/5 तर्जुमा : फिर जब हुरमत के चारों महीने गुज़र जाएं तो मुशरिको को जहां पाओ बे-ताम्मुल क़त्ल कर दो। और दूसरे मुक़ाम पर इर्शाद है कि :

فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ ۖ حَتَّىٰ إِذَا أَثْنَتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ

फ इज़ा लकीतुमुल लज़ीन: कफरु फज़रबर रिकाबि हत्ता इज़ा असखनतुमूहुम फशुहुल वसाक 26-47/4 तर्जुमा : तो जब तुम काफ़िरो से भिड़ो तो उनकी गर्दने मारो। यहां तक कि जब तुम उनको ज़ख्मों से चूर कर डालो तो उनकी मशक़े कस लो। और दूसरे मक़ाम पर इर्शाद है कि :

وَأَقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِّنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُم

वक़्तुलूहुम हैसो सकिफतुमूहुम व अखरिजू हुम मिन हैसो अखरजू कुम
2-2/191 तर्जुमा : और तुम उन मुशरिको को जहां पाओ मार ही डालो।
और उन लोगों ने जहां (मक्का से) तुम्हें शहर बदर किया है तुम उन्हें बाहर
करो और इर्शादे बारी है कि :

أَذِنَ لِلَّذِينَ يُقْتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظَلَمُوا ۖ وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ •

उज़िन: लिल्लज़ीन: युकातलुन: बिअन्नहुम जुलिमू व इन्नल्लाह: अला नसरिहिम
ल कदीर 17-22/39 तर्जुमा: मुसलमानों से कुपफार लड़ा करते थे चूंकि
वह बहुत सताते थे इस वजह से उन्हें भी जिहाद की इजाज़त दे दी गई
और खुदा तो उन लोगों की मदद पर यकीनन कादिर है। इमाम
जअफरुस्सादिक^{अ.स.} से मनकूल है कि आपने फरमाया कि तमाम रूए ज़मीन
और जो कुछ इसके अंदर है वह तमाम अल्लाह और उसके औलिया किराम
और उनके अतबा मुअमिनीन का हक़ है पस ज़मीन का जो हिस्सा उन
काफिरों और ज़ालिमों के हाथों में है उसके हक़दार तो औलिया उल्लाह हैं।
वह इस सिलसिले में मज़लूम है। इस राह में उनको जिहाद की इजाज़त दी
गई है। चुनांचे उसके मुताल्लिक़ खुदा वंदे तआला का यह इर्शाद है कि :

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ

मा अफाअल्लाहो अला रसूलिही मिन अहलिल कुरा 28-59/7 तर्जुमा :
तो जो माल खुदा ने अपने रसूल को देहात वालों से बे लड़े दिलवा दिया
है पस फीई किसी चीज के अपने अहल और असल जगह की तरफ लौट
जाने को कहते हैं। इस पर से यह भी कहा जाता है कि फा अल फीई जब
कि साया लौट जाता है और उसी के मुताबिक़ अल्लाह तआला का यह
इर्शाद भी है कि :

فَإِن فَاءَ وَفَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ •

फ इन फाऊ फ इन्नल्लाह: ग़फ़ूर रहीम 2-2/226। तर्जुमा : अगर लौट
जाएं तो खुदा बख़्शाने वाला मेहरबान है। सादिक़ आले मोहम्मद^{अ.स.} की
खिदमत में अर्ज़ किया गया कि लोग यह कहते हैं कि यह आयत करीमा उन

मुहाजिरीन के बारे में नाज़िल हुई थी जिनको मक्का से शहर बदर कर दिया गया था क्योंकि इस ज़िक्र के बाद ही खुदा ने फरमाया है कि :

الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا أَنْ يَقُولُوا رَبَّنَا اللَّهُ

अल लज़ीनः उखरिजू मिन दियारिहिम बिगैरि हक्किन इल्ला अन्यकूलू रब्बनल्लाहो 17-22/40 तर्जुमा : वो मुसलमान जिनको ना हक उनके घरो (मक्का से) शहर-बदर कर दिया गया उनका सिर्फ यही कसूर था कि वह यह कहते थे कि हमारा परवरदिगार अल्लाह है। आपने साइल से फरमाया कि यह आयते करीमा मुहाजिरीन के बारे में है और उन तमाम लोगों के बारे में जो उनके हाल से मुशाबेह (उन जैसे) है जिनका हमने ज़िक्र किया है। अगर मान लिया जाए कि यह आयत मुहाजिरीन के लिए मख़सूस है तो इसका मतलब यह हुआ कि मुहाजिरीन के अलावा दूसरों को जिहाद की इजाज़त नहीं है। हालांकि अल्लाह तआला ने मुशरिकों को क़त्ल करने का आम तौर से हुक्म दिया है और आंहाज़रत^{स.अ.व} ने यह बता दिया है कि उन तमाम मुशरिकीन में से बाज़ क़त्ल से मुस्तस्ना है क्योंकि अल्लाह तआला का इर्शाद है कि :

وَ أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ

व अनज़लना इलैकज़ ज़िकरः लि तुबय्यिनः लिननासि मा नुज़ज़िलः इलैहिम 14-16/44 तर्जुमा : और हमने तुम पर यह कुरआन नाज़िल किया है ताकि जो अहकाम लोगों के लिए नाज़िल किए गए हैं तुम उनसे साफ साफ बयान कर दो।

हम इसमें पहले यह लिख चुके हैं कि औरतों, बच्चों, बुढ़ों को उस वक़्त तक ना क़त्ल किया जाए जब तक कि वह खूरेज़ जंग न करे।

हज़रत अली^{अ.स} से मरवी है कि आंहाज़रत^{स.अ.व} ने जंगे बद्र के मौक़े पर लोगों से यह फरमाया था कि खानदान अब्दुल मुत्तलिब में से जिसको तुम कैद कर सको उसको क़त्ल ना करो क्योंकि उनको मैदाने-जंग की तरफ मजबूर करके लाया गया है। इससे मालूम हुआ है कि जो लोग इनके हममिस्तल हों तो हस्बे-कुदरत उनको क़त्ल से महफूज़ रखा जाए। हज़रत अली^{अ.स} से रिवायत है कि कबीला-ए-खुशअम की तरफ आंहाज़रत^{स.अ.व} ने एक लश्कर को रवाना फरमाया जब कबीला-ए-खुशअम को उनके आने का अहसास हुआ तो वह सजदे में गिरकर पनाह मांगने लगे मगर उन्होंने

उनमें से बाज़ को मारा डाला। जब इसकी इत्तिला रसूल खुदा^{स.अ.व.} को हुई तो आपने उनको क़त्ल करना ना पसंद किया और आपने फरमाया कि उनके सजदा करने की वजह से उनके वारिसों के लिए अक्ल यानि खून बहा का निस्फ (आधा) हिस्सा है और आपने फरमाया कि मैं हर उस मुस्लिम से बरी हूँ जो एक घर में मुशरिक के साथ ठहरेगा।

हज़रत अली^{अ.स.} से रिवायत है आपने फरमाया कि मुशरिकों को लोहे पत्थर आग पानी वगैरह जिस चीज़ से भी क़त्ल करना मुमकिन हो उनको क़त्ल करना चाहिए आपने फरमाया कि आहज़रत^{स.अ.व.} ने अहले—ताइफ पर मन्जनीक नस्ब कर दिया था और आपने फरमाया कि अगर मुशरिकों के साथ उनके क़िले में मुसलमान की भी जमात हो और वह उनको अपने साथ खड़ा कर ले तो उनको तीर मारने का क़सद ना करो। तुम मुशरिकों को तो तीर से मारो लेकिन मुसलमानों को ख़बरदार करो कि अगर उनको ज़ब्रदस्ती ला खड़ा किया गया है तो बचें और जिस क़द्र उनसे दूर रह सके दूर रहें। अगर तुम ने उनमें से किसी मुसलमान को क़त्ल कर दिया तो उसका खून बहा देना पड़ेगा।

हज़रत अली^{अ.स.} से मरवी है आपने फरमाया कि अगर तुमको अहले—हरब में से कोई शख्स हाथ लग जाए और वो यह दावा करे कि वह तुम्हारी तरफ कासिद बनकर आया है तो अगर उसका पता और सबूत मिल जाए तो तुम उसका कुछ नहीं कर सकते जब तक कि वह अपना पैगाम पहुँचाकर अपने असहाब से ना जा मिले। अगर तुम्हें उसके कासिद होने का कोई सबूत ना मिले तो उसकी बात ना क़बूल करो।

कैदियों के अहकाम का बयान

अल्लाह तआला का इर्शाद है कि :

فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ ۖ حَتَّىٰ إِذَا أَتَخْتَمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوُثَاقَ ۖ فَمَا مَنَّا بَعْدَ وَءَامَا فِدَاءٍ حَتَّىٰ تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا

फ इज़ा लकीतुमुल लज़ीन: कफरु फज़र बर रिकाबि हत्ता इज़ा अस्खन तुमूहुम फशुदुल वसाक: फइम्मा मन नम बअदो व इम्मा फिदाअन हत्ता

तज़ःअल हरबो अवज़ारहा 26-47/4 तर्जुमा : तुम जब काफ़िरों से भिड़ो तो उनकी गर्दन मारो यहां तक कि जब तुम उन्हें ज़ख्मों से चूर कर डालो तो उनकी मशकें कस लो। फिर उसके बाद या तो अहसान रख कर छोड़ देना या मुआवज़ा लेकर रिहा करना। यहां तक कि दुश्मन लड़ाई के हथियार रख दे।

हज़रत अली^{अ.स.} से रवायत है आपने फरमाया कि आहज़रत^{स.अ.व} ने जंगे बद्र में कुछ लोगों को कैद कर लिया था और उनसे मुआवज़ा लेकर छोड़ दिया था। पस इमाम को इख्तियार है कि जब मुशरिकों पर अल्लाह तआला उसको अमानत अता करे तो वह चाहे उनको क़त्ल कर डाले या कैद कर ले और उनको अमवाल ग़नीमत में डालकर कर किरआ अंदाजी (चिट्ठी उठाना) के ज़ारीए तक्सीम कर दे। उनमें से जिन पर अहसान करना मुनासिब समझे तो उन पर अहसान करे और जिनसे मुआवज़ा लेना मुनासिब समझे उनसे मुआवज़ा लेकर छोड़ दे। जबकि इमाम को इस बात का पूरा इल्म हो कि वह जो कुछ भी करेगा उसमें मुसलमानों की भलाई और बेहतरी है और मुशरिकों के क़िले में से कोई निकल कर चला आए या किसी मुसलमान के हुक्म पर मुशरिकों के लश्कर से कोई बाहर चला आए। पस उसके मुताल्लिक वह यह हुक्म करे कि उसको गुलाम बना लिया जाए या क़त्ल कर दिया जाए या वह ज़िम्मी (जज़िया देकर रहने वाले) के तौर पर रहे तो उन तमाम सूरतों में वह जो भी हुक्म देगा जाइज़ होगा। अगर उसके ख़िलाफ़ हुक्म करेगा तो वह जाइज़ ना होगा। फिर उसके हुक्म से उसकी पनाहगाह की जानिब उसको लौटा दिया जाए और उससे जंग की जाए।

इमाम जअफरुस्सादिक^{अ.स.} से मनकूल है कि बनी क़रीज़ा सअद बिन मआज़ के हुक्म पर अपने क़िले से बाहर निकल आए थे। पस आहज़रत^{स.अ.व} ने सअद को हुक्म दिया कि वह उसका फैसला करे। पस उन्होंने यह फैसला किया कि उनमें से जो जंग करते हैं उनको क़त्ल कर दिया जाए और उनकी औलाद को गुलाम बना लिया जाए। उस वक़्त आहज़रत^{स.अ.व} ने सअद से फरमाया कि तुमने अल्लाह के उस हुक्म के मुताबिक़ फैसला किया है जो सात आसमान से उतरा है। इमाम जअफरुस्सादिक^{अ.स.} से मनकूल है आपने फरमाया कि वाजिब है कि कैदी को खाना खिलाया जाए और पानी पिलाया जाए और उसके साथ नर्मी की जाए चाहे उसको क़त्ल करने का ही इरादा क्यों न हो।

इमाम हुसैन^{अ.स.} से मरवी है आपने फरमाया कि मुसलमान कैदी को आज़ाद करना उस सर ज़मीन के लोगों पर वाजिब है जहां उसने जंग की थी।

पनाह और अमान देने का बयान

हज़रत अली^{अ.स.} से मनकूल है कि आहज़रत^{स.अ.व} ने फरमाया है कि तमाम मुसलमानों की ज़मानत एक ही नोइय्यत की होती है उनमें एक अदना आदमी भी किसी की ज़मानत ले सकता है आपने फरमाया कि एक मर्तबा आहज़रत^{स.अ.व} ने मस्जिद खैफ में खुतबा दिया। उसमें आपने फरमाया कि उस शख्स पर खुदा की रहमत जिसने मेरी बात सुनी और उसको याद रखा और जिसने उसको नहीं सुना था उस तक पहुँचा दिया। पस याद रखो कि कितने हामिले फिकह ऐसे हैं जो हकीकत में फकीहा नहीं हैं और कितने आमिल फिकह तो ऐसे हैं जो अपने से बुलंद पाया फिकह के मोहताज हैं। और आपने फरमाया कि यह तीन बातें ऐसी हैं कि जिनके साथ मर्द मुअमिन का दिल खयानत नहीं करता। बे लूस अमल, मुसलमानों के अइम्मा को “नुसुहत” यानि खैर ख्वाही करना और उनकी जुमात को नसीहत करना क्योंकि उनकी दावत मुसलमानों पर मुहीत है और तमाम मुसलमान भाई भाई हैं। उनका खून यकसां और बराबर है। उनमें से अदना आदमी भी किसी की ज़मानत ले सकता है। पस जब कोई मुसलमान किसी मुशरिक को पनाह दे तो वाजिब नहीं है कि उसकी ज़मानत को तोड़ दिया जाए। मुशरिकों के सामने इस्लाम की शर्तें पेश की जाए। पस अगर वह इस्लाम लाना कबूल कर ले या फिर ज़िम्मी बनकर रहे तो ठीक है वरना उनकी पनाहगाहों की तरफ वापस करके उनसे जंग की जाए। अगर उसके बगैर उनमें से किसी को क़त्ल कर दिया गया तो उसके कातिल पर खून बहा देना वाजिब है जैसा कि अल्लाह तआला का इर्शाद है कि :

فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ

फ तहीररो रकबतिम मोमिनतिन वदिय:तुन मुसल्लमतुन इला अहलिही 5-4/92 तर्जुमा : और एक बंदे मुअमिन का आजाद करना वाजिब है और कातिल पर वारिसाने मकतूल को खून बहा देना वाजिब है। रसूले अकरम^{स.}

अ.व से और इमाम बाकिर^{अ.स.} से यह मरवी है कि आपने फरमाया कि मुशरिकों को अगर कोई ज़िम्मी या मुशरिक मुसलमानों के साथ उनकी छांवनी में पनाह दे तो उसकी जमानत मकबूल ना की जाए।

हज़रत अली^{अ.स.} से मनकूल है आपने फरमाया कि अगर कोई मुसलमान किसी मुशरिक को पनाह देने का इशारा करे और वह उसके हुक्म पर उतर आए तो वह पनाह और अमान में है। इमाम जअफरुस्सादिक^{अ.स.} फरमाते हैं अमान किसी जुबान हो जाइज़ है। इमाम जअफरुस्सादिक^{अ.स.} से मरवी है आपने फरमाया कि अगर कोई मुशरिक पनाह चाहते हुए मुसलमानों की सरज़मी में दाखिल हो जाए और फिर वहां से लौटकर जाना चाहे तो वह दारुल मुस्लिमीन से कोई ऐसा हथियार लेकर ना जाए जो उसके लिए मुफीद और कारे आमद हो और कोई ऐसी चीज भी ना ले जाने पाए जिससे वह जंग करने पर क़ादिर हो जाए और पनाह मांगने वाले मुशरिकों के दरमियान जो मामलात दारुल हरब (जहां मुशरिकों का कब्ज़ा हो) में थे वह अपने मामलात का फैसला करने के लिए मुसलमानों के रूबरू पेश करे तो उनके ऐसे मामलात का कोई फैसला ना किया जाए। अलबत्ता दारुल इस्लाम में अगर उनके दरमियान कोई निज़ाअ हो तो उसका फैसला किया जा सकता है और जब कोई औरत पनाह तलब करते हुए दारुल इस्लाम में दाखिल हो तो इससे उसके मुशरिक शौहर की इस्मत खत्म हो जाती है और जब कोई पनाह का तालिब मुशरिक दारुल इस्लाम में दाखिल हो तो उसने जो कुछ दारुल शिर्क में माल व दौलत छोड़ा है वह ग़लबे की सूरत में माले ग़नीमत में शुमार होगा। और अगर दारुल शिर्क में इस्लाम लाने के बाद दारुल इस्लाम में मुसलमान होकर दाखिल हुआ है तो उसके तमाम बच्चे मुसलमान होंगे और उसके माल पर उसी का हक़ होगा।

सुलह, मुआहिदा और जज़िया का बयान

हम इससे क़ब्ल लिख चुके हैं कि आमे हुदेबिया के मौक़े पर आंहज़रत^{स.अ.व} ने अहले मक्का के साथ मुआहिदा किया था। पस इमाम को और जिसको इमाम ने क़ाइम किया है उसको सुलह और मुआहिदा के बारे में सोचने का इख्तियार है। अगर वो उसको मुसलमानों के हक़ में बेहतर समझे तो मुशरिकों से कुछ माल या किसी और चीज़ पर बतौर ज़मानत

कब्ज़ा करके साल दो साल के लिए सुलह कर ले और ज्यादा से ज्यादा मुशरिकीन इमाम या नाएबे इमाम के साथ दस साल तक का मुआहिदा कर सकते हैं और वाजिब है कि उनके मुआहिदे की पूरी पाबंदी की जाए और उनकी जमानत को तोड़ा ना जाए। लेकिन अगर इमाम को या उस शख्स को जिसको इमाम ने मुकर्रर किया है मुशरिकीन के साथ जंग करने ही में मुसलमानों की भलाई नज़र आए मुद्दत गुज़रने से पहले तो मुशरिकीन के अहदों पैमान को वापस कर लेना चाहिए। इमाम उनको बा कायदा मुत्तलअ कर दे कि वह उनसे जंग करने वाला है। फिर जंग करे। हमनें यहां पर जो कुछ लिखा है वह सब अहले बैते रसूल^{अ.स.} से मनकूल है।

और अगर अहले किताब जज़िया दें तो उनसे कबूल कर लिया जाए और उनसे जंग न की जाए क्योंकि अल्लाह तआला का इर्शाद है कि :

قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ

• صَاغُرُونَ •

कातिलुल लज़ीन: ला युअमिनून: बिल्लाहि वला बिल यौमिल आखिरि वला युहररिमुन: मा हररमल्लाहो व रसूलुहू वला यदीनून: दीनल हक्के मिनल लज़ीन: ऊतुल किताब: हत्ता युअतुल जिज़यत: अन्ययदिव्वहुम सागिरून 10—9/29 तर्जुमा : अहले किताब में से जो लोग न दिल से खुदा ही पर ईमान रखते हैं और न रोज़े अखिरत पर और न खुदा और उसके रसूल की हराम की हुई चीज़ों को हराम समझते हैं। और न सच्चे दीन ही को इस्तिथार करते हैं। उन लोगों से लड़े जाओं। यहां तक कि वह लोग ज़लील होकर अपने हाथ से जज़िया दे और जिन लोगों के साथ मुआहिदा किया गया है उन पर किसी किसम का जुल्म करने से आंहज़रत^{स.अ.व} ने मना फरमाया है।

इमाम जअफरुस्सादिक^{अ.स.} से और आपके पिदर बुर्जुगवार से और आपके आबा—ए—किराम से और हज़रत से और रसूल अकरम^{स.अ.व} से मरवी है आपने फरमाया कि क़यामत उस वक़्त आएगी जब जिसके साथ अहदों पैमान किया गया है उसको इस तरह खाया जाएगा जैसे घास खाई जाती है। हज़रत अली^{अ.स.} से रिवायत है कि रसूल खुदा^{स.अ.व} ने इर्शाद फरमाया है

कि जो शख्स ज़िम्मी के उस जज़िया को माफ कर देगा जिसको अल्लाह तआला ने लाज़िम करार दिया है या माफ कर देने के लिए ज़िम्मी की सिफारिश करेगा तो वह अल्लाह व रसूल और तमाम मुसलमानों के साथ ख़यानत करेगा।

इमाम बाकिर^{अ.स.} से मरवी है आपने फरमाया कि जज़िया मुजाहिदीन का अतीया है और सदका उन लोगों के लिए है जिनका ज़िक्र खुदा वंद तआला ने अपनी किताब में फरमाया है। जज़िया में उनका कुछ भी हक नहीं है। उसके बाद आपने फरमाया कि अदल व इंसाफ का दामन कितना कुशादा है। लोगों के साथ अगर अदल व इंसाफ का बराबर सुलूक किया जाए तो वह मोहताज न रहेंगे। इमाम जअफरुस्सादिक^{अ.स.} से मरवी है आपने फरमाया कि मुशरिकीन के साथ जंग करने के लिए जिन ज़िम्मियों से मदद ली जाए उनका जज़िया माफ कर देना चाहिए। हज़रत अली^{अ.स.} से मनकूल है आपने फरमाया कि किसी अरबी का जज़िया कबूल न किया जाए। अगर वह इस्लाम न लाए तो उनके साथ जिहाद किया जाए। आपसे यह भी मनकूल है कि मजूसी अहले किताब है मगर उनकी शरअ मिट चुकी है। आपने उनका पूरा वाकिआ बयान करने के बाद फरमाया कि उनसे भी जज़िया लिया जाए।

हज़रत अली^{अ.स.} से मनकूल है आपने फरमाया कि आजाद ज़िम्मियों में से जो बालिग मर्द हैं उन पर जज़िया अदा करना वाजिब है और उनमें से जो गुलाम हैं उन पर जज़िया वाजिब नहीं और औरतों और बच्चों पर वाजिब नहीं है और गांव के सरदारों और मालदारों में से हर शख्स से हर साल अरतालीस दिरहम जज़िया लिया जाए और दरमियानी तबक के लोगों से चोबीस दिरहम जज़िया लिया जाए। और निचले दर्जे के लोगो से बारह दिरहम जज़िया लिया जाए। उसके अलावा जिनके पास ज़मींदारी है उन पर ख़िराज (लगान) भी वाजिब है। ख़्वाह छोटा हो या बड़ा औरत हो या मर्द सबसे ख़िराज वसूल किया जाए और उनमें से जो इस्लाम कबूल कर ले उसका जज़िया तो माफ कर दिया जाए लेकिन ख़िराज माफ न किया जाए। क्योंकि ख़िराज तो ज़मीन का वसूल किया जाता है अगर उन्होंने ज़मीन ही को फरोख्त कर दिया है और उस पर मुसलमान काबिज हो चुके हैं। इस सूरत में उस ज़मीन का ख़िराज लिया जाएगा और अगर पनाह का तालिब मुशरिक अपने साथ दो सौ दिरहम या उससे ज्यादा अपने हमराह लेकर दारुल इस्लाम में दाखिल हो तो उसका दसवां हिस्सा ले लिया जाए और

माल व असबाब हो तो उसकी कीमत लगाकर दसवां हिस्सा लिया जाए। हज़रत अली^{अ.स.} से मनकूल है कि आपने ज़िम्मियों से जज़िया की जगह पर उसी कीमत के माल व असबाब लेने की रूख़स्त दी है और इमाम जअफररुस्सादिक^{अ.स.} से मरवी है कि आपने ज़िम्मियों से जज़िया में शराब और सूअर से कमाई हुई रक़म लेने की रूख़स्त दी है क्योंकि इनका अकसर सरमाया हराम कमाई और सूद का होता है। हज़रत अली^{अ.स.} से मरवी है कि आहज़रत^{स.अ.व.} ने मना फरमाया है कि जब तुम अहले कनाइस (इसाई) के पास जाओ तो उनके गिरजा में ना ठहरो। आपने फरमाया कि इन पर लाअनत बरसती है आपने इन पर सलाम में पहल करने से मना फरमाया है लेकिन अगर वह सलाम की इब्तिदा करें तो सिर्फ़ *वालेकुम* कह दो। आहज़रत^{स.अ.व.} ने दारुल इस्लाम में नया गिरजा बनाने से मना फरमाया है। सादिक़ इमाम^{अ.स.} से मनकूल है कि आपने फरमाया कि जिम्मी न हरम में दाख़िल हो न दारुल हुजरा (राजधानी) में दाख़िल हो। इन दोनों जगहों से उनको निकाल दिया जाए।

तक़सीम से कब्ल माले ग़नीमत का हुक्म

अल्लाह तआला का इर्शाद है कि :

وَمَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَمَةِ ۖ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ
व मन्य यगलुल यअति बिमा गल्ल: यौमल कियामति सुम्म: तुवप्फा कुल्लो
नफसिम माकसबत वहुम ला युज़लमून 4-3/161 तर्जुमा : और जो खयानत करेगा तो जो चीज़ खयानत की है क़यामत के दिन वही चीज़ बईना खुदा के सामने लाना होगा। और फिर हर शख़्स अपने किये का पूरा बदला भर पाएगा और उनकी किसी तरह हक़ तलफ़ी न की जाएगी। इमाम जअफररुस्सादिक^{अ.स.} से और आपके बुर्जुगवार से और आपके आबा-ए-किराम से और हज़रत अली^{अ.स.} से मनकूल है कि आहज़रत^{स.अ.व.} ने फरमाया है इस अबा (कुर्ता) के साहिब को जिसने इसको ख़यानत करके हासिल किया है मैंने जहन्म में देखा है और आपने फरमाया कि माले ग़नीमत में सुई धागा तक बराबर तक़सीम करो।

अमीरूल मुअमिनीन^{अ.स.} से मरवी है कि रसूले खुदा^{स.अ.व.} ने मना फरमाया है कि माले ग़नीमत तक़सीम होने से पहले जानवरों पर सवारी ना करना चाहिए कि वह कमज़ोर हो जाएं और ना उसमें से एक कपड़ा पहनना चाहिए कि वह पुराना हो जाए। लेकिन तक़सीम से पहले मुसलमानों को दुश्मनों से जिहाद करने के लिए माले ग़नीमत की ज़रूरत हो तो उससे फायदा उठाने में कोई हर्ज नहीं है। उनको इस्तेमाल करके वापस माले ग़नीमत में रख देना चाहिए। जैसे हथियारों और जानवर वगैरह की ज़रूरत हो तो काम में लाया जाए और माले ग़नीमत की तक़सीम से पहले घास और खाने की चीज़ों के इस्तेमाल में कोई हर्ज नहीं है क्योंकि जंगे ख़ेबर के मौके पर रसूलल्लाह^{स.अ.व.} के असहाब को खाने की बहुत सी चीज़ें मिली थी जिनको उन्होंने माले—ग़नीमत की तक़सीम से पहले खा लिया था। हज़रत अली^{अ.स.} से मरवी है कि आहज़रत^{स.अ.व.} ने माले ग़नीमत की तक़सीम से पहले अपने हिस्से का फरोख़्त करने से मना फरमाया है क्योंकि इससे हिस्से का माल अभी ना मालूम है और फौज के अफसरे आला को यह इख़्तियार है कि माले ग़नीमत की तक़सीम से पहले उसमें से कोई उम्दा सी एक चीज़ अपने लिए मुनतख़िब कर ले।

मरवी है कि आहज़रत^{स.अ.व.} ने यमन की जानिब फौज के दो दस्तों को रवाना फरमाया था। एक फौज के काइद अली^{अ.स.} थे और दूसरी फौज के ख़ालिद बिन वलीद। आहज़रत^{स.अ.व.} ने उनसे फरमाया था कि जब कहीं तुम लोग आपस में मिल जाओ तो अली तुम पर हाकिम होंगे और जब तुम अलग हो जाओ तो दोनों में से एक अपने हाकिम व काइद होगा। चुनांचे हुआ ऐसा कि लोगों ने कुछ औरते गिरपतार की थी। पस हज़रत अली^{अ.स.} ने उनमें से अपने लिए एक लड़की को मुंतख़िब कर लिया था। ख़ालिद बिन वलीद ने उसकी इत्तलाअ आहज़रत^{स.अ.व.} को दी और उसने बुरेदा असलमी को एक ख़त देकर आहज़रत^{स.अ.व.} की जानिब रवाना किया और उसको यह ताकीद कर दी कि आहज़रत^{स.अ.व.} को वह अपनी जुबान से जाकर इसकी इत्तलाअ करे। पस उसने ऐसा ही किया तो उस वक़्त आहज़रत^{स.अ.व.} ने फरमाया कि अली^{अ.स.} मुझसे है और मैं अली^{अ.स.} से हूँ। अली^{अ.स.} जो भी मुंतख़िब कर ले उनको उसका इख़्तियार है और रिसालत मआब^{स.अ.व.} के चेहर—ए—अनवर पर गुस्से के आसार ज़ाहिर हुए। बुरेदा ने कहा कि ए रसूले खुदा^{स.अ.व.} मैं इस वक़्त आपकी पनाह का तालिब हूँ। आपने मुझे एक शख्स के साथ भेजा था और उसकी इताअत का हुक्म भी दिया था। पस मैंने तो

उसकी इताअत की थी। उसने मुझे जो पैगाम देकर भेजा था उसको मैंने पहुँचा दिया। आहज़रत^{स.अ.व} ने फरमाया कि ए बुरेदा अली^{अ.स.} ज़ालिम नहीं है और न वह जुल्म करने के लिए पैदा किए गए हैं वह मेरे भाई, मेरे वसी और मेरे बाद मेरे वली—ए—अम्र है।

इमाम जअफरुस्सादिक^{अ.स.} से मरवी है आपने फरमाया कि अगर मुसलमानों में से कोई शख्स किसी मुशरिक को दारुल हरब में गिरफ्तार कर ले और उसको पैदल चलने की ताक़त न हो और न सवार करने के लिए जानवर हो और इसका ख़ौफ़ हो कि अगर छोड़ देगा तो वह भागकर मुशरिकों में शामिल हो जाएगा तो उसको क़त्ल कर डाले छोड़े नहीं। माले ग़नीमत की तक्सीम से पहले और तक्सीम के बाद जिन असबाब को उठाकर न लाया जा सके उनके साथ ऐसा ही तर्जें अमल इख़्तियार किया जाए।

हज़रत हली^{अ.स.} से मरवी है आपने फरमाया कि जिन अमवाले ग़नीमत को ना उठाया जा सके और ना दारुल मुशरिकीन से ले जाया जा सके उनको तलफ़ (बेकार) कर देना चाहिए और असबाब व हथियार को आग में जला देना चाहिए और सवारी के जानवरों और चौपायों को जिब्हा करके आग में जला देना चाहिए मगर उन जानवरों की कूचें ना काटी जाए क्योंकि कूचें काटना बदतरीन मसला है।

इमाम जअफरुस्सादिक^{अ.स.} से मनकूल है आपने फरमाया कि मुसलमानों के जिन अमवाल पर मुशरिको ने कब्ज़ा कर लिया हो फिर ग़लबा के वक़्त वह अमवाल उनके पास मिल गए तो उन अमवाल के जो मालिक हैं उनके वही असली हक़दार हैं। किसी मुस्लिम के हाथ से वही माल लिया जाए जिसको वह देना पसंद करे और जब फौज़ का अफ़सरे आला उस शख्स के लिए कुछ इनाम मुक़र्रर कर ले जिसने मैदाने—जिहाद में किसी को क़त्ल किया था या कोई कारनामा अंजाम दिया था या किसी दुश्मन पर ग़ालिब आया था तो जो इनाम देना मुक़र्रर किया गया हो उसको पूरे पूरा देना चाहिए और तक्सीम से क़ब्ल माले ग़नीमत में से उस इनाम को अलग कर देना चाहिए। मकतूल का वह तमाम माल व असबाब जो उसके मरने के बाद लूटा गया है तो उस पर उसी मुसलमान का हक़ है जिसने उसको क़त्ल किया था। मगर उससे खुम्स (पांचवां हिस्सा) ले लिया जाए।

माले ग़नीमत की तक्सीम का बयान

हज़रत अली^{अ.स.} से मरवी है कि आपने हज़रत अम्मार बिन यासिर और उबैदुल्लाह बिन अबी राफ़ेअ और अबु अलेसम बिन तेहान को मुसलमानों के दरमियान अमवाले ग़नीमत की तक्सीम का हुक्म दिया था और उनसे यह भी फरमाया था कि माले ग़नीमत की तक्सीम में अदल व इंसाफ़ से काम लेना किसी को किसी पर फज़ीलत ना देना। पस उन्होंने जब माले ग़नीमत का हिसाब किया तो उन्हें मालूम हुआ कि हर मुसलमान को तीन-तीन दीनार बराबर मिल सकता है। पस उन्होंने उसी हिसाब से लोगों में तक्सीम कर दिया। उस वक़्त तल्हा और जुबेर भी अपने-अपने लड़कों को साथ लेकर उनके पास आए उन्होंने उनमें से हर एक को तीन-तीन दीनार दे दिए। उस वक़्त तल्हा और जुबेर ने कहा कि हज़रत उमर हमको इस तरह से नहीं देते थे। पस तुम लोगों ने यह अपनी तरफ से किया है या तुम्हारे साहिब हज़रत अली^{अ.स.} के हुक्म से ऐसा किया है? उन्होंने कहा कि हमको हज़रत अली^{अ.स.} ने ऐसा ही करने का अम्र फरमाया था। वह दोनों जनाब अमीरुल मुअमिनीन^{अ.स.} की खिदमत में आए। उन्होंने आपको देखा कि आप अपने कुछ माल व असबाब के पास धूप में खड़े हैं और एक मजदूर काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि क्या आप हमारे साथ साए में तशरीफ ला सकते हैं? आपने फरमाया कि हां। उन्होंने आपकी खिदमत में अर्ज़ किया कि हम माले ग़नीमत की तक्सीम के वक़्त आपके आमिलों के पास गए तो उन्होंने हम में से हर एक को उतना ही दिया जो उन्होंने दूसरे तमाम लोगों को दिया था। आपने उनसे फरमाया था कि फिर तुम लोग इस वक़्त मुझसे क्या चाहते हो? उन्होंने कहा कि हज़रत उमर हमको माले ग़नीमत में से इस तरह नहीं देते थे। आपने उन दोनों से फरमाया कि अच्छा यह बताओ कि रसूल ख़ुदा^{स.अ.व.} तुम लोगों को कितना देते थे? पस वह दोनों ख़ामोश हो गए। आपने उनसे फरमाया कि क्या आंहज़रत^{स.अ.व.} मुसलमानों के दरमियान बराबर माले ग़नीमत तक्सीम नहीं फरमाते थे? दोनों ने कहा कि हां आपने फरमाया कि अच्छा तुम दोनों यह बताओं कि आया तुम दोनों के नजदीक सुन्नते रसूल अल्लाह^{स.अ.व.} पर अमल करना बेहतर है या सुन्नते उमर पर चलना बेहतर है? दोनों ने कहा कि सुन्नते रसूल पर अमल करना अफज़ल हैं। मगर ए अमीरुल मुमिनीन^{अ.स.} हमारे लिए तो सबाक़्त और इनाअ और

कराबत हासिल है। पस आप अगर मुनासिब समझे तो हमारा दर्जा आम मुसलमानों जैसा करार न दे। आपने उनसे फरमाया कि तुम दोनों की सबक़त कुछ मेरी सबक़त से भी बड़ कर है? दोनों ने कहा नहीं बल्कि आप हमसे साबिक है। जनाब अमीरुल मुमिनीन^{अ.स.} ने उनसे फरमाया कि तो यह बताओ कि तुम दोनो कराबतदारी में मुझसे ज्यादा करीब हो या मैं? दोनों ने कहा कि नहीं आप ब लिहाजे कराबत ज्यादा अकरब है। आपने फरमाया कि तुम दोनों का इनाअ (जिहाद में मुश्किलें उठाना) बड़कर है या मेरा इनाअ? दोनों ने कहा कि नहीं बल्कि ए अमीरुल मुमिनीन^{अ.स.} आपका इनाअ बड़कर है। तब अमीरुल मुमिनीन^{अ.स.} ने फरमाया कि कसम बख़ुदा मैं और मेरा यह मजदूर दोनों इस माले ग़नीमत में बराबर के हिस्सेदार है। उस वक़्त आपने अपने सामने बैठे हुए मजदूर की तरफ इशारा करके बताया। दोनों ने आपसे कहा कि हम इसके लिए आए थे और दूसरे काम से भी आए थे। आपने फरमाया कि वह दूसरा काम क्या है? दोनों ने फरमाया कि हमारा उमरा करने का इरादा है। पस हमें इसकी इजाजत इनायत फरमाए। आपने उनसे कहा कि तुम जाओ लेकिन तुम दोनों का इरादा उमरा करना नहीं है। मुझे तुम दोनों के अम्र की खबर मिल चुकी है और तुम दोनो के आरामगाह भी दिखा दी गई है। वह दोनो चल पड़े। आप यह आयत करीमा तिलावत फरमा रहे और वह दोनो सुन रहे थे कि :

وَمَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَمَةِ ۖ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ

फ मन नकस: फइन्नमा यनकुसो अला नफसिही व मन ओफा बिमा आहद: अलैहुल्लाह: फ स:युअतीहि अजरन अज़ीमा 26-48/10 तर्जुमा: तो जो अहद को तोड़ेगा तो अपने नुक़सान के लिए अहद को तोड़ता है। और जिसने इस बात को जिसका उसने अहद ख़ुदा से किया पूरा किया तो उसको अनक़रीब ही अज़्र अज़ीम अता फरमाएगा पस माले ग़नीमत के जो मुसलमान उसके मुसतहिक़ है उसको उनके दरमियान अदल व इंसाफ़ के साफ़ तक्सीम करना वाजिब है। अमवाले ग़नीमत में सबको बराबर हिस्सा देना चाहिए और माले ग़नीमत वही है जिसको उन्होंने जंग करके हासिल किया था। मगर उन्होंने जो अमवाल जंग के बग़ैर पाया है वह सब का सब अल्लाह व रसूल का है और रसूल के बाद हर जमाने के इमाम का हक़ है जैसा कि अल्लाह तआला का इर्शाद है कि :

مَا آفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ

मा अफाअल्लाहो अला रसूलिही मिन अहलिल कुरा फ लिल्लाहि व लिररसूलि वलिज़िल कुरबा 28-59/7 तर्जुमा : तो जो माल खुदा ने अपने रसूल को देहातवालों से बे लड़े दिलवा दिया है वह खास खुदा और रसूल और उनके कराबतदारों का है और दूसरी जगह इर्शाद है कि :

فَمَا أُوجِفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ وَلَكِنَّ اللَّهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ، عَلَىٰ مَنْ يَشَاءُ

फमा ओवजफतुम अलैहि मिन खैलिव वला रिकाबिव वला किन्नल्लाहः युसल्लितो रसुलहू अला मन्य यशाओ 28-59/6 तर्जुमा : तुमने उसके लिए कुछ दौड़-धूप तो की नहीं, न घोड़ों से न ऊंटों से मगर खुदा अपने पैगम्बरों को जिस पर चाहता है ग़लबा अता करता है।

इमाम जअफरुस्सादिक^{अ.स} से मनकूल है आपने फरमाया कि बागे फदक भी इसी माले ग़नीमत में से था जो अल्लाह तआला ने अपने रसूल को बगैर लड़े दिलवा दिया था। पस जब अल्लाह तआला ने यह आयत नाज़िल फरमाई कि :

وَإِذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ،

व आति ज़लकुरबा हक्कहु 15-17/26 तर्जुमा : (ए रसूल) तुम अपने कराबतदारों को उनका हक् दे दो। उस वक़्त आंहज़रत^{स.अ.व} ने बागे फदक सय्यदा-ए-आलम जनाबे फातिमा-जेहरा^{अ.स} को इनायत फरमा दिया। जब आंहज़रत^{स.अ.व} वफात पा गए तो हज़रत अबू बक्र ने उनसे वापस ले लिया। और जब हज़रत उस्मान खलीफा हुए तो उन्होंने बागे-फदक मरवान को जागीर में दे दिया और जब मरवान हाकिम हुआ तो उसने बागे फदक का दो-तिहाई हिस्सा अपने बेटे अब्दुल मलक को दे दिया और एक-तिहाई हिस्सा सुलेमान को दे दिया। और जब अब्दुल मलक वाली हुआ तो उसने अपना दो तिहाई हिस्सा अब्दुल अज़ीज़ को दे दिया और एक तिहाई हिस्सा सुलेमान के पास रहा फिर जब सुलेमान वाली हुआ तो उसने एक-तिहाई हिस्सा को उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ को दे दिया। फिर जब उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ वाली हुए तो उन्होंने पूरा बागे फदक आले फातिमा^{अ.स} को वापस कर दिया। उस वक़्त उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ के पास बनी उमय्या

जमा हुए और उन्होंने कहा कि लोग यह समझते हैं कि आपने हज़रत अबू बक्र और हज़रत उमर और हज़रत उस्मान और आपके आबा-ओ-अजदाद में से जो खुलफा गुज़रे हैं उनके तर्जें अमल को नापसंद किया है। इसलिए बागे-फदक को वापस कर दिया है। ख़लीफा उमर बिन अब्दुल अजीज हर साल बागे फदक का गल्ला (पैदावार) जमा करते और उतना ही उसमें ज़्यादा करके औलाद फातिमा में तक़सीम कर देते थे। फिर उनके बाद आले अब्बास ने बागे फदक को अपने मसारिफ (इस्तिमाल) के लिए मख़सूस कर लिया था। उसके बाद जब ख़लिफा मामून का ज़माना आया तो उसने दूर-दराज शहरों से तमाम फुक़हा को जमा किया। उन्होंने बागे फदक के बारे में बाहम बेहस मुबहि़सा किया तो सबका इस बात पर इत्तेफाक़ हो गया कि बागे फदक जनाबे फातिमा^{अ.स.} का हक़ है। जिन लोगों ने फदक को उनसे ले लिया था उसके जुल्मो-सितम की शहादत दी। चुनांचे ख़लिफा मामून अब्बासी ने फिर बागे फदक औलादे-फातिमा^{अ.स.} को वापस कर दिया। यह वाक़िया तारीख़ में बहुत ही मशहूर व मआरुफ़ है।

इमाम बाकिर^{अ.स.} से मरवी है आपने फरमाया कि जिस सरज़मीं पर मुसलमानो ने घोड़े न दौड़ाए हों और न वहां पर जंग की हो या किसी कौम ने सुलह करके खुद ब खुद अपने माल व असबाब को यूंही दे दिया हो वह जमीन चाहे वीरान हो या हरी भरी वादियां हो उन पर रसूल^{स.अ.व} का हक़ है आप जिसको चाहे दे दे और आपके बाद इमाम का हक़ है। कुरआन पाक में यह आया है माले ग़नीमत अल्लाह का हक़ है तो यह बतौर ताज़ीम के कहा गया है। आपने फरमाया कि ज़मीन में जो कुछ भी है वह सब अल्लाह ही के लिए है और माले ग़नीमत में हमारे लिए दो हिस्से हैं। एक तो क़राबतदारी का हिस्सा और दूसरा वह है जिसमें हम तमाम लोगों के साथ शरीक हैं। इमाम जअफरुस्सादिक^{अ.स.} से मरवी है कि आयत करीमा :

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ ۖ قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ

यसअलूनक: अनिल अनफालि कुलिल अनफालो व लिल्लाहि वर्रसूलि 9-8/1 तर्जुमा : (ए रसूल) तुमसे अमवाले ग़नीमत की बाबत लोग पूछते हैं तो (ए रसूल) तुम उनसे कह दो कि तमाम अमवाले ग़नीमत अल्लाह और रसूल^{स.अ.व} का हक़ है कि मुताल्लिक़ आपने फरमाया कि इस आयत में जिन अमवाले ग़नीमत का ज़िक्र है उससे वह देहात और ज़मीन मुराद है जहां मुसलमानो ने अपने घोड़े नहीं दौड़ाए हैं और न जिस माल व असबाब के

लिए मुसलमानों ने जंग की है। पस ऐसी ज़मीन और देहात और माल व असबाब पर सिर्फ़ इमाम का हक़ है। इमाम जिसको चाहे इनायत कर दे। आपसे ऐसी ज़मीन की बाबत पूछा गया जिसको जबरिया फतेह किया गया है। आपने फरमाया कि उस वक़्त वहां जो मुसलमान मौजूद हो और उनके बाद जो आए उनकी मदद और हिफाज़त के लिए अगर इमाम मुनासिब समझे तो वक़फ़ कर दे और उस ज़मीन को तक़सीम कर देना मुनासिब हो तो तक़सीम कर दे।

ज़मीन और उसकी हर चीज़ अल्लाह व रसूल के लिए है और रसूल के बाद इमाम ज़मीन की हर चीज़ में रसूल का काइम मुक़ाम है। फिर आपने फरमाया कि इमाम ने अपने असहाब में से जो हाजिर थे उनको फरमाया कि तुम लोग खुदा की हम्दों सना करो क्योंकि तुम हलाल खाते हो और हलाल पहनते हो और हलाल औरतों से मिलते हो। क्योंकि तुमको हमारे हक़ की माअरिफ़त हासिल है और तुम हमारी वलायत में हो। तुम वही चीज़ लेते हो जिसे हम तुम्हारे लिए दिल से पसंद करते हैं और जो लोग हमारी मुख़ालिफ़त करते हैं और हमारे बरहक़ होने का इंकार करते हैं वह हराम खाते हैं हराम पहनते हैं और हरामकारी करते हैं। सादिक् आले मोहम्मद^{अ.स.} से रिवायत है आपने फरमाया कि माले ग़नीमत को पाँच हिस्सों में तक़सीम किया जाए। उनमें से चार हिस्सों को तो उन लोगों में तक़सीम कर दिया जाए जिन्होंने उस पर जंग की थी और पाँचवा हिस्सा हम अहले बैत^{अ.स.} में जो यतीम मिस्कीन और मुसाफ़िर हैं उनका हक़ है और खुदा के फज़ल व करम से आज हममे ना कोई मिस्कीन है ना कोई मुसाफ़िर है पस खुमस में हमारे लिए वाफ़िर (बहुत ज़्यादा) हिस्सा है। उसके अलावा अमवाले ग़नीमत के चार हिस्सों में हम मुसलमानों के बराबर के शरीक हैं।

हज़रत अमीरूल मुअमिनीन^{अ.स.} से मनकूल है आपने फरमाया कि हज़रत उमर अमवाले ग़नीमत में से पांचवा हिस्सा मुझे देते थे जिसे मैं रसूलल्लाह^{स.अ.व} के क़राबतदारों में तक़सीम कर देता था यहां तक कि जब सूस और जुंदी साबूर का खुम्स मिला तो हज़रत उमर ने कहा कि ए अहले बैत^{अ.स.} यह माले ग़नीमत का तुम्हारा पांचवा हिस्सा है और हाल यह है कि उस वक़्त कुछ मुसलमान परेशान हाल और ज़्यादा जरूरतमंद हैं। पस अगर तुम मुनासिब समझो तो उनमें तक़सीम कर दो। उस वक़्त हज़रत अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब ने बढ़कर कहा कि ए उमर तुम हमारे हक़ में ऐब ना निकालो। मैंने कहा कि हम इन काबिले रहम मुसलमानों से उसके ज़्यादा

हकदार है। पस हज़रत उमर ने मुसलमानों की जिस ज़रूरत का ज़िक्र किया था उसको पूरा ना किया गया। हत्ताकि अमीरुल मुमिनीन^{अ.स.} ने इस सिलसिले में सिफारिश की तो हज़रत उमर ने उस खुम्स को अपने कब्जे में ले लिया। पस कसम बाखुदा वह दिन था और आज का दिन है कि फिर हमकों ना वह कर्ज अदा किया गया और ना कभी खुम्स हमारे सामने पेश किया गया। न उन्होंने पेश किया। ना उनके बाद आने वालों ने हत्ताकि आज मैं अपने इस मुक़ाम पर हूँ।

इमाम बाकिर^{अ.स.} से मरवी है आपने फरमाया कि जब रसूले अकरम^{स.अव.} वफात पा चुके तो हज़रत अबू बक्र ने हज़रत अली^{अ.स.} से कहा कि तुम अपने खुम्स से मुसलमानों की मदद करो। पस उन्होने ले लिया और उसमें से जर्ग बराबर भी नहीं दिया। जब यह ख़बर फातिमा ज़ेहरा^{अ.स.} को पहुँची तो उन्होंने फरमाया कि हमको हमारा वह हिस्सा जिसका ज़िक्र खुदा की किताब में मौजूद है और तुम उससे अच्छी तरह से वाकिफ भी हो। आपका मतलब यह था कि उनको अच्छी तरह मालूम है कि अली^{अ.स.} मसनदे खिलाफत के उनसे ज्यादा हकदार थे। हज़रत अली^{अ.स.} से मनकूल है आपने फरमाया कि माले ग़नीमत के चार हिस्से उन मुजाहिदीन के लिए है जिन्होंने जंग की थी घुड़सवारों के लिए दो हिस्से है और पैदल फौज के लिए सिर्फ एक हिस्सा है।

इमाम बाकिर^{अ.स.} से मरवी है आपसे पूछा गया कि क्या हज़रत उस्मान जंगे बद्र में मौजूद थे? आपने फरमाया कि नहीं। आपसे पूछा गया कि क्या रसूले खुदा^{स.अव.} ने उनको माले ग़नीमत में से हिस्सा दिया था। आपने फरमाया कि नहीं और किस तरह ऐसे शख्स को हिस्सा मिल सकता है जो जंग में हाज़िर नहीं हुआ था? आपसे पुछा गया कि क्या तल्हा हाज़िर थे ? आपने फरमाया कि नहीं। फिर कहा गया कि जुबेर हाज़िर थे ? आपने फरमाया कि वह जंगे बद्र में तो हाज़िर थे लेकिन जंगे जमल में भाग गए थे अगर उन्होंने मुअमिनीन से जंग की थी तो इसका मतलब यह हुआ कि उनको क़त्ल करके वह खुद हलाक हुए और उन्होंने काफिरों से जंग की थी तो वह जैसा कि अल्लाह तआला का इर्शाद है कि वह खुदा के गजब में फंसे और उनका ठिकाना जहन्नम है जैसा कि अल्लाह तआला ने पीठ फिराने वाले और मैदाने जंग से भाग जाने वाले के लिए अज़ाबे जहन्नम को वाजिब करार दिया है। हज़रत अली^{अ.स.} से मनकूल है आपने फरमाया कि गुलाम के लिए माले ग़नीमत में से कुछ भी हिस्सा नहीं है ख़्वाह उसने जंग ही क्यों

ना की हो हां अगर उसने मैदान जंग में कोई अहम कारनामा अंजाम दिया है तो इमाम या वह शख्स जिसको इमाम ने मुकर्रर फरमाया है वह गिर पड़े माल में से जो मुनासिब समझे उसको दे दे। आपने यह भी फरमाया कि माले ग़नीमत हासिल करने से क़ब्ल अगर कोई मुसलमान दारुल हरब में मर जाए तो वह माले ग़नीमत में अपने हिस्से का हक़दार नहीं है लेकिन जो माले ग़नीमत हासिल होने के बाद मर गया तो उसका हिस्सा बतौर मीरास उसके वारिसों को दिया जाए।

अहले बगावत से जंग करने का बयान

अल्लाह तआला का इर्शाद है कि :

وَإِنْ طَائِفَتٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ آفَقَتُوا فَاصْلِحُوا بَيْنَهُمَا ۚ فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَىٰ
فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّىٰ تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ ۚ فَإِنْ فَاتَتْ فَاصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَ
أَقْسَطُوا ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ٢٦/٢٩/٩٠

व इन ताइफ़तानि मिनल मुअमुनीन—कतःतःलु फअसल्लिहू बैनःहुमा फइम बगत इहदाहुमा अलल उखरा फकातिलुल लती तबगी हत्ता तफीअः इला अमरिल्लाहि फइन फाअत फअसल्लिहू बैनःहुमा बिल अदलि व अकसितू इन्नल्लाहः युहिब्बुल मुकसितीन 26—49/9 तर्जुमाः अगरचे मुअमिनीन में से दो फिरके आपस में लड़ पड़े तो उन दोनों में सुलह करा दो। फिर अगर उनमें से एक फरीक दूसरे पर ज़्यादती करे तो तुम भी उससे लड़ो यहां तक कि वह खुदा के हुक्म की तरफ रुजूअ करें। बेशक खुदा इंसाफ करने वालों को दोस्त रखता है। पस इस आयते करीमा से यह साबित हुआ कि अल्लाह तआला ने जिस तरह मुशरिकीन से जंग करना फर्ज किया है उसी तरह बागियों से जंग करना भी फर्ज किया है। चुनांचे यही वजह है कि हज़रत अली^{अ.स.} ने जिन बागियों से जंग की थी उनका तजक़िरा करते हुए फरमाया कि मुझे इसके सिवा और कोई चारा ना था कि मैं उनसे जंग करूं या फिर मोहम्मद रसूलल्लाह^{स.अ.व.} पर जो नाज़िल किया गया था उसका इंकार कर दूं।

इमाम बाकिर^{अ.स.} से मनकूल है आपने हज़रत अली^{अ.स.} से जंग करने वालों का ज़िक्र करते हुए फरमाया कि हां यह लोग उन लोगों से बढ़कर गुनाहगार है जिन्होंने रसूले खुदा^{स.अ.व.} से जंग की थी आपसे पूछा गया कि ए फरजंदे रसूल! यह किस तरह मुमकिन है? आपने फरमाया कि यह इसलिए कि वह अहदे जाहिलियत के लोग थे और इन लोगों ने तो कुरआन पढ़ा था और साहिबाने फज़ल के फज़ल व मर्तबे से वाकिफ़ थे। पस उन्होंने जो कुछ किया था वह समझ-बूझ के बाद किया था।

हज़रत अली^{अ.स.} से मरवी है आपने फरमाया कि मुझे अहद तोड़ने वालों और जुल्म करने वाले मारिकीन से जंग करने का हुक्म दिया गया था। पस मैंने उसी हुक्म के मुताबिक़ उनसे जंग की। पस अहद तोड़ने वाले अहले बसरा और असहाबे जमल है और दीन से निकल जाने वाले ख़ारिज हैं और जुल्म करने वाले अहले शाम में से मुआविया के गिरोह वाले है। आपने जिन अहले कीला से जंग की थी उनकी बाबत पुछा कि क्या वह काफिर थे ? आपने फरमाया कि उन्होने अहकाम और नेअमतो के साथ कुफ़्र किया था इनका कुफ़्र उन मुशरिकों की तरह नहीं है जिन्होने नुबुवत का इन्कार किया और इस्लाम का इक़रार ना किया। अगर उनका कुफ़्र मुशरिकीन के कुफ़्र की तरह होता तो हमारे लिए उनसे शादी ब्याह करना उनके जबीहा का खाना हलाल ना होता और ना उनकी मीरास हलाल होती। पस हज़रत अली^{अ.स.} के इर्शाद के मुताबिक़ अगरचे वह हकीक़त में मुशरिक ना थे लेकिन वह सिर्फ़ अपनी ज़बान से इक़रार की वजह से नाम के मुसलमान थे पस इस इक़रार की वजह से उनके साथ शादी ब्याह करना हलाल है और उनकी मीरास हलाल है। हमने जो कुछ कहा है उसकी ताईद रसूले खुदा^{स.अ.व.} और हज़रत अली^{अ.स.} से मनकूल रिवायत से होती है पस इस सिलसिले में जो रिवायत रसूले खुदा^{स.अ.व.} से मनकूल है वह यह है कि एक मर्तबा जब कि आप कुछ माल मुसलमानो के दरमियान तक्सीम फरमा रहे थे कि अचानक एक शख्स जिसकी आंखे अन्दर को धंसी हुई थी और भवें तनी हुई थी आपके पास आकर खड़ा हो गया और कहने लगा कि आपने जो कुछ तक्सीम किया है उसमें इंसाफ़ से काम नहीं लिया है इतना कहकर वह पीठ फ़ैरकर चला गया। इधर आहज़रत^{स.अ.व.} के चेहरे का रंग बदल गया और आपने फरमाया कि जब मैं ही इंसाफ़ नहीं कर सकता हूँ तो फिर कौन अदल व इंसाफ़ कर सकता है ? लेकिन मुझसे पहले हज़रत मूसा^{अ.स.} को भी ऐसी ही अज़ीयत दी गई थी तो उन्होने सब्र किया था। फिर आपने अपने

चारों तरफ हाज़रीन से ख़िताब करके फरमाया कि हे! कोई जो उस शख्स को जाकर क़त्ल कर आए पस हज़रत अबू बक्र उठे तो उन्होंने उसको मस्जिदे हरम में नमाज़ पढ़ते हुए पाया। उन्होंने जाकर रसूले खुदा^{स.अ.व} से कहा ए रसूले खुदा^{स.अ.व} मैंने उस शख्स को नमाज़ पढ़ते पाया था। आपने फरमाया कि तुम बैठ जाओ फिर आपने फरमाया कि है कोई जो उस शख्स के पास जाकर उसको क़त्ल कर आए? तो उस वक़्त हज़रत उमर उठ खड़े हुए। वह भी उसको नमाज़ पढ़ते हुए देखकर वापस आ गए और दरबारे रिसालत मआब^{स.अ.व} में अर्ज किया कि ए रसूले खुदा^{स.अ.व} मैंने उसको नमाज़ पढ़ते हुए पाया था और अभी वह नमाज़ से फारिग नहीं हुआ है। आपकी क्या राय है? आपने फरमाया कि तुम भी बैठ जाओ। फिर आपने फरमाया कि कौन है जो उस शख्स को जाकर क़त्ल कर आएगा? इस बार हज़रत अली^{अ.स.} ने फरमाया कि रसूले खुदा^{स.अ.व} मैं उस शख्स को क़त्ल करूंगा। आंहज़रत^{स.अ.व} ने फरमाया ए अली^{अ.स.} क्या तुम उसको क़त्ल करेंगे? मगर वह तो अब तुमकों मिलेगा भी नहीं। चुनांचे हज़रत अली^{अ.स.} तशरीफ ले गए मगर उसको ना पाकर वापस लौट आए और आंहज़रत^{स.अ.व} को वाकिफ किया। आंहज़रत^{स.अ.व} ने फरमाया कि अगर तुम लोगों ने उसको मार डाला होता तो मेरे बाद तुम में से कभी भी दो शख्स इख़िलाफ ना करते। अनकरीब उस शख्स की नस्ल से ऐसी कौम पैदा होगी जो कुरआन तो पढ़ेगी मगर वह उनके हल्क़ से तजावुज़ ना करेगा। वह दीन से इस तरह निकल जाएंगे जिस तरह शिकार से तीर आर पार हो जाता है लोगों ने अर्ज किया ए रसूले खुदा^{स.अ.व} शिकार से तीर का निकलना क्या है? आपने फरमाया कि जब कोई शिकारी शिकार पर तीर चलाता है तो वह शिकार के जिस्म को सख़्त चोट लगने की वजह से छेद कर इस तरह निकला जाता है कि उसमें खून का एक क़तरा भी नहीं लगता। पस यही हाल उन लोगों का है अगरचे वह इस्लाम में दाख़िल होंगे मगर इस्लाम से उनको ज़रा भी लगाव न होगा।

और हज़रत अली^{अ.स.} से जो मरवी है वह यह है कि आपने जंगे जमल में लोगों को लड़ाई की खूब तरगीब दी थी। आपने उनसे फरमाया कि अल्लाह तआला का इर्शाद है कि तुम लोग अइम्मा कुर्फ को क़त्ल कर दो क्योंकि उनके लिए कोई अहदो पैमान नहीं है शायद कि वह लोग बाज़ आ जाए। फिर आपने फरमाया कि क़सम बखुदा इस आयत में जिन अइम्मा कुर्फ का ज़िक्र है उन पर आज से पहले कभी भी एक तीर नहीं चलाया गया

है और आपने जंगे सिप्फीन में लोगों से फरमाया था कि एहज़ाब के बाकी मांदा लोगों को और शैतान के दोस्तों को क़त्ल कर दे। तुम लोग हर उस शख्स को मार डालो जो यह कहता है कि अल्लाह और उसके रसूल^{स.अ.व.} ने झूठ कहा है सच कहा है। यह लोग अपने दिल में जो छुपाए हुए हैं उसके बरअक्स (उलटा) यह कहते हैं कि अल्लाह और रसूल ख़ुदा^{स.अ.व.} ने सच कहा है।

बागियों के गिरोह से जंग करने पर आपने लोगों को जो तरगीब दी है इस सिलसिले में आपसे यह रिवायत मरवी है आपको इस अम्र की इत्तिलाअ मिली कि मुआविया के एक दस्ते ने शहर अबनार पर हल्ला बोल दिया और अमीरूल मुमिनीन^{अ.स.} की जानिब से वहां जो शख्स गवर्नर मुकर्रर था उसको क़त्ल कर डाला और उन्होंने मुसलमानों की हुरमत लूटी है। चुनाचे हज़रत अली^{अ.स.} तन्हा निहायत गुस्से की हालत में मक़ामे नखीला पहुँचे। आपको लोगों ने आवाज़ दी और वहां लागों ने आपको जा लिया और अर्ज किया कि ए अमीरूल मुमिनीन^{अ.स.} वापस लौट चलिए। हम इस मुसीबत से निपट लेंगे। उसके जवाब में आपने फरमाया कि क़सम बख़ुदा तुम ना तो मेरे लिए काफी हो ना अपने लिए। फिर आप उनके दरमियान ख़ुतबा देने के लिए खड़े हुए। ख़ुदा की हम्द व सना के बाद आपने फरमाया कि इसमें कोई शक नहीं है कि जिहाद ज़न्त के दरवाज़ों में से एक दरवाज़ा है। पस जो जिहाद न करेगा ख़ुदा उसको ज़िल्लत का लिबास पहनाएगा और रूसवाई और मुसीबत में मुब्तिला होगा मैंने तुमसे कहा था और तुमको इस बात का हुक्म दिया था कि इस क़ौम से जंग करो। क़ब्ल इसके कि वह तुमसे जंग करे। और याद रखो कि जिस क़ौम से उसके घर के आंगन में जंग हुई है वह जलील व ख़्वार हुई है। पस तुम शायद और अनक़रीब कहकर टालमटोल करने लगे पस इसका नतीजा क्या हुआ देखा तुमने कि मुआविया के इस आमिल ने अबनार पर हल्ला बोल दिया और मेरे आमिल इब्ने हरसान को मार डाला। इतने ही पर बस नहीं किया बल्कि उसने और उसके साथियों ने मुसलमानों की इज्जत लूटी मुझे यह ख़बर मिली है कि वह मुसलमान औरत और ज़िम्मी के पास चले जाते थे और वह पाजेब और कान की बालिया लूट कर चले जाते थे। उनको औरतों के पास जाने से कोई ना रोकता था फिर वह उस हाल में वापस गए कि उनमें से एक शख्स भी ज़ख्मी तक नहीं हुआ था। पस क़सम बा ख़ुदा अगर कोई मुसलमान ग़ेरत मंद मर्द इस ज़िल्लत व रूसवाई के ग़म से मारे अफ़सोस के मर भी

जाए तो वह मेरे नज़दीक मलामत के लायक़ ना होगा बल्कि उसके लिए तो अफसोस से मर जाना ही बेहतर था। मुझे कितना तअज्जुब है दिलो की जुदाई है और हुज़न व मलाल की कसरत पर जिसका बाइस यह कौम है जो बातिल पर जमा हो गई है और तुम हो कि अपने हक़ तलबी के लिए कमज़ोर और बुज़दिल हो गए हों हत्ताकि तीरो का निशाना हो गए हों तुमसे जंग की जाती रही है और तुम जंग नहीं करते। तुम पर तो हमला किया जाता है और तुम हमला नहीं करते। खुदा की नाफरमानी की जा रही है और तुम उसमें खुश होते हो। जब मैं तुमसे कहता हूँ कि उनसे सख़्त गर्मी में जंग करो तो तुम कहते हो कि यह सख़्त गर्मी के दिन है ज़रा मौक़ा दीजिए कि हमारे सर से सख़्त गर्मी के यह अय्याम गुज़र जाए और जब मैं तुमसे कहता हूँ कि सर्दी के मौसम में उनसे जंग करो तो तुम कहते हो कि यह सर्दी के सख़्त दिन है फिर तुम्ही बताओं मेरे और तुम्हारे लिए इन दो वक़्तों के सिवा और कौन सा वक़्त है। हकीक़त हाल यह है कि तुम सर्दी और गर्मी से भागते ही नहीं बल्कि मैं तो यह कहूँगा कि तुम लोग इससे ज्यादा तलवार से भागते हो। ए मर्दों के मुशाबिहा लोगों तुम लोग मर्द नहीं हो ए कमीना ख़सलत गटिया अक्ल रखने वालों तुम लोगों ने अपनी नाफरमानी और मदद ना करके मेरे दिल को गुस्से से भर दिया है। कुरैश ने तो यहां तक कह दिया है कि फरजन्दे अबू तालिब बहादुर तो ज़रूर है लेकिन लड़ाई के फन से वाकिफ़ नहीं है तुम्ही बताओ कि फिर मुझसे ज्यादा कौन फन—ए—हरब से वाकिफ़ है? मैं जब बीस साल का था कि उसी वक़्त से मैदाने—जंग में हूँ और इस वक़्त मैं साठ साल का हो चुका हूँ मगर उसकी राये ही क्या जिसकी इताअत ना की जाए। खुदा मुझको तुम्हारी जगह पर तुमसे अच्छे लोगों को अता करे और मेरी जगह पर तुम्हारे लिए ऐसे शख्स को मुकर्रर कर दे जो तुम्हारे हक़ में बहुत बुरा हो। क़सम बा खुदा अब तो मेरा यह हाल है कि मैं ना तो तुम्हारी इमदाद का उम्मीदवार हूँ और ना तुम्हारी बात को सच मानता हूँ। तुम जिसके लिए तीर बनोगे उसके हक़ में नाकाम तीर साबित होंगे उस वक़्त जन्दब बिन अब्दुल्लहा उठे और कहा कि ए अमीरूल मुअमिनीन^अ मैं और मेरा यह भाई हम दोनों वही बात कहते हैं जो हज़रत मूसा^{अस} ने कही थी कि :

رَبِّ اِنِّیْ لَا اَمْلِکُ اِلَّا نَفْسِیْ وَ اَخِیْ

रखि इन्नी ला अमलिको इल्ला नफसी व अखी 6-5/25 तर्जुमा : परवरदिगार मैं अपनी जान और अपने भाई के सिवा किसी और चीज़ का मालिक नहीं हूँ। पस ए अमीरुल मुमिनीन^{अ.स} आप हमको हुक्म दीजिए कि कसम बा खुदा हम ज़रूर आपके आगे जंग करेंगे ख्वाह आपकी मुराद पाने के लिए हमें अंगारों और कांटों पर ही क्यों ना चलना पड़े पस हज़रत अली^अ ने उनकी तारीफ की और फरमाया कि खुदा तुम पर रहम करे तुम कहाँ मेरी मुराद को पहुँचोगे ? फिर आप वापस आ गए और हज़रत अली^{अ.स} से यह भी मरवी है कि आपने जुमआ के दिन हम्द व सना के बाद लोगों से ख़िताब करके फरमाया कि ए लोगों! तुम्हारे जिस्म तो इकट्ठा है लेकिन तुम्हारी मुरादे मुख़तलिफ़ है। जिसको तुम बुलाते हो उसको तुम्हारा बुलाना पसंदीदा नहीं हैं और जिसके साथ तुम हमदर्दी करते हो उसका दिल रंज व ग़म से राहत नहीं पाता। तुम्हारी बात सख़्त से सख़्त आदमी को कमजोर बना देती है और तुम्हारा तरीकाकार ऐसा है कि तुम्हारा दुश्मन तुम्हारे अंदर लालच और तमअ करता है जब मैं तुम से कहता हूँ कि तुम अपने दुश्मनों से मुकाबला करो तो तुम कहते हो कि कैसे और कब? और हम उम्र रसीदा गुमराहो को पहचानते भी नहीं है तुम मुझ से ताख़ीर का सवाल करते हो जिस तरह कर्ज़दार कर्ज़ अदा करने में देरी करता है। अफसोस सद-अफसोस ज़लील इंसान जुल्म व सितम को दफा नहीं कर सकता और हक़ सच्चाई और कोशिश ही से मिलता है। पस तुम लोग अपने उस घर के अलावा किस घर की हिफाज़त करोगे और मेरे बाद तुम लोग किस इमाम के साथ जिहाद करोगे। अब तो मेरा यह हाल हो गया है कि मुझे तुम्हारी इमदाद की कोई लालच नहीं है और ना तुमको दावत करने की मुझे रग़बत ही है खुदा मुझे और तुम्हें अलग-अलग कर दे और खुदा तुम्हारे एवज़ ऐसे लोगों को मोहय्या कर दे जो मेरे लिए तुम से बेहतर हों और मेरी जगह पर तुम्हारे लिए किसी ऐसे शख्स को मुसल्लत कर दे जो तुम्हारे लिए मुझसे बदतर हो। इतना फरमाने के बाद आप मिम्बर से उतर आए जब शाम हो गई तो लोग आपकी ख़िदमत में हाज़िर होकर बहाने करने लगे मगर आपने उसके जवाब में उनसे फरमाया कि तुम लोग अनकरीब मेरे बाद ज़लील व ख़्वाह होगे और इतने बुरे अंजाम को पहुँचोगे कि जिसे लोग तुम्हारे ख़िलाफ़ हुज्जत बना लेंगे यहां तक कि तुम्हारी आँखें रोने लगेगी और तुम्हारे घरों पर मोहताजगी का आलम तारी होगा और खुदा तो ज़ालिमों को ही दूर रखता है। चुनांचे कअब बिन मालिक बिन जंदब अज़दी जब अमीरुल मुअमिनीन^{अ.स} के इस

इर्शादे गिरामी को याद करते और लोगों के हाल को देखते तो रोते और कहते कि कसम बा खुदा अमीरूल मुअमिनीन^{अ.स} ने सच फरमाया था इसमें कोई शक नहीं कि आपने जो कुछ फरमाया था हमने वह तमाम बातें देख ली।

हज़रत अली^{अ.स} से मरवी है कि एक मर्तबा जो लोग आपके साथ जंग में शरीक न थे आपने उनके अतीया को बंद कर दिया और उनको एअराब (देहाती) के दर्जे पर रख दिया और जब इब्ने उमर ने अतीया तलब करते हुए आपको खत लिखा तो हज़रत अली^{अ.स} ने उसके जवाब में यह लिखा कि जब तुमने हमारी जंग में शक व शुब्हा किया तो फिर हमको भी तुमको अतीया देने में शक पैदा हो गया। इसके जवाब में इब्ने उमर ने लिखा कि कसम बा खुदा जंग में आपसे पीछे रहने पर मुझे नदामत व अफसोस है उन्होंने इस बारे में निहायत उम्दा गुप्तगू की थी पस आपने उनको अतीया से नवाज़ा इससे मालूम होता है कि आपने तौबा के बाद ही उनको अतीया से नवाज़ा था।

बागियों में से अगर कोई किसी मर्द मुअमिन को क़त्ल कर दे तो उसकी शहादत के फज़ल में अबू अब्दुल रहमान सलमी से यह रिवायत मनकूल है वह कहते हैं कि मैं हज़रत अली^{अ.स} के साथ जंगे सिप्फीन में मौजूद था पस मैंने अम्मार बिन यासिर को हमला करते हुए देखा था वह मैदाने कारज़ार में निहायत उम्दा कारनामा अंजाम देकर इस हाल में लौटे के मार काट से उनकी तलवार मुड़ गई थी उस वक़्त अमीरूल मुअमिनीन^{अ.स} के साथ असहाबे रसूलल्लाह^{सअव} की एक जमात भी थी जिन्होंने रसूले खुदा^{सअव} के इस कौल को सुना था कि ए अम्मार तुमको बागियों का गिरोह क़त्ल करेगा। चुनांचे अम्मार जिस वादी की तरफ जाते लोग उनका पीछ करते थे इतने में उन्होंने अली^{अ.स} के अलमबरदार हाशिम बिन अतबा को देखा कि उन्होंने झंडा गाढ़ दिया है हाशिम एक चश्म (एक आंख) थे हज़रत अम्मार^{रअ} ने हाशिम से कहा कि ए यक चश्म बुज़दिल? इस इक चश्म में कोई भलाई नहीं है जो जंग में नहीं उतरता तुम हमारे साथ मिलकर हमला करो। पस हाशिम ने यह शअर पढ़ते हुए झंडा उखाड़ लिया कि “एवर (एक आंख वाला) अपने अहलो अयाल के लिये महल का तालिब है उसने जिंदगी के लिए बहुत हाथ—पांव मारा और अब वह मलूल ख़ातिर हो चुका है और इसके सिवा कोई चारा नहीं है कि वह शिकस्त खा जाए या दुश्मनों को शिकस्त दे दे। हज़रत अम्मार^{रज.} ने हाशिम से कहा कि ए हाशिम आगे बढ़ो

मौत नेजों के अतराफ में है और जन्नत चमकती हुई तलवारों के नीचे है अगर शहीद हो गए तो तुम मोहम्मद रसूलल्लाह^{स.अ.व} के साथ रफीके आअला में हूरूल—ऐन से जा मिलोगे। पस उन दोनों हज़रात ने मिलकर ऐसा हमला किया कि फिर जिंदा लौट कर नहीं आए और दोनो शहीद हो गए। खुदा की रहमत उन दोनों पर। शहादत के बाद इब्ने उमरु ने हज़रत अम्मार^{र.ज.} को शहीद करने के मुताल्लिक दो आदमियों को झगड़ा करते हुए सुना उनमें से हर एक यह कहता था कि उसने अम्मार^र को क़त्ल किया है। पस अब्दुलल्लाह बिन उमरु ने कहा कि इन दोनों के लिए बड़े तअज़्जुब की बात है कि दोनो इस बारे में झगड़ा कर रहे हैं कि कौन जहन्नम में दाखिल होगा। हज़रत अम्मार^{र.ज.} ने कहा कि मुझे मेरे कपड़ों में दफन कर दो मैं इसी हालत में क़यामत के दिन खुसुमत (झगड़ा) करूंगा।

हज़रत अली^{अ.स} से मरवी है आपने फरमाया कि क़यामत के दिन मुझे और मुआविया को बारगाहे—इलाही में खड़ा किया जाएगा। पस हम हुज्जत व दलील करेंगे। पस हममें से जो कामयाब होगा तो उसके असहाब भी कामयाब होंगे। और हज़रत अली^{अ.स} से यह भी मरवी है कि आप कूफा में खुतबा दे रहे थे कि ख्वारिज में से एक शख्स ने खड़े होकर कहा कि हकम सिर्फ़ खुदा ही के लिए है पस हज़रत अमीरुल मुमिनन^{अ.स} खामोश रहे। फिर एक के बाद दूसरे कई उठे जब उन्होंने यही बात ब कसरत दोहराई तो आपने फरमाया कि बात तो सच है मगर यह कलमाए हक़ से बातिल की तरफ बुलाया जाता है कि क़यामत तक तुम में से जो फिरका भी ख्वाह ज्यादा हो या कम हम पर ख़रूज करेगा। उसकी मौत हमारे हाथों से होगी और यकीन रखो कि तुमसे जिहाद करना अफज़ल तरीन जिहाद है और अफज़ल तरीन शहीद वह है जिसको तुमने क़त्ल किया है और अफज़ल तरीन मुजाहिद वह है जिसने तुमको क़त्ल किया है।

पस तुम आज जो चाहो करो लेकिन याद रखो कि क़यामत के दिन अहले बातिल ही नाकाम व ना मुराद होंगे और हर ख़बर की एक मुद्दत है पस तुमको अनक़रीब मालूम हो जाएगा।

इमाम जअफरुस्सादिक^{अ.स} से मरवी है आपने फरमाया कि बागियों के गिरोह को जंग से पहले दावत की जाए तो यह बेहतर है वरना उन्हें तो ख़बर ही है कि उनको किस बात की तरफ बुलाया जा रहा है और यह भी लायक़ है कि जब तक वह जंग की इब्तिदा ना करे उनसे जंग की पहल ना की जाए। हज़रत अली^{अ.स} से मनकूल है कि आपने जंगे जमल में

मोहम्मद बिन हनफिया को झंडा दिया था आपने उनको अपने आगे रखा। इमाम हसन^{अ.स} को मेमना पर मुक़रर किया और इमाम हुसैन^{अ.स} को मेसरा पर और आप खुद झंडे की पीछे रसूले खुदा^{स.अ.व} के खच्चर शहबार पर बैठे थे। इब्ने हनफिया का बयान है कि लोग हमसे करीब हो गए और उन्होंने हम पर तीर की बारिश शुरू कर दी और हमारे एक आदमी को क़त्ल कर दिया उस वक़्त मैं हज़रत अमीरूल मुमिनीन^{अ.स} की तरफ़ मुतवज्जा हुआ। मैंने देखा कि आप पर सख़्त नींद का ग़लबा है मैंने अर्ज किया कि ए अमीरूल मुमिनीन^{अ.स} इस हाल में भी आप सो रहे हैं? जबकि दुश्मनों ने हम पर तीर की बारिश कर दी है और उन्होंने हमारे एक आदमी को क़त्ल भी कर दिया है और लोग हलाक हो रहे हैं आपने फरमाया कि मैं देख रहा हूँ कि तुम दोशीजा लड़की की तरह बातें करते हो यह झंडा रसूलल्लाह^{स.अ.व} का झंडा है पस आपने उसको पकड़कर हिलाया उस वक़्त हवा हमारे खिलाफ़ थी पस हवा का रूख़ उनकी तरफ़ हो गया और आपने आस्तीन चढ़ा ली और उन पर सख़्त हमला किया और तलवार से इतना मारा कि आपकी क़बा का दामन खून में तर हो गया और तलवार मुड़ गयी।

हज़रत अली^{अ.स} से मनकूल है आपने फरमाया कि अहले बग़ावत से जंग की जाए और उनको तमाम हथियारों से क़त्ल किया जाए जिससे मुशरिकों को क़त्ल किया जाता है और अहले किबला में से उनके खिलाफ़ जिसकी मदद मिल सके मदद ली जाए और अगर कुदरत हो तो उनको इस तरह कैद किया जाए जिस तरह मुशरिकों को कैद किया जाता है। जंगे सिप्पीन में जब अमीरूल मुमिनीन^{अ.स} की खिदमत में एक कैदी को पेश किया गया तो उसने कहा कि ए अमीरूल मुमिनीन^{अ.स} आप मुझे क़त्ल ना कीजिए आपने फरमाया कि क्या तुम में इतनी भलाई है कि बैअत कर सकते हो? उसने कहा कि हां पस जो शख्स उसको कैद करके लाया था आपने उससे फरमाया कि इसका हथियार अब तुम्हारा है और आपने उस शख्स को रिहा कर दिया था। इसी तरह अम्मार बिन यासिर^{र.ज.} एक कैदी को लाए थे जिसको आपने क़त्ल कर दिया था जब बसरा पहुँचे तो हज़रत अम्मार ने आपसे पूछा कि ए अमीरूल मुमिनीन^{अ.स} आप इन लोगों के साथ कैसा सुलूक करेंगे? तो आपने फरमाया कि मैं इनके साथ अहसान और माफी का सुलूक करूँगा जिस तरह कि फतह मक्का के दिन आहज़रत^{स.अ.व} ने मक्का वालों के साथ अहसान और माफी का सुलूक किया था।

इमाम जअफरुस्सादिक^{अ.स} से मरवी है आपने फरमाया कि अमीरूल मुअमिनीन^{अ.स} अपने दुश्मनों के साथ महज़ अपने शिओ की खातिर अफो व करम का सुलूक करते थे क्योंकि आप यह अच्छी तरह जानते थे कि आपके बाद उनके दुश्मन अनकरीब शिओ पर ग़ालिब आ जायेंगे इसलिए आपने इस बात को पसंद किया कि आपके बाद जो शख्स मसनदे ख़िलाफत पर आएगा वह आपकी पैरवी करते हुए आपके शिओ के साथ हुस्न सुलूक से पेश आएगा और आपके तर्ज अमल के ख़िलाफ न होगा। अमीरूल मुअमिनीन^{अ.स} के हुस्न सुलूक के बावजूद लोगों ने यह समझा कि आपने जुल्म व सितम से काम लिया है और जब अहले बगावत शिकस्त खा जाएं और उनका कोई ऐसा गिरोह मौजूद हो कि जहां जाकर पनाह ले सकते हो तो उनका पीछा किया जाए और ज़ख्मियों पर जर्ब कारी लगाया जाए और जैसे भी मुमकिन हो उनको क़त्ल कर दिया जाए।

हज़रत अली^{अ.स} ने असहाबे सिफ़्फीन के साथ ऐसा ही सुलूक किया था क्योंकि उनके पीछे मुअविया का हाथ काम कर रहा था और जब बागियों का कोई ऐसा गिरोह न हो तो क़त्ल करने के लिए उनका पीछा न किया जाए और न ज़ख्मियों पर जर्ब कारी लगाई जाए क्योंकि जब वह पीठ फिराकर भागेंगे तो मुनतशिर हो जायेंगे।

हज़रत अली^{अ.स} से मनकूल है कि जब तल्हा व जुबैर मारे गए और हज़रत आयशा गिरफ्तार हो गई और असहाबे जंगे जमल शिकस्त खा चुके तो उस वक़्त आपने उनके साथ हुस्न सुलूक किया था आपके मुनादी ने यह निंदा की कि ए लोगो! किसी ज़ख्मी पर जर्ब कारी ना लगाओ और ना किसी पीठ फिराकर भागने वालो का पीछा करो और जो अपना हथियार डाल दे उसको अमान है इसके बाद आपने रसूले अकरम^{स.अ.व} का ख़च्चर शहबाअ मंगाया और उस पर बैठ कर फरमाया कि ए फला ए फलां यहां आओ जब कबीला—ए—हमदान के तक़रीबन साठ शेख (बुड्ढे) आपके पास जमा हो गए उन्होंने अपनी ढालों को रख दिया था और तलवारों को म्यान में कर लिया था और नेजों को बांध लिया था और उसे खुद पहन रखा था हज़रत अली^{अ.स} इस हाल में चले कि वह सब शेख आपके चारों तरफ थे आप एक बहुत बड़े घर के पास पहुँचे आपने उसे खोलने के लिए फरमाया चुनांचे उस घर को खोला गया तो उसमें औरतें थी जो आंगन में रो रही थी। जब उन्होंने आपको देखा तो यक बारगी सबकी सब चीख मारकर कहने लगी कि यही दोस्तों का क़ातिल है पस आपने उनसे कुछ भी ना फरमाया और हज़रत

आयशा के मुताल्लिक पूछा सो वह भी आपके लिए खोल दिया गया पस उसमें से आपने अज़ रखाही के यह अलफाज़ सुने नहीं बखुदा हां कसम बा खुदा उसके बाद जब आप बाहर निकले तो आपकी नज़र गंदमी रंग की एक दराज कद औरत पर पड़ी जो घर के अंदर चहल कदमी कर रही थी। आपने उससे फरमाया कि ए सफीया! उन्होंने कहा कि लब्बेक ए अमीरूल मुमिनीन^{अ.स} आपने फरमाया कि क्या तुम इन कुतियो को मुझसे दूर न करोगी? जिनको यह बदगुमानी है कि मैं दोस्तों का कातिल हूँ अगर मैं दोस्तों का कातिल होता तो उस हुजरे में जो लोग हैं उनको भी क़त्ल कर देता और जो उस हुजरे में हैं उनको भी क़त्ल कर देता और जो इस हुजरे में हैं उन को भी क़त्ल कर देता। आपने तीन हुजरों की तरफ इशारा फरमाया पस घर के अंदर जो औरतें चीख रही थी वह खामोश हो गई और जो खड़ी थी वह बैठ गई। असबग जिन्होंने इस वाकिआ को बयान किया है। वह कहते हैं कि उन हुजरों में से एक हुजरे में आयशा अपनी खास के साथ बैठी थी और दूसरे में मरवान बिन हकम और दूसरे नौजवानान कुरैश थे और तीसरे में अब्दुलल्लाह बिन जुबैर अपने अहलो अयाल के साथ थे। असबग से पूछा गया कि आप लोगों ने उन पर अपने हाथ क्यों नहीं उठाए और उनको क्यों नहीं मार डाला? क्या यह लोग इस्लाम के जिस्म में नासूर ना थे पस उनको क्यों बाकी रखा गया? असबग कहते हैं कि कसम बा खुदा हमारे हाथ तलवारों के कब्जों पर पहुँच चुके थे और हमारी निगाहें उनके बारे में अमीरूल मुअमिनीन^{अ.स} के फरमान की मुनतज़िर थी पस आपने कुछ भी नहीं किया उन पर आपका रहम व करम कुशादा हो गया उन्होंने बाकी वाकिआ को तूल के साथ बयान किया था जिसको हमने यहां मुख़सिर कर दिया है।

अहले अदल व इंसाफ अगर अहले बगावत को पनाह दे तो वह मुशरिकीन को पनाह देने के बराबर है। अगर कोई आदिल शख्स किसी बागी को पनाह दे तो वह अमान में है जब तक कि उसको उसके पनाह गाह तक पहुँचा ना दे।

अहले बगावत के अमवाले ग़नीमत का हुक्म

हज़रत अली^{अ.स} से मनकूल है कि जब अहले जमल को आप शिकस्त दे चुके तो वह लोग अपने लश्कर गाह में जो माल व असबाब लाए थे वह सब आपके हाथ आया। उसको आपने पाँच हिस्सों में तक्सीम कर दिया उनमें से चार हिस्सा आपने असहाब को दे दिया और चल पड़े जब बसरा पहुँचे तो आपके असहाब ने अर्ज किया कि ए अमीरुल मुमिनीन^{अ.स} आप असहाबे जमल की औलाद और उनके अमवाल को हमारे दरमियान तक्सीम कर दे आपने फरमाया कि यह तुम्हारे लिए हलाल नहीं है उन लोगों ने कहा कि ए अमीरुल मुमिनीन^{अ.स} फिर किस तरह आपने हमारे लिए उनका खून हलाल करार दिया था दर हालांकि उनके बीवी बच्चों को गुलाम बनाना हलाल नहीं है? आपने फरमाया कि देखो मर्दों ने हमसे जंग की थी पस हमने भी मर्दों से जंग की लेकिन औरतें और बच्चे तो उन पर हमको कोई इख्तियार नहीं हैं। क्योंकि वह मुसलमान है और दारुल हिजरत में है पस हमको उन पर कोई इख्तियार नहीं हैं लेकिन उन्होंने जिस साजो समान के जरिए तुम पर चढ़ाई की थी और जो माल व असबाब उनके लश्कर के पास थे उन पर तुम्हारा पूरा इख्तियार है और जो माल व असबाब उनके घरों में है सो खुदा के हुक्म के मुताबिक वह उनकी औलाद की मीरास है और उनकी औरतों पर अय्यामें इद्दत गुज़ारना वाजिब है पस तुमको ना तो उन पर ना उनके बच्चों पर कोई इख्तियार है। जब उन्होंने इस बात को कई बार दोहराया तो आपने उनसे फरमाया कि अच्छा तो आओ आयशा पर किरआ अंदाजी (चिट्ठी निकालना) करो जिसके हिस्से में आए ले जाए इसलिए कि वही तो इस फितना की झड़ है। वह सब कहने लगे हम खुदा से माफी चाहते हैं। आपने भी फरमाया कि मैं भी खुदा से माफी चाहता हूँ। पस वह सबके सब खामोश हो गए और उन्होंने बागियों के घरों के माल व असबाब और उनकी औलाद और औरतों के मुताल्लिक कोई मुतालबा नहीं किया। पस अहले बगावत के साथ इसी किस्म का सूलूक करना चाहिए।

हज़रत अली^{अ.स} से मरवी है आपने फरमाया कि अहले बगावत अपने साथ जो माल व असबाब हथियार, हैवान, लौंडी, गुलाम वगैरह लेकर हमलावर हो वह माल ग़नीमत है उनको पाँच हिस्सो में बांटकर उसी तरह से तक्सीम किया जिस तरह मुशरिको के अमवाले ग़नीमत को तक्सीम

किया जाता है और हज़रत अली^{अ.स} से यह भी मनकूल है कि जब लोगों ने आपके हाथ पर बैअत कर लिया तो आपने हज़रत उस्मान के घर में मुसलमानों के जो माल व असबाब और हथियार थे उन पर कब्जा कर लिया और जो माल व असबाब हज़रत उस्मान के जाती थे उनको उनके वारिसों के सुपुर्द कर दिया और आपसे यह भी रिवायत है कि अशअत बिन कैस जो आजर बेजान पर हज़रत उस्मान की तरफ से गवर्नर मुकर्रर थे जब वह वहां से वापस आए तो उनके पास एक लाख दिरहम थे बअज़ ने कहा कि उन्हे हज़रत उस्मान ने जागीर में दिया था और बअज़ ने कहा कि अशअत ने अपनी गवर्नरी के ज़माने में इसे जमा किया था। पस अमीरुल मुमिनीन^{अ.स} ने अशअत को हाजिर करने का हुक्म दिया तो उन्होंने इससे इंकार कर दिया और यह कहा कि ए अमीरुल मुमिनीन^{अ.स} मैंने इसे आपकी गवर्नरी के जमाने में नहीं पाया है आपने अशअत से फरमाया कि क़सम बा खुदा अगर तुमने इस रक़म को मुसलमानों के बेतुल माल में जमा नहीं किया तो इस तलवार से तुमको ज़रूर मारूंगा फिर जहा चाहे तो तुमको लग जाए पस अशअत ने उस रक़म को आपके सामने लाकर रख दिया। और आपने उसको लेकर मुसलमानों के बेतुल माल में जमा कर दिया। आप इसी तरह हज़रत उस्मान के तमाम गवर्नरों के पीछे पड़ गए। उनके हाथों में से जो कुछ भी आपको मिला उस पर कब्जा कर लिया और उन्होंने जो कुछ तलफ कर दिया उसका उन्हीं को जिम्मेदार करार दिया।

हज़रत अली^{अ.स} से मरवी है कि जब लोगों ने आपसे बैअत कर लिया तो आपने उनसे खिताब करते हुए फरमाया कि ख़बरदार हर वह जागीर जिसे हज़रत उस्मान ने दिया था और हर वह माल जिसे उन्होंने बतौर अतीया दिया था उसको मुसलमानों के बेतुल माल में वापस कर दिया जाए क्योंकि बातिल हक़ को नहीं मिटा सकता। क़सम है उस ज़ात पाक की जिसने दाने को उगाया और मखलूक़ को पैदा किया है अगर मुझे मालूम हो जाए कि इस माल से औरतों की शादी की गई है और शहरों में इधर-उधर कर दिया गया है तो मैं उसको ज़रूर हासिल करके मुस्तहिक् तक पहुँचाऊँगा क्योंकि हक़ बात और अदल व इंसाफ ही से तुम्हारे लिए कुशादगी हो सकती है। पस जो अदल व इंसाफ पर बेकाबू होगा तो वह जुल्म व सितम पर तो और बेकाबू और बे लगाम होगा।

दो गिरोह के बीच जो कुछ हो चुका उसके हुक्म का बयान

हम इसके क़ब्ल बयान कर चुके हैं कि खुदा के हुक्म के मुताबिक़ अहले बगावत से उस वक़्त तक जंग की जाए जब तक कि वह खुदा के हुक्म की तरफ़ रूजूअ ना हो जाए और खुदा वंद तआला ने बाग़ियों से जंग करने का जो हुक्म दिया है उसी में उनको क़त्ल करने की इजाजत भी मौजूद है पस अगर अहले अदल में से किसी ने किसी बागी को मार डाला और कातिल पहचाना जाए या ना पहचाना जाए इस क़त्ल के सिलसिले में उस पर कोई तावान आयद ना होगा क्योंकि उसने ऐसे शख्स को क़त्ल किया है जिसको क़त्ल करने का हुक्म खुदा ने दिया और खुदा ने बाग़ियों को अहले अदल के साथ जंग करने का हुक्म ही नहीं दिया है कि जिससे उनका अहले अदल को क़त्ल करना मुबाह होगा पस अगर यह मालूम हो जाए कि फ़लां बागी ने अहले अदल में से किसी को क़त्ल कर दिया है उनसे जंग के वक़्त या किसी और मौक़े पर तो जब वह मिल जाए तो उसको गिरफ़्तार कर लिया जाए और हमने जो कुछ कहा है इसकी ताईद खुदा के इस इर्शाद से होती है कि :

فَإِنْ فَاءٌ وَفَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ •

फइन फाऊ फइनल्लाह: गफूरर रहीम 2-2/226 तर्जुमा : पस अगर वह रूजूअ कर ले तो खुदा बड़ा बख़्शाने वाला मेहरबान है। पस कोई ऐसी बात नहीं है जो हमारी इस बात को बातिल ठहराए या फासिद क़रार दे बल्कि हमारी बात तो आयत मजकूरा से साबित होती है। क्योंकि फई मुमकिन ही नहीं सिवाए इसके कि हक़ की जानिब रूजूअ किया जाए। इसी तरह मालूम हो जाए कि फ़लां बागी ने अहले अदल का माल ले लिया है तो उससे तलब किया जाए और जब कातिल गैर मालूम हो और माल का लेने वाला भी ना मालूम हो तो उस सूरत में कुछ भी वाजिब नहीं है क्योंकि यह मालूम नहीं है कि किस पर हुक्म जारी किया और किसी को बगैर किसी जुर्म के पकड़ना भी वाजिब नहीं है क्योंकि अल्लाह तआला का इर्शाद है कि :

وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ

वला तजिरो वाजिरतुन विजरः उखरा 8-6/165 तर्जुमा : और कोई शख्स किसी दूसरे के गुनाह का बोझ नहीं उठाने का। हज़रत अली^{अ.स} से मरवी है कि एक मर्तबा बनी असद बिन अब्दुल उज्ज़ा का एक मर्द आपके रूबरू पेश किया गया जिसने हज़रत उस्मान के मेहसूर (गिरफ्तार) होने के वक़्त एक अंसारी को क़त्ल कर दिया था जब हज़रत उस्मान क़त्ल हो गए तो अंसार ने इस कुरैशी को देखा कि वह उनके दरमियान चल फिर रहा है पस अंसार में से एक शख्स उस पर झपट पड़ा और उसको क़त्ल कर दिया पस अहले कुरैशी ने उन अंसार के खिलाफ दाद ख्वाही की जिन्होंने कुरैशी को मार डाला था। कुरैशी के लोगों ने कहा कि इस अंसारी ने हमारे साथी को क़त्ल करने में पहल की थी पस हज़रत अली^{अ.स} ने उनसे फरमाया कि इसमें कोई शुब्हा नहीं है कि तुम्हारे साहिब ने उनके साहिब को जुल्म से क़त्ल कर दिया था हालांकि उनका साहिब मजलूम था पस आपने कातिल अंसारी के बर खिलाफ उनकी मदद की और अहले बगावत को उनकी बगावत की वजह से एक दूसरे को कुछ तकलीफ हो तो वह अकारत है और अगर अहले अदल का इमाम यह मुनासिब ख्याल करे कि अहले बगावत के साथ सुलह करने में अहले अदल के लिए ताक़त और भलाई का मौजब (तय) है तो उनसे वैसे ही सुलह कर ले जिस तरह मुशरिकों से सुलह की जाती है और अगर अहले अदल के पास बागियों के माल व असबाब हो तो जब तक वह बगावत पर काइम रहे तब तक उनके अमवाल को रोक लिया जाए और जब वह हक़ की तरफ रुजूअ हो जाए तो उनको वापस कर दिया जाए इसको माले ग़नीमत ना समझा जाए बल्कि सिर्फ़ रोक रखा जाए ताकि वह इस माल के ज़रिए अहले अदल से जंग करने पर कुदरत ना रख सके और जब अम्र व हुक्म अहले अदल के इख्तियार में हो तो अहले बगावत को हमराह लेकर मुशरिकों के साथ जंग की जाए और अगर अमवाल ग़नीमत हाथ आ जाए तो अहले अदल का अमीर उसको लेकर पांच हिस्सों में बांट दे पांचवा हिस्सा खुद ले और चार हिस्सों को अहले अदल और अहले बगावत में बराबर तक्सीम कर दे और अहले बगावत का अमीर खुमस में से जरा भी न लेने पाए अगर कब्ज़ा कर ले तो उसके खिलाफ जंग की जाए यह अहले बैते रसूल^{अ.स} से मरवी है।

अहले क़िबला में से किसको क़त्ल करना जाइज़ है उसका बयान

अगर कोई शख्स अहकामे इस्लाम में से किसी एक हुक्म का इंकार कर दे और शराअ—ए—इस्लाम में से किसी शरअ का मुनकिर हो जाए तो उससे जंग की जाए यहां तक कि वह तौबा कर ले। चोरों से जंग करना और ब हालत दफा (भागते वक़्त) उनको क़त्ल करना मुबाह और जाइज़ है।

इमाम बाकिर^{अ.स} से मनकूल है कि आपसे ऐसे शख्स के मुताल्लिक पूछा गया जो अपने माल की हिफाज़त करते हुए मारा गया है आपने फरमाया कि आंहज़रत^{स.अ.व} से यह हदीस मरवी है कि आपने फरमाया कि जो शख्स अपने माल की हिफाज़त करते हुए क़त्ल कर दिया गया वह शहीद है और अगर मैं होता तो माल को छोड़ देता और उसके लिए जंग ना करता और अगर चोर क़त्ल करने का इरादा रखता हो तो मर्द मुस्लिम को सिर्फ अपनी जान की मदाफिअत (हिफाज़त) करनी चाहिए। चोर के पास से जो माल बरामद हो अगर उसके असल मालिक का पता चल जाए तो उसको वापस कर दिया जाए। और अगर सरदार और जासूस हाथ आ जाए तो दोनों को क़त्ल कर दिया जाए अहले बैते रसूल^{अ.स} से यही मरवी है।

हज़रत अली^{अ.स} से मनकूल है कि आपने मुरतद को क़त्ल करने का हुक्म दिया है। आपने फरमाया कि जो शख्स दीन इस्लाम पर पैदा हुआ फिर उसने अपने दीन को बदल डाला उससे तौबा ना करवाई जाए बल्कि क़त्ल कर दिया जाए। और जो शख्स इस्लाम के अलावा किसी और दीन का पेरो था और इस्लाम लाने के बाद फिर मुरतद हो गया तो तीन दिन तक उससे तौबा करवाई जाए पस अगर तौबा कर ले तो ठीक वरना क़त्ल कर दिया जाए और अगर औरत हो तो उसको क़ैदखाने में डाल दिया जाए यहां तक कि वह बा—हालत क़ैद में मर जाए या तौबा कर ले।

हज़रत अमीरूल मुअमिनीन^{अ.स} से मरवी है कि आपके सामने बे—दीनो को जब पेश किया गया तो आपने उनको क़त्ल करके जला दिया था और अगर एक क़ौम इस्लाम से फिर जाए और वह अपने अहल व अयाल के साथ एक घर में जमा हो जाए तो उनसे मुशरिकों की तरह जंग की जाए और जब उन पर ग़लबा हासिल हो जाए तो जंग करने वालों को क़त्ल कर दिया जाए और उनकी औरतों और बच्चों को क़ैद कर दिया जाए बशर्ते यह कि उनकी

औरतें भी मर्दों की तरह इस्लाम से मुस्तद हो गई हों। पस अगर मुस्तदीन किसी घर में अंदर ना हो तो उनको क़त्ल कर दिया जाए और उनकी औरतों में से अगर कोई औरत मुस्तद हो जाए तो उसको ता मौत कैद में रखा जाए या फिर वह तौबा कर ले और जब मुस्तदीन की औलाद बालिग़ हो जाए उन पर इस्लाम पेश किया जाए। अगर वह मजहबे इस्लाम क़बूल कर लें तो ठीक वरना जो मर्द है उनको क़त्ल कर दिया जाए और औरतों को कैदखाने में डाल दिया जाए यहां तक कि इस्लाम क़बूल कर ले या फिर कैद में मर जाए।

*अलहम्दो लिल्लाहे रब्बिल आलमीन व सलातो अला रसूलिही व वसीयिही
व आलेहुमा*

तमामशुद